मय तर्जुमा व तफ्सीर 1655 से 2490 हिन्दी
सहीह
बुख़ारी
(3)
लेखक
हज़रत मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.)
अनुवादक
हज़रत मौलाना दाऊद राज़ (रह.) उर्दू
सलीम ख़िलजी हिन्दी
प्रकाशक
शोबा नशरो इशाअत
जमीअत अहले हदीस जोधपुर राजस्थान
Salfibooks.blogspot.com
http:/ / salfibooks.blogspot.com

vol - 3 हदीस नं. 1655 से 2490

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सहीह बुख़ारी

मय तर्जुमा व तफ़्सीर

जिल्द सोम (तीसरी)

मुरत्तिब

अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष़ सैयदुल फुक़हा हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)

उर्दू तर्जुमा व तशरीह

हज़रत मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)

हिन्दी तर्जुमा

सलीम ख़िलजी

प्रकाशक : शो'बा नशरो इशाअत

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

नाम किताब : सहीह बुख़ारी (हिन्दी तर्जुमा व तफ़्सीर)
मुरत्तिब (अ़रबी) : अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)
उर्दू तर्जुमा व शरह : अ़ल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)
हिन्दी तर्जुमा व नज़रे-ष़ानी : सलीम ख़िलजी
तस्हीह (Proof Checking) : जमशेद आलम सलफ़ी

कम्प्यूटराइज़ेशन, डिज़ाइनिंग एवं लेज़र टाइपसेटिंग : ख़लीज मीडिया, जोधपुर (राज.)
khaleejmedia78@yahoo.in # 91-98293-46786
हिन्दी टाइपिंग : मुहम्मद अकबर
ले-आउट व कवर डिज़ाइन : मुहम्मद निसार खिलजी, बिलाल ख़िलजी
मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव : फ़ैसल मोदी

ता'दाद पेज (जिल्द-3) : 608 पेज
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) : रमज़ान 1432 हिजरी (अगस्त 2011 ईस्वी)
ता'दाद (प्रथम संस्करण) : 2400
क़ीमत (जिल्द-3) : `450/-
प्रिण्टिंग : अनमोल प्रिण्ट्स, जोधपुर (0291-2742426)
प्रकाशक : जमीयत अहले हदीष़ जोधपुर (राज.)

मिलने के पते

मुहम्मदी एण्टरप्राइजेज़
तेलियों की मस्जिद के पीछे, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर-1
(फ़ोन): 99296-77000, 92521-83249,
93523-63678, 90241-30861

अल किताब इण्टरनेशल
जामिया नगर, नई दिल्ली-25
(फ़ोन): 011-6986973
93125-08762

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा नं.

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

7

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

किताब स़लातुत्तरावीह

किताब लैयलतुलक़द्र

किताबुल ए'तिकाफ़

8

किताबुस्सलम

किताबुशशुफ़्आ

मज़मून	सफ़ा नं.

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तश्रीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

तक़रीज़

(अज़ शैख़ अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने बाज़ रह.)

بكلما ت افتتاحية طيبات

فضيلة الشيخ عبد العز يز بن عبدالله بن باز ادام الله فيوضهم

نا ئب رئيس الجا معة الاسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربيه السعو دية

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيزبن عبد الله بن بازالیٰ حضر ة الاخ المكرم فضيلة الشيخ محمد داؤد راز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبر كا ته ' وبعد فقد وصل الينا كتا بكم الكريم وسرنا ما تضمنه من الافادة عن قيا مكم بترجمة وشرح الجامع الصحيح مع ترجمة رسائلنا الى اللغة الاردوية وانا لنشكر كم علیٰ هذا العمل الجليل الطيب ونسأل الله عز وجل ان يعينكم علیٰ اتمامه وان يضا عف لكم الاجروالمثوبة وان ينفع بالجميع انه خير مسئول والله يوفقكم ويتولا كم والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته

نائب رئيس الجامعة الاسلامية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز '

١١ صفر المظفر ١٣٨٩ھ

तक़रीज़

(अज़ इमामे-हरम शैख़ अ़ब्दुल्लाह बिन सुबैल)

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمات طيبات فضيلة الشيخ محمد بن سبيل

امام الحرم الشريف مكة المكرمة زادها الله شرفا و كرامة

بسم الله الرحمن الرحيم

اتصل بنا فضيلة الشيخ محمد داؤد راز وقدم لنا ترجمة صحيح البخارى فى لغة الارديه وبناء على قرأة فضيلة الشيخ عبد الحق المدرس بالمسجد الحرام لهذا الكتاب بتلك اللغة وانه اجاد فيه وافاد فانا نشكره علىٰ ذلك ونرجوله بتوفيقه لخدمة العلم والسنة المطهرة فجزاه الله خيرا .

املاه الفقير الى الله

محمد سبيل

امام الحرام الشريف ورئيس المدرسين بمكة ١/١٠/١٣٩٠ھ

اِلرئاسة العامة للاشراف الدينى رئيس المدرسين والمراقبين

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दुल्लिाहि रब्बिल आ़लमीन, वस्स़लातु वस्सलामु अ़ला रसूलिहिल करीम.

ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसानो–करम है कि **'स़ह़ीह़ बुख़ारी शरह मुहम्मद दाऊद राज़ (हिन्दी)'** की तीसरी जिल्द आपके हाथों में है। मुझे यक़ीन है कि पहली दो जिल्दों के मुतालअ़े से आपके इ़ल्म में इज़ाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। इस तीसरी जिल्द में जहाँ हज्ज, उ़मरा, मदीना के फ़ज़ाइल, रोज़ा, नमाज़े-तरावीह, लैलतुल क़द्र और ए'तिकाफ़ जैसे इ़ल्मी मसाइल के बारे में स़ह़ीह़ अह़ादीष़ मौजूद हैं वहीं कुछ ऐसे अहम मसलों पर स़ह़ीह़ अह़ादीष़ आपके मुतालअ़े में आएंगी जिनके बारे में जानकारी होना आज के दौर में बेहद ज़रूरी है। **मिष़ाल के तौर पर ख़रीदो-फ़रोख़्त के मसाइल, उजरत (मज़दूरी) के मसाइल, किफ़ालत और वकालत के मसाइल, खेती-बाड़ी, क़र्ज़, लोगों पर ज़ुल्म करने और उनका माल हड़प कर लेने के बारे में, गिरी पड़ी चीज़ों और आपसी झगड़ों के मसाइल।** मेरी गुज़ारिश है कि आप बहुत ग़ौर से इसका मुतालअ़ा करें, अगर कोई मसला समझ में न आए तो आ़लिम ह़ज़रात से राबिता करें। अपनी दुआ़ओं में उन तमाम ह़ज़रात को भी याद रखें जिन्होंने स़ह़ीह़ बुख़ारी (हिन्दी) आप तक पहुँचाने का फ़रीजा अंजाम दिया है।

अ़ब्दुर्रहमान ख़िलजी
अमीर जमइयत अहले ह़दीष़ राजस्थान

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्ह़म्दुलिल्लाहिल अ़लिय्यिल अ़ज़ीम वस्स़लातु वस्सलामु अ़ला रसूलिहिल करीम.

अल्लाह तआ़ला का बेह़द्दो-ह़िसाब शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक़े ख़ास़ से **'स़ह़ीह़ बुख़ारी : शरह मुहम्मद दाऊद राज़'** हिन्दी की तीसरी जिल्द शाये होकर आपके हाथों में है। अल्लाह के तवक्कल और मुह़िब्बाने रसूल (ﷺ) और अहले इ़ल्म के तआ़वुन से यह अ़ज़ीम काम मुकम्मल हो पाया है। जिस त़रह़ पहली दो जिल्दों को आपने हाथों हाथ लिया और हमारी ह़ौस़ला अफ़ज़ाई की उसके लिए हम तहेदिल से शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइन्दा भी आप इससे ज़्यादा जोश व ख़रोश के साथ अपनी अह़ादीष़ के अनमोल ख़ज़ाने से मुहब्बत का मुज़ाहिरा फ़र्माते रहेंगे। हमारी ये कोशिश भी है कि इस काम का मे'यार बरक़रार रखा जाए चुनाँचे एक बार के बजाय दो दफ़ा प्रूफ़ रीडिंग की गई है तीसरी बार नज़रेष़ानी की है ताकि ग़ल्तियों का इर्तिकाब कम से कम हो। क़ारेईने किराम से गुज़ारिश है कि वे ख़ुद भी इ़ल्मे–अह़ादीष़ के इस ख़ज़ाने से फ़ैज़याब हों और दूसरे लोगों को भी तर्ग़ीब दिलाएं कि वे स़ह़ीह़ बुख़ारी का सेट ख़रीदकर उसके कुछ ह़िस्से का रोज़ाना मुतालआ़ करके अल्लाह तआ़ला की रहमत के मुस्तह़िक़ बनें। वस्सलाम,

मुह़म्मद फ़ारूक़ क़ुरैशी (अबाबील होटल)
ख़ादिम जमइयत अहले ह़दीष़ जोधपुर

अ़र्ज़े-मुतर्जिम

(अनुवादक की गुज़ारिशात)

क़ारेईने किराम! अल्लाह रब्बुल—इ़ज़्ज़त के फ़ज़्ल व एहसानो—करम से स़ह़ीह़ बुख़ारी (शरह मुहम्मद दाऊद राज़ रह.) की तीसरी जिल्द आपके हाथों में सौंपी जा रही है। पहली व दूसरी जिल्द से यक़ीनन आपने फ़ैज़ ह़ासिल किया होगा। इस तीसरी जिल्द में आप बहुत सारे ऐसे अनछुए मसाइल के बारे में जानकारी हासि़ल करेंगे, जिनकी हमारी ज़िन्दगी में बड़ी अहमियत है। पहली जिल्द के पेज नं. 23-24 पर इसी कॉलम में काफ़ी-कुछ वज़ाहत की जा चुकी है चन्द अहम व ज़रूरी बातें इसलिये दोहराई जा रही है ताकि शुरूआती दो जिल्द पढ़ चुके क़ारेईन व मुअतरिज़ीन के सवालात के तसल्लीबख़्श जवाब मिल सके।

01. **बेहद सावधानी के साथ इसकी तस़्ह़ीह़ व नज़रे—स़ानी की गई है ताकि ग़लती की कम से कम गुंजाइश रहे, इसके लिये अ़रबी के माहिर आ़लिम मौलाना जमशेद आ़लम सलफ़ी की ख़िदमात बेहद सराहनीय रही है। कुछ ह़ज़रात ने अ़रबी ह़र्फ़ (ث) के लिये हिन्दी अक्षर 'स़' इस्ते'माल पर ए'तिराज़ जताया है, स़ह़ीह़ बुख़ारी की आठों जिल्दों के कवर पेज पर ह़दीस़ 'इन्नमल अ़अ़मालु बिन्नियात' छपी है जिसका मा'नी है, 'अ़मल का दारोमदार निय्यत पर है।' हमारी निय्यत यह है कि अ़रबी-उर्दू का हर ह़र्फ़ अलग नज़र आए। रहा सवाल उच्चारण का तो उसके लिये हमारी गुज़ारिश है कि नीचे लिखी इबारत का ग़ौर से मुतालअ़ा करें।**
02. **इस किताब की हिन्दी को उर्दू के मुवाफ़िक़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई है इसके लिये उर्दू के कुछ ख़ास़ ह़र्फ़ों को अलग तरह से लिखा गया ह** मिसा़ल के तौर पर :—(ا) के लिये **अ**, (ع) के लिये **अ़**; (ث) के लिये **स़**, (س) के लिये **स**, (ش) के लिये **श**, (ص) के लिये **स़**; (ح) के लिये **ह़**, (ہ) के लिये **ह**, (خ) के लिये **ख़**, (غ) के लिये **ग़**, (ف) के लिये **फ़**, (ک) के लिये **क**, (ق) के लिये **क़** लिखा गया है। (ج) के लिये **ज** का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़ाल (ذ) ज़े (ز) ज़ाद (ض) ज़ोय (ظ) के लिये मजबूरी में एक ही हुरूफ़ **ज़** का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन ह़र्फ़ों के लिये स़ह़ीह़ विकल्प हमें नज़र नहीं आया। आपको यह बता देना मुनासिब होगा कि उर्दू ज़बान के कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा हुरूफ़ लिख दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक लफ़्ज़ उर्दू में पाँच तरह से लिखा जाता है; **असीर,** अलिफ़ (ا)—सीन (س) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **क़ैदी**। **अस़ीर,** अलिफ़ (ا) स़े (ث) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **ख़ालिस़**। **अ़सीर** अ़ेन (ع) सीन (س) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **मुश्किल**। **अ़स़ीर** अ़ेन (ع) स़ाद (ص) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **अंगूर की चाशनी (शीरा)**। **अ़स़ीर** अ़ेन (ع) स़े (ث) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **धूल**। कहने का मतलब ये है कि इस किताब में स़ह़ीह़ तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) के लिये हद—दर्जा कोशिश की गई है।
03. **मैं एक बार फिर ये दोहराना मुनासिब समझता हूँ कि यह किताब अ़ल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) की शरह का हिन्दी रूपान्तरण है। इसमें न कुछ घटाया गया है, न बढ़ाया गया है और न ही अनुवादक द्वारा किसी मैटर की एडीटिंग की गई है। लिहाज़ा हर तशरीह (व्याख्या) से अनुवादक सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं है।**

इस किताब की कम्पोज़िंग, तस़्ह़ीह़ (त्रुटि संशोधन) और कवर डिज़ाइनिंग में मेरे जिन साथियों की मेहनत जुड़ी हैं, उन सब पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें व सलामती नाज़िल हों। **ऐ अल्लाह! मेरे वालिद—वालदा को अपने अ़र्श के साये तले, अपनी रहमत की पनाह नस़ीब फ़र्मा जिनकी दुआओं के बदले तूने मुझे दीने—इस्लाम का फ़हम अ़ता किया। ऐ अल्लाह! हमारी ख़त़ाओं और कोताहियों से दरगुज़र फ़र्माते हुए तू हमसे राज़ी हो जा और हमें रोज़े आख़िरत वो नेअ़मतें अ़ता फ़र्मा, जिनका तूने अपने बन्दों से वा'दा फ़र्माया है।** आमीन! तक़ब्बल या रब्बल आ़लमीन!!

व स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़ला नबिय्यिना व अ़ला आलिही व अस़्ह़ाबिही व अत्बाइ़हि व बारिक व सल्लिम.

सलीम ख़िलजी.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सातवां पारा

बाब 84 : मिना में नमाज़ पढ़ने का बयान

٨٤- بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنًى

1655. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, कहा कि मुझे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने अपने बाप से ख़बर दी कि रसूले करीम (ﷺ) ने मिना में दो रकअ़ात पढ़ीं और अबूबक्र (रज़ि.) और उ़मर (रज़ि.) भी ऐसा करते रहे और उ़ष्मान (रज़ि.) भी ख़िलाफ़त के शुरू अय्याम में (दो) ही रकअ़त पढ़ते थे। (राजेअ़ 1082)

١٦٥٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ)). [راجع: ١٠٨٢]

तश्रीह : बाब का मत़लब ये कि मिना में भी नमाज़ क़स्र करनी चाहिये। ये बाब उन अह़ादीष़ के साथ पीछे भी गुज़र चुका है। ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त के छठे साल मिना में नमाज़ पूरी पढ़ी। लेकिन दूसरे स़ह़ाबा ने उनका ये फ़ेअ़ल ख़िलाफ़े सुन्नत समझा। ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) के पूरी पढ़ने की बहुत सी वजहें बयान की गई हैं जिनमें एक ये भी है कि आप सफ़र में क़स्र करना और पूरी नमाज़ पढ़ना दोनों काम जाइज़ जानते थे, इसलिये आपने जवाज़ पर अ़मल किया, मिना की वजहे तस्मिया और और उसका पूरा बयान पहले गुज़र चुका है।

1656. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया कहा कि हमसे शुअ़बा ने अबू इस्ह़ाक़ हम्दानी से बयान किया और उनसे ह़ारिष़ा बिन वहब ख़ुज़ाई (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मिना में हमें दो रकअ़ात पढ़ाईं, हमारा शुमार उस वक़्त सब वक़्तों से ज़्यादा था और हम इतने बे—ख़ौफ़ किसी वक़्त में न थे (उसके बावजूद हमको नमाज़ क़स्र पढ़ाई)। (राजेअ़ : 1083)

١٦٥٦- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ - وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ)). [راجع: ١٠٨٣]

1657. हमसे क़बैस़ा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने, उनसे अअ़मश ने, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन यज़ीद ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन

١٦٥٧- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ

मसऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ी और अबूबक्र (रज़ि.) के साथ भी दो ही रकअत पढ़ी और उमर (रज़ि.) के साथ भी दो ही रकअत, लेकिन फिर उनके बाद तुममें इख़्तिलाफ़ हो गया तो काश उन चार रकअतों के बदले मुझको दो रकआत ही नसीब होतीं जो (अल्लाह के यहाँ) क़ुबूल हो जाएँ। (राजेअ : 1084)

عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَمَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ)). [راجع: ١٠٨٤]

तशरीह : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने बतौरे इज़्हारे नाराज़गी फ़र्माया कि काश मेरी दो रकआत ही अल्लाह के यहाँ क़ुबूल हो जाएँ। ज़ाहिर है कि इस क़िस्म की फ़ुरूई और इज्तिहादी इख़्तिलाफ़ की बिना पर किसी को भी मौरिदे तअन (तानाकशी का निशाना) नहीं बनाया जा सकता। हज़रत उष्मान (रज़ि.) के सामने कुछ मस्लहतें रही होंगी जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा किया वरना शुरू ख़िलाफ़त में वो भी क़स्र ही किया करते थे। क़स्र करना बहरहाल औला (अपेक्षाकृत बेहतर) है कि ये रसूल करीम (ﷺ) की सुन्नत है, आपकी सुन्नत हर हाल में मुक़द्दम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के इर्शाद के **फ़यालैत हज़्ज़ी मिन अर्बइन रकअताने मुतक़ब्बलतानि** के मुता'ल्लिक़ फ़र्माते हैं, '**वल्लज़ी यज़्हरु अन्नहू क़ाल ज़ालिक अला सबीलित्तफ़्वीज़ि इलल्लाहि लिअदमि इत्तिलाइही अलल ग़ैबि व हल यक़्बलुल्लाहु सलातहू अम ला फ़तमन्ना अंय्यक्बल मिन्हु मिनल अर्बइल्लती युसल्लीहा रक्अतानि व लौला यक़्बलुज़्ज़ाइद व हुव युशइरू बिअन्नल मुसाफ़िर इन्दहू मुख़य्यिरून बैनल क़स्रि वल इत्मामि वर्रक्अतानि ला बुद्द मिन्हुमा व मअ ज़ालिक फ़कान यख़ाफ़ु अल्ला युक़्बल मिन्हु शैउन फ़हासिलुहू अन्नहू क़ाल इन्नमा अतम्म मुताबअत लिउष्मान व लैतल्लाह क़बिल मिन्नी रक्अतैनि मिनल अर्बइ**' या'नी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने जो फ़र्माया ये आपने अपना अमल अल्लाह को सौंपा इसलिये कि आपको ग़ैब पर इत्तिला न थी कि अल्लाह पाक आपकी नमाज़ क़ुबूल करता है या नहीं, इसलिये तमन्ना की कि काश अल्लाह मेरी चार रकआत में से दो रकआत को क़ुबूल कर ले अगरचे वो ज़ाइद रकआत को क़ुबूल न करे और ये इसलिये भी कि मुसाफ़िर को नमाज़ पूरी करने और क़स्र करने का आपके नज़दीक इख़्तियार था और दो रकआत के बग़ैर तो गुज़ारा ही नहीं है। उसके बावजूद वो डरते थे कि शायद कुछ भी क़ुबूल न हो पस हासिले बह्ष ये कि आपने हज़रत उष्मान (रज़ि.) की मुताबअत में नमाज़ को पूरा फ़र्माया और ये कहा कि काश अल्लाह पाक इन चार रकआत में से मेरी दो रकआत ही को क़ुबूल कर ले। अल्लाह वालों की यही शान है कि वो कुछ नेकी करें कितने ही तक़्वा शिआर हों मगर फिर भी उनको यही ख़तरा लाहिक़ रहता है कि उनकी नेकियाँ दरबारे इलाही में क़ुबूल होती हैं या रद्द हो जाती हैं। ऐसे अल्लाह वाले आजकल दुर्लभ हैं जबकि अकषरियत रियाकारों बज़ाहिर तक़्वा शिआरों व बबातिन दुनियादारों की रह गई है।

बाब 85 : अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने का बयान

٨٥- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

1658. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने ज़ुहरी से बयान किया और उनसे सालिम अबुन-नस्र ने बयान किया, कहा कि मैंने उम्मे फ़ज़ल के ग़ुलाम उमेर से सुना, उन्होंने उम्मे फ़ज़ल (रज़ि.) से कि अरफ़ा के दिन लोगों को रसूलुल्लाह (ﷺ) के रोज़े के मुता'ल्लिक़ शक हुआ, इसलिये मैंने आपके पीने को कुछ भेजा जिसे आपने पी लिया।

(दीगर मक़ाम : 1661, 1988, 8604, 5618, 5636)

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ((شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ)).

[أطرافه في : ١٦٦١، ١٩٨٨، ٥٦٠٤، ٥٦١٨، ٥٦٣٦].

तशरीह : अरफ़ा का रोज़ा बहुत ही बड़ा वसील-ए-ष़वाब है दूसरी अह़ादीष़ में उसके फ़ज़ाइल मज़्कूर हैं। ह़दीष़ मज़्कूरा उम्मुल फ़ज़ल के ज़ेल शैख़ुल ह़दीष़ ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाहब मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, **'क़ालल हाफ़िज़ु क़ौलुहू फ़ी स़ियामि रसूलिल्लाहि (ﷺ) हाज़ा युशइरु बिअन्न स़ौम यौमि अ़रफ़त कान मअ़रूफ़न इन्दहुम मुअतादन लहुम फ़िल्हज़्रि व कान मन जज़म बिही बिअन्नहू स़ाइमुन इस्तनद इला मा अलफ़हू मिनल इबादति व मन जज़म बिअन्नहू ग़ैर स़ाइमिन क़ामत इन्दहू क़रीनतुन कौनुहू मुसाफ़िरन व क़द अरफ़ नहयहू अन स़ौमिल फ़र्ज़ि फ़िस्सफ़रि फ़ज़्लम्मिनन्नफ़्लि'** (मिर्आ़त) लोगों में रसूले करीम (ﷺ) के रोज़े के बारे में इख़्तिलाफ़ हुआ। इससे ज़ाहिर है कि यौमे अ़रफ़ा का रोज़ा उन दिनों उनके यहाँ मअ़रूफ़ (जाना–पहचाना) था और ह़ज़र में उसे बतौरे आ़दत सब रखा करते थे, इसलिये जिन लोगों को आपके रोज़ेदार होने का यक़ीन हुआ वो इस बिना पर कि वो आँह़ज़रत (ﷺ) की इ़बादतगुज़ारी की उल्फ़त से वाक़िफ़ थे और जिनको न रखने का ख़्याल हुआ वो इस बिना पर कि आप मुसाफ़िर थे और ये भी मशहूर था कि आपने सफ़र में एक दफ़ा फ़र्ज़ रोज़े ही से मना कर दिया था तो नफ़िल का तो ज़िक्र ही क्या है। इस रिवायत में दूध भेजने वाली ह़ज़रत उम्मुल फ़ज़ल बतलाई गई है मगर मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत में ह़ज़रत मैमूना का जिक्र है कि दूध उन्होंने भेजा था। इस पर ह़ज़रत मौलाना शैख़ुल ह़दीष़ मद्दज़िल्लुहू फ़र्माते हैं, **'फ़यहतमिलुत्तअ़द्दुद व यहतमिलु अन्नहुमा अर्सल्ता मअ़न फ़नुसिब ज़ालिक इला कुल्लिम्मिन्हुमा लिअन्नहुमा कानता उख़्तैनि व तकूनु मैमूनत अर्सलत बिसुवालि उम्मिल फ़ज़्लि लहा फ़ी ज़ालिक लिकश्फ़िल हालि फ़ी ज़ालिक व यहतमिलुल अक्स'** (मिर्आ़त) या'नी एह़तिमाल है कि दोनों ने अलग-अलग दूध भेजा हो और ये हर एक की त़रफ़ मन्सूब हो गया इसलिये भी कि वो दोनों बहन थीं और मैमूना ने उस वक़्त भेजा हो जबकि उम्मुल फ़ज़ल ने उनसे तह़क़ीक़े ह़ाल का सवाल किया और उसका अ़क्स भी मुह़तमिल है और दूध इसलिये भेजा गया कि ये ग़िज़ा और पानी दोनों का काम देता है, इसलिये खाना खाने पर आप ये दुआ़ पढ़ा करते थे, **'अल्लाहुम्म बारिक ली फ़ीहि व अतइम्नी ख़ैरम्मिन्हु'** (या अल्लाह! मुझको इसमें बरकत बख़्श और इससे भी बेहतर खिलाइयो) और दूध पीकर आप (ﷺ) ये दुआ़ पढ़ते थे, **'अल्लाहुम्म बारिक ली फ़ीहि व ज़िदनी मिन्हु'** (या अल्लाह! मुझे इसमें बरकत दे और मुझे ज़्यादा नस़ीब फ़र्माइयो)। अबू क़तादा (रज़ि.) की ह़दीष़ जिसे मुस्लिम ने रिवायत की है उसमें मज़्कूर है कि अ़रफ़ा का रोज़ा अगले और पिछले सालों के गुनाह माफ़ करा देता है। दोनों अह़ादीष़ में ये तत्बीक़ दी गई है कि ये रोज़ा अ़रफ़ात में ह़ाजियों के लिये रखना मना है ताकि उनमें वुक़ूफ़े अ़रफ़ा के लिये ज़ुअ़फ़ पैदा न हो जो हज्ज का अस़ल मक़्सद है और ग़ैर हाजियों के लिये ये रोज़ा मुस्तह़ब और बाइ़ष़े ष़वाब मज़्कूर है, **व क़ाल इब्ने क़ुदामा** (स. 176) **'अक्ष़रु अहलिल इल्मि यस्तहिब्बूनल फ़ित्र यौम अ़रफ़त व कानत आइशतु वब्नुज़्ज़ुबैर यसूमानिही व क़ाल क़तादा ला बास बिही इज़ा लम यज़्अ़फ़ अनिद्दुआइ'** (मिर्आ़त) या'नी अक्ष़र अहले इल्म ने उसी को मुस्तह़ब क़रार दिया है कि अ़रफ़ात में ये रोज़ा न रखा जाए और ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) और इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ये रोज़ा वहाँ भी रखा करते थे और क़तादा ने कहा कि अगर दुआ़ में कमज़ोरी का ख़त़रा न हो तो फिर रोज़ा रखने में ह़ाजी के लिये भी कोई ह़र्ज नहीं है मगर अफ़ज़ल न रखना ही है। ह़दीष़ उम्मुल फ़ज़ल को ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज्ज और स़ियाम और अश्रिबा में भी जिक्र फ़र्मा कर उससे अनेक मसाइल को ष़ाबित किया है।

बाब 86 : सुबह़ के वक़्त मिना से अ़रफ़ात जाते हुए लब्बैक और तक्बीर कहने का बयान

٨٦– بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

1659. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने मुहम्मद बिन अबी बक्र ष़क़्फ़ी से ख़बर दी कि उन्हों ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि वो दोनों सुबह को मिना से अ़रफ़ात जा रहे थे कि रसूले करीम (ﷺ) के साथ आप लोग आज के दिन किस त़रह़ करते थे? अनस (रज़ि.) ने बतलाया कोई हममें से लब्बैक पुकारता होता, उस पर कोई

١٦٥٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ ((أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ – كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ

فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ)). [راجع: ٩٧٠]

ए'तिराज़ न करता और कोई तक्बीर कहता, उस पर भी कोई इंकार न करता (इस हदीष़ से मा'लूम हुआ कि हाजी को इख़्तियार है लब्बैक पुकारता रहे या तक्बीर कहता रहे) (राजेअ : 970)

٨٧- بَابُ التَّهْجِيْرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

बाब 87 : अरफ़ात के दिन ऐन गर्मी में ठीक दोपहर को रवाना होना

या'नी वुक़ूफ़ के लिये नम्रह से निकलना। नम्रह वो मक़ाम है जहाँ हाजी नवीं तारीख़ को ठहरते हैं वो हद्दे हरम से बाहर और अरफ़ात से मुत्तसिल (जुड़ा हुआ) है।

١٦٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: ((كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيْضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ)). [طرفاه في : ١٦٦٦، ١٦٦٣].

1660. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने और उनसे सालिम ने बयान किया कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ़ को लिखा कि हज्ज के अहकाम में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के ख़िलाफ़ न करे। सालिम ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अरफ़ा के दिन सूरज ढलते ही तशरीफ़ लाए मैं भी उनके साथ था। आपने हज्जाज के ख़ैमे के पास बुलन्द आवाज़ से पुकारा, हज्जाज बाहर निकला उसके बदन पर एक कसम में रंगी हुई चादर थी। उसने पूछा अबू अब्दुर्रहमान! क्या बात है? आपने फ़र्माया अगर सुन्नत के मुताबिक़ अमल चाहते हो तो जल्दी उठकर चल खड़े हो जाओ। उसने कहा क्या इसी वक़्त? अब्दुल्लाह ने फ़र्माया कि हाँ, इसी वक़्त। हज्जाज ने कहा कि फिर थोड़ी सी मोहलत दो कि मैं अपने सर पर पानी डाल लूँ या'नी ग़ुस्ल कर लूँ फिर निकलता हूँ। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) (सवारी से) उतर गए और जब हज्जाज बाहर आया तो मेरे और वालिद (इब्ने उमर) के बीच चलने लगा तो मैंने कहा कि अगर सुन्नत पर अमल का इरादा है तो ख़ुत्बे में इख़्तिसार और वुक़ूफ़ (अरफ़ात) में जल्दी करना। इस बात पर वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की तरफ़ देखने लगा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि ये सच कहता है। (राजेअ : 1666, 1663)

तश्रीह : हज्जाज, अब्दुल मलिक की तरफ़ से हिजाज़ का हाकिम था, जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) पर फ़तह पाई तो अब्दुल मलिक ने उसी को हाकिम बना दिया। अबू अब्दुर्रहमान हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की कुन्नियत है और सालिम उनके बेटे हैं। इस हदीष़ से मा'लूम हुआ कि वुक़ूफ़े अरफ़ा ऐन गर्मी के वक़्त दोपहर के बाद ही शुरू कर देना चाहिये। उस वक़्त वुक़ूफ़ के लिये ग़ुस्ल करना मुस्तहब है और वुक़ूफ़ में कसम में रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है। हज्जाज ने ये भी ग़लती की, जहाँ और बहुत सी ग़ल्तियाँ उससे हुई हैं, ख़ास़ तौर पर कितने ही मुसलमानों का ख़ूने नाहक़ उसकी

गर्दन पर है। उसी सिलसिले की एक कड़ी अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का क़त्ले नाह़क़ भी है जिसके बाद ह़ज्जाज बीमार हो गया था और उसे अकष़र ख़्वाब में नज़र आया करता था कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का ख़ूने नाह़क़ (अकारण हत्या का गुनाह) उसकी गर्दन पर सवार है।

बाब 88 : अ़रफ़ात में जानवर पर सवार होकर वुक़ूफ़ करना

٨٨- بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

1661. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे अबुन्नस्र ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के ग़ुलाम उ़मैर ने, उनसे उम्मुल फ़ज़्ल बिन्ते ह़ारिष़ (रज़ि.) ने कि उनके यहाँ लोगों का अ़रफ़ात के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के रोज़े से मुता'ल्लिक़ कुछ इख़्तिलाफ़ हो गया कुछ ने कहा कि आप (ﷺ) (अ़रफ़ा के दिन) रोज़े से हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं इसलिये उन्होंने आपके पास दूध का एक प्याला भेजा आँह़ज़रत (ﷺ) उस वक़्त ऊँट पर सवार होकर अ़रफ़ात में वुक़ूफ़ फ़र्मा रहे थे आपने वो दूध पी लिया। (राजेअ़ : 1658)

١٦٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ((عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ)). [راجع: ١٦٥٨]

आप ऊँट पर सवार होकर वक़ूफ़ फ़र्मा रहे थे। इससे बाब का मत़लब ष़ाबित हुआ, इससे ये भी मा'लूम हुआ कि अ़रफ़ात में ह़ाजियों के लिये रोज़ा न रखना सुन्नते नबवी है।

बाब 89 : अ़रफ़ात में दो नमाज़ों (ज़ुहर व अ़स्र) को मिलाकर पढ़ना

٨٩- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ

और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की अगर नमाज़ इमाम के साथ छूट जाती तो भी जमा करते।

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

1662. लैष़ ने बयान किया कि मुझसे अ़क़ील ने इब्ने शिहाब से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम ने ख़बर दी कि ह़ज्जाज बिन यूसुफ़ जिस साल अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से लड़ने के लिये मक्का में उतरा तो उस मौक़े पर उसने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से पूछा कि अ़रफ़ा के दिन वुक़ूफ़ में आप क्या करते हैं? इस पर सालिम (रह.) बोले कि अगर तू सुन्नत पर चलना चाहता है तो अ़रफ़ा के दिन नमाज़ दोपहर ढलते ही पढ़ लेना। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि सालिम ने सच कहा, स़ह़ाबा आँह़ज़रत (ﷺ) की सुन्नत के मुताबिक़ ज़ुहर व अ़स्र एक

١٦٦٢- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ - عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا

يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ؟)). [راجع: ١٦٦٠]

ही साथ पढ़ते थे। मैंने सालिम से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसी तरह किया था। सालिम ने फ़र्माया और किसी की सुन्नत पर इस मसले में चलते हो। (राजेअ : 1660)

या'नी अरफ़ात में जुहर और अस्र में जमा (इकट्ठा) करना आँहज़रत (ﷺ) ही की सुन्नत है, आप (ﷺ) के सिवा और किसका फ़ेअ़ल सुन्नत हो सकता है और आपकी सुन्नत के सिवा और किस सुन्नत पर तुम चल सकते हो कुछ नुस्ख़ों में **तत्तबिऊन** के बदल **यत्तबिऊन** है; या'नी आपके सिवा और किसका तरीक़ा ढूँढते हैं (वहीदी)। मुहक़्क़िक़ीने अहले हदीष का यही क़ौल है कि अरफ़ात में और मुज़दलिफ़ा में मुतलक़न जमा करना चाहिये ख़्वाह आदमी मुसाफ़िर हो या न हो, इमाम के साथ नमाज़ पढ़े या अकेले पढ़े। चुनाँचे अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **'अजमअ अहलुल्इल्मि अ़ला अन्नल इमाम यज्मउ बैनज़्ज़हरि वल्अस्रि बिअरफ़त व कज़ालिक मन सल्ला मअल्इमामि'** या'नी अहले इल्म का इस पर इज्माअ है कि अरफ़ात में इमाम जुहर और अस्र में जमा करेगा और जो भी इमाम के स ाथ नमाज़ी होंगे सबको जमा करना होगा। (नैनुल औतार)

बाब 90 : मैदाने अरफ़ात में ख़ुत्बा मुख़्तसर पढ़ना

٩٠- بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

١٦٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ - أَوْ زَالَتْ - فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ. فَقَالَ: الآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيْضُ عَلَيَّ مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ)). [راجع: ١٦٦٠]

1663. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने कि अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान (ख़लीफ़ा) ने हज्जाज को लिखा कि हज्ज के कामों में अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की इक़्तिदा करे। जब अ़रफ़ा का दिन आया तो अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) आए मैं भी आपके साथ था, सूरज ढल चुका था, आपने हज्जाज के डेरे के पास आकर बुलन्द आवाज़ से कहा हज्जाज कहाँ है? हज्जाज बाहर निकला तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया चल जल्दी कर वक़्त हो गया। हज्जाज ने कहा अभी से! इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि हाँ। हज्जाज बोला कि फिर थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं अभी ग़ुस्ल करके आता हूँ। फिर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) (अपनी सवारी से) उतर गए। हज्जाज बाहर निकला और मेरे और मेरे वालिद (इब्ने उमर) के बीच में चलने लगा, मैंने उससे कहा कि आज अगर सुन्नत पर अ़मल की ख़्वाहिश है तो ख़ुत्बा मुख़्तसर पढ़ और वुक़ूफ़ में जल्दी कर। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि सालिम सच कहता है। (राजेअ : 1660)

ख़ुत्बा मुख़्तसर पढ़ना ख़तीब की समझदारी की दलील है, ईदैन हो या जुम्आ; फिर हज्ज का ख़ुत्बा तो और भी मुख़्तसर होना चाहिये कि यही सुन्नते नबवी (ﷺ) है। जो मुहतरम उलम–ए–किराम ख़ुत्बाते जुम्आ व ईदैन में तवील-तवील (लम्बे–लम्बे)

ख़ुत्बात देते हैं उनको सुन्नते नबवी का लिहाज़ करना चाहिये जो उनकी समझ बूझ की दलील होगी। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़।

बाब 91 : मैदाने अरफ़ात में ठहरने का बयान

٩١- بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

1664. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयायना ने बयान किया, कहा हमसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम ने, उनसे उनके बाप ने कि मैं अपना एक ऊँट तलाश कर रहा था (दूसरी सनद)

और हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उयायना ने बयान किया, उनसे उमर बिन दीनार ने, उन्होंने मुहम्मद बिन जुबैर से सुना कि उनके वालिद जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) ने बयान किया मेरा एक ऊँट खो गया था तो मैं अरफ़ात में उसको तलाश करने गया, ये दिन अरफ़ात का था, मैंने देखा कि नबी करीम (ﷺ) अरफ़ात के मैदान में खड़े हैं। मेरी ज़ुबान से निकला क़सम अल्लाह की! ये तो क़ुरैश हैं फिर ये यहाँ क्यूँ हैं।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ((كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيْرًا لِي. ح)).

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: ((أَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ : هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟)).

तशरीह : जाहिलियत में दूसरे तमाम लोग अरफ़ात में वुक़ूफ़ करते लेकिन क़ुरैश कहते कि हम अल्लाह तआला के अहलो–अयाल हैं, इसलिये हम वुक़ूफ़ के लिये हरम से बाहर नहीं निकलेंगे। आँहज़रत (ﷺ) भी क़ुरैश में से थे मगर आप और तमाम मुसलमान और ग़ैर क़ुरैश के इम्तियाज़ के बग़ैर अरफ़ात ही में वक़ूफ़ पज़ीर हुए (ठहरे)। अरफ़ात, हरम से बाहर है इसलिये रावी को हैरत हुई कि एक क़ुरैश और इस दिन अरफ़ात में। लफ़्ज़ **हुम्स हमासत** से मुश्तक़ है। क़ुरैश के लोगों को हिम्स इस वजह से कहते थे कि वो अपने दीन में हिमासत या'नी सख़्ती रखते थे।

1665. हमसे फ़र्वा बिन अबिल मग़राअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अली बिन मुस्हिर से बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा कि हुम्स के सिवा बक़िया सब लोग जाहिलियत में नंगे होकर तवाफ़ करते थे, हुम्स क़ुरैश और उसकी आल–औलाद को कहते थे, (और बनी किनान वग़ैरह, जैसे ख़ुज़ाआ) लोगों को (अल्लाह के वास्ते) कपड़े दिया करते थे (क़ुरैश) के मर्द दूसरे मर्दों को ताकि उन्हें पहनकर तवाफ़ कर सकें और (क़ुरैश की) औरतें दूसरी औरतों को ताकि वो उन्हें पहनकर तवाफ़ कर सकें और जिनको क़ुरैश कपड़ा न देते वो बैतुल्लाह का तवाफ़ नंगे होकर करते। दूसरे सब लोग तो अरफ़ात से वापस होते लेकिन क़ुरैश मुज़दलिफ़ा ही से (जो हरम में था) वापस हो जाते। हिशाम बिन उर्वा ने कहा कि

١٦٦٥- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ: ((كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ - وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ - وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ جَمَاعَةٌ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا. وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ

وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ)). [طرفه في: ٤٥٢٠].

मेरे बाप उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने मुझे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से ख़बर दी कि ये आयत क़ुरैश के बारे में नाज़िल हुई कि (फिर तुम भी (क़ुरैश) वहीं से वापस आओ जहाँ से और लोग वापस आते हैं (या'नी अ़रफ़ात से, सूरह बक़र) उन्होंने बयान किया कि क़ुरैश मुज़दलिफ़ा ही से लौट आते थे इसलिये उन्हें भी अ़रफ़ात से लौटने का ह़ुक्म हुआ। (दीगर मक़ाम : 4520)

तश्रीह : का'बा शरीफ़ से मैदाने अ़रफ़ात तक़रीबन 15 मील के फ़ास़ले पर वाक़ेअ़ है, ये जगह ह़रम से ख़ारिज (बाहर) है, इस अत़राफ़ में वादी–ए–अ़रफ़ा, क़र्य–ए–अ़रफ़ा, जबले अ़रफ़ात, मश्रिक़ी सड़क वाक़ेअ़ हैं, यहाँ से त़ाइफ़ के लिये रास्ता जाता है। जब ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम), ख़लीलुल्लाह इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) को मनासिक (ए–हज्ज) सिखलाते हुए इस मैदान तक लाए तो कहा, **हल अ़रफ़्त** आपने मनासिके ह़ज्ज को जान लिया? उस वक़्त से उसका नाम मैदान अ़रफ़ात हुआ (दुर्रे मन्शूर)। ये जगह मिल्लते इब्राहीमी में एक अहम तारीख़ी जगह है और उसमें वुक़ूफ़ करना ही ह़ज्ज की जान है अगर किसी का ये वुक़ूफ़ फ़ौत हो जाए (ठहरना छूट जाए) तो उसका ह़ज्ज नही हुआ। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर फ़र्माया था, **किफ़ूअ़ला मशाइरिकुम फ़इन्नकुम अ़ला इर्षि अबीकुम इब्राहीम** या'नी मैदाने अ़रफ़ात में तुम जहाँ उतर चुके हो वहाँ पर ही वुक़ूफ़ करो, तुम सब अपने बाप इब्राहीम (अ) की मौरूषा ज़मीन पर हो, आँह़ज़रत (ﷺ) ने इस्लाम के क़ानूने असासी का ऐलान इसी मक़ाम पर फ़र्माया था। ह़ज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर आपका मशहूर ख़ुत्बा अ़रफ़ात उसी की यादगार है।

ह़ज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, **कुन्तु रदिफ़न्नबिय्यि (ﷺ) बिअ़रफ़ात फ़रफ़अ़ यदैहि यदऊ फ़मालत नाक़तुहू फ़सक़त ख़िताामुहा फ़तनावलल्ख़िताम बिइहदा यदैहि व हुव राफ़िउन यदैहि यदहुल उख़रा** (रवाहुन्नसई) या'नी अ़रफ़ात मे आँह़ज़रत (ﷺ) की ऊँटनी पर मैं आप (ﷺ) के पीछे सवार था, आप (ﷺ) अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआएँ मांग रहे थे, अचानक आप (ﷺ) की ऊँटनी झुक गई और आप (ﷺ) के हाथ से उसकी नकेल छूट गई, आप (ﷺ) ने अपना एक हाथ उसके उठाने के लिये नीचे झुका दिया और दूसरा हाथ दुआओ में बदस्तूर उठाए रखा। मैदाने अ़रफ़ात में यही वुक़ूफ़ यानी खड़ा होना और शाम तक दुआओं के लिये अल्लाह के सामने हाथ फैलाना यही ह़ज्ज की रूह़ है, ये फ़ौत हुआ तो ह़ज्ज फ़ौत हो गया और अगर इसमें कोई शख़्स शरीक हो गया उसका ह़ज्ज अदा हो गया।

जुम्हूर के नज़दीक अ़रफ़ात का ये वुक़ूफ़ ज़ुहर अ़स्र की नमाज़ जमा करके नम्रह में अदा कर लेने के बाद होना चाहिये। ह़ज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **अन्नहू (ﷺ) वल्ख़ुल्फ़ाअर्राशिदीन बअ़दहू लम यक़िफ़ू इल्ला बअ़दज़्ज़वालि व लम युनक़ल अ़न अह़दिन अन्नहू वक़फ़ क़ब्लहू** (नैल) या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) और आप (ﷺ) के बाद ख़ुल्फ़–ए–राशिदीन सबका यही अ़मल रहा है कि ज़वाल के बाद ही अ़रफ़ात का वुक़ूफ़ किया है, ज़वाल से पहले वुक़ूफ़ करना किसी से भी षाबित नहीं है। वुक़ूफ़ से ज़ुहर व अ़स्र मिलाकर पढ़ लेने के बाद मैदाने अ़रफ़ात में दाख़िल होना और वहाँ शाम तक खड़े–खड़े दुआएँ करना मुराद है, यही वक़ूफ़े ह़ज्ज की जान है, इस मुबारक मौक़े पर जिस क़दर भी दुआएँ की जाएँ कम हैं क्योंकि आज अल्लाह पाक अपने बन्दों पर फ़ख़्र कर रहा है जो दूर–दराज़ मुल्कों से जमा होकर आसमान के नीचे एक खुले मैदान में अल्लाह पाक के सामने हाथ फैलाकर दुआएँ कर रहे हैं। अल्लाह पाक ह़ाजी स़ाह़िबान की दुआएँ क़ुबूल करे और उनको ह़ज्जे मबरूर नस़ीब हो, आमीन! जो ह़ाजी मैदाने अ़रफ़ात में जाकर भी हुक़्क़ाबाज़ी करते रहते हैं वो बड़े बदनस़ीब हैं अल्लाह उनको हिदायत बख़्शे। (आमीन)

बाब 92 : अ़रफ़ात से लौटते वक़्त किस चाल से चले

٩٢- بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

या'नी धीमी चाल से या जल्दी चूँकि मुज़दलिफ़ा में आकर मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ते हैं अ़रफ़ात से लौटते

वक़्त जल्द चलना मसनून है जैसे ह़दीष़ आगे मौजूद है।

1666. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने हिशाम बिन उ़र्वा से ख़बर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से किसी ने पूछा (मैं भी वहीं मौजूद था) कि ह़ज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर अ़रफ़ात से रसूलुल्लाह (ﷺ) के वापस होने की क्या चाल थी? उन्होंने जवाब दिया कि आप (ﷺ) पांव उठाकर चलते थे, ज़रा तेज़ लेकिन जब जगह पाते (हुजूम न होता) तो तेज़ चलते थे, हिशाम ने कहा कि अ़नक़ तेज़ चलना और नस़ अ़नक़ से तेज़ चलने को कहते हैं। फ़ज्वा के मा'नी कुशादा जगह इसकी जमा फ़ज्वात और फ़ुजाआ है जैसे ज़कात, ज़िकाअ इसकी जमा और सूरह स़ॉद में मनास़ का जो लफ़्ज़ आया है उसके मा'नी भागना हैं। (दीगर मक़ाम : 2999, 4413)

١٦٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ)). قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّص فَوقَ الْعَنَقِ. فَجْوَةٌ: مُتسع، وَالْجَمْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ، وكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ. مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ.

[طرفاه في: ٢٩٩٩، ٤٤١٣].

तो इससे नस़ मुश्तक़ नहीं है जो ह़दीष़ में मज़्कूर है, ये तो एक अदना आदमी भी जिसकी अ़र्बियत से ज़रा सी इस्तिअ़दाद हो समझ सकता है कि मनास़ को नस़ से किया अ़लाक़ा, नस़ मुज़ाअफ़ है और मनास़ मुअतल है। अब ये ख़्याल करना कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने मनास़ को नस़ से मश्तक़ समझा है इसलिये यहाँ उसके मा'नी बयान कर दिये जिसे ऐनी ने नक़्ल किया है ये बिलकुल कमफ़हमी है और अस़ल ये है कि अकष़र नुस्ख़ों में ये इ़बारत ही नहीं है और जिन नुस्ख़ों में मौजूद है उनकी तौजीह यूँ हो सकती है कि कुछ लोगों को कम इस्तिअ़दादी से ये वहम हुआ होगा कि मनास़ और नस़ का माद्दा एक ही है इमाम बुख़ारी (रह.) ने मनास़ की तफ़्सीर करके इस वहम का रद्द किया है।

बाब 93 : अ़रफ़ात और मुज़दलिफ़ा के बीच उतरना

٩٣- بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन सईद ने, उनसे मूसा बिन उ़क़्बा ने उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के ग़ुलाम कुरैब ने और उनसे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि जब रसूले करीम (ﷺ) अ़रफ़ात से वापस हुए थे तो आप (ﷺ) (राह में) एक घाटी की त़रफ़ मुड़े और वहाँ क़ज़ा-ए-ह़ाजत की फिर आप (ﷺ) ने वुज़ू किया तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या (आप ﷺ मग़रिब की) नमाज़ पढ़ेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ आगे चलकर पढ़ी जाएगी। (या'नी अ़रफ़ात से मुज़दलिफ़ा आते हुए क़ज़ा-ए-ह़ाजत वग़ैरह के लिये रास्ते में रुकने में कोई ह़र्ज नहीं है। (राजेअ़ : 139)

١٦٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: ((الصَّلاَةُ أَمَامَكَ)). [راجع: ١٣٩]

1668. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुवैरिया ने नाफ़ेअ़ से बयान किया, उन्होंने कहा कि

١٦٦٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : ((كَانَ عَبْدُ

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) मुज़दलिफ़ा में आकर नमाज़े मग़रिब व इशा मिलाकर एक साथ पढ़ते, अल्बत्ता आप उस घाटी में भी मुड़ते जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) मुड़े थे। वहाँ आप क़ज़ा–ए–ह़ाजत करते फिर वुज़ू करते लेकिन नमाज़ न पढ़ते नमाज़ आप मुज़दलिफ़ा में आकर पढ़ते थे। (राजेअ़ : 1091)

اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ)). [راجع: ١٠٩١]

तश्रीह़ : ये ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की कमाले मुताबअ़ते सुन्नत (सुन्नत से समरूपता) थी हालाँकि आँह़ज़रत (ﷺ) इन्सानी ज़रूरत व ह़ाजत के लिये उस घाटी पर ठहरे थे, कोई ह़ज्ज का रुक्न न था मगर अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) भी वहाँ ठहरते और ह़ाजत से फ़ारिग़ होकर वहाँ वुज़ू कर लेते जैसे आँह़ज़रत (ﷺ) ने किया था। (वह़ीदी)

1669. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन हर्मला ने उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के ग़ुलाम कुरैब ने और उनसे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि मैं अरफ़ात से रसूलुल्लाह की सवारी पर आप (ﷺ) के पीछे बैठा हुआ था। मुज़दलिफ़ा के क़रीब बाएँ तरफ़ जो घाटी पड़ती है जब आँह़ज़रत (ﷺ) वहाँ पहुँचे तो आप (ﷺ) ने ऊँट को बिठाया फिर पेशाब किया और तशरीफ़ लाए तो मैंने आप (ﷺ) पर वुज़ू का पानी डाला। आप (ﷺ) ने हल्का सा वुज़ू किया, मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! और नमाज़? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ तुम्हारे आगे है। (या'नी मुज़दलिफ़ा में पढ़ी जाएगी) फिर आप (ﷺ) सवार हो गए जब मुज़दलिफ़ा में आए तो (मग़रिब और इशा की नमाज़ मिलाकर) पढ़ी। फिर मुज़दलिफ़ा की सुबह़ (या'नी दसवीं तारीख़) को रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी के पीछे फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) सवार हुए। (राजेअ़ : 139)

١٦٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((الصَّلاَةُ أَمَامَكَ)). فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ.)) [راجع: ١٣٩]

1670. कुरैब ने कहा कि मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़ज़्ल (रज़ि.) के ज़रिये से ख़बर दी कि आँह़ज़रत (ﷺ) बराबर लब्बैक कहते रहे यहाँ तक कि जम्र–ए–उ़क़्बा पर पहुँच गए (और वहाँ आप ﷺ ने कंकरियाँ मारीं)। (राजेअ़ : 1544)

١٦٧٠ - قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ)). [راجع: ١٥٤٤]

तश्रीह़ : हल्का वुज़ू ये कि अअ़ज़ा–ए–वुज़ू एक एक बार धोया या पानी कम डाला। इस ह़दीष़ से ये भी निकला कि वुज़ू करने में दूसरे आदमी से मदद लेना भी दुरुस्त है। नीज़ इस ह़दीष़ से ये मसला भी जाहिर हुआ कि ह़ाजी जब रम्ये

जिमार के लिये जम्र–ए–उ़क़्बा पर पहुँचे उस वक़्त लब्बैक पुकारना मौक़ूफ़ करे।

बाब 94 : अरफ़ात से लौटते वक़्त रसूले करीम (ﷺ) का लोगों को सुकून व इत्मीनान की हिदायत करना और कोड़े से इशारा करना

٩٤- بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

1671. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सुवैद ने बयान किया, कहा मुझसे मुत्तलिब के ग़ुलाम अ़म्र बिन अबी अ़म्र ने बयान किया, उन्हें वालिया कूफ़ी के ग़ुलाम सईद बिन जुबैर ने ख़बर दी, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि अ़रफ़ा के दिन (मैदाने अ़रफ़ात से) वो नबी करीम (ﷺ) के साथ आ रहे थे। आँह़ज़रत (ﷺ) ने पीछे सख़्त शोर (ऊँट हाँकने का) और ऊँटों की मार–धाड़ की आवाज़ सुनी तो आपने उनकी त़रफ़ अपने कोड़े से इशारा किया और फ़र्माया लोगों! आहिस्तगी व वक़ार अपने ऊपर लाज़िम कर लो (ऊँटों को) तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है। इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं कि (सूरह बक़र में) अवज़ऊ के मा'नी रेशा दवानियाँ करें, ख़िलालकुम का मा'नी तुम्हारे बीच में इसी से (सूरह कहफ़) में आया है फ़जरना ख़िलालहुमा या'नी उनके बीच में।

١٦٧١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيْضَاعِ)). أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا. خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا﴾: بَيْنَهُمَا.

चूँकि ह़दीष़ में ईजाअ़ का लफ़्ज़ आया है तो इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी आ़दत के मुवाफ़िक़ क़ुर्आन की इस आयत की तफ़्सीर कर दी जिसमें **वला अवज़ऊ ख़िलालकुम** आया है और उसके साथ ही ख़िलालकुम के भी मा'नी बयान कर दिये फिर सूरह कहफ़ में भी ख़िलालुकुम का लफ़्ज़ आया था उसकी भी तफ़्सीर कर दी (वह़ीदी) ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) चाहते हैं कि अह़ादीष़ में जो अल्फ़ाज़े क़ुर्आनी मस़ादिर से आएँ साथ ही आयात क़ुर्आनी उनकी भी वज़ाह़त फ़र्मा दें ताकि मुत़ालआ़ करने वालों को ह़दीष़ और क़ुर्आन पर पूरा-पूरा उ़बूर (प्रभुत्व) ह़ास़िल हो सके। **जज़ाहुल्लाहु ख़ैरन अन् साइरिल मुस्लिमीन।**

बाब 95 : मुज़दलिफ़ा में दो नमाज़ें एक साथ मिलाकर पढ़ना

٩٥- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

1672. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने कहा, उन्हें मूसा बिन उ़क़्बा ने ख़बर दी, उन्हें कुरैब ने उन्होंने उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को ये कहते सुना कि मैदाने अ़रफ़ात से रसूलुल्लाह (ﷺ) रवाना होकर घाटी में उतरे (जो मुज़दलिफ़ा के पास है) वहाँ पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और पूरा वुज़ू नहीं किया (ख़ूब पानी नहीं बहाया हल्का वुज़ू किया) मैंने नमाज़ के बारे में अ़र्ज़ किया तो फ़र्माया कि नमाज़ आगे है। अब आप (ﷺ) मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए वहाँ फिर वुज़ू किया और पूरी त़रह़ किया फिर नमाज़ की तक्बीर कही गई और आप (ﷺ) ने मग़िरब की नमाज़ पढ़ी फिर हर शख़्स ने अपने ऊँट डेरों पर बिठा दिये फिर दोबारा नमाज़े इशा के लिये तक्बीर कही गई और आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी आप (ﷺ) ने उन दोनों नमाज़ों के बीच कोई (सुन्नत या नफ़िल) नमाज़ नहीं पढ़ी थी। (राजेअ़ : 139)

١٦٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ((دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ. فَقَالَ : ((الصَّلاَةُ أَمَامَكَ)). فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ١٣٩]

इस ह़दीष से मुज़दलिफ़ा में जमा करना षाबित हुआ जो बाब का मत़लब है और ये भी निकला कि अगर दो नमाज़ों के बीच में जिनको जमा करना हो आदमी कोई थोड़ा सा काम कर ले तो क़बाह़त नहीं। ये भी निकला कि जमा की ह़ालत में सुन्नत वग़ैरह पढ़ना ज़रूरी नहीं ये जमा शाफ़िइया के नज़दीक सफ़र की वजह से है और ह़नफ़िया और मालिकिया के नज़दीक ह़ज्ज की वजह से है।

बाब 96 : मग़िरब और इशा मुज़दलिफ़ा में मिलाकर पढ़ना और सुन्नत वग़ैरह न पढ़ना

٩٦- بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

1673. हमसे आदम बिन अबिल अ़लाअ ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि मुज़दलिफ़ा में नबी करीम (ﷺ) ने मग़िरब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ीं थीं हर नमाज़ अलग अलग तक्बीर के साथ न उन दोनों के प हले कोई नफ़िल व सुन्नत पढ़ी थी और न उनके बाद। (राजेअ़ : 1091)

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا)).

[راجع: ١٠٩١]

ऐनी ने इस सिलसिले में उ़लमा के छह क़ौल नक़ल किये हैं, आख़िरी क़ौल ये कि पहली नमाज़ के लिये अज़ान कहे और दोनों के लिये अलग–अलग इक़ामत कहे। शाफ़िइया और हनाबिला का यही क़ौल है इसी को तरजीह़ (प्राथमिकता) है।

1674. हमसे ख़ालिद बिन मुख़्लद ने बयान किया, उन्होंने कहा

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ)).

[طرفه في : ٤٤١٤].

कि हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन अबी सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अदी बिन षाबित ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़त्मी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) ने कहा कि हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़दलिफ़ा में आकर मग़्रिब और इशा को एक साथ मिलाकर पढ़ा था।

(दीगर मक़ाम : 4414)

मुज़दलिफ़ा को जमा कहते हैं क्योंकि वहाँ आदम और ह़व्वा जमा हुए थे। कुछ ने कहा कि वहाँ दो नमाज़ें जमा की जाती हैं, इब्ने मुंज़िर ने इस पर इज्माअ नक़ल किया है कि मुज़दलिफ़ा में दोनों नमाज़ों के बीच में नफ़्ल व सुन्नत न पढ़े। इब्ने मुंज़िर ने कहा जो कोई बीच में सुन्नत या नफ़िल पढ़ेगा तो उसका जमा स़ह़ीह़ न होगा। (वह़ीदी)

हुज्जतुल हिन्द ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह मुह़द्दिष़ देहलवी (रह.) फ़र्माते हैं, **व इन्नमा जमअ बैनज़्ज़हरि वल्अस्रि व बैनल्मग़्रिबि वल्इशाइ लिअन्न लिन्नासि यौमइज़िन इज्तिमाअन लम यअ़हद फ़ी ग़ैरि हाज़ल्मौतिनि वल्जमाअतुल वाहिदतु मत्लूबतुन व ला बुद्द मिन इक़ामतिहा फ़ी मिष़्लि हाज़ल्जमइ लियराहु मिन हुनालिक व ला तुस्इरू इज्तिमाउहुम फ़ी वक़्तैनि व अयज़न फुलानुन लिन्नासि इश्तिआलन बिज़्ज़िक्रि वद्दुआइ व हुमा वज़ीफ़तु हाज़ल्यौम व रिआयतुल्इक़ामति वज़ीफ़तु जमीइस्सुन्नति व इन्नमा युरज्जहु फ़ी मिष़्लि हाज़श्शैइल्बदीइन्नादिर षुम्म रकिब हत्ता अतल्मौक़िफ़ वस्तक़्बलल्क़िब्लत फ़लम यज़ल वाक़िफ़न हत्ता ग़रबतिश्शम्सु व ज़हबतिस्सुफ़रतु क़लीलन षुम्म दफ़अ** (हुज्जतुल्लाहिल् बालिग़ा) यौमे अरफ़ात में ज़ुहर और अ़स्र को मिलाकर पढ़ा और मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब और इशा को उस रोज़ उन मक़ामाते मुक़द्दसा में लोगों का ऐसा इज्तिमाअ़ होता है जो बजुज़ उस मक़ाम के और कहीं नहीं होता और शारेअ़ (अ़लैहिर्रहमा) को एक जमाअ़त का होना मत़्लूब है और ऐसे इज्तिमाअ़ में एक जमाअ़त का क़ायम करना ज़रूरी है ताकि सब लोग उसको देखें और दो वक़्तों में सबका मुज्तमअ़ होना मुश्किल था। नीज़ उस रोज़ लोग जिक्र और दुआ में मशगूल होते हैं और वो उस रोज़ का वज़ीफ़ा है और औक़ात की पाबन्दी तमाम साल का वज़ीफ़ा है और ऐसे वक़्त में बदीअ़ और नादिर चीज़ को तरजीह़ दी जाती है। फिर आप (ﷺ) वहाँ से (नम्रह़ से नमाज़े ज़ुहर व अ़स्र से फ़ारिग़ होकर) अ़रफ़ात में मौक़िफ़ में तशरीफ़ लाए, पस आप (ﷺ) वहीं खड़े रहे यहाँ तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हुआ और ज़र्दी कम हो गई फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा को लौटे। ख़ुलासा ये कि यहाँ उन मक़ामात पर उन नमाज़ों को मिलाकर पढ़ना शारेअ़ को ऐ़न मेह़बूब है। पस जिस काम से मेह़बूब राज़ी हों वही काम दावेदाराने मुह़ब्बत को भी बज़ौक़ व शौक़ अंजाम देना चाहिये।

٩٧- بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

बाब 97 : जिसने कहा कि हर नमाज़ के लिये अज़ान और तक्बीर कहना चाहिये, उसकी दलील

١٦٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ((حَجَّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ

1675. हमसे अ़म्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू इस्ह़ाक़ अ़म्र बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मैंने अ़ब्दुर्रह़मान बिन यज़ीद से सुना कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने ह़ज किया, आपके साथ तक़रीबन इशा की अज़ान के वक़्त हम मुज़दलिफ़ा में भी आए, आपने एक शख़्स को हुक्म दिया उसने अज़ाने तक्बीर

رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ - أُرَى - فَأَذَّنَ وَأَقَامَ)) قَالَ عَمْرٌو : لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ((ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ : لاَ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ)).

[طرفاه في : ١٦٨٢، ١٦٨٣].

कही और आपने मग़्रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर दो रकअ़त (सुन्नत) और पढ़ी और शाम का खाना मंगवाकर खाया। मेरा ख़्याल है (रावी–ए–ह़दीष़ ज़ुहैर का) कि फिर आपने हुक्म दिया और उस शख़्स ने अज़ान दी और तक्बीर कही अ़म्र (रावी ह़दीष़) ने कहा मैं यही समझता हूँ कि शक ज़ुहैर (अ़म्र के शैख़) को था, उसके बाद इशा की नमाज़ दो रकअ़त पढ़ी। जब सुबह़ स़ादिक़ हुई तो आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) इस नमाज़ (फ़ज्र) को इस मक़ाम और इस दिन के सिवा और कभी उस वक़्त (तुलूअ़े फ़ज्र होते ही) नहीं पढ़ते थे, अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने ये भी फ़र्माया कि ये सिर्फ़ दो नमाज़ें (आज के दिन) अपने मा'मूली वक़्त से हटा दी जाती हैं। जब लोग मुज़दलिफ़ा आते हैं तो मग़्रिब की नमाज़ (इशा के साथ मिलाकर) पढ़ी जाती है और फ़ज्र की नमाज़ तुलूअ़े फ़ज्र के साथ ही। उन्होंने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी त़रह़ करते देखा था।

(दीगर मक़ाम : 1682, 1683)

तश्रीह : इस ह़दीष़ से ये भी निकला कि नमाज़ों का जमा करनेवाला दोनों नमाज़ों के बीच खाना भी खा सकते हैं या और कुछ काम कर सकता है। इस ह़दीष़ में जमा के साथ नफ़्ल पढ़ना भी मज़्कूर है। फ़ज्र के बारे में ये ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(रज़ि.) का ख़्याल था कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने सुबह़ की नमाज़ उसी दिन तारीकी (अंधेरे) में पढ़ी और शायद मुराद उनकी ये हो कि उस दिन बहुत तारीकी में पढ़ी। या'नी सुबह़ स़ादिक़ होते ही वरना दूसरे बहुत स़ह़ाबा (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि हुज़ूर (ﷺ) की आ़दत यही थी कि आप (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे में पढ़ा करते थे और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अपने आ़मिलों को परवाना लिखा कि सुबह़ की नमाज़ उस वक़्त पढ़ा करो जब तारे गहने हों या'नी अँधेरी हो और ये भी सिर्फ़ इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) का ख़्याल है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने सिवा उस मक़ाम के और कहीं जमा नहीं किया और दूसरे स़ह़ाबा (रज़ि.) ने सफ़र में आप (ﷺ) से जमा करना नक़ल किया है। (वह़ीदी)

आप (ﷺ) ने नमाज़े मग़्रिब और इशा के बीच नफ़िल भी पढ़े मगर रसूले करीम (ﷺ) से न पढ़ना ष़ाबित है, लिहाज़ा तरजीह़ फ़ेअ़ले नबवी ही को होगी। हाँ! कोई शख़्स ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की त़रह़ पढ़ भी ले तो ग़ालिबन वो गुनहगार नहीं होगा अगरचे ये सुन्नते नबवी के मुत़ाबिक़ न होगा। **इन्नमल आ़मालु बिन्नियात**

दीन में अस़्लुल उस़ूल (सबसे बड़ा नियम या सब नियमों की बुनियाद) यही है कि अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की रज़ामन्दी बहरह़ाल मुक़द्दम रखी जाए। जहाँ जिस काम के लिये हुक्म फ़र्माया जाए उस काम को किया जाए और जहाँ उस काम से रोक दिया जाए वहाँ रुक जाए, इत़ाअ़त का यही मफ़्हूम है, इसी में ख़ैर और भलाई है। अल्लाह सबको दीन पर क़ायम रखे, आमीन!

٩٨- بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ،

बाब 98 : औरतों और बच्चों को मुज़दलिफ़ा की रात में आगे मिना रवाना कर देना, वो मुज़दलिफ़ा

में ठहरें और दुआ करें और चाँद डूबते ही चल दें

وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

1676. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने यूनुस से बयान किया और उनसे इब्ने शिहाब ने कि सालिम ने बयान किया कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) अपने घर के कमज़ोरों को पहले ही भेज दिया करते थे और वो रात ही में मुज़दलिफ़ा में मश्अ़रे हराम के पास आकर ठहरते और अपनी त़ाक़त के मुत़ाबिक़ अल्लाह का ज़िक्र करते थे, फिर इमाम के ठहरने और लौटने से पहले ही (मिना) आ जाते थे, कुछ तो मिना फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त पहुँचते और कुछ उसके बाद, जब मिना पहुँचते तो कंकरियाँ मारते और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन सब लोगों के लिये ये इजाज़त दी है।

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ: ((وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)).

तश्रीह : या'नी औरतों और बच्चों को मुज़दलिफ़ा में थोड़ी देर ठहरकर चले जाने की इजाज़त दी है उनके सिवा, और दूसरे सब लोगों को रात में मुज़दलिफ़ा में रहना चाहिये। शुअ़बी और नख़ई और अ़ल्क़मा ने कहा कि जो कोई रात को मुज़दलिफ़ा में न रहे उसका ह़ज्ज फ़ौत हुआ (छूट गया) और अ़त़ा और ज़ुहरी कहते हैं कि उस पर दम लाज़िम आ जाता है और आधी रात से पहले वहाँ से लौटना दुरुस्त नहीं है। (वहीदी)

1677. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सख़्तियानी ने, उनसे इक्रिमा ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे मुज़दलिफ़ा से रात ही में मिना रवाना कर दिया था। (दीगर मक़ाम : 1678, 1856)

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ)). [طرفاه في: ١٦٧٨، ١٨٥٦].

1678. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, कहा कि मुझे उ़बैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को ये कहते सुना कि मैं उन लोगों में था जिन्हें नबी करीम (ﷺ) ने अपने घर के कमज़ोर लोगों के साथ मुज़दलिफ़ा की रात ही में मिना भेज दिया था।

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ)).

1679. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद बिन क़त्त़ान ने, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया कि उनसे अस्मा के ग़ुलाम अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि उनसे अस्मा

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ ((أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ

बिन्ते अबूबक्र (रज़ि.) ने कि वो रात में ही मुज़दलिफ़ा पहुँच गईं और खड़ी होकर नमाज़ पढ़ने लगीं कुछ देर तक नमाज़ पढ़ने के बाद पूछा बेटे! क्या चाँद डूब गया! मैंने कहा कि नहीं! इसलिये वो दोबारा नमाज़ पढ़ने लगीं कुछ देर बाद फिर पूछा क्या चाँद डूब गया? मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि अब आगे चलो (मिना को) चुनाँचे हम उनके साथ आगे चले वो (मिना में) रम्ये-जिमार करने के बाद फिर वापस आ गईं और सुबह की नमाज़ अपने डेरे पर पढ़ी मैंने कहा, ये क्या बात हुई कि हमने अँधेरे ही में नमाज़े सुबह पढ़ ली। उन्होंने कहा बेटे! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औरतों को इसकी इजाज़त दी।

عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ : لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا ؛ فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ : يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ)).

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि सूरज निकलने से पहले भी कंकरियाँ मार लेना दुरुस्त है, लेकिन हन्फ़िया ने इसको जाइज़ नहीं रखा और इमाम अहमद और इस्हाक़ और जुम्हूरे उलेमा का ये क़ौल है कि सुबह सादिक़ से पहले दुरुस्त नहीं अगर कोई इससे पहले मारे तो सुबह होने के बाद दोबारा मारना चाहिये और शाफ़ेई के नज़दीक सुबह से पहले कंकरियाँ मार लेना दुरुस्त है। (वहीदी)

1680. हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा कि हमको सुफ़यान ष़ौरी ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम ने बयान किया, उनसे क़ासिम ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से मुज़दलिफ़ा की रात आम लोगों से पहले रवाना होने की इजाज़त चाही आप (रज़ि.) भारी-भरकम बदन की औरत थीं तो हुज़ूर (ﷺ) ने इजाज़त दे दी। (दीगर मक़ाम: 1681)

١٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ - وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِطَةً - فَأَذِنَ لَهَا)).

[طرفه في: ١٦٨١].

1681. हमसे अबू नईम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अफ़लह बिन हुमैद ने, उनसे क़ासिम बिन मुहम्मद ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि जब हमने मुज़दलिफ़ा में क़याम किया तो नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत सौदा (रज़ि.) को लोगों के इज़्दिहाम (भीड़) से पहले रवाना होने की इजाज़त दे दी थी, वो भारी-भरकम बदन की ख़ातून थीं, इसलिये आपने इजाज़त दे दी चुनाँचे वो भीड़ से पहले रवाना हो गईं। लेकिन हम लोग वहीं ठहरे रहे और सुबह को आप (ﷺ) के साथ गए अगर मैं भी हज़रत सौदा

١٦٨١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً - فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ

ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ)).

(रज़ि.) की तरह आप (ﷺ) से इजाज़त लेती तो मुझको तमाम ख़ुशी की चीज़ों में ये ही पसन्द होता।

बाब 99 : फ़ज्र की नमाज़ मुज़दलिफ़ा ही में पढ़ना

٩٩- بَابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

١٦٨٢- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا، إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا)). [راجع: ١٦٧٥]

1682. हमसे अम्र बिन हफ़्स बिन ग़ियाष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़म्मारा ने अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने कि दो नमाज़ों के सिवा मैंने नबी करीम (ﷺ) को और कोई नमाज़ बग़ैर वक़्त पढ़ते नहीं देखा, आप (ﷺ) ने मग़्रिब और इशा एक साथ पढ़ीं और फ़ज्र की नमाज़ भी उस दिन (मुज़दलिफ़ा में) मा'मूली वक़्त से पहले अदा की। (राजेअ़ : 1675)

या'नी बहुत अव्वल वक़्त ये नहीं कि सुबह़ स़ादिक़ होने से पहले पढ़ ली जैसे कुछ ने गुमान किया और दलील उसकी आगे की रिवायत है जिसमें स़ाफ़ ये है कि सुबह़ की नमाज़ फ़ज्र तुलूअ़ होते ही पढ़ी। (वहीदी)

١٦٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : ((خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ: كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعِشَاءَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ - وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرَ - ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ)). ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ

1683. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन रजाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्राईल ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने कि हम अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के साथ मक्का की त़रफ़ निकले (हज्ज शुरू किया) फिर जब हम मुज़दलिफ़ा आए तो आपने दो नमाज़ें (इस तरह एक साथ) पढ़ीं कि हर नमाज़ एक अलग अज़ान और एक अलग इक़ामत के साथ थी और रात का खाना दोनों के बीच में खाया, फिर तुलूअ़े सुबह के साथ ही आपने नमाज़े फ़ज्र पढ़ी, कोई कहता था कि अभी सुबह स़ादिक़ नहीं हुई और कुछ लोग कह रहे थे कि हो गई। उसके बाद अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था ये दोनों नमाज़ें इस मक़ाम से हटा दी गई हैं, या'नी मग़्रिब और इशा, मुज़दलिफ़ा में उस वक़्त दाख़िल हों कि अँधेरा हो जाए और फ़ज्र की नमाज़ उस वक़्त। फिर अ़ब्दुल्लाह उजाले तक वहीं मुज़दलिफ़ा में ठहरे रहे और कहा कि अगर अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) इस वक़्त चलें तो ये सुन्नत के मुताबिक़ होगा। (ह़दीष़ के रावी अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने कहा) मैं नहीं कह सकता कि ये अल्फ़ाज़ उनकी ज़ुबान से पहले निकले या ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) की रवानगी

पहले शुरू हुई, आप दसवीं तारीख़ तक जम्—ए—उक़्बा की रमी तक बराबर लब्बैक पुकारते रहे।

(राजेअ : 1675)

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ)).

[راجع: ١٦٧٥]

या'नी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ये कह ही रहे थे कि हज़रत उष्मान (रज़ि.) मुज़दलिफ़ा से लौटे सुन्नत यही है कि मुज़दलिफ़ा से फ़ज्र की रोशनी होने के बाद सूरज निकलने से पहले लौटें। फ़ज्र की नमाज़ से मुता'ल्लिक़ इस हदीष में जो वारिद है कि वो ऐसे वक़्त पढ़ी गई कि लोगों को फ़ज्र के होने में शुबहा (शक) हो रहा था, इसकी वज़ाहत मुस्लिम शरीफ़ की हदीष में मौजूद है जो हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है कि नबी करीम (ﷺ) ने मग़रिब और इशा की नमाज़ को मिलाकर पढ़ा, फिर आप (ﷺ) सो गए **षुम्म इज़्तजअ हत्ता तलअल्फ़ज्रू फ़स़ल्लल्फ़ज्र हीन तबीनु लहुस्सुब्हु बिअज़ानिन व इक़ामतिन इला आख़िरिल्हदीषि** फिर सोकर आप (ﷺ) खड़े हुए जबकि फ़ज्र तुलूअ हो गई। आप (ﷺ) ने सुबह खुल जाने पर नमाज़े फ़ज्र को अदा किया और उसके लिये अज़ान और इक़ामत हुई। मा'लूम हुआ कि पिछली हदीष में रावी की मुराद ये है कि आप (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ को अँधेरे में बहुत अव्वल वक़्त या'नी फ़ज्र ज़ाहिर होते ही फ़ौरन पढ़ ली, यूँ आप (ﷺ) हमेशा ही नमाज़े फ़ज्र ग़लस या'नी अँधेरे में अदा किया करते थे जैसा कि अनेक अहादीष से षाबित है मगर यहाँ और भी अव्वल वक़्त तुलूअे फ़ज्र के फ़ौरन बाद ही आप (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र को अदा फ़र्मा लिया।

बाब 100 : मुज़दलिफ़ा से कब चला जाए?

١٠٠- بَابُ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

1684. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ ने, उन्होंने अम्र बिन मैमून को ये कहते सुना कि जब उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मुज़दलिफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी तो मैं भी मौजूद था, नमाज़ के बाद आप ठहरे और फ़र्माया कि मुश्रिकीन (जाहिलियत में यहाँ से) सूरज निकलने से पहले नहीं जाते थे कहते थे ऐ षबीर! तू चमक जा। नबी करीम (ﷺ) ने मुश्रिकों की मुख़ालफ़त की और सूरज निकलने से पहले वहाँ से रवाना हो गए।

(दीगर मक़ाम : 3838)

١٦٨٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: ((شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ. وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)).

[طرفه في : ٣٨٣٨].

तश्रीह : षबीर एक पहाड़ का नाम है, मुज़दलिफ़ा में जो मिना को आते हुए बाएँ जानिब पड़ता है। हाफ़िज़ इब्ने कष़ीर फ़र्माते हैं, **जबलुन मअरूफ़ुन हुनाक व हुव अला यसारिज़्ज़ाहिबि इला मिना व हुव आज़मु जिबालि मक्कत उरिफ़ बिही मिन हुज़ैल इस्मुहू षबीर दुफ़िन फ़ीहि** या'नी षबीर मक्का का एक अज़ीम पहाड़ है जो मिना जाते हुए बाएँ तरफ़ पड़ता है और ये हज़ील के एक आदमी षबीर नामी के नाम से मशहूर है जो वहाँ दफ़न हुआ था। मुज़दलिफ़ा से सुबह सूरज निकलने से पहले मिना के लिये चल देना सुन्नत है। मुस्लिम शरीफ़ में हदीष जाबिर (रज़ि.) से मज़ीद तफ़्सील यूँ है। **षुम्म रकिबल्क़स्वा हत्ता अतल्मशअरल हराम फ़स्तक्बलल्क़िब्लत फ़दअल्लाह तआला व कब्बरहू व हल्ललहू व वह्हदहू फ़लम यज़ल वाक़िफ़न हत्ता अस्फ़र फ़दफ़अ क़ब्ल अन तत्लुअश्शम्सु** या'नी अरफ़ात से लौटते वक़्त आप (ﷺ) अपनी ऊँटनी क़स्वा पर सवार हुए, यहाँ से मुज़दलिफ़ा में मशअरुल हराम में आए और वहाँ आकर क़िब्ला रू होकर तक्बीर व तहलील कही और आप (ﷺ) ख़ूब उजाला होने तक ठहरे रहे, मगर सूरज तुलूअ होने से पहले आप (ﷺ) वहाँ से रवाना हो गए। अहदे जाहिलियत में मक्का वाले सूरज निकलने के बाद यहाँ से चला करते थे, इस्लाम में सूरज निकलने से पहले चलना क़रार पाया।

बाब 101 : दसवीं तारीख़ सुबह को तक्बीर और लब्बैक कहते रहना जम्र–ए–उक़्बा की रमी तक और चलते हुए (सवारी पर किसी को) अपने पीछे बिठा लेना

١٠١- بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَالارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

तश्रीह : दसवीं ज़िल्हिज्ज को मिना में जाकर नमाज़ फ़ज्र से फ़ारिग़ होकर सूरज निकलने के बाद रम्ये–जिमार करना ज़रूरी है। अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **क़ाल इब्नुल्मुन्ज़िर अस्सुन्नतु अल्ला युर्मा इल्ला बअ़द तुलूइश्शम्सि कमा फ़अलन्नबिय्यु (ﷺ) व ला यजूज़ुर्रम्यु क़ब्ल तलूइल्फ़ज्रि लिअन्न फ़ाइलहू मुख़ालिफ़ुलिस्सुन्नति व मन रमा हीनइज़िन ला इआदत अ़लैहि इज़् ला आलमु अहदन क़ाल ला यज्ज़िउहू** (फ़तह) या'नी इब्ने मुंज़िर ने कहा कि सुन्नत यही है कि रम्ये–जिमार सूरज निकलने के बाद करे जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) के फ़ेअल से षाबित है और तुलूअ़े फ़ज्र से पहले रम्ये–जिमार दुरुस्त नहीं, उसका करने वाला सुन्नत का मुख़ालिफ़ है। हाँ अगर किसी ने उस वक़्त रम्ये–जिमार कर लिया तो फिर उस पर दोबारा करना ज़रूरी नहीं है। इसलिये कि मुझे कोई ऐसा शख़्स मा'लूम नहीं जिसने उसे ग़ैर काफ़ी कहा हो। हज़रत अस्मा (रज़ि.) से रात में रम्ये–जिमार करना भी मन्क़ूल है जैसाकि उसको ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी नक़ल किया है जिसका मतलब ये है कि कमज़ोर मर्दों व औरतों के लिये इजाज़त है कि वो रात ही में मुज़दलिफ़ा से कूच करके मिना आ जाएँ और आने पर ख़्वाह रात ही क्यूँ न हो, रम्ये–जिमार कर लें। आँहज़रत (ﷺ) ने मुज़दलिफ़ा की रात में हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) से फ़र्माया था **इज़्हब बिज़अफ़ाइना वनिसाइना फ़ल्युसल्लुस्सुब्ह बिमिना व यम् जम्रतल्अक़बति क़ब्ल अन तुसीबहुम दफ़अतुन्नासि** (फ़तहुल बारी) या'नी आप हमारे ज़ईफ़ों और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से रात ही में मिना ले जाएँ ताकि वो सुबह की नमाज़ मिना में अदा कर लें और लोगों के भीड़ से पहले पहले जम्रह उक़्बा की रमी से फ़ारिग़ हो जाएँ। वल्लाहु अअ़लमु बिस्सवाब।

1685. हमसे अबू आ़सिम ज़हहाक बिन मुख़लद ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्हें अ़ता ने, उन्हें इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने (मुज़दलिफ़ा से लौटते वक़्त) फ़ज़ल (बिन अ़ब्बास रज़ि.) को अपने पीछे सवार कराया था। फ़ज़ल (रज़ि.) ने ख़बर दी कि आँहज़रत (ﷺ) रम्ये–जिमार तक बराबर लब्बैक कहते रहे। (राजेअ़ : 1524)

١٦٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ)).

[راجع: ١٥٢٤]

1686,87. हमसे ज़ुहैर बिन हर्ब ने बयान किया, उनसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे यूनुस ऐली ने, उनसे जुहरी ने, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) अ़रफ़ात से मुज़दलिफ़ा तक नबी करीम (ﷺ) की सवारी पर आप (ﷺ) के पीछे बैठे थे, फिर आप (ﷺ) ने मुज़दलिफ़ा से मिना जाते वक़्त फ़ज़ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) को अपने पीछे बिठा लिया था। उन्होंने कहा कि उन दोनों हज़रात ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) जम्रह उक़्बा की सवारी तक मुसलसल

١٦٨٦، ١٦٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، فَقَالَ كِلاَهُمَا قَالاَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ

लब्बैक कहते रहे।

(राजेअ: 1543, 1544)

يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)).

[راجع: ١٥٤٣، ١٥٤٤]

बाब 102 :

باب

सूरह बक़रः की इस आयत की तफ़्सीर में पस जो शख़्स तमत्तोअ करे हज्ज के साथ उम्रा का या'नी हज्जे तमत्तोअ करके फ़ायदा उठाए तो उस पर है जो कुछ मयस्सर हो क़ुर्बानी से और अगर किसी को क़ुर्बानी मयस्सर न हो तो तीन दिन के रोज़े अय्यामे हज्ज में और सात दिन के रोज़े घर वापस होने पर रखे, ये पूरे दस दिन (के रोज़े) हुए ये आसानी उन लोगों के लिये है जिनके घर वाले मस्जिद के पास न रहते हों। (अल बक़र : 196)

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[البقرة : ١٩٦]

1688. हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उन्हें नज़्र बिन शुमैल ने ख़बर दी, उन्हें शुअबा ने ख़बर दी, उनसे अबू जम्रह ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से तमत्तोअ के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने मुझे उसके करने का हुक्म दिया, फिर मैंने क़ुर्बानी के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तमत्तोअ में एक ऊँट, या एक गाय या एक बकरी (की क़ुर्बानी वाजिब है) या किसी क़ुर्बानी (ऊँट या गाए भेंस की) में शरीक हो जाए, अबू जम्रह ने कहा कि कुछ लोग तमत्तोअ को नापसन्दीदा क़रार देते थे। फिर मैं सोया तो मैंने ख़्वाब में देखा कि एक शख़्स पुकार रहा है ये हज्जे मबरूर है और ये मक़्बूल तमत्तोअ है। अब मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास गया और उनसे ख़्वाब का ज़िक्र किया तो उन्होंने फ़र्माया अल्लाहु अकबर! ये तो अबुल क़ासिम (ﷺ) की सुन्नत है। कहा कि वहब बिन जरीर और गुन्दर ने शुअबा के हवाले से यूँ नक़्ल किया है उम्रतुन मुतक़ब्बलतुन, वहज्जुन मबरूरुन (इसमें उम्रह का जिक्र पहले है या'नी ये उम्रह मक़्बूल और हज्ज मबरूर है)। (राजेअ: 1567)

١٦٨٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: كَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ)). قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ((عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ)).

[راجع: ١٥٦٧]

तश्रीह : हज़रत उमर और उष्मान ग़नी (रज़ि.) से तमत्तोअ की कराहियत मन्क़ूल है लेकिन उनका क़ौल अहादीषे सहीहा और ख़ुद नस्से क़ुर्आनी के बरख़िलाफ़ है, इसलिये तर्क किया गया और किसी ने उस पर अमल नहीं किया। जब हज़रत उमर और हज़रत उष्मान (रज़ि.) की राय जो ख़ुल्फ़ाए राशिदीन में से हैं हदीष के ख़िलाफ़ मक़्बूल न हो तो और मुज्तहिद या मौलवी किस शुमार में हैं, उनका फ़त्वा हदीष के ख़िलाफ़ लचर और पोच (कमज़ोर) है (वहीदी)। इसलिये हज़रत शाह वलीउल्लाह मरहूम ने फ़र्माया है कि जो लोग सहीह मर्फ़ूअ अहादीष के मुक़ाबले पर क़ौले इमाम को तरजीह देते हैं और समझते

हैं कि उनके लिये यही काफ़ी है पस अल्लाह के यहाँ जिस दिन ह़िसाब के लिये खड़े होंगे उनका क्या जवाब हो सकेगा। स़द अफ़सोस कि यहूद व नस़ारा में तक़्लीदे शख़्सी की बीमारी थी जिसने मुसलमानों को भी पकड़ लिया और वो भी **इत्तख़ज़ू अह़बारहुम व रुहबानहुम अरबाबम्मिन दूनिल्लाहि** (अत्तौबा : 31) के मिस्दाक़ बन गए या'नी उन लोगों ने अपने मौलवियों दुरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब ठहरा लिया, या'नी अल्लाह की त़रह़ उनकी फ़र्मांबरदारी को अपने लिये लाज़िम क़रार दे लिया। इसी का नाम तक़्लीदे जामिद है जो सब बीमारियों की जड़ है।

बाब 103 : क़ुर्बानी के जानवर पर सवार होना (जाइज़ है)

١٠٣ – بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

लिक़ौलिहि : ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج : ٣٦]. قَالَ مُجَاهِدٌ : سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا. وَالْقَانِعُ : السَّائِلُ. وَالْمُعْتَرُّ، الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ. وَشَعَائِرُ اللهِ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا. وَالْعَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. وَيُقَالُ وَجَبَتْ: سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ.

क्योंकि अल्लाह तआला ने सूरह ह़िज्र में फ़र्माया, हमने क़ुर्बानियों को तुम्हारे लिये अल्लाह के नाम की निशानी बनाया है, तुम्हारे वास्ते उनमें भलाई है सो पढ़ो उन पर अल्लाह का नाम क़त़ार बाँधकर, फिर वो जब गिर पड़ें अपनी करवट पर (या'नी ज़िब्ह़ हो जाए) तो खाओ उनमें से और खिलाओ स़ब्र से बैठने वाले और मांगने वाले फ़क़ीरों को, इसी त़रह़ तुम्हारे लिये ह़लाल कर दिया हमने इन जानवरों को ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह को नहीं पहुँचता उनका गोश्त और न उनका ख़ून, लेकिन उसको पहुँचता है तुम्हारा तक़्वा इस त़रह़ उनको बस में कर दिया तुम्हारे कि अल्लाह की बड़ाई करो इस बात पर कि तुमको उसने राह दिखाई और बशारत सुना दे नेकी करनेवालों को। मुजाहिद ने कहा कि क़ुर्बानी के जानवर को बदना, उसके मोटा—ताज़ा होने की वजह से कहा जाता है, क़ानेअ साइल को कहते हैं, और मुअत्तर जो क़ुर्बानी के जानवर के सामने साइल की स़ूरत बनाकर आ जाए ख़्वाह ग़नी हो या फ़क़ीर, शआइर के मा'नी क़ुर्बानी के जानवर की अ़ज़्मत को मल्ह़ूज़ रखना और उसे मोटा बनाना है। अ़तीक़ (ख़ान—ए—का'बा को कहते हैं) बवजह ज़ालिमों और जाबिरों से आज़ाद होने के जब कोई चीज़ ज़मीन पर गिर जाए तो कहते हैं वजबत। उसी से वजबतुश्शम्स आता है या'नी सूरज डूब गया।

तश्रीह़ : ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं, क़ौलुहु वल्क़ानिउ अस्साइलु वल्मुअतर्रूल्लज़ी यअ़तर्रू बिल्बुदुनि मिन ग़निय्यिन औ फ़क़ीरिन अय यतीफ़ु बिहा मुअतरिज़न लहा व हाज़त्तअलीक़ु अख़रजहू अयज़न अ़ब्दुब्नु हुमैदमिन तरीक़ि उष्मान इब्निल्अस्वद क़ुल्तु लिमुजाहिद मल्क़ानिउ क़ाल जारकल्लज़ी यन्तज़िरू मा दख़ल बैतक वल्मुअर्रूल्लज़ी यअ़तर्र बिबाबिक व युरीक नफ़्सहू व ला यस्अलुक शैअन व अख़्रज इब्नु हातिम मिन तरीक़ि सुफ़यानब्नि उययनत अनिब्नि अबी नजीह अन मुजाहिद क़ाल अल्क़ानिउ हुवत्तामिउ व क़ाल मुर्रा हुवस्साइलु व मंय्यस्अलुक व मिन तरीकिष्षौरी अन फ़ुरात अन सईदिब्नि ज़ुबैर अल्मुअतर्रूल्लज़ी यअ़तर्रू बिक यज़ूरूक व ला यस्अलुक व मिन तरीकि इब्नि जरीअ अन मुजाहिद अल्मुअतर्रूल्लज़ी यअ़तर्रू बिल्बुदनि मिन ग़निय्यिन औ फ़क़ीरिन व क़ालल्ख़लीलु फ़िल्ऐनि अल्क़नुउ अल्मुअतज़लु लिस्सुवालि क़नअ इलैहि माल व ख़ज़अ व हुवस्साइलु वल्मुअतर्रूल्लज़ी यअतरिज़ु व ला यस्अलु व युक़ालु क़नुअ बिकस्निन्नून इज़ा रज़िय व कनअ बिफ़तहिहा इज़ा सअल व क़रअल्हसनु अल्मुअतरी व हुव बिमअ़नल्मुअतर्रि (फ़तहुल बारी) या'नी क़ानेअ

से साइल मुराद है (और लुग़ातुल ह़दीष़) में क़नूअ के एक मा'नी मांगना भी निकलता है और मुअ़त्तर वो ग़नी या फ़क़ीर जो दिल से त़ालिब होकर वहाँ घूमता रहे ताकि उसको गोश्त ह़ासिल हो जाए ज़ुबान से सवाल न करे। मुअ़त्तर वो फ़क़ीर जो सामने आए उसकी सूरत सवाली की हो लेकिन सवाल न करे। लुग़ातुल ह़दीष़ इस तअ़लीक़ को अ़ब्द बिन ह़ुमैद ने त़रीक़े उ़ष़्मान बिन अस्वद से निकाला है मैंने मुजाहिद (रह.) से क़ानेअ़ की तह़क़ीक़ की कहा क़ानेअ़ वो है जो इंतिज़ार करता रहे कि तेरे घर में क्या क्या चीज़ें आई हैं। (और काश उनमें से मुझको भी कुछ मिल जाए) मुअ़त्तर वो है जो वहाँ घूमता रहे और तेरे दरवाज़े पर उम्मीदवार बनकर आए जाए मगर किसी चीज़ का सवाल न करे और मुजाहिद से क़ानेअ़ के मा'नी लालची के भी आए हैं, और एक बार बतलाया कि साइल मुराद है उसे इब्ने अबी ह़ातिम ने रिवायत किया है और सईद बिन जुबैर से मुअ़त्तर के वही मा'नी नक़ल हुए जो ऊपर बयान हुए और मुजाहिद ने कहा कि मुअत्तर वो जो ग़नी हो या फ़क़ीर ख़्वाहिश की वजह से क़ुर्बानी के जानवर के आसपास फिरता रहे (और ख़लील ने क़नूअ के मा'नी वो बताया जो ज़लील होकर सवाल करे **क़नअ इलैहि** के मा'नी माल वो उसकी त़रफ़ झुका व **शफ़अ इलैहि** और उसने उसकी त़रफ़ जिससे कुछ चाहता है चापलूसी की, मुराद आगे साइल है और **क़निअ़ बिकस्रि नून रज़िय** के मा'नी के है और **कनअ़ फ़तहे नून** के साथ इज़ा सअल के मा'नी में और ह़सन की क़िरअत में यहाँ लफ़्ज़े मुअ़त्तर पढ़ा गया है वो भी मुअ़त्तर ही के मा'नी में है।

1689. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअ़रज और उन्हें ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक शख़्स को क़ुर्बानी का जानवर ले जाते देखा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस पर सवार हो जा। उस शख़्स ने कहा कि ये तो क़ुर्बानी का जानवर है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस पर सवार हो जा। उसने कहा कि ये क़ुर्बानी का जानवर है तो आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, अफ़सोस! सवार भी हो जाओ (वयलक आप ﷺ ने) दूसरी या तीसरी बार फ़र्माया।

(दीगर मक़ाम : 1716, 2755, 6160)

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)) فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.

[أطرافه في : ١٧١٦، ٢٧٥٥، ٦١٦٠].

तश्रीह : ज़मान-ए-जाहिलियत में अ़रब लोग साइबा वग़ैरह जो जानवर मज़हबी न्याज़ो-नज़्र के त़ौर पर छोड़ देते उन पर सवार होना मअ़यूब (बुरा) जाना करते थे। क़ुर्बानी के जानवरों के बारे में भी जो का'बा में ले जाई जाएँ उनका ऐसा ही तस़व्वुर था। इस्लाम ने इस ग़लत़ तस़व्वुर को ख़त्म किया और आँह़ज़रत (ﷺ) ने इस़रार के साथ हुक्म दिया कि इस पर सवारी करो ताकि रास्ते की थकान से बच जाओ। क़ुर्बानी के जानवर होने का मत़लब ये हर्गिज़ नहीं कि उसे मुअ़त्त़ल करके छोड़ दिया जाए। इस्लाम इसीलिये दीने फ़ित़रत है कि उसने क़दम-क़दम पर इंसानी ज़रूरियात को मल्ह़ूज़े नज़र रखा है और हर जगह ऐन ज़रूरियाते इंसानी के तह़त अह़कामात स़ादिर किये हैं ख़ुद अ़रब में अत़राफ़े मक्का से जो लाखों ह़ाजी आजकल भी ह़ज्ज के लिये मक्का शरीफ़ आते हैं उनके लिये यही अह़काम है। बाक़ी दूर-दराज़ ममालिके इस्लामिया से आने वालों के लिये क़ुदरत ने रेल, मोटर, जहाज़ वजूद पज़ीर कर दिये है। ये सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़्ल है कि आजकल सफ़रे-हज्ज बेह़द आसान हो गया है फिर भी कोई दौलतमन्द मुसलमान ह़ज्ज को न जाए तो उसकी बदबख़्ती में क्या शक है।

1690. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम और शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ)

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً

ने एक शख़्स को देखा कि क़ुर्बानी का जानवर लिये जा रहा है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस पर सवार हो जा उसने कहा कि ये तो क़ुर्बानी का जानवर है आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस पर सवार हो जा उसने फिर कहा कि ये तो क़ुर्बानी का जानवर है। लेकिन आप (ﷺ) ने तीसरी बार फिर फ़र्माया कि सवार हो जा। (दीगर मक़ाम : 2754, 6159)

يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) ثَلاَثًا.

[طرفاه في : ٢٧٥٤، ٦١٥٩].

आपके बार–बार कहने का मक़्सद ये है कि क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार होना उसके शआइरे इस्लाम के मनाफ़ी नहीं है।

बाब 104 : उस शख़्स के बारे में जो अपने साथ क़ुर्बानी का जानवर ले जाए

١٠٤– بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

1691. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ़ में तमत्तोअ़ किया या'नी उ़म्रह करके फिर हज्ज किया और आप (ﷺ) ज़ुल् हुलैफ़ा से अपने साथ क़ुर्बानी ले गए। आँहज़रत (ﷺ) ने पहले उ़म्रह के लिये एह़राम बाँधा, फिर हज्ज के लिये लब्बैक पुकारा। लोगों ने भी नबी करीम (ﷺ) के साथ तमत्तोअ़ किया या'नी उ़म्रह करके हज्ज किया, लेकिन बहुत से लोग अपने साथ क़ुर्बानी का जानवर ले गए थे और बहुत से नहीं ले गए थे। जब आँहज़रत (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाए तो लोगों से कहा कि जो शख़्स क़ुर्बानी साथ लाया हो उसके लिये हज्ज पूरा होने तक कोई भी चीज़ हलाल नहीं हो सकती जिसे उसने अपने ऊपर (एह़राम की वजह से) हराम कर लिया है लेकिन जिनके साथ क़ुर्बानी नहीं हैं तो वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लें और स़फ़ा–मरवा की सई करके बाल तरशवा लें और हलाल हो जाएँ, फिर हज्ज के लिये (नये सिरे से आठवीं ज़िल्हिज्ज को एह़राम बाँधें) ऐसा शख़्स अगर क़ुर्बानी न पाए तो तीन दिन के रोज़े हज्ज ही के दिनों में और सात दिन के रोज़े घर वापस आकर रखे। जब आँहज़रत (ﷺ) मक्का पहुँचे तो सबसे पहले आप (ﷺ) ने तवाफ़ किया फिर हज्रे अस्वद को बोसा दिया तीन चक्करों में आप (ﷺ) ने रमल किया और बाक़ी चार में मा'मूली रफ़्तार से चले, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ पूरा करके

١٦٩١– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)). فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ. ثُمَّ

خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ)).

मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी सलाम फेरकर आप (ﷺ) सफ़ा पहाड़ी की तरफ़ आए और सफ़ा और मरवा की सई भी सात चक्करों में पूरी की। जिन चीज़ों को (एहराम की वजह से अपने पर) हराम कर लिया था उनसे उस वक़्त तक आप (ﷺ) हलाल नहीं हुए जब तक हज्ज पूरा न कर लिया और यौमुन्नहर (दसवीं ज़िल् हिज्ज) में क़ुर्बानी का जानवर भी ज़िब्ह न कर लिया। फिर आप (ﷺ) (मक्का वापस) आए और बैतुल्लाह का जब तवाफ़ इफ़ाज़ा कर लिया तो हर वो चीज़ आपके लिये हलाल हो गई जो एहराम की वजह से हराम थी जो लोग अपने साथ हदी लेकर आए थे उन्होंने भी उसी तरह किया जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था।

١٦٩٢- وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

1692. उ़र्वा से रिवायत है कि आइशा (रज़ि.) ने उन्हें आँहज़रत (ﷺ) के हज्ज और उ़म्रह एक साथ करने की ख़बर दी और लोगों ने भी आपके साथ हज्ज और उ़म्रह एक साथ किया था, बिलकुल उसी तरह जैसे मुझे सालिम ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से ख़बर दी थी।

तश्रीह : नववी ने कहा कि तमत्तोअ़ से यहाँ क़िरान मुराद है, हुआ ये कि पहले आप (ﷺ) ने सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधा था फिर उ़म्रह उसमें शरीक कर लिया और क़िरान को भी तमत्तोअ़ कहते हैं (वहीदी)। इसी हदीष में आँहज़रत (ﷺ) के ख़ान–ए–का'बा का तवाफ़ करने में रमल का ज़िक्र भी आया है या'नी अकड़कर मूँढ़ों को हिलाते हुए चलना। ये तवाफ़ के पहले तीन फेरों में किया और बाक़ी चार में मा'मूली चाल से चले ये इस वास्ते किया कि मक्का के मुश्रिकों ने मुसलमानों की निस्बत ये ख़्याल किया था कि मदीना के बुख़ार से वो नातवाँ (कमज़ोर) हो गए हैं तो पहली बार ये फ़ेअ़ल उनका ख़्याल ग़लत करने के लिये किया गया था, फिर हमेशा यही सुन्नत क़ायम रही (वहीदी)। हज्ज में ऐसे बहुत से तारीख़ी यादगारी उमूर (ऐतिहासिक काम) हैं जो पिछले बुज़ुर्गों की यादगार हैं और इसीलिये उनको अरकाने हज्ज समझें और उससे सबक़ हासिल करें, रमल का अ़मल भी ऐसा ही तारीख़ी अ़मल है।

١٠٥- بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيْقِ

बाब 105 : उस शख़्स के बारे में जिसने क़ुर्बानी का जानवर रास्ते में ख़रीदा

١٦٩٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لأَبِيْهِ: أَقِمْ فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا أَنْ تُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ

1693. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने अपने वालिद से कहा, (जब वो हज्ज के लिये निकल रहे थे) कि आप न जाइए क्यों कि मेरा ख़्याल है कि (बदअम्नी की वजह से) आपको बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया जाएगा। उन्होंने फ़र्माया मैं भी

वही काम करूँगा जो (ऐसे मौक़े पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है। मैं अब तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उ़म्रह वाजिब कर लिया है, चुनाँचे आपने उ़म्रह का एह़राम बाँधा उन्होंने बयान किया कि फिर आप निकले और जब बीदा पहुँचे तो ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों का एह़राम बाँध लिया और फ़र्माया कि ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों तो एक ही हैं उसके बाद क़दीद पहुँचकर हदी ख़रीदी फिर मक्का आकर दोनों के लिये त़वाफ़ किया और दरम्यान में नहीं बल्कि दोनों से एक ही साथ ह़लाल हुए। (राजेअ़ : 1639)

قَالَ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)). [راجع: ١٦٣٩]

बाब 106 : जिसने ज़ुल् हुलैफ़ा में इश्आ़र किया और क़लादा पहनाया फिर एह़राम बाँधा

١٠٦ - بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

और नाफ़ेअ़ ने कहा कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) जब मदीना से क़ुर्बानी का जानवर अपने साथ लेकर जाते तो ज़ुल हुलैफ़ा से उसे हार पहना देते और इश्आ़र कर देते इस त़रह कि जब ऊँट अपना मुँह क़िब्ले की त़रफ़ किये बैठा होता तो उसके दाहिने कोहान में नेज़े से ज़ख़्म लगा देते।

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.

1694, 1695. हमसे अह़मद बिन मुह़म्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमको मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने, और उनसे मुसव्विर बिन मख़रमा (रज़ि.) और मरवान ने बयान किया कि नबी (ﷺ) मदीना से तक़रीबन अपने एक हज़ार साथियों के साथ (ह़ज्ज के लिये निकले) जब ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो नबी (ﷺ) ने हदी को हार पहनाया और इश्आ़र किया फिर उ़म्रह का एह़राम बाँधा।

(दीगर मक़ाम : 2711, 2732, 4157, 4179, 4180)

١٦٩٤، ١٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ)). [أطرافه في: ١٨١١، ٢٧١٢، ٢٧٣١، ٤١٧٨، ٤١٨١].

तश्रीह़ : इश्आ़र के मा'नी क़ुर्बानी के ऊँट के दाएँ कोहान में नेज़े से एक ज़ख़्म कर देना, अब ये जानवर बैतुल्लाह में क़ुर्बानी के लिये निशानज़दा हो जाता था और कोई भी डाकू चोर उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। अब भी ये इश्आ़र रसूले करीम (ﷺ) की सुन्नत है। कुछ लोगों ने इसे मकरूह क़रार दिया है जो सख़्त ग़लती और सुन्नते नबवी की बे अदबी है। इमाम इब्ने ह़ज़म ने कहा कि ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के सिवा और किसी से इसकी कराहियत मन्क़ूल नहीं, त़ह़ावी

ने कहा कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने अस़ल इश्आर को मकरूह नहीं कहा बल्कि उसमें मुबालग़ा करने को मकरूह कहा है जिससे ऊँट की हलाकत का डर हो और हमारा यही गुमान हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से है जो मुसलमानों के पेशवा हैं, यही है। अस़ल इश्आर को वो कैसे मकरूह कह सकते हैं उसका सुन्नत होना अहादीषे स़हीहा से षाबित है। (वहीदी) क़लादा जूतियों का हार जो क़ुर्बानी के जानवारों के गलों में डालकर गोया उसे बैतुल्लाह में क़ुर्बा नी के लिये निशान लगा दिया जाता था, क़लादा ऊँट बकरी गाय सबके लिये है और अश्अ ार के बारे में हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व फ़ीहि मश्रूइय्यतुल्इश्आरि व हुव अंय्यक्शुत जिल्दल्बदनति हत्ता यसील दमुन षुम्म यस्कुहू फ़यकूनु ज़ालिक अलामतुन अला कौनिहा हदयन व बिज़ालिक क़ालल जुम्हूरु मिनस्सलफ़ि वल ख़ल्फ़ि व ज़करत्तहावी फ़ी इख़्तिलाफ़िल उलमाइ कराहियतहू अन अबी हनीफ़त व ज़हब ग़ैरुहू इला इस्तिहबाबिही लि इत्तिबाइ हत्ता साहिबाहू अबू यूसुफ़ व मुहम्मद फ़क़ाला हुव हसनुन व क़ाल मालिक युख़्तस्सुल्इश्आरु बिमन लहा सिनामुन क़ालत्तहावीषबत अन आइशत व इब्नि अब्बासिन अत्तख़ईरू फ़िल्इश्आरि व तर्किही फ़दल्ल अला अन्नहू लैस बिनुस्किन लाकिन्नहू ग़ैर मक्रूहिन लिषुबूति फ़िअलिही अनिन्नबिय्यि (ﷺ) इला आख़िरिही** (फ़त्हुल बारी) या'नी इस हदीष से इश्आर की मशरूइयत षाबित है वो ये कि हदी के चमड़े को ज़रा सा ज़ख़्मी करके उससे ख़ून बहा दिया जाए बस वो उसके हदी होने की अलामत है और सलफ़ और ख़ल्फ़ से तमाम जुम्हूर ने इसकी मशरूइयत का इक़रार किया है और इमाम तहावी ने इस बारे में उलम-ए-किराम का इख़्तिलाफ़ जिक्र करते हुए कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने इसे मकरूह क़रार दिया है और दूसरे लोग उसके मुस्तहब होने के क़ाइल हैं। यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के दोनों शागिर्दाने रशीद हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ और हज़रत इमाम मुहम्मद (रह.) भी उसके बेहतर होने के क़ाइल हैं। हज़रत इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है कि इश्आर उन जानवरों के साथ खास़ है जिनके कोहान हैं। तहावी ने कहा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से षाबित है कि उसके लिये इख़्तियार है कि या तो इश्आर करे या न करे, ये उसी अम्र की दलील है कि इश्आर कोई हज्ज के मनासिक से नहीं है लेकिन वो ग़ैर मकरूह है इसलिये कि उसका करना आँहज़रत (ﷺ) से षाबित है। मुत्लक़न इश्आर को मकरूह कहने पर बहुत से मुतक़द्दिमीन ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) पर जो ए'तिराज़ात किये हैं उनके जवाबात इमाम तहावी ने दिये हैं, उनमें से ये भी कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने मुतलक़न इश्आर का इंकार नहीं किया बल्कि ऐसे मुबालिग़े के साथ इश्आर करने को मकरूह बतलाया है जिससे जानवर ज़ईफ़ होकर हलाकत के क़रीब हो जाए। जिन लोगों ने इश्आर को मुष्ला से तश्बीह दी है उनका क़ौल भी ग़लत है। इश्आर स़िर्फ़ ऐसा ही है जैसे कि ख़त्ना और हजामत और निशानी के लिये कुछ जानवरों के कान चीर देना है, ज़ाहिर है कि ये सब मुष्ले के ज़ेल में नहीं आ सकते, फिर इश्आर क्योंकर आ सकता है। इसीलिये अबू स़ाइब कहते हैं कि हम एक मजलिस में इमाम वक़ीअ के पास थे। एक शख़्स ने कहा कि इमाम नख़्ई से इश्आर का मुष्ला होना मन्क़ूल है। इमाम वकीअ ने ख़फ़्गी के लहजे में फ़र्माया कि मैं कहता हूँ कि रसूले करीम (ﷺ) ने इश्आर किया और तू कहता है कि इब्राहीम नख़्ई ने ऐसा कहा, हक़ तो ये है कि तुझको क़ैद कर दिया जाए (फ़तह) क़ुर्आन मजीद की आयते शरीफ़ा **या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बयना यदयिल्लाहि वरसूलिही......** (अल् हुज्रात : 1) का मफ़्हूम भी यही है कि जहाँ अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) से कोई अम्र स़हीह तौर पर षाबित हो वहाँ हर्गिज़ क़ील व क़ाल व आरा को दाख़िल नहीं किया जा सकता कि ये अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सख़्त बेअदबी है। मगर सद अफ़सोस है कि उम्मत का जम्मे ग़फ़ीर (बड़ा झुण्ड) इसी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह पाक सबको तक़्लीद जामिद से शिफ़ा-ए-कामिल अता करे आमीन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से ये भी मरवी है कि आप जब किसी हदी का इश्आर करते तो उसे क़िब्ला रुख़ कर लेते और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर उसके कोहान को ज़ख़्मी कर देते थे।

1696. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे अफ़्लह ने बयान किया, उनसे क़ासिम ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों के हार मैंने अपने हाथ से ख़ुद बटे थे, फिर आप (ﷺ) ने उन्हें हार

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ

पहनाया, इश्आर किया, उनको मक्का की तरफ़ रवाना किया फिर भी आपके लिये जो चीज़ें हलाल थीं वो (एहराम से पहले सिर्फ़ हदी से) हराम नहीं हुईं।

(दीगर मक़ाम : 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 2317, 5566)

قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ)).

[أطرافه في : ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٨٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٥٦٦]

तश्रीह : ये वाक़िया हिजरत के नवें साल का है, जब आप (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र सिद्दिक़ (रज़ि.) को हाजियों का सरदार बनाकर मक्का रवाना किया था, उनके साथ क़ुर्बानी के ऊँट भी आप (ﷺ) ने भेजे थे। नववी ने कहा कि इस हदीष़ से ये निकला कि अगर कोई शख़्स ख़ुद मक्का को न जा सके तो क़ुर्बानी का जानवर वहाँ भेज देना मुस्तहब है और जुम्हूरे उलमा का यही क़ौल है कि सिर्फ़ क़ुर्बानी का जानवर रवाना करने से आदमी मुहरिम नहीं होता जब तक कि ख़ुद एहराम की निय्यत न करे। (वहीदी)

बाब 107 : गाय, ऊँट वग़ैरह क़ुर्बानी के जानवरों के क़लादे बटने का बयान

١٠٧- بَابُ فَتْلِ الْقَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

1697. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने कि मुझे नाफ़ेअ ने ख़बर दी उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि हफ़्सा (रज़ि.) ने बयान किया, कहा मैं ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! और लोग तो हलाल हो गए लेकिन आप (ﷺ) हलाल नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने अपने सर के बालों को जमा लिया है और अपनी हदी को क़लादा पहना दिया है, इसलिये जब तक हज्ज से भी हलाल न हो जाऊँ मैं (दरम्यान में) हलाल नहीं हो सकता, (गूंद लगाकर सर के बालों को जमा लेना उसको तल्बीद कहते हैं।) (राजेअ : 1566)

١٦٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ)). [راجع: ١٥٦٦]

1698. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे उर्वा और अम्रा बिन्ते अब्दुर्रहमान ने कि आइशा (रज़ि.) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना से हदी साथ लेकर चलते थे और मैं उनके क़लादे बटा करती थी फिर भी आप (एहराम बाँधने से पहले) उन चीज़ों से परहेज़ नहीं करते थे जिनसे एक मुहरिम परहेज़ करता है। (राजेअ : 1696)

١٦٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)). [راجع: ١٦٩٦]

दोनों हदीष़ों में क़ुर्बानी का लफ़्ज़ है वो आम है ऊँट और गाय दोनों को शामिल है तो बाब का मतलब ष़ाबित हो गया या'नी

क़िरान के ऊँट और गायों के लिये हार बटना ये भी मा'लूम हुआ कि ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) अपने हाथों से ये हार बटा करती थीं पस औरतों के लिये इस क़िस्म के सन्अत ह़िर्फ़त के काम करना कोई अम्रे मअयूब नहीं है जैसा कि नामो–निहाद शुरफ़ाए इस्लाम के तसव्वुरात हैं जो औरतों के लिये इस क़िस्म के कामों को अच्छा नहीं जानते ये इंतिहाई कम फ़हमी की दलील है।

बाब 108 : क़ुर्बानी के जानवर का इश्आर करना

١٠٨- بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

और उर्वा ने मिस्वर से रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हदी को हार पहनाया और उसका इश्आर किया, फिर उम्रह के लिये एहराम बाँधा था।

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ ((قَلَّدَ النَّبِيُّ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ)).

1699. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अफ़्लह़ बिन हुमैद ने बयान किया, उनसे क़ासिम ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) की हदी के क़लादे ख़ुद बटे थे, फिर आप (ﷺ) ने उन्हें इश्आर किया और हार पहनाया, या मैंने हार पहनाया फिर आप (ﷺ) ने बैतुल्लाह के लिये उन्हें भेज दिया और ख़ुद मदीना में ठहर गए लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ आप (ﷺ) के लिये हराम नहीं हुई जो आप (ﷺ) के लिये ह़लाल थी। (राजेअ : 1696)

١٦٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ)). [راجع: ١٦٩٦]

कोई शख़्स अपने वतन से किसी के साथ मक्का शरीफ़ में क़ुर्बानी का जानवर भेज दे तो वो ह़लाल ही रहेगा उस पर एह़राम के अह़काम लागू नहीं होंगे।

बाब 109 : उसके बारे में जिसने अपने हाथ से (क़ुर्बानी के जानवरों को) क़लादे पहनाए

١٠٩- بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلاَئِدَ بِيَدِهِ

1700. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन अ़म्र बिन ह़ज़्म ने ख़बर दी, उन्हें अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि ज़ियाद बिन अबी सुफ़यान ने आइशा (रज़ि.) को लिखा कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया है कि जिसने हदी भेज दी उस पर वो तमाम चीज़ें ह़राम हो जाती हैं जो एक ह़ाजी पर ह़राम होती हैं यहाँ तक कि उसकी हदी की क़ुर्बानी कर दी जाए, अ़म्र ने कहा कि इस पर ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया है, मैंने नबी करीम (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों के क़लादे अपने हाथ से ख़ुद बटे हैं, फिर आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपने हाथों से उन जानवरों को क़लादे पहनाया और मेर

١٧٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ)). [راجع: ١٦٩٦]

वालिद मुहतरम (अबूबक्र रज़ि.) के साथ उन्हें भेज दिया लेकिन उसके बावजूद आप (ﷺ) ने किसी भी ऐसी चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं किया जो अल्लाह ने आप (ﷺ) के लिये हलाल की थी, और हदी की क़ुर्बानी भी कर दी गई। (राजेअ : 1696)

ये सन् 09 हिजरी का वाक़िया है उस साल रसूले करीम (ﷺ) ने अपने नाइब की हैषियत से हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को हज्ज के लिये भेजा था, आइन्दा साल हज्जतुल विदाअ किया गया। इस बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का फ़त्वा दुरुस्त न था, इसलिये हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने उसकी तरदीद कर दी। मा'लूम हुआ कि ग़ल्तियों का इम्कान बड़ी शख़्सियतों से भी हो सकता है मुम्किन है हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने इस ख़्याल से बाद में रुजूअ कर लिया हो। ये भी मा'लूम हुआ कि अम्रे हक़ जिसे भी मा'लूम हो ज़ाहिर कर देना चाहिये और इस बारे में किसी भी बड़ी शख़्सियत से मरऊब (प्रभावित) न होना चाहिये क्योंकि **अल्हक्क़ु य अ़लू वला युअ़ला** या'नी अम्रे हक़ हमेशा ग़ालिब रहता है उसे मग़्लूब नहीं किया जा सकता।

١١٠- بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

बाब 110 : बकरियों को हार पहनाने का बयान

(लेकिन बकरियों का इश्आर करना बिल् इत्तिफ़ाक़ जाइज़ नहीं)

तशरीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं **क़ाल इब्नुल मुन्ज़िर अन्कर मालिक व अस्हाबुर्राय तक्लीदहा ज़ाद ग़ैरुहू व कअन्नहुम लमयब्लुगहुमल हदीषु व लम नजिद लहुम हुज्जतन इल्ला क़ौलु बअ़ज़िहिम अन्नहा तज़अफ़ु अनित्तक़्लीदि व हिय हुज्जतुन ज़ईफ़तुन लिअन्नल मक्सूद मिनत्तक़्लीदि अल अ़लामतु व क़द इत्तफ़क़ू अन्नहा ला तशउरू लिअन्नहा तज़अफ़ु अन्हु फ़तुकल्लद बिमा ला युज़इफ़ुहा वल हनफ़िय्यतु फ़िल अस्लि यक़ूलून लैसतिल ग़नमु मिनल हदयि फ़ल हदीषु हुज्जतुन अ़लैहिम मिन जिहतिन उख़रा** (फ़त्हुल बारी) या'नी इब्ने मुंज़िर ने कहा कि इमाम मालिक और अस्हाबुर्राय ने बकरियों के लिये हार से इंकार किया है गोया कि उनको हदीषे नबवी पहुँची ही नहीं है और हमने उनके पास कोई दलील भी नहीं पाई सिवाए, इसके कि वो कहते हैं कि बकरी हार लटकाने से कमज़ोर हो जाएगी। ये बहुत ही कमज़ोर दलील है क्योंकि हार लटकाने से उसको निशानज़दा बराए क़ुर्बानी हज्ज करना मक़्सूद है, बकरी का मुतफ़क़्क़ा तौर पर इश्आर जाइज़ नहीं हैं। इसी से वो फ़िल्वाक़ेअ कमज़ोर हो सकती है और हार लटकाने से कमज़ोर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता और हन्फ़िया उसूलन कहते हैं कि बकरी हदी ही नहीं है पस ये हदीष उन पर दूसरे तरीक़ से भी हुज्जत है। कुछ ने कहा कि बकरी हदी इसलिये नहीं है कि नबी करीम (ﷺ) ने मक्का शरीफ़ को बकरी बतौरे हदी नहीं भेजी ये ख़्याल ग़लत है क्योंकि हदीषे बाब दलील है कि आप (ﷺ) ने हज्ज से पहले क़तई (यक़ीनी) तौर पर बकरी को बतौरे हदी भेजा था पस ये ख़्याल भी सहीह नहीं है।

ग़ालिबन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ऐसे ही हज़रात के ख़्याल की इस्लाह के लिये बाब तक़्लीदुल ग़नम मुनअ़क़िद फ़र्माया है जो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की इल्मी इस्लाही बसीरते कामिला की दलील है। अल्लाह पाक ऐसे इमामे हदीष को फ़िरदौस बरीं में बेहतरीन जज़ाएँ अ़ता करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फ़र्माए और जो लोग ऐसे इमाम की शान में गुस्ताख़ाना कलिमात मुँह से निकालते हैं अल्लाह पाक उनको नेक समझ अ़ता करे कि वो उस दरीदा दहनी से बाज़ आएँ या जो हज़रात उनकी शाने इज्तिहाद का इंकार करते हैं अल्लाह उनको तौफ़ीक़ दे कि वो अपने इस ग़लत ख़्याल पर नज़रे षानी कर सकें।

١٧٠١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

1701. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आइशा

(रज़ि.) ने बयान किया कि एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी के लिये (बैतुल्लाह) बकरियाँ भेजी थीं। (राजेअ़ : 1696)

اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا)). [راجع: ١٦٩٦]

गो इस ह़दीष़ में बकरियों के गले में हार लटकाने का ज़िक्र नहीं है जो बाब का मतलब है लेकिन आगे की ह़दीष़ में उसकी स़राह़त मौजूद है।

1702. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल वाह़िद ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि मैं नबी करीम (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों के लिये क़लादे बटा करती थी, आँह़ज़रत (ﷺ) ने बकरी को भी क़लादा पहनाया था और आप (ﷺ) ख़ुद अपने घर में इस ह़ाल में मुक़ीम थे कि आप (ﷺ) ह़लाल थे। (राजेअ़ : 1696)

١٧٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً)). [راجع: ١٦٩٦]

1703. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, उनसे ह़म्माद ने बयान किया, उनसे मन्स़ूर बिन मुअ़तमिर ने (दूसरी सनद) और हमसे मुह़म्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, उन्हें सुफ़यान ने ख़बर दी, उन्हें मन्स़ूर ने, उन्हें इब्राहीम ने, उन्हें अस्वद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं नबी करीम (ﷺ) की बकरियों के क़लादे ख़ुद बटा करती थी, आँह़ज़रत (ﷺ) उन्हें (बैतुल्लाह के लिये) भेज देते और ख़ुद ह़लाल ही होने की ह़ालत में अपने घर ठहरे रहते।

١٧٠٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً)). [راجع: ١٦٩٦]

1704. हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़करिया ने बयान किया, उनसे आ़मिर ने, उनसे मसरूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानी के लिये ख़ुद क़लादे बटे हैं। उनकी मुराद एह़राम से पहले के क़लादों से थी। (राजेअ़ : 1696)

١٧٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ - تَعْنِي الْقَلاَئِدَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ)). [راجع: ١٦٩٦]

तक़्लीद कहते हैं क़ुर्बानी के जानवरों के गलों में जूतियों वग़ैरह का हार बनाकर डालना, ये अ़रब के मुल्क में निशान था हदी का। ऐसे जानवर को अरब लोग न काटते थे न उससे मुतअ़र्रिज़ होते और इश्आ़र के मा'नी ख़ुद किताब में मज़्कूर हैं, या'नी ऊँट के कोहान दाहिनी त़रफ़ से ज़रा सा चीरा देना और ख़ून बहा देना ये भी सुन्नत है और जिसने इससे मना किया उसने ग़लती की।

बाब 111 : ऊन के हार बटना

١١١- بَابُ الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ

1705. हमसे अ़म्र बिन अ़ली ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे

١٧٠٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا

مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي)). [راجع: ١٦٩٦]

मुआ़ज़ बिन मुआ़ज़ ने बयान किया, उनसे इब्ने औ़न ने बयान किया, उनसे क़ासिम ने बयान किया, उनसे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे पास जो ऊन थी उसके हार मैंने क़ुर्बानी के जानवरों के लिये ख़ुद बटे थे। (राजेअ़ : 1696)

इससे भी षाबित हुआ कि क़ुर्बानी के जानवरों के गलों में ऊन की रस्सियों के हार डालना सुन्नत है और ये ऊँट, गाय बकरी सबके लिये है जो जानवर भी क़ुर्बानी किये जाते हैं।

١١٢- بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

बाब 112 : जूतों का हार डालना

١٧٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ١٦٨٩]

1706. हमसे मुह़म्मद ने बयान किया, कहा हमको अ़ब्दुल आला ने ख़बर दी, उन्हें मअ़मर ने, उन्हें यह्या बिन अबी कष़ीर ने, उन्हें इक्रिमा ने, उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि वो क़ुर्बानी का ऊँट लिये जा रहा है आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उस पर सवार हो जा, उसने कहा कि ये तो क़ुर्बानी का है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि सवार हो जा, अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि फिर मैं ने देखा कि वो उस पर सवार है और नबी करीम (ﷺ) के साथ चल रहा है और जूते (का हार) उस ऊँट की गर्दन में है। इस रिवायत की मुताबअ़त मुह़म्मद बिन बश्शार ने की है।

हमसे उ़ष्मान बिन उ़मर ने बयान किया, हमको अ़ली बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यह्या ने उन्हें इक्रिमा ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से (मिष़्ल साबिक़ ह़दीष़ के)।

इस ह़दीष़ में इशारा भी है कि एक जूती लटकाना काफ़ी है और रद्द है उसका जो कि कम से कम दो जूतियाँ लटकाना ज़रूरी कहता है और मुस्तह़ब यही है कि दो जूतियाँ डाले, (वह़ीदी) मगर एक भी काफ़ी हो जाती है। (राजेअ़ : 1689)

١١٣- بَابُ الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ

बाब 113 : क़ुर्बानी के जानवरों के लिये झोल का होना

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) स़िर्फ़ कोहान की जगह के झोल को फाड़ते और जब उसकी क़ुर्बानी करते तो इस डर से कि कहीं उसे ख़ून ख़राब न कर दे झोल को उतार देते और फिर उसको भी स़दक़ा कर देते।

1707. हमसे क़बीसा ने बयान किया, उन्हों ने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी नुजैह ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने और उनसे ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन क़ुर्बानी के जानवरों के झोल और उनके चमड़े को स़दक़ा करने का हुक्म दिया था जिनकी क़ुर्बानी मैंने कर दी थी।

(दीगर मक़ाम : 1716, 1717, 1718)

١٧٠٧- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا)).

[أطرافه في : ١٧١٦، ١٧١٧، ١٧١٨].

मा'लूम हुआ कि क़ुर्बानी के जानवरों की हर चीज़ यहाँ तक कि झोल तक भी स़दक़ा कर दी जाए और क़स़ाई को उनमें से उज्रत में कुछ न दिया जाए, उज्रत अलग देनी चाहिये।

बाब 114 : उस शख़्स के बारे में जिसने अपनी हदी रास्ते में ख़रीदी और उसे हार पहनाया

١١٤- بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

1708. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़म्रह ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) के अ़हदे ख़िलाफ़त में ह़ज्जतुल ह़रूरिया के साल ह़ज्ज का इरादा किया तो उनसे कहा गया कि लोगों में बाहम क़त्ल व ख़ून होने वाला है और हमको ख़तरा इसका है कि आपको (मुफ़्सिद लोग ह़ज्ज से) रोक दें, आपने जवाब में ये आयत सुनाई कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है। उस वक़्त मैं भी वही करूँगा जो आँह़ज़रत (ﷺ) ने किया था। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उ़म्रह वाजिब कर लिया है, फिर जब आप बीदा के बालाई इलाक़े तक पहुँचे तो फ़र्माया कि ह़ज्ज और उ़म्रह तो एक ही है मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि उ़म्रह के साथ मैंने ह़ज्ज को भी जमा कर लिया है, फिर आपने एक हदी भी साथ ले ली जिसे हार पहनाया गया था। आपने उसे ख़रीद लिया यहाँ तक कि आप मक्का आए तो बैतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा व मरवा की सई की, उससे ज़्यादा और कुछ न किया जो चीज़ें (एह़राम की वजह से उन पर) ह़राम थीं उनमें से किसी से क़ुर्बानी के दिन तक वो ह़लाल नहीं हुए, फिर सर मुँडवाया और क़ुर्बानी की वजह ये

١٧٠٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ، عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ، رَسُولُ اللهِ ﷺ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ : مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ

قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ)). [راجع: ١٦٣٩]

समझते थे कि अपना पहला त़वाफ़ करके उन्होंने ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों का त़वाफ़ पूरा कर लिया है फिर आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने भी इसी त़रह़ किया था। (राजेअ़ : 1639)

इस रिवायत में ह़ज्जतुल ह़रूरिया से मुराद उम्मत के त़ाग़ी ह़ज्जाज की ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) के ख़िलाफ़ फ़ौज कशी (आक्रमण) है। ये 73 हिज्री का वाक़िया है, ह़ज्जाज ख़ुद ख़ारजी नहीं था लेकिन खारजियों की तरह़ उसने भी दावा–ए–इस्लाम के बावजूद ह़रम और इस्लाम दोनों की हुर्मत पर चोट की थी। इसलिये रावी ने उसके इस ह़मले को भी खारजियों के ह़मले के साथ मुशाबिहत दी और उसको भी एक तरह़ से खारजियों ही का ह़मला तस़व्वुर किया कि उसने इमामे ह़क़ या'नी ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) के ख़िलाफ़ जंग की। ह़ज्जतुल ह़रूरिया ये कहने से हिज्व और ख़्वारिज के-से अ़मल की त़रफ़ इशारा मक़्सूद है। ख़ारजियों ने 64 हिज्री में ह़ज्ज किया था, एह़तेमाल (सम्भावना) है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने उन दोनों सालों में ह़ज्ज किया हो। बाब और ह़दीष़ में मुत़ाबक़त यूँ है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने रास्ते में क़ुर्बानी का जानवर खरीद लिया और उ़म्रह के साथ ह़ज्ज को भी जमा कर लिया और फ़र्माया कि अगर मुझको ह़ज्ज से रोक दिया गया तो आँह़ज़रत (ﷺ) को भी मुश्रिकों ने हुदैबिया के साल ह़ज्ज से रोक दिया था और आप (ﷺ) ने उसी जगह एह़राम खोलकर जानवरों को क़ुर्बान करा दिया था, मैं भी वैसा ही करूँगा। मगर ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के साथ ऐसा नहीं हुआ बल्कि आपने बर वक़्त जुम्ला अरकाने ह़ज्ज को अदा फ़र्माया।

١١٥- بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

बाब 115 : किसी आदमी का अपनी बीवियों की त़रफ़ से उनकी इजाज़त के बग़ैर गाय की क़ुर्बानी करना

١٧٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى : فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ)). [راجع: ٢٩٤]

1709. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें यह़्या बिन सईद ने, उनसे अ़म्र बिन्ते अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया कि मैंने आ़इशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बतलाया कि हम रसूले करीम (ﷺ) के साथ (ह़ज्ज के लिये) निकले तो ज़ीक़अ़दा में से पाँच दिन बाक़ी रहे थे हम स़िर्फ़ ह़ज्ज का इरादा लेकर निकले थे, जब हम मक्का के पास पहुँचे तो रसूले करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि जिन लोगों के साथ क़ुर्बानी न हो वो जब त़वाफ़ कर लें और स़फ़ा व मरवा की सई कर लें तो ह़लाल हो जाएँगे, ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा कि क़ुर्बानी के दिन हमारे घर गाए का गोश्त लाया गया तो मैंने कहा कि ये क्या है? (लाने वाले ने बतलाया) कि रसूले करीम (ﷺ) ने अपनी बीवियों की त़रफ़ से ये क़ुर्बानी की है, यह़्या ने कहा कि मैंने अ़म्र की ह़दीष़ क़ासिम से बयान की उन्होंने कहा अ़म्र ने ये ह़दीष़ ठीक ठीक बयान की है।

(राजेअ़ : 294)

तश्रीह : यहाँ ये ए'तिराज़ हुआ है कि बाब के तर्जुमा में तो गाय ज़िब्ह करना मज़्कूर है और ह़दीष़ में नह्र का लफ़्ज़ है तो ह़दीष़ बाब से मुत़ाबिक़ नहीं हुई। उसका जवाब ये है कि ह़दीष़ में नह्र से ज़िब्ह़ मुराद है; चुनाँचे इस ह़दीष़ के दूसरे त़रीक़ में जो आगे मज़्कूर होगा ज़िब्ह का लफ़्ज़ है और गाय का नह्र करना भी जाइज़ है मगर ज़िब्ह करना उ़लमा ने बेहतर समझा है और क़ुर्आन शरीफ़ में भी **अन् तज़्बह़ू बक़र** (अल् बक़र : 67) वारिद है (वह़ीदी)। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने अनेक रिवायात नक़ल की हैं जिनसे षाबित है रसूले करीम (ﷺ) ने ह़ज्जतुल विदाअ़ में अपनी तमाम अज़्वाजे मुत़ह्हरात की त़रफ़ से गाय की क़ुर्बानी फ़र्माई थी, गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं जैसा कि मुसल्लम है, ह़ज्ज के मौक़े पर तो ये हर मुसलमान कर सकता है मगर ईदुल अज़्हा पर यहाँ अपने यहाँ के मुल्की क़ानून (भारतीय क़ानून) के आधार पर बेहतर यही है कि सिर्फ़ बकरे या दुम्बे की क़ुर्बानी की जाए और गाय की क़ुर्बानी न की जाए जिससे यहाँ बहुत से मफ़ासिद (दंगों) का ख़त़रा है, **ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अ़हा** क़ुर्आनी उसूल है, ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **अम्मत्तअ़बीरु बिज़्ज़िब्हि मअ़ अन्न हदीष़िल्बाबि बिलफ़्ज़िन्नहरि फ़इशारतुन इला मा वरद फ़ी बअ़ज़ि तुरुक़िही बिज़्ज़िब्हि व सयाती बअ़द सब्अ़ति अब्वाब मिन तरीक़ि सुलैमानब्नि बिलालिन अ़न यह़्या इब्नि सअ़दिन नहरुल्बक़रि जाइज़ुन इन्दल उलमाइ इल्ला अन्नज़्ज़िब्ह मुस्तहब्बुन इन्दहुम लिक़ौलिही तआ़ला इन्नल्लाह यामुरुकुम अन्तज़्बह़ू बक़रतन व ख़ालफ़ल हसनुब्नु सालिहिन फ़स्तहब्ब नहरूहा व अम्मा क़ौलुहू मिन ग़ैरि अम्रिहिन्न फ़उख़िज़हू मिन इस्तिफ़्हामि आइशत अ़निल्लहमि लम्मा दुख़िल बिही अ़लैहा व लौ कान ज़ुबिहहू बिइल्मिहा लम तहतज्ज इलल इस्तिफ़्हामि लाकिन लैस ज़ालिक दाफ़िअ़न लिल इहतिमालि फ़यजूज़ु अंय्यकून इल्मुहा बिज़ालिक तक़द्दुमुन बिअंय्यकून इस्ताज़नुहुन्न फ़ी ज़ालिक लाकिन्न लम्मा उदख़िल्लहम अ़लैहा इहतमल सनदुहा अंय्यकून ग़ैर ज़ालिक फ़स्तफ़्हमत अ़न्हु लिज़ालिक 85** (फ़त्ह़) या'नी ह़दीष़ुल बाब में लफ़्ज़े नह्र को ज़िब्ह से ता'बीर करना ह़दीष़ के कुछ दीगर त़रीक़ की त़रफ़ से इशारा करना है जिसमें बजाए नह्र के लफ़्ज़ ज़िब्ह ही वारिद हुआ है जैसा कि अ़न्क़रीब वो ह़दीष़ आएगी। गाय का नह्र करना भी उ़लमा के नज़दीक जाइज़ है मगर मुस्तह़ब ज़िब्ह करना है क्योंकि बमुत़ाबिक़ आयते क़ुर्आनी (बेशक अल्लाह तुम्हें गाय के ज़िब्ह करने का हुक्म देता है) यहाँ लफ़्ज़ ज़िब्ह के लिये इस्तेमाल हुआ है, ह़सन बिन स़ालेह़ ने नह्र को मुस्तह़ब क़रार दिया है और बाब में लफ़्ज़ **मिन ग़ैरि अम्रिहिन्न** ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के इस्तिफ़्हाम से लिया गया है कि जब वो गोश्त आया तो उन्हों ने पूछा कि ये कैसा गोश्त है अगर उनके इल्म से ज़िब्ह होता तो इस्तिफ़्हाम की ह़ाजत न होती, लेकिन इस तौजीह से एह़तिमाल दफ़ा नहीं होता, पस मुम्किन है कि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) को पहले ही उसका इल्म हो जबकि उनसे इजाज़त लेकर ही ये क़ुर्बानी उनकी त़रफ़ से की गई होगी। उस वक़्त ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) को ख़्याल हुआ कि ये वही इजाज़त वाली क़ुर्बानी का गोश्त है या उसके सिवा और कोई है इसीलिये उन्होंने पूछा, इस तौजीह से ये ए'तिराज़ भी दफ़ा हो गया कि जब बग़ैर इजाज़त के क़ुर्बानी जाइज़ नहीं जिनकी त़रफ़ से की जा रही है तो ये क़ुर्बानी अज़्वाजुन्नबी (ﷺ) की त़रफ़ से क्यों कर जाइज़ होगी। पस उनकी इजाज़त ही से की गई मगर गोश्त आते वक़्त उन्होंने तह़्क़ीक़ के लिये पूछा।

बाब 116 : मिना में नबी करीम (ﷺ) ने जहाँ नह्र किया वहाँ नह्र करना

١١٦- بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى

तश्रीह : आँह़ज़रत (ﷺ) का नह्र मक़ाम मिना में जम्र-ए-उ़क़्बा के नज़दीक क़रीब मस्जिद ख़ैफ़ के पास था, हर चन्द सारे मिना में कहीं भी नह्र करना दुरुस्त है मगर ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को इत्तिबाए सुन्नत मे बड़ा तशद्दुद था वो ढूँढकर उन्ही मक़ामात में नमाज़ पढ़ा करते थे जहाँ आँह़ज़रत (ﷺ) ने पढ़ी थी और उसी मक़ाम में नह्र करते जहाँ आँह़ज़रत (ﷺ) ने नह्र किया था। (वह़ीदी)

1710. हमसे इस्ह़ाक़ बिन इब्राहीम बिन राहवै ने बयान किया, उन्होंने ख़ालिद बिन ह़ारिष से सुना, कहा हमसे उ़बैदुल्लाह इब्ने उ़मर ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने कि अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) नह्र

١٧١٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ

करने की जगह नह्र करते थे। उ़बैदुल्लाह ने बताया कि मुराद नबी करीम (ﷺ) के नह्र करने की जगह से थी।

يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)). [راجع: ٩٨٢]

1711. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन इयाज़ ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) अपनी क़ुर्बानी के जानवर को मुज़दलिफ़ा से आख़िर रात में मिना भिजवा देते, ये क़ुर्बानियाँ जिनमें ह़ाजी लोग नीज़ ग़ुलाम और आज़ाद दोनों त़रह़ के लोग होते, उस मक़ाम में ले जाते जहाँ आँह़ज़रत (ﷺ) नह्र किया करते थे। (राजेअ़ : 982)

١٧١١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيْهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ)). [راجع: ٩٨٢]

इसका मत़लब ये है कि क़ुर्बानियाँ ले जाने के लिये कुछ आज़ाद लोगों की तख़्सीस़ न थी बल्कि ग़ुलाम भी ले जाते।

बाब 117 : अपने हाथ से नह्र करना

١١٧- بَابُ مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

1712. हमसे सहल बिन बक्कार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे अबू क़लाबा ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने और उन्होंने मुख़्तस़र ह़दीष़ बयान की और ये भी बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने सात ऊँट खड़े करके अपने हाथ से नह्र किये और मदीना में दो चितकबरे सींगदार मेंढ़ों की क़ुर्बानी की। (राजेअ़ : 1089)

١٧١٢- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ - وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - قَالَ : ((وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، مُخْتَصَرًا)). [راجع: ١٠٨٩]

मक़्स़दे बाब ये कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ुद अपने हाथ से ऊँटों को नह्र किया इससे बाब का तर्जुमा ष़ाबित हुआ।

बाब 118 : ऊँट को बाँधकर नह्र करना

١١٨- بَابُ نَحْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً

1713. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे ज़ियाद बिन जुबैर ने कि मैंने देखा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) एक शख़्स़ के पास आए जो अपना ऊँट बिठाकर नह्र कर रहा था, अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि उसे खड़ा करके और बाँध दे, फिर नह्र कर कि यही रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है। शुअ़बा ने यूनुस से बयान किया कि मुझे ज़ियाद ने ख़बर दी।

١٧١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ)). وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

मा'लूम हुआ कि ऊँट को खड़ा करके नह्र करना ही अफ़ज़ल है और ह़न्फ़िया ने खड़ा और बैठा दोनों त़रह़ नह्र करना बराबर

रखा है और इस ह़दीष़ से उनका रद्द होता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) उस शख़्स़ पर इंकार न करते उस शख़्स़ का नाम मा'लूम नहीं हुआ (वह़ीदी)। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं, **व फ़ीहि अन्न क़ौलस्स़ह़ाबी मिनस्सुन्नति कजा मर्फ़ूउ़न इन्दश्शैख़ैनि लिइहतिजाजिहिमा बिहाज़ल ह़दीष़ि फ़ी स़ह़ीह़ैन** (फ़त्ह़) या'नी इस ह़दीष़ से ये भी ष़ाबित हुआ कि किसी स़ह़ाबी का किसी काम के लिये ये कहना कि ये सुन्नत है ये शैख़ैन के नज़दीक मर्फ़ूअ़ ह़दीष़ के हुक्म में है इसलिये कि शैख़ैन ने उससे हुज्जत पकड़ी है अपनी स़ह़ीह़तरीन किताबों बुख़ारी व मुस्लिम में।

बाब 119 : ऊँटों को खड़ा करके नह़्र करना

और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) की यही सुन्नत है इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि (सूरह ह़ज्ज में) जो आया है फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अ़लैहा स़वाफ़्फ़ के मा'नी यही हैं कि वो खड़े हों सफ़ें बाँधकर।

1714. हमसे सहल बिन बक्कार ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे अबू क़िलाबा ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ मदीना में चार रकअ़त पढ़ी और अ़स्र की ज़ुलहुलैफ़ा में दो रकआ़त। रात आप (ﷺ) ने वहीं गुज़ारी, फिर जब सुबह़ हुई तो आप (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर सवार होकर तहलील व तस्बीह़ करने लगे। जब बैदा पहुँचे तो आप (ﷺ) ने दोनों (ह़ज्ज और उ़म्रह) के लिये एक साथ तल्बिया कहा जब मक्का पहुँचे (और उ़म्रह अदा कर लिया) तो स़ह़ाबा (रज़ि.) को हुक्म दिया कि हलाल हो जाएँ। आँह़ुज़ूर (ﷺ) ने ख़ुद अपने हाथ से सात ऊँट खड़े करके नह़्र किये और मदीना में दो चितकबरे सींगों वाले मेंढ़े ज़िब्ह किये। (राजेअ़ : 1089)

١١٩ - بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ﴿ صَوَافَّ ﴾ قِيَامًا.

١٧١٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيْعًا. فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ)).

[راجع: ١٠٨٩]

यही ह़दीष़ मुख़्तस़रन अभी पहले गुज़र चुकी है ह़दीष़ और बाब में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है।

1715. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन अ़लिय्या ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ मदीना में चार रकअ़त और अ़स्र की ज़ुल हुलैफ़ह में दो रकअ़त पढ़ी थीं। अय्यूब ने एक शख़्स़ के वास्ते से बरिवायत अनस (रज़ि.) कहा फिर आप (ﷺ) ने वहीं रात गुज़ारी। सुबह़ हुई तो फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी और अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए, फिर जब मक़ामे बैदा पहुँचे तो उ़म्रह और ह़ज्ज दोनों का नाम लेकर लब्बैक पुकारा।

١٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)). وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

(राजेअ़ : 1089)

وَحَجَّةٍ)) [راجع:١٠٨٩]

अय्यूब की रिवायत में रावी मज्हूल है अगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुताबअ़त के त़ौर पर इस सनद को ज़िक्र किया तो उसके मज्हूल होने में क़बाहृत नहीं कुछ ने कहा कि ये शख़्स अबू क़िलाबा हैं। (वह़ीदी)

बाब 120 : क़स्साब को बत़ौरे मज़दूरी उस क़ुर्बानी के जानवर में से कुछ न दिया जाए

١٢٠– بَابُ لاَ يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

1716. हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा हमको सुफ़यान ष़ौरी ने ख़बर दी, कहा मुझको इब्ने अबी नजीह ने ख़बर दी, उन्हें मुजाहिद ने, उन्हें अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने और उनसे ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे (क़ुर्बानी के ऊँटों की देखभाल के लिये) भेजा। इसलिये मैंने उनकी देखभाल की, फिर आप (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने उनके गोश्त तक़्सीम किये, फिर आप (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने उनके झोल और चमड़े भी तक़्सीम कर दिये। सुफ़यान ने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल करीम ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने और उनसे अ़ली (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझे नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि मैं क़ुर्बानी के ऊँटों की देखभाल करूँ और उनमें से कोई चीज़ क़साई की मज़दूरी में न दूँ।

(राजेअ़ : 1707)

١٧١٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا)). قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا)).

[راجع:١٧٠٧]

जैसे कुछ लोगों की आ़दत होती है कि क़साई की उज्रत में खाल या ओझड़ी या सिरी पाए ह़वाले कर देते हैं बल्कि उज्रत अपने पास से देनी चाहिये अल्बत्ता अगर क़स्साब को लिल्लाह कोई चीज़ क़ुर्बानी में दें तो उसमें कोई क़बाहृत नहीं (वह़ीदी)। स़ह़ीह़ मुस्लिम में ह़दीष़े जाबिर में है कि उस दिन रसूले करीम (ﷺ) ने 63 ऊँट नह्र फ़र्माए फिर बाक़ी पर ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को मामूर फ़र्मा दिया था।

बाब 121 : क़ुर्बानी की खाल ख़ैरात कर दी जाएगी

١٢١– بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

1717. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, कहा कि मुझे हसन बिन मुस्लिम और अ़ब्दुल करीम जुज़्ई ने ख़बर दी कि मुजाहिद ने उन दोनों को ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने ख़बर दी, उन्हें अ़ली (रज़ि.) ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया था कि आप (ﷺ) की क़ुर्बानी के

١٧١٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ:

ऊँटों की निगरानी करें और ये कि आप (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों की हर चीज़ गोश्त चमड़े और झोल ख़ैरात कर दें और क़स़ाई की मज़दूर उसमें में से न दें।
(राजेअ़ : 1707)

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا)).
[راجع: ١٧٠٧]

ये वो ऊँट थे जो आँहज़रत (ﷺ) हज्जतुल विदाअ़ में क़ुर्बानी के लिये ले गए थे, दूसरी रिवायत में है कि ये सौ ऊँट थे उनमें से 63 ऊँटों को तो आँहज़रत (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से नह्र किया, बाक़ी ऊँटों को आप (ﷺ) के हुक्म से हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने नह्र कर दिया। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **शुम्म आता अलिय्यिन फ़नहर व अशरकहू फ़ी हदयिही षुम्म अमर मिन कुल्लि बदनतिन बीज़अतन जुइलत फ़ी क़िदरिन फ़तुबिख़त फ़अकला मिन लहमिहा व शरिबा मिम्मर्क़िहा** या'नी आप (ﷺ) ने बक़ाया ऊँट हज़रत अ़ली (रज़ि.) के हवाले कर दिये और उन्होंने उनको नह्र किया और आप (ﷺ) ने उनको अपनी हदी में शरीक किया फिर हर हर ऊँट से एक-एक बोटी लेकर हाँडी में उसे पकाया गया; पस आप दोनों ने वो गोश्त खाया और शोरबा पिया। ये कुल सौ ऊँट थे जिनमें से आँहज़रत (ﷺ) 63 ऊँट नह्र फ़र्माये बाक़ी हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने नह्र किये। **क़ालल्बग़वी फ़ी शर्हिस्सुन्नति व अम्मा इज़ा आता उज्रतहू कामिलतन षुम्म तस़द्दक़ अ़लैहि इज़ा कान फ़क़ीरन कमा तुस़द्दिक़ अ़लल फ़ुक़राइ फ़ला बास बिज़ालिक** (फ़तह) या'नी इमाम बग़वी ने शर्हुस्सुन्ना में कहा कि क़स़ाई को पूरी उज्रत देने के बाद अगर वो फ़क़ीर है जो बतौरे स़दक़ा क़ुर्बानी का गोश्त दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। **व क़द इत्तफ़क़ू अ़ला अन्न लहमहा ला युबाउ फ़लिज़ालिकल जुलूदि वल्जलाल व अजाजहुल औज़ाई व अहमद व इस्हाक़ व अबू षौर** (फ़तह) या'नी इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि क़ुर्बानी का गोश्त बेचा नहीं जा सकता उसके चमड़े और झोल का भी यही हुक्म है मगर उन चीज़ों को इमाम औज़ाई और अहमद व इस्हाक़ और अबू षौर ने जाइज़ कहा है चमड़ा और झोल बेचकर क़ुर्बानी के मुस्तहिक़ीन में ख़र्च कर दिया जाए।

बाब 122 : क़ुर्बानी के जानवरों के झोल भी स़दक़ा कर दिये जाएँ

١٢٢ - بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ

1718. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उनसे सैफ़ बिन अबी सुलैमान ने बयान किया, कहा मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने अबी लैला ने बयान किया और उनसे अ़ली (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने (हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर) सौ ऊँट क़ुर्बान किये, मैंने आप (ﷺ) के हुक्म के मुताबिक़ उनके गोश्त बांट दिये, फिर आप (ﷺ) ने उनके झोल भी तक़्सीम करने का हुक्म दिया और मैंने उन्हें भी तक़्सीम किया, फिर चमड़े के लिये हुक्म दिया और मैंने उन्हें भी बांट दिया।
(राजेअ़ : 1707)

١٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا)). [راجع: ١٧٠٧]

क़ुर्बानी के जानवर का चमड़ा, उसका झोल सब ग़ुरबा व मसाकीन में अल्लाह की रज़ा के लिये तक़्सीम कर दिया जाए या उनको फ़रोख़्त करके मुस्तहिक़ीन को उनकी क़ीमत दे दी जाए, चमड़े का ख़ुद अपने इस्तेमाल में मुस़ल्ला या ढोल वग़ैरह बनाने के लिये लाना भी जाइज़ है। आजकल मदारिसे इस्लामिया के ग़रीब त़ल्बा भी उस मद से इम्दाद किये जाने के मुस्तहिक़ हैं जो अपना वत़न और मुता'ल्लिक़ीन को छोड़कर दूर-दराज़ मदारिसे इस्लामिया में ख़ालिस़ दीनी ता'लीम ह़ासिल करने के लिये

सफ़र करते हैं और जिनमें अकषरियत ग़रीबों की होती है, ऐसे मद से उनकी इमदाद बहुत बड़ा कारे षवाब है।

बाब 123 : (सूरह हज्ज) में

١٢٣- بَابٌ

अल्लाह तआला ने फ़र्माया और जब मैंने बतला दिया इब्राहीम को ठिकाना इस घर का और कह दिया कि शरीक न कर मेरे साथ किसी को, और पाक रख मेरा घर तवाफ़ करने वालों और खड़े रहने वालों, और रुकूअ व सज्दा करने वालों के लिये और पुकार लोगों में हज्ज के वास्ते कि आएँ तेरी तरफ़ पैदल और सवार होकर, दुबले–पतले ऊँटों पर, चले आते राहों दूर–दराज़ से कि पहुँचे अपने फ़ायदों की जगह पर और याद करें अल्लाह का नाम कई दिनों में जो मुक़र्रर हैं, चौपाये जानवरों पर जो उसने दिये हैं, सो उनको खाओ और खिलाओ बुरे हाल फ़क़ीर को, फिर चाहिये कि दूर करें अपना मैल–कुचैल और पूरी करें अपनी नज्रें और तवाफ़ करें उस क़दीम घर (का'बा) का, ये सुन चुके और जो कोई अल्लाह की इज़्ज़त दी हुई चीज़ों की इज़्ज़त करे तो उसको अपने मालिक के पास भलाई पहुँचेगी। (अल हज्ज : 30-36)

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج : ٢٦-٣٠].

तश्रीह : इस बाब में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने सिर्फ़ आयते कुर्आनी पर इख़्तिसार किया और कोई हदीष बयान नहीं की, शायद उनकी शर्त पर इस बाब के मुनासिब कोई हदीष उनको न मिली हो या मिली हो और का'बा का इत्तिफ़ाक़ न हुआ हो, कुछ नुस्ख़ों मे उसके बाद का बाब मज़्कूर नहीं बल्कि यूँ इबारत है **व मा याकुलु मिनल्बुदनि व मा यतसद्दक बिही** के साथ इस सूरत में आगे जो हदीषें बयान की हैं वो उसी बाब से मुता'ल्लिक़ होंगी। गोया पहली आयते कुर्आनी से षाबित किया कि कुर्बानी के गोश्त में से ख़ुद भी खाना दुरुस्त है, फिर हदीषों से भी षाबित किया (वहीदी)। मक़्सूदे बाब आयत का टुकड़ा **फ़कुलू मिन्हा वअत्इमुल बाइसल् फ़क़ीर** (अल्हज्ज : 28) है या'नी कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ और ग़रीब व मसाकीन को खिलाओ।

बाब 124 : कुर्बानी के जानवरों में से क्या खाएँ और क्या ख़ैरात करें

١٢٤- بَابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَ مَا يَتَصَدَّقُ

और उबैदुल्लाह ने कहा कि मुझे नाफ़ेअ ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि एहराम में कोई शिकार करे और उसका बदला देना पड़े तो बदला के जानवर और नज्र के जानवर से ख़ुद कुछ न खाए और बाक़ी सब में से खा ले और अता ने कहा तमत्तोअ की कुर्बानी में से खाए और खिलाए।

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ : يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.

1719. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या क़त्तान ने,

١٧١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ

उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे अ़ता ने, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि हम अपनी क़ुर्बानी का गोश्त मिना के बाद तीन दिन से ज़्यादा नहीं खाते थे, फिर आँहज़रत (ﷺ) ने हमें इजाज़त दे दी और फ़र्माया कि खाओ भी और तौशा के तौर पर साथ भी ले जाओ चुनाँचे हमने खाया और साथ भी लाए। इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने अ़ता से पूछा क्या जाबिर ने ये भी कहा था कि यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गये, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं फ़र्माया। (दीगर मक़ाम : 2980, 5424, 5567)

ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)) فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ : لاَ.

[أطرافه في : ٢٩٨٠، ٥٤٢٤، ٥٥٦٧].

तश्रीह : या'नी जाबिर (रज़ि.) ने ये नहीं कहा कि हमने मदीना पहुँचने तक उस गोश्त को तौशा के तौर पर रखा, लेकिन मुस्लिम की रिवायत में यूँ है कि अ़ता ने नहीं के बदले यहाँ कहा, शायद अ़ता भूल गए हों पहले नहीं कहा हो फिर याद आया तो हाँ कहने लगे। इस हदीष़ से वो हदीष़ मन्सूख़ है जिसमें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त रखने से मना फ़र्माया गया है। (वहीदी)

1720. हमसे ख़ालिद बिन मुख़लद ने बयान किया, उनसे सुलैमान बिन हिलाल ने बयान किया, कहा मुझसे यह्या बिन सईद अंसारी ने बयान किया, कहा मुझसे अ़म्र ने बयान किया, कहा मैंने आइशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि हम मदीना से रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो ज़ीक़अ़दा के पाँच दिन बाक़ी रह गए थे, हमारा इरादा सिर्फ़ हज्ज ही का था, फिर जब मक्का के क़रीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिनके साथ हदी न हो वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करके हलाल हो जाएँ। आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर हमारे पास बक़र ईद के दिन गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने पूछा कि ये क्या है? उस वक़्त मा'लूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से क़ुर्बानी की है। यह्या बिन सईद ने कहा कि मैंने इस हदीष़ का क़ासिम बिन मुहम्मद से ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि उम्रह ने तुमसे ठीक–ठीक हदीष़ बयान कर दी है। (दोनों अहादीष़ से मक़्सदे बाब ज़ाहिर है) कि क़ुर्बानी का गोश्त खाने और बतौरे तौशा रखने की आ़म इजाज़त है, ख़ुद क़ुर्आन मजीद में फकुलू मिन्हा का सैग़ा मौजूद है कि उसे ग़ुरबा मसाकीन को भी तक़्सीम करो और ख़ुद भी खाओ। (राजेअ़ : 294)

١٧٢٠- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقِيْلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ)). قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ : أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ. [راجع: ٢٩٤]

बाब 125 : सर मुँडाने से पहले ज़िब्ह करना

١٢٥- بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

1721. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान किया,

١٧٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

حَوشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا مَنصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

उनसे हुशैम बिन बशीर ने बयान किया, उन्हें मन्सूर बिन ज़ाज़ान ने ख़बर दी, उन्हें अ़ता बिन अबी रिबाह़ ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा जो क़ुर्बानी का जानवर ज़िब्ह़ करने से पहले ही सर मुँडवा ले, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कोई क़बाहत नहीं, कोई क़बाहत नहीं। (तर्जुमा और बाब में मुवाफ़क़त ज़ाहिर है) (राजेअ़: 84)

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخبَرَنَا أَبُوبَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ((قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَفَّانُ: أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1722. हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमको अबूबक्र बिन अ़याश ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन रफ़ीअ़ ने, उन्हें अ़ता बिन अबी रिबाह़ ने और उन्हें इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि एक आदमी ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि हुज़ूर! क़ुर्बानी करने से पहले सर मुँडवा लिया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कोई ह़र्ज नहीं, फिर उसने कहा और क़ुर्बानी को रमी से पहले कर लिया आँह़ज़रत (ﷺ) ने फिर भी यही फ़र्माया कि कोई ह़र्ज नहीं और अ़ब्दुर्रह़ीम राज़ी ने इब्ने ख़ुषैम से बयान किया, कहा कि अ़ता ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से और क़ासिम बिन यह़्या ने कहा कि मुझसे इब्ने ख़ुषैम ने बयान किया, उनसे अ़ता ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से। अ़फ़्फ़ान बिन मुस्लिम स़िग़ार ने कहा कि मेरा ख़्याल है कि वुहैब बिन ख़ालिद से रिवायत है कि इब्ने ख़ुषैम ने बयान किया, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से। और ह़म्माद ने क़ैस बिन सअ़द और अ़ब्बाद बिन मन्सूर से बयान किया, उनसे अ़ता ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया।

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ : ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

1723. हमसे मुह़म्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल आ़ला ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) से एक आदमी ने मसला पूछा कि शाम होने के बाद मैंने रमी की है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई ह़र्ज नहीं। साइल ने कहा कि क़ुर्बानी करने से पहले मैंने सर मुँडा

लिया, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कोई हर्ज नहीं। (राजेअ : 84)

أَنْحَرَ. قَالَ : ((لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

तशरीह : कस्तलानी ने कहा रमी करने का अफ़ज़ल वक़्त ज़वाल तक है और ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले तक भी उम्दा है और उसके बाद भी जाइज़ है और हलक़ और क़स्र और तवाफ़े ज़ियारत का वक़्त मुतअय्यन नहीं, लेकिन यौमुन्नहर से उनकी ताख़ीर करना मकरूह है और अय्यामे तशरीक़ से ताख़ीर करना सख़्त मकरूह है। ग़र्ज़ यौमुन्नहर के दिन हाजी को चार काम करने होते हैं रमी और क़ुर्बानी और हलक़ या क़स्र इन चारों में तर्तीब सुन्नत है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं अगर कोई काम दूसरे से आगे–पीछे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं जैसे कि इन हदीषों से निकलता है। इमाम मालिक और शाफ़िई और इस्हाक़ और हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल सबका यही क़ौल है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि उस पर दम लाज़िम आएगा और अगर क़ारिन है तो दो दम लाज़िम आएँगे (वहीदी)। जब शारेअ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ऐसी हालतों में **ला हरज** फ़र्मा दिया तो ऐसे मवाक़ेअ पर एक या दो दम लाज़िम करना सहीह नहीं है आजकल मुअल्लिमीन हाजियों को उन बहानों से जिस क़दर परेशान करते हैं और उनसे रुपया ऐंठते हैं ये सब हरकतें सख़्त नापसन्दीदा हैं। फ़िल् वाक़ेअ कोई शरई कोताही क़ाबिले दम हो तो वो अपनी जगह पर ठीक है मगर ख़्वाह मख़्वाह ऐसी चीज़ें अज़्ख़ुद पैदा करना बहुत ही मअयूब है।

इस हदीष से मुफ़्तियाने इस्लाम को भी सबक़ मिलता है जहाँ तक मुम्किन हो फ़त्वा पूछा करने वालों के लिये किताबो–सुन्नत की रोशनी में आसानी व नर्मी का पहलू इख़्तियार करें मगर हुदूदे शरइया में कोई भी नर्मी न होनी चाहिये।

1724. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप उष्मान ने ख़बर दी, उन्हें शुअबा ने, उन्हें क़ैस बिन मुस्लिम ने, उन्हें तारिक़ बिन शिहाब ने और उनसे अबू मूसा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में जब हाज़िर हुआ तो आप बत्हा में थे। (जो कि मक्का के क़रीब एक जगह है) आप (ﷺ) ने पूछा क्या तूने हज्ज की निय्यत की है? मैंने कहा कि हाँ, आप (ﷺ) ने पूछा कि तूने एहराम किस चीज़ का बाँधा है? मैंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) के एहराम की तरह एहराम बाँधा है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तूने अच्छा किया अब जा। चुनाँचे (मक्का पहुँचकर) मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई की, फिर मैं बनू क़ैस की एक ख़ातून के पास आया और उन्होंने मेरे सर की जूएँ निकाली। उसके बाद मैं ने हज्ज की लब्बैक पुकारी। उसके बाद मैं उमर (रज़ि.) के अहदे ख़िलाफ़त तक उसी का फ़त्वा देता रहा फिर जब मैं ने उमर (रज़ि.) से इसका ज़िक्र किया तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमें किताबुल्लाह पर भी अमल करना चाहिये और उसमें पूरा करने का हुक्म है, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत पर भी अमल करना चाहिये और आँहज़रत (ﷺ) क़ुर्बानी से पहले हलाल नहीं हुए थे। (राजेअ : 1559)

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : ((أَحَجَجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ : لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَذَكَرْتُهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)).

[راجع: ١٥٥٩]

तश्रीह : हुआ ये कि अबू मूसा (रज़ि.) के साथ क़ुर्बानी न थी। जिन लोगों के साथ क़ुर्बानी न थी गो उन्होंने मीक़ात से हज्ज की निय्यत की थी मगर आँहज़रत (ﷺ) ने हज्ज को फ़स्ख़ करके उनको उम्रह करके एहराम खोलने का हुक्म दिया और फ़र्माया अगर मेरे साथ में हदी न होती तो मैं भी ऐसा ही करता, अबू मूसा (रज़ि.) उसी के मुताबिक़ फ़त्वा देते रहे कि तमत्तोअ़ करना दुरुस्त है और हज्ज को फ़स्ख़ करके उम्रह बना देना दुरुस्त है, यहाँ तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) का ज़माना आया तो उन्होंने तमत्तोअ़ से मना किया (वहीदी)। इस रिवायत से बाब का मतलब यूँ निकला कि जब आँहज़रत (ﷺ) ने उस वक़्त तक एहराम नहीं खोला जब तक क़ुर्बानी अपने ठिकाने नहीं पहुँच गई या'नी मिना में ज़िब्ह या नह्र नहीं की गई तो मा'लूम हुआ कि क़ुर्बानी हलक़ पर मुक़द्दम है और बाब का यही मतलब था। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अल्लाह की किताब से ये आयत मुराद ली, **वअतिम्मुल हज्ज वल् उम्रत लिल्लाहि** (सूरह : बक़र 196) और इस आयत से इस्तिदलाल करके उन्होंने हज्ज को फ़स्ख़ करके उम्रह बना देना और एहराम खोल डालना जाइज़ समझा हालाँकि हज्ज को फ़स्ख़ करके उम्रह करना आयत के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि उसके बाद हज्ज का एहराम बाँधकर उसको पूरा करते हैं और हदी से भी इस्तिदलाल सहीह नहीं इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) हदी साथ लाए थे और जो शख़्स हदी साथ लाए उसको बेशक एहराम खोलना उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं जब तक ज़िब्ह न हो ले लेकिन कलाम उस शख़्स में है जिसके साथ हदी न हो (वहीदी)। **मुताबक़तुहू लित्तर्जुमति मिन क़ौलि उमर फ़ीहि लम यहिल्ल हत्ता बलग़ल्हदयु महिल्लहू लिअन्न बुलूग़ल्हदयि महिल्लहू यदुल्लु अला ज़ब्हिल्हदयि फ़लौ तक़द्दमल्हल्क़ु अ़ लैहि लसार मुतहल्ललन क़ब्ल बुलूग़िल्हदयि महिल्लहू व हाज़ा हुवल्अस्लु व हुव तकदीमुज़्ज़िब्हि अलल्हल्क़ि व अम्मा ताख़ीरुहू फ़हुव रुख़्सतुन** (फ़तह)

बाब 127 : उसके बारे में जिसने एहराम के वक़्त सर के बालों को जमा लिया और एहराम खोलते वक़्त सर मुँडा लिया

١٢٧- بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

या'नी गोंद वग़ैरह से ताकि गर्दो—ग़ुबार से महफ़ूज रह सके इसको अरबी ज़ुबान में तल्बीद कह सकते हैं।

1725. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि हफ़्सा (रज़ि.) ने अ़र्ज की या रसूलल्लाह(ﷺ)! क्या वजह हुई कि और लोग तो उम्रह करके हलाल हो गए और आप (ﷺ) ने उम्रह कर लिया और हलाल नहीं हुए? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने अपने सर के बाल जमा लिये थे और क़ुर्बानी के गले में क़लादा पहनाकर मैं (अपने साथ) लाया हूँ, इसलिये जब तक मैं नह्र न कर लूँगा मैं एहराम नहीं खोलूँगा। (राजेअ़ : 1566)

١٧٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : ((يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟)) قَالَ: ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)). [راجع: ١٥٦٦]

बाब 128 : एहराम खोलते वक़्त बाल मुँडाना या तरशवाना

١٢٨- بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلاَلِ

1726. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब बिन अबी हम्ज़ह ने ख़बर दी, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर अपना सर मुँडाया था।

١٧٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ)).

(दीगर मक़ाम : 4410, 4411)

[طرفاه في : ٤٤١٠، ٤٤١١].

मा'लूम हुआ कि सर मुँडवाना या बाल तरशवाना भी हज्ज का एक अहम रुक्न है।

1727. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ़ की ऐ अल्लाह! सर मुँडाने वालों पर रहम फ़र्मा! सहाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज किया और कतराने वालों पर? आँहज़रत (ﷺ) ने अब भी दुआ़ की ऐ अल्लाह! सर मुँडाने वालों पर रहम फ़र्मा! सहाबा (रज़ि.) ने फिर कहा और कतराने वालों पर? अब आप (ﷺ) ने फ़र्माया और कतराने वालों पर भी, लैष़ ने कहा कि मुझसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह ने सर मुँडाने वालों पर रहम किया एक या दो बार, उन्होंने बयान किया कि उ़बैदुल्लाह ने कहा मुझसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि चौथी बार आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि कतरवाने वालों पर भी।

١٧٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ)). وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ: ((رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). قَالَ : وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ:((وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ:((وَالْمُقَصِّرِيْنَ)).

तश्रीह : या'नी लैष़ को इसमें शक है कि आप (ﷺ) ने सर मुँडाने वालों के लिये एक बार दुआ़ की या दो बार, और अकष़र रावियों का इत्तिफ़ाक़ इमाम मालिक की रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने सर मुँडाने वालों के लिये दो बार दुआ़ की और तीसरी बार कतरवाने वालों को भी शरीक कर लिया। उ़बैदुल्लाह की रिवायत में है कि कतरवाने वालों को चौथी बार में शरीक किया। बहरहाल हदीष़ से ये निकला कि सर मुँडाना बाल कतरवाने से अफ़ज़ल है, इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि सारा सर मुँडाए और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक चौथाई सर मुँडाना काफ़ी है। और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक तीन बाल मुँडाना काफ़ी हैं कुछ शाफ़िइया ने एक बाल मुँडाना भी काफ़ी समझा है और औरतों को बाल कतराना चाहिये उनको सर मुँडाना मना है (वहीदी)। सर मुँडाने या बाल कतरवाने का वाक़िया हज्जतुल विदाअ़ से मुता'ल्लिक़ है और हुदेबिया से भी जबकि मक्का वालों ने आप (ﷺ) को उ़म्रह से रोक दिया था, आप (ﷺ) ने मैदाने हुदैबिया ही में हलक़ और कुर्बानी की अब भी जो लोग रास्ते में हज्ज उ़म्रह से रोक दिये जाते हैं उनके लिये यही हुक्म है।

हाफ़िज़ अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व अम्मस्सबबु फ़ी तक़रीरिदुआइ लिमुहल्लिक़ीन फ़ी हज्जतिल विदाइ फ़क़ाल इब्नु अष़ीर फ़िन्निहायति कान अक्ष़रु मन हज्ज मअ़ रसूलिल्लाहि (ﷺ) लम यसुक़िल्हदय फ़लम्मा अमरहुम अंय्यफ़्सख़ुल्हज्ज इलल्उ़म्रति षुम्म यतहल्ललू मिन्हा व यहलिक़ू रूऊसहुम शक़्क़ अ़लैहिम षुम्म लम्मा लम यकुन लहुम बुद्द मिनत्ताअ़ति कानत्तक़्सीरु फ़ी अन्फ़ुसिहिम अख़फ़्फ़ु मिनल्हल्क़ि फ़फ़अलहू अक्ष़रुहुम फ़रज्जहन्नबिय्यु (ﷺ) फ़िअलम्मन हलक़ लिक़ौनिही फ़ी इम्तिष़ालिल्अम्रि इन्तिहा मुहल्लिक़ीन** या'नी सर मुँडाने वालों के लिये आप (ﷺ) ने बकष़रत दुआ़ की क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) के साथ अकष़र हाजी वो थे जो अपने साथ हदी लेकर नहीं आए थे पस जब आँहज़रत (ﷺ) ने उनको हज्ज के फ़स्ख़ करने और उ़म्रह कर लेने और एहराम खोल देने का हुक्म दिया और सर मुँडाने का हुक्म फ़र्माया तो ये अम्र उन पर बार गुज़रा फिर उनके लिये इम्तिष़ाले अम्र भी ज़रूरी था इसलिये उनको हलक़ से तक़्सीर में कुछ आसानी नज़र आई, पस अकष़र ने यही किया। पस आँहज़रत (ﷺ) ने सर मुँडाने वालों के काम को तरजीह दी इसलिये कि ये इम्तिष़ाले अम्र में ज़्यादा ज़ाहिर बात थी अ़रबों की आ़दत भी अकष़र बालों को बढ़ाने उनसे ज़ीनत हासिल करने की थी और सर मुँडाने का रिवाज उनमें कम ही था वो बालों को अ़ज्मियों की शोहरत का ज़रिया भी गरदानते

और उनकी नक़ल अपने लिये बाइ़षे शोहरत समझते थे, इसलिये उनमें से अकषर सर मुँडाने को मकरूह जानते और बाल कतरवाने पर किफ़ायत करना पसन्द करते थे। ह़दीषे बाला से ऐसे लोगों के लिये दुआ करना भी षाबित हुआ जो बेहतर से बेहतर कामों के लिये आमादा हों और ये भी षाबित हुआ कि अम्रे मरजूह पर अ़मल करने वालों के लिये भी दुआ-ए-ख़ैर की दरख़्वास्त की जा सकती है ये भी षाबित हुआ कि ह़लक़ की जगह तक़्सीर भी काफ़ी है मगर बेहतर ह़लक़ ही है।

1728. हमसे इयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे मुह़म्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान किया, उनसे अ़म्मारा बिन क़ेअक़ाअ ने बयान किया, उनसे अबू ज़ुर्आ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! सर मुँडाने वालों की मग़्फ़िरत फ़र्मा! स़ह़ाबा ने कहा और कतरवाने वालों के लिये भी (यही दुआ कीजिए) लेकिन आँह़ज़रत (ﷺ) ने इस बार भी यही फ़र्माया ऐ अल्लाह! सर मुँडाने वालों की मग़्फ़िरत फ़र्मा! फिर स़ह़ाबा (रज़ि.) ने कहा और कतरवाने वालों की भी! तीसरी बार आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया और कतरवाने वालों की भी मग़्फ़िरत फ़र्मा।

١٧٢٨- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ)) قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ))، قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: قَالَهَا ثَلاَثًا. قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ)).

1729. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद बिन अस्मा ने बयान किया, कहा हमसे जुवैरिया बिन अस्मा ने, उनसे नाफ़ेअ ने कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के बहुत से अस्ह़ाब ने सर मुँडवाया था लेकिन कुछ ने कतरवाया भी था। (राजेअ: 1639)

١٧٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ ((حَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ)).

[راجع: ١٦٣٩]

1730. हमसे अबू आ़स़िम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे ह़सन बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे त़ाऊस ने बयान किया, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) और उनसे मुआविया (रज़ि.) ने कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल क़ैंची से काटे थे।

١٧٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ)).

तश्रीह़ : अराकाने ह़ज्ज की बजाआवरी के बाद ह़ाजी को सर मुँडाने हैं या कतरवाने, दोनों सूरतें जाइज़ हैं, मगर मुँडाने वालों के लिये आप (ﷺ) ने तीन बार मग़्फ़िरत की दुआ की और कतरवाने वालों के लिये एक बार, जिससे मा'लूम होता है कि अल्लाह के पास इस मौक़े पर बालों का मुँडवाना ज़्यादा मह़बूब है। इस रिवायत में ह़ज़रत मुआविया का बयान वारिद होता है, उसके वक़्त की तअ़य्युन करने में शारेह़ीन के मुख़्तलिफ अक़्वाल हैं। ये भी है कि ये वाक़िया ह़ज्जतुल विदाअ़ के बारे में नहीं है; मुम्किन है कि ये हिज्रत से पहले का वाक़िया हो क्योंकि अस्ह़ाबे सियर के बयान के मुताबिक़ आँह़ज़रत (ﷺ) ने हिज्रत से पहले भी ह़ज्ज किये हैं। अ़ल्लामा ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **व अख़्रजइब्नु असाकिर फ़ी तारीख़ि दमिश्क**

मिन तर्जुमति मुआवियत तस्रीहु मुआवियत बिअन्नहू अस्लम बैनल हुदैबियति वल क़ज़ियति व अन्नहू कान युख़्फ़ी इस्लामहू ख़ौफ़म्मिन अबवैहि व कानन्नबिय्यु (ﷺ) लम्मा दख़ल फ़ी उम्रतिल्क़ज़ियति मक्कत हज्ज अक्षरु अहलिहा अन्हा हत्ता ला यन्ज़ुरूनहू व अस्हाबुहू यतफ़ून फ़िल्बैति फ़लअल्ल मुआवियत कान मिम्मन तख़ल्लफ़ बिमक्कत लिसबबि इक्तिज़ाहू व ला युआरिज़ुहू अयज़न क़ौलु सअदिब्नि अबी वक़्क़ास (रजि.) फ़ीमा अख़्रजहु मुस्लिम व ग़ैरुहा फ़अल्नाहा यअ़नी अल्उम्रत फ़िश्शहरिल हज्जि व हाज़ा यौमइज़िन काफ़िरून बिल अर्शि बिजिम्मतैनि यअ़नी बुयूत मक्कत युशीरु इला मुआवियत लिअन्नहू यहमिलु अला अन्नहू अख़्बर बिमस्तहब मिन ख़ालिही व लम यत्तलिअ़अला इस्लामिही लिअन्नहू कान यख़्फ़ीहि व युन्किरू अला मा जव्वज़हु अन्न तक़्सीरहू कान फ़ी उम्रिही अल्जिअरानतु अन्ननबिय्य (ﷺ) रकिब मिनल्जिअरानति बअ़द अहरम बिउम्रतिन व लम यस्तस्हब अहम्मअहू इल्ला बअ़ज़ु अस्हाबिही अल्मुहाज़िरीन फ़क़दिम मक्कत फ़ताफ़ व सआ व हलक़ व रजअ़ इलल जिअरानति फ़अस्बह बिहा कबाइतिन फ़ख़फ़ियत उम्रतुहू अला कष़ीरिम्मिनन्नासि कज़ा अख़्रजहुत्तिर्मिज़ी व ग़ैरहू व लम यउद मुआवितु फ़ीमन कान सहिबहू हीनइज़िन व ला कान मुआवियतु फ़ीमन तख़ल्लफ़ अन्हु बिमक्कत बल कान मिनल क़ौमि व आताहू मा उतिय अबाहू मिनल ग़नीमति मअ़ जुमलतिल मुअल्लफ़ति व अख़्रजल हाकिम फ़िल अक्लील फ़ी आख़िरि क़िस्सति ग़ज़्वति हुनैन अन्नलज़ी हलक़ रासहू (ﷺ) फ़ी उम्रतिहिल्लती इअतमरहा मिनल जिअरानति अबू हिन्द अब्दु बनी बयाज़ा फ़इन ष़बत हाज़ा व ष़बत इन्न मुआवियत कान हीनइज़िन मअ़हू औ कान बिमक्कत फ़क़सर अन्हु बिल मर्वति अम्कनल्जम्उ बिअय्यकून मुआवियतु क़सर अन्हु अव्वलन व कान इहलाक़न ग़ाइबन फ़ी बअ़ज़ि हाज़तिही षुम्म हज़र व अमरहू अंय्यकमल इज़ालत श्शअरि बिल्हल्क़ि लिअन्नहू फ़ज़्लु फफ़अल व इन ष़बत अन्नहू (ﷺ) हलक़ फ़ीहा जाअ हाज़ल इहतिमालु बिऐनिही व हसलत्तौफ़ीक़ बैनल अख़्बारि कुल्लिहा व हाज़ा मिम्मा फ़तहल्लाहु अलय्य बिही फ़ी हाज़ल्फ़त्हि व लिल्लाहिल हम्द षुम्म लिल्लाहिल हम्द अबदन. (फ़तह)

ख़ुलासा इस इबारत का ये है कि ह़ज़रत मुआविया (रज़ि.) हुदेबिया के साल और उम्रतुल क़ज़ाअ के साल के बीच इस्लाम ला चुके थे, मगर वो वालदेन के डर से अपने इस्लाम को ज़ाहिर नही कर रहे थे, उम्रतुल क़ज़ाअ में जबकि आँह़ज़रत (ﷺ)और आप (ﷺ) के अस्ह़ाब त़वाफ़े का'बा में मशग़ूल थे तमाम कुफ़्फ़ारे मक्का शहर छोड़कर बाहर चले गए ताकि वो अहले इस्लाम को देख न सकें। उस मौक़े पर शायद ह़ज़रत मुआविया (रज़ि.) मक्का शरीफ़ ही में रह गए हों (और मुम्किन है कि मज़्कूरा बाला वाक़िया भी उसी वक़्त से ता'ल्लुक़ रखता हो) और सअ़द बिन वक़्क़ास़ (रज़ि.) का वो क़ौल जिसे मुस्लिम (रह.) ने रिवायत किया है उसके ख़िलाफ़ नहीं है जिसमें जिक्र है कि ह़ज़रत मुआविया (रज़ि.) उम्रतुल क़ज़ाअ के मौक़े पर मक्का शरीफ़ के किसी घर में छत पर छुपे हुए थे। ये इसलिये कि वो अपने इस्लाम को अपने रिश्तेदारों से अभी तक पोशीदा रखे हुए थे और जिसने इस वाक़िये को उम्र-ए-जिअ़राना से मुता'ल्लिक़ बताया है वो भी दुरुस्त नहीं मा'लूम होता क्योंकि उस मौक़े पर जो स़ह़ाबा आँह़ज़रत (ﷺ) के साथ थे उनमें ह़ज़रत मुआविया (रज़ि.) का शुमार नहीं है और ग़ज़्व-ए-हुनैन के मौक़े पर तो उन्होंने अपने वालिद के साथ माले ग़नीमत से मुअल्लिफ़ीन में शामिल होकर ह़िस्सा लिया था। ग़ज़्व-ए-हुनैन के क़िस्से के आख़िर में ह़ाकिम ने नक़ल किया है कि उस मौक़े पर आप (ﷺ) का सर मूँडने वाला ही ब्याज़ा का एक ग़ुलाम था जिसका नाम अबू हिन्द था, अगर ये ष़ाबित है और ये भी ष़ाबित हो जाए कि ह़ज़रत मुआविया (रज़ि.) उस दिन आप (ﷺ) के साथ थे या मक्का में मौजूद थे तो ये इम्कान है कि उन्होंने पहले आप (ﷺ) के बाल कैंची से कतरे हों और ह़ल्लाक़ उस वक़्त ग़ायब हो फिर उसके आ जाने पर उससे कराया हो क्योंकि ह़लक़ अफ़ज़ल है और अगर ये उम्रतुल क़ज़ा में ष़ाबित हो जबकि वहाँ भी आप (ﷺ) का ह़लक़ ष़ाबित है तो ये एह़तिमाल स़ह़ीह़ है कि उस मौक़े पर उन्होंने ये ख़िदमत अंजाम दी हो। मुख़्तलिफ़ रिवायात में तत़्बीक़ की ये तौफ़ीक़ मह़ज़ अल्लाह के फ़ज़्ल से ह़ासिल हुई है, वलिल्लाहिल् ह़म्द।

बाब 128 : तमत्तोअ़ करने वाला उम्रह के बाद बाल तरशवाए

١٢٨ - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

1731. हमसे मुह़म्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया, उनसे

١٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا)). [راجع: ١٥٤٥]

फ़ुज़ैल बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उ़क़्बा ने, उन्हें कुरैब ने ख़बर दी, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) मक्का में तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने अपने अस्ह़ाब को ये हुक्म दिया कि बैतुल्लाह का त़वाफ़ और स़फ़ा व मरवा की सई करने के बाद एह़राम खोल दें फिर सर मुँडवा लें या बाल कतरवा लें। (राजेअ़ : 1545)

आप (ﷺ) ने दोनों के लिये इख़्तियार दिया जिसका मत़लब ये है कि दोनों उमूर जाइज़ हैं।

बाब 129 : दसवीं तारीख़ में त़वाफ़ुज़्ज़ियारह करना

١٢٩ - بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: ((أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ)) وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى)).

और अबुज़्ज़ुबैर ने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने त़वाफ़ुज़्ज़ियारत में इतनी देर की कि रात हो गई और अबू ह़स्सान से मन्क़ूल है उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना कि आँह़ज़रत (ﷺ) त़वाफ़ुज़्ज़ियारत मिना के दिनों में करते।

अबुज़्ज़ुबैर वाली रिवायत को तिर्मिज़ी और अबू दाऊद और इमाम अह़मद (रह.) ने वस्ल किया है। मज़्कूरा अबू ह़स्सान का नाम मुस्लिम बिन अ़ब्दुल्लाह अ़दी है, उसको त़बरानी ने मुअ़जम कबीर में और बैहक़ी ने वस्ल किया है।

١٧٣٢ - وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ نَامَ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنًى)) يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ.

1732. और हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने सिर्फ़ एक त़वाफ़ुज़्ज़ियारत किया फिर सवेरे से मिना को आए, उनकी मुराद दसवीं तारीख़ से थी। अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने इस ह़दीष़ का रफ़अ़ (रसूलुल्लाह ﷺ तक) भी किया है। उन्हें उ़बैदुल्लाह ने ख़बर दी।

١٧٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا

1733. हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, उनसे लैष़ ने बयान, उनसे जा'फ़र बिन रबीआ़ ने, उनसे अ़अ़रज ने कि मुझसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कि हमने जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ह़ज्ज किया तो दसवीं तारीख़ को त़वाफ़े ज़ियारत किया लेकिन स़फ़िया (रज़ि.) हाइज़ा हो गईं। फिर आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनसे वही चाहा जो शौहर अपनी बीवी से चाहता है, तो मैंने कहा या

रसूलल्लाह (ﷺ)! वो हाइज़ा हैं, आप (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया कि इसने तो हमें रोक दिया फिर जब लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! इन्होंने दसवीं तारीख़ को तवाफ़े ज़ियारत कर लिया था, आप (ﷺ) ने फ़र्माया फिर चले चलो।

(राजेअ़ : 294)

يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: ((حَابِسَتُنَا هِيَ؟)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ : ((اخْرُجُوا)).

[راجع: ٢٩٤]

क़ासिम, उर्वा और अस्वद से बवास्ता उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत है कि सफ़िया उम्मुल मोमिनीन सफ़िया (रज़ि.) ने दसवीं तारीख़ को तवाफ़े ज़ियारत कर लिया था।

وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ)).

तश्रीह : इसको तवाफ़ुल इफ़ाज़ा और तवाफ़ुस्सद्र और तवाफ़ुर्रुक्न भी कहा गया है, कुछ रिवायतों में है कि आप (ﷺ) ने ये तवाफ़ दिन में किया था। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत अबू हस्सान की हदीष लाकर अहादीषे मुख़्तलिफ़ा में इस तरह तत्बीक़ दी कि जाबिर और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का बयान यौमे अव्वल से मुता'ल्लिक़ है और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की हदीष का ता'ल्लुक़ बक़ाया दिनों से है, यहाँ तक भी मरवी है कि **अन्नन्नबिय्य (ﷺ) कान यज़ूरुल्बैत कुल्ल लैलतिन माअक़ाम बिमिना** या'नी अय्यामे मिना में आप (ﷺ) हर रात मक्का शरीफ़ आकर तवाफ़े ज़ियारत किया करते थे। (फ़त्हुल बारी)

बाब 130 : किसी ने शाम तक रमी न की या क़ुर्बानी से पहले भूलकर या मसला न जानकर सर मुँडा लिया तो क्या हुक्म है?

١٣٠ - بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى، أَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً

1734. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे वुहैब ने बयान किया, उनसे इब्ने ताऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) से क़ुर्बानी करने, सर मुँडाने, रम्ये–जिमार करने, और उनमें आगे–पीछे करने के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई हर्ज नहीं। (राजेअ़ : 84)

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ : ((لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

1735. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने बयान किया, उनसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) से यौमुन्नहर में मिना में मसाइल पूछे जाते और आप (ﷺ) फ़र्माते जाते कि कोई हर्ज नहीं, एक शख़्स ने पूछा था कि मैंने क़ुर्बानी करने से पहले सर मुँडा लिया है तो आप (ﷺ) ने उसके जवाब में

١٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ : ((لاَ حَرَجَ)). فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:

भी यही फ़र्माया कि जाओ क़ुर्बानी कर लो कोई हर्ज नहीं और उसने ये भी पूछा कि मैंने कंकरियाँ शाम होने के बाद ही मार ली हैं, तो भी आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई हर्ज नहीं। (राजेअ़ : 84)

حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)). وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ : لاَ ((لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

आप (ﷺ) ने उन सूरतों में न कोई गुनाह लाज़िम किया न फ़िद्या। अहले ह़दीष़ का यही मज़हब है और शाफ़िइया और ह़नाबिला का यही मज़हब है और मालिकिया और हन्फ़िया का क़ौल है कि उनमें तर्तीब वाजिब है और उसका ख़िलाफ़ करने वालों पर दम लाज़िम होगा, ज़ाहिर है कि उन ह़ज़रात का ये क़ौल ह़दीष़े हाज़ा के खिलाफ़ होने की वजह से क़ाबिले तवज्जोह नहीं क्योंकि

होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ़्तार, मत देख किसी का क़ौल व किरदार।।

बाब 131 : जम्रह के पास सवार रहकर लोगों को मसला बताना

١٣١ – بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

1736. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें ईसा बिन त़लहा ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर (अपनी सवारी) पर बैठे हुए थे और लोग आप (ﷺ) से मसाइल मा'लूम किये जा रहे थे, एक शख़्स ने कहा हुज़ूर मुझको मा'लूम न था और मैं ने क़ुर्बानी करने से पहले ही सर मुँडा लिया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया अब क़ुर्बानी कर लो कोई ह़र्ज नहीं, दूसरा शख़्स आया और बोला हुज़ूर मुझे ख़याल न रहा और रम्ये—जिमार से पहले ही मैंने क़ुर्बानी कर ली, आप (ﷺ) ने फ़र्माया अब रमी कर लो कोई ह़र्ज नहीं, उस दिन आप (ﷺ) से जिस चीज़ के आगे—पीछे करने के बारे में सवाल हुआ आप (ﷺ) ने यही फ़र्माया अब कर लो कोई ह़र्ज नहीं। (राजेअ़ : 83)

١٧٣٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ : ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ)), فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ : ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٣]

ह़दीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है कि आँह़ज़रत (ﷺ) अपनी सवारी पर तशरीफ़ फ़र्मा थे और मसाइल बतला रहे थे।

1737. हमसे सईद बिन यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे ईसा बिन त़लहा ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) दसवीं तारीख़ को मिना में ख़ुत्बा दे रहे थे तो वो वहाँ मौजूद थे। एक शख़्स ने उस वक़्त खड़े होकर पूछा मैं इस ख़याल में था कि फ़लाँ काम फ़लाँ से पहले है फिर दूसरा खड़ा हुआ और कहा कि मेरा ख़याल था कि फ़लाँ काम फ़लाँ से पहले है, चुनाँचे मैंने

١٧٣٧ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ ((أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ

कुर्बानी से पहले सर मुँडा लिया, रम्ये—जिमार से पहले कुर्बानी कर ली, और मुझे उसमें शक हुआ। तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया अब कर लो। उन सबमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह के दूसरे सवालात भी आप (ﷺ) से किये गए आप (ﷺ) ने उन सब के जवाब में यही फ़र्माया कि कोई हर्ज नहीं अब कर लो। (राजेअ : 83)

أَنْ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ))، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).[راجع: ٨٣]

1738. हमसे इस्हाक़ ने बयान किया, कहा कि हमें यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, उनसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्ने शिहाब ने और उनसे ईसा बिन तलहा बिन उ़बैदुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से सुना उन्होंने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सवारी पर सवार होकर ठहरे रहे, फिर पूरी ह़दीष़ बयान की उसकी मुताबअ़त मअ़मर ने ज़ुहरी से रिवायत करके की है। (राजेअ : 83)

١٧٣٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ.. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ)). تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
[راجع: ٨٣]

तश्रीह : शरीअ़त की उस सादगी और आसानी का इज़्हार मक़्सूद है जो उसने ता'लीम, तअ़ल्लुम, इफ़्ता व इर्शाद के सिलसिले में सामने रखी है। कुछ रिवायतों में ऐसा भी है कि आप (ﷺ) उस वक़्त सवारी पर न थे बल्कि बैठे हुए थे और लोगों को मसाइल बतला रहे थे। सो तत्बीक़ ये है कि कुछ वक़्त सवारी पर बैठकर ही आप (ﷺ) ने मसाइल बतलाए हों, बाद में आप (ﷺ) उतरकर नीचे बैठ गए हों। जिस रावी ने आप (ﷺ) को जिस ह़ाल में देखा बयान कर दिया।

बाब 132 : मिना के दिनों में ख़ुत्बा सुनाना

١٣٢- بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

1739. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे फ़ज़ल बिन ग़ज़्वान ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि दसवीं तारीख़ को रसूले करीम (ﷺ) ने मिना में ख़ुत्बा दिया, ख़ुत्बा में आप (ﷺ) ने पूछा लोगों! आज कौनसा दिन है? लोग बोले ये हुर्मत का दिन है, आप (ﷺ) ने फिर पूछा और ये शहर कौनसा है? लोगों ने कहा ये हुर्मत वाला शहर है, आप (ﷺ) ने फिर पूछा ये महीना कौनसा है? लोगों ने कहा ये हुर्मत वाला महीना है, फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया बस

١٧٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ : ((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ:

तुम्हारा ख़ून तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़त एक–दूसर पर उसी तरह हराम हैं जैसे इस दिन हुर्मत, इस शहर और इस महीने की हुर्मत, इस कलिमे को आप (ﷺ) ने कई बार दोहराया और फिर आसमान की तरफ़ सर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह! क्या मैंने (तेरा पैग़ाम) पहुँचा दिया ऐ अल्लाह! क्या मैंने पहुँचा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बतलाया कि उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है आँहज़रत (ﷺ) की ये वसिय्यत अपनी तमाम उम्मत के लिये है कि हाज़िर (और जानने वाला) ग़ायब (और न जानने वाले को अल्लाह का पैग़ाम) पहुँचा दे। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, देखो मेरे बाद एक दूसरे की गर्दन मारकर काफ़िर न बन जाना। (दीगर मक़ाम : 7079)

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)). فَأَعَادَهَا مِرَارًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

[طرفه في : ٧٠٧٩].

ये ख़ुत्बा यौमुन्नहर के दिन सुनाना सुन्नत है उसमें रमी वग़ैरह के अह्काम बयान करना चाहिये और ये हज्ज के चार ख़ुत्बों में से तीसरा ख़ुत्बा है और सब नमाज़े ईद के बाद हैं मगर अरफ़ा का ख़ुत्बा नमाज़ से पहले है उस दिन दो ख़ुत्बे पढ़ने चाहिये। क़स्तलानी (रह.)। (वहीदी)

हज्ज का मक़्सदे-अज़ीम दुनिय–ए-इस्लाम को ख़ुदातरसी और इत्तिफ़ाक़े बाहमी की दा'वत देना है और उसका बेहतरीन मौक़ा यही ख़ुत्बात हैं, लिहाज़ा ख़तीब का फ़र्ज़ है कि मसाइले हज्ज के साथ–साथ वो दुनिय–ए–इस्लाम के मसाइल पर भी रोशनी डाले और मुसलमानों को ख़ुदातरसी किताब व सुन्नत की पाबन्दी और बाहमी इत्तिफ़ाक़ की दा'वत दे कि हज्ज का यही मक़्सूदे आ'ज़म है। आँहज़रत (ﷺ) ने इस ख़ुत्बे में अल्लाह पाक को पुकारने के लिये आसमान की तरफ़ सर उठाया, इससे अल्लाह पाक के लिये जहते फ़ौक़ और इस्तिवा अलल अर्श षाबित है। ज़िल् हिज्ज की दसवीं तारीख़ को यौमुन्नहर/आठवीं को यौमुल् तर्विया नवीं को यौमे अरफ़ा और ग्यारहवीं को यौमुल क़ुरा और बारहवीं को यौमुन्नफ़र् अव्वल और तेरहवीं को यौमुन्नफ़र् षानी कहते हैं और दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं।

1740. हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अम्र ने ख़बर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन ज़ैद से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, आप (रज़ि.) ने बतलाया कि मैदाने अरफ़ात में रसूले करीम (ﷺ) का ख़ुत्बा मैंने ख़ुद सुना था। उसकी मुताबअत इब्ने उयय्ना ने अम्र से की है।

(दीगर मक़ाम : 1812, 1841, 1842, 1843, 5804, 5853)

١٧٤٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو قَالَ:سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ زَيْدٍ قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ : تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو.

[أطرافه في : ١٨١٢، ١٨٤١، ١٨٤٢، ١٨٤٣، ٥٨٠٤، ٥٨٥٣].

तश्रीह : ये यौमे अरफ़ा का ख़ुत्बा है और मिना का ख़ुत्बा बाद वाला है, जो दसवीं तारीख़ को दिया था उसमें साफ़ यौमुन्नहर की वज़ाहत मौजूद है। **फ़ हाज़ल हदीषुल्लज़ी वक़अ फ़िस्सहीह अन्नहू (ﷺ) ख़तब बिही यौमन्नहरि**

व क़दष़बत अन्नहू ख़तब बिही क़बल ज़ालिक यौम अर्फ़त (फ़त्हुल बारी) या'नी स़हीह़ बुख़ारी की ह़दीष़ में स़ाफ़ मज़्कूर है कि आप (ﷺ) ने यौमुन्नहर में ख़ुत्बा दिया और ये भी ष़ाबित है कि उससे पहले आप (ﷺ) ने यही ख़ुत्बा यौमे अ़रफ़ात में भी पेश फ़र्माया था।

١٧٤١- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَومٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَ يَومَ النَّحْرِ ؟)) قُلْنَا بَلَى. قَالَ ((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ : ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَومِ تَلْقَونَ رَبَّكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

1741. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अबू आ़मिर ने बयान किया, उनसे कुर्रह ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि मुझे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र ने और एक और शख़्स ने जो मेरे नज़दीक अ़ब्दुर्रहमान से भी अफ़ज़ल है या'नी हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि अबूबक्र (रज़ि.) ने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने दसवीं तारीख़ को मिना में ख़ुत्बा सुनाया, आप (ﷺ) ने पूछा लोगों! मा'लूम है आज ये कौनसा दिन है? हमने अ़र्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं, आप (ﷺ) इस पर खामोश हो गए और हमने समझा कि आप (ﷺ) उस दिन का कोई और नाम रखेंगे लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? हम बोले हाँ ज़रूर है, फिर आप (ﷺ) ने पूछा ये महीना कौनसा है? हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप इस बार भी ख़ामोश हो गए और हमें ख़्याल हुआ कि आप (ﷺ) इस महीने का कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया क्या ज़िल्हिज्ज का महीना नहीं है? हम बोले क्यूँ नहीं, फिर आप (ﷺ) ने पूछा ये शहर कौनसा है? हमने अ़र्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं, इस बार भी आप (ﷺ) इस तरह ख़ामोश हो गए कि कि हमने समझा कि आप (ﷺ) इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये हुर्मत का शहर नहीं है? हमने अ़र्ज़ किया क्यूँ नहीं ज़रूर है, उसके बाद आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया बस तुम्हारा ख़ून और तुम्हारे माल तुम पर उसी तरह हराम हैं जैसे इस दिन की हुर्मत इस महीने की हुर्मत और इस शहर में है, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। कहो क्या मैंने तुमको अल्लाह का पैग़ाम पहुँचा दिया? लोगों ने कहा कि हाँ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! तू गवाह रहना और हाँ! यहाँ मौजूद ग़ायब को पहुँचा दें क्योंकि बहुत से लोग जिन तक ये पैग़ाम पहुँचेगा सुनने वालों से ज़्यादा (पैग़ाम को) याद रखने वाले ष़ाबित होंगे और मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक—दूसरे

بَعْضٍ)). [راجع: ٦٧]

की (नाहक़) गर्दनें मारने लगो। (राजेअ : 67)

तश्रीह : ये हज्जतुल विदाअ में आप (ﷺ) का वो अज़ीमुश्शान ख़ुत्बा है जिसे असासुल इस्लाम (इस्लाम की बुनियाद) होने की सनद हासिल है और ये काफ़ी तवील है जिसे मुख़्तलिफ़ रावियों ने मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ में नक़ल किया है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब के तर्जुमे के तहत ये रिवायत यहाँ नक़ल की है, पूरे ख़ुत्बे का इहसार मक़्सद नहीं है। **व अरादल बुख़ारी अर्रद्दु अला मन ज़अम अन्न यौमन्नहरि ला ख़ुत्बत फ़ीहि लिल्हाज्जि व अन्नल मज़्कूर फ़ी हाज़ल हदीषि मिन क़बीलिल वसायल आम्मति ला अला अन्नहू मिन शिआरिल हज्जि फ़अरादल बुख़ारी अंय्युबय्यिन अन्नर्रावी सम्माहा ख़ुत्बतन कमा सुम्मियल्लती वक़अत फ़ी वफ़ाति ख़ुत्बतिन** (फ़तह) या'नी कुछ लोग यौमुन्नहर के ख़ुत्बे के क़ाइल नहीं हैं और ये ख़ुत्बा वसाया से ता'बीर करते हैं, इमाम बुख़ारी (रह.) ने उनका रद्द किया और बतलाया कि रावी ने उसे लफ़्ज़े ख़ुत्बा से ज़िक्र किया है, कि अरफात के ख़ुत्बे को ख़ुत्बा कहा ऐसा ही उसे भी, लिहाज़ा यौमुन्नहर को भी ख़ुत्बा देना सुन्नते नबवी है।

١٧٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى: ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)) اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ)). قَالَ: ((فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: ((أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا، وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)). وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ)).

[أطرافه في : ٤٤٠٣، ٦٠٤٣، ٦١٦٦، ٦٧٨٥، ٦٨٦٨، ٧٠٧٧].

1742. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, कहा हमको आसिम बिन मुहम्मद बिन ज़ैद ने ख़बर दी, उन्हें उनके बाप ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मिना में फ़र्माया कि तुमको मा'लूम है! आज कौनसा दिन है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये हुर्मत का दिन है और ये भी तुमको मा'लूम है कि ये कौनसा शहर है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये हुर्मत का शहर है और तुमको ये भी मा'लूम है ये कौनसा महीना है, लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये हुर्मत का महीना है फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारा ख़ून, तुम्हारा माल और इज़्ज़त एक–दूसरे पर (नाहक़) इस तरह हराम कर दी हैं जैसे इस दिन की हुर्मत इस महीने और इस शहर में है। हिशाम बिन ग़ाज़ ने कहा कि मुझे नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) के हवाले से ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्जतुल विदाअ में दसवीं तारीख़ को जम्रात के बीच खड़े हुए थे और फ़र्माया था कि ये देखो (यौमुन्नहर) अकबर का दिन है, फिर नबी करीम (ﷺ) ये फ़र्माने लगे कि ऐ अल्लाह! गवाह रहना, आँहज़रत (ﷺ) ने उस मौक़े पर चूँकि लोगों को रुख़सत किया था (आप समझ गए कि वफ़ात का ज़माना आन पहुँचा) जबसे लोग इसे हज्जतुल विदाअ कहने लगे। (दीगर मक़ाम : 4403, 6043, 6166, 6785, 6868, 7077)

तशरीह : हज्जे अकबर, हज्ज को कहते हैं और हज्जे अस़्ग़र, उ़म्रह को और **अवाम में जो ये मशहूर है कि नवीं तारीख़ जुम्आ को आ जाए तो वो हज्जे अकबर है, उसकी सनद स़हीह ह़दीष़ से कुछ नहीं अल्बत्ता चन्द ज़ईफ़ हदीषें इस हज्ज की ज़्यादा फ़ज़ीलत में वारिद हैं, जिसमें नवीं तारीख़ जुम्आ को आन पड़े।** कुछ ने कहा यौमुल ह़ज्जिल अस़्ग़र नवीं तारीख़ को और यौमुल ह़ज्जिल अकबर दसवीं तारीख़ को कहते है। कहते हैं कि उन ही दिनों में आप (ﷺ) पर **सूरह इज़ा जाअ नस्रूल्लाहि** नाज़िल हुई और आप (ﷺ) समझ गये कि अब दुनिया से रवानगी क़रीब है। अब ऐसे इज्तिमाअ का मौक़ा न मिल सकेगा और बाद में ऐसा ही हुआ, **फ़ीहि दलीलुन लिमंय्यक़ूलु अन्न यौमल हज्जिल अक्बरि हुव यौमुन्नहर** या'नी इस ह़दीष़ में उस शख़्स़ की दलील मौजूद है जो कहता है कि ह़ज्जे अकबर के दिन से मुराद दसवीं तारीख़ है बस अवाम में जो मशहूर है कि अगर जुम्आ के दिन ह़ज्ज वाक़ेअ हो तो उसे ह़ज्जे अकबर कहा जाता है, ये ख़्याल क़वी (मज़बूत) नहीं है, **अन्नहू नब्बह (ﷺ) फ़िल्ख़ुत्बतिल मज़्कूरति अ़ला तअ़ज़ीमि यौमिन्नहरि व अ़ला तअ़ज़ीमि शहरि ज़िल्हिज्जति व अ़ला तअ़ज़ीमिल बलदिल हरामि** या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) इस ख़ुत्बे में यौमुन्नहर और माहे ज़िल्ह़िज्ज और मक्कतुल मुकर्रमा की अ़ज़्मतों पर तम्बीह फ़र्माई कि उम्मत उन अश्याए मुक़द्दसा (पवित्र चीज़ों) को याद रखे और जो नस़ायेह़ व वस़ाया (नस़ीहतें और वस़िय्यतें) आप (ﷺ) दिये जा रहे हैं उम्मत उनको ता-अबद फ़रामोश न करे।

बाब 133 : मिना की रातों में जो लोग मक्का में पानी पिलाते हैं या और कुछ काम करते हैं वो मक्का में रह सकते हैं

١٣٣- بَابُ هَلْ يَبِيْتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؟

1743. हमसे मुहम्मद बिन उ़बैद बिन मैमून ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ईसा बिन यूनुस ने, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने इजाज़त दी। (दूसरी सनद)

(राजेअ : 1634)

١٧٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ..)). ح

[راجع: ١٦٣٤]

1744. और हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन बक्र ने बयान किया, कहा हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्हें उ़बैदुल्लाह ने, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें इब्ने उ़मर(रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने इजाज़त दी।

(राजेअ : 1634)

١٧٤٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ ح..)).

[راجع: ١٦٣٤]

1745. और हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे नाफ़ेअ ने बयान किया और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से मिना की रातों में (ह़ाजियों) को पानी पिलाने के लिये मक्का में रहने की इजाज़त चाही तो आप (ﷺ) ने उनको इजाज़त दे दी। इस

١٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ،

रिवायत की मुताबअ़त मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह के साथ अबू उसामा उ़क़्बा बिन ख़ालिद और अबू ज़म्रह ने की है। (राजेअ़ : 1634)

فَأَذِنَ لَهُ)). تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ.[راجع: ١٦٣٤]

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि जिसको कोई उ़ज़्र न हो उसको मिना की रातों में मिना में रहना वाजिब है, शाफ़िइया और हनाबिला और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है और कुछ के नज़दीक ये वाजिब नहीं सुन्नत है (वह़ीदी)। **व फ़िल हदीषि दलीलुन अ़ला वुजूबिल मबीति बिमिना व अन्नहू मिम्मनासिकिल हज्जि लिअन्नत्तअबीर बिर्रुख़्सति यक्तज़ी अन्न मुक़ाबलिहा व अन्नल इज़्न वक़अ लिल इल्लतिल मज़्कूरति व इज़ा लम तूजद औ मा फ़ी मअ़नाहा लम यहसुलिल इज़्नु व बिल वुजूबि क़ालल जुम्हूर** (फ़त्ह़) या'नी मिना में रात गुज़ारना वाजिब और मनासिके ह़ज्ज से है, जुम्हूर का यही क़ौल है। ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) को इल्लते मज़्कूरा की वजह से मक्का में रात गुज़ारने की इजाज़त ही दलील है कि जब ऐसी कोई इल्लत न हो तो मिना में रात गुज़ारना वाजिब है और जुम्हूर का यही क़ौल है।

बाब 134 : कंकरियाँ मारने का बयान

١٣٤- بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

और जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने दसवीं ज़िल् हिज्ज को चाश्त के वक़्त कंकरियाँ मारी थीं और उसके बाद की तारीख़ों में सूरज ढल जाने पर।

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.

1746. हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मिस्अ़र ने बयान किया, उनसे वब्रह ने कि मैंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से पूछा कि मैं कंकरियाँ किस वक़्त मारूँ? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब तुम्हारा इमाम मारे तो तुम भी मारो, लेकिन दोबारा मैंने उनसे यही मसला पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि हम इंतिज़ार करते रहते और जब सूरज ढल जाता तो कंकरियाँ मारते।

١٧٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا)).

तश्रीह : अफ़्ज़ल वक़्त कंकरियाँ मारने का यही है कि यौमुन्नह़र को चाश्त के वक़्त मारे और जाइज़ है, दसवीं शब की आधी रात के बाद से और गुरूबे आफ़ताब तक दसवीं तारीख़ को उसका आख़िरी वक़्त है और 11वीं या बारहवीं को ज़वाल के बाद मारना अफ़्ज़ल है, ज़ुहर की नमाज़ से पहले कंकरियाँ सात से कम न हों, जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है **फ़ीहि दलीलुन अ़ला अन्नस्सुन्नत अंय्यर्मियल जिमार फ़ी ग़ैरि योमिल अज़्हा बअ़दज़्ज़वालि व बिही क़ालल जुम्हूर** (फ़त्हुल बारी) या'नी इस ह़दीष़ में दलील है कि दसवीं तारीख़ के बाद सुन्नत ये है कि रम्ये-जिमार ज़वाल के बाद हो और जुम्हूर का यही फ़त्वा है जब इमाम मारे तुम भी मारो, ये हिदायत इसलिये फ़र्माई ताकि उम्र-ए-वक़्त की मुख़ालफ़त की वजह से कोई तकलीफ़ न पहुँच सके, अगर उम्र-ए-वक़्त जोर हों तो ऐसे अह़काम में मजबूरन उनकी इताअ़त करनी है जैसा कि नमाज़ के लिये फ़र्माया कि ज़ालिम अमीर अगर देर से पढ़ें तो उनके साथ भी अदा कर लो और उनको नफ़्ल क़रार दे लो, ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के उस दौर में ह़ज्जाज बिन यूसुफ़ जैसे सफ़्फ़ाक ज़ालिम का ज़माना था। इस आधार पर आप (रज़ि.) ने ऐसा फ़र्माया, नेक आ़दिल उ़मरा की इताअ़त नेक कामों में बहरहाल फ़र्ज़ है और ष़वाब का हक़दार है और ये चीज़ उमरा ही के साथ ख़ास़ नहीं बल्कि नेक अम्र में अदना से अदना आदमी की भी इताअ़त लाज़िम है। **व इन कान अ़ब्दन हब्शिय्यन** का यही मत़लब है।

बाब 135 : रम्ये-जिमार वादी के नशीब से करने का बयान

١٣٥- بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

1747. मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा कि हमको सुफ़यान ष़ौरी ने ख़बर दी, उन्हें अअ़मश ने, उन्हें इब्राहीम ने और उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने वादी के न शीब (बत़ने वादी) में खड़े होकर कंकरी मारी तो मैंने कहा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! कुछ लोग तो वादी के बालाई ह़िस्से से कंकरियाँ मारते हैं, उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि उस ज़ात की क़सम! जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं, यही (बत़ने वादी) उनके खड़े होने की जगह है (रम्ये-जिमार करते वक़्त) जिन पर सूरह बक़र: नाज़िल हुई थी (ﷺ)। अ़ब्दुल्लाह बिन वलीद ने बयान किया कि उनसे सुफ़यान ष़ौरी ने और उनसे अअ़मश ने यही ह़दीष़ बयान की।

١٧٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ)). وقال عبدُ الله بنُ الوليدِ قالَ حدَّثَنا سفيانُ حَدَّثَنَا الأعمشِ بهذا.

(दीगर मक़ाम : 1748, 1749, 1750)

[أطرافه في : ١٧٤٨، ١٧٤٩، ١٧٥٠].

बाब 136 : रम्ये-जिमार सात कंकरियों से करना. इसको अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है

١٣٦- باب رمي الجمار بسبع حصيات

يَذْكُرُهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

1748. हमसे ह़फ़्स बिन उ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे ह कम बिन उ़त्बा ने, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) जम्र-ए-कुबरा के पास पहुँचे तो का'बा को आपने बाएँ त़रफ़ किया और मिना को दाएँ त़रफ़ फिर सात कंकरियों से रमी की और फ़र्माया कि जिन पर सूरह बक़र नाज़िल हुई थी (ﷺ) उन्होंने भी इसी त़रह ही रमी की थी। (या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ))। (राजेअ़ : 1747)

١٧٤٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ)).

[راجع: ١٧٤٧]

तश्रीह़ : ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब फ़र्माते हैं, वस्तुदिल्ल बिहाज़ल हदीष़ि इशराति रम्यिल जमाराति वाहिदतन वाहिदतन लिक़ौलिही युकब्बरु मअ कुल्लि हसातिन व क़द क़ाल (ﷺ) ख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम व ख़ालफ़ फ़ी ज़ालिक अ़ता व साहिबुहू अबू हनीफ़त फ़क़ाला लौ रूमियस्सबउ दफ़्अतन वाहिदतन अज़ाहू (फ़त्ह़) या'नी इस ह़दीष़ से दलील ली गई है कि रमी जम्रात में शर्त ये है कि एक एक कंकरी अलग अलग फेंकी जाने के बाद हर कंकरी पर तक्बीर कही जाए, आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझसे मनासिके ह़ज्ज सीखो और आप (ﷺ) का यही त़रीक़ा था कि आप (ﷺ) हर कंकरी पर तक्बीर कहा करते थे। मगर अ़त़ा और आपके स़ाह़ब इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने इसके ख़िलाफ़ कहा है वो कहते हैं कि सब कंकरियों का एक बार ही मार देना काफ़ी है। (मगर ये क़ौल दुरुस्त नहीं है)

बाब 137 : उस शख़्स के बारे में जिसने जम्र-ए-अक़्बा की रमी की तो बैतुल्लाह को अपनी बाईं तरफ़ किया

١٣٧ – بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

1749. हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे ह़कम बिन इ़त्बा ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़्अ़ी ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने कि उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के साथ ह़ज्ज किया उन्होंने देखा कि जम्र-ए-अ़क़बा की सात कंकरियों के साथ रमी के वक़्त आपने बैतुल्लाह को तो अपनी बाएँ तरफ़ और मिना को दाएँ तरफ़ किया फिर फ़र्माया कि यही उनका भी मक़ाम था जिन पर सूरह बक़र नाज़िल हुई थी या'नी नबी करीम (ﷺ)। (राजेअ़ : 1747)

١٧٤٩ – حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ ((أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)). [راجع: ١٧٤٧]

तश्रीह : क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि ये दसवीं तारीख़ की रमी है ग्यारहवीं बारहवीं तारीख़ को ऊपर से मारना चाहिये और जम्रह इ़क़्बा जिसको आजकल अ़वाम बड़ा शैत़ान कहते हैं चार बातों में और जमरात से बेहतर है, एक तो ये कि यौमुन्नह़र को फ़क़त़ उसी की रमी है दूसरे ये कि उसकी रमी चाश्त के वक़्त है, तीसरे ये कि नशीब में उसको मारना है, चौथे ये कि दुआ़ वग़ैरह के लिये उसके पास नहीं ठहरना चाहिये और दूसरे जम्रों के पास रमी के बाद ठहरकर दुआ़ करना मुस्तह़ब है। जम्रात की रमी करना ये उस वक़्त की यादगार है जबकि इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) को बहकाने के लिये इन मक़ामात पर बत़ौरे शैत़ान ज़ाहिर हुआ था और ह़ज़रत इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) को इर्शादे इलाही की ता'मील से रोकने की कोशिश की थी। इन तीनों मक़ामात पर बत़ौरे निशान पत्थरों के मिनारे से बना दिये हैं और उन ही पर मुक़र्ररा शराइत़ के साथ कंकरियाँ मारकर गोया शैत़ाने मरदूद को रजम किया जाता है और ह़ाजी गोया इस बात का अ़हद करता है कि वो शैत़ाने मरदूद की मुख़ालिफ़त और इर्शादे इलाही की इत़ाअ़त में आगे–आगे रहेगा और ज़िन्दगी भर इस यादगार को फ़रामोश न करे अपने आपको मिल्लते इब्राहीमी का सच्चा पैरोकार षाबित करने की कोशिश करेगा। जम्रह इ़क़्बा को जम्रह कुब्रा भी कहते हैं और ये जहते मक्का में मिना की आख़िरी ह़द पर वाक़ेअ़ है आप (ﷺ) ने हिज्रत के लिये अंसार से उसी जगह बैअ़त ली थी। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) जम्रह इ़क़्बा की रमी से फ़ारिग़ होकर ये दुआ़ पढ़ा करते थे। **अल्लाहुम्मज्अल्हु हज्जन मब्रूरन व जम्बन मग़फ़ूरन।**

बाब 138 : इस बयान में कि (ह़ाजी को) हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना चाहिये

١٣٨ – بَابُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

इसको ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने भी नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

1750. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाह़िद बिन ज़ियाद मिस्री ने बयान किया, उनसे सुलैमान अअ़मश ने बयान किया, कहा कि मैंने ह़ज्जाज से सुना। वो मिम्बर पर सूरतों का यूँ नाम ले रहा था वो सूरह जिसमें बक़र (गाय) का

١٧٥٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ

ज़िक्र है, वो सूरह जिसमें आले इमरान का ज़िक्र है, वो सूरह जिसमें निसाअ (औरतों) का ज़िक्र है , अअ़मश ने कहा मैंने इसका ज़िक्र हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह.) से किया तो उन्होंने फ़र्माया कि मुझसे अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने जम्र-ए-अ़क़बा की रमी की तो वो उनके साथ थे, उस वक़्त वो वादी के नशीब में उतर गए और जब दरख़्त के (जो उस वक़्त वहाँ पर था) बराबर नीचे उसके सामने होकर सात कंकरियों से रमी की हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते जाते थे। फिर फ़र्माया क़सम है उस ज़ात की कि जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं यहीं वो ज़ात भी खड़ी हुई थी जिस पर सूरह बक़रः नाज़िल हुई (ﷺ)।

(राजेअ़ : 1747)

فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهِ النِّسَاءُ. قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا - وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ - قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ)).

[راجع: ١٧٤٧]

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि कंकरी जुदा–जुदा मारनी चाहिये और हर एक के मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना चाहिये। रिवायत में हज्जाज बिन यूसुफ़ का ज़िक्र है कि वो सूरतों के मजूज़ा नामों का इस्तेमाल छोड़कर इज़ाफ़ी नामों से उनका जिक्र करता था जैसा कि रिवायत मज़्कूर है। इस पर हज़रत इब्राहीम नख़ई ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की इस रिवायत का ज़िक्र किया कि वो सूरतों के मजूज़ा नाम ही लेते थे और यही होना चाहिये इस बारे में हज्जाज का ख़्याल दुरुस्त न था, उम्मते मुस्लिमा में ये शख़्स सफ़्फ़ाक बेरहम ज़ालिम के नाम से मशहूर है कि उसने ज़िन्दगी में अल्लाह जाने कितने बेगुनाहों का ख़ूने नाहक़ ज़मीन की गर्दन पर बहाया है और हदीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है **क़ाल इब्नुल मुनीर ख़स्स अ़ब्दुल्लाहि सूरतल बक़रति बिज़िक्रि लिअन्नहल्लती जक़रल्लाहु फ़ीहा अर्रम्य फ़अशार इला अन्न फ़िअलहू (ﷺ) मुबय्यिन लिमुरादि किताबिल्लाहि तआ़ला** (फ़त्हुल बारी) या'नी इब्ने मुनीर ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने ख़ुसूसियत के स ाथ सूरह बक़र का जिक्र इसलिये फ़र्माया कि उसमें अल्लाह ने रमी का जिक्र फ़र्माया है पस आपने इशारा किया कि नबी (ﷺ) ने अपने अ़मल से किताबुल्लाह की मुराद की तफ़्सीर पेश कर दी गोया ये बतलाना कि ये वो जगह है जहाँ आँहज़रत (ﷺ) पर अहकामे मनासिक का नुज़ूल हुआ। उसमें यहाँ तम्बीह है कि अहकामे हज्ज तौफ़ीक़ी हैं जिस तरह शारेह अलैहिस्सलाम ने उनको बतलाया, उसी तरह उनकी अदाएगी लाज़िम है कमी–बेशी की किसी को मजाल नहीं है। वल्लाहु आ़लम।

बाब 139 : उसके बारे में जिसने जम्र-ए-अ़क़बा की रमी की और वहाँ

ठहरा नहीं। इस हदीष़ को इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है। (ये हदीष़ अगले बाब में आ रही है)

١٣٩- بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 140 : जब हाजी दोनों जम्रों की रमी कर चुके तो हम्वार ज़मीन पर क़िब्ला रुख़ खड़ा हो जाए

١٤٠- بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

1751. हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उन्होंने

١٧٥١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُوا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ)).

[طرفاه في : ١٧٥٢، ١٧٥٣].

कहा कि हमसे त़लहा बिन यह्या ने बयान किया, उनसे यूनुस ने ज़ुहरी से बयान किया, उनसे सालिम ने कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) पहले जम्रह की रमी सात कंकरियों के साथ करते और हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहते थे, फिर आगे बढ़ते और एक नरम हम्वार ज़मीन पर पहुँचकर क़िब्ला रुख़ खड़े हो जाते उसी त़रह देर तक खड़े दोनों हाथ उठाकर दुआ़ करते, फिर जम्र-ए-वुस्त़ा की रमी करते, फिर बाएँ त़रफ़ बढ़ते और एक हम्वार ज़मीन पर क़िब्ला रुख़ होकर खड़े हो जाते, यहाँ भी देर तक खड़े–खड़े दोनों हाथ उठाकर दुआ़एँ करते रहते, उसके बाद वाले नशीब से जम्र-ए-अ़क़बा की रमी करते उसके बाद आप खड़े न होते बल्कि वापस चले आते और फ़र्माते कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इसी तरह़ करते देखा था।

(दीगर मक़ाम : 1752, 1753)

ये आख़िरी रमी ग्यारहवीं तारीख़ में सबसे पहले रमी की है ये जम्रा मस्जिदे ख़ैफ़ से क़रीब पड़ता है यहाँ न खड़ा होना है न दुआ़ करना, ऐसे मौक़े पर अ़क़्ल का दख़ल नहीं है, सिर्फ़ शारेअ़ अलैहिर्रहमा की इत्तिबाअ़ ज़रूरी है। ईमान और इत़ाअ़त इसी का नाम है जहाँ जो काम मन्क़ूल हुआ हो वहाँ वही काम सरअंजाम देना चाहिये और अपनी नाक़िस़ अ़क़्ल का दख़ल हर्गिज़ हर्गिज़ नहीं होना चाहिये।

١٤١– بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

बाब 141 : पहले और दूसरे जम्रह के पास जाकर दुआ़ के लिये हाथ उठाना

जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक हाथ उठाकर जम्रह ऊला और जम्रह वुस्ता के पास दुआ़ए मांगना मुस्तह़ब है, इब्ने क़ुदामा ने कहा कि मैं उसमें किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं पाता मगर इमाम मालिक से इसके ख़िलाफ़ मन्क़ूल है, **क़ाल इब्नुल मुनीर ला आ़लमु अ़हदन अन्कर रफ़अल यदैनि फ़िद्दुआ़इ इन्दल जम्रति इल्ला मा हकाहु इब्नुल क़ासिम अन मालिक इन्तिहा** (फ़त्ह़)

١٧٥٢– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِي عن سليمانَ عن يونسَ بن يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا

1752. हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे भाई (अ़ब्दुल ह़मीद) ने बयान किया, उनसे सुलैमान ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) पहले जम्रह की रमी सात कंकरियों के साथा करते और हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहते थे, उसके बाद आगे बढ़ते और एक नरम हम्वार

طَوِيْلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلًا : فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ، وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ)). [راجع: ۱۷۵۱]

ज़मीन पर क़िब्ला रुख़ खड़े हो जाते, दुआएँ करते रहते और दोनों हाथों को उठाते फिर जम्रह वुस्ता की रमी भी उसी तरह करते और बाएँ तरफ़ आगे बढ़कर एक नरम ज़मीन पर क़िब्ला रुख़ खड़े हो जाते, बहुत देर तक उसी तरह खड़े होकर दुआएँ करते रहते, फिर जम्र-ए-अक़बा की रमी बत़्ने वादी से करते लेकिन वहाँ ठहरते नहीं थे, आप फ़र्माते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह करते देखा है। (राजेअ : 1751)

ये हदीष़ कई जगह नक़ल हुई है और इससे हज़रत मुज्तहिदे मुत़लक़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने बहुत से मसाइल निकाले हैं जो आपके तफ़क़्क़ुह की दलील है उन लोगों पर बेहद अफ़सोस जो ऐसे फ़क़ीहे आज़म, फ़ाज़िले मुकर्रम, इमामे मुअ़ज़्ज़म (रह.) की शान में तन्क़ीस़ करते हुए आपकी फ़ुक़ाहत और दिरायत का इंकार करते हैं और आपको सिर्फ़ नाक़िले मुत़लक़ कहकर अपनी नासमझी या तअ़स्सुबे बात़िनी का षुबूत देते हैं। कुछ उ़लमा, अइम्मा दीने मुज्तहिदीन की तन्क़ीस़ करते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) को अल्लाह पाक ने जो मक़ामे अ़ज़्मत अ़त़ा किया है वो ऐसी वाही–तबाही बातों से गिराया नहीं जा सकता। हाँ ऐसे कोरे बात़िन नामो–निहाद उ़लमा की निशानदेही ज़रूर कर देता है।

١٤٢ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

बाब 142 : दोनों जम्रों के पास दुआ करने के बयान में

(दोनों जम्रों से जम्र-ए-ऊला और जम्र-ए-वुस्ता मुराद हैं)

١٧٥٣ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ

1753. और मुहम्मद बिन बश्शार ने कहा कि हमसे उ़ष्मान बिन उ़मर ने बयान किया, उन्हें यूनुस ने ख़बर दी और उन्हें ज़ुहरी ने कि रसूले करीम (ﷺ) जब उस जम्रे की रमी करते जो मिना की मस्जिद के पास है सात कंकरियों से रमी करते और हर कंकरी के साथ तक्बीर कहते, फिर आगे बढ़ते और क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर दुआएँ करते थे, यहाँ आप (ﷺ) बहुत देर तक खड़े रहते थे फिर जम्रह षानिया (वुस्ता) के पास आते यहाँ भी सात कंकरियों से रमी करते और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते, फिर बाएँ तरफ़ नाले के क़रीब उतर जाते और वहाँ भी क़िब्ला रुख़ होकर खड़े होते और हाथों को उठाकर दुआ करते रहते, फिर जम्रह उ़क़्बा के पास आते और यहाँ भी सात कंकरियों से रमी करते और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते, उसके बाद वापस हो जाते यहाँ आप दुआ के लिये ठहरते नहीं थे। ज़ुहरी

يَقِفُ عِنْدَهَا)) قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [راجع: ١٧٥١]

ने कहा कि मैंने सालिम से सुना वो भी इसी तरह अपने वालिद (इब्ने उमर रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) की हदीष़ बयान करते थे और ये कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ख़ुद भी इसी तरह किया करते थे। (राजेअ़ : 1751)

तशरीह : हाफ़िज़ स़ाहब फ़र्माते हैं, **व फ़िल्हदीष़ि मश्रूइय्यतुत्तक्बीरि इन्द रम्यि कुल्लि हसातिन व कद अज्मऊ अला मन तरकहू ला यल्ज़िमुहू शैउन इल्लष़्ष़ौरी फ़क़ाल युतइमु व अन्न जब्रहू बिदमिन अहब्बु इलय्य व अ़लर्रम्यि बिसब्इन व क़द तक़द्दम मा फ़ीहि व अला इस्तिक़बालिल क़िब्लति बअ़दर्रम्यि वल क़ियामि तवीलन व क़द वक़अत्तफ़्सीरु फ़ीमा रवाहु इब्नु अबी शैबत बिइस्नादिन स़हीहिन अन अ़ता कान इब्नु उमर यक़ूमु इन्दल जम्रतैनि मिक्दारम्मा युक़्रउ सूरतुल फ़ातिहति व फ़ीहित्तबाउद मिम्मौज़इर्रम्यि इन्दल क़ियामि लिदुआइ हत्ता ला युसीबु रम्यु ग़ैरिही व फ़ीहि मश्रूइय्यतुन रफ़उल यदैनि फ़िदुआइ व तर्किदुआइ वल क़ियामि इन्द जम्रतिल अ़कबति** (फ़त्हुल बारी)

या'नी इस हदीष़ में हर कंकरी को मारते वक़्त तक्बीर कहने की मशरूइयत का ज़िक्र है और इस पर इज्माअ़ है कि अगर किसी ने इसे तर्क किया तो उस पर कुछ लाज़िम नहीं आएगा मगर ष़ौरी कहते हैं कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाएगा और अगर दम दे तो ज़्यादा बेहतर है और इस हदीष़ से ये भी मा'लूम हुआ कि सात कंकरियों से रमी करना मशरूअ़ है और वो भी ष़ाबित हुआ कि रमी के बाद क़िब्ला रुख़ होकर काफ़ी देर तक खड़े खड़े दुआ मांगना भी मशरूअ़ है। यहाँ तक कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जम्रतैन के नज़दीक इतनी देर तक क़ियाम फ़र्माते जितनी देर में सूरह बक़र ख़त्म की जाती है। इस हदीष़ से ये भी मा'लूम हुआ कि उस वक़्त दुआओं में हाथ उठाना भी मशरूअ़ है और ये भी कि जम्रह उ़क़्बा के पास न तो क़याम करना है न दुआ करना वहाँ से कंकरियाँ मारते ही वापस हो जाना चाहिये।

मज़ीद हिदायात : ग्यारहवीं ज़िल्हिज्ज तक ये तारीख़ें अय्यामे तशरीक़ कहलाती हैं, तवाफ़ इफ़ाज़ा जो दस को किया है उसके बाद से तारीख़ों में मिना के मैदान में मुस्तक़िल पड़ाव रखना चाहिये। ये दिन खाने–पीने के हैं, इनमें रोज़ा रखना भी मना है। इन दिनों में हर रोज़ ज़वाल के बाद ज़ुहर की नमाज़ से पहले तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी होंगी जैसा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं, **क़ालत अफ़ाज़ रसूलल्लाहि (ﷺ) मिन आख़िरि यौमिही हीन स़ल्लज़्ज़ुहर ष़ुम्म रजअ़ इला मिना फ़मकष़ बिहा लयाली अय्यामत्तशरीक़ि यर्मिल जम्रत इज़ा जालतिश्शम्सु कुल्लु जम्रतिन बिसब्इ हसयातिन युकब्बिरु मअ़ कुल्लि हस़ातिन व यकिफु इन्दल ऊला वष़्ष़ानियति फ़युतीलुल क़ियाम व यतफ़र्रउ व यर्मिष़्ष़ालिष़त फ़ला यक़िफु इन्दहा** (रवाहु अबू दाऊद) या'नी नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ तक तवाफ़े इफ़ाज़ा से फ़ारिग़ हो गये फिर आप (ﷺ) मिना वापस तशरीफ़ ले गए और अय्यामे तशरीक़ में आप (ﷺ) ने मिना में ही रात को क़याम किया। ज़वाले शम्स (सूरज डूबने) के बाद आप (ﷺ) रोज़ाना रम्ये–जिमार करते हर जम्रह पर सात–सात कंकरियाँ मारते और हर कंकरी पर ना'रा-ए-तक्बीर बुलन्द करते जम्रह ऊला जम्रह ष़ानिया के पास बहुत देर तक आप (ﷺ) क़याम करते और बारी तआ़ला के सामने गिरया वज़ारी फ़र्माते। जम्र-ए-ष़ालिष़ा पर कंकरी मारते वक़्त यहाँ क़याम नहीं फ़र्माते थे। पस तेरह ज़िल्हिज्ज के वक़्त ज़वाल तक मिना में रहना होगा। उन अय्याम में तक्बीरात भी पढ़नी ज़रूरी हैं, कंकरियाँ बाद नमाज़े ज़ुहर भी मारी जा सकती हैं।

रम्ये–जिमार क्या है? कंकरियाँ मारना, स़फ़ा व मरवा की सई करना, ये अ़मल ज़िक्रुल्लाह को क़ायम रखने के लिये हैं जैसाकि तिर्मिज़ी में हज़रत आइशा (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न् मरवी है। कंकरियाँ मारना शैतान को रजम करना है, ये हज़रत इब्राहीम

अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप जब मनासिके हज्ज अदा कर चुके तो जम्र-ए-उक़्बा पर आपके सामने शैतान आया आप (अलैहिस्सलाम) ने उस पर सात कंकरियाँ मारीं जिससे वो ज़मीन में धंसने लगा। फिर जम्र-ए-षानिया पर वो आप (अलैहिस्सलाम) के सामने आया तो आपने वहाँ भी सात कंकरियाँ मारी जिससे फिर वो ज़मीन में धंसने लगा। फिर जम्र-ए-षालिषा पर आप (अलैहिस्सलाम) के सामने आया तो भी आपने सात कंकरियाँ मारीं जिससे वो एक बार फिर ज़मीन में धंसने लगा। ये उसी वाक़िये की यादगार हैं।

कंकरियाँ मारने से मुहलिकतरीन गुनाहों में से एक गुनाह मुआफ़ होता है। नीज़ कंकरियाँ मारने वाले के लिये क़यामत के रोज़ वो कंकरी बाइ़षे रोशनी होगी। जो कंकरियाँ बारी तआला के दरबार में क़ुबूलियत के दर्जे को पहुँचती हैं, वो वहाँ से उठ जाती हैं अगर ये बात न होती तो पहाड़ों के ढेर लग जाते (मिश्कात मज्मअ़ुज़वाइद) अब तीनों जम्रात की तफ़्सील अलग–अलग लिखी जाती है।

जम्र-ए-ऊला : ये पहला मिनारा है जिसको पहला शैतान कहा जाता है। ये मस्जिदे ख़ैफ़ की तरफ़ बाज़ार मे है। ग्यारह तारीख़ को उसी से कंकरियाँ मारनी शुरू करें , कंकरियाँ मारते वक़्त क़िब्ला शरीफ़ को बाईं तरफ़ और मिना दाएँ हाथ करना चाहिये। अल्लाहु अकबर कहकर एक एक कंकरी पीछे बतलाए तरीक़े से फेंके। जब सातों कंकरियाँ मार चुकें तो क़िब्ला की तरफ़ चन्द क़दम बढ़ जाएँ और क़िब्ला रुख़ होकर दोनों हाथ उठाकर तस्बीह, तह्मीद व तहलील व तक्बीर पुकारें और ख़ूब दुआएँ मांगे। सुन्नत तरीक़ा ये है कि उतनी देर तक यहाँ दुआ मांगे और ज़िक्र करें जितनी देर सूरह बक़र की तिलावत में लगती है इतना न हो सके तो जो कुछ हो सके उसको ग़नीमत जानें ।

जम्र-ए-वुस्ता : ये दरम्यानी मिनारा है जिस तरह जम्र-ए-ऊला को कंकरियाँ मारी थीं उसी तरह इसको भी मारें और चन्द क़दम बाएँ तरफ़ हटकर नशीब में क़िब्ला रुख़ खड़े होकर पहले की तरह दुआएँ मांगें और बक़द्रे तिलावते सूरह बक़र, हम्द व षना-ए-इलाही में मशग़ूल रहें। (बुख़ारी)

जम्र-ए-उक़्बा : ये मिनारा बैतुल्लाह की जानिब है इसको बड़े शैतान के नाम से पुकारा जाता है इसको भी उसी तरह कंकरियाँ मारें। हाँ इसको कंकरियाँ मारकर यहाँ ठहरना नहीं चाहिये और न यहाँ ज़िक्रो –अज़्कार और दुआएँ होनी चाहिये। (बुख़ारी)

ये तेरह ज़िल्हिज्ज के ज़वाल तक का प्रोग्राम है या'नी 13 की ज़वाल तक मिना में रहकर रोज़ाना वक़्ते मुक़र्ररह पर रम्ये–जिमार करना चाहिये हाँ ज़रूरतमन्दों मषलन ऊँट चराने वालों और आबे ज़मज़म के ख़ादिमों और ज़रूरी काम–काज करने वालों के लिये इजाज़त है कि ग्यारहवीं तारीख़ ही को ग्यारह के साथ बारह तारीख़ की भी इकट्ठी चौदह कंकरियाँ मारकर चले जाएँ, फिर तेरह को तेरह की कंकरियाँ मारकर मिना से रुख़्सत होना चाहिये अगर कोई बारह ही को 13 की भी मारकर मिना से रुख़्सत हो जाए तो जवाज़ के दर्जे में है मगर बेहतर नहीं है। दौराने क़याम मिना में नमाज़ बाजमाअ़त मस्जिदे ख़ैफ़ में अदा करनी चाहिये। यहाँ नमाज़ जमा नहीं कर सकते हाँ क़स्र कर सकते हैं।

जम्रों के पास वाली मस्जिदों की दाख़िली और उनका तवाफ़ करना बिदअ़त है, मिना से तेरहवीं तारीख़ को ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारकर मक्का शरीफ़ को वापसी है, कंकरियाँ मारते हुए सीधे वादी मुहस्सब को चले जाएँ ये मक्का शरीफ़ के क़रीब एक घाटी है जो एक संगरेज़ा ज़मीन है ह़सीबुल बत्ह और बत्हा और ख़ैफ़ बनी किनाना भी इसी के नाम हैं, यहाँ उतरकर नमाज़े ज़ुहर, अस्र, मग़्रिब और इशा अदा करें और सो रहें। सुबह सवेरे मक्का शरीफ़ में चौदह की फ़ज्र के ब ाद दाख़िल हों। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसा ही किया था अगर कोई इस वादी में न ठहरे तो भी कोई हर्ज नहीं है, मगर सुन्नत से मेहरूमी रहेगी यहाँ ठहरना अरकाने हज्ज में से नहीं है लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिये जहाँ तक हो सके सु न्नत तर्क न हो, जैसाकि एक शाइरे सुन्नत फ़र्माते हैं :–

मसलके सुन्नत पे ऐ सालिक चला जा बे धड़क। जन्नतुल फ़िरदौस को सीधी गई है ये सड़क।।

बाब 143 : रम्ये–जिमार के बाद ख़ुश्बू लगाना और त़वाफ़ुज़्ज़ियारत से पहले सर मुँडाना

١٤٣- بَابُ الطِّيْبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब की ह़दीष़ से ये मज़्मून इस त़रह़ निकाला कि दूसरी रिवायत से ये ष़ाबित है कि आप (ﷺ) जब मुज़्दलिफ़ा से लौटे तो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) आपके साथ थीं और ये भी ष़ाबित है कि आप (ﷺ) जम्र-ए-उ़क़्बा की रमी तक सवार रहे। पस ला-मुह़ाला उन्होंने रमी के बाद आपको ख़ुश्बू लगाई होगी। जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है कि रमी और ह़लक़ के बाद ख़ुश्बू लगाना और सिले हुए कपड़े पहनना दुरुस्त हो जाते हैं, सिर्फ़ औरतों से सुह़बत करना दुरुस्त नहीं होता, त़वाफ़े ज़ियारत के बाद वो भी दुरुस्त हो जाता है। बैहक़ी ने ये मज़्मून मर्फ़ूअ़न रिवायत किया है, गो वो ह़दीष़ ज़ईफ़ है और निसाई की ह़दीष़ यूँ है, **इज़ा रमैतुल जम्रत फ़क़द हल्ल लकुम इल्लन्निसाउ** या'नी जब तुम जम्र-ए-उ़क़्बा की रमी से फ़ारिग़ हो गए गो अब औरतों के सिवा हर चीज़ तुम्हारे लिये ह़लाल हो गई।

1754. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम ने बयान किया कि मैंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, वो फ़र्माती थीं कि मैंने ख़ुद अपने हाथों से रसूलुल्लाह (ﷺ) के, जब आपने एह़राम बाँधना चाहा, ख़ुश्बू लगाई थी इस तरह एह़राम खोलते वक़्त भी जब आपने त़वाफ़े ज़ियारत से पहले एह़राम खोलना चाहा था (आपने हाथ फैलाकर ख़ुश्बू लगाने की कैफ़ियत बताई) (राजेअ़ : 1539)

١٧٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ - وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِيْنَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِيْنَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا)).

[راجع: ١٥٣٩]

बाब 144 : त़वाफ़े विदाअ़ का बयान

١٤٤- باب طواف الوَدَاع

इसको त़वाफ़े स़द्र भी कहते हैं अकष़र उ़लमा के नज़दीक ये त़वाफ़ वाजिब है और इमाम मालिक वग़ैरह इसको सुन्नत कहते हैं मगर स़ह़ीह़ ह़दीष़ से ष़ाबित है कि ह़ैज़ निफ़ास के उ़ज़्र से इसका तर्क कर देना और वत़न को चले जाना जाइज़ है।

1755. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे इब्ने त़ाऊस ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि लोगों को इसका हुक्म था कि उनका आख़िरी वक़्त बैतुल्लाह के साथ हो (या'नी त़वाफ़े विदाअ़ करें) अल्बत्ता ह़ाइज़ा से ये मुआ़फ़ हो गया था। (राजेअ़ : 329)

١٧٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ)). [راجع: ٣٢٩]

तश्रीह़ : कहते हैं कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का फ़त्वा ह़ाइज़ा और निफ़ास वाली औरतों के बारे में पहले ये था कि वो ह़ैज़ और निफ़ास का ख़ून बन्द होने तक इंतज़ार करें और पाक होने पर त़वाफ़े विदाअ़ करके रुख़्सत हों, मगर जब उनको नबी करीम (ﷺ) की ये ह़दीष़ मा'लूम हुई तो उन्होंने अपने इस मसलक से रुजूअ़ कर लिया। इससे ष़ाबित होता है कि स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) का आम दस्तूरुल अ़मल यही तो था कि वो ह़दीष़े स़ह़ीह़ के सामने अपने ख़्यालात को छोड़

देते थे और अपने मसलक से रुजूअ कर लिया करते थे, न जैसा कि बाद के मुक़ल्लिदीने जामिदीन का दस्तूर बन गया है कि ह़दीष़ स़ह़ीह़ जो उनके मज़्ऊमा मसलक के ख़िलाफ़ हो उसे बड़ी बेबाकी के साथ रद्द कर देते हैं और अपने मज़्ऊमा इमाम के क़ौल को हर ह़ालत में तरजीह़ देते हैं। आयते करीमा **इत्तख़ज़ू अह़बारहुम व रुह्बानहुम अर्बाबम्मिन दूनिल्लाहि** (अत्तौबा : 31) के मिस्दाक़ दर ह़क़ीक़त यही लोग हैं जिनके बारे में ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह मुह़द्दिष़ मरहूम ने फ़र्माया कि अह़ादीषे स़ह़ीह़ा को रद्द करके अपने इमाम के क़ौल को तरजीह़ देने वाले उस दिन क्या जवाब देंगे जिस दिन दरबारे इलाही में पेशी होगी। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा)

1756. हमसे अस़्बग़ बिन फ़रज ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको उनसे वहब ने ख़बर दी, उन्हें अ़मर बिन ह़ारिष़ ने, उन्हें क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ुहर, अ़स्र, मग़रिब और इशा पढ़ी, फिर थोड़ी देर मुह़स़्स़ब में सोये रहे, उसके बाद सवार होकर बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गए और वहाँ त़वाफ़े ज़ियारत अ़म्र बिन ह़ारिष़ के साथ किया, इस रिवायत की मुताबअ़त लैष़ ने की है, उनसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है।

(दीगर मक़ाम : 1764)

١٧٥٦- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه في : ١٧٦٤].

बाब 145 : अगर त़वाफ़े इफ़ाज़ा के बाद औरत ह़ाइज़ा हो जाए?

١٤٥- بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

1757. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम ने, उन्हें उनके वालिद ने और उन्हें ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़ह्हरा स़फ़िया बिन्ते ह़य्यि (रज़ि.) (ह़ज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर) ह़ायज़ा हो गईं तो मैंने उसका जिक्र आँह़ज़रत (ﷺ) से किया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर तो ये हमें रोकेंगी, लोगों ने कहा कि उन्होंने त़वाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर कोई फ़िक्र नहीं।

(राजेअ़ : 294)

١٧٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟)) قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: ((فَلاَ إِذًا)).[راجع: ٢٩٤]

तश्रीह : यहाँ ये इश्काल (परेशानी) पैदा होती है कि एक रिवायत में पहले गुज़र चुका है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) से सुह़बत करनी चाही तो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि वो ह़ाइज़ा हैं। पस अगर आपको ये मा'लूम न था कि त़वाफ़े ज़ियारत कर चुकी हैं, जैसे इस रिवायत से निकलता है तो फिर आप (ﷺ) ने उनसे सुह़बत करने का इरादा क्योंकर किया और इसका जवाब ये है कि सुह़बत का क़स्द करते वक़्त ये समझे होंगे कि और बीवियों के साथ वो भी त़वाफ़े ज़ियारत कर चुकी हैं क्योंकि आप (ﷺ) ने सब बीवियों को त़वाफ़ का इज़्न दिया था और चलते वक़्त आप (ﷺ) को

इसका ख़्याल आया कि शायद तवाफ़े ज़ियारत से पहले उनको हैज़ आया था तो उन्होंने तवाफ़े ज़ियारत भी नहीं किया (वहीदी) । बहरहाल उस सूरत में दोनों अहादीष़ में तत्बीक़ हो जाती है, अहादीषे सहीहा मुख़्तलिफ़ा में इस तौर पर तत्बीक़ देना ही मुनासिब है न कि उनको रद्द करने की कोशिश करना जैसा कि आजकल मुन्किरीने अहादीष़ दस्तूर से अपनी नाक़िस अक़्ल के तहत अहादीष़ को परखना चाहते हैं उनकी अ़क़्लों पर अल्लाह की मार हो कि ये कलाम रसूल (ﷺ) की गहराईयों को समझने से अपने का क़ासिर पाकर ज़लालत व ग़वायत का ये ख़तरनाक रास्ता इख़्तियार करते हैं। इस शक व शुब्हा के लिये एक ज़र्रा बराबर भी गुंजाईश नहीं है कि अहादीष़ सहीहा का इंकार करना, क़ुर्आन मजीद का इंकार करना है, बल्कि इस्लाम और इस जामेअ़ शरीअ़त का इंकार करना है, इस हक़ीक़त के बाद मुंकिरीने हदीष़ को अगर दायर–ए–इस्लाम और रोज़मर्रा अहले ईमान से क़त्अन ख़ारिज क़रार दिया जाए तो ये फ़ैसला ऐन हक़ बजानिब है। **वल्लाहु अ़ला मा नक़ूलु वकील**

١٧٥٨، ١٧٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَاسْأَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ)) رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ.

1758,59. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे इक्रिमा ने कि मदीना के लोगों ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से एक औरत के बारे में पूछा कि जो तवाफ़ करने के बाद हाइज़ा हो गई थीं , आपने उन्हें बताया कि (उन्हें ठहरने की ज़रूरत नहीं बल्कि) चली जाएँ। लेकिन पूछने वालों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी बात पर अ़मल तो करें और ज़ैद बिन ष़ाबित की बात छोड़ दें, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब तुम मदीना पहुँच जाओ तो ये मसला वहाँ (अकाबिरे सहाबा रज़ि. से) पूछना। चुनाँचे जब ये लोग मदीना आए तो पूछा, जिन अकाबिर से पूछा गया था उनमें उम्मे सुलैम (रज़ि.) भी थीं और उन्होंने (उनके जवाब में वही) सफ़िया (रज़ि.) की हदीष़ बयान की इस हदीष़ को ख़ालिद और क़तादा ने भी इक्रिमा से रिवायत किया है।

١٧٦٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ)). [راجع: ٣٢٩]

1760. हमसे मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने ताऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि औ़रत को इसकी इजाज़त है कि अगर वो तवाफ़े इफ़ाज़ा (तवाफ़े ज़ियारत) कर चुकी हो और फिर (तवाफ़े विदाअ़ से पहले) हैज़ आ जाए तो (अपने घर) वापस चली जाए। (राजेअ़ : 329)

١٧٦١- قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ. [راجع: ٣٣٠]

1761. कहा मैंने इब्ने उ़मर को कहते सुना कि इस औ़रत के लिये वापस नहीं। उसके बाद मैं ने उनसे सुना आप फ़र्माते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने औ़रतों को उसकी इजाज़त दी है। (राजेअ़ : 330)

ऐसी मा'ज़ूर (असमर्थ, मजबूर) औ़रतों के लिये तवाफ़े विदाअ़ मुआफ़ है, और वो इसके बग़ैर अपने वतन लौट सकती हैं।

١٧٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو

1762. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, कहा कि हमसे

अबू अवाना ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे इब्राहीम नख़्ई ने, उनसे अस्वद ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ निकले, हमारी निय्यत हज्ज के सिवा और कुछ न थी। फिर जब नबी करीम (ﷺ) (मक्का) पहुँचे तो आप (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मरवा की सई की, लेकिन आप (ﷺ) ने एहराम नहीं खोला क्योंकि आपके साथ क़ुर्बानी थी आप (ﷺ) के साथ आप (ﷺ) की बीवियों ने और दीगर अस्हाब ने भी तवाफ़ किया और जिनके साथ क़ुर्बानी नहीं थी उन्होंने (उस तवाफ़ व सई के बाद) एहराम खोल दिया लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) हाइज़ा हो गई थीं, सबने अपने हज्ज के तमाम मनासिक अदा कर लिये थे, फिर जब लैलतुल हस्बा या'नी रवानगी की रात आई तो आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह (ﷺ) आप (ﷺ) के तमाम साथी हज्ज और उम्रह दोनों करके जा रहे हैं सिर्फ़ मैं उम्रह से महरूम हूँ, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा जब हम आए थे तो तुम (हैज़ की वजह से) बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकी थीं? मैंने कहा कि नहीं, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर अपने भाई के साथ तन्ईम चली जा और वहाँ से उम्रह का एहराम बाँध (और उम्रह कर) हम तुम्हारा फ़लाँ जगह इंतिज़ार करेंगे, चुनाँचे मैं अपने भाई (अब्दुर्रहमान रज़ि.) के साथ तन्ईम गई और वहाँ से एहराम बाँधा। इसी तरह सफ़िया बिन्ते हुय्यि (रज़ि.) भी हाइज़ा हो गई थीं नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें (अज़राहे मुहब्बत) फ़र्माया अक़्रा हल्क़इ, तो तू हमें रोक लेगी, क्या तूने क़ुर्बानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया था? वो बोलीं कि किया था, इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर कोई हर्ज नहीं, चली चलो। मैं जब आप तक पहुँची तो आप (ﷺ) मक्का के बालाई इलाक़े पर चढ़ रहे थे और मैं उतर रही थी या ये कहा कि मैं चढ़ रही थी और हुज़ूर (ﷺ) उतर रहे थे। मुसद्दद की रिवायत में (रसूलुल्लाह ﷺ के कहने पर) हाँ के बजाए नहीं है, उसकी मुताबअत जरीर ने मन्सूर के वास्ते से नहीं के ज़िक्र में की है। (राजेअ : 294)

عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا. فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي. قَالَ: ((مَا كُنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟)) قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ((فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)). فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ((فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي)). فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ)). قَالَ مُسَدَّدٌ ((قُلْتُ: لاَ)). تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ ((لاَ)). [راجع: ٢٩٤]

अक़्रा के लफ़्ज़ी तर्जुमा बांझ और हल्क़इ का तर्जुमा सरमुँडी है ये अल्फ़ाज़ आप (ﷺ) ने मुहब्बत में इस्तेमाल किये, मा'लूम हुआ कि ऐसे मौक़ों पर ऐसे लफ़्ज़ों का इस्ते'माल जाइज़ है।

बाब 146 : उसके बारे में जिसने रवानगी के दिन अ़स्र की नमाज़ अब्तह में पढ़ी

١٤٦- بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

1763. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा हमसे इस्हाक़ बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे सुफ़यान षौरी ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन रुफ़ैअ़ ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, मुझे वो ह़दीष़ बताइये जो आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद हो कि उन्होंने आठवीं ज़िहिल्ज के दिन ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने कहा मिना में, मैंने पूछा और रवानगी के दिन अ़स्र कहाँ पढ़ी थी उन्होंने फ़र्माया कि अब्तह में और तुम उसी त़रह करो जिस त़रह तुम्हारे ह़ाकिम लोग करते हों। (ताकि फ़ित्ना वाक़ेअ़ न हो) (राजेअ़ : 1653)

١٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ)). [راجع: ١٦٥٣]

1764. हमसे अ़ब्दुल मुतआल बिन त़ालिब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अ़म्र बिन ह़ारिष़ ने ख़बर दी, उनसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया ज़ुहर, अ़स्र मग़रिब और इशा नबी करीम (ﷺ) ने पढ़ी और थोड़ी देर के लिये मुह़स्सब में सो रहे, फिर बैतुल्लाह की त़रफ़ सवार होकर गए और त़वाफ़ किया। (यहाँ त़वाफ़े ज़ियारत मुराद है) (राजेअ़ : 1756)

١٧٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)). [راجع: ١٧٥٦]

किसी ने क्या ख़ूब कहा है

अमर अलद्दियारि दियारु लैला
व मा हुब्बुद्दियारि शगफ़्न कल्बी
अक़बल जा जिदारिन व जल्जिदारा
व लाकिन हब्ब मन सकनद्दियारा

बाब 147 : वादी मुह़स्सिब का बयान

١٤٧- بَابُ الْمُحَصَّبِ

मुह़स्सिब एक खुला मैदान मक्का और मिना के बीच वाक़ेअ़ है उसको अब्तह और बत़्हा और ख़ैफ़ बनी किनान भी कहते हैं।

1765. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उनके वालिद

١٧٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) मिना से कूच करके यहाँ मुहस्सब में इसलिये उतरे थे ताकि आसानी के साथ मदीना को निकल सकें। आप (ﷺ) की मुराद अब्तह में उतरने से थी।

عَنْهَا قَالَتْ : ((إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ)) يَعْنِي بِالأَبْطَحِ.

1766. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उयय़ना ने बयान किया, उनसे अम्र ने अता बिन अबी रिबाह से बयान किया और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि मुहस्सब में उतरना हज्ज की कोई इबादत नहीं है, ये तो सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़याम की जगह थी।

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ)).

मुहस्सब में ठहरना कोई हज्ज का रुक्न नहीं। आप (ﷺ) वहाँ आराम के लिये इस ख़्याल से कि मदीना की रवानगी वहाँ से आसान होगी ठहर गए थे चुनाँचे अस्रैन व मग़्रिबैन आपने वहीं अदा कीं, इस पर जब आप (ﷺ) वहाँ ठहरे तो ये ठहरना मुस्तहब हो गया और आप (ﷺ) के बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) भी वहाँ ठहरा करते थे।

बाब 148 : मक्का में दाख़िल होने से पहले ज़ीतुवा में क़याम करना और मक्का से वापसी में ज़ुल् हुलैफ़ा के कंकरीले मैदान में क़याम करना

١٤٨ - بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

1767. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़म्रह अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) मक्का जाते वक़्त ज़ी तवा की दोनों पहाड़ियों के बीच रात गुज़ारते थे और फिर उस पहाड़ी से होकर गुज़रते जो मक्का के ऊपर की तरफ़ है और जब मक्का में हज्ज या उम्रह का एहराम बाँधने आते तो अपनी ऊँटनी मस्जिद के दरवाज़े पर लाकर बिठाते फिर हज्रे अस्वद के पास आते और यहीं से तवाफ़ शुरू करते, तवाफ़ सात चक्करों में ख़त्म होता जिसके शुरू के तीन में रमल करते और चार में मा'मूल के मुताबिक़ चलते, तवाफ़ के बाद दो रकअत नमाज़ पढ़ते फिर डेरा पर वापस होने से पहले सफ़ा व मरवा की सई करते। जब हज्ज या उम्रह करके मदीना वापस होते तो ज़ुल् हुलैफ़ा के मैदान में सवारी बिठाते, जहाँ नबी करीम (ﷺ) भी (मक्का से मदीना वापस होते हुए)

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلاَثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ

الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا)).

[راجع: ٤٩١]

अपनी सवारी बिठाया करते थे।

(राजेअ : 491)

١٧٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ)).

وَعَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ - قَالَ خَالِدٌ: لاَ أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)).

1768. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन हारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि उ़बैदुल्लाह से मुहस़्स़ब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाफ़ेअ़ से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और ह़ज़रत उ़मर और इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने मुहस़्स़ब में क़याम फ़र्माया था।

नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) मुहस़्स़ब में ज़ुहर और अ़स्र पढ़ते थे। मेरा ख़याल है कि उन्होंने मग़्रिब (पढ़ने का भी) ज़िक्र किया, ख़ालिद ने बयान किया कि इशा में मुझे कोई शक नहीं। उसके पढ़ने का ज़िक्र ज़रूर किया फिर थोड़ी देर के लिये वहाँ सो रहते नबी करीम (ﷺ) से भी ऐसा ही मज़्कूर है।

١٤٩- بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

बाब 149 : उसके बारे में जिसने मक्का से वापस होते हुए ज़ीतुवा में क़याम किया

١٧٦٩- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ. وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٩١]

1769. और मुहम्मद बिन ईसा ने कहा कि हमसे ह़म्माद बिन सलमा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) जब मदीना से मक्का आते तो ज़ीतुवा में रात गुज़ारते और जब सुबह होती तो मक्का में दाख़िल होते। इसी तरह मक्का से वापसी में भी ज़ी तवा से गुज़रते और वहीं रात गुज़ारते और फ़र्माते कि नबी करीम (ﷺ) भी इसी तरह किया करते थे। (राजेअ़ : 491)

आजकल ये मक़ाम शहरी आबादी में आ गया है अल्ह़म्दुलिल्लाह 52 ईस्वी के सफ़र में यहाँ ग़ुस्ल करने का मौक़ा मिला था। वल्ह़म्दुलिल्लाहि अ़ला ज़ालिक

١٥٠- بَابُ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

बाब 150 : ज़मान-ए-ह़ज्ज में तिजारत करना और जाहिलियत के बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

1770. हमसे उ़स्मान बिन हैष़म ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि ज़ुल मजाज़ और उ़काज़ अ़हदे जाहिलियत के बाज़ार थे जब इस्लाम आया तो गोया लोगों ने (जाहिलियत के उन बाज़ारों में) ख़रीद व फ़रोख़्त को बुरा ख़्याल किया उस पर (सूरह बक़र की) ये आयत नाज़िल हुई, तुम्हारे लिये कोई ह़र्ज नहीं अगर तुम अपने रब के फ़ज़्ल की तलाश करो, ये ह़ज्ज के ज़माने के लिये था।

(दीगर मक़ाम : 2050, 2098, 4519)

١٧٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ [البقرة : ١٩٨] ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ)).

[أطرافه في : ٢٠٥٠، ٢٠٩٨، ٤٥١٩].

जाहिलियत के ज़माने में चार मण्डियाँ मशहूर थीं उकाज़, ज़ुल मजाज़, मजिन्ना और ह़बाशा, इस्लाम के बाद बस ह़ज्ज के दिनों में इन मँडियों में ख़रीद व फ़रोख़्त और तिजारत जाइज़ रही। अल्लाह ने ख़ुद क़ुर्आन शरीफ़ में इसका जवाज़ उतारा है कि तिजारत के ज़रिये नफ़ा ह़ासिल करने को अपना फ़ज़्ल क़रार दिया। जैसा कि आयते मज़्कूरा से वाज़ेह़ है। तिजारत करना अस्लाफ़ का बेहतरीन शुग़ल था जिसके ज़रिये वो अत्राफ़े आलम में पहुँचे, मगर अफ़सोस कि अब मुसलमानों ने इससे तवज्जह हटा ली जिसका नतीजा इफ़्लास (ग़रीबी) व ज़िल्लत की शक्ल में ज़ाहिर है।

बाब 151 : (आराम कर लेने के बाद) वादी मुहस्सब से आख़िरी रात में चल देना

١٥١- بَابُ الادِّلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

1771. हमसे अ़म्र बिन ह़फ़्स ने बयान किया, कहा कि हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़्ई ने बयान किया, उनसे अस्वद ने और उनसे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मक्का से रवानगी की रात स़फ़िया (रज़ि.) ह़ाइज़ा थीं, उन्होंने कहा कि ऐसा मा'लूम होता है मैं उन लोगों के रोकने का बाइ़ष़ बन जाऊँगी फिर नबी करीम (ﷺ) ने कहा अ़क़्रा ह़ल्क़इ क्या तूने क़ुर्बानी के दिन त़वाफ़े ज़ियारत किया था? उसने कहा कि जी हाँ कर लिया था, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर चलो। (राजेअ़ : 194)

١٧٧١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ ((فَانْفِرِي)).[راجع: ٢٩٤]

1772. अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी ने कहा, मुहम्मद बिन सलाम ने (अपनी रिवायत में) ये ज़्यादती की है कि हमसे मुह़ाज़िर ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़्ई ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (ह़ज्जतुल विदाअ़) में मदीने से निकले तो हमारी ज़ुबानों पर सिर्फ़ ह़ज्ज का

١٧٧٢- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ،

فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((حَلْقَى عَقْرَى، مَا أُرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ)). قَالَ: ((كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَانْفِرِي)). قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. الَ: فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ. فَخَرَجَ مَعَهَا خُوهَا، فَلَقِيْنَاهُ مُدَّلِجًا. فَقَالَ: ((مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)). [راجع: ٢٩٤]

ज़िक्र था। जब हम मक्का गए तो आप (ﷺ) ने हमें एह्राम खोल देने का हुक्म दिया (अफ़्आले उम्रह के बाद जिनके पास क़ुर्बानी नहीं थी) रवानगी की रात सफ़िया बिन्ते हुय्यि (रज़ि.) हाइज़ा हो गईं, आँहज़रत (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया अक़्रा-हल्क़ इ ऐसा मा'लूम होता है कि तुम हमें रोकने का बाइष बनोगी, फिर आप (ﷺ) ने पूछा क्या क़ुर्बानी के दिन तुमने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया था? उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर चली चलो! (आइशा (रज़ि.) ने अपने बारे में कहा कि) मैंने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एहराम नहीं खोला है। आपने फ़र्माया तुम तन्ईम से उम्रह का एहराम बाँध लो (उम्रह कर लो) चुनाँचे आइशा (रज़ि.) के साथ उनके भाई गए (आइशा रज़ि. ने) फ़र्माया कि हम रात के आख़िर में वापस लौट रहे थे कि आप (ﷺ) से मुलाक़ात हुई, आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि हम तुम्हारा इंतिज़ार फ़लाँ जगह करेंगे। (राजेअ : 294)

मा'लूम हुआ कि मुहस्सब से आख़िर रात में कूच करना मुस्तहब है। अक़्रा का लफ़्ज़ी तर्जुमा बांझ और हलक़इ का सरमुँडी, आप (ﷺ) ने मुहब्बत के तौर पर ये लफ़्ज़ इस्ते'माल किये जैसा कह दिया करते हैं सरमुँडी, ये बोलचाल का आम मुहावरा है। ये हदीष भी बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है, ख़ास तौर पर सिन्फ़े नाज़ुक के लिये पैग़म्बरे इस्लाम (ﷺ) के क़ल्बे मुबारक में किस क़दर राफ़्त और रहमत थी कि आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) की ज़रा सी दिलशिकनी भी गवारा न की बल्कि उनकी दिलजोई के लिये उनको तन्ईम जाकर वहाँ से उम्रह का एहराम बाँधने का हुक्म फ़र्माया और उनके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) को साथ कर दिया, जिससे ज़ाहिर है कि सिन्फ़े नाज़ुक को तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं है बल्कि उनके साथ बहरहाल कोई ज़िम्मेदार निगराँ होना ज़रूरी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया (रज़ि.) के हाइज़ा हो जाने की ख़बर सुनकर आप (ﷺ) ने मुहब्बत के नाते उनके लिये अक़्रा हल्क़ई के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल फ़र्माए, इससे भी सिन्फ़े-नाज़ुक के लिये आपकी शफ़क़त टपकती है। नीज़ यह भी कि मुफ़्ती हज़रात को उस्वते हस्ना की पैरवी ज़रूरी है कि हुदूदे शरइया में हर मुम्किन नरमी इख़्तियार करना उस्व-ए-नुबुव्वत है।

24. किताबुल उम्रति

किताब उम्रह के मसाइल का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब : 1 उम्रह का वजूब और

١- بَابُ الْعُمْرَةِ. وُجُوبُ الْعُمْرَةِ

उसकी फ़ज़ीलत

وَفَضْلُهَا

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि (साहिबे इस्तिताअ़त) पर हज्ज और उ़म्रह वाजिब है, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि किताबुल्लाह में उ़म्रह हज्ज के साथ आया है, 'और पूरा करो हज्ज और उ़म्रह को अल्लाह के लिये।' (अल बक़रः : 196)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة : ١٩٦].

का'बा शरीफ़ की मख़्सूस आ'माल के साथ ज़ियारत करना, इस अ़मल को उ़म्रह कहते हैं, उम्रह साल भर में किसी भी वक़्त किया जा सकता है, हाँ चन्द दिनों में मना है जिनका ज़िक्र हो चुका है अकष़र उ़लमा का क़ौल है कि उ़म्रह उ़म्रभर में एक बार वाजिब है, कुछ लोग सिर्फ़ मुस्तह़ब मानते हैं।

1773. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान के ग़ुलाम सुमय ने ख़बर दी, उन्हें अबू स़ालेह़ सिमान ने ख़बर दी और उन्हें ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया एक उ़म्रह के बाद दूसरा उ़म्रह दोनों के बीच के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और हज्जे मबरूर की जज़ा (बदला) जन्नत के सिवा और कुछ नहीं।

١٧٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ)).

अल्लाह पाक ने क़ुर्आन मजीद में और रसूले करीम (ﷺ) ने अपने कलामे बलाग़ते निज़ाम में ह़ज्ज के साथ उ़म्रह का ज़िक्र किया है, जिससे उ़म्रह का वुजूब ष़ाबित हुआ, यही इमाम बुख़ारी (रह.) बतलाना चाहते हैं आपने उ़म्रह का वुजूब आयत और ह़दीष़ दोनों से ष़ाबित किया। ह़ज्जे मबरूर वो जिसमें शुरू से लेकर आख़िर तक नेकियाँ ही नेकियाँ हों और आदाबे ह़ज्ज को पूरे तौर पर निभाया जाए ऐसा ह़ज्ज यक़ीनन जन्नत में दाख़िल होने का हक़दार का है। **अल्लाहुम्मर्रज़ुक़्ना** (आमीन)

बाब 2 : उस शख़्स का बयान जिसने ह़ज्ज से पहले उ़म्रह किया

٢- بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

1774. हमसे अह़मद बिन मुह़म्मद ने बयान किया, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी कि इक्रिमा बिन ख़ालिद ने ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से ह़ज्ज से पहले उ़म्रह करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कोई ह़र्ज नहीं, इक्रिमा ने कहा ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज्ज करने से पहले उ़म्रह ही किया था और इब्राहीम बिन सअ़द ने मुह़म्मद बिन इस्हाक़ से बयान किया, उनसे इक्रिमा

١٧٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ((أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ

बिन ख़ालिद ने बयान किया कि मैंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से पूछा फिर यही ह़दीष़ बयान की।

خَالِدٍ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ . مِثْلَهُ)). حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . مِثْلَهُ)).

हमसे अ़म्र बिन अ़ली फ़लास ने बयान किया, उनसे अबू आ़सिम ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उनसे इक्रिमा बिन ख़ालिद ने बयान किया कि मैंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से पूछा फिर यही ह़दीष़ बयान की।

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक मरवज़ी हैं, बनी ह़न्ज़ला के आज़ादकर्दा हैं, हिशाम बिन उ़र्वा, इमाम मालिक, ष़ौरी, शुअ़बा और औज़ाई और उनके हवाले से बहुत से लोगों से ह़दीष़ को सुना और उनसे सुफ़यान बिन उ़ययना और यह्या बिन सईद और यह्या बिन मुईन वग़ैरह रिवायत करते हैं, उन उ़लमा में से हैं जिनको क़ुर्आन मजीद में उ़लमा–ए–रब्बानिय्यीन से याद किया गया है। वे अपने ज़माने के इमाम और पुख़्ताकार फ़क़ीह और ह़ाफ़िज़े ह़दीष़ थे, साथ ही ज़ाहिदे कामिल और क़ाबिले फ़ख़्र सख़ी और अख़्लाक़े फ़ाज़िला की जीती–जागती तस्वीर थे, इस्माईल बिन अ़याश ने अल्लाह की क़सम खाकर कहा कि रूए ज़मीन पर उनके ज़माने में कोई उन जैसा आ़लिम न था। ख़ैर की कोई ख़स़लत नहीं जो अल्लाह तआ़ला ने उनको न बख़्शी हो, उनके शागिर्दों की भी कष़ीर ता'दाद है। एक लम्बे अ़र्से तक बग़दाद में दर्से ह़दीष़ दिया। इनकी पैदाइश 118 हिज्री में हुई और 181 हिजरी में वफ़ात पाई। अल्लाह पाक फ़िरदौसे बरीं में आपके बेहतरीन मक़ामात में इज़ाफ़ा करे और हमको ऐसे बुज़ुर्गों के साथ मह़शूर करे, आमीन! अफ़सोस की बात यह है कि आज ऐसे बुज़ुर्गों और अल्लाह वाले ह़ज़रात से उम्मते–मुस्लिमा मह़रूम है, काश! अल्लाह पाक फिर ऐसे बुज़ुर्ग पैदा करे और उम्मत को फिर ऐसे बुज़ुर्गों के उ़लूम से नूरे ईक़ान अ़ता करे आमीन।

बाब 3 : नबी करीम (ﷺ) ने कितने उ़म्रे किये हैं

٣– بَابُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟

किसी रिवायत में चार उ़मरे मज़्कूर हैं , किसी में दो उनकी जमा यूँ है कि अख़ीर की रिवायत में वो उ़मरह जो आप (ﷺ) ने ह़ज्ज के साथ किया था। उसी त़रह़ वो उ़मरह जिससे आप (ﷺ) रद्द किये गये थे, शुमार नहीं किये। सईद बिन मंसूर ने निकाला कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने तीन उ़मरे किये दो तो ज़ीक़अ़दा में और एक शव्वाल में और दूसरी रिवायतों में ये है कि आप (ﷺ) ने तीनों उ़मरे ज़ीक़अ़दा में किये थे।

1775. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे मुजाहिद ने बयान किया कि मैं और उ़र्वा बिन ज़ुबैर मस्जिदे नबवी में दाख़िल हुए, वहाँ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे के पास बैठे हुए थे, कुछ लोग मस्जिदे नबवी में इशराक़ की नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने बयान किया कि हमने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से उन लोगों की उस नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि बिदअ़त है, फिर उनसे पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ने कितने उ़मरे किये थे? उन्होंने कहा कि चार, एक उनमें से रजब में किया था लेकिन हमने पसन्द नहीं किया कि उनकी इस बात की तर्दीद करें। (दीगर मक़ाम : 4253)

١٧٧٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ : كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعٌ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ)). [طرفه في : ٤٢٥٣].

1776. मुजाहिद ने बयान किया कि हमने उम्मुल मोमिनीन

١٧٧٦– وَقَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ

हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे से उनके मिस्वाक करने की आवाज़ सुनी तो उर्वा ने पूछा ऐ मेरी माँ! ऐ उम्मुल मोमिनीन! अबू अब्दुर्रहमान की बात आप सुन रही हैं? आइशा (रज़ि.) ने पूछा वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने चार उमरे किये थे जिनमें से एक रजब में किया था, उन्होंने फ़र्माया कि अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर रहम करे! आँहज़रत (ﷺ) ने तो कोई उमरह ऐसा नहीं किया जिसमें वो ख़ुद मौजूद न रही हों, आप (ﷺ) ने रजब में तो कभी उमरह ही नहीं किया।
(दीगर मक़ाम : 1777, 4253)

الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ : مَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمُرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ)).
[طرفاه في : ١٧٧٧، ٤٢٥٤].

तश्रीह : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के नज़दीक इशराक़ की नमाज़ के बारे में मा'लूमात न होंगी इसलिये उन्होंने इसे बिदअत कह दिया हालाँकि ये नमाज़ अहादीष में मज़्कूर है या आपने इस नमाज़ को मस्जिद में पढ़ना बिदअत क़रार दिया जैसा कि हर नमाज़ घर में पढ़ने ही से मुता'ल्लिक़ है। जुम्हूर के नज़दीक इस नमाज़ को मस्जिद या घर हर जगह पढ़ा जा सकता है। उमरह—ए—नबवी के बारे में माहे रजब का ज़िक्र सहीह नहीं है जैसा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने वज़ाहत के साथ समझा दिया। आप उर्वा की ख़ाला हैं इसलिये आपने उनको यां अम्मा कहकर पुकारा।

1777. हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा कि हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रबाह ने ख़बर दी, उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने आइशा (रज़ि.) से पूछा तो आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रजब में कोई उमरह नहीं किया था। (राजेअ : 1776)

١٧٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجَبٍ)). [راجع: ١٧٧٦]

1778. हमसे हस्सान बिन हस्सान ने बयान किया कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने बयान किया, उनसे क़तादा ने कि मैंने अनस (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ने कितने उमरे किये थे? तो आपने फ़र्माया कि चार, उमरह—ए—हुदैबिया ज़ीक़अदा में जहाँ पर मुश्रिकीन ने आप (ﷺ) को रोक दिया था, फिर आइन्दा साल ज़ीक़अदा ही में एक उमरह क़ज़ा जिसके बारे में आप (ﷺ) ने मुश्रिकीन से सुलह की थी और तीसरा उमरह जोअराना जिस मौक़े पर आप (ﷺ) ने ग़नीमतें, ग़ालिबन हुनैन की तक़्सीम की थी चौथा हज्ज के साथ मैंने पूछा और आँहज़रत (ﷺ) ने हज्ज कितने किये थे? फ़र्माया कि एक। (दीगर मक़ाम : 1779, 1280, 3066, 4147)

١٧٧٨- حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ((سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ أَرْبَعٌ : عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيْمَةَ - أُرَاهُ - حُنَيْنٍ. قُلْتُ كَمْ حَجَّ؟ قَالَ : وَاحِدَةً)).
[أطرافه في: ١٧٧٩، ١٧٨٠، ٣٠٦٦، ٤١٤٨].

1779. हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने

١٧٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

بَيَانَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ)). [راجع: ١٧٧٨]

बयान किया कि मैंने अनस (रज़ि.) से आँहज़रत (ﷺ) के इमरा के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक इमरा वहाँ किया जहाँ से आप (ﷺ) को मुश्रिकीन ने वापस कर दिया था और दूसरे साल (ﷺ) इमरह हुदैबिया (की क़ज़ा) की थी और एक इमरह ज़ीक़अदा में और एक अपने हज्ज के साथ किया था। (राजेअ़ : 1778)

जिन रावियों ने हुदैबिया में आप (ﷺ) के एहराम खोलने और कुर्बानी करने को इमरह क़रार दिया उन्होंने आप (ﷺ) के चार इमरे बयान किये और जिन्होंने उसे इमरा क़रार नहीं दिया उन्होंने तीन इमरे बयान किया और रिवायत में इख़्तिलाफ़ की वजह यही है और इन तौजीहात की बिना पर किसी भी रिवायत को ग़लत नहीं कहा जा सकता।

١٧٨٠- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ: ((اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ)). [راجع: ١٧٧٨]

1780. हमसे हुद्बा बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम ने बयान किया, इस रिवायत में यूँ है कि जो इमरह आँहज़रत (ﷺ) ने अपने हज्ज के साथ किया था उसके सिवा तमाम इमरे ज़ीक़अदा ही में किये थे। हुदैबिया का इमरह और दूसरे साल उसकी क़ज़ा का इमरह किया था। (क्योंकि आप ﷺ ने क़िरान किया था और हज्जतुल विदाअ़ से मुता'ल्लिक़ है) और जिअ़राना का इमरह जब आप (ﷺ) ने जंगे हुनैन की ग़नीमत तक़्सीम की थी। फिर एक इमरह अपने हज्ज के साथ किया था। (राजेअ़ : 1778)

١٧٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا: ((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ)).

[أطرافه في : ١٨٤٤، ٢٦٩٨، ٢٦٩٩، ٢٧٠٠، ٣١٨٤، ٤٢٥١].

1781. हमसे अहमद बिन इ़म्मान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुरैह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि मैंने मसरूक़, अ़ता और मुजाहिद (रह.) से पूछा तो उन सब हज़रात ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्ज से पहले ज़ीक़अदा ही में इमरे किये थे और उन्होंने बयान किया कि मैंने बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने माहे ज़ीक़अदा में हज्ज से पहले दो इमरे किये थे।

(दीगर मक़ाम : 1844, 2698, 2699, 2700, 3184, 4251)

٤- بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

बाब 4 : रमज़ान में इमरे का बयान

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने तर्जुम-ए-बाब में इसकी फ़ज़ीलत की तशरीह नहीं की और शायद उन्होंने इस रिवायत की तरफ़ इशारा किया जो दारे क़ुत्नी ने निकाली, हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि मैं आँहज़रत (ﷺ) के साथ रमज़ान के उमरे में निकली, आप (ﷺ) ने इफ़्तार किया और मैंने रोज़ा रखा। आपने क़स्र किया, मैंने पूरी नमाज़ पढ़ी कुछ ने कहा ये रिवायत ग़लत है क्योंकि आप (ﷺ) नें रमज़ान में कोई उमरा नहीं किया, हाफ़िज़ ने कहा शायद मतलब ये हो कि रमज़ान में उमरा के लिये मदीना से निकली है क्योंकि फ़तहे मक्का का सफ़र रमज़ान ही में हुआ था। (वहीदी)

1782. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे अता बिन अबी रबाह ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से सुना, उन्होंने हमें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अंसारी ख़ातून (उम्मे सिनान रज़ि.) से (इब्ने अब्बास रज़ि. ने उनका नाम बताया था लेकिन मुझे याद न रहा) पूछा कि तू हमारे साथ हज्ज नहीं करती? वो कहने लगी कि हमारे पास एक ऊँट था जिस पर अबू फ़लाँ (यानी उसका शौहर) और उसका बेटा सवार होकर हज्ज के लिये चल दिये और एक ऊँट उन्होंने छोड़ा है, जिससे पानी लाया जाता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा जब रमज़ान आए तो उमरह कर लेना क्योंकि रमज़ान का उमरह एक हज्ज के बराबर होता है या उसी जैसी कोई बात आप (ﷺ) ने फ़र्माई।

(दीगर मक़ाम: 1863)

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا - ((مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّيْنَ مَعَنَا؟)) قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ. قَالَ: ((فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيْهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ)) أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ. [طرفه في: ١٨٦٣].

इमाम बुख़ारी (रह.) की दूसरी रिवायत में उस औरत का नाम उम्मे सिनान (रज़ि.) मज़्कूर है, कुछ ने कहा वो उम्मे सुलैम (रज़ि.) थीं जैसे इब्ने हिब्बान की रिवायत में है और निसाई ने निकाला है कि बनी असद की एक औरत। मुअक़िल ने कहा मैंने हज्ज का क़स्द किया लेकिन मेरा ऊँट बीमार हो गया, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रमज़ान में उमरा कर ले रमज़ान का उमरा हज्ज के बराबर है। हाफ़िज़ ने कहा अगर ये औरत उम्मे सिनान थी तो उसके बेटे का नाम सिनान होगा और अगर उम्मे सुलैम थी तो उसका बेटा ही कोई ऐसा न था जो हज्ज के क़ाबिल होता। एक अनस थे वो छोटी उम्र में थे और शायद उनके शौहर अबू तलहा का बेटा मुराद हो वो भी गोया उम्मे सुलैम का बेटा हुआ क्योंकि अबू तलहा उम्मे सुलैम के शौहर थे।

बाब 5 : मुहस्सब की रात उमरह करना या उसके अलावा किसी दिन भी उमरह करने का बयान

٥- بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

1783. हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमको अबू मुआविया ने ख़बर दी, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद उर्वा ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना से निकले तो ज़िल्हिज्ज का चाँद निकलने वाला था, आप (ﷺ)

١٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ

ने फ़र्माया कि अगर कोई हज्ज का एहराम बाँधना चाहता है तो वो हज्ज का बाँध ले और अगर कोई उमरह का बाँधना चाहता है तो वो उमरह का बाँध ले। अगर मेरे साथ हदी न होती तो मैं भी उमरह का एहराम बाँधता। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हममें कुछ ने तो उमरह का एहराम बाँधा और कुछ ने हज्ज का एहराम बाँधा। मैं भी उन लोगों में थी जिन्होंने उमरह का एहराम बाँधा था, लेकिन अरफ़ा का दिन आया तो मैं उस वक़्त हाइज़ा थी, चुनाँचे मैंने उसकी हुज़ूर (ﷺ) से शिकायत की आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उमरह छोड़ दे और सर खोल दे और उसमें कँघा कर ले फिर हज्ज का एहराम बाँध लेना। (मैंने ऐसा ही किया) जब मुहस्सब के क़याम की रात आई तो हुज़ूर (ﷺ) ने अब्दुर्रहमान को मेरे साथ तन्ईम भेजा, वहाँ से मैंने उमरह का एहराम अपने उस उमरे के बदले में बाँधा। (जिसको तोड़ डाला था) (राजेअ : 294)

يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَو لاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)). قَالَتْ : فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَلَّنِي يَومُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ)). فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي)). [راجع: ٢٩٤]

बाब 6 : तन्ईम से उमरह करना

٦- بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

ये ख़ास हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) के हुक्म से किया था बाक़ी किसी सहाबी से मन्क़ूल नहीं कि उसने उमरह का एहराम तन्ईम से बाँधा हो; न आँहज़रत (ﷺ) ने कभी ऐसा किया, इमाम इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में ऐसा ही कहा है। हाफ़िज़ ने कहा कि जब हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बहुक्मे नबवी (ﷺ) से ऐसा किया तो उसका मशरूअ होना षाबित हो गया अगरचे इसमें शक नहीं कि उमरह के भी ख़ास अपने मुल्क से सफ़र करके जाना अफ़ज़ल और आला है और सल्फ़ का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि हर साल एक उमरह से ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं, इमाम मालिक ने एक से ज़्यादा करना मकरूह जाना है और जुम्हूर उलमा ने उनका ख़िलाफ़ किया है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने अरफ़ा और यौमुन्नहर और अय्यामे तशरीक़ में उमरह करना मकरूह रखा है। (वहीदी)

1784. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने, उन्होंने अम्र बिन औस से सुना, उनको अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया था कि आइशा (रज़ि.) को अपने साथ सवारी पर ले जाएँ और तन्ईम से उन्हें उमरह करा लाएँ। सुफ़यान बिन उययना ने कहीं यूँ कहा मैंने अम्र बिन दीनार से सुना। कहीं यूँ कहा मैंने कई बार इस हदीष को अम्र बिन दीनार से सुना। (दीगर मक़ाम : 2985)

١٧٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ)). قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًوا، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو. [طرفه في : ٢٩٨٥].

1785. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, उनसे अब्दुल वह्हाब बिन अब्दुल मजीद ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के अस्हाब ने हज्ज का एहराम बाँधा था और आँहज़रत (ﷺ) और

١٧٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ

الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ)). وَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. قَالَ : فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لاَ، بَلْ لِلأَبَدِ)). [راجع: ١٥٥٧]

तलहा (रज़ि.) के सिवा क़ुर्बानी किसी के पास नहीं थी। उन ही दिनों में हज़रत अली (रज़ि.) यमन से आए तो उनके साथ भी क़ुर्बानी थी, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का एहराम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बाँधा है मेरा भी एहराम वही है। आँहज़रत (ﷺ) ने अपने अस्हाब को (मक्का में पहुँचकर) इसकी इजाज़त दे दी थी कि अपने हज्ज को उमरह में तब्दील कर दें और बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मर्वा की सई करके बाल तरशवा लें और एहराम खोल दें, लेकिन वो लोग ऐसा न करें जिनके साथ हदी हो। इस पर लोगों ने कहा कि हम मिना से हज्ज के लिये इस तरह से जाएँगे कि हमारे ज़कर से मनी टपक रही हो। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) तक पहुँची तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो बात अब हुई अगर पहले से मा'लूम होती तो मैं अपने साथ हदी न लाता और अगर मेरे साथ हदी न होते तो (अफ़आले उमरह अदा करने के बाद मैं भी एहराम खोल देता) आइशा (रज़ि.) (उस हज्ज में) हाइज़ा हो गई थीं, इसलिये उन्होंने अगरचे तमाम मनासिक अदा किये लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया। फिर जब वो पाक हो गईं और तवाफ़ कर लिया तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सब लोग हज्ज और उमरह दोनों करके वापस हो रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ़ हज्ज कर सकी हूँ, आप (ﷺ) ने उस पर अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) से कहा कि इन्हें साथ लेकर तन्ईम जाएँ और उमरह करा लाएँ, ये उमरह हज्ज के बाद ज़िल्हिज्ज के ही महीने में हुआ था। आँहज़रत (ﷺ) जब जम्र-ए-उक़्बा की रमी कर रहे थे तो सुराक़ा बिन मालिक बिन जअशम आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये (उमरह और हज्ज के दरम्यान एहराम खोल देना) सिर्फ़ आज ही के लिये है? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि नहीं बल्कि हमेशा के लिये है। (राजेअ: 1557)

तश्रीह : यज़ीद की रिवायत में यूँ है क्या ये हुक्म ख़ास हमारे लिये है, इमाम मुस्लिम की रिवायत में यूँ है सुराक़ा खड़ा हुआ और कहने लगा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये हुक्म इसी साल के लिये ख़ास है। आपने उँगलियों को उँगलियों में डाला और दोबारा फ़र्माया उमरह और हज्ज में हमेशा के लिये शरीक हो गया।। नववी (रह.) ने कहा इसका मतलब ये है कि हज्ज के महीनों में उमरह करना दुरुस्त हुआ और जाहिलियत का क़ाइदा टूट गया कि हज्ज के महीनों में उमरह करना मकरूह है। कुछ ने कहा मतलब ये हे कि क़िरान यानी हज्ज और उमरे को जमा करना दुरुस्त हुआ इस बाब के लाने से इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि तमत्तोअ, जिसमें क़ुर्बानी है वो ये है कि हज्ज से पहले उमरह करे और जो लोग हज्ज के महीनों में सारे ज़िल्हिज्ज

को शामिल करते हैं और कहते हैं कि ज़िल्हिज्ज में हज्ज के बाद भी उ़मरह करे तो वो भी तमत्तोअ़ है और उसमें क़ुर्बानी या रोज़े वाजिब नहीं, वो इस ह़दीष़ का जवाब ये देते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपनी बीवियों की त़रफ़ से क़ुर्बानी की थी। जैसे एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने अपनी बीवियों की त़रफ़ से एक गाय क़ुर्बान की और मुस्लिम की रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की त़रफ़ से क़ुर्बानी दी और शायद ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) को उसकी ख़बर न हो।

٧- بَابُ الاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

बाब 7 : ह़ज्ज के बाद उ़मरह करना और क़ुर्बानी न देना

١٧٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِي هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْ لاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)). فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ))، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ)). [راجع: ٢٩٤]

1786. हमसे मुह़म्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद उ़र्वा ने ख़बर दी कहा कि मुझे आ़इशा (रज़ि.) ने ख़बर दी उन्होंने कहा कि ज़िल् ह़िज्ज का चाँद निकलने वाला था कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना से ह़ज्ज के लिये चले आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो उ़मरह का एह़राम बाँधना चाहे वो उ़मरह का एह़राम बाँध ले और जो ह़ज्ज का बाँधना चाहे वो ह़ज्ज का बाँध ले, अगर मैं अपने साथ क़ुर्बानी न लाता तो मैं भी उ़मरह का ही एह़राम बाँधता। चुनाँचे बहुत से लोगों ने उ़मरह का एह़राम बाँधा और बहुतों ने ह़ज्ज का। मैं भी उन लोगों में थी जिन्होंने उ़मरह का एह़राम बाँधा था। मगर मैं मक्का में दाख़िल होने से पहले हाइज़ा हो गई, अ़रफ़ा का दिन आ गया और अभी मैं हाइज़ा ही थी, उसका रोना मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने रोई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उ़मरह छोड़ दे और सर खोल ले और कँघा कर ले फिर ह़ज्ज का एह़राम बाँध लेना। चुनाँचे मैंने ऐसा ही किया, उसके बाद जब मुह़स़्स़ब की रात आई तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने मेरे साथ अ़ब्दुर्रह़मान को तन्ईम भेजा वो मुझे अपनी सवारी पर पीछे बिठाकर ले गए वहाँ से आ़इशा (रज़ि.) ने अपने (छोड़े हुए) उ़मरे के बजाए दूसरे उ़मरे का एह़राम बाँधा इस त़रह अल्लाह तआ़ला ने उनका भी ह़ज्ज और उ़मरह दोनों ही पूरे कर दिये न तो इसके लिये उन्हें क़ुर्बानी लानी पड़ी न स़दक़ा देना पड़ा और रोज़ा रखना पड़ा। (राजेअ़ : 294)

٨- بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

बाब 8 : उ़मरह में जितनी तकलीफ़ हो उतना ही ष़वाब है

1787. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा उनसे यज़ीद बिन ज़ुरेअ ने बयान किया, उनसे इब्ने औन ने बयान किया, उनसे क़ासिम बिन मुहम्मद ने और दूसरी (रिवायत में) इब्ने औन, इब्राहीम से रिवायत करते हैं और वो अस्वद से, उन्होंने बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह! लोग तो दो निस्क (हज्ज और उमरह) करके वापस लौट रहे हैं और मैंने सिर्फ़ एक निस्क (हज्ज) किया है? इस पर उनसे कहा गया कि फिर इंतिज़ार करें और जब पाक हो जाएँ तो तन्ईम जाकर वहाँ से (उमरह का) एहराम बाँधें, फिर हमसे फ़लाँ जगह आ मिलें और ये कि उस उमरे का ष़वाब तुम्हारे ख़र्च और मेहनत के मुताबिक़ मिलेगा। (राजेअ : 294)

١٧٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ، قَالاَ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ؟ فَقِيْلَ لَهَا: ((انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِيْنَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ)).

[راجع: ٢٩٤]

तश्रीह : इब्ने अब्दुस्सलाम ने कहा कि ये क़ायदा-ए-कुल्लिया नहीं है, बाज़ इबादतों में दूसरी इबादतों से तकलीफ़ और मशक़्क़त कम होती है लेकिन ष़वाब ज़्यादा मिलता है, जैसे शबे क़द्र मे इबादत करना रमज़ान की कई रातों में इबादत करने से ष़वाब में ज़्यादा है या फ़र्ज़ नमाज़ या फ़र्ज़ ज़कात का ष़वाब नफ़्ल नमाज़ों और नफ़्ल सदक़ों से बहुत ज़्यादा है।

बाब 9 : (हज्ज के बाद) उमरह करने वाला उमरह का तवाफ़ करके मक्का से चल दे तो तवाफ़े विदाअ की ज़रूरत है या नहीं है

٩- بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟

1788. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे अफ़्लह बिन हमीद ने बयान किया, उनसे क़ासिम बिन मुहम्मद ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हज्ज के महीनों और आदाब में हम हज्ज का एहराम बाँधकर मदीना से चले और मक़ामे सरिफ़ में पड़ाव किया, नबी करीम (ﷺ) ने अपने अस्हाब से फ़र्माया कि जिसके साथ क़ुर्बानी न हो और वो चाहे कि अपने हज्ज के एहराम को उमरह से बदल दे तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जिसके साथ क़ुर्बानी है वो ऐसा नहीं कर सकता। नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के कुछ मक़्दूर वालों के साथ क़ुर्बानी थी, इसलिये उनका (एहराम सिर्फ़) उमरह का नहीं रहा, फिर नबी करीम (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आप (ﷺ) ने पूछा कि रो क्यों रही हो? मैंने कहा आप (ﷺ) ने अपन

١٧٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ)). وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً. فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:

((مَا يُبْكِيكِ؟)) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي. قَالَ: ((فَلاَ يَضُرُّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا)). قَالَتْ: فَكُنْتُ، حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: ((اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرْ كُمَا هَهُنَا)). فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: ((فَرَغْتُمَا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ)). [راجع: ٢٩٤]

अस्हाब से जो कुछ फ़र्माया मैं सुन रही थी अब तो मेरा उमरह हो गया आप (ﷺ) ने पूछा क्या बात हुई? मैंने कहा कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती, (हैज़ की वजह से) आँहज़रत (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया कि कोई हर्ज नहीं, तू भी आदम की बेटियों में से एक है और जो उन सबके मुक़द्दर में लिखा है वही तुम्हारा भी मुक़द्दर है, अब हज्ज का एहराम बाँध ले शायद अल्लाह तआला तुम्हें उमरह भी नसीब करे। आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने हज्ज का एहराम बाँध लिया फिर जब हम (हज्ज से फ़ारिग़ होकर और) मिना से निकलकर मुहस्सब में उतरे तो आँहज़रत (ﷺ) ने अब्दुर्रहमान को बुलाया और उनसे कहा कि अपनी बहन को हद्दे हरम से बाहर ले जा (तन्ईम) ताकि वो वहाँ से उमरह का एहराम बाँध लें, फिर तवाफ़ व सई करो हम तुम्हारा इंतिज़ार यहीं करेंगे। हम आधी रात को आपकी ख़िदमत में पहुँचे तो आप (ﷺ) ने पूछा क्या फ़ारिग़ हो गए? मैंने कहा हाँ, आँहज़रत (ﷺ) ने उसके बाद अपने अस्हाब में कूच का ऐलान कर दिया। बैतुल्लाह का तवाफ़े विदाअ करने वाले लोग सुबह की नमाज़ से पहले ही रवाना हो गए और मदीना की तरफ़ चल दिए। (राजेअ : 294)

हाफ़िज़ ने कहा इस रिवायत में ग़लती हो गई है सहीह यूँ है लोग चल खड़े हुए फ़िर आप (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। इमाम मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायतों में ऐसा ही है।

١٠- بَابُ يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

बाब 10 : उमरह में उन ही कामों का परहेज़ है जिनसे हज्ज में परहेज़ है

١٧٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ - فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ

1789. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सफ़्वान बिन यअ़ला बिन उमय्या ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम (ﷺ) जिअ़राना में थे, तो आप (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ जुब्बा पहने हुए और उस पर ख़लूक़ या ज़र्दी का निशान था। उसने पूछा मुझे अपने उमरह में आप (ﷺ) किस तरह करने का हुक्म देते हैं? इस पर अल्लाह तआला ने नबी करीम (ﷺ) पर वह्य नाज़िल की और आप (ﷺ) पर कपड़ा डाल दिया गया, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि हुज़ूर (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हो रही हो तो मैं आप (ﷺ) को

देखूँ। उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया यहाँ आओ नबी करीम (ﷺ) पर जब वह्य नाज़िल हो रही हो, उस वक़्त तुम हुज़ूर (ﷺ) को देखने के आरज़ूमन्द हो? मैंने कहा हाँ! उन्होंने कपड़े का किनारा उठाया और मैंने उसमें से आप (ﷺ) को देखा आप ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बयान किया, जैसे ऊँट के सांस की आवाज़ होती है, फिर जब वह्य उतरनी बन्द हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि पूछने वाला कहाँ है जो उमरे का हाल पूछता था? अपना जुब्बा उतार दे, ख़लूक़ के अष़र को धो डाल और (ज़ा'फ़रान की) ज़र्दी साफ़ कर ले और जिस तरह हज्ज में करते हो उसी तरह इसमें भी करो। (राजेअ: 1536)

عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَرُ : تَعَالَ، أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَغَطِيْطِ الْبَكْرِ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)). [راجع: ١٥٣٦]

1790. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उ़र्वा ने, उन्हें उनके वालिद (उ़र्वा बिन ज़ुबैर) ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा आइशा (रज़ि.) से पूछा...... जबकि अभी मैं नौ–उम्र था..... कि अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है, स़फ़ा और मर्वा दोनों अल्लाह तआ़ला की निशानियाँ हैं इसलिये जो शख़्स बैतुल्लाह का हज्ज या उमरह करे उसके लिये उनकी सअ़ी करने में कोई गुनाह नहीं, इसलिये मैं समझता हूँ कि अगर कोई उनकी सअ़ी न करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। ये सुनकर ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हर्गिज़ नहीं। अगर मतलब ये होता जैसा कि तुम बता रहे हो फिर तो उनकी सअ़ी न करने में वाक़ेई कोई ह़र्ज नहीं था, लेकिन ये आयत तो अंस़ार के बारे में नाज़िल हुई है जो मनात बुत के नाम का एह़राम बाँधते थे जो क़दीद के मुक़ाबिल में रखा हुआ था वो सफ़ा और मर्वा की सअ़ी को अच्छा नहीं समझते थे, जब इस्लाम आया तो अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई कि स़फ़ा और मर्वा दोनों अल्लाह तआ़ला की निशानियाँ हैं इसलिये जो शख़्स बैतुल्लाह का हज्ज या उमरह करे उसके लिये उनकी सअ़ी करने में कोई गुनाह नहीं सुफ़यान और अबू मुआविया ने हिशाम से ये ज़्यादती निकाली है कि जो कोई

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ - أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. فَلاَ أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلاَّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ - فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ

عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾. زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِىءٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع: ١٦٤٣]

सफ़ा मर्वा का फेरा न करे तो अल्लाह उसका हज्ज और उमरह पूरा न करेगा। (राजेअ : 1643)

ये इसलिये कि अल्लाह पाक ने सफ़ा और मर्वा पहाड़ियों को भी अपने शआइर क़रार दिया है और उस सई से हज़ारों साल पहले के उस वाक़िये की याद ताज़ा होती है जबकि हज़रत हाजरा (अलैहिस्सलाम) ने अपने नूरे नज़र इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के लिये यहाँ पानी की तलाश में चक्कर लगाए थे और उस मौक़े पर चश्म–ए–ज़मज़म का ज़ुहूर हुआ था।

١١- بَابُ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ﷺ ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا)).

बाब 11 : उमरह करने वाला एहराम से कब निकलता है?

और अता बिन अबी रबाह ने जाबिर (रज़ि.) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने अस्हाब को ये हुक्म दिया कि हज्ज के एहराम को उमरह से बदल दें और तवाफ़ (बैतुल्लाह और सफ़ा व मर्वा) करें फिर बाल तरशवाकर एहराम से निकल जाएँ।

तश्रीह : इब्ने बत्ताल ने कहा मैं तो उलमा का इख़्तिलाफ़ इस बाब में नहीं जानता कि उमरह करनेवाला उस वक़्त हलाल होता है जब तवाफ़ और सई से फ़ारिग़ हो जाए, मगर इब्ने अब्बास (रज़ि.) से एक शाज़ क़ौल मन्क़ूल है कि सिर्फ़ तवाफ़ और सई करने से हलाल हो जाता है और इस्हाक़ बिन राहवै (उस्ताज़े इमाम बुख़ारी रह.) ने उसी को इख़्तियार किया है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर इब्ने अब्बास (रज़ि.) के मज़हब की तरफ़ इशारा किया और क़ाज़ी अयाज़ ने कुछ अहले इल्म से नक़ल किया है कि उमरह करने वाला जहाँ हरम में पहुँचा वो हलाल हो गया गो तवाफ़ और सई न करे मगर सहीह बात वही है जो बाब और हदीष से ज़ाहिर है।

١٧٩١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ : لاَ)). [راجع: ١٦٠٠]

1791. हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे जरीर ने, उनसे इस्माईल ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उमरह भी किया और हमने भी आप (ﷺ) के साथ उमरह किया, चुनाँचे जब आप (ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए तो आप (ﷺ) ने पहले (बैतुल्लाह का) तवाफ़ किया और आप (ﷺ) के साथ हमने भी तवाफ़ किया, फिर सफ़ा और मर्वा आए और हम भी आप (ﷺ) के साथ आए। हम आप (ﷺ) की मक्का वालों से हिफ़ाज़त कर रहे थे कि कहीं कोई काफ़िर तीर न चला दे, मेरे एक साथी ने इब्ने अबी औफ़ा से पूछा क्या आँहज़रत (ﷺ) का'बा में अंदर दाख़िल हुए थे? उन्होंने फ़र्माया कि नहीं। (राजेअ : 1600)

١٧٩٢- قَالَ فَحَدَّثَنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ: ((بَشِّرُوا خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

1792. कहा उन्होंने फिर पूछा कि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के बारे में पूछा था? उन्होंने बयान किया कि

मِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ)).

[طرفه في : ٣٨١٩].

आपने फ़र्माया था ख़दीजा (रज़ि.) को जन्नत में एक मोती के घर की बशारत हो जिसमें न किसी क़िस्म का शोरो–गुल होगा न कोई तकलीफ़ होगी। (दीगर मक़ाम : 3819)

١٧٩٣– حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : ((سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

[راجع: ٣٩٥]

1793. हमसे हुमैदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने कहा कि हमने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से एक ऐसे शख़्स के बारे में पूछा जो उ़मरह के लिये बैतुल्लाह का त़वाफ़ तो करता है लेकिन स़फ़ा व मर्वा की सई नहीं करता, क्या वो (स़िर्फ़ बैतुल्लाह के त़वाफ़ के बाद) अपनी बीवी से हमबिस्तर हो सकता है? उन्होने उसका जवाब ये दिया कि नबी करीम (ﷺ) (मक्का) तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने बैतुल्लाह का सात चक्करों के साथ त़वाफ़ किया, फिर मक़ामे इब्राहीम के पास आकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी, उसके बाद स़फ़ा और मर्वा की सात बार सई की, और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी तुम्हारे लिये बेहतरीन नमूना है। (राजेअ़ : 395)

١٧٩٤– قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ((لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)).

[راجع: ٣٩٦]

1794. उन्होंने बयान किया कि हमने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से भी उसके बारे में सवाल किया तो आपने फ़र्माया स़फ़ा और मर्वा की सई से पहले अपनी बीवी के क़रीब भी न जाना चाहिए। (राजेअ़ : 396)

١٧٩٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيْخٌ فَقَالَ: ((أَحَجَجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ((أَحْسَنْتَ))، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ. فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ

1795. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे गुन्दर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे क़ैस बिन मुस्लिम ने बयान किया उनसे त़ारिक़ बिन शिहाब ने बयान किया, और उनसे अबू मूसा अशअ़री ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में बत़्हा में ह़ाज़िर हुआ आप वहाँ (ह़ज्ज के लिये जाते हुए उतरे हुए थे) आप (ﷺ) ने पूछा कि क्या तुम्हारा ह़ज्ज ही का इरादा है? मैंने कहा, जी हाँ। आप (ﷺ) ने पूछा और एह़राम किस चीज़ का बाँधा है? मैंने कहा मैंने उसी का एह़राम बाँधा है, जिसका नबी करीम (ﷺ) ने एह़राम बाँधा हो, आप (ﷺ) ने फ़र्माया तू ने अच्छा किया, अब बैतुल्लाह का त़वाफ़ और सफ़ा और मर्वा की सई कर ले फिर एह़राम खोल डाल। चुनाचे मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा–मर्वा की सई की; फिर मैं बनू क़ैस की एक

औरत के पास आया और उन्होंने मेरे सर की जूएँ निकालीं, उसके बाद मैंने हज्ज का एहराम बाँधा। मैं (आँहज़रत ﷺ की वफ़ात के बाद) उसी के मुताबिक़ लोगों को मसला बताया करता था, जब उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त का दौर आया तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमें किताबुल्लाह पर अमल करना चाहिए कि उसमें हमें (हज्ज और उमरह) पूरा करने का हुक्म हुआ है और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत पर अमल करना चाहिए कि उस वक़्त आप (ﷺ) ने एहराम नहीं खोला था जब तक हदी की क़ुर्बानी नहीं हो गई थी। लिहाज़ा हदी साथ लाने वालों के वास्ते ऐसा ही करने का हुक्म है। (राजेअ : 1559)

أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ. حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)). [راجع: ١٥٥٩]

1796. हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने वहब ने बयान किया, उन्हें अम्र ने ख़बर दी, उन्हें अबुल अस्वद ने कि अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) के ग़ुलाम अब्दुल्लाह ने उनसे बयान किया, उन्होंने अस्मा (रज़ि.) से सुना था, वो जब भी हजून पहाड़ से होकर गुज़रतीं तो ये कहतीं रहमतें नाज़िल हों अल्लाह की मुहम्मद (ﷺ) पर, हमने आप (ﷺ) के साथ यहीं क़याम किया था, उन दिनों हमारे (सामान) बहुत हल्के—फुल्के थे सवारियाँ और ज़ादे—राह की भी कमी थी, मैंने, मेरी बहन आइशा (रज़ि.) ने ज़ुबैर, और फ़लाँ फ़लाँ (सहाबा रज़ि.) ने उमरह किया और जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुके तो (सफ़ा और मर्वा की सई के बाद) हम हलाल हो गए, हज्ज का एहराम हमने शाम को बाँधा था। (राजेअ : 1615)

١٧٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ ((أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ)). [راجع: ١٦١٥]

बाब 12 : हज्ज, उमरह या जिहाद से वापसी पर क्या दुआ पढ़नी चाहिये

١٢- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ؟

1797. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हे नाफ़ेअ ने और उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलल्लाह (ﷺ) जब किसी ग़ज़्वे या हज्ज व उमरह से वापस होते तो जब भी किसी बुलन्द जगह का चढ़ाव होता तो तीन बार अल्लाहु अकबर और दुआ पढ़ते, अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी का है और हम्द उसी के लिये है वा

١٧٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ

ا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ ا الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

[أطرافه في: ٢٩٩٥، ٣٠٨٤، ٤١١٦، ٦٣٨٥].

हर चीज़ पर क़ादिर है हम वापस हो रहे हैं, तौबा करते हुए इबादत करते हुए अपने रब के हुज़ूर सज्दा करते हुए और उसकी ह़म्द करते हुए, अल्लाह ने अपना वा'दा सच्चा कर दिखाया अपने बन्दे की मदद की और सारे लश्कर को तन्हा शिकस्त दे दी। फ़तहे मक्का की त़रफ़ इशारा है।

(दीगर मक़ामात : 2995, 3086, 4116, 6385)

١٣- بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِيْنَ، وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

बाब 13 : मक्का आने वाले ह़ाजियों का इस्तिक़बाल करना और तीन आदमियों का एक सवारी पर चढ़ना

١٧٩٨- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا الله عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ)).

[طرفاه في : ٥٩٦٥، ٥٩٦٦].

1798. हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन ज़ुरेअ़ ने बयान किया, उनसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि जब नबी करीम (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाए तो बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब के चन्द बच्चों ने आप (ﷺ) का इस्तिक़बाल किया, आप (ﷺ) ने एक बच्चे को (अपनी सवारी पर) आगे बिठा लिया और दूसरे को पीछे। (दीगर मक़ाम : 5965, 5966)

मा'लूम हुआ कि ह़ाजी का आगे जाकर इस्तिक़बाल करना भी सुन्नत है मगर हार– फूल का प्रचलित रिवाज ऐसा है जिसका शरीअ़त में कोई षुबूत नहीं और उससे रिया, नमूद, अ़जब का भी ख़त़रा है। लिहाज़ा अच्छे ह़ाजी को उन चीज़ों से ज़रूर परहेज़ करना लाज़िम है वरना ख़त़रा है कि सफ़रे ह़ज्ज के लिये जो क़ुर्बानियाँ दी हैं वो राएगाँ चले जाएँ और बजाय षवाब के ह़ज्ज उलटा अ़ज़ाब न बन जाए क्योंकि रिया, नमूद, अ़जब ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे नेक आ़माल अकारथ हो जाते हैं। ह़दीष से ये भी मा'लूम हुआ कि ऊँट वग़ैरह पर बशर्ते कि उन जानवरों में त़ाक़त हो बयक वक़्त तीन आदमी सवारी कर सकते हैं, बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब के लड़के आप (ﷺ) के इस्तिक़बाल को आए उससे ख़ानदानी मुह़ब्बत जो फ़ित़री चीज़ है उसका भी षुबूत मिलता है। नौजवान ख़ानदाने अ़ब्दुल मुत्तलिब के लिये उससे बढ़कर क्या ख़ुशी हो सकती है आज उनके बुज़ुर्गतरीन फ़र्द रसूले मुअ़ज़्ज़म, सरदारे बनी आदम, फ़ख़्रे-दो-आ़लम (ﷺ) की शान में मक्का शरीफ़ में दाख़िल हो रहे हैं। आज वो क़सम पूरी हुई जो क़ुर्आन मजीद में इन लफ़्ज़ों में बयान की गई थी **ला उक़्सिमु बिहाज़ल् बलद** तौरात का वो नविश्ता पूरा हुआ जिसमें ज़िक्र है कि फ़ारान से हज़ारों क़ुदुसियों के साथ एक नूर ज़ाहिर हुआ। इससे ये भी ष़ाबित होता है कि बच्चों से प्यार, मुह़ब्बत, शफ़क़त का बर्ताव करना भी सुन्नते नबवी (ﷺ) है।

١٤- بَابُ الْقُدُوْمِ بِالْغَدَاةِ

बाब 14 : मुसाफ़िर का अपने घर में सुबह़ के वक़्त आना

١٧٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ

1799. हमसे अह़मद बिन ह़ज्जाज ने बयान किया, उन्होंने हमसे

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ)). [راجع: ٤٨٤]

अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब मक्का तशरीफ़ ले जाते तो मस्जिदे शजरह में नमाज़ पढ़ते। और जब वापस होते तो ज़ुल् हुलैफ़ा की वादी के नशीब में नमाज़ पढ़ते। आप (ﷺ) सुबह तक सारी रात वहीं रहते।

(राजेअ : 484)

फिर मदीना में दिन में तशरीफ़ लाते लिहाज़ा मुनासिब है कि मुसाफ़िर ख़ास तौर पर सफ़रे हज्ज से वापस होने वाले दिन में अपने घरों मे तशरीफ़ लाएँ कि उसमें भी शारेअ (अलैहिस्सलाम) ने बहुत से मस्लों को मद्देनज़र रखा है।

١٥- بَابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

बाब 15 : शाम में घर को आना

١٨٠٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً)).

1800. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (सफ़र से) रात में... घर नहीं पहुँचते थे या सुबह के वक़्त जाते या दोपहर के बाद (ज़वाल से लेकर ग़ुरूबे आफ़ताब तक किसी भी वक़्त तशरीफ़ लाते।

١٦- بَابُ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

बाब 16 : आदमी जब अपने शहर में पहुँचे तो घर में रात में न जाए

١٨٠١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً)). [راجع: ٤٤٣]

1801. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे महारिब बिन दष़ार ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने (सफ़र से) घर रात के वक़्त उतरने से मना करते। (राजेअ : 443)

ये इसलिये कि घर में बीवी साहिबा न मा'लूम किस हालत में हों, इसलिये अदब का तक़ाज़ा है कि दिन में घर में दाख़िल हो ताकि बीवी को घर के साफ़ करने, ख़ुद को साफ़ करने का मौक़ा हासिल रहे, अचानक रात में दाख़िल होने से बहुत से मफ़ासिद का ख़तरा हो सकता है। हदीष़ जाबिर (रज़ि.) में फ़र्माया **लितम्तशितश्शअष़तु** ताकि परेशान बाल वाली अपने बालों में कँघी करके उनको दुरुस्त कर ले और अंदरूनी सफ़ाई की ज़रूरत हो तो वो भी कर ले।

١٧- بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

बाब 17 : जिसने मदीना तय्यिबा के क़रीब पहुँचकर अपनी सवारी तेज़ कर ली (ताकि जल्द से जल्द उस पाक शहर में दाख़िला नसीब हो)

1802. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमको मुहम्मद बिन जा'फ़र ने ख़बर दी, कहा कि मुझे हुमैद तवील ने ख़बर दी, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि आप (रज़ि.) ने कहा कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र से मदीना वापस होते और मदीना के बालाई इलाक़ों पर नज़र पड़ती तो अपनी ऊँटनी को तेज़ कर देते, कोई दूसरा जानवर होता तो उसे भी ऐड़ लगाते। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि हारिष़ बिन उ़मैर ने हुमैद से ये तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा किये हैं कि मदीना से मुहब्बत की वजह से सवारी तेज़ कर देते थे।

हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे हुमैद तवील ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने (दरजात के बजाए) जुदुरात कहा, उसकी मुताबअ़त हारिष़ बिन उ़मैर ने की। (दीगर मक़ामात : 1886)

١٨٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ ((حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((جُدُرَاتٍ)). تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ.

[طرفه في : ١٨٨٦].

हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) के इस तर्ज़े अ़मल से वतन की मुहब्बत की मशरूइयत षाबित होती है इंसान जहाँ पैदा होता है, उस जगह से मुहब्बत एक फ़ित्री जज़्बा है, सफ़र में भी अपने वतन का इश्तियाक़ (शौक़) बाक़ी रहता है। अल् ग़रज़ वतन से मुहब्बत एक क़ुदरती बात है और इस्लाम में ये मज़्मूम नहीं है मशहूर मक़ूला है, **हुब्बुल वतनि मिनल् ईमान** वतन की मुहब्बत भी ईमान में दाख़िल है।

जुदुरात यानी मदीना के घरों की दीवारों पर नज़र पड़ती तो आप (ﷺ) सवारी को तेज़ कर देते थे। कुछ रिवायतों में देहात का लफ़्ज़ आया है। यानी मदीना से दरख़्त नज़र आने लगते तो आप (ﷺ) अपने वतन की मुहब्बत में सवारी तेज़ कर देते। आप हज्ज के या जिहाद वग़ैरह के जिस सफ़र से भी लौटते उसी तरह इज़्हारे मुहब्बत करते थे।

बाब 18 : अल्लाह तआ़ला का ये फ़र्माना कि घरों में दरवाज़ों से दाख़िल हुआ करो

١٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة:١٨٩]

1803. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ ने कि मैंने बरा बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से सुना उन्होंने कहा कि ये आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई अंसार जब हज्ज के लिये आए तो (एहराम के बाद) घरों में दरवाज़ों से नहीं जाते बल्कि दीवारों से कूदकर (घर के अंदर) दाख़िल हुआ करते थे फिर (इस्लाम लाने के बाद) एक अंसारी शख़्स आया और दरवाज़े से घर में दाख़िल हो गया इस पर लोगों ने लअ़नत मलामत की तो ये वह्य नाज़िल हुई कि ये कोई नेकी नहीं है कि घरों में पीछे से (दीवारों पर चढकर) आओ बल्कि नेक वा

١٨٠٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْنَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنَّ

शख़्स है जो तक़्वा इख़्तियार करे और घरों में उनके दरवाज़ों से आया करो। (दीगर मक़ाम : 4512)

الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾)). [طرفه في : ٤٥١٢].

तशरीह : अहदे जाहिलियत में क़ुरैश के अलावा आम ग़रीब लोग ह़ज्ज से वापसी पर घरों के दरवाज़ों से आना मअ़यूब (बुरा) समझते और दरवाज़े का साया सर पर पड़ना मन्हूस समझते, इसलिये घरों की दीवारों से फांदकर आते। क़ुर्आन मजीद ने इस ग़लत़ ख़्याल की तर्दीद की है। वो आने वाला अंसारी जिसका रिवायत में ज़िक्र है क़ुत़िबा बिन आ़मिर (रज़ि.) अंसारी थे। इब्ने ख़ुज़ैमा और ह़ाकिम की रिवायत में उसकी स़राह़त मौजूद है उसका नाम रफ़ाआ बिन ताबूत बताया है। क़ुर्आन मजीद की आयते मज़्कूरा बहुत से इस्लामी असासी उमूर के बयान पर मुश्तमिल है। आने वाले बुज़ुर्ग की तफ़्सीलात के सिलसिले में ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर का बयान ये है, **फ़ी स़हीहिमा मिन तरीकि अम्मार इब्नि ज़रीक अ़निल्आमश अ़न अबी सुफ़्यान अ़न जाबिर क़ाल कानत क़ुरैश तुदअ़ल्हिम्स व कानू यदख़ुलून मिनल अब्वाबि फिल इह़रामि व कानतिल अन्स़ारु व साइरुल अ़रबि ला यदख़ुलून मिनल अब्वाबि फ़बैनमा रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी बुस्तानिन फ़ ख़रज मिन बाबिही फ़ख़रज मअ़हू क़ुत्बा इब्नु आ़मिर अल अन्स़ारी फ़क़ालू या रसूलल्लाहि (ﷺ) इन्न क़ुब्त रजुलुन फ़ाजिरुन फ़इन्नहू ख़रज मअ़क मिनल्बाबि फ़क़ाल मा हमलक अ़ला ज़ालिक फ़क़ाल राइतुक फ़अल्तहू फ़फ़अल्तु कमा फ़अल्त क़ाल इन्नी अहमिसु क़ाल फ़इन्न दीनी दीनुक फअन्जलल्लाहु अल्अख़** (फ़त्हुल बारी) यानी क़ुरैश को ह़िम्स के नाम से पुकारा जाता था और सिर्फ़ वही ह़ालते एह़राम में अपने घरों में दरवाज़ों से दाख़िल हो सकते थे, ऐसा अ़हदे जाहिलियत का ख़्याल था और अंस़ार बल्कि तमाम अहले अ़रब अगर ह़ालते एह़राम में अपने घरों को आते तो दरवाज़े से दाख़िल न होते बल्कि पीछे की दीवार फांदकर घर आया करते थे। एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बाग़ के दरवाज़े से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके साथ ये क़ुत़िबा बिन आ़मिर अंस़ारी (रज़ि.) भी दरवाज़े से ही आ गए। इस पर लोगों ने उनको लअ़न–तअ़न किया बल्कि फ़ाजिर तक कह दिया, आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनसे पूछा कि तुमने भी ऐसा किया क्यूँ तो उन्होंने कहा कि ह़ुज़ूर (ﷺ) आपने किया तो आपके इत्तिबाअ़ में मैंने भी ऐसा किया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया मैं तो ह़िम्सी हूँ उन्होंने कहा कि ह़ुज़ूर दीने इस्लाम जो आपका है वही मेरा है। इस पर ये आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई।

बाब 19 : सफ़र भी गोया एक क़िस्म का अ़ज़ाब है

١٩ - بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

इब्ने तैमिया ने कहा इस बाब को लाकर इमाम बुख़ारी ने इशारा किया कि घर में रहना मुजाहदा से अफ़ज़ल है, ह़ाफ़िज़ ने कहा इस पर ए'तिराज़ है और शायद इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्स़द ये हो कि ह़ज्ज और उमरे से फ़ारिग़ होकर आदमी अपने घर वापस होने के लिये जल्दी करे। घर वालों से ज़्यादा दिन तक ग़ैर–ह़ाज़िर होकर रहना अच्छा नहीं।

1804. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम कअ़म्बी ने बयान किया, उनसे सुमय ने, उनसे अबू सालेह ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया सफ़र अ़ज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने–पीने और सोने (हर एक चीज) से रोक देता है, इसलिये जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए।

(दीगर मक़ाम : 3001, 5429)

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ: يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)).

[طرفاه في : ٣٠٠١، ٥٤٢٩].

ये उस ज़माने में फ़र्माया गया जब घर से निकलकर क़दम क़दम पर बेह़द तकलीफ़ों और ख़त़रों का सामना करना पड़ता था।

आजकल सफ़र में बहुत सी आसानियाँ मुहय्या हो गई हैं मगर फिर भी रसूले बरहक़ (ﷺ) का फ़र्मान अपनी जगह पर हक़ है, हवाई जहाज़ मोटर जिसमें भी सफ़र हो बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत से नामुवाफ़िक़ हालात सामने आते हैं जिनको देखकर बेसाख़्ता मुँह से निकल पड़ता है, सफ़र बिल वाक़ेअ अ़ज़ाब का एक टुकड़ा है। एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि सफ़र अ़ज़ाब का टुकड़ा है फ़ौरन जवाब दिया **लिअन्न फ़ीहि फ़िराक़ुल अहबाब** इसलिये कि सफ़र में अह़बाब से जुदाई हो जाती है और ये भी एक तरह से रूहानी अ़ज़ाब है। इमाम बुख़ारी (रह.) का मन्शा–ए–बाब ये है कि हाजी को हज्ज के बाद जल्दी वतन को वापस लौटना चाहिये।

बाब 20 : मुसाफ़िर जल्द चलने की कोशिश कर रहो हो और अपने अहल में जल्दी पहुँचना चाहे

٢٠- بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

1805. हमसे सईद बिन मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको मुहम्मद बिन जा'फ़र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उनसे उनके बाप ने बयान किया कहा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के साथ मक्का के रास्ते में था कि उन्हें (अपनी बीवी) स़फ़िया बिन्ते अबी उ़बैद की सख़्त बीमारी की ख़बर मिली और वो निहायत तेज़ी से चलने लगे, फिर जब सुर्ख़ी गुरूब हो गई तो सवारी से नीचे उतरे और मग़्रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ीं, उसके बाद फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि जब जल्दी चलना होता तो मग़्रिब में देर करके दोनों (इशा और मग़्रिब) को एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। (राजेअ : 1091)

١٨٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ - جَمَعَ بَيْنَهُمَا - ثُمَّ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ١٠٩١]

ये इसलिये कि इस्लाम सरासर दीने फ़ित़रत है, ज़िन्दगी में बसा औक़ात ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि इंसान वक़्त पर नमाज़ अदा करने से सरासर मजबूर हो जाता है ऐसी हालत में ये सहूलत रखी गई कि दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ ली जाएँ, अगली नमाज़ मष़लन इशा को पहली यानी मग़्रिब में मिला लिया जाए या फिर पहली नमाज़ को देर करके अगली नमाज़ के साथ यानी इशा में मिला लिया जाए दोनों अम्र जाइज़ हैं मगर ये सख़्त मजबूरी की हालत में है वरना नमाज़ का अदा करना उसके मुक़र्रा वक़्त ही पर फ़र्ज़ है। इर्शादे बारी तआ़ला है, **इन्नस्सलात कानत अलल मूमिनीन किताबम्मौक़ूता** अहले ईमान पर नमाज़ का बरवक़्त अदा करना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है।

मसाइल व अहकामे हज्ज के सिलसिले में आदाबे सफ़र पर रोशनी डालना ज़रूरी था। जबकि हज्ज में शुरू से आख़िर तक सफ़र ही सफ़र से साबिक़ा पड़ता है, अगरचे सफ़र अ़ज़ाब का एक टुकड़ा है मगर सफ़र वसील–ए–ज़फ़र भी है जैसा कि हज्ज है। अगर इन्दल्लाह ये क़ुबूल हो जाए तो हाजी इस सफ़र से इस हालत में घर वापस होता है कि गोया वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये इस सफ़र ही की बरकत है कि मग़्फ़िरते इलाही का अ़ज़ीम ख़ज़ाना नसीब हुआ। बहरहाल आदाबे सफ़र मे सबसे अव्वलीन अदब फ़र्ज़ नमाज़ की मुहाफ़िज़त है। पस मर्द मुसलमान की ये ऐन सआ़दतमन्दी है कि वो सफ़र व हज़र में हर जगह नमाज़ को उसके आदाब व शराइत़ के साथ बजा लाए, साथ ही इस्लाम ने इस सिलसिले में बहुत सी आसानियाँ भी

दीं ताकि सफ़र व हज़र में हर जगह ये फ़र्ज़ आसानी से अदा किया जा सके, मष़लन हर नमाज़ के लिये वुज़ू करना फ़र्ज़ है मगर पानी न हो तो मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, मुसलमानों के लिये सारी ज़मीन को क़ाबिले इबादत क़रार दिया गया है कि जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाए वो उसी जगह नमाज़ अदा कर सकें। यहाँ तक कि दरयाओं में, पहाड़ों की चोटियों पर, लक़ व दक़ बयाबानों (घने जंगलों) में, ज़मीन के चप्पे-चप्पे पर नमाज़ अदा की जा सकती है। और ये भी आसानी दी गई जिस पर मुज्तहिदे मुतलक़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब में इशारा किया है कि मुसाफ़िर ख़्वाह वो हज्ज ही के लिये क्यूँ न सफ़र कर रहा हो दो-दो नमाज़ों को बयक-वक़्त (एक ही समय में) मिलाकर अदा कर सकता है जैसा कि हदीष़ के बाब में मज़्कूर हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अपनी अहलिया मुहतरमा की बीमारी की ख़बर सुनी तो सवारी को तेज़ कर दिया ताकि जल्द से जल्द घर पहुँचकर मरीज़ा की तीमारदारी कर सकें। नीज़ नमाज़े मग़रिब और इशा को जमा करके अदा कर लिया, साथ ही ये भी बतला दिया कि रसूले करीम (ﷺ) भी सफ़र में नमाज़ों को इस तरह मिलाकर अदा फ़र्मा लिया करते थे। एक ऐसे दीन में जो क़यामत तक आलमगीर शान के साथ बाक़ी रहने का दावे'दार हो, ऐसी तमाम आसानियों का होना ज़रूरी था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) तआरुफ़ (परिचय) के मोहताज नहीं, उनकी जलालते शान के लिये यही काफ़ी है कि वे फ़ारूक़े आज़म उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साहबज़ादे हैं, आपकी अहलिया मुहतरमा हज़रत सफ़िया बिन्ते अबू उबैद बनू ष़क़ीफ़ से ता'ल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) को पाया और आपके इर्शादात तय्यिबात सुनने का मौक़ा उनको अनेक बार मिला। आपकी मर्वियात हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत सफ़िया (रज़ि.) के तवस्सुत से हैं और हज़रत नाफ़ेअ जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम हैं, वो उनसे रिवायत करते हैं। **रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन**

बाब 27 : किताबुल मुहस़र; मुहरिम के रोके जाने और शिकार का बदला देने के बयान में

٢٧- كتاب المحصر

और अल्लाह तआला ने फ़र्माया, पस तुम अगर रोक दिये जाओ तो जो क़ुर्बानी मयस्सर हो वो मक्का भेजो और अपने सर उस वक़्त तक न मुँडाओ (यानी एहराम न खोलो) जब तक कि क़ुर्बानी का जानवर अपने ठिकाने (यानी मक्का पहुँचकर ज़िब्ह न हो जाए) और अता बिन अबी रबाह (रह.) ने कहा कि जो चीज़ भी रोके उसका यही हुक्म है।

وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَقَوْلِهِ اللهِ: [البقرة: ١٩٦]. ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾. وَقَالَ عَطَاءٌ: الإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَصُورًا: لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ.

तश्रीह : लफ़्ज़े मुहस़र इस्मे मफ़ऊल का सेग़ा है जिसका मस़दर इह़स़ार है जो लुग़त में रुकावट के मा'नी में इस्ते'माल होता है, वो रुकावट मर्ज़ (बीमारी) की वजह से हो या दुश्मन की वजह से सफ़रे हज्ज में अगर किसी को कोई रुकावट पैदा हो जाए जैसा कि हुदैबिया के मौक़े पर मुसलमानों को का'बा में जाने से रोक दिया गया था उस मौक़े पर ये आयते करीमा नाज़िल हुई, ऐसी हालत के लिये ये हुक्म बयान फ़र्माया गया कुछ बार दौराने सफ़र में मौत भी वाक़ेअ हो जाती है ऐसे हाजी साहिबान क़यामत के दिन लब्बैक पुकारते हुए खड़े होंगे और अल्लाह के पास उनको हाजियों के ज़ुम्रह (जमाअत) में शामिल किया जाएगा। हज़रत अता का क़ौल लाने से इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद ज़ाहिर है कि इह़स़ार आम है और इमाम शाफ़िई (रह.) का ख़्याल सहीह नहीं उन्होंने इह़स़ार को दुश्मन के साथ ख़ास़ किया है। इह़स़ार कुछ बार बीमारी मौत जैसे अहम हवादिष़ की वजह से भी हो सकता है।

बाब 1 : अगर उमरह करने वाले को रास्ते मे रोक दिया गया, तो वो क्या करे?

١- بَابُ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद उन लोगों पर रद्द करना है जो मुहस़र के लिये हलाल होना हज्ज के साथ ख़ास़ करते हैं, हदीष़

बाब में साफ़ मौजूद है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उमरह का एहराम बाँधा था और आप (ﷺ) ने हुदैबिया में इहसार की वजह से वो खोल दिया था।

1806. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़साद के ज़माने में उमरह करने के लिये जब मक्का जाने लगे तो आपने फ़र्माया कि अगर मुझे का'बा शरीफ़ पहुँचने से रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हम लोगों ने किया था, चुनाँचे आपने भी सिर्फ़ उमरह का एहराम बाँधा क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी हुदैबिया के साल सिर्फ़ उमरह का एहराम बाँधा था।

١٨٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ)).

1807. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अस्मा ने बयान किया, कहा हमसे जुवेरिया ने नाफ़ेअ से बयान किया, उन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह और सालिम बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि जिन दिनों अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) पर हज्जाज की लश्करकशी हो रही थी तो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से लोगों ने कहा (क्योंकि आप मक्का जाना चाहते थे) कि अगर आप इस साल हज्ज न करें तो कोई नुक़्सान नहीं क्योंकि डर इसका है कि कहीं आपको बैतुल्लाह पहुँचने से रोक न दिया जाए। आप बोले कि हम रसूलल्लाह (ﷺ) के साथ गए थे और कुफ़्फ़ार क़ुरैश हमारे बैतुल्लाह तक पहुँचने में हाइल हो गए थे। फिर नबी करीम (ﷺ) ने अपनी क़ुर्बानी नहर की और सर मुँडा लिया, अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने भी इंशाअल्लाह उमरह अपने पर वाजिब क़रार दे लिया है। मैं ज़रूर जाऊँगा और मुझे बैतुल्लाह तक पहुँचने का रास्ता मिल गया तो तवाफ़ करूँगा, लेकिन अगर मुझे रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूँगा जो नबी करीम (ﷺ) ने किया था, मैं उस वक़्त भी आप (ﷺ) के साथ मौजूद था। चुनाँचे आपने ज़ुलहुलैफ़ा से उमरा का एहराम बाँधा और फिर थोड़ी दूर चलकर फ़र्माया कि हज्ज और उमरह तो एक ही हैं, अब मैं भी तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उमरह के साथ हज्ज भी अपने ऊपर वाजिब क़रार दे लिया है, आपने हज्ज और उमरह दोनों से एक साथ फ़ारिग़ होकर ही दसवीं ज़िलहिज्ज को एहराम खोला और क़ुर्बानी की। आप फ़र्माते थे कि जब तक हाजी मक्का पहुँचकर एक तवाफ़े ज़ियारत न कर ले तो पूरा एहराम न

١٨٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ ((أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَقَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ. وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ

يَدْخُلُ مَكَّةَ)). [راجع: ١٦٣٩]

खोलना चाहिए। (राजेअ़: 1639)

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) पर ह़ज्जाज की लश्करकशी और इस सिलसिले में बहुत से मुसलमानों का नाह़क़ ख़ून यहाँ तक कि का'बा शरीफ़ की बेहुर्मती ये इस्लामी तारीख़ के वो दर्दनाक वाक़ियात हैं जिनके तसव्वुर से आज भी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका ख़ामियाज़ा पूरी उम्मत आज तक भुगत रही है, अल्लाह अहले इस्लाम को समझ दे कि वो इस दौरे तारीकी में इत्तिहादे बाहमी से काम लेकर दुश्मनाने इस्लाम का मुक़ाबला करें जिनकी रोशा दवानियों ने आज बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के हाथ से निकाल लिया है। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न, अल्लाहुम्म उन्सुरिल् इस्लाम वल् मुस्लिमीन** आमीन।

١٨٠٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا)). [راجع: ١٦٣٩]

1808. हमसे मूसा इब्ने इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जुवैरिया ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने कि अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के किसी बेटे ने उनसे कहा था काश आप इस साल रुक जाते (तो अच्छा होता। उसी ऊपर वाले वाक़िये की तरफ़ इशारा है। (राजेअ़: 1639)

١٨٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً)).

1809. हमसे मुह़म्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन स़ालेह़ ने बयान किया, उनसे मुआ़विया बिन सलाम ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन अबी क़ष़ीर ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उनसे फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब हुदैबिया के साल मक्का जाने से रोक दिये गये तो आपने हुदैबिया ही में अपना सर मुँडाया और अज़्वाजे मुतह्हरात के पास गए और क़ुर्बानी को नहर किया, फिर आइन्दा साल एक दूसरा उ़मरह किया।

इसका मत़लब ये नहीं कि आप (ﷺ) ने अगले उ़मरे की क़ज़ा की बल्कि आप (ﷺ) ने अगले साल दूसरा उ़मरह किया और कुछ ने कहा कि इह़स़ार की ह़ालत में इस ह़ज्ज या उ़मरे की क़ज़ा वाजिब है और आप (ﷺ) का ये उ़मरह अगले की क़ज़ा का था।

٢- بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

बाब : 2 ह़ज्ज से रोके जाने का बयान

आँह़ज़रत (ﷺ) का इह़स़ार स़िर्फ़ उ़मरह से था, लेकिन उ़लमा ने ह़ज्ज को भी उ़मरह पर क़यास कर लिया और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का यही मत़लब है कि आपने जैसा उ़मरे से इह़स़ार की सूरत में अ़मल किया तुम ह़ज्ज से इह़स़ार होने में भी उसी पर चलो।

١٨١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ

1810. हमसे अह़मद बिन मुह़म्मद ने बयान किया, कहा हमको अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा कि हमको यूनुस ने ख़बर दी, उनसे ज़ुहरी ने कहा कि मुझे सालिम ने ख़बर दी, कहा कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे क्या तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत काफ़ी नहीं है कि अगर किसी को ह़ज्ज से रोक दिया जाए तो हो सके तो वो बैतुल्लाह का त़वाफ़ कर ले और स़फ़ा व मर्वा की सअ़ी, फिर वो हर चीज़ से ह़लाल हो जाए, यहाँ तक कि वो दूसरे

साल हज्ज कर ले फिर क़ुर्बानी करे, अगर क़ुर्बानी न मिले तो रोज़ा रखे, अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि हमें मअ़मर ने ख़बर दी, उनसे ज़ुहरी ने बयान किया कि मुझसे सालिम ने बयान किया, उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने उसी पहली रिवायत की तरह बयान किया। (राजेअ़ : 1639)

حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا)).
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.. نَحْوَهُ.
[راجع: ١٦٣٩]

तश्रीह : बज़ाहिर मा'लूम होता है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के नज़दीक ह़ज्ज व उ़मरह के एह़राम में शर्त लगाना दुरुस्त न था, शर्त लगाना ये है कि एह़राम बाँधते वक़्त यूँ कह ले कि या अल्लाह! मैं जहाँ रुक जाऊँ तो मेरा एह़राम वहीं खोला जाएगा, जुम्हूरे स़ह़ाबा और ताबेई़न ने उसे जाइज़ रखा है और इमाम अह़मद और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है (वह़ीदी)। और ऐसी ह़ालत में मिष़ाल सामने है आज भी ऐसे ह़ालात पैदा हो सकते हैं पस शारेअ़ अ़लैहिर्रहमा की सुन्नत मुस्तक़्बिल में आने वाली उम्मते मुस्लिमा के लिये उस्व–ए–ह़स्ना है। इह़स़ार की तफ़्स़ील पीछे भी गुज़र चुकी है। ह़ज़रत मुह़म्मद बिन शिहाब ज़ुह्री, ज़ुह्रा बिन किलाब की त़रफ़ मन्सूब हैं , कुन्नियत अबूबक्र है, उनका नाम मुह़म्मद है, अ़ब्दुल्लाह बिन शिहाब के बेटे। ये बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिष़ हुए हैं और ताबेई़न से बड़े जलीलुलक़द्र ताबेई़ हैं, मदीना के ज़बरदस्त फ़क़ीह और आ़लिम हैं , उ़लूमे शरीअ़त के मुख़्तलिफ़ फ़ुनून में उनकी त़रफ़ रुजूअ़ किया जाता था। उनसे एक बड़ी जमाअ़त रिवायत करती है जिनमें से क़तादा और इमाम मालिक बिन अनस हैं, ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा आ़लिम जो उस ज़माने में गुज़रा है उनके सिवा और किसी को नहीं पाता। मक्ह़ूल से पूछा गया कि उन उ़लमा में से जिनको आपने देखा है कौन ज़्यादा आ़लिम है फ़र्माया कि इब्ने शिहाब हैं, फिर पूछा गया कि उनके बाद कौन है? फ़र्माया कि इब्ने शिहाब है। फिर कहा गया कि इब्ने शिहाब के बाद, फ़र्माया कि इब्ने शिहाब ही हैं । सन् 124 हिज्री में माहे रमज़ानुल मुबारक वफ़ात पाई रह़िमहुल्लाहु रह़मतुन वासिअ़ा. (आमीन)

बाब 3 : रुक जाने के वक़्त सर मुँडाने से पहले क़ुर्बानी करना

٣- بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

1811. हमसे महमूद ने बयान किया, कहा हमको अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने ख़बर दी, कहा कि हमको मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें उ़र्वा ने और उन्हें मुसव्विर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (सुलह हुदैबिया के मौक़े पर) क़ुर्बानी सर मुँडाने से पहले की थी और आप (ﷺ) ने अस़्ह़ाब को भी उसी का हुक्म दिया था। (राजेअ़ : 1494)

١٨١١- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ)). [راجع: ١٤٩٤]

मा'लूम हुआ कि पहले क़ुर्बानी करना फिर सर मुँडाना ही मस्नून तर्तीब है।

1812. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अबूबद्र शुजाअ़ बिन वलीद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे मअ़मर बिन मुहम्मद उ़मरी ने बयान किया, और नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह और सालिम ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से गुफ़्तगू की, (कि वो इस साल मक्का न जाएँ)

١٨١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ. قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِيْنَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ)). [راجع: ١٦٣٩]

तो उन्होंने फ़र्माया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उमरह का एहराम बाँधकर गए थे और कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने हमें बैतुल्लाह से रोक दिया था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी क़ुर्बानी को नहर किया और सर मुँडाया। (राजेअ : 1639)

इस हदीष़ से जुम्हूर उ़लमा के क़ौल की ताईद होती है। वो कहते हैं कि इह़स़ार की सूरत में जहाँ एहराम खोले वहीं क़ुर्बानी कर ले; ख़्वाह ह़िल्ल में हो या ह़रम में और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) कहते हैं कि क़ुर्बानी ह़रम में भेज दी जाए और जब वहाँ ज़िब्ह़ हो ले तब एहराम खोले **फ़क़ालल जुम्हूर यज़्बहुल मुहस़रू अल हदय हैषु यहिल्लु सवाअन कान फिल्हिल्लि औ फ़िल्हरमि** (फ़त्ह़) यानी जिसे ह़ज्ज से रोक दिया जाए वो जहाँ एहराम खोले, ह़िल्ल में हो या ह़रम में उसी जगह क़ुर्बानी कर डाले।

٤- بَابُ مَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

बाब 4 : जिसने कहा कि रोके गए शख़्स़ पर क़ज़ा ज़रूरी नहीं

अय क़ज़ाउन लम्मा उहस़िर फ़ीहि मिन हज्जिन औ उ़म्रतिन व हाज़ा हुव क़ौलुल जुम्हूर (फ़त्ह़) यानी जब वो ह़ज्ज या उ़मरह से रोका गया हो और जुम्हूर का क़ौल यही है जो ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का फ़त्वा है कि मुह़स़र के लिये क़ज़ाअ ज़रूरी नहीं।

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصِرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَعُودُوا لَهُ. وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ

और रौह़ ने कहा, उनसे शिब्लि बिन अ़याद ने, उनसे इब्ने अबी नजीह़ ने, उनसे मुजाहिद ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि क़ज़ा उस सूरत में वाजिब होती है जब कोई ह़ज्ज में अपनी बीवी से जिमाअ़ करके निय्यते ह़ज्ज को तोड़ डाले लेकिन कोई और उ़ज़्र पेश आ गया या उसके अ़लावा कोई बात हुई तो वो ह़लाल होता है, क़ज़ा उस पर ज़रूरी नहीं और अगर साथ क़ुर्बानी का जानवर था और वो मुह़स़र हुआ और ह़रम में उसे न भेज सका तो उसे नह़र कर दे, (जहाँ पर भी उसका क़याम हो) ये उस सूरत में जब क़ुर्बानी का जानवर (क़ुर्बानी की जगह) ह़रम शरीफ़ में भेजने की उसे त़ाक़त न हो लेकिन अगर उसकी त़ाक़त है तो जब तक क़ुर्बानी वहाँ ज़िब्ह़ न हो जाए एहराम नहीं खोल सकता। इमाम मालिक वग़ैरह ने कहा कि (मुह़स़र) ख़्वाह कहीं भी हो अपनी क़ुर्बानी वहीं नह़र कर दे और सर मुँडा ले। उस पर क़ज़ा भी लाज़िम नहीं क्योंकि नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के अस्ह़ाब (रिज़वानुल्लाहि अ़लैहिम) ने हुदैबिया में बग़ैर त़वाफ़ और बग़ैर क़ुर्बानी के बैतुल्लाह तक पहुँचे हुए नह़र किया और सर मुँडाया और वो हर चीज़ से ह़लाल हो गए, फिर कोई नहीं कहता कि नबी करीम (ﷺ) ने किसी को भी क़ज़ा का या किसी भी चीज़ के

दोहराने का हुक्म दिया हो और हुदैबिया हरम से बाहर है।

الْحَرَمِ.

तशरीह : मौता में इमाम मालिक की रिवायत यूँ है, **अन्नहू बलग़हू अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) हल्ल हुव व अस्हाबुहू बिल हुदैबियति फ़नहरुल हदय व हलक़ू रुऊसहुम व हल्लौ मिन कुल्लि शैइन क़ब्ल अंय्यतूफ़ू बिल्बैति व क़ब्ल अंय्यसिल इलैहिल हदयु षुम्म लम नअ़लम अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) अमर अहदन मिन अस्हाबिही व ला मिम्मन कान मअ़हू अंय्यक्ज़ू शैअन व ला अंय्यऊदुश्शैअ व सुइल मालिक अम्मन उहसिर बअदुव्विन यहिल्लु मिन कुल्लि शैइन व यन्हरू हदयहू व यहलिकु रासहू हैषु हुबिस व लैस अ़लैहि क़ज़ाउन** (फ़त्हुल बारी) यानी उनको ये ख़बर मिली है कि रसूले करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के अस्हाबे किराम हुदैबिया में हलाल हो गए थे पस उन्होंने अपनी क़ुर्बानियों को नह्र कर दिया और सरों को मुँडा लिया और वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले ही हर चीज़ से हलाल हो गए उससे भी पहले कि का'बा तक उनकी हदी पहुँच सके। फिर हम नहीं जानते कि रसूले करीम (ﷺ) ने अपने किसी भी सहाबी को किसी भी चीज़ के क़ज़ा करने का हुक्म दिया हो और न किसी काम के दोबारा करने का हुक्म दिया और इमाम मालिक (रह.) उसे उसके बारे में पूछा गया जो किसी दुश्मन की तरफ़ से रोक दिया जाए आपने फ़र्माया कि वो हर चीज़ से हलाल हो जाए और अपनी क़ुर्बानी को नह्र कर दे और सर मुँडा ले जहाँ भी उसको रोका गया है उस पर कोई क़ज़ा लाज़िम नहीं। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ील ग़रज़ुल मुसन्निफ़ि बिहाज़िहित्तर्जुमति अर्रद्दु अ़ला मन क़ाल अत्तहल्लुल बिल इह्सारि ख़ास्सुन बिल्हाज्जि बिख़िलाफ़िल मुअतमर्रि हत्ता यतूफ़ बिल्बैकत लिअन्नस्सुन्नत कुल्लहा वक्तुन लिल उ़म्रति फ़ला यख़्शा फ़वातुहा बिख़िलाफ़िल हज्जि** हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़रज़ इस बाब से उस शख़्स की तर्दीद करनी है जिसने कहा कि रोकने की सूरत में हलाल होना हाजियों के साथ ख़ास है और मोअ़तमिर के लिये ये रुख़्सत नहीं है; पस वो हलाल न हो बल्कि जब तक वो बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले अपनी हालते एहराम पर क़ायम रहे इसलिये कि सारे साल उ़मरह का वक़्त है और हज्ज के ख़िलाफ़ उ़मरह के वक़्त के फ़ौत होने का कोई डर नहीं है, इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक ये क़ौल सहीह नहीं है बल्कि सहीह यही है कि इह्सार की सूरत में हाजी और उ़मरह करने वाला सबके लिये हलाल होने की इजाज़त है।

١٨١٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: ((إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ - ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا. وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى)). [راجع: ١٦٣٩]

1813. हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि फ़ित्ने के ज़माने में जब अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) मक्का के इरादे से चले तो फ़र्माया कि अगर मुझे बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया गया तो मैं भी वही करूँगा जो (हुदैबिया के साल) मैंने रसूले करीम (ﷺ) के साथ किया था। आपने उ़मरह का एहराम बाँधा क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी हुदैबिया के साल उ़मरह ही का एहराम बाँधा था। फिर आपने कुछ ग़ौर करके फ़र्माया कि उ़मरह और हज्ज तो एक ही है, उसके बाद अपने साथियों से भी यही फ़र्माया कि ये दोनों तो एक ही हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि उ़मरह के साथ अब हज्ज भी अपने लिये मैंने वाजिब क़रार दे लिया है फिर (मक्का पहुँचकर) आपने दोनों के लिये एक ही तवाफ़ किया। आपका ख़्याल था कि ये काफ़ी है और आप क़ुर्बानी का जानवर भी साथ ले गए थे। (राजेअ़ : 1639)

जुम्हूर उलमा और अहले हदीष़ का यही क़ौल है कि क़ारिन को एक ही तवाफ़ और एक ही सई काफ़ी है।

बाब 5 : अल्लाह तआला का फ़र्मान

٥- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وَهُوَ مُخَيَّرٌ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ

कि अगर तुममें कोई बीमार हो या उसके सर में (जूओं की) कोई तकलीफ़ हो तो उसे रोज़े या सदक़े या क़ुर्बानी का फ़िदया देना चाहिए यानी उसे इख़्तियार है और अगर रोज़ा रखना चाहे तो तीन दिन रोज़ा रखे। (अल बक़र : 196)

١٨١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟)) قَالَ: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ أَنْسُكْ بِشَاةٍ)).

[أطرافه في: ١٨١٥، ١٨١٦، ١٨١٧، ١٨١٨، ٤١٥٩، ٤١٩٠، ٤١٩١، ٤٥١٧، ٥٦٦٥، ٥٧٠٣، ٦٨٠٨].

1814. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें हमीद बिन क़ैस ने, उन्हें मुजाहिद ने, उन्हें अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने और उन्हें कअ़ब बिन उ़ज्रह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, ग़ालिबन जूओं से तुमको तकलीफ़ है, उन्होंने कहा कि जी हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर अपना सर मुँडा ले और तीन दिन के रोज़े रख ले या छः मिस्कीनों को खाना खिला दे या एक बकरी ज़िब्ह कर।

(दीगर मक़ामात : 1815, 1816, 1817, 1818, 4159, 4190, 4191, 4517, 5665, 5703, 6808)

बाब 6 : अल्लाह तआला का क़ौल, या सदक़ा (दिया जाए) ये सदक़ा छः मिस्कीनों को खाना खिलाना है

٦- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

1815. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मुजाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से सुना, उनसे कअ़ब बिन उ़ज्रह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) हुदैबिया में मेरे पास आकर खड़े हुए तो जूएँ मेरे सर से बराबर गिर रही थीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया ये जूएँ तो तुम्हारे लिये तकलीफ़ देने वाली हैं। मैंने कहा जी हाँ! आप

١٨١٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: ((وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً، فَقَالَ:

((يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ - أَوْ قَالَ: ((احْلِقْ)) - قَالَ : فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ ﴾ إِلَى آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ)). [راجع: ١٨١٤]

(ﷺ) ने फ़र्माया फिर सर मुँडा ले या आप (ﷺ) ने सिर्फ़ ये लफ़्ज़ फ़र्माया कि मुँडा ले। उन्होंने बयान किया कि ये आयत मेरे ही बारे में नाज़िल हुई थी कि अगर तुममें कोई मरीज़ हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो आख़िर तक फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया तीन दिन के रोज़े रख ले या एक फ़िरक़ ग़ल्ला से छः मिस्कीनों को खाना दे या जो मयस्सर हो उसकी क़ुर्बानी कर दे।

(राजेअ़ : 1814)

एक फ़िरक़ ग़ल्ला का वज़न तीन स़ाअ़ या सौलह रत़ल होता है। इससे उन लोगों का रद्द होता है जो एक साअ़ का वज़न आठ रत़ल बतलाते हैं। क़ुर्बानी जो आसान हो यानी बकरा हो या और कोई जानवर जो भी आसानी से मिल सके क़ुर्बान कर दो।

٧- بَابُ الإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

बाब 7 : फ़िदया में हर फ़क़ीर को आधा स़ाअ़ ग़ल्ला देना

١٨١٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً؟)) فَقُلْتُ: لاَ. فَقَالَ: ((فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ)). [راجع: ١٨١٤]

1816. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अस़्बहानी ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुअ़क्किल ने बयान किया कि मैं कअ़ब बिन उ़ज्रह (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था, मैंने उनसे फ़िदये के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि (क़ुर्आन शरीफ़ की आयत) अगरचे ख़ास़ मेरे बारे में नाज़िल हुई थी लेकिन उसका हुक्म तुम सबके लिये है। हुआ ये कि मुझे रसूलुल्लाह की ख़िदमत में लाया गया तो जूएँ सर से मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। आप (ﷺ) ने (ये देखकर फ़र्माया) मैं नहीं समझता था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी या इस ह़द तक होगी, क्या तुझको एक बकरी का मक़्दूर है? मैंने कहा कि नहीं, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर तीन रोज़े रख या छः मिस्कीनों को खाना खिला, हर मिस्कीन को आधा स़ाअ़ खिलाइयो। (राजेअ़ : 1814)

तश्रीह : ये भी उसी सूरत में कि मयस्सर हो वरना आयते करीमा **ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अ़हा** (अल बक़र : 286) के तह़त फिर तो तौबा—इस्तिग़्फ़ार भी कफ़्फ़ारा हो जाएगा, हाँ मक़्दूर (सामर्थ्य रखने) की ह़ालत में ज़रूर ज़रूर हुक्मे शरई बजा लाना ज़रूरी होगा, वरना ह़ज्ज में नुक़्स़ रहना यक़ीनी है। ह़ाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **अय लिकुल्लि मिस्कीनिन मिन कुल्लि शैइन युशीरु बिज़ालिक इलर्रद्दि मन फ़र्रक़ फ़ी ज़ालिक बैनल्कुम्हि व ग़ैरिही क़ाल इब्नु अ़ब्दिल बर्र क़ाल अबू हनीफ़त वल कूफ़ियून निस्फ़ु साइन मिन क़ुम्हिन व साउम्मिन तमरिन व अ़न अहमद रिवायतन तज़ाही क़ौलुहुम क़ाल अयाज़ व हाज़ल हदीषु यरुद्दु अलैहिम (फ़त्हुल बारी) व फ़ी हदीषि कअ़ब मिन उज्रत मिनल**

फ़वाइदि मा तक़द्दम अन्नसुन्नत मुबय्यनतुन लिमुज्मलिल किताबि लिइत्लाक़िल फ़िदयति फ़िल क़ुर्आनि व तक़्यिदिहा फ़िस्सुन्नति व तहरीमि हल्क़िर्रासि अलल महरमि वर्रख़सतु फ़ी हल्क़िहा इज़ा अज़ाहुल्कुम्मलु औ ग़ैरुहु मिनल औजाइ व फ़ीहि तलत्तफ़ुल कबीरि बिअस्हाबिही व इनायतिही बिअहवालिहिम व तफ़क़्क़ुदुहू लहुम व इज़ा राअ बिबअज़ि इत्तिबाइही ज़ररन सअल अन्हु व अर्शदहू इलल मख़रजि मिन्हू यानी हर मिस्कीन के लिये हर एक चीज़ से उसमें उस शख़्स के ऊपर रद्द करना मक़्सूद है जिसने इसके बारे में गेहूँ वग़ैरह का फ़र्क़ किया है। इब्ने अ़ब्दुल बर्र कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और अहले कूफ़ा कहते हैं कि गेहूँ का निस्फ़ (आधा) स़ाअ़ और खजूरों का एक साअ़ होना चाहिए। इमाम अह़मद का क़ौल भी तक़रीबन उसी के मुशाबेह है। क़ाज़ी अ़याज़ ने फ़र्माया कि ह़दीषे कअ़ब बिन उ़ज्रह उनकी तर्दीद कर रही है और इस ह़दीष के फ़वाइद में से ये भी है कि क़ुर्आन के किसी इज्माली हुक्म की तफ़्सील सुन्नते रसूल बयान करती है। क़ुर्आन मजीद में मुत्लक़ फ़िदया का ज़िक्र था सुन्नत ने उसे मुक़य्यिद (निर्धारित) कर दिया और इस ह़दीष से ये भी ज़ाहिर हुआ कि मुह़रिम के लिये सर मुँडाना ह़राम है और जब उसे जूओं वग़ैरह की तकलीफ़ हो तो वो मुँडा सकता है और इस ह़दीष से ये भी ज़ाहिर हुआ कि बड़े लोगों को हमेशा अपने साथियों पर नज़रे इनायत रखते हुए उनके दुख तकलीफ़ का ख़्याल रखना चाहिए किसी को कुछ बीमारी वग़ैरह हो जाए तो उसके इलाज के लिये उनको नेक मश्विरा देना चाहिए।

बाब 8 : क़ुर्आन मजीद में नुसुक से मुराद बकरी है

٨- بَابُ النُّسُكُ شَاةٌ

यानी आयते करीमा **फ़फ़िदयतु मिन् स़ियामिन् अव स़दक़तिन् अव नुसुकिन्** में बकरी मुराद है।

1817. हमसे इस्ह़ाक़ ने बयान किया, कहा हमसे रौह़ ने बयान किया, उनसे शिब्लि बिन अ़बाद ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी नजीह़ ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया कि मुझसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन अबी लैला ने बयान किया और उनसे कअ़ब बिन उ़ज्रह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें देखा तो जूएँ उनके चेहरे पर गिर रही थीं, आप (ﷺ) ने पूछा क्या उन जूओं से तुम्हें तकलीफ़ है? उन्होंने कहा जी हाँ, आप (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि अपना सर मुँडा लें। वो उस वक़्त हुदैबिया में थे। (सुलह हुदैबिया के साल) और किसी को ये मा'लूम नहीं था कि वो हुदैबिया ही में रह जाएँगे बल्कि सबकी ख़्वाहिश ये थी कि मक्का में दाख़िल हों। फिर अल्लाह तआ़ला ने फ़िदया का हुक्म नाज़िल फ़र्माया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि छः मिस्कीनों को एक फ़िरक़ (यानी तीन स़ाअ़ ग़ल्ला) तक़्सीम कर दिया जाए या एक बकरी की क़ुर्बानी करे या तीन रोज़े रखे।

(राजेअ़ : 1814)

١٨١٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ الْقَمْلُ، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟)) قَالَ: نَعَم. فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ)).

[راجع: ١٨١٤]

1818. और मुह़म्मद बिन यूसुफ़ से रिवायत है कि हमको वरक़ाअ ने बयान किया, उनसे इब्ने नजीह़ ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया, उन्हें अ़ब्दुर्रह़मान बिन अबी लैला ने ख़बर दी और उन्हें कअ़ब बिन उ़ज्रह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह

١٨١٨- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ

(ﷺ) ने उन्हें देखा तो जूएँ उनके चेहरे पर गिर रही थी, फिर यही हदीष़ बयान की।

(राजेअ : 1814)

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ)) مِثْلَهُ. [راجع: ١٨١٤]

यानी आयते क़ुर्बानी में मज़्कूर नुसुक से बकरी मुराद है।

बाब 9 : सूरह बक़र में अल्लाह का ये फ़र्माना कि हज्ज में शहवत की बातें नहीं करना चाहिए

٩- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ [البقرة : ١٩٧].

1819. हमसे सुलैमान बिन ह़रब ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे अबू ह़ाज़िम ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जिस शख़्स ने उस घर (का'बा) का ह़ज्ज किया और उसमें न रफ़ष़ (यानी शहवत) की बात मुँह से निकाली और न कोई गुनाह का काम किया तो वो उस दिन की त़रह वापस होगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। (राजेअ : 1521)

١٨١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)). [راجع: ١٥٢١]

यानी तमाम गुनाहों से पाक होकर लौटेगा। क़ुर्आन मजीद में रफ़ष़ का लफ़्ज़ है। रफ़ष़ जिमाअ़ को कहते हैं या जिमाअ़ के मुता'ल्लिक़ शहवतअंगेज़ (वासनाभरी) बातें करने को (फ़ह़श कलाम को) सफ़रे ह़ज्ज सरासर रियाज़त व मुजाहिदे (नफ़्स कशी का सफ़र) है। लिहाज़ा उसमें जिमाअ़ करने बल्कि जिमाअ़ की बातें करने से परहेज़ करना लाज़िम भी है।

बाब 10 : अल्लाह तआ़ला का सूरह बक़र: में फ़र्माना कि ह़ज्ज में गुनाह और झगड़ा न करना चाहिये

١٠- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة : ١٩٧].

1820. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे अबू ह़ाज़िम ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने उस घर का ह़ज्ज किया और न शहवत की फ़ह़श बातें की, न गुनाह किया तो वो उस दिन की त़रह वापस होगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था।

(राजेअ : 1521)

١٨٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)). [راجع: ١٥٢١]

ह़दीष़ के बाब में झगड़े का ज़िक्र नहीं है, इस के लिये इमाम बुख़ारी ने आयत पर इक्तिफ़ा किया और फ़िस्क़ की मुज़म्मत के लिये ह़दीष़ को नक़ल किया, बस आयत और ह़दीष़ दोनों को मिलाकर आपने बाब के मज़्मून को मुदल्लल (तर्कसंगत) किया इससे ह़ज़रत इमाम (रह.) की दिक़्क़ते नज़र (सोच की गहराई) भी ष़ाबित होती है। स़द अफ़सोस उन लोगों पर जो ऐसे बस़ीरत वाले इमाम की फ़ुक़ाहत और फ़िरासत से इकार करें और इस वजह से उनकी तन्क़ीस़ करके गुनहगार बनें।

बाब 28 : किताबु जज़ाउस्सैद; अल्लाह का ये फ़र्माना सूरह माइदा में कि एहराम की हालत में

٢٨- كتاب جزاء الصيد

١- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ..... الي قوله ..... اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٥].

शिकार न मारो। और जो कोई तुममें से उसको जानकर मारेगा तो उस पर उस मारे गए शिकार के बराबर बदला है मवेशियों में से, जो तुममें से दो मोतबर आदमी फ़ैसला कर दें इस तरह से कि वो जानवर बदला का बतौरे नियाज़ का'बा पहुँचाया जाए या उस पर कफ़्फ़ारा है चन्द मोहताजों को खिलाना या उसके बराबर रोज़े ताकि अपने किये की सज़ा चखे, अल्लाह तआला ने मुआफ़ किया जो कुछ हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह तआला उसका बदला उससे ले लेगा और अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला है, हालते एहराम में दरिया का शिकार और दरिया का खाना तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते हलाल हुआ और सब मुसाफ़िरों के लिये और हराम हो। तुम पर जंगल का शिकार जब तक तुम एहराम में रहो और डरते रहो अल्लाह से जिसके पास तुम जमा होओगे। (अल माइदा : 95)

तश्रीह : इस बाब में इमाम बुख़ारी (रह.) ने सिर्फ़ आयत पर इक्तिफ़ा किया और कोई हदीष़ बयान नहीं की। शायद उनको अपनी शर्त के मुवाफ़िक़ कोई हदीष़ इस बाब में नहीं मिली। इब्ने बत्ताल ने कहा इस पर अकष़र उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर मुहरिम शिकार के जानवर को अमदन (जान–बूझकर) या सह्वन (भूल से) क़त्ल करे हर हाल में उस पर बदला वाजिब है और अहले ज़ाहिर ने सह्वन क़त्ल करने में बदला वाजिब नहीं रखा और हसन और मुजाहिद से उसके बरअक्स मन्क़ूल है, इस तरह अकष़र उलमा ने ये कहा है कि उसको इख़्तियार है चाहे कफ़्फ़ारा दे चाहे बदला दे दे; ष़ौरी ने कहा अगर बदला न पाए तो खाना खिलाए अगर ये भी न हो सके तो रोज़े रखे। (वहीदी)

हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **क़ील अस्सबबु फ़ी नूज़ूलि हाज़िहिल आयति अन्न अबल्युस्रति क़तल हिमारन वहशिन व हुव मुहरमुन फ़ी उम्रतिल हुदैबिय्यति फ़नज़लत हकाहु मुक़ातिल फ़ी तफ़्सीरिही व लम यज़्कुरिल मुसन्निफ़ु फ़ी रिवायति अबी ज़र्रिन फ़ी हाज़िहित्तर्जुमति हदीष़न व लअल्लहू अशार इला अन्नहू लम यष़्बुत अला इब्नु बत्ताल इत्तफ़क़ अइम्मतुल्फ़त्वा मिन अहलि हिजाज़ि वल इराक़ि व ग़ैरहुम अला अन्नल मुहरिम इज़ा क़तलस्सैद अमदन औ ख़तअन फ़अलैहिल जज़ाउ** (फ़त्हुल बारी) यानी ये आयत एक शख़्स अबुल युस्रह के बारे में नाज़िल हुई जिसने उमरह–ए–हुदैबिया के मौक़े पर एहराम की हालत में एक जंगली गधे को मार दिया था। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब में कोई हदीष़ ज़िक्र नहीं फ़र्माई। शायद उनका ये इशारा है कि उनकी शर्त पर इस बारे में कोई सहीह मर्फ़ूअ हदीष़ नहीं मिली, इब्ने बत्ताल ने कहा कि फ़त्वा देने वाले इमामों का इत्तिफ़ाक़ है जो हिजाज और इराक़ से ता'ल्लुक़ रखते हैं कि मुहरिम जानकर या ग़लती से अगर किसी जानवर का शिकार करे तो उस पर जज़ा लाज़िम आती है।

बाब 2 : अगर बिना एहराम वाला शिकार करे और एहराम वाले को तोहफ़ा भेजे तो वो खा सकता है

٢- بَابُ إِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا. وَهُوَ غَيْرِ الصَّيْدِ، نَحْوَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ: مِثْلُ.

और अनस और इब्ने अब्बास (रज़ि.) (मुहरिम के लिये) शिकार के सिवा सारे जानवर मष़लन ऊँट, बकरी, गाए, मुर्ग़ी और घोड़े के ज़िब्ह करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे। क़ुर्आन में लफ़्ज़

فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ. قِيَامًا : قَوَامًا يَعْدِلُونَ : يَجْعَلُونَ عَدْلاً.

अ़दल (फ़तह ऐ़न) मिष्ल के मा'नी में बोला गया है और ़िदल (ऐ़न को) जब ज़ेर के साथ पढ़ा जाए तो वज़न के मा'नी में होगा, क़यामन क़वामा (के मा'नी में है, क़य्यिम) यअ़दिलून के मा'नी हैं मिष्ल बनाने के।

١٨٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ((انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ، بِغَيْقَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ : أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ.
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ((كُلُوا)). وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

[أطرافه في : ١٨٢٢، ١٨٢٣، ١٨٢٤، ٢٥٧٠، ٢٩١٤، ٤١٤٩، ٥٣٠٦، ٥٤٠٧، ٥٤٩٠، ٥٤٩١، ٥٤٩٢].

1821. हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ुज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम ने बयान किया, उनसे यह्या इब्ने कष़ीर ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने बयान किया कि मेरे वालिद सुलह हुदैबिया के मौक़े पर (दुश्मनों का पता लगाने) निकले। फिर उनके साथियों ने तो एह्राम बाँध लिया लेकिन (ख़ुद उन्होंने अभी) नहीं बाँधा था (अस़ल में) नबी करीम (ﷺ) को किसी ने ये ख़बर दी थी कि मक़ामे ग़ैयक़ा में दुश्मन आपकी ताक में है, इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने (अबू क़तादा और चन्द स़ह़ाबा रज़ि. को उनकी तलाश में) रवाना किया मेरे वालिद (अबू क़तादा रज़ि.) अपने साथियों के साथ थे कि ये लोग एक—दूसरे को देखकर हंसने लगे (मेरे वालिद ने बयान किया कि) मैंने जो नज़र उठाई तो देखा कि एक जंगली गधा सामने है। मैं उस पर झपटा और नेज़े से उसे ठण्डा कर दिया। मैंने अपने साथियों की मदद चाही थी लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया था, फिर हमने गोश्त खाया। अब हमें ये डर हुआ कि कहीं (रसूलुल्लाह ﷺ से) दूर न रह जाएँ चुनाँचे मैंने आपको तलाश करना शुरू कर दिया कभी अपने घोड़े तेज़ कर देता और कभी धीरे, आख़िर रात गए बनू ग़िफ़ार के एक शख़्स से मुलाक़ात हो गई। मैंने पूछा रसूलुल्लाह (ﷺ) कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि जब मैं आपसे जुदा हुआ तो आप (ﷺ) मक़ामे तअ़हन में थे और आपका इरादा था कि मक़ामे सुक़िया में पहुँचकर दोपहर को आराम करेंगे। ग़रज़ मैं आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हो गया और मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके अस़्ह़ाब आप पर सलाम और अल्लाह की रह़मत भेजते हैं। उन्हें ये डर है कि कहीं वो बहुत पीछे न रह जाएँ इसलिये आप ठहरकर उनका इंतिज़ार करें, फिर मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक जंगली गधे का शिकार किया था और उसका कुछ बचा हुआ गोश्त अब भी मेरे पास मौजूद है, आप (ﷺ) ने लोगों से खाने के लिये फ़र्माया हालाँकि वो सब एह्राम

बाँधे हुए थे। (दीगर मक़ाम : 1822, 1823, 1824, 2570, 2914, 4149, 5306, 5407, 5449, 5491, 5492)

बाब 3 : एहराम वाले लोग शिकार देखकर हंस दें और बिना एहराम वाला समझ जाए फिर शिकार करे तो वो एहराम वाले भी खा सकते हैं

٣- بَابُ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

1822. हमसे सईद बिन रबीअ़ ने बयान किया, कहा हमसे अ़ली बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने, कि उनसे उनके बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हम सुलहे हुदैबिया के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) के साथ चले उनके साथियों ने तो एहराम बाँध लिया था लेकिन उनका बयान था) कि मैंने एहराम नहीं बाँधा था हमें ग़ैयक़ा में दुश्मन के मौजूद होने की इत्तिला मिली इसलिये हम उनकी तलाश में (नबी करीम ﷺ के हुक्म के मुताबिक़ निकले फिर मेरे साथियों ने गोरख़र देखा और एक-दूसरे को देखकर हंसने लगे मैंने जो नज़र उठाई तो उसे देख लिया घोड़े पर (सवार होकर) उस पर झपटा और उसे ज़ख़्मी करके ठण्डा कर दिया, मैंने अपने साथियों से कुछ इमदाद चाही लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया फिर हम सबने उसे खाया और उसके बाद मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ (पहले) हमें डर हुआ कि कहीं हम आँहुज़ूर (ﷺ) से दूर न रह जाएँ इसलिये मैं कभी अपना घोड़ा तेज़ कर देता और कभी आहिस्ता आख़िर मेरी मुलाक़ात एक बनी ग़िफ़ार के आदमी से आधी रात में हुई मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कहाँ है? उन्होंने बताया कि मैं आप (ﷺ) से तअ़हन नामी जगह में अलग हुआ था और आप (ﷺ) का इरादा ये था कि दोपहर को मक़ाम सुक़्या में आराम करेंगे फिर जब मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके अस्हाब ने आपको सलाम कहा है और उन्हें डर है कि कहीं दुश्मन आपके और उनके बीच हाइल न हो जाए इसलिये आप उनका इंतिज़ार कीजिए चुनाँचे आपने ऐसा ही किया मैं ने ये भी अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह! मैंने एक गोरख़र का शिकार किया और कुछ बचा हुआ गोश्त अब भी मौजूद है उस

١٨٢٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ، فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا. فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ:

((كُلُوا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ)). [راجع: ١٨٢٢]

पर आप (ﷺ) ने अपने अस्हाब से फ़र्माया कि खाओ, हालाँकि वो सब एहराम बाँधे हुए थे। (राजेअ : 1822)

٤- بَابُ لاَ يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

बाब 4 : शिकार करने में एहराम वाला ग़ैर मुहरिम की कुछ भी मदद न करे

١٨٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى ثَلاَثٍ)) ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ)). فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ - يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ - فَقَالُوا: لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ((كُلُوهُ حَلاَلٌ)). قَالَ لَنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا. [راجع: ١٨٢١]

1823. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़यैयना ने बयान किया, कहा हमसे स़ालेह बिन कैसान ने बयान किया, उनसे अबू मुहम्मद ने, उनसे अबू क़तादा (रज़ि.) के ग़ुलाम नाफ़ेअ़ ने, उन्होंने अबू क़तादा (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ मदीना से तीन मंज़िल क़ाहा में थे (दूसरी सनद इमाम बुख़ारी ने) कहा कि हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, कहा हमसे स़ालेह बिन कैसान ने बयान किया, उनसे अबू मुहम्मद ने और उनसे अबू क़तादा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ मक़ामे क़ाहा में थे, कुछ तो हमसे मुहरिम थे और कुछ ग़ैर मुहरिम मैं ने देखा कि मेरे साथी एक-दूसरे को कुछ दिखा रहे हैं, मैंने जो नज़र उठाई तो एक गोरख़र सामने था, उनकी मुराद ये थी कि उनका कोड़ा गिर गया, (और अपने साथियों से उसे उठाने के लिये उन्होंने कहा) लेकिन साथियों ने कहा कि हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम मुहरिम हैं) इसलिये मैंने वो ख़ुद उठाया उसके बाद में उस गोरख़र के नज़दीक एक टीले के पीछे से आया और उसे शिकार किया, फिर मैं उसे अपने साथियों के पास लाया, कुछ ने तो ये कहा कि (हमें भी) खा लेना चाहिए लेकिन कुछ ने कहा कि न खाना चाहिए। फिर मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया। आप हमसे आगे थे, मैंने आपसे मसला पूछा तो आपने बताया कि खा लो ये हलाल है। हमसे अ़म्र बिन दीनार ने कहा कि स़ालेह बिन क़ैसान की ख़िदमत में हाज़िर होकर इस हदीष़ और उसके अ़लावा के बारे में पूछ सकते हो और वो हमारे पास यहाँ आए थे। (राजेअ : 1821)

साथियों ने हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का कोड़ा उठाने में भी मदद न की इससे बाब का मतलब ष़ाबित हुआ कि हालते एहराम मे किसी ग़ैर मुहरिम शिकारी की शिकार के सिलसिले में कोई मदद न की जाए। उसी सूरत में उस शिकार का गोश्त एहराम वालों

को भी खाना दुरुस्त है, इससे ह़ालते एह़राम की रूह़ानी अहमियत और भी ज़ाहिर होती है। आदमी मुह़रिम बनने के बाद एक ख़ालिस़ व मुख़्लिस़ फ़क़ीर इलल्लाह बन जाता है। फिर शिकार या उसके बारे में और उससे उसको क्या वास्ता। जो ह़ज्ज ऐसे ही नेक जज़्बात के साथ होगा वही ह़ज्जे मबरूर है।

नाफ़ेअ़ बिन मरजि़स अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम हैं। ये देलमी थे और अकाबिरे ताबेअ़ीन में से हैं। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) और ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से ह़दीष़ की समाअ़त की है। उनसे बहुत से अकाबिर उ़लम–ए–ह़दीष़ ने रिवायत की है जिनमें इमाम ज़ुह्री, इमाम मालिक बिन अनस शामिल हैं। ह़दीष़ के बारे में ये बहुत ही मशहूरे फ़न हैं। नीज़ उन षि़क़ा रावियों में से हैं जिनकी रिवायत शक व शुब्हा से ऊपर उठकर होती है और जिनकी ह़दीष़ पर अ़मल किया जाता है। ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ का बड़ा ह़िस्सा उन पर मौक़ूफ़ है। इमाम मालिक फ़र्माते हैं कि मैं जब नाफ़ेअ़ के वास्ते से इब्ने उ़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ सुन लेता हूँ तो किसी और रावी से सुनने से बेफ़िक्र हो जाता हूँ। 117 हिज्री में वफ़ात पाई सरजिस में **सीन** मुह्मला अव्वल मफ़्तूह़ **रा** साकिन और **जीम** मक्सूर है।

बाब 5 : ग़ैर–मुह़रिम के शिकार करने के लिये एह़राम वाला शिकार की त़रफ़ इशारा भी न करे

٥- بَابُ لاَ يُشِيْرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَي يَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ

1824. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़वाना ने बयान किया, उनसे उ़ष्मान बिन मोहब ने बयान किया, कहा कि मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्हें उनके वालिद अबू क़तादा ने ख़बर दी कि रसूलल्लाह (ﷺ) (ह़ज्ज का) इरादा करके निकले। स़ह़ाबा (रज़ि.) भी आपके साथ थे। आप (ﷺ) ने स़ह़ाबा की एक जमाअ़त को जिसमें अबू क़तादा (रज़ि.) भी थे ये हिदायत देकर रास्ते से वापस भेजा कि तुम लोग दरिया के किनारे किनारे होकर जाओ, (और दुश्मन का पता लगाओ) फिर हम से आ मिलो। चुनाँचे ये जमाअ़त दरिया के किनारे–किनारे चली, वापसी में सबने एह़राम बाँध लिया था मगर अबू क़तादा (रज़ि.) ने अभी एह़राम नहीं बाँधा था। ये क़ाफ़िला चल रहा था कि कई गोरख़र दिखाई दिये, अबू क़तादा ने उन पर ह़मला किया और एक मादा का शिकार कर लिया, फिर एक जगह ठहरकर सबने उसका गोश्त खाया और साथ ही ये ख़्याल भी आया कि क्या हम मुह़रिम होने के बावजूद शिकार का गोश्त खा भी सकते हैं? चुनाँचे जो कुछ गोश्त बचा वो हम साथ लाए और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे तो अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम सब लोग तो मुह़रिम थे लेकिन अबू क़तादा (रज़ि.) ने एह़राम नहीं बाँधा था फिर हमने गोरख़र देखे और अबू क़तादा (रज़ि.) ने उन पर ह़मला करके एक मादा का शिकार कर लिया, उसके बाद एक जगह हमने क़याम

١٨٢٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ - هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ - قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ : ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِي))، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُونَ إِذَا رَأَوا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ. فَلَمَّا أَتَوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا

أَتَانَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا : أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟)) قَالُوا: لاَ، قَالَ: ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)).

[راجع: ١٨٢١]

किया और उसका गोश्त खाया फिर ख़याल आया कि क्या हम मुहरिम होने के बावजूद शिकार का गोश्त खा भी सकते हैं? इसलिये जो कुछ गोश्त बाक़ी बचा है वो हम साथ लाए हैं। आपने पूछा क्या तुममें से किसी ने अबू क़तादा (रज़ि.) को शिकार करने के लिये कहा था? या किसी ने उस शिकार की तरफ़ इशारा किया था? सबने कहा, नहीं! इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर बचा हुआ गोश्त भी खा लो। (राजेअ: 1821)

मा'लूम हुआ कि हालते एहराम वालों के वास्ते ये भी जाइज़ नहीं कि वो शिकारी को इशारों से उस शिकार के लिये रहनुमाई कर सकें।

٦- بَابُ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

बाब 6 : अगर किसी ने मुहरिम के लिये ज़िन्दा गोरख़र तोहफ़ा भेजा हो तो उसे क़ुबूल न करे

١٨٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ((أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ)).

[طرفاه في : ٢٥٧٣، ٢٥٩٦].

1825. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बिन मसऊ़द ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने और उन्हें स़अ़ब बिन जष़्ष़ामा लैष़ी (रज़ि.) ने कि जब वो अब्वा या विदान में थे तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक गोरख़र का तोहफ़ा दिया तो आपने उसे वापस कर दिया था, फिर जब आपने उनके चेहरों पर नाराज़गी का रंग देखा तो आपने फ़र्माया वापसी की वजह सिर्फ़ ये है कि एहराम बाँधे हुए हैं। (दीगर मक़ाम : 2573, 2596)

तश्रीह : इब्ने ख़ुज़ैमा और अबू अवाना की रिवायत में यूँ है कि गोरख़र का गोश्त भेजा, मुस्लिम की रिवायत में रान का ज़िक्र है या पट्ठे का जिनमें से ख़ून टपक रहा था। बैहक़ी की रिवायत में है कि स़अ़ब ने जंगली गधे का पट्ठा भेजा, आप (ﷺ) जोह़्फ़ा में थे। आप (ﷺ) ने उसमें से फ़ौरन खाया और दूसरों को भी खिलाया। बैहक़ी ने कहा कि अगर रिवायत मह़्फ़ूज़ हो तो शायद पहले स़अ़ब ने ज़िन्दा गोरख़र भेजा होगा आपने उसको वापस कर दिया फिर उसका गोश्त भेजा तो आपने उसे ले लिया। अब्वा एक पहाड़ का नाम है और विदान एक मौज़अ़ है जोह़्फ़ा के क़रीब। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि अब्वा से जुह़्फ़ा तक तेईस मील और विदान से जुह़्फ़ा तक आठ मील का फ़ासला है। बाब के ज़रिये इमाम बुख़ारी (रह.) ये बतलाना चाहते हैं कि उस शिकार को वापस करने की वजह सिर्फ़ ये हुई कि वो ज़िन्दा था, ह़ज़रत इमाम ने दूसरे क़राइन की रोशनी में ये तत़्बीक़ दी है।

٧- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

बाब 7 : एहराम वाला कौन-कौन से जानवर मार सकता है?

١٨٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

1826. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ)).

कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने ख़बर दी, और उन्हें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया पाँच जानवर ऐसे हैं जिन्हें मारने में मुह़रिम के लिये कोई ह़र्ज नहीं है।

ح: عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ. . [طرفه في : ٣٣١٥].

(दूसरी सनद) और इमाम मालिक ने अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया (जो ऊपर मज़्कूर हुआ) (दीगर मक़ाम : 3315)

١٨٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ. .)). [طرفه في : ١٨٢٨].

1827. (तीसरी सनद) और हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़वाना ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन जुबैर ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से सुना आपने फ़र्माया कि मुझसे नबी करीम (ﷺ) की कुछ बीवियों ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुह़रिम (पाँच जानवरों को) मार सकता है (जिनका ज़िक्र आगे आ रहा है) (दीगर मक़ाम : 1828)

١٨٢٨- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).

1828. (चौथी सनद) और हमसे अस्बग़ ने बयान किया उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने और उनसे सालिम ने बयान किया कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया और उनसे ह़फ़्सा (रज़ि.) ने बयान किया था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि पाँच जानवर ऐसे हैं जिन्हें मारने में कोई गुनाह नहीं, कव्वा, चील, चूहा, बिच्छू और काट खाने वाला कुत्ता।

١٨٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).

1829. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इब्ने वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने ख़बर दी, उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी और उन्हें उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया पाँच जानवर ऐसे हैं जो सबके सब मूज़ी (नुक़्सान दायक) हैं और जिन्हें ह़रम में भी मारा जा सकता हैं, कौआ, चील, चूहा, बिच्छू और काटने वाले कुत्ता।

तशरीह : ये पाँचों जानवर जिस क़दर भी मूज़ी हैं ज़ाहिर है उनकी हलाकत के हुक्म से शारेअ़ अलैहिर्रहमा ने बनी नोअ़े इंसान के माली, जिस्मानी, इक़्तिसादी, ग़िज़ाई बहुत से मसाइल की तरफ़ रहनुमाई की है, कौआ और चील डाका ज़नी में मशहूर हैं और बिच्छू अपनी नेशज़नी (डंक मारने में), चूहा इंसानी सेह्हत के लिये मुज़िर, फिर ग़िज़ाओं के ज़ख़ीरों का दुश्मन और काटने वाला कुत्ता सेह्हत के लिये इंतिहाई ख़तरनाक। यही वजह है जो उनका क़त्ल हर जगह जाइज़ हुआ।

١٨٣٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اقْتُلُوهَا)). فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنَ الْحَرَمِ وَ إِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بَأْسًا.

[أطرافه في: ٣٣١٨، ٤٩٣٠، ٤٩٣١، ٤٩٣٤].

1830. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़ियाष़ ने बयान किया, कहा हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहीम ने अस्वद से बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ मिना के ग़ार में थे कि आप (ﷺ) पर सूरह वल् मुर्सलात नाज़िल होनी शुरू हुई। फिर आप (ﷺ) उसकी तिलावत करने लगे और मैं आपकी ज़ुबान से उसे सीखने लगा, अभी आप (ﷺ) ने तिलावत ख़त्म भी नहीं की थी कि हम पर एक सांप गिरा। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे मार डालो चुनाँचे हम उसकी तरफ़ लपके लेकिन वो भाग गया। इस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस तरह से तुम उसके शर से बच गए वो भी तुम्हारे शर से बचकर चला गया। ह़ज़रत अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि इस ह़दीष़ से मेरा मक़्स़द स़िर्फ़ ये है कि मिना ह़रम में दाख़िल है और स़ह़ाबा ने ह़रम में सांप मारने में कोई ह़र्ज नहीं समझा था।

(दीगर मक़ाम : 3318, 4930, 4931, 4934)

यहाँ ये इश्काल (अन्देशा) पैदा होता है कि ह़दीष़ से बाब का मत़लब नहीं निकलता क्योंकि ह़दीष़ में ये कहाँ है कि स़ह़ाबा एह़राम बाँधे हुए थे और उसका जवाब ये है कि इस्माईल की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि ये वाक़िया अ़रफ़ा की रात का है और ज़ाहिर है कि उस वक़्त सब लोग एह़राम बाँधे हुए होंगे। पस बाब का मत़लब निकल आया क़ाला अबू अ़ब्दुल्लाह अल्ख़ ये इ़बारत अकष़र नुस्ख़ों में नहीं है अबुल वक़्त की रिवायत में है। इस इ़बारत से भी वो अन्देशा दूर हो जाता है जो ऊपर बयान हुआ।

١٨٣١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: ((فُوَيْسِقٌ))، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ)).

1831. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़ह्हरा ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने छिपकली को मूज़ी कहा था लेकिन मैंने आपसे ये नहीं सुना कि आपने उसे मारने का भी हुक्म दिया था।

(दीगर मक़ाम : 3306) [طرفه في : ٣٣٠٦].

तश्रीह : इब्ने अ़ब्दुल बर्र ने कहा इस पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि छिपकली मार डालना ह़िल्ल और ह़रम दोनों जगह दुरुस्त है, वल्लाहु आलम। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि इब्ने अ़ब्दुल ह़कम ने इमाम मालिक से उसके ख़िलाफ़ नक़ल किया कि अगर मुह़रिम छिपकली को मारे तो स़दक़ा दे क्योंकि वो उन पाँच जानवरों में नहीं है जिनका क़त्ल जाइज़ है और इब्ने अबी शैबा ने अ़ता से निकाला कि बिच्छू वग़ैरह पर क़यास किया जा सकता है और ह़िल्ल और ह़रम में उसे मारना भी दुरुस्त कहा जा सकता है।

बाब 8 : इस बयान में कि ह़रम शरीफ़ के दरख़्त न काटे जाएँ (और) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया कि ह़रम के कांटे न काटे जाएँ

٨- بَابُ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ)).

1832. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ बिन सईद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद मक़्बरी ने, उनसे अबू शुरैह़ अ़दवी (रज़ि.) ने कि जब अ़म्र बिन सईद मक्का पर लश्कर कशी कर रहा था तो उन्होंने कहा अमीर इजाज़त दे तो मैं एक ऐसी ह़दीष़ सुनाऊँ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दूसरे दिन इर्शाद फ़र्माई थी, इस ह़दीष़े मुबारक को मेरे इन कानों ने सुना और मेरे दिल ने पूरी त़रह उसे याद कर लिया था और जब आप इर्शाद फ़र्मा रहे थे तो मेरी आँखें आपको देख रही थीं। आप (ﷺ) ने अल्लाह की ह़म्द और उसकी ष़ना बयान की, फिर फ़र्माया कि मक्का की हुर्मत अल्लाह ने क़ायम की है, लोगों ने नहीं; इसलिये किसी ऐसे शख़्स के लिये जो अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता हो ये जाइज़ और ह़लाल नहीं कि यहाँ ख़ून बहाए और कोई यहाँ का एक दरख़्त भी न काटे लेकिन अगर कोई शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़िताल (फ़तहे मक्का के मौक़े पर) से उसका जवाज़ निकाले तो उससे ये कह दो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को अल्लाह ने इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं है और मुझे भी थोड़ी सी देर के लिये इजाज़त मिली थी फिर दोबारा आज उसकी हुर्मत ऐसी ही क़ायम हो गई जैसे पहले थी और हाँ जो मौजूद हैं वो ग़ायब को (अल्लाह का ये पैग़ाम) पहुँचा दें, अबू शुरैह़ से किसी ने पूछा कि फिर अ़म्र बिन सईद ने (ये ह़दीष़ सुनकर) आपको क्या जवाब दिया था? उन्होंने बताया कि अ़म्र ने कहा अबू शुरैह़! मैं ये ह़दीष़ तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ मगर ह़रम किसी मुजरिम को पनाह नहीं देता और न ख़ून करके और न किसी जुर्म करके भागने वाले को पनाह देता है। ख़ुरबा से मुराद ख़ुरबा

١٨٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ((ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُوْلُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)). فَقِيْلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا

बलिया है। (राजेअ : 104)

بِـخُرْبَةٍ)) خُرْبَةٌ : بَلِيَّةٌ. [راجع: ١٠٤]

तश्रीह : इस ह़दीष़ में अ़म्र बिन सईद की फ़ौजकशी (चढ़ाई) का ज़िक्र है जो ख़िलाफ़ते उमवी का एक ह़ाकिम था और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) के मुक़ाबिले पर मक्का शरीफ़ में जंग करने के लिये फ़ौज भेज रहा था उस मौक़े पर कलिम-ए-ह़क़ बुलन्द करने के लिये ह़ज़रत अबू शुरैह़ (रज़ि.) ने ये ह़दीष़ बयान की कि उसे सुनकर शायद अ़म्र बिन सईद अपने उस इक़्दाम से रुक जाए मगर वो रुकनेवाला कहाँ था। उलटा ह़दीष़ की तावील करने लगा और उलटी सीधी बातों से अपने फ़ेअ़ल का जवाज़ (औचित्य) ष़ाबित करने लगा जो सरासर उसके नफ़्स का फ़रेब था। आख़िर उसने मक्का शरीफ़ पर फ़ौजकशी की और ह़ुर्मते का'बा को पामाल करके रख दिया। अबू शुरैह़ ने इसलिये सुकूत नहीं किया कि अ़म्र बिन सईद का जवाब मा'क़ूल (पर्याप्त) था बल्कि उसका जवाब सरासर नामा'क़ूल (अपर्याप्त) था। बह़ष़ तो ये थी कि मक्का पर लश्करकशी और जंग जाइज़ नहीं लेकिन अ़म्र बिन सईद ने दूसरा मसला छेड़ दिया कि कोई ह़द्दी जुर्म का मुर्तकिब होकर ह़रम में भाग जाए तो उसको ह़रम में पनाह नहीं मिलती। इस मसले में भी उ़लमा का इख़्तिलाफ़ है मगर अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने तो कोई ह़द्दी जुर्म भी नहीं किया था।

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) की कुन्नियत अबूबक्र है, ये असदी क़ुरैशी हैं उनकी कुन्नियत उनके नानाजान ह़ज़रत सय्यिदिना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की कुन्नियत पर ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) ने रखी थी। मदीना में मुहाजिरीन मे ये सबसे पहले बच्चे थे जो 1 हिज्री में पैदा हुए। ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उनके कान में अज़ान कही, मक़ामे क़ुबा में पैदा हुए और उनकी वालिदा माजिदा ह़ज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) उनको आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में दुआ-ए-बरकत के वास्ते लेकर ह़ाज़िर हुई, आप (ﷺ) ने उनको अपनी गोद में बिठाया और दहने मुबारक में एक खजूर चबाकर उसका लुआ़ब उनके मुँह में डाला और उनके तालू से लगाया, गोया सबसे पहली चीज़ जो उनके पेट में दाख़िल हुई वो आँह़ज़रत (ﷺ) का लुआ़बे मुबारक था। फिर आप (ﷺ) ने उनके लिये दुआ-ए-बरकत फ़र्माई, बालिग़ होने पर ये बहुत ही भारी भरकम, रौबदार शख़्सियत के मालिक थे। बकष़रत रोज़ा रखने वाले, नवाफ़िल पढ़ने वाले और ह़क़ व स़दाक़त के अ़लमबरदार थे। ता'ल्लुक़ात और रिश्ते-नाते क़ायम रखने वाले, लिह़ाज़ व मुरव्वत के पैकर, मुजस्सम-ए-अख़्लाक़े हुस्ना (अच्छे चरित्र की जीती-जागती तस्वीर) थे। उनकी ख़ूबियों में से ये है कि उनकी वालिदा माजिदा ह़ज़रत अस्मा (रज़ि.) ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की स़ाह़बज़ादी थीं। उनके नाना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) थे। उनकी दादी स़फ़िया आँह़ज़रत (ﷺ) की सगी फूफी और ह़ज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) उनकी ख़ाला हैं। आठ साल की उ़म्र में आँह़ज़रत (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर बैअ़त की। उस जंग में जिसका यहाँ ज़िक्र है। ह़ज्जाज बिन यूसुफ़ ने उनको मक्का शरीफ़ में क़त्ल किया और 17 जमादिष़्षानी बरोज़ मंगल 73 हिजरी में उनकी लाश को सूली पर लटकाया, जिसके कुछ दिनों बाद ह़ज्जाज भी बड़ी ज़िल्लत व ख़्वारी की मौत मरा। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) के लिये 64 हिजरी में बैअ़ते ख़िलाफ़त ली गई, जिस पर बेशतर अहले हिजाज, यमन, इ़राक़ और ख़ुरासान वालों का इत्तिफ़ाक़ था। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह ने अपनी उ़म्र में आठ बार ह़ज्ज किया उनसे एक बड़ी जमाअ़त रिवायते ह़दीष़ करती है। मुख़्तलिफ़ मसाइल के इस्तिम्बात़ के लिये ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) अपनी जामेउ़स्सह़ीह़ में बहुत से मक़ामात पर इस ह़दीष़ को लाए हैं।

बाब 9 : ह़रम के शिकार हाँके न जाएँ

٩- بَابٌ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

1833. हमसे मुह़म्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया अल्लाह तआ़ला ने मक्का को ह़ुर्मत वाला बनाया है मुझसे पहले भी ये किसी के लिये ह़लाल नहीं था

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ

قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ)). وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ: ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)). وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي ((مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟)) هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ.

इसलिये मेरे बाद भी वो किसी के लिये ह़लाल नहीं होगा। मेरे लिये सिर्फ़ एक दिन घड़ी भर ह़लाल हुआ था इसलिये उसकी घास न उखाड़ी जाए और उसके दरख़्त न काटे जाएँ, उसके शिकार न भड़काए जाएँ और न वहाँ की कोई गिरी हुई चीज़ उठाई जाए, हाँ ऐलान करने वाला उठा सकता है। (ताकि अस़ल मालिक तक पहुँचा दे) ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! इज़ख़र की इजाज़त दीजिए क्योंकि ये हमारे सुनारों और हमारी क़ब्रों के लिये काम आती है। आपने फ़र्माया कि इज़ख़र की इजाज़त है। ख़ालिद ने रिवायत किया कि इक्रिमा (रह.) ने फ़र्माया कि तुम जानते हो कि शिकार को न भड़काने से क्या मुराद है? उसका मत़लब ये है कि (अगर कहीं कोई जानवर साया में बैठा हुआ हो तो) उसे साये से भगाकर ख़ुद वहाँ क़याम न करे।

तश्रीह़ : मा'लूम हुआ कि ह़रमे मुह़तरम का मक़ाम ये है जिसमें किसी जानवर तक को भी सताना, उसको उसके आराम की जगह से उठा देना, ख़ुद उस जगह पर क़ब्ज़ा कर लेना ये जुम्ला उमूर ह़रम शरीफ़ के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। अय्यामे ह़ज्ज में हर ह़ाजी का फ़र्ज़ है कि वहाँ दूसरे भाइयों के आराम का हर वक़्त ख़्याल रखें।

١٠- بَابُ لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

बाब 10 : मक्का में लड़ना जाइज़ नहीं है

وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ يَسْفِكُ بِهَا دَمًا)).

और अबू शुरैह़ (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया कि वहाँ ख़ून न बहाया जाए।

١٨٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: ((لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ

1834. हमसे उ़स्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे त़ाऊस ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तह़ मक्का के दिन फ़र्माया अब हिजरत फ़र्ज़ नहीं रही लेकिन (अच्छी) निय्यत और जिहाद अब भी बाक़ी है इसलिये जब तुम्हें जिहाद के लिये बुलाया जाए तो तैयार हो जाना। इस शहर (मक्का) को अल्लाह तआ़ला ने उसी दिन हुर्मत अ़ता की थी जिस दिन उसने आसमान और ज़मीन पैदा किये, इसलिये ये अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हुर्मत की वजह से मुहतरम है यहाँ किसी के लिये भी मुझसे पहले लड़ाई जाइज़ नहीं थी और मुझे भी स़िर्फ़ एक दिन घड़ी भर के लिये (फ़तहे मक्का के दिन इजाज़त मिली थी) अब हमेशा ये शहर अल्लाह की क़ायम की हुई हुर्मत की वजह से क़यामत तक के लिये हुर्मत वाला है। पस

الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا)). قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ: قَالَ ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)).

[راجع: ١٣٤٩]

इसका कांटा काटा न जाए न उसके शिकार हाँके जाएँ और उस शख़्स के सिवा जो ऐलान करने का इरादा रखता हो कोई यहाँ की गिरी हुई चीज़ न उठाए और न यहाँ की घास उखाड़ी जाए। अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! इज़्ख़र (एक घास) की इजाज़त तो दे दीजिए क्योंकि यह कारीगरों और घरों के लिये ज़रूरी है तो आपने फ़र्माया कि इज़्ख़र की इजाज़त है।

(राजेअ़ : 1349)

तश्रीह : अहदे रिसालत में हिज्रत का सिलसिला फ़तहे मक्का पर ख़त्म हो गया था क्योंकि अब ख़ुद मक्का ही दारुल इस्लाम बन गया और मुसलमानों को आज़ादी से रहना नसीब हो गया लेकिन ये हुक्म क़यामत तक के लिये बाक़ी है कि किसी ज़माने में कहीं भी दारुल ह़रब से बवक़्ते ज़रूरत मुसलमान दारुल इस्लाम की त़रफ़ हिज्रत कर सकते हैं। इसलिये फ़र्माया कि अपने दीन ईमान को बहरहा़ल मह़फ़ूज़ रखने के लिये हुस्ने निय्यत रखना हर ज़माने में हर जगह हर वक़्त बाक़ी है। साथ ही सिलसिले जिहाद भी क़यामत तक के लिये बाक़ी है जब भी किसी जगह कुफ़्र और इस्लाम की मअ़रका-आराई (लड़ाई) हो और इस्लामी सरबराह जिहाद के लिये ऐलान करे तो हर मुसलमान पर उसके ऐलान पर लब्बैक कहना फ़र्ज़ हो जाता है, जब मक्का शरीफ़ फ़तह़ हुआ तो थोड़ी देर के लिये मुदाफ़ेआना जंग की इजाज़त मिली थी जो वहाँ इस्तिह़कामे अमन के लिये ज़रूरी थी बाद में वो इजाज़त जल्दी ही ख़त्म हो गई और अब मक्का शरीफ़ में जंग करना हमेशा के लिये ह़राम है। मक्का सबके लिये दारुल अमन है जो क़यामत तक उसी ह़ैषियत में रहेगा।

बक्क-ए-मुबारका :— रिवायते मज़्कूरा में मुक़द्दस शहर मक्का का ज़िक्र है जिसे क़ुर्आन मजीद में लफ़्ज़ बक्का से भी याद किया गया है इस सिलसिले की कुछ तफ़्सीलात हम मौलाना अबुल जलाल स़ाह़ब नदवी के क़लम से अपने नाज़िरीन की ख़िदमत में पेश करते हैं। मौलाना नदवा के उन फ़ाज़िलों में से हैं जिनको क़दीम इ़ब्रानी व सिर्यानी ज़ुबानों पर उ़बूर ह़ासिल है और इस मौज़ूअ़ पर उनके मुतअ़द्दिद मक़ालात इ़ल्मी रसाइल में शायेशुदा मौजूद हैं हम बक्का मुबारका के उ़न्वान से आपके एक इ़ल्मी मक़ाले का एक ह़िस्सा मआ़रिफ़ सफ़ा 2 जिल्द नं. 6 से अपने क़ारेईन के सामने रख रहे हैं। उम्मीद है कि अहले इ़ल्म उसे ग़ौर के साथ मुत़ालआ़ फ़र्माएँगे। स़ाह़िबे मक़ाला मरह़ूम हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नस़ीब करे आमीन।

तौरात के अंदर मज़्कूर है कि ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जब अपना आबाई वत़न (पूर्वजों का देश) छोड़ा तो अरज़े किन्आ़न में शिकम के मक़ाम से मूरह तक सफ़र करते रहे, (तक्वीन 6112) शिकम उसी मक़ाम का नाम था जिसे इन दिनों नाबिल्स कहते हैं, मूरह का मक़ाम बह़ष त़लब है। ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम जब सफ़र करते हुए इस मक़ाम पर पहुँचे तो यहाँ उनको अल्लाह की तजल्ली नज़र आई। मक़ामे तजल्ली पर उन्होंने अल्लाह के लिये एक क़ुर्बानगाह बनाई (तक्वीन – 7:12) तौरात के बयान के मुत़ाबिक़ इस मक़ाम के अ़लावा ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और उनके बेटों पोतों ने और मक़ामात को भी इ़बादतगाह मुक़र्रर किया लेकिन क़दामत के लिहाज़ से अव्वलीन मअ़बद यही मूरह के पास वाला था। मूरह नाम के बाइबल मे दो मक़ामात का ज़िक्र है, एक मूरह जिल्जाल के मक़ाबिल किन्आ़नियों की सरज़मीन में पर दिन के पार मग़्रिब जानिब वाक़ेअ़ था जहाँ क़ाज़ी जदऊ़न के ज़माने में बनू इस्राईल और बनू मदयन से जंग हुई थी (इस्तिशाअ 11: 30 व क़ास़ियून 10: 7)

दूसरे मूरह का ज़िक्र ज़बूर में वारिद है बाइबिल के मुतर्जिमों (अनुवादकों) ने उस मूरह के ज़िक्र को पर्दा-ए-ख़िफ़ा (राज़दारी) में रखने की इंतिहाई कोशिश की है। लेकिन ह़क़ीक़त का छुपाना निहायत ही मुश्किल है ह़ज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के इशारे का उर्दू में हस्बे ज़ेल तर्जुमा किया है।

ऐ लश्करों के अल्लाह! तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं, मेरी रूह़ अल्लाह की बारगाहों के लिये आरज़ूमन्द है, बल्कि

गुदाज़ होती है, मेरा मन और तन ज़िन्दा अल्लाह के लिये ललकारता है। गोरैय्या ने भी अपना घोंसला बनाया, और अबाबील ने अपना आशियाना पाया जहाँ वे अपने बच्चे रखें, तेरी क़ुर्बानगाहों को ऐ लश्करों के अल्लाह! मेरे बादशाह मेरे अल्लाह!! मुबारक हैं वो जो तेरे घर में बसते हैं, वो सदा तेरी सताइश करते रहेंगे, सलाह। मुबारक हैं वो इंसान जिनकी क़ुव्वत तुझसे हैं। उनके दिल में तेरी राहें हैं, वे बका की वादी में गुज़रते हुए उसे एक कुआँ बनाते हैं, पहली बरसात उसे बरकतों से ढांप लेती है। वो क़ुव्वत से क़ुव्वत तक तरक़्क़ी करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के आगे सहून में हाज़िर होते हैं। (ज़बूर नम्बर 84)

छटी और सातवीं आयत का तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी तक़रीबन यही किया गया है और ग़ालिबन मुतर्जेमीन ने तर्जुमा में इरादा ग़लती से काम लिया है, सहीह तर्जुमा नीचे है।

अब्री बिअ़मक हुबुका मुईन बसीतू हुव गुम बिरूकूफ़ि यअ़तिनुहू मौदह बलकू मुहील अल हियल यराउ अलल वहम युसीबून वो बक्का के बतहा में चलते हैं, एक कुँए के पास फिरते हैं, जमीअ़ बरकतें, मूरह की ढांप लेती हैं, वो क़ुव्वत से क़ुव्वत तक चलते हैं, अल्लाह के सैहून से डरते हुए।

मूरह दरहक़ीक़त वही लफ़्ज़ है, जिसे क़ुर्आन करीम में हम बसूरते मर्वा पाते हैं। अल्लाह ने फ़र्माया, **इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन् शआइरिल्लाह** यक़ीनन सफ़ा और मर्वा अल्लाह के मशाइर (निशानियों) में से हैं।

ज़बूर नम्बर 84 से एक बैतुल्लाह, एक कुँए और एक मर्वा का वादी –ए–बक्का में होना सराहत के साथ साबित है, उससे ख़ान–ए–का'बा की बड़ी अज़्मत और अहमियत ज़ाहिर होती है, हमारे पादरी साहिबान के नज़दीक मुनासिब नहीं है कि लोगों के दिलों में का'बा का एहतिराम पैदा हो, इसलिये उन्होंने ज़बूर नम्बर 84 के तर्जुमे में दानिस्ता (जानते–बूझते) ग़लती से काम लिया, बहरहाल बाइबिल के अंदर मूरह नाम के दो मक़ामात का ज़िक्र है, जिनमें से एक जिल्जाल के पास यानी फ़लस्तीन की ज़मीन पर था और एक वादी-ए-बक्का में है।

अब सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का पहला मअ़बद किस मूरह के पास था, 9 हिज्री में नजरान के नस्रानियों का एक वफ़द (प्रतिनिधि मण्डल) मदीना मुनव्वरा आया, उन नस्रानियों ने जैसा कि सूरह आले इमरान की बहुत सी आयतों से मा'लूम होता है, यहूद मुसलमानों और मुश्रिकीन के साथ मज़हबी बहसें की थीं, उन बहसों के बीच ये सवाल भी उठा था कि मिल्लते इब्राहीम का अव्वलीन मअ़बद कौन था, उसके जवाब में अल्लाह ने इर्शाद फ़र्माया, **इन्न अव्वल बैतिन उज़िअ़ लिन्नासिलल्लज़ी बिबक्कत मुबारकव्वं हुदल लिल्आलमीन। फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुम्मक़ामु इब्राहीमा वमन् दख़लहू काना आमिन वलिल्लाहि अ़लन्नासि हिज्जुल बयति मनिस्तताअ इलैहि सबीला वमन् कफ़र फ़इन्नल्लाह ग़निय्युन अ़निल् आलमीन** (आले इमरान : 96) बिलाशुब्हा पहला अल्लाह का घर जो लोगों के लिये बनाया गया वही है, जो बक्का में वाक़ेअ़ है, मुबारक है और सारे लोगों के लिये हिदायत का सरचश्मा (स्रोत) है, उसमे खुली निशानियाँ हैं, यानी मक़ामे इब्राहीम है, जो उसमें दाख़िल हुआ उसने अमान पाई, और लोगों पर अल्लाह के लिये उस घर का हज्ज फ़र्ज़ है बशर्ते कि रास्ता चलना मुम्किन हो, और अगर कोई काफ़िर कहा नहीं मानता, याद रहे अल्लाह सारे जहाँ से बेनियाज़ है।

जिल्जाल के क़रीब जो मूरह था उसके पास किसी मुक़द्दस मअ़बर का पूरी तारीख़ यहूद के किसी अ़हद में सुराग़ नहीं मिलता, इसलिये यक़ीनी तौर पर मिल्लते इब्राहीम का पहला मअ़बद वही है जिसका ज़िक्र ज़बूर में है और यही ख़ान–ए–का'बा है।

ख़ान–ए–का'बा जिस शहर या इलाक़े में वाक़ेअ़ है उसका मा'रूफ़तरीन (लोकप्रिय, जाना–माना) नाम बक्का नहीं बल्कि मक्का है, क़ुर्आन पाक में एक जगह मक्का के नाम से भी उसका ज़िक्र आया है, ज़ेरे बहस आयत में शहर के मा'रूफ़तर नाम की जगह ग़ैर मशहूर नाम को तरजीह दी गई है, उसकी दो वजह हैं एक ये कि अहले किताब को ये बताना मक़्सूद था कि वो मूरह जिसके पास तौरात के अंदर मज़्कूर मअ़बदे अव्वल को होना चाहिए, जिल्जाल के पास नहीं, बल्कि उन वादी–ए–बक्का में वाक़ेअ़ है, जिसका ज़बूर में ज़िक्र है , दूसरी ये है कि मक्का दरअसल बक्का के नाम की बदली हुई सूरत है, तहरीरी नाम इस शहर का बक्का था, लेकिन अ़वाम की ज़ुबान ने इसे मक्का बना दिया।

सबसे क़दीम नविश्ता जिसमें हमको मक्का का नाम मिलता है, वो कुर्आन मजीद है लेकिन बक्का का नाम कुर्आन से पेशतर ज़बूर में मिलता है, हज़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) की उम्र शरीफ़ जब 35 बरस की थी तो कुरैश ने ख़ान–ए–का'बा की दो बार ता'मीर की, उस ज़माने में ख़ान–ए–का'बा की बुनियाद के अंदर से चन्द पत्थर मिले, जिनपर कुछ इबारतें मन्क़ूस (खुदी हुई) थीं, कुरैश ने यमन से एक यहूदी और एक नसरानी राहिब (सन्यासी) को बुलाकर वो तहरीरें पढ़वाईं एक पत्थर के पहलू पर लिखा था कि **अनल्लाहु ज़ू बक्कत** मैं हूँ अल्लाह बक्का का हाकिम, **हफ़िज़्तुहा बिसब्अति अम्लाकिन हुनफ़ाउ** मैंने इसकी हिफ़ाज़त की सात अल्लाहपरस्त फ़रिश्तों से, **बारक्तु लिअहलिहा फ़िल्माइ वल्लहमि** इसके बाशिन्दों के लिये पानी और गोश्त में बरकत दी मुख़्तलिफ़ रिवायात में कुछ और अल्फ़ाज़ भी हैं, लेकिन हमने जितने अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं उन पर सब रिवायतों का इत्तिफ़ाक़ है, रिवायात के मुताबिक़ ये नविश्ता का'बा की बिनाए इब्राहीम के अंदर मिला था। सच है,

यही घर है कि जिसमें शौकते इस्लाम पिन्हाँ है

उसी से साहिबे फ़ारान की अज़्मत नुमाया है।।

बाब 11 : मुहरिम को पछना लगवाना कैसा है?

और मुहरिम होने के बावजूद इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपने लड़के के दाग़ लगाया था और ऐसी दवा जिसमें ख़ुश्बू न हो उसे मुहरिम इस्ते'माल कर सकता है।

١١- بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ.

उस लड़के का नाम वाक़िद था। उसको सईद बिन मंसूर ने मुजाहिद के तरीक़ से वस्ल (मिलान) किया। दवा वाला जुम्ला हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का कलाम है, इब्ने उमर (रज़ि.) के अषर में दाख़िल नहीं है।

1835. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, कि अम्र बिन दीनार ने बयान किया पहली बात मैंने जो अता बिन अबी रबाह से सुनी थी, उन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से सुना, वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मुहरिम थे उस वक़्त आपने पछना लगवाया था। फिर मैंने उन्हें ये कहते सुना कि मुझसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ताऊस ने ये हदीष बयान की थी। उससे मैंने ये समझा कि शायद उन्होंने उन दोनों हज़रात से ये हदीष सुनी होगी (मुतकल्लिम अम्र हैं और दोनों हज़रात से मुराद अता और ताऊस रह. हैं)

(दीगर मक़ाम : 1938, 1939, 2103, 2278, 2279, 5291, 5694, 5695, 5699, 5700, 5701)

١٨٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ)). ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ((حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)) فَقُلْتُ : لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.

[أطرافه في : ١٩٣٨، ١٩٣٩، ٢١٠٣، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، ٥٦٩١، ٥٦٩٤، ٥٦٩٥، ٥٦٩٩، ٥٧٠٠، ٥٧٠١].

1836. हमसे ख़ालिद बिन मुख़्लद ने बयान किया, कहा कि उनसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे अल्क़मा बिन अबी अल्क़मा ने, उनसे अब्दुर्रहमान अअरज ने और उनसे इब्न

١٨٣٦- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ

बुहैना (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने जब कि आप (ﷺ) मुहरिम थे अपने सर के बीच में मक़ामे लह्यि जमल में पछना लगवाया था।

بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ)). [طرفه في : ٥٦٩٨].

ये मक़ाम मक्का और मदीना के बीच में है। इस ह़दीष़ से ये ष़ाबित हुआ कि बवक़्ते ज़रूरत मुहरिम पछना लगवा सकता है, मुरव्वजा आमाले जराह़ी को भी बवक़्ते ज़रूरत शदीद उसी पर क़यास किया जा सकता है।

बाब 12 : मुहरिम निकाह़ कर सकता है

١٢- بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

1837. हमसे अबुल मुग़ीरह अ़ब्दुल क़ुद्दूस बिन ह़ज्जाज ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, उनसे अ़ता बिन अबी रबाह़ ने बयान किया और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब मैमूना (रज़ि.) से निकाह़ किया तो आप मुहरिम थे।

(दीगर मक़ाम : 4257, 4259, 5114)

١٨٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).

[أطرافه في : ٤٢٥٨، ٤٢٥٩، ٥١١٤].

तश्रीह़ : शायद इमाम बुख़ारी (रह.) इस मसले में ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) और अहले कूफ़ा से मुत्तफ़िक़ हैं कि मुहरिम को अ़क़्दे निकाह़ करना दुरुस्त है लेकिन मुजामिअ़त बिल् इत्तिफ़ाक़ दुरुस्त नहीं है और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक निकाह़ भी एह़राम में जाइज़ नहीं। इमाम मुस्लिम ने ह़ज़रत उ़ष़्मान से मर्फ़ूअ़न निकाला है कि मुहरिम न निकाह़ करे अपना न दूसरा कोई उसका निकाह़ करे न निकाह़ का पयाम दे। इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) कहते हैं कि मुहरिम को जिमाअ़ के लिये लौण्डी ख़रीदना दुरुस्त है तो निकाह़ भी दुरुस्त होगा। ह़ाफ़िज़ ने कहा ये क़यास भी जो ख़िलाफ़े नस़ के है क़ाबिले क़ुबूल नहीं है। (वह़ीदी)

बाब 13 : एह़राम वाले मर्द और औ़रत को ख़ुश्बू लगाना मना है

١٣- بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

और ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुहरिम औ़रत वर्स या ज़ा'फ़रान में रंगा हुआ कपड़ा न पहने।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

1838. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख़्स़ ने खड़े होकर पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! ह़ालते एह़राम में हमें कौनसे कपड़े पहनने की इजाज़त देते हैं? तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि न क़मीस़ पहनो न पायजामे, न अ़मामे और न बरन्सा अगर किसी के पास जूते न हो तो मौज़ों को टखने के नीच

١٨٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ

الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ. وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)). تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلاَ وَرْسٌ. وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)). وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

[راجع: ١٣٤]

काटकर पहन लो। इसी त़रह़ कोई ऐसा लिबास न पहनो जिसमें ज़ाफ़रान या वर्स लगा हो। एह़राम की ह़ालत में औ़रतें मुँह पर नक़ाब न डालें और दस्ताने भी न पहनें। लैष़ के साथ इस रिवायत की मुताबअ़त मूसा बिन उ़क़्बा और इस्माईल बिन इब्राहीम बिन उ़क़्बा और जुवैरिया और इब्ने इस्ह़ाक़ ने नक़ाब और दस्तानों के ज़िक्र के सिलसिले में की है। उ़बैदुल्लाह (रह.) ने, वला वर्स का लफ़्ज़ बयान किया वो कहते थे कि एह़राम की ह़ालत में औ़रत मुँह पर न नक़ाब डाले और न दस्ताने इस्ते'माल करे। और इमाम मालिक ने नाफ़ेअ़ से बयान किया और उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से बयान किया कि एह़राम की ह़ालत में औ़रत नक़ाब न डाले और लैष़ बिन अबी सुलैम ने मालिक की त़रह़ रिवायत की है।

(राजेअ़ : 134)

तश्रीह : बाब में ख़ुश्बू लगाने की मुमानअ़त का ज़िक्र था मगर ह़दीष़ में और भी कई मसाइल का ज़िक्र मौजूद है, एह़राम की ह़ालत में सिला हुआ लिबास मना है और औ़रतों के लिये मुँह पर नक़ाब डालना भी मना है, उनको चाहिए कि उस ह़ालत में और भी ज़्यादा अपनी निगाहों को नीचा रखें ह़या व शर्म व अल्लाह के डर व आदाबे ह़ज्ज का पूरा-पूरा ख़्याल रखें। मर्दों के लिये भी यही सब उमूर ज़रूरी हैं। ह़या–शर्म मल्हूज़ न रहे तो ह़ज्ज उल्टा वबाले जान बन सकता है। आजकल कुछ लोग औ़रतों के मुँह पर पंखों की शक्ल में नक़ाब डालते हैं, ये तकल्लुफ़ बिलकुल ग़ैर–शरई़ है, अह़कामे शरअ़ पर बिला चूँ–चरा अ़मल ज़रूरी है।

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ)).

1839. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे ह़कम ने, उनसे सई़द बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि एक मुह़रिम शख़्स के ऊँट ने ह़ज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर) उसकी गर्दन (गिराकर) तोड़ दी और उसे जान से मार दिया, उस शख़्स को रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने लाया गया। तो आपने फ़र्माया कि उन्हें गुस्ल और कफ़न दे दो लेकिन उनका सर न ढंको और न ख़ुश्बू लगाओ क्योंकि (क़यामत में) ये लब्बैक कहते हुए उठेगा।

तश्रीह : मत़लब ये है कि उसका एह़राम बाक़ी है। दूसरी रिवायत में है कि उसका मुँह न ढंको, ह़ाफ़िज़ ने कहा मुझे उस शख़्स का नाम नहीं मा'लूम हुआ। इस बारे में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं मिली, इससे भी ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ष़ाबित किया कि मुह़रिम को ख़ुश्बू लगाना मना है क्योंकि आपने मरने वाले को मुह़रिम जानकर उसके जिस्म पर ख़ुश्बू

लगाने से मना किया। ह़दीष़ से अ़मले ह़ज्ज की अहमियत भी ष़ाबित होती है कि ऐसा शख़्स़ रोज़े क़यामत में ह़ाजी ही की शक्ल में पेश होगा बशर्ते कि उसका ह़ज्ज अल्लाह के पास मक़्बूल हुआ हो और जुम्ला आदाब व शराइत़ को सामने रखकर अदा किया गया हो। ह़दीष़ से ऊँट की फ़ित्री त़ीनत पर भी रोशनी पड़ती है। अपने मालिक से अगर ये जानवर ख़फ़ा हो जाए तो मौक़ा पाते ही उसे हलाक करने की भरपूर कोशिश करता है। अगरचे इस जानवर में बहुत सी ख़ूबियाँ भी हैं मगर उसकी कीना परवरी भी मशहूर है क़ुर्आन मजीद में अल्लाह ने ऊँट का भी ज़िक्र किया है। **इलल इबिलि कैफ़ा ख़ुलिक़त** (अल ग़ाशिया : 17) यानी ऊँट की त़रफ़ देखो वो किस त़रह़ पैदा किया गया है। उसके जिस्म का हर ह़िस़्स़ा शाने क़ुदरत का एक बेहतरीन नमूना है, अल्लाह ने उसे रेगिस्तान का जहाज़ बनाया है, जहाँ और सब घबरा जाते हैं मगर ये रेगिस्तानों में ख़ूब झूम–झूमकर सफ़र तै करता है।

बाब 14 : मुह़रिम को ग़ुस्ल करना कैसा है?

١٤- بَابُ الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि मुह़रिम (ग़ुस्ल के लिये) ह़म्माम में जा सकता है। इब्ने उ़मर (रज़ि.) और आइशा (रज़ि.) बदन को खुजाने में कोई ह़र्ज नहीं समझते थे।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.

इब्ने मुंज़िर ने कहा मुह़रिम को ग़ुस्ले जनाबत बिल इज्माअ़ दुरुस्त है लेकिन ग़ुस्ल स़फ़ाई और पाकीज़गी में इख़्तिलाफ़ है इमाम मालिक ने उसको मकरूह जाना है और मुह़रिम अपना सर पानी में डुबोए और मौत़ा में नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) एह़राम की ह़ालत में अपना सर नहीं धोते थे लेकिन जब एह़तिलाम होता तो धोते।

1840. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने, उन्हें इब्राहीम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन ने, उन्हें उनके वालिद ने कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) और मुसव्विर बिन मख़रमा (रज़ि.) का मक़ामे अब्वा में (एक मसला पर) इख़्तिलाफ़ हुआ। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने मुझे अबू अय्यूब अंस़ारी (रज़ि.) के यहाँ (मसला पूछने के लिये) भेजा, मैं जब उनकी ख़िदमत में पहुँचा तो वो कुँए की दो लकड़ियों के बीच में ग़ुस्ल कर रहे थे, एक कपड़े से उन्होंने पर्दा कर रखा था, मैंने पहुँचकर सलाम किया तो उन्होंने पूछा कि कौन हो? मैंने अ़र्ज़ किया कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ, आप (ﷺ) की ख़िदमत में मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने भेजा है ये पूछने के लिये कि एह़राम की ह़ालत में रसूलुल्लाह (ﷺ) सरे मुबारक किस त़रह़ धोते थे। ये सुनकर उन्होंने कपड़े पर (जिससे पर्दा था) हाथ रखकर उसे नीचे किया। अब आपका सर दिखाई दे रहा था, जो शख़्स़ उनके बदन पर पानी डाल रहा था। उससे उन्होंने पानी डालने के लिये कहा। उसने उनके सर पर पानी डाला, फिर उन्होंने अपने सर को दोनों

١٨٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ

हाथ से हिलाया और दोनों हाथ आगे ले गए और फिर पीछे लाए फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को (एह़राम की ह़ालत में) इसी त़रह़ करते देखा था।

يَصُبُّ عَلَيْهِ : اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ)).

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं, **व फ़िल हदीषि मिनल फ़वाइदि मुनाज़रतुस्सहाबति फिल अहकामि व रुजूउहुम इलन्नुसूसि व क़ुबूलहुम लिख़बरिल वाहिदि व लौ कान ताबिइय्यन व अन्न क़ौल बअ़ज़िहिम लैस बिहुज्जतिन अ़ला बअ़ज़** यानी इस ह़दीष़ के फ़वाइद में से स़ह़ाबा किराम का बाहमी त़ौर पर मसाइले अह़काम से मुता'ल्लिक़ मुनाज़रा करना, फिर नस़ की त़रफ़ रुजूअ़ करना और उनका ख़बरे वाह़िद को क़ुबूल कर लेना भी है अगरचे वो ताबेई ही क्यों न हो। लिखते वक़्त एक स़ाह़ब जो देवबन्द मसलक से ता'ल्लुक़ रखते हैं उनका मज़्मून पढ़ रहा हूँ जिन्होंने क़लम के ज़ोर पर ष़ाबित किया है कि स़ह़ाबा किराम तक़्लीदे शख़्सी किया करते थे, लिहाज़ा तक़्लीदे शख़्सी का जवाज़ बल्कि वुजूब ष़ाबित हुआ उस दा'वे पर उन्होंने जो दलाइल वाक़ियात की शक्ल में पेश फ़र्माए हैं वो मुतनाज़िआ़ तक़्लीदे शख़्सी की ता'रीफ़ (परिभाषा) में बिलकुल नहीं आते मगर तक़्लीदे शख़्सी के इस ह़ामी बुज़ुर्ग को क़दम-क़दम पर यही नज़र आ रहा है कि तक़्लीदे शख़्सी स़ह़ाबा में आम त़ौर पर मुरव्वज (प्रचलित) थी। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर का मज़्कूरा बयान ऐसे कमज़ोर दलाइल के जवाब के लिये काफ़ी है।

बाब 15 : मुह़रिम को जब जूतियाँ न मिलें तो वो मोज़े पहन सकता है

١٥- بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

1841. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अ़म्र बिन दीनार ने ख़बर दी, उन्होंने जाबिर बिन ज़ैद से सुना, उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना, आपने कहा कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को अ़रफ़ात में ख़ुत्बा देते सुना था कि जिसके पास एह़राम में जूते न हों वो मोज़े पहन ले और जिसके पास तहबन्द न हो वो पायजामा पहन ले।
(राजेअ़ : 1740)

١٨٤١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ)).
[راجع: ١٧٤٠]

इमाम अह़मद ने इस ह़दीष़ के ज़ाहिर पर अ़मल करके हुक्म दिया है कि जिस मुह़रिम को तहबन्द न मिले वो पायजामा और जिसको जूते न मिलें वो मौज़ा पहन ले और पायजामा का फाड़ना और मौज़ों का काटना ज़रूरी नहीं और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक ज़रूरी है अगर उसी त़रह़ पहन लेगा, तो उस पर फ़िदया लाज़िम होगा यहाँ जुम्हूर का ये फ़त्वा सिर्फ़ क़यास पर मब्नी (अनुमान पर आधारित) है जो कि हुज्जत नहीं।

1842. हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे सालिम ने और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) से पूछा गया कि मुह़रिम कौनसे कपड़े पहन सकता है? आप

١٨٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ

الثِّيَابِ؟ فَقَالَ : ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).

[راجع: ١٣٤]

(ﷺ) ने फ़र्माया कि क़मीस़, अमामा, पायजामा, और बरनिस (कन टोप या बाराने कोट) न पहने और न कोई ऐसा कपड़ा पहने जिसमें ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो और अगर जूतियाँ न हों तो मौज़े पहन ले, अल्बत्ता इस तरह काट ले कि टख़नों से नीचे हो जाएँ। (राजेअ़ : 134)

इन जुम्ला लिबासों को छोड़कर सिर्फ़ सीधी–साधी दो सफ़ेद चादरें होनी ज़रूरी हैं जिनमें से एक तहबन्द हो और एक कुर्ते की जगह हो क्योंकि ह़ज्ज में अल्लाह पाक को यही फ़क़ीराना अदा पसन्द है।

١٦– بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

बाब 16 : जिसके पास तहबन्द न हो तो वो पायजामा पहन सकता है

١٨٤٣– حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ : ((مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ)). [راجع: ١٧٤٠]

1843. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन से उम्र बिन दीनार ने बयान किया, उनसे जाबिन बिन ज़ैद ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हमको मैदाने-अरफ़ात में वा'ज़ सुनाया, उसमें आपने फ़र्माया कि अगर किसी को एहराम के लिये तहबन्द न मिले तो पायजामा पहन ले और अगर किसी को जूते ना मिले तो वो मोज़े पहन ले। (राजेअ़ : 1740)

मतलब आप का ये था कि एहराम में तहबन्द का होना और पैरों में जूतों का होना ही मुनासिब है लेकिन अगर किसी को ये चीज़ें मयस्सर न हो तो मजबूरन पायजामा और मोज़े पहन सकता है, क्योंकि इस्लाम में हर–हर क़दम पर आसानियों का लिहाज़ रखा है, इमाम अहमद ने इसी हदीस के ज़ाहिर पर फ़तवा दिया है।

١٧– بَابُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ

बाब 17 : मुहरिम का हथियारबन्द होना दुरुस्त है

وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.

इक्रिमा (रह.) ने कहा कि अगर दुश्मन का डर हो और कोई हथियार बाँधे तो उसे फ़िदया देना चाहिए लेकिन इक्रिमा के सिवा और किसी ने ये नहीं कहा कि फ़िदया देना चाहिए।

ह़ाफ़िज़ ने कहा इक्रिमा का ये अ़ष़र मुझको मौसूलन नहीं मिला। इब्ने मुंज़िर ने ह़सन बस़री से नक़ल किया उन्होंने मुह़रिम को तलवार बाँधना मकरूह समझा। हथियारबन्द होना उसी वक़्त दुरुस्त है जब किसी दुश्मन का डर हो जैसा कि बाब (के मज़मून) से ज़ाहिर है।

١٨٤٤– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ

1844. हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मोसूला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्राईल ने, उन्होंने कहा कि हमसे अबू इस्हाक़ ने

عَنْهُ: ((وَاعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ)). [راجع: ١٧٨١]

बयान किया, और उनसे बराअ (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ीक़अदा में उमरह किया तो मक्का वालों ने आपको मक्का में दाख़िल होने से रोक दिया, फिर उनसे इस शर्त पर सुलह हुई कि हथियार नियाम (म्यान) में डाल कर मक्का में दाख़िल होंगे। (राजेअ : 1781)

١٨- بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حلالاً وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِيْنَ وَغَيْرِهِمْ.

बाब 18 : हरम और मक्का शरीफ़ में बग़ैर एहराम के दाख़िल होना

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) एहराम के बग़ैर दाख़िल हुए और नबी करीम (ﷺ) ने एहराम का हुक्म उन ही लोगों को दिया जो हज्ज और उमरह के इरादे से आएँ। उसके लिये लकड़ी बेचने वालों वग़ैरह को ऐसा हुक्म नहीं दिया।

तश्रीह : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के उस वाक़िया को इमाम मालिक ने मौता में नाफ़ेअ से नक़ल किया है कि जब अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) क़दीद में पहुँचे तो उन्होंने फ़साद की ख़बर सुनी। वो लौट गए और मक्का में बग़ैर एह राम के दाख़िल हो गए। बाब का मतलब हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीष़ से यूँ निकाला कि हदीष़ में ज़िक्र है जो लोग हज्ज और उमरह का इरादा रखते हों उन पर लाज़िम है कि मक्का में एहराम के साथ दाख़िल हों यहाँ जो लोग अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिये मक्का शरीफ़ आते जाते हैं उनके लिये एहराम वाजिब नहीं। इमाम शाफ़िई का यही मसलक है मगर हनीफ़ा मक्का शरीफ़ मे हर दाख़िल होने वाले के लिये एहराम ज़रूरी क़रार देते हैं । इब्ने अब्दुल बर ने कहा अकष़र सहाबा किराम (रज़ि.) और ताबेईन वुजूब के क़ाइल हैं मगर दिरायत और रिवायत की बिना पर हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ही के मसलक को तरजीह मा'लूम होती है।

١٨٤٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)). [راجع: ١٥٢٤]

1845. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने, उनसे उनके बाप ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना वालों के लिये ज़ुल् हुलैफ़ा को मीक़ात बनाया, नजद वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल को और यमन वालों के लिये यलमलम को। ये मीक़ात उन मुल्कों के बाशिन्दों के लिये है और दूसरे उन तमाम लोगों के लिये भी जो उन मुल्कों से होकर मक्का आएँ और हज्ज और उमरह का भी इरादा रखते हों, लेकिन जो लोग उन हुदूद के अंदर हों तो उनकी मीक़ात वही जगह है जहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करें यहाँ तक कि मक्का वालों की मीक़ात मक्का ही है। (राजेअ : 1524)

١٨٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

1846. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़ बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने आकर ख़बर दी कि फ़तहे

مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : ((اقْتُلُوهُ)).
[أطرافه في : ٣٠٤٤، ٤٢٨٦، ٥٨٠٨].

मक्का के दिन रसूले करीम (ﷺ) जब मक्का में दाख़िल हुए तो आपके सर पर ख़ुर्द था। जिस वक़्त आपने उतारा तो एक शख़्स ने ख़बर दी कि इब्ने ख़त्तल का'बा के पर्दों से लटक रहा है आपने फ़र्माया कि उसे क़त्ल कर दो।

(दीगर मक़ाम : 3044, 4286, 5808)

तश्रीह : इब्ने ख़त्तल का नाम अ़ब्दुल्लाह था ये पहले मुसलमान हो गया था। आप (ﷺ) ने एक स़ह़ाबी को उससे ज़कात वसूल करने के लिये भेजा, जिसके साथ एक मुसलमान गुलाम भी था। इब्ने ख़त्तल ने उस मुसलमान गुलाम को खाना तैयार करने का हुक्म दिया और ख़ुद सो रहा, फिर जागा तो उस मुसलमान गुलाम ने खाना तैयार नहीं किया था, ग़ुस्से में आकर उसने उस गुलाम को क़त्ल कर डाला और ख़ुद इस्लाम से फिर गया। दो गाने वाली लौण्डियाँ उसने रखी थीं और उनसे आँह़ज़रत (ﷺ) की हिज्व (बुराई) के गीत गवाया करता था। ये बदबख़्त ऐसा अज़्ली दुश्मन स़ाबित हुआ कि उसे का'बा शरीफ़ के अंदर ही क़त्ल कर दिया गया। इब्ने ख़त्तल को क़त्ल करने वाले ह़ज़रत अबू बरज़ा असलमी थे कुछ ने ह़ज़रत ज़ुबैर को बतलाया है।

١٩ - بَابُ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

बाब 19 : अगर नावाक़फ़ियत की वजह से कोई कुर्ता पहने हुए एह़राम बाँधे?

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

और अ़त़ा बिन अबी रबाह़ ने कहा ना वाक़फ़ियत में या भूलकर अगर कोई मुह़रिम शख़्स ख़ुश्बू लगाए, सिला हुआ कपड़ा पहन ले तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं है।

इमाम शाफ़िई का यही क़ौल है और इमाम मालिक ने कहा अगर उसी वक़्त उतार डाले या ख़ुश्बू धो डाले तो कफ़्फ़ारा न होगा, वरना कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा दलाइल की रू से इमाम बुख़ारी (रह.) के मसलक को तरजीह़ मा'लूम होती है जैसा कि इमाम शाफ़िई (रह.) का यही मसलक है।

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِيْ: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ نَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ : ((اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)). [راجع: ١٥٣٦]

1847. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम ने बयान किया, कहा हमसे अ़त़ा ने बयान किया, कहा मुझसे स़फ़्वान बिन यअ़ला ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था कि आप (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स जो जुब्बा पहने हुए था हाज़िर हुआ और उस पर ज़र्दी या उसी तरह़ का कोई ख़ुश्बू का निशान था। उ़मर (रज़ि.) मुझसे कहा करते थे क्या तुम चाहते हो कि जब आँह़ज़रत (ﷺ) पर वह्य नाज़िल होने लगे तो तुम आँह़ज़रत (ﷺ) को देख सको? उस वक़्त आप पर वह्य नाज़िल हुई फिर वो ह़ालत जाती रही। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस त़रह़ अपने ह़ज्ज में करते हो उसी त़रह़ उ़मरह में भी करो। (राजेअ़ : 1536)

١٨٤٨ - وَعَضَّ رَجُلٌ - يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

1848. एक शख़्स ने दूसरे शख़्स के हाथ में दांत से काटा था दूसरे ने जो अपना हाथ खींचा तो उसका दांत उखड़ गया नबी करीम

(ﷺ) ने उसका कोई बदला नहीं दिलवाया। (दीगर मक़ाम : 2265, 2973, 4417, 6893)

[أطرافه في : ٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧، ٦٨٩٣].

बाब 20 : अगर मुह्रिम अरफ़ात में मर जाए

और नबी करीम (ﷺ) ने ये हुक्म नहीं किया कि हज्ज के बाक़ी अरकान उसकी तरफ़ से अदा किये जाएँ।

٢٠- بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

1849. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, उनसे सईद बिन जुबैर ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि मैदाने अरफ़ात में एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के साथ ठहरा हुआ था कि अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उस ऊँटनी ने उसकी गर्दन तोड़ डाली, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि पानी और बेरी के पत्तों से उसे गुस्ल दो और एहराम ही के दो कपड़ों का कफ़न दो लेकिन ख़ुश्बू न लगाना न उसका सर छुपाना क्योंकि अल्लाह तआला क़यामत में उसे लब्बैक कहते हुए उठाएगा।

١٨٤٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ - أَوْ قَالَ فِي ثَوْبَيْهِ - وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي)).

1850. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे सईद बिन जुबैर ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के साथ अरफ़ात में ठहरा हुआ था कि अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उसने उसकी गर्दन तोड़ दी, तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इसे पानी और बेरी से गुस्ल देकर कपड़ों (एहराम वाले कपड़ों ही में) कफ़ना दो और ख़ुश्बू न लगाना न सर छुपाना और न हनूत लगाना क्योंकि अल्लाह तआला क़यामत में उसे लब्बैक पुकारते हुए उठाएगा।

١٨٥٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

बाब 21 : जब मुह्रिम वफ़ात पा जाए तो उसका कफ़न-दफ़न किस तरह मस्नून है

٢١- بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

1851. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अबू बिश्र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें सईद बिन जुबैर ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के साथ मैदाने अ़रफ़ात में था कि उसके ऊँट ने गिराकर उसकी गर्दन तोड़ दी। वो शख़्स मुह़रिम था और मर गया। नबी करीम (ﷺ) ने ये हिदायत दी कि उसे पानी और बेरी का ग़ुस्ल और (एह़राम के) दो कपड़ों का कफ़न दिया जाए अल्बत्ता उसको ख़ुश्बू न लगाओ न उसका सर छुपाओ क्योंकि क़यामत के दिन वो लब्बैक कहता हुआ उठेगा।

١٨٥١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيْبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

बाब 22 : मय्यित की त़रफ़ से ह़ज्ज और नज़्र अदा करना और मर्द किसी औ़रत के बदले में ह़ज्ज कर सकता है

٢٢- بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

तफ़्सीर से दूसरा हुक्म बाब की ह़दीष़ से नहीं निकलता क्योंकि बाब की ह़दीष़ में ये बयान है कि औ़रत ने अपनी माँ की त़रफ़ से ह़ज्ज करने को पूछा था तो बाब का तर्जुमा यूँ होना था कि औ़रत का औ़रत की त़रफ़ से ह़ज्ज करना और ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब से इस मक़ाम पर सह्व हुआ उन्होंने कहा बाब की ह़दीष़ में है कि औ़रत ने अपने बाप की त़रफ़ से ह़ज्ज करने को पूछा जाने पर ये मत़लब इस बाब की ह़दीष़ में नहीं है, बल्कि आइन्दा बाब की ह़दीष़ में है। इब्ने बत़्त़ाल ने कहा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने इस ह़दीष़ में अम्र के स़ेग़े से यानी अक़्ज़ुल्लाह से ख़ित़ाब किया उसमें मर्द औ़रत सब आ गए और मर्द का औ़रत की त़रफ़ से और औ़रत का मर्द की त़रफ़ से ह़ज्ज करना सबके नज़दीक जाइज़ है, उस औ़रत के नाम में इख़्तिलाफ़ है। निसाई की रिवायत में सिनान बिन सलमा की बीवी मज़्कूर है और इमाम अह़मद की रिवायत में सिनान बिन अ़ब्दुल्लाह की बीवी बतलाया गया है। त़िबरानी की रिवायत से ये निकलता है कि उनकी फूफी थी मगर इब्ने हिन्दा ने स़ह़ाबियात में निकाला कि ये औ़रत आ़निया या ग़ाष़िया नामी थी, इब्ने त़ाहिर ने मुब्हमात में उसी पर जज़्म किया है।

1852. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़वाना वज़ाह़ यश्करी ने बयान किया, उनसे अबू बिश्र जा'फ़र बिन अयास ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि क़बीला जुहैना की एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुई और कहा मेरी वालिदा ने ह़ज्ज की मन्नत मानी थी लेकिन वो ह़ज्ज न कर सकीं और उनका इंतिक़ाल हो गया तो क्या मैं उनकी त़रफ़ से ह़ज्ज कर सकती हूँ? आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ उनकी त़रफ़ से तू ह़ज्ज कर। क्या तुम्हारी माँ पर क़र्ज़ होता तो तुम उसे अदा न करतीं? अल्लाह तआ़ला का क़र्ज़ तो इसका सबसे ज़्यादा मुस्तह़िक़ है कि उसे अदा किया

١٨٥٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ،

जाए। पस अल्लाह तआला का क़र्ज़ अदा करना बहुत ज़रूरी है।

(दीगर मक़ाम : 1699, 7315)

فَا للهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)).

[طرفاه في : ١٦٩٩، ٧٣١٥].

बाब 23 : उसकी तरफ़ से हज्जे बदल जिसमें सवारी पर बैठने की ताक़त न हो

٢٣- بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

1853. हमसे अबू आसिम ने इब्ने जुरैज से बयान किया, उन्होंने कहा उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सुलैमान बिन यसार ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने और उनसे फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि एक ख़ातून--------

١٨٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً. ح.

1854. (दूसरी सनद से इमाम बुख़ारी ने) कहा हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे सुलैमान बिन यसार ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर क़बीला खष्अम की एक औरत आई और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़रीज़ाए हज्ज जो उसके बन्दों पर है उसने मेरे बूढ़े बाप को भी पा लिया है लेकिन उनमें इतनी सकत नहीं कि वो सवारी पर भी बैठ सकें तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज्ज कर लूँ तो उनका हज्ज अदा हो जाएगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ। (राजेअ : 1513)

١٨٥٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ : ((نَعَم)).

[راجع: ١٥١٣]

बाब 24 : औरत का मर्द की तरफ़ से हज्ज करना

٢٤- بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

1855. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने, उनसे सुलैमान बिन यसार ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। इतने में क़बीला ख़ष्अम की एक औरत आई। फ़ज़ल (रज़ि.) उसको देखने लगे और वो फ़ज़ल को देखने लगी। इसलिये नबी करीम (ﷺ) फ़ज़ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेरने लगे, उस औरत ने कहा कि अल्लाह का फ़रीज़ा (हज्ज) ने मेरे बूढ़े बाप को इस हालत में पा लिया है कि वो सवारी पर बैठ नहीं सकते तो

١٨٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهما قَالَ: ((كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ

क्या मैं उनकी तरफ़ से हज्ज कर सकती हूँ, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ! ये हज्जतुल विदाअ का वाक़िया है।

(राजेअ: 1513)

الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). وذلك في حجة الوداع)). [راجع: ١٥١٣]

तश्रीह : उस औरत का नाम मा'लूम नहीं हुआ इस हदीष से निकला कि ज़िन्दा आदमी की तरफ़ से भी अगर वो मा'ज़ूर (असमर्थ) हो जाए दूसरा आदमी हज्ज कर सकता है और ये भी ज़ाहिर है कि ऐसा हज्जे बदल मर्द की तरफ़ से औरत भी कर सकती है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व फ़ी हाज़ल हदीषि मिनल फ़वाइदि जवाज़ुल हज्जि मिनल ग़ैरि वस्तदल्लुल कूफ़ियून बिउमूमिही अला जवाज़ि सिह्हति हज्जिम्मल्लम यहुज नियाबतन अन ग़ैरिही व ख़ालफ़हुमुल जुम्हूरू फ़ख़स्सूहु बिमन हज्ज अन नफ़्सिही वस्तदल्लू बिमा फ़िस्सुननि व सहीहु इब्नि ख़ुजैमा व ग़ैरूहु मिन हदीषि इब्नि अब्बास अयज़न अन्नन नबिय्य (ﷺ) राअ रजुलन युलब्बी अन शिब्रमा फ़क़ाल अ हजज्त मिन नफ़्सिक फ़क़ाल ला हाज़िही मिन नफ़्सिक षुम्महजुज अन शिब्रमा** (फ़तहुल बारी) यानी इस हदीष के फ़वाइद में से है कि ग़ैर की तरफ़ से हज्ज करना जाइज़ है और कूफ़ियों ने इसके उमूम से दलील ली है कि नियाबत में उसका हज्ज भी दुरुस्त है जिसने पहले अपना हज्ज न किया हो और जुम्हूर ने उनसे ख़िलाफ़ कहा है उन्होंने उसके लिये उसी को ख़ास किया है जो पहले अपना ज़ाती हज्ज कर चुका हो और उन्होंने इस हदीष से दलील पकड़ी है जिसे अस्हाबे सुनन और इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरह ने हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया है कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि वो शिब्रमा की तरफ़ से लब्बैक पुकार रहा है। आपने फ़र्माया शिब्रमा कौन है उसने उसके बारे में बतलाया। फिर आपने पूछा कि क्या तू पहले अपना ज़ाती हज्ज कर चुका है, उसने इन्कार में जवाब दिया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया पहले अपना हज्ज कर फिर शिब्रमा का हज्ज करना। इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर है कि हज्जे बदल जिससे कराया जा रहा है ज़रूरी है कि वो शख़्स पहले अपना हज्ज कर चुका हो हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व फ़ीहि इम्मम्मात व अलैहि हज्जुन वजब अला वलिय्यिही अंय्युजहिज्ज मंय्यहुज्जु अन्हु मिन रासि मालिही कमा अन्न अलैहि क़ज़ाउ दुयूनिही फ़क़द अज्मऊ अला अन्न दैनल आदमी मिन रासिल्मालि फ़कज़ालिक मा शुब्बिह बिही फ़िल्क़ज़ाइ व यल्तहिक़ु बिल्हज्जि कल्लु हक़्क़िन षबत फ़ी ज़िम्मतिही कफ़्फ़ारतुन औ नज़्रुन औ ज़कातुन औ ग़ैर ज़ालिक** (फ़तहुल बारी) यानी उसमें ये भी है कि जो शख़्स वफ़ात पाए और उस पर हज्ज वाजिब हो तो वारिषों का फ़र्ज़ है कि उसके असल माल से किसी दूसरे को हज्जे बदल के लिये तैयार करके भेजें। ये ऐसा ही ज़रूरी है जैसा कि उसके क़र्ज़ की अदाएगी ज़रूरी है और कफ़्फ़ारा और नज़्र और ज़कात वग़ैरह की जो उसके ज़िम्मे वाजिब हो।

बाब 25 : बच्चों का हज्ज करना

٢٥- بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

1854. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद ने बयान किया कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे मुज़दलिफ़ा की रात मिना में सामान के साथ भेज दिया था।

١٨٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَعَثَنِي - أَوْ قَدَّمَنِي - النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ)).

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) इस बाब में वो सरीह हदीष नहीं लाए जिसे इमाम मुस्लिम ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया है कि एक औरत ने अपना बच्चा उठाया और कहने लगी या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या इसका हज्ज है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ और तुझको भी षवाब मिलेगा। हदीष से ये निकलता है कि बच्चे का हज्ज मशरूअ है और

उसका एहराम सहीह है लेकिन ये हज्ज उसके फ़र्ज़ हज्ज को साक़ित न करेगा, बुलूग़त (जवानी) के बाद फ़र्ज़ हज्ज अदा करना होगा और ये हज्ज नफ़्ल रहेगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) उन दिनों नाबालिग़ थे, बावजूद उसके उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज्ज किया, इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का मतलब उसी से षाबित किया है।

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقْبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ - أَسِيْرُ عَلَى أَتَانٍ لِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ)). وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ((بِمِنًى حَجَّةِ الْوَدَاعِ)).

[راجع: ٧٦]

1857. हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, उनसे उनके भतीजे इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे उनके चचा ने, उन्हें उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, मैं अपनी एक गधी पर सवार होकर (मिना में आया) उस वक़्त में जवानी के क़रीब था, रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं पहली सफ़ के एक हिस्से के आगे से होकर गुज़रा, फिर सवारी से नीचे उतर आया और उसे चरने के लिये छोड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे लोगों के साथ सफ़ में शरीक हो गया, यूनुस ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया कि ये हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर मिना का वाक़िया है।

(राजेअ़ : 76)

तशरीह : अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) उन दिनों नाबालिग़ थे बावजूद उसके उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज्ज किया, इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का मतलब इसी हदीष से षाबित किया है।

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ)).

1858. हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे हातिम बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने और उनसे साइब बिन यज़ीद (रज़ि.) ने कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्ज कराया गया था। मैं उस वक़्त सात साल का था।

١٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُولُ لِسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ)).

[طرفاه في : ٢٧١٢، ٧٢٣٠].

1859. हमसे अ़म्र बिन ज़ुर्राह ने बयान किया, कहा कि हमें क़ासिम बिन मालिक ने ख़बर दी, उन्हें जुऐद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने, उन्होंने कहा कि मैंने उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) से सुना, वो साइब बिन यज़ीद (रज़ि.) से कह रहे थे साईब (रज़ि.) को नबी करीम (ﷺ) के सामान के साथ (यानी बाल–बच्चों में) हज्ज कराया गया था।

(दीगर मक़ाम : 2712, 7230)

दूसरी रिवायत में है कि उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने हज़रत साइब बिन यज़ीद (रज़ि.) से मदद के बारे में पूछा था। हज़रत साइब

बिन यज़ीद हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर रसूले करीम (ﷺ) के सामान के साथ थे और वो उस वक़्त नाबालिग़ थे।

बाब 26 : औरतों का हज्ज करना

٢٦- بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

1860.इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि मुझसे अहमद बिन मुहम्मद ने कहा कि उनसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके दादा (इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने आख़िरी हज्ज के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) की बीवियों को हज्ज की इजाज़त दी थी और उनके साथ उष्मान बिन अफ़्फ़ान और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) को भेजा था।

١٨٦٠- وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: ((أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ)).

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) की सब बीवियाँ हज्ज को गईं मगर सौदा और हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) वफ़ात तक मकान से न निकलीं। पहले हज़रत उमर (रज़ि.) को तरद्दुद हुआ था कि आप (ﷺ) की बीवियों को हज्ज के लिये निकालें या नहीं। फिर उन्होंने इजाज़त दे दी और निगाहबानी के लिये हज़रत उष्मान (रज़ि.) को साथ कर दिया, फिर हज़रत मुआविया (रज़ि.) की ख़िलाफ़त में भी उम्महातुल मोमिनीन ने हज्ज किया, ऊंटों पर सवार थीं, उन पर चादरें पड़ी हुई थीं। (वहीदी)

1861. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उनसे हबीब बिन अम्र ने, उन्होंने बयान किया, मुझसे आइशा बिन्ते तलहा ने बयान किया और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम भी क्यूँ न आप (ﷺ) के साथ जिहाद और ग़ज़्वा में जाया करें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया तुम लोगों के लिये सबसे उम्दह और सबसे मुनासिब जिहाद हज्ज है, वो हज्ज जो मक़्बूल हो। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती थीं कि जबसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये इर्शाद सुन लिया है हज्ज को मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। (राजेअ : 1520)

١٨٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: ((لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)). [راجع: ١٥٢٠]

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) का मक़्सद था कि जिहाद के लिये निकलना तुम पर वाजिब नहीं जैसे मर्दों पर वाजिब है इस हदीष का ये मतलब नहीं है कि औरतें मुजाहिदीन के साथ न जाएँ बल्कि जा सकती हैं क्योंकि उम्मे अतिया की हदीष में है कि हम जिहाद में निकलते थे और ज़ख़्मियों की दवा वग़ैरह करते थे और आप (ﷺ) ने एक औरत को बशारत दी थी कि वो मुजाहिदीन के साथ शहीद होगी। (वहीदी)

1862. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ग़ुलाम अबू मअबद ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई

١٨٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ

औरत अपने मुहरिम रिश्तेदार के बग़ैर सफ़र न करे और कोई शख़्स किसी औरत के पास उस वक़्त न जाए जब तक वहाँ मुहरिम मौजूद न हो। एक शख़्स ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो फ़लाँ लश्कर में जिहाद के लिये निकलना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी का इरादा हज्ज का है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तू अपनी बीवी के साथ हज्ज को जा।

(दीगर मक़ाम: 3006, 3061, 5233)

إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيْدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: ((اخْرُجْ مَعَهَا)).

[أطرافه في: ٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٥٢٣٣].

तश्रीह: इस रिवायत में मुतलक़ सफ़र मज़्कूर है दूसरी रिवायतों में तीन दिन और दो दिन और एक दिन के सफ़र की तसरीह है बहरहाल एक दिन रात की राह के सफ़र पर औरत बग़ैर मुहरिम के जा सकती है। हमारे इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) फ़र्माते हैं कि अगर औरत को शौहर या दूसरा कोई मुहरिम रिश्तेदार न मिले तो उस पर हज्ज वाजिब नहीं है हनीफ़ा का भी यही क़ौल है लेकिन शाफ़िइया और मालिकिया मो'तबर (भरासेमन्द) और रफ़ीक़ों (रिश्तेदारों) के साथ हज्ज के लिये जाना जाइज़ रखते हैं। (वहीदी)

1863. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको यज़ीद बिन ज़ुरेअ ने ख़बर दी, कहा हमको हबीब मुअल्लम ने ख़बर दी, उन्हें अता बिन अबी रबाह ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्जतुल विदाअ से वापस हुए तो आप (ﷺ) ने उम्मे सिनान अंसारिया औरत (रज़ि.) से पूछा कि तू हज्ज करने नहीं गई? उन्होंने कहा कि फ़लाँ के बाप यानी मेरे शौहर के पास दो ऊँट पानी पिलाने के थे एक पर तो वो ख़ुद हज्ज को चले गए और दूसरा हमारी ज़मीन सैराब करता है। आप (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया कि रमज़ान में उम्रह करना मेरे साथ हज्ज करने के बराबर है, इस रिवायत को इब्ने जुरैज ने अता से सुना, कहा उन्हों ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से और उबैदुल्लाह ने अब्दुल करीम से रिवायत किया, उनसे अता ने उनसे जाबिर (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम ने।

(राजेअ: 1782)

١٨٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: ((مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟)) قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ - تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: ((فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي)) رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ١٧٨٢]

तश्रीह: उबैदुल्लाह अन अब्दुल करीम की रिवायत को इब्ने माजा ने वस्ल किया है इमाम बुख़ारी (रह.) का मतलब इन सनदों के बयान करने से ये है कि रावियों ने इसमें अता पर इख़्तिलाफ़ किया है इब्ने अबी मुअल्ला और यअक़ूब इब्ने अता ने भी हबीब मुअल्लम और इब्ने जुरैज की तरह रिवायत की है मा'लूम हुआ कि अब्दुल करीम की रिवायत शाज़ है जो ए'तिबार के क़ाबिल नहीं। हदीष़ में जिस औरत का ज़िक्र है वो उम्मे सिनान (रज़ि.) है जो आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज्ज करने से महरूम रह गई थीं। हज्ज उन पर फ़र्ज़ भी न था मगर आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी दिल जोई के लिये फ़र्माया कि रमज़ान में अगर वो उमरह कर लें तो इस महरूमी का कफ़्फ़ारा हो जाएगा, इससे रमज़ान में उमरह की फ़ज़ीलत भी ष़ाबित हुई।

1864. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने, उनसे अ़ब्दुल मलिक बिन उ़मर ने, उनसे ज़ियाद के गुलाम क़ुज़्आ़ ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) के साथ बारह जिहाद किये थो। वो कहते थे कि मैंने चार बातें नबी करीम (ﷺ) से सुनी थीं या ये कि वो ये चार बातें नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते और कहते थे कि ये बातें मुझे इंतिहाई पसन्द हैं ये कि कोई औ़रत दो दिन का सफ़र उस वक़्त तक न करे जब तक उसके साथ उसका शौहर या कोई क़रीबी मुह़रिम न हो, न ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा रोज़े रखे जाएँ न अ़स्र की नमाज़ के बाद ग़ुरूब होने से पहले और सुबह़ की नमाज़ के बाद सूरज निकलने से पहले कोई नमाज़ पढ़ी जाए और न तीन मसाजिद के सिवा किसी के लिये कजावे बाँधे जाएँ मस्जिदे ह़राम, मेरी मस्जिद और मस्जिदे अक़्सा। (राजेअ़ : 586)

١٨٦٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَي عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ- أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ- فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي : أَنْ ((لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)). [راجع: ٥٨٦]

बाब 27 : अगर किसी ने का'बा तक पैदल सफ़र करने की मन्नत मानी?

٢٧- بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

1865. हमसे मुह़म्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमें मर्वान फ़िज़ारी ने ख़बर दी, उन्हें हुमैद त़वील ने, उन्होंने बयान किया कि मुझसे ष़ाबित ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक बूढ़े शख़्स़ को देखा जो अपने दो बेटों का सहारा लिये चल रहा था, आप (ﷺ) ने पूछा इन स़ाह़ब का क्या ह़ाल है? लोगों ने कहा कि उन्होंने का'बा को पैदल चलने की मन्नत मानी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला इससे बेनियाज़ है कि ये अपने को तकलीफ़ में डालें। फिर आप (ﷺ) ने उन्हें सवार होने का हुक्म दिया। (राजेअ़ : 6701)

١٨٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: ((مَا بَالُ هَذَا؟)) قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ)). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

[أطرافه في : ٦٧٠١].

तो उस पर उस मन्नत का पूरा करना वाजिब है या नहीं ह़दीष़ से ये निकलता है कि ऐसी नज़्र का पूरा करना वाजिब नहीं क्योंकि ह़ज्ज सवार होकर करना पैदल करने से अफ़ज़ल है या आप (ﷺ) ने फ़र्माया ने इसलिये सवार होने का हुक्म दे दिया कि उसको पैदल चलने की त़ाक़त न थी।

1866. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि

١٨٦٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى

हमको हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी कि इब्ने जुरैज ने उन्हें ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि मुझे सईद बिन अबी अय्यूब ने ख़बर दी, उन्हें यज़ीद बिन हबीब ने ख़बर दी, उन्हें अबुल ख़ैर ने ख़बर दी कि उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने बयान किया मेरी बहन ने मन्नत मानी थी कि बैतुल्लाह तक वो पैदल जाएँगी, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से भी पूछ लो चुनाँचे मैंने आप (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वो पैदल चलें और सवार भी हो जाएँ। यज़ीद ने कहा अबुल ख़ैर हमेशा उक़्बा (रज़ि.) के साथ रहते थे।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ اسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ: ((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)) قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे यह्या बिन अय्यूब ने, उनसे यज़ीद ने उनसे अबुल ख़ैर ने और उनसे उक़्बा (रज़ि.) ने फिर यही हदीष़ बयान की।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

29. किताब फ़ज़ाइलुल मदीना

किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : मदीना के हरम (होने) का बयान

١- بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ

1867. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उनसे ष़ाबित बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे अबू अब्दुर्रहमान अहवल आसिम ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मदीना हरम है फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक (यानी जबले अीर से जबले ष़ोर तक) इस हद में कोई दरख़्त न काटा जाए न कोई बिदअत की जाए और जिसने भी यहाँ कोई बिदअत निकाली उस पर अल्लाह तआला और तमाम फ़रिश्ते और इंसानों की लअनत है।

(दीगर मक़ाम : 7306)

١٨٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)).
[طرفه في : ٧٣٠٦].

तश्रीह : हरमे मदीना का वही हुक्म है जो हरमे मक्का का है सिर्फ़ जज़ा लाज़िम नहीं आती। इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई और अहमद और अहले हदीष का यही मज़हब है। शुअबा और हम्माद की रिवायत में इतना और ज़्यादा है या किसी बिदअती को जगह दे दे। मआज़अल्लाह बिदअत ऐसी बुरी बला है कि आदमी बिदअती को जगह देने से मल्ऊन हो जाता है।

١٨٦٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي)). فَقَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ)).

[راجع: ٢٣٤]

1868. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उनसे अबुत तियाह ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि (नबी करीम ﷺ) जब मदीना (हिज्रत करके) तशरीफ़ लाए तो आँहज़रत (ﷺ) ने मस्जिद की ता'मीर का हुक्म दिया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया ऐ बनू नज्जार तुम (अपनी इस ज़मीन की) मुझसे क़ीमत ले लो लेकिन उन्होंने अर्ज़ किया कि हम इसकी क़ीमत सिर्फ़ अल्लाह तआला से मांगते हैं। फिर आँहज़रत (ﷺ) ने मुश्रिकीन की क़ब्रों के बारे में फ़र्माया और वो उखाड़ दी गईं, वीराना के मुता'ल्लिक़ हुक्म दिया और वो बराबर कर दिया गया। खजूर के दरख़्तों के बारे में हुक्म दिया और वो काट दिये गये और वो दरख़्त क़िब्ला की तरफ़ बिछा दिये गये।

(राजेअ : 234)

तश्रीह : इससे कुछ हन्फ़िया ने दलील ली है कि अगर मदीना हरम होता तो वहाँ के दरख़्त आप (ﷺ) क्यों कटवाते? उनका जवाब ये है कि ये फ़ेअल ज़रूरत से वाक़ेअ हुआ यानी मस्जिद नबवी बनाने के लिये और आँहज़रत (ﷺ) ने जो किया बहुक्मे इलाही किया। आप (ﷺ) ने मक्का में भी क़िताल किया। क्या हन्फ़िया भी उसको किसी और के लिये जाइज़ कहेंगे। मुस्लिम की रिवायत में है आँहज़रत (ﷺ) ने मदीना के आसपास बारह मील तक हरम की हद क़रार दी।

١٨٦٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي)). قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: ((أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ)). ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : ((بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ)).

[طرفه في : ١٨٧٣].

1869. हमसे इस्माईल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अब्दुल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलैमान बिन बिलाल ने, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे सईद मक़बरी ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मदीना के दोनों पथरीले किनारों में जो ज़मीन है वो मेरी ज़ुबान पर हरम ठहराई गई। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) बनू हारिषा के पास आए और फ़र्माया बनू हारिषा! मेरा ख़्याल है कि तुम लोग हरम से बाहर हो गए हो, फिर आप (ﷺ) ने मुड़कर देखा और फ़र्माया कि नहीं बल्कि तुम लोग हरम के अंदर ही हो। (दीगर मक़ाम : 1873)

١٨٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ رَضِيَ

1870. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रहमान बिन महदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान षौरी ने, उनसे अअमश ने, उनसे उनके वालिद यज़ीद बिन शुरैक ने और उनसे अली (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे पास किताबुल्लाह और

اللہ عَنْهُ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ)). وَقَالَ: ((ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ)).

[راجع: ١١١]

नबी करीम (ﷺ) के इस सहीफ़े के सिवा जो नबी करीम (ﷺ) के हवाले से है और कोई चीज़ (शरई अहकाम से मुता'ल्लिक़) लिखी हुई सूरत में नहीं है। इस सहीफ़े में ये भी लिखा हुआ है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया मदीना आइर पहाड़ी से लेकर फ़लाँ मक़ाम तक हरम है, जिसने इस हद में कोई बिदअत निकाली या किसी बिदअती को पनाह दी तो उस पर अल्लाह और तमाम मलाइका और इंसानों की लअनत है। न उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत मक़्बूल है न नफ़्ल और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तमाम मुसलमानों में से किसी का भी अहद काफ़ी है इसलिये अगर किसी मुसलमान की (दी हुई अमान में) दूसरे मुसलमान ने) बदअहदी की तो उस पर अल्लाह और तमाम फ़रिश्तों और इंसानों की लअनत है। न उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत क़ुबूल होगी और नफ़्ल और जो कोई अपने मालिक को छोड़कर उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी दूसरे को मालिक बनाए, उस पर अल्लाह और तमाम मलाइका और इंसानों की लअनत है। न उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत क़ुबूल होगी और न नफ़्ल। (राजेअ : 111)

मदीनतुर्रसूल के कुछ तारीख़ी हालात

तशरीह : मदीना मुनव्वरा या मदीनतुर्रसूल जिसे तय्यिबा कहते हैं, सतहे समुन्दर (समुद्र तल) से तक़रीबन 619 मीटर बुलन्द और वो मश्रिक़ की जानिब 39 दर्जा 55 दक़ीक़ा के तूल पर और शिमाल (उत्तर) को ख़त्त–ए–इस्तवा से 24 दर्जा और 15 दक़ीक़ा के अर्ज़ पर वाक़ेअ है, गर्मी के मौसम में उसकी हरारत (टेम्प्रेचर) 28 डिग्री तक पहुँच जाती है और सर्दी में दिन को सिफ़र (शून्य) के ऊपर दस डिग्री तक और रात में सिफ़र के नीचे 5 डिग्री तक आती है। सर्दी के दिनों में सुबह के वक़्त अकषर पानी बर्तनों में जम जाता है।

ये शहर मक्कतुल मुकर्रमा से उत्तर दिशा में दो सौ साठ मील के फ़ासले पर वाक़ेअ है और मुल्के अरब के हिजाज सूबे में आबादी के लिहाज़ से दूसरे नम्बर पर है। मक्कतुल मुकर्रमा के बाद दुनिय–ए–इस्लाम का सबसे प्यारा बाबरकत मुक़द्दस शहर है, जहाँ अल्लाह के आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) आराम फ़र्मा हैं।

वजहे तस्मिया :— हिज्रत से पहले ये शहर यष़रिब के नाम से मौसूम था, क़ुर्आन मजीद में भी ये नाम आया है, **वइज़्ा क़ालत् ताइफ़तुम्मिन्हुम या अहल यष़रिबा ला मुक़ाम लकुम** (अल् अहज़ाब : 13) बक़ौले ज़ुजाज ये शहर यष़रिब बिन क़ानिया बिन मुह्लाइल बिन इरम बिन अबील बिन औस़ बिन इरम बिन साम बिन नूह (अलैहिस्सलाम) का आबाद किया हुआ है इसलिये यष़रिब के नाम से मौसूम हुआ। कुछ मुअर्रिख़ीन (इतिहासकारों) के बयान के मुताबिक़ इसको यष़रिब इसलिये कहते हैं कि एक शख़्स यष़रिब नामी अम्लकी ने इस शहर को बसाया था, आख़िर में यहूदियों बनू नज़ीर व बनू क़ुरैज़ा व बनू क़ेनक़ाअ के हाथ आ गया।

300 ईस्वी में बनू अज़्द के क़बाइल औस और ख़ज़रज ने उसकी सरहद में सकूनत इख़्तियार की और 492 ईस्वी

में इस पर क़ाबिज़ हो गए। मदीना से शिमाल (उत्तर) व मश्रिक़ (पूर्व) में अब भी एक बस्ती है जिसका नाम यष़रिब है अजब नहीं कि पहली आबादी उसी जगह हो और औस और ख़ज़रज ने यहूद से जुदा रहना पसन्द करके यहाँ रिहाइश इख़्तियार की हो और इसलिये इस हिस्से को भी यष़रिब ही से पुकारा गया है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि लफ़्ज़े यष़रिब मिस्री कलिमा अतरबिस से बिगड़कर बना है अगर ये सहीह हो तो ष़ाबित होता है कि अमालिक़ा ने मिस्र से निकलने के बाद मदीना को बसाया। उसकी यहूदियत के इस क़ौल से भी ताईद होती है कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़िलिस्तीन को जाते हुए एक जमाअत को भेजा ताकि वो इस जानिब के हालात मा'लूम करे। जब वो लोग इस तरफ़ पहुँचे और उनको हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) की वफ़ात की ख़बर मिली तो उन्हों ने शहर अतरबिस बनाकर उसमें इक़ामत इख़्तियार कर ली इस क़ौल की बिना पर मदीना की आबादी सोलह सौ साल क़ब्ले मसीह से शुरू होती है।

यष़रिब में इस्लाम क्योंकर पहुँचा?

मदीना मुनव्वरा में बसने वाले क़बीले ज़्यादातर यहूदी मज़हब के थे, मगर किब्रो–हमिय्यत की बिना पर उनमें बाहम इतने नज़ाअ (मतभेद) थे कि गोया एक–दूसरे के ख़ून के प्यासे थे। औस व ख़ज़रज की ख़ाना–जंगी (गृहयुद्ध) को एक सदी का ज़माना गुज़र चुका था कि सय्यिदे आलम (ﷺ) की नुबुव्वत व तब्लीग़ का चर्चा मक्का व नवाह में फैला, उसी दौरान उनमें ख़ानदान अब्दुल अश्हल के चन्द आदमी क़ुरैश को अपना हलीफ़ (साथी) बनाने की ग़रज़ से मक्का आए और इस्लाम का चर्चा सुना, आँहज़रत (ﷺ) ने तन्हाई में उनको इस्लाम की पाक ता'लीम से आगाह किया और क़ुर्आने पाक की चन्द आयतें सुनाईं। उनमें अयास बिन मुआज़ पर इस तल्क़ीन का बहुत अष़र हुआ और उन्होंने मुसलमान होने का इरादा किया मगर अमीरे वफ़द अनस बिन राफ़ेअ ने कहा कि जल्दी न करो अभी हालात का मुतालआ करो। चुनाँचे ये लोग यूँ ही वापस हो गए।

10 नबवी में क़बीला ख़ज़रज के छः आदमी मौसमे हज्ज में मक्का आए तो अक़्बा यानी उस पहाड़ी घाटी में जो मिना जाने वाले बाएँ हाथ पर चढ़ाई की सीढ़ियों से ज़रा परे पड़ती है, रात के वक़्त आँहज़रत (ﷺ) उनसे मिले और उनको इस्लाम की दा'वत दी, चुनाँचे ये हज़रात मुशर्रफ़ बा इस्लाम हो गए और उसका नाम उक़्बा ऊला हुआ। उनके ज़रिये से मदीना में इस्लाम का चर्चा फैला।

दूसरे साल बारह अस्हाब आए और उस उक़्बा में आँहज़रत (ﷺ) से तन्हाई में गुफ़्तगू करने का वक़्त मुअय्यन कर लिया, चुनाँचे ख़ूब खुलकर बातें हुईं और उन्होंने ये इत्मीनान करके कि बेशक आप (ﷺ) रसूल हैं, इस्लाम क़ुबूल कर लिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर (रज़ि.) को मुबल्लिग़े–इस्लाम बनाकर उनके साथ कर दिया और हज़रत अस्अद बिन ज़रारह (रज़ि.) ने उनको अपने मकान में ठहराया। अब दारे बनी ज़फ़र में इस्लामी मिशन का दफ़्तर क़ायम कर दिया गया। जो हज़रात इस्लाम ला चुके थे। वो मज़हबी ता'लीम पाते और जो नए आते उनको वा'ज़ सुनाया जाता था। इस मुख़्लिसाना प्रचार के बेहतरीन नतीजे निकले और रफ़्ता–रफ्ता यष्रिब के नामवर क़बीले अब्दुल अश्हल का हर मर्द व औरत इस्लाम के आगोश में हो गया। अब यष़रिब में एक कष़ीर जमाअत इस्लाम की नुसरत और पैग़म्बरे इस्लाम के पसीने की जगह ख़ून बहाने के लिये तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद आँहज़रत (ﷺ) भी यष़रिब में हिज्रत फ़र्माकर तशरीफ़ ले आए। उस वक़्त से यष्रिब को मदीनतुर्रसूल (रसूल ﷺ का शहर) बनने का शर्फ़ (श्रेय) हासिल हुआ। मदीनतुर्रसूल का चप्पा–चप्पा मुसलमानाने आलम के लिये बाइष़े सद एहतराम है। इस मुक़द्दस शहर में वो मुबारक मस्जिद है जिसमें बैठकर सय्यिदुल अम्बिया (ﷺ) ने इस्लाम की रोशनी को चारों दिशाओं में फैलाया और इस मुबारक शहर में वो मुक़द्दस जगह है जहाँ नबी करीम (ﷺ) की क़ब्र ह और आप (ﷺ) के लाखों सहाबा यहाँ की मिट्टी के अंदर सोये हुए हैं इसके अलावा तारीख़ी याददाश्तें मुसाफ़िरीन मदीना के लिये बतौरे हदिया पेश की जाती हैं।

हिज्रत में तशरीफ़ आवरी के वक़्त आँहज़रत (ﷺ) मदीना से जुनूबी सिम्त (दक्षिण दिशा) के क़ुबा में क़बीला बनी अम्र बिन औफ़ के मेहमान हुए थे। कुल्षुम बिन हिदम का घर आप (ﷺ) का क़यामगाह बना और सअद बिन ख़ष्अमा का घर आपकी मर्दाना नशिस्तगाह, ये दोनों घर नुज़ूले क़दूमे नबवी के सबब बड़ी शान रखते हैं। मस्जिदे क़ुबा के जुनूब में क़िब्ला की दिशा में 40 फ़ीट की दूरी पर दो क़ुब्बे बैज़वी शक्ल के हैं, उनमें एक क़ुब्बा जो मक़ामुल उमरा के नाम से मशहूर है, यही कुल्षुम बिन हिदम का मकान था, और उससे मिला हुआ क़ुब्बा जो बैते फ़ातिमा कहलाता है ये सअद बिन ख़ष्अमा का घर

था, मस्जिद क़ुबा के सहन में जो क़ुब्बा मुबरके नाक़ा (ऊँट के बैठने की जगह) कहलाता है यहाँ हुज़ूर (ﷺ) की ऊँटनी बैठी थी जहाँ इस वक़्त मस्जिदे क़ुबा है वो हज़रत कुल्षुम का मरबद था कि खजूरें सुखाने के लिये वहाँ फैलाते थे, मदीना मुनव्वरा में आप (ﷺ) हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) के मकान पर उतरे थे, ये मकान मुहल्ला ज़िक़ाक़ुल जस्सा में मस्जिद की सूरत में अब मौजूद है, जिसमें मेहराब भी है। और क़ुब्बा भी उसी बैरूनी दीवार पर एक पत्थर नसब है जिसमें आबे ज़र (सोने के पानी) से लिखा हुआ है **हाज़ा बैतु अबू अय्यूब अल् अंसारी अल्ख़** हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) के मकान के जुनूबी सिम्त हज़रत जा'फ़र सादिक़ (रह.) का मकान था जो इस वक़्त दारे नाइबुल हरम कहलाता है। मस्जिद के मश्रिक़ में हज़रत उष्मान (रज़ि.) के दो छोटे बड़े मकान थे। बवक़्ते शहादत आपकी सकूनत बड़े मकान में थी, उस मकान की जाली के ऊपर अब भी क़त्ले उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) लिखा हुआ है, बक़ीअ के रास्ते से उत्तर की ओर हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) का मकान था, जिसमें आप (रज़ि.) की वफ़ात हुई, ज़ावियतुस्सिमान से सटे हुए उत्तरी ओर एक छोटा सा क़ुबा वो शेरे–इस्लाम ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) का मकान था, रिबात ख़ालिद के पीछे अम्र बिन आस (रज़ि.) फ़ातेहे–मिस्र (मिस्र के विजेता) का मकान था, मस्जिद के ग़रबी जानिब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का दूसरा मकान था ये अब बाबुस्सलाम के उत्तर में एक खिड़की की शक्ल में है उस पर ये हदीष लिखी हुई है, **ला यब्क़ियन्न फिल मस्जिदि खौखतु अहदिन इल्ला खौखतु अबी बक्र**

हरमे मदीना शरीफ़ का बयान :

अंदाज़न बारह मील तक मदीना मुनव्वरा की हद्दे हरम है, जिसके अन्दर शिकार करना, दरख़्त काटना, घास उखाड़ना हराम है। हाँ! जानवरों के लिये घास या पत्ते वग़ैरह तोड़ने जाइज़ हैं। हदीष शरीफ़ में आया है, **अन अबी हुरैरत अन्नन नबिय्य (ﷺ) क़ाल अल्लाहुम्म इन्न इब्राहीम ख़लीलुक व नबिय्युक व इन्नक हर्रम्त मक्कत अला लिसानि इब्राहीम अल्लाहुम्म व अना अब्दुक व नबिय्युक व इन्नी उहरिमु मा बैन लाबैतिहा** (इब्ने माजा) अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐ अल्लाह! हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) तेरे ख़लील और पैग़म्बर थे जिनकी ज़ुबान पर तूने मक्का को बलदुल हराम (पवित्र शहर) क़रार दिया। ऐ अल्लाह! मैं तेरा बन्दा और पैग़म्बर हूँ और मदीना को उसके दोनों पथरीले किनारों के बीच तक हरम क़रार देता हूँ। नबी (ﷺ) ने मदीना शरीफ़ के बारे में ये दुआ की **अल्लाहुम्म हब्बिब इलैनल मदीनत कहुब्बिन मक्कत औ अशद्द यानी ऐ अल्लाह! मदीने को हमें मक्का की तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा महबूब बना दे** (बुख़ारी)। एक रिवायत में मदीना की हुदूदे हरम ओर से षौर तक बयान की गई हैं, ये मदीना के आसपास के पहाड़ों के नाम हैं। मदीना शरीफ़ के फ़ज़ाइल में बहुत सी अहादीष आई हैं चन्द हदीषें यहाँ दर्ज की जाती हैं, **क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) मनिस्तताअ अंय्यमूत बिल्मदीनति फ़ल्यमुत बिहा फ़इन्नी अश्फ़उ लिमंय्यमूतु बिहा** (रवाहु तिर्मिज़ी) **आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जो शख़्स मदीना शरीफ़ में रहे और मदीने ही में उसको मौत आए मैं उसकी सिफ़ारिश करूँगा।** बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में एक शख़्स आले ख़त्ताब से रिवायत की है कि **आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स ख़ालिस पाक निय्यत के साथ मेरी ज़ियारत के लिये आया, क़यामत के दिन वो मेरे पड़ौस में होगा और जो मदीना शरीफ़ में रहकर सब्र व शुक्र के साथ ज़िन्दगी गुज़ारता रहा मैं उसके लिये क़यामत के दिन गवाह और सिफ़ारिशी होऊँगा और जो हरमैन शरीफ़ैन में मौत पाएगा वो क़यामत के दिन अमन पाने वालों में होगा। नबी करीम (ﷺ) जब सफ़र से वापस मदीना शरीफ़ लौटते तो मकानाते मदीना की दीवारों को देखकर मगन हो जाते और सवारी को तेज़ कर देते।** (बुख़ारी) **ये भी आया है कि मदीना शरीफ़ के दरवाज़ों पर फ़रिश्ते पहरा देते हैं। इस पाक शहर में ताऊन और दज्जाल दाख़िल नहीं हो सकते।**

हरमे नबवी का बयान :— हरमे नबवी से मुराद नबी (ﷺ) की पाक व मुबारक मस्जिद और उसका माहौल है, ये सरापा नूर इमारत शहरे मदीना मुनव्वरा के बीच में किसी क़दर मश्रिक़ (पूरब) की ओर झुकी हुई है। यहाँ की फ़िज़ा (वातावरण) लतीफ़ मंज़र जमील (सुहानी और दिल लुभाने वाली) और हेयत मुस्ततील है। क़दीम (पुरानी) मस्जिद की कुल इमारत सुर्ख़ (लाल) पत्थर की है उसका तूल उत्तर से दक्षिण तक औसतन 116.25 मीटर है (फ़्रांसीसी पैमाना है जो 140 इंच के बराबर होता है।) इस लिहाज़ से क़दीम हरम शरीफ़ का तूल एक सौ उन्तीस गज़ से कुछ ज़्यादा है। उसका अर्ज़ मश्रिक़ से मग़रिब तक

क़िब्ला की तरफ़ 86.35 मीटर यानी 96 गज़ है। बाबे शामी की तरफ़ से अ़र्ज़ 66 मीटर सवा 73 गज़ रह जाता है। बनावट के लिहाज़ से ह़रमे नबवी दो ह़िस्सों में मुन्क़सिम (विभाजित) हो सकता है मस्जिद और स़ह़न। हुदूदे मस्जिद की इब्तिदा उस जगह से होती है जहाँ खड़े होकर ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाया करते थे यानी क़िब्ला रुख़ दीवार से स़ह़न एक त़रफ़ और बाबे रह़मत और बाबुन्निसा के बीच मस्जिद ही मस्जिद है। ये सारा ह़िस्सा गुम्बदों से ढका हुआ है जो मेह़राबों पर क़ायम हैं उन मेह़राबों को एक क़िस्म के सख़्त पत्थर के सुतूनों (खम्भों) पर खड़ा किया गया है उन पर संगे–मरमर की तह चढ़ी हुई है और ऊपर सोने के पानी से पच्चीकारी कर दी गई है, दूसरा स़ह़न है जिसका नाम ह़ुस्वह़ है उसकी शक्ल शामी दरवाज़े से मुस्तत़ील है उसके पास तीन त़रफ़ तीन दालान अह़ात़े किये हुए हैं; बरामदों में सुतून हैं जिनके ऊपर मेह़राब और मेह़राबों के ऊपर गुम्बद सरबुलन्द और बादलों से सरगोशियाँ (बातें) करते हुए नज़र आते हैं। ह़रम शरीफ़ के कुल सुतूनों की ता'दाद जो दीवारों के साथ मुल्तस़िक़ (मिली हुई) हैं तीन सौ सत्ताइस तक पहुँच जाती है, उनमें 22 हुज्रा शरीफ़ के अंदर हैं। शामी दरवाज़े की ड्योढ़ी में मदरसा मजीदिया वाक़ेअ़ है, उसी वजह से ह़रम शरीफ़ में दाख़िल होने के रास्ते के अंदरूनी ह़िस्से या'नी ड्योढ़ी का नाम बाबे तवस्सुल रखा गया है। जिहते मग़्रिब की त़रफ़ ख़्वाजा-सराओं के बैठने की जगह है जो गुलाम बेचने के ज़माने में ख़स़्स़ी शुदा गुलामों की शक्ल में ह़रमे नबवी की ख़िदमत के लिये नज़्र कर दिये जाते थे। अब ये ज़ालिमाना त़रीक़ा मौक़ूफ़ (समाप्त) हो चुका है। पिछली त़रफ़ शरक़ी बरामदे की लम्बाई के साथ साथ शीशम की लकड़ी का एक जालीदार शैड है जो औरतों के लिये ख़ास़ है। ह़रम शरीफ़ के अंदर औरतें यहीं बैठती हैं और यही नमाज़े पढ़ती हैं। उसे क़फ़्सुन्निसा कहा जाता है। इस बरामदे के जुनूब (दक्षिण) में एक चबूतरा है जो प्लेटफ़ॉर्म की शक्ल में साढ़े तेरह गज़ लम्बा और नौ गज़ चौड़ा है और ज़मीन से क़रीब सोलह इंच बुलन्द है, यहाँ नबी करीम (ﷺ) के ज़मान–ए–मुबारक में अस़्ह़ाबे सुफ्फ़ा (रज़ि.) बैठा करते थे। ये नादार त़लब–ए–इस्लामिया की जमाअ़त थी जिन्हें खाना कपड़ा और दीगर ज़रूरियात दारुल उ़लूम मुह़म्मदिया से पहुँचाया जाता था। इस चबूतरे के जुनूब (दक्षिण) में एक और चबूतरा है जो उससे छोटा है ये चबूतरा मक़्स़ूरा शरीफ़ से मुत्तस़िल शिमाल (उत्तर) की जानिब है उस जगह नबी करीम (ﷺ) नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करते थे। रौज़ा शरीफ़ मक़्स़ूरा शरीफ़ के मग़्रिब (पश्चिम) में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के मिम्बर शरीफ़ और रौज़ा शरीफ़ के बीच यही जगह है जिसको आप (ﷺ) ने जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बतलाया है और ये भी फ़र्माया है कि ये टुकड़ा सारा जन्नत में रखा जाएगा।

इस मुबारक ज़मीन का त़ूल अंदाज़े से पौने सत्ताईस गज़ और अ़र्ज़ अंदाजन पौने सत्रह गज़ है, राज़ा शरीफ़ के साथ पीतल का जंगला है जिससे मुत्तस़िल वो इज़ाफ़े हैं जो इस ह़रम शरीफ़ में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.), ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) के अय्याम (कार्यकाल) में किये गये थे, ये दोनों इज़ाफ़े जुनूब (दक्षिण) की त़रफ़ हैं, पीतल के जंगले की ऊँचाई एक गज़ दो गिरह है। राज़ा शरीफ़ अपने शर्फ़े–मर्तबत के लिहाज़ से हर वक़्त फ़िदाइयाने रसूल (ﷺ) से भरा रहता है। राज़ा शरीफ़ के मग़्रिबी (पश्चिमी) जानिब वो जगह है जहाँ हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ पढ़ाया करते थे जो अपनी कमाल बाह़ुज्जते और जमाल स़न्अ़त के लिहाज़ से अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और ये क़िब्ला की त़रफ़ मक़्स़ूरा शरीफ़ की सीध में है। हुज़ूर ने उसकी बुनियाद हिज्रत मुबारक के दूसरे साल शाबान की पन्द्रहवीं तारीख़ ब-रोज़ अल इष्नैन (मंगलवार) को रखी थी। ये उस दिन का वाक़िया है जब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने हुज़ूर को का'बा शरीफ़ की त़रफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया था। क़िब्ला के मग़्रिब की त़रफ़ मिम्बर शरीफ़ है जो संगे मरमर का बना हुआ है और उस पर सोने के पानी से निहायत आला दर्जे के नक़्शो–निगार किये गये हैं। ये बेह़द ख़ूबसूरत और स़न्अ़त का बेहतरीन नमूना है, उसे तुर्की के सुल्तान मुराद ष़ालिष़ मरहूम ने 998 हिजरी में ह़रम शरीफ़ के लिये बत़ौरे हदिया पेश किया था यही वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) का मिम्बर रखा था ह़रम शरीफ़ के फ़र्श मुबारक पर अन्वाअ़ व अक़्साम के बेशक़ीमत सजावे बिछे हुए हैं, क़ालीन भी बड़ी ता'दाद मौजूद हैं; बिल ख़ुस़ूस राज़ा में तो बेशक़ीमत चीज़ों की भरमार है। ह़रम शरीफ़ के पाँच दरवाज़े हैं। सदर दरवाज़े बाबुल इस्लाम और बाबुर्रह़्मा दोनों मग़्रिब की त़रफ़ हैं। बाब मजीदी शिमाल (उत्तर) की जानिब, बाबुन्निसा और बाबे जिब्रईल दोनों मश्रिक़ की त़रफ़ हैं। इशा के बाद उन दरवाज़ों को बन्द करके क़िफ़्ल (ताला) लगा दिया जाता है। फिर तहज्जुद की अज़ान के वक़्त खोल दिया जाता है उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) के ज़माने से ये चला आ रहा है।

मौजूदा हुकूमते सऊदिया अ़रबिया ने ह़रम मस्जिदे नबवी की तौसीअ़ (विस्तार) इस क़दर किया है कि एक ही वक़्त ह़ज़ारों नमाज़ी नमाज़ अदा करते हैं और तअ़म्मुरे जदीद (नवनिर्माण) पर करोड़ों रुपया बड़ी फ़राख़दिली के साथ ख़र्च करके

न सिर्फ़ मस्जिदे नबवी बल्कि आसपास के सारे इलाक़े को वसीअ़तर (लम्बा–चौड़ा) बनाकर सफ़ाई सुथराई का ऐसा नादिर नमूना पेश किया है कि देखकर दिल से दुआएँ निकलती हैं अल्लाह पाक इस हुकूमत को दुश्मनों की नज़रेबद से बचाए और ख़िदमते हरमैन शरीफ़ेन के लिये हमेशा क़ायम रखे, आमीन।

गुम्बदे ख़िज़राअ के हालात :— नबी करीम (ﷺ) ने 12 रबीउ़ल अव्वल 11 हिजरी यौमे अल इस्नैन (सोमवार) को हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुजरे में इंतिक़ाल किया, उसी जगह लहद शरीफ़ में आप (ﷺ) के जिस्मे अत्हर को लिटाया गया है, आप (ﷺ) का सरे मुबारक बजानिबे गुरुब और रूए मुबारक बजानिब जुनूब है, ज़मीन का ये टुकड़ा भी अपनी सआ़दते अबदी (अनंतकालीन सौभाग्य) पर जितना नाज़ करे कम है। 22 जमादिल अव्वल 13 हिजरी को सय्यिदिना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की वफ़ात हुई। आप आँहज़रत (ﷺ) की पुश्त की जानिब दफ़न किये गए। उनका सर हुज़ूर (ﷺ) के शान–ए–मुबारक के मक़ाबिल यानी पास एक फ़िट नीचे सरका हुआ रहा, फिर 27 जिल्हिज्ज 23 हिजरी को बुध के दिन सय्यदना उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) की वफ़ात हुई। आप बइजाज़त सिद्दीक़ा (रज़ि.) यहाँ दफ़न हुए, आपका सर हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) के शाने के मक़ाबिल यानी ज़रा नीचे सरका हुआ रहा।

अ़हदे फ़ारूक़ी में हुज्रा शरीफ़ा की दीवारें साबिक़ बुनियादों (पुरानी नीवों) पर दोबारा कच्ची ईंटों से बनवा दी गई थीं। अ़ल्लामा सम्हूदी ने पैमाइश भी की है, जुनूबी (दक्षिणी) दीवार अंदर से $10^{2/3}$ हाथ, शिमाली (उत्तरी) $11^{5/13}$ हाथ, शर्क़ी व ग़र्बी दोनों दीवारें $17^{5/8}$ ऊँचाई 15 हाथ थी। फिर अमीर मदीना उ़मर (रह.) बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने हुज्रा शरीफ़ को बहालते क़ायम रखा और उसके गिर्द बहुत अ़मीक़ (गहरी) बुनियाद खोदकर पत्थर की एक मख़्मस दीवार क़ायम कर दी, हुज्रा शरीफ़ा की छत लकड़ी की बना दी और ऊपर तले तख़्तों को कीलों से जड़ दिया, उसके ऊपर मोमजामा बिछा दिया। ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए न छत पर अष़र करे, बाद में मुस्लिम सुल्तानों ने उसकी हिफ़ाज़त व मरम्मत के लिये बहुत कुछ तजदीद व इस्लाह की। 557 हिजरी में सुलत़ान नूरुद्दीन जंगी शहीद ने जबकि वो ईसाइयों के साथ स़लीबी जंगे अ़ज़ीम में मशग़ूल था, ख़्वाब देखा कि आँहज़रत (ﷺ) दो गुर्बा चश्म आदमियों की त़रफ़ इशारा कर रहे हैं। **अन्जिदनी व अन्क़िज़्नी मिन हाज़ैनि** चौंककर सुल्तान की आँख खुल गई और फ़ौरन् तेज़ रू साँडनियाँ मंगाकर चन्द हमराही साथ लिये। न दिन देखा न रात। रवाँ दवाँ सोलह दिन में मिस्र से मदीना पहुँचा और जितने भी बैरूनी बाशिन्दे मदीना में मुक़ीम (ठहरे हुए) थे सबकी दा'वत की। ये मैदान अब भी **दारुज़्ज़ियाफ़ा** के नाम से मशहूर है, सुल्तान ने उन पर एक गहरी निगाह डाली मगर वो दो शख़्स नज़र न आए जो ख़्वाब में दिखाए गए थे, पूछा क्या और कोई भी बाक़ी है? मा'लूम हुआ कि दो मग़रिबी दरवेश गोशानशीन बाक़ी रह गए हैं। चुनाँचे वो बुलाए गए। उनको देखते ही सुल्तान ने पहचान लिया कि उन्हीं की त़रफ़ आँहज़रत (ﷺ) ने इशारा किया था। उनको लिये हुए सुल्तान उनकी क़यामगाह पर आया देखा कि इधर–उधर चंद किताबें पड़ी हुई हैं ज़मीन पर एक मा'मूली टाट पड़ा हुआ है और उस पर मुस़ल्ला बिछा हुआ है और चन्द बर्तन रखे हैं जिनमें कुछ अनाज है। **बादशाह खामोश सोच रहा था कि ख़्वाब का क्या मक़्सद है, हैरान था कुछ समझ न सका दफ़अ़तन् उसके दिल में एक इल्क़ा हुआ और उसने बिछा हुआ टाट और मुस़ल्ला उठा लिया। देखा तो उसके नीचे गड्ढा है जिस पर पत्थर रखा हुआ है पत्थर उठाया तो देखा कि घूस की तरह सुरंग खोदी गई है और वो सुरंग अंदर ही अंदर आप (ﷺ) के जिस्मे अनवर के क़रीब पहुँच गई है।**

ये देखकर सुल्तान (रह.) गुस़्से से लरज़ने लगा और सख़्ती से तफ़्तीशे हाल करने लगा, आख़िर दोनों ने इक़रार किया कि वो नसरानी हैं जो इस्लामी वज़अ में यहाँ आए हैं और उनके ईसाई बादशाह ने जसदे मुहम्मदी (ﷺ) निकाल लाने के लिये उनको भेजा है। उन हालात को सुनकर बादशाह (रह.) की अजीब कैफ़ियत हुई वो थरथर कांपने और रोने लगा। आख़िर उन दोनों को अपने सामने क़त्ल करा दिया और मख़्मस दीवार के गिर्दागिर्द इतनी गहरी ख़न्दक़ खुदवाई कि पानी निकल आया फिर लाखों मन सीसा पिघलवाकर उसमें डलवाया और ज़मीन की सत़ह तक सीसे की एक ज़मींदोज़ (भूमिगत) ठोस दीवार खड़ी कर दी कि किसी रुख़ जसदे मुतह्हहर तक कोई दुश्मन रसाई न पा सके।

सुल्तान महमूद बिन अ़ब्दुल हमीद उ़स्मानी के ज़माने में क़ुबा शरीफ़ में कुछ शिगाफ़ आ गया था चुनाँचे 1233 हिजरी में सुल्तान ने उसकी तजदीद कराई ऊपर का हिस़्सा उतारकर अज़्सरे नौ (नये सिरे से) ता'मीर किया गया और उस पर गहरा

सब्ज़ रोग़न (हरा रंग) फेरा गया जिसकी वजह से उसका नाम क़ुब्ब–ए–ख़िज़रा हुआ उसके बाद धूप और बारिश से जब उसका रंग हल्का हुआ तो यही सब्ज़ रंग का रोग़न चढ़ाकर उसको पुख़्ता और रोशन किया जाता रहा। दीवार मख़्मस के चारों ओर मेहराबों में जालियाँ लगी हुई हैं, ये जालियाँ ८८८ हिजरी में सुल्तान क़ातिबानी की तरफ़ से मेहमल मिस्री के साथ सत्तर ऊँटों पर लदकर आईं, जाली के साथ दुनिया का वो बेमिषाल मुस्हिफ़ भी मुस्तक़िल एक ऊँट पर मेहमूल होकर आया था जो शाहीन नूरी ख़ुशनवीस ने लिखा था, जालीदार मक़्सूरा और दायरा मख़्मस के बीच चारों तरफ़ सात और दस फ़िट के बीच बरामदा छूटा हुआ है जिस पर संगे मरमर का फ़र्श है।

मवाजे शरीफ़ में पीतल की जाली लगी हुई है, बाक़ी तीन तरफ़ तांबा और उस पर गहरा पुख़्ता सब्ज़ रोग़न चढ़ा हुआ है उसका नाम शबाक है, ये बशक्ले मुस्तत़ील है और उसका जुनूबी (दक्षिणी) व शिमाली (उत्तरी) हर ज़िला साढ़े सत्तरह गज़ और शर्क़ी व ग़र्बी ज़ल्अ साढ़े सोलह गज़ है। ये शिबाक साथ अपने अंदरूनी के मक़्सूरा कहलाता है। **अल्लाहुम्मा स़ल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद;** मौजूदा हुकूमते सऊदिया अरबिया ने इन तमाम हिस्सों के इस्तिहकाम में जिस क़दर कोशिशें की हैं बल्कि सारे शहरे मदीना की तरक़्क़ी और आबादी के लिये जो मसाअ़ी काम में लाई जा रही हैं उनकी तफ़्सीलात के लिये यहाँ मौक़ा नहीं है। हक़ ये है कि इस हुकूमत ने ख़िदमते हरमेन शरीफ़ेन का हक़ अदा कर दिया है। मदीना मुनव्वरा से मुत्तसिल ही एक बड़ा ज़बरदस्त दारुल उ़लूम जामिआ इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के नाम क़ायम किया है, जिसमें तमाम दुनिय–ए–इस्लाम के सैकड़ों नौजवाब हुकूमते सऊदिया के ख़र्च पर तह्सीले उ़लूम में मशग़ूल हैं। अल्लाह पाक इस हुकूमत की हमेशा मदद फ़र्माए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम करे। शाह फ़ैसल को जन्नत नसीब करे जो हरमैन–शरीफ़ेन की ख़िदमत के लिये जुम्ला वसाइल मुम्किना वक़्फ़ किये हुए हैं अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिनस्रहुल अ़ज़ीज़। आमीन !!

बाब 2 : मदीना की फ़ज़ीलत और बेशक मदीना (बुरे) आदमियों को निकालकर बाहर कर देता है

٢- بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

1871. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन सईद ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबुल हुबाब सईद बिन यस्सार से सुना, उन्होने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे एक शहर (में हिज्रत) का हुक्म हुआ है जो दूसरे शहरों को खा लेगा। (यानी सबका सरदार बनेगा) मुनाफ़िक़ीन उसे यष़रिब कहते हैं लेकिन उसका नाम मदीना है वो (बुरे) लोगों को इस तरह बाहर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के ज़ंग को निकाल देती है।

١٨٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)).

हज़रत इमाम मालिक बिन अनस (रह.) अइम्म–ए–अरबआ में से एक मशहूरतरीन इमाम हैं, जो अनस बिन मालिक बिन अबी आमिर के बेटे और अस्बही हैं उनकी कुन्नियत अबू अ़ब्दुल्लाह है। 95 हिजरी में पैदा हुए और मदीना तय्यिबा में 84 साल की उम्र में 179 हिजरी में वफ़ात पाई, आप न सिर्फ़ हिजाज़ के इमाम थे बल्कि हदीष़ व फ़िक़ह में तमाम मुसलमानों के मुक़्तदा थे। आपके फ़ख़्र के लिये इसी क़दर काफ़ी है कि इमाम शाफ़िई आपके शागिर्दों में से हैं, आपने ज़ुह्री, यह्या बिन सईद, नाफ़ेअ, मुहम्मद बिन मुंकदिर, हिशाम बिन उ़र्वा, यज़ीद इब्ने असलम, रबीआ बिन अबू अ़ब्दुर्रहमान, और उनके अ़लावा बहुत से हज़रात से इल्मे हदीष़ हासिल किया और आपसे इस क़दर मख़्लूक़ ने रिवायत की जिनका शुमार नहीं हो सकता। आपके शागिर्द पूरे मुल्क के इमाम बने जिनमें इमाम शाफ़िई, मुहम्मद बिन दीनार, अबू हाशिम अ़ब्दुल अ़ज़ीज बिन अबी हाज़िम शामिल हैं जो अपने इल्म व अ़मल के लिहाज़ से आपके शागिर्दों में बेनज़ीर माने गए हैं इसके अ़लावा मुईन बिन ईसा, यह्या बिन यह्या,

अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़म्बी, अ़ब्दुल्लाह बिन वहब जैसे लोगों को शुमार नहीं; यही इमाम बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, अह़मद बिन ह़ंबल और यह़्या बिन मुईन मुह़द्दिषीने किराम के असातिज़ा हैं। जब ह़दीष़ का दर्स देते तो वुज़ू फ़र्मा कर मस्नद पर तशरीफ़ लाते। दाढ़ी में कँघा करते, ख़ुश्बू लगाते और निहायत बा-वक़ार और पुरहेयत होकर बैठते और फ़र्माया करते कि मैं ये एहतिमाम ह़दीषे नबवी की अ़ज़्मत करने के लिये करता हूँ। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम शाफ़िई फ़र्माते हैं कि मैंने ख़्वाब में देखा कि आँह़ज़रत (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा हैं, लोग आसपास हैं और इमाम मालिक हुज़ूर के सामने मुअद्दबाना खड़े हुए हैं। आँह़ज़रत (ﷺ) के सामने मुश्क का ढेर रखा हुआ है और आप मुट्ठियाँ भर–भरकर मुश्क व अ़म्बर इमाम मालिक (ﷺ) को दे रहे हैं और इमाम मालिक उसे लोगों पर छिड़क रहे हैं। मुत़रफ़ ने कहा कि मैंने उसकी ता'बीर इल्मे ह़दीष़ की ख़िदमत और इत्तिबाअ़े सुन्नत समझी, इमाम शाफ़िई फ़र्माते हैं कि एक बार मैंने ह़ज़रत इमाम मालिक के मकान के दरवाज़े पर कुछ ख़ुरासान के घोड़ों की जमाअ़त और कुछ मिस्र के खच्चरों के ग़ोल देखे जिनसे बेहतर मैंने कभी नहीं देखे थे। मैंने इमाम से अ़र्ज़ किया कि ये कैसे अच्छे हैं, आपने फ़र्माया कि ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह! ये तमाम मेरी जानिब से आपके लिये तोह़फ़ा है, क़ुबूल कीजिए मैंने गुज़ारिश की अपनी सवारी के लिये कोई जानवर रख लीजिए। **जवाब दिया कि मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि जिस ज़मीन को रसूलुल्लाह (ﷺ) की आरामगाह बनने का शर्फ़ ह़ासिल है मैं उसे किसी जानवर के खुरों से रौंदकर गुज़रूँ** आपके मनाक़िब के लिये दफ़ातिर भी नाकाफ़ी हैं। **रह़िमहुल्लाहु व रह़मतन वासिअ़तन**, आमीन!)

बाब 3 : मदीना का एक नाम त़ाबा भी है

٣- بَابُ الْمَدِيْنَةُ طَابَةٌ

1872. हमसे ख़ालिद बिन मुख़्लद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़म्र बिन यह़्या ने बयान किया, उनसे अ़ब्बास इब्ने सहल बिन सअ़द ने और उनसे अबू हुमैद सअ़दी (रज़ि.) ने ये बयान किया कि हम ग़ज़्वए तबूक से नबी करीम (ﷺ) के साथ वापस होते हुए जब मदीना के क़रीब पहुँचे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये त़ाबा आ गया। (राजेअ़ : 1471)

١٨٧٢- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ : ((هَذِهِ طَابَةٌ)). [راجع: ١٤٨١]

त़ाबा और त़य्यिबा दोनो मदीना मुनव्वरा के नाम हैं, जो लफ़्ज़ त़य्यिब से मुश्तक़ हैं जिसके मा'नी पाकीज़गी के हैं यानी ये शहर हर लिह़ाज़ से पाकीज़ा है। ये इस्लाम का मरकज़ (केन्द्र) है, यहाँ पैग़म्बरे इस्लाम, हादी–ए–आ़ज़म ((ﷺ) आराम फ़र्मा रहे हैं। हुकूमते सऊदिया अ़रबिया अय्यदहल्लाह तआ़ला ने इस शहर की स़फ़ाई सुथराई, पाकीज़गी, आबादकारी में वो ख़िदमात अंजाम दी हैं जो रहती दुनिया तक यादगारे आ़लम रहेंगी।

बाब 4 : मदीना के दोनों पथरीले मैदान

٤- بَابُ لاَبَتَي الْمَدِيْنَةِ

1873. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ज़ुह्री ने, उन्हें सईद बिन मुसय्यिब ने कि अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़र्माया करते थे अगर मैं मदीना में हिरन चरते देखूँ तो उन्हें कभी न छेड़ूँ क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था कि मदीना की ज़मीन दोनों पथरीले मैदानों के बीच में ह़रम है।

١٨٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ)).

(राजेअ : 1869) [راجع: ١٨٦٩]

वहाँ शिकार करना जाइज़ नहीं। इस हदीष़ से भी साफ़ ज़ाहिर हुआ कि मदीना हरम है। तअ़ज्जुब है उन हज़रात पर जो मदीना के हरम होने का इंकार करते हैं जबकि हरमे मदीना के मुता'ल्लिक़ सराहत के साथ कितनी हदीषे नबविया मौजूद है।

बाब 3 : जो शख़्स मदीना से नफ़रत करे

٥– بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

1874. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमें शुऐब ने ख़बर दी, उनसे ज़ुहरी ने बयान किया, कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोग मदीना को बेहतर हालत में छोड़ जाओगे फिर वो ऐसा उजाड़ हो जाएगा कि फिर वहाँ वहशी जानवर, दरिन्दे और परिन्दे बसने लगेंगे और आख़िर में मुज़ैना के दो चरवाहे मदीना आएँगे ताकि अपनी बकरियों को हाँक ले जाएँ लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ़ वहशी जानवर नज़र आएँगे आख़िर ष़निय्यतुल विदाअ़ तक जब पहुँचेंगे तो अपने मुँह के बल गिर पड़ेंगे।

١٨٧٤– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ - يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا)).

ये पेशीनगोई क़ुर्बे क़यामत से मुता'ल्लिक़ है। हर कमाले रा ज़वाले उसूले क़ुदरत है। तो क़ुर्बे क़यामत ऐसा होना भी दूर नहीं है और फ़र्माने नबवी (ﷺ) अपनी जगह बिलकुल हक़ है।

1875. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हे हिशाम बिन उ़र्वा से, उन्हें उनके वालिद उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने और उनसे सुफ़यान बिन अबी ज़ुहैर (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि आपने फ़र्माया कि यमन फ़तह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए लाएँगे और अपने घरवालों को और उनको जो उनकी बात मान जाएँगे सवार करके मदीना से (वापस यमन को) ले जाएँगे काश! उन्हें मा'लूम होता कि मदीना ही उनके लिये बेहतर था और इराक़ फ़तह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को तेज़ दौड़ाते हुए लाएँगे और अपने घरवालों को और जो उनकी बात मान लेंगे अपने साथ (इराक़ वापस) ले जाएँगे काश! उन्हें मा'लूम होता

١٨٧٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((يُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ،

يَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)).

कि मदीना ही उनके लिये बेहतर था।

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) की बशारत बिलकुल सहीह षाबित हुई, मदीना एक मुद्दत तक ईरान, अरब, मिस्र और शाम तौरान का पाया तख़्त रहा और ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन ने मदीना में रहकर दूर-दूर अतराफ़े आलम में हुकूमत की, फिर बनू उमय्या ने अपना पाया तख़्त (राजधानी) शाम को क़रार दिया और मुसलमान गिरोह-गिरोह होकर हर जगह मग़्लूब हो गए, अब तक यही ह़ाल है कि अरबों की एक बड़ी ता'दाद है, उनकी हुकूमतें हैं, आपसी इत्तिहाद न होने का नतीजा है कि क़िब्ला अव्वल मस्जिदे अक़्सा पर यहूद क़ाबिज़ हैं। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मन्सुरिल् इस्लाम वल् मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल्कफ़रत वल्फ़जरत वल्यहूद वल्मुल्हिदीन** (आमीन)!!

٦ بَابُ الإِيْمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

बाब 6 : इस बारे में कि ईमान मदीना की तरफ़ सिमट आएगा

١٨٧٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا)).

1876. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन इयाज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ुबैब बिन अब्दुर्रहमान ने, उनसे ह़फ़्स बिन आसिम ने और उनसे ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया (क़यामत के क़रीब) ईमान मदीना में इस तरह सिमट आएगा जैसे सांप सिमटकर अपने बिल में आ जाता है।

इसी तरह अख़ीर ज़माने में सच्चे मुसलमान हिज्रत करके मदीना मुनव्वरा में चले जाएँगे। ह़ाफ़िज़ ने कहा ये आँहज़रत (ﷺ) और ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन के ज़मानों में था, क़यामत के क़रीब फिर ऐसा ही दौर पलटकर आएगा, **व मा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़!**

٧- بَابُ إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

बाब 7 : जो शख़्स मदीना वालों को सताना चाहे उस पर क्या वबाल पड़ेगा?

١٨٧٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)).

1877. हमसे हुसैन बिन हुरैष ने बयान किया, कहा हमें फ़ज़्ल बिन मूसा ने ख़बर दी, उन्हें जुऐद बिन अब्दुर्रहमान ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से सुना था, उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अहले मदीना के साथ जो शख़्स भी फ़रेब करेगा वो इस तरह घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाया करता है।

बाब 8 : मदीना के महलों का बयान

1878. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने, कहा कि मुझे उ़र्वा ने ख़बर दी और उन्होंने उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) मदीना के महल्लात में से एक महल यानी ऊँचे मकान पर चढ़े फिर फ़र्माया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ क्या तुम्हें भी नज़र आ रहा है? मैं बूँदों के गिरने की जगह की तरह तुम्हारे घरों में फ़ित्नों के नाज़िल होने की जगहों को देख रहा हूँ। इस रिवायत की मुताबअ़त मअ़मर और सुलैमान बिन कष़ीर ने ज़ुहरी के वास्ते से की है।

(दीगर मक़ाम : 2467, 3597, 7060)

١٨٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)) تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[أطرافه في : ٢٤٦٧، ٣٥٩٧، ٧٠٦٠].

ये देखना बत़रीक़े कशफ़ के था उसमें तावील की ज़रूरत नहीं और आप (ﷺ) का ये फ़र्मान पूरा हुआ कि मदीना ही में ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) शहीद हुए फिर यज़ीद की त़रफ़ से वाक़िय–ए–ह़र्रह में अहले मदीना पर क्या–क्या आफ़तें आईं।

बाब 9 : दज्जाल मदीना में नहीं आ सकेगा

٩- بَابُ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

1879. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके दादा ने और उनसे अबूबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना पर दज्जाल का रुअ़ब भी नहीं पड़ेगा इस दौर में मदीना के सात दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर दो फ़रिश्ते होंगे।

(दीगर मक़ाम : 7125, 7126)

١٨٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ)).

[طرفاه في : ٧١٢٥، ٧١٢٦].

ये पेशीनगोई ह़र्फ़ ब ह़र्फ़ स़ह़ीह़ हुई कि ज़मान–ए–नबवी में न मदीना की फ़स़ील थी न उसमें दरवाज़े। अब फ़स़ील भी बन गई है और सात दरवाज़े भी हैं। पेशगोई का बाक़ी ह़िस़्स़ा आइन्दा भी स़ह़ीह़ ष़ाबित होगा, हुकूमत सऊ़दिया ख़ल्लदहल्लाहु तआ़ला ने उस पाक शहर को जो रौनक़ और तरक़्क़ी दी है वो अपनी मिष़ाल आप हैं। अल्लाह पाक इस हुकूमत को हमेशा क़ायम रखे आमीन। ज़ियारते मदीना से मुशर्रफ़ होकर ये चन्द हुरूफ़ लिख रहा हूँ।

1880. हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नईम बिन अ़ब्दुल्लाह अल् मुज्मर ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना के रास्तों पर फ़रिश्ते हैं न उसमे त़ाऊ़न आ सकता है न दज्जाल।

١٨٨٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ

مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ)). [طرفاه في : ٥٧٣١، ٧١٣٣].

(दीगर मक़ाम : 5731, 7133)

यानी आम ताऊन (प्लेग) जिससे हज़ारों आदमी मर जाते हैं। अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) की दुआओं की बरकत से मदीना मुनव्वरा को उन आफ़तों से महफ़ूज़ रखा है।

١٨٨١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا. ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)).

[أطرافه في : ٧١٢٤، ٧١٣٤، ٧٤٧٣].

1881. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उनसे वलीद ने बयान किया, उनसे अबू अम्र औज़ाई ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयाना किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल पामाल न करेगा, सिवाए मक्का और मदीना के, उनके हर रास्ते पर स़फ़बस्ता (पंक्तिबद्ध) फ़रिश्ते खड़े होंगे जो उनकी हिफ़ाज़त करेंगे फिर मदीना की ज़मीन तीन बार कांपेगी जिससे एक-एक काफ़िर और मुनाफ़िक़ को अल्लाह तआला उसमें से बाहर कर देगा।

(दीगर मक़ाम : 7124, 7134, 7473)

तश्रीह : यानी ख़ुद दज्जाल अपनी ज़ात से हर बड़े शहर में दाख़िल होगा, इमाम इब्ने ह़ज़्म को ये मुश्किल मा'लूम हुआ कि दज्जाल ऐसी थोड़ी मुद्दत में दुनिया के हर शहर में दाख़िल हो तो उन्होंने यूँ तावील की कि दज्जाल दाख़िल होने से उसके इत्तिबाअ और जुनूद का दाख़िल होना मुराद है। क़स्तलानी ने कहा कि इब्ने ह़ज़्म ने उस पर ख़्याल नहीं किया जो स़ह़ीह़ मुस्लिम में है कि दज्जाल का एक-एक दिन, एक-एक बरस के बराबर होगा (वह़ीदी)। मैं कहता हूँ कि आज के दजाजले अ़स़री ईजादात (आधुनिक साधनों) के ज़रिये चन्द घण्टों में सारी दुनिया का चक्कर काट लेते हैं, फिर ह़क़ीक़ी दज्जाल जिस ज़माने में आएगा उस वक़्त अल्लाह जाने ईजादात का सिलसिला कहाँ तक पहुँच जाएगा। लिहाज़ा थोड़ी सी मुद्दत में उसका तमाम शहरों में फिर जाना कोई दूर अम्र नहीं है।

١٨٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: ((يَأْتِي الدَّجَّالُ- وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ يَنْزِلُ - بَعْضَ

1882. हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने बयान किया कि मुझे उ़बैदुल्लाह बिन उ़त्बा ने ख़बर दी कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि हमसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दज्जाल के बारे में एक लम्बी ह़दीष़ बयान की, आप (ﷺ) ने अपनी ह़दीष़ में ये भी फ़र्माया था कि दज्जाल मदीना की एक खारी शोर ज़मीन तक पहुँचेगा उस पर मदीना मे दाख़िला तो ह़राम होगा। (मदीना से) उस दिन एक शख़्स़ उसकी तरफ़ निकलकर बढ़ेगा। इन लोगों में एक बेहतरीन नेक मर्द होगा या (ये फ़र्माया कि) बुज़ुर्गतरीन लोगों में से होगा वो शख़्स़ कहेगा

السَّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَهُ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)).

[طرفه في : ٧١٣٢].

कि मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसके बारे में हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इत्तिला दी थी दज्जाल कहेगा क्या मैं इसे क़त्ल करके फिर ज़िन्दा कर दूँ तो तुम लोगों को मेरे मामले में कोई शुब्हा रह जाएगा? उसके हवारी कहेंगे नहीं, चुनाँचे दज्जाल उन्हें क़त्ल करके फिर दोबारा ज़िन्दा करेगा, जब दज्जाल उन्हें ज़िन्दा कर देगा तो वो बन्दा कहेगा, अल्लाह की क़सम! अब तो मुझको पूरा हाल मा'लूम हो गया कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल कहेगा, लाओ उसे फिर क़त्ल कर दूँ लेकिन उस मर्तबा वो क़ाबू न पा सकेगा।

(दीगर मक़ाम : 7132)

तश्रीह : हक़ीक़त में दज्जाल की ये मजाल नहीं किसी को मारकर फिर जिला सके, ये तो ख़ास सिफ़ते इलाही है। मगर अल्लाह पाक ईमान वालों को आज़माने के लिये दज्जाल के हाथ पर ये निशानी ज़ाहिर कर देगा। नादान लोग दज्जाल की ख़ुदाई के क़ाइल हो जाएँगे लेकिन जो सच्चे ईमानवाले होंगे और अपने मअ़बूदे हक़ीक़ी को पहचानते हैं वो उससे मुताष्षिर (प्रभावित) न होंगे बल्कि उसके (दज्जाल के) काफ़िर होने पर उनका ईमान और बढ़ जाएगा।

बाब 10 : मदीना बुरे आदमी को निकाल देता है

١٠- بَابُ الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

١٨٨٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى - ثَلاَثَ مِرَارٍ - فَقَالَ: ((الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا)).

[أطرافه في: ٧٢٠٩، ٧٢١١، ٧٢١٦، ٧٣٢٢].

1883. हमसे अ़म्र बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन मुंकदिर ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि एक अअ़राबी ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर इस्लाम पर बेअ़त की, दूसरे दिन आया तो उसे बुख़ार चढ़ा हुआ था कहने लगा कि मेरी बेअ़त को तोड़ दो! तीन बार उसने यही कहा, आप (ﷺ) ने इंकार कर दिया फिर फ़र्माया कि मदीना की मिष़ाल भट्टी की सी है कि मैल—कुचैल को दूर करके ख़ालिस़ जौहर को निखार देती है।

(दीगर मक़ाम : 7209, 7211, 7216, 7322)

ह़ाफ़िज़ ने कहा उस गंवार का नाम मुझको मा'लूम नहीं और ज़मख़शरी ने ग़लती की जो उसका नाम क़ैस बिन अबी ह़ाज़िम बताया वो तो ताबेअ़ी हैं।

١٨٨٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ

1884. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़दी बिन ष़ाबित ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया कि मैंने ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) से सुना, आप फ़र्माते थे कि जब नबी करीम (ﷺ) जंगे

اللہ عنہ یقول: لما خرج النبی ﷺ إلی أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين﴾ [النساء: ٨٨] وقال النبي ﷺ: ((إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد)).

[طرفاه في : ٤٠٥٠، ٤٥٨٩].

उहुद के लिये निकले तो जो लोग आप (ﷺ) के साथ थे उनमें से कुछ लोग वापस आ गए। (ये मुनाफ़िक़ीन थे) फिर कुछ ने तो ये कहा कि हम चलकर उन्हें क़त्ल कर देंगे। और एक जमाअ़त ने कहा कि क़त्ल न करना चाहिए, उस पर ये आयत नाज़िल हुई फ़मा लकुम फ़िल् मुनाफ़िक़ीना फ़िअतयनि अल्ख़ और नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि मदीना (बुरे) लोगों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह आग मैल—कुचैल दूर कर देती है।

(दीगर मक़ाम : 4050, 4589)

١٨٨٥- حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)).

تابعه عثمان بن عمر عن يونس.

1885. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, उन्होंने यूनुस बिन शिहाब से सुना और उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐ अल्लाह! जितनी मक्का में बरकत अ़ता फ़र्माई है मदीना में उससे दोगुनी बरकत कर। जरीर के साथ इस रिवायत की मुताबअ़त उ़स्मान बिन उ़मर (रज़ि.) ने यूनुस के वास्ते से की है।

١٨٨٦- حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي ﷺ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها، من حبها)).

[راجع: ١٨٠٢]

1886. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे हुमैद ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब कभी सफ़र से वापस आते और मदीना की दीवारों को देखते तो अपनी सवारी तेज़ कर देते और अगर किसी जानवर की पुश्त पर होते तो मदीना की मुहब्बत में उसे ऐड़ लगा देते। (राजेअ़ : 1802)

रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्की थे आप (ﷺ) का आबाई वतन (पूर्वजों का देश) मक्का था; मगर मदीना तशरीफ़ ले जाने के बाद आप (ﷺ) ने उसे अपना ह़क़ीक़ी मुस्तक़र (वास्तविक ठिकाना) बना लिया और उसकी आबादी व तरक़्क़ी में इस क़दर कोशाँ (प्रयासरत) हुए कि अहले मदीना के रग व रेशा में आप (ﷺ) की मुहब्बत बस गई और अहले मदीना औस व ख़ज़रज ने कभी तसव्वुर न किया कि आप (ﷺ) एक दूसरी जगह के बाशिन्दे हैं और मुहाजिर की शक्ल में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मुसलमानों की तारीख़ बताती है कि वो अपने प्यारे रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा में जिस मुल्क में भी गए। उसी के बाशिन्दे हो गये और उस मुल्क में अपनी मसाई (कोशिशों) से चार चाँद लगा दिये और हमेशा कि लिये उसी मुल्क को अपना वतन बना लिया। ऐसे सैंकड़ों नमूने आज भी मौजूद हैं।

١١- باب كراهية النبي ﷺ أن تعرى المدينة

बाब 11 : मदीना का वीरान करना नबी करीम (ﷺ) को नागवार था

1887. हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमें मरवान बिन मुआविया फ़ज़ारी ने ख़बर दी, उन्हें हुमैद तवील ने ख़बर दी और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि बनू सलमा ने चाहा कि अपने दूर वाले मकानात छोड़कर मस्जिदे नबवी से क़रीब इक़ामत इख़्तियार कर लूँ लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये पसन्द नहीं किया कि मदीना के किसी हिस्से से भी रिहाईश तर्क की जाए, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ बनू सलमा! तुम अपने क़दमों का ष़वाब नहीं चाहते, चुनाँचे बनू सलमा ने (अपनी असली इक़ामतगाह ही में) रिहाइश बाक़ी रखी। (राजेअ : 655)

١٨٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ : ((يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ آثَارَكُمْ؟)) فَأَقَامُوا. [راجع: ٦٥٥]

तश्रीह : आप (ﷺ) का मतलब ये था कि मदीना की आबादी सब तरफ़ से क़ायम रहे और उसमें तरक़्क़ी होती जाए ताकि क़ाफ़िरों और मुनाफ़िक़ों पर रुअब पड़े, हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये बतलाना चाहते हैं कि मदीना की इक़ामत तर्क करना शरीअ़त की नज़र में पसन्दीदा नहीं है बल्कि ये उस मुसलमान की ऐन सआदत है जिसको वहाँ इत्मीनान के साथ सकूनत (रहने की जगह) मिल जाए।

बाब 12 :

١٢- بَابٌ

1888. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझसे ख़ुबैब बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे हफ़्स बिन आ़सिम ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे घर और मेरे मिम्बर के बीच जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है और मेरा मिम्बर क़यामत के दिन मेरे हौज़ (कौष़र) पर होगा।

١٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي)).

तश्रीह : घर से मुराद हज़रत आ़इशा (रज़ि.) का हुज्रा है, जहाँ आप आराम फ़र्मा हैं। इब्ने अ़साकिर की रिवायत में यूँ है कि मेरी क़ब्र और मिम्बर के बीच एक क्यारी है जन्नत की क्यारियों में से। और तिबरानी में इब्ने उ़मर (रज़ि.) से निकाला उसमें भी क़ब्र का लफ़्ज़ है अल्लाह पाक ने आपको पहले ही से आगाह कर दिया था कि आप इस हुज्रे में क़यामत तक आराम फ़र्माएँगे। बयानकर्दा मुबारक क़ित्अ़ा हक़ीक़तन जन्नत का एक टुकड़ा है। कुछ ने कहा उसकी बरकत और ख़ूबी की वजह से मिजाज़न ऐसा कहा गया है या इसलिये कि वहाँ इ़बादत करना ख़ुसूसी तौर पर दुख़ूले जन्नत का ज़रिया है मिम्बर के बारे में जो फ़र्माया अल्लाह की क़ुदरत से ये भी दूर नहीं कि क़यामत के दिन हौज़े कौष़र पर इस मिम्बर को दोबारा मुहय्या करके आप (ﷺ) के लिये रख दिया जाए; **वल्लाहु आ़लमु बिमुरादिही** बाब का मक़्सद यहाँ सकूनते मदीना की तरग़ीब दिलाना है।

1889. हमसे उ़बैद बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उनके वालिद उ़र्वा ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने कि जब रसूले करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो अबूबक्र और बिलाल (रज़ि.) बुख़ार

١٨٨٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُوبَكْرٍ وَبِلاَلٌ، فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ امْرِىءٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ
وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً
بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْــــلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًـــا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ
وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيْـــلُ

قَالَ: ((اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ. قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ : فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي مَاءً آجِنًا)).

[أطرافه في : ٣٩٢٦، ٥٦٥٤، ٥٦٧٧، ٦٣٧٢].

में मुब्तला हो गए, अबूबक्र (रज़ि.) जब बुख़ार में मुब्तला होते तो ये शे'र पढ़ते,

हर आदमी अपने घरवालों में सुबह करता है हालाँकि उसकी मौत उसकी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा क़रीब है।

और बिलाल (रज़ि.) को जब बुख़ार उतरता तो आप बुलन्द आवाज़ से ये अश्आर पढ़ते,

काश! मैं एक रात मक्का की वादी में गुज़ार सकता और मेरे चारों तरफ़ इज़्ख़र और जलील (घास) होतीं।

काश! एक दिन में मजिन्ना के पानी पर पहुँचता और काश! मैं शामा और तफ़ील (पहाड़ों) को देख सकता।

कहा कि ऐ मेरे अल्लाह! शैबा बिन रबीआ, उत्बा बिन रबीआ और उमय्या बिन ख़ल्फ़ मरदूदों पर लअनत कर। उन्होंने हमें अपने वतन से इस वबा की ज़मीन में निकाला है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया ऐ अल्लाह! हमारे दिलों में मदीना की मुहब्बत उसी तरह पैदा कर जिस तरह मक्का की मुहब्बत है बल्कि उससे भी ज़्यादा। ऐ अल्लाह! हमारे साअ और हमारे मुद्द में बरकत अता कर और मदीना की आबो-हवा हमारे लिये सेहत-ख़ेज़ (तन्दुरुस्ती वाली) कर दे यहाँ के बुख़ार को जुहफ़ा में भेज दे। आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि जब हम मदीना आए तो ये अल्लाह की सबसे ज़्यादा वबा (महामारी) वाली सरज़मीन थी। उन्होंने कहा मदीना में बत्हान नामी एक नाले से ज़रा-ज़रा बद मज़ा और बदबूदार पानी बहा करता था।

(दीगर मक़ाम : 3926, 5654, 5677, 6372)

तशरीह : वतन की मुहब्बत इंसान का एक फ़ित्री जज़्बा है, सहाबा किराम मुहाजिरीन (रज़ि.) अगरचे बरज़ा व रग़्बत अल्लाह व रसूल (ﷺ) की रज़ा की ख़ातिर अपने वतन, अपने घर सबको छोड़कर मदीना आ गए थे, मगर शुरू-शुरू में उनको वतन की याद आया ही करती थी और इसलिये भी कि हर लिहाज़ से उस वक़्त मदीना का माहौल उनके लिये नासाज़गार था, ख़ास तौर पर मदीना की आबोहवा (जलवायु) उन दिनों उनके मुवाफ़िक़ न थी। इसीलिये वो बुख़ार में मुब्तला हो जाया करते थे। हज़रत बिलाल (रज़ि.) के दर्दअंगेज़ अश्आर ज़ाहिर करते हैं कि मक्का शरीफ़ का माहौल वहाँ के पहाड़ यहाँ तक कि वहाँ की घास तक उनको किस क़दर महबूब थी मगर अल्लाह व रसूल (ﷺ) की मुहब्बत उनके लिये सबसे ज़्यादा क़ीमती थी। हज़रत बिलाल (रज़ि.) के अशआर में ज़िक्रकर्दा जलील और इज़्ख़र दो क़िस्म की घास हैं जो अतराफ़े मक्का में बकष़रत पैदा

होती हैं और शामा और तफ़ील मक्का से तीस मील की दूरी पर दो पहाड़ हैं मजिन्ना मक्का से चन्द मील मरउज़्ज़ोहरान के पास एक मक़ाम है जहाँ का पानी बेहद शीरीं (मीठा) है, हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अपने उन अश्आर में उन ही सबका ज़िक्र किया है। हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम ने बिलाली अश्आर का उर्दू तर्जुमा अश्आर में यूँ फ़र्माया है,

अला लैत शअरी हल अबीतन्न लैलतन
काश फिर मक्का की वादी में रहूँ एक रात
बिवादिंव्व हौली इज़्ख़र व जलील
सब तरफ़ मेरे आगे हों वाँ जलील इज़्ख़र नबात
व हल अरिदन्न यौमन मियाह मजिन्नत
और पीऊँ पानी मजिन्ना के जो आबे हयात
व हल यब्दून ली शामतंव्व तुफ़ैलु
काश! फिर देखूँ मैं शामा काश! फिर देखूँ तफ़ील

अल्लाह पाक ने अपने हबीबे पाक (ﷺ) की दुआ कुबूल की कि मदीना न सिर्फ़ आबो हवा बल्कि हर लिहाज़ से एक जन्नत का नमूना शहर बन गया और अल्लाह ने उसे हर क़िस्म की बरकतों से नवाज़ा और सबसे बड़ा शर्फ़ जो कायनाते आलम में उसे हासिल है वो ये कि यहाँ खातमुन्नबिय्यिन रसूले अकरम (ﷺ) आराम फ़र्मा रहे हैं। सच है।

इख़्तर्तु बैन अमाकिनिल्गबरा
दारल्किरामा बुक़्अतज़्ज़ूरा (ﷺ)

1890. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे ख़ालिद बिन यज़ीद ने, उनसे सईद बिन अबी हिलाल ने, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे उमर (रज़ि.) ने जो फ़र्माया करते थे ऐ अल्लाह! मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और मेरी मौत अपने रसूल (ﷺ) के शहर में मक़्दूर कर दे (तक़दीर में लिख दे)। इब्ने ज़ुरैअ ने रौह बिन क़ासिम से, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अपनी वालिदा से, उन्होंने हफ़्सा बिन्ते उमर (रज़ि.) से बयान किया कि मैंने उमर (रज़ि.) से इसी तरह सुना था, हिशाम ने बयान किया, उनसे ज़ैद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे हफ़्सा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने उमर (रज़ि.) से सुना फिर यही हदीष रिवायत की।

١٨٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ مَوتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

तश्रीह : अल्लाह पाक ने हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) की दोनों दुआओं को कुबूल किया, 26 ज़िल्हिज्ज 23 हिजरी बुध का दिन था कि फ़ज्र में आप (रज़ि.) इमामत कर रहे थे ज़ालिम अबू लूलू मजूसी ने आपको ज़हर आलूद ख़ंज़र मारा, ज़ख़्म कारी (गहरा) था चन्द दिन बाद आपका इंतिक़ाल हो गया और यकुम (1) मुहर्रम 24 हिजरी बरोज़े हफ़्ता तदफ़ीन

अमल में आई। अल्लाह पाक ने आपकी दूसरी दुआ भी इस शान के साथ क़ुबूल फ़र्माई कि ऐन हुज्र–ए–नबवी पहलु–ए–रिसालत मआब (ﷺ) में दफ़न किये गये। **वज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मय्यंशाउ वल्लाहु ज़ुल्फ़ज़्लिल अज़ीम.**

अल्हम्दुलिल्लाह बेहद ख़ुशी के साथ लिख रहा हूँ कि 1389 हिजरी में मुझको तीसरी बार फिर यहाँ हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ और बार-बार आँहज़रत (ﷺ) और शैख़ेन पर सलाम पढ़ने के मौक़े नसीब हुए, ये सफ़र बैंगलूर के एक मशहूर मुहतरम मरहूम भाई मुहम्मद अली उर्फ़ बिलारी प्यार व क़ुरैशी (रह.) के हज्ज के बदल के सिलसिले में किया गया अल्लाह पाक इसे क़ुबूल करे और मरहूम के लिये अज्रो–ष़वाब षाबित फ़र्माए और मेरे लिये और मेरी आल–औलाद के लिये भी इस मुबारक सफ़र की दुआओं के नतीजे में तरक़्क़ियाते दारेन (दोनों जहान की तरक़्क़ियाँ) अता करे और मेरे उन तमाम मुहतरम भाईयों को भी जो बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू (उर्दू अनुवाद) के सिलसिले में मुझे अपने हर मुम्किन तआवुन से नवाज़ रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको जज़ा-ए-अज़ीम ख़ैर अता करे और सारे मुसलमाने आलम को सर बुलन्दी व रिफ़अत अता करे। **आमीन या रब्बल आलमीन.** अब्वाबुल उमरति ख़त्म शुदा बफ़ज़्लिही तआला

30. किताबुस्सौम

किताब मसाइले-रोज़ा के बयान में

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

तश्रीह : सौम लुग़त में रोकने को कहते हैं, शरअन एक इबादत का नाम है जिसमें एक मुसलमान मर्द–औरत सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूबे आफ़ताब तक खाने–पीने और जिमाअ से रुक जाता है, साल में एक महीना ऐसा रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, औरतों के लिये और मरीज़ मुसाफ़िर के लिये कुछ रिआयत हैं जो मज़्कूर होंगी। उस महीने को रमज़ान कहा जाता है जो रमज़ से मुश्तक़ है जिसके मा'नी जलने के हैं जिस साल रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए वो सख़्त गर्मी का महीना था इसलिये लफ़्ज़ रमज़ान से मौसूम हुआ। कुछ ने कहा कि इस माह में रोज़ा रखने वालों के गुनाह जल जाते हैं। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत क़ुर्आन मजीद से षाबित है जैसा कि मुज्तहिदे आज़म इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ आयते क़ुर्आनी लाए हैं। जो शख़्स रमज़ान के रोज़ों का इंकार करे वो बिल इत्तिफ़ाक़ काफ़िर है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **अस्सियामु फ़िल्लुग़ति अल्इम्साकु व फ़िश्शरइ इम्साकुन मख़्सूसुन फ़ी ज़मनिन मख़्सूसिन बिशराइतिन मख़्सूसतिन व कान फ़ुरिज सौमु शहरि रमज़ान फ़िस्सनतिष्षानियति मिनल हिजरति** (नैल) यानी रोज़ा लुग़त में रुक जाना और शरीअतन मख़्सूस शराइत के साथ एक मख़्सूस वक़्त में मख़्सूस तौर पर रुक जाना और माहे रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए।

बाब 1 : रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत का बयान

١- باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, ऐ ईमानवालों ! तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किये गए हैं जिस त़रह उन लोगों पर फ़र्ज़ किये गए थे जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं ताकि तुम गुनाहों से बचो। (अल बक़र: : 183)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ١٨٣].

1891. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे अबू सुहैल ने, उनसे उनके वालिद मालिक ने और उनसे तलह़ा बिन उ़बैदुल्लाह (रज़ि.) ने कि एक अ़अराबी परेशान ह़ाल बाल बिखरे हुए रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ह़ाज़िर हुआ उसने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बताइये मुझ पर अल्लाह तआ़ला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि पाँच नमाज़ें, ये और बात है कि तुम अपनी त़रफ़ से नफ़्ल पढ़ लो, फिर उसने कहा बताइये अल्लाह तआ़ला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ किये हैं? आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि रमज़ान के महीने के, ये और बात है कि तुम ख़ुद अपने त़ौर पर कुछ नफ़्ली रोज़े और भी रख लो, फिर उसने पूछा और बताइये ज़कात किस त़रह मुझ पर अल्लाह तआ़ला ने फ़र्ज़ की है? आप (ﷺ) ने उसे शरअ़े इस्लाम की बातें बता दीं। जब उस अ़अराबी ने कहा उस ज़ात की क़सम! जिसने आप (ﷺ) को इ़ज़्ज़त दी! न मैं इसमें इससे जो अल्लाह तआ़ला ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया है कुछ बढ़ाऊँगा और न घटाऊँगा, उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया अगर उसने सच कहा है तो ये मुराद को पहुँचा या (आप ﷺ ने ये फ़र्माया कि) अगर सच कहा है तो जन्नत में जाएगा।

(राजेअ : 46)

١٨٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: ((أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا)). فَقَالَ : أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: ((شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا)). فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ : ((فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ)). قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ)). [راجع: ٤٦]

इस देहाती का नाम ह़म्माम बिन ष़अलबा था, इस ह़दीष़ से रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत ष़ाबित हुई। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस मक़्स़द के तह़त यहाँ इस ह़दीष़ को नक़ल किया है। उस देहाती ने नफ़्लों का इंकार नहीं किया, कमी–बेशी न करने का वादा किया था जिसकी वजह से वो मुस्तह़िक़्क़े बशारते नबवी (नबी करीम ﷺ की शुभ–सूचना का हक़दार) हुआ।

1892. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन अ़लिया ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यौमे आ़शूरा का रोज़ा रखा था और आप

١٨٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ

وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ)). [طرفاه في : ٢٠٠٠، ٤٥٠١].

(ﷺ) ने उसके रखने का सहाबा किराम (रज़ि.) को इब्तिदा–ए–इस्लाम में हुक्म दिया था, जब माहे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आशूरा का रोज़ा बतौरे फ़र्ज़ छोड़ दिया गया, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) आशूरा के दिन रोज़ा न रखते मगर जब उनके रोज़े का दिन ही यौमे आशूरा आन पड़ता। (दीगर मक़ाम : 2000, 4501)

यानी जिस दिन उनको रोज़ा रखने की आदत होती मष़लन पीर या जुमेरात और उस दिन आशूरा का दिन भी आ पड़ता तो रोज़ा रख लेते थे। यौमे आशूरा मुहर्रमुल ह़राम की दसवीं तारीख़ को कहा जाता है, ये क़दीम ज़माने से एक तारीख़ी दिन चला आ रहा है।

١٨٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)). [راجع: ١٥٩٢]

1893. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी ह़बीब ने और उनसे इराक बिन मालिक ने बयान किया, उन्हें उर्वा ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, क़ुरैश ज़मान–ए–जाहिलियत में आशूरा का रोज़ा रखते थे, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी उस दिन रोज़े का हुक्म दिया यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसका जी चाहे यौमे आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे न रखे।

(राजेअ़ : 1592)

- بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

बाब : रोज़ा की फ़ज़ीलत का बयान

١٨٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ - مَرَّتَيْنِ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)).

[أطرافه في: ١٩٠٤، ٥٩٢٧، ٧٤٩٢، ٧٥٣٨].

1894. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे अबुज़्ज़िनाद ने, उनसे अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया रोज़ा दोज़ख़ से बचने के लिये एक ढाल है, इसलिये (रोज़ेदार) न फ़हश बातें करे और न जिहालत की बातें और अगर कोई शख़्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ़ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ, (ये अल्फ़ाज़) दो बार (कह दे) उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी ज़्यादा पसन्दीदा और पाकीज़ा है, (अल्लाह तआला फ़र्माता है) बन्दा अपना खाना–पीना और अपनी शह्वात मेरे लिये छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूँगा और (दूसरी) नेकियों का ष़वाब भी अस़ल नेकी के दस गुना होता है।

(दीगर मक़ाम : 1904, 5927, 7492, 7538)

तशरीह : जिहालत की बातें मष़लन ठट्ठा मज़ाक़, बेहूदा, झूठ और लग़्व (मन–बहलाव की) बातें और चीखना–चिल्लाना, शोरगुल मचाना। सईद बिन मन्सूर की रिवायत में यूँ है कि फ़हश न बके न किसी से झगड़े। अबुल् शैख़ ने एक ज़ईफ़ हदीष़ में निकाला कि रोज़ेदार जब क़ब्रों से उठेंगे तो अपने मुँह की बू से पहचान लिये जाएँगे और उनके मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा खुश्बूदार होगी। इब्ने अल्लाम ने कहा कि दुनिया ही में रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी बेहतर है और रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें रिया व नमूद का दख़ल नहीं होता। आदमी ख़ालिस़ अल्लाह ही के डर से अपनी तमाम ख़्वाहिशें छोड़ देता है। इस वजह से रोज़ा ख़ास़ उसकी इबादत है और उसका ष़वाब बहुत ही बड़ा है बशर्ते कि रोज़ा हक़ीक़ी रोज़ा हो।

बाब 3 : रोज़ा गुनाहों का कफ़्फ़ारा होता है

٣- بَابُ الصَّوْمِ كَفَّارَةٌ

1895. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे जामेअ़ बिन राशिद ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने पूछा फ़ित्ना के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष़ किसी को याद है? हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने सुना है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि इंसान के लिये उसके बाल–बच्चे, उसका माल और उसके पड़ौसी फ़ित्ना (आज़माइश व इम्तिहान) हैं जिसका कफ़्फ़ारा नमाज़, रोज़ा और स़दक़ा बन जाता है। उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं पूछता मेरी मुराद तो उस फ़ित्ने के बारे में है जो समुन्दर की मौजों की तरह उमड़ आएगा। इस पर हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा कि आपके और उस फ़ित्ने के बीच एक बन्द दरवाज़ा है, (यानी आपके दौर में वो फ़ित्ना शुरू नहीं होगा) उ़मर (रज़ि.) ने पूछा कि वो दरवाज़ा खुल जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बताया कि तोड़ दिया जाएगा। उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर तो क़यामत तक कभी बन्द न हो पाएगा। हमने मसरूक़ से कहा आप हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछिये कि क्या उ़मर (रज़ि.) को मा'लूम था कि वो दरवाज़ा कौन है, चुनाँचे मसरूक़ ने पूछा तो आपने फ़र्माया, हाँ! बिलकुल इस त़रह (उन्हें इल्म था) जैसे रात के बाद दिन के आने का इल्म होता है। (राजेअ़ : 525)

١٨٩٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ)). قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ: وَإِنَّ دُوْنَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ : سَلْهُ، أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ)).

[راجع: ٥٢٥]

तशरीह : इस हदीष़ में नमाज़ के साथ रोज़ा को भी गुनाहों का कफ़्फ़ारा कहा गया है यही बाब का मक़्स़द है, यहाँ जिन फ़ित्नों की त़रफ़ इशारा है उनसे वो फ़ित्ने मुराद हैं जो ख़िलाफ़ते राशिदा ही में शुरू हो गए थे और आज तक उन फ़ित्नों के ख़तरनाक अष़रात उम्मत में इफ़्तिराक़ की शक्ल में बाक़ी है। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अपनी फ़रासत की बिना पर जो कुछ फ़र्मा या था वो हर्फ़ ब हर्फ़ स़हीह़ ष़ाबित हो रहा है। **अल्लाहुम्म स़ल्लि व सल्लिम अ़ला हबीबि व अ़ला स़ाहिबैहि वग़्फ़िरलना वर्हम्ना या अर्हमर्राहिमीन**

बाब 4 : रोज़ेदारों के लिये रय्यान (नामी एक दरवाज़ा

٤- بَابُ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِيْنَ

जन्नत में बनाया गया है उसकी तफ़्सील का बयान)

1896. हमसे ख़ालिद बिन मुख़लद ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़िम सलाम इब्ने दीनार ने बयान किया और उनसे सहल बिन सअ़द सअ़दी (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान कहते हैं क़यामत के दिन उस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदार ही जन्नत में दाख़िल होंगे, उनके सिवा और कोई उसमे से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएँगे उनके सिवा उससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा और जब ये लोग अंदर चले जाएँगे तो ये दरवाज़ा बन्द कर दिया जाएगा, फिर उससे कोई अंदर न जा सकेगा। (दीगर मक़ाम : 3257)

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ)).

[طرفه في : ٣٢٥٧].

लफ़्ज़ रय्यान, रय्यि से मुश्तक़ है जिसके मा'नी सैराबी के हैं चूँकि रोज़े में प्यास की तकलीफ़ एक ख़ास तकलीफ़ है जिसका बदल रय्यान ही हो सकता है जिससे सैराबी ह़ासिल हो इसलिये ये दरवाज़ा ख़ास रोज़ेदारों के लिये होगा जिसमें दाख़िल होकर वो सैराब और क़त्ई सैराब हो जाएँगे फिर वो ताअब्द (अनंतकाल तक) प्यास महसूस नहीं करेंगे। वजअ़लनल्लाहु मिन्हुम, आमीन

1897. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मअ़न बिन ईसा ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे हुमैद बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो अल्लाह के रास्ते में दो चीज़ें ख़र्च करेगा उसे फ़रिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएँगे कि ऐ अल्लाह के बन्दे! ये दरवाज़ा अच्छा है फिर जो शख़्स नमाज़ी होगा उसे नमाज़ के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, जो मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, जो रोज़ेदार होगा उसे बाबुर्रय्यान से बुलाया जाएगा और जो ज़कात अदा करने वाला होगा उसे ज़कात के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, इस पर अबूबक्र (रज़ि.) ने पूछा मेरे माँ—बाप आप (ﷺ) पर फ़िदा हों या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो लोग इन दरवाज़ों (में से किसी एक दरवाज़े) से बुलाये जाएँगे मुझे उनसे बह़ष़ नहीं, आप ये फ़र्माइए कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे उन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ और मुझे उम्मीद है कि आप

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ)). فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ،

فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ فَقَالَ : ((نَعَم، وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)).
[أطرافه في : ٢٨٤١، ٣٢١٦، ٣٦٦٦].

भी उन्हीं में से होंगे।

(दीगर मक़ाम : 2841, 3216, 3666)

इस ह़दीष़ से जहाँ और बहुत सी बातें मा'लूम हुईं वहाँ ह़ज़रत सय्यदना अबूबक्र (रजि) की भी बड़ी फ़ज़ीलत ष़ाबित हुई और ज़बाने रिसालते मआब (ﷺ) ने उनका आला दर्जा का जन्नती क़रार दिया है। तुफ़ (धिक्कार) है उन लोगों पर जो इस्लाम के इस मायानाज़ फ़रज़न्द की शान में गुस्ताख़ी करें। हदाहुमुल्लाह आमीन!!

٥- بَابُ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ))
وَقَالَ : ((لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ)).

बाब 5 : रमज़ान कहा जाए या माहे रमज़ान?

और जिनके नज़दीक दोनों लफ़्ज़ों की गुंजाइश है।

और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रमज़ान से आगे रोज़ा न रखो।

ये बाब लाकर इमाम बुख़ारी (रह.) ने उस ह़दीष़ के ज़ुअ़फ़ की त़रफ़ इशारा किया जिसे अबू अ़दी ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न निकाला है कि रमज़ान मत कहो। रमज़ान अल्लाह का एक नाम है, उसकी सनद में अबू मअ़शर है, वो ज़ईफ़ुल ह़दीष़ है। लफ़्ज़े रमज़ान नबी करीम (ﷺ) की जुबाने मुबारक से अदा हुआ और शहरु रमज़ान ख़ुद अल्लाह तआला ने क़ुर्आन में फ़र्माया, ष़ाबित हुआ कि दोनों त़रह से इस महीने का नाम लिया जा सकता है उन दोनों से अह़ादीष़ को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने वस्ल (मिलान) किया है।

١٨٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ)). [طرفاه في : ١٨٩٩، ٣٢٧٧].

1898. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे अबू सहल नाफ़ेअ़ बिन मालिक ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। (दीगर मक़ाम : 1899, 3277)

यहाँ भी ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) ने लफ़्ज़े रमज़ान इस्ते'माल किया। ह़दीष़ और बाब में यही मुत़ाबक़त है।

١٨٩٩- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ)). [راجع: ١٨٩٨]

1899. मुझसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ज़ुह्री ने बयान किया कि मुझे बनू तमीम के मौला अबू सुहैल इब्ने अबी अनस ने ख़बर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को कहते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयात़ीन को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है।

(राजेअ़ : 1898)

आँहज़रत (ﷺ) ने शहरु रमज़ान का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया इससे बाब का मक़्सद षाबित हो गया है।

1900. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया कि मुझे सालिम ने ख़बर दी कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि जब रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा शुरू कर दो और जब शव्वाल का चाँद देखो तो रोज़ा इफ़्तार कर दो और अगर अब्र (बादल) हो तो अंदाज़े से काम करो। (यानी तीस रोज़े पूरे कर लो और कुछ ने लैष से बयान किया कि मुझसे अक़ील और यूनुस ने बयान किया कि रमज़ान का चाँद मुराद है।

(दीगर मक़ाम : 1906, 1907)

١٩٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)). وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ ((لِهِلاَلِ رَمَضَانَ)).

[طرفاه في : ١٩٠٦، ١٩٠٧].

मक़्सद ये है कि रमज़ान शरीफ़ के रोज़े शुरू करने और ईदुल फ़ित्र मनाने दोनों के लिये हिलाल (चाँद नज़र आना) ज़रूरी है, अगर दोनों बार 29 तारीख़ में रूयते हिलाल यक़ीनी न हो तो तीस दिन पूरे करने ज़रूरी हैं, ईद के चाँद में लोग बहुत सी बे-ए'तिदाल (असंतुलन भरी बातें) कर जाते हैं जो नहीं होनी चाहिए।

बाब 6 : जो शख़्स रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ षवाब की निय्यत करके रखे उसका षवाब

٦- بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया कि लोगों को क़यामत के दिन उनकी निय्यतों के मुताबिक़ उठाया जाएगा।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

1901. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कषीर ने बयन किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो कोई शबे क़द्र में ईमान के साथ और हुसूले षवाब की निय्यत से इबादत में खड़ा हो उसके तमाम अगले गुनाह बख़्श दिये जाएँगे और जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और षवाब की निय्यत से रखे उसके अगले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएँगे।

١٩٠١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

तश्रीह : हर अमल के लिये निय्यत का दुरुस्त होना ज़रूरी है, रोज़ा भी बेहतरीन अमल है। बशर्ते कि ख़ुलूसे दिल के साथ सिर्फ़ रज़ा-ए-इलाही की निय्यत से रखा जाए और हुक्मे इलाही पर यक़ीन होना भी शर्त है कि सिर्फ़ अदायगी-ए-रस्म न हो फिर वो षवाब नहीं मिलेगा जिसका यहाँ ज़िक्र किया गया है। इस हदीष **मन साम...** अल्ख़ के ज़ेल में उस्ताज़ुल कुल हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष मरहूम फ़र्माते हैं कि मैं कहता हूँ उसकी वजह ये है कि रमज़ान के रोज़े रखने में क़ुव्वते

मलकी के ग़ालिब होने और क़ुव्वते बैहक़ी के मग़्लूब होने के लिये ये मिक़्दार काफ़ी है कि उसके तमाम अगले-पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएँ।

बाब 7 : नबी करीम (ﷺ) रमज़ान में सबसे ज़्यादा सख़ावत किया करते थे

٧- بَابُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

1902. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्हें इब्ने शिहाब ने ख़बर दी, उन्हें उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा ने कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) सख़ावत और ख़ैर के मामले में सबसे ज़्यादा सख़ी थे और आप (ﷺ) की सख़ावत उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ जाती थी जब जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम आपसे रमज़ान में मिलते, जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम आँहज़रत (ﷺ) से रमज़ान शरीफ़ की हर रात में मिलते यहाँ तक कि रमज़ान गुज़र जाता। नबी करीम (ﷺ) जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम से क़ुर्आन का दौर करते थे। जब हज़रत जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम आपसे मिलने लगते तो आप (ﷺ) चलती हवा से भी ज़्यादा सख़ी हो जाया करते थे। (राजेअ़ : 6)

١٩٠٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ)). [راجع: ٦]

बाब 8 : जो शख़्स रमज़ान में झूठ बोलना और दग़ाबाज़ी करना न छोड़े

٨- بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

1903. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे सईद मक़्बरी ने, उनसे उनके वालिद कैसान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया अगर कोई शख़्स झूठ बोलना और दग़ाबाज़ी करना (रोज़े रखकर भी) न छोड़े तो अल्लाह तआ़ला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना-पीना छोड़ दे।

(दीगर मक़ाम : 6058)

١٩٠٣- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)).

[طرفه في : ٦٠٥٧].

मा'लूम हुआ कि रोज़े की हालत में झूठ बोलना और दग़ाबाज़ी न छोड़ने वाला इंसान रोज़े की तौहीन करता है इसलिये अल्लाह तआ़ला के यहाँ उसके रोज़े का कोई वज़न नहीं, **क़ालल बैज़ावी लैसल्मक़्सूदु मिन शरइय्यतिस्सौमिनफ़्सुल्जूइ वल्अतशि बल मा यत्तबिउहू मिन कसरिश्शहवाति व तत्वीइन्नफ़्सिल अम्मारति लिन्नफ़्सिल मुत्मइन्नति फ़इज़ा लम यहसिल ज़ालिक ला यन्ज़ुरुल्लाहु इलैहि नज़रल्क़ुबूल** (फ़त्ह) यानी रोज़ा से सिर्फ़ भूख व प्यास मुराद नहीं है बल्कि

मुराद ये भी है कि शहवाते नफ़्सानी को छोड़ दिया जाए, नफ़्से अम्मारा को इताअ़त पर आमादा किया जाए ताकि वो नफ़्से मुत्मइन्ना के पीछे लग सके। अगर ये मक़ासिद हासिल नहीं होते तो अल्लाह पाक उस रोज़े पर नज़रे क़ुबूलियत नहीं फ़र्माएगा। रोज़ादार के मुँह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसन्दीदा है। इस पर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष़ देहलवी फ़र्माते हैं कि मेरे नज़दीक उसका सबब ये है कि इबादत के पसन्दीदा होने से उसका अष़र भी पसन्दीदा हो जाता है और आलमे मिष़ाल में बजाए इबादत के वो अष़र मुतमष़्ष़ल (समान) हो जाता है, इसीलिये आप (ﷺ) ने उसके सबब से मलाइका (फ़रिश्तों) को ख़ुशी पैदा होने और अल्लाह पाक की रज़ामन्दी को एक पल्ले में और बनी आदम को मुश्क के सूँघने पर जो सुरूर (आनन्द) हासिल होता है उसको एक पल्ले में रखा ताकि ये रम्ज़े ग़ैबी उनके लिये ज़ाहिर हो जाए। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा)

बाब 9 : कोई रोज़ेदार को अगर गाली दे तो उसे ये कहना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ

٩- بَابُ هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

1904. हमसे इब्राहीम बिन मूसा बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने जुरैज ने कहा कि मुझे अ़ता ने ख़बर दी, उन्हें अबू स़ालेह (जो रोग़न ज़ैतून और घी बेचते थे) ने उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह पाक फ़र्माता है कि इंसान का हर नेक अ़मल ख़ुद उसी के लिये है मगर रोज़ा कि वो ख़ास़ मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा और रोज़ा गुनाहों की एक ढाल है, अगर कोई रोज़े से हो तो उसे फ़ह्हशगोई न करनी चाहिए और न शोर मचाए। अगर कोई शख़्स़ उसको गाली दे या लड़ना चाहे तो उसका जवाब सिर्फ़ ये हो कि मैं एक रोज़ेदार हूँ, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी ज़्यादा बेहतर है, रोज़ेदार को दो ख़ुशियाँ हासिल होंगी (एक तो जब) वो इफ़्तार करता है तो ख़ुश होता है और (दूसरे) जब वो अपने रब से मुलाक़ात करेगा तो अपने रोज़े का ष़वाब पाकर ख़ुश होगा।

(राजेअ़ : 1894)

١٩٠٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)).

[راجع: ١٨٩٤]

तश्रीह : यानी दुनिया में भी आदमी नेक अ़मल से कुछ न कुछ फ़ायदा उठाता है चाहे उसकी रिया की नियत न हो मष़लन लोग उसको अच्छा समझते हैं मगर रोज़ा ऐसी मख़्फ़ी (छुपी हुई) इबादत है जिसका सिला अल्लाह देगा बन्दों को उसमें कोई दख़ल नहीं।

बाब 10 : जो मुजर्रद हो और ज़िना से डरे तो वो रोज़ा रखे

١٠- بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

1905. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हम्ज़ा ने, उनसे अअ़मश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अल्क़मा ने बयान किया कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के साथ जा रहा था। आपने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ थे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर कोई साहब ताक़त वाला हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि नज़र को नीची रखने और शर्मगाह को बद फ़ेअ़ली से महफ़ूज़ रखने का ये ज़रिया है और किसी में निकाह करने की ताक़त न हो तो उसे रोज़े रखने चाहिए क्योंकि वो उसकी शहवत को ख़त्म कर देता है। (दीगर मक़ाम : 5065, 5066)

١٩٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).

[طرفاه في : ٥٠٦٥، ٥٠٦٦].

बाब 11 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद जब तुम (रमज़ान का) चाँद देखो तो रोज़े रखो और जब शव्वाल का चाँद देखो तो रोज़े रखना छोड़ दो

١١- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا))

और सिलह ने अ़म्मार (रज़ि.) से बयान किया कि जिसने शक के दिन रोज़ा रखा तो उसने हज़रत अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़र्मानी की

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ : ((مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ)).

1906. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअ़म्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान का ज़िक्र किया तो फ़र्माया कि जब तक चाँद न देखो रोज़ा शुरू न करो, उसी तरह जब तक चाँद न देख लो रोज़ा मौक़ूफ़ न करो और अगर बादल छा जाए तो तीस दिन पूरे कर लो।

(राजेअ़ : 1900)

١٩٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).

[راجع: ١٩٠٠]

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि माहे शाबान की 29 तारीख़ को चाँद में शक हो जाए कि हुआ या नहीं तो उस दिन रोज़ा रखना मना है बल्कि एक ह़दीष़ में ऐसा रोज़ा रखने वालों को ह़ज़रत अबुल क़ासिम (ﷺ) का नाफ़र्मान बतलाया गया है। इसी तरह ईद का चाँद भी अगर 29 तारीख़ को नज़र न आए या बादल वग़ैरह की वजह से शक हो जाए तो पूरे तीस दिन रोज़े रखकर ईद मनानी चाहिए। हुज्जतुल हिन्द ह़ज़रत शाह वलीउ़ल्लाह मुह़द्दिष़ देहलवी मरहूम फ़र्माते हैं चूँकि रोज़े का ज़माना क़मरी महीना के साथ रूयते हिलाल के ए'तिबार से मुन्ज़बित (निर्धारित) था और वो तीस दिन और कभी उन्तीस दिन का होता है लिहाज़ा इश्तिबाह (शक) की सूरत में उस अस़ल की त़रफ़ रुजूअ़ करना हुआ।

1907. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा

١٩٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

हमसे मालिक ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि महीना कभी उन्तीस रातों का भी होता है इसलिये (उन्तीस पूरे हो जाने पर) जब तक चाँद न देख लो रोज़ा न शुरू करो और अगर अब्र (बादल) हो जाए तो तीस दिन का शुमार पूरा कर लो। (राजेअ़ : 1900)

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ)).

[راجع: ١٩٠٠]

तश्रीह : मुल्ला अ़ली क़ारी (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ाल फ़िल्मवाहिब व हाज़ा मज़्हबुना व मज़्हबु मालिक व अबी हनीफ़त व जुम्हूरूस्सलफ़ वल ख़लफ़ व क़ाल बअ़्ज़ुहुम अन्नलमुराद तक्दीरु मनाज़िलिल क़मरि व ज़ब्तु हिसाबिन्नुजूमि हत्ता युअ़लम अन्नश्शहर ष़लाष़ून औ तिस्उंव्व इश्रून व हाज़ल्क़ौलु ग़ैर सदीदिन फ़इन्न क़ौलल्मुन्ज़िमीन ला युअ़तमदु अ़लैहि** (लम्आत) यानी जुम्हूर उ़लम-ए-सल्फ़ और ख़ल्फ़ का इसी ह़दीष़ पर अ़मल है कुछ लोगों ने ऊपर बयान की गई ह़दीष़ में लफ़्ज़ फ़क़्दुरू से ह़िसाब नजूम का ज़ब्त करना मुराद लिया है ये क़ौल दुरुस्त नहीं है और अहले नजूम का क़ौल एं तिमाद के क़ाबिल नहीं है। आजकल तक़्वीम में जो तारीख़ बतलाई जाती है अगरचे उनके मुरत्तब करने वाले पूरी कोशिश करते हैं मगर शरई उमूर के लिये सिर्फ़ उनकी तह़रीरात पर एं तिमाद नहीं किया जा सकता ख़ास़ त़ौर पर रमज़ान और ईदैन के लिये रूयते हिलाल या दो मोतबर गवाहों की शहादत ज़रूरी है।

1908. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे जब्लह बिन सहीम ने बयान किया, कि मैंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया महीना इतने दिनों और इतने दिनों का होता है। तीसरी बार कहते हुए आपने अंगूठे को दबा लिया।

(दीगर मक़ाम : 1913, 5302)

١٩٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ)).

[اطرافه في : ١٩١٣، ٥٣٠٢].

मुराद ये है कि कभी तीस दिन का और कभी उन्तीस दिन का महीना होता है।

1909. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, या यूँ कहा कि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़र्माया कि चाँद ही देखकर रोज़े शुरू करो और चाँद ही देखकर रोज़ा मौक़ूफ़ करो और अगर बादल हो जाए तो तीस दिन पूरे कर लो।

١٩٠٩- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ- أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ- ((صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ)).

1910. हमसे अबू आ़सिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अ़ब्दुल्लाह बिन स़ैफ़ी ने, उनसे इक्रिमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने और उनसे उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात से एक महीने तक

١٩١٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا - أَوْ رَاحَ - فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا)).

[طرفه في : ٥٢٠٢].

जुदा रहे फिर उन्तीस दिन पूरे हो गए तो सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त आप (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ ले गए उस पर किसी ने कहा आपने तो अ़हद किया था कि आप एक महीना तक उनके यहाँ तशरीफ़ नहीं ले जाएँगे तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि महीना उन्तीस दिन का भी होता है।

(दीगर मक़ाम : 5202)

١٩١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ)). [راجع: ٣٧٨]

1911. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने, उनसे हुमैद ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों से जुदा रहे थे, आप (ﷺ) के पांव में मोच आ गई थी तो आप (ﷺ) ने बालाख़ाना में उन्तीस दिन क़याम किया था, फिर वहाँ से उतरे। लोगों ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने एक महीना का ईला किया था। जवाब में आपने फ़र्माया कि महीना उन्तीस दिन का भी होता है।

(राजेअ़ : 378)

١٢- بَابُ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ

बाब 12 : ईद के दोनों महीने कम नहीं होते

قَالَ أَبُو عَبْدَ اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ.

इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि इस्हाक़ बिन राहवै ने (इसकी तशरीह में) कहा कि अगर ये कम भी हों फिर भी (अज्र के ए'तिबार से) तीस दिन का ष़वाब मिलता है मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) ने कहा (मतलब ये है) कि दोनों एक साल में नाक़िस़ (उन्तीस उन्तीस दिन के) नहीं हो सकते।

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस्हाक़ और इब्ने सीरीन के क़ौल नक़ल करके हदीष़ की तफ़्सीर कर दी, इमाम अहमद ने फ़र्माया है क़ायदा ये है कि अगर रमज़ान 29 दिन का हो तो ज़िल्हिज्ज 30 दिन का होता है, अगर ज़िल्हिज्ज 30 दिन का हो तो रमज़ान 29 दिन का होता है मगर इस तफ़्सीर में बाक़ायदा नुजूम का शुबहा रहता है। कुछ साल ऐसे भी होते हैं कि रमज़ान और ज़िल्हिज्ज 29 दिन के होते हैं इसलिये सहीह इस्हाक़ बिन राहवै की तफ़्सीर है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसीलिये उसको पहले बयान किया कि राजेह यही है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष़ देहल्वी फ़र्माते हैं कि **शहरा ईदिन ला यन्क़ुसानि** कुछ के नज़दीक उसके ये मा'नी हैं कि उन्तीस उन्तीस दिनों के नहीं होते कुछ के नज़दीक उसके ये मा'नी हैं कि तीस व उन्तीस का अज्र बराबर ही मिलता है और ये अख़ीर मा'नी क़वाइदे शरइया के लिहाज़ से ज़्यादा चस्पाँ होते हैं। गोया आपने इस बात का दफ़ा करना चाहा कि किसी के दिल में किसी बात का वहम न गुज़रे।

١٩١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ

1912. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे मुअ़तमिर बिन

قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ)).

सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मैंने इस्हाक़ से सुना, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा और मुझे मुसद्दद ने ख़बर दी, उनसे मुअ़तमिर ने बयान किया, उनसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया कि मुझे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्हें उनके वालिद ने नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया दोनों महीने नाक़िस नहीं रहते।

١٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ))

बाब 13 : नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्माना कि हम लोग हिसाब किताब नहीं जानते

١٩١٣- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)). يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ.

[راجع: ١٩٠٨]

1913. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अस्वद बिन क़ैस ने बयान किया, उनसे सईद बिन अ़म्र ने बयान किया और उन्होंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हम एक बेपढ़ी लिखी क़ौम हैं न लिखना जानते हैं न हिसाब करना। महीना यूँ है और यूँ है। आपकी मुराद एक बार उन्तीस (दिनों से) थी और एक बार तीस दिनों से। (आप ﷺ ने दसों उँगलियों से तीन बार बतलाया) (राजेअ़ : 1908)

١٤- بَابُ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ

बाब 14 : रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़े न रखे जाएँ

١٩١٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ)).

1914. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से कोई शख़्स रमज़ान से पहले (शाबान की आख़िरी तारीख़ों में) एक या दो दिन के रोज़े न रखे अल्बत्ता अगर किसी को उनमें रोज़े रखने की आ़दत हो तो वो उस दिन भी रोज़ा रख ले।

मष़लन कोई हर माह में पीर या जुमेरात का या किसी और दिन का रोज़ा हर हफ़्ते रखता है और इत्तिफ़ाक़न वो दिन शाबान की आख़िरी तारीख़ों में आ जाए तो वो ये रोज़ा रख ले, आधे शाबान के बाद रोज़ा रखने की मुमानअत इसलिये भी वारिद हुई है ताकि रमज़ान के लिये ताक़त क़ायम रहे और कमज़ोरी लाहिक़ न हो। अल्ग़रज़ हर क़दम पर शरीअत के अम्र व नही को सामने रखना यही दीन और यही इ़बादत और यही इस्लाम है और यही ईमान, हर हर जगह अपनी अ़क़्ल का दख़ल हर्गिज़ नहीं होना चाहिए।

बाब 15 : अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का फ़र्माना कि

١٥- بَابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ :

हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिये रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से सुहबत करना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो, अल्लाह ने मा'लूम किया कि तुम चोरी से ऐसा करते थे। सो मुआ़फ़ कर दिया तुमको और दरगुज़र की तुमसे पस अब सुहबत करो उनसे और ढूँढ़ो जो लिख दिया अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी क़िस्मत में (औलाद से)। (अल बक़र: : 187)

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ [البقرة : ١٨٧].

1915. हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे इस्राईल ने, उनसे अबू इस्हाक़ ने और उनसे बराअ (रज़ि.) ने बयान किया कि (शुरू इस्लाम में) ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) के सहाबा (रज़ि.) जब रोज़ा से होते और इफ़्तार का वक़्त आता तो कोई रोज़ादार अगर इफ़्तार से पहले भी सो जाता तो फिर उस रात में भी और आने वाले दिन में भी उन्हें खाने—पीने की इजाज़त नहीं थी यहाँ तक कि फिर शाम हो जाती, फिर ऐसा हुआ कि क़ैस बिन स़िरमा अंस़ारी (रज़ि.) भी रोज़े से थे जब इफ़्तार का वक़्त आया तो वो अपनी बीवी के पास आए और पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? उन्होंने कहा (इस वक़्त तो कुछ) नहीं है लेकिन मैं जाती हूँ कहीं से लाऊँगी, दिन भर उन्होंने काम किया था इसलिये आँख लग गई जब बीवी वापस हुईं और उन्हें (सोते हुए) देखा तो फ़र्माया अफ़सोस तुम महरूम ही रहे! लेकिन दूसरे दिन वो दोपहर को बेहोश हो गए जब उसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया गया तो ये आयत नाजिल हुई, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिये रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से सुहबत करना इस पर सहाबा किराम (रज़ि.) बहुत ख़ुश हुए और ये आयत नाज़िल हुई खाओ—पीओ यहाँ तक कि मुम्ताज़ हो जाए तुम्हारे लिये सुबह की सफ़ेद धारी (सुबह स़ादिक़) स्याह धारी (सुबह काज़िब) से।

١٩١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا، وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾.

[طرفه في : ٤٥٠٨].

(दीगर मक़ाम : 4508)

तश्रीह : निसाई की रिवायत में ये मज़्मून यूँ है कि रोज़ेदार जब शाम का खाना खाने से पहले सो जाए, रात भर कुछ नहीं खा पी सकता था यहाँ तक कि दूसरी शाम हो जाती और अबुश्शैख़ की रिवायत में यूँ है कि मुसलमान इफ़्तार के वक़्त खाते-पीते, औरतों से सुहबत करते, जब तक सोते नहीं। सोने के बाद फिर दूसरा दिन ख़त्म होने तक कुछ नहीं कर सकते, ये इब्तिदा (शुरू दिनों) में था बाद में अल्लाह पाक ने रोज़े की तफ़्सीलात से आगाह किया और सारी मुश्किलात को आसान फ़र्मा दिया।

١٦- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فِيهِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 16 : (सूरह बक़र: में) अल्लाह तआला का फ़र्माना कि सेहरी खाओ और पीयो यहाँ तक कि खुल जाए तुम्हारे लिये सुबह की सफ़ेद धारी (सुबह सादिक़) स्याह धारी से यानी सुबह काज़िब से फिर पूरे करो अपने रोज़े सूरज छुपने तक (इस सिलसिले में) बराअ (रज़ि.) की एक रिवायत भी नबी करीम (ﷺ) से मरवी है।

١٩١٦- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي. فَغَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)).

[طرفاه في : ٤٥٠٩، ٤٥١٠].

1916. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया, कहा कि मुझे हुसैन बिन अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी और उनसे शअबी ने, उनसे अदी बिन हातिम (रज़ि.) ने बयान किया कि जब ये आयत नाज़िल हुई यहाँ तक कि खुल जाए तुम्हारे लिये सफ़ेद धारी, स्याह धारी से। तो मैंने एक स्याह धागा लिया और एक सफ़ेद धागा लिया और दोनों को तकिये के नीचे रख लिया और रात में देखता रहा मुझ पर उनके रंग न खुले, जब सुबह हुई तो मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से उसका ज़िक्र किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उससे तो रात की तारीकी (सुबह काज़िब) और दिन की सफ़ेदी (सुबह सादिक़) मुराद है।

(दीगर मक़ाम : 4509, 4510)

अदी बिन हातिम को आपके बतलाने पर हक़ीक़त समझ में आई कि यहाँ सुबह काज़िब और सुबह सादिक़ मुराद है।

١٩١٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ

1917. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके बाप

بْنِ سَعْدٍ ح. وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)).

[طرفه في : ٤٥١١].

ने और उनसे सहल बिन सअ़द ने, (दूसरी सनद इमाम बुख़ारी रह) ने कहा और मुझसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उनसे अबू ग़स्सान मुहम्मद बिन मुतर्रफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू हाज़िम ने बयान किया और उनसे सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने बयान किया कि आयत नाज़िल हुई खाओ–पीयो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये सफ़ेद धारी, स्याह धारी से खुल जाए लेकिन मिनल फ़ज्र (सुबह की) के अल्फ़ाज़ नाज़िल नहीं हुए थे। इस पर कुछ लोगों ने ये कहा कि जब रोज़े का इरादा होता तो स्याह और सफ़ेद धागा लेकर पांव में बाँध लेते और जब तक दोनों धागे पूरी तरह दिखाई न देने लगते, खाना–पीना बन्द न करते थे, इस पर अल्लाह तआ़ला ने मिनल् फ़ज्र के अल्फ़ाज़ नाज़िल किये फिर लोगों को मा'लूम हुआ कि उससे मुराद रात और दिन हैं।

(दीगर मक़ाम : 4511)

तश्रीह : इब्तिदा में सहाबा किराम (रज़ि.) में से कुछ लोगों ने तुलूअ़े फ़ज्र का मतलब नहीं समझा इसलिये वो सफ़ेद और स्याह धागा से फ़ज्र मा'लूम करने लगे मगर मिनल् फ़ज्र के लफ़्ज़ नाज़िल हुए तो उनको हक़ीक़त का इल्म हुआ। स्याह धारी से रात का अँधेरा और सफ़ेद धारी से सुबह का उजाला मुराद है।

١٧- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ))

बाब 17 : नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्माना कि बिलाल (रज़ि.) की अज़ान तुम्हें सेहरी खाने से न रोके

١٩١٨، ١٩١٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)). قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا)).

[راجع: ٦١٧]

1918, 19. हमसे उबैद बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने और (उबैदुल्लाह और इब्ने उमर रज़ि.) ने यही रिवायत) क़ासिम बिन मुहम्मद से और उन्होंने आइशा (रज़ि.) से कि बिलाल (रज़ि.) कुछ रात रहे से अज़ान दे दिया करते थे इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) अज़ान न दें तुम खाते–पीते रहो क्योंकि वो सुबह सादिक़ के तुलूअ़ से पहले अज़ान नहीं देते। क़ासिम ने बयान किया कि दोनों (बिलाल और उम्मे मक्तूम रज़ि.) की अज़ान के बीच सिर्फ़ इतना फ़ासला होता था कि एक चढ़ते तो दूसरे उतरते।

(राजेअ़ : 617)

तश्रीह : अल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने नक़ल किया कि सहाबा किराम (रज़ि.) की सेहरी क़लील (छोटी) होती थी, एक आध खजूर या एक आध लुक़्मा इसलिये ये क़लील फ़ासला बतलाया गया। हदीषे हाज़ा में साफ़ मज़्कूर है कि बिलाल (रज़ि.) सुबह सादिक़ से पहले अज़ान देते थे ये उनकी सेहरी की अज़ान होती थी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (रज़ि.) फ़ज्र की अज़ान दिया करते थे उस वक़्त जब लोग उनसे कहते कि फ़ज्र हो गई है क्योंकि वो ख़ुद नाबीना थे। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **वल्मअना फ़िल्जमीइ अन्न बिलालन कान युअज़्ज़िनु क़ब्लल्फ़ज्रि षुम्म यतरब्बसु बअद लिद्दुआइ व नहवहू षुम्म यर्क़बुल्फ़ज्र फ़इज़ा अक़ारब तुलूउहू नज़ल फ़अख़्बर इब्न उम्मि मक्तूम अल्ख़** यानी हज़रत बिलाल (रज़ि.) फ़ज्र से पहले अज़ान देकर उस जगह दुआ के लिये ठहरे रहते और फ़ज्र का इंतिज़ार करते जब तुलूअ फ़ज्र क़रीब होती तो वहाँ से नीचे उतरकर इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) को ख़बर करते और वो फिर फ़ज्र की अज़ान देते थे। दोनों की अज़ान के बीच क़लील फ़ासला का मतलब यही समझ में आता है आयते कुर्आनिया **हत्ता यतबय्यना लकुमुल ख़ैतुल् अब्यज़ु** (अल् बक़रः : 187) से ये भी ज़ाहिर होता है कि सुबह सादिक़ नुमायाँ हो जाने तक सेहरी खाने की इजाज़त है। जो लोग रात रहते हुए सेहरी खा लेते हैं ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नते सेहरी वही है कि उससे फ़ारिग़ होने और फ़ज्र की नमाज़ शुरू करने के बीच सिर्फ़ इतना फ़ासला होना चाहिए जितना कि पचास आयात के पढ़ने में वक़्त लगता है तुलूअे फ़ज्र के बाद सेहरी खाना जाइज़ नहीं है।

बाब 18 : सेहरी खाने में देर करना

١٨- بَابُ تَعْجِيلِ السُّحُورِ

1920. हमसे मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम ने बयान किया और उनसे हज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं सेहरी अपने घर खाता फिर जल्दी करता ताकि नमाज़ नबी करीम (ﷺ) के साथ मिल जाए। (राजेअ : 577)

١٩٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُوْنُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)). [راجع: ٥٧٧]

यानी सेहरी वो बिलकुल आख़िर वक़्त खाया करते थे फिर जल्दी से जमाअत में शामिल हो जाते क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ हमेशा तुलूअे फ़ज्र के बाद अँधेरे ही में पढ़ा करते थे ऐसा नहीं जैसा कि आजकल हन्फ़ी भाईयों ने मा'मूल बना लिया है कि नमाज़े फ़ज्र लगभग सूरज निकलने के वक़्त पढ़ते हैं, हमेशा ऐसा करना सुन्नते नबवी के खिलाफ़ है। नमाज़े फ़ज्र को अव्वले वक़्त अदा करना ही ज़्यादा बेहतर है।

बाब 19 : सेहरी और फ़ज्र की नमाज़ में कितना फ़ासला होता था

١٩- بَابُ قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ

1921. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने और उनसे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के साथ हमने सेहरी खाई, फिर आप (ﷺ) सुबह की नमाज़ के लिये खड़े हो गए। मैंने पूछा कि सेहरी और अज़ान में कितना फ़ासला होता था तो उन्होंने कहा कि पचास आयतें (पढ़ने) के मुवाफ़िक़ फ़ासला होता था। (राजेअ : 575)

١٩٢١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَةً)). [راجع: ٥٧٥]

तश्रीह : सनद में हज़रत क़तादा बिन दआमा का नाम आया है, उनकी कुन्नियत अबुल ख़त्ताब है, नाबीना और क़वीय्युल ह़ाफ़िज़ थे, बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह मुज़नी एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि जिस का जी चाहे अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा क़वीय्युल ह़ाफ़िज़ बुज़ुर्ग की ज़ियारत करे वो क़तादा को देख ले। ख़ुद क़तादा कहते हैं कि जो बात भी मेरे कान में पड़ती है उसे क़ल्ब फ़ौरन् महफ़ूज़ कर लेता है। अ़ब्दुल्लाह बिन सरजिस और अनस (रज़ि.) और बहुत से दीगर ह़ज़रात से रिवायत करते हैं, 70 हिजरी में इंतिक़ाल फ़र्माया (रह.)। (आमीन)

बाब 20 : सेहरी खाना मुस्तहब है वाजिब नहीं है

क्योंकि नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के अस्ह़ाबे किराम (रज़ि.) ने पे दर पे रोज़े रखे और उनमें सेहरी का ज़िक्र नहीं है।

٢٠- بَابُ بَرَكَةِ السُّحُورِ عَنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السُّحُورُ

1922. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जुवैरिया ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने सौमे विसाल रखा तो सह़ाबा किराम (रज़ि.) ने भी रखा लेकिन सह़ाबा (रज़ि.) के लिये दुश्वारी हो गई। इसलिये कि आप (ﷺ) ने मना फ़र्मा दिया सह़ाबा (रज़ि.) ने इस पर अ़र्ज़ किया कि आप (ﷺ) तो सौमे विसाल रखते हैं? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तो बराबर खिलाया-पिलाया जाता हूँ। (दीगर मक़ाम : 1962)

١٩٢٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى)).

[طرفه في : ١٩٦٢].

तश्रीह : सौमे विसाल मुतवातिर (लगातार) कई दिन सेहरी व इफ़्तार किये बग़ैर रोज़ा रखना और रखे चले जाना, कई बार आँहज़रत (ﷺ) ऐसा रोज़ा रखा करते थे मगर सह़ाबा किराम (रज़ि.) को आप (ﷺ) ने मशक़्क़त के पेशे-नज़र ऐसे रोज़े से मना किया बल्कि सेहरी खाने का हुक्म दिया ताकि दिन में उससे क़ुव्वत ह़ासिल हो। इमाम बुख़ारी (रह.) का मंश-ए-बाब ये है कि सेहरी खाना सुन्नत है, मुस्तह़ब है; मगर वाजिब नहीं है क्योंकि सौमे विसाल में सह़ाबा किराम (रज़ि.) ने भी बहरहाल सेहरी को तर्क कर दिया था, बाब का मक़्सद ष़ाबित हुआ।

1923. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सेहरी खाओ कि सेहरी में बरकत होती है।

١٩٢٣- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)).

सेहरी खाना इसलिये भी ज़रूरी है कि यहूदियों के यहाँ सेहरी खाने का चलन नहीं है, पस उनकी मुख़ालफ़त में सेहरी खानी चाहिए और उससे रोज़ा पूरा करने में मदद भी मिलती है, सेहरी में चन्द खजूर और पानी के घूँट भी काफ़ी हैं और जो अल्लाह मयस्सर करे। बहरहाल सेहरी छोड़ना सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

बाब 21 : अगर कोई शख़्स रोज़े की निय्यत

दिन में करे तो दुरुस्त है और उम्मे दर्दा (रज़ि.) ने कहा कि अबू दर्दा

٢١- بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ

(रज़ि.) उनसे पूछते क्या कुछ खाना तुम्हारे पास है? अगर हम जवाब देते कि कुछ नहीं तो कहते फिर आज मेरा रोज़ा रहेगा। उसी तरह अबू त़लह़ा, अबू हुरैरह, इब्ने अ़ब्बास और हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने भी किया।

يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِيْ هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

1924. हमसे अबू आ़स़िम ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन अबी उ़बैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अक्वा ने कि नबी करीम (ﷺ) ने आ़शूरा के दिन एक शख़्स को ये ऐलान करने के लिये भेजा कि जिसने खाना खा लिया है वो अब (दिन डूबने तक रोज़े की ह़ालत में) पूरा करे या (ये फ़र्माया कि) रोज़ा रखे और जिसने न खाया हो (तो वो रोज़ा रखे) खाना न खाए।

(दीगर मक़ाम : 2007, 7265)

١٩٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: ((أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ)).

[طرفاه في : ٢٠٠٧، ٧٢٦٥].

मक़्स़दे बाब ये है कि किसी शख़्स ने फ़ज्र के बाद से कुछ न खाया पिया हो और उसी ह़ालत में रोज़ा की निय्यत दिन में भी कर ले तो रोज़ा हो जाएगा मगर ये इजाज़त नफ़्ल रोज़े के लिये है; फ़र्ज़ रोज़े की निय्यत रात ही में सेह़री के वक़्त होनी चाहिए। ह़दीष़ में आ़शूरा के रोज़े का ज़िक्र है जो रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले फ़र्ज़ था, बाद में मह़ज़ नफ़्ल की ह़ैष़ियत में रह गया।

बाब 22 : रोज़ेदार सुबह़ को जनाबत में उठे तो क्या हुक्म है

٢٢- بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

1925,26. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने, उनसे अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन ह़ारिष़ बिन हिशाम बिन मुग़ीरह के गुलाम सुमय ने बयान किया, उन्होंने अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैं अपने बाप के साथ आ़इशा और उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ (दूसरी सनद इमाम बुख़ारी रह. ने कहा कि) और हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्होंने बयान किया कि मुझे अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन ह़ारिष़ बिन हिशाम ने ख़बर दी, उन्हें उनके वालिद अ़ब्दुर्रह़मान ने ख़बर दी, उन्हें मरवान ने ख़बर दी और उन्हें आ़इशा और उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि (कुछ दफ़ा) फ़ज्र होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने अहल के साथ जुनुबी होते थे, फिर आप (ﷺ) गुस्ल करते और आप (ﷺ) रोज़े से होते थे और मरवान बिन ह़कम ने अ़ब्दुर्रह़मान बिन ह़ारिष़ से

١٩٢٥، ١٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِيْنَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ح)). وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ،

ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ - وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ - فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ. فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ)). وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ)) وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.

[طرفاه في : ١٩٣٠، ١٩٣١].

[طرفه في : ١٩٣٢].

कहा मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देता हूँ अबू हुरैरह (रज़ि.) को तुम ये ह़दीष़ साफ़—साफ़ सुना दो। (क्योंकि अबू हुरैरह रज़ि. का फ़त्वा उसके ख़िलाफ़ था) उन दिनों मरवान, अमीर मुआविया (रज़ि.) की तरफ़ से मदीना का ह़ाकिम था। अबूबक्र ने कहा कि अ़ब्दुर्रह़मान ने इस बात को पसन्द नहीं किया। इत्तिफ़ाक़ से हम सब एक बार ज़ुल् हुलैफ़ा में जमा हो गए। अबू हुरैरह (रज़ि.) की वहाँ कोई ज़मीन थी, अ़ब्दुर्रह़मान ने उनसे कहा कि आपसे एक बात कहूँगा और अगर मरवान ने उसकी मुझे क़सम न दी होती तो मैं कभी आपके सामने उसे न छेड़ता। फिर उन्होंने आइशा (रज़ि.) और उम्मे सलमा (रज़ि.) की ह़दीष़ ज़िक्र की। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा (मैं क्या करूँ) कहा कि फ़ज़ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने ये ह़दीष़ बयान की थी (और वो ज़्यादा जानने वाले हैं) कि हमें हम्माम और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के साह़बज़ादे ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ऐसे शख़्स को जो सुबह़ के वक़्त जुनुबी होने की ह़ालत में उठा हो इफ़्तार का हुक्म देते थे लेकिन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) और उम्मे सलमा (रज़ि.) की ये रिवायत ज़्यादा मुअ़तबर है।

(दीगर मक़ाम : 1930, 1931, 1932)

तशरीह़ : अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़ज़ल की ह़दीष़ सुनकर उसके ख़िलाफ़ फ़त्वा दिया था। मरवान का ये मत़लब था कि अ़ब्दुर्रह़मान उनको परेशान करें लेकिन अ़ब्दुर्रह़मान ने ये मंज़ूर न किया और खामोश रहे फिर मौक़ा पाकर अबू हुरैरह (रज़ि.) से इस मसले को ज़िक्र किया। एक रिवायत मे है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आइशा और उम्मे सलमा (रज़ि.) की ह़दीष़ सुनकर कहा कि वो ख़ूब जानती हैं गोया अपने फ़त्वा से रुजूअ़ किया। (वह़ीदी)

अ़ल्लामा ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं कि इस ह़दीष़ से बहुत से फ़वाइद निकलते हैं मष़लन उ़लमा का उमरा के यहाँ जाकर इल्मी मुज़ाकरात करना, मन्क़ूलात में अगर ज़रा भी शक हो जाए तो अपने से ज़्यादा आ़लिम की त़रफ़ रुजूअ़ करके उससे अम्रे ह़क़ मा'लूम करना, ऐसे उमूर जिन पर औ़रतों को बनिस्बत मर्दों के ज़्यादा ख़बर हो सकती है, की बाबत औ़रतों की रिवायात को मर्दों की मरवियात पर तरजीह़ देना, उसी त़रह़ बिल अ़क्स जिन उमूर पर मर्दों को ज़्यादा ख़बर हो सकती है उनके लिये मर्दों की रिवायात को औ़रतों की मरवियात पर तरजीह़ देना, बहरह़ाल हर अम्र में आँह़ज़रत (ﷺ) की इक़्तिदा करना, जब तक उस अम्र के बारे में ख़ुसूसे नबवी न ष़ाबित हो और ये कि इख़्तिलाफ़ के वक़्त किताबो—सुन्नत की त़रफ़ रुजूअ़ करना और ख़बरे वाह़िद मर्द से मरवी हो या औ़रत से उसका हुज्जत होना, ये जुम्ला फ़वाइद इस ह़दीष़ से निकलते हैं और ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत भी ष़ाबित होती है जिन्होंने ह़क़ का ए'तिराफ़ करके उसकी त़रफ़ रुजूअ़ किया। (फ़त्हुल बारी)

बाब 23 : रोज़ेदार का अपनी बीवी से मुबाशरत यानी बोसा, मसास वग़ैरह दुरुस्त है और ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रोज़ेदार पर बीवी की शर्मगाह ह़राम है

٢٣- بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

1927. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने, उनसे ह़कम ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) रोज़े से होते लेकिन (अपनी बीवियों के साथ तक़्बील (बोसा लेना) व मुबाशरत (अपने जिस्म से लगा लेना) भी कर लेते थे। आँह़ज़रत (ﷺ) तुम सबसे ज़्यादा अपनी ख़्वाहिशात पर क़ाबू रखने वाले थे, बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि (सूरह त़ॉहा) में जो मआरिब का लफ़्ज़ है वो) ह़ाजत व ज़रूरत के मा'नी में है, त़ाउस ने कहा कि लफ़्ज़ ऊलुल इरबति (जो सूरह नूर में है) उस अह़मक़ को कहेंगे जिसे औ़रतों की कोई ज़रूरत न हो।

١٩٢٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ)).
وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مَآرِبُ﴾: حَاجَةٌ. وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿أُولِي الإِرْبَةِ﴾: الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.

बाब 24 : रोज़ेदार का रोज़े की ह़ालत में अपनी बीवी का बोसा लेना

٢٤- بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ. [طرفه في : ١٩٢٨].

और जाबिर बिन ज़ैद ने कहा अगर रोज़ेदार ने शहवत से देखा और मनी निकल आई तो वो अपना रोज़ा पूरा कर ले।

1928. हमसे मुह़म्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा हमसे यह़्या क़त़्त़ान ने बयान किया, उनसे हिशाम ने बयान किया कि मुझे मेरे वालिद उ़र्वा ने ख़बर दी और उन्हें आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से (दूसरी सनद इमाम बुख़ारी रह. ने कहा कि) और हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी कुछ अज़्वाज का रोज़ेदार होने के बावजूद बोसा ले लिया करते थे। फिर आप हँसे। (राजेअ़ : 1927)

١٩٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ)).
[راجع: ١٩٢٧]

1929. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह़्या क़त़्त़ान ने बयान किया उनसे हिशाम बिन अबी अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने, उनसे उम्मे सलमा (रज़ि.) की बेटी ज़ैनब ने और उनसे उनकी वालिदा (ह़ज़रत उम्मे

١٩٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ

سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: بَيْنَما أنا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ: ((مَا لَكِ))، أَنُفِسْتِ؟)). قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ)). [راجع: ٢٩٨]

सलमा रज़ि.) ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह के साथ एक चादर में (लेटी हुई) थी कि मुझे हैज़ आ गया। इसलिये मैं चुपके से निकल आई और अपना हैज़ का कपड़ा पहन लिया। आप (ﷺ) ने पूछा क्या बात हुई? क्या हैज़ आ गया है? मैंने कहा हाँ, फिर मैं आप (ﷺ) के साथ उसी चादर में चली और उम्मे सलमा (रज़ि.) और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन से ग़ुस्ल (जनाबत) किया करते थे और आँहज़रत (ﷺ) रोज़े से होने के बावजूद उनका बोसा लेते थे। (राजेअ़ : 298)

तश्रीह : शरीअ़त एक आसान जामेअ़ क़ानून का नाम है जिसका ज़िन्दगी के हर हर गोशे से ता'ल्लुक़ ज़रूरी है, मियाँ बीवी का ता'ल्लुक़ जो भी है ज़ाहिर है इसलिये हालते रोज़ा में अपनी बीवी के साथ बोस व किनार को जाइज़ रखा गया है बशर्ते कि बोसा लेने वालों को अपनी तबीअ़त पर पूरा क़ाबू हासिल हो, इसीलिये जवानों के वास्ते बोसा व किनार की इजाज़त नहीं। उनका नफ़्स ग़ालिब रहता है हाँ ये ख़ौफ़ न हो तो जाइज़ है।

٢٥- بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

बाब 25 : रोज़ेदार का ग़ुस्ल करना जाइज़ है

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلاً. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. وَلاَ يَبْلَعُ وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطِرُ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ. قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ. قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ

और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने एक कपड़ा तर करके अपने जिस्म पर डाला हालाँकि वो रोज़े से थे और शअ़बी रोज़े से थे लेकिन हम्माम में (ग़ुस्ल के लिये) गए और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि हाँडी या किसी चीज़ का मज़ा मा'लूम करने में (ज़ुबान पर रखकर) कोई हर्ज नहीं। हसन बसरी (रह.) ने कहा कि रोज़ेदार के लिये कुल्ली करने और ठण्ड हासिल करने में कोई क़बाहत नहीं और इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) ने कहा कि जब किसी को रोज़ा रखना हो तो वो सुबह को इस तरह उठे कि तेल लगा हुआ हो और कँघा किया हुआ हो और अनस (रज़ि.) ने कहा कि मेरा एक आबज़न (हौज़ पत्थर का बना हुआ) है जिसमें मैं रोज़े से होने के बावजूद ग़ौते मारता हूँ, नबी करीम (ﷺ) से ये मन्क़ूल है कि आप (ﷺ) ने रोज़ा में मिस्वाक की और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि दिन में सुबह और शाम (हर वक़्त) मिस्वाक किया करते और रोज़ेदार थूक न निगले और अ़ता (रह.) ने कहा कि अगर थूक निगल गया तो मैं ये नहीं कहता कि उसका रोज़ा टूट गया और इब्ने सीरीन (रह.) ने कहा कि तर मिस्वाक करने में कोई हर्ज नहीं है किसी ने कहा कि उसमें जो एक मज़ा होता है उस पर आपने कहा क्या पानी में मज़ा नहीं होता? हालाँकि उससे कुल्ली करते हो। अनस, हसन और इब्राहीम ने कहा कि रोज़ेदार के लिये

सुरमा लगाना दुरुस्त है।

لِلصَّائِمِ بَأْسًا.

तश्रीह : हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) के अष़र मज़्कूरा फ़िल् बाब की मुनासबत बाब के तर्जुमे से मुश्किल है, इब्ने मुनीर ने कहा इमाम बुख़ारी (रह.) ने उसका रद्द किया जिसने रोज़ेदार के लिये ग़ुस्ल मकरूह रखा है क्योंकि अगर मुँह में पानी जाने के डर से मकरूह रखा है तो कुल्ली करने और नाक में पानी डालने से भी उसका डर रहता है। इसलिये अगर मकरूह रखा है कि रोज़े में ज़ैब व ज़ीनत और आराइश अच्छी नहीं तो सलफ़ ने कँघी करना, तेल डालना रोज़ेदार के लिये जाइज़ रखा है। ह़ाफ़िज़ ने ये बयान नहीं किया कि इब्ने मसऊद (रज़ि.) के अष़र को किसने वस्ल किया न क़स्तलानी ने बयान किया। (वह़ीदी)

1930. हमसे अह़मद बिन स़ालेह़ ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह इब्ने वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़र्वा और अबूबक्र ने कि आ़इशा (रज़ि.) ने कहा रमज़ान में फ़ज्र के वक़्त नबी करीम (ﷺ) एह़तिलाम से नहीं (बल्कि अपनी अज़्वाज के साथ सुह़बत करने की वजह से) ग़ुस्ल करते और रोज़ा रखते थे (मा'लूम हुआ कि ग़ुस्ले जनाबत रोज़ेदार फ़ज्र के बाद कर सकता है) (राजेअ : 1925)

١٩٣٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ)). [راجع: ١٩٢٥]

1931. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन ह़ारिष़ बिन हिशाम बिन मुग़ीरह के ग़ुलाम समी ने, उन्हों ने अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान से सुना, उन्हों ने बयान किया कि मेरे बाप अ़ब्दुर्रह़मान मुझे साथ लेकर आ़इशा (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए, आ़इशा (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) सुबह़ जुंबी होने की ह़ालत में करते एह़तिलाम की वजह से नहीं बल्कि जिमाअ़ की वजह से! फिर आप रोज़े से रहते (यानी ग़ुस्ल फ़ज्र की नमाज़ से पहले सेह़री का वक़्त निकल जाने के बाद करते)। (राजेअ : 1925)

١٩٣١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُهُ)). [راجع: ١٩٢٥]

1932. उसके बाद हम उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए तो आपने भी इसी त़रह़ ह़दीष़ बयान की। (राजेअ : 1926)

١٩٣٢- حَدَّثَنَا ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. [راجع: ١٩٢٦]

इस ह़दीष़ से भी दोनों मसले ष़ाबित हुए रोज़ेदार के लिये ग़ुस्ल का जाइज़ होना और बह़ालते रोज़ा ग़ुस्ले जनाबत फ़ज्र होने के बाद करना चूँकि शरीअ़त में हर मुम्किन आसानी पेशेनज़र रखी गई है इसलिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपने उस्वा-ए-ह़स्ना से अ़म्लन ये आसानियाँ पेश की हैं।

बाब 26 : अगर रोज़ेदार भूलकर खा पी ले तो

٢٦- بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ

रोज़ा नहीं जाता

شَرِبَ نَاسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ : إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

और अ़ता ने कहा कि अगर किसी रोज़ेदार ने नाक में पानी डाला और वो पानी हलक़ के अंदर चला गया तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं अगर उसको निकाल न सके और इमाम ह़सन बस़री ने कहा कि अगर रोज़ेदार के हलक़ में मक्खी चली गई तो उसका रोज़ा नहीं जाता और इमाम ह़सन बस़री और मुजाहिद ने कहा कि अगर भूलकर जिमाअ़ कर ले तो उस पर क़ज़ा वाजिब न होगी।

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)).

[طرفه في : ٦٦٦٩].

1933. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया कि हमें यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने ख़बर दी, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे इब्ने सीरीन ने बयान किया कि ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी अकरम (ﷺ) से रिवायत किया कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे। क्योंकि उसको अल्लाह तआ़ला ने खिलाया और पिलाया। (दीगर मक़ाम : 6669)

तश्रीह़ : इमाम ह़सन बस़री (रह.) और मुजाहिद के इस अष़र को अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने वस्ल किया, उन्होंने कहा हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने अबी नुजैह़ से, उन्होंने मुजाहिद से, उन्होंने कहा अगर कोई आदमी रमज़ान में भूलकर अपनी औ़रत से सुह़बत करे तो कोई नुक़्सान न होगा और ष़ौरी से रिवायत की, उन्होंने एक शख़्स़ से, उन्होंने ह़सन बस़री से, उन्होंने कहा भूलकर जिमाअ़ करना भी भूलकर खाने-पीने के बराबर है (वह़ीदी)। ये फ़त्वा एक मसले की वज़ाह़त के लिये है वरना ये काम लगभग नामुमकिन ही है कि कोई रोज़ेदार भूलकर ऐसा करे, कम अज़्कम उसे याद न रहा हो तो औ़रत को ज़रूर याद रहेगा और वो याद दिलाएगी इसीलिये बह़ालते रोज़ा क़स़दन (जान-बूझकर) जिमाअ़ करना सख़्ततरीन गुनाह क़रार दिया गया जिससे रोज़ा टूट जाता है और उसका कफ़्फ़ारा पे दर पे (लगातार) दो माह के रोज़े रखना वग़ैरह वग़ैरह क़रार दिया गया है।

٢٧ - بَابُ السِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

बाब 27 : रोज़ेदार के लिये तर या ख़ुश्क मिस्वाक इस्ते'माल करनी दुरुस्त है

وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ)). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)). وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

और आ़मिर बिन रबीआ़ (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को रोज़ा की ह़ालत में बेशुमार दफ़ा वुज़ू में मिस्वाक करते देखा और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) की ये ह़दीष़ बयान की कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न होती तो मैं हर वुज़ू के साथ मिस्वाक का हुक्म वजूबन दे देता। इसी त़रह की ह़दीष़ जाबिर और ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) की भी नबी करीम (ﷺ) से मन्क़ूल है। उसमें आँह़ज़रत (ﷺ) ने रोज़ेदार वग़ैरह की कोई तख़्स़ीस़ नहीं की।

आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान नक़ल किया कि (मिस्वाक) मुँह को पाक रखने वाली और रब की रज़ा का सबब है और अ़ता और क़तादा ने कहा रोज़ेदार अपना थूक निगल सकता है।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)). وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْتَلِعُ رِيْقَهُ.

1934. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमको मअ़मर ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे अ़ता बिन ज़ैद ने, उनसे हुम्रान ने, उन्होंने हज़रत उ़ष्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) को वुज़ू करते देखा, आपने (पहले) अपने दोनों हाथों पर तीन बार पानी डाला फिर कुल्ली की और नाक साफ़ की, फिर तीन बार चेहरा धोया, फिर दायाँ हाथ कोहनी तक धोया, फिर बायाँ हाथ कोहनी तक धोया तीन तीन बार, उसके बाद अपने सर का मसह किया और तीन बार दाहिना पाँव धोया, फिर तीन बार बायाँ पाँव धोया, आख़िर में कहा कि जिस त़रह मैंने वुज़ू किया है मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी इसी त़रह वुज़ू करते देखा है, फिर आपने फ़र्माया था कि जिसने मेरी त़रह वुज़ू किया फिर दो रकअ़त नमाज़ (तहिय्यतुल वुज़ू) इस त़रह पढ़ी कि उसने दिल में किसी क़िस्म के ख़्यालात व वसाविस गुज़रने नहीं दिये तो उसके अगले तमाम गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जाएँगे।

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ: فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

बाब 28 : नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्माना कि जब कोई वुज़ू करे तो नाक में पानी डाले

٢٨- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ))

और आँहज़रत (ﷺ) ने रोज़ेदार और ग़ैर रोज़ेदार में कोई फ़र्क़ नहीं किया और इमाम हसन बसरी ने कहा कि नाक में (दवा वग़ैरह) चढ़ाने में अगर वो हलक़ तक न पहुँचे तो कोई हर्ज नहीं है और रोज़ेदार सुरमा भी लगा सकता है। अ़ता ने कहा कि अगर कुल्ली की और मुँह से सब पानी निकाल दिया तो कोई नुक़्सान नहीं होगा और अगर वो अपना थूक न निगल जाए और जो उसके मुँह में (पानी की तरी) रह गई और मुस्तगी न चबानी चाहिए। अगर कोई मुस्तगी का थूक निगल गया तो मैं नहीं कहता कि उसका रोज़ा टूट गया लेकिन मना है और अगर किसी ने नाक में पानी

وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لاَ يَضِيْرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيْقَهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيْهِ؟ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ

وَلَكِنْ يَنْهَى عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ.

डाला और पानी (ग़ैर इख़्तियारी तौर पर) हलक़ के अंदर चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि ये चीज़ इख़्तियार से बाहर थी।

तश्रीह : इब्ने मुंज़िर ने कहा इस पर इज्माअ है कि अगर रोज़ेदार अपने थूक के साथ दाँतों के बीच जो रह जाता है जिसको निकाल नहीं सकता निगल जाए तो रोज़ा न टूटेगा और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) फ़र्माते हैं अगर रोज़ेदार के दाँतों में गोश्त रह गया हो, उसको चबाकर क़स्दन खा जाए तो उस पर क़ज़ा नहीं और जुम्हूर कहते हैं क़ज़ा लाज़िम होगी और उन्होंने रोज़े में मस्तगी चबाने की इजाज़त दी अगर उसके अज्ज़ाअ न निकलें अगर निकलें और निगल जाए तो जुम्हूर उलमा के नज़दीक रोज़ा टूट जाएगा (फ़त्हुल बारी)। बहरहाल रोज़ा की हालत में उन तमाम शक व शुब्हा की चीज़ों से भी बचना चाहिए जिससे रोज़ा ख़राब होने का एहतिमाल हो।

٢٩- بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيْمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ : يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

बाब 29 : जान–बूझकर अगर रमज़ान में किसी ने जिमाअ किया?

और अबू हुरैरह (रज़ि.) से मर्फ़ूअन यूँ मरवी है कि अगर किसी ने रमज़ान में किसी उज़्र और मर्ज़ के बग़ैर एक दिन का भी रोज़ा नहीं रखा तो सारी उम्र के रोज़े भी उसका बदला न होंगे और इब्ने मसऊद (रज़ि.) का भी यही क़ौल है और सईद बिन मुसय्यिब, शअबी और इब्ने जुबैर और इब्राहीम और क़तादा और हम्माद (रह.) ने भी फ़र्माया कि उसके बदले में एक दिन रोज़ा रखना चाहिए।

١٩٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : ((إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ، قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ. فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟)) قَالَ : أَنَا. قَالَ : ((تَصَدَّقْ بِهَذَا)). [طرفه في : ٦٨٢٢].

1935. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, कहा कि हमने यज़ीद बिन हारून से सुना, उनसे यह्या ने, (जो सईद के साहबज़ादे हैं) कहा, उन्हें अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम ने ख़बर दी, उन्हें मुहम्मद बिन जा'फ़र बिन ज़ुबैर (रज़ि.) बिन अवाम बिन खुवैलद ने और उन्हें अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्होंने आइशा (रज़ि.) से सुना, आपने कहा कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि मैं दोज़ख़ में जल चुका। आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा कि क्या बात हुई? उसने कहा कि रमज़ान में मैंने (रोज़े की हालत में) अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली, थोड़ी देर में आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में (खजूर का) एक थैला जिसका नाम अर्क़ था, पेश किया गया, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि दोज़ख़ में जलने वाला शख़्स कहाँ है? उसने कहा कि हाज़िर हूँ, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ले तू उसे ख़ैरात कर दे।

(दीगर मक़ाम : 6822)

आगे यही वाक़िया तफ़्सील से आ रहा है जिसमें आपने उस शख़्स को बतौरे कफ़्फ़ारा पे दर पे दो माह के रोज़ों का हुक्म फ़र्माया था या फिर साठ मिस्कीनों को खाना खिलाने का जिससे मा'लूम होता है कि ये जुर्म एक संगीन जुर्म है, जिसका कफ़्फ़ारा यही है जो आँहज़रत (ﷺ) ने बतला दिया और सईद बिन मुसय्यिब वग़ैरह के क़ौल का मतलब ये है कि सज़ा-ए-मज़्कूरा के अलावा ये रोज़ा भी उसे मज़ीद लाज़िमन रखना होगा। इमाम औज़ाई ने कहा कि अगर दो माह के रोज़े रखे तो क़ज़ा लाज़िम नहीं है।

٣٠- بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

बाब 30 : अगर किसी ने रमज़ान में क़सदन जिमाअ किया

और उसके पास कोई चीज़ ख़ैरात के लिये भी न हो फिर उसको कहीं से ख़ैरात मिल जाए तो वही कफ़्फ़ारा में दे दे।

١٩٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ هَلَكْتُ، قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ : ((فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ : فَمَكَثَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) فَقَالَ أَنَا. قَالَ : ((خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ)). فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَ اللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

1936. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्होंने बयान किया कि मुझे हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में थे कि एक शख़्स ने हाज़िर होकर कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो तबाह हो गया, आप (ﷺ) ने पूछा क्या बात हुई? उसने कहा कि मैंने रोज़ा की हालत में अपनी बीवी से जिमाअ कर लिया है, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है जिसे तुम आज़ाद कर सको? उसने कहा नहीं, फिर आप (ﷺ) ने पूछा क्या पे दर पे दो महीने के रोज़े रख सकते हो? उसने अ़र्ज़ की कि नहीं, फिर आप (ﷺ) ने पूछा क्या तुमको साठ मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताक़त है? उसने उसका जवाब भी इंकार में दिया, रावी ने बयान किया कि फिर नबी करीम (ﷺ) थोड़ी देर के लिये ठहर गए। हम भी अपनी उसी हालत में बैठे हुए थे कि आप (ﷺ) की ख़िदमत में एक बड़ा थैला (अ़र्क़ नामी) पेश किया गया जिसमें खजूरें थीं। अ़र्क़ थैले को कहते हैं (जिसे खजूर की छाल से बनाते हैं) आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा कि साइल कहाँ है? उसने कहा कि मैं हाज़िर हूँ, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे ले लो और सदक़ा कर दो, उस शख़्स ने कहा क्या या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने से ज़्यादा मुहताज पर सदक़ा कर दूँ? अल्लाह की क़सम! उन दोनों पथरीले मैदानों के बीच कोई भी घराना मेरे घर से ज़्यादा मुहताज नहीं है, इस पर नबी करीम (ﷺ) इस तरह हँस पड़े कि आपके आगे के दाँत देखे जा सके। फिर आपने इर्शाद फ़र्माया कि अच्छा जा

अपने घर वालों ही को खिला दे।

(दीगर मक़ामात : 1937, 2600, 5368, 6087, 6164, 6709, 6710, 6711, 6821)

[أطرافه في : ١٩٣٧، ٢٦٠٠، ٥٣٦٨، ٦٠٨٧، ٦١٦٤، ٦٧٠٩، ٦٧١٠، ٦٧١١، ٦٨٢١].

तश्रीह : सूरते मज़्कूर में बतौर कफ़्फ़ारा पहली सूरत गुलाम आज़ाद करने की रखी गई, दूसरी सूरत पे दर पे दो महीना रोज़ा रखने की, तीसरी सूरत साठ मिस्कीनों को खाना खिलाने की। अब भी ऐसी हालत में ये तीनों सूरतें क़ायम हैं चूँकि इस हदीष में जिस शख़्स का ज़िक्र हुआ है, उसने हर सूरत की अदाएगी के लिये अपनी मजबूरी ज़ाहिर की आख़िर में एक सूरत आँहज़रत (ﷺ) ने उसके लिये निकाली तो उस पर भी उसने ख़ुद अपनी मिस्कीनी का इज़्हार किया। आँहज़रत (ﷺ) को उसकी हालते ज़ार पर रहम आया और उस रहम और करम के तहत आप (ﷺ) ने वो फ़र्माया जो यहाँ मज़्कूर है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक अब भी कोई ऐसी सूरत सामने आ जाए तो ये हुक्म बाक़ी है। कुछ लोगों ने उसे उस शख़्स के साथ ख़ास क़रार देकर अब उसको मन्सूख़ क़रार दिया है मगर हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का रुज्हान इस बात से ज़ाहिर है।

बाब 31 : रमज़ान में अपनी बीवी के साथ क़सदन हम बिस्तर होने वाला शख़्स क्या करे? और क्या उसके घर वाले मुहताज हों तो वो उन ही को कफ़्फ़ारा का खाना खिला सकता है?

٣١- بَابُ الْمَجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟

1937. हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की कि ये बद नसीब रमज़ान में अपनी बीवी से जिमाअ़ कर बैठा है, आप (ﷺ) ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी त़ाक़त नहीं है कि एक गुलाम आज़ाद कर सको? उसने कहा कि नहीं। आप (ﷺ) ने फिर पूछा, क्या तुम पे दर पे दो महीने के रोज़े रख सकते हो? उसने कहा कि नहीं। आप (ﷺ) ने फिर पूछा क्या तुम्हारे अंदर इतनी त़ाक़त है कि साठ मिस्कीनों को खाना खिला सको? अब भी उसका जवाब नफ़ी में था। रावी ने बयान किया फिर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक थैला लाया गया जिसमें खजूरें थीं अ़र्क़ ज़ंबील को कहते हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे ले जा और अपनी त़रफ़ से (मुहताजों को) खिला दे, उस शख़्स ने कहा मैं अपने से भी ज़्यादा मुहताज को हालाँकि दो मैदानों के बीच कोई घराना हमसे ज़्यादा मुहताज नहीं आपने फ़र्माया कि फिर जा अपने घरवालों ही को खिला दे।

(राजेअ़ : 1936)

١٩٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: ((أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ - وَهُوَ الزَّبِيْلُ - قَالَ: ((أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ))، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا. قَالَ: ((فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)). [راجع: ١٩٣٦]

तशरीह : इससे कुछ ने ये निकाला कि मुफ़्लिस पर से कफ़्फ़ारा साक़ित हो जाता है और जुम्हूर के नज़दीक मुफ़्लिसी की वजह से कफ़्फ़ारा साक़ित नहीं होता, अब रहा अपने घरवालों को खिलाना तो ज़ुहरी ने कहा ये उस मर्द के साथ ख़ास था कुछ ने कहा ये ह़दीष़ मन्सूख़ है। अब उसमें इख़्तिलाफ़ है कि जिस रोज़े का कफ़्फ़ारा दे उसकी क़ज़ा भी लाज़िम है या नहीं। शाफ़िई और अकष़र उ़लमा के नज़दीक क़ज़ा लाज़िम नहीं और औज़ाई ने कहा अगर कफ़्फ़ारे में दो महीने के रोज़े रखे तब क़ज़ा लाज़िम नहीं। दूसरा कोई कफ़्फ़ारा दे तो क़ज़ा लाज़िम है और ह़न्फ़िया के नज़दीक हर ह़ाल में क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम हैं। (वह़ीदी)

बाब 32 : रोज़ेदार का पछना लगवाना और क़ै करना कैसा है

٣٢- بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يُفْطِرُ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ : الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمْ احْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى. وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)). وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قِيْلَ لَهُ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ : اللهُ أَعْلَمُ.

और मुझसे यह़्या बिन स़ालेह़ ने बयान किया, कहा हमसे मुआविया बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उनसे उ़मर बिन ह़कम बिन ष़ौबान ने और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि जब कोई क़ै करे तो रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि उससे तो चीज़ बाहर आती है अंदर नहीं जाती और अबू हुरैरह (रज़ि.) से ये भी मन्क़ूल है कि उससे रोज़ा टूट जाता है लेकिन पहली रिवायत ज़्यादा स़ह़ीह़ है और इब्ने अ़ब्बास और इक्रिमा (रज़ि.) ने कहा कि रोज़ा टूटता है उन चीज़ों से जो अंदर जाती हैं उनसे नहीं जो बाहर आती हैं। इब्ने उ़मर (रज़ि.) भी रोज़ा की ह़ालत में पछना लगवाते लेकिन बाद में दिन को उसे तर्क कर दिया था और रात में पछना लगवाने लगे थे और अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने भी रात में पछना लगवाया था और सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ और ज़ैद बिन अरक़म और उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने रोज़ा की ह़ालत में पछना लगवाया, बुकैर ने उम्मे अ़ल्क़मा से कहा कि हम आ़इशा (रज़ि.) के यहाँ (रोज़ा की ह़ालत में) पछना लगवाया करते थे और आप हमें रोकती नहीं थीं और ह़सन बस़री (रह.) कई स़ह़ाबा से मर्फ़ूअ़न रिवायत करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया पछना लगाने वाले और लगवाने वाले (दोनों का) रोज़ा टूट गया और मुझसे अ़याश बिन वलीद ने बयान किया और उनसे अ़ब्दुल आ़ला ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया और उनसे ह़सन बस़री ने ऐसी ही रिवायत की जब उनसे पूछा गया कि क्या नबी करीम (ﷺ) से रिवायत है तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर कहने लगे अल्लाह बेहतर जानता है।

तशरीह : इस कलाम से इस ह़दीष़ का ज़ुअ़्फ़ निकलता है गो अनेक स़ह़ाबा से मरवी है मगर हर तौष़ीक़ मे कलाम है इमाम

अह़मद ने कहा कि ष़ौबान और शद्दाद से ये ह़दीष़ स़ह़ीह़ हुई और इब्ने ख़ुज़ैमा ने भी ऐसा ही कहा और इब्ने मुईन का ये कहना कि इस बाब में कुछ ष़ाबित नहीं ये हठधर्मी है और इमाम बुख़ारी उसके बाद अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) की ह़दीष़ लाए और ये इशारा किया कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ह़दीष़ अज़ रूए सनद क़वी है (वह़ीदी)। क़ै और पछना लगाना इन दोनों मसलों में सलफ़ का इख़्तिलाफ़ है जुम्हूर का क़ौल ये है कि अगर क़ै ख़ुद ब ख़ुद हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता और जो अ़मदन (जान-बूझकर) क़ै करे टूट जाता है और पछना लगाने में भी जुम्हूर का क़ौल ये है कि उससे रोज़ा नहीं जाता अब उसी पर फ़त्वा है जिस ह़दीष़ में रोज़ा टूटने का ज़िक्र है वो मन्सूख़ है जैसा कि दूसरी जगह ये बह़ष़ आ रही है।

١٩٣٨- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)). [راجع: ١٨٣٥]

1938. हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, उनसे वुहैब ने, वो अय्यूब से, वो इक्रिमा से, वो ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने एह़राम में और रोज़े की ह़ालत में पछना लगवाया।

(राजेअ़ : 1835)

١٩٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ)).

1939. हमसे अबू मअ़मर अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मरी ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल वारिष़ बिन सईद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सख़्तियानी ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) ने रोज़ा की ह़ालत में पछना लगवाया।

तश्रीह़ : क़स्तलानी फ़र्माते हैं, **व हुव नासिख़ुल ह़दीष़ अफ़्तरल ह़ाजिम वल महजूम अन्नहू जाअ फ़ी बअ़ज़ि तुरूक़िही अन्न ज़ालिक कान फ़ी हज्जतिल विदाइ** यानी ये ह़दीष़ जिसमें पछना लगाने का ज़िक्र यहाँ आया है ये दूसरी ह़दीष़ जिसमें है कि पछना लगवाने और लगाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया की नासिख़ है। उसका ता'ल्लुक़ फ़तह़े मक्का से है और दूसरी नासिख़ ह़दीष़ का ता'ल्लुक़ ह़ज्जतुल विदाअ़ से है जो फ़तह़े मक्का के बाद हुआ लिहाज़ा अम्रे ष़ाबित अब यही है जो यहाँ मज़्कूर हुआ कि रोज़ा की ह़ालत मे पछना लगाना जाइज़ है।

١٩٤٠- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ أَنَسُ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ)) وَزَادَ شَبَابَةُ : ((حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ)).

1940. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मैं ने ष़ाबित बनानी से सुना, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा था कि क्या आप लोग रोज़ा की ह़ालत में पछना लगवाने को मकरूह समझा करते थे? आपने जवाब दिया कि नहीं अल्बत्ता कमज़ोरी के ख़्याल से (रोज़ा में नहीं लगवाते थे) शबाबा ने ये ज़्यादती की है कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया कि (ऐसा हम) नबी करीम (ﷺ) के अ़हद में (करते थे)।

٣٣- بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

बाब 33 : सफ़र में रोज़ा रखना और इफ़्तार करना

1941. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़यैयना ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ सुलैमान शैबानी ने, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से सुना कहा कि हम रसूलुल्लाह के साथ सफ़र में थे (रोज़ा की हालत में) आँहज़रत ने एक साहब (बिलाल रज़ि.) से फ़र्माया कि उतरकर मेरे लिये सत्तू घोल ले, उन्होंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह (ﷺ)! अभी तो सूरज बाक़ी है, आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया कि उतरकर सत्तू घोल ले! अब की बार भी उन्होंने वही अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह (ﷺ)! अभी सूरज बाक़ी है, लेकिन आपका हुक्म अब भी यही था कि उतरकर मेरे लिये सत्तू घोल ले, फिर आप (ﷺ) ने एक तरफ़ इशारा करके फ़र्माया कि जब तुम देखो कि रात यहाँ से शुरू हो चुकी है तो रोज़ेदार को इफ़्तार कर लेना चाहिए। उसकी मुताबिअ़त जरीर और अबूबक्र बिन अ़याश ने शैबानी के वास्ते से की है और उनसे अबू औफ़ा (रज़ि.) ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में था।

(दीगर मक़ाम : 1955, 1956, 1958, 5297)

١٩٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي))، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ)).

[أطرافه في : ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨، ٥٢٩٧].

तश्रीह : हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है। रोज़ा खोलते वक़्त इस दुआ का पढ़ना सुन्नत है, **अल्लाहुम्म लक सुम्तु व अला रिज़्क़िक अफ़्तर्तु** यानी या अल्लाह! मैंने ये रोज़ा तेरी रज़ा के लिये रखा था और अब तेरे ही रिज़्क़ पर उसे खोला है। उसके बाद ये कलिमात पढ़े **ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल उ़रूकु वष़बतल अज्रु इंशाअल्लाह** यानी अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा खोलने से प्यास दूर हो गई और रगें सैराब हो गईं और अल्लाह ने चाहा तो उसके पास उसका ष़वाबे अ़ज़ीम लिखा गया। हदीष़ **लिस्साइमि फ़र्हतानि** यानी रोज़ेदार के लिये दो ख़ुशियाँ हैं; के बारे में हज़रत शाह वलीउल्लाह मरहूम फ़र्माते हैं पहली ख़ुशी तबई है कि रमज़ान के रोज़ा इफ़्तार करने से नफ़्स को जिस चीज़ की ख़्वाहिश थी वो मिल जाती है और दूसरी रूहानी फ़रहत है इस वास्ते कि रोज़ा की वजह से रोज़ेदार हिजाबे जिस्मानी से अलग होने और आ़लमे बाला से इल्मुल यक़ीन का फ़ैज़ान होने के बाद तक़द्दुस के आष़ार ज़ाहिर होने के क़ाबिल हो जाता है। जिस तरह नमाज़ के सबब से तजल्ली के आष़ार नुमायाँ हो जाते हैं। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा)

1942. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया कि मुझसे मेरे बाप उ़र्वा ने बयान किया, उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि हम्ज़ा बिन अ़म्र असलमी (रज़ि.) ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं सफ़र में लगातार रोज़े रखता हूँ।

(दीगर मक़ाम : 1943)

١٩٤٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : ((أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ)). ح وَ

[طرفه في : ١٩٤٣].

1943. (दूसरी सनद इमाम बुख़ारी ने कहा कि) और हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उ़र्वा ने, उन्हें उनके वालिद ने और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतह्हरा आ़इशा (रज़ि.) ने कि ह़म्ज़ा बिन अ़म्र असलमी (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ की मैं सफ़र में रोज़ा रखूँ? वो रोज़े बकषरत रखा करते थे। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर जी चाहे तो रोज़ा रख और जी चाहे इफ़्तार कर। (राजेअ़ : 1942)

١٩٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟- وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). [راجع: ١٩٤٢]

तश्रीह : इस मसले में सलफ़ का इख़्तिलाफ़ है; कुछ लोगों ने कहा सफ़र में अगर रोज़ा रखेगा तो उससे फ़र्ज़ रोज़ा अदा न होगा फिर क़ज़ा करना चाहिए और जुम्हूर उ़लमा जैसे इमाम मालिक और शाफ़िई और अबू ह़नीफ़ा (रह.) ये कहते हैं कि रोज़ा रखना सफ़र में अफ़ज़ल है, अगर ताक़त हो और कोई तकलीफ़ न हो। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल और औज़ाई और इस्ह़ाक़ और अहले ह़दीष ये कहते हैं कि सफ़र में रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है। कुछ ने कहा दोनों बराबर हैं रोज़ा रखे या इफ़्तार करे, कुछ ने कहा जो ज़्यादा आसान हो वही अफ़ज़ल है (वह़ीदी)। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने इस अम्र की तस़्रीह़ फ़र्माई है कि ह़म्ज़ा बिन अ़म्र (रज़ि.) ने नफ़्ल रोज़ों के बारे में नहीं बल्कि रमज़ान शरीफ़ के फ़र्ज़ रोज़ों के ही बारे में पूछा था, **फ़क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) हिय रुख़्सतुम्मिनल्लाहि फ़मन अख़ज़ बिहा फ़हसुन व मन अहब्ब अंय्यसूम फ़ला जुनाह अ़लैहि** (फ़त्हुल बारी)। यानी आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसको जवाब दिया कि ये अल्लाह की त़रफ़ से रुख़्सत है जो उसे क़ुबूल करे पस वो बेहतर है और जो रोज़ा रखना ही पसन्द करे उस पर कोई गुनाह नहीं। ह़ज़रत अ़ल्लामा (रह.) फ़र्माते हैं कि लफ़्ज़ रुख़्सत वाजिब ही के मुक़ाबले पर बोला जाता है उससे भी ज़्यादा स़राह़त के साथ अबू दाऊद और ह़ाकिम की रिवायत में मौजूद है कि उसने कहा था मैं सफ़र में रहता हूँ और माहे रमज़ान ह़ालते सफ़र ही में मेरे सामने आ जाता है इस सवाल के जवाब में ऐसा फ़र्माया जो मज़्कूर हुआ।

बाब 34 : जब रमज़ान में कुछ रोज़े रख कर कोई सफ़र करे

٣٤- بَابُ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

1944. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा ने और उन्हें इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) (फ़तहे मक्का के मौक़े पर) मक्का की त़रफ़ रमज़ान में चले तो आप (ﷺ) रोज़ा से थे लेकिन जब कुदैद पहुँचे तो रोज़ा रखना छोड़ दिया और स़ह़ाबा रिज़्वानुल्लाह अ़लैहिम अज्मईन ने भी आपको देखकर रोज़ा छोड़ दिया। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि उ़स्फ़ान और क़ुदीद के बीच कुदैद एक तालाब है।

١٩٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ)). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: وَالْكَدِيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ.

(दीगर मक़ाम : 1948, 2953, 4275)

[أطرافه في : ١٩٤٨، ٢٩٥٣، ٤٢٧٥]

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर उस रिवायत का ज़ुअ़फ़ बयान किया जो ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि जब किसी शख़्स पर रमज़ान का चाँद हालते इक़ामत में भी आ जाए तो फिर वह सफ़र में इफ़्तार नहीं कर सकता। जुम्हूर उ़लमा इसके ख़िलाफ़ है, वह कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल मुत्लक़ है, **फ़मन कान मिन्कुम मरीज़न औ अ़ला सफ़रिन फ़इद्दतुम्मिन अय्यामिन् उख़र** (अल बक़रः : 184) और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ह़दीष़ से षाबित है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने कुदैद में पहुँचकर फिर रोज़ा नहीं रखा हालाँकि आप दसवीं रमज़ान को मदीना से रवाना हुए थे अब अगर कोई शख़्स इक़ामत में रोज़ा की निय्यत कर ले फिर दिन को किसी वक़्त सफ़र में निकले तो उसको रोज़ा खोल डालना दुरुस्त है या पूरा करना चाहिए उसमें इख़्तिलाफ़ है मगर हमारे इमाम अह़मद बिन ह़ंबल और इस्हाक़ बिन राहवै रोज़ा इफ़्तार करने को दुरुस्त जानते हैं और मुज़नी ने उसके लिये इस ह़दीष़ से हुज्जत ली हालाँकि इस ह़दीष़ में उसकी कोई हुज्जत नहीं क्योंकि कुदैद मदीना से कई मंज़िल पर है (वह़ीदी)।

1945. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन ह़म्ज़ा ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन यज़ीद बिन जाबिर ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन उ़बैदुल्लाह ने बयान किया और उनसे उम्मे दर्दा (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू दर्दा (रज़ि.) ने कहा हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र कर रहे थे। दिन इंतिहाई गरम था। गर्मी का ये आ़लम था कि सख़्ती से लोग अपने सरों को पकड़ लेते थे, नबी करीम (ﷺ) और इब्ने रवाह़ा (रज़ि.) के सिवा और कोई शख़्स रोज़े से नहीं था।

١٩٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ)).

मा'लूम हुआ कि अगर शुरू सफ़र रमज़ान में कोई मुसाफ़िर रोज़ा भी रख ले और आगे चलकर उसको तकलीफ़ मा'लूम हो तो वो बिला तरद्दुद रोज़ा तर्क कर सकता है।

बाब 26 : नबी करीम (ﷺ) का फ़र्माना उस शख़्स के लिये जिस पर शिद्दते गर्मी की वजह से साया कर दिया गया था कि सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है

٢٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ : ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ))

1946. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़मान अंसारी ने बयान किया, कहा कि मैंने मुह़म्मद बिन अ़म्र बिन ह़सन बिन अ़ली (रज़ि.) से सुना और उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र (ग़ज़्व-ए-फ़तह़) में थे आप (ﷺ) ने देखा कि एक शख़्स पर लोगों ने साया

١٩٤٦- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ

فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ)).

कर रखा है, आप (ﷺ) ने पूछा कि क्या बात है? लोगों ने कहा कि एक रोज़ेदार है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सफ़र में रोज़ा रखना कुछ अच्छा काम नहीं है।

तश्रीह : इस हदीष़ से उन लोगों ने दलील ली जो सफ़र में इफ़्तार ज़रूरी समझते हैं। मुख़ालिफ़ीन ये कहते हैं कि मुराद उससे यही है जब सफ़र में रोज़े से तकलीफ़ होती हो उस सूरत में तो बिल इत्तिफ़ाक़ इफ़्तार अफ़ज़ल है।

٣٧- بَابُ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

बाब 37 : नबी करीम (ﷺ) के अस्हाब (रज़ि.) (सफ़र में) रोज़ा रखते या न रखते वो एक दूसरे पर नुक्ता– चीनी नहीं किया करते थे

١٩٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)).

1947. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने, उनसे हुमैद त़वील ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ (रमज़ान में) सफर किया करते थे। (सफ़र में बहुत से रोज़े से होते और बहुत से बेरोज़े होते) लेकिन रोज़ेदार बे रोज़ेदार पर और बेरोज़ेदार रोज़ेदार पर किसी क़िस्म की ऐबजूई नहीं किया करते थे।

बाब और हदीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है और ये भी कि सफ़र में कोई रोज़ा न रखे तो रखने वालों को इजाज़त नहीं है कि वो उस पर ज़ुबान से तानेबाज़ी करें। वो शरई रुख़्सत पर अ़मल कर रहा है। किसी को ये ह़क़ नहीं वो उसे शरई रुख़्सत से रोक सके और हर शरई रुख़्सत के लिये ये बतौरे उसूल के है।

٣٨- بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

बाब 38 : सफ़र में लोगों को दिखाकर रोज़ा इफ़्तार कर डालना

١٩٤٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ

1948. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू अ़वाना ने, उनसे मंसूर ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे त़ाउस ने और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ग़ज़्वए फ़तह में) मदीना से मक्का के लिये सफ़र शुरू किया तो आप (ﷺ) रोज़े से थे, जब आप उ़स्फ़ान पहुँचे तो पानी मंगवाया और उसे अपने हाथ से (मुँह तक) उठाया ताकि लोग देख लें फिर आप (ﷺ) ने रोज़ा छोड़ दिया यहाँ तक कि मक्का पहुँचे। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहा करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (सफ़र में) रोज़ा रखा भी और नहीं भी रखा, इसलिये जिसका जी चाहे रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे न रखे।

(राजेअ : 1944)

أفطر)). [راجع: ١٩٤٤]

ये अस्हाबे फ़त्वा व क़यादत के लिये है कि उनका अमल देखकर लोगों को मसला मा'लूम हो जाए और फिर वो भी उसके मुताबिक़ अमल करें जैसाकि आँहज़रत (ﷺ) ने अपने अमल से दिखाया। सफ़र में रोज़ा रखना न रखना ये ख़ुद मुसाफ़िर के अपने हालात पर मौक़ूफ़ है। शारेअ अलैहिस्सलाम ने दोनों अमल के लिये उसे मुख़्तार बनाया है, ताउस बिन कैसान फ़ारसी अल् अस्ल ख़ौलानी हम्दानी यमानी हैं, एक जमाअत से रिवायत करते हैं। उनसे ज़ुह्री जैसे अजिल्ला रिवायत करते हैं। इल्म व अमल में बहुत ऊँचे थे, मक्का शरीफ़ में 105 हिजरी में वफ़ात पाई। रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि व अज्मईन।

बाब 39 : सूरह बक़र: की उस आयत का बयान (वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहू) अल् आयति

٣٩- بَابٌ ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]

इब्ने उमर और सलमा बिन अक्वा ने कहा कि इस आयत को इसके बाद वाली आयत ने मन्सूख़ कर दिया जो ये है रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुर्आन नाज़िल हुआ लोगों के लिये हिदायत बनकर और राहयाबी और हक़ को बातिल से जुदा करने के रोशन दलाइल के साथ! पस जो शख़्स भी तुममें से इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे और जो कोई मरीज़ हो या मुसाफ़िर तो उसको छूटे हुए रोज़ों की गिनती बाद में पूरी करनी चाहिए, अल्लाह तआला तुम्हारे लिये आसानी चाहता है दुश्वारी नहीं चाहता और इसलिये कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तआला की उस बात पर बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम एहसान मानो, इब्ने नुमैर ने कहा कि हमसे अअमश ने बयान किया, उनसे अमर बिन मुर्रह ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी लैला ने बयान किया और उनसे आँहज़रत (ﷺ) के सहाबा (रज़ि.) ने बयान किया कि रमज़ान में (जब रोज़े का हुक्म) नाज़िल हुआ तो बहुत से लोगों पर बड़ा दुश्वार गुज़रा, चुनाँचे बहुत से लोग जो रोज़ाना एक मिस्कीन को खाना खिला सकते थे उन्होंने रोज़े छोड़ दिये हालाँकि उनमें रोज़े रखने की ताक़त थी, बात ये थी कि उन्हें उसकी इजाज़त भी दे दी गई थी कि अगर वो चाहें तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। फिर इस इजाज़त को दूसरी आयत वअन् तसूमू अल्ख़ यानी तुम्हारे लिये यही बेहतर है कि तुम रोज़ा रखो ने मन्सूख़ कर दिया और इस तरह लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म हो गया।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: نَسَخَتْهَا ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ [البقرة : ١٨٥].
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ ((نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا ﴿وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ)).

١٩٤٩- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَرَأَ ((فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ﴾ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ)).

[طرفه في : ٤٥٠٦].

1949. हमसे अयाश ने बयान किया, उनसे अब्दुल आला ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने (ऊपर वाली आयत) (फ़िद्यतुन तआमुम्मिस्कीन) पढ़ी और फ़र्माया ये मन्सूख़ हो गई है। (दीगर मक़ाम : 4506)

तश्रीह : पूरा तर्जुमा आयत का यूँ है ..और जो लोग रोज़ा की ताक़त रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखना नहीं चाहते वो एक मिस्कीन को खाना खिला दें फिर जो शख़्स ख़ुशी से ज़्यादा आदमियों को खिलाए और उसके लिये बेहतर है और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम समझो। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुर्आन उतरा जो लोगों को दीने हक़ की सच्ची राह समझाता है और उसमें खुली हिदायत की बातें और सहीह को ग़लत से जुदा करने की दलीलें मौजूद हैं, फिर ऐ मुसलमानों! तुममें से जो कोई रमज़ान का महीना पाए वो रोज़ा रखे और जो बीमार या मुसाफ़िर हो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी कर ले, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है और तुम पर सख़्ती नहीं करना चाहता और उस हुक्म की ग़र्ज़ ये है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ने जो तुमको दीन की सच्ची राह बतलाई उसके शुक्रिया में उसकी बड़ाई बयान करो और इसलिये कि तुम उसका एहसान मानो।.. शुरू इस्लाम में **वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु** (अल् बक़रः : 184) उतरा था और मक़्दूर वाले लोगों को इख़्तियार था कि वो रोज़ा रखें ख़्वाह फ़िद्या दें; फिर ये हुक्म मन्सूख़ हो गया और सहीह जिस्मे मुक़ीम पर रोज़ा रखना **फ़मन शहिद मिन्कुमुश्शहर** (अल् बक़रः : 185) से वाजिब हो गया। (वहीदी) कुछ ने कहा **व अलल्लज़ीन युतीक़ूनहु** के मा'नी ये हैं जो लोग रोज़ा की ताक़त नहीं रखते गो मुक़ीम और तन्दरुस्त हैं, मष़लन ज़ईफ़ बूढ़े लोग तो वो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए इस सूरत में ये आयत मन्सूख़ हो गई और तफ़्सील इस मसले की तफ़्सीरों में है। (वहीदी)

٤٠- بَابُ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

बाब 40 : रमज़ान के क़ज़ा रोज़े कब रखे जाएँ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة : ١٨٥].

और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि उनको मुतफ़र्रिक़ दिनों में रखने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि अल्लाह तआला का हुक्म सिर्फ़ ये है कि गिनती पूरी कर लो दूसरे दिनों में।

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

और सईद बिन मुसय्यिब ने कहा कि (ज़िलहिज्ज के) दस रोज़े उस शख़्स के लिये जिस पर रमज़ान के रोज़े वाजिब हों (और उनकी क़ज़ा अभी तक नही हो) रखने बेहतर नहीं हैं बल्कि रमज़ान की क़ज़ा पहले करनी चाहिए और इब्राहीम नख़ई ने कहा कि अगर किसी ने कोताही की (रमज़ान की क़ज़ा में) और दूसरा रमज़ान भी आ गया तो दोनों के रोज़े रखे और उस पर फ़िदया वाजिब नहीं और अबू हुरैरह (रज़ि.) से ये रिवायत मुर्सलन है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि वो (मिस्कीनों) को खाना भी खिलाए। अल्लाह ने खाना खिलाने का (क़ुर्आन में) ज़िक्र

नहीं किया है बल्कि इतना ही फ़र्माया कि दूसरे दिनों में गिनती पूरी की जाए।

أُخَرَ﴾.

1950. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने बयान किया कि मैंने आइशा (रज़ि.) से सुना वो फ़र्माती हैं कि रमज़ान का रोज़ा मुझसे छूट जाता। शाबान से पहले उसकी क़ज़ा की तौफ़ीक़ न होती। यह्या ने कहा कि ये नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में मशग़ूल रहने की वजह से था।

١٩٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)) قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ.

तश्रीह : यहाँ जो क़ौल इब्राहीम नख़्ई का ऊपर मज़्कूर हुआ है उसको सईद बिन मंसूर ने वस्ल किया मगर जुम्हूर सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन से ये मरवी है कि अगर किसी ने रमज़ान की क़ज़ा न रखी यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आ गया तो वो क़ज़ा भी रखे और हर रोज़े के बदले फ़िदया भी दे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने जुम्हूर के ख़िलाफ़ इब्राहीम नख़्ई के क़ौल पर अमल किया है और फ़िदया देना ज़रूरी नहीं रखा, इब्ने उमर (रज़ि.) से एक शाज़ रिवायत ये भी है कि अगर रमज़ान की क़ज़ा न रखे और दूसरा रमज़ान आ पहुँचा तो दूसरे रमज़ान के रोज़े रखे और पहले रमज़ान के हर रोज़े के बदले फ़िदया दे और रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, उसको अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और इब्ने मुंज़िर ने निकाला। यह्या बिन सईद ने कहा हज़रत उमर (रज़ि.) से उसके ख़िलाफ़ मरवी है और क़तादा से ये मन्क़ूल है कि जिसने रमज़ान की क़ज़ा में इफ़्तार कर डाला तो वो एक रोज़े के बदले दो रोज़े रखे। अब जुम्हूर उलमा के नज़दीक रमज़ान की क़ज़ा पे दर पे रखना ज़रूरी नहीं अलग–अलग भी रख सकता है। यानी मुतफ़र्रिक़ तौर से और इब्ने मुंज़िर ने हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया है कि पे दर पे रखना वाजिब है, कुछ अहले ज़ाहिर का भी यही क़ौल है। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि ये आयत उतरी थी। **फ़इद्दतुम्मिन अय्यामिन उख़र मुतताबिअतिन** इब्ने अबी कअब की भी क़िरअत यूँ ही है। (वहीदी) मगर अब क़िरअत मशहूरह में ये लफ़्ज़ नहीं हैं और अब उसी क़िरअत को तरजीह हासिल है।

बाब 41 : हैज़ वाली औरत न नमाज़ पढ़े और न रोज़े रखे

٤١- بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ

और अबुज़्ज़िनाद ने कहा कि दीन की बातें और शरीअत के अहकाम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि राय और क़यास के ख़िलाफ़ होते हैं और मुसलमानों को उनकी पैरवी करनी ज़रूरी होती है उन ही में से एक ये हुक्म भी है कि हायज़ा रोज़े तो क़ज़ा कर ले लेकिन नमाज़ की क़ज़ा न करे।

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيْرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ، فَلاَ يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.

यानी पाक होने पर उसको रोज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी है मगर नमाज़ की नहीं।

1951. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा हमसे

١٩٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِيْنِهَا)).

[راجع: ٣٠٤]

मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि मुझसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अयाज़ ने और उनसे अबू सईद (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया क्या जब औरत हायज़ा होती है तो नमाज़ और रोज़े नहीं छोड़ देती? यही उसके दीन का नुक़सान है।

(राजेअ : 304)

मक़सद ये है कि मे'यारे सदाक़त हमारी नाक़िस अक़्ल नहीं बल्कि फ़र्माने रिसालत (ﷺ) है। ख़्वाह वो बज़ाहिर अक़्ल के ख़िलाफ़ भी नज़र आए मगर हक़ व सदाक़त वही है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्मा दिया। उसी को मुक़द्दम रखना और अक़्ले नाक़िस को छोड़ देना ईमान का तक़ाज़ा है। अबुज़्ज़िनाद के क़ौल का भी यही मतलब है।

٤٢- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُوْنَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.

बाब 42 : अगर कोई शख़्स मर जाए और उसके ज़िम्मे रोज़े हों

और हसन बसरी (रह.) ने कहा कि अगर उसकी तरफ़ से (रमज़ान के तीस रोज़ों के बदले में) तीस आदमी एक दिन रोज़े रख लें तो जाइज़ है।

١٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ.

1952. हमसे मुहम्मद बिन ख़ालिद ने बयान किया कहा हमसे मुहम्मद बिन मूसा इब्ने अअयन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उनके वालिद ने बयान किया, उनसे अम्र बिन हारिष़ ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जा'फ़र ने, उनसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने कहा, उनसे उर्वा ने बयान किया और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स मर जाए और उसके जिम्मे रोज़े वाजिब हों तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रख ले, मूसा के साथ इस हदीष़ को इब्ने वहब ने भी अम्र से रिवायत किया और यह्या बिन अय्यूब ने भी इब्ने अबी जा'फ़र से।

तश्रीह : अहले हदीष़ का मज़हब बाब की हदीष़ पर है कि उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रखे और शाफ़िई का क़ौले क़दीम यही है, इमाम शाफ़ई से बैहक़ी ने ब सनदे सहीह रिवायत किया कि जब कोई सहीह हदीष़ मेरे क़ौल के ख़िलाफ़ मिल जाए तो उस पर अमल करो और मेरी तक़्लीद न करो, इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा (रह.) ने इस हदीषे सहीहा के बरख़िलाफ़ ये इख़्तियार किया है कि कोई किसी की तरफ़ से रोज़ा नहीं रख सकता। (वहीदी)

हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष़ देहलवी (रह.) :— मरने वाले की तरफ़ से रोज़ा रखने के बारे में फ़र्माते हैं कि उसमें दो भेद हैं एक मय्यत के ए'तिबार से क्योंकि बहुत से नुफ़ूस जो अपने अब्दान से मुफ़ारिक़त करते हैं उनको इस बात का इदराक

रहता है कि इबादात में से कोई इबादत जो उन पर फ़र्ज़ थी और उसके तर्क करने से उनसे मुआख़ज़ा किया जाएगा उससे फ़ौत हो गई है, इसलिये वो नुफ़ूस रंज व अलम की हालत में रहते हैं और इस सबब से उन पर वहशत का दरवाज़ा खुल जाता है ऐसे वक़्त मे उन पर बड़ी शफ़क़त ये है कि लोगों में से जो सबसे ज़्यादा इस मय्यित का क़रीबी है उसका—सा अमल करे और इस बात का क़स्द करे कि मैं ये अमल उसकी तरफ़ से करता हूँ उस शख़्स के क़राबती को मुफ़ीद षाबित होता है या वो शख़्स कोई और दूसरा काम मिष्ल उसी काम के करता है और ऐसा ही अगर एक शख़्स ने सदक़ा करने का इरादा किया था मगर वो बग़ैर सदक़ा किये मर गया तो उसके वारिष़ को उसकी तरफ़ से सदक़ा करना चाहिए। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा)

1953. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया, कहा हमसे मुआविया बिन अ़म्र ने बयान किया, कहा हमसे ज़ायदा ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने, उनसे मुस्लिम बत़ीन ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया है और उनके ज़िम्मे एक महीने के रोज़े बाक़ी रह गये हैं। क्या मैं उनकी तरफ़ से क़ज़ा रख सकता हूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ ज़रूर, अल्लाह तआला का क़र्ज़ इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसे अदा कर दिया जाए। सुलैमान अअ़मश ने बयान किया कि हकम और सलमा ने कहा जब मुस्लिम बत़ीन ने ये हदीष़ बयान की तो हम सब वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों हज़रात ने फ़र्माया कि हमने मुजाहिद से भी सुना था कि वो ये हदीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से बयान करते थे। अबू ख़ालिद से रिवायत है कि अअ़मश ने बयान किया उनसे हकम, मुस्लिम बत़ीन और सलमा बिन कुहैल ने, उनसे सईद बिन जुबैर, अ़ता और मुजाहिद ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कि एक ख़ातून ने नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि मेरी बहन का इंतिक़ाल हो गया है फिर यही क़िस्सा बयान किया, यह्या और सईद और अबू मुआविया ने कहा, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे मुस्लिम ने, उनसे सईद ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि एक खातून ने नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ की कि मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया है और उ़बैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे ज़ैद इब्ने अबी उनैसा ने, उनसे हकम ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि एक ख़ातून

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)). قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيْعًا جُلُوسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالاَ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ)). وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ)). وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عبّاس: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ)). وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا)).

ने नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ की कि मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया है और उन पर नज़्र का एक रोज़ा वाजिब था और अबू हरीज़ अ़ब्दुल्लाह बिन हुसैन ने बयान किया, कहा हमसे इक्रिमा ने बयान किया और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि एक ख़ातून ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया है और उन पर पन्द्रह दिन के रोज़े क़ज़ा है।

तश्रीह : इन सनदों के बयान करने से इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि इस हृदीष़ में बहुत से इख़्तिलाफ़ात हैं, कोई कहता है पूछनेवाला मर्द था, कोई कहता है औरत ने पूछा था, कोई एक महीने के कोई पन्द्रह दिन के रोज़े कहता है कोई नज़्र का रोज़ा कहता है। इसलिये नज़्र का रोज़ा इमाम अहमद और लैष़ ने मय्यित की तरफ़ से रखना दुरुस्त कहा है और रमज़ान का रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं रखा (जबकि ये क़ौल सहीह नहीं, मय्यित की तरफ़ से बाक़ी रोज़े रखने ज़रूरी हैं)। मैं कहता हूँ इन इख़्तिलाफ़ात से हृदीष़ में कोई नुक़्स नहीं आता। जब उसके रावी षिक़ह हैं मुम्किन है ये मुख़्तलिफ़ वाक़ियात हों और पूछनेवाले मुतअ़द्दिद (अनेक रहे) हों। (वहीदी)

٤٣- بَابُ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟

बाब 43 : रोज़े किस वक़्त इफ़्तार करें?

وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ حِيْنَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

और सूरज का गर्दा डूब गया तो अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने रोज़ा इफ़्तार कर लिया (इस अष़र को सईद बिन मंसूर और इब्ने अबी शैबा ने वस्ल किया है)

١٩٥٤- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

1954. हमसे हुमैदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, कहाकि मैंने अपने बाप से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि मैंने आ़सिम बिन उ़मर (रज़ि.) बिन ख़त्ताब से सुना, उनसे उनके बाप हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब रात इस तरफ़ (मश्रिक़) से आए और दिन उधर मग़्रिब में चला जाए कि सूरज डूब जाए तो रोज़ा के इफ़्तार का वक़्त आ गया।

तश्रीह : हृदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है। हज़रत सुफ़यान बिन उ़ययना जो यहाँ भी सनद में आए हैं 107 हिजरी में माहे शाबान में कूफ़ा में उनकी विलादत हुई। इमाम, आ़लिम, ज़ाहिद, परहेज़गार थे, उन पर जुम्ला मुहृद्दिष़ीन का ए'तिमाद था। जिनका मुत्तफ़क़ा क़ौल है कि अगर इमाम मालिक और सुफ़यान बिन उ़ययना न होते तो हृज्जाज का इ़ल्म नमूदार हो जाता। 198 हिजरी में यकुम रजब को मक्का मुकर्रमा में उनका इंतिक़ाल हुआ और हृिजून में दफ़न किये गये उन्होंने सत्तर हृज्ज किये थे। रहिमहुमुल्लाह अज्मईन। (आमीन)

١٩٥٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ

1955. हमसे इस्हाक़ वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे सुलैमान शैबानी ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (ग़ज़्व-ए-फ़तह जो रमज़ान में हुआ) सफ़र में थे और आँहज़रत (ﷺ) रोज़े से थे, जब सूरज गुरूब हो

गया तो आप (ﷺ) ने एक सहाबी (बिलाल रज़ि.) से फ़र्माया कि ऐ फ़लाँ! मेरे लिये उठ के सत्तू घोल, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) थोड़ी देर और ठहरते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उतरकर हमारे लिये सत्तू घोल, इस पर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) थोड़ी देर और ठहरते। आँहज़रत (ﷺ) ने फिर वही हुक्म दिया कि उतरकर हमारे लिये सत्तू घोल लेकिन उनका अब भी ख़्याल था कि अभी दिन बाक़ी है। आँहज़रत (ﷺ) ने इस बार फिर फ़र्माया कि उतरकर हमारे लिये सत्तू घोल चुनाँचे उतरे और सत्तू उन्होंने घोल दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पिया। फिर फ़र्माया कि जब तुम ये देख लो कि रात इस मश्रिक़ की तरफ़ से आ गई तो रोज़ेदार को इफ़्तार कर लेना चाहिए। (राजेअ : 1941)

الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ : ((يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ! قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)). فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). [راجع: ١٩٤١]

तश्रीह : मुख़ातब हज़रत बिलाल (रज़ि.) थे जिनका ख़्याल था कि अभी सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ है, हालाँकि वो ग़ुरूब हो चुका था। बहरहाल ख़्याल के मुताबिक़ ये कहा क्योंकि अरब मे पहाड़ों की कष़रत है और ऐसे इलाक़ों में ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद भी ऐसा ज़ाहिर होता है कि अभी सूरज बाक़ी है मगर हक़ीक़त में इफ़्तार का वक़्त हो गया था इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने उनको सत्तू घोलने के लिये हुक्म दिया और रोज़ा खोला गया। हदीष़ से ज़ाहिर हो गया कि जब भी ग़ुरूब का यक़ीन हो जाए तो रोज़ा खोल देना चाहिए ताख़ीर करना जाइज़ नहीं है जैसाकि दूसरी अहादीष़ में वारिद हुआ है। इस हदीष़ से इज़्हारे ख़्याल की भी आज़ादी ष़ाबित हुई अगरचे वो ख़्याल दुरुस्त भी न हो। मगर हर शख़्स को हक़ है कि अपना ख़्याल ज़ाहिर करे, बाद में वो ख़्याल ग़लत ष़ाबित हो तो उस पर उसका तस्लीमे हक़ करना भी ज़रूरी है।

बाब 44 : पानी वग़ैरह जो चीज़ भी पास हो उससे रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिए

٤٤- بَابُ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ

1956. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उनसे सुलैमान शैबानी ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र मे जा रहे थे, आप (ﷺ) रोज़े से थे, जब सूरज ग़ुरूब हुआ तो आपने एक शख़्स से फ़र्माया कि उतरकर हमारे लिये सत्तू घोल, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! थोड़ी देर और ठहरिये, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उतरकर हमारे लिये सत्तू घोल, उन्होंने फिर यही कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अभी तो दिन बाक़ी है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उतरकर सत्तू घोल हमारे लिये, चुनाँचे उन्होंने उतरकर सत्तू घोला। आँहज़रत (ﷺ) ने फिर फ़र्माया कि जब तुम देखो कि रात की तारीकी इधर

١٩٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ:

((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ)). [راجع: ١٩٤١]

से आ गई तो रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिए, आप (ﷺ) ने अपनी उँगली से मश्रिक़ की तरफ़ इशारा किया।

(राजेअ़ : 1941)

ह़दीष़ की मुनासबत तर्जुम–ए–बाब से यूँ है कि सत्तू पानी में घोले गए थे और उस वक़्त यही ह़ाज़िर था तो पानी वग़ैरह माह़ज़र (जो कुछ ह़ाज़िर हो उस) से रोज़ा खोलना ष़ाबित हुआ। तिर्मिज़ी ने मर्फ़ूअ़न निकाला कि खजूर से रोज़ा इफ़्तार करे अगर खजूर न मिले तो पानी से। (वह़ीदी)

ह़ज़रत मुसद्दद बिन मुस्रहिद इमाम बुख़ारी (रह.) के जलीलुल क़द्र असातिज़ा में से हैं और जामेउ़स्सह़ीह़ में उनसे ब–कष़रत रिवायात हैं। ये बस़रा के बाशिन्दे थे। ह़म्माद बिन ज़ैद और अबू अ़वाना वग़ैरह से ह़दीष़ की समाअ़त फ़र्माई। उनसे इमाम बुख़ारी (रह.) के अ़लावा और भी बहुत से मुह़द्दिष़ीन ने रिवायत की है। 228 हिजरी में इंतिक़ाल हुआ। रहिमहुमुल्लाहु तआ़ला अ़लैहिम अज्मईन (आमीन)

अल्ह़म्दु लिल्लाह पारा नम्बर 7 मुकम्मल हुआ।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

आठवां पारा

बाब 45 : रोज़ा खोलने में जल्दी करना

٤٥- بَابُ تَعْجِيْلِ الإِفْطَارِ

1957. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने, उन्हें सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक़्त तक ख़ैर बाक़ी रहेगी, जब तक वो इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे।

١٩٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)).

तश्रीह : या'नी वक़्त हो जाने के बाद फिर इफ़्तार में देर न करना चाहिए। अबू दाऊद ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से निकाला यहूद और नसारा देर करते हैं, हाकिम की रिवायत में है कि मेरी उम्मत हमेशा सुन्नत पर रहेगी जब तक रोज़े के इफ़्तार में तारे निकलने का इंतिज़ार न करेगी। इब्ने अ़ब्दुल बर ने कहा रोज़ा जल्द इफ़्तार करने और सेहरी देर में खाने की हदीषें सहीह और मुतवातिर हैं। अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) के अस्हाब (रज़ि.) सब लोगों से रोज़ा जल्दी खोलते और सेहरी खाने में लोगों से देर करते। मगर हमारे ज़माने में उ़मूमन लोग रोज़ा तो देर से खोलते हैं और सेहरी जल्दी खा लेते हैं इसी वजह से उन पर तबाही आ रही है। आँहज़रत (ﷺ) का फ़र्माना दुरुस्त था। जब से मुसलमानों ने सुन्नत पर चलना छोड़ दिया रोज़ बरोज़ (दिन-ब-दिन) उनका तनज़्ज़ुल (पतन) होता गया। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ाल इब्नु अ़ब्दिलबर्र अहादीषु तअजीलिल इफ़्तारि व ताख़ीरिस्सुहूरि सिहाहुन मुतवातिरतुन व इन्द अ़ब्दिर्रज़्ज़ाक़ व ग़ैरिही बिइस्नादिन सहीहिन अन अम्रिब्नि मैमून अल अ़ज़्दी क़ाल कान अस्हाबु मुहम्मदिन (ﷺ) अस्रउन्नासि इफ़्तारन व अब्ताहुम सुहूरन** (फ़त्हुल बारी) या'नी रोज़ा खोलने से मुता'ल्लिक़ सहीह अहादीष मुतवातिर हैं। **वत्तफ़क़ल्उलमाउ अ़ला अन्न महल्ल ज़ालिक इज़ा तहक़्क़ुक़ गुरूबिश्शम्सि बिर्रूयति औ बिइख़बारि अ़दलैनि व कज़ा अ़दलुन वाहिदुन फ़ल्अर्जहि क़ाल इब्नु दक़ीक़ अल्ईद फ़ी हाज़ल हदीषि रद्दुन अलश्शीअति फ़ी ताख़ीरिहिम इला जुहूरिन्नुजूमि** (फ़त्हुल बारी) उ़लमा का इत्तिफ़ाकहै कि रोज़ा खोलने का वक़्त वो है जब सूरज का गुरूब होना पुख़्ता तौर पर षाबित हो जाए या दो आदिल गवाह कह दें, दो न हो तो एक आदिल गवाह भी काफ़ी है। इस हदीष में शिआ़ पर रद्द है जो रोज़ा खोलने के लिये तारों के ज़ाहिर होने का इंतिज़ार करते रहते थे जो यहूद व नसारा का तरीक़ा है जिसके बारे में आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी सख़्ततरीन नाराज़गी का इज़्हार किया है।

1958. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबक्र बिन अ़याश ने बयान किया, उनसे सुलैमान शैबानी ने

١٩٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي

أوفى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ لِرَجُلٍ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: لَوِ انتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي))، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

[راجع: ١٩٤١]

और उनसे इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) ने कि मैं नबी करीम (ﷺ)) के साथ एक सफ़र में था। आप (ﷺ) रोज़े से थे, जब शाम हुई तो आप (ﷺ) ने एक शख़्स से फ़र्माया कि (ऊँट से) उतरकर मेरे लिये सत्तू घोल। उसने कहा! हुज़ूर अगर शाम होने का कुछ और इंतिज़ार करें तो बेहतर हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उतरकर मेरे लिये सत्तू घोल (वक़्त हो गया है) जब तुम ये देख लो कि रात इधर मश्रिक़ से आ गई तो रोज़ेदार के रोज़ा खोलने का वक़्त हो गया। (राजेअ: 1941)

तश्रीह : या रोज़ा खुल गया। कुछ लोगों ने इस ह़दीष़ से ये दलील ली है कि जब इफ़्तार का वक़्त आ जाए तो ख़ुद-ब-ख़ुद रोज़ा खुल जाता है गो इफ़्तार न करे। हम कहते हैं इस ह़दीष़ से उनका रद्द होता है क्योंकि अगर वक़्त आने से रोज़ा ख़ुद-ब-ख़ुद खुल जाता है तो आँह़ज़रत (ﷺ) सत्तू घोलने के लिये क्यूँ जल्दी करते। इसी त़रह़ दूसरी ह़दीष़ों में रोज़ा जल्दी खोलने की तरग़ीब क्यूँ देते और अगर वक़्त आने पर रोज़ा ख़ुद-ब-ख़ुद खुल जाता तो फिर तै के रोज़े से क्यूँ मना करते? यही ह़दीष़ पीछे इस्ह़ाक़ वास्ती की सनद से भी गुज़र चुकी है। आप (ﷺ) ने जिसको सत्तू घोलने का हुक्म दिया था वो ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) थे। जिन्होंने रोशनी देखकर ख़्याल किया कि अभी सूरज ग़ुरूब होने में कसर है। इसीलिये उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) के सामने ऐसा अ़र्ज़ किया।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **व फ़ीहि तज़्किरतुल आ़लिमि बिमा यख़्शा अंय्यकून नसियहू व तर्कुल मुराजअ़ ति लहू बअ़द ष़लाष़िन** या'नी इस ह़दीष़ में ज़िक्र किये गये वाक़िये से ये भी ष़ाबित हुआ कि किसी आ़लिम को एक आ़म आदमी तीन बार याददेहानी करा सकता है अगर ये गुमान हो कि आ़लिम से भूल हो गई है, जैसा कि ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अपने ख़्याल के मुताबिक़ आँह़ज़रत (ﷺ) को तीन बार याददेहानी कराई। मगर चूँकि ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) का ख़्याल स़ह़ीह़ न था। लिहाज़ा आख़िर में आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनको मसले की ह़क़ीक़त से आगाह कराया और उन्होंने इर्शादे गिरामी की ता'मील की, मा'लूम हुआ कि वक़्त हो जाने पर रोज़ा खोलने में पसोपेश करना क़त्अ़न मुनासिब नहीं है।

٤٦- بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

बाब 46 : एक शख़्स़ ने सूरज ग़ुरूब समझकर रोज़ा खोल लिया उसके बाद सूरज निकल आया

١٩٥٩- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ؟)) وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا ((لاَ أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ)).

1959. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे फ़ातिमा बिन्ते मुंज़िर ने और उनसे अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) ने कि एक बार नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में अब्र (बादल छाया हुआ) था। हमने जब इफ़्तार कर लिया तो सूरज निकल आया। इस पर हिशाम (रावी ह़दीष़) से कहा गया कि क्या फिर उन्हें उस रोज़े की क़ज़ा का हुक्म हुआ था? तो उन्होंने बतलाया कि क़ज़ा के सिवा और चाराकार ही क्या था? और मअ़मर ने कहा कि मैंने हिशाम से यूँ सुना मुझे मा'लूम नहीं कि उन लोगों ने क़ज़ा की थी या नहीं।

तशरीह : इस पर चारों इमामों का इत्तिफ़ाक़ है कि ऐसी सूरत में क़ज़ा लाज़िम होगी और कफ़्फ़ारा न होगा और उसके सिवा ये भी ज़रूरी है कि जब तक ग़ुरूब न हुआ इम्साक करे या'नी कुछ खाए-पीये नहीं।

क़स्तलानी ने कुछ हनाबिला से ये नक़ल किया है कि अगर कोई शख़्स ये समझकर कि रात हो गई इफ़्तार कर ले फिर मा'लूम हुआ कि दिन था तो उस पर क़ज़ा भी नहीं है। लेकिन ये क़ौल सहीह नहीं है। मैं कहता हूँ हज़रत उमर (रज़ि.) से ये मन्क़ूल है कि ऐसी सूरत में क़ज़ा भी नहीं है और मुजाहिद और हसन से भी ऐसा ही मन्क़ूल है। हाफ़िज़ ने कहा एक रिवायत इमाम अहमद (रह.) से भी ऐसी ही है। और इब्ने ख़ुज़ैमा ने उसी को इख़्तियार किया है। और मअमर की तअलीक़ को अब्द बिन हुमैद ने वस्ल किया। ये रिवायत पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है और शायद पहले हिशाम को उसमें शक हो फिर यक़ीन हो गया हो कि उन्होंने क़ज़ा की। और अबू उसामा ने उनको क़ज़ा का यक़ीन हो जाने के बाद रिवायत की हो, इस सूरत में तआरुज़ न रहेगा। इब्ने ख़ुज़ैमा ने कहा हिशाम ने जो क़ज़ा करना बयान किया उसकी सनद ज़िक्र नहीं की, इसलिये मेरे नज़दीक क़ज़ा न होने की तरजीह है और इब्ने अबी शैबा ने हज़रत उमर (रज़ि.) से नक़ल किया कि हम क़ज़ा नहीं करेंगे, न हमको गुनाह हुआ और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और सईद बिन मंसूर ने उनसे नक़ल किया है कि क़ज़ा करना चाहिए। हाफ़िज़ ने कहा, इस कलाम से हासिल ये हुआ कि ये मसला इख़्तिलाफ़ी है (वहीदी)। जाहिर हदीष का मफ़्हूम यही है कि क़ज़ा लाज़िम है, वल्लाहु आलम।

बाब 47 : बच्चों के रोज़ा रखने का बयान

٤٧- بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ

जुम्हूर उलमा का ये क़ौल है कि जब तक बच्चा जवान न हो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं लेकिन एक जमाअते सलफ़ ने उनको आदत डालने के लिये ये हुक्म दिया कि बच्चों को रोज़ा रखवाएँ जैसे नमाज़ पढ़ने के लिये उनको हुक्म दिया जाता है। शाफ़िई ने कहा सात से लेकर दस बरस तक जब उम्र हो तो उनसे रोज़ा रखवाएँ। और इस्हाक़ ने कहा जब बारह बरस के हों, इमाम अहमद ने कहा जब दस बरस के हों। औज़ाई ने कहा जब बच्चा तीन रोज़े मुतवातिर रख सके और उसको ज़ुअफ़ (कमज़ोरी) न हो तो उसको रोज़ा रखवाएँ और मालिकिया का मशहूर मज़हब ये है कि बच्चों के हक़ में रोज़ा मशरूअ नहीं है। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **अन्नस्सहीह इन्द अहलिल हदीषि व अहलिल उसूलि अन्नस्सहाबी इज़ा क़ाल फ़अल्ना कज़ा फ़ी अहदि रसूलिल्लाहि (ﷺ)** जब कोई सहाबी लफ़्ज़े **फ़अलना फ़ी अहद अल्ख़** बोले तो वो मर्फ़ूअ हदीष के हुक्म में हैं।

और हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक नशेबाज़ से फ़र्माया था, अफ़सोस तुझ पर, तूने रमज़ान में भी शराब पी रखी है। हालाँकि हमारे बच्चे तक भी रोज़े से हैं, फिर आपने उस पर हद क़ायम की।

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ. فَضَرَبَهُ.

1960. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने बयान किया, उनसे ख़ालिद बिन ज़क्वान ने बयान किया, उनसे रबीअ बिन्ते मुअव्विज़ (रज़ि.) ने कहा कि आशूरा की सुबह को आँहज़रत (ﷺ) ने अंसार के महल्लों में कहला भेजा कि सुबह जिसने खा पी लिया हो वो दिन का बाक़ी हिस्सा (रोज़ेदार की तरह) पूरे करे और जिसने कुछ खाया पिया न हो वो रोज़े से रहे। रबीअ ने कहा कि फिर बाद में भी (रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद) हम उस दिन रोज़ा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते

١٩٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ

الْعِهْنِ. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ)).

थे। उन्हें हम ऊन का एक खिलौना देकर बहलाए रखते। जब कोई खाना खाने के लिये रोता तो वही दे देते, यहाँ तक कि इफ़्तार का वक़्त आ जाता।

तश्रीह : उस नशेबाज़ ने रमज़ान में भी शराब पी रखी थी, हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये मा'लूम करके फ़र्माया कि अरे कमबख़्त! तू ने ये क्या हरकत की हमारे तो बच्चे भी रोज़ेदार हैं। फिर आप (ﷺ) ने उसको अस्सी कोड़े मारे और शाम के मुल्क में जलावतन (तड़ीपार) कर दिया। उसको सईद बिन मंसूर और बग़वी ने जअदियात में निकाला है। इस वाक़िये को नक़ल करने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद सिर्फ़ बच्चों को रोज़ा रखने की मशरूइय्यत बयान करना है। जिसका ज़िक्र हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया था। पस मुनासिब है कि बच्चों को भी रोज़े की आदत डलवाई जाए। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व फ़िल हदीषि हुज्जतुन अला मश्रूइय्यति तम्रीनिस्सिब्यानि अलस्सियामि कमा तक़द्दम लिअन्न कान फ़ी मिष्लिस्सिन्निल्लज़ी ज़ुकिर फ़ी हाज़ल हदीषि फ़ हुव ग़ैर मुकल्लफ़िन** या'नी इस हदीष में दलील है इस बात पर कि बतौरे मश्क़ बच्चों से रोज़ा रखवाना मशरूअ है। अगरचे इस उम्र में वो शरअ के मुकल्लफ़ (पाबन्द) नहीं हैं।

٤٨- بَابُ الْوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ،

बाब 48 : पे दर पे रोज़ा रखना और जिन्होंने ये कहा कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ.

(अबुल आलिया) ताबेई से ऐसा मन्क़ूल है उन्होंने कहा अल्लाह ने फ़र्माया रोज़ा रात तक पूरा करो (जब रात आई तो रोज़ा खुल गया। ये इब्ने शैबा ने निकाला) क्योंकि अल्लाह तआला ने (सूरह बक़रः में) फ़र्माया फिर तुम रोज़ा रात तक पूरा करो नबी करीम (ﷺ) ने स़ौमे विसाल से (बहुक्मे इलाही) मना फ़र्माया, उम्मत पर रहमत और शफ़क़त के ख़याल से ताकि उनकी ताक़त क़ायम रहे। और ये कि इबादत में सख़्ती करना मकरूह है।

इस हदीष को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने आख़िर बाब में हज़रत आइशा (रज़ि.) से वस्ल किया और अबू दाऊद (रज़ि.) से निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने हजामत और विसाल से मना किया। अपने अस्हाब की ताक़त बाक़ी रखने के लिये, तै का रोज़ा रखना मना है मगर सेहर तक विसाल जाइज़ है। जैसे दूसरी हदीष में वारिद है। अब इख़्तिलाफ़ है कि ये मुमानअत तहरीमी है या कराहत के तौर पर। कुछ ने कहा जबर शाक़ हो तो उस पर तो हराम है और जिस पर शाक़ न हो उसके लिये जाइज़ है। (वहीदी)

١٩٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تُوَاصِلُوا، قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى. أَوْ إِنِّي أَبِيْتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى)).
[طرفه في : ٧٢٤١].

1961. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि मुझसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, कहा कि मुझसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (बिला सेहर व इफ़्तार) पे दर पे रोज़े न रखा करो। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि आप (ﷺ) तो विसाल करते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे (अल्लाह तआला की तरफ़ से) खिलाया और पिलाया जाता है या (आप ﷺ ने ये फ़र्माया) मैं इस तरह रात गुज़ारता हूँ कि मुझे खिलाया और पिलाया जाता रहता है। (दीगर मक़ाम : 7241)

1962. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सौमे विसाल से मना किया। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि आप (ﷺ) तो विसाल करते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे खिलाया और पिलाया जाता है। (राजेअ़ : 1922)

١٩٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)). [راجع: ١٩٢٢]

1963. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन हाद ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन ख़ब्बाब ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया मुसलसल (बिला सेहरी व इफ़्तारी) रोज़े न रखो, हाँ अगर कोई ऐसा करना ही चाहे तो वो सेहरी के वक़्त तक ऐसा कर सकता है। सहाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) तो ऐसा करते हैं ? इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तो रात इस तरह गुज़ारता हूँ कि एक खिलाने वाला मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला मुझे पिलाता है। (दीगर मक़ाम : 1967)

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ))، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيْنِ)). [طرفه في: ١٩٦٧].

तश्रीह : इब्ने अबी हातिम ने सनदे सहीह के साथ बशीर बिन ख़सासिया की औरत से नक़ल किया कि मैंने इरादा किया था कि दो दिन–रात का मुतवातिर रोज़ा रखूँ मगर मेरे शौहर ने मुझको ऐसा करने से मना कर दिया और ये हदीष़ सुनाई कि रसूले करीम (ﷺ) ने इससे मना किया और उसको फ़ेअ़ले नसारा (ईसाइयों जैसा काम) बतलाया और फ़र्माया कि उसी तरह रोज़ा रखो जिस तरह तुमको अल्लाह ने उसके लिये हुक्म दिया है। रात आने तक रोज़ा रखो, रात होने पर फ़ौरन रोज़ा इफ़्तार कर लो।

अहादीष़ में आँहज़रत (ﷺ) के सौमे विसाल का ज़िक्र है ये आप (ﷺ) की ख़ुसूसियात में से है। उसी तत्बीक़ को तरजीह हासिल है। अल्लाह पाक मुझे खिलाता–पिलाता है उससे रूहानी खाना व पीना मुराद है। तफ़्सीले मज़ीद के लिये अहले इल्म फ़त्हुल बारी का ये मक़ाम मुलाहिज़ा फ़र्माएँ।

1964. हमसे उ़ष़्मान बिन अबी शैबा और मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दह ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उ़र्वा ने, उन्हें उनके बाप ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पे दर पे रोज़ा से मना किया था, उम्मत पर रहमत और शफ़क़त के ख़्याल से, सहाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि आप (ﷺ) तो विसाल करते हैं ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है। उ़ष़्मान ने (अपनी रिवायत में) उम्मत पर रहमत व शफ़क़त के ख़्याल से

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي

وَيَسْقِيْنِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ ((رَحْمَةً لَهُمْ)).

के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये हैं।

तश्रीह : इससे उन लोगों ने दलील ली है जो तै का रोज़ा रखना हराम नहीं कहते बल्कि कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत पर शफ़क़त के ख़्याल से उससे मना किया जैसे क़यामुल लैल में आप चौथी रात को इस डर से हाज़िर न हुए कि कहीं ये फ़र्ज़ न हो जाए। और इब्ने अबी शैबा ने सहीह सनदों से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से निकाला कि वो पन्द्रह पन्द्रह दिन तक तै रोज़े रखते। और ख़ुद आँहज़रत (ﷺ)) ने अपने अस्हाब के साथ तै रोज़े रखे। अगर हराम होते तो आप (ﷺ) अपने अस्हाब (रज़ि.) को कभी न रखने देते। (वहीदी)

बाब 49 : जो तै के रोज़े बहुत रखे उसको सज़ा देने का बयान

٤٩- بَابُ التَّنْكِيْلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ. رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

इसको हज़रत अनस (रज़ि.) ने जनाबे नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

١٩٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ)). فَلَمَّا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: ((لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ)). كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا.

[أطرافه في : ١٩٦٦، ٦٨٥١، ٧٢٤٢].

1965. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐब ने ख़बर दी, उनसे ज़ुह्री ने बयान किया कि मुझसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलसल (कई दिन तक सेह्री व इफ़्तारी के बग़ैर) रोज़ा रखने से मना किया था। इस पर एक आदमी ने मुसलमानों में से अ़र्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप तो विसाल करते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी तरह तुममें से कौन है? मुझे तो रात में मेरा रब खिलाता है और वही मुझे सैराब करता है। लोग इस पर भी जब सौमे विसाल रखने से न रुके तो आप (ﷺ) ने उनके साथ दो दिन तक विसाल किया। फिर ईद का चाँद निकल आया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर ईद का चाँद न दिखाई देता तो मैं और कई दिन विसाल करता। गोया जब सौमे विसाल से वो लोग न रुके तो आपने उनको सज़ा देने के लिये ये कहा। (दीगर मक़ाम : 1966, 6851, 7242)

तश्रीह : कुछ रिवायतों में यूँ है मैं तो बराबर अपने मालिक के पास रहता हूँ वो मुझको खिलाता और पिलाता है। ये खिला पिला देना रोज़ा नहीं तोड़ता क्योंकि ये बहिश्त का तआम और शराब है, उसका हुक्म दुनिया के तआम और शराब का नहीं जैसे एक हदीष में है सोने का तश्त लाया गया और मेरा सीना धोया गया। हालाँकि दुनिया में सोने–चाँदी के बर्तनों का इस्ते'माल हराम है क़त्ओ नज़र उसके सहीह रिवायत यही है कि मैं रात को अपने मालिक के पास रहता हूँ वो मुझको खिला पिला देता है। (वहीदी)

हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **अय अला सिफ़तिकुम फ़ी अन्न मन अकल मिन्कुम औ शरिब इन्क़तअ विसालुहू बल इन्नमा युत्इमुनी रब्बी व यस्क़ीनी व ला तन्क़तिउ बिज़ालिक मवासलती फ़तआमी व शराबी अला ग़ैरि**

तुआमिकुम व शराबिकुम सूरतन व मअनन या'नी तुममे से कोई रोज़े मैं खा पी ले तो उसका विसाल रोज़ा टूट गया। और मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है और उससे मेरा विसाल नहीं टूटता। मेरा तुआम व शराब (खाना–पीना) बातिन के लिहाज़ से तुम्हारे तुआम व शराब से बिलकुल अलग है।

1966. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उनसे मअमर ने, उनसे हम्माम ने और उन्हों ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने दोबारा फ़र्माया, तुम लोग विसाल से बचो! अर्ज़ किया गया आप तो विसाल करते हैं? इस पर आपने फ़र्माया कि रात में मुझे मेरा रब खिलाता और वही मुझे पिलाता है। पस तुम उतनी ही मुशक़्क़त उठाओ जितनी तुम ताक़त रखते हो। (राजेअ : 1965)

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ)) مَرَّتَيْنِ. قِيْلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: ((إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ)).

[راجع: ١٩٦٥]

बाब 50 : सेहरी तक विसाल का रोज़ा रखना

٥٠- بَابُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

दरहक़ीक़त ये तै का रोज़ा नहीं मगर मिजाज़न इसको विसाल या'नी तै का रोज़ा कहते हैं क्योंकि तै का रोज़ा ये है कि दिन की तरह सारी रात न कुछ खाए न कुछ पीये। बाब के ज़ेल में हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं, **अय जवाज़ुहू व क़द तक़द्दम अन्नहू क़ौलु अहमद व ताइफ़तिम्मिन अस्हाबिल हदीषि व तक़द्दम तौजीहुहू व अन्न मिनश्शाफ़िइय्यति मन क़ाल अन्नहू लैस बिविसालिन हक़ीक़तिन** इबारत का मफ़्हूम ऊपर बयान किया जा चुका है।

1967. हमसे इब्राहीम बिन हम्ज़ा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ इब्ने अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन हाद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन ख़ब्बाब ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि आप फ़र्मा रहे थे, सौमे विसाल न रखो। और अगर किसी का इरादा ही विसाल का हो तो सेहरी के वक़्त तक विसाल कर ले। सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप तो विसाल करते हैं। आपने फ़र्माया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। रात के वक़्त एक मुझे खिलाने वाला मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला मुझे पिलाता है। (राजेअ : 1963)

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ))، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيْنِ)).

[راجع: ١٩٦٣]

बाब 51 : किसी ने अपने भाई को नफ़्ली रोज़ा तोड़ने के लिये क़सम दी और उसने रोज़ा तोड़ दिया तो तोड़ने वाले पर क़ज़ा वाजिब नहीं है जबकि रोज़ा न रखना उसको मुनासिब हो

٥١- بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيْهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

इससे ये निकलता है कि अगर बिला वजह नफ़्ल रोज़ा क़स्दन तोड़ डाले तो उस पर क़ज़ा लाज़िम होगी। इस मसले में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। शाफ़िइया कहते हैं अगर नफ़्ल रोज़ा तोड़ डाले तो उसकी क़ज़ा मुस्तहब है उज़्र से तोड़े या बिना उज़्र के।

हनाबिला और जुम्हूर भी उसी के क़ाइल हैं । हनफ़िया के नज़दीक हर हाल में क़ज़ा वाजिब है और मालिकिया कहते हैं कि जब अ़मदन (जान–बूझकर) बिला उ़ज्र तोड़ डाले तो क़ज़ा लाज़िम होगी। इमाम बुख़ारी (रह.) का मसलक ज़ाहिर है और उसी को तरजीह हासिल है।

١٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)).

[أطرافه في : ٦١٣٩].

1968. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे जा'फ़र बिन औ़न ने बयान किया, उनसे अबुल उ़मैस उ़त्बा बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे औ़न बिन अबी जुहैफ़ा ने और उनसे उनके वालिद (वहब बिन अ़ब्दुल्लाह रजि) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलमान और अबू दर्दा (रज़ि.) में (हिज्रत के बाद) भाईचारा कराया था। एक बार सलमान (रज़ि.) अबू दर्दा (रज़ि.) से मुलाक़ात करने के लिये गए। तो (उनकी औ़रत) उम्मे दर्दा (रज़ि.) को बहुत फटे–पुराने हाल में देखा। उनसे पूछा कि ये हालत क्यूँ बना रखी है? उम्मे दर्दा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि तुम्हारे भाई अबू दर्दा (रज़ि.) हैं जिनको दुनिया की कोई हाजत ही नहीं है। फिर अबू दर्दा (रज़ि.) आ गये और उनके सामने खाना हाज़िर किया और कहा कि खाना खाओ, उन्होंने कहा कि मैं तो रोज़े से हूँ, उस पर हज़रत सलमान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं भी उस वक़्त तक खाना नहीं खाऊँगा जब तक तुम ख़ुद भी शरीक न होओगे। रावी ने बयान किया कि फिर वो खाने में शरीक हो गए। (और रोज़ा तोड़ दिया) रात हुई तो अबू दर्दा (रज़ि.) इबादत के लिये उठे और इस बार भी सलमान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अभी सो जाओ। फिर जब रात का आख़िरी हिस्सा हुआ तो सलमान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अच्छा अब उठ जाओ। चुनाँचे दोनों ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद सलमान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम्हारे रब का भी तुम पर हक़ है। जान का भी तुम पर हक़ है। और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है। इसलिये हर हक़ वाले के हक़ को अदा करना चाहिए। फिर आप नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (ﷺ) से इसका तज़्किरा किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सलमान (रज़ि.) ने सच कहा। (दीगर मक़ाम : 6139)

तश्रीह : इबादते इलाही के बारे में कुछ ग़लत तसव्वुरात अदयाने आ़लम में पहले ही से पाए जाते रहे हैं। उन ही ग़लत तसव्वुरात की इस्लाह के लिये पैग़म्बरे आ़ज़म (ﷺ) तशरीफ़ लाए। इब्तिदाए इस्लाम में कुछ सहाबा भी ऐसे तसव्वुरात रखते थे। जिनमें से एक हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) भी थे कि नफ़्सकशी (आत्म-संयम) इस तरीक़े से करते कि जाइज़ हाजात भी छोड़ दी। यहाँ तक कि रात को आराम करना भी छोड़ देने और दिन में हमेशा रोज़े से रहने ही को इबादत समझा और इन्हीं को अल्लाह की रज़ामन्दी का ज़रिया माना। हज़रत सलमान (रज़ि.) ने उनके इस तसव्वुर की अ़मलन इस्लाह की और बतलाया कि हर साहिबे हक़ का हक़ अदा करना ये भी इबादते इलाही में दाख़िल है। बीवी के हुक़ूक़ अदा करना जिसमें

उससे जिमाअ़ करना भी दाख़िल है। और रात में आराम करना और दिन में मुतवातिर (लगातार) नफ़्ल रोज़ों की जगह खाना–पीना ये सब उमूर दाख़िले इबादत हैं। इन हर दो बुज़ुर्ग सहाबियों का जब ये वाक़िया नबी करीम (ﷺ) तक पहुँचा तो आपने हज़रत सलमान (रज़ि.) की ताईद फ़र्माई और बतलाया कि इबादते इलाही का हक़ीक़ी तसव्वुर यही है कि हुक़ूक़ुल्लाह के साथ साथ हुक़ूक़ुल इबाद बल्कि हुक़ूक़े नफ़्स भी अदा किये जाएँ।

बाब 52 : माहे शाबान में रोज़े रखने का बयान

٥٢- بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

١٩٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ)).

[طرفاه في : ١٩٧٠، ٦٤٦٥].

1969. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अबुन नज़ ने, उन्हें अबू सलमा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नफ़्ल रोज़ा रखने लगते तो हम (आपस में) कहते कि अब आप (ﷺ) रोज़ा रखना छोड़ेंगे ही नहीं। और जब रोज़ा छोड़ देते तो हम कहते कि अब आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। मैंने रमज़ान को छोड़कर रसूलुल्लाह (ﷺ) को कभी पूरे महीने का नफ़्ली रोज़ा रखते नहीं देखता और जितने रोज़े आप शाबान में रखते मैंने किसी महीने में उससे ज़्यादा रोज़े रखते आपको नहीं देखा। (दीगर मक़ाम : 1970, 6465)

शाबान की वजहे तस्मिया हाफ़िज़ साहब के लफ़्ज़ों में ये है, **लितशउब्बिहिम फ़ी तलबिल मियाहि औ फ़िल गाराति बअ़द अंय्यख़रुज शहरु रजबुल हराम** (फ़त्ह) या'नी अहले अ़रब इस महीने में पानी की तलाश में मुतफ़र्रिक़ हो जाया करते थे। या माहे रजब के ख़ातिमे पर जिसमें अहले अ़रब क़त्ल व ग़ारत वग़ैरह से बिलकुल रुक जाया करते थे, इस माह में वो ऐसे मौक़ों की फिर तलाश करते। इसीलिये इस माह को उन्होंने शाबान से मौसूम किया)

١٩٧٠- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: ((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ((خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)). وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. [راجع: ١٩٦٩]

1970. हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ुज़ाला ने बयान किया, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे यह्या ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शाबान से ज़्यादा और किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे, शाबान के पूरे दिनों में आप (ﷺ) रोज़े से रहते। आप (ﷺ) फ़र्माया करते थे कि अ़मल वही इख़्तियार करो जिसकी तुममें ताक़त हो क्योंकि अल्लाह तआ़ला (सवाब देने से) नहीं थकता। तुम ख़ुद ही उकता जाओगे। नबी करीम (ﷺ) उस नमाज़ को सबसे ज़्यादा पसन्द करते थे जिस पर हमेशगी इख़्तियार की जाए ख़्वाह कम ही क्यों न हो। चुनाँचे आँहज़रत (ﷺ) जब कोई नमाज़ शुरू करते तो उसे हमेशा पढ़ते थे। (राजेअ़ : 1969)

तशरीह : अगरचे और महीनों में भी आप नफ़्ल रोज़े रखा करते थे मगर शाबान में ज़्यादा रोज़े रखते क्योंकि शाबान में बन्दों के आमाल अल्लाह की तरफ़ उठाए जाते हैं। निसाई की रिवायत में ये मज़्मून मौजूद है। (वहीदी) वल्लाहु आलम।

बाब 53 : नबी करीम (ﷺ) के रोज़े रखने और न रखने का बयान

٥٣- بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِفْطَارِهِ

1971. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे अबू बिश्र ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रमज़ान के सिवा नबी करीम (ﷺ) ने कभी पूरे महीने के रोज़े नहीं रखे। आप (ﷺ) नफ़्ल रोज़ा रखने लगते तो देखने वाला कह उठता कि अल्लाह की क़सम! अब आप बे रोज़ा नहीं रहेंगे। और उसी तरह जब नफ़्ल रोज़ा छोड़ देते तो कहने वाला कहता कि वल्लाह! अब आप (ﷺ) रोज़ा नहीं रखेंगे।

١٩٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ يَصُومُ)).

1972. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे हुमैद तवील ने और उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना। आपने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी महीने में बे रोज़ा के रहते तो हमें ख़्याल होता कि इस महीने में आप रोज़ा नहीं रखेंगे। इसी तरह किसी महीने में नफ़्ल रोज़े रखने लगते तो हम ख़्याल करते कि अब इस महीने का एक दिन भी बेरोज़े के नहीं गुज़रेगा। जो जब भी चाहता आँहज़रत (ﷺ) को रात में नमाज़ पढ़ते देख सकता था और जब भी चाहता सोता हुआ भी देख सकता था। सुलैमान ने हुमैद तवील से यूँ बयान किया कि उन्होंने अनस (रज़ि.) से रोज़े के बारे में पूछा था।

١٩٧٢- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا. وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ)). وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ.

1973. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको अबू ख़ालिद अहमर ने ख़बर दी, कहा कि हमको हुमैद ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अनस (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) के रोज़ों के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि जब भी मेरा दिल करता कि आपको रोज़े से देखूँ तो मैं आपको रोज़े से ही देखता। और बग़ैर रोज़े के चाहता तो बग़ैर रोज़े से ही देखता। रात में खड़े (नमाज़ पढ़ते) देखना चाहता तो उसी तरह नमाज़ पढ़ते देखता

١٩٧٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ،

وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَرِيْرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيْرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

[راجع: ١١٤١]

और सोते हुए देखना चाहता तो उसी तरह देखता। मैंने नबी करीम (ﷺ) के मुबारक हाथों से ज़्यादा नरम व नाज़ुक रेशम के कपड़ों को भी नहीं देखा। और न मुश्क व अ़बीर को आपकी ख़ुश्बू से ज़्यादा ख़ुश्बूदार पाया।

(राजेअ़ : 1141)

मत़लब ये है कि आप (ﷺ) कभी अव्वले रात में इ़बादत करते, कभी बीच रात में, कभी आख़िर रात में। उसी त़रह आप (ﷺ) का आराम फ़र्माना भी मुख़्तलिफ़ वक़्तों में होता रहता। इसी त़रह आप (ﷺ) का नफ़्ल रोज़ा भी था। शुरू और बीच और आख़िर महीने में हर दिनों में रखते। तो हर शख़्स़ जो आपको रोज़ेदार या रात को इ़बादत करते या सोते देखना चाहता बिला वक़्त देख लेता। ये सब कुछ उम्मत की ता'लीम के लिये था ताकि मुसलमान हर ह़ाल में अपने अल्लाह पाक को याद रखें और हुक़ूक़ुल्लाह और हुक़ूक़ुल इ़बाद दोनों की अदायगी को अपने लिये लाज़िम क़रार दे लें।

बाब 54 : मेहमान की ख़ात़िर से नफ़्ल रोज़ा न रखना या तोड़ डालना

٥٤- بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

١٩٧٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، يَعْنِي: ((إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)). فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: ((نِصْفُ الدَّهْرِ)). [راجع: ١١٣١]

1974. हमसे इस्ह़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमको हारून बिन इस्माईल ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अ़ली ने बयान किया, उनसे यह़्या ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) ने बयान किया, आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर उन्होंने पूरी ह़दीष़ बयान की, या'नी तुम्हारे मुलाक़ातियों का भी तुम पर ह़क़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर ह़क़ है। इस पर मैंने पूछा, और दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा कैसा था? तो आपने फ़र्माया कि एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन बेरोज़ा रहना स़ौमे दाऊदी है। (राजेअ़ : 1131)

मा'लूम हुआ कि नफ़्ल रोज़ा से ज़्यादा मूजिबे ष़वाब ये अम्र है कि मेहमान के साथ खाए–पिये, उसकी तवाज़ो करने के ख़्याल से ख़ुद नफ़्ल रोज़ा तर्क कर दे कि मेहमान का एक ख़ुस़ूसी ह़क़ है। दूसरी ह़दीष़ में फ़र्माया कि जो शख़्स़ अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान रखता हो उसका ये फ़र्ज़ है कि अपने मेहमान का इकराम करे।

बाब 55 : रोज़े में जिस्म का ह़क़

١٩٧٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي

1975. हमसे इब्ने मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमको औज़ाई ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: ((فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ)). قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: ((نِصْفَ الدَّهْرِ)). فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ)). [راجع: ١١٣١]

आस़ (रज़ि.) ने बयान किया, कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अ़ब्दुल्लाह! क्या ये ख़बर स़हीह है कि तुम दिन में रोज़ा रखते हो और सारी रात नमाज़ पढ़ते हो? मैंने कहा कि स़हीह है या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने फ़र्माया कि ऐसा न कर, रोज़ा भी रख और बे रोज़ा के भी रह। नमाज़ भी पढ़ और सोओ भी क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर ह़क़ है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर ह़क़ है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर ह़क़ है और तुमसे मुलाक़ात करनेवालों का भी तुम पर ह़क़ है। बस यही काफ़ी है कि हर महीने में तीन दिन रोज़ा रख लिया करो, क्योंकि हर नेकी का बदला दस गुना मिलेगा और इस त़रह ये सारी उ़म्र का रोज़ा हो जाएगा लेकिन मैंने अपने पर सख़्ती चाही तो मुझ पर सख़्ती कर दी गई। मैंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने में कुव्वत पाता हूँ। इस पर आपने फ़र्माया कि फिर अल्लाह के नबी दाऊद अ़लैहिस्सलाम की त़रह रोज़ा रख और उससे आगे न बढ़। मैंने पूछा अल्लाह के नबी दाऊद अ़लैहिस्सलाम का रोज़ा क्या था? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन बे रोज़ा रहा करते थे। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बाद में ज़ईफ़ हो गए तो कहा करते थे, काश! मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की दी हुई रुख़्स़त मान लेता।

(राजेअ़ : 1131)

तशरीह : इस ह़दीष़ में पिछले मज़्मून की मज़ीद वज़ाहत है। फिर उन लोगों के लिये जो इ़बादत में ज़्यादा से ज़्यादा इंहिमाक के ख़्वाहिशमन्द हों उनके लिये दाऊद अ़लैहिस्सलाम के रोज़े को बत़ौरे मिष़ाल बयान किया और तर्ग़ीब दिलाई कि ऐसे लोगों के लिये मुनासिब है कि स़ौमे दाऊदी की इक़्तिदा करें और उस म्यानारवी (बीच के रास्ते) से ष़वाबे इ़बादत ह़ास़िल करें।

बाब 56 : हमेशा रोज़ा रखना (जिसको स़ौमुद्दहर कहते हैं) ٥٦- بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

शाफ़िया के नज़दीक ये मुस्तह़ब है। एक ह़दीष़ में है जिसने हमेशा रोज़ा रखा उस पर दोज़ख़ तंग हो जाएगी या'नी वो उसमें जा ही नहीं सकता। उसको इमाम अह़मद और निसाई और इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने ह़िब्बान और बैहक़ी ने निकाला। कुछ ने हमेशा रोज़ा रखना मकरूह जाना है क्योंकि ऐसा करने से नफ़्स आ़दी हो जाता है और रोज़े की तकलीफ़ बाक़ी नहीं रहती। कुछ उ़लमा ने ह़दीष़े मज़्कूर को वई़द के या'नी में समझा है कि हमेशा रोज़ा रखने वाला दोज़ख़ी होगा। फ़त्हुल बारी में एक ऐसे शख़्स़ का ज़िक्र भी है जो हमेशा रोज़ा रखता था। देखने वालों ने कहा कि अगर अस़्ह़ाबे मुह़म्मद (ﷺ) का ज़माना होता और वो उसे देखते तो उसे संगसार कर देते क्योंकि उसने स़राह़तन फ़र्माने नबवी (ﷺ) की मुख़ालफ़त की है।

١٩٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

1976. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको

शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तक मेरी ये बात पहुँचाई गई कि अल्लाह की क़सम! ज़िन्दगी भर में दिन में तो रोज़े रखूँगा और सारी रात इबादत करूँगा। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि, मेरे माँ–बाप क़ुर्बान हो आप (ﷺ) पर, हाँ, मैंने ये कहा है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया लेकिन तेरे अंदर उसकी त़ाक़त नहीं, इसलिये रोज़ा भी रख और बेरोज़ा भी रह। इबादत भी कर लेकिन सोओ भी और महीने में तीन दिन के रोज़े रखा कर। नेकियों का बदला दस गुना मिलता है। इस त़रह ये सारी उ़म्र का रोज़ा हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा त़ाक़त रखता हूँ, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर एक दिन रोज़ा रखाकर और दो दिन के लिये रोज़े छोड़ दिया कर। मैंने फिर कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा त़ाक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा एक दिन रोज़ा रख और एक दिन बे रोज़े के रह कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम का रोज़ा ऐसा ही था और रोज़े का ये सबसे अफ़ज़ल त़रीक़ा है। मैंने अब भी वही कहा कि मुझे उससे भी ज़्यादा त़ाक़त है लेकिन इस बार आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उससे अफ़ज़ल कोई रोज़ा नहीं है।

(राजेअ़ : 1131)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ، قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: ((فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ)) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ)). قُلْتُ إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوماً، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ)). فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ١١٣١]

बाब 57 : रोज़े में बीवी और बाल–बच्चों का ह़क़, उसको अबू जुहैफ़ा वहब बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है

٥٧- بَابُ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ، رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

1977. हमसे अ़म्र बिन अ़ली ने बयान किया, कहा कि हमको अबू आ़सिम ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने जुरैज ने, उन्होंने अ़ता से सुना, उन्हें अबू अ़ब्बास शायर ने ख़बर दी, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) को मा'लूम हुआ कि मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ और सारी रात इबादत करता हूँ। अब या आँहुज़ूर (ﷺ) ने किसी को मेरे पास भेजा या ख़ुद मैंने आपसे मुलाक़ात की। आपने पूछा क्या ये ख़बर सह़ीह़ है कि तू लगातार रोज़े रखता है और एक भी नहीं छोड़ता। और (रात भर) नमाज़

١٩٧٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ: ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ

تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلاَ تَنَامُ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا)). قَالَ : إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ)) قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: ((كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى)). قَالَ : مَنْ لِي بِهَذِهِ، يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ مَرَّتَيْنِ)). [راجع: ١١٣١]

पढ़ता रहता है? रोज़ा भी रख और बेरोज़े के भी रह, इबादत भी कर और सोओ भी क्यों कि तेरी आँख का भी तुझ पर हक़ है, तेरी जान का भी तुझ पर हक़ है। और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा कि मुझमें उससे ज़्यादा की ताक़त है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर दाऊद अ़लैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रखा करो। उन्होंने कहा और वो किस तरह? फ़र्माया कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन का रोज़ा छोड़ दिया करते थे। जब दुश्मन से मुक़ाबला होता तो पीठ नहीं फेरते थे। इस पर अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मेरे लिये कैसे मुम्किन है कि मैं पीठ फेर जाऊँ। अ़ता ने कहा कि मुझे याद नहीं (इस ह़दीष़ में) स़ौमुद्दहर का किस तरह ज़िक्र हुआ। (अल्बत्ता उन्हें इतना याद था कि) आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जो सौमुद्दहर रखता है उसका रोज़ा ही नहीं, दो बार (आप (ﷺ) ने यही फ़र्माया)।

तशरीह : इससे उन लोगों ने दलील ली है जिन्होंने सदा रोज़ा रखना मकरूह जाना है। इब्ने अ़रबी ने कहा जब आँह़ज़रत (ﷺ) ने सदा रोज़ा रखने वाले की निस्बत ये फ़र्माया कि उसने रोज़ा नहीं रखा तो अब उसको ष़वाब की क्या तवक़्क़ुअ़ है। कुछ ने कहा इस ह़दीष़ में सदा रोज़ा रखने से ये मुराद है कि ईदैन और अय्यामे तशरीक़ में भी इफ़्तार न करे। उसकी कराहियत और हुर्मत में तो किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। अगर उन दिनों में कोई इफ़्तार करे और बाक़ी दिनों में रोज़े रखे बशर्तेकि अपनी और अपने अहलो–अयाल के हुक़ूक़ में कोई ख़लल वाक़ेअ़ न हो तो ज़ाहिर है कि मकरूह न होगा। मगर हर हाल में बेहतर यही है कि स़ौमे दाऊद अ़लैहिस्सलाम रखे या'नी एक दिन रोज़ा और एक दिन बेरोज़ा। तफ़्सीले मज़ीद के लिये फ़त्हुल बारी का मुतालआ़ किया जाए।

एक रिवायत में **ला स़ाम वला फ़त़र** के लफ़्ज़ आए हैं कि जिसने हमेशा रोज़ा रखा गोया उसको न रोज़े का ष़वाब मिला न उस पर गुनाह हुआ क्योंकि इस तरह करने से उसका नफ़्स आदी हो गया।

٥٨– بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

बाब 58 : एक दिन रोज़ा और एक दिन इफ़्तार का बयान

١٩٧٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ)) قَالَ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: ((صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا)) فَقَالَ: ((اقْرَإِ

1978. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे मुग़ीरह ने बयान किया कि मैं ने मुजाहिद से सुना और उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, महीना में सिर्फ़ तीन दिन के रोज़े रखो। उन्होंने कहा कि मुझ में इससे भी ज़्यादा ताक़त है। इसी तरह वो बराबर कहते रहे (कि मुझमें इससे भी ज़्यादा ताक़त है) यहाँ तक कि आँह़ज़रत

القُرآن في كُلِّ شَهْرٍ))، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ : ((فِي ثَلاَثٍ)).

[راجع: ١١٣١]

(ﷺ) ने फ़र्माया, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन का रोज़ा छोड़ दो। आप (ﷺ) ने उनसे ये भी फ़र्माया कि महीना में एक क़ुर्आन मजीद ख़त्म करो। उन्होंने इस पर भी कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा त़ाक़त रखता हूँ। और बराबर यही कहते रहे। यहाँ तक कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि तीन दिन में (एक क़ुर्आन ख़त्म किया कर)। (राजेअ : 1131)

तश्रीह : इमाम मुस्लिम की रिवायत में यूँ है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक महीने में एक ख़त्म क़ुर्आन का किया कर। मैंने कहा कि मुझमें इससे भी ज़्यादा त़ाक़त है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा बीस दिन में ख़त्म किया कर, मैंने कहा कि मुझमें इससे ज़्यादा त़ाक़त है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा दस दिन में ख़त्म किया कर। मैंने कहा मुझमें इससे ज़्यादा त़ाक़त है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया अच्छा सात दिन में ख़त्म किया कर और उससे ज़्यादा मत पढ़। (या'नी सात दिन से कम में ख़त्म न कर।) इसीलिये अकष़र उ़लमा ने सात दिन से कम में क़ुर्आन का ख़त्म करना मकरूह रखा है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा मैंने बैतुल मुक़द्दस में एक बूढ़े को देखा जिसको अबुत्ताहिर कहते थे वो रात में क़ुर्आन के आठ ख़त्म किया करते थे वग़ैरह वग़ैरह। मुतर्जिम कहता है ये ख़िलाफ़े सुन्नत है। उ़म्दह यही है कि क़ुर्आन मजीद को समझ समझकर चालीस दिन में ख़त्म करना चाहिए इंतिहा ये है कि तीन दिन में ख़त्म हो। उससे कम में जो क़ुर्आन ख़त्म करेगा गोया उसने घास काटी है इल्ला माशाअल्लाह।

٥٩- بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

١٩٧٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ - وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيْثِهِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : ((إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ)). قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى)).

[راجع: ١١٣١]

बाब 59 : ह़ज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का रोज़ा

1979. हमसे आदम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़बीब बिन अबी ष़ाबित ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू अ़ब्बास मक्की से सुना, वो शायर थे लेकिन रिवायते ह़दीष़ में उनका कोई इत्तेहाम नहीं था। उन्होंने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तू लगातार रोज़े रखता है और रात भर इबादत करता है? मैंने हाँ में जवाब दिया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तू यूँ ही करता रहा तो आँखें धंस जाएँगी और तू बेह़द कमज़ोर हो जाएगा ये कोई रोज़ा नहीं कि कोई जिन्दगी भर (बिला नाग़ा हर रोज़) रोज़ा रखे। तीन दिन का (हर महीने में) रोज़ा पूरी ज़िन्दगी के रोज़े के बराबर है। मैंने इस पर कहा कि मुझे इससे ज़्यादा की त़ाक़त है। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर दाऊद अ़लैहिस्सलाम का रोज़ा रखा कर, आप एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बेरोज़ा रहते थे और जब दुश्मन का सामना होता तो पीठ नहीं दिखलाते थे।

(राजेअ : 1131)

तश्रीह : शायर मुबालग़ा (बढ़ा–चढ़ाकर कहने) के आदी होते हैं जो एह्तियातन ष़क़ाहत के मनाफ़ी है, इसलिये अबू अब्बास मक्की के बारे में ये तौजीह की गई कि वो शायर होने के बावजूद इंतिहाई ष़िक़ा थे और उनके बारे में कोई इत्तिहाम न था, लिहाज़ा उनकी रिवायात सब क़ाबिले क़ुबूल हैं।

हाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं। **व नक़लत्तिर्मिज़ी अन बअ़ज़ि अहलिल इल्मि अन्नहू अशक्कुस्सियामि व यामनु मअ़ ज़ालिक ग़ालिबन मिन तफ़्वीतिल हुक़ूक़ि कमा तक़द्दमतिल इशारतु अलैहि फ़ीम तक़द्दम क़रीबन फ़ी ह़क़्क़ि दाऊद वला ला शक्क अन्न सर्दस्सौमि यन्हिकुहू व अला ज़ालिक युहमलु सहीहिन अन्हु अन्नहू क़ील लहू इन्नक लतक़िल्लुस्सियाम फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ु अंय्यज़्अफ़नी अनिल किराति वल्किरातु अहब्बु इलय्य मिनस्सियाम** यानि तिर्मिज़ी (रह.) ने कुछ से नक़ल किया है कि सियामे दाऊद अलैहिस्सलाम अगरचे मुश्किलतरीन रोज़ा है मगर उसमें हुक़ूक़े वाजिब के फ़ौत होने का डर नहीं जैसा कि पीछे दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इशारा गुज़र चुका है कि उनकी शान ये बतलाई गई कि इस क़दर रोज़ा रखने के बावजूद वो जिहाद में दुश्मन से मुक़ाबले के वक़्त भागते नहीं थे। या'नी इस क़दर रोज़ा रखने के बावजूद उनके जिस्म में कोई कमज़ोरी न थी। हालाँकि इस तरह रोज़े रखना जिस्म को कमज़ोर कर देता है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के क़ौल का भी यही मतलब है। उनसे कहा गया था कि आप नफ़्ल रोज़ा कम रखते हैं तो उन्होंने फ़र्माया कि मुझे ख़तरा है कि कहीं मैं कष़रते सौम की वजह से इस क़दर कमज़ोर न हो जाऊँ कि मेरी क़िरअत का सिलसिला रुक जाए हालाँकि क़िरअत मेरे लिये रोज़े से भी ज़्यादा मेह़बूब है। ख़ुलास़ा ये है कि सौमे दाऊद अलैहिस्सलाम बेहतरीन रोज़ा है। जो लोग बकष़रत रोज़ा रखने की ख़्वाहिशमन्द हों उनके लिये उन ही की इत्तिबाअ़ मुनासिब है।

١٩٨٠– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: ((أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((خَمْسًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((سَبْعًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((تِسْعًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((إِحْدَى عَشْرَةَ)). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: شَطْرُ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا)). [راجع: ١١٣١]

1980. हमसे इस्ह़ाक़ वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे ख़ालिद ह़ज़्ज़ाअ ने और उनसे अबू क़िलाबा ने कि मुझे अबू मलीह़ ने ख़बर दी, कहा कि मैं आपके वालिद के साथ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ। उन्होंने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को मेरे रोज़े के बारे में ख़बर हो गई (कि मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ) आप (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने एक गद्दा आप (ﷺ) के लिये बिछा दिया। जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी लेकिन आँह़ज़रत ज़मीन पर बैठ गए और तकिया मेरे और आप (ﷺ) के बीच हो गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हारे लिये हर महीने में तीन दिन के रोज़े काफ़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (कुछ और बढ़ा दीजिए) आपने फ़र्माया, अच्छा पाँच दिन के रोज़े (रख ले) मैंने अ़र्ज़ किया कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! और; आप (ﷺ) ने फ़र्माया चलो छः दिन, मैंने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! (कुछ और बढ़ा दीजिए, मुझमें इससे भी ज़्यादा ताक़त है) आप (ﷺ) ने फ़र्माया! अच्छा नौ दिन, मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कुछ और, फ़र्माया, अच्छा ग्यारह दिन। आख़िर आपने फ़र्माया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े के तरीक़े के सिवा और कोई तरीक़ा (शरीअ़त में) जाइज़ नहीं। या'नी ज़िन्दगी के आधे दिनों में एक

दिन का रोज़ा रख और एक दिन का छोड़ दिया कर।
(राजेअ: 1131)

बाब 60 : अय्यामे बीज़ के रोज़े या'नी तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीखों के रोज़े रखना

٦٠- بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ : ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

1981. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उनसे अबुत तियाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू उ़ष़्मान ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि मेरे ख़लील (ﷺ) ने मुझे हर महीने की तीन तारीख़ों में रोज़ा रखने की वसिय्यत की थी। इसी तरह चाश्त की दो रकअ़तों की भी वसिय्यत की थी और उसकी भी कि सोने से पहले ही मैं वित्र पढ़ लिया करूँ। (राजेअ: 1178)

١٩٨١- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوعُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((أَوصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَ أَوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)).
[راجع: ١١٧٨]

तशरीह : यहाँ ये इश्काल होता है कि ह़दीष़, बाब के तर्जुमे के मुवाफ़िक़ (अनुकूल) नहीं है क्योंकि ह़दीष़ में हर महीने में तीन रोज़े रखने का ज़िक्र है; अय्यामे बीज़ की कोई तख़्स़ीस़ (विशिष्ठता) नहीं है और उसका जवाब ये है कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी आदत के मुवाफ़िक़ इस ह़दीष़ को दूसरे त़रीक़ की त़रफ़ इशारा कर दिया, जिसे इमाम अह़मद और निसाई और इब्ने ह़िब्बान ने मूसा बिन त़लह़ा से निकाला, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से। उसमें यूँ है कि आपने एक अअ़राबी से फ़र्माया जो भुना हुआ खरगोश लाया था, तू भी खा। उसने कहा मैं हर महीने तीन दिन रोज़े रखता हूँ। आपने फ़र्माया अगर तू ये रोज़े रखता है तो सफ़ेद दिनों में या'नी अय्यामे बीज़ में रखा कर। निसाई की एक रिवायत में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से यूँ है हर दस दिन में एक रोज़ा रखा कर और तिर्मिज़ी ने निकाला कि आप हफ़्ता और इतवार और पीर को रोज़ा रखा करते थे और एक रिवायत में मंगल, बुध और जुमेरात में है ग़र्ज़ आपका नफ़्ली रोज़ा हमेशा के लिये किसी ख़ास़ दिन में मुअ़य्यन (निर्धारित) न था। मगर अय्यामे बीज़ के रोज़े मसनून हैं।

बाब 61 : जो शख़्स़ किसी के यहाँ बत़ौरे मेहमान मुलाक़ात के लिये गया और उनके यहाँ जाकर उसने अपना नफ़्ली रोज़ा नहीं तोड़ा

٦١- بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

1982. हमसे मुह़म्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि मुझसे ख़ालिद ने (जो ह़ारिष़ के बेटे हैं) बयान किया, उनसे हुमैद ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) उम्मे सुलैम (रज़ि.) नामी एक औरत के यहाँ तशरीफ़ ले गए। उन्होंने आप (ﷺ) की ख़िदमत में खजूर और घी पेश किया। आप (ﷺ) ने

١٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ((أَعِيْدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ

फ़र्माया, ये घी उसके बर्तन में रख दो और ये खजूरें भी उसके बर्तन में रख दो क्योंकि मैं तो रोज़े से हूँ। फिर आपने घर के एक किनारे खड़े होकर नफ़्ल नमाज़ पढ़ी और उम्मे सुलैम (रज़ि.) और उनके घर वालों के लिये दुआ की, उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि मेरा एक बच्चा लाडला भी तो है (उसके लिये भी तो दुआ कीजिए) फ़र्माया कि कौन है? उन्होंने कहा कि आप (ﷺ) का ख़ादिम अनस (रज़ि.)। फिर आप (ﷺ) ने दुनिया और आख़िरत की कोई ख़ैरो–भलाई नहीं छोड़ी जिसकी उनके लिये दुआ न की हो। आपने दुआ में ये भी फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इसे माल और औलाद अ़ता कर और इसके लिये बरकत अ़ता कर। (अनस रज़ि. का बयान था कि) चुनाँचे मैं अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ और मुझसे मेरी बेटी उमैना ने बयान किया कि हज्जाज के बसरा आने तक मेरी सलबी औलाद में से तक़रीबन एक सौ बीस दफ़न हो चुके थे। हमसे इब्ने अबी मरयम ने बयान किया, उन्हें यह्या ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे हुमैद ने बयान किया, और उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना, नबी करीम (ﷺ) के हवाले से।

(दीगर मक़ाम : 6334, 6344, 6378, 6380)

وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ)). ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ لِي خُوَيْصَةً، قَالَ: ((مَا هِيَ))؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا بِهِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ)). فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً. وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ قَالَ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ)). حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في : ٦٣٣٤، ٦٣٤٤، ٦٣٧٨، ٦٣٨٠].

तश्रीह : पिछली ह़दीष़ में ह़ज्जाज का ज़िक्र है जो बस़रा में 75 हिज्री में आया था। उस वक़्त ह़ज़रत अनस (रज़ि.) की उ़म्र कुछ ऊपर अस्सी बरस की थी, 93 हिज्री के क़रीब आपका इंतिक़ाल हो गया। एक सौ साल के क़रीब उनकी उ़म्र हुई। ये सब आँह़ज़रत (ﷺ) की दुआ की बरकत थी। एक रिवायत में है कि उन्होंने ख़ास़ अपनी स़ल्ब के 125 बच्चे दफ़न किये फिर दीगर लवाह़िक़ीन (मरने वालों) का अंदाज़ा करना चाहिए। इस ह़दीष़ से मक़्स़दे बाब यूँ ष़ाबित हुआ कि आप (ﷺ) उम्मे सुलैम (रज़ि.) के घर रोज़े की हालत में तशरीफ़ ले गए और आप (ﷺ) ने उनके यहाँ खाना वापस कर दिया और रोज़ा नहीं तोड़ा। ष़ाबित हुआ कि कोई शख़्स़ ऐसा भी करे तो जाइज़ व दुरुस्त है बल्कि सुन्नते नबवी (ﷺ) है। ये सब ह़ालात पर मुन्ह़स़िर (आधारित) है। कुछ मवाक़ेअ़ ऐसे भी आ सकते हैं कि वहाँ रोज़ा खोल देना जाइज़ है, कुछ ऐसे कि रखना भी जाइज़ है। ये हर शख़्स़ के खुद दिल में फ़ैस़ला करने और ह़ालात को समझने की बातें हैं। **इन्नमल् आमालु बिन्नियात।**

बाब 62 : महीने के आख़िर में रोज़ा रखना

٦٢- بَابُ الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ

1983. हमसे सुल्त बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मह्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ग़ीलान ने (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा और हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मह्दी बिन मैमून ने, उनसे ग़ीलान बिन जरीर ने, उनसे मुत़र्रफ़ ने, उनसे इमरान बिन

١٩٨٣- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ

हुसैन (रज़ि.) ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सवाल किया या (मुतर्रफ़ ने ये कहा कि) सवाल तो किसी और ने किया था लेकिन वो सुन रहे थे। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू फ़लाँ! क्या तुमने इस महीने के आख़िर के रोज़े रखे? अबू नोअमान ने कहा मेरा ख़्याल है कि रावी ने कहा कि आपकी मुराद रमज़ान से थी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह) कहते हैं कि षाबित ने बयान किया, उनसे मुतर्रफ़ ने, उनसे इमरान (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने (रमज़ान के आख़िर के बजाय) शाबान का लफ़्ज़ बयान किया (यही सहीह है)।

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ - فَقَالَ: يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لاَ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ))، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ)).

तश्रीह : क्योंकि रमज़ान में तो सारे महीने हर कोई रोज़े रखता है। कुछ ने सरर का तर्जुमा महीने का शुरू किया है, कुछ ने महीने का बीच, कुछ ने कहा आँहज़रत (ﷺ) ने उस शख़्स से डाँट के तौर पर ऐसा फ़र्माया कि तूने शाबान के अख़ीर में तो रोज़े नहीं रखे क्योंकि दूसरी हदीष में आप (ﷺ) ने रमज़ान का इस्तिक़बाल करने से मना किया है। मगर उसमें ये इश्काल होता है कि अगर ये पूरी करने का हुक्म दिया इस तरह की शव्वाल में उसकी क़ज़ा कर ले। कुछ ने कहा अगर कोई शाबान के आख़िर में रमज़ान के इस्तिक़बाल की निय्यत से रोज़ा रखे तो ये मकरूह है लेकिन अगर इस्तिक़बाल की निय्यत न हो तो कोई क़बाहत नहीं है। मगर एक हदीष में शाबान के निस्फ़ (आधे) व आख़िर में रोज़े रखने की मुमानअत भी वारिद हुई है ताकि रमज़ान के लिये ज़ुअफ़ (कमज़ोरी) लाहक़ न हो।

बाब 63 : जुम्अे के दिन रोज़ा रखना, अगर किसी ने ख़ाली एक जुम्आ के दिन रोज़ा की निय्यत की तो उसे तोड़ डाले

٦٣- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

1984. हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे अब्दुल हमीद बिन जुबैर ने और उनसे मुहम्मद बिन अब्बाद ने कि मैंने जाबिर (रज़ि.) से पूछा, क्या नबी करीम (ﷺ) ने जुम्आ के दिन रोज़ा रखने से मना किया है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! अबू आसिम के अलावा रावियों ने ये इज़ाफ़ा किया है कि ख़ाली (एक जुम्आ ही के दिन) रोज़ा रखने से आप (ﷺ) ने मना किया।

١٩٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ ((أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ)).

तश्रीह : इस बाब में हज़रत इमाम ने तीन हदीष नक़ल की हैं। पहली दो हदीषों में कुछ-कुछ इज्माल है मगर तीसरी हदीष में पूरी तफ़्सील मौजूद है, जिससे ज़ाहिर है कि जुम्आ के रोज़े के लिये ज़रूरी है कि उससे एक दिन पहले या एक

दिन बाद भी रोज़ा रखा जाए। मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मज़ीद तफ़्सील यूँ है, **ला तख़ुस्सू लैलतल जुम्अति बिक़ियामिम्बैनिल्लियाली व ला तख़ुस्सू यौमल जुम्अति मिम्बैनल अय्यामि इल्ला अंय्यकून फ़ी सौमिन यसूमुहू अहदुकुम** या'नी जुम्आ की रात को इबादत के लिये ख़ास न करो और न दिन को रोज़े के लिये। हाँ अगर किसी का कोई नज़्र वग़ैरह का रोज़ा जुम्अे के दिन आ जाए, जिसका रखना उसके लिये ज़रूरी हो तो ये अलग बात है। वो रोज़ा रखा जा सकता है। **कमय्यसूमु अय्यामल बीज़ि औ मन लहू आदतुन बिस्सौमि यौमिन मुअय्यनिन कयौमि अरफ़त फ़वाफ़क़ यौमल जुम्अति व यूख़ज़ु मिन्हु जवाज़ु सौमिही लिमन नज़र यौम क़ुदूमि जैदिन मसलन औ शिफ़ाउ फ़ुलानिन** (फ़त्ह) या'नी किसी का कोई रोज़ा अय्यामे बीज़ का हो या अरफ़ा का या किसी नज़्र का जुम्आ में पड़ जाए तो फिर जुम्आ का रोज़ा रखना जाइज़ है।

1985. हमसे उमर बिन हफ़्स बिन ग़ियास ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे अअमश ने बयान किया, उनसे अबू सालेह ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई भी शख़्स जुम्आ के दिन उस वक़्त तक रोज़ा न रखे जब तक उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद रोज़ा न रखता हो।

١٩٨٥- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ)).

तश्रीह : मतलब ये है कि कुछ लोगों की जो आदत होती है कि हफ़्ता में एक दो दिन रोज़ा रखते हैं। जैसे कोई पीर जुमेरात को रोज़ा रखता है, कोई पीर मंगल को, कोई जुमेरात–जुम्आ को तो ये तख़्सीस आँहज़रत (ﷺ) से साबित नहीं है। इब्ने तय्यिन ने कहा कुछ ने इसी वजह से ऐसी तख़्सीस को मकरूह रखा है। लेकिन अरफ़ा के दिन और आशूरा और अय्यामे बीज़ की तख़्सीस तो ख़ुद हदीस से साबित है। हाफ़िज़ ने कहा अनेक अहादीस में ये वारिद है कि आप (ﷺ) सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। मगर शायद इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक वो हदीसें सहीह नहीं हैं। हालाँकि अबू दाऊद और तिर्मिज़ी और निसाई ने निकाला और इब्ने हिब्बान ने उसको सहीह कहा। हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) क़स्द करके सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते और निसाई और अबू दाऊद ने निकाला, इब्ने ख़ुज़ैमा ने उसको सहीह कहा, उसामा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को देखा आप (ﷺ) सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते। **मैंने उसका सबब पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस दिन आमाल पेश किये जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल उस वक़्त उठाया जाए जब मैं रोज़े से हूँ।**

1986. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, (दूसरी हदीस) और इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि मुझसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अबू अय्यूब ने और उनसे जुवेरिया बिन्ते हारिस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) उनके यहाँ जुम्आ के दिन तशरीफ़ ले गए, (इत्तिफ़ाक़ से) वो रोज़े से थीं। आँहज़रत (ﷺ) ने उस पर पूछा क्या कल के दिन भी तू ने रोज़ा रखा था? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। फिर आप (ﷺ) ने पूछा कि क्या आइन्दा कल रोज़ा रखने का इरादा है? जवाब दिया कि नहीं। आप (ﷺ)

١٩٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ. ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: ((أَصُمْتِ أَمْسِ؟)) قَالَتْ: لاَ. قَالَ: ((تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُومِيْنَ غَدًا؟)) قَالَتْ: لاَ. قَالَ: ((فَأَفْطِرِي)).

ने फ़र्माया कि फिर रोज़ा तोड़ दो। हम्माद बिन जअ़द ने बयान किया कि उन्होंने क़तादा से सुना, उनसे अबू अय्यूब ने बयान किया और उनसे जुवेरिया (रज़ि.) ने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया और उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया।

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ: ((أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ)).

हाकिम वग़ैरह में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मर्फ़ूअन रिवायत है, **यौमुल्जुम्अ़ति यौमु ईदिन फ़ला तज्अ़लु यौम ईदिकुम यौम स़ियामिकुम इल्ला अन तसूमू क़ब्लहू औ बअ़दहू** या'नी जुम्अ़े का दिन तुम्हारे लिये ईद का दिन है पस अपने ईद के दिन को रोज़ा रखने का दिन न बनाओ, मगर ये कि तुम उससे आगे या पीछे एक रोज़ा और रख लो। इब्ने अबी शैबा ने हज़रत अ़ली (रज़ि.) से नक़ल किया कि जुम्अ़े के दिन रोज़ा न रखो ये दिन तुम्हारे लिये इबादते इलाही और खाने–पीने का दिन है। **व ज़हबल्जुम्हूरु इला अन्नन नह्य फ़ीहि लित्तन्ज़ीहि** (फ़त्ह) या'नी जुम्हूर का क़ौल है कि जुम्अ़े का दिन रोज़ा की नह्य (इन्कार) तन्ज़ीह के लिये है, हुर्मत के लिये नहीं है; या'नी बेहतर है कि उस दिन रोज़ा न रखा जाए।

बाब 64 : रोज़े के लिये कोई दिन मुक़र्रर करना

٦٤– بَابُ هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟

1987. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे मन्सूर ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अ़ल्क़मा ने, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (रोज़ा वग़ैरह इबादात के लिये) कुछ दिन ख़ास़ तौर पर मुक़र्रर कर रखे थे? उन्होंने कहा कि नहीं। बल्कि आपके हर अ़मल में हमेशगी होती थी और दूसरा कौन है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) जितनी ताक़त रखता हो? (दीगर मक़ाम : 6466)

١٩٨٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيقُ؟)). [طرفه في : ٦٤٦٦].

जिन अय्याम के रोज़ों के बारे में अह़ादीष़ वारिद हुई हैं जैसे यौमे अ़रफ़ा यौमे आ़शूरा वग़ैरह इससे मुस्तष़्ना (अलग) हैं।

बाब 65 : अ़रफ़ा के दिन रोज़ा रखना

٦٥– بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

1988. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, कि मुझसे सालिम ने बयान किया, कहा कि मुझसे उम्मे फ़ज़ल (रज़ि.) के माला उ़मैर ने बयान किया, और उनसे उम्मे फज़ल (रज़ि.) ने बयान किया। (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा और हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह के गुलाम अबू नज़्र ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के गुलाम उ़मैर ने और उन्हें उम्मे फ़ज़ल बिन्ते हारिष़ (रज़ि.) ने कि उनके यहाँ कुछ लोग अ़रफ़ात के

١٩٨٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ. ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ((أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ

عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ)). [راجع: ١٦٥٨]

दिन नबी करीम (ﷺ) के रोज़ के बारे में झगड़ रहे थे। कुछ ने कहा कि आप (ﷺ) रोज़े से हैं और कुछ ने कहा कि रोज़ से नही हैं। इस पर उम्मे फ़ज़ल (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में दूध का एक प्याला भेजा (ताकि ह़क़ीक़ते ह़ाल मा'लूम कर सके) आप अपने ऊँट पर सवार थे, आपने दूध पी लिया। (राजेअ़ : 1657)

अबू नुऐम की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि आप ख़ुत्बा सुना रहे थे और ये ह़ज्जतुल विदाअ़ का वाक़िया था जैसा कि अगली ह़दीष़ में मज़्कूर है।

١٩٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ. فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ)).

1989. हमसे यह्या बिन सुलमान ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने वहब ने बयान किया, (या उनके सामने ह़दीष़ की क़िरअत की गई)। कहा कि मुझको अ़म्र ने ख़बर दी, उन्हें बुकैर ने, उन्हें कुरैब ने और उन्हें मैमूना (रज़ि.) ने कि अ़रफ़ा के दिन कुछ लोगों को आँह़ज़रत (ﷺ) के रोज़े के बारे में शक हुआ। इसलिये उन्होंने आपकी ख़िदमत में दूध भेजा। आप उस वक़्त अ़रफ़ात में वक़ूफ़ कर रहे थे। आपने वो दूध पी लिया और सब लोग देख रहे थे।

तशरीह : अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़ुद ये ह़दीष़ यह्या को सुनाई या अ़ब्दुल्लाह बिन वहब के शागिर्दों ने उनको सुनाई। दोनों त़रह़ ह़दीष़ की रिवायत स़ह़ीह़ है।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब में उन हदीष़ों का ज़िक्र नहीं किया जिनमें अ़रफ़ा के रोज़े की तर्ग़ीब है, जबकि वो ह़दीष़ बयान की जिससे अ़रफ़ा में आपका इफ़्तार करना षाबित है क्योंकि वो ह़दीष़ें उनकी शर्त के मुवाफ़िक़ स़ह़ीह़ न होंगी। हालाँकि इमाम मुस्लिम ने अबू क़तादा से निकाला कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अ़रफ़ा का रोज़ा एक बरस आगे और एक बरस पीछे के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाता है और कुछ ने कहा, अ़रफ़ा का रोज़ा ह़ाजी को नहीं रखना चाहिए। इस ख़्याल से कि कहीं ज़ुअ़फ़ (कमज़ोरी) न हो जाए और ह़ज्ज के अ़मल बजा लाने में ख़लल वाक़ेअ़ हो और इस त़रह़ बाब की अह़ादीष़ और उन अहादीष़ में तत्बीक़ हो जाती है। (वह़ीदी)

٦٦- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

बाब 66 : ईदुल फ़ित्र के दिन रोज़ा रखना

ये बिल इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति से) मना है। मगर इख़्तिलाफ़ उसमें है कि अगर किसी ने एक रोज़े की मन्नत मानी और इत्तिफ़ाक़ से वो मन्नत ईद के दिन आ पड़ी; मष़लन किसी ने कहा जिस दिन ज़ैद आए उस दिन में एक रोज़े की मन्नत अल्लाह के लिये मान रहा हूँ और ज़ैद ईद के दिन आया तो ये नज़्र स़ह़ीह़ होगी या नहीं? ह़न्फ़िया ने कहा स़ह़ीह़ होगी और उस पर क़ज़ा लाज़िम होगी और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक ये नज़्र स़ह़ीह़ ही न होगी।

١٩٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: ((شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ

1990. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अज़्हर के गुलाम अबू उ़बैद ने बयान किया कि ईद के दिन मैं उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर था। आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये दो दिन ऐसे हैं जिनके रोज़ों की आँह़ज़रत (ﷺ) ने मुमानअ़त फ़र्माई है।

اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ)). [طرفه في : ٥٥٧١].

(रमज़ान के) रोज़ों के बाद इफ़्तार का दिन (ईदुल फ़ित्र) और दूसरा वो दिन जिसमें तुम अपनी क़ुर्बानी का गोश्त खाते हो (या'नी ईदुल अज़्हा का दिन)

(दीगर मक़ाम : 5571)

तशरीह : कुछ नुस्ख़ों में उसके बाद इतनी इबारत ज़्यादा है, **क़ाल अबू अ़ब्दिल्लाहि क़ाल इब्नु उ़ययना मन क़ाल मौला इब्नि अज़्हर फ़क़द अस़ाब व मन क़ाल मौला अ़ब्दिर्रहमान इब्नि औफ़ फ़क़द असाब** या'नी इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा सुफ़यान बिन उ़ययना ने कहा, जिसने अबू अ़ब्दुल्लाह को इब्ने अज़्हर का ग़ुलाम कहा उसने भी ठीक कहा, और जिसने अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) का ग़ुलाम कहा उसने भी ठीक कहा। उसकी वजह ये है कि इब्ने अज़्हर और अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) दोनों उस ग़ुलाम में शरीक थे। कुछ ने कहा दर हक़ीक़त वो अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) के ग़ुलाम थे। मगर इब्ने अज़्हर की ख़िदमत में रहा करते थे तो एक के हक़ीक़तन ग़ुलाम हुए दूसरे के मिजाज़न। (वहीदी)

١٩٩١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)).

[راجع: ٣٦٧]

1991. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे वुहैब ने बयान किया, कहा हमसे अ़म्र बिन यह्या ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल फ़ित्र और क़ुर्बानी के दिनों के रोज़ों की मुमानअ़त की थी। और एक कपड़ा सारे बदन पर लपेट लेने से और एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से।

(राजेअ़ : 367)

١٩٩٢- وَعَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. [راجع: ٥٨٦]

1992. और सुबह और अ़स्र के बाद नमाज़ पढ़ने से।
(राजेअ़ : 576)

बाब 67 : ईदुल अज़्हा के दिन का रोज़ा रखना

٦٧- بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

١٩٩٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)).

[راجع: ٣٦٨]

1993. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हिशाम ने ख़बर दी, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया कि मुझे अ़म्र बिन दीनार ने ख़बर दी, उन्होंने अ़ता बिन मीनाअ से सुना, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से ये हदीष़ नक़ल करते थे कि आपने फ़र्माया, आँहज़रत (ﷺ) ने दो रोज़े और दो क़िस्म की ख़रीद व फ़रोख़्त से मना किया है। ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के रोज़े से और मुलामसत और मुनाबज़त के साथ ख़रीद व फ़रोख़्त करने से। (राजेअ़ : 367)

या'नी बायअ़ (बेचने वाला) मुश्तरी (ख़रीदने वाला) का या मुश्तरी–बायअ़ का; कपड़ा या बदन छुए तो बैअ़ (सौदा) लाज़िम हो जाए, इस शर्त पर बैअ़ करना, या बायअ़ या मुश्तरी कोई चीज़ दूसरे की तरफ़ फेंक मारे तो बैअ़ लाज़िम हो जाए ये बैअ़ मुनाबज़ा है जो मना है।

1994. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया कहा कि हमसे मुआज़ बिन मुआज़ अम्बरी ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन औन ने ख़बर दी, उनसे ज़ियाद बिन जुबैर ने बयान किया कि एक शख़्स इब्ने उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि एक शख़्स ने एक दिन के रोज़े की नज़्र मानी। फिर कहा कि मेरा ख़्याल है कि वो पीर का दिन है और इत्तिफ़ाक़ से वही ईद का दिन पड़ गया। इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह तआला ने तो नज़्र पूरी करने का हुक्म दिया है और नबी करीम (ﷺ) ने उस दिन रोज़ा रखने से (अल्लाह के हुक्म से) मना किया है। (गोया इब्ने उमर रज़ि. ने कोई क़त्ई फ़ैसला नहीं दिया) (दीगर मक़ाम : 6705, 6706)

١٩٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ)). [طرفاه في : ٦٧٠٥، ٦٧٠٦].

तश्रीह : अल्लामा इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **लम युफ़स्सिरिल्ईदु फ़ी हाज़िहिर्रिवायति व मुक्तज़ा इदख़ालिही हाज़ल हदीषु फ़ी तर्जुमति स़ौमि यौमिन्नहरि अंय्यकूनल्मऊलु अन्हु यौमुन्नहरि व हुव मुसर्रहुन बिही फ़ी रिवायति यज़ीद बिन ज़रीअ अल्मज़्कूर व लफ़्ज़ु हू फ़वाफ़क़ यौमुन्नहर** या'नी इस रिवायत में ईद की वज़ाहत नहीं है कि वो कौनसी ईद थी और यहाँ बाब का इक़्तिज़ा ईदुल अज़्हा है सो उसकी तस़रीह यज़ीद बिन ज़ुरैअ की रिवायत में मौजूद है, जिसमें ये है कि इत्तिफ़ाक़ से उस दिन कुर्बानी का दिन पड़ गया था। यज़ीद बिन ज़ुरैअ की रिवायत में ये लफ़्ज़ वज़ाहत के साथ मौजूद है और ऐसा ही अहमद की रिवायत में है जिसे उन्होंने इस्माईल बिन अलिया से, उन्होंने यूनुस से नक़ल किया है, पस षाबित हो गया कि रिवायत में यौमे ईद से ईदुल अज़्हा यौमुन्नहर (कुर्बानी का दिन) मुराद है।

1995. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने बयान किया, कहा कि मैंने क़ज़आ से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, आप नबी करीम (ﷺ) के साथ बारह जिहादों में शरीक रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से चार बातें सुनी हैं जो मुझे बहुत ही पसन्द आईं। आपने फ़र्माया था कि कोई औरत दो दिन (या उससे ज़्यादा) के अंदाज़े का सफ़र उस वक़्त तक न करे जब तक उसके साथ उसका शौहर या कोई और महरम न हो। और ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिनों में रोज़ा रखना जाइज़ नहीं है। और सुबह की नमाज़ के बाद सूरज उगने तक और अस्र की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज़ नहीं। और चौथी बात ये कि तीन मसाजिद के सिवा और किसी जगह के लिये शद्दे रिहाल (सफ़र) न किया जाए मस्जिदे हराम मस्जिदे अक़्सा और मेरी ये मस्जिद।

(राजेअ : 586)

١٩٩٥- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي، قَالَ: ((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا)).

तश्रीह : बयानकर्दा तीनों चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। औरत का बग़ैर महरम के सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं और ईदैन के दिन खाने–पीने के दिन हैं , उनमें रोज़ा बिलकुल ग़ैर मुनासिब है। इसी तरह नमाज़े फ़ज्र के बाद नमाज़े अस्र के बाद कोई नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए और तीन मसाजिद के सिवा किसी भी जगह के लिये तक़र्रुब (नज़दीकी) हासिल करने की ग़र्ज़ से सफ़र करना शरीअत में क़तअन नाजाइज़ है। ख़ास तौर पर आजकल क़ब्रों, मज़ारों की ज़ियारत के लिये नज़्रो–नियाज़ के तौर पर सफ़र किये जाते हैं, जो हूबहू बुतपरस्त क़ौमों की नक़ल है। शरीअते मुहम्मदिया में इस क़िस्म के कामों की हर्गिज़ गुंजाइश नहीं है। हदीष़ **ला तशद्दुर्रिहाल** की मुफ़स्सल तशरीह (विस्तृत व्याख्या) पीछे लिखी जा चुकी है।

हज़रत इमाम नववी (रह.) इस हदीष़ के ज़ेल में फ़र्माते हैं, **फ़ीहि बयानु अज़्मे फ़ज़ीलति हाज़िहिल मसाजिदिष़्ष़लाष़ति व मुजय्यनिहा अला ग़ैरिहा लिक़ौनिहा मसाजिदुल अंबियाइ सलातुल्लाहि व सलामुहू अलैहिम वल फ़ज़्लु अस्सलातु फ़ीहा व लौ नज़रज़्ज़हाब इलल मस्जिदिल हरामि लज़िमहू क़स्दुहू लिहज्जिन औ उम्रतिन व लौ नज़र इलल मस्जिदैनिल आख़िरैनि फ़क़ौलानि लिश्शाफ़िई असह्हुमा इन्द अस्हाबिही यस्तहिब्बु क़सदुहुमा व ला यजिबु व बिही क़ाल कषीरुन मिनल उलमाइ व अम्मा बाक़िल मसाजिदि सिवष़्ष़लाष़ति फ़ला यजिबु क़सदुहा बिन्नज़्रि व ला यन्अक़िदु नज़्रु क़सदिहा हाज़ा मज़्हबुना व मज़्हबुल उलमाइ काफ़्फ़तन इल्ला मुहम्मदुब्नुल मुसल्लमतिल मालिकी फ़क़ाल इज़ा नज़र क़स्द मस्जिदि क़ुबा लज़िमहू क़स्दहू लिअन्नन नबिय्यु (ﷺ) कान यातीहि कुल्ल सब्तिन राकिबन व माशियन व क़ालल लैषुब्नु सअद यल्ज़िमहू क़स्द ज़ालिकल मस्जिद अय मस्जिदु कान व अला मज़्हबिल्जमाहीरि ला यन्अक़िदु नज़्रहू व ला यल्ज़िमुहू शैउन व क़ाल अहमद यल्ज़िमुहू शैउन व क़ाल अहमद कफ़्फ़ारतु यमीन वख़्तलफ़ुल उलमाउ फ़ी शद्दिर्रिहालि व आमालिल्मूति इला ग़ैरिल्मसाजिदिष़्ष़लाष़ति कज़्ज़हाबि इला क़ुबूरिस्सालिहीन इलल मवाज़िल फ़ाज़िलति व नहव ज़ालिक फ़क़ालश्शैख़ु अबू मुहम्मद अल्जवैनी मिन अस्हाबिना हुव हरामुन व हुवल्लज़ी अशारल्क़ाज़ी अयाज़ इला इख़्तियारिही**

इमाम नववी (रह.) सहीह मुस्लिम की शरह लिखने वाले बुज़ुर्ग हैं। अपने दौर के बहुत ही बड़े आलिम फ़ाज़िल, हदीष़ व क़ुर्आन के माहिर और मुत्तदीन अहलुल्लाह शुमार किये गये हैं । आपकी मज़्कूरा इबारत का ख़ुलासा मतलब ये कि उन तीनों मसाजिद की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी दीगर मसाजिद पर इस वजह से है कि उन मसाजिद की निस्बत कई बड़े–बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलाम से है या इसलिये कि उनमें नमाज़ पढ़ना बहुत फ़ज़ीलत रखता है। अगर कोई हज्ज या उमरह के लिये मस्जिदे हराम में जाने की नज़्र माने तो उसका पूरा करना उसके लिये लाज़िम होगा। और अगर दूसरी दो मसाजिद की तरफ़ जाने की नज़्र मानी तो इमाम शाफ़िई (रह.) और उनके अस्हाब उस नज़्र को पूरा करना मुस्तहब जानते हैं न कि वाजिब और दसूरे उलमा उस नज़्र का पूरा करना भी वाजिब जानते हैं। और अकष़र उलमा का यही क़ौल है। इन तीनों मसाजिद के सिवा बाक़ी मसाजिद का नज़्र वग़ैरह के तौर पर क़स्द करना वाजिब नहीं बल्कि ऐसे क़स्द की नज़्र ही मुन्अक़िद नहीं होती। ये हमारा और बेशतर उलमा का मज़हब है। मगर मुहम्मद बिन मुस्लिमा मालिकी कहते हैं कि मस्जिदे क़ुबा में जाने की नज़्र वाजिब हो जाती है क्योंकि नबी करीम (ﷺ) हर हफ़्ता पैदल व सवार होकर वहाँ जाया करते थे। और लैष़ बिन सअद ने हर मस्जिद के लिये ऐसी नज़्र और उसका पूरा करना ज़रूरी कहा है। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ऐसी नज़्र मुन्अक़िद ही नहीं होती। और न उस पर कोई कफ़्फ़ारा लाज़िम है। मगर इमाम अहमद (रह.) ने क़सम जैसा कफ़्फ़ारा लाज़िम क़रार दिया है।

और मसाजिदे ष़लाष़ा के अलावा क़ुबूरे सालिहीन या ऐसे मक़ामात की तरफ़ पालाने सफ़र बाँधना इस बारे में उलमा ने इख़्तिलाफ़ किया है। हमारे अस्हाब में से शैख़ अबू मुहम्मद जुवैनी ने इसे हराम क़रार दिया है और क़ाज़ी अयाज़ का भी इशारा उसी तरफ है। और हदीषे नबवी जो यहाँ मज़्कूर हुई है वो भी अपने मा'नी में ज़ाहिर है कि ख़ुद नबी करीम (ﷺ) ने उन तीन मज़्कूरा मसाजिद के अलावा हर जगह के लिये बग़ज़े तक़र्रुब इलल्लाह पालाने, सफ़र बाँधने से मना किया है। इस हदीष़ के होते हुए किसी का क़ौल क़ाबिले ए'तिबार नहीं। ख़्वाह वो क़ाइल कसे बाशद।

मज़हबे मुहक़्क़क़ यही है कि सफ़र का इरादा सिर्फ़ उन ही तीन मस्जिदों के साथ मख़्सूस है और किसी जगह के लिये ये जाइज़ नहीं। शद्दे रिहाल की तशरीह में ये दाख़िल है कि वो क़स्द तक़र्रुबे इलाही के ख़्याल से किया जाए।

क़ुबूरे सालिहीन के लिये सफ़र करना और वहाँ जाकर तक़र्रुबे इलाही का अक़ीदा रखना ये बिलकुल ही बे दलील

अमल है और आजकल क़ुबूरे औलिया की तरफ़ शद्दे रिहाल तो बिलकुल ही बुतपरस्ती का चरबा है।

बाब 68 : अय्यामे तशरीक़ के रोज़े रखना

٦٨- بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक राजेह यही है कि मुतमत्तेअ को अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा रखना जाइज़ है और इब्ने मुंज़िर ने ज़ुबैर और अबू तलहा (रज़ि.) से मुत्लक़न जवाज़ नक़ल किया है और हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मुत्लक़न मना मन्क़ूल है। और इमाम शाफ़िई और इमाम अबू हनीफ़ा का यही क़ौल है। और एक क़ौल इमाम शाफ़िई (रह.) का ये है कि उस मुतमत्तेअ के लिये दुरुस्त है जिसको क़ुर्बानी का मक़्दूर न हो। इमाम मालिक (रह.) का भी यही क़ौल है।

1996. अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं कि मुझसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे हिशाम ने बयान किया कि मुझे मेरे बाप उर्वा ने ख़बर दी कि आइशा (रज़ि.) अय्यामे मिना (अय्यामे तशरीक़) के रोज़े रखती थीं और हिशाम के बाप (उर्वा) भी उन दिनों में रोज़ा रखते थे।

١٩٩٦- وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي: ((كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، وَكَانَ أَبُوهُ يَصُومُهَا)).

मिना में रहने के दिन वही हैं जिनको अय्यामे तशरीक़ कहते हैं या'नी 11,12,13 ज़िल्हिज्ज के अय्याम।

1997,98. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ईसा से सुना, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से, (नीज़ ज़ुहरी ने इस हदीष को) सालिम से भी सुना और उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना। (आइशा और इब्ने उमर रज़ि.) दोनों ने बयान किया कि किसी को अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं मगर उसके लिये जिसे क़ुर्बानी का मक़्दूर न हो।

١٩٩٧، ١٩٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالاَ: ((لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ)).

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **अय्यामुत्तशरीक़ि अय अल्अय्यामुल्लती बअ़द यौमिन्नहरि व क़द उख़्तुलिफ़ फ़ी कौनिहा यौमैनि औ षलाषतिन व सुम्मियत अय्यामुत्तशरीक़ि लिअन्न लुहूमल्अज़ाही तुश्रकु फ़ीहा अय तुन्शरूफ़िश्शम्सि** या'नी अय्यामे तशरीक़ यौमुन्नहर दस ज़िलहिज्ज के बाद वाले दिनों को कहते हैं। जो दो हैं या तीन इस बारे में इख़्तिलाफ़ है (मगर तीन होने को तरजीह हासिल है) और उनका नाम अय्यामे तशरीक़ इसलिये रखा गया कि उनमें क़ुर्बानियों का गोश्त सुखाने के लिये धूप में फैला दिया जाता था। **वर्राजिहु इन्दल बुख़ारी जवाज़ुहा लिल्तमत्तुइ फ़इन्नहू ज़कर फ़िल्बाबि हदीषय आइशत व इब्नि उमर फ़ी जवाज़ि ज़ालिक व लम यूरिद ग़ैरहू** या'नी इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक हज्जे तमत्तोअ वाले के लिये (जिसको क़ुर्बानी का मक़्दूर न हो) उन अय्याम में रोजा रखना जाइज़ है, आपने बाब में हज़रत आइशा (रज़ि.) और इब्ने उमर (रज़ि.) की अहादीष ज़िक्र की हैं और कोई उनके ग़ैर हदीष न लाए। जिन अहादीष में मुमानअत आई है वो ग़ैर मुतमत्तेअ के हक़ में क़रार दी जा सकती हैं। और जवाज़ वाली हदीष मुतमत्तेअ के हक़ में जो क़ुर्बानी की ता क़त न रखता हो। इस तरह हर दो अहादीष में तत्बीक़ हो जाती है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) का फ़ैसला ये है। **यतरज्जहुल क़ौलु बिल्जवाज़ि व इला हाज़ा जनहल्बुख़ारी** (फ़त्ह) या'नी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) जवाज़ के क़ाइल हैं और उसी क़ौल को तरजीह हासिल है।

इब्राहीम बिन सअ़द अन इब्ने शिहाब के अषर को इमाम शाफ़िई (रह.) ने वस्ल किया है। **क़ाल अख़बरनी इब्राहीमुब्नु सअ़द अनिब्नि शिहाब अन उर्वत अन आइशत फ़िल्मुमत्तइ इज़ा लम यजिद हदयन लम यसुम क़ब्ल**

अरफ़त फ़ल्यसुम अय्याम मिना या'नी ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुतमत्तेअ़ अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा रखे जिसको क़ुर्बानी का मक़्दूर न हो।

अल्मुह़द्दिषुल कबीर ह़ज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रह़मान (रह.) फ़र्माते हैं। **व हम्लुल मुत्लक़ि अलल्मुक़य्यदि वाजिबुन व कज़ा बिना उल्आमि अ़लल्ख़ासि क़ालश्शौकानी व हाज़ा अक़्वल्मज़ाहिबि व अम्मल्क़ाइलु बिल जवाज़ि मुत्लक़न फ़अहादीषु जमीइहा तरद्दु अ़लैहि** (तुह़फ़तुल अहवज़ी) या'नी मुत़्लक़ का मुक़य्यिद पर मह़मूल करना वाजिब है और उसी त़रह़ आ़म को ख़ास़ पर बिना करना। इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं और ये क़वीतर (मज़बूत) मज़हब है। और जो लोग मुत्लक़ जवाज़ के क़ाइल हैं पस जुम्ला अह़ादीष़ उनकी तर्दीद करती हैं।

1999. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि जो ह़ाजी ह़ज्ज और उ़मरह के दरम्यान तमत्तोअ़ करे उसी को यौमे अ़रफ़ा तक रोज़ा रखने की इजाज़त है। लेकिन अगर क़ुर्बानी का मक़्दूर न हो। और न उसने रोज़ा रखा, तो अय्यामे मिना (अय्यामे तशरीक़) में भी रोज़ा रखे और इब्ने शिहाब ने उ़र्वा से और उन्होंने आइशा (रज़ि.) ने इसी तरह रिवायत की है। इमाम मालिक (रह.) के साथ इस ह़दीष़ को इब्राहीम बिन सअ़द ने भी इब्ने शिहाब से रिवायत किया।

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى)). وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

बाब 69 : इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है?

٦٩- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

आ़शूरा मुह़र्रम की दसवीं तारीख़ को कहा जाता है, अवाइले इस्लाम (हमसे पहले वाली उम्मतों) में ये रोज़ा फ़र्ज़ था। जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो इसकी फ़र्ज़ियत जाती रही सिर्फ़ सुनिय्यत बाक़ी रह गई।

2000. हमसे अबू आ़सिम ने बयान किया, उनसे उ़मर बिन मुहम्मद ने, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने, और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया आ़शूरा के दिन अगर कोई चाहे तो रोज़ा रख ले।
(राजेअ़ : 1892)

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ)). [راجع: ١٨٩٢]

2001. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उनसे ज़ुहरी ने बयान किया कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी, उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि (शुरू इस्लाम में) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आ़शूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गये तो जिसका दिल चाहता उस दिन रोज़ा रखता और जो चाहता नहीं रखता था।

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)).

[راجع: ١٥٩٢]

(राजेअ़ : 1592)

٢٠٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)). [راجع: ١٥٩٢]

2002. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअ़म्बी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने और उनसे उनके वालिद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि आ शूरा के दिन ज़माना जाहिलियत में क़ुरैश रोज़ा रखा करते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी रखते। फिर जब आप (ﷺ) मदीना आए तो आप (ﷺ) ने यहाँ भी आ़शूरा के दिन का रोज़ा रखा और लोगों को भी हुक्म दिया। लेकिन रमज़ान की फ़र्ज़ियत के बाद आपने उसको छोड़ दिया और फ़र्माया कि अब जिसका जी चाहे इस दिन रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे न रखे। (राजेअ़ : 1592)

ثابت ہوا کہ عاشوراء کا روزہ فرض نہیں ہے۔

٢٠٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: ((يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ)).

2003. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि उन्होंने मुआ़विया बिन अबी सुफ़यान (रज़ि.) से आ़शूरा के दिन मिम्बर पर सुना, उन्होंने कहा ऐ अहले मदीना! तुम्हारे उ़लमा किधर गए, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना कि ये आशूरा का दिन है। इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ नहीं है लेकिन मैं रोज़े से हूँ और अब जिसका जी चाहे रोज़े से रहे (और मेरी सुन्नत पर अ़मल करे) और जिसका जी चाहे न रहे।

शायद मुआविया (रह.) को ये ख़बर पहुँची हो कि मदीना वाले आ़शूरा का रोज़ा मकरूह जानते हैं या उसका एहतिमाम करते या उसको फ़र्ज़ समझते हैं, तो आपने मिम्बर पर ये तक़रीर की। आपने ये हज्ज 44 हिज्री में किया था। ये उनकी ख़िलाफ़त का पहला हज्ज था और अख़ीर हज्ज उनका 57 हिज्री में हुआ था। हाफ़िज़ के ख़्याल के मुताबिक़ ये तक़रीर उनके आख़िरी हज्ज में थी।

٢٠٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ

2004. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन सईद बिन जुबैर ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाए। (दूसरे साल) आप (ﷺ) ने यहूदियों को देखा कि वो आ़शूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आप (ﷺ) ने उनसे इसका सबब मा'लूम किया तो

عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)).

[أطرافه في: ٣٣٩٧، ٣٩٤٣، ٤٩٤٣، ٤٦٨٠، ٤٧٣٧].

उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा दिन है। इसी दिन अल्लाह ने बनी इस्राईल को उनके दुश्मन (फ़िरऔन) से नजात दिलाई थी। इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन का रोज़ा रखा था। आपने फ़र्माया फिर मूसा अलैहिस्सलाम के (ख़ुशियों में शरीक होने में) हम तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उस दिन रोज़ा रखा और सहाबा (रज़ि.) को भी इसका हुक्म दिया।
(दीगर मक़ाम : 3397, 3943, 4943, 4680, 4737)

मुस्लिम की रिवायत में इतना ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र करने के लिये हम भी रोज़ा रखते हैं। अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में यूँ है उसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्रिये में इस दिन रोज़ा रखा था।

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيْدًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَصُومُوهُ أَنْتُمْ)).

[طرفه في : ٣٩٤٢].

2005. हमसे अली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे अबू उमैस ने, उनसे क़ैस बिन मुस्लिम ने, उनसे तारिक़ ने, उनसे इब्ने शिहाब ने और उनसे अबू मूसा (रज़ि.) ने बयान किया कि आशूरा के दिन को यहूदी ईद का दिन समझते थे इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम भी इस दिन रोज़ा रखा करो।
(दीगर मक़ाम : 3942)

तशरीह : मुस्नद अहमद में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मर्फ़ूअन रिवायत है कि **सूमू यौम आशूरा व ख़ालिफ़ुल यहूद सूमू यौमन क़ब्लहू औ यौमन बअ़दहू।** या'नी आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि आशूरा के दिन रोज़ा रखो और उसमें यहूद की मुख़ालफ़त के लिये एक दिन पहले या बाद का रोज़ा और मिला लो। **क़ालल्क़ुर्तुबी आशूरा मअ़दूलुन अ़न अशरतिन लिल्मुबालग़ति वत्तअ़ज़ीमि व हुव फ़िल्अस्लि सिफ़तुल्लैलतिल आ़शिरति लिअन्नहू माख़ूज़ुन मिनल अ़शिरल्लज़ी हुव इस्मुल अ़क़्दि वल्यौमि मुज़ाफ़ुन इलैहा फ़इज़ा क़ील यौमु आशूरा फकअन्नहू क़ब्ल यौमि लैलतिल आ़शिरति लिअन्नहुम कानू लम्मा अ़दलू बिही अनिस्सिफ़ति ग़लबत अ़लैहिल इस्मिय्यतु फ़स्तग़नू अ़निल मौसूफ़ि फ़हज़फ़ुल्लैलत फ़सार हाज़ल्लफ़्ज़ु अ़लमन अलल्यौमिल आ़शिर** (फ़त्ह) या'नी क़ुर्तुबी ने कहा कि लफ़्ज़ आशूरा मुबालिग़ा और ता'ज़ीम के लिये है जो लफ़्ज़ आ़शिरा से मअ़दूल है। जब भी लफ़्ज़ आशूरा बोला जाए उससे मुहर्रम की दसवीं तारीख़ की रात मुराद होती है।

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)).

2006. हमसे उबैदुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयय्ना ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद ने, और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को सिवा आशूरा के दिन के और इस रमज़ान के महीने के और किसी दिन को दूसरे दिनों से अफ़ज़ल जानकर ख़ास तौर से क़स्द करके रोज़ा रखते नहीं देखा।

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

2007. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे

यज़ीद बिन अबी उबैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने बनू असलम के एक शख़्स को लोगों में इस बात का ऐलान का हुक्म दिया था कि जो खा चुका हो वो दिन के बाक़ी हिस्से में भी खाने—पीने से रुका रहे और जिसने न खाया हो उसे रोज़ा रख लेना चाहिए क्योंकि ये आशूरा का दिन है। (राजेअ : 1924)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ)). [راجع: ١٩٢٤]

तश्रीह : यहाँ किताबुस्सियाम ख़त्म हुई जिसमें हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) एक सौ सत्तावन अहादीष़ लाए हैं जिनमें मुअल्लक़ और मौसूल और मुकर्रर सब शामिल हैं और सहाबा और ताबेईन के साठ अष़र लाए हैं। जिनमें अकष़र मुअल्लक़ हैं और बाक़ी मौसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 5 शाबान 1389 हिज्री को जुनूबी हिन्द के सफ़र में रेलवे पर चलते हुए उसके तर्जुमे व तशरीहात से फ़ारिग़ हुआ।

31. किताब सलातुत्तरावीह

किताब नमाज़े तरावीह पढ़ने का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : रमज़ान में तरावीह पढ़ने की फ़ज़ीलत

١ - بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

2008. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, कि मुझे अबू सलमा ने ख़बर दी, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान फ़र्मा रहे थे कि जो शख़्स भी इसमें ईमान और निय्यते ष़वाब के साथ (रात में) नमाज़ के लिये खड़ा हुआ उसके अगले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएँगे। (राजेअ : 35)

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ : ((مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [راجع: ٣٥]

2009. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने और उन्हें अबू हुरैरह

٢٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)).

[راجع: ٣٥]

(रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने रमज़ान की रातों में (बेदार रहकर) नमाज़े तरावीह पढ़ी, ईमान और ष़वाब की निय्यत के साथ, उसके अगले तमाम गुनाह मुआ़फ़ हो जाएँगे। इब्ने शिहाब ने बयान किया कि फिर नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात हो गई। और लोगों का यही ह़ाल रहा (अलग–अलग, अकेले और जमाअ़तों से तरावीह़ पढ़ते थे) उसके बाद अबूबक्र (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में और उ़मर (रज़ि.) के इब्तिदाई दौरे ख़िलाफ़त में भी ऐसा ही रहा। (राजेअ़ : 35)

٢٠١٠- وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ)).

2010. और इब्ने शिहाब से (इमाम मालिक रह) की रिवायत है, उन्होंने ने उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से और उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल क़ारी से रिवायत की कि उन्होंने बयान किया, मैं उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ रमज़ान की एक रात को मस्जिद में गया। सब लोग मुतफ़र्रिक़ और मुंतशिर (बिखरे हुए) थे। कोई अकेला नमाज़ पढ़ रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े हुए थे। उस पर उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरा ख़्याल है कि अगर मैं तमाम लोगों को एक क़ारी के पीछे जमा कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनाँचे आपने यही ठानकर उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) को उनका इमाम बना दिया। फिर एक रात जो मैं उनके साथ निकला तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज़े (तरावीह) पढ़ रहे हैं। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, ये नया त़रीक़ा बेहतर और मुनासिब है और (रात का) वो ह़िस्सा जिसमें ये लोग सो जाते हैं इस ह़िस्से से बेहतर और अफ़ज़ल है जिसमें ये नमाज़ पढ़ते हैं। आपकी मुराद रात के आख़िरी ह़िस्से (की फ़ज़ीलत) से थी। क्योंकि लोग ये नमाज़ रात के शुरू ही में पढ़ लेते थे।

٢٠١١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ)). [راجع: ٧٢٩]

2011. हमसे इस्माईल बिन उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतह्हरा ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक बार नमाज़े (तरावीह) पढ़ी और ये रमज़ान में हुआ था। (राजेअ़ : 729)

٢٠١٢- ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

2012. और हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि

हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्हें उ़र्वा ने ख़बर दी और उन्हें आ़इशा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बार (रमज़ान की) आधी रात में मस्जिद तशरीफ़ ले गए और वहाँ तरावीह़ की नमाज़ पढ़ी। कुछ स़ह़ाबा (रज़ि.) भी आपके साथ नमाज़ में शरीक हो गए। सुबह हुई तो उन्होंने उसका चर्चा किया। चुनाँचे दूसरी रात में लोग पहले से भी ज़्यादा जमा हो गए। और आप (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। दूसरी सुबह को और ज़्यादा चर्चा हुआ और तीसरी रात उससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गये। आप (ﷺ) ने (उस रात भी) नमाज़ पढ़ी और लोगों ने आप (ﷺ) की इक़्तिदा की। चौथी रात को ये आ़लम था कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आने वालों के लिये जगह भी बाक़ी नहीं रही थी। (लेकिन उस रात आप तशरीफ़ ही नहीं लाए) बल्कि सुबह की नमाज़ के लिये बाहर तशरीफ़ लाए। जब नमाज़ पढ़ ली तो लोगों की त़रफ़ मुतवज्जह होकर शहादत के बाद फ़र्माया। अम्माबाद! तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था, लेकिन मुझे डर उसका हुआ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए और फिर तुम उसकी अदायगी से आ़जिज़ हो जाओ चुनाँचे जब नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात हुई तो यही कैफ़ियत क़ायम रही। (राजेअ़ : 729)

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا)). فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: ٧٢٩]

2013. हमसे इस्माईल बिन उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे सईद मक़्बरी ने, उनसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने कि उन्होंने आ़इशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (तरावीह़ या तहज्जुद की नमाज़) रमज़ान में कितनी रकअ़तें पढ़े थे? तो उन्होंने बतलाया कि रमज़ान हो या कोई और महीना आप (ﷺ) ग्यारह रकअ़तों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप (ﷺ) पहली चार रकअ़त पढ़ते, तुम उनके हुस्न व ख़ूबी और तूल का हाल न पूछो, फिर चार रकअ़त पढ़ते, उनके भी हुस्न व ख़ूबी और तूल का हाल न पूछो, आख़िर में तीन रकअ़त (वित्र) पढ़ते थे। मैंने एक बार पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आ़इशा! मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता।

٢٠١٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي)).

(राजेअ : 1147) [راجع: ١١٤٧]

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **वत्तरावीह जम्उ तर्वी हतिन व हियल मर्रतुल वाहिदतु मिनर्राहति कत्तस्लीमति मिनस्सलामि सुम्मियत अस्सलातु फिल्जमाअति फ़ी लयालि रमज़ान अत्तरावीह लिअन्नहुम अव्वलु मज्तमऊ अलैहा कानू यस्तरिहून बैन कुल्लि तस्लीमतैनि वक़द अक्क़द मुहम्मद बिन नस्र फ़ी क़ियामिल्लैलि बाबैनि लिमनिस्तहब्बत्ततव्वअ लिनफ़्सिही बैन कुल्लि तर्वी हतैनि व लिमन करिह ज़ालिक व हुकिय फ़ीहि अन यह्या बिन बुकैर अनिल्लैष इन्नहुम कानू यस्तरिहून क़द्र मा युसल्ली अर्रजुलु कज़ा कज़ा रकअतन** (फ़त्हुल बारी)

ख़ुलासा मतलब ये है कि तरावीह, तरवीहा की जमा है जो राहत से मुश्तक़ है जैसे तस्लीमा सलाम से मुश्तक़ है। रमज़ान की रातों में जमाअत से नफ़्ल नमाज़ पढ़ने को तरावीह कहा गया, इसलिये कि वो शुरू में हर दो रकअतों के बीच थोड़ा सा आराम किया करते थे। अल्लामा मुहम्मद बिन नस्र ने क़यामुल लैल में दो बाब मुनअक़िद किये हैं। एक उनके बारे में जो उस राहत को मुस्तहब जानते हैं और एक उनके बारे में जो इस राहत को अच्छा नहीं जानते। और इस बारे में यह्या बिन बुकैर ने लैष से नक़ल किया है कि वो इतनी इतनी रकआत की अदायगी के बाद थोड़ी देर आराम किया करते थे। इसीलिये उसे नमाज़े तरावीह से मौसूम किया गया।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ इस बारे में पहले इस नमाज़ की फ़ज़ीलत के बारे में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत लाए, फिर हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की दूसरी रिवायत के साथ हज़रत इब्ने शिहाब की तशरीह लाए जिसमें इस नमाज़ का बाजमाअत अदा किया जाना और इस बारे में हज़रत उमर (रज़ि.) का इक़्दाम मज़्कूर है। फिर हज़रत इमाम (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की अहादीष से ये षाबित फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ुद इस नमाज़ को तीन रातों तक बाजमाअत अदा फ़र्माकर इस उम्मत के लिये मस्नून क़रार दिया। उसके बाद उसकी ता'दाद के बारे में ख़ुद हज़रत आइशा (रज़ि.) की ज़ुबान मुबारक से ये नक़ल फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में इस नमाज़ को ग्यारह रकअतों की ता'दाद में पढ़ा करते थे। रमज़ान में यही नमाज़ तरावीह के नाम से मौसूम हुई और ग़ैर रमज़ान में तहज्जुद के नाम से, और उसमें आठ रकअत सुन्नत और तीन वित्र। इस तरह कुल ग्यारह रकअतें हुआ करती थीं। हज़रत आइशा (रज़ि.) की ज़ुबाने मुबारक से ये ऐसी क़तई वज़ाहत है जिसकी कोई भी तावील या तर्दीद नहीं की जा सकती, उसी के बिना पर जमाअते अहले हदीष के नज़दीक तरावीह की आठ रकआत सुन्नत तस्लीम की गई हैं, जिसकी तफ़्सील पारा सौम में मुलाहिज़ा हो।

अजीब दिलेरी : हज़रत आइशा (रज़ि.) की ये हदीष और मौता इमाम मालिक में ये वज़ाहत कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) की इक़्तिदा में मुसलमानों की जमाअत क़ायम फ़र्माई और उन्होंने सुन्नते नबवी के मुताबिक़ ये नमाज़ ग्यारह रकअतों में अदा की थी। उसके बावजूद उलमा-ए-अहनाफ़ की दिलेरी और जुर्अत क़ाबिले-दाद है, जो आठ रकआत तरावीह के न सिर्फ़ मुंकिर हैं बल्कि उसे नाजाइज़ और बिदअत क़रार देने से भी नहीं चूकते और तक़रीबन हर साल उनकी तरफ़ से आठ रकआत तरावीह वालों के ख़िलाफ़ इश्तिहारात, पोस्टर, किताबचे शाये होते रहते हैं।

हमारे सामने देवबन्द से शाये शुदा (प्रकाशित) बुख़ारी शरीफ़ का तर्जुमा **तफ़्हीमुल बुख़ारी** के नाम से रखा हुआ है। इसके मुतर्जिम व शारेह साहब बड़ी दिलेरी के साथ तहरीर फ़र्माते हैं,

जो लोग सिर्फ़ आठ रकआत तरावीह पर इक्तिफ़ा करते और सुन्नत पर अमल का दा'वा करते हैं वो दर हक़ीक़त सवादे आज़म से शज़ूज़ इख़्तियार करते हैं और सारी उम्मत पर बिदअत का इल्ज़ाम लगाकर ख़ुद अपने पर ज़ुल्म करते हैं। (तफ़्हीमुल बुख़ारी : पारा 8, पेज नं. 30)

यहाँ अल्लामा मुतर्जिम साहब, दा'वा कर रहे हैं कि बीस रकआत तरावीह सवादे आज़म का अमल है। आठ रकआत पर इक्तिफ़ा करने वालों का दा'वा-ए-सुन्नत ग़लत है। हिमायत के जज़्बे में इंसान कितना बहक सकता है यहाँ ये नमूना नज़र आ रहा है। यही हज़रत आगे ख़ुद अपनी उसी किताब में ख़ुद अपने ही क़लम से ख़ुद अपनी ही तर्दीद फ़र्मा रहे हैं। चुनाँचे आप

फ़र्माते हैं,

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान में बीस रकआ़त पढ़ते थे और वित्र उसके अ़लावा होते थे। आइशा (रज़ि.) की ह़दीष़ उससे अलग है बहरह़ाल दोनों अह़ादीष़ पर अइम्मा का अ़मल है। इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) का मसलक बीस रकआ़त तरावीह़ का है और इमाम शाफ़िई (रह.) का ग्यारह रकआ़त तरावीह़ पर अ़मल है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी, पारा नं. : 8, पेज नं. 31)

इस बयान से मौसूफ़ के पीछे के बयान की तर्दीद जिन वाज़ेह़ लफ़्ज़ों में हो रही है वो सूरज की तरह़ अ़याँ (रोशन) है जिससे मा'लूम होता है कि आठ रकआ़त पढ़ने वाले भी ह़क़ बजानिब हैं और बीस रकआ़त पर सवादे आ'ज़म के अ़मल का दा'वा सह़ीह़ नहीं है।

ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) जिसकी त़रफ़ मुह़तरम मुतर्जिम स़ाह़ब ने इशारा फ़र्माया है ये ह़दीष़ सुनने कुबरा बैहक़ी पेज नं. 496 जिल्द 2 पर इन अल्फ़ाज़ के साथ मरवी है। **अ़न इब्नि अ़ब्बासिन क़ाल कानन्नबिय्यु (ﷺ) युस़ल्ली फ़ी शहरि रमज़ान फ़ी ग़ैरि जमाअ़तिन बिइश्रीन रक्अ़तन वल्वित्रु तफ़र्रद बिही अबू शैबत इब्राहीम बिन उ़ष़्मान अल अ़बसी अल कूफ़ी व हुव ज़ईफ़ुन** या'नी ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि आँह़ज़रत (ﷺ) रमज़ान में जमाअ़त के बग़ैर बीस रकआ़त और वित्र पढ़ा करते थे। इस बयान में रावी अबू शैबा इब्राहीम बिन उ़ष़्मान अ़ब्सी कूफ़ी तंहा है और वो ज़ईफ़ है। लिहाज़ा ये रिवायत ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की रिवायत के मुक़ाबले पर हर्गिज़ क़ाबिले हुज्जत नहीं है। इमाम सियूत़ी (रह.) इस ह़दीष़ की बाबत फ़र्माते हैं, **हाज़ल ह़दीषु ज़ईफ़ुन जिद्दा ला तक़ूमु बिहिल हुज्जतु** (अल मसाबीहु लिस्सियूती)

आगे अ़ल्लामा सियूती (रह.) अबू शैबा मज़्कूर पर मुह़द्दिष़ीने किबार की जरहें नक़ल करके लिखते हैं, **व मनित्तफ़क़ हाउलाइल्अइम्मतु अ़ला तज़्ईफ़िही ला यहिल्लुल इहतिजाजु बिहदीष़िही** या'नी जिस शख़्स़ की तज़्ईफ़ पर ये तमाम अइम्म-ए-ह़दीष़ मुत्तफ़िक़ हों उसकी ह़दीष़ से हुज्जत पकड़ना ह़लाल नहीं है। अ़ल्लामा इब्ने ह़जर (रह.) ने भी ऐसा ही लिखा है। अ़ल्लामा ज़ेलई ह़न्फ़ी लिखते हैं। **व हुव मअ़लूलुन बिअबी शैबत इब्राहीम बिन उ़ष़्मान जिद्दा लिइमाम अबी बक्र बिन अबी शैबत व हुव मुत्तफ़कुन अ़ला ज़ुअ़फ़िही व लीनिही इब्नि अ़दी फ़िल्कामिल ष़ुम्म अन्नहू मुख़ालिफ़ुल्लि हदीष़िस्सहीहि अ़न अबी सलमत इब्नि अ़ब्दिर्रहमान अन्नहू अन्नहू सअल आ़इशत अल ह़दीषु** (नस़्बुर्राय : पेज नं. 493.) या'नी अबू शैबा की वजह से ये ह़दीष़ मअ़लूल ज़ईफ़ है। और उसके ज़ुअ़फ़ पर सब मुह़द्दिष़ीने किराम का इत्तिफ़ाक़ है। और इब्ने अ़दी ने उसे लीन कहा है। और ये ह़दीष़ ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की ह़दीष़ जो सह़ीह़ है, उसके भी ख़िलाफ़ है। लिहाज़ा ये क़ाबिले क़ुबूल नहीं है। अ़ल्लामा इब्ने हम्माम ह़न्फ़ी (रह.) ने फ़त्हुल क़दीर जिल्द अव्वल पेज नं. 333 त़िबअ़ मिस्र पर भी ऐसा ही लिखा है। और अ़ल्लामा ऐनी (रह.) ह़न्फ़ी ने उ़म्दतुल क़ारी त़बअ़े मिस्र पेज नं. 359 जिल्द 5 पर भी यही लिखा है।

अ़ल्लामा सिन्धी ह़न्फ़ी ने भी अपनी शरह़ तिर्मिज़ी पेज नं. 423 जिल्द अव्वल में यही लिखा है। इसीलिये मौलाना अनवर शाह स़ाह़ब कशमीरी (रह.) फ़र्माते हैं **व अम्मन्नबिय्यु (ﷺ) फ़स़ह़्ह़ अन्हु ष़मान रक्आ़तिन व अम्मा इश्रुन रक्अ़तन फ़हुव अन्हु बिसनदिन ज़ईफ़िन व अ़ला ज़ुअ़फ़िही इत्तिफ़ाक़ुन** या'नी नबी करीम (ﷺ) से तरावीह़ की आठ ही रकअ़ तस़ह़ीह़ सनद से ष़ाबित हैं। बीस रकआ़त वाली रिवायत की सनद ज़ईफ़ है जिसके ज़ुअ़फ़ पर सबका इत्तिफ़ाक़ है।

औजज़ुल मसालिक, जिल्द अव्वल, पेज नं. 397. पर ह़ज़रत मौलाना ज़करिया कान्धलवी ह़न्फ़ी लिखते हैं। **ला शक्क फ़ी अन्न तहदीदत्तरावीहि फ़ी इश्रीन रक्अ़तुन लम यष़्बुत मर्फ़ूअ़न अ़निन्नबिय्यि (ﷺ) तरीक़िन स़ह़ीह़िन अ़ला उ़स़ूलिल मुह़द्दिष़ीन व मा वरद फ़ीहि मिन रिवायति इब्नि अ़ब्बास फ़मुतकल्लमुन फ़ीहा अ़ला उ़स़ूलिहिम (इन्तिहा)** या'नी उसमें कोई शक नहीं कि तरावीह़ की बीस रकअ़तों की तह़दीद तअ़य्युन नबी करीम (ﷺ) से उ़सूले मुह़द्दिष़ीन के त़रीक़ पर ष़ाबित नहीं है। और जो रिवायत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से बीस रकआ़त के बारे में मरवी है वो बउ़सूले मुह़द्दिष़ीन मजरूह़ और ज़ईफ़ है।

ये तफ़्स़ील इसलिये दी गई ताकि उ़लम-ए-अह़नाफ़ के दावा बीस रकआ़त तरावीह़ की सुन्नियत की ह़क़ीक़त ख़ुद

उलम–ए–मुहक़्क़िक़ीने अह्नाफ़ ही की क़लम से ज़ाहिर हो जाए। बाक़ी तफ़्सीले मज़ीद के लिये हमारे उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना नज़ीर अह्मद साहब रह्मानी (रह.) की किताब मुस्तताब, अनवारुल मसाबीह का मुतालआ किया जाए जो इस मौज़ूअ के मालहू व माअलैहि पर इस क़दर जामेअ मुदल्लल किताब है कि अब उसकी नज़ीर मुम्किन नहीं। **जज़ल्लाह अन्ना ख़ैरल्जज़ा व ग़फ़रल्लाह लहू** आमीन। मज़ीद तफ़्सीलात पारा 3 में दी जा चुकी है वहाँ देखी जा सकती हैं।

32. किताब लैलतुल क़द्र

किताब लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत

١ - بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

और (सूरह क़द्र में) अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि मैंने इस (क़ुर्आन मजीद) को क़द्र की रात में उतारा। और तूने क्या समझा कि क़द्र की रात क्या है? क़द्र की रात हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है। उसमें फ़रिश्ते, रूहुल क़ुदस (जिब्रईल अलैहिस्सलाम) के साथ अपने रब के हुक्म से हर बात का इंतिज़ाम करने को उतरते हैं। और सुबह तक ये सलामती की रात क़ायम रहती है। सुफ़यान बिन उयैना ने कहा कि क़ुर्आन में जिस मौक़े के लिये मा अदराक आया है तो उसे अल्लाह तआला ने आँहज़रत (ﷺ) को बता दिया है और जिसके लिये मा युदरीक फ़र्माया उसे नहीं बताया है।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فَقَدْ أَعْلَمَهُ، وَمَا قَالَ : ﴿وَمَا يُدْرِيْكَ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ.

2014. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयैना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमने इस रिवायत को याद किया था। और ये रिवायत उन्होंने ज़ुहरी से (सुनकर) याद की थी। उनसे अबू सलमा ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब (हुसूले अज्र व सवाब की निय्यत) के साथ रखे, उसके अगले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं। जो लैलतुल क़द्र में ईमान व एहतिसाब

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
[راجع: ٣٥]

के साथ नमाज़ में खड़ा रहे, उसके भी अगले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं। सुफ़यान के साथ सुलैमान बिन कष़ीर ने भी इस ह़दीष़ को ज़ुह्री से रिवायत किया। (राजेअ़ : 35)

٢- بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

बाब 2 : क़द्र की रात को रमज़ान की आख़िरी त़ाक़ रातों में तलाश करने का बयान

٢٠١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)). [راجع: ١١٥٨]

2015. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, और उन्हें ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के चन्द अस्ह़ाब को शबे क़द्र ख़्वाब में (रमज़ान की) सात आख़िरी तारीख़ों में दिखाई गई थी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सबके ख़्वाब सात आख़िरी तारीखों पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इसलिये जिसे उसकी तलाश हो वो इसी हफ्ता की आख़िरी (त़ाक़) रातों में तलाश करे। (राजेअ़ : 1157)

आख़िरी अ़शरे की त़ाक़ रातें 21, 23, 25, 27 व 29 मुराद हैं।

तश्रीह : इस ह़दीष़ के तह़त ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब फ़र्माते हैं, **व फ़ी हाज़ल ह़दीष़ि दलालतुन अ़ला अ़ज़्मि क़द्रिर्रूया व जवाज़िल इस्तिनादि इलैहा फ़िल्इस्तिदलालि अलल उमूरि वुजूदिय्य बिशर्तिन अल्ला युख़ालिफ़ल क़वाइदश्शर्रय्या** (फ़त्ह़) या'नी इस ह़दीष़ से ख़्वाबों की क़दर व मंज़िलत ज़ाहिर होती है और ये भी कि उनमें उमूरे वजूबिया के लिये इस्तिनाद के जवाज़ की दलील है बशर्ते कि वो शरअ़ी क़वाइद के ख़िलाफ़ न हो। फ़िल् वाक़ेअ़ मुत़ाबिक़ ह़दीष़ दीगर मोमिन का ख़्वाब नुबुव्वत के सत्तर ह़िस़्सों में से एक अहम ह़िस़्सा है। क़ुर्आन मजीद की आयते शरीफ़ा **अला इन्न औलिया अल्लाहि** अल्ख़ में बुशरा से मुराद नेक ख़्वाब भी हैं, जो वो ख़ुद देखे या उसके लिये दूसरे लोग देखें।

٢٠١٦- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - وَكَانَ لِي صَدِيْقًا - فَقَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ، فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا- أَوْ نُسِّيْتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ،

2016. हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने बयान किया कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से पूछा, वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने जवाब दिया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ रमज़ान के दूसरे अ़शरे में ए'तिकाफ़ में बैठे। फिर बीस तारीख़ की सुबह को आँह़ज़रत (ﷺ) ए'तिकाफ़ से निकले और हमें ख़ुत्बा दिया आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई, लेकिन भुला दी गई, या (आपने ये फ़र्माया कि) मैं ख़ुद भूल गया। इसलिये तुम उसे आख़िरी अ़शरे की त़ाक़ रातों में तलाश करो। मैंने ये भी देखा है (ख़्वाब में) कि

गोया मैं कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। इसलिये जिसने मेरे साथ ए'तिकाफ़ किया हो वो फिर लौट आए और ए'तिकाफ़ में बैठे। ख़ैर हमने फिर ए'तिकाफ़ किया। उस वक़्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन देखते ही देखते बादल आया और बारिश इतनी हुई कि मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा जो खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज़ की तक्बीर हुई तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कीचड़ में सज्दा कर रहे थे, यहाँ तक कि कीचड़ का निशान आप (ﷺ) की पेशानी पर देखा। (राजेअ़ : 669)

وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مع رسول الله ﷺ فَلْيَرْجِعْ)). فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ)). [راجع: ٦٦٩]

बाब 3 : क़द्र की रात का रमज़ान के आख़िरी दस त़ाक़ रातों में तलाश करना, इस बाब में उ़बादा बिन स़ामित से रिवायत है

٣- بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. فِيهِ عُبَادَةُ

तश्रीह : लैलतुल क़द्र का वजूद, उसके फ़ज़ाइल और उसका रमज़ान शरीफ़ में वाक़ेअ़ होना ये चीज़ें नुसूसे क़ुर्आनी से स़ाबित हैं। जैसा कि सूरह क़द्र में मज़्कूर है और इस बारे में अह़ादीषे स़ह़ीह़ा भी बकष़रत वारिद हैं। फिर भी आजकल के कुछ मुंकिरीने ह़दीष़ ने लैलतुल क़द्र का इंकार किया है जिनका क़ौल हर्गिज़ क़ाबिले क़ुबूल नहीं है।

अ़ल्लामा इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **वख़्तुलिफ़ फ़िल्मुरादिल्लज़ी उज़ीफ़त इलैहिल्लैलतु फक़ील अल्मुरादु बिही अत्तअ़ज़ीमु फ़क़ौलिही तआ़ला व माक़दरुल्लाह ह़क़्क़ क़दरिही वल्मअ़ना अन्नहा ज़ात क़दरिन लिनुज़ूलिल्क़ुर्आनि** या'नी यहाँ क़द्र से क्या मुराद है, इस बारे में इख़्तिलाफ़ है। पस कहा गया है कि क़द्र से ता'ज़ीम मुराद है जैसा कि आयते क़ुर्आनी में है या'नी उन काफ़िरों ने पूरे त़ौर पर अल्लाह की अ़ज़्मत को नहीं पहचाना, आयते शरीफ़ा में जिस त़रह़ क़द्र से ता'ज़ीम मुराद है। यहाँ भी इस रात के लिये ता'ज़ीम मुराद है। इसलिये कि ये रात वो है जिसमें क़ुर्आने करीम का नज़ूल शुरू हुआ। **क़ालल उ़लमाउ सुम्मियत लैलतुल्क़दरि लिमा तक्तुबु फ़ीहल्मलाइकतु मिनल अक़्दारि लिक़ौलिही तआ़ला फ़ीहा युफ़्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम** (फ़त्हुल बारी) या'नी उ़लमा का एक क़ौल ये भी है कि उसका नाम लैलतुल क़द्र इसलिये रखा गया कि उसमें अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते आने वाले साल की कुल तक़्दीरें लिखते हैं। जैसा कि आयते क़ुर्आनी में मज़्कूर है कि उसमें हर मुह़कम अम्र लिखा जाता है।

इस रात के बारे में उ़लमा के बहुत से क़ौल हैं जिनको हाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने तफ़्सील के साथ लिखा है। जिन्हें 146 अक़्वाल की ता'दाद तक पहुँचा दिया है। आख़िर में आपने अपना फ़ाज़िलाना फ़ैसला इन लफ़्ज़ों में दिया है, **व अर्जहुहा कुल्लुहा अन्नहा फ़ी वितरिम्मिनल अश्रिल अख़ीरि व अन्नहा तन्तक़िलु कमा यफ़्हमु मिन अहादीष़ हाज़ल्बाबि** या'नी उन सब में तरजीह़ उस क़ौल को ह़ासिल है कि ये मुबारक रात रमज़ान शरीफ़ के आख़िरी अशरे की त़ाक़ रातों में होती है और ये हर साल मुंतक़िल होती रहती है। जैसा कि इस बाब की अह़ादीष़ से समझा जा सकता है। शाफ़िइया ने इक्कीसवीं रात को तरजीह़ दी है और जुम्हूर ने सत्ताइसवीं रात को, मगर स़ह़ीह़तर यही है कि इसे हर साल के लिये किसी ख़ास़ तारीख़ के साथ मुतअ़य्यन (निर्धारित) नहीं किया जा सकता। ये हर साल मुंतक़िल होती रहती है और ये एक पोशीदा (गुप्त) रात है, **क़ालल उ़लमाउ अल हिक्मतु फ़ी इख़्फ़ाइल्लैतिल क़द्रि लिय हसिलुल इज्तिहादु फ़ी इल्तिमासिहा बिख़िलाफ़ि मा लौ उय्यिनत लहा लैलतुन लउक़्तसिर अ़लैहा कमा तक़द्दम नहवहू फ़ी साअ़तिल्जुम्अ़ति** या'नी उ़लमा ने कहा कि इस रात के मख़्फ़ी (छुपी हुई) होने में ये ह़िक्मत है ताकि उसकी तलाश की जाए। अगर उसे मुअ़य्यन कर दिया जाता तो फिर इस

रात पर इक्तिसार कर लिया जाता। जैसा कि जुम्अे की घड़ी की तफ़्सील में पीछे मुफ़स्सल बयान किया जा चुका है। मुतर्जिम कहता है कि इससे उन लोगों के ख़्याल की भी तग़लीज़ होती है जो उसे हर साल इक्कीसवीं या सत्ताइसवीं शब के साथ ख़ास करते हैं।

मुख़्तलिफ़ आषार में इस रात की कुछ निशानियाँ भी बतलाई गई हैं, जिनको अल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने मुफ़स्सल लिखा है। मगर वो आषार बतौरे इम्कान हैं बतौरे शर्त के नहीं हैं, जैसा कि कुछ रिवायत में उसकी एक अलामत बारिश होना भी बतलाया गया है। मगर कितने ही रमज़ान ऐसे गुज़र जाते हैं कि उनमें बारिश नहीं होती, हालाँकि उनमें लैलतुल क़द्र का होना बरहक़ है। पस बहुत दफ़ा ऐसा होना मुम्किन है कि एक शख़्स ने आख़िर अशरे की ताक़ रातों में क़याम किया और उसे लैलतुल क़द्र हासिल भी हो गई। मगर उसने उस रात में कोई अम्र बतौरे ख़र्क़े आदत नहीं देखा। इसलिये हाफ़िज़ (रह.) फ़र्माते हैं, **फ़ला नअतक़िदु अन्न लैलतल क़द्रि ला यनालुहा इल्ला मन अरल्ख़वारिक़ बल फ़ज़्लुल्लाहि वासिउन** या'नी हम ये ए'तिक़ाद (यक़ीन) नहीं रखते कि लैलतुल क़द्र को वही पहुँच सकता है जो कोई अम्र ख़ारिक़े आदत देखे, ऐसा नहीं है बल्कि अल्लाह का फ़ज़्ल बहुत फ़राख़ (विशाल) है।

हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा था, हुज़ूर! मैं लैलतुल क़द्र में क्या दुआ पढ़ूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये दुआ बकषरत पढ़ा करो, **अल्लाहुम्म इन्नक अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी** ऐ अल्लाह! तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसन्द करता है, पस तू मेरी ख़ताएँ भी मुआफ़ कर दे।

उम्मीद है कि लैलतुल क़द्र की शब बेदारी करने में बुख़ारी शरीफ़ का मुतालआ (अध्ययन) करने वाले मुअज़्ज़ज़ भाई मुतर्जम (अनुवादक) व मुआविनीन सबको अपनी पाकीज़ा दुआओं में शामिल कर लिया करें, आमीन!!

शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मद्दज़िल्लुहू फ़र्माते हैं :–

षुम्मल जुम्हूर अला अन्नहा मुख़्तस्सतुन बिहाज़िल उम्मति व लम तकुन लिमन क़ब्लहुम क़ालल हाफ़िज़ु व जज़म बिही इब्नु हबीब व ग़ैरूहू मिनल मालिकिय्यति कल्बाजी व इब्नि अब्दिल बर्रि व नक़लहू अनिल जुम्हूरि साहिबुल इद्दति मिनश्शाफ़िइय्यति व रज्जहहू व क़ालन्ननववी अन्नहुस्सहीहुल मश्हूरूल्लज़ी क़तअ बिही अस्हाबुना कुल्लुहुम व जमाहीरूल उलमाइ क़ालल हाफ़िज़ु व हुव मुअतरिज़ुन बिहदीषि अबी ज़र्रिन इन्दन्नसई हैषु क़ाल फ़ीहि क़ुल्तु या रसूलल्लाहि (ﷺ) अ तकूनु मअल अंबियाइ फ़ इज़ा मातू रूफ़िअत क़ाल ला बल हिय बाक़ियतुन व उम्दतुहुम क़ौलु मालिक फ़िल मुअत्ता बलग़नी अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) तकासुरू आमारि उम्मतिही अन आमारिल माज़ियति फ़आताहुल्लाहु लैलतल क़द्रि व हाज़ा यहतमित्तावीलु बल यदफ़उस्सरीहु फ़ी हदीषि अबी ज़र्रिन इन्तिहा--क़ुल्तु हदीषु अबी ज़र्रिन जक़रहू इब्नु क़ुदामा 3/179 मिन अंय्यग़ज़ूहु लिअहदिन बिलफ़्ज़ि क़ुल्तु या नबियल्लाहि अ तकूनु मअल अंबियाइ मा कानू फ़इज़ा क़ुबिजतिल अंबियाउ व रूफ़िऊ रूफ़िअत मअहुम औ हिय इला यौमिल क़ियामति क़ाल बल हिय इला यौमिल क़ियामति व अम्मा अषरूल मुअत्ता फ़क़ाल मालिक फ़ीहि अन्नहू समिअ मय्युषिक़ बिही मिन अहलिल इल्मि यक़ूलु अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) अरा आमारन्नासि क़ब्लहू औ माशाअल्लाहु मिन ज़ालिक फ़कअन्नहू तक़ासर आमारु उम्मतिही अल्ला यब्लुग़ू मिनल अमलि मिष्लुल्लज़ी बलग़ ग़ैरूहुम फ़ी तूलिल उम्रि फ़आताहुल्लाहु लैलतिल क़द्रि ख़ैरुम्मिन अल्फ़ि शहर ...... क़ुल्तु व अषरुल्मुअतल मज़्कूर यदुल्लु अला अन्न इताअ लैलतिल्क़द्रि कान तस्लीयतुन लिहाज़िहिल उम्मतिल कषीरतिल आमारि व यश्हदु लिज़ालिक रिवायतुन उख़रा मुर्सलतन ज़करहल ऐनी फ़िल्उमदति (स. 129-130 जिल्द 11)

जुम्हूर का क़ौल यही है कि ये बात इसी उम्मत के साथ खास है और पहली उम्मतों के लिये ये नहीं थी। हाफ़िज़ ने कहा उसी अक़ीदा पर इब्ने हबीब और बाजी और इब्ने अब्दुल बर्र उलम-ए-मालिकिया ने जज़्म किया है। और शाफ़िइया में से साहिबुल उम्दह ने भी इसे जुम्हूर से नक़ल किया है। हाफ़िज़ ने कहा कि ये हदीष अबू ज़र (रज़ि.) के ख़िलाफ़ है जिसे निसाई ने रिवायत किया है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ) ये रात पहले अंबिया के साथ भी हुआ करती थी कि जब वो इंतिक़ाल कर जाते तो वो रात उठा दी जाती। आपने फ़र्माया कि नहीं, बल्कि वो रात बाक़ी है। और बेहतरीन क़ौल इमाम मालिक (रह.) का है जो उन्होंने मौता में नक़ल किया है कि मुझे पहुँचा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

को अपनी उम्मत की उम्रें कम होने का एहसास हुआ जबकि पहली उम्मतों की उम्रें लम्बी हुआ करती थी। पस अल्लाह तआला ने आपको लैलतुल क़द्र अता की जिससे आप (ﷺ) की उम्मत को तसल्ली देना मक़सूद था जिनकी उम्रें बहुत छोटी हैं और ये रात एक हज़ार महीने से बेहतर उनको दी गई। (मुल्हज)

सूरह शरीफ़ा, **इन्ना अंज़ल्नाहु फ़ी लैलतिल क़द्र** के शाने नुज़ूल में वाहिदी ने अपनी सनद के साथ मुजाहिद से नक़ल किया है कि **ज़करन्नबिय्यु (ﷺ) रजुलम्मिन बनी इस्राईल लबिसस्सलाह फ़ी सबीलिल्लाहि अल्फ़ शहर फअजबल मुस्लिमून मिन ज़ालिक फ़अन्ज़लल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल इन्ना अन्ज़ल्नाहु (अल्ख़) क़ाल ख़ैरुम्मनिल्लज़ी लबिसस्सलाह फ़ीहा ज़ालिकर्रजुलु इन्तिहा व ज़करल्मुफ़स्सिरून अन्नहू कान फ़िज़्ज़मनिल अव्वलि नबिय्युन युक़ालु लहू शम्सून अलैहिस्सलामु कातल्कफ़रत फ़ी दीनिल्लाहि अल्फ़ शहरिन व लम यन्ज़इस्सियाब वस्सलाह फ़क़ालतिस्सहाबतु या लैत लन उम्रन तवीलन हत्ता नुक़ातिल मिस्लहू फ़नज़लत हाज़िहिल आयतु व अख़्बर (ﷺ) इन्न लैलतल्क़द्रि ख़ैरुम्मिन अल्फ़ि शहर अल्लज़ी लबिसस्सलाह फ़ीहा शम्सून फ़ी सबीलिल्लाहि इला आख़िरिही ज़करल्ऐनी** या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी इस्राईल में से एक शख़्स का ज़िक्र फ़र्माया जिसने एक हज़ार महीने तक अल्लाह की राह में जिहाद किया था। उसको सुनकर मुसलमानों को बेहद तअज्जुब हुआ, इस पर ये सूरह नाज़िल हुई। मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि पहले ज़माने में एक शमसून नामी नबी थे, जो एक हज़ार महीने तक अल्लाह के दीन के लिये जिहाद करते रहे और उस तमाम मुद्दत में उन्होंने अपने हथियार जिस्म से नहीं उतारे, ये सुनकर सहाब–ए–किराम (रज़ि.) ने भी इस तवील उम्र के लिये तमन्ना की ताकि वो भी उस तरह ख़िदमते इस्लाम करें। इस पर ये सूरह नाज़िल हुई और बतलाया गया कि तुमको सिर्फ़ एक रात ऐसी दी गई जो इबादत के लिये एक हज़ार माह से बेहतर और अफ़ज़ल है।

2017. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमको अबू सुहैल ने बयान किया, उनसे उनके बाप मालिक बिन अबी आमिर ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़द्र की रात को रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। (दीगर मक़ाम : 2019, 2020)

٢٠١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)). [طرفاه في : ٢٠١٩، ٢٠٢٠]

2018. हमसे इब्राहीम बिन हम्ज़ा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम और अब्दुल अज़ीज़ दरावर्दी ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन हाद ने, उनसे मुहम्मद बिन इब्राहीम ने, उनसे अबू सलाम ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के उस अशरे में ए'तिकाफ़ किया करते जो महीने के बीच में पड़ता है। बीस रातों के गुज़र जाने के बाद जब इक्कीसवीं रात आती तो शाम को आप घर वापस आ जाते। जो लोग आपके साथ ए'तिकाफ़ में होते वो भी अपने घरों मे वापस आ जाते। एक रमज़ान में आप जब ए'तिकाफ़ किये हुए थे तो उस रात में भी (मस्जिद ही में) मुक़ीम रहे जिसमें आपकी आदत घर आ जाने की थी, फिर आपने लोगों को ख़ुत्बा दिया और जो कुछ अल्लाह पाक ने चाहा, आपने लोगों

٢٠١٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ

يَرْجِعُ فِيْهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: ((كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ)). فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فَبَصُرَتْ عَيْنِي، نَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِيءٌ طِيْنًا وَمَاءً)).

[راجع: ٦٦٩]

को उसका हुक्म दिया। फिर फ़र्माया कि मैं इस (दूसरे) अ़शरे मे ए'तिकाफ़ किया करता था। लेकिन अब मुझ पर ये ज़ाहिर हुआ है कि अब इस आख़िरी अ़शरे में मुझे ए'तिकाफ़ करना चाहिए। इसलिये जिसने मेरे साथ ए'तिकाफ़ किया है वो अपने मुअतकफ़ ही में ठहरा रहे। और मुझे ये रात (शबे क़द्र) दिखाई गई लेकिन फिर भुला दी गई। इसलिये तुम लोग उसे आख़िरी अशरे (की ताक़ रातों) में तलाश करो। मैंने (ख़्वाब में) अपने को देखा कि उस रात कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। फिर उस रात आसमान पर बादल हुआ और बारिश बरसी, नबी करीम (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने की जगह (छत से) पानी टपकने लगा। ये इक्कीसवीं रात का ज़िक्र है। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि आप (ﷺ) सुबह की नमाज़ के बाद वापस हो रहे थे और आपके चेहरा मुबारक पर कीचड़ लगी हुई थी।

(राजेअ़ : 669)

٢٠١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((الْتَمِسُوا..)). [راجع: ٢٠١٧]

2019. मुझसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने ख़बर दी, उन्हें आ़इशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (क़द्र की रात को) तलाश करो। (राजेअ़ : 2017)

जिसकी सूरत ये कि आख़िरी अशरा की ताक़ रातों में जागो और इ़बादत करो।

٢٠٢٠- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)).

2020. मुझसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया। उन्होंने कहा हमें अ़ब्दह बिन सुलैमान ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उ़र्वा ने, उन्हें उनके वालिद (उ़र्वा बिन ज़ुबैर) ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में ए'तिकाफ़ करते और फ़र्माते कि रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में क़द्र की रात को तलाश करो।

٢٠٢١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

2021. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़्तियानी ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़द्र की रात

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى)). [طرفه في : ٢٠٢٢].

को रमज़ान के आख़िरी अशरे में तलाश करो, जब नौ रातें बाक़ी रह जाएँ या पाँच रातें बाक़ी रह जाएँ। (या'नी 21 23 25वीं रातों में क़द्र की रात को तलाश करो)

(दीगर मक़ाम : 2022)

٢٠٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((هِيَ فِي الْعَشْرِ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ)). يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

2022. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी अल् अस्वद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे आ़सिम बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे अबू मिज्लज़ और इक्रिमा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़द्र की रात रमज़ान के (आख़िरी) अशरे में पड़ती है। जब नौ रातें गुज़र जाएँ या सात रातें बाक़ी रह जाएँ। आपकी मुराद क़द्र की रात से थी।

تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ((الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ)). [راجع: ٢٠٢١]

अ़ब्दुल वह्हाब ने अय्यूब और ख़ालिद से बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि क़द्र की रात को चौबीस तारीख़ (की रात) में तलाश करो। (राजेअ : 2021)

तशरीह : इस ह़दीष़ पर क़स्तलानी (रह.) वग़ैरह की मुख़्तसर तशरीह़ ये है, **फ़ी अर्बइंव्व इश्रीन मिन रमज़ान व हिय लैलतु इन्ज़ालिल क़ुर्आनि वस्तशकल ईरादु हाज़ल ह़दीष़ि हुना लिअन्नत्तर्जुमत लिऔतारिन व हाज़ा शफ़उन व उजीब बिअन्नल मुराद अल्तमिसूहा फ़ी तमामि अर्बअतिव्व इशरीन व हिय लैलतुल ख़ामिस वल इशरीन अ़ला अन्नल बुख़ारी रहिमहुल्लाहु कष़ीरम्मा यज़्कुरू तर्जुमतन व यसूक़ु फ़ीहा मा यकूनु बैनहू व बैनत्तर्जुमति अदना मुलाबसतिन** या'नी रमज़ान शरीफ़ की चौबीसवीं रात जिसमें क़ुर्आन मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ और यहाँ इस ह़दीष़ को लाने से ये मुश्किल पैदा हुई कि तर्जुम-ए-बाब त़ाक़ रातों के लिये है। और ये चौबीसवीं रात त़ाक़ नहीं है बल्कि शिफ़ा है और इस मुश्किल का जवाब ये दिया गया कि मुराद ये है कि चौबीसवीं तारीख़ रमज़ान को पूरा करके आने वाली रात में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। और वो पच्चीसवीं रात होती है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ये आ़दत शरीफ़ा है कि वो अकष़र अपने तराजिम के तह़त ऐसी अह़ादीष़ ले आते हैं। जिनमें किसी न किसी त़रह़ बाब से अदना से अदना मुनासबत भी निकल सकती है।

मुतर्जिम कहता है कि यहाँ भी ह़ज़रत इमाम (रह.) ने बाब में **फिल्वित्रि मिनल अश्रि** का इशारा उसी जानिब किया है कि अगरचे रिवायते इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) में चौबीसवीं तारीख़ का ज़िक्र है । मगर उससे मुराद यही है कि उसे पूरा करके पच्चीसवीं रात में जो वित्र है क़द्र की रात को तलाश करो। वल्लाहु आ़लम बिस्सवाब।

٢٠٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ.

3034. हमसे मुह़म्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, उनसे ख़ालिद बिन ह़ारिष़ ने बयान किया, उनसे हुमैद त़वील ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया और उनसे उ़बादा बिन स़ामित (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें क़द्र की रात की ख़बर देने के लिये तशरीफ़ ला रहे थे कि दो मुसलमान

فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ((خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩]

आपस में कुछ झगड़ा करने लगे। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं आया था कि तुम्हें क़द्र की रात बता दूँ लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया। पस उसका इल्म उठा लिया गया। और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। पस अब तुम उसकी तलाश (आख़िरी अशरे की) नौ या सात या पाँच (की रातों) में किया करो। (राजेअ : 49)

٥- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

बाब 5 : रमज़ान के आख़िरी अशरे में ज़्यादा मेह्नत करना

٢٠٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ)).

2024. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यय़ना ने बयान किया, उनसे अबू यअ़फ़ूर ने बयान किया, उनसे अबुज़्ज़ुहा ने, उनसे मसरूक़ ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि जब (रमज़ान का) आख़िरी अ़शरा आता तो नबी करीम (ﷺ) अपना तहबन्द मज़बूत़ बाँधते (या'नी अपनी कमर पूरी त़रह कस लेते) और उन रातों में आप ख़ुद भी जागते और अपने घरवालों को भी जगाया करते थे।

तशरीह : कमर कस लेने का मत़लब ये कि आप इस अ़शरे में इबादते इलाही के लिये ख़ास़ मेह्नत करते। ख़ुद जागते घरवालों को जगाते और रात भर इबादते इलाही में मशग़ूल रहते। और आँह़ज़रत (ﷺ) का ये सारा अ़मल ता'लीमे उम्मत के लिये था। अल्लाह तआ़ला ने क़ुर्आन पाक में फ़र्माया, **लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन् ह़सना** (अल् अह़ज़ाब : 21) ऐ ईमानवालों! अल्लाह के रसूल (ﷺ) तुम्हारे लिये बेहतरीन नमूना हैं। उनकी इक़्तिदा करना तुम्हारी सआ़दतमन्दी (सौभाग्य) है। यूँ तो हमेशा ही इबादते इलाही करना बड़ा स़वाब का काम है लेकिन रमज़ान के आख़िरी अशरे में इबादते इलाही करना बहुत ही बड़ा कारे स़वाब है। लिहाज़ा इन अय्याम में जिस क़द्र भी इबादत हो सके ग़नीमत है।

33. किताबुल ए'तिकाफ़

किताब ए'तिकाफ़ के मसाइल का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

बाब 1 : रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में ए'तिकाफ़ करना और ए'तिकाफ़ हर एक मस्जिद में दुरुस्त है

क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है, जब तुम मसाजिद में ए'तिकाफ़ किये हुए हो तो अपनी बीवियों से हमबिस्तरी न करो, ये अल्लाह के हुदूद हैं, इसलिये उन्हें (तोड़ने के) क़रीब भी न जाओ, अल्लाह तआला अपने अहकामात लोगों के लिये इसी तरह बयान फ़र्माता है ताकि वो (गुनाह से) बच सकें। (अल बक़र : 187)

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ١٨٧].

तश्रीह : हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **अल्इतिकाफ़ु लुग़तन लुज़ूमुश्शैइ व हब्सुन्नफ़्सि अलैहि व शर्अन अल्मक़ामु फ़िल्मस्जिदि मिन शख़्सिन मख़्सूसिन अला सिफ़तिन मख़्सूसतिन व लैस बिवाजिबिन इज्माअन इल्ला अला मन नज़रहू व कज़ा मन शरअ फ़ीहि फ़क़तअहू आमिदन इन्द क़ौमिन वख़्तुलिफ़ फ़ी इश्तिरातिस्सौमि लहू अल्ख़** (फ़त्हुल बारी) या'नी ए'तिकाफ़ के लग़्वी (शाब्दिक) मा'नी किसी चीज़ को अपने लिये लाज़िम कर लेना और अपने नफ़्स को उस पर मुक़य्यद (क़ैद या पाबन्द) कर देना और शरई मा'नी में किसी भी मस्जिद में किसी मुक़र्रर आदमी की तरफ़ से किसी मख़्सूस तरीक़े के साथ किसी जगह को लाज़िम कर लेना। और ये ए'तिकाफ़ इज्माई तौर पर वाजिब नहीं है। हाँ कोई अगर नज़्र माने या कोई शुरू करे मगर दरम्यान में क़स्दन (जान–बूझकर) छोड़ दे तो उन पर अदायगी वाजिब है और रोज़े की शर्त के बारे में इख़्तिलाफ़ है जैसा कि आगे आएगा।

ए'तिकाफ़ के लिये मस्जिद का होना शर्त है जो आयते क़ुर्आनी, **वअन्तुम आकिफ़ूना फ़िल्मसाजिद** (अल बक़र: : 187) से षाबित है। **व अजाज़ल हनफ़िय्यतु लिल्मर्अति अन तअतकिफ़ फ़ी मस्जिदि बैतिहा व हुवल मकानुल मुअद्दु लिस्सलाति फ़ीहि** (फ़त्ह) या'नी हन्फ़िया ने औरतों के लिये ए'तिकाफ़ जाइज़ रखा है इस सूरत में कि वो अपने घरों की उन जगहों में ए'तिकाफ़ करें जो जगह नमाज़ के लिये मख़्सूस की हुई होती हैं। इमाम ज़ुहरी और सलफ़ की एक जमाअत ने ए'तिकाफ़ को जामेअ मस्जिद के साथ ख़ास किया है। इमाम शाफ़िई (रह.) का भी तक़रीबन ऐसा ही इशारा है। और ये मुनासिब भी है ताकि मुअतकिफ़ आसानी के साथ जुम्आ की अदायगी भी कर सके। रमज़ान शरीफ़ के पूरे आख़िरी अशरे में ए'तिकाफ़ में बैठना मसनून है। यूँ एक दिन एक रात या और भी कोई मुद्दत के लिये बैठने की निय्यत करे तो उसे भी बक़द्रे अमल षवाब मिलेगा।

सुनन अबू दाऊद में हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि **अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफ़ि अल्ला यऊद मरीज़न व ला यशहदु जनाज़तन व ला यमस्सु इम्रातन व ला युबाशिरुहा व ला यख़रुजु लिहाजतिन इल्ला लिमा बुद्द मिन्हु** या'नी मुअतकिफ़ के लिये सुन्नत है कि वो किसी मरीज़ की इयादत के लिये न जाए और न किसी जनाज़े पर हाज़िर हो। और न अपनी औरत को छुए, न उससे मुबाशरत करे और किसी हाजत के लिये अपनी जगह से बाहर न निकले लेकिन जिसके लिये निकलना ज़रूरी हो। जैसा कि खाना–पीना या क़ज़ा–ए–हाजात के लिये जाना। अगर मुअतकिफ़ ऐसे कामों के लिये निकला और मस्जिद से खारिज ही वुज़ू करके वापस आ गया तो उसके ए'तिकाफ़ में कोई ख़लल न होगा, बाक़ी उमूर जाइज़ व नाजाइज़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपने अब्वाबे मुतफ़र्रिक़ा में ज़िक्र फ़र्मा दिये हैं। अल्मुहद्दिषुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) ने ए'तिकाफ़ के लिये जामेअ मस्जिद को मुख़्तार क़रार दिया है। (तुहफ़तुल अह्वज़ी, जिल्द 2 पेज नं. 72)

2025. हमसे इस्माईल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यूनुस ने, उन्हें नाफ़ेअ ने ख़बर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ए'तिकाफ़ करते थे।

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ)).

2026. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

حَدَّثَنَا عَنِ اللَّيْثِ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ: ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ)).

उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़्ह्हरा ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में ए'तिकाफ़ करते रहे। और आप (ﷺ) के बाद आप (ﷺ) की बीवियाँ ए'तिकाफ़ करती रहीं।

٢٠٢٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ - قَالَ: ((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ)). فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ)). [راجع: ٦٦٩]

2027. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हाद ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिष़ तैमी ने बयान किया, उनसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के दूसरे अ़शरे में ए'तिकाफ़ किया करते थे। एक साल आप (ﷺ) ने उन ही दिनों में ए'तिकाफ़ किया, और जब इक्कीसवीं तारीख़ की रात आई। ये वो रात है जिसकी सुबह को आप (ﷺ) ए'तिकाफ़ से बाहर आ जाते थे, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने मेरे साथ ए'तिकाफ़ किया हो वो अब आख़िरी अ़शरे में भी ए'तिकाफ़ करे। मुझे ये रात (ख़्वाब में) दिखाई गई, लेकिन फिर भुला दी गई। मैंने ये भी देखा कि उसी की सुबह मैं कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ, इसलिये तुम लोग उसे आख़िरी अ़शरे की हर त़ाक़ रातों में तलाश करो। चुनाँचे उसी रात बारिश हुई। मस्जिद की छत चूँकि खजूर की शाख़ से बनी थी इसलिये टपकने लगी और ख़ुद मैंने अपनी आँखों से देखा कि इक्कीसवीं की सुबह को रसूलुल्लाह (ﷺ) की पेशानी मुबारक पर कीचड़ लगी हुई थी।

(राजेअ़ : 669)

٢- بَابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفِ

बाब 2 : अगर हैज़ वाली औरत उस मर्द के सर में

कँघा करे जो ए'तिकाफ़ में हो

2028. हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन ड़र्वा ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने ख़बर दी और उनसे ड़ाइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में मुअ़तकिफ़ होते और सरे मुबारक मेरी तरफ़ झुका देते फिर मैं उसमें कँघा कर देती, हालाँकि मैं उस वक़्त हैज़ से हुआ करती थी। (बाब और हदीष़ में मुताबिक़त ज़ाहिर है) (राजेअ़ : 295)

٢٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)).

[راجع: ٢٩٥]

बाब 3 : ए'तिकाफ़ वाला बेज़रूरत घर में न जाए

٣- بَابُ الْمُعْتَكِفِ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ

2029. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे ड़र्वा और ड़मरह बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान ने कि नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा ड़ाइशा (रज़ि.) ने बयान किया, आँहज़रत (ﷺ) मस्जिद से (ए'तिकाफ़ की हालत में) सरे मुबारक मेरी तरफ़ हुज्रे के अंदर कर देते और मैं उसमें कँघा कर देती थी। हुज़ूर (ﷺ) जब मुअ़तकिफ़ होते तो बिला हाजत घर में तशरीफ़ नहीं लाते थे।

(दीगर मक़ाम : 2033, 2034, 2041, 2045)

٢٠٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ ((وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)).

[أطرافه في : ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٤١، ٢٠٤٥].

तश्रीह : अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) मरहूम फ़र्माते हैं, **फ़स्सरहुज़्ज़ुहरी बिल्बोलि वल्ग़ाइति व क़द इत्तफ़क़ू अ़ला इस्तिष़्नाइहिमा** (तुहफ़तुल अहवज़ी) या'नी इमाम ज़ुह्री ने हाजात की तफ़्सीर पेशाब और पाख़ाना से की है। और उस पर उनका इत्तिफ़ाक़ है कि इन हाजात के लिये घर जाना मुस्तष़्ना है और मुअ़तकिफ़ इन हाजात को दूर करने के लिये जा सकता है।

बाब 4 : ए'तिकाफ़ वाला सर या बदन धो सकता है

٤- بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

2030. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन ड़ययना ने बयान किया, उनसे मंसूर ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़्ई ने, उनसे अस्वद ने, और उनसे ड़ाइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं हाइज़ा होती फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे अपने बदन से लगा लेते। और आप (ﷺ)

٢٠٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ)).

[راجع: ٢٩٥]

मुअतकिफ़ होते और मैं हाइज़ा होती। (राजेअ : 295)

٢٠٣١- ((وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)). [راجع: ٢٩٥]

2031. इसके बावजूद आप सरे मुबारक (मस्जिद से) बाहर कर देते और मैं उसे धोती थी।

(राजेअ : 295)

मक़ामे ए'तिकाफ़ में बवक़्ते ज़रूरत मुअतकिफ़ के लिये सर या बदन का धोना जाइज़ है। इस हदीष़ से हज़रत इमाम (रह.) ने ये मसला ष़ाबित किया है।

٥- بَابُ الاِعْتِكَافِ لَيْلاً

बाब 5 : सिर्फ़ रातभर के लिये ए'तिकाफ़ करना

٢٠٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)).

[أطرافه في : ٢٠٤٣، ٣١٤٤، ٤٣٢٠، ٦٦٩٧].

2032. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने, उन्हे नाफ़ेअ ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, मैंने जाहिलियत में ये नज्र मानी थी कि मस्जिदे हराम में एक रात का ए'तिकाफ़ करूँगा। आपने फ़र्माया कि अपनी नज्र पूरी कर।

(दीगर मक़ाम : 2043, 3144, 4320, 6697)

नज्र व नियाज़ जो ख़ालिस़ अल्लाह के लिये हो और जाइज़ काम के लिये, जाइज़ तौर पर मानी गई हो उसका पूरा करना वाजिब है। ए'तिकाफ़ भी ऐसे उमूर में दाख़िल है अगर कोई ग़लत नज्र माने जैसा कि एक शख़्स़ ने पैदल चलकर हज्ज करने की नज्र मानी थी, आप (ﷺ) ने उसे बातिल क़रार दिया। इस तरह दीगर ग़लत नज्रे मन्नत भी तोड़ी जानी ज़रूरी है। ग़ैरूल्लाह के लिये कोई नज्र मन्नत मानना शिर्क में दाख़िल है।

٦- بَابُ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

बाब 6 : औरतों का ए'तिकाफ़ करना

٢٠٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ. فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً. فَلَمَّا

2033. हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल दौसी ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यह्या क़त्तान ने, उनसे अम्र ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ए'तिकाफ़ किया करते थे। मैं आपके लिये (मस्जिद में) एक ख़ैमा लगा देती। और आप सुबह की नमाज़ पढ़ के उसमें चले जाते थे। फिर हफ़्सा (रज़ि.) ने भी आइशा (रज़ि.) से ख़ैमा खड़ा करने की (अपने ए'तिकाफ़ के लिये) इजाज़त चाही। आइशा (रज़ि.) ने इजाज़त दे दी और उन्होंने एक खैमा खड़ा कर लिया। जब ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) ने देखा तो उन्होंने भी

(अपने लिये) एक ख़ैमा खड़ा कर लिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कई ख़ैमे देखे तो फ़र्माया, ये क्या है? आपको उनकी हक़ीक़त की ख़बर दी गई। आपने फ़र्माया, क्या तुम समझते हो ये ख़ैमे षवाब की निय्यत से खड़े किये गये हैं। पस आपने इस महीना (रमज़ान) का ए'तिकाफ़ छोड़ दिया और शव्वाल के अशरे का ए'तिकाफ़ किया। (राजेअ : 2029)

رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الأَخْبِيَةَ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((آلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ؟)) فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ)). [راجع: ٢٠٢٩]

तश्रीह : **क़ाल इस्माईली फ़ीहि दलीलुन अला इतिकाफ़ि बिग़ैरि सौमिन लिअन्न अव्वल शव्वालिन यौमुल फ़ित्रति व सौमुहू हरामुन** या'नी इस हदीष में दलील है कि बग़ैर रोज़े के भी ए'तिकाफ़ दुरुस्त है इसलिये कि आपने अव्वल अशरा शव्वाल में ए'तिकाफ़ किया। जिसमें यौमुल फ़ित्र भी दाख़िल है। जिसमें रोज़ा रखना मना है। हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **अन्नल्मर्अत ला तअतकिफु हत्ता तस्तअज़न ज़ौजहा व अन्नहा इज़ा इअतकफ़त बिग़ैरि इज़्निही कान लहू अंय्यख़्रिजहा व फ़ीहि जवाज़ु ज़र्बल अख़्बियति फ़िल्मस्जिदि व अन्नल अफ़ज़ल लिन्निसाइ अल्ला यअतकिफ़्न फ़िल्मस्जिदि व फ़ीहि अन्न अव्वलल वक़्तिल्लज़ी यदख़ुलु फ़ीहिलमुअतकिफ़ु बअद सलातिस्सुब्हि व हुव क़ौलुल औज़ाई व क़ाल अइम्मतुल अर्बअतु व ताइफ़तुन यदख़ुलु क़ब्ल गुरूबिश्शम्सि व उलुल हदीषि अला अन्नहू दख़ल मिन अव्वलिल लैलि व लाकिन इन्नमा तख़ल्ला बिनफ़्सिही फ़िल्मकानिल्लज़ी अअद्दहू लिनफ़्सिही बअद सलातिस्सुब्हि** या'नी औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर ए'तिकाफ़ न करे और बग़ैर इजाज़त ए'तिकाफ़ की सूरत में शौहर को हक़ है कि वो औरत का ए'तिकाफ़ ख़त्म करा दे। और ए'तिकाफ़ के लिये मसाजिद में ख़ैमा लगाना दुरुस्त है। और औरतों के लिये अफ़ज़ल यही है कि वो मसाजिद में ए'तिकाफ़ न करें और मुअतकिफ़ के लिये अपनी जगह में दाख़िल होने का वक़्त नमाज़े फ़ज्र के बाद का वक़्त है। ये औज़ाई का क़ौल है लेकिन चारों इमाम और एक जमाअत उलमा का क़ौल ये है कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले अपने मक़ाम में दाख़िल हो और हदीषे मज़्कूरा का मतलब उन्होंने यूँ बयान किया कि आप अव्वल रात ही में दाख़िल हो गए थे मगर जो जगह आपने ए'तिकाफ़ के लिये मख़्सूस फ़र्माई थी उसमें फ़ज्र के बाद दाख़िल हुए।

बाब 7 : मस्जिदों में ख़ैमे लगाना

٧- بَابُ الأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

2034. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन सईद ने, उन्हें अम्रह बिन्ते अब्दुर्रहमान ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने ए'तिकाफ़ का इरादा किया। जब आप (ﷺ) उस जगह तशरीफ़ लाए (या'नी मस्जिद में) जहाँ आप (ﷺ) ने ए'तिकाफ़ का इरादा किया था। तो वहाँ कई ख़ैमे मौजूद थे। आइशा (रज़ि.) का भी, हफ़्सा (रज़ि.) का भी और ज़ैनब (रज़ि.) का भी, इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया क्या तुम ये समझते हो कि उन्होंने षवाब की निय्यत से ऐसा किया है। फिर आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ ले गए और ए'तिकाफ़ नहीं किया बल्कि शव्वाल के अशरे में ए'तिकाफ़ किया।
(राजेअ : 2029)

٢٠٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ: خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، وَخِبَاءُ زَيْنَبَ. فَقَالَ: ((آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ، حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ)). [راجع: ٢٠٢٩]

बाब 8 : क्या मुअ़तकिफ़ अपनी ज़रूरत के लिये मस्जिद के दरवाज़े तक जा सकता है?

٨- بَابُ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ؟

2035. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उनसे ज़ुह्‌री ने बयान किया कि मुझे इमाम ज़ैनुल आबेदीन अ़ली बिन हुसैन ने ख़बर दी और उन्हे नबी करीम (ﷺ) की पाक बीवी ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) ने ख़बर दी कि वो रमज़ान के आख़िरी अ़शरा में जब रसूले करीम (ﷺ) ए'तिकाफ़ में बैठे हुए थे, आप (ﷺ) से मिलने मस्जिद में आईं थोड़ी देर तक बातें कीं फिर वापस होने के लिये खड़ी हुईं। नबी करीम (ﷺ) भी उन्हें पहुँचाने के लिये खड़े हुए। जब वो उम्मे सलमा (रज़ि.) के दरवाज़े से क़रीब वाले मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँचे, तो दो अंसारी आदमी उधर से गुज़रे और नबी करीम (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया किसी सोच की ज़रूरत नहीं, ये तो (मेरी बीवी) स़फ़िया बिन्ते ह़ुय्यि (रज़ि.) हैं। उन दोनों स़ह़ाबियों ने अ़र्ज़ किया, सुब्ह़ानल्लाह! या रसूलल्लाह (ﷺ)! उन पर आपका जुम्ला बड़ा शाक़ गुज़रा। आपने फ़र्माया कि शैत़ान ख़ून की त़रह इंसान के बदन में दौड़ता रहता है। मुझे ख़त़रा हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में वो कोई बदगुमानी न डाल दे।

(दीगर मक़ाम : 2038, 2039, 3101, 3281, 6219, 7171)

٢٠٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)). فَقَالاَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا)).

[أطرافه في : ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٣١٠١، ٣٢٨١، ٦٢١٩، ٧١٧١].

तश्रीह : इस ह़दीष़ से षाबित हुआ कि मुअ़तकिफ़ ज़रूरी काम के लिये मक़ामे ए'तिकाफ़ से बाहर निकल सकता है। आप (ﷺ) ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) के साथ इसलिये निकले कि वो अकेली रह गई थीं। कहते हैं उनका मकान भी मस्जिद से दूर था कुछ रिवायतों में उन देखने वालों के बारे में ज़िक्र है कि उन्होंने आगे बढ़ जाना चाहा था, आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़क़ीक़ते ह़ाल से आगाह करने के लिये उनको बुलाया। मा'लूम हुआ कि किसी मुम्किन शक को दूर कर देना बहरह़ाल अच्छा है।

बाब 9 : आँह़ज़रत (ﷺ) के ए'तिकाफ़ का और बीसवीं की सुबह़ को आपका ए'तिकाफ़ से निकलने का बयान

٩- بَابُ الإِعْتِكَافِ. وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

2036. मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने हारून बिन इस्माईल से सुना, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ली बिन मुबारक ने बयान किया, कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से क़द्र की रात का ज़िक्र सुना है? उन्होंने कहा कि हाँ! हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रमज़ान के दूसरे अ़शरे में ए'तिकाफ़ किया था, अबू सईद (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर बीस की सुबह को हमने ए'तिकाफ़ ख़त्म कर दिया। उसी सुबह को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़िताब फ़र्माया, कि मुझे क़द्र की रात दिखाई गई थी लेकिन फिर भुला दी गई, इसलिये अब उसे आख़िरी अ़शरे की ताक़ रातों में तलाश करो। मैंने (ख़्वाब में) देखा है कि मैं कीचड़, पानी में सज्दा कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (उस साल) ए'तिकाफ़ किया था वो फिर दोबारा करें। चुनाँचे वो लोग मस्जिद में दोबारा आ गए। आसमान में कहीं बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था कि अचानक बादल आया और बारिश शुरू हो गई, फिर नमाज़ की तक्बीर हुई और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कीचड़ में सज्दा किया। मैंने ख़ुद आपकी नाक और पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ देखा।

٢٠٣٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ هَارُونَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيْتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ)). فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ. وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطِّيْنِ وَالْمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّيْنَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ)).

बाब 10 : क्या मुस्तहाज़ा औरत ए'तिकाफ़ कर सकती है?

١٠ - بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

2037. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने बयान किया, उनसे ख़ालिद ने, उनसे इक्रिमा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आप (ﷺ) की बीवियों में से एक ख़ातून (उम्मे सलमा (रज़ि.) ने जो मुस्तहाज़ा थीं, ए'तिकाफ़ किया। वो सुर्ख़ी और ज़र्दी (या'नी इस्तिहाज़ा का ख़ून) देखती थीं। अकष़र तश्त हम

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا

उनके नीचे रख देते और वो नमाज़ पढ़ती रहतीं। (राजेअ़ : 209)

وَهِيَ تُصَلِّي)). [راجع: ٢٠٩]

तश्रीह : मुस्तहाज़ा वो औरत जिसको हैज़ का ख़ून बीमारी के तौर पर हर वक़्त जारी रहता हो, ऐसी औरत को नमाज़ पढ़नी होगी। मगर उसके लिये ग़ुस्ले तहारत भी ज़रूरी है जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है। अज़्वाजे मुतह्हरात में से एक मुहतरमा बीवी उम्मे सलमा (रज़ि.) जो इस मर्ज़ में मुब्तला थीं उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) के साथ ए'तिकाफ़ किया था। इसी से हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन (रह.) ने बाब का मज़्मून षाबित किया है। बाद में जब आपने कुछ अज़्वाजे मुतह्हरात के बकषरत ख़ैमे मस्जिद में ए'तिकाफ़ के लिये देखे, तो आप (ﷺ) ने सबको दूर करा दिया था।

बाब 11 : औरत ए'तिकाफ़ की हालत में अपने शौहर से मुलाक़ात कर सकती है

١١- بَابُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

2038. हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लैष ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे इमाम जैनुल आबेदीन अली बिन हुसैन (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की पाक बीवी हज़रत सफ़िया (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी (दूसरी सनद) और इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उन्हें मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें अली बिन हुसैन (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में (ए'तिकाफ़ में) थे आपके पास अज़्वाजे मुतह्हरात बैठी थीं। जब वो चलने लगीं तो आपने सफ़िया बिन्ते हुय्यि (रज़ि.) से फ़र्माया कि जल्दी न कर, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। उनका हुज्रा दारे उसामा (रज़ि.) में था। चुनाँचे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके साथ निकले तो दो अंसारी सहाबियों से आप (ﷺ) की मुलाक़ात हुई। उन दोनों हज़रात ने नबी करीम (ﷺ) को देखा और जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहा। लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ठहरो! इधर सुनो! ये सफ़िया बिन्ते हुय्यि (रज़ि.) हैं, (जो मेरी बीवी हैं) उन हज़रात ने अ़र्ज़ किया, सुब्हानल्लाह! या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने फ़र्माया कि शैतान (इंसान के जिस्म में) ख़ून की तरह दौड़ता है और मुझे ख़तरा ये हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में भी कोई बुरी बात न डाल दे।

(राजेअ़ : 2035)

٢٠٣٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ ح. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ: ((لاَ تَعْجَلِي حَتَّى انْصَرِفَ مَعَكِ))، وَكَانَتْ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا، فَلَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَجَازَا، وَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ((تَعَالَيَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)) قَالاَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا)).

[راجع: ٢٠٣٥]

तश्रीह : ये ह़दीष़ कई सनदों के साथ कई जगह गुज़र चुकी है और ह़ज़रत इमाम (रह.) ने उससे बहुत से मसाइल के लिये इस्तिम्बात फ़र्माया है। अ़ल्लामा इब्ने ह़जर उसके ज़ेल में एक जगह लिखते हैं, **व फ़िल्हदीष़ि मिनल्फ़वाइदि इश्तिगालिल्मुअतकिफ़ि बिल्उमूरिल मुबाहति मिन तशईए जाइरिही वल्क़ियामि मअहू वल्हदीषु मअ ग़ैरिही व इबाहतु ख़ल्वतिल मुअतकिफ़ि बिज़्ज़ौजति व ज़ियारतुल इम्राति अल्मुअतकिफ़ व बयानु शफ़्क़तिही (ﷺ) अ़ला उम्मतिही व इर्शादिहुम इला मा यदफ़उ अन्हुमुल्इष्म व फ़ीहि अत्तहर्रज़ु मिनत्तअर्रज़ि लिसूइज़्ज़न्नि वल इहतिफ़ाज़ि मिन क़ैदिश्शैतानि वल इअतिज़ारि व क़ाल इब्नु दक़ीक़ अल ईद व हाज़ा मनाकिदु फ़ी हक्क़िल उलमाइ व मंय्यक़्तदी बिही फ़ला यजूज़ु लहुम अंय्यफ़्अलू फ़िअलन यूजिबु सूअज़्ज़न्नि बिहिम व इन कान लहुम फ़ीहि मुख़्लिसुन लिअन्न ज़ालिक सबबुन इला इब्तालिल इन्तिफ़ाइ बिइल्मिहिम व मिन ष़म्म क़ाल बअ़ज़ुल उलमाइ यम्बग़ी लिल हाकिम अंय्यबय्यिन लिल्महकूमि अ़लैहि वज्हुल्हुक्मि इज़ा कान ख़ाफ़ियन नफ़्यन लित्तुहमति व मिन हाहुना यज़ हरु ख़ताउन मंय्यतजाहरु बिमुजाहरिस्सूइ व यअतज़िरू बिअन्नहू युजर्रिबु बिज़ालिक अ़ला नफ़्सिही व क़द अ़ज़ुमल्बलाउ बिहाज़स्सिन्फ़ि वल्लाहु अ़ालमु व फ़ीहि इज़ाफ़तु बुयूति अज़्वाजिन्नबिय्यि (ﷺ) इलैहिन्न फ़ीहि जवाज़ु ख़ुरूजिल्मर्अति व फ़ीहि क़ौलु सुब्हानिल्लाहि इन्दल्अजबि अल्ख़** (फ़त्हुल बारी)

मुख़्तसर मतलब ये कि इस ह़दीष़ से बहुत से फ़वाइद निकलते हैं। मष़लन ये कि मुअतकिफ़ के लिये मुबाह है कि वो अपने मिलने वालों को खड़ा होकर उनको रुख़्सत कर सकता है और ग़ैरो के साथ बात भी कर सकता है और उसके लिये अपनी बीवी के साथ ख़ल्वत (एकान्त में बात करना) भी मुबाह है। या'नी इससे तंहाई में सिर्फ़ ज़रूरी और मुनासिब बातचीत करना और ए'तिकाफ़ करने वाले की औरत भी उससे मिलने आ सकती है और इस ह़दीष़ से उम्मत के लिये शफ़क़ते नबवी का भी इष्बात है और आप (ﷺ) के ऐसे इर्शाद पर भी दलील है जो कि उम्मत से गुनाहों के दफ़ा करने के बारे में है और इस ह़दीष़ से ये भी ष़ाबित हुआ कि बदगुमानी और शैतानी चालों से अपने आपको महफ़ूज़ रखना भी बेहद ज़रूरी है। इब्ने दक़ीकुल ईद ने कहा कि उ़लमा के लिये बहुत ज़रूरी है कि वो कोई ऐसा काम न करें जिससे उनके ह़क़ में लोग बदगुमानी इख़्तियार कर सकें, अगरचे उस काम में उनके इख़्लास भी हो। मगर बदगुमानी पैदा होने की सूरत में उनके उ़लूम का इन्तिफ़ाअ ख़त्म हो जाने का अन्देशा है। इसलिये कुछ उ़लमा ने कहा है कि ह़ाकिम के लिये ज़रूरी है कि मुद्दआ अ़लैह पर जो उसने फ़ैसला दिया है उसकी पूरी वुजूह उसके सामने बयान कर दे ताकि वो कोई ग़लत तोहमत न लगा सके। और उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि कोई शख़्स बतौर तजर्बा भी कोई बुरा मुज़ाहिरा न करे। ऐसी बलाएँ आजकल आ़म हो रही हैं और इस ह़दीष़ में बुयूते अज़्वाजुन्नबी की इज़ाफ़त का भी जवाज़ है और रात में औरतों का घरों से बाहर निकलने का भी जवाज़ ष़ाबित है और तअ़ज्जुब के वक़्त सुब्हानल्लाह कहने का ष़बूत है। वल्लाहु आ़लम बिस्सवाब।

बाब 12 : ए'तिकाफ़ वाला अपने ऊपर से किसी बदगुमानी को दूर कर सकता है

١٢- بَابُ هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ؟

2039. हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे भाई ने ख़बर दी, उन्हें सुलैमान ने, उन्हें मुहम्मद बिन अबी अ़तीक़ ने, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें अ़ली बिन हुसैन (रज़ि.) ने कि सफ़िया (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी, (दूसरी सनद) और हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़ुहरी से सुना। वो अ़ली बिन हुसैन (रज़ि.) से ख़बर देते थे कि सफ़िया (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के यहाँ आईं। आप उस वक़्त ए'तिकाफ़ में थे। फिर

٢٠٣٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ح. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ

رضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ: ((تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ)) - وَرُبَّمَا قَالَ هَذِهِ صَفِيَّةُ - فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَتَتْهُ لَيْلاً؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَّ لَيْلاً؟)). [راجع: ٢٠٣٥]

जब वो वापस होने लगीं तो आप भी उनके साथ (थोड़ी दूर तक उन्हें छोड़ने) आए। (आते हुए) एक अंसारी सहाबी (रज़ि.) ने आपको देखा। जब आँहज़रत (ﷺ) की नज़र उन पर पड़ी, तो फ़ौरन आप (ﷺ) ने उन्हें बुलाया, कि सुनो! ये (मेरी बीवी) सफ़िया (रज़ि.) हैं। (सुफ़यान ने हिया सफ़यतु की बजाए कुछ दफ़ा हाज़िही सफ़यतु के अल्फ़ाज़ कहे। (उसकी वज़ाहत इसलिये ज़रूरी समझी) कि शैतान इंसान के जिस्म में ख़ून की तरह दौड़ता रहता है। मैं (अली बिन अब्दुल्लाह) ने सुफ़यान से पूछा कि ग़ालिबन वो रात को आती रही होंगी? तो उन्होंने कहा कि रात के सिवा और वक़्त ही कौनसा हो सकता है। (राजेअ: 2035)

١٣- بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

बाब 13 : ए'तिकाफ़ से सुबह के वक़्त बाहर आना

बाब की हदीष इस पर महमूल (आधारित) है कि आपने रातों के ए'तिकाफ़ की निय्यत की थी न दिनों की। गोया ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद ए'तिकाफ़ में गए और सुबह होते ही बाहर आए, अगर कोई दिनों के ए'तिकाफ़ की निय्यत करे तो तुलूअ़े फ़ज्र होते ही ए'तिकाफ़ में जाए और ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद निकल आए। (वहीदी)

٢٠٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ. قَالَ: وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيْدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: ((اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ)). فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتِ

2040. हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन बशर ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी नुजैह के मामूँ सुलैमान अहवल ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने। सुफ़यान ने कहा और हमसे मुहम्मद बिन अ़म्र ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने, सुफ़यान ने ये भी कहा कि मुझे यक़ीन के साथ याद है कि इब्ने अबी लुबैद ने हमसे ये हदीष बयान की थी, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रमज़ान के दूसरे अ़शरे में ए'तिकाफ़ के लिये बैठे। बीसवीं की सुबह को हमने अपना सामान (मस्जिद से) उठा लिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि जिसने (दूसरे अ़शरे में) ए'तिकाफ़ किया है वो दोबारा ए'तिकाफ़ की जगह चले, क्योंकि मैंने आज की रात (क़द्र की रात को) ख़्वाब में देखा है। मैंने ये भी देखा कि मैं कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। फिर जब

अपने ए'तिकाफ़ की जगह (मस्जिद में) आप दोबारा आ गये तो अचानक बादल मँडलाए, और बारिश हुई। उस ज़ात की क़सम जिसने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को हक़ के साथ भेजा है! आसमान पर उसी दिन के आख़िरी हिस्से में बादल हुआ था। मस्जिद खजूर की शाखों से बनी हुई थी (इसलिये छत से पानी टपका) जब आप (ﷺ) ने नमाज़े सुबह अदा की, तो मैंने देखा कि आपकी नाक और पेशानी पर कीचड़ का अष़र था। (राजेअ़ : 669)

السَّمَاءُ فَمُطِرْنَا، فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ)).

[راجع: ٦٦٩]

बाब 14 : शव्वाल में ए'तिकाफ़ करने का बयान

١٤- بَابُ الاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ

2041. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल बिन ग़ज़्वान ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन सईद ने, उन्हें अ़मरह बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर रमज़ान में ए'तिकाफ़ किया करते। आप सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद उस जगह जाते जहाँ आपको ए'तिकाफ़ के लिये बैठना होता। रावी ने कहा कि ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी आपसे ए'तिकाफ़ करने की इजाज़त चाही, आपने उन्हें इजाज़त दे दी, इसलिये उन्होंने (अपने लिये भी मस्जिद में) एक ख़ैमा लगा लिया। ह़फ़्सा (रज़ि.) (नबी करीम (ﷺ) की बीवी) ने सुना तो उन्होंने भी एक ख़ैमा लगा लिया। ज़ैनब (रज़ि.) (नबी करीम ﷺ की ज़ोजा मुत़हहरा) ने सुना तो उन्होंने भी एक ख़ैमा लगा लिया। सुबह को जब आँह़ज़रत (ﷺ) नमाज़ पढ़कर लौटे तो चार ख़ैमे नज़र आए। आप (ﷺ) ने पूछा, ये क्या है? आप (ﷺ) को ह़क़ीक़ते ह़ाल की इत्तिला दी गई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्होंने ष़वाब की निय्यत से ये नहीं किया, (बल्कि सिर्फ़ एक दूसरी की रेस से ये किया है) इन्हें उखाड़ दो। मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता, चुनाँचे वो उखाड़ दिये गए। और आपने भी (उस साल) रमज़ान में ए'तिकाफ़ नहीं किया बल्कि शव्वाल के आख़िरी अ़शरे में ए'तिकाफ़ किया। (राजेअ़ : 2039)

٢٠٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ. قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيْهِ قُبَّةً. فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: ((مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا))، فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ)). [راجع: ٢٠٣٩]

बाब 15 : ए'तिकाफ़ के लिये रोज़ा ज़रूरी न होना

١٥- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

2042. हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने

٢٠٤٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

अपने भाई (अ़ब्दुल ह़मीद) से, उनसे सुलैमान ने, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने, कि उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने जाहिलियत में नज्र मानी थी कि एक रात का मस्जिदे ह़राम में ए'तिकाफ़ करूँगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर अपनी नज्र पूरी कर। चुनाँचे उ़मर (रज़ि.) ने एक रातभर ए'तिकाफ़ किया।

(राजेअ़ : 2032)

عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَوْفِ نَذْرَكَ)). فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.

[راجع: ٢٠٣٢]

बाब 16 : अगर किसी ने जाहिलियत में ए'तिकाफ़ की नज्र मानी फिर वो इस्लाम लाया

١٦- بَابُ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

बाब की ह़दीष़ में आपने ऐसी नज्र के पूरा करने का हुक्म दिया, मा'लूम हुआ कि नज्र और यमीन ह़ालते कुफ़्र में स़ह़ीह़ हो जाती है और इस्लाम के बाद भी उसका पूरा करना लाज़िम है। (वह़ीदी)

2043. हमसे उ़बैदुल्लाह बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने, उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ज़माना जाहिलियत मे मस्जिदे ह़राम में ए'तिकाफ़ की नज्र मानी थी, उ़बैद ने बयान किया कि मेरा ख़्याल है कि उन्होंने रातभर का जिक्र किया था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपनी नज्र पूरी कर।

٢٠٤٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - قَالَ: أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً - قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)).

बाब 17 : रमज़ान के दरम्यानी अ़शरे में ए'तिकाफ़ करना

١٧- بَابُ الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

इससे इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि ए'तिकाफ़ के लिये रमज़ान का आख़िरी अशरा ज़रूरी नहीं। गोया आख़िरी अ़शरे में ए'तिकाफ़ करना अफ़ज़ल है।

2044. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबक्र बिन अ़याश ने बयान किया, उनसे अबू हुसैन उ़ष्मान बिन आसिम ने, उनसे अबू स़ालेह़ सिमान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर साल रमज़ान में दस दिन का ए'तिकाफ़ किया करते थे। लेकिन जिस

٢٠٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ

رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا)).

[طرفه في : ٤٩٩٨].

साल आप (ﷺ) का इंतिक़ाल हुआ उस साल आपने बीस दिन का ए'तिकाफ़ किया था। (दीगर मक़ाम : 4998)

इब्ने बत्ताल ने कहा कि इससे ये निकलता है कि ए'तिकाफ़ सुन्नते मुअक्कदा है, और इब्ने मुंज़िर ने इब्ने शिहाब से निकाला कि मुसलमानों पर तअज्जुब है कि उन्होंने ए'तिकाफ़ करना छोड़ दिया, हालाँकि आँहज़रत (ﷺ) जबसे मदीना में तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने वफ़ात तक ए'तिकाफ़ तर्क नहीं फ़र्माया था। उस साल आप (ﷺ) ने बीस दिन का ए'तिकाफ़ इसलिये किया था कि आपको मा'लूम हो गया था कि अब वफ़ात क़रीब है।

١٨- بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

बाब 18 : ए'तिकाफ़ का क़स्द किया लेकिन फिर मुनासिब ये मा'लूम हुआ कि ए'तिकाफ़ न करें तो ये भी दुरुस्त है

٢٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ)). فَرَجَعَ. فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ)).

[راجع: ٢٠٢٩]

2045. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल अबुल हसन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें औज़ाई ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अमरह बिन्ते अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने रमज़ान के आख़िरी अशरे में ए'तिकाफ़ के लिये ज़िक्र किया। आइशा (रज़ि.) ने भी आप (ﷺ) से इजाज़त माँगी। आपने उन्हें इजाज़त दे दी, फिर हफ़्सा (रज़ि.) ने आइशा (रज़ि.) से कहा कि उनके लिये भी इजाज़त ले दें चुनाँचे उन्होंने ऐसा कर दिया। जब ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) ने देखा, तो उन्होंने भी ख़ैमा लगाने के लिये कहा, और उनके लिये भी ख़ैमा लगा दिया गया। उन्हों ने ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ के बाद अपने ख़ैमे में तशरीफ़ ले जाते आज आपको बहुत से ख़ैमे दिखाई दिये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये क्या है? लोगों ने बताया कि आइशा (रज़ि.), हफ़्सा और ज़ैनब (रज़ि.) के ख़ैमे हैं। उस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, भला क्या उनकी ष़वाब की नियत है। अब मैं भी ए'तिकाफ़ नहीं करूँगा। फिर जब रमज़ान ख़त्म हो गया, तो आप (ﷺ) ने शव्वाल में ए'तिकाफ़ किया।

(राजेअ : 2029)

١٩- بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ

बाब 19 : ए'तिकाफ़ वाला धोने के लिये अपना

सर घर में दाख़िल करता है।

اَلْبَيْتَ لِلْغُسْلِ

٢٠٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ)).

[راجع: ٢٩٥]

2046. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उनसे हिशाम ने बयान किया, उन्हें मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें उ़र्वा ने और उन्हें आइशा (रज़ि.) ने कि वो हाइज़ा होती थीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में ए'तिकाफ़ में होते थे। फिर भी आपके सर में अपने हुज्रे ही में कँघा करती थीं। आप अपना सरे मुबारक उनकी त़रफ़ बढ़ा देते।

(राजेअ़ : 295)

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ने तरावीह़, लैलतुल क़द्र व ए'तिकाफ़ के मसलों के अन्तर्गत यहाँ कुल उन्तालीस ह़दीष़ों को नक़ल फ़र्माया। जिनमें मर्फ़ूअ़, मुअल्लक़, मुकर्रर तमाम अह़ादीष़ शामिल हैं। कुछ स़ह़ाबा किराम और ताबेई़ने इ़ज़ाम के आष़ार भी आपने ज़िक्र फ़र्माए, चूँकि ईमान और अरकाने ख़म्सा के बाद अव्वलीन चीज़ जो हर मुसलमान के लिये बेह़द ज़रूरी है वो त़लबे रिज़्क़े ह़लाल है जिसका बेहतरीन ज़रिया तिजारत है, इसलिये अब इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल बुयूअ़ को शुरू फ़र्माया, रिज़्क़ की तलाश के लिये तिजारत को अव्वलीन ज़रिया क़रार दिया गया है। तिजारत नबी करीम (ﷺ) की सुन्नत है। क़ुर्आन मजीद में भी लफ़्ज़ तिजारत अलग मक़सद के तह़त बोला गया है। जो ताजिर अमानत व दयानत के साथ तिजारत करता है उनके लिये बहुत कुछ बशारतें वारिद हुई हैं जिनमें कुछ यहाँ भी मुलाह़ज़ा में आएँगी। इंशाअल्लाह तआ़ला।

34. किताबुल बुयूअ़

किताब ख़रीदो-फ़रोख़्त के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

और अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान कि, अल्लाह ने तुम्हारे लिये ख़रीद व फ़रोख्त ह़लाल की और सूद को ह़राम क़रार दिया है।

وَقَوْلِهِ: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

और अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है, मगर जब नक़द सौदा हो तो इस

हाथ दो उस हाथ लो। (अल बक़रः : 282)

تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة : ٢٨٢].

बाब 1 : अल्लाह तआ़ला के उस इर्शाद के बारे में अह़ादीष़ कि

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

फिर जब नमाज़ ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ। (या'नी रिज़्क़े-हलाल की तलाश में अपने कारोबार को सम्भाल लो) और अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल तलाश करो, और अल्लाह तआ़ला को बहुत याद करो, ताकि तुम्हारा भला हो। और जब उन्होंने सौदा बिकते देखा या कोई तमाशा देखा तो उसकी त़रफ़ मुतफ़र्रिक़ हो गये और तुमको खड़ा छोड़ दिया। तो कह दीजिए कि जो अल्लाह तआ़ला के पास है वो तमाशे और सौदागरी से बेहतर है। और अल्लाह ही है बेहतर रिज़्क़ देने वाला। (अल जुमुआ़ : 10-11)

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ﴾ [الجمعة : ١٠-١١].

और अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है कि तुम लोग एक–दूसरे का माल ग़लत त़रीक़ों से न खाओ, मगर ये कि तुम्हारे दरम्यान कोई तिजारत का मामला हो तो आपस की रज़ामन्दी के साथ (मामला ठीक है)। (अन निसा : 29)

وَقَوْلُهُ ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

तश्रीह़ : बुयूअ़, बैअ़ की जमा है जो बाब ज़रब यज़्रिबु से मुअ़तल याई है, जिसके मा'नी ख़रीद व फ़रोख़्त के हैं। इस सिलसिले में भी अल्लाह और उसके सच्चे रसूल (ﷺ) ने बहुत सी पाकीज़ा हिदायात दी हैं। बेचने वालों को आ़म त़ौर पर लफ़्ज़े ताजिर से याद किया जाता है। क़ैस बिन अबी ग़ज़रह से रिवायत है, **क़ाल ख़रज अ़लैना रसूलुल्लाहि (ﷺ) व नहनु नुसम्मा अस्समासिरा फ़क़ाल या मअ़शर्रत्तुज्जार व फ़ी रिवायति अबी दाऊद फ़मर्र बिना अन्नबिय्यु (ﷺ) फसम्माना बिस्मि हुव अहसनु मिन्हु फ़क़ाल या मअ़शरत्तुज्जार इन्नश्शैतान वल्इ़ष्म यह़ज़ुरानिल्बैअ़ फ़शव्विबू बैअ़कुम बिस्सदक़ति** (रवाहुत्तिर्मिज़ी) या'नी नबी करीम (ﷺ) हम लोगों पर गुज़रे जबकि आ़म त़ौर पर हमको लफ़्ज़ समासर्रह (सौदागरान) से पुकारा जाता था, आपने हमको बेहतर नए नाम से मौसूम फ़र्माया, और यूँ इर्शाद हुआ कि ऐ ताजिरों की जमाअ़त! बेशक शैत़ान और गुनाह ख़रीद व फ़रोख़्त में ह़ाज़िर होते रहते हैं। इसलिये अपनी बेअ़ के साथ स़दक़ा ख़ैरात को भी शामिल कर लो, ताकि उन अग़्लात़ का कुछ कफ़्फ़ारा भी साथ ही साथ होता रहे।

तिजारत की फ़ज़ीलत में ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) से मरवी है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, **अत्ताजिरूस़्स़दूकुल अमीन मअ़न्नबिय्यिन वस़्स़िद्दीक़ीन वश्शुहदाइ** (रवाहुत्तिर्मिज़ी) अमानत और स़दाक़त के साथ तिजारत करने वाला मुसलमान क़यामत के दिन अंबिया और स़िद्दीक़ीन और शुह्दा के साथ उठाया जाएगा। इसलिये कि अमानत और दयानत के साथ तिजारत करना भी उतना ही मुश्किल काम है जितना कि अंबिया व स़िद्दीक़ीन व शुह्दा का मिशन मुश्किल होता है। **अन इस्माईल बिन उ़बैद बिन रिफ़ाआ़ अ़न अबीहि अन जद्दिही अन्नहू ख़रज मअ़न्नबिय्यि (ﷺ) इलल्मुस़ल्ला फ़राअन्नास यतबायऊन फ़क़ाल या मअ़शरत्तुज्जारि फ़स्तजाबू लिरसूलिल्लाहि (ﷺ) व रफ़ऊ आ़नाक़हुम व अब्सारहुम इलैहि फ़क़ाल इन्नत्तुज्जार युब्अ़षून यौमल क़ियामति फ़ुज्जारन इल्ला मनित्तक़ल्लाहु व बर्र व स़दक़** (रवाहुत्तिर्मिज़ी) या'नी एक दिन आँह़ज़रत (ﷺ) नमाज़ के लिये निकले कि आपने रास्ते में ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों को देखा फ़र्माया कि ऐ ताजिरों की जमाअ़त! उन सबने आपकी त़रफ़ अपनी गर्दनों और आँखों को उठाया। और आप (ﷺ) की

आवाज़ पर सबने लब्बैक कहा। आपने फ़र्माया कि बेशक ताजिर लोग क़यामत के दिन फ़ासिक़, फ़ाजिर लोगों में उठाए जाएँगे, मगर जिसने इस पैसा को अल्लाह तआला के डर के तहत सच्चाई और नेक शआरी के साथ अंजाम दिया। हज़रत अबूज़र (रज़ि.) की रिवायत में है कि आपने फ़र्माया तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ़ अल्लाह तआला नज़रे रहमत से नहीं देखेगा, न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिये सख़्त दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। उनमें अव्वल नम्बर एहसान जतलाने वाला, दूसरे नम्बर पर अपने पायजामा तहबन्द को घमण्ड से टख़नों से नीचे घिसटने वाला, तीसरा अपने माल को झूठी क़समें खाकर बेचने वाला।

हज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपूरी मरहूम फ़र्माते हैं, **व क़ालल्क़ाज़ी लिमा कान मिन शानित्तुज्जारि अत्तदलीसु फ़िल्मुआमलाति वत्तहालुकि अ़ला तर्वीजिस्सिलइ बिमा तयस्सर लहुम मिनल्अयमानिल काज़िबति व नहविहा हकम अ़लैहिम बिल्फ़ुजूरि वस्तष्ना मिन्हुम मनित्तक़ल महारिम व बर्र फ़ी यमीनिही व स़दक़ फ़ी हदीष़िही व इला हाज़ा जहबश्शारिहून व हम्मलुल्फ़ुजूर अलल्लग़वि वल्हल्फ़ि कज़ा फ़िल्मिर्क़ात** (तुहफ़तुल अहवज़ी) या'नी क़ाज़ी ने कहा कि मुआमलात में धोका देना और माल निकालने के लिये झूठी क़समें खा-खाकर हर क़िस्म के हथकण्डे इस्ते'माल करना ताजिरों का आ़म शैवा है, इसीलिये आँहज़रत (ﷺ) ने उन पर फ़ाजिर होने का हुक्म फ़र्माया, मगर उनको मुस्तष्ना (अलग) फ़र्माया जो हराम से बचें और क़सम में सच्चाई को सामने रखें और अकष़र शारेह ने यही नज़रिया इख़्तियार किया है कि फ़ुजूर से लग़्वियात और झूठी क़सम खाना मुराद हैं।

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا. وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنِ الصُّفَّةِ أَعِي حِيْنَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ: ((إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ

2047. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उनसे शुऐ़ब ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने, कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, तुम लोग कहते हो कि अबू हुरैरह (रज़ि.) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की अहादीष़ बहुत ज़्यादा बयान करता है, और ये भी कहते हो कि मुहाजिरीन व अंस़ार अबू हुरैरह (रज़ि.) की तरह क्यूँ हदीष़ नहीं बयान करते? अस़ल वजह ये है कि मेरे भाई मुहाजिरीन बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख़्त में मशग़ूल रहते हैं और मैं अपना पेट भरने के बाद बराबर रसूलुल्लाह की ख़िदमत में हाज़िर रहता, इसलिये जब ये भाई ग़ैर-हाज़िर होते तो मैं उस वक़्त भी हाज़िर रहता, और मैं (वो बातें आपसे सुनकर) याद कर लेता जिसे उन हज़रात को (अपने कारोबार की मशग़ूलियत की वजह से या तो सुनने का मौक़ा नहीं मिला था या) वो भूल जाया करते थे। इसी तरह मेरे भाई अंस़ार अपने अम्वाल (खेतों और बाग़ों) में मशग़ूल रहते। लेकिन मैं सुफ़्फ़ा में मुक़ीम मिस्कीनों में से एक मिस्कीन आदमी था। जब ये हज़रात अंस़ार भूलते तो मैं उसे याद रखता। एक बार रसूले करीम (ﷺ) ने एक हदीष़ बयान करते हुए फ़र्माया था कि जो कोई अपना कपड़ा फैलाए और उस वक़्त तक फैलाए रखे जब तक अपनी ये गुफ़्तगू न पूरी कर लूँ, फिर (जब मेरी गुफ़्तगू पूरी हो जाए तो) उस कपड़े को समेट ले तो वो मेरी बातों

को (अपने दिलो–दिमाग़ में हमेशा) याद रखेगा। चुनाँचे मैंने अपना कम्बल अपने सामने फैला दिया। फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना मक़ाला मुबारक ख़त्म किया, तो मैंने उसे समेटकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बाद कभी मैं आपकी कोई हदीष़ नहीं भूला। (राजेअ़ : 118)

ثَوْبَهُ إِلاَّ وَعَى مَا أَقُولُ))، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ)). [راجع: ۱۱۸]

तश्रीह : क़ुरैश का पैशा तिजारत था और अहले मदीना बेशतर काश्तकार (किसान) थे। जब मुहाजिरीन मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपना आबाई पेश तिजारत ही ज़्यादा पसन्द फ़र्माया, और मआ़श (रोज़ी) तलाश करने के सिलसिले में अंस़ार और मुहाजिरीन सभी अपने धंधों में मशग़ूल रहा करते थे। मगर अस़्हाबे सुफ़्फ़ा ख़ालिस़ ता'लीमे दीन के लिये वक़्फ़ थे, जिनका कोई दुनियावी मश़ग़ला (व्यस्तताएं) न था। उनमें ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) सबसे ज़्यादा शौक़ीन बल्कि इ़लूमे क़ुर्आन व ह़दीष़ पर इस दर्जा फ़िदा कि अकष़र औक़ात अपनी भूख मिटाने से भी ग़ाफ़िल हो जाते और फ़ाक़ा दर फ़ाक़ा करते हुए जब ग़शी त़ारी होने लगती तब उनको भूख याद आती।

इमाम बुख़ारी (रह.) इस ह़दीष़ को यहाँ ये बतलाने के लिये लाए हैं कि तिजारत बेअ़ व शराअ और खेती-क्यारी बल्कि सब दुनियावी कारोबार ज़रूरियाते ज़िन्दगी से हैं। जिनके लिये इस्लाम ने बेहतरीन उसूल और हिदायात पेश की हैं और इस सिलसिले में हर मुम्किन तरक़्क़ी के लिये रग़बत दिलाई है जिसका ज़िन्दा षुबूत वो अंस़ार व मुहाजिरीन हैं जिन्होंने अ़हदे रिसालत में तिजारत और ज़राअ़त में क़ाबिले रश्क तरक़्क़ी ह़ासिल की और तिजारत व खेती व बाग़बानी में भी वो दुनिया के लिये एक मिष़ाल बन गए।

ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मह़ज़ दीनी त़ालिबे इ़ल्म थे और दुनियावी कारोबार से उनको कुछ लगाव न था। इसलिये ये हज़ारों ह़दीषे नबवी के ह़ाफ़िज़ हुए। इस ह़दीष़ से रसूले करीम (ﷺ) का एक मुअजज़ा भी षाबित होता है कि ह़स्बे हिदायत ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की तक़रीर दिलपज़ीर के वक़्त अपना कम्बल फैला दिया और बाद में वो कम्बल समेटकर अपने सीने से लगा लिया, जिससे उनका सीना रोशन हो गया और बाद में वो ह़िफ़्ज़े ह़दीष़ में सब पर सबक़त ले गय, रज़ियल्लाहु अ़न्हु व अरज़ाह, आमीन!

2048. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह उवैसी ने बयान किया, उनसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे उनके वालिद सअ़द ने बयान किया, उनसे उनके दादा (इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि.) ने बयान किया कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने कहा कि जब हम मदीना आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे और सअ़द बिन रबीअ़ अंस़ारी के बीच भाईचारा करा दिया। सअ़द बिन रबीअ़ (रज़ि.) ने कहा कि मैं अंस़ार के सबसे ज़्यादा मालदार लोगों में से हूँ। इसलिये अपना आधा माल में आपको देता हूँ और आप ख़ुद देख लें कि मेरी दो बीवियों में से आप (रज़ि.) को कौन ज़्यादा पसन्द है। मैं आपके लिये उन्हें अपने से अलग कर दूँगा। (या'नी त़लाक़ दे दूँगा) जब उनकी इ़द्दत पूरी हो जाए तो आप उनसे निकाह कर लें। बयान

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ

سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ : سُوقُ قَيْنُقَاعٍ. قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ. قَالَ : ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تَزَوَّجْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((وَمَنْ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ : ((كَمْ سُقْتَ؟)) قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)).

[طرفه في : ٣٧٨٠].

किया कि उस पर अ़ब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं क्या यहाँ कोई बाज़ार है जहाँ कारोबार होता हो? सअ़द (रज़ि.) ने सूक़े क़ेनक़ाअ़ का नाम लिया। बयान किया कि जब सुबह हुई तो अ़ब्दुर्रहमान (रज़ि.) पनीर और घी लाए। रावी ने बयान किया कि फिर वो तिजारत के लिये बाज़ार आने-जाने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो ज़र्द रंग का निशान (कपड़े या जिस्म पर) था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा क्या तुमने शादी कर ली? उन्होंने कहा कि हाँ। आप (ﷺ) ने पूछा कि किससे? बोले कि एक अंसारी ख़ातून से। पूछा, और मेहर कितना दिया है? अ़र्ज़ किया कि एक घुटली बराबर सोना दिया है (या ये कहा कि) सोने की एक घुटली दी है। फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो वलीमा कर ख़्वाह एक बकरी ही का हो। (दीगर मक़ाम: 3780)

٢٠٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ. فَمَكَثْنَا يَسِيرًا - أَوْ مَا شَاءَ اللهُ - فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَهْيَمْ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ((مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟)) قَالَ : نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ وَزْنَ

2049. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़ुहैर ने बयान किया, उनसे हुमैद ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया जब अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) मदीना आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनका भाईचारा सअ़द बिन रबीआ़ अंसारी (रज़ि.) से करा दिया। सअ़द (रज़ि.) मालदार आदमी थे। उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान (रज़ि.) से कहा मैं और आप मेरे माल से आधा आधा ले लें। और मैं (अपनी एक बीवी से) आपकी शादी करा दूँ। अ़ब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने उसके ज वाब में कहा अल्लाह तआ़ला आपके अहल और आपके माल में बरकत अ़ता करे, मुझे तो आप बाज़ार का रास्ता बता दीजिए। फिर वो बाज़ार से उस वक़्त तक वापस न हुए जब तक नफ़ा में काफ़ी पनीर और घी न बचा लिया। अब वो अपने घरवालों के पास आए, कुछ दिन गुज़रे होंगे या अल्लाह ने जितना चाहा। उसके बाद वो आए कि उन पर ज़र्दी का निशान था। आँहज़रत (ﷺ) ने दरयाफ़्त किया, ये ज़र्दी कैसी है? अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक अंसारी ख़ातून से शादी कर ली है। आपने दरयाफ़्त किया उन्हें मेहर में क्या दिया है? अ़र्ज़ किया, सोने की एक घुटली, या (ये कहा कि) एक गुठली बराबर सोना, आपने फ़र्माया कि अच्छा अब वलीमा कर अगरचे एक बकरी ही का हो।

نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)).

[أطرافه في : ٢٢٩٣، ٣٧٨١، ٣٩٣٧، ٥٠٧٢، ٥١٤٨، ٥١٥٣، ٥١٥٥،

(दीगर मक़ाम : 2293, 3781, 3937, 5072, 5148, 5153, 5100)

तश्रीह : ह़दीषे हाज़ा बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद यहाँ इस ह़दीष़ के लाने से ये है कि अहदे नबवी में मदीना मुनव्वरा में अहले इस्लाम तिजारत किया करते थे और उनका बेहतरीन पेशा तिजारत ही था। चुनाँचे ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) जो कुरैशी हैं हिजरत फ़र्माकर जब मदीना आए तो उन्होंने ग़ौरो–फ़िक्र के बाद अपने क़दीमी पेशा तिजारत ही को यहाँ भी अपनाया। और अपने इस्लामी भाई सअ़द (रज़ि.) बिन रबीअ़ का शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने अपनी आधी जायदाद मन्कूला और ग़ैर–मन्कूला की पेशकश की थी बाज़ार का रास्ता लिया और वहाँ के ह़ालात का जायज़ा लेकर आपने तेल और घी का कारोबार शुरू किया, अल्लाह ने आपको थोड़ी ही मुद्दत में ऐसी कुशादगी अ़ता की कि आपने एक अंसारी औ़रत से अपना अ़क़्दे निकाह़ भी कर लिया।

ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) अशर–ए–मुबश्शरा में से हैं। ये शुरू दौर में ह़ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) की सुह़बत से दाख़िले इस्लाम हुए। और दो बार ह़ब्शा की त़रफ़ हिज्रत भी की। तमाम ग़ज़्वात में आँह़ज़रत (ﷺ) के साथ शरीक रहे। त़वीलुल क़ामत (लम्बी कद-काठी) और गोरे रंग वाले थे। ग़ज़्व–ए–उ़हुद में इनके बदन पर बीस से ज़्यादा ज़ख़्म लगे थे, जिनकी वजह से पैरों में लंगड़ापन पैदा हो गया था। ये मदीना में बहुत ही बड़े मालदार मुसलमान थे और रईसुत्तिजारत की ह़ैषियत रखते थे। उनकी सख़ावत के भी कितने ही वाक़िआ़त मज़्कूर हैं । 72 साल की उ़म्र में 32 हिज्री में वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ीअ़ में दफ़न हुए।

उन्होंने मेहर में अपनी बीवी को नवाति मिनज़्ज़हबि या'नी सोने की एक डली दी जिसका वज़न 5 दिरहम से ज़ाइद भी मुम्किन है। इस ह़दीष़ से वलीमा करने की ताकीद भी षाबित हुई और ये भी कि वलीमा में बकरे या बकरी का ज़बीह़ा बेहतर है। ज़र्द रंग शायद किसी इत्र का हो या किसी ऐसी मख़्लूत़ चीज़ का जिसमें कोई ज़र्द क़िस्म की चीज़ भी शामिल हो और आपने उससे ग़ुस्ल वग़ैरह किया हो।

٢٠٥٠- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ)).

[راجع: ١٧٧٠]

2050. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि उ़काज़, मजिन्ना और ज़ुल मजाज़ अ़हदे जाहिलियत के बाज़ार थे। जब इस्लाम आया तो ऐसा हुआ कि मुसलमान लोग (ख़रीद व फ़रोख़्त के लिये इन बाज़ारों में जाना) गुनाह समझने लगे। इसलिये ये आयत नाज़िल हुई। तुम्हारे लिये उसमें कोई ह़र्ज नहीं कि अगर तुम अपने रब के फ़ज़्ल (या'नी रिज़्क़े ह़लाल) की तलाश करो ह़ज्ज के मौसम में, ये इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की क़िरअत है।

(राजेअ़ : 1770)

तश्रीह : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की क़िरअत में आयते करीमा, **लयस अ़लैकुम जुनाहुन् अन तब्तग़ू फ़ज़्लम मिर्रब्बिकुम** से आगे **फ़ी मवासिमिल ह़ज्ज** के लफ़्ज़ ज़ाइद हैं । मगर आम क़िरअतों में ये ज़ाइद लफ़्ज़ नहीं हैं या शायद ये मन्सूख़ हो गए हों और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को नस्ख़ का इल्म न हो सका हो। ह़दीष़ में ज़मान–ए–

जाहिलियत की मण्डियों का ज़िक्र है। इस्लाम ने अपने दौर में तिजारती मण्डियों को तरक़्क़ी दी और हर तरह से उनकी हौसला अफ़ज़ाई की गई। मगर ख़ुराफ़ात और मक्र व फ़रेब वालों के लिये बाज़ार से बदतर कोई जगह भी नहीं है।

बाब 2 : हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है लेकिन इन दोनों के बीच शक शुब्हा वाली चीज़ें भी हैं

٢- بَابُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينهما مُشْتَبِهَاتٌ

मुश्तबिहात वो जिनकी हिल्लत व हुर्मत के बारे में हमको क़ुर्आन व हदीष़ में कोई वाज़ेह हिदायत न मिले। कुछ वजह उनमें हलाल दाख़िल होने के नज़र आएँ, कुछ हराम होने के। उन हालात में ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना ही बेहतर है यही बाब का मक़्सद है।

2051. हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन अबी अ़दी ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन औ़न ने, उनसे शअ़बी ने, उन्होंने नोअ़मान बिन बशीर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना (दूसरी सनद इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा) और हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अबू फ़र्वा ने, उनसे शअ़बी ने, कहा कि मैंने नोअ़मान बिन बशीर (रज़ि.) से सुना और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से (तीसरी सनद) और हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अबू फ़र्वा ने, उन्होंने शअ़बी से सुना, उन्होंने नोअ़मान बिन बशीर (रज़ि.) से सुना और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से (चौथी सनद) और हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा कि हमको सुफ़यान ष़ौरी ने ख़बर दी, उन्हें अबू फ़र्वा ने, उन्हें शअ़बी ने और उनसे नोअ़मान बिन बशीर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हलाल भी खुला हुआ है और हराम भी ज़ाहिर है लेकिन इन दोनों के बीच कुछ मुश्तबह चीज़ें हैं। पस जो शख़्स उन चीज़ों को छोड़े जिनके गुनाह होने या न होने में शुबहा है। वो उन चीज़ों को तो ज़रूर ही छोड़ देगा जिनका गुनाह होना ज़ाहिर है। लेकिन जो शख़्स शुब्ह की चीज़ों के करने की जुर्अत करेगा तो क़रीब है कि वो उन गुनाहों में भी मुब्तला हो जाए जो बिलकुल वाज़ेह तौर पर गुनाह हैं। (लोगों याद रखो) गुनाह अल्लाह तआ़ला की चरागाह है जो (जानवर भी) चरागाह के आसपास चरेगा, उसका चरागाह के अंदर चला जाना ग़ैर-मुम्किन नहीं। (राजेअ़ : 52)

٢٠٥١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح و. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ)). [راجع: ٥٢]

तश्रीह : अहदे जाहिलियत में अरबी शुयूख़ व उमरा अपनी चरागाहें मख़्सूस रखा करते थे उनमें कोई ग़ैर आदमी अपने जानवरों को नहीं दाख़िल कर सकता था। इसलिये ग़रीब लोग उन चरागाहों के क़रीब भी न जाते, कि अनजाने में उनके जानवर उसमें दाख़िल हो जाएँ और वो सख़्ततरीन सज़ाओं के मुस्तहिक़ क़रार दिये जाएँ। अल्लाह की हदों को भी ऐसे ही चरागाहों से तश्बीह (मिषाल) दी गई और क़ुर्आन मजीद की अनेक आयात में ताकीद की गई कि हुदूदुल्लाह के क़रीब भी न जाओ कि कहीं उनके तोड़ने के मुर्तकिब होकर अल्लाह के पास मुजरिम ठहरो। हदीषे हाज़ा में मआसी को अल्लाह की चरागाह बतलाया गया है जो मआसी से दूर रहने के लिये एक इंतिहाई चेतावनी है। उनसे बचने की एक सूरत ये भी है कि हलाल और हराम के बीच जो काम शक वाले हैं उनसे भी परहेज़ किया जाए, ऐसा न हो कि उनके इर्तिकाब से फ़ेअले हराम ही का इर्तिकाब हो जाए, इसलिये जो शक वाली चीज़ों से बच गया वो सलामत रहा। हुरुमात अल्लाह की चरागाहों से तश्बीह ज़जर व तौबीख़ के लिये है कि जिस तरह उमरा व ज़मींदार लोगों की मख़्सूस चरागाहों में दाख़िल हो जाने वाले और अपने जानवरों को वहाँ चराने वालों को इंतिहाई संगीन सज़ा दी जा सकती है। ऐसे ही जो लोग हुदूदुल्लाह को तोड़ने और अल्लाह की चरागाह या'नी उमूरे हराम में वाक़ेअ हो जाते हैं। वो आख़िरत में सख़्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे और शक वाले कामों से परहेज़ भी उसी आधार पर ज़रूरी है कि मुबादा कोई शख़्स उमूरे हराम का मुर्तकिब होकर अ़ज़ाबे अलीम का मुस्तहिक़ न हो जाए।

बाब 3 : मिलती–जुलती चीज़ें या'नी शुब्हा वाले उमूर क्या हैं?

٣- بَابُ تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

और हस्सान बिन अबी सिनान ने कहा कि, वरअ (परहेज़गारी) से ज़्यादा आसान कोई चीज़ मैंने नहीं देखी बस शुब्हा की चीज़ों को छोड़ और वो रास्ता इख़्तियार कर जिसमें कोई शुब्हा न हो।

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

2052. हमसे मुहम्मद बिन कषीर ने बयान किया, कहा कि हमको सुफ़यान षौरी ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन ने ख़बर दी, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने बयान किया, उनसे उक़्बा बिन हारिष (रज़ि.) ने कि एक स्याह फ़ाम ख़ातून आईं और दावा किया कि उन्होंने उन दोनों (उक़्बा और उनकी बीवी) को दूध पिलाया है। उक़्बा ने उस अम्र का ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया तो आप (ﷺ) ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया और मुस्कुराकर फ़र्माया, अब जबकि एक बात कह दी गई तो तुम दोनों एक साथ किस तरह रह सकते हो। उनके निकाह में अबू वहाब तमीमी की साहबज़ादी थीं।

(राजेअ : 88)

٢٠٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟)). وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ.

[راجع: ٨٨]

तश्रीह : तिर्मिज़ी की रिवायत में है मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो झूठी है, आपने मुँह फेर लिया, फिर मैं आपके मुँह के सामने आया और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो झूठी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अब तू उस औरत को कैसे रख सकता है जब ये कहा जाता है कि एक औरत ने तुम दोनों को दूध पिलाया है। ये हदीष ऊपर किताबुल इल्म में गुज़र चुकी है। यहाँ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इसलिये लाए कि गो अकषर उलमा के नज़दीक रिज़ाअ़ एक औरत की शहादत

से षाबित नहीं हो सकता मगर शुब्हा तो हो जाता है और आँहज़रत (ﷺ) ने शुब्हा की बिना पर उ़क़्बा (रज़ि.) को ये स़लाह़ दी कि उस औरत को छोड़ दे। मा'लूम हुआ कि अगर शहादत कामिल न हो या शहादत के शराइत़ में नुक़्स़ हो तो मामला मुश्तबह रहता है लेकिन मुश्तबह से बचे रहना तक़्वा और परहेज़गारी है। हमारे इमाम अह़मद बिन ह़म्बल (रह.) के नज़दीक तो रिज़ाअ़ स़िर्फ़ मुर्ज़िआ की शहादत से षाबित हो जाता है। (वह़ीदी)

ह़ाफ़िज इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **व वज्हुद्दलालति मिन्हु क़ौलहू कैफ़ व क़द क़ील फ़इन्नहू युशइरू बिअन्न अमरहू बिफ़िराकि इम्रातिही इन्नमा कान लअल्जि क़ौलिल्मर्अति अन्नहा रज़अतहुमा फ़हतमल अंय्यकून स़ह़ीह़न फ़यर्तिबुल हराम फ़अमरहू बिफ़िराक़िहा इहतियातन अ़ला क़ौलिल अक्षरि व क़ील बल क़ब्ल शहादतिल्मर्अति वहदहा अ़ला ज़ालिक** या'नी इर्शादे नबवी कैफ़ क़द क़ीला से मक़्स़दे बाब षाबित होता है जिससे ज़ाहिर है कि आप (ﷺ) ने उ़क़्बा (रज़ि.) को उस औरत से जुदाई का हुक्म स़ादिर फ़र्मा दिया, दूध पिलाने का दावेदार औरत के इस बयान पर कि मैंने इन दोनों को दूध पिलाया है। एह़तिमाल है कि उस औरत का बयान स़ह़ीह़ हो और उ़क़्बा ह़राम का मुर्तकिब हो। इसलिये एह़तियात़न् जुदाई का हुक्म दे दिया। ये भी कहा गया कि आपने उस औरत की शहादत को क़ुबूल फ़र्मा लिया, और उस बारे में उस एक ही शहादत को काफ़ी समझा। ह़ज़रत इमाम ने इस वाक़िये से भी ये षाबित फ़र्माया कि मुश्तबह उमूर में उनसे परहेज़ ही का रास्ता सलामती और एह़तियात़ी का रास्ता है।

٢٠٥٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ)). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:

2053. हमसे यह़्या बिन क़ज़्आ ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि उ़त्बा बिन अबी वक़्क़ास़ (काफ़िर) ने अपने भाई सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) (मुसलमान) को (मरते वक़्त) वस़िय्यत की थी कि ज़म्आ की बांदी का लड़का मेरा है। इसलिये उसे तुम अपने क़ब्ज़े में ले लेना। उन्होंने कहा फ़त्ह़े मक्का के साल सअ़द (रज़ि.) बिन अबी वक़्क़ास़ ने उसे ले लिया, और कहा कि ये मेरे भाई का लड़का है और वो इसके बारे में मुझे वस़िय्यत कर गए हैं लेकिन अ़ब्द बिन ज़म्आ ने उठकर कहा कि मेरे बाप की लौण्डी का बच्चा है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। आख़िर दोनों ये मुक़द्दमा नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ले गए। सअ़द (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये मेरे भाई का लड़का है और मुझे इसकी उन्होंने वस़िय्यत की थी। और अ़ब्द बिन ज़म्आ ने अ़र्ज़ किया, ये मेरा भाई है और मेरे बाप की लौण्डी का लड़का है। उन्हीं के बिस्तर पर इसकी पैदाइश हुई है। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अ़ब्द बिन ज़म्आ लड़का तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। उसके बाद फ़र्माया, बच्चा उसी का होता है जो जाइज़ शौहर या मालिक हो जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ हो और ह़रामकार के ह़िस़्से में पत्थरों की सज़ा है। फिर सौदा बिन्ते

ज़म्आ (रज़ि.) से जो आँहज़रत (ﷺ) की बीवी थीं, फ़र्माया कि इस लड़के से पर्दा किया कर, क्योंकि आप (ﷺ) ने उत्बा की शबाहत उस लड़के में महसूस की थी। उसके बाद उस लड़के ने सौदा (रज़ि.) को कभी न देखा यहाँ तक कि वो अल्लाह तआला से जा मिला। (दीगर मक़ाम : 2218, 2421, 2533, 2745, 4303, 6749, 6765, 6817, 7182)

((احْتَجِبِي مِنْهُ))، لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ)).
[أطرافه في : ٢٢١٨، ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥، ٤٣٠٣، ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧، ٧١٨٢].

तश्रीह : रिवायत में जो वाक़िया बयान हुआ है उसकी तफ़्सील ये है कि उत्बा बिन अबी वक़्क़ास, मशहूर सहाबी हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास के भाई थे। उत्बा इस्लाम के शदीद दुश्मनो में से था और कुफ़्र ही पर उसकी मौत हुई, ज़म्आ नामी एक शख़्स की लौण्डी से उसी उत्बा ने ज़िना किया और वो हामला हो गई। उत्बा जब मरने लगा तो उसने अपने भाई हज़रत सअद (रज़ि.) बिन अबी वक़्क़ास को वसिय्यत की कि ज़म्आ की लौण्डी का हमल मुझसे है। लिहाज़ा उसके पेट से जो बच्चा होगा उसको तुम अपनी तहवील में ले लेना, चुनाँचे ज़म्आ की लौण्डी के बत्न से लड़का पैदा हुआ और वो उन ही के यहाँ परवरिश पाता रहा। जब मक्का फ़तह हुआ तो हज़रत सअद (रज़ि.) ने चाहा कि अपने भाई की वसिय्यत के तहत उस बच्चे को अपनी परवरिश में ले लें। मगर ज़म्आ का बेटा अब्द बिन ज़म्आ कहने लगा कि ये मेरे वालिद की लौण्डी का बच्चा है, इसलिये उसका वारिष़ मैं हूँ। जब ये मुक़द्दमा अदालते नबवी में पहुँचा तो आप (ﷺ) ने ये क़ानून पेश फ़र्माया कि **अल्वलदु लिल्फ़िराशि व लिल्आहिर अल्हज्र** बच्चा उसी का माना जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ है अगरचे वो किसी दूसरे फ़र्द के ज़िना का नतीजा है। उस फ़र्द के हिस्से में शरई हद संगसार है। इस क़ानून के तहत आँहज़रत (ﷺ) ने वो बच्चा अब्द बिन ज़म्आ ही को दे दिया। मगर बच्चे की मुशाबिहत उत्बा बिन अबी वक़्क़ास ही से थी। इसलिये उस शुब्हा की बिना पर आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सौदा (रज़ि.) को हुक्म फ़र्माया कि वो ज़म्आ की बेटी होने के नाते बज़ाहिर इस लड़के की बहन थीं। मगर वो लड़का मुश्तबह (संदिग्ध) हो गया। लिहाज़ा मुनासिब हुआ कि वो उससे ग़ैरों की तरह पर्दा करें। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक सौदा (रज़ि.) को पर्दा का हुक्म उसी इश्तिबाह की वजह से एहतियातन दिया गया था कि बाँदी के नाजाइज़ ता'ल्लुक़ात उत्बा से थे, और बच्चे में उसकी मुशाबिहत थी। इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद मुश्तबिहात की तफ़्सीर और उनसे बचने का हुक्म ष़ाबित फ़र्माता है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व वज्हुद्दलालति मिन्हु क़ौलुहू (ﷺ) इहतजिबी मिन्हु या सौदा मअ हुक्मिही बिअन्नहू अख़ूहा लिअबीहा लाकिन लम्मा राअश्शिब्हल बय्यन फ़ीहि मिन ग़ैरि जम्आ अमर सौदत बिल्इहतिजाबि मिन्हु इहतियातन फ़ी क़ौलिल अक्षरि** (फ़त्हुल बारी) या'नी यहाँ मुश्तबिहात की दलील आँहज़रत (ﷺ) का वो इर्शादे मुबारक है जो आपने हज़रत सौदा (रज़ि.) को फ़र्माया कि बज़ाहिर ये तुम्हारा भाई है और इस्लामी क़ानून भी उसी को ष़ाबित करता है मगर शुब्हा यक़ीनन है कि ये उत्बा का ही लड़का हो। जैसा कि उसमें उससे मुशाबिहत भी पाई जाती है। पस बेहतर है कि तुम उससे पर्दा करो। हज़रत सौदा (रज़ि.) ने इस इर्शादे नबवी पर अमल किया यहाँ तक कि वो दुनिया से रुख़्सत हुए।

अल्वलदु लिल्फ़िराशि व लिल्आहिर अल्हज्र या'नी बच्चा क़ानूनन् उसी का तस्लीम किया जाएगा जो उस बिस्तर का मालिक है जिस पर बच्चा पैदा हुआ है या'नी जो उसका शरई व क़ानूनी मालिक या शौहर है। बच्चा उसी का माना जाएगा, अगरचे वो किसी दूसरे के नुत्फ़े ही से क्यूँ न हो, अगर ऐसा मुक़द्दमा ष़ाबित हो जाए तो फिर ज़ानी के लिये महज़ संगसारी है।

2054. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन अबी सफ़र ने ख़बर दी, उन्हें शअबी ने, उनसे अदी बिन हातिम (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मेअराज (तीर का शिकार) के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर उसके

٢٠٥٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ

عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: ((إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ)). قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: ((لاَ تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ)).

[راجع: ١٧٥]

धार की त़रफ़ से लगे तो खा। अगर चौड़ाई से लगे तो मत खा। क्योंकि वो मुरदार है, मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपना कुत्ता (शिकार के लिये) छोड़ता हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, फिर उसके साथ मुझे एक ऐसा कुत्ता मिलता है जिस पर मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है। मैं ये फ़ैसला नहीं कर पाता कि दोनों में कौनसे कुत्ते ने शिकार पकड़ा। आपने फ़र्माया, ऐसे शिकार का गोश्त न खा। क्योंकि तू ने बिस्मिल्लाह तो अपने कुत्ते के लिये पढ़ी है दूसरे के लिये तो नहीं पढ़ी।

(राजेअ़ : 175)

तश्रीह : चौड़ाई से लगने का मत़लब ये कि तेरी लकड़ी आड़ी होकर शिकार के जानवर पर लगे और बोझ और स़दमे की वजह से वो मर जाए। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ इस ह़दीष़ को मुश्तब्हात (संदिग्ध चीज़ों) की तफ़्सीर में लाए कि दूसरे कुत्ते की मौजूदगी में शुब्हा हो गया कि शिकार कौनसे कुत्ते ने पकड़ा है, आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसी शुब्हा को दूर करने के लिये ऐसे शिकार के खाने से मना कर दिया। अ़रबों में शिकारी कुत्तों को सधाने का दस्तूर था। शरीअ़ते इस्लामिया ने इजाज़त दी कि ऐसा सधाया हुआ कुत्ता **बिस्मिल्लाह** पढ़कर छोड़ा जाए और वो शिकार को पकड़ ले और मालिक के पहुँचने से पहले शिकार मर जाए तो गोया शिकार ह़लाल है।

इस ह़दीष़ से ये भी ज़ाहिर है कि जिस जानवर पर **बिस्मिल्लाह** न पढ़ी जाए वो ह़राम और मुरदार है, अहले ह़दीष़ और अहले ज़ाहिर का यही क़ौल है। और इमाम शाफ़िई (रह.) कहते हैं कि मुसलमान का ज़बीह़ा हर ह़ाल में ह़लाल होता है गो वो जानते–बूझते या भूलकर बिस्मिल्लाह छोड़ दे, इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का मत़लब यूँ निकाला कि उस जानवर में शुब्हा पड़ गया कि किस कुत्ते ने मारा। और आपने उसके खाने से मना कर दिया तो मा'लूम हुआ कि शुब्हा की चीज़ों से बचना चाहिए। (वह़ीदी)

٤- بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

बाब 4 : मुश्तबह चीज़ों से परहेज़ करना

٢٠٥٥- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ : ((لَوْ لاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا)). وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي)).

[طرفه في : ٢٤٣١].

2055. हमेस क़ुबैस़ा बिन उ़क़्बा ने बयान किया; कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे त़लह़ा बिन मुस़र्रिफ़ ने, उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक गिरी हुई खजूर पर गुज़रे, तो आपने फ़र्माया कि अगर उसके स़दक़े होने का शुब्हा न होता तो मैं इसे खा लेता। और हम्माम बिन मुनब्बा ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं अपने बिस्तर पर पड़ी हुई एक खजूर पाता हूँ।

(दीगर मक़ाम : 2431)

ये खजूर आपको अपने बिछौने पर मिली थी जैसे उसके बाद की रिवायत में उसकी तस़रीह़ है। शायद आप स़दक़ा की खजूरें बाँटकर आए हों और कोई उन ही में से आपके कपड़ों में लग गई हो और बिछौने पर गिर पड़ी हो ये शुब्हा आपको मा'लूम

हुआ, और आपने सिर्फ़ उस शुब्हा की बिना पर उसके खाने से परहेज़ किया, मा'लूम हुआ कि मुश्तबह चीज़ के खाने से परहेज़ करना कमाल तक़्वा और वरअ़ है। इसी मक़्सद के पेशे—नज़र अपने मुनअ़क़िद बाब के तहत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये हदीष़ लाए हैं।

बाब 5 : दिल में वस्वसा आने से शुब्हा न करना चाहिये

٥- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

या'नी मुश्तबह उस चीज़ को कहते हैं जिसकी हिल्लत और हुर्मत या नजासत के दलाइल मुतआरिज हों, तो ऐसी चीज़ों से बचना तक़्वा और परहेज़गारी है और एक वस्वसे हैं कि ख़्वाह मख़्वाह बे दलील हर चीज़ में शुब्हा करना। जैसे एक फ़र्श बिछा हुआ है तो यही समझेंगे कि वो पाक है या एक शख़्स ने कुछ ख़रीदा, तो यही समझेंगे कि हलाल तौर से उसके पास आया होगा। अब ख़्वाह मख़्वाह उसके नजिस होने का गुमान करना, या उस माल के हराम होने का, ये वस्वसा है, इससे परहेज़ करना चाहिए। अल्बत्ता अगर दलील से नजासत या हुर्मत मा'लूम हो जाए तो उससे बाज़ रहना चाहिए।

2056. हमसे अबू नुऐ़म फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने, उनसे अ़ब्बाद बिन तमीम ने और उनसे उनके चचा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़िनी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) के सामने एक ऐसे शख़्स का ज़िक्र आया जिसे नमाज़ में कुछ शुब्हा हवा निकलने का हो जाता है, क्या उसे नमाज़ तोड़ देनी चाहिए? फ़र्माया कि नहीं, जब तक वो आवाज़ न सुन ले या बदबू न महसूस कर ले (उस वक़्त तक नमाज़ न तोड़े) इब्ने अबी हफ़्सा ने ज़ुह्री से बयान किया (ऐसे शख़्स पर) वुज़ू वाजिब नहीं जब तक हदष़ की बदबू न महसूस कर ले या आवाज़ न सुन ले। (राजेअ़ : 37)

٢٠٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا)). وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرِّيْحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ.[راجع: ٣٧]

तश्रीह : इस हदीष़ के तहत अ़ल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ालल ग़ज़ाली अल्वरउ अक़्सामु वरइस्सिद्दीक़ीन व हुव तर्कुन मा ला यतनावलु बिग़ैरि निय्यतिन अल क़ुव्वतु अलल इबादति व वरउ़ल मुत्तक़ीन व हुव तर्कुन मा शुब्हत फ़ीहि व लाकिन यख़्शा अंय्यजुर्र इलल्हरामि व वरउस्सालिहीन व हुव तर्कुन मा यततर्रकु इलैहि इहतिमालुत्तहरीमि बिशर्तिन अंय्यकून लिज़ालिकल इहतिमालि मौक़उन फ़इल्लम यकुन फ़हुव वरउल मुसव्वैसीन क़ाल व वराअ ज़ालिक वरउश्शुहूदि व हुव तर्कुन मा यस्क़ुतुश्शहादतु अय अअम्मु मिन अंय्यकून ज़ालिकल मतरूकु हरामन अम ला इन्तिहा व गरज़ुल मुसन्निफ़ि हुना बयान वरइल मुस्सिसीन कमन यमतनिउ मिन अक्लिस्सैदि कान लि इन्सानिन षुम्म अफ़्लत मिन्हु व कमन यतरूकु शराअन मा यहताजु इलैहि मिनल मज्हूलि ला यदरी अम्मा लहू हलालुन अम हरामुन व लैसत हुनाक अ़लामतुन तदुल्लु अलष़्षानी व कमन यतरूकु तनावलश्शैइ लिख़बिरिन व रद्दुन फ़ीहि मुत्तफ़क़ुन अ़ला ज़ुअफ़िही व अदमुल इहतिजाज़ि बिही य वकूनु दलीलु इबाहतिही क़विय्यन व तावीलूहू मुम्तनिउन औ मुस्तब्इदुन** (फ़त्हुल बारी)

या'नी इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने वरअ़ को चार क़िस्मों पर तक़्सीम किया है। एक वरअ़ सिद्दीक़ीन का है वो ये कि उन तमाम कामों को छोड़ देना जिनको बतौरे निय्यत इबादत से कोई ता'ल्लुक़ न हो। मुत्तक़ीन का वरअ़ ये है कि ऐसी चीज़ों को भी छोड़ देना जिनकी हिल्लत में कोई शुब्हा नही मगर ख़तरा है कि उनको अ़मल में लाने से कहीं हराम तक नौबत न पहुँच जाए और सालेहीन का वरअ़ ये कि ऐसी चीज़ों से दूर रहना जिनमें हुर्मत के एहतिमाल के लिये कोई भी मौक़ा निकल सकता है।

अगर ऐसा न हो तो वो वस्वसाइयों का वरअ़ है और उनके अ़लावा एक वरअ़श्शुहुद है जिसके इर्तिकाब से इंसान शहादत में नाक़ाबिले ए'तिबार हो जाए आम है कि वो ह़राम हो या न हो। यहाँ मुसन्निफ़ (रह.) की ग़र्ज़ वस्वसा वालों के वरअ़ का बयान है जैसा कि कोई किसी शिकार का गोश्त महज़ इसलिये न खाए कि शायद वो शिकार किसी और आदमी ने भी किया हो और उससे वो जानवर भाग गया हो। या जैसा कि किसी ऐसे आदमी के हाथ से ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दे जो मज्हूल हो और जिसके बारे में मा'लूम न हो कि उसका माल ह़राम है या ह़लाल का। और कोई ज़ाहिरी दलील भी न हो कि उसकी ह़िल्लत ही पर यक़ीन किया जा सके। और जैसा कि कोई शख़्स ऐसे आदमी की रिवायत तर्क कर दे जिसके ज़ुअ़फ़ पर सबका इत्तिफ़ाक़ हो और जिसके साथ हुज्जत न पकड़ी जा सकती हो, ऐसे जुम्ला मश्कूक ह़ालात में परहेज़गारी का नाम वरअ़ है। मगर ह़द से ज़्यादा गुज़रकर किसी मुसलमान भाई के बारे में बिला तह़क़ीक़ कोई ग़लत़ गुमान क़ायम कर लेना ये भी वरअ़ के सख़्त ख़िलाफ़ है।

इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने किसी जगह लिखा है कि कुछ लोग नमाज़ के लिये अपना लोटा और मुसल्ला इस ख़्याल से साथ रखते हैं कि उनके ख़्याल में दुनिया के सारे मुसलमानों के लोटे और मुसल्ले इस्ते'माल के लायक़ नहीं हैं। और उन सब में शुब्हा दाख़िल है। स़िर्फ़ उन ही का लौटा और मुसल्ला हर क़िस्म के शक व शुब्हा से बालातर है। इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने ऐसे परहेज़गारों को ख़ुद गन्दे क़रार दिया है। **अल्लाहुम्म अहफ़िज्ना मिन जमीइश्शुब्हाति वल्आफ़ाति आमीन!**

٢٠٥٧- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ)).

[طرفاه في : ٥٥٠٧، ٧٣٩٨].

2057. हमसे अह़मद बिन मिक़्दाम इज्ली ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़मान त़फ़ावी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद (उ़र्वा बिन ज़ुबैर) ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने कि कुछ लोगों ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! बहुत से लोग हमारे यहाँ गोश्त लाते हैं। हमें ये मा'लूम नहीं होता कि अल्लाह का नाम उन्होंने ज़िब्ह़ के वक़्त लिया था या नहीं? उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे खा लिया करो।

(दीगर मक़ाम : 5507, 7398)

मत़लब ये कि मुसलमान से नेक गुमान रखना चाहिए और जब तक दलील से मा'लूम न हो कि मुसलमान ने ज़िब्ह़ के वक़्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा या अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया था तो उसका लाया हुआ या पकाया हुआ गोश्त ह़लाल ही समझा जाएगा। ह़दीष़ का मत़लब ये नहीं कि मुश्रिकों का लाया हुआ या पकाया हुआ गोश्त ह़लाल समझ लो, और फ़ुक़हा ने उसकी तस़रीह़ की है कि अगर मुश्रिक क़स्साब भी कहे कि इस जानवर को मुसलमान ने काटा है तो उसका क़ौल मक़्बूल न होगा। इसलिये मुश्रिक काफ़िर क़स़ाई से गोश्त लेने में बहुत एह़तियात़ और परहेज़ करना चाहिए।

٦- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]

बाब 6 : अल्लाह तआ़ला का सूरह जुम्आ में ये फ़र्माना कि जब वो माल तिजारत आता हुआ या कोई और तमाशा देखते हैं तो उसकी त़रफ़ दौड़ पड़ते हैं

٢٠٥٨- حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا

2058. हमसे त़ल्क़ बिन ग़न्नाम ने बयान किया, कहा कि हमसे

ज़ाइद बिन क़ुदामा ने बयान किया, उनसे हुसैन ने, उनसे सालिम बिन अबी अल जअ़द ने कि मुझसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुम्आ की नमाज़ पढ़ रहे थे, (या'नी ख़ुत्बा सुन रहे थे) कि मुल्के शाम से कुछ ऊँट खाने का सामाने तिजारत लेकर आए। (सब नमाज़ी) लोग उनकी तरफ़ मुतवज्जह हो गए और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बारह आदमियों के सिवा और कोई बाक़ी न रहा। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, जब वो माले तिजारत या कोई तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं। (राजेअ़ : 936)

زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾. [راجع: ٩٣٦]

तश्रीह : हुआ ये था कि उस ज़माने में मदीना में ग़ल्ले (अनाज) का क़हत (अकाल) था। लोग बहुत भूखे और परेशान थे। शाम से जो ग़ल्ले का क़ाफ़िला आया तो लोग बेइख़्तियार होकर उसको देखने चल दिये, सिर्फ़ बारह सहाबा या'नी अशर-ए-मुबश्शरह और बिलाल और इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) आप (ﷺ) के पास ठहरे रहे। सहाबा किराम (रज़ि.) कुछ मा'सूम न थे बशर (इन्सान) थे। उनसे ये ख़ता हो गई जिस पर अल्लाह तआला ने उनको इताब फ़र्माया (डाँटा)। शायद उस वक़्त तक उनको ये मा'लूम न होगा कि ख़ुत्बे में से उठकर जाना मना है। इमाम बुख़ारी (रह.) इस बाब को इसलिये यहाँ लाए कि बेअ़ और शरअ, तिजारत और सौदागिरी गो उम्दह और मुबाह चीज़ें हैं मगर जब इबादत में उनकी वजह से खलल हो तो उनको छोड़ देना चाहिए। ये मक़सद भी है कि जिस तिजारत से यादे इलाही में फ़र्क़ आए मुसलमान के लिये वो तिजारत भी मुनासिब नहीं है क्योंकि मुसलमान की ज़िन्दगी का असल मक़सद यादे इलाही है। उसके अलावा जुम्ला मशग़ूलियात आरज़ी हैं। जिनका महज़ बक़ा-ए-ह्यात के लिये अंजाम देना ज़रूरी है वरना मक़सदे वाहिद सिर्फ़ यादे इलाही है।

बाब 7 : जो रुपया कमाने में हलाल या हराम की परवाह न करे

٧- بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

2059. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद मक़्बरी ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हलाल है या हराम से है।

(दीगर मक़ाम : 2083)

٢٠٥٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ)).

[طرفه في : ٢٠٨٣].

बाब 8 : ख़ुश्की में तिजारत का बयान

٨- بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ

और अल्लाह तआला का फ़र्मान (सूरह नूर में) कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तिजारत और ख़रीद व फ़रोख़्त अल्लाह तआला की याद से ग़ाफ़िल नहीं करती। क़तादा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो ख़रीद व फ़रोख़्त और तिजारत करते थे लेकिन अगर अल्लाह के हुक़ूक़ में से कोई हक़ सामने आ जाता तो उनकी तिजारत और

وَقَوْلِهِ: ﴿رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ﴾ [النور : ٣٧].
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ وَيَتَّجِرُوْنَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ

حُقُوقِ اللهِ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

ख़रीद व फ़रोख़्त उन्हें अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल नहीं रख सकती थी, जब तक वो अल्लाह के हक़ को अदा न कर लें। (उनको चैन नहीं आता था)

तश्रीह : कुछ ने **बाबुत तिजारत फ़िल बर** को **ज़ा** के साथ **फ़िल बज़** पढ़ा है तो तर्जुमा ये होगा कि कपड़े की तिजारत करना मगर बाब की ह़दीष़ में कपड़े की तिजारत का ज़िक्र नहीं है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने आगे चलकर जो बाब समुन्दर में तिजारत करने का बयान किया, उसका जोड़ यही है कि यहाँ ख़ुश्की की तिजारत मज्कूर हो। कुछ ने ज़म्मा बा के साथ फ़िल् बर्र पढ़ा है या'नी गंदुम की तिजारत तो उसका भी बाब की तरी, स़ह़रा और समुन्दर सब कारगाह अ़मल हैं। इसी जोशे अ़मल ने मुसलमानों को मश्रिक़ से मग़रिब तक दुनिया के हर ह़िस्से में पहुँचा दिया।

٢٠٦٠، ٢٠٦١- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح.
وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : ((إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نِسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ)).
[أطرافه في : ٢١٨٠، ٢٤٩٧، ٣٩٣٩].
[أطرافه في : ٢١٨١، ٢٤٩٨، ٣٩٤٠].

2060,61. हमसे अबू आ़स़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, कि मुझे उ़र्वा बिन दीनार ने ख़बर दी और उनसे अबुल मिन्हाल ने बयान किया कि मैं सोने चाँदी की तिजारत किया करता था। इसलिये मैंने ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। और मुझसे फ़ज़्ल बिन यअ़क़ूब ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़ज्जाज बिन मुहम्मद ने बयान किया, कि इब्ने जुरैज ने बयान किया कि मुझे अ़म्र बिन दीनार और आ़मिर बिन मुस़अ़ब ने ख़बर दी, उन दोनों ह़ज़रात ने अबू मिन्हाल से सुना। उन्होंने बयान किया कि मैंने बरा बिन आ़ज़िब और ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) से सोने–चाँदी की तिजारत के बारे में पूछा तो उन दोनों बुज़ुर्गों ने फ़र्माया कि हम नबी करीम (ﷺ) के अ़हद में ताजिर थे, इसलिये हमने आपसे सोने–चाँदी की तिजारत के बारे में पूछा था, आपने जवाब ये दिया था कि (लेन–देन) हाथों–हाथ हो तो कोई ह़र्ज नहीं लेकिन उधारी की सूरत में जाइज़ नहीं है।

(दीगर मक़ाम : 2180, 2181, 2497, 2498, 3939, 3940)

मष़लन एक शख़्स नक़द रुपया दे और दूसरा कहे मैं उसके बदल का रुपया एक महीने के बाद दूँगा तो ये दुरुस्त नहीं है। बेअ़ स़र्फ़ में सबके नज़दीक तक़ाबुज़ यही दोनों बदलों का नक़दा-नक़द दिया जाना शर्त है और मियाद के साथ दुरुस्त नहीं होती अब इसमें इख़्तिलाफ़ है कि अगर जिन्स एक ही हो मष़लन रुपये को रुपये से या अशरफ़ियों को अशरफ़ियों से तो कमी या ज़्यादती दुरुस्त है या नहीं? ह़न्फ़िया के नज़दीक कमी और ज़्यादती जब जिन्स एक हो दुरुस्त नहीं और उनके मज़हब पर कलदार और ह़ाली सिक्के (वर्तमान सिक्का या मुद्रा) का बदलना मुश्किल हो जाता है और बेहतर ये है कि कुछ पैसे शरीक कर दे, ताकि कमी और ज़्यादा सब के नज़दीक जाइज़ हो जाए (वह़ीदी)। इस ह़दीष़ के उ़मूम से इमाम बुख़ारी

(रह.) ने ये निकाला कि ख़ुश्की में तिजारत करना दुरुस्त है।

बाब 9 : तिजारत के लिये घर से निकलना और (सूरह जुम्आ में) अल्लाह तआला का फ़र्मान कि जब नमाज़ हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश करो

٩- بَابُ الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ﴾ [الجمعة : ١٠].

2062. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको मुख़्लद बिन यज़ीद ने ख़बर दी, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अ़ता बिन अबी रिबाह ने ख़बर दी। उन्हें उ़बैद बिन उ़मैर ने कि अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मिलने की इजाज़त चाही लेकिन इजाज़त नहीं मिली। ग़ालिबन आप उस वक़्त काम में मशग़ूल थे। इसलिये अबू मूसा (रज़ि.) वापस लौट गये, फिर उ़मर (रज़ि.) फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, क्या मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस (रज़ि.) (अबू मूसा रजि) की आवाज़ सुनी थी उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। कहा गया वो तो लौट गये। तो उ़मर (रज़ि.) ने उन्हें बुला लिया। अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा कि हमें उसी का हुक्म (आँहज़रत ﷺ से) था (कि तीन बार इजाज़त चाहने पर अगर अंदर जाने की इजाज़त न मिले तो वापस लौट जाना चाहिए) इस पर उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, इस हदीष़ पर कोई गवाह लाओ। अबू मूसा (रज़ि.) अंसार की मज्लिस में गए। और उनसे इस हदीष़ के बारे में पूछा (कि क्या किसी ने इसे आँहज़रत ﷺ से सुना है) उन लोगों ने कहा कि उसकी गवाही तो तुम्हारे साथ वो देगा जो हम सबमें बहुत ही कम उ़म्र है। वो अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को अपने साथ ले गए। उ़मर (रज़ि.) ने ये सुनकर फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) का एक हुक्म मुझसे पोशीदा रह गया। अफ़सोस कि मुझे बाज़ारों की ख़रीद व फ़रोख़्त ने मशग़ूल रखा। आपकी मुराद तिजारत से थी। (दीगर मक़ाम : 6245, 7353)

٢٠٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ- وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً - فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى. فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ : أَلَمْ أَسْمَعْ صَوتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ ائْذَنُوا لَهُ. قِيْلَ : قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ : فَقَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ : تَأْتِيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا : لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ. فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ : خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجُ إِلَى التِّجَارَةِ. [طرفاه في : ٦٢٤٥، ٧٣٥٣].

तश्रीह़ : रिवायत में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) का बाज़ार में तिजारत करना मज़्कूर है उसी से मक़्सदे बाब ष़ाबित हुआ। ह़दीष़ से और भी बहुत से मसाइल निकलते हैं। मष़लन कोई किसी के घर में मुलाक़ात को जाए तो दरवाज़े पर जाकर तीन बार सलाम के साथ इजाज़त त़लब करे, अगर जवाब न मिले तो वापस लौट जाए। किसी ह़दीष़ की तस्दीक़ के लिये गवाह त़लब करना भी ष़ाबित हुआ। नीज़ ये कि स़ह़ीह़ बात में कमसिन बच्चों की गवाही भी मानी जा सकती है। और ये भी ष़ाबित हुआ कि भूल–चूक बड़े बड़े लोगों से भी हो सकती है वग़ैरह वग़ैरह।

बाब 10 : समन्दर में तिज़ारत करने का बयान

١٠- بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقٍّ ثُمَّ تَلاَ: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النحل: ١٤] وَالْفُلْكُ السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

और मतर वराक़ ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। और क़ुर्आन मजीद में जो इसका ज़िक्र है वो बहरहाल हक़ है। उसके बाद उन्होंने (सूरह नह्ल की ये) आयत पढ़ी, और तुम देखते हो कश्तियों को कि उसमें चलती हैं पानी को चीरती हुई ताकि तुम तलाश करो उसके फ़ज़्ल से। इस आयत में लफ़्ज़ फ़ुल्क का मतलब कश्ती से है, वाहिद और जमा दोनों के लिये ये लफ़्ज़ उसी तरह इस्ते'माल होता है। मुजाहिद (रह.) ने (इस आयत की तफ़्सीर में) कहा कि कश्तियाँ हवा को चीरती हुई चलती हैं और हवा को वही कश्तियाँ (देखने में साफ़ तौर पर) चीरती चलती हैं जो बड़ी होती हैं।

٢٠٦٣- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [راجع: ١٤٩٨]

2063. लैष ने कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी इस्राईल के एक शख़्स का ज़िक्र किया। जिसने समुन्दर का सफ़र किया था और अपनी ज़रूरत पूरी की थी। फिर पूरी ह़दीष बयान की (जो किताबुल किफ़ालह में आएगी) (राजेअ: 1498)

١١- بَابُ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]

बाब 11 : (सूरह जुम्अ़ा में) अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, जब सौदागरी या तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]. وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.

और सूरह नूर में अल्लाह जल्ला ज़िकरुहू का ये फ़र्माना कि, वो लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीद व फ़रोख़्त अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल नहीं करती, क़तादा ने कहा कि स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) तिजारत किया करते थे। लेकिन ज्यों ही अल्लाह तआ़ला का कोई फ़र्ज़ सामने आता तो उनकी तिजारत और सौदागरी अल्लाह के ज़िक्र से उन्हें ग़ाफ़िल नहीं कर सकती थी यहाँ तक कि वो अल्लाह तआ़ला के फ़र्ज़ को अदा न कर लें।

तश्रीह : अभी चन्द स़फ़्ह़ात पहले इसी आयते शरीफ़ा के साथ ये बाब गुज़र चुका है और यहाँ दोबारा फिर ये दर्ज हुआ है। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने उसे कुछ नाक़ेलीन ने बुख़ारी की क़लम की भूल क़रार दिया है। अ़ल्लामा फ़र्माते हैं कि बुख़ारी शरीफ़ का अस़ल नुस्ख़ा वो था जो ह़ज़रत इमाम के शागिर्द फ़रबरी के पास था। उसमें ह़वाशी में कुछ इल्ह़ाक़ात थे। कुछ नक़ल करने वालों ने उन इल्ह़ाक़ात में से कुछ इबारतों को अपने ख़्याल की बिना पर मतन मे दर्ज कर दिया है। उसी वजह से ये बाब भी मकरूर आ गया है।

٢٠٦٤- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي

2064. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि

मुझसे मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान किया, उनसे हुसैन ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अबी अल जअ़द ने बयान किया, और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि (तिजारती) ऊँटों (का क़ाफ़ला) आया। हम उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) के साथ जुम्अ़ (के ख़ुत्बे) में शरीक थे। बारह सहाबा के सिवा बाक़ी तमाम हज़रात उधर चले गए। उस पर ये आयत उतरी कि, जब सौदागरी या तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा छोड़ देते हैं। (राजेअ़ : 936)

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلاَّ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾. [راجع: ٩٣٦]

बाब 12 : अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान कि,

अपनी पाक कमाई में से ख़र्च करो (अल् बक़र: : 267)

١٢- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة:

2065. हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे अबू वाइल ने, उनसे मसरूक़ ने, और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब औरत अपने घर का खाना (ग़ल्ला वग़ैरह) बशर्ते कि घर बिगाड़ने की निय्यत न हो ख़र्च करे तो उसे खर्च करने का ष़वाब मिलता है और उसके शौहर को कमाने का और ख़ज़ान्ची को भी ऐसा ही ष़वाब मिलता है। एक का ष़वाब दूसरे के ष़वाब को कम नहीं करता।

٢٠٦٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)).

2066. मुझसे यह्या बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उनसे मअ़मर ने बयान किया, उनसे हम्माम ने बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर औरत अपने शौहर की कमाई उसकी इजाज़त के बग़ैर भी (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करती है तो उसे आधा ष़वाब मिलता है।

(दीगर मक़ाम : 5192, 5195, 5360)

٢٠٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ)).

[أطرافه في : ٥١٩٢، ٥١٩٥، ٥٣٦٠].

मतलब ये है कि ऐसी मामूली ख़ैरात करे कि जिसको शौहर देख भी ले तो नापसन्द न करे, जैसे खाने में से कुछ खाना फ़क़ीर को दे या फटा-पुराना कपड़ा अल्लाह की राह में दे डाले, और औरत क़राइन से समझे कि शौहर की तरफ़ से ऐसी ख़ैरात के लिये इजाज़त है। गो उसने सरीह़ इजाज़त न दी हो, कुछ ने कहा मुराद ये है कि औरत उस माल में से ख़र्च करे जो शौहर ने उसके लिये

मुक़र्रर कर दिया हो। कुछ नुस्ख़ो में यूँ है कि शौहर को औरत को आधा ष़वाब मिलेगा। क़स्तलानी (रह.) ने कहा उन दोनों तौज़िहों में से कोई तौजीह ज़रूर करना चाहिए वरना औरत अगर शौहर का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर ख़र्च कर डाले तो ष़वाबे कजा गुनाह लाज़िम होगा।

बाब 13 : जो रोज़ी में कुशादगी चाहता हो वो क्या करे?

١٣- بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

2067. हमसे मुहम्मद बिन यअ़क़ूब कर्मानी ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़स्सान बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया, कि मैंने सुना रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि जो शख़्स अपनी रोज़ी में कुशादगी चाहता हो या उ़म्र की दराज़ी चाहता हो तो उसे चाहिये कि स़िलारहमी करे। (दीगर मक़ाम : 5986)

٢٠٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ ... بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)).

[طرفه في : ٥٩٨٦].

नतीजा ये होगा कि उसके रिश्तेदार उसका हुस्ने–सुलूक़ देखकर दिल से उसकी उ़म्र की दराज़ी, माल की फ़राखी की दुआएँ करेंगे और अल्लाह पाक उनकी दुआओं के नतीजे में उसकी रोज़ी में और उ़म्र में बरकत करेगा। इसलिये कि अल्लाह पाक हर चीज़ के घटाने–बढ़ाने पर क़ादिर है।

बाब 14 : नबी करीम (ﷺ) का उधार ख़रीदना

١٤- بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّسِيئَةِ

2068. हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया कि इब्राहीम नख़ई की मज्लिस में हमने उधार लेन–देन में (सामान) गिरवी रखने का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे अस्वद ने आइशा (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक यहूदी से कुछ ग़ल्ला एक मुद्दत मुक़र्रर करके उधार ख़रीदा और अपनी लोहे की एक ज़िरह उसके पास गिरवी रखी।
(दीगर मक़ाम : 2096, 2200, 2251, 2252, 2386, 2509, 2513, 2916, 4467)

٢٠٦٨- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

[أطرافه في: ٢٠٩٦، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٩١٦، ٤٤٦٧].

2069. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने (दूसरी सनद) और मुझसे मुहम्मद बिन

٢٠٦٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ

قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ)). [طرفه في : ٢٥٠٨].

अब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान किया, कहा कि हमसे अस्बात अबुल यसअ बस़री ने, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि वो नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में जौ की रोटी और बदबूदार चर्बी (सालन के तौर पर) ले गए। आँहज़रत (ﷺ) ने उस वक़्त अपनी ज़िरह मदीना में एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी थी। और उससे अपने घरवालों के लिये जो क़र्ज लिया था। मैंने ख़ुद आपको ये फ़र्माते सुना कि मुहम्मद (ﷺ) के घराने मे कोई शाम ऐसी नहीं आई जिसमें उनके पास एक स़ाअ गैहूँ या एक स़ाअ कोई ग़ल्ला मौजूद रहा हो। हालाँकि आपकी घरवालियों की ता'दाद नौ थी।

(दीगर मक़ाम : 2508)

तश्रीह : इस हदीष़ से आँहज़रत (ﷺ) की इक़्तिस़ादी (पारिवारिक) ज़िन्दगी पर रोशनी पड़ती है। ख़ुदा न ख़ास्ता आप दुनियादार होते तो ये नौबत न आती कि एक यहूदी के यहाँ अपनी ज़िरह गिरवी रखकर राशन ह़ासिल करें। और राशन भी जौ की शक्ल में, जिससे स़ाफ़ ज़ाहिर है कि आपने आने वाले लोगों के लिये एक उ़म्दातरीन नमूना पेश फ़र्मा दिया कि वो दुनियावी ऐशो–आराम और नाज़–नख़रों के वक़्त उस्व–ए–मुहम्मदी (ﷺ) को याद कर लिया करें। मक़्स़दे बाब ये है कि इंसान को ज़िन्दगी मे कभी उधार भी कोई चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। लिहाज़ा उसमें कोई क़बाह़त नहीं और इससे ग़ैर–मुस्लिमों के साथ लेन–देन का ता'ल्लुक़ भी ष़ाबित हुआ।

बाब 15 : इंसान का कमाना और अपने हाथों से मेहनत करना

١٥- بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

इस बाब के तह़त ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **व क़द इख़्तलफ़ल उ़लमाउ फ़ी अफ़्जलिल्मकासिबि क़ालल्मावर्दी उसूलुल्मकासिबि अज़्ज़राअ़तु वत्तिजारतु वस़्स़न्अ़तु वल्अश्रबहु बिमज़्हबिश्शाफ़िइ अन्न अत्बहा अत्तिजारतु क़ाल वल्अर्जह अन्न अत्यबहा अज़्ज़राअ़तु लिअन्नहा अक़्रबु इलत्तवक्कुलि व तअक़्क़ुबहुन्नववी बिहदीष़िल मुक़द्दम अल्लज़ी फ़ी हाज़ल्बाबि व अन्नस़्स़वाब अन्न अत्यबल्कस्बि मा कान बिअमलिल्यदि क़ाल फ़इ कान ज़राअन फ़हुव अत्यबुल्मकासिबि लिमा यश्तमिलु अ़लैहि मिन कौनिही अमलुल्यदि वलिमा फ़ीहि मिनत्तवक्कुलि व लिअन्नहू ला बुद्द फ़ीहि फ़िल्आदति अय्यूकल मिन्हु बिग़ै रि इवज़िन.** (फ़त्ह़)

या'नी उ़लमा का इस बारे में इख़्तिलाफ़ है कि अफ़ज़ल कस्ब कौनसा है। मावर्दी ने कहा कि कस्ब के तीन उस़ूली त़रीक़े हैं । ज़राअ़त, तिजारत और स़न्अ़त व हिर्फ़त और इमाम शाफ़िई के क़ौल में अफ़ज़ल कस्ब तिजारत है। मगर मावर्दी कहते हैं कि मैं ज़राअ़त को तरजीह़ देता हूँ कि ये तवक्कल से क़रीब है। और नववी ने इस पर तआक़ुब किया है और दुरुस्त बात ये है कि बेहतरीन पाकीज़ा कस्ब वो है जिसमें अपने हाथ को दख़ल ज़्यादा हो। अगर ज़राअ़त को अफ़ज़ल कस्ब माना जाए तो बजा है क्योंकि उसमें इंसान ज़्यादातर अपने हाथ से मेह़नत करता है उसमें तवक्कल भी है और इंसानों और हैवानों के लिये आ़म नफ़ा भी है। उसमें बग़ैर किसी मुआवज़े के ह़ास़िल हुए ग़ल्ले से खाया जाता है। इसलिये ज़राअ़त बेहतरीन कस्ब है। बशर्तेकि कामयाब ज़राअ़त हो वरना आ़म त़ौर पर ज़राअ़त पेशा लोग मक़्रूज़, तंगदस्त, परेशान ह़ाल मिलते हैं। इसलिये कि न तो उनके पास ज़राअ़त के क़ाबिल काफ़ी ज़मीन होती है न दीगर वसाइल फ़राख़ी के साथ मुहय्या होते हैं, नतीजतन् ये कि उनका इफ़्लास दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है, ऐसी ह़ालत में ज़राअ़त को बेहतरीन कस्ब नहीं कहा जा सकता। इन ह़ालात

में मज़दूरी भी बेहतर है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब के तहत तीन हदीषें ज़िक्र की हैं। जिनमें से पहली तिजारत के बारे में है, दूसरी ज़राअत से और तीसरी सन्अत के बारे में है। पहली हदीष में हज़रत सय्यिदना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) और उनके पेशा तिजारत का ज़िक्र है। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, **लम्मा मरिज़ अबू बक्र मर्ज़हुल्लज़ी मात फ़ीहि क़ाल उन्ज़ुरू मा ज़ाद फ़ी माली मुन्ज़ु दख़ल्तुल इमारत फ़ब्अषू बिही इलल्ख़लीफ़ति बअदी** या'नी जब हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) मर्ज़ुल मौत में गिरफ़्तार हुए तो आपने अपने घरवालों को वसिय्यत की कि मेरे माल की पड़ताल करना और ख़लीफ़ा बनने के बाद जो कुछ भी मेरे माल में ज़्यादती नज़र आए उसे बैतुलमाल में दाख़िल करने के लिये ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन के पास भेज देना। चुनाँचे आपके इंतिक़ाल के बाद जायज़ा लिया गया तो एक गुलाम ज़ाइद पाया गया जो बाल–बच्चों को खिलाया करता था और एक ऊँट जिससे मरहूम के बाग़ को पानी दिया जाता था। दोनों को हज़रत उ़मर (रज़ि.) के पास भेज दिया गया। जिनको देखकर हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया **रहिमहुल्लाहु अ़ला अबी बक्र लकद अत्अ ब मन बअदहू** या'नी अल्लाह पाक हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) पर रहम फ़र्माए उन्होंने अपने बाद वालों को मशक़्क़त में डाल दिया।

2070. हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि जब अबूबक्र (रज़ि.) ख़लीफ़ा हुए तो फ़र्माया, मेरी क़ौम जानती है कि मेरा (तिजारती) कारोबार मेरे घरवालों की गुज़रान के लिये काफ़ी रहा है। लेकिन अब मैं मुसलमानों के काम में मशग़ूल हो गया हूँ, इसलिये आले अबूबक्र (रज़ि.) अब बैतुलमाल में से खाएगी, और अबूबक्र (रज़ि.) मुसलमानों का माले तिजारत बढ़ाता रहेगा।

٢٠٧٠– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ)).

या'नी अब ख़िलाफ़त के काम में मसरूफ़ रहूँगा तो मुझको अपना ज़ाती पेशा और बाज़ारों में फिरने का मौक़ा न मिलेगा इसलिये मैं बैतुलमाल से अपना और अपने घरवालों का ख़र्चा किया करूँगा और ये ख़र्चा भी मैं इस तरह से निकाल दूँगा कि बैतुलमाल के रुपये पैसे में तिजारत और सौदागरी करके उसको तरक़्क़ी दूँगा और मुसलमानों का फ़ायदा कराऊँगा।

2071. मुझसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी अय्यूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबुल अस्वद ने बयान किया, उनसे उ़र्वा ने कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा (रज़ि.) अपने काम अपने ही हाथों से किया करते थे और (ज़्यादा मेहनत व मशक़्क़त की वजह से) उनके जिस्म से (पसीने की) बू आ जाती थी। इसलिये उनसे कहा गया कि अगर तुम ग़ुस्ल कर लिया करो तो बेहतर होगा। इसकी रिवायत हम्माम ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने बाप से और उन्होंने आइशा (रज़ि.) से की है। (राजेअ़ : 903)

٢٠٧١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ)). رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ. [راجع: ٩٠٣]

2072. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको ईसा बिन यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ष़ौर ने ख़बर दी, उन्हें ख़ालिद बिन मअ़दान ने और उन्हें मिक़्दाम (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी इंसान ने उस शख़्स से बेहतर रोज़ी नहीं खाई, जो ख़ुद अपने हाथों से कमाकर खाता है अल्लाह के नबी दाऊद अ़लैहिस्सलाम भी अपने हाथ से काम करके रोज़ी खाया करते थे।

٢٠٧٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)).

2073. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमें मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें हम्माम बिन मुनब्बा ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया, और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम सिर्फ़ अपने हाथ की कमाई से खाया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 3417, 4713)

٢٠٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)).

[طرفاه في : ٣٤١٧، ٤٧١٣].

हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम खेती का काम करते थे और हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम लोहार का काम और हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते और हज़रत इदरीस अ़लैहिस्सलाम कपड़े सिया करते और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) तिजारत पेशा थे, लिहाज़ा किसी भी हलाल और जाइज़ पेशा को हक़ीर जानना इस्लामी शरीअ़त में सख़्त ना रवा है।

2074. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) के गुलाम अबी उ़बैद ने, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया वो शख़्स जो लकड़ी का गट्ठा अपनी कमर पर लादकर लाए, उससे बेहतर है जो किसी के सामने हाथ फैलाए चाहे वो उसे कुछ दे दे या न दे।

(राजेअ़ : 147)

٢٠٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)).

[راجع: ١٤٧٠]

2075. हमसे याह या बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे वकीअ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे ज़ुबैर बिन अ़व्वाम (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर

٢٠٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧١]

कोई अपनी रस्सियों को सम्भाल ले और उनमें लकड़ी बाँधकर लाए तो वो उससे बेहतर है जो लोगों से मांगता फिरे।

(राजेअ़ : 1471)

या'नी माँगने से बचना और ख़ुद मेह़नत मज़दूरी करके गुज़रान करना, एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी यही होनी ज़रूरी है।

١٦- بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

बाब 16 : ख़रीद व फ़रोख़्त के वक़्त नर्मी, वुस्अ़त और फ़य्याज़ी करना और किसी से अपना ह़क़ पाकीज़गी से मांगना

٢٠٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى)).

2076. हमसे अ़ली बिन अ़याश ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ग़स्सान मुह़म्मद बिन मुतरफ़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुह़म्मद बिन मुंकदिर ने बयान किया, और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंस़ारी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स़ पर रह़म करे जो बेचते वक़्त और ख़रीदते वक़्त और तक़ाज़ा करते वक़्त फ़य्याज़ी और नरमी से काम लेता है।

١٧- بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

बाब 17 : जो शख़्स़ मालदार को मुहलत दे

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ)). وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: ((كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ)). وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ:

2077. हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, कहा कि हमसे मंसूर ने, उनसे रिब्ई बिन ह़िराश ने बयान किया, और उनसे ह़ुज़ैफ़ह बिन यमान (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमसे पहले गुज़िश्ता उम्मतों के किसी शख़्स़ की रूह के पास (मौत के वक़्त) फ़रिश्ते आए और पूछा कि तूने कुछ अच्छे काम भी किये हैं? रूह ने जवाब दिया कि मैं अपने नौकरों से कहा करता था कि वो मालदार लोगों को (जो उनके मक़रूज़ हों) मुहलत दे दिया करें और उन पर सख़्ती न करें और मुहताजों को मुआ़फ़ कर दिया करें। रावी ने बयान किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर फ़रिश्तों ने भी उससे दरगुज़र किया और सख़्ती नहीं की। और अबू मालिक रिब्ई से (अपनी रिवायत में ये अल्फ़ाज़) बयान किये। मैं खाते कमाते के साथ (अपना ह़क़ लेते वक़्त) नरम मामला करता था और तंगहाल मक़रूज़ को मुहलत दे देता था। इसकी मुताबअ़त

((أَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ)). وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ : ((فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ)).

[طرفاه في : ٢٣٩١، ٣٤٥١].

शुअ़बा ने की है। उनसे अ़ब्दुल मलिक ने और उनसे रिब्ई़ ने बयान किया, अबू अ़वाना ने कहा कि उनसे अ़ब्दुल मलिक ने रिब्ई़ से बयान किया कि (उस रूह ने ये अल्फ़ाज़ कहे थे) मैं खाते कमाते को मुहलत दे देता था और तंग ह़ाल वाले मक़रूज़ से दरगुज़र करता था। और नईम बिन अबी हिन्द ने बयान किया, उनसे रिब्ई़ ने (कि रूह ने ये अल्फ़ाज़ कहे थे) मैं खाते कमाते लोगों को (जिन पर मेरा कोई ह़क़ वाजिब होता) उ़ज्र क़ुबूल कर लिया करता था और तंगह़ाल वाले से दरगुज़र कर दिया था। (दीगर मक़ाम : 2391, 3451)

तश्रीह : या'नी भले ही क़र्ज़दार मालदार हो मगर उस पर सख़्ती न करे, अगर मुहलत चाहिये तो मुहलत दे। मालदार की ता'रीफ़ में इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने कहा जिसके पास अपना और अपने अहलो-अ़याल का खर्चा मौजूद हो। ष़ौरी और इब्ने मुबारक और इमाम अह़मद और इस्ह़ाक़ ने कहा जिसके पास पचास दिरहम हों और इमाम शाफ़िई ने कहा उसकी कोई ह़द मुक़र्रर नहीं कर सकते; कभी जिसके पास एक दिरहम हो मालदार कहला सकता है जब वो उसके ख़र्च से फ़ाज़िल हो और कभी हज़ार दिरहम रखकर भी आदमी मुफ़्लिस होता है जबकि उसका ख़र्चा ज़्यादा हो और अ़याल बहुत हों और वो क़र्ज़दार रहता हो।

١٨- بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

बाब 18 : जिसने किसी तंगदस्त को मुह्लत दी उसका ष़वाब

٢٠٧٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ)). [طرفه في : ٣٤٨٠].

2078. हमसे हिशाम बिन अ़म्मार ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन ह़म्ज़ा ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक ताजिर लोगों को क़र्ज़ दिया करता था। जब किसी तंगदस्त को देखता तो अपने नौकरों से कह देता कि उससे दरगुज़र कर जाओ। शायद कि अल्लाह तआ़ला भी हमसे (आख़िरत में) दरगुज़र फ़र्माए। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने (उसके मरने के बाद) उसको बख़्श दिया। (दीगर मक़ाम : 3480)

तश्रीह : तंगदस्त को मुह्लत देना और उस पर सख़्ती न करना अल्लाह के यहाँ मह़बूब है, मगर ऐसे लोगों को भी नाजाइज़ फ़ायदा न उठाना चाहिये कि माल वाले का माल तल्फ़ (बर्बाद) हो। दूसरी रिवायत में है कि मक़रूज़ अगर दिल में क़र्ज़ अदा करने की निय्यत रखेगा तो अल्लाह तआ़ला भी ज़रूर उसका क़र्ज़ अदा करा देगा।

١٩- بَابُ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا، وَنَصَحَا

बाब 19 : जब ख़रीदने वाले और बेचनेवाले दोनों स़ाफ़ स़ाफ़ बयान कर दें और एक दूसरे की बेहतरी चाहें

وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ ((هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ. لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ)). وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ.

और अदाअ बिन ख़ालिद (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मुझे नबी करीम (ﷺ) ने एक बैअनामा लिख दिया था कि ये वो काग़ज़ है जिसमें मुहम्मद अल्लाह के रसूल (ﷺ) का अदा बिन ख़ालिद से ख़रीदने का बयान है। ये बेअ मुसलमान की है मुसलमान के हाथ, न इसमें कोई ऐब है न कोई फ़रेब न फ़िस्क़ व फ़िजूर, न कोई बदबातिनी है। और क़तादा (रह.) ने कहा कि ग़ाइला, ज़िना, चोरी और भागने की आदत को कहते हैं।

وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي: آرِيَّ خُرَاسَانَ. وسِجِسْتَانَ، فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، وَجَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ. فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ.

इब्राहीम नख़्ई (रह.) से किसी ने कहा कि कुछ दलाल (अपने अस्तबल और बहिस्तानी अस्तबल) रखते हैं और (धोखा देने के लिये) कहते हैं कि फ़लाँ जानवर कल ही ख़ुरासान से आया था और फ़लाँ आज ही बहिस्तान से आया है। तो इब्राहीम नख़्ई ने इस बात को बहुत ज़्यादा नागवारी के साथ सुना। उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने कहा कि किसी शख़्स के लिये भी ये जाइज़ नहीं कि कोई सौदा बेचे और ये जानने के बावजूद कि उसमें ऐब है, ख़रीदने वाले को उसके बारे में न बताए।

तश्रीह : क़ाज़ी अयाज़ ने कहा सहीह यूँ है कि अदा के ख़रीदने का बयान है नबी करीम (ﷺ) से, जैसे तिर्मिज़ी और निसाई और इब्ने माजा ने इसे वस्ल किया है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा मुम्किन है यहाँ इश्तिरा बाअ के मा'नी में आया हो या मामला कई बार हुआ हो। गुलाम के ऐब का ज़िक्र है या'नी वो काना, लूला, लंगड़ा, फ़रेबी नहीं है। न भागने वाला बदकार है। मक़्सद ये है कि बेचने वाले का फ़र्ज़ है कि मामला की चीज़ के ऐब व सवाब से ख़रीददार को पूरे तौर पर आगाह कर दे।

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

[أطرافه في : ٢٠٨٢، ٢١٠٨، ٢١١٠، ٢١١٤].

2079. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे सालेह अबू ख़लील ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन हारिष ने, उन्होंने हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीदने और बेचने वालों को उस वक़्त इख़्तियार (बेअ ख़त्म कर देने का) है जब तक दोनों जुदा न हों या आपने (मालम यतफ़र्रक़ा के बजाय) हत्ता यतफ़र्रक़ा फ़र्माया। (आँहज़रत ﷺ ने मज़ीद इर्शाद फ़र्माया) पस अगर दोनों ने सच्चाई से काम लिया और हर बात साफ़-साफ़ खोल दी तो उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त में बरकत होती है लेकिन अगर कोई बात छुपा कर रखी या झूठ कही तो उनकी बरकत ख़त्म कर दी जाती है।

(दीगर मक़ाम : 2082, 2108, 2110, 2114)

तश्रीह : मक़्सदे बाब ज़ाहिर है सौदागर के लिये ज़रूरी है कि वो अपने माल का हुस्न व क़बह़ (अच्छाई व बुराई) सब ज़ाहिर कर दें ताकि ख़रीदने वाले को बाद में शिकायत का मौक़ा न मिल सके और इस बारे में कोई झूठी क़सम हर्गिज़ न खाएँ। और ये भी मा'लूम हुआ कि ख़रीददार को जब तक वो दुकान से अलग न हो माल वापस करने का इख़्तियार है। हाँ, दुकान से चले जाने के बाद ये इख़्तियार ख़त्म हो जाता है मगर ये कि दोनों बाहमी त़ौर पर एक मुद्दत के लिये उस इख़्तियार को त़ै कर लिया हो तो ये अलग बात है।

बाब 20 : मुख़्तलिफ़ क़िस्म की खजूर मिलाकर बेचना कैसा है?

٢٠- بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

2080. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यह्या ने, उनसे अबू सलमा ने, उनसे अबू सईद (रज़ि.) ने बयान किया हमें (नबी करीम ﷺ की त़रफ़ से) मुख़्तलिफ़ क़िस्म की खजूरें एक साथ मिला करती थीं और हम दो स़ाअ खजूर एक स़ाअ के बदले में बेच दिया करते थे। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि दो स़ाअ एक स़ाअ के बदले में न बेची जाए और न दो दिरहम एक दिरहम के बदले बेचे जाएँ।

٢٠٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ)).

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब ये बतलाना है कि इस क़िस्म की मख़्लूत़ (मिक्स) खजूरों की बेअ जाइज़ है क्योंकि उनमें जो कुछ भी ऐब है वो ज़ाहिर है और जो उ़म्दगी है वो भी जाहिर है। कोई धोखेबाज़ी नहीं है, लिहाज़ा ऐसी मख़्लूत़ खजूरें बेची जा सकती हैं। इस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने जो हिदायत फ़र्माई वो ह़दीष़ से ज़ाहिर है।

बाब 21 : गोश्त बेचनेवाले और क़स़्स़ाब का बयान

٢١- بَابُ مَا قِيْلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

2081. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया, कहा कि मुझसे शक़ीक़ ने बयान किया और उनसे अबू मसऊ़द (रज़ि.) ने कि अंस़ार में से एक स़ह़ाबी जिनकी कुन्नियत अबू शुऐ़ब (रज़ि.) थी, तशरीफ़ लाए और अपने गुलाम से जो क़स़्स़ाब था, फ़र्माया कि मेरे लिये इतना खाना तैयार कर जो पाँच आदमी के लिये काफ़ी हो। मैंने नबी करीम (ﷺ) की और आपके साथ और चार आदमियों की दा'वत का इरादा किया क्योंकि मैंने आपके चेहरा मुबारक पर भूख के आष़ार देखे थे। चुनाँचे उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) को बुलाया। आपके साथ एक और स़ाह़ब भी आ गये। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हमारे साथ एक और स़ाह़ब ज़ाइद आ गये हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें

٢٠٨١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيْقٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ : اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ، خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ

أَنْ يَرجِعَ رَجَعَ)). فَقَالَ : لاَ، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

[أطرافه في: ٢٤٥٦، ٥٤٣٤، ٥٤٦١].

भी इजाज़त दे सकते हैं और चाहें तो वापस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि मैं इन्हें भी इजाज़त देता हूँ।

(दीगर मक़ाम : 2456, 5434, 5461)

तश्रीह : या'नी वो तुफ़ैली बनकर चला अया, उस शख़्स का नाम मा'लूम नहीं हुआ। आँहज़रत (ﷺ) ने साहिबे ख़ाना (घरवाले) से इजाज़त ली ताकि उसका दिल ख़ुश हो। और अबू तलहा (रज़ि.) की दा'वत में आपने ये इजाज़त न ली क्योंकि अबू तलहा ने दा'वत में आने वालों की ता'दाद मुक़र्रर नहीं की थी और उस शख़्स ने पाँच की ता'दाद मुक़र्रर कर दी थी, इसलिये आपने इजाज़त की ज़रूरत समझी। ह़दीष़ में क़स्साब का ज़िक्र है और गोश्त बेचने वालों का इसी से पेशे का जवाज़ षाबित हुआ।

٢٢- بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ

बाब 22 : बेचने में झूठ बोलने और (ऐब को) छुपाने से (बरकत) ख़त्म हो जाती है

٢٠٨٢- حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

[راجع: ٢٠٧٩]

2082. हमसे बदल बिन मह़बर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे क़तादा ने, कहा कि मैंने अबू ख़लील से सुना, वो अ़ब्दुल्लाह बिन ह़ारिष़ से नक़ल करते थे और वो ह़कीम बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों को इख़्तियार है जब तक वो एक–दूसरे से जुदा न हों (कि बेअ़ फ़स्ख़ कर दें या रखें) या आपने (मालम यतफ़र्रक़ा के बजाय) ह़त्ता यतफ़र्रक़ा फ़र्माया। पस अगर दोनों ने सच्चाई इख़्तियार की और हर बात खोल–खोलकर बयान की तो उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त में बरकत होगी और अगर उन्होंने कुछ छुपाए रखा या झूठ बोला तो उनके ख़रीद व फ़रोख़्त की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। (राजेअ़ : 2079)

٢٣- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الآية [آل عمران : ١٣٠]

बाब 23 : अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान कि ऐ ईमानवालों! सूद दर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम फ़लाह़ पा सको (आले इमरान : 130)

तश्रीह : पहले यही आयत उतरी, जाहिलियत का क़ायदा था कि जब वादा आ पहुँचता तो क़र्ज़दार से कहते, तू अदा करता है या सूद देना पसन्द करता है। अगर वो न देता तो सूद लगा देते और अस़ल में शरीक कर लेते। इस त़रह़ सूद की रक़म जमा होकर दोगुनी–तिगुनी हो जाती। अल्लाह ने इसका ज़िक्र फ़र्माया और मना किया, इसका मत़लब ये नहीं है कि अस़ल से कम या हल्का खाना दुरुस्त है। हमारी शरीअ़त में सूद हल्का हो या भारी मुत्लक़न ह़राम और नाजाइज़ है।

٢٠٨٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

2083. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि

ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ حَلاَلٍ أَمْ حَرَامٍ)).

[راجع: ٢٠٥٩]

हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे सईद मक़बरी ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान उसकी परवाह नहीं करेगा कि माल उसने कहाँ से लिया, हलाल तरीक़े से या हराम तरीक़े से।

(राजेअ़ : 2059)

बल्कि उनकी हर तरह से पैसा जोड़ने की निय्यत होगी, कहीं से भी मिल जाए और किसी तरह से ख़्वाह शरअ़न वो जाइज़ हो या नाजाइज़। एक हदीष़ में आया है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो सूद न खाएगा उस पर भी सूद का गुबार पड़ जाएगा। या'नी वो सूदी मामलात में वकील या हाकिम या गवाह की हैषियत से शरीक होकर रहेगा। आज के निज़ामे बातिल के निफ़ाज़ से ये बलाएँ जिस क़दर आम हो रही हैं मज़ीद तफ़्सील (विस्तृतविवरण) की मुहताज नहीं हैं।

٢٤- بَابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى :

बाब 24 : सूद खाने वाला और उस पर गवाह होने वाला और सूदी मुआमलात करने वाला, इन सबकी सज़ा का बयान

﴿الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

और अल्लाह तआला का ये फ़र्मान कि जो लोग सूद खाते हैं, वो क़यामत में बिलकुल उस शख़्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने लिपटकर दीवाना बना दिया हो। ये हालत उनकी इस वजह से होगी कि उन्होंने कहा था कि ख़रीद व फ़रोख़्त भी सूद की तरह है हालाँकि अल्लाह तआला ने ख़रीद व फ़रोख़्त को हलाल क़रार दिया है और सूद को हराम। पस जिसको उसके रब की नसीहत पहुँची और वो (सूद लेने से) बाज़ आ गया तो वो जो कुछ पहले ले चुका है वो उसी का है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है लेकिन अगर वो फिर भी सूद लेता रहा तो यही लोग जहन्नमी हैं, ये उसमे हमेशा रहेंगे।

किसी पर आसेब हो या शैतान तो वो खड़ा नहीं हो सकता। अगर मुश्किल से खड़ा भी होता है तो कंपकंपा कर गिर पड़ता है। यही हाल हश्र में सूद खाने वालों का होगा कि वो मख़्बूतुल हवास (बावले) होकर हश्र में अल्लाह के सामने हाज़िर किये जाएँगे। ये वो लोग होंगे जिन्होने सूद को तिजारत पर क़यास (अन्दाज़ा) करके उसको हलाल क़रार दिया, हालाँकि तिजारत को अल्लाह ने हलाल क़रार दिया है और सूदी मुआमलात को हराम, मगर उन्होंने क़ानूने इलाही का मुक़ाबला किया, गोया चोरी की और सीनाज़ोरी की, लिहाज़ा उनकी सज़ा यही होनी चाहिये कि वो मैदाने महशर में इस क़दर ज़लील होकर उठेंगे कि देखने वाले सब ही उनको ज़िल्लत और ख़्वारी की तस्वीर देखेंगे।

٢٠٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ

2084. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबुज़्ज़ुहा ने, उनसे मसरूक़ ने और

उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि जब (सूरह) बक़र: की आख़िरी आयतें (अल्लज़ीना याकुलू नरिंबा) अल्ख़ नाज़िल हुईं तो नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें सहाबा (रज़ि.) को मस्जिद में पढ़कर सुनाया। उसके बाद उन पर शराब की तिजारत को हराम कर दिया। (राजेअ: 2059)

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ)).

[راجع: ٤٥٩]

2085. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन हाज़िम ने, कहा कि हमसे अबू रिजाअ बस़री ने बयान किया, उनसे समुरह बिन जुन्दब (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रात (ख़्वाब में) मैंने दो आदमी देखे, वो दोनों मेरे पास आए और मुझे बैतुल मक़्दिस में ले गए। फिर हम सब वहाँ से चले यहाँ तक कि हम एक ख़ून की नहर पर आए, वहाँ (नहर के किनारे पर) एक शख़्स खड़ा हुआ था। और नहर के बीच में भी एक शख़्स खड़ा हुआ था। (नहर के किनारे पर) खड़े होने वाले के सामने पत्थर पड़े हुए थे। बीच नहर वाला आदमी आता और ज्यों ही वो चाहता कि बाहर निकल जाए फ़ौरन ही बाहर वाला शख़्स उसके मुँह पर पत्थर खींचकर मारता जो उसे वहीं लौटा देता था, जहाँ वो पहले था। इसी तरह जब भी वो निकलना चाहता किनारे पर खड़ा हुआ शख़्स उसके मुँह पर पत्थर खींचकर मारता और वो जहाँ था वहीं फिर लौट जाता। मैंने (अपने साथियों से जो फ़रिश्ते थे) पूछा, कि ये क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि नहर में तुमने जिस शख़्स को देखा वो सूद खाने वाला इंसान है। (राजेअ: 845)

٢٠٨٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِي فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ: آكِلُ الرِّبَا)).

[راجع: ٨٤٥]

तश्रीह : ये तवील हदीष़ पारा नम्बर 5 में भी गुज़र चुकी है। उसमें सूदख़ोर का अज़ाब दिखलाया गया है कि दुनिया में उसने लोगों का ख़ून चूस–चूसकर दौलत जमा किया था, उसी ख़ून की वो नहर है जिसमें वो ग़ौते खिलाया जा रहा है। कुछ रिवायात में **वसतुन्नहर** की जगह **शित्तुन्नहर** का लफ़्ज़ है।

बाब 25 : सूद खिलाने वाले का गुनाह

٢٥- بَابُ مُوْكِلِ الرِّبَا

अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, ऐ ईमानवालों! अल्लाह से डरो, और छोड़ दो वसूली उन रक़मों की जो बाक़ी रह गई हैं लोगों पर सूद से, अगर तुम ईमान वाले हो और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुमको ऐलाने जंग है अल्लाह की तरफ़ से और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ से, और अगर तुम सूद लेने से तौबा करते हो तो सिर्फ़ अपनी अस़ल रक़म ले लो, न तुम किसी पर ज़्यादती करो और न तुम पर

لِقَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَ لاَ تُظْلَمُوْنَ وَ إِنْ كَانَ ذُوْ

कोई ज़्यादती हो, और अगर मक़रूज़ तंगदस्त है तो उसे मुहलत दे दो अदायगी की ताक़त होने तक। और अगर तुम उससे अस़्ल रक़म भी छोड़ दो तो ये तुम्हारे लिये बहुत ही बेहतर है अगर तुम समझो। और उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब अल्लाह तआला की तरफ़ लौटाए जाओगे। फिर हर शख़्स को उसके किये हुए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर किसी क़िस्म की कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। (अल बक़रः : 278-281)

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٨١].

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि ये आख़िरी आयत है जो नबी करीम (ﷺ) पर नाज़िल हुई।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

2086. हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे औ़न बिन अबी जुहैफ़ा ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद को एक पछना लगाने वाला गुलाम खरीदते देखा। मैंने ये देखकर उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत लेने और ख़ून की क़ीमत लेने से मना किया है, आपने गोदने वाली और गुदवाने वाली को (गोदना लगवाने से) सूद लेने वाने और सूद देने को (सूद लेन या देने से) मना फ़र्माया और तस्वीर बनाने वाले पर लअ़नत भेजी। (दीगर मक़ाम : 2238, 5347, 5962)

٢٠٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ)).

[أطرافه في : ٢٢٣٨، ٥٣٤٧، ٥٩٦٢].

तश्रीह : अकष़र उ़लमा के नज़दीक कुत्ते की बेअ़ (व्यापार) दुरुस्त नहीं है मगर ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने कुत्ते का बेचना और उसकी क़ीमत खाना जाइज़ रखा है और अगर कोई किसी का कुत्ता मार डाले तो उस पर तावान लाज़िम किया गया है। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) ने ह़दीष़े हाज़ा की रद्द से कुत्ते की बेअ़ मुत़लक़न नाजाइज़ क़रार दी है। पछना लगाने की उज्रत के बारे में मुमानअ़ते तंज़ीही है क्योंकि दूसरी ह़दीष़ से ष़ाबित है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद पछना लगवाया और पछना लगाने वाले को मज़दूरी दी, अगर ह़राम होती तो आप (ﷺ) कभी न देते। गुदवाना, गोदना ह़राम है और जानदारों की मूरत बनाना भी ह़राम है। जैसा कि यहाँ ऐसे सब पेशे वालों पर अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने लअ़नत भेजी है।

बाब 22 : (सूरह बक़रः में) अल्लाह तआ़ला का ये फ़र्माना कि वो सूद को मिटा देता है और स़दक़ात को बढ़ा देता है और अल्लाह तआ़ला नहीं पसन्द करता हर मुंकिर गुनाहगारों को

٢٦- بَابُ ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ : وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة : ٧٦]

2087. हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने कि सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया कि उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने ख़ुद नबी करीम (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना कि (सामान बेचते वक़्त दुकानदार के) क़सम खाने से सामान तो

٢٠٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ،

يَقُولُ: ((الْحَلِفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ)).

जल्दी बिक जाता है लेकिन वो क़सम बरकत को मिटाने वाली होती है।

गो चंद रोज़ तक ऐसी झूठी क़समें खाने से माल तो कुछ निकल जाता है लेकिन आख़िर में उसका झूठ और फ़रेब खुल जाता है और बरकत इसलिये ख़त्म हो जाती है कि लोग उसे झूठा जानकर उसकी दुकान पर आना छोड़ देते हैं। स़दक़र्रसूलल्लाह (ﷺ)।

٢٧- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

बाब 27 : ख़रीद व फ़रोख़्त में क़सम खाना मकरूह है

٢٠٨٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً﴾ [آل عمران : ٧٧].

[طرفاه في: ٢٦٧٥، ٤٥٥١].

2088. हमसे अ़म्र बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे हुशैम ने बयान किया, कहा कि हमको अ़वाम बिन हौशिब ने ख़बर दी, उन्हें इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) ने कि बाज़ार में एक शख़्स ने एक सामान दिखाकर क़सम खाई कि उसकी इतनी क़ीमत लग चुकी है। ह़ालाँकि उसकी उतनी क़ीमत नहीं लगी थी। उस क़सम से उसका मक़्स़द एक मुसलमान को धोखा देना था। उस पर ये आयत उतरी, जो लोग अल्लाह के अ़हद और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत के बदले में बेचते हैं।

(दीगर मक़ाम : 2675, 4551)

आख़िरत में उनके लिये कुछ ह़िस्सा नहीं है और न उनसे अल्लाह कलाम करेगा और न उन पर नज़रे रह़मत करेगा और न उनको पाक करेगा बल्कि उनके लिये दुख देने वाला अ़जाब है। मा'लूम हुआ कि अल्लाह के नाम की झूठी क़सम खाना बदतरीन गुनाह है। उलमा-ए-किराम ने किसी सच्चे मामले में भी बतौरे तंज़ीह अल्लाह के नाम की क़सम खाना पसन्द नहीं किया है। मुस्नद अह़मद में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी इज़ार को टख़नों से नीचे लटकाने वाला और झूठी क़समों से अपना माल फ़रोख़्त करने वाला और एह़सान जतलाने वाला ये वो मुजरिम हैं जिन पर ह़श्र में अल्लाह की नज़रे रह़मत नहीं होगी। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्स़दे बाब ये है कि तिजारत में हर वक़्त सच्चाई को सामने रखना ज़रूरी है। वरना झूठ बोलने वाला ताजिर इन्दल्लाह सख़्त मुजरिम क़रार पाता है।

٢٨- بَابُ مَا قِيْلَ فِي الصَّوَّاغِ

बाब 28 : सुनारों का बयान

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا)) وَقَالَ الْعَبَّاسُ: ((إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ : إِلاَّ الإِذْخِرَ)).

और त़ाउस ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया कि नबी करीम (ﷺ) ने (ह़ज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर ह़रम की हुर्मत बयान करते हुए) फ़र्माया था कि ह़रम की घास न काटी जाए। उस पर अ़ब्बास (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि इज़ख़र (एक ख़ास़ क़िस्म की घास) की इजाज़त दे दीजिए क्योंकि ये यहाँ के सुनारों, लोहारों

और घरों के काम आती है, तो आपने फ़र्माया, अच्छा इज़्ख़र काट लिया करो।

इस हदीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि सुनारी का पेशा आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में भी था और आप (ﷺ) ने उससे मना नहीं फ़र्माया; तो ये पेशा जाइज़ हुआ। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर उस हदीष़ के ज़ुअफ़ की तरफ़ इशारा फ़र्माया है, जिसे इमाम अहमद ने निकाला है जिसमें मज़्कूर है कि सबसे ज़्यादा झूठे सुनार और रंगरेज़ हुआ करते हैं। उसकी सनद में इज़्तिराब है।

٢٠٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ بْنَ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: ((كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي)).

[أطرافه في : ٢٣٧٥، ٣٠٩١، ٤٠٠٣، ٥٧٩٣].

2089. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें यूनुस ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि हमें ज़ैनुल आ़बेदीन अ़ली हुसैन (रज़ि.) ने ख़बर दी, उन्हें हुसैन बिन अ़ली (रज़ि.) ने ख़बर दी कि अ़ली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ग़नीमत के माल में से मेरे हिस्से में एक ऊँट आया था और एक दूसरा ऊँट मुझे नबी करीम (ﷺ) ने ख़ुम्स में से दिया था। फिर जब मेरा इरादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की साहबज़ादी फ़ातिमा (रज़ि.) की रुख़्सती कराके लाने का हुआ तो मैंने बनी क़ेनक़ाअ़ के एक सुनार से तै किया कि वो मेरे साथ चले और हम दोनों मिलकर इज़्ख़र घास (जमा करके) लाएँ, क्योंकि मेरा इरादा था कि उसे सुनारों के हाथ बेचकर अपनी शादी के वलीमे में उसकी क़ीमत को लगाऊँ।

(दीगर मक़ाम : 2375, 3091, 4003, 5793)

तशरीह : इस हदीष़ में भी सुनारों का ज़िक्र है। जिससे अ़हदे रिसालत में उस पेशे का षुबूत मिलता है और ये भी ष़ाबित हुआ कि रिज़्क़े हलाल तलाश करने में कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिये जैसा कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ख़ुद जाकर जंगल से इज़्ख़र घास जमा करके फ़रोख़्त की **और ये भी मा'लूम हुआ कि वलीमा दूल्हे की तरफ़ से होता है।**

बनी क़ेनक़ाअ़ मदीना में यहूदियों के एक ख़ानदान का नाम था। अ़ली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आ़बेदीन का नाम है जो हज़रत हुसैन (रज़ि.) के बेटे और हज़रत अ़ली (रज़ि.) के पोते हैं। उनकी कुन्नियत अबुल हसन है। अकाबिर सादात में से थे। ताबेअ़ीन में जलीलुल क़द्र और शोहरतयाफ़्ता (प्रसिद्ध) थे। इमाम ज़ुहरी ने फ़र्माया कि क़ुरैश में किसी को मैंने उनसे बेहतर नहीं पाया। 94 हिज्री में इंतिक़ाल फ़र्माया। कुछ लोगों ने ए'तिराज़ किया है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अइम्म-ए-इष्ना अ़शर की रिवायतें नहीं ली हैं। उन मुअ़तरिज़ीन (ए'तिराज़ करने वालों) के जवाब के लिये इमाम ज़ैनुल आ़बेदीन की रिवायत मौजूद है जो अइम्मा इष्ना अ़शर में बड़ा मुक़ाम रखते हैं।

2090. हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे ख़ालिद ने, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने मक्का को हुर्मत वाला शहर क़रार दिया है। ये न मुझसे पहले किसी के लिये हलाल था और न मेरे बाद किसी के लिये हलाल होगा। मेरे लिये भी एक दिन चन्द लम्हात के लिये हलाल हुआ था। सो अब उसकी न घास काटी जाए, न उसके दरख़्त काटे जाएँ, न उसके शिकार भगाए जाएँ, और न उसमें कोई गिरी हुई चीज़ उठाई जाए। सिर्फ़ मुअ़र्रिफ़ (या'नी गुमशुदा चीज़ को अस़ल मालिक तक ऐलान के ज़रिये पहुँचाने वाले) को उसकी इजाज़त है। अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि इज़्ख़र के लिये इजाज़त दे दीजिए, कि ये हमारे सुनारों और हमारे घरों की छतों के काम में आती है। तो आप (ﷺ) ने इज़्ख़र की इजाज़त दे दी। इक्रिमा ने कहा, ये भी मा'लूम है कि हरम के शिकार को भगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि (किसी दरख़्त के साए तले अगर वो बैठा हुआ हो तो) तुम साए से उसे हटाकर ख़ुद वहाँ बैठ जाओ। अ़ब्दुल वह्हाब ने ख़ालिद से (अपनी रिवायत में ये अल्फ़ाज़) बयान किये कि (इज़्ख़र) हमारे सुनारों और हमारी क़ब्रों के काम में आती है। (राजेअ़ : 1349)

٢٠٩٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً، مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ)). وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا. فَقَالَ: ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)) فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا)). [راجع: ١٣٤٩]

या'नी बजाय छतों के अ़ब्दुल वह्हाब की रिवायत में क़ब्रों का ज़िक्र है। अ़रब लोग इज़्ख़र को क़ब्रों में भी डालते और छत भी उससे पाटते; वो एक ख़ुश्बूदार घास होती है। अ़ब्दुल वहाब की रिवायत को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल हज्ज में निकाला है। रिवायत में सुनारों का ज़िक्र है, इसी से पेशे का दुरुस्त होना ष़ाबित हुआ। सुनार जो सोना–चाँदी वग़ैरह से औरतों के ज़ेवर बनाने का धंधा करते हैं।

बाब 29 : कारीगरों और लोहारों का बयान

٢٩- بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

2091. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अबी अ़दी ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने, उनसे सुलैमान ने, उनसे अबुज़्ज़ुहा ने, उनसे मसरूक़ ने और उनसे ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) ने कि मैं जाहिलियत के ज़माने में लोहार का काम किया करता था। आ़स़ बिन वाइल (काफ़िर) पर मेरा कुछ क़र्ज़ था। मैं एक दिन उस पर तक़ाज़ा करने गया। उसने कहा कि जब तक तू मुहम्मद (ﷺ) का इंकार नहीं करेगा मं

٢٠٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ. قَالَ: لاَ

أَعْطِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِيْكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً، أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾.

[أطرافه في : ٢٢٧٥، ٢٤٢٥، ٤٧٣٢، ٤٧٣٣، ٤٧٣٤، ٤٧٣٥].

तेरा क़र्ज़ नहीं दूँगा। मैंने जवाब दिया कि मैं आप (ﷺ) का इंकार उस वक़्त तक नहीं करूँगा जब तक अल्लाह तआला तेरी जान न ले ले, फिर तू दोबारा उठाया जाए, उसने कहा कि फिर मुझे भी मुहलत दे कि मैं मर जाऊँ, फिर दोबारा उठाया जाऊँ और मुझे माल और औलाद मिले उस वक़्त मैं भी तुम्हारा क़र्ज़ अदा कर दूँगा। इस पर आयत नाज़िल हुई, क्या तुमने उस शख़्स को देखा जिसने हमारी आयात को न माना और कहा कि (आख़िरत में) मुझे माल और दौलत दी जाएगी, क्या उसे ग़ैब की ख़बर है? या उसने अल्लाह तआला के यहाँ कोई इक़रार ले लिया है।

(दीगर मक़ाम : 2275, 2425, 4732, 4733, 4734, 4735)

ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) मशहूर सहाबी हैं, उनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है। उनको ज़मान–ए–जाहिलियत में ज़ालिमों ने क़ैद कर लिया था। एक ख़ुज़ाइया औरत ने उनको ख़रीद कर आज़ाद कर दिया था। आँहज़रत (ﷺ) के दारे अरक़म में दाख़िल होने से पहले ही ये इस्लाम ला चुके थे। कुफ़्फ़ार ने उनको सख़्त तकलीफ़ों में मुब्तला किया, मगर उन्होंने सब्र किया। कूफ़ा में इक़ामत गज़ीं (निवासी) हो गए थे और 73 साल की उम्र में 37 हिज्री में वहीं उनका इंतिक़ाल हुआ। इस हदीष़ से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने लोहार का काम करना षाबित फ़र्माया, कुर्आन मजीद से षाबित है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी लोहे के बेहतरीन हथियार बनाया करते थे।

٣٠- بَابُ ذِكْرِ الْخَيَّاطِ

बाब 30 : दर्ज़ी का बयान

٢٠٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ)).

[أطرافه في : ٥٣٧٩، ٥٤٢٠، ٥٤٣٣، ٥٤٣٥، ٥٤٣٦، ٥٤٣٧، ٥٤٣٩].

2092. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने ख़बर दी, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) को ये कहते सुना कि एक दर्ज़ी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खाने पर बुलाया। अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि मैं भी उस दा'वत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ गया। उस दर्ज़ी ने रोटी और शोरबा जिसमें कद्दू और भुना हुआ गोश्त था, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश कर दिया। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कद्दू के क़तले प्याले में तलाश कर रहे थे। उसी दिन से मैं भी बराबर कद्दू को पसन्द करता हूँ।

(दीगर मक़ाम : 5379, 5420, 5433, 5435, 5436, 5437, 5439)

तशरीह : क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) को कद्दू पसन्द था। कद्दू निहायत उम्दा तरकारी है। या'नी लम्बा कद्दू सर्दतर और तप (बुख़ार) व ख़िफ़्तान को दूर करने वाला व हरारत (गर्मी) व बदन की ख़ुश्की और क़ब्ज़ बवासीर को दूर करता है। पेठे की भी यही खासियत है। गो कद्दू खाना दीन का तो कोई काम नहीं है कि उसकी पैरवी लाज़िम हो, मगर आँहज़रत (ﷺ) की मुहब्बत उसको मुक़्तफ़ी है कि हर मुसलमान कद्दू से रग़बत रखे जैसे अनस (रज़ि.) ने किया। (वहीदी)

आँहज़रत (ﷺ) की दा'वत करने वाले सहाबी ख़य्यात थे। दर्ज़ी का काम किया करते थे। उससे हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने दर्ज़ी का काम षाबित फ़र्माया।

बाब 31 : कपड़ा बुनने वाले का बयान

٣١- بَابُ ذِكْرِ النَّسَّاجِ

2093. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम ने, कहा कि मैंने सहल बिन सअ़द (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि एक औरत बुर्दा लेकर आई। सहल (रज़ि.) ने पूछा, तुम्हें मा'लूम भी है बुर्दा किसे कहते हैं? कहा गया जी हाँ! बुर्दा हाशियेदार चादर को कहते हैं। तो उस औरत ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ख़ास आपको पहनाने के लिये ये चादर अपने हाथ से बुनी है, आप ((ﷺ) ने उसे ले लिया। आप (ﷺ) को उसकी ज़रूरत भी थी, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए तो आप उसी चादर को बतौरे इज़ार के पहने हुए थे, हाज़िरीन में से एक साहब बोले, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो मुझे दे दीजिए, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा ले लेना। उसके बाद आप (ﷺ) मज्लिस में थोड़ी देर तक बैठे रहे फिर वापस तशरीफ़ ले गए। फिर इज़ार को तह करके उन साहब के पास भिजवा दिया। लोगों ने कहा कि तुमने आँहज़रत (ﷺ) से ये इज़ार मांगकर अच्छा नहीं किया क्योंकि तुम्हें मा'लूम है कि आप किसी साइल के सवाल को रद्द नहीं करते हैं। इस पर उन सहाबी ने कहा कि वल्लाह! मैंने तो सिर्फ़ इसलिये ये चादर मांगी है कि जब मैं मरूँ तो ये मेरा कफ़न बने। सहल (रज़ि.) ने फ़र्माया, कि वो चादर ही उनका कफ़न बनी।

(राजेअ़ : 1166)

٢٠٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيْلَ لَهُ : نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَومِ، يَا رَسُولَ اللهِ أَكْسُنِيْهَا، فَقَالَ: ((نَعَمْ)). فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ، فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً، فَقَالَ الرَّجُلُ، وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ)).

[راجع: ١١٦٦]

तशरीह : रिवायत से मा'लूम होता है कि उस औरत के यहाँ करघा था, और वो कपड़ा बनाने का काम करने में माहिर थी जो बेहतरीन हाशियादार चादर बनाकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करने लाई। आपने उसे बख़ुशी क़ुबूल कर लिया, मगर एक सहाबी (अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि.) थे जिन्होंने उसे आपके जिस्म पर ज़ेबतन (पहनी हुई) देखकर बतौरे तबर्रुक अपने कफ़न के लिये उसे आपसे मांग लिया और आपने उनको ये दे दी और उनके कफ़न ही में वो इस्ते'माल की गई। **इस हदीष से मा'लूम हुआ कि अहदे रिसालत में नूर बाफ़ी (बुनकरी) का फ़न था, और उसमें औरतें तक महारत रखती थीं, और इस पेशा को कोई भी मअ़यूब (बुरा) नहीं जानता था।** यही षाबित करना हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.)

का मक़्सदे बाब है।

बाब 32 : बढ़ई का बयान

٣٢- بَابُ النَّجَّارِ

2094. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम ने बयान किया कि कुछ लोग सहल बिन सअ़द साएदी (रज़ि.) के यहाँ मिम्बरे नबवी के बारे में पूछने आए। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़लाँ औरत के यहाँ जिनका नाम भी सहल (रज़ि.) ने लिया था, अपना आदमी भेजा कि वो अपने बढ़ई गुलाम से कहें कि मेरे लिये कुछ लकड़ियों को जोड़कर मिम्बर तैयार कर दे, ताकि लोगों को वा'ज़ करने के लिये मैं उस पर बैठ जाया करूँ, चुनाँचे उस औरत ने अपने गुलाम से ग़ाबा के झाऊ की लकड़ी का मिम्बर बनाने के लिये कहा, फिर (जब मिम्बर तैयार हो गया तो) उन्होंने उसे आपकी ख़िदमत में भेजा, वो मिम्बर आपके हुक्म से (मस्जिद में) रखा गया और आप (ﷺ) उस पर बैठे। (राजेअ़ : 377)

٢٠٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٣٧٧]

ग़ाबा मदीना से शाम की जानिब एक मक़ाम है, जहाँ झाऊ के बड़े-बड़े दरख़्त थे। उस औरत का नाम मा'लूम नहीं हो सका अल्बत्ता गुलाम का नाम बाक़ूम बतलाया गया है। कुछ ने कहा कि ये मिम्बर तमीम दारी ने बनाया था।

2095. हमसे ख़ल्लाद बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि एक अंसारी औरत ने रसूले करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपके लिये कोई ऐसी चीज़ क्यूँ न बनवा दूँ जिस पर आप (ﷺ) वा'ज़ के वक़्त बैठा करें क्योंकि मेरे पास एक गुलाम बढ़ई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा तुम्हारी मर्ज़ी। रावी ने बयान किया कि फिर जब मिम्बर आप (ﷺ) के लिये उसने तैयार किया, तो जुम्आ के दिन जब आँहज़रत (ﷺ) उस मिम्बर पर बैठे तो उस खजूर की लकड़ी से रोने की आवाज़ आने लगी। जिस पर टेक देकर आप (ﷺ) ख़ुत्बा दिया करते थे। ऐसा मा'लूम होता था कि वो चिमट जाएगी। ये देखकर नबी करीम (ﷺ) मिम्बर से उतरे और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उस वक़्त भी वा

٢٠٩٥- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا. قَالَ: ((إِنْ شِئْتِ)). قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ،

لكڑी उस छोटे बच्चे की तरह सिसकियाँ भर रही थी जिसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वो चुप हो गई। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, कि उसके रोने की वजह ये थी कि ये लकड़ी ख़ुत्बा सुना करती थी इसलिये रोई। (राजेअ : 449)

فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ. قَالَ: ((بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ)).
[راجع: ٤٤٩]

तश्रीह : क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया और मिम्बर पर ख़ुत्बा पढ़ने लगे। ये आँहज़रत (ﷺ) का एक अज़ीम मुअजज़ा है कि आप (ﷺ) की जुदाई का ग़म एक लकड़ी से भी जाहिर हुआ। आख़िर आप (ﷺ) ने उस लकड़ी को सीने से लगाया तब जाकर उसका रोना बन्द हुआ। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष़ से ष़ाबित किया है कि बढ़ई का पेशा भी कोई मज़्मूम पेशा नहीं है। एक मुसलमान उनमें से जो पेशा भी उसके लिये आसान हो इख़्तियार करके रिज़्क़े हलाल तलाश कर सकता है। इन अहादीष़ से उस अम्र पर भी रोशनी पड़ती है कि सन्अत व हिर्फ़त के बारे में भी इस्लाम की निगाहों में एक तरक़्क़ीयाफ़्ता प्लान है। बाद के ज़मानों में जो तरक़्क़ीयात इस सिलसिले में हुई हैं। ख़ुसूसन आज इस मशीनी दौर में ये जुम्ला फ़ुनून किस तेज़ी के साथ मनाज़िले तरक़्क़ी तै कर रहे हैं बुनियादी तौर पर ये सब कुछ इस्लामी ता'लीमात के मुक़द्दस नतीजे हैं। इस लिहाज़ से इस्लाम का ये पूरी दुनिय-ए-इंसानियत पर एहसाने अ़ज़ीम है कि उसने दीन और दुनिया दोनों की तरक़्क़ी का पैग़ाम देकर मज़्हब की सच्ची तस्वीर को बनी नोअ़े इंसान के सामने आशकारा (अवगत) किया है। सच है, **इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल् इस्लाम** (सूरह आले इमरान : 19)

बाब 33 : अपनी ज़रूरत की चीज़ें हर आदमी ख़ुद भी ख़रीद सकता है

٣٣- باب شِرَاءِ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ

और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से एक ऊँट ख़रीदा, और अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने कहा कि एक मुश्रिक बकरियाँ (बेचने) लाया तो नबी करीम (ﷺ) ने उससे एक बकरी ख़रीदी। आपने जाबिर (रज़ि.) से भी एक ऊँट ख़रीदा था।

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلاً مِنْ عُمَرَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيْرًا.

2096. हमसे यूसुफ़ बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू मुआविया ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़्ई ने, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने और उनसे आइशा(रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक यहूदी से कुछ ग़ल्ला उधार ख़रीदा, और अपनी ज़िरह उसके पास गिरवी रखवाई।

(राजेअ़ : 2068)

٢٠٩٦- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)).
[راجع: ٢٠٦٨]

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद एक यहूदी से उधार ग़ल्ला ख़रीदा बल्कि अपनी ज़िरह उसके यहाँ गिरवी रख दी। सो ये अम्र मुरव्वत के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई इमाम हो या बादशाह, नबी से किसी का दर्जा बड़ा नहीं है, अपना सौदा बाज़ार से ख़ुद ख़रीदना और ख़ुद ही उसको उठाकर ले आना, आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत है और जो उसको बुरा या इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझे वो मरदूद व शक़ी है। बल्कि बेहतर यही है कि जहाँ तक हो सके इंसान अपना हर काम ख़ुद ही अंजाम दे तो उसकी ज़िन्दगी सुकूनभरी ज़िंदगी होगी। उस्व-ए-हुस्ना इसी का नाम है।

बाब 34 : चौपाया जानवरों और घोड़ों, गधों की ख़रीदारी का

٣٤- بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيْرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: ((بِعْنِيهِ. يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا)).

बयान अगर कोई सवारी का जानवर या गधा खरीदे और बेचने वाला उस पर सवार हो तो उसके उतरने से पहले ख़रीदार का क़ब्ज़ा पूरा होगा या नहीं? और इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से फ़र्माया, इसे मुझे बेच दे। आपकी मुराद एक सरकश ऊँट से थी।

٢٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((جَابِرٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((مَا شَأْنُكَ؟)) قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ))، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: ((تَزَوَّجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟)) قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: ((أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). ثُمَّ قَالَ: ((أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: ((آلآنَ

2097. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वह्हाब ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे वहब बिन कैसान ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक ग़ज़्वा (ज़ातुर्रिक़ाअ या तबूक) में था। मेरा ऊँट थककर सुस्त हो गया। इतने में मेरे पास नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, जाबिर! मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं हाज़िर हूँ। फ़र्माया क्या बात हुई? मैंने कहा कि मेरा ऊँट थककर सुस्त हो गया है, चलता ही नहीं। इसलिये मैं पीछे रह गया हूँ। फिर आप अपनी सवारी से उतरे और मेरे उसी ऊँट को एक टेढ़े मुँह की लकड़ी से खींचने लगे (या'नी हाँकने लगे) और फ़र्माया कि अब सवार हो जा। चुनाँचे मैं सवार हो गया। अब तो ये हाल हुआ कि मुझे उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के बराबर पहुँचने से रोकना पड़ जाता था। आप (ﷺ) ने पूछा, जाबिर तूने शादी भी कर ली है? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ! दरयाफ़्त फ़र्माया, किसी कुँवारी लड़की से की है या बेवा से। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तो एक बेवा से कर ली है। फ़र्माया, किसी कुँवारी लड़की से क्यूँ नहीं की कि तुम भी उसके साथ खेलते और वो भी तुम्हारे साथ खेलती। (हज़रत जाबिर भी कुँवारे थे) मैंने अर्ज़ किया कि मेरी कई बहनें हैं। (और मेरी माँ का इंतिक़ाल हो चुका है) इसलिये मैंने यही पसन्द किया कि ऐसी औरत से शादी करूँ, जो उन्हें जमा रखे। उनके कँघा करे और उनकी निगरानी करे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि अच्छा अब तुम घर पहुँचकर ख़ैरो-आफ़ियत के साथ ख़ूब मज़े उड़ाना। उसके बाद फ़र्माया, क्या तुम अपना ऊँट बेचोगे? मैंने कहा जी

قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ))، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَنِي الْمِيزَانَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ. فَقَالَ: ((ادْعُ لِي جَابِرًا)). قُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: ((خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ)). [راجع: ٤٤٣]

हाँ! चुनाँचे आपने एक औक़िया चाँदी में ख़रीद लिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझसे पहले ही मदीना पहुँच गए थे और मैं दूसरे दिन सुबह को पहुँचा। फिर हम मस्जिद आए तो आँहज़रत (ﷺ) मस्जिद के दरवाज़े पर मिले। आपने दरयाफ़्त फ़र्माया कि क्या अभी आए हो? मैंने अ़र्ज़ किया कि जी हाँ! फ़र्माया, फिर अपना ऊँट छोड़ दे और मस्जिद में जा के दो रकअ़त नमाज़ पढ़। मैं अंदर गया और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आपने बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया कि मेरे लिये एक औक़िया चाँदी तोल दे। उन्होंने एक औक़िया चाँदी झुकती हुई तोल दी। मैं पीठ मोड़ के चला तो आपने फ़र्माया कि जाबिर को ज़रा बुलाओ। मैंने सोचा कि शायद अब मेरा ऊँट फिर मुझे वापस करेंगे। ह़ालाँकि उससे ज़्यादा नागवार मेरे लिये कोई चीज़ नहीं थी। चुनाँचे आपने यही फ़र्माया कि ये अपना ऊँट ले जा और उसकी क़ीमत भी तुम्हारी है। (राजेअ़ : 443)

तश्रीह : बाब की दोनों ह़दीष़ों में कहीं गधे का ज़िक्र नहीं जिसका बयान बाब के तर्जुमा में है और शायद इमाम बुख़ारी (रह.) ने गधे को ऊँट पर क़यास किया। दोनों चौपाए और सवारी के जानवर हैं। दूसरी रिवायत में है कि मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) से बेचते वक़्त ये शर्त कर ली थी कि मदीना पहुँचने तक मैं इस पर सवार होऊँगा। इमाम अह़मद और अहले ह़दीष़ ने बेअ़ में ये शर्त इसी ह़दीष़ से दुरुस्त रखी है। इस ह़दीष़ को इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस किताब में बीस जगहों के क़रीब बयान किया है। गोया इससे बहुत से मसाइल का इस्तिख़राज फ़र्माया है (यानी बहुत से मसाइल निकाले हैं)।

٣٥- بَابُ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلاَمِ

बाब 35 : जाहिलियत के बाज़ारों का बयान जिनमें इस्लाम के ज़माने में भी लोगों ने ख़रीद व फ़रोख़्त की

٢٠٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

2098. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि उ़काज़, मजिन्ना और ज़ुल मजाज़ ये सब ज़माना जाहिलियत के बाज़ार थे। जब इस्लाम आया तो लोगों ने उनमें तिजारत को गुनाह समझा। इस पर अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल की (लयस अ़लैकुम जुनाहुन) फ़ी मवासिमिल् ह़ज्ज इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने इसी त़रह क़िरअत की है।

(राजेअ : 177) [راجع: ۱۷۷۰]

या'नी तुम पर गुनाह नहीं कि अय्यामे हज्ज में उन बाज़ारों में तिजारत करो।

बाब 36 : (हीम) बीमार या ख़ारिशी ऊँट ख़रीदना, हीम हाइम की जमा है, हाइम ए'तिदाल (म्याना रवी) से गुज़रने वाला

٣٦- بابُ شراء الإبل الهيم او الاجرب الهائم : المخالفُ للقصدِ في كلِّ شيءٍ

तश्रीह : यहाँ ये ए'तिराज़ हुआ है कि हैम हाइम की जमा नहीं है बल्कि अहीम या हीमा की जमा है। मसाबीह़ वाले ने यूँ जवाब दिया है कि हीम हाइम की जमा भी हो सकती है। जैसे बाज़िल की जमा बज़्ल आती है। फिर हा का ज़म्मा बवजह या के कसरह से बदल गया। जैसे बीज़ में जो अब्यज़ की ज़मा है। हियाम एक बीमारी है जो ऊँट को हो जाती है। वो पानी पीता ही चला जाता है मगर सैराब नहीं होता और उसी तरह मर जाता है। क़ुर्आन मजीद में **फ़शारिबून शुर्बल् हीम** (अल् वाक़िआ : 55) में यही बयान है कि दोज़ख़ी, ऐसे प्यासे ऊँट की तरह जो सैराब ही नहीं होता खोलता हुआ पानी पीयेंगे मगर सैराब न होंगे बल्कि शिद्दते प्यास में और इज़ाफ़ा हो जाएगा। यही लफ़्ज़ हीमा यहाँ ह़दीष़ में मज़्कूर हुआ। ह़दीष़ ला अदवा में छूत की बीमारी को नकारा गया है, **फ़फ़्हम व तदब्बर सदक़ रसूलुल्लाहि (ﷺ)**

2099. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया कि अ़म्र बिन दीनार ने कहा यहाँ (मक्का में) एक शख़्स नवास नाम का था। उसके पास एक बीमार ऊँट था। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) गये और उसके शरीक से वही ऊँट ख़रीद लाए। वो शख़्स आया तो उसके साझी ने कहा कि हमने तो वो ऊँट बेच दिया। उसने पूछा कि किसे बेचा? शरीक ने कहा कि एक शैख़ के हाथों जो इस तरह के थे। उसने कहा, अफ़सोस! वो तो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) थे। चुनाँचे वो आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ। और अ़र्ज़ किया कि मेरे साथी ने आपको मरीज़ ऊँट बेच दिया है और आपसे उसने उसके मर्ज़ की वज़ाहत भी नहीं की। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर उसे वापस ले जाओ। बयान किया कि जब वो उसको ले जाने लगा तो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अच्छा रहने दो हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले पर राज़ी हैं, (आपने फ़र्माया था) ला अ़दवा (या'नी अमराज़ छूत वाले नहीं होते) अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने कहा कि सुफ़यान ने इस रिवायत को अ़म्र से सुना।

(दीगर मक़ाम : 2858, 5093, 5094, 5753, 5772)

٢٠٩٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : قَالَ عَمْرٌو : ((كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ : بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ : مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ : مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ : وَيْحَكَ، ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ : إِنَّ شَرِيْكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقْهَا. قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لاَ عَدْوَى)) سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا.

[أطرافه في : ٢٨٥٨، ٥٠٩٣، ٥٠٩٤، ٥٧٥٣، ٥٧٧٢].

तश्रीह : इस ह़दीष़ से बहुत से मसाइल षाबित होते हैं मष़लन ये कि व्यापारियों का फ़र्ज़ है कि ख़रीददार को जानवरों का हुस्न व क़ुबह़ (अच्छाई व बुराई) पूरा-पूरा बतलाकर मौल तौल करें, धोखेबाज़ी न करें। अगर ऐसा किया गया और ख़रीददार को बाद मे मा'लूम हो गया, तो मा'लूम होने पर मुख़्तार है कि उसे वापस करके अपना रुपया वापस ले ले और

उस सौदे को फस्ख़ कर दे। ये भी मा'लूम हुआ कि अगर कोई सौदागर भूल-चूक से ऐसा माल बेच दे तो उसके लिये लाज़िम है कि बाद में ग्राहक के पास जाकर मअ़ज़रतख़्वाही करे (माफ़ी माँगे) और ग्राहक की मर्ज़ी पर मामले को छोड़ दे। ये व्यापारी की शराफ़ते नफ़्स की दलील होगी। ये भी मा'लूम हुआ कि ग्राहक दरगुज़र से काम ले। और जो ग़लती उसके साथ की गई है हत्तल इम्कान उसे मुआफ़ कर दे और तयशुदा मामले को बहाल रहने दे कि ये फ़राख़दिली उसके लिये बरकत में बढ़ोतरी का बाइ़ष हो सकती है। ला अदवा की मज़ीद तफ़्सील दूसरे मक़ाम पर आएगी। इंशाअल्लाह तआ़ला।

बाब 37 : जब मुसलमानों में आपस में फ़साद न हो या हो रहा हो तो हथियार बेचना कैसा है? और इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने फ़ित्ने के ज़माने मे हथियार बेचना मकरूह रखा

٣٧- بَابُ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

2100. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने, कहा उनसे यह्या बिन सईद ने, कहा उनसे इब्ने अफ़्लह ने, उनसे अबू क़तादा (रज़ि.) के गुलाम अबू मुहम्मद ने और उनसे अबू क़तादा (रज़ि.) ने कि हम ग़ज़्व-ए-हुनैन के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले। नबी करीम (ﷺ) ने मुझे एक ज़िरह बख़्श दी और मैंने उसे बेच दिया। फिर मैंने उसकी क़ीमत से क़बीला बनी सलमा में एक बाग़ ख़रीद लिया। ये पहली जायदाद थी जिसे मैंने इस्लाम लाने के बाद हासिल किया। (दीगर मक़ाम : 3142, 4321, 4322)

٢١٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي دِرْعًا فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ)).

[أطرافه في: ٣١٤٢، ٤٣٢١، ٤٣٢٢].

तश्रीह : इस ह़दीष़ से तर्जुमा बाब का एक जुज़ या'नी जब फ़साद न हो उस वक़्त जंगी सामान बेचना दुरुस्त है, निकलता है क्योंकि ज़िरह भी हथियार या'नी लड़ाई के सामान में दाख़िल हैं। अब रही ये बात कि फ़साद के ज़माने में, हथियार बेचना, तो ये कुछ ने मकरूह रखा है जब उन लोगों के हाथ बेचे जो फ़ित्ने में नाहक़ पर हों। इसलिये कि ये इआ़नत (मदद) है गुनाह और मअ़सियत (नाफ़र्मानी) पर और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, **व तआ़वनू अलल् बिर्रि वत्तक़्वा वला तआ़वनू अ़लल् इ़ष्मि वल् उ़द्वान**) (अल माइद : 2) उस जमाअ़त के हाथ जो ह़क़ पर हो, उसे बेचना मकरूह नहीं है। (वह़ीदी)

बाब 38 : इत्र बेचनेवालों और मुश्क बेचने का बयान

٣٨- بَابُ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

2101. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू बुर्दा बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू बुर्दा बिन अबी मूसा से सुना और उनसे उनके वालिद अबू मूसा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया नेक साथी और बुरे साथी की मिष़ाल मुश्क बेचने वाले अ़त्तार और लोहार की सी है। मुश्क बेचने वाले के पास तुम दो अच्छाइयों म

٢١٠١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ

وَكِيرِ الْحَدَّادِ: لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً)). [طرفه في : ٥٥٣٤].

से एक न एक ज़रूर पा लोगे। या तो मुश्क ही ख़रीद लोगे वरना कम-अज़-कम उसकी ख़ुश्बू तो ज़रूर ही पा सकोगे। लेकिन लोहार की भट्टी या तुम्हारे बदन और कपड़े को झुलसा देगी वरना बदबू तो उससे तुम ज़रूर पा लोगे। (दीगर मक़ाम : 5534)

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) इस हदीष़ के ज़ेल फ़र्माते हैं, **व फ़िल्हदीषि अन्नह्यु अन मजालिसतिन मंय्यतअज़्ज़ा फ़िद्दीनि वद्दुनिया वत्तर्ग़ीबु फ़ी मजालिसतिम्मन यन्तफ़िउ बिमजालिसतिही फ़ीहिमा व फ़ीहि जवाज़ुल्मिस्कि वल्हुक्मु बितहारतिही लिअन्नहू (ﷺ) मदहहू व रग़िब फ़ीहि अर्रद्दु अला मन करिहहू** (फ़त्हुल बारी) इस हदीष़ से ऐसी मज्लिस मे बैठने की बुराई ष़ाबित होते है जिसमें बैठने से दीन और दुनिया दोनों का नुक़्सान है और इस हदीष़ में नफ़ा बख़्श मजालिस में बैठने की तर्ग़ीब भी है। और ये भी मा'लूम हुआ कि मुश्क की तिजारत जाइज़ है और ये भी कि मुश्क पाक है। इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी ता'रीफ़ की, और उसके हुसूल के लिये रग़्बत दिलाई। ये भी मा'लूम हुआ कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब मुनअक़िद करके उन लोगों की तर्दीद की है जो मुश्क की तिजारत को जाइज़ नहीं जानते और उसकी अदमे-तहारत (नापाकी) का ख़्याल रखते हैं।

٣٩- بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

बाब 39 : पछना लगाने वाले का बयान

٢١٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ. [أطرافه في: ٢٢١٠، ٢٢٧٧، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٥٦٩٦].

2102. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें हुमैद ने, और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू तयबा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पछना लगाया तो आपने एक स़ाअ़ खजूर (बतौरे उज्रत) उन्हें देने के लिये हुक्म फ़र्माया। और उनके मालिक को फ़र्माया कि उनके ख़िराज में कमी कर दें। (दीगर मक़ाम : 2210, 2277, 2280, 2281, 5696)

या'नी जो रोज़ाना या माहवारी उससे लिया करते थे। अरब में मालिक लोग अपने ग़ुलाम की मेहनत और लियाक़त के लिहाज़ से उस पर एक शरह मुक़र्रर कर दिया करते थे कि इतना रोज़ या महीने महीने हमको दिया करे उसको ख़िराज कहते हैं। (वहीदी)

٢١٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)). [راجع: ١٨٣٥]

2103. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद ने जो अ़ब्दुल्लाह के बेटे हैं बयान किया, उनसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पछना लगवाया और जिसने पछना लगाया, उसे आपने उसकी उज्रत भी दी, अगर इसकी उज्रत हराम होती तो आप उसको हर्गिज़ उज्रत न देते। (राजेअ़ : 1835)

ष़ाबित हुआ कि बवक़्ते ज़रूरत पछना लगवाना जाइज़ है और उसकी उज्रत लेने वाले और देने वाले दोनों के लिये मना नहीं है।

इस्लाहे ख़ून के लिये पछने लगवाने का इलाज बहुत पुराना नुस्ख़ा है अरब में भी यही मुरव्वज (प्रचलित) था।

बाब 40 : उन चीज़ों की सौदागरी जिनका पहनना मर्दों और औरतों के लिये मकरूह है

٤٠- بَابُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ

2104. हमसे आदम इब्ने अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अबूबक्र बिन ह़फ़्स ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने उ़मर (रज़ि.) के यहाँ एक रेशमी जुब्बा भेजा। फिर आपने देखा कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) उसे (एक दिन) पहने हुए हैं। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने इसे तुम्हारे लिये नहीं भेजा था कि तुम इसे पहन लो, इसे तो वही लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। मैंने तो इसलिये भेजा था कि तुम इससे (बेचकर) फ़ायदा उठाओ। (राजेअ़ : 886)

٢١٠٤- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ - أَوْ سِيَرَاءَ فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا. يَعْنِي تَبِيْعُهَا)). [راجع: ٨٨٦]

तश्रीह़ : बशर्ते कि दूसरा कोई गो काफ़िर ही सही इससे फ़ायदा उठा सके या'नी उस चीज़ का बेचना जिससे कोई फ़ायदा न उठा सके दुरुस्त नहीं है और राजेह़ क़ौल यही है। अब बाब में जो हदीष़ बयान की उसमें रेशमी जोड़े का ज़िक्र है। वो मर्दों के लिये मकरूह है, औरतों के लिये मकरूह नहीं है। इस्माईली ने इस पर ए'तिराज़ किया और जवाब ये है कि मर्दों के लिये जो चीज़ मकरूह है उसके बेचने का जवाज़ ह़दीष़ से निकलता है तो औरतों के लिये जो मकरूह है उसकी बेअ़ का भी जवाज़ इस पर क़यास करने से निकल आया। या ये कि बाब के तर्जुमे में कराहत से आ़म मुराद है तह़रीमी हो यो तंज़ीही और रेशमी कपड़े गो औरतों के लिये ह़राम नहीं हैं, मगर तंज़ीहन मकरूह है। (वह़ीदी) ख़ुसूसन ऐसे कपड़े जो आजकल वजूद में आ रहे हैं। जिनमें से औरत का सारा जिस्म बिलकुल उरयाँ (नंगा) नज़र आता है ऐसे ही कपड़े पहनने वाली औरतें हैं जो क़यामत के दिन नंगी उठाई जाएँगी।

2105. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्हें क़ासिम बिन मुह़म्मद ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि उन्होंने एक गद्दा ख़रीदा जिस पर तस्वीर थीं। रसूले करीम (ﷺ) की नज़र ज्यों ही उस पर पड़ी, आप (ﷺ) दरवाज़े पर ही खड़े हो गए और अंदर दाख़िल नहीं हुए। (आइशा रज़ि.) ने बयान किया कि) मैंने आपके चेहरा मुबारक पर नापसन्दीदगी के आषार देखे तो अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करती हूँ और उसके रसूल (ﷺ) से मुआफ़ी मांगती हूँ। फ़र्माइए मुझसे क्या ग़लती हुई है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये गद्दा

٢١٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟)) قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ)).

[أطرافه في : ٣٢٢٤، ٥١٨١، ٥٩٥٧،

कैसा है? मैंने कहा कि मैंने ये आप ही के लिये ख़रीदा है ताकि आप उस पर बैठें और उससे टेक लगाएँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लेकिन इस तरह की मूर्तियाँ बनाने वाले लोग क़यामत के दिन अज़ाब दिये जाएँगे। और उनसे कहा जाएगा कि तुम लोगों ने जिस चीज़ को बनाया उसे ज़िन्दा कर दिखाओ। आपने ये भी फ़र्माया कि जिन घरों में मूर्तियाँ होती हैं (रहमत के) फ़रिश्ते उनमें दाख़िल नहीं होते।

(दीगर मक़ाम : 3224, 5181, 5957)

तश्रीह : इस हदीष़ से साफ़ निकलता है कि जानदार की मूरत बनाना मुत्लक़न हराम है; नक़्शी हो यो मुजस्सम। इसलिये कि तकिये पर नक़्शी सूरतें बनी हुई थीं। और बाब का मतलब इस हदीष़ से इस तरह निकलता है कि बावजूद ये कि आपने मूरतदार कपड़ा औरत मर्द दोनों के लिये मकरूह रखा मगर उसका ख़रीदना जाइज़ समझा। इसलिये कि हज़रत आइशा (रज़ि.) को ये हुक्म नहीं दिया कि बेअ़ को फ़स्ख़ (रद्द) कर दो। (वहीदी)

٤١- بَابُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

बाब 41 : सामान के मालिक को क़ीमत कहने का ज़्यादा हक़ है

٢١٠٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخلٌ)). [راجع: ٢٣٤]

2106. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने, उनसे अबुत तियाह ने, और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ बनू नज्जार! अपने बाग़ की क़ीमत मुक़र्रर कर दो। (आप ﷺ उस जगह को मस्जिद के लिये ख़रीदना चाहते थे) उस बाग़ में कुछ हिस्सा तो वीराना और कुछ हिस्से में खजूर के दरख़्त थे। (राजेअ़ : 234)

या'नी माल की क़ीमत पहले वही बयान करे, फिर ख़रीददार जो चाहे कहे, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा करना वाजिब है, क्योंकि ऊपर जाबिर (रज़ि.) की हदीष़ में गुज़रा है। (वहीदी)

٤٢- بَابُ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ؟

बाब 42 : कब तक बेअ़ तोड़ने का इख़्तियार रहता है उसका बयान

तश्रीह : बेअ़ में कई तरह के ख़ियार होते हैं एक ख़ियारुल मज्लिस या'नी जब तक बायअ़ (बेचने वाला) और मुश्तरी (बेचने वाला) उसी जगह रहें, जहाँ सौदा हुआ तो दोनों को बेअ़ के फ़स्ख़ कर डालने का इख़्तियार रहता है। दूसरे ख़ियारुश्शर्त या'नी मुश्तरी तीन दिन को शर्त कर ले या उससे कम की। तीसरे ख़ियारुर्रुअया या'नी मुश्तरी ने बिन देखे एक चीज़ ख़रीद ली हो तो देखने पर उसको इख़्तियार है चाहे बेअ़ क़ायम रखे चाहे फ़स्ख़ कर डाले। इसके सिवा और भी ख़ियार हैं जिनको क़स्तलानी (रह.) ने बयान किया है। (वहीदी)

٢١٠٧- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ

2107. हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुल वह्हाब ने ख़बर दी, कहा कि मैंने यह्या बिन सईद

نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا)). وَقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

[أطرافه في : ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦].

से सुना, कहा कि मैंने नाफ़ेअ से सुना और उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों को जब तक वो जुदा न हों इख़्तियार होता है। या ख़ुद बेअ में इख़्तियार की शर्त हो, (तो शर्त के मुताबिक़ इख़्तियार होता है) नाफ़ेअ ने कहा कि जब अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कोई ऐसी चीज़ ख़रीदते जो उन्हें पसन्द होती तो अपने मामलादार से जुदा हो जाते।

(दीगर मक़ाम : 2109, 2111, 2112, 2113, 2116)

या'नी वहाँ से जल्द चल देते ताकि फ़स्ख़े बेअ (सौदा रद्द करने) का इख़्तियार न रहे, इससे साफ़ निकलता है कि जुदा होने से हदीष़ में दोनों का जुदा होना मुराद है।

٢١٠٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)). وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ : قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيْلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ. [راجع: ٢٠٧٩]

2108. हमसे हफ़्स़ बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अबुल ख़लील ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन हारिष़ ने और उनसे हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बेचने और ख़रीदने वालों को जब तक वो जुदा न हों (मामला को बाक़ी रखने या तोड़ने का) इख़्तियार होता है। अहमद ने ये ज़्यादती की कि हमसे बहज़ ने बयान किया कि हम्माम ने बयान किया कि मैंने इसका ज़िक्र अबुत तियाह के सामने किया तो उन्होंने बतलाया कि जब अब्दुल्लाह बिन हारिष़ ने ये हदीष़ बयान की थी, तो मैं भी उस वक़्त अबुल ख़लील के साथ मौजूद था। (राजेअ : 2079)

٤٣- بَابُ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

बाब 43 : अगर बायअ या मुशतरी इख़्तियार की मुद्दत तै न करे तो बेअ जाइज़ होगी या नहीं?

तश्रीह : इस मसले में इख़्तिलाफ़ है। शाफ़िइया और हन्फ़िया के नज़दीक ख़ियारुश्शर्त की मुद्दत तीन दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर उससे ज़ाइद मुद्दत ठहरे या कोई मुद्दत मुअय्यन (निर्धारित) न हो तो बेअ बातिल हो जाती है और हमारे इमाम अहमद और इस्हाक़ और अहले हदीष़ का मज़हब ये है कि बेअ जाइज़ है और जितनी मुद्दत ठहराए उतनी मुद्दत तक इख़्तियार रहेगा और जो कोई मुद्दत मुअय्यन न हो तो हमेशा इख़्तियार रहेगा और औज़ाई और इब्ने अबी लैला कहते हैं कि ख़ियारुश्शर्त बातिल होगी और बेअ लाज़िम होगी। (वहीदी)

٢١٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا قَالَ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ

2109. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सख़्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने

النَّبِيُّ ﷺ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ)). [راجع: ٢١٠٧]

कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीदने वाले और बेचने वाले को (बेअ़ तोड़ने का) उस वक़्त तक इख़्तियार है जब तक वो जुदा न हो जाएँ, या दोनों में से कोई एक अपने दूसरे फ़रीक़ से ये न कह दे कि पसन्द कर लो। कभी ये भी कहा कि या इख़्तियार की शर्त के साथ बेअ़ हो। (राजेअ़ : 2107)

बाब 44 : जब तक ख़रीदने और बेचने वाले जुदा न हों उन्हें इख़्तियार बाक़ी रहता है

٤٤- بَابُ ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا))

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.

(कि बेअ़ क़ायम रखें या तोड़ दें) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.), शुरैह शअ़बी, ताउस, अ़ता और इब्ने अबी मुलैका (रह.) सबने यही कहा है।

तश्रीह : इन सबने यही कहा कि सिर्फ़ ईजाब व क़ुबूल या'नी अ़क़्द से बेअ़ लाज़िम नहीं हो जाती और जब तक बायअ़ (बेचने वाला) और मुशतरी (ख़रीदार) मज्लिसे अ़क़्द से जुदा न हों, दोनों को इख़्तियार रहता है कि सौदा तोड़ डालें। सईद बिन मुसय्यिब, ज़ुह्री, इब्ने अबी ज़िब, हसन बसरी, औज़ाई, इब्ने जुरैज, शाफ़िया, मालिक, अहमद और अकषर उ़लमा यही कहते हैं। इब्ने हज़्म ने कहा कि ताबेअ़ीन में से सिवाए इब्राहीम नख़्ई के और कोई उसका मुख़ालिफ़ नहीं है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने सिर्फ़ इमाम नख़्ई का क़ौल इख़्तियार करके जुम्हूरे उ़लमा की मुख़ालफ़त की है।

और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का क़ौल इमाम बुख़ारी (रह.) ने उससे निकाला जो ऊपर नाफ़ेअ़ से गुज़रा कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) जब कोई चीज़ ऐसी ख़रीदते जो उनको पसंद होती, तो बायअ़ से जुदा हो जाते। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया बैठे होते तो खड़े हो जाते। या'नी इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया वहाँ से चल देते ताकि बेअ़ लाज़िम हो जाए और शुरैह के क़ौल को सईद बिन मंसूर ने और शअ़बी के क़ौल को इब्ने अबी शैबा ने और ताउस के क़ौल को इमाम शाफ़िई ने उम्म में और अ़ता इब्ने अबी मुलैकह के अक़्वाल को इब्ने अबी शैबा ने वस्ल किया है।

अ़ल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व मिनल अदिल्लति अद्दालतु अ़ला इरादतित्तफ़र्रुक़ि बिलअब्दानि क़ौलहू फ़ी हदीषि इब्नि उ़मर अल्मज़्कूर मा लम यतफ़र्रक़ा व कान जमीअ़न व कज़ालिक क़ौलुहू व इन तफ़र्रक़ा बअ़द अन तबायआ व लम यतरूक वाहिदुम्मिन्हुमा अल्बैअ़ फ़क़द वजब फ़इन्न फ़ीहि अल बयानुल्वाज़िहु अन्नफ़त्तरूक बिल्बदनि क़ालल्ख़त्ताबी व अ़ला हाज़ा वजदना अमरन्नासि फ़ी उर्फ़िल्लुग़ति व ज़ाहिरिल कलामि फ़इज़ा क़ील तफ़र्रक़न्नासु कानल मफ़्हूमु मिन्हु अत्तमीज़ु बिल्अब्दानि क़ाल व लौ कानल्मुरादु तफ़र्रुकुल्अक़्वाल कमा यक़ूलु अहलुर्राय लख़लल्हदीषु मिनल्फ़ाइदति व सक़त मअ़नाहू अल्ख़** (नैलुल औतार)

अ़ल्लामा शौकानी (रह.) मरहूम की तक़रीर का मतलब ये है कि दोनों ख़रीदने व बेचने वाले की जिस्मानी जुदाई पर दलील हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) में ये क़ौले नबवी है, **मालम यतफ़र्रक़ा व काना जमीआ** या'नी दोनों को उस वक़्त तक इख़्तियार बाक़ी रहता है कि वो दोनों जुदा न हों बल्कि दोनों इकट्ठे रहें। उस वक़्त तक उनको सौदे के बारे में पूरा इख़्तियार हासिल है। और इसी तरह दूसरा इर्शादे नबवी इस मक़्सद पर दलील है, इसका तर्जुमा ये है कि दोनों फ़रीक़ बेअ़ के बाद जुदा हो जाएँ। और सौदे के मामले को किसी ने भी फ़स्ख़ (रद्द) न किया हो और वो जुदा हो गए। पस बेअ़ वाजिब हो गई, ये दलाइल वाज़ेह हैं कि जुदाई से जिस्मानी जुदाइ मुराद है। ख़त्ताबी ने कहा कि शाब्दिक तौर पर भी लोगों का मामला हमने उसी तरह पाया है। और ज़ाहिरे कलाम में जुदाई से लोगों की जिस्मानी जुदाई ही मुराद होती है। अगर राय की तरह महज़ बातों की जुदाई मुराद हो तो हदीषे मज़्कूरा अपने हक़ीक़ी फ़ायदे से खाली हो जाती है बल्कि हदीष का कोई मा'नी बाक़ी ही नहीं रह सकता.... लिहाज़ा ख़ुलासा ये कि सहीह मसलक में दोनों तरफ़ से जिस्मानी जुदाई ही मुराद है। ....मसलके जुम्हूर है।

हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) जिनसे हदीषे बाब मरवी है जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, कुन्नियत अबू ख़ालिद क़ुरैशी

असदी है, ये हज़रत ख़दीजतुल कुबरा (रज़ि.) के भतीजे हैं। वाक़िया फ़ील (मक्का पर हाथियों के लश्कर वाले अबरहा के हमले) से तेरह साल पहले का'बा में पैदा हुए। ये क़ुरैश के सरदारों में से थे। इस्लाम से पहले और बाद दोनों ज़मानों में बड़ी इ़ज़्ज़त पाई फ़तहे मक्का में इस्लाम लाए। साठ साल जाहिलियत में गुज़ारे। फिर साठ ही साल इस्लाम में उ़म्र पाई। 54हिज्री में मदीना मुनव्वरा में अपने मकान ही में वफ़ात पाई। बहुत मुत्तक़ी, परहेज़गार और सख़ी थे। ज़मान-ए-जाहिलियत में सौ गुलाम आज़ाद किये और सौ ऊँट सवारी के लिये बख़्शे। फ़न्ने ह़दीष़ में एक जमाअ़त उनकी शागिर्द है।

٢١١٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)). [راجع: ٢٠٧٩]

2110. मुझसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमको ह़िब्बान बिन हिलाल ने ख़बर दी, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया कि उनको क़तादा ने ख़बर दी कि मुझे स़ालेह़ अबुल ख़लील ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन ह़ारिष़ ने, कहा कि मैंने ह़कीम बिन हि़ज़ाम (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया ख़रीदने और बेचने वाले जब तक एक-दूसरे से अलग अलग न हो जाएँ उन्हें इख़्तियार बाक़ी रहता है। अब अगर दोनों ने सच्चाई इख़्तियार की और हर बात स़ाफ़-स़ाफ़ बयान और वाजेह़ कर दी, तो उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त में बरकत होती है। लेकिन अगर उन्होंने कोई बात छुपाई या झूठ बोला तो उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त में से बरकत मिटा दी जाती है। (राजेअ़ : 2079)

٢١١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)). [راجع: ٢١٠٧]

2111. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीदने और बेचने वाले दोनों को उस वक़्त तक इख़्तियार होता है, जब तक वो एक-दूसरे से जुदा न हों, मगर बेअ़े ख़ियार में। (राजेअ़ : 2107)

तश्रीह : या'नी जब बायअ़ (बेचने वाला) बेअ़ के बाद मशतरी (ख़रीदार) को इख़्तियार दे और वो कहे मैं बेअ़ को नाफ़िज़ करता हूँ और वो बेअ़ उससे अलग है जिसमें इख़्तियार की शर्त पहले ही से लगा दी गई हो। या'नी जहाँ मामला हुआ है वहाँ से अलग न जाएँ। अगर वहीं रहें या दोनों मिलकर मन्ज़िलों चलते रहें तो इख़्तियार बाक़ी रहेगा, भले तीन दिन से ज़्यादा मुद्दत गुज़र जाए। बेअ़ुल ख़ियार की तफ़्सीर जो हमने यहाँ की है। इमाम नववी (रह.) ने भी उसी पर यक़ीन किया है और इमाम शाफ़िई (रह.) ने भी इस पर यक़ीन किया है। कुछ ने ये मतलब किये हैं, मगर उस बेअ़ में जिसमें इख़्तियार की शर्त हो, या'नी वहाँ से जुदा होने से इख़्तियार बातिल न होगा बल्कि मुद्दत मुक़र्ररा तक इख़्तियार रहेगा।

٤٥- بَابُ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

बाब 45 : अगर बेअ़ के बाद दोनों ने एक-दूसरे को पसन्द कर लेने के लिये मुख़्तार बनाया तो बेअ़ लाज़िम हो गई

٢١١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

2112. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने

बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो शख़्सों ने ख़रीद व फ़रोख़्त की तो जब तक वो दोनों जुदा न हो जाएँ, उन्हें (बेअ को तोड़ देने का) इख़्तियार बाक़ी रहता है। ये उस सूरत में कि दोनों एक ही जगह रहें। लेकिन अगर एक ने दूसरे को पसन्द करने के लिये कहा और इस शर्त पर बेअ हुई, और दोनों ने बेअ का क़त्ई फ़ैसला कर लिया, तो बेअ उसी वक़्त मुनअक़िद हो जाएगी। उसी तरह अगर दोनों फ़रीक़ बेअ के बाद एक—दूसरे से जुदा हो गए। और बेअ से किसी फ़रीक़ ने भी इंकार नहीं किया तो भी बेअ लाज़िम हो जाती है। (राजेअ : 2107)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).

[راجع: ٢١٠٧]

बाब 46 : अगर बायअ अपने लिये इख़्तियार की शर्त कर ले तो भी बेअ जाइज़ है

٤٦- بَابُ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

ये बाब लाकर इमाम बुख़ारी (रह.) ने उन लोगों का रद्द किया जो कहते हैं कि ख़ियारुश्शर्त फ़क़त मुशतरी (ख़रीदार) ही को करना जाइज़ है, बायअ (बेचने वाले) को दुरुस्त नहीं।

2113. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने, और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी भी ख़रीदने और बेचनेवाले में उस वक़्त तक बेअ पुख़्ता नहीं होती जब तक वो दोनों जुदा न हो जाएँ। अल्बत्ता वो बेअ जिसमें मुशतरका (संयुक्त) इख़्तियार की शर्त लगा दी गई हो इससे अलग है। (राजेअ : 2107)

٢١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).

[راجع: ٢١٠٧]

2114. मुझसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमसे हब्बान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अबू ख़लील ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन हारिष़ ने और उनसे हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेचने और ख़रीदने वाले को जब तक वो जुदा न हों (बेअ तोड़ देने का) इख़्तियार है। हम्माम रावी ने कहा, कि मैंने अपनी किताब में लफ़्ज़ यख़्तार तीन बार लिखा हुआ पाया।

पस अगर दोनों ने सच्चाई इख़्तियार की और बात साफ़—साफ़ वाजेह कर दी तो उन्हें उनकी बेअ में बरकत मिलती है। और अगर उन्होंने झूठी बातें बनाईं और (किसी ऐब को) छुपाया तो थोड़ा

٢١١٤- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) - قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي : يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ

يَبِيعِهِمَا)). قَالَ : وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢٠٧٩]

सा नफ़ा शायद वो कमा लें, लेकिन उनकी बेअ में बरकत नहीं होगी। (हब्बान ने) कहा हमसे हम्माम ने बयान किया, उनसे अबुत तियाह ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन हारिष़ से सुना कि यही ह़दीष़ वो हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) से बहवाला नबी करीम (ﷺ) के रिवायत करते थे। (राजेअ : 2079)

(या'नी ख़रीदने वाला तीन बार अपनी पसन्द का ऐलान कर दे तो बेअ लाज़िम हो जाती है। ऊपर की रिवायत में जो हम्माम ने अपनी याद से की है यूँ है, **अल्बेयआनि बिल् ख़ियार** लेकिन हम्माम कहते हैं मैंने अपनी किताब में जो इस ह़दीष़ को देखा तो यख़्तार का लफ़्ज़ तीन बार लिखा हुआ पाया। कुछ नुस्ख़ों में यख़्तार के बदले बिख़ियार है)

٤٧- بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيْمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.

बाब 47 :

अगर एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी और जुदा होने से पहले ही किसी और को लिल्लाह दे दी फिर बेचने वाले ने ख़रीदने वाले को उस पर नहीं टोका, या कोई गुलाम ख़रीदकर (बेचने वाले से जुदाई से पहले ही उसे) आज़ाद कर दिया। ताऊस ने उस शख़्स के बारे में कहा, जो (दूसरे फ़रीक़ की) रज़ामन्दी के बाद कोई सामान उससे ख़रीदे और फिर उसे बेच दे और बायेअ इंकार न करे तो ये बेअ लाज़िम हो जाएगी और उसका नफ़ा भी ख़रीदार ही का होगा।

٢١١٥- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: ((بِعْنِيهِ)). قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بِعْنِيهِ))، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ)). [طرفاه في : ٢٦١٠، ٢٦١١].

2115. हुमैदी ने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, उनसे अ़म्र ने बयान किया और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे। मैं ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के एक नए और सरकश ऊँट पर सवार था। अकष़र वो मुझे मग़्लूब करके सबसे आगे निकल जाता। लेकिन ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) उसे डांटकर पीछे वापस कर देते। वो फिर आगे बढ़ जाता, आख़िर नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से फ़र्माया कि ये ऊँट मुझे बेच डाल। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो आप ही का है। लेकिन आपने फ़र्माया कि नहीं मुझे ये ऊँट दे दे। चुनाँचे उ़मर (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वो ऊँट बेच डाला। उसके बाद आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर! अब ये ऊँट तेरा हो गया जिस तरह तू चाहे उसे इस्ते'माल कर। (दीगर मक़ाम : 2610, 2611)

٢١١٦- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ

2116. अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि लैष़ बिन

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بِعْتُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُوْدَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ)). [راجع: ٢١٠٧]

सअ़द ने बयान किया, कि मुझे अ़ब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने अमीरुल मोमिनीन ड़ष्मान (रज़ि.) को अपनी वादी क़ुरा की ज़मीन, उनकी ख़ैबर की ज़मीन के बदले में बेची थी। फिर जब हमने बेअ़ कर ली तो मैं उलटे पाँव उनके घर से इस ख़्याल से बाहर निकल गया कि कहीं वो बेअ़ फ़स्ख़ न कर दें। क्योंकि शरीअ़त का क़ायदा ये था कि बेचने और ख़रीदने वाले को (बेअ़ तोड़ने का) इख़्तियार उस वक़्त तक रहता है जब तक वो एक—दूसरे से जुदा न हो जाएँ। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा कि जब हमारी ख़रीद व फ़रोख़्त पूरी हो गई और मैंने ग़ौर किया तो मा'लूम हुआ कि मैंने ड़ष्मान (रज़ि.) को नुक़्सान पहुँचाया है। क्योंकि (इस तबादले के नतीजे में, मैंने उनकी पहली ज़मीन से) उन्हें तीन दिन के सफ़र की दूरी पर ष़मूद की ज़मीन की तरफ़ धकेल दिया था। और उन्होंने मुझे (मेरी मुसाफ़त कम करके) मदीना से सिर्फ़ तीन दिन के सफ़र की वादी पर ला छोड़ा था। (राजेअ़ : 2107)

तश्रीह : शुरू बाब में जो दो सूरतें मज़्कूर हुई हैं उन दोनों सूरतों में अब बायेअ को फ़स्ख़े बेअ़ का इख़्तियार न रहेगा क्योंकि उनसे मुशतरी (ख़रीदार) के तसर्रुफ़ पर ए'तिराज़ नहीं किया, बल्कि ख़ामोश रहा। बाब की ह़दीष़ में सिर्फ़ हिबा का ज़िक्र है, मगर एअताक़ को हिबा पर कयास किया। दोनों तबर्रुअ की क़िस्म में से हैं और इस बाब के लाने से इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि बाब की ह़दीष़ से ख़ियारे मज्लिस की नफ़ी नहीं होती। जिसका षुबूत ऊपर इब्ने ड़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ से हो चुका है। क्योंकि ये ख़ियार उस वास्ते जाता रहा कि मुशतरी ने तसर्रुफ़ किया और बायेअ़ ने सुकूत (चुप्पी) किया तो उसका सुकूत मुबतिले ख़ियार हो गया। इब्ने बत्ताल ने कहा जो लोग कहते हैं कि बग़ैर तफ़र्रुक़े अब्दान के बेअ़ पूरी नहीं होती वो मुशतरी का तसर्रुफ़ क़ब्ल अज़ तफ़र्रुक़ जाइज़ नहीं रखते और ये ह़दीष़ उन पर हुज्जत है। अब रहा क़ब्ज़ा से पहले बेअ़ करना, तो इमाम शाफ़िई (रह.) और मुह़म्मद (रह.) के नज़दीक मुत्लक़न दुरुस्त नहीं, और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) और अबू यूसुफ़ (रह.) के नज़दीक मन्क़ूल की बेअ़ दुरुस्त नहीं ग़ैर मन्क़ूल की दुरुस्त है। और इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) और औज़ाई और इस्ह़ाक़ और अहले ह़दीष़ का ये क़ौल है कि नाप और तौल की जो चीज़ बिकती हैं, उनका क़ब्ज़े से पहले बेचना दुरुस्त नहीं बाक़ी चीज़ों का दुरुस्त है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा ह़ज़रत ड़मर (रज़ि.) की ये ह़दीष़ तो उन सह़ीह़ ह़दीष़ों के मुआरिज नहीं जिनसे ख़ियारे मज्लिस षाबित है क्योंकि एह़तिमाल (अन्देशा) है कि अ़क़्दे बेअ़ के बाद आँह़ज़रत (ﷺ) ह़ज़रत ड़मर (रज़ि.) से थोड़ी देर के लिये आगे या पीछे बढ़ गए हों, उसके बाद हिबा किया हो। वल्लाहु आलम। (वह़ीदी)

आप (ﷺ) ने ह़ज़रत ड़मर (रज़ि.) से वो ऊँट लेकर उसी वक़्त उनके साह़बज़ादे अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) को हिबा कर दिया। और ह़ज़रत ड़मर (रज़ि.) ने उस पर कोई ए'तिराज़ नहीं किया तो बेअ़ दुरुस्त हो गई और ख़ियारे मज्लिस बाक़ी न रहा। आख़िर बाब में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (रज़ि.) और ह़ज़रत ड़ष्मान (रज़ि.) के एक मामले का ज़िक्र है जिसमें बयान की गई वादी क़ुरा एक बस्ती है, तबूक के क़रीब, ये जगह मदीना से छः सात मंज़िल पर है, और ष़मूद की क़ौम के ज़माने में इस जगह आबादी थी। क़स्तलानी ने कहा कि वाक़िया मज़्कूर की बाब से मुनासबत ये है कि बायेअ़ (बेचने वाले) और मुशतरी (ख़रीदने वाले) को अपने इरादे से जुदा होना दुरुस्त है या बेअ़ का फ़स्ख़ करना।

٤٨- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

बाब 48 : ख़रीद व फ़रोख़्त में धोखा देना मकरूह है

٢١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ : ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ)).

[أطرافه في : ٢٤٠٧، ٢٤١٤، ٦٩٦٤].

2117. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि एक शख़्स (ह़ब्बान बिन मुंक़दिर रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि वो अकष़र ख़रीद व फ़रोख़्त में धोखा खा जाते हैं। इस पर आपने उनसे फ़र्माया कि जब तुम किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख़्त करो तो यूँ कह दिया करो कि भाई धोखा और फ़रेब का काम नहीं। (दीगर मक़ाम : 2407, 2414, 6964)

तश्रीह : बैहक़ी की रिवायत में इतना ज़्यादा है और तू जो चीज़ ख़रीदे उसमें तुझे तीन दिन तक इख़्तियार होगा। इमाम अह़मद (रह.) ने इस ह़दीष़ से ये हुक्म दिया है कि अगर किसी शख़्स को अस्बाब (माल) की क़ीमत मा'लूम न हो, और वो तिहाई क़ीमत ज़्यादा दे या एक सुदुस तो वो अस्बाब बायेअ़ (बेचने वाले) को फेर सकता है और ह़न्फ़िया और शाफ़िइया ने इसका इंकार किया है। ये स़ह़ाबी ह़ब्बान बिन मुंक़दिर (रज़ि.) थे, जंगे उहुद में उनके सर में ज़ख़्म आया था। जिसकी वजह से उनकी अ़क़्ल में कमज़ोरी आ गई थी। (वह़ीदी)

٤٩- بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ

बाब 49 : बाज़ारों का बयान

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ : هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ : سُوقُ قَيْنُقَاعٍ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

और अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने कहा कि जब हम मदीना आए तो मैंने (अपने इस्लामी भाई से) पूछा कि क्या यहाँ कोई बाज़ार है अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने कहा कि मुझे बाज़ार बता दो और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने एक बार कहा था कि मुझे बाज़ार की ख़रीद व फ़रोख़्त ने ग़ाफ़िल रखा।

मक़्सदे बाब ये कि तिजारत के लिये बाज़ारों का वजूद मज़्मूम (बुरा) नहीं बल्कि ज़रूरी है कि बाज़ार क़ायम किये जाएँ।

٢١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ

2118. हमसे मुह़म्मद बिन स़ब्बाह़ ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन जकरिया ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन सौक़ा ने, उनसे नाफ़ेअ़ बिन जुबैर मुत्इम ने बयान किया, कहा कि मुझसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के क़रीब एक लश्कर का'बा पर चढ़ाई करेगा जब वो मक़ामे बैदाअ में पहुँचेगा, तो उन्हें अव्वल से आख़िर तक सबको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने

بأوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ)). قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

बयान किया, कि मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसे शुरू से आख़िर तक क्योंकर धंसाया जाएगा जबकि वहीं उनके बाज़ार भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो उन लश्करियों में से नहीं होंगे? आपने फ़र्माया कि हाँ! शुरू से आख़िर तक उन सबको धंसा दिया जाएगा। फिर उनकी निय्यतों के मुताबिक़ वो उठाए जाएँगे।

सवादे का'बा में बाज़ारों का वजूद षाबित हुआ। यही बाब का मक़्सद है।

٢١١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ. وَقَالَ: أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ)). [راجع: ١٧٦]

2119. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने, उनसे अबू स़ालेह ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जमाअ़त के साथ किसी की नमाज़ बाज़ार में या अपने घर में नमाज़ पढ़ने से दर्जों में कुछ ऊपर बीस दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। क्योंकि जब एक शख़्स़ अच्छी तरह वुज़ू करता है फिर मस्जिद में स़िर्फ़ नमाज़ के इरादे से आता है। नमाज़ के सिवा और कोई चीज़ उसे ले जाने का बाअ़िष नही बनती तो जो भी क़दम वो उठाता है उससे एक दर्जा उसका बुलन्द होता है। या उसकी वजह से एक गुनाह उसका मुआ़फ़ होता है। और जब तक एक शख़्स़ अपने उस मुस़ल्ले पर बैठा रहता है जिस पर उसने नमाज़ पढ़ी है तो फ़रिश्ते बराबर उसके लिये रह़मत की दुआ़एँ यूँ करते रहते हैं। ऐ अल्लाह! इस पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़र्मा, ऐ अल्लाह इस पर रह़म फ़र्मा। ये उस वक़्त तक होता रहता है जब तक वो वुज़ू तोड़कर फ़रिश्तों को तकलीफ़ न पहुँचाए। जितनी देर तक भी आदमी नमाज़ की वजह से रुका रहता है वो सब नमाज़ ही में शुमार होता है। (राजेअ़ : 176)

तशरीह : इस ह़दीष़ में भी बाज़ारों का ज़िक्र आया है और बवक़्ते ज़रूरत वहाँ नमाज़ पढ़ने का भी ज़िक्र आया। जिससे षाबित हुआ कि इस्लाम में बाज़ारों का वजूद क़ायम रखा गया है। और वहाँ आना–जाना, ख़रीद व फ़रोख़्त करना भी ताकि उमूरे तमद्दुनी (सांस्कृतिक कामों) को तरक़्क़ी ह़ासिल हो। मगर बाज़ारों में झूठ, मकर व फ़रेब भी लोग बकष़रत करते हैं। इस लिहाज़ से बाज़ार को बदतरीन ज़मीन क़रार दिया गया। बाब और ह़दीष़ में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है।

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

2120. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे हुमैद त़वील ने बयान किया, और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक बार बाज़ार में थे। कि एक शख़्स़ ने पुकारा या अबुल

ﷺفِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوا بِكُنْيَتِي)).

[طرفاه في: ٢١٢١، ٣٥٣٧].

क़ासिम! आप (ﷺ) ने उसकी त़रफ़ देखा। (क्योंकि आपकी कुन्नियत भी अबुल क़ासिम ही थी) उस पर उस शख़्स ने कहा कि मैंने तो उसको बुलाया था। (या'नी एक—दूसरे शख़्स को जो अबुल क़ासिम ही कुन्नियत रखता था) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोग मेरे नाम पर नाम रखा करो लेकिन मेरी कुन्नियत तुम अपने लिये न रखो। (दीगर मक़ाम : 2121, 3537)

इस ह़दीष़ में ह़ज़रत रसूले करीम (ﷺ) का बाज़ार में तशरीफ़ ले जाना मज़्कूर है। षाबित हुआ कि बवक़्ते ज़रूरत बाज़ार जाना बुरा नहीं है। मगर वहाँ अमानत व दयानत का क़दम क़दम पर लिहाज़ रखना ज़रूरी है।

٢١٢١- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، قَالَ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي)). [راجع: ٢١٢٠]

2121. हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहैर ने बयान किया, उनसे हुमैद ने, और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने बक़ीअ़ में (किसी को) पुकारा ऐ अबुल क़ासिम! नबी करीम (ﷺ) ने उसकी त़रफ़ देखा, तो उसने कहा कि मैंने आपको नहीं पुकारा, उस दूसरे आदमी को पुकारा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे नाम पर नाम रखा करो लेकिन मेरी कुन्नियत न रखा करो। (राजेअ़ : 2120)

इस ह़दीष़ की मुनासबत बाब से ये है कि इसमें आपके बाज़ार जाने का ज़िक्र है या'नी बक़ीअ़ में। कुछ ने कहा कि उस ज़माने में बक़ीअ़ में भी बाज़ार लगा करता था। कुन्नियत के बारे में ये हुक्म आपकी ह़याते मुबारका तक था। जैसा कि ह़ज़रत इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है।

٢١٢٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: ((أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعُ؟)) فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ)) قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى

2122. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन यज़ीद ने, उनसे नाफ़ेअ़ बिन जुबैर बिन मुत़इम ने और उनसे अबू हुरैरह दौसी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दिन के एक ह़िस्से में तशरीफ़ ले चले। न आप (ﷺ) ने मुझसे कोई बात की और न मैंने आप (ﷺ) से। उसी त़रह आप बनी क़ेनक़ाअ़ के बाज़ार में आए फिर (वापस हुए और) फ़ात़िमा (रज़ि.) के घर के आंगन में बैठ गए, और फ़र्माया, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है? फ़ात़िमा (रज़ि.) (किसी मशग़ूलियत की वजह से फ़ौरन) आप (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर न हो सकीं। मैंने ख़्याल किया, मुम्किन है ह़सन (रज़ि.) को कुर्ता वग़ैरह पहना रही हों या नहला रही हों। थोड़ी ही देर बाद ह़सन (रज़ि.) दौड़ते हुए आए, आपने उनको सीने से लगा लिया, और बोसा लिया। फिर फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इसे महबूब रख और उस शख़्स को भी महबूब रखा जो इससे मुहब्बत रखे। सुफ़यान ने कहा कि

नाफ़ेअ बिन जुबैर को देखा कि उन्होंने वित्र की नमाज़ सिर्फ़ एक ही रकअत पढ़ी थी। (दीगर मक़ाम : 5884) ... इबैदुल्लाह ने मुझे ख़बर दी, उन्होंने नाफ़ेअ बिन जुबैर को देखा कि उन्होंने वित्र की नमाज़ सिर्फ़ एक ही रकअत पढ़ी थी। (दीगर मक़ाम : 5884)

نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

[طرفه في: ٥٨٨٤].

2123. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़म्रह अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि सहाबा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ग़ल्ला क़ाफ़िलों से ख़रीदते तो आप उनके पास कोई आदमी भेजकर वहीं पर जहाँ उन्होंने ग़ल्ला ख़रीदा होता, उस ग़ल्ले को बेचने से मना कर देते और उसे वहाँ से लाकर बेचने का हुक्म होता, जहाँ आम तौर से ग़ल्ला (अनाज) बिकता था।

(दीगर मक़ाम : 2131, 2137, 2166)

٢١٢٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

[أطرافه في : ٢١٣١، ٢١٣٧، ٢١٦٦].

2124. कहा कि हमसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने ये भी बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ल्ले को पूरी तरह अपने क़ब्ज़े में करने से पहले उसे बेचने से मना फ़र्माया।

(दीगर मक़ाम : 2126, 2133, 2136)

٢١٢٤ - قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

[أطرافه في : ٢١٢٦، ٢١٣٣، ٢١٣٦].

तश्रीह : इन तमाम रिवायत की गई अहादीष़ में किसी न किसी पहलू से आँहज़रत (ﷺ) या सहाबा किराम (रज़ि.) का बाज़ारों में आना–जाना मज़्कूर हुआ है। नम्बर 2119 में बाज़ारों में और मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत के ष़वाब के फ़र्क़ का ज़िक्र है हदीष़, नम्बर 2122 में आँहज़रत (ﷺ) का बाज़ारे क़ेनक़ाअ में आना और वहाँ से वापसी पर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के घर पर जाना मज़्कूर है जहाँ आप (ﷺ) ने अपने प्यारे नवासे हज़रत हसन (रज़ि.) को प्यार किया, और उनके लिये दुआए ख़ैर फ़र्माई। अल्ग़र्ज़ बाज़ारों में आना–जाना, मुआमलात करना ये कोई मज़्मूम अम्र (बुरा काम) नहीं है। ज़रूरियात ज़िन्दगी के लिये बहरहाल हर किसी को बाज़ार जाए बग़ैर गुज़ारा नहीं, हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद इसी अम्र का बयान करना है क्योंकि बुयूअ का ता'ल्लुक़ ज़्यादातर बाज़ारों ही से है। इसी सिलसिले के मज़ीद बयानात आगे आ रहे हैं।

बाब 50 : बाज़ार में शोरगुल मचाना मकरूह है

٥٠- بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ

2125. हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ुलैह ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अता बिन यसार ने कि मैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ (रज़ि.) से मिला और अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की जो सिफ़त तौरेत में आई हैं, उनके बारे मे मुझे कुछ बताइये। उन्होंने कहा हाँ! क़सम अल्लाह की! आप (ﷺ) की तौरात में बिलकुल कुछ वही सिफ़ात आई हैं जो क़ुर्आन शरीफ़ में मज़्कूर है। जैसे कि

٢١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ

فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ وَآذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلٍ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ. غُلْفٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلاَفٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ.

[طرفه في: ٤٨٣٨].

ऐ नबी! मैंने तुम्हें गवाह, ख़ुशख़बरी देने वाला, डराने वाला, और अनपढ़ क़ौम की हिफ़ाज़त करने वाला बनाकर भेजा है। तुम मेरे बन्दे और मेरे रसूल हो। मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्किल रखा है। तुम न बदख़ू हो, न सख़्त दिल और न बाज़ारों में शोरो–ग़ुल मचाने वाले, (और तौरात में ये भी लिखा हुआ है कि) वो (मेरा बन्दा और रसूल) बुराई का बदला बुराई से नहीं लेगा, बल्कि मुआफ़ और दरगुज़र करेगा। अल्लाह तआला उस वक़्त तक उसकी रूह क़ब्ज़ नहीं करेगा जब तक टेढ़ी शरीअत को उससे सीधी न करा ले, या'नी (लोग) ला इलाहा इल्लल्लाह न कहने लगें। और उसके ज़रिये वो अँधी आँखों को बीना, बहरे कानों को शुन्वा और पर्दा पड़े हुए दिलों के पर्दे खोल देगा। इस ह़दीष़ की मुताबअत अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी सलमा ने हिलाल से की है। और सईद ने बयान किया, उनसे हिलाल ने, उनसे अ़ता ने कि ग़ुल्फ़ हर उस चीज़ को कहते हैं जो पर्दे में हो। सैफ़ अग़लफ़ व क़ौस ग़ल्फ़ाउ, उसी से है और रजुल अग़लफ़ उस शख़्स को कहते हैं जिसका ख़त्ना न हुआ हो।

(दीगर मक़ाम : 4838)

तशरीह : इस ह़दीष़ में नबी करीम (ﷺ) के औस़ाफ़े जमीला (अच्छे गुणों) में से ये भी बताया गया है कि वो बाज़ारों में ग़ुल मचाने वाला न होगा। मक़्सदे बाब इसी से ष़ाबित हुआ कि बाज़ारों में जाकर शोरो–ग़ुल मचाना अख़्लाक़े फ़ाज़िला की रू से मुनासिब नहीं है। दूसरी ह़दीष़ में बाज़ार को बदतरीन जगह कहा गया है। उसके बावजूद बाज़ारों में आना जाना शाने पैग़म्बरी या इमामत के ख़िलाफ़ नहीं है, काफ़िर आँह़ज़रत (ﷺ) पर ए'तिराज़ किया करते थे, **मा लिहाज़र्रसूल याकुलुत्तआम व यम्शि फ़िल् इस्वाक़** अल्बत्ता वहाँ शोरो–ग़ुल मचाना ख़िलाफ़े शान है। ह़दीष़ में मज़्कूर मिल्लते इ़वजा से ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त मुराद है। पहले वो सीधी थी फिर अ़रब के मुश्रिकों ने उसको टेढ़ा कर दिया। हज़ारों कुफ़्र और गुमराही की बातें उसमें दाख़िल कर दी थीं। अल्लाह पाक ने आँह़ज़रत (ﷺ) के हाथों इस शरीअ़त को सीधा कराया। इसमें जिस क़दर भी तवह्हुमात और मुह़दष़ात शामिल कर लिये गये थे आप (ﷺ) ने उनसे मिल्लते इब्राहीमी को पाक स़ाफ़ करके उसकी अस़ली सूरत में पेश फ़र्मा दिया। ग़िलाफ़ में बन्द तलवार को सैफ़े अग़लफ़ और पोशीदा छुपाए हुए तीर को कहते हैं।

٥١- بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي

बाब 51 : नाप-तौल करने वाले की मज़दूरी बेचने वाले पर और देने वाले पर है (ख़रीददार पर नहीं)

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जब वो उन्हें नापकर या

وَزَنُوهُمْ ﴿يُخْسِرُونَ﴾ يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: ﴿يَسْمَعُونَكُمْ﴾ يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا))، وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ)).

तौलकर देते हैं तो कम कर देते हैं, मतलब ये है कि वो बेचने वाले ख़रीदने वालों के लिये नापते और वज़न करते हैं। जैसे दूसरी आयत में कलिमा यस्मऊ नकुम से मुराद यस्मऊना लकुम है। वैसे ही इस आयत में कालू हुम से मुराद कालु लहुम है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि खजूर नाप लो और अपने ऊँट की क़ीमत पूरी भर लो। और हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, जब तू कोई चीज़ बेचा करें तो नाप के दिया कर और जब कोई चीज़ ख़रीदे तो उसे भी नाप कर लिया कर।

तशरीह : आँह़ज़रत (ﷺ) ने ता़रिक़ अ़ब्दुल्लाह मह़ारिबी और उनके साथियों से खजूर के बदल एक ऊँट ख़रीदा था। एक शख़्स के हाथ उसके पास खजूर भेजी और ये कहला भेजा कि अपना ह़क़ अच्छी तरह़ नाप लो। इस रिवायत से ये निकला कि नापना उसी का काम है जो जिन्स दे। इस ह़दीष़ को निसाई और इब्ने ह़ब्बान ने वस़्ल किया है। (वह़ीदी)

٢١٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)). [راجع: ٢١٢٦]

2126. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स किसी क़िस्म का ग़ल्ला (अनाज) ख़रीदे तो जब तक उस पर पूरी तरह़ क़ब्ज़ा न कर ले, उसे न बेचे। (राजेअ़ : 2126)

٢١٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ)). فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ : ((كِلْ

2127. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा हमें जरीर ने ख़बर दी, उन्हें मुग़ीरह ने, उन्हें आ़मिर शअ़बी ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) (मेरे बाप) शहीद हो गए। तो उनके ज़िम्मे (लोगों का) कुछ क़र्ज़ा बाक़ी था। इसलिये मैंने नबी करीम (ﷺ) के ज़रिये कोशिश की कि क़र्ज़ ख़्वाह कुछ अपने क़र्ज़ों में मुआ़फ़ी कर दें नबी करीम (ﷺ) ने यही चाहा लेकिन वो नहीं माने। आप (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया कि जाओ अपनी तमाम खजूर की क़िस्मों को अलग–अलग कर लो। अ़ज्वा (एक ख़ास़ क़िस्म की खजूर) को अलग रख और इ़ज़्क़ ज़ैद (खजूर की एक क़िस्म) को अलग कर फिर मुझको बुला भेज। मैंने ऐसा ही किया और नबी करीम (ﷺ) को कहला भेजा। आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए और खजूरों के ढेर पर या बीच में बैठ गए। और फ़र्माया कि अब उन क़र्ज़ख़्वाहों को नापकर दो, मैंने नापना शुरू किया। जितना क़र्ज़ लोगों का था,

لِلْقَوْمِ))، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى)). وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ)).

[أطرافه في : ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥، ٢٦٠١، ٢٧٠٩، ٢٧٨١، ٣٥٨٠].

मैंने सब अदा कर दिया। फिर भी तमाम खजूर ज्यों की त्यों थी। उसमें से एक दाने के बराबर की भी कमी नहीं हुई थी। फ़रास ने बयान किया, उनसे शअबी ने, और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से कि बराबर उनके लिये तौलते रहे, यहाँ तक कि उनका पूरा क़र्ज़ अदा हो गया। और हिशाम ने कहा, उनसे वहब ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, खजूर तोड़ और अपना क़र्ज़ अदा कर दे।

(दीगर मक़ाम : 2395, 2396, 2405, 2601, 2709, 2781, 3580)

तश्रीह : इस ह़दीष़ से जहाँ एक अ़ज़ीम मुअ़जज़–ए–नबवी ष़ाबित हुआ वहाँ ये मसला भी निकला कि अपने क़र्ज़ ख़्वाहों को ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) उनके क़र्ज़ के बदले में खजूरें दे रहे थे और नाप तौल का काम भी ख़ुद ही कर रहे थे। उसी से निकला कि अदा करने वाला ही ख़ुद अपने हाथ से वज़न करे। यही बाब का मक़्सद है।

٥٢- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

बाब 52 : अनाज का नाप–तौल करना मुस्तहब है

٢١٢٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ)).

2128. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद ने बयान किया, उनसे ष़ौर ने, उनसे ख़ालिद बिन मअ़दान ने और उनसे मिक़्दाम बिन मअ़दी करिब (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने ग़ल्ले को नाप लिया करो,

٥٣- بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُدِّهِ فِيهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 53 : नबी करीम (ﷺ) के स़ाअ़ और मुद की बरकत का बयान. इस बाब में एक ह़दीष़ ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की भी नबी करीम (ﷺ) से मरवी ह

٢١٢٩- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ

2129. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़म्र बिन यह्या ने बयान किया, उनसे अ़ब्बाद बिन तमीम अंस़ारी ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने मक्का को ह़राम क़रार दिया। और उसके लिये दुआ फ़र्माई। मैं भी मदीना को उसी त़रह ह़राम क़रार देता हूँ जिस

ٱلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ)).

तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हराम क़रार दिया था। और उसके लिये उसके मुद्द और स़ाअ (ग़ल्ला नापने के दो पैमाने) की बरकत के लिये उसी तरह दुआ करता हूँ जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिये दुआ की थी।

मा'लूम हुआ कि नाप–तौल के लिये स़ाअ और मुद्द का दस्तूर अहदे रिसालत में भी था। जिनमे बरकत के लिये आप (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई, और मदीना के लिये आप (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई जो उसी तरह क़ुबूल हुई, जिस तरह मक्का शरीफ़ के लिये ह़ज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ क़ुबूल हुई थी, बल्कि कुछ ख़ुसूसियाते बरकत में मदीना मुम्ताज़ (श्रेष्ठ) है। वहाँ पानी शहर में बकष़रत मौजूद है, आसपास जंगल हरियाली से लहलहा रहा है। फिर आजकल हुकूमते सऊ़दिया ख़ल्लदल्लाह बक़ाहा की मसाई (कोशिशों) से मदीना हर लिहाज़ से एक तरक़्क़ीयाफ़्ता शहर बनता जा रहा है, जो सब आँह़ज़रत (ﷺ) की पाकीज़ा दुआओं का अष़र है।

आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था, **अल्लाहुम्म हब्बिब इलैनल्मदीनत कहुब्बिना मक्कत औ अशद्दु** या अल्लाह! मक्कतुल मुकर्रमा ही की तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा हमारे दिलों में मदीना की मुह़ब्बत डाल दे।

٢١٣٠- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ. يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ)).

[طرفاه في: ٦٧١٤، ٧٣٣١].

2130. मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़म्बी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इस्ह़ाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी त़लह़ा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! मदीना वालों के पैमानों में बरकत दे, ऐ अल्लाह! उन्हें उनके स़ाअ और मुद्द में बरकत दे। आप (ﷺ) की मुराद अहले मदीना थे।

(दीगर मक़ाम : 6714, 7331)

٥٤- بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ

बाब 54 : अनाज का बेचना और एह़तिकार (जमाखोरी) करना कैसा है?

तशरीह़ : एह़तिकार कहते हैं, गिरानी (महंगाई) के वक़्त ग़ल्ला (अनाज) ख़रीद करके उसको रख छोड़ना, कि जब बहुत महंगा होगा तो बेचेंगे। अगर अरज़ानी के वक़्त ख़रीद करके रख छोड़े तो ये एह़तिकार मना नहीं है। इसी तरह अगर गिरानी के वक़्त अपनी ज़रूरियात के लिये ग़ल्ला ख़रीदकर रख छोड़े तो ये मना नहीं है। बाब की ह़दीष़ों में एह़तिकार का ज़िक्र नहीं है। ह़ाफ़िज़ ने कहा, इमाम बुख़ारी (रह.) ने एह़तिकार का जवाज़ ष़ाबित किया, इस ह़दीष़ से कि ग़ल्ला क़ब्ज़े से पहले न बेचने या'नी अपने घर या दुकान में लाने से पहले तो अगर एह़तिकार ह़राम होता तो आप ये हुक्म न देते बल्कि ख़रीदते ही बेचने का हुक्म दे देते। और शायद उनके नज़दीक ये ह़दीष़ ष़ाबित नहीं है जिसे इमाम मुस्लिम (रह.) ने निकाला कि एह़तिकार वही करता है जो गुनाहगार है और इब्ने माजा और ह़ाकिम ने निकाला कि जो कोई मुसलमानों पर उनका खाना एह़तिकार करेगा (जमाखोरी करके छीनेगा), अल्लाह उस पर जुज़ाम (कोढ़) की बीमारी डालेगा। (वह़ीदी)

एह़तिकार की बहष़ में ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं, **व कुल्लु ज़ालिक मुशइरून बिअन्नल इहतिकार इन्नमा यम्नउ फ़ी हालतिन मख़्सूसतिन बिशुरूतिन मख़्सूसतिन व क़द वरद फ़ी ज़म्मिल इहतिकारि अहादीषुम्मिन्हा हदीषु मअ़मर अल्मज़्कूर अव्वलन व ह़दीषु उ़मर मर्फ़ूअ़न मनिहतकर अलल मुस्लिमीन तआ़मुहुम ज़रबल्लाहु बिल्जुज़ामि वल्इफ़्लासि रवाहु इब्नु माजा व इस्नादुहू हसनुन अन्हु मर्फ़ूअ़न क़ाल्लजालिब मर्ज़ूक वल्मुहतकिर मल्ऊनुन अख़रजहू इब्नु माजा वल्हाकिम व इस्नादुहू ज़ईफ़ुन व अन इब्नि उ़मर मर्फ़ूअ़न मनिहतकर अर्बईन लैलतन फ़क़द बरीउन मिनल्लाहि व बरीउन मिन्हु अख़रजहु अहमद वल्हाकिम व फ़ी इस्नादिही मक़ालुन व अन अबी**

हुरैरत मर्फ़ूअन मनिहतकर हुकरतन युरीदु अंय्युगालिय बिहा अलल मुस्लिमीन फ़हुव ख़ाती व अख़्रजहुल्हाकिम

या'नी यहाँ मज़्कूरा मबाह़िष़ से ज़ाहिर है कि एह़तिकार ख़ास़ ह़ालात में ख़ास़ शर्तों के साथ मना है और एह़तिकार की मज़म्मत (निन्दा) में कई अह़ादीष़ भी वारिद हुई हैं। जैसा कि मअ़मर की ह़दीष़ मज़्कूर है। नीज़ ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से मर्फ़ूअन रिवायत है कि **जिसने मुसलमानो पर ग़ल्ले को रोक लिया, उसको अल्लाह तआ़ला जुज़ाम के मर्ज़ और इफ़्लास (ग़रीबी) में मुब्तला करेगा।** और ये भी है कि **ग़ल्ला का बाज़ार में लाकर बेचने वाले को रोज़ी दी जाती है और ग़ल्ले को रोकने वाला मल्ऊ़न है** और ये भी है कि **जिसने चालीस रात तक ग़ल्ले को रोक कर रखा वो अल्लाह से बरी हो गया और अल्लाह उससे बरी है,** और ये भी है कि **जो गिरानी (महंगाई) के इंतिज़ार में ग़ल्ले को रोके वो गुनाहगार है।** ह़ालात मौजूदा में एह़तिकार तक़्रीबन बेशतर ममालिक में एक संगीन क़ानूनी जुर्म क़रार दिया गया है। जबकि बहुत जगह क़ह़तसाली (अकाल) में लोग मुब्तला हैं। इस्लाम आज से चौदह सौ साल पहले लोगों की भलाई के इस क़ानून का इज्रा कर चुका है।

सनद में मज़्कूरा सालिम नामी बुज़ुर्ग ताबेओ़न में से हैं। और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के फ़रज़न्द अर्जुमन्द हैं। अबू इमरान उनकी कुन्नियत है। क़ुरैशी अ़दवी मदनी हैं। फ़ुक़हा-ए-मदीना के सरख़ील हैं, 106 हिज्री में मदीना ही में वफ़ात पाई। रह़्महुल्लाह।

٢١٣١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتَّى يُؤْوُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ)).

2131. हमसे इस्ह़ाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमको वलीद बिन मुस्लिम ने ख़बर दी, उन्हें औज़ाई ने, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें सालिम ने, और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में उन लोगों को देखा जो अनाज के ढेर (बग़ैर तौले हुए मह़ज़ अंदाज़ा करके) ख़रीद लेते उनको मार पड़ती थी। इसलिये कि जब तक अपने घर न ले जाएँ न बेचें।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً)).

[طرفه في : ٢١٣٥].

2132. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे इब्ने त़ाऊस ने, और उनसे उनके बाप ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ल्ले पर पूरी त़रह क़ब्ज़ा से पहले उसे बेचने से मना किया। त़ाऊस ने कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से पूछा कि ऐसा क्यूँ है? तो उन्होंने फ़र्माया कि ये तो रूपये का रूपयों के बदले बेचना हुआ जबकि अभी ग़ल्ला तो मीआ़द ही पर दिया जाएगा। (दीगर मक़ाम : 2135)

इसकी सूरत ये है कि मष़लन ज़ैद ने दो मन गेहूँ अ़म्र से दो रुपये के बदले ख़रीदे और अ़म्र से ये ठहरा कि दो महीने बाद गेहूँ दे। अब ज़ैद ने वही गेहूँ बक्र के साथ चार रुपया को बेच डाले तो दरहक़ीक़त ज़ैद ने गोया दो रुपये को चार रुपये के बदल बेचा। जो स़रीह़न सूद (ब्याज) है क्योंकि गेहूँ का अभी तक वजूद ही नहीं वो तो दो माह बाद मिलेंगे और रुपये के बदले रुपया बिक रहा है।

٢١٣٣- حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ:

2133. मुझसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया कि मैंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को ये

कहते हुए सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स भी कोई ग़ल्ला ख़रीदे तो उस पर क़ब्ज़ा से पहले उसे न बेचें।
(राजेअ : 2124)

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). [راجع: ٢١٢٤]

2134. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया कि अ़म्र बिन दीनार उनसे बयान करते थे, और उनसे ज़ुहरी ने, उनसे मलिक बिन औस ने, कि उन्होंने पूछा, आप लोगों में से कोई बेअ़ सरिफ़ (या'नी दीनार, दिरहम, अशरफ़ी वग़ैरह बदलने का काम) करता है। त़लह़ा ने कहा कि मैं करता हूँ, लेकिन उस वक़्त कर सकूँगा जबकि हमारा ख़ज़ान्ची ग़ाबा से आ जाएगा। सुफ़यान ने बयान किया कि ज़ुहरी से हमने इसी त़रह ह़दीष़ याद की थी इसमें कोई ज़्यादती नहीं थी। फिर उन्होने कहा कि मुझे मालिक बिन औस ने ख़बर दी कि उन्होंने उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से सुना। वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल करते थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सोना, सोने के बदले में (ख़रीदना) सूद में दाख़िल है मगर ये कि नक़दा-नक़द हो। गेहूँ, गेहूँ के बदले में (ख़रीदना बेचना) सूद में दाख़िल है मगर ये कि नक़दा-नक़द हो। खजूर, खजूर के बदले में सूद है मगर ये कि नक़दा-नक़द हो। और जौ, जौ के बदले में सूद है मगर ये कि नक़दा नक़द हो। (दीगर मक़ाम : 2170, 2174)

٢١٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيْءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)).
[طرفاه في : ٢١٧٠، ٢١٧٤].

इस ह़दीष़ से ये निकला कि जौ और गेहूँ अलग अलग क़िस्में हैं। इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) और इमाम अह़मद (रह.) और तमाम अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है।

बाब 55 : ग़ल्ले को अपने क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचना और ऐसी चीज़ को बेचना जो तेरे पास मौजूद नहीं

٥٥- بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

तश्रीह़ : बाब की ह़दीष़ों में उस चीज़ की बेअ़ की मुमानअ़त नहीं है जो बायेअ़ के पास न हो और शायद इमाम बुख़ारी (रह.) ने उसको इस त़रह़ निकाल लिया कि जब क़ब्ज़े से पहले बेचना दुरुस्त न हुआ तो जो चीज़ अपने पास न हो उसका भी बेचना दुरुस्त न होगा और इस बाब में एक स़रीह़ ह़दीष़ मरवी है जिसको अस़्ह़ाबे सुनन ने ह़कीम बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) से निकाला, कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उस चीज़ को मत बेचो जो तेरे पास न हो। और शायद ये ह़दीष़ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की शर्त़ पर न होगी, इस वजह से उसको न ला सके। (वह़ीदी)

2135. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, कहा जो कुछ हमने अ़म्र बिन दीनार से (सुनकर) याद रखा है (वो ये है कि) उन्होंने त़ाऊस से सुना, वो कहते थे कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को ये फ़र्माते हुए

٢١٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ)). [راجع: ٢١٣٢]

सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने जिस चीज़ से मना किया था, वो उस ग़ल्ले की बेअ थी जिस पर अभी क़ब्ज़ा न किया गया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं तो तमाम चीज़ों को उसी के हुक्म में समझता हूँ।

(राजेअ: 2132)

या'नी कि कोई भी चीज़ जब ख़रीदी जाए तो क़ब्ज़ा करने से पहले उसे न बेचा जाए।

٢١٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)). زَادَ إِسْمَاعِيلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). [راجع: ٢١٢٤]

2136. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स भी जब ग़ल्ला ख़रीदे तो जब तक उसे पूरी तरह अपने क़ब्ज़े में न ले ले, न बेचे। इस्माईल ने ये ज़्यादती की है कि जो शख़्स कोई ग़ल्ला ख़रीदे तो उस पर क़ब्ज़ा करने से पहले न बेचे।

(राजेअ: 2124)

٥٦- بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ

बाब 56 : जो शख़्स ग़ल्ले का ढेर बिन मापे तौले ख़रीदे वो जब तक उसको अपने ठिकाने न लाए, किसी के हाथ न बेचे और इसके ख़िलाफ़ करने वाले की सज़ा का बयान

٢١٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْتَاعُونَ [طرفاه في : ٢٢٥٦، ٣٨٤٣].

2137. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में देखा। कि लोगों को उस पर तम्बीह की जाती जब वो ग़ल्ले का ढेर ख़रीद करके अपने ठिकाने पर लाने से पहले ही उसको बेच डालते। (दीगर मक़ाम : 2256, 3843)

तश्रीह : ह़दीष़ से ये निकला कि ह़ाकिमे इस्लाम बेअ़े फ़ासिद (अवैध सौदों) पर सज़ा दे सकता है। इमाम मालिक का मज़हब ये है कि जो चीज़ अंदाज़े से बिन माप–तौल ख़रीदी जाए उसको क़ब्ज़े में लेने से पहले बेच सकता है। इस ह़दीष़ से उनका रद्द होता है।

٥٧- بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً

बाब 57 : अगर किसी शख़्स ने कुछ अस्बाब या एक जानवर ख़रीदा और उसको बायेअ ही के

पास रखवा दिया और वो अस्बाब तल्फ़ हो गया या जानवर मर गया और अभी मुशतरी ने उस पर क़ब्ज़ा नहीं किया था

فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

और इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कहा, बेअ़ के वक़्त जो माल ज़िन्दा था और बेअ़ में शरीक था। वो अगर तल्फ़ हो गया तो ख़रीददार पर पड़ेगा। (बायेअ़ उसका तावान न देगा)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.

2138. हमसे फ़र्वा बिन अबी मग़राअ ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ली बिन मुस्हिर ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम ने, उन्हें उनके बाप ने, और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि ऐसे दिन (मक्की ज़िन्दगी में) बहुत ही कम आए जिनमें नबी करीम (ﷺ) सुबह व शाम में किसी न किसी वक़्त अबूबक्र (रज़ि.) के घर तशरीफ़ न लाए हों। फिर जब आप (ﷺ) को मदीना की त़रफ़ हिज्रत की इजाज़त दी गई। तो हमारी घबराहट का सबब ये हुआ कि आप (मअ़मूल के ख़िलाफ़ अचानक) ज़ुह्र के वक़्त हमारे घर तशरीफ़ लाए। जब ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को आप (ﷺ) की आमद की ख़बर मिली तो उन्होंने भी यही कहा कि नबी करीम (ﷺ) इस वक़्त हमारे यहाँ कोई नई बात पेश आने ही की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। जब आप (ﷺ) अबूबक्र (रज़ि.) के पास पहुँचे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि इस वक़्त जो लोग तुम्हारे पास हों उन्हें हटा दो। अबूबक्र (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यहाँ तो स़िर्फ़ मेरी यही दो बेटियाँ हैं या'नी आ़इशा और अस्मा (रज़ि.)। अब आपने फ़र्माया, कि तुम्हें मा'लूम भी है मुझे तो यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल गई है। अबूबक्र (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, मेरे पास दो ऊँटनियाँ हैं जिन्हें मैंने निकलने ही के लिये तैयार कर रखा था। आप उनमें से एक ले लीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा, क़ीमत के बदले में, मैंने एक ऊँटनी ले ली। (राजेअ़ : 476)

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لأَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الصُّحْبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ)).

[راجع: ٤٧٦]

ह़दीष़ से निकला कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) से ऊँटनी मोल लेकर उन ही के पास रखवा दी, तो बाब का ये मत़लब कि कोई चीज़ ख़रीद करके बायेअ़ (बेचने वाले) के पास रखवा देना इससे ष़ाबित हुआ।

बाब 58 : कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की बेअ़ में दख़लअंदाज़ी न करे और अपने

٥٨ - بَابُ لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى

भाई के भाव लगाते वक़्त उसके भाव को न बिगाड़े जब तक वो इजाज़त न दे या छोड़ न दे

يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

तश्रीह: या'नी पहला बायेअ़ (बेचने वाला) अगर इजाज़त दे दे कि तुम भी अपना माल इस ख़रीददार को बतलाओ, बेचो तो बेचना दुरुस्त है। इसी त़रह़ अगर पहला ख़रीददार उस चीज़ को छोड़कर चला जाए न ख़रीदे तो दूसरे को उसका ख़रीदना दुरुस्त है वरना ह़राम है। इमाम औज़ाई ने कहा ये अम्र मुसलमान भाई के लिये ख़ास़ है और जुम्हूर ने इसको आ़म रखा है क्योंकि ये अम्र अख़्लाक़ से दूर है कि एक शख़्स़ अपना सामान बेच रहा है या कोई शख़्स़ कुछ ख़रीद रहा है, हम बीच में जा कूदें और उसका फ़ायदा न होने दें।

٢١٣٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ)).

[طرفاه في : ٣١٦٥، ٥١٤٢].

2139. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स़ अपने भाई की ख़रीद व फ़रोख़्त में दख़ल अंदाज़ी न करे।

(दीगर मक़ाम : 3165, 5142)

٢١٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا. وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ. وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا)).

[أطرافه في : ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٨، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١].

2140. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना किया कि कोई शहरी किसी देहाती का माल व अस्बाब बेचे और ये कि कोई (सामान ख़रीदने की निय्यत के बग़ैर दूसरे अस़ल खरीददारों से) बढ़कर बोली न दे। कोई शख़्स़ (किसी औ़रत को) दूसरे के पैग़ामे निकाह़ होते हुए अपना पैग़ाम न भेजे। और कोई औ़रत अपनी किसी दीनी बहन को इस निय्यत से त़लाक़ न दिलवाए कि उसके ह़िस़्स़े को ख़ुद ह़ास़िल कर ले।

(दीगर मक़ाम : 2148, 2150, 2151, 2160, 2162, 2723, 2728, 5152, 6601)

तश्रीह: या'नी बाहर वाले जो ग़ल्ला या अश्याअ बाहर से लाते हैं, वो अकस़र बस्ती वालों के हाथ सस्ता बेचकर घरों को चले जाते हैं। अब कोई शहर वाला उनको बहकाए, और कहे अभी न बेचो, ये माल मेरे सुपुर्द कर दो, मैं इसको महंगा बेच दूँगा। तो इससे मना किया, क्योंकि ये बस्ती वालों को नुक़्स़ान पहुँचाना है। उसी त़रह़ कुछ लोग मह़ज़ भाव बिगाड़ने के लिये बोली चढ़ा देते हैं और उनकी निय्यत ख़रीदने की नहीं होती। यह सख़्त गुनाह है अपने दूसरे भाई को नुक़्स़ान पहुँचाना है। इसी त़रह़ एक औ़रत के लिये किसी मर्द ने पैग़ामे निकाह़ दिया है तो कोई दूसरा उसको पैग़ाम न दे कि ये भी अपने भाई की ह़क़ तल्फ़ी है। इसी त़रह़ कोई औ़रत किसी शादी शुदा मर्द से निकाह़ करना चाहती है, तो उसको ये जाइज़ नहीं कि उसकी पहली मौजूदा बीवी को त़लाक़ दिलवाने की शर्त़ लगाए कि ये उस बहन की सख़्त ह़क़तल्फ़ी होगी। इस सूरत में वो औ़रत और मर्द

दोनों गुनहगार होंगे।

बाब 59 : नीलाम करने का बयान

٥٩- بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

और अ़ता ने कहा कि मैंने देखा लोग माले ग़नीमत के नीलाम करने में कोई ह़र्ज नहीं समझते थे।

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

2141. हमसे बिश्र बिन मुह़म्मद ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें हुसैन मुकातिब ने ख़बर दी, उन्हें अ़ता बिन अबी रबाह़ ने, और उन्हें जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने अपना एक गुलाम अपने मरने के बाद की शर्त के साथ आज़ाद किया। लेकिन इत्तिफ़ाक़ से वो शख़्स मुफ़्लिस हो गया, तो नबी करीम (ﷺ) ने उसके गुलाम को लेकर फ़र्माया, कि उसे मुझसे कौन ख़रीदेगा। उस पर नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसे इतनी इतनी क़ीमत पर ख़रीद लिया। और आपने गुलाम उनके ह़वाले कर दिया।

(दीगर मक़ाम : 2230, 2321, 2403, 2415, 2534, 2716, 6947, 7186)

٢١٤١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ)).

[أطرافه في : ٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦].

तश्रीह : नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह ने आठ सौ दिरहम का लिया, जब आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, इसको कौन ख़रीदता है, तो ये नीलाम ही हुआ। और इस्माइली का ए'तिराज़ दफ़ा हो गया कि ह़दीष़ से नीलाम ष़ाबित नहीं होता, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि लोगों ने मौल बढ़ाना शुरू किया, और मुदब्बर की बेअ़ का जवाज़ निकला, इमाम शाफ़िई (रह.) और हमारे इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) का भी यही क़ौल है लेकिन इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक मुदब्बर की बेअ़ दुरुस्त नहीं है। तफ़्सील आ रही है,

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **लम्मा अन तक़द्दम फ़िल्बाबि क़ब्लहू अन्नह्यु अनिस्सूमि अराद अंय्युबय्यिन मौजअत्तहरीमति मिन्हु व क़द औजहतुहू फ़िल्बाबिल्लज़ी क़ब्लहू व वरद फ़िल्बैइ फ़ीमन यजीदु ह़दीषु अनसिन अन्नहू (ﷺ) बाअ़ हिल्सन व क़दहन व क़ाल मंय्यशतरी हाज़ल्हिस वल्क़दह फ़क़ाल रजुलुन अख़ज्तुहुमा बिदिर्हमिन फ़क़ाल मंय्युजीदु अ़ला दिर्हमिन फ़आताहू रजुलुन दिर्हमैनि फ़बाअ़हुमा मिन्हु अख़्रजहु अहमद व अस्हाबुस्सुननि मुतव्वलन व मुख़्तसरन वल्लफ़्ज़ु लित्तिर्मिज़ी व क़ाल ह़सन व कानल्मुसन्निफ़ु अशार बित्तर्जुमति इला तज़ईफ़िम्मा अख़्रजहुल बज़्ज़ार मिन ह़दीषि सुफ्यान बिन वहब समिअ़तुन्नबिय्य (ﷺ) यन्हा अ़न बैइल्मुज़ायदति फ़इन्न फ़ी इस्नादिही इब्नि लहीआ व हुव ज़ईफ़ुन** (फ़त्हुल बारी)

चूँकि पिछले बाब में भाव पर भाव बढ़ाने से नह्य गुज़र चुकी है लिहाज़ा मुसन्निफ़ (रह.) ने चाहा कि हुर्मत की वज़ाह़त की जाए और मैं उससे पहले बाब में इसकी वज़ाह़त कर चुका हूँ। यहाँ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने नीलाम का बयान शुरू किया और उसका जवाज़ ष़ाबित किया। और उस बेअ़ के बारे में अनस (रज़ि.) से एक और ह़दीष़ भी मरवी है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने एक पुराना टाट और एक प्याला नीलाम किया और एक आदमी ने उनकी बोली एक दिरहम लगाई। आप (ﷺ) के दोबारा ऐलान पर दूसरे आदमी ने दो दिरहमों की बोली लगा दी और आप (ﷺ) ने दोनों चीज़ें उसको दे दीं। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी

(रह.) ने यहाँ इशारा किया कि मुस्नद बज़्ज़ार में सुफ़यान बिन वहब की रिवायत से जो ह़दीष़ मौजूद है जिसमे नीलाम की बेअ़ से मुमानअ़त वारिद है वो ह़दीष़ ज़ईफ़ है। उसकी सनद में इब्ने लहीआ है जो ज़ईफ़ हैं।

ह़ज़रत अ़ता बिन अबी रिबाह़ मशहूर तरीन ताबेई हैं। कुन्नियत अबू मुहम्मद है जलीलुल क़द्र फ़क़ीह हैं। आख़िर उ़मर में नाबीना हो गए थे। इमाम औज़ाई का क़ौल है कि उनकी वफ़ात के वक़्त हर शख़्स़ की जुबान पर उनका ज़िक्रे ख़ैर था और सब ही लोग उनसे ख़ुश थे। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) ने फ़र्माया कि अल्लाह ने इल्म के ख़ज़ानों का मालिक ह़ज़रत अ़ता बिन अबी रिबाह़ को बनाया जो ह़ब्शी थे। इल्म अल्लाह की दीन है जिसे चाहे वो दे दे। सलमा बिन कुहैल ने कहा, अ़ता बिन अबी रिबाह़, त़ाऊस, मुजाहिद रहिमहुमुल्लाह वो बुज़ुर्ग है जिनके इल्म की ग़र्ज़ व ग़ायत सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात थी। 88 साल की उ़म्र में 115 हिज्री में वफ़ात पाई। रहिमहुल्लाह!

बाब 60 : नज्श या'नी धोखा देने के लिये क़ीमत बढ़ाना कैसा है? और कुछ ने कहा ये बेअ़ ही जाइज़ नहीं

٦٠- بَابُ النَّجْشِ. وَمَنْ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

और इब्ने अबी औफ़ा ने कहा कि नज्श सूदख़ोर और ख़ाइन है। और नज्श फ़रेब है, ख़िलाफ़े शरअ़ बिलकुल दुरुस्त नहीं । नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि फ़रेब दोज़ख़ में ले जाएगा और जो शख़्स़ ऐसा काम करेगा जिसका हुक्म हमने नहीं दिया तो वो मरदूद है।

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : ((النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ)). وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)).

तशरीह : धोखा की बेअ़ ये है कि मष़लन परिन्दा हवा में उड़ रहा है या मछली दरिया में जा रही है या हिरण जंगल में भाग रहा है। इसको पकड़ने से पहले बेच डाले, उसी त़रह़ उस ग़ुलाम या लौण्डी को जो भाग गया हो। और उसी में दाख़िल है बेअ़ मअ़दूम और मज्हूल की और जिसकी तस्लीम पर क़ुदरत नहीं। और हब्लुल हब्ला की बेअ़ जाहिलियत में मुरव्वज (प्रचलित) थी, उसकी तफ़्सीर आगे ख़ुद ह़दीष़ में आ रही है। बाब की ह़दीष़ में धोखा की बेअ़ का ज़िक्र नहीं है। मगर इमाम बुख़ारी (रज़ि.) ने उसको ह़िब्लुल हिबा की मुमानअ़त से निकाल लिया। इसलिये कि वो भी धोखे की एक क़िस्म है। मुम्किन है कि ऊँटनी न जने या उसका जो बच्चा पैदा हो वो न जने। और शायद इमाम बुख़ारी (रह.) ने उस ह़दीष़ की त़रफ़ इशारा किया जिसको इमाम अह़मद ने इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) और इब्ने उ़मर (रज़ि.) से और मुस्लिम ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से और इब्ने माजा ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से और त़िबरानी ने सहल (रज़ि.) से रिवायत किया है। उसमें स़ाफ़ ये है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने धोखे की बेअ़ से मना फ़र्माया। कुछ ने ह़ब्लुल ह़ब्ला की तफ़्सीर ये की है कि किसी ऊँटनी के ह़मल के ह़मल को फ़िलह़ाल बेच डाले मष़लन यूँ कहे कि इस ऊँटनी के पेट में जो बच्चा है। उसके पेट के बच्चे को मैंने तेरे हाथ बेचा। ये भी मना है। इसलिये कि वो मअ़दूम और मज्हूल की बेअ़ है और बेअ़े ग़रर या'नी धोखे की बेअ़ में दाख़िल है। (वह़ीदी)

2142. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़म्बी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने, नज्श से मना फ़र्माया था।

(दीगर मक़ाम : 6963)

٢١٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ النَّجْشِ)). [طرفه في : ٦٩٦٣].

तशरीह : नज्श ख़ास़ त़ौर पर शिकार को भड़काने के मा'नी में आता है। यहाँ एक ख़ास़ मफ़्हूमे शरई के तह़त मुस्तअ़मल है। वो मफ़्हूम ये कि कुछ ताजिर अपने ग़लत़बयानी करने वाले एजेन्ट मुक़र्रर कर देते हैं जिनका काम यही होता

है कि हर मुम्किन सूरत में ख़रीदने वालों को धोखा देकर ज़्यादा क़ीमत वसूल कराएँ। ऐसे ऐजेन्ट कुछ दफ़ा ग्राहक की मौजूदगी में उस चीज़ का दाम बढ़ाकर ख़रीददार बनते हैं। हालाँकि वो ख़रीददार नहीं हैं। ग्राहक धोखा में आकर बढ़े हुए दामों पर वो चीज़ ख़रीद लेता है। अल्ग़र्ज़ बेअ़ में धोखा फ़रेब की जुम्ला सूरतें सख़्ततरीन गुनाह कबीरा का दर्जा रखती हैं। शरीअ़त ने सख़्ती से उनको रोका है।

बाब 61 : धोखे की बेअ़ और ह़मल की बेअ़ का बयान

٦١- بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

2143. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़मल के ह़मल की बेअ़ से मना फ़र्माया। इस बेअ़ का त़रीक़ा जाहिलियत में राइज था। एक शख़्स एक ऊँट या ऊँटनी ख़रीदता और क़ीमत देने की मीआ़द ये मुक़र्रर करता कि एक ऊँटनी जने फिर उसके पेट की ऊँटनी बड़ी होकर जने।

٢١٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا)).

तश्रीह़ : इस्लाम से पहले अ़रब में ये दस्तूर भी था कि ह़ामिला ऊँटनी के ह़मल को बेच दिया जाता था। उस बेअ़ को धोखे की बेअ़ क़रार देकर मना किया गया। ह़दीष़े बाला का ये मत़लब भी बयान किया गया है कि किसी क़र्ज़ वग़ैरह की मुद्दत ह़ामिला ऊँटनी के ह़मल के पैदा होने फिर उस पर पैदा होने वाली ऊँटनी के बच्चे जनने की मुद्दत मुक़र्रर की जाती थी, ये भी एक धोखे की बेअ़ थी, इसलिये इससे भी मना किया गया।

बाब 62 : बेअ़े मुलामसः का बयान और अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना किया है

٦٢- بَابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ. قَالَ أَنَسٌ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ

2144. हमसे सईद बिन उ़फ़ैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़क़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, कि मुझे आमिर बिन सईद ने ख़बर दी और उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुनाबज़ा की बेअ़ से मना फ़र्माया था। उसका त़रीक़ा ये था कि एक आदमी बेचने के लिये अपना कपड़ा दूसरे शख़्स की त़रफ़ (जो ख़रीददार होता) फेंकता और उससे पहले कि वो उसे उलटे–पलटे या उसकी त़रफ़ देखे (सिर्फ़ फेंकने की वजह से वो बेअ़ लाज़िम समझी जाती थी) इसी त़रह आँह़ज़रत (ﷺ) ने बेअ़े मुलामसा से भी मना किया। उसका ये

٢١٤٤- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ)). [راجع: ٣٦٧]

तरीक़ा था कि (ख़रीदने वाला) कपड़े को बग़ैर देखे सिर्फ़ उसे छू देता (और उसी से बेअ़ लाज़िम हो जाती थी उसे भी धोखा की बेअ़ क़रार दिया गया।)

2145. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि दो तरह के लिबास पहनने मना हैं। कि कोई आदमी एक ही कपड़े में गोट मारकर बैठे, फिर उसे मूँढ़े पर उठाकर डाल ले (और शर्मगाह खुली रहे) और दो तरह की बेअ़ से मना किया। एक बेअ़े मुलामसा से और दूसरी बेअ़े मुनाबज़ा से।

(राजेअ़ : 367)

٢١٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ، وَالنِّبَاذِ)).

[راجع: ٣٦٨]

तश्रीह : इस रिवायत में दूसरे लिबास का ज़िक्र नहीं किया। वो इश्तिमाले सम्मा है जिसका ज़िक्र ऊपर हो चुका है। या'नी एक ही कपड़ा सारे बदन पर इस तरह लपेटना कि हाथ वग़ैरह कुछ बाहर न निकल सकें। निसाई की रिवायत में बेअ़े मुलामसा की तफ़्सीर यूँ मज़्कूर है कि एक आदमी दूसरे से कहे मैं अपना कपड़ा तेरे कपड़े के बदले बेचता हूँ और कोई दूसरे का कपड़ा न देखे सिर्फ़ छुए। और बेअ़े मुनाबज़ा ये है कि मुशतरी और बायेअ़ में ये ठहरे कि जो मेरे पास है वो मैं तेरी तरफ़ फेंक दूँगा और जो तेरे पास वो मेरी तरफ़ फेंक दे। बस उसी शर्त पर बेअ़ हो जाए और किसी को मा'लूम न हो कि दूसरे के पास कितना और क्या माल है। (वहीदी)

बाब 63 : बेअ़ मुनाबिज़ा का बयान और अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने उससे मना किया है

٦٣- بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ.

2146. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन यह्या बिन हब्बान और अबुज़्ज़िनाद ने, उनसे अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेअ़ मुलामसा और बेअ़ मुनाबज़ा से मना फ़र्माया।

(राजेअ़ : 367)

٢١٤٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)).

[راجع: ٣٦٧]

2147. हमसे अ़य्याश बिन वलीद ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल आला ने बयान किया, उनसे मअ़मर ने बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे अ़ता बिन यज़ीद ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने दो तरह के लिबास से मना फ़र्माया, और दो तरह की बेअ़, मुलामसा और मुनाबज़ा से मना फ़र्माया।

٢١٤٧- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلاَمَسَةِ

(राजेअ 367)

وَالْمُنَابَذَةِ)). [راجع: ٣٦٧]

तशरीह : गुज़िश्ता से पेवस्ता ह़दीष के ज़ेल में गुज़र चुकी है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इस ह़दीष को यहाँ इसलिये लाए हैं कि उसमें बेअ़े मुलामसः और बेअ़े मुनाबिज़ा की मुमानअ़त मज़्कूर है।

बाब 64 : ऊँट या बकरी या गाय के थन में दूध जमा कर रखना बायेअ को मना है

٦٤- بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ

इसी त़रह़ हर जानदार के थन में (ताकि देखने वाला ज़्यादा दूध देने वाला जानवर समझकर उसे ज़्यादा क़ीमत पर ख़रीदे) और मिस्रात वो जानवर है कि जिसका दूध थन में रोक लिया गया हो, उसमें जमा करने के लिये और कई दिनों तक उसे निकाला न गया हो, लफ़्ज़ तस्रिया अस़ल में पानी रोकने के मा'नी में बोला जाता है। उसी से ये इस्ते'माल है, सर्रय्तुल माआ (या'नी मैंने पानी को रोक रखा)

وَكُلُّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيْهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ.

2148. हमसे यह़्या बिन बुकेर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे जा'फ़र बिन रबीआ ने, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन हुर्मुज़ अअ़रज ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (बेचने के लिये) ऊँटनी और बकरी के थनों में दूध को रोककर न रखो। अगर किसी ने (धोखा में आकर) कोई ऐसा जानवर ख़रीद लिया तो उसे दूध दुहने के बाद दोनों इख़्तियारात हैं। चाहे तो जानवर को रख ले, और चाहे तो वापस कर दे और एक स़ाअ़ खजूर उसके साथ दूध के बदल दे दे। अबू स़ालेह़, मुजाहिद, वलीद बिन रिबाह़ और मूसा बिन यसार से बवास्ता अबू हुरैरह (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से रिवायत एक स़ाअ़ खजूर ही की है। कुछ रावियों ने इब्ने सीरीन से एक स़ाअ़ ग़ल्ला की रिवायत की है। और ये कि ख़रीददार को (सूरते मज़्कूरा में) तीन दिन का इख़्तियार होगा। अगरचे कुछ दूसरे रावियों ने इब्ने सीरीन ही से एक स़ाअ़ खजूर की भी रिवायत की है लेकिन तीन दिन के इख़्तियार का ज़िक्र नहीं किया। और (तावान में) खजूर देने की रिवायात ही ज़्यादा हैं।

(राजेअ : 2140)

٢١٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ)). وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((صَاعَ تَمْرٍ)). وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: ((صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) وَلَمْ يَذْكُرْ ((ثَلاَثًا)) وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

[راجع: ٢١٤٠]

तशरीह : लौण्डी हो या गधी उनके दूध के बदल एक स़ाअ़ न दिया जाएगा और ह़नाबिला ने गधी के दूध के बदले स़ाअ़ देना लाज़िम नहीं किया लेकिन लौण्डी में उन्होंने इख़्तिलाफ़ किया है। और जुम्हूर अहले इ़ल्म, स़ह़ाबा और ताबेअ़ीन

और मुज्तहिदीन ने बाब की ह़दीष़ पर अ़मल किया है कि ऐसी सूरत में मुशतरी चाहे तो वो जानवर फेर दे और एक स़ाअ़ खजूर दूध के बदल दे दे। ख़्वाह दूध बहुत हो या कम। और ह़न्फ़िया ने क़यास पर अ़मल करके इस स़ह़ीह़ का ख़िलाफ़ किया है और कहते क्या हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़क़ीह न थे। इसलिये उनकी रिवायत क़यास के ख़िलाफ़ क़ुबूल नहीं हो सकती और ये खुली धींगा-मश्ती है। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आँह़ज़रत (ﷺ) से हुक्म नक़ल किया है और लुत्फ़ ये है कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से जिनको ह़न्फ़ी फ़ुक़हा और इज्तिहाद में इमाम जानते हैं, उनसे भी ऐसा ही मन्क़ूल है। और शायद ह़न्फ़िया को इल्ज़ाम देने के लिये इमाम बुख़ारी (रह.) ने उसके बाद अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की रिवायत नक़ल की है। और ख़ुद ह़न्फ़िया ने बहुत से मुक़ामों में ह़दीष़ से क़यासे जली को तर्क किया है। जैसे वुज़ू बिन नबीज़ और क़हक़हे में फिर यहाँ क्यूँ तर्क नहीं करते और इमाम इब्ने क़य्यिम ने इस मसले के **मा लहू व मा अ़लैहि** पर पूरी-पूरी रोशनी डालते हुए ह़न्फ़िया पर काफ़ी रद्द किया है।

2149. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे मुअ़तमिर ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप से सुना। वो कहते थे कि हमसे अबू उ़ष्मान ने बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने कहा कि जो शख़्स मुसर्रात, बकरी ख़रीदे और उसे वापस करना चाहे तो (अस़ल मालिक को) उसके साथ एक स़ाअ़ भी दे। और नबी करीम (ﷺ) ने क़ाफ़िला वालों से (जो माल बेचने को लाएँ) आगे बढ़कर ख़रीदने से मना फ़र्माया है। (दीगर मक़ाम : 2124)

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ)). [طرفه في : ٢١٦٤].

2150. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअ़रज ने, और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, (तिजारती) क़ाफ़िलों की पेशवाई (उनका सामान शहर पहुँचने से पहले ही ख़रीद लेने की ग़र्ज़ से) न करो। एक शख़्स किसी दूसरे की बेअ़ पर बेअ़ न करे और कोई नज्श न करे और कोई शहरी बदवी का माल न बेचे और बकरी के थन में दूध न रोके। लेकिन अगर कोई इस (आख़िरी) सूरत में जानवर ख़रीद ले तो उसे दुहने के बाद दोनों त़रह के इख़्तियारात हैं। अगर वो उस बेअ़ पर राज़ी है तो जानवर को रोक सकता है। और अगर वो राज़ी नहीं तो एक स़ाअ़ खजूर उसके साथ देकर उसे वापस कर दे।

(राजेअ़ : 2140)

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)). [راجع: ٢١٤٠]

बाब 65 : ख़रीददार अगर चाहे तो मुस़र्रात को वापस कर सकता है लेकिन उसके दूध के बदले में (जो ख़रीददार ने इस्ते'माल किया है) एक स़ाअ़ खजूर दे दे

٦٥ - بَابُ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

2151. हमसे मुहम्मद बिन अ़म्र ने बयान किया, कहा कि हमसे

٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ

मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे ज़ियाद ने ख़बर दी कि अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद के गुलाम षाबित ने उन्हें ख़बर दी, कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये कहते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मुसर्रात बकरी ख़रीदी और उसे दूहा। तो अगर वो इस मामले पर राज़ी है तो उसे अपने लिये रोक ले और अगर राज़ी नहीं है तो (वापस कर दे और) उसके दूध के बदले में एक स़ाअ़ खजूर दे दे। (राजेअ़ : 2140)

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ)). [راجع: ٢١٤٠]

बाब 66 : ज़ानी गुलाम की बेअ़ का बयान

٦٦- بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

और शुरैह (रह.) ने कहा कि अगर ख़रीददार चाहे तो ज़िना के ऐ़ब की वजह से ऐसे लौण्डी गुलाम को वापस कर सकता है।

وَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا.

क्योंकि ये भी एक ऐ़ब है। शुरैह़ की रिवायत को सईद बिन मंसूर ने वस़्ल किया। बाब की ह़दीष़ में गुलाम का ज़िक्र नहीं, मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने गुलाम को लौण्डी पर क़यास किया और ह़न्फ़िया के नज़दीक लौण्डी ज़िना से फेरी जा सकती है लेकिन गुलाम नहीं फेरा जा सकता।

2152. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, कहा कि मुझे सईद मक़्बरी ने ख़बर दी, उनसे उनके बाप ने, और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये कहते सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जब कोई बांदी ज़िना करे और उसके ज़िना का षुबूत (शरई) मिल जाए तो उसे कोड़े लगवाए, फिर उसको लअ़नत मलामत न करे। उसके बाद अगर फिर वो ज़िना करे तो फिर कोड़े लगाए मगर फिर लअ़नत मलामत न करे। फिर अगर तीसरी बार भी ज़िना करे तो उसे बेच दे चाहे बाल की एक रस्सी के बदले ही में क्यों न हो।

(दीगर मक़ाम : 2153, 2233, 2234, 2555, 6837, 6839)

٢١٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)).

[أطرافه في : ٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩].

2153,54. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) और ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) से पूछा गया कि अगर कोई ग़ैर शादी शुदा बांदी ज़िना करे (तो उसका क्या हुक्म है) आपने फ़र्माया कि उसे कोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना

٢١٥٣، ٢١٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ

قَالَ: ((إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟. [راجع: ٢١٥٢] [أطرافه في: ٢٢٣٢، ٢٥٥٦، ٦٨٣٨].

करे तो फ़िर कोड़े लगाओ। फिर भी ज़िना करे तो उसे बेच दो, अगरचे एक रस्सी ही के बदले में वो फ़रोख़्त हो। इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे ये मा'लूम नहीं कि (बेचने के लिये) आप (ﷺ) ने तीसरी बार फ़र्माया था या चौथी मर्तबा।

(दीगर मक़ाम : 2232, 2556, 28

तश्रीह : ज़ाहिरे ह़दीष़ से ये निकलता है कि अगर लौण्डी मुह़सिना हो तो उसको संगसार करें। ह़ालाँकि लौण्डी गुलाम पर बिल्इज्माअ रजम नहीं है क्योंकि ख़ुद क़ुर्आन शरीफ़ में साफ़ हुक्म मौजूद है, **फ़इज़ा उह़्सिन्ना फ़इन् अतैयना बिफ़ाह़िशतिन फ़अलैहिन्ना निस़्फ़ुमा अलल मुह़सनाति मिनल् अ़ज़ाब** (अन निसा : 25) और रजम का निस़्फ़ नहीं हो सकता तो कोड़ों का निस़्फ़ मुराद होगा, या'नी पचास कोड़े मारो। कुछ ने कहा ह़दीष़ का तर्जुमा यूँ है अगर लौण्डी अपने तईं ज़िना से न बचाए और ज़िना कराए। (वह़ीदी)

٦٨- بَابُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

बाब 68 : औरतों से ख़रीद व फ़रोख़्त करना

٢١٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)). [راجع: ٤٥٦]

2155. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमें शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उनसे ड़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने बयान किया और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे (बरीरा रज़ि. के ख़रीदने का) ज़िक्र किया। आपने फ़र्माया तुम ख़रीदकर आज़ाद कर दो। विलाअ तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। फिर आप मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया। लोगों को क्या हो गया है कि (ख़रीद व फ़रोख़्त में) ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी कोई अस़ल किताबुल्लाह में नहीं है। जो शख़्स भी कोई ऐसी शर्त लगाएगा जिसकी अस़ल किताबुल्लाह में न हो वो शर्त बातिल होगी। ख़्वाह सौ शर्तें ही क्यूँ न लगा ले क्योंकि अल्लाह ही की शर्त ह़क़ और मज़बूत है। (और उसी का ए'तिबार है)

(राजेअ़ : 456)

तश्रीह : और ह़दीष़ में जो शर्तें पैग़म्बर (ﷺ) ने बयान फ़र्माई हैं वो भी अल्लाह ही की लगाई हुई हैं क्योंकि जो कुछ ह़दीष़ में है वो भी अल्लाह ही का हुक्म है। ये ख़ुत्बा आप (ﷺ) ने उस वक़्त सुनाया जब बरीरा (रज़ि.) के मालिक ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से ये शर्त लगाते थे कि हम बरीरा को इस शर्त पर बेचते हैं कि उसका तर्का हम लेंगे।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ

2156. हमसे ह़स्सान बिन अबी अ़ब्बाद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, कहा कि मैंने नाफ़ेअ़ से सुना,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ : مَا يُدْرِينِي.

[أطرافه في : ٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٦٧٥٢، ٦٧٥٧، ٦٧٥٩].

वो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत करते थे कि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.), बरीरा (रज़ि.) की (जो बांदी थीं) क़ीमत लगा रही थीं (ताकि उन्हें ख़रीदकर आज़ाद कर दें) कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ के लिये (मस्जिद में) तशरीफ़ ले गए। फिर जब आप तशरीफ़ लाए तो आ़इशा (रज़ि.) ने कहा कि (बरीरा (रज़ि.) के मालिकों ने तो) अपने लिये विलाअ की शर्त़ के बग़ैर उन्हें बेचने से इंकार कर दिया है, उस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि विलाअ तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। मैंने नाफ़ेअ से पूछा कि बरीरा (रज़ि.) के शौहर आज़ाद थे या ग़ुलाम, तो उन्होंने फ़र्माया कि मुझे मा'लूम नहीं। (दीगर मक़ाम : 2169, 2562, 6752, 6757, 6759)

यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है जिससे औ़रतों से ख़रीद व फ़रोख़्त करने का जवाज़ निकला।

तशरीह़ : इन दोनों अह़ादीष़ में ह़ज़रत बरीरा (रज़ि.) की अपने मालिकों से मुकातबत का ज़िक्र है, या'नी ग़ुलाम या लौण्डी अपनी मालिक से त़ै कर ले कि उतनी मुद्दत में वो इस क़दर रुपया या कोई जिंस वग़ैरह अदा करेगा और इस शर्त़ के पूरा करने के बाद वो आज़ाद हो जाएगा। तो अगर वो शर्त़ पूरी करदी गई अब वो आज़ाद हो गया। बरीरा (रज़ि.) ने भी अपने मालिकों से ऐसी ही सूरत में त़ै की थी। जिसका ज़िक्र उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से किया। जिस पर ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने एक मुश्त सारा रुपया अदा करने की पेशकश की। इस शर्त़ पर कि बरीरा (रज़ि.) की विलाअ ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ही से क़ायम हो और मालिकों को उस बारे में कोई मुत़ालबा न रहे। विलाअ के मा'नी ये कि ग़ुलाम आज़ाद होने के बाद भाई चारा का रिश्ता अपने साबिक़ा मालिक से क़ायम रखे। ख़ानदानी त़ौर पर उसी की त़रफ़ मन्सूब रहे। यहाँ तक कि उसके मरने पर उसके तर्का का ह़क़दार भी उसका साबिक़ा मालिक ही हो। चुनाँचे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की पेशकश को उन्हों ने सिलसिले विलाअ के ख़त्म हो जाने के ख़त़रे से मंज़ूर नहीं किया। जिस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने ये ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माकर इस मसले की वज़ाह़त फ़र्माई, कि ये भाईचारगी तो उसके साथ क़ायम रहेगी जो उसे ख़रीद कर आज़ाद करेगा न साबिक़ मालिक के साथ। चुनाँचे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने ह़ज़रत बरीरा (रज़ि.) को ख़रीदा और आज़ाद कर दिया, और सिलसिले विलाअ साबिक़ा मालिक से तोड़कर ह़ज़रत आ़इशा(रज़ि.) के साथ क़ायम कर दिया गया।

इस ह़दीष़ से बहुत से मसाइल ष़ाबित होते हैं। जिनका इस्तिख़राज इमामुल फ़ुक़हा वल मुह़द्दिष़ीन ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ़ अस्सह़ीह़ में जगह जगह किया है।

इमाम शौकानी(रह.) इस सिलसिले में मज़ीद वज़ाह़त यूँ फ़र्माते हैं, **अन्नन नबिय्य (ﷺ) क़द कान आलमुन्नासि अन इश्तिरातल्वलाइ बातिलुन वशतहर ज़ालिक बिहैष़ु ला यख़्फ़ी अ़ला अहलि बरीरा फ़लम्मा अरादू अंय्यशतरितू मा तक़द्दम लहुमुल्इल्मु बिबुतलानिही अत्लकल्अम्र मुरीदन बिही अत्तहदीद कक़ौलिही तआ़ला (इअमलू माशितुम) फ़कअन्नहू क़ाल इश्तरित लहुमुल्वलाअ फ़सयअ़लमून अन्न ज़ालिक ला यन्फ़उहुम व युअय्यिदु हाज़ा मा क़ालहू (ﷺ) ज़ालिक मा बाल रिजालुन यशतरितून शुरूतन** (नैलुल औतार)

या'नी नबी करीम (ﷺ) ख़ूब जानते थे कि विलाअ की शर्त़ बात़िल है। और ये उसूलन इस क़दर मुश्तहर हो चुका था कि अहले बरीरा से भी ये मख़्फ़ी न था। फिर जब उन्होंने इस शर्त़ के बुत्लान को जानने के बावजूद उसकी इश्रात़ पर इस्रार किया तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने तहदीद के त़ौर पर मुत्लक़ अम्र फ़र्मा दिया कि बरीरा को ख़रीद लिया जाए, जैसा कि क़ुर्आनी आयत **इअ़लमू मा शिअतुम** (फ़ुस्सिलत : 40) में है कि तुम अ़मल करो जो चाहो। ये बत़ौरे तहदीद फ़र्माया गया है। गोया

आपने फ़र्माया कि उनके लिये विलाअ की शर्त लगा लो वो अन्क़रीब जान लेंगे कि इस शर्त से उनको कुछ नफ़ा हासिल न होगा और इस मफ़्हूम की ताईद आप (ﷺ) की इस इर्शाद से होती है जो आप (ﷺ) ने फ़र्माया। कि लोगों का क्या हाल है वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह से षाबित नहीं हैं। पस ऐसी जुम्ला शुरूत बातिल हैं, ख़्वाह उनको लगा भी लिया जाए मगर इस्लामी क़ानून की रू से उनका कोई मक़ाम नहीं है।

बाब 67 : क्या कोई शहरी किसी देहाती का सामान किसी उज्रत के बग़ैर बेच सकता है?

٦٧- بَابُ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)). وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.

और क्या उसकी मदद या उसकी ख़ैरख़्वाही कर सकता है? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब कोई शख़्स अपने किसी से ख़ैर–ख़्वाही चाहे तो उससे ख़ैर–ख़्वाहाना मामला करना चाहिये। अ़ता (रह.) ने इसकी इजाज़त दी है।

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) का मत़लब ये है कि ह़दीष़ में जो मुमानअ़त आई है कि बस्ती वाला बाहर वाले का माल न बेचे, इसका मत़लब ये है कि उससे उज्रत लेकर न बेचे। अगर बतौरे इम्दाद और ख़ैर–ख़्वाही के उसका माल बेच दे तो मना नहीं है क्योंकि दूसरी ह़दीष़ों में मुसलमान की इम्दाद और ख़ैर ख़्वाही करने का हुक्म है।

٢١٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).
[راجع: ٥٧]

2157. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे इस्माईल ने, उनसे क़ैस ने, उन्होंने जरीर (रज़ि.) से ये सुना, कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बात की शहादत पर कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। और नमाज़ क़ायम करने और ज़कात देने और (अपने मुक़र्रा अमीर की बात) सुनने और उसकी इताअ़त करने पर और हर मुसलमान के साथ ख़ैर–ख़्वाही करने की बेअ़त की थी।

(राजेअ़ : 57)

ये ह़दीष़ किताबुल ईमान में भी गुज़र चुकी है। यहाँ इमाम बुख़ारी (रह.) ने उससे ये निकाला है कि जब हर मुसलमान की ख़ैर–ख़्वाही का इसमें हुक्म है तो अगर बस्ती वाला बाहर वाले का माल बिला उज्रत बेच दे उसकी ख़ैर–ख़्वाही करे तो ष़वाब होगा न कि गुनाह। अब इस ह़दीष़ की तावील ये होगी कि जिसमें उसकी मुमानअ़त आई है कि मुमानअ़त इस सूरत में है जब उज्रत लेकर ऐसा करे। और बस्ती वालों को नुक़्सान पहुँचाने और अपना फ़ायदा करने की निय्यत हो, ये ज़ाहिर है कि **इन्नमल आमालु बिन्नियात** और अगर मह़ज़ ख़ैर–ख़्वाही के लिये ऐसा हर रहा है तो जाइज़ है।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ

2158. हमसे सुल्त बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे मअ़मर ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन त़ाऊस ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (तिजारती) क़ाफ़िलों से आगे जाकर न मिला करो

(उनको मण्डी में आने दो) और कोई शहरी, किसी देहाती का सामान न बेचे। उन्होंने बयान किया कि इस पर मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से पूछा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के इस इर्शाद का कि कोई शहरी किसी देहाती का माल न बेचे, मत़लब क्या है? तो उन्होंने फ़र्माया कि मत़लब ये है कि उसका दलाल न बने। (दीगर मक़ाम : 2163, 2273)

اللهِ ﷺ: ((لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). قَالَ : فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: ((لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟)) قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

[طرفاه في: ٢١٦٣، ٢٢٧٤].

और इससे दलाली का ह़क़ ठहराकर बस्ती वालों को नुक़्सान न पहुँचाए। अगर ये दलाल न बनता तो शायद ग़रीबों को ग़ल्ला सस्ता मिलता। ह़न्फ़िया ने कहा कि ये ह़दीष़ उस वक़्त की है जब ग़ल्ले का क़हत़ हो। मालिकिया ने कहा आम है। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) से मन्क़ूल है कि मुमानअ़त इस सूरत में है जब पाँच बातें हों। जंगल से कोई बेचने को आए, उस दिन के नर्ख़ पर बेचना चाहे, नर्ख़ उसको मा'लूम न हो, बस्ती वाला क़स्द (इरादा) करके उसके पास जाए, मुसलमानों को उन अस्बाब की ह़ाजत हो, जब ये पाँच बातें पाई जाएँगी तो बेअ़ ह़राम और बात़िल होगी वरना स़ह़ीह़ होगी। (वह़ीदी)

सिम्सार की तशरीह़ में इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **बिसीनैन मुहमलतैन क़ाल फ़िल्फ़त्हि व हुव फ़िल्अस्लि अल्क़य्यिम बिल्अम्रि वल्हाफ़िज़ ष़ुम्म उस्तुअमिल फ़ी मुतवल्लिल्बैइ वश्शराइ लिग़ैरिही** या'नी सम्सारा अस़ल में किसी काम के मुह़ाफ़िज़ और अंजाम देने वाले शख़्स को कहा जाता है और अब ये उसके लिये मुस्तअ़मल है जो ख़रीद व फ़रोख़्त की तौलियत अपने ज़िम्मे लेता है। जिसे आजकल दलाल कहते हैं।

बाब 69 : जिन्होंने उसे मकरूह रखा कि कोई शहरी आदमी, किसी भी देहाती का माल उज्रत लेकर बेचे

٦٩- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

2159. मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन स़ब्बाह़ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अ़ली ह़नफ़ी ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना किया कि कोई शहरी, किसी देहाती का माल बेचे। यही इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने भी कहा है।

٢١٥٩- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का क़ौल ऊपर गुज़रा कि बस्ती वाला बाहर वाले का दलाल न बने। या'नी उज्रत लेकर उसका माल न बिकवाए और बाब का भी यही मत़लब है। इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **वअलम अन्नहू कमा ला यजूज़ु अल्ला यबीअल्हाज़िरू लिलबादी कज़ालिक ला यजूज़ु अंय्यश्तरिय लहू अल्ख़** या'नी जैसे कि शहरी के लिये देहाती का माल बेचना मना है उसी त़रह़ ये भी मना है कि कोई शहरी किसी देहाती के लिये कोई माल उसकी इत्तिला और पसन्द के बग़ैर ख़रीदे; ये तमाम अहकामात दरहक़ीक़त इसीलिये है कि कोई शहरी किसी भी सूरत में किसी देहाती से नाजाइज़ फ़ायदा न उठाए।

बाब 70 : इस बयान में कि कोई बस्ती वाला बाहर वाले के लिये दलाली करके मोल न ले

٧٠- بَابُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ ،

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُوْلُ بِعْ لِيْ ثَوْبًا ، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.

और इब्ने सीरीन और इब्राहीम नख़ई (रह.) ने बेचने और ख़रीदने वाले दोनों के लिये उसे मकरूह क़रार दिया है। और इब्राहीम नख़ई (रह.) ने कहा कि अ़रब कहते हैं बअ़ ली ष़ौबा या'नी कपड़ा ख़रीद ले।

मतलब ये है कि ह़दीष़ में जो **ला यबीउ हाजिरुल लिबादिन** है, ये बेअ़ और शराअ दोनों को शामिल है। जैसे शराअ बाअ़ के मा'नी में आता है। क़ुर्आन में है **व शरौहू बिष़मनिम बख़्सिन दराहिम यानी बाऊ** ऐसा ही बाअ़ भी शरा के मा'नों में आता है और दोनों सूरतें मना हैं।

٢١٦٠- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

[راجع: ٢١٤٠]

2160. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि मुझे इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सईद बिन मुसय्यिब ने, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कि कोई शख़्स अपने किसी भाई के मौल पर मौल न करे। और कोई नज्श न करे, और न कोई शहरी, किसी देहाती के लिये बेचे या मोल ले।

(राजेअ़ : 2140)

तश्रीह : इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व क़द अख़्रज अबू अवाना फ़ी स़ह़ीहिही अनिब्नि सीरीन क़ाल लकीतु अनसब्नि मालिक फ़क़ुल्तु ला यबीउ हाज़िरून लिबादिन अ नुहैतुम तबीऊ औ तब्ताऊ लहुम क़ाल नअ़म अल्ख़** या'नी इब्ने सीरीन ने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, क्या वाक़िई कोई शहरी किसी देहाती के लिये न कुछ माल बेचे न ख़रीदे, उन्होंने इष्बात में जवाब दिया। और उसकी ताईद उस ह़दीष़े नबवी से भी होती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **दअ़वुन्नास यरज़ुक़ुल्लाहु बअ़ ज़ुहुम मिम्बअ़ज़ि** या'नी लोगों को उनके ह़ाल पर छोड़ दो, अल्लाह उनके बाज़ को बाज़ के ज़रिये से रोज़ी देता है।

٢١٦١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

2161. हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे मुआ़ज़ बिन मुआ़ज़ ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन औन ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि हमें उससे रोका गया कि कोई शहरी किसी देहाती का माले तिजारत बेचे।

٧١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ

बाब 71 : पहले से आगे जाकर क़ाफ़िले वालों से मिलने की मुमानअ़त और ये बेअ़ रद्द कर दी जाती है

لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوْزُ

क्योंकि ऐसा करने वाला जान-बूझकर गुनाहगार व ख़त़ाकार है और ये एक क़िस्म का फ़रेब है जो जाइज़ नहीं।

तश्रीह : जब कहीं बाहर से ग़ल्ला (अनाज) की रसद आती है तो कुछ बस्ती वाले ये करते हैं कि एक दो कोस बस्ती से आगे निकलकर राह में उन व्यापारियों से मिलते हैं और उनको दग़ा और धोखा देकर बस्ती का नर्ख़ उतरा हुआ बयान करके उनका माल ख़रीद लेते हैं। जब वो बस्ती में आते हैं तो वहाँ का नर्ख़ ज़्यादा पाते हैं और उनको चकमा दिया गया

है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक ऐसी सूरत में बेअ बातिल और लग़्व है। कुछ ने कहा ऐसा करना हराम है लेकिन बेअ सहीह हो जाएगी। और उनको इख़्तियार होगा कि बस्ती में आकर वहाँ का नर्ख़ देखकर उस बेअ को क़ायम रखें या तोड़ दें। हन्फ़िया ने कहा है कि अगर क़ाफ़िला वालों से आगे जाकर मिलना बस्ती वालों को नुक़्सान का बाइ़िष हो तब मकरूह है वरना नहीं।

2162. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने (तिजारती क़ाफ़िलों से) आगे बढ़कर मिलने से मना फ़र्माया है। और बस्ती वालों को बाहर वालों का माल बेचने से भी मना फ़र्माया है।
(राजेअ : 2140)

٢١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). [راجع: ٢١٤٠]

2163. मुझसे अ़य्याश बिन अ़ब्दुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल आ़ला ने बयान किया, कहा कि हमसे मअ़मर ने बयान किया, उनसे इब्ने ताऊस ने, उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से पूछा कि आँहज़रत (ﷺ) के इस इर्शाद का मत़लब क्या है कि कोई शहरी किसी देहाती का माल न बेचे? तो उन्होंने कहा कि मत़लब ये है कि उसका दलाल न बने। (राजेअ : 2158)

٢١٦٣- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لاَ يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا)). [راجع: ٢١٥٨]

2164. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरेअ ने बयान किया, कहा कि हमसे तैमी ने बयान किया, उनसे अबू उ़ष्मान ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने बयान किया कि जो कोई दूध जमा की हुई बकरी ख़रीदे (वो बकरी फेर दे) और उसके साथ एक स़ाअ दे दे। और आँहज़रत (ﷺ) ने क़ाफ़िले से आगे बढ़कर मिलने से मना फ़र्माया। (राजेअ : 2149)

٢١٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ)). [راجع: ٢١٤٩]

2165. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई शख़्स किसी दूसरे की बेअ पर बेअ न करे। और जो माल बाहर से आ रहा हो उससे आगे जाकर न मिले जब तक वो बाज़ार में न आए।
(राजेअ : 2139)

٢١٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ)). [راجع: ٢١٣٩]

तश्रीह : बेअ़ पर बेअ़ का मतलब ज़ाहिर है कि एक शख़्स किसी मुसलमान भाई की दुकान से कोई माल ख़रीद रहा है हमने उसे जाकर बहकाना शुरू कर दिया कि आप यहाँ से माल न लीजिए हम आपको और भी सस्ता दिलाएँगे। इस क़िस्म की बातें करना भी हराम हैं। ऐसे ही कहीं जाकर भाव चढ़ा देना महज़ ख़रीददार को नुक़्सान पहुँचाने के लिये। हालाँकि ख़ुद ख़रीदने की निय्यत भी नहीं है। ये सब मकर व फ़रेब और दूसरों को नुक़्सान पहुँचान की सूरतें हैं जो सब हराम और नाजाइज़ हैं।

बाब 72 : क़ाफ़ले से कितनी दूर आगे जाकर मिलना मना है

٧٢- بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي

इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद इस बाब से ये है कि उसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं। अगर बाज़ार में आने से एक क़दम भी आगे जाकर मिला तो उसने हराम काम किया।

٢١٦٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سوقَ الطَّعَامِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللهِ.
[راجع: ٢١٢٣]

2166. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे जुवेरिया ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि हम आगे क़ाफ़िलों के पास ख़ुद ही पहुँच जाया करते थे और (शहर में पहुँचने से पहले ही) उनसे ग़ल्ला ख़रीद लिया करते। लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने हमे इस बात से मना किया कि हम उस माल को उसी जगह बेचें जब तक अनाज के बाज़ार में न लाएँ। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का ये मिलना बाज़ार के बुलन्द किनारे पर था। (जिधर से सौदागर आया करते) और ये बात उ़बैदुल्लाह की हदीष़ से निकलती है। (जो आगे आती है) (राजेअ़ : 2123)

तश्रीह : या'नी इस रिवायत में जो मज़्कूर है कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) क़ाफ़िला वालों से आगे जाकर मिलते उससे ये मुराद नहीं है कि बस्ती से निकलकर ये तो हराम और मना था। बल्कि अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का मतलब ये है कि बाज़ार में आ जाने के बाद उसके किनारे पर हम उनसे मिलते। क्योंकि इस रिवायत में इस अम्र की मुमानअ़त है कि ग़ल्ला को जहाँ ख़रीदो वहाँ बेचा और उसकी मुमानअ़त इस रिवायत में नहीं है कि क़ाफ़िल वालों से आगे बढ़कर मिलना मना है। ऐसी हालत में ये रिवायत उन लोगों के लिये दलील नहीं हो सकती जिन्होंने क़ाफ़िले वालों से आगे बढ़कर मिलना दुरुस्त रखा है।

٢١٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيْعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ)).
[راجع: ٢١٢٣]

2167. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह ने, कहा कि मुझसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि लोग बाज़ार की बुलन्द जानिब जाकर ग़ल्ला ख़रीदते और वहीं बेचने लगते। इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे मना फ़र्माया कि ग़ल्ला वहाँ न बेचें जब तक उसको उठाकर दूसरी जगह न ले जाएँ।
(राजेअ़ : 2123)

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि जब क़ाफ़िले बाज़ार में आ जाए तो उससे आगे बढ़कर मिलना दुरुस्त है। कुछ ने कहा कि बस्ती

की हद तक आगे बढ़ सकते हैं। बस्ती के बाहर जाकर मिलना दुरुस्त नहीं है। मालिकिया ने कहा कि उसमें इख़्तिलाफ़ है, कोई कहता है एक मील से कम आगे बढ़कर मिलना दुरुस्त है। कोई कहता है छः मील से कम पर, कोई कहता है दो दिन की राह से कम पर।

बाब 73 : अगर किसी ने बेअ में नाजाइज़ शर्तें लगाईं (तो उसका क्या हुक्म है)

٧٣- بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوْطًا فِي الْبَيْعِ لاَ تَحِلُ

2168. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उ़र्वा ने, उन्हें उनके बाप उ़र्वा ने, और उनसे हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे पास बरीरा (रज़ि.) (जो उस वक़्त तक बांदी थीं) आईं और कहने लगीं कि मैंने अपने मालिकों से नौ औक़िया चाँदी पर मुकातबत कर ली है। शर्त ये हुई है कि हर साल एक औक़िया चाँदी उन्हें दिया करूँ। अब आप भी मेरी कुछ मदद कीजिए। इस पर मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे मालिक ये पसन्द करें कि एक साथ उनका सब रुपया मैं उनके लिये (अभी) मुहय्या कर दूँ और तुम्हारा तर्का मेरे लिये हो तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बरीरा (रज़ि.) अपने मालिकों के पास गईं। और आ़इशा (रज़ि.) की तजवीज़ उनके सामने रखी। लेकिन उन्होंने उससे इंकार कर दिया, फिर बरीरा (रज़ि.) उनके यहाँ वापस आईं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) (आइशा रज़ि. के यहाँ) बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपकी सूरत उनके सामने रखी थी मगर वो नहीं मानते बल्कि कहते हैं कि तर्का तो हमारा ही रहेगा। आँहज़रत (ﷺ) ने ये बात सुनी और आयशा (रज़ि.) ने भी आपको हक़ीक़ते हाल ख़बर की। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि बरीरा (रज़ि.) को तुम ले लो और उन्हें तर्का की शर्त लगाने दो। तर्का तो उसी का होता है जो आज़ाद करे। आ़इशा (रज़ि.) ने ऐसा ही किया। फिर नबी करीम (ﷺ) उठकर लोगों के मज्मअ़ में तशरीफ़ ले गए। और अल्लाह की हम्दोसना के बाद फ़र्माया, कि अम्माबअ़द! कुछ लोगों को क्या हो गया है। कि वो (ख़रीद व फ़रोख़्त में) ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी किताबुल्लाह में कोई अस़ल नहीं है। जो कोई शर्त ऐसी लगाई जाए जिसकी अस़ल किताबुल्लाह में न हो वो बातिल होगी। ख़्वाह ऐसी सौ शर्तें कोई क्यूँ न लगा लें। अल्लाह तआ़ला का हुक्म सब पर मुक़द्दम है और अल्लाह की शर्त बहुत मज़्बूत है और वलाअ तो उसी की होती है

٢١٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِيْنِيْنِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

[راجع: ٤٥٦]

जो आज़ाद करे।

2169. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने चाहा कि एक बांदी को ख़रीदकर आज़ाद कर दें, लेकिन उनके मालिकों ने कहा कि हम उन्हें इस शर्त पर आपको बेच सकते हैं कि उनकी वलाअ हमारे साथ रहे। इसका जिक्र जब आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने किया तो आपने फ़र्माया, कि इस शर्त की वजह से तुम क़त्अन न रुको वलाअ तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। (राजेअ : 2156)

٢١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [راجع: ٢١٥٦]

बाब 74 : खजूर को खजूर के बदले में बेचना

٧٤- بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

2170. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे मालिक बिन औस ने, उन्होंने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से सुना, कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, गेहूँ को गेहूँ के बदले में बेचना सूद है, लेकिन ये कि सौदा हाथों–हाथ हो। जौ को जौ के बदले में बेचना सूद है, लेकिन ये कि सौदा हाथों–हाथ हो। और खजूर को खजूर के बदले में बेचना सूद है, लेकिन ये कि सौदा हाथों–हाथ, नक़्दा नक़्द हो। (राजेअ : 2134)

٢١٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوسٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)). [راجع: ٢١٣٤]

तश्रीह : मुस्लिम की रिवायत में इतना ज़्यादा है और नमक बेचना, नमक के बदले ब्याज है मगर हाथो–हाथ। बहरहाल जब उनमें से कोई चीज़ अपनी जिंस के बदल बेची जाए तो ये ज़रूरी है कि दोनों नाप तौल में बराबर हों, नक़्दा नक़्द हों।

बाब 75 : मुनक़्क़ा को मुनक़्क़ा के बदल और अनाज को अनाज के बदल बेचना

٧٥- بَابُ بَيْعِ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

2171. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़र्माया, मुज़ाबना ये कि दरख़्त पर लगी हुई खजूर, ख़ुश्क खजूर के बदल माप करके बेची जाए। इसी तरह बेल पर लगे हुए अंगूर को मुनक़्क़ा के बदले बेचना।

٢١٧١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً)).

(दीगर मक़ाम : 2172, 2175, 2205)

[أطرافه في : ٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥]

तश्रीह : या' नी वो खजूर जो अभी दरख़्त से न उतरी हो, उसी तरह वो अंगूर जो अभी बेल से न तोड़ेगए हों उसका अंदाज़ा करके ख़ुश्क खजूर या मुनक़्क़ा के बदल बेचना दुरुस्त नहीं क्योंकि उसमें कमी बेशी का एहतिमाल है।

2172. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना किया। उन्होंने बयान किया कि मुज़ाबना ये है कि कोई शख़्स दरख़्त पर की खजूर सूखी खजूरों के बदल माप तौलकर बेचे। और ख़रीददार कहे अगर दरख़्त का फल उस सूखे फल से ज़्यादा निकले तो उसका है। और कम निकले तो वो नुक़्सान भर देगा। (राजेअ : 2171)

٢١٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ . قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ)). [راجع: ٢١٧١]

2173. अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया, कि मुझसे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने बयान किया, कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे अराया की इजाज़त दे दी थी जो अंदाज़े ही से बेअ की एक सूरत है। (दीगर मक़ाम : 2184, 2188, 2192)

٢١٧٣- قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا)).

[أطرافه في: ٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢،

तश्रीह : अराया भी मुज़ाबना ही की एक क़िस्म है। मगर आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी ख़ास तौर से इजाज़त दी बवजह ज़रूरत के। वो ज़रूरत ये थी कि लोग ख़ैरात के तौर पर एक दरख़्त का मेवा किसी मुहताज को दिया करते थे। फिर उसका बाग़ में घड़ी–घड़ी आना मालिक को नागवार होता। तो उस मेवे का अंदाज़ा करके उतनी ख़ुश्क मेवे के बदल वो दरख़्त उस फ़क़ीर से ख़रीद लेते।

बाब 76 : जौ के बदले जौ की बेअ करना

٧٦- بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ

2174. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, और उन्हें मालिक बिन औस (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्हें सौ अशरफ़ियाँ बदलनी थीं। (उन्होंने बयान किया कि) फिर मुझे तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि.) ने बुलाया। और हमने (अपने मामले की) बातचीत की, और उनसे मेरा मामला तै हो गया। वो सोने (अशरफ़ियों) को अपने हाथ में लेकर उलटने–पलटने लगे और कहने लगे कि ज़रा मेरे ख़ज़ान्ची को ग़ाबा से आने दो। उमर (रज़ि.) भी हमारी बातें सुन रहे थे आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! जब तक तुम तलहा से रुपया ले न लो, उनसे जुदा न होना क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि सोना, सोने

٢١٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ. فَقَالَ: وَاللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا

إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)). [راجع: ٢١٣٤]

के बदले में अगर नक़्द न हो तो सूद हो जाता है। गेहूँ, गेहूँ के बदले में अगर नक़्द न हो तो सूद हो जाता है। जौ, जौ के बदले में अगर नक़्द न हो तो सूद हो जाता है और खजूर, खजूर के बदले में नक़्द न हो तो सूद हो जाती है। (राजेअ : 2134)

तश्रीह : लफ़्ज़ हा व हा की लग़्वी तह़क़ीक़ अल्लामा शौकानी (रह.) यूँ फ़र्माते हैं, **(हा व हा) बिल्मद्दि फ़ीहिमा व फ़त्हुल्हम्ज़ति व क़ील बिल्कस्रि व क़ील बिस्सुकूनि वल्मअ़ना ख़ुज़ व हाति व युक़ालु हा बिकस्रिल्हम्ज़ति बिमअ़ना हाति व बिफ़त्हिहा बिमअ़ना ख़ुज़ व क़ाल इब्नुल अष़ीर हा व हा हुव अंय्यकूलु कुल्लु वाहिदिम्मिनल बैएनि हा फ़युअतीहि मा फ़ी यदिही व क़ालल्ख़लील हा कलिमतुन तुस्तअ़मलु इन्दल्मुनावलति वल्मक़्सूदु मिन क़ौलिही हा व हा अंय्यकूल कुल्लु वाहिदिम्मिनल मुतआक़िदैनि लिस़ाहिबिही हा फ़यतक़ाबिज़ानी फ़िल्मज्लिसि** (नैलुल औतार) ख़ुलासा मतलब ये कि लफ़्ज़ हा मद के साथ और हम्ज़ा के फ़तह और कसरा दोनों के साथ मुस्तअ़मल हैं कुछ लोगों ने उसे साकिन भी कहा है। उसके मा'नी ख़ज़ (ले ले) और हाति (या'नी ला) के हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि हाअ हम्ज़ा के कसरा के साथ हात (ला) के मा'नी में है और फ़तह़ के साथ ख़ज़ (पकड़) के मा'नी में है। इब्ने अष़ीर ने कहा कि हाअ व हाअ कि ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले दोनों एक–दूसरे को देते हैं। ख़रीददार रुपये देता है और ताजिर माल अदा करता है इसलिये उसका तर्जुमा हाथों–हाथ किया गया, गोया एक ही मज्लिस में इन दोनों का क़ब्ज़ा हो जाता है।

٧٧- بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

बाब 77 : सोने को सोने के बदले में बेचना

٢١٧٥- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ)). [طرفه في: ٢١٨٢].

2175. हमसे स़दक़ा बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इस्माईल बिन अ़लिया ने ख़बर दी, कहा कि मुझे यह़्या बिन अबी इस्ह़ाक़ ने ख़बर दी, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन अबी बकरह ने बयान किया, उनसे अबू बक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सोना, सोने के बदले में उस वक़्त तक न बेचो जब तक (दोनों त़रफ़ से) बराबर बराबर (की लेन देन) न हो। इसी त़रह़ चाँदी, चाँदी के बदले में उस वक़्त तक न बेचो जब तक (दोनों त़रफ़ से) बराबर बराबर न हो। अल्बत्ता सोना, चाँदी के बदल और चाँदी सोने के बदल जिस तरह़ चाहो बेचो। (दीगर मक़ाम : 2182)

या'नी उसमें कमी–बेशी दुरुस्त है मगर हाथों –हाथ की शर्त उसमें भी है एक त़रफ़ नक़्द दूसरी त़रफ़ उधार दुरुस्त नहीं। और सोने चाँदी से आ़म मुराद है मस्कूक हो या ग़ैर–मस्कूक। (मस्कूक उस सिक्के को कहते हैं जो टकसाल में ढला हुआ हो और उस पर ठप्पा लगा हुआ हो)

٧٨- بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

बाब 78 : चाँदी को चाँदी के बदले में बेचना

٢١٧٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

2176. हमसे उ़बैदुल्लाह बिन सअ़द ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे चचा ने बयान किया, कहा हमसे ज़ुहरी के भतीजे ने बयान किया, उनसे उनके चचा ने बयान किया कि मुझसे सालिम

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ)).

[طرفاه في : ۲۱۷۷، ۲۱۷۸].

बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने उसी त़रह एक ह़दीष़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के ह़वाले से बयान की (जैसे अबू बक्र रज़ि. या ह़ज़रत उ़मर रज़ि. से गुज़री) फिर एक बार अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की उनसे मुलाक़ात हुई तो उन्होंने पूछा, ऐ अबू सईद! आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये कौनसी ह़दीष़ बयान करते हैं? अबू सईद (रज़ि.) से मुता'ल्लिक़ है। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान सुना था कि सोना सोने के बदले में बराबर बराबर ही बेचा जा सकता है और चाँदी चाँदी के बदले में बराबर बराबर ही बेची जा सकती है। (दीगर मक़ाम : 2177, 2178)

٢١٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)). [راجع: ۲۱۷٦]

2177. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सोना, सोने के बदले में उस वक़्त न बेचो जब तक दोनों त़रफ़ से बराबर–बराबर न हो, दोनों त़रफ़ से किसी कमी या ज़्यादती को रवा न रखो, चाँदी को चाँदी के बदले में उस वक़्त तक न बेचो जब तक दोनों त़रफ़ से बराबर बराबर न हो। दोनों त़रफ़ से किसी कमी या ज़्यादती को रवा न रखो। और न उधार को नक़द के बदले में बेचो। (राजेअ़ : 2176)

तश्रीह : इस ह़दीष़ में ह़ज़रत इमाम शाफ़िई की हुज्जत है कि अगर एक शख़्स के दूसरे पर दिरहम क़र्ज़ हो और उसके उस पर दीनार क़र्ज़ हो, तो उनकी बेअ़ जाइज़ नहीं, क्योंकि ये बेअ़ **अल् कालिई बिल् कालिई** है या'नी उधार को उधार के बदले बेचना। और एक ह़दीष़ में स़राह़तन इसकी मुमानअ़त वारिद है और अस्ह़ाबे सुनन ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से निकाला कि मैं बक़ीअ़ में ऊँट बेचा करता था तो दीनारों के बदल बेचता और दिरहम लेता, और दिरहम के बदल बेचता और दीनार ले लेता। मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) से इस मसले को पूछा, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसमें कोई क़बाह़त नहीं है बशर्ते कि उसी दिन के नर्ख़ से ले और एक–दूसरे से बग़ैर लिये जुदा न हो।

बाब 79 : अशरफ़ी, अशरफ़ी के बदले उधार बेचना

٧٩- بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً

٢١٧٨، ٢١٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

2178,79. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़िह़ाक बिन मुख़्लद ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, कहा कि मुझे अ़म्र बिन दीनार ने ख़बर दी, उन्हें अबू स़ालेह़ ज़य्यात ने ख़बर दी, और उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को ये कहते सुना कि दीनार, दीनार के बदले में

سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: ((الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُوْلُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُوْلُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيْئَةِ)). [راجع: ٢١٧٦]

और दिरहम, दिरहम के बदले में (बेचा जा सकता है) इस पर मैंने उनसे कहा कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) तो उसकी इजाज़त नहीं देते। अबू सईद (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से उसके बारे में पूछा कि आपने ये नबी करीम (ﷺ) से सुना था या किताबुल्लाह में आपने उसे पाया है? उन्होंने कहा कि उनमें से किसी बात का मैं दावेदार नहीं हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) (की अहादीष़) को आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अल्बत्ता मुझे उसामा (रज़ि.) ने ख़बर दी थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया (कि मज़्कूरा सूरतों में) सूद सिर्फ़ उधार की सूरत में होता है।

(राजेअ़ : 2176)

तश्रीह : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का मज़हब ये है कि ब्याज इस सूरत में होता है जब एक त़रफ़ उधार हो। अगर नक़द एक दिरहम दो दिरहम के बदले में बेचे तो ये दुरुस्त है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की दलील वो ह़दीष़ है **ला रिबा फिन्नसीअति** ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के उस फ़त्वे पर जब ए'तिराज़ात हुए तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह की किताब में मैंने ये मसला पाया है, न ये कहता हूँ कि आँह़ज़रत (ﷺ) से सुना है क्योंकि मैं उस ज़माने में बच्चा था और तुम जवान थे। रात दिन आपकी सुह़बते बाबरकत में रहा करते थे।

क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के फ़त्वे के ख़िलाफ़ अब इज्माअ़ हो गया है। कुछ ने कहा कि ये मह़मूल है इस पर जब जिंस मुख़्तलिफ़ हों। जैसे एक त़रफ़ चाँदी दूसरी त़रफ़ सोना, या एक त़रफ़ गेहूँ और दूसरी तरफ़ जौ हो ऐसी ह़ालत में कमी बेशी दुरुस्त है। कुछ ने कहा ह़दीष़ **ला रिबा इल्ला फिन्नसीअति** मन्सूख़ है मगर सिर्फ़ एह़तिमाल से नस्ख़ ष़ाबित नहीं हो सकता। स़ह़ीह़ मुस्लिम में इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नहीं है ब्याज उस बेअ़ में जो हाथों—हाथ हो। कुछ ने ये भी कहा है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने इस क़ौल से रुजूअ़ कर लिया था।

इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व क़द रवल्हाज़मी रजूउ इब्नि अ़ब्बासिन व इस्तिग़्फ़ारूहू इन्द अन्न समिअ़ उमरब्नल्ख़त्ताबि व इब्नुहू अ़ब्दुल्लाह युहद्दिषानि अन रसूलिल्लाहि (ﷺ) बिमा यदुल्लु अ़ला तहरीमिन व बिल्फ़ज़्लि व क़ाल हफ़िज़्तुम मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) मा लम अहफ़ज़ रवा अन्हुल्हाज़मी अयज़न अन्नहू क़ाल कान ज़ालिक बिराई व हाज़ा अबू सईद अल्ख़ुदरी युहद्दिषुनी अ़न रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़तरक्तु अय इला ह़दीषि रसूलिल्लाहि (ﷺ) अल्ख़**

या'नी ह़ाज़िमी ने ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का उससे रुजूअ़ और इस्तिग़्फ़ार नक़ल किया है जब उन्होंने ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) और उनके बेटे से इस बेअ़ की हुर्मत में फ़र्माने रिसालत सुना तो अफ़सोस के त़ौर पर कहा कि आप लोगों ने फ़र्माने रिसालत याद रखा, लेकिन अफ़सोस कि मैं याद न रख सका। और बरिवायत ह़ाज़मी उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कहा था वो सिर्फ़ मेरी राय थी, और मैंने ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से ह़दीषे नबवी सुनकर अपनी राय को छोड़ दिया।

दयानतदारी का तक़ाज़ा भी यही है कि जब क़ुर्आन या ह़दीष़ के नुसूसे स़रीह़ा सामने आ जाएँ तो किसी भी राय और क़यास को हुज्जत न समझा जाए। और किताब व सुन्नत को मुक़द्दम रखा जाए यहाँ तक कि जलीलुल क़द्र अइम्म-ए-दीन की आराअ भी नसूसे स़रीह़ा के ख़िलाफ़ नज़र आएं तो निहायत ही अदब व एहतिराम के साथ आराअ के मुक़ाबले पर किताब व सुन्नत को जगह दी जाए।

अइम्मा–ए–इस्लाम हज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा व इमाम शाफ़िई व इमाम मालिक व इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) सबका यही इर्शाद है कि हमारे फ़तावा को किताब व सुन्नत पर पेश करो, जब मुवाफ़िक़ हों कुबूल करो, अगर ख़िलाफ़े नज़र आएँ तो किताब व सुन्नत को मुक़द्दम रखो।

इमामुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुह़द्दिष़ देहलवी (रह.) ने अपनी जलीलुल क़द्र किताब हुज्जतिल्लाहिल बालिग़ा में ऐसे इर्शादाते अइम्मा को कई जगह नक़ल फ़र्माया है मगर स़द अफ़सोस कि उम्मत का कष़ीर त़ब्क़ा वो है जो अपने अपने ह़ल्क़–ए– इरादत में जमूद (जड़त्व, ठहराव) की सख़्ती से शिकार है और वो अपने अपने मज़्ऊम मसलक के ख़िलाफ़ कुर्आन मजीद की किसी आयत या किसी भी सरीह़ ह़दीष़े नबवी को मानने के लिये तैयार नहीं। हज़रत ह़ाली मरहूम ने ऐसे ही लोगों के ह़क़ में फ़र्माया है :–

सदा अहले तह़क़ीक़ से दिल में बल है
ह़दीष़ों पे चलने में दीं का ख़लल है
फ़तावों पे बिलकुल मदारे अ़मल है
हर इक राय कुर्आन का नेअ़मुल बदल है
न ईमान बाक़ी न इस्लाम बाक़ी
फ़क़त़ रह गया नामे इस्लाम बाक़ी।

बाब 80 : चाँदी को सोने के बदले उधार बेचना

٨٠- بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

2180,81. हमसे ह़फ़्स़ बिन उ़मर ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे ह़बीब बिन अबी ष़ाबित ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अबुल मिन्हाल से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने बरा बिन आ़ज़िब और ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) से बेअ़े स़रिफ़ के बारे में पूछा, तो उन दोनों हज़रात ने एक–दूसरे के बारे में फ़र्माया कि ये मुझसे बेहतर हैं। आख़िर दोनों हज़रात ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने को चाँदी के ब दले में उधार की स़ूरत में बेचने से मना किया है।

(राजेअ़ : 2060, 2061)

٢١٨٠، ٢١٨١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي ، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا)).

[راجع: ٢٠٦٠، ٢٠٦١]

तश्रीह़ : अगर अस्बाब की बेअ़ अस्बाब के साथ हो तो उसको मुक़ायज़ा कहते हैं। अगर अस्बाब की नक़द के साथ हो तो नक़द को ष़मन और अस्बाब को अ़र्ज़ कहेंगे। अगर नक़द की नक़द के साथ हो मगर हम जिंस हो या'नी सोने को सोने के साथ बदले या चाँदी को चाँदी के साथ तो उसको मुरात़ला कहते हैं। अगर जिंस का इख़्तिलाफ़ हो जैसे चाँदी सोने के बदल या बिल अ़क्स तो उसको स़र्फ़ कहते हैं। स़र्फ़ में कमी बेशी दुरुस्त है मगर हुलूल या'नी हाथों हाथ लेन–देन ज़रूरी और लाज़िम है और क़ब्ज़ में देर करनी दुरुस्त नहीं। और मुरात़ला में तो बराबर बराबर और हाथों हाथ दोनों बातें ज़रूरी हैं। अगर षमन और अ़र्ज़ की बेअ़ हो तो ष़मन या अ़र्ज़ के लिये मीआ़द करना दुरुस्त है। अगर ष़मन में मीआ़द हो तो वो क़र्ज़ है

अगर अ़र्ज़ में मीआ़द हो तो वो सलम है ये दोनों दुरुस्त हैं। अगर दोनों में मीआ़द हो तो वो बेअ़ुल कालई है जो दुरुस्त नहीं। (वह़ीदी)

बाब 81 : सोना, चाँदी के बदले नक़द हाथों– हाथ बेचना दुरुस्त है

٨١- بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

2182. हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्बाद बिन अ़वाम ने, कहा कि हमको यह़्या बिन अबी इस्ह़ाक़ ने ख़बर दी, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने बयान किया, और उनसे उनके बाप ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने चाँदी, चाँदी के बदले में और सोना, सोने के बदले में बेचने से मना किया है। मगर ये कि बराबर बराबर हो। अल्बत्ता हम सोना, चाँदी के बदले में जिस तरह चाहें ख़रीदें। इसी तरह चाँदी सोने के बदले में जिस तरह चाहें ख़रीदें। (राजेअ़ : 2175)

٢١٨٢- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا)). [راجع: ٢١٧٥]

इस ह़दीष़ में हाथों–हाथ की क़ैद नहीं है मगर मुस्लिम की दूसरी रिवायत से षाबित होता है कि हाथों–हाथ या'नी नक़दा नक़द होना उसमें भी शर्त है। और बेअ़े स़रिफ़ में क़ब्ज़ा शर्त होने पर उ़लमा का इत्तिफ़ाक़ है। इख़्तिलाफ़ इसमें है कि जब जिंस एक हो तो कमी–बेशी दुरुस्त है या नहीं, जुम्हूर का क़ौल यही है कि दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम।

बाब 82 : बेअ़े मुज़ाबना के बयान में

٨٢- بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالثَّمَرِ

और ये ख़ुश्क खजूर की बेअ़ दरख़्त पर लगी हुई खजूर के बदले और ख़ुश्क अंगूर की बेअ़ ताज़ा अंगूर के बदले में होती है और बेअ़ अ़राया का बयान। अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने मुज़ाबना और मुह़ाक़ला से मना फ़र्माया है।

وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا
قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

तश्रीह : इसको खुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने आगे चलकर वस़्ल किया है, मुज़ाबना के मा'नी तो मा'लूम हो चुके। मुह़ाक़ला ये है कि अभी गेहूँ खेत में हो, बालियों में उसका अंदाज़ा करके उसको उतरे हुए गेहूँ के बदले में बेचे। ये भी मना है। मुह़ाक़ला की तफ़्सीर में इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **क़द उख़्तुलिफ़ फ़ी तफ़्सीरिहा फ़मिन्हुम मन फ़स्सरहा फ़िल्हदीषि फ़क़ाल हिय बैउल्हक़्लि बैकैलिम्मिनत्तआमि व क़ाल अबू उ़बैद हिय बैउत्तआमि फ़ी सुम्बुलिही वल्हक़्लु अल्हर्षु व मौज़उज्ज़रइ** या'नी मुह़ाक़ला की तफ़्सीर में इख़्तिलाफ़ किया गया है। कुछ लोगों ने उसकी तफ़्सीर उस खेत से की है जिसकी खड़ी खेती को अंदाज़न मुक़र्ररा मिक़्दार के ग़ल्ले से बेच दिया जाए। अबू उ़बैद ने कहा वो ग़ल्ला को उसकी बालियों में बेचना है। और ह़क़्ल का मा'नी खेती और मक़ामे ज़राअ़त के हैं। ये बेअ़ मुह़ाक़ला है जिसे शरअ़े मुह़म्मदी में मना क़रार दिया गया है क्योंकि इसमें जानिबीन (पक्षकारों) को नफ़ा व नुक़्सान का एह़तिमाल क़वी है।

मुज़ाबना की तफ़्सीर में हज़रत इमाम मज़्कूर फ़र्माते हैं, **वल्मुज़ाबनतु बिज़्ज़ाइ वल्मूहदति वन्नूनि क़ाल फ़िल्फ़त्हि हिय मुफ़ाअलतुम्मिनज़्ज़बनि बिफ़त्हिज़्ज़ाइ व सुकूनि मुहदति व हुवद्दफ़उश्शदीदु व मिन्हु सुम्मियतिल्हर्बु अज़्ज़बूनु लिशिद्दतिद्दफ़इ फ़ीहा व क़ील लिल्बैइल्मख़्सूसि मुज़ाबनतुन कान कुल्लु वाहिदिम्मिनल मुताबायऐनि यदफ़उ साहिबहू अन हक़्क़िही औ लिअन्न अहदहुमा इज़ा वक़फ़ मा फ़ीहि मिनल्ग़बनि अराद दफ़अल्बैइ लिफ़स्ख़िही व अरादल्आख़रु दफ़अहू अन हाज़िहिल्इरादति बिइम्ज़ाइल्बैइ व क़द फ़स्सर्तु बिमा फ़िल्हदीषि आनी बैअन्नख़्लि बिऔसाक़िम्मिनत्तमरि व फ़स्सर्तु बिहाज़ा व बिबैइल्ऐनबि बिज़्ज़बीबि कमा फ़िस्सहीहैनि** (नैलुल औतार) मुज़ाबना, ज़ब्न से बाब मफ़ाइला का मस्दर है। जिसके मा'नी रफ़्अ शदीद के हैं। इसीलिये लड़ाई का नाम भी ज़बून रखा गया क्योंकि उसमें शिद्दत से मुदाफ़िअत की जाती है और ये भी कहा गया है कि बेअ मख़्सूस का नाम मज़ाबना है। गोया देने वाला और लेने वाला दोनों में से हर शख़्स एक-दूसरे को उसके हक़ से महरूम रखने की शिद्दत से कोशिश करते हैं या ये मा'नी कि उन दोनों में से जब एक उस सौदे में ग़बन से वाक़िफ़ होता है तो वो उस बेअ को फ़स्ख़ करने की कोशिश करता है। और दूसरा बेअ का निफ़ाज़ करके उसे इस इरादे से बाज़ रखने की कोशिश करता है और हदीष की तफ़्सीर कर चुका हूँ। या'नी तर खजूरों को ख़ुश्क खजूरों से बेचना और अंगूरों को मुनक़्क़ा से बेचना जैसा कि सहीहैन में है।

अहदे जाहिलियत में बुयूअ के ये सारे बुरे तरीक़े ज़ारी थे और उनमे नफ़ा व नुक़्सान दोनों का क़वी एहतिमाल होता था। कुछ दफ़ा लेने वाले के वारे न्यारे हो जाते और कुछ दफ़ा वो असल पूँजी को भी गंवा बैठता। इस्लाम ने इन जुम्ला तरीक़ा हाए बुयूअ को सख़्ती से मना फ़र्माया। आजकल ऐसे धोखे के तरीक़ों की जगह लॉटरी, सट्टा, रेस वग़ैरह ने ले ली है। जो इस्लाम में ना सिर्फ़ बल्कि सूद व ब्याज के दायरे में दाख़िल हैं। ख़रीद व फ़रोख़्त में धोखा करने वाले के ह क़ में सख़्त तरीन वईदें आई हैं। मष़लन एक मौक़ा पर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था। **मन ग़श्शा फ़लैस मिन्ना** जो धोखाबाज़ी करने वाला है वो हमारी उम्मत से ख़ारिज है वग़ैरह वग़ैरह।

सच्चे मुसलमान ताजिर का फ़र्ज़ है कि अमानत, दयानत, सदाक़त के साथ कारोबार करे, उससे उसको हर क़िस्म की बरकतें हासिल होंगी और आख़िरत में अंबिया व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालेहीन का साथ नसीब होगा। **जअलनल्लाहु मिन्हुम आमीन या रब्बल आलमीन**

2183. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, फल (दरख़्त पर का) उस वक़्त तक न बेचो जब तक उसका पका हुआ होना न खुल जाए। दरख़्त पर लगी हुई खजूर को ख़ुश्क खजूर के बदले में न बेचो। (राजेअ: 1486)

٢١٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ)). [راجع: ١٤٨٦]

2184. सालिम ने बयान किया कि मुझे अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ख़बर दी, और उन्हें ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) ने कि बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेअे अराया की तर या ख़ुश्क खजूर के बदले में इजाज़त दे दी थी। लेकिन उसके सिवा किसी सूरत की इजाज़त नहीं दी थी।
(राजेअ: 2173)

٢١٨٤- قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ. [راجع: ٢١٧٣]

तश्रीह : इसी त़रह़ तर खजूर ख़ुश्क खजूर के बदल बराबर-बराबर बेचना भी नाजाइज़ है क्योंकि तर खजूर सूखे से वज़न में कम हो जाती है, जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है। इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने उसे जाइज़ रखा है। अ़राया, अ़रिया की जमा है। ह़न्फ़िया ने बरख़िलाफ़ जुम्हूर उ़लमा के अ़राया को भी जाइज़ नहीं रखा क्योंकि वो भी मुज़ाबना में दाख़िल है और हम कहते हैं जहाँ मुज़ाबना की मुमानअ़त आई है वहीं ये मज़्कूर है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने अ़राया की इजाज़त दे दी।

٢١٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً)). [راجع: ٢١٧١]

2185. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना किया, मुज़ाबना दरख़्त पर लगी हुई खजूर को टूटी हुई खजूर के बदले में नापकर और दरख़्त के अंगूर को ख़ुश्क अंगूर के बदले में नापकर बेचने को कहते हैं।

(राजेअ़ : 2171)

٢١٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ)).

2186. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें दाऊद बिन हुसैन ने, उन्हें इब्ने अबी अहमद के गुलाम अबू सुफ़यान ने, और उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना और मुहाक़ला से मना किया, मुज़ाबना दरख़्त पर की खजूर तोड़ी हुई खजूर के बदले में ख़रीदने को कहते है।

٢١٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ)).

2187. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे मुआविया ने बयान किया, उनसे शैबानी ने, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया, कि नबी करीम (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़र्माया।

٢١٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا)). [راجع: ٢١٧٣]

2188. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़ाहिबे अ़राया को उसकी इजाज़त दी कि अपना अ़राया उसके अंदाज़े बराबर मेवे के बदल बेच डाले। (राजेअ़ : 2173)

या'नी बाग़ वाले के हाथ। ये स़हीह़ है कि अ़राया भी मुज़ाबना है मगर आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसकी इजाज़त दी। इस वजह से कि

अराया, ख़ैर-ख़ैरात का काम करती है। अगर अराया में ये इजाज़त न दी जाती तो लोग खजूर या मेवे के दरख़्त मिस्कीनों को लिल्लाह देना छोड़ देते। इसलिये कि अकषर लोग ये ख़्याल करते कि हमारे बाग़ में रात बे-रात मिस्कीन घुसते रहेंगे और उनके घुसने और बेमौक़ा आने से हमको तकलीफ़ होगी।

बाब 73 : दरख़्त पर फल, सोने और चाँदी के बदले बेचना

٨٣- بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخلِ بِالذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ

2189. हमसे यह्या बिन सुलैमानने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्हें अता और अबू ज़ुबैर ने और उन्हें जाबिर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर के पकने से पहले बेचने से मना किया है और ये कि उसमें से ज़र्रा बराबर भी दिरहम व दीनार के सिवा किसी और चीज़ (सूखे फल) के बदले न बेची जाए। अल्बत्ता अराया की इजाज़त दी।

(राजेअ : 1477)

٢١٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا)).

[راجع: ١٤٧٧]

2190. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने इमाम मालिक से सुना, उनसे उबैदुल्लाह बिन रबीआ ने पूछा कि क्या आपसे दाऊद ने सुफ़यान से और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से ये हदीष बयान की थी कि नबी करीम (ﷺ) ने पाँच वसक़ या उससे कम में बेअे अराया की इजाज़त दी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ!

(दीगर मक़ाम : 2382)

٢١٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيْعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ: نَعَمْ)).

[طرفه في : ٢٣٨٢].

तश्रीह : एक वस्क़ साठ साअ का होता है। एक साअ पौने छः रतल का। जैसा कि ऊपर गुज़रा है अकषर ख़ैरात इसके अंदर की जाती तो आपने ये हद मुक़र्रर फ़र्मा दी, अब हन्फ़िया का ये कहना कि अराया की हदीष मंसूख़ है या मुआरिज़ है मुज़ाबना की हदीष के, सहीह नहीं क्योंकि नस्ख़ के लिये तक़द्दुम ताख़ीर षाबित करना ज़रूरी है। और मुआरिज़ा जब होता कि मुज़ाबना की नहीं के साथ अराया का इस्तिष्नाअ न किया जाता। जब आँहज़रत (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना करते वक़्त अराया को मुस्तष्ना कर दिया तो अब तआरुज़ कहाँ रहा?

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, क़ाल इब्नुल्मुन्ज़िर इद्दअल्कूफ़ीयून अन्न बैअल्अराया मन्सूख़ुन बिनहयिही (ﷺ) अन बैइत्तमरि बित्तमरि हाज़ा मर्दूदुन लिअन्न रवन्नह्य अन बैइत्तमरि बित्तमरि हुवल्लज़ी रवरुख़्सत फ़िल्अराया फ़अष्बतन्नह्य वर्रुख़्सत मअन कुल्तु व रिवायतु सालिम अल्माज़ियतु फ़िल्बाबिल्लज़ी क़ब्लहू तदुल्लु अला अन्नर्रूख़्सत फ़ी बैइल्अराया वक़अ बअदन्नहयि अन बैइत्तमरि बित्तमरि व लफ़्ज़ुहू अन इब्नि उमर मर्फ़ूअन व ला तबीउत्तमर बित्तमरि क़ाल व अन ज़ैद बिन षाबित अन्नहू (ﷺ) रख़्ख़स बअद ज़ालिक फ़ी बैइल्अरिय्यति व हाज़ा हुवल्लज़ी यक़्तज़ीहि लफ़्ज़ुर्रुख़्सति फ़इन्नहा तकूनु बअद मनइन व कज़ालिक बकियतुल अहादीषिल्लती वक़अ फ़ीहा इस्तिष्नाउल अराया बअद ज़िक्रि बैइत्तमरि बित्तमरि व क़द क़दम्मतु ईजाह ज़ालिक (फ़त्हुल बारी)

या'नी बक़ौल मुंज़िर अहले कूफ़ा का ये दा'वा कि बेऐ अराया की इजाज़त मंसूख़ है इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) ने दरख़्त पर की खजूरों को सूखी खजूरों के बदले में बेचने से मना किया है। और अहले कूफ़ा का ये दा'वा मरदूद है इसलिये कि नही की रिवायत करने वाले रावी ही ने बेऐ अराया की रुख़्सत भी रिवायत की है। पस उन्होंने नही और रुख़्सत दोनों को अपनी अपनी जगह षाबित रखा है। और मैं कहता हूँ कि सालिम की रिवायत जो बेऐ अराया की रुख़्सत में मज़्कूर हो चुकी है वो बेउषमर बित्तमर की नही के बाद की है और उनके लफ़्ज़ इब्ने उमर (रज़ि.) से मर्फ़ूअन ये हैं कि न बेचो (दरख़्त पर की) खजूर को ख़ुश्क खजूर से। कहा कि ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) से मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसके बाद बेऐ अराया की रुख़्सत दे दी, और ये रुख़्सत मुमानअत के बाद की है। और इसी तरह बक़ाया अहादीष हैं जिनमें बेउषमर बित्तमर के बाद बेऐ अराया की रुख़्सत का मुस्तष्ना होना मज़्कूर है और मैं (इब्ने हजर) वाज़ेह तौर पर पहले भी इसे बयान कर चुका हूँ।

٢١٩١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا - قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ. قِيْلَ لِسُفْيَانَ: أَلَيْسَ فِيْهِ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَا صَلاَحُهُ؟)) قَالَ: لاَ. [طرفه في : ٢٣٨٤].

2191. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उयय्यना ने बयान किया, कहा कि यह्या बिन सईद ने बयान किया कि मैंने बशीर से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने सहल बिन अबी हष्मा (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरख़्त पर लगी हुई खजूर को तोड़ी हुई खजूर के बदले में बेचने से मना फ़र्माया, अल्बत्ता अराया की आप (ﷺ) ने इजाज़त दी कि अंदाज़ा करके ये बेअ की जा सकती है कि अराया वाले उसके बदल ताज़ा खजूर खाएँ। सुफ़यान ने दूसरी बार ये रिवायत बयान की, लेकिन आँहज़रत (ﷺ) ने अराया की इजाज़त दे दी थी कि अंदाज़ा करके ये बेअ की जा सकती है, खजूर ही के बदले में। दोनों का मफ़्हूम एक ही है। सुफ़यान ने बयान किया कि मैंने यह्या से पूछा, उस वक़्त मैं अभी कम उम्र था, कि मक्का के लोग कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अराया की इजाज़त दी है। तो उन्होंने पूछा कि अहले मक्का को ये किस तरह मा'लूम हुआ? मैंने कहा कि वो लोग जाबिर (ﷺ) से रिवायत करते हैं। इस पर वो ख़ामोश हो गए। सुफ़यान ने कहा कि मेरी मुराद उससे ये थी कि जाबिर (रज़ि.) मदीना वाले हैं। सुफ़यान से पूछा गया कि क्या उनकी हदीष में मुमानअत नहीं है कि फलों को बेचने से आप (ﷺ) ने मना किया जब तक कि उनकी पुख़्तगी न खुल जाए। उन्होंने कहा कि नहीं। (दीगर मक़ाम : 2384)

तो हदीष आख़िर मदीना वालों ही पर आकर ठहरी, हासिल ये है कि यह्या बिन सईद और मक्का वालों की रिवायत में किसी क़दर इख़्तिलाफ़ है। यह्या बिन सईद ने अराया की रुख़्सत में अंदाज़ करने की और अराया वालों की ताज़ा खजूर खाने की क़ैद लगाई है। और मक्का वालों ने अपनी रिवायात में ये क़ैद बयान नहीं की बल्कि मुत्लक़ अराया को जाइज़ रखा। ख़ैर अंदाज़ा करने की क़ैद तो एक हाफ़िज़ ने बयान की है इसका कुबूल करना वाजिब है लेकिन खाने की क़ैद महज़ वाक़िई है न एहतिराज़ी

(क़स्तलानी) सुफ़यान बिन उ़ययना से मिलने वाला कौन था हाफ़िज़ कहते हैं कि मुझे उसका नाम मा'लूम नहीं हुआ।

बाब 84 : अ़राया की तफ़्सीर का बयान

٨٤- بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

इमाम मालिक (रह.) ने कहा कि अ़राया ये है कि कोई शख़्स (किसी बाग़ का मालिक अपने बाग़ में) दूसरे शख़्स को खजूर का दरख़्त (हिबा के तौर पर) दे दे, फिर उस शख़्स का बाग़ में आना अच्छा न मा'लूम हो, तो उस सूरत में वो शख़्स टूटी हुई खजूर के बदले में अपना दरख़्त (जिसे वो हिबा कर चुका है) ख़रीद ले उसकी उसके लिये रुख़्सत दी गई है। और इब्ने इदरीस (इमाम शाफ़िई रह.) ने कहा कि अ़राया जाइज़ नहीं होता मगर (पाँच वस्क़ से कम में) सूखी खजूर नापकर हाथों-हाथ दे दे ये नहीं कि दोनों तरफ़ अंदाज़ा हो। और इसकी ताईद सहल बिन अबी ह़स्मा (रज़ि.) के क़ौल से भी होती है कि वस्क़ से नापकर खजूर दी जाए। इब्ने इस्हाक़ (रह.) ने अपनी ह़दीष़ में नाफ़ेअ़ से बयान किया और उन्होंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से बयान किया कि अ़राया ये है कि कोई शख़्स अपने बाग़ में खजूर के एक दो दरख़्त किसी को आ़रियतन दे दे। और यज़ीद ने सुफ़यान बिन हुसैन से बयान किया कि अ़राया खजूर के उस दरख़्त को कहते हैं जो मिस्कीनों को लिल्लाह दे दिया जाए। लेकिन वो खजूर के पकने का इंतिज़ार नहीं कर सकते तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने उन्हें उसकी इजाज़त दी कि जिस क़दर सूखी खजूरों के बदले और जिसके हाथ चाहें बेच सकते हैं।

وَقَالَ مَالِكٌ : الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ نَخْلَةً ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ. وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاؤُوا مِنَ التَّمْرِ.

2192. हमसे मुह़म्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें मूसा बिन उ़क़्बा ने, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने, उन्हें ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़राया कि इजाज़त दी कि वो अंदाज़े से बेची जा सकती है। मूसा बिन उ़क़्बा ने कहा कि अ़राया कुछ मुअ़य्यन दरख़्त जिनका मेवा तो उतरे हुए मेवे के बदल ख़रीदे।

(राजेअ़ : 2173)

٢١٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً)). قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا.

[راجع: ٢١٧٣]

तशरीह : अ़ल्लामा शौकानी (रह.) अ़राया की तफ़्सील इन लफ़्ज़ो में पेश फ़र्माते हैं, **जम्उ अ़रिय्यतिन क़ाल फ़िल्फ़त्हि व हिय फ़िल्अस्लि अतियतु ष़मरिन्नख़्लि दूनर्रक़्बति कानतिल्अरबु फ़िल्जदबि ततत़व्वउ बिज़ालिक अला मन ला ष़मर लहू कमा यतत़व्वउ स़ाहिबुश्शाति अविल्इबिलि बिल्मनीहति व हिय अतियतुल्लबनि दूनर्रक़्बति** (नैल) या'नी अ़राया अ़र्या की जमा है और दरअस़ल ये खजूर को स़िर्फ़ किसी मोह़ताज मिस्कीन को आ़रियतन बख़्शिश के त़ौर पर दे देना है। अ़रबों का त़रीक़ा था कि वो फ़ुक़रा मसाकीन को फ़स़ल में किसी दरख़्त का फल बत़ौरे बख़्शिश दे दिया करते थे जैसा कि बकरी ऊँट वालों का भी त़रीक़ा रहा है कि किसी ग़रीब मिस्कीन के ह़वाले स़िर्फ़ दूध पीने के लिये बकरी या ऊँट कर दिया करते थे।

आगे ह़ज़रत अ़ल्लामा फ़र्माते हैं, **व अख़्रजल्इमामु अहमद अ़न सुफ़्यानुब्नि हुसैन अन्नल्अराया नख़्लुन तूहबु लिल्मसाकीन फ़ला यस्ततीऊन अंय्यन्तज़िरू बिहा फ़रख़्ख़स लहुम अंय्यबीऊहा बिमा शाऊ मिनत्तमरि** या'नी अ़राया उन खजूरों को कहा जाता है जो मसाकीन को आ़रियतन बख़्शिश के त़ौर पर दे दी जाती हैं। फिर उन मसाकीन को तंगदस्ती की वजह से उन खजूरों का फल पुख़्ता होने का इंतिज़ार करने की ताब नहीं होती। पस उनको रुख़्स़त दी गई कि वो जैसे मुनासिब जानें सूखी खजूरों से उनका तबादला कर सकते हैं। **व क़ालल्जौहरी हियन्नख़्लतुल्लती युअरीहा स़ाहिबुहा रजुलन मुहताजन बिअंय्यजअल लहू ष़मरह आमन** या'नी जौहरी ने कहा कि ये वो खजूर हैं जिनके फलों को उनके मालिक किसी मुह़ताज को आ़रियतन मह़ज़ बत़ौरे बख़्शिश साल भर के लिये दे दिया करते हैं । अ़राया की और भी बहुत सी सूरतें बयान की गई हैं तफ़्स़ील के लिये फ़त्हुल बारी का मुत़ालआ ज़रूरी है।

अ़ल्लामा शौकानी (रह.) आख़िर में फ़र्माते हैं, **वल्हासिल अन्न कुल्ल सूरतिन मिन सुवरिल्अराया व रद बिहा ह़दीषुन स़ह़ीहुन औ ष़बत अ़न अहलिश्शरइ व अहल्लिुग़ति फ़हिय जाइज़तुन लिदुख़ूलिहा तहत मुत्लक़िल्इज़्नि वत्तख़्स़ीस़ि फ़ी बअ़ज़िल्अहादीष़ि अ़ला बअ़ज़िस्सुवरि व ला युनाफ़ी मा ष़बत फ़ी ग़ैरिही** या'नी बेअ़ अ़राया की जितनी भी सूरते सह़ीह़ ह़दीष़ में वारिद हैं या अहले शरअ़ या अहले लुग़त से वो ष़ाबित हैं वो सब जाइज़ हैं। इसलिये कि वो मुत़लक़ इज़्न के तह़त दाख़िल हैं और कुछ अह़ादीष़ कुछ सूरतों में जो बत़ौर नस़ वारिद हैं वो उनके मनाफ़ी नहीं हैं जो कुछ उनके ग़ैर से ष़ाबित हैं।

बेअ़े अ़राया के जवाज़ में अहम पहलू ग़ुरबा व मसाकीन का मफ़ाद है जो अपनी तंगदस्ती की वजह से फलों के पुख़्ता होने का इंतिज़ार करने से मा'ज़ूर (असमर्थ) होते हैं। उनको फ़िलह़ाल शिकमपरी (पेट भरने) की ज़रूरत है। इसलिये उनको इस बेअ़ के लिये इजाज़त दी गई। ष़ाबित हुआ कि अ़क़्ले स़ह़ीह़ भी उसके जवाज़ ही की ताईद करती है।

सनद में मज़्कूरा बुज़ुर्ग ह़ज़रत नाफ़ेअ़ सरजिस के बेटे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के आज़ादकर्दा हैं। देलमी थे और अकाबिर ताबेअ़ीन से हैं। इब्ने उ़मर (रज़ि.) और अबू सईद (रज़ि.) से ह़दीष़ की समाअ़त की है। उनसे बहुत से लोगों ने जिनमें ज़ुह्री और इमाम मालिक भी हैं। रिवायत की है। ह़दीष़ के बारे में शुह्रत याफ़्ता लोगों में से हैं। नेज़ उन ष़िक़ाह रावियों में से जिनकी रिवायत पर मुकम्मल ए'तिमाद होता है और जिनकी रिवायत कर्दा अह़ादीष़ पर अ़मल किया जाता है ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ों का बड़ा ह़िस्सा उन ही पर मौक़ूफ़ है। इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं कि जब मैं नाफ़ेअ़ के वास्ते से ह़दीष़ सुन लेता हूँ तो फिर किसी और रावी से सुनने के लिये बेफ़िक्र हो जाता हूँ। 117 हिज्री में वफ़ात पाई। रहिमहुमुल्लाह।

बाब 85 : फलों की पुख़्तगी मा'लूम होने से पहले उनको बेचना मना है

٨٥- بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

मेवे की बेअ़ पुख़्तगी से पहले इब्ने अबी लैला और षौरी के नज़दीक मुत़्लक़न बात़िल है। कुछ ने कहा जब काट लेने की शर्त़ की जाए बात़िल है वरना बात़िल नहीं । इमाम शाफ़िई और अह़मद और जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है।

2193. लैष़ बिन सअ़द ने अबुज़्ज़िनाद अ़ब्दुल्लाह बिन ज़क्वान से नक़्ल किया कि उ़र्वा बिन ज़ुबैर, बनू ह़ारिष़ा के सहल बिन अबी ह़ष्मा अंस़ारी (रह.) से नक़्ल करते थे। और वो ज़ैद बिन

٢١٩٣- وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ

أبي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ، كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ، وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ. قَالَ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ.

ष़ाबित (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में लोग फलों की ख़रीद व फ़रोख़्त (दरख़्तों पर पकने से पहले) करते थे। फिर जब फल तोड़ने का वक़्त आता, और मालिक (क़ीमत का) तक़ाज़ा करने आते तो ख़रीददार ये बहाना करने लगता कि पहले ही उसका गाभा ख़राब और काला हो गया, उसको बीमारी हो गई, ये तो ठिठुर गया फल बहुत ही कम आए। उसी तरह अलग अलग आफ़तों को बयान करके मालिकों से झगड़ते (ताकि क़ीमत में कमी करा लें) जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इस तरह के मुक़द्दमात बड़ी ता'दाद में आने लगे तो आपने फ़र्माया कि जब इस तरह के झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते तो तुम लोग भी मेवे के पकने से पहले उनको न बेचा करो। गोया मुक़द्दमात की कष़रत की वजह से आपने ये बतौरे मश्विरा फ़र्माया था। खारिजा बिन ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) ने मुझे ख़बर दी कि ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) अपने बाग़ के फल उस वक़्त तक नहीं बेचते जब तक ष़ुरैया न तुलूअ हो जाता और ज़र्दी और सुर्ख़ी ज़ाहिर न हो जाता। अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह) ने कहा कि इसकी रिवायत अ़ली बिन बहर ने भी की है कि हमसे हुक्काम बिन सलम ने बयान किया, उनसे अ़न्बसह ने बयान किया, उनसे ज़करिया ने, उनसे अबुज़्ज़िनाद ने, उनसे उ़र्वा ने और उनसे सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने और उनसे ज़ैद बिन ष़ाबित ने।

क़स्तलानी (रह.) ने कहा शायद आपने पहले ये हुक्म बतरीक़े सलाह और मश्विरा दिया हो जैसा कि **कल् मश्विरति युशीरु बिहा** के लफ़्ज़ बतला रहे हैं। फिर उसके बाद क़त्अन मना फ़र्मा दिया जैसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ में है। और उसका क़रीना ये है कि ख़ुद ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) जो इस ह़दीष़ के रावी हैं अपना मेवा पुख़्तगी से पहले नहीं बेचते थे। ष़ुरैया एक तारा है जो शुरू गर्मी में सुबह़ के वक़्त निकलता है। ह़िजाज़ के मुल्क (अ़रब देश) में उस वक़्त सख़्त गर्मी होती है और फल मेवे पक जाते हैं।

٢١٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ)).

[راجع: ١٤٨٦]

2194. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पुख़्ता होने से पहले फलों को बेचने से मना किया था। आपकी मुमानअ़त बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों के लिये थी।

(राजेअ: 1486)

2195. हमसे इब्ने मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें हुमैद तवील ने और उन्हें अनस (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पकने से पहले दरख़्त पर खजूर को बेचने से मना फ़र्माया है, अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह) ने कहा कि (हत्ता तज़्हुव से) मुराद ये है कि जब तक वो पककर सुर्ख़ न हो जाएँ। (राजेअ़ : 1488)

٢١٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ. [راجع: ١٤٨٨]

तश्रीह : ज़हू की तफ़्सीर में अ़ल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, **युक़ालु ज़हन्नख़्लु यज़्हू इज़ा ज़हरत ष़म्रतुहू व अज़हा युज़ही इज़ा अहमर औ अस्फ़र** या'नी जब खजूर का फल ज़ाहिर होकर पुख़्तगी पर आने के लिये सुर्ख़ या ज़र्द हो जाए तो उस पर ज़हन्नख़्लु का लफ़्ज़ बोला जाता है और उसका मौसम आसाढ़ का महीना है। उसमें अ़रब में षुरैया सितारा सुबह के वक़्त निकलने लगता है। अबू दाऊद में ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न मरवी है **इज़ा तलअ़न्नुजुम सबाहा रफ़अ़तिल आहित अ़न कुल्लि बलद नजम** से मुराद षुरैया है या'नी जिस मौसम में ये सितारा सुबह के वक़्त निकलना शुरू हो जाता है तो वो मौसम अब फलों के पकने का आ गया, और अब फलों के लिये ख़तरों का ज़माना ख़त्म हो गया। **वन्नज्मु हुवष़्षुरय्या व तुलूउहा यक़उ फ़ी अव्वलि फ़स्लिस्सैफ़ि व ज़ालिक इन्द इश्तिदादिल्हर्रि फ़ी बिलादिल्हिजाज़ि व इब्तिदाउ नज़्जिष़्ष़िमारि व अख़्रज अहमद मिन तरीक़ि उ़ष्मानब्नि अ़ब्दिल्लाहिब्नि सुराक़ा सअल्तुब्न उ़मर अ़न बैइष़्ष़िमारि फ़क़ाल नहा रसूलुल्लाहि (ﷺ) अ़न बैइष़्ष़िमारि हत्ता तज्हबल्आहतु कुल्तु व मता ज़ालिक क़ाल हत्ता तत्लुअष़्ष़ुरय्या** (नैलुल औतार) इस इबारत का उर्दू मफ़्हूम वही है जो पहले लिखा गया है।

2196. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे सुलैम बिन ह़य्यान ने, उनसे सईद बिन मीना ने बयान किया, कहा कि मैं ने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से सुना, उन्होंने बयान किया नबी करीम (ﷺ) ने फलों का तुश्क़िह़ से पहले पहले बेचने से मना किया था। पूछा गया कि तुश्क़िह़ किसे कहते हैं तो आपने फ़र्माया कि माईल ब ज़र्दी या ब सुर्ख़ी होने को कहते हैं कि उसे खाया जा सके (फल का पुख़्ता होना मुराद है) (राजेअ़ : 1487)

٢١٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ. فَقِيْلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ : تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا)).[راجع: ١٤٨٧]

बाब 86 : जब तक खजूर पुख़्ता न हो उसका बेचना मना है

٨٦- بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

2197. मुझसे अ़ली बिन हैशम ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअ़ल्ला बिन मंसूर ने बयान किया, उनसे हैशम ने बयान किया, उन्हें हुमैद ने ख़बर दी और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पुख़्ता होने से पहले फलों को बेचने से मना किया है। और खजूर के बाग़ को ज़हू से पहले बेचने से मना फ़र्माया, आपसे पूछा गया कि ज़हू किसे कहते हैं?

٢١٩٧- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ

तो आपने जवाब दिया माईल ब सुर्ख़ी या माइल ब ज़र्दी होने को कहते हैं। (राजेअ : 1488)

حَتَّى يَزْهُوَ. قِيْلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ)). [راجع: ١٤٨٨]

गोया लफ़्ज़े-ज़हू खजूर के फल के पीले या लाल पड़ने पर बोला जाता है।

बाब 87 : अगर किसी ने पुख़्ता होने से पहले ही फल बेचे फिर उन पर कोई आफत आई तो वो नुक़्सान बेचने वाले को भरना पड़ेगा

٨٧- بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

तशरीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मज़हब ये मा'लूम होता है कि मेवों की बेअ पुख़्तगी से पहले सहीह तो हो जाती है, मगर उसका ज़िमान बायेअ पर रहेगा (ज़िम्मेदारी बेचने वाले पर रहेगी)। मुश्तरी की कुल रक़म उसको भरनी पड़ेगी। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं। **जनहल्बुख़ारी फ़ी हाज़िहित्तर्जुमति इला सिह्हतिल्बैइ व इल्लम यब्दु सलाहहू लाकिन्नहू जअलहू क़ब्लस्सलाहि मिन ज़मानिल्बाइए व मुक़्तज़ाहू अन्नहू इज़ा लम युफ़्सिद फ़ल्बैउ सहीहुन व हुव फ़ी ज़ालिक मुताबिउन लिज़्ज़ुहरी कमा औरदहू अन्हु फ़ी आख़िरिल्बाबि** (फ़त्हुल बारी) या'नी इस बाब से इमाम बुख़ारी का रुज्हान ज़ाहिर होता है कि वो फलों की पुख़्तगी से पहले भी बेअ की सिह्हत के क़ाइल हैं। मगर उन्होंने इस बारे में ये शर्त क़ायम की है कि उसके नुक़्सान का ज़िम्मेदार बेचनेवाला होगा अगर कोई नुक़्सान न हुआ, और फ़सल सहीह सलामत तैयार हो गई तो बेअ सहीह होगी, और फ़सल ख़राब होने की सूरत में नुक़्सान बेचने वाले को भुगतना होगा। इस बारे मे आपने इमाम ज़ुह्री से मुताबअत की है जैसा कि आख़िर बाब में उनसे नक़ल भी फ़र्माया है। इस तफ़्सील के बावजूद बेहतर यही है कि फलों की पुख़्तगी से पहले सौदा न किया जाए क्योंकि इस सूरत में बहुत सारे मफ़ासिद पैदा हो सकते हैं। जिन अहादीष में मुमानअत आई है उनको इसी एह्तियात पर महमूल करना है। और यहाँ इमाम बुख़ारी (रह.) का रुज्हान जिस जवाज़ पर है वो मशरूत है। इसलिये दोनों क़िस्म की रिवायतों में तत्बीक़ जाहिर है। ज़हू की तफ़्सीर ख़ुद हदीष में मौजूद है। पहले उसका बयान हो भी चुका है।

2198. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें हुमैद ने और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फलों को ज़हू से पहले बेचने से मना किया है। उनसे पूछा गया कि ज़हू किसे कहते हैं तो जवाब दिया कि सुर्ख़ होने को। फिर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम ही बताओ, अल्लाह तआ़ला के हुक्म से फलों पर कोई आफ़त आ जाए तो तुम अपने भाई का माल आख़िर किस चीज़ के बदले लोगे? (राजेअ : 1488)

٢١٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيْلَ وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟)). [راجع: ١٤٨٨]

2199. लैष ने कहा कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि एक शख़्स ने अगर पुख़्ता होने से पहले ही (दरख़्त पर) फल ख़रीदे, फिर उन पर कोई आफ़त आ गई तो जितना नुक़्सान हुआ, वो सब अस़ल मालिक को भरना पड़ेगा। मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, और उन्हें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि

٢١٩٩- قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, पुख़्ता होने से पहले फलों को न बेचो, और न दरख़्त पर लगी हुई खजूर को टूटी हुई खजूर के बदले में बेचो। (राजेअ़ : 1486)

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ)). [راجع: ١٤٨٦]

बाब 88 : अनाज उधार (एक मुद्दत मुक़र्रर करके) ख़रीदना

٨٨- بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

2200. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे अ़अ़मश ने बयान किया, कहा कि हमने इब्राहीम के सामने क़र्ज़ में गिरवी रखने का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई ह़र्ज नहीं है। फिर हमसे अस्वद के वास्ते से बयान किया कि उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मुक़र्ररा मुद्दत के क़र्ज़ पर एक यहूदी से ग़ल्ला ख़रीदा, और अपनी ज़िरह उसके यहाँ गिरवी रखी थी। (राजेअ़ : 2068)

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)). [راجع: ٢٠٦٨]

तश्रीह : मक़्सदे बाब ये है कि ग़ल्ला बवक़्ते ज़रूरत उधार भी ख़रीदा जा सकता है। और ज़रूरत लाह़िक़ हो तो उस क़र्ज़ के सिलसिले में अपनी किसी भी चीज़ को गिरवी रखना भी जाइज़ है। और ये भी ष़ाबित हुआ कि इस क़िस्म के दुनियावी मुआ़मलात ग़ैर-मुस्लिमों से भी किये जा सकते हैं। ख़ुद नबी करीम (ﷺ) ने एक यहूदी से ग़ल्ला (अनाज) उधार ह़ासिल किया था और आप पर ख़ूब वाज़ेह़ था कि यहूदियों के यहाँ हर क़िस्म के मुआ़मलात होते हैं। उन ह़ालात में भी आपने उनसे ग़ल्ला उधार लिया और उनके इत्मीनाने मज़ीद के लिये अपनी ज़िरहे मुबारक को उस यहूदी के यहाँ गिरवी रख दिया।

सनद में मज़्कूरा रावी ह़ज़रत अ़अ़मश (रह.) सुलैमान बिन मेह्रान काहेली असदी हैं। बनू काहिल के आज़ाद कर्दा हैं। बनू काहिल एक शाख़ बनू असद ख़ुज़ैमा की है। ये 60 हिज्री में रै में पैदा हुए और किसी ने उनको उठाकर कूफ़ा में लाकर बेच दिया तो बनी काहिल के किसी बुज़ुर्ग ने ख़रीदकर उनको आज़ाद कर दिया। इल्मे ह़दीष़ व क़िरात के मशहूर अइम्मा में से हैं कूफ़ा की रिवायात का ज़्यादा मदार उन पर ही है। 148 हिज्री में वफ़ात पाई (रह.)। नीज़ ह़ज़रत अस्वद भी मशहूर ताबेई हैं जो इब्ने हिलाल मह़ारिबी से मशहूर हैं। अ़म्र बिन मुआ़ज़ और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। और उनसे ज़ुह्री ने रिवायत की है। 84 हिज्री में वफ़ात पाई (रह.)। आमीन।

बाब 89 : अगर कोई शख़्स़ ख़राब खजूर के बदले में अच्छी खजूर लेना चाहे

٨٩- بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

2201,02. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल मजीद बिन सहल बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर में एक शख़्स़ को

٢٢٠١، ٢٢٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

تعالَى عَنهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَر، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)).

[أطرافه في: ٢٣٠٢، ٤٢٤٤، ٤٢٤٦، ٧٣٥٠].

तहसीलदार बनाया। वो साहब एक उम्दा क़िस्म की खजूर लाए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा कि क्या ख़ैबर की तमाम खजूर, इसी तरह की होती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की क़सम या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम तो इसी तरह एक साअ खजूर, (उससे घटिया खजूरों के) दो साअ देकर खरीदते हैं। और दो साअ तीन साअ के बदले में लेते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐसा न करो। अल्बत्ता घटिया खजूर को पहले बेचकर उन पैसों से अच्छी क़िस्म की खजूर खरीद सकते हो।

(दीगर मक़ाम : 2302, 4244, 4246, 7350)

तश्रीह : इस सूरत में ब्याज से महफ़ूज़ रहेगा। ऐसा ही सोने के बदले में दूसरा सोना कमोबेश लेने की ज़रूरत है, तो पहले सोने को रुपयों या अस्बाब के बदल बेच डाले। फिर रुपयों या अस्बाब के बदले दूसरा सोना ले ले। हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **व फ़िल्हदीषि जवाज़ुन इख़्तियारुत्तआमि व जवाज़ुल वकालति फ़िल बैअे व ग़ैरिही व फ़ीहि अन्नल बुयूअल फ़ासिदत तुरद्दु** या'नी इस हदीष से षाबित हुआ कि अच्छे ग़ल्ले को पसन्द करना जाइज़ है। और बेअ वग़ैरह में वकालत दुरुस्त है और ये भी कि बेअ फ़ासिद को रद्द किया जा सकता है।

इस हदीष में ख़ैबर का ज़िक्र आया है जो यहूदियों की एक बस्ती मदीना शरीफ़ से शिमाल मश्रिक़ (उत्तर-पूर्व) में तीन चार मंज़िल के फ़ासले पर वाक़ेअ थी। उस मक़ाम पर मदीना के यहूदी क़बाइल को उनकी मुसलसल ग़द्दारियों और फ़ित्ना अंगेज़ियों की वजह से जलावतन कर दिया गया था और यहाँ आने के बाद वो दूसरे यहूदियों को साथ लेकर हर वक़्त इस्लाम के इस्तिसाल (जड़ से उखाड़ने) के लिये तदबीरें करते रहते थे। इस तरह ख़ैबर आम इश्तिआल और फ़सादात का मरकज़ (केन्द्र) बना हुआ था। उनकी उन ग़लत कोशिशों को पामाल करने और वहाँ क़यामे अमन के लिये आँहज़रत (ﷺ) ने मुहर्रम 7 हिज्री मे चौदह सौ जाँनिसार सहाबा किराम के साथ सफ़र फ़र्माया। ख़ैबर के यहूदियों ने ये इत्तिला पाकर अरब की तमाम क़ौमों की तरफ़ इमदाद (सहायता) के लिये अपने क़ासिद व सुफ़राअ (संदेशवाहक) दौड़ाए। मगर सिर्फ़ बनी फ़ुज़ारा उनकी मदद के लिये आए। वो भी मौक़ा पाकर मुसलमानों के ऊँटों के ग़ल्ले लूटकर वापस भाग गए और यहूद अकेले रह गये। बड़ी ख़ूँरेज़ जंग हुई, आख़िर अल्लाह पाक ने अपने सच्चे रसूल (ﷺ) को फ़तहे मुबीन अता फ़र्माई और यहूदियों की ज़बरदस्त हार हुई। आसपास भी यहूदियों के अलग-अलग मवाज़िआत थे। वतीह, सलालम, फ़िदक वग़ैरह वग़ैरह, उनके बाशिन्दों ने ख़ुद ब ख़ुद अपने आपको रसूले करीम (ﷺ) के हवाले कर दिया और मुआफ़ी के तलबगार हुए। आँहज़रत (ﷺ) ने निहायत फ़य्याज़ी से सबको मुआफ़ी दे दी उनकी जायदाद मन्क़ूला और ग़ैर-मन्क़ूला (चल व अचल सम्पत्ति) में कोई दस्तअंदाज़ी नहीं की गई। उनको पूरी मज़हबी आज़ादी भी दे दी गई। और ज़मीन की निस्फ़ पैदावार पर उनकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा उठाया गया, और वहाँ से ग़ल्ले की वसूली के लिये एक शख़्स को तहसीलदार मुक़र्रर किया गया। उसी का ज़िक्र इस हदीष में मज़्कूर है और ये बेअ का मामला भी इस तहसीलदार साहब के बारे में है। मज़ीद तफ़्सील अपने मुक़ाम पर आएगी।

٩٠- بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ

बाब 90 : जिसने पेवन्द लगाई हुई खजूरें या खेती खड़ी हुई ज़मीन बेची या ठेका पर दी तो मेवा और अनाज बायेअ का होगा

2203. अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि मुझसे इब्राहीम ने कहा, उन्हें हिशाम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने अबी मुलैका से सुना, वो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के गुलाम नाफ़ेअ़ से ख़बर देते थे कि जो भी खजूर का दरख़्त पेवन्द लगाने के बाद बेचा जाए और बेचते वक़्त फलों का कोई ज़िक्र न हो तो फल उसी के होंगे जिसने पेवन्द लगाया है। गुलाम और खेत का भी यही ह़ाल है। नाफ़ेअ़ ने इन तीनों चीज़ों का नाम लिया था।

(दीगर मक़ाम : 2204, 2206, 2379, 2716)

٢٢٠٣- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : ((أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ)).

[أطرافه في: ٢٢٠٤، ٢٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٧١٦].

या'नी अगर एक गुलाम बेचा जाए और उसके पास माल हो तो वो माल बायेअ़ (बेचने वाले) ही का होगा। इसी त़रह़ लौण्डी अगर बिके तो उसका बच्चा जो पैदा हो चुका हो वो बायेअ़ ही का होगा। पेट का बच्चा मुशतरी का होगा लेकिन अगर ख़रीददार पहले ही उन फलों या लौण्डी गुलाम के मुता'ल्लिक़ चीज़ों के लेने की शर्त़ पर सौदा करे और वो मालिक उस पर राज़ी भी हो जाए तो फिर वो फल या लौण्डी गुलामों की वो सारी चीज़ें उसी ख़रीददार की होंगी। शरीअ़त का मंशा ये है कि लेन–देन के मामलात में फ़रीक़ेन का बाहमी त़ौर पर जुम्ला तफ़्सीलात तै कर लेना और दोनों त़रफ़ से उनका मंज़ूर कर लेना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर कोई झगड़ा फ़साद पैदा न हो।

2204. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया अगर किसी ने खजूर के ऐसे दरख़्त बेचे हों जिनको पेवन्द किया जा चुका था तो उसका फल बेचने वाले ही का रहता है। अल्बत्ता अगर ख़रीदने वाले ने शर्त़ लगा दी हो। (कि फल समेत सौदा हो रहा है तो फल भी ख़रीददार की मिल्कियत में आ जाएँगे)

(राजेअ़ : 2203)

٢٢٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).

[راجع: ٢٢٠٣]

तश्रीह : ह़दीष़ में लफ़्ज़ गुलाम भी आया है, जिसका मत़लब ये कि अगर कोई शख़्स अपना गुलाम बेचे तो उस वक़्त जितना माल गुलाम के पास है वो अस़ल मालिक ही का समझा जाएगा और वो ख़रीदने वाले को सिर्फ़ खाली गुलाम मिलेगा। हाँ अगर ख़रीददार ये शर्त़ कर ले कि मैं गुलाम को उसके तमाम मिल्कियत समेत ख़रीदता हूँ, तो फिर सारे माल-अस्बाब ख़रीददार के होंगे। यही ह़ाल पेवन्दी बाग़ का है। ये आपस की मामलादारी पर मौक़ूफ़ (आधारित) हैं। अर्ज़े मज़रूआ की बेअ़ के लिये भी यही उसूल है। ह़ाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **व हाज़ा कुल्लहू इन्द इत्लाक़ि बैइल्बुख़्लि मिन ग़ैरि तअ़रूज़िन लिल्मर्अति फ़इन शरतहल्मुश्तरी बिअन्न क़ाल इश्तरैतुन्नख़्ल बिष़मरतिहा कानत लिल्मुश्तरी व इन शरतहल्बाइउ लिनफ़्सिही क़ब्लत्ताबीर कानत लहू** या'नी ये मामला ख़रीददार पर मौक़ूफ़ है अगर उसने फलों समेत की शर्त़ पर सौदा किया है तो फल उसे मिलेंगे और अगर बायेअ़ ने अपने लिये उन फलों की शर्त़ लगा दी है तो बायेअ़ का ह़क़ होगा।

इस ह़दीष़ से फलों का पेवन्दी बनाना भी जाईज़ ष़ाबित हुआ। जिसमें माहिरीने फ़न नर दरख़्तों की शाख़ काटकर मादा दरख़्त की शाख़ के साथ बाँध देते हैं और क़ुदरते ख़ुदावन्दी से वो दोनों शाख़ें मिल जाती हैं। फिर वो पैवन्दी दरख़्त बकष़रत

फल देने लग जाता है। आजकल इस फ़न ने बहुत तरक़्क़ी की है और अब तो तजुर्बाति जदीदा ने न सिर्फ़ पेड़ों बल्कि ग़ल्लाजात (अनाजों) तक के पौधों में इस अ़मल से कामयाबी ह़ासिल की है यहाँ तक कि जानवरों पर भी ये तजुर्बात किये जा रहे हैं।

बाब 91 : खेती का अनाज जो अभी दरख़्तों पर हो माप की रू से ग़ल्ला के बदले बेचना

٩١- بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً

2205. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया, कि नबी करीम (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़र्माया। या'नी बाग़ के फलों को, अगर वो खजूर हैं तो टूटी हुई खजूर के बदले नापकर बेचा जाए। और अगर अंगूर हैं तो उसे खुश्क अंगूर के बदले नापकर बेचा जाए। और अगर वो खेती है तो नापकर ग़ल्ला के बदले बेचा जाए। आपने इन तमाम क़िस्मों के लेन–देन से मना किया। (राजेअ़ : 2171)

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ)) [راجع: ٢١٧١]

तश्रीह़ : ह़ाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **अज्मअ़ल्उलमाउ अ़ला अन्नहू ला यजुज़ु बैउज्जरइ क़ब्ल अंय्यक़्तअ बित्तआमि लिअन्नहू बैउन मज्हूलुन व अम्मा बैउरूतबि ज़ालिक बियाबिसिही बअ़दल्क़त्इ व इम्कानुल मुमाष़लति फ़ल्जुम्हूरू ला यजूज़ुन बैअ़ लिशैइन मिन ज़ालिक** या'नी इस पर उ़लमा का इज्माअ़ है कि खेती को उसके काटने से पहले ग़ल्ले के साथ बेचना दुरुस्त नहीं। इसलिये कि वो एक मा'लूम ग़ल्ले के साथ मज्हूल चीज़ की बेअ़ है। उसमें दोनों के लिये नुक़्सान का अंदेशा है। ऐसे ही तर काटने के बाद खुश्क के साथ बेचना जुम्हूर इस क़िस्म की तमाम बुयूअ़ को नाजाइज़ कहते हैं। उन सब में नफ़ा– नुक़्सान दोनों अंदेशे हैं और शरीअ़ते मुह़म्मदिया ऐसे तमाम मुम्किन (यथासम्भव) नुक़्सानात की बुयूअ़ को नाजाइज़ क़रार देती है।

बाब 92 : खजूर के दरख़्त को जड़ समेत बेचना

٩٢- بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

2206. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जिस शख़्स ने भी किसी खजूर के दरख़्त को पेवन्दी बनाया। फिर उस दरख़्त ही को बेच दिया तो (उस मौसम का फल) उसी का होगा जिसने पेवन्दी किया है लेकिन अगर ख़रीददार ने भी शर्त लगा दी है। (तो ये अम्र दीगर है) (राजेअ़ : 2203)

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ)). [راجع: ٢٢٠٣]

मा'लूम हुआ कि यहाँ भी मामला ख़रीददार पर मौक़ूफ़ है। अगर उसने कोई शर्त लगाकर वो बेअ़ की है तो वो शर्त नाफ़िज़ होगी और अगर बग़ैर शर्त सौदा हुआ है तो उस मौसम का फल पहले मालिक ही का होगा। जिसने उन दरख़्तों को पेवन्दी किया है ह़दीष़ से दरख़्त का अस़ल जड़ समेत बेचना ष़ाबित हुआ।

बाब 93 : बेअ़े मुख़ाज़रा का बयान

٩٣- بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

मेवा या अनाज पकने से पहले बेचना, कच्चेपन की हालत में जब वो सब्ज़ हो उसी को बेअ़े मुख़ाज़रा कहते हैं।

2207. हमसे इस्हाक़ बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उ़मर बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इस्हाक़ बिन अबी त़लहा अंस़ारी ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुख़ाज़रा, मुलामसा, मुनाबज़ा और मुज़ाबना से मना फ़र्माया है।

٢٢٠٧- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ)).

हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **वल्मुरादु बैउष़्ष़िमारि वल्हुबूबि क़ब्ल अंय्यब्दु स़लाहुआ** या'नी मुख़ाज़िरा के मा'नी पकने से पहले ही फ़स़ल को खेत में बेचना है और ये नाजाईज़ है मुहाक़ला का मफ़्हूम भी यही है। दीगर वारिदा इस्तिलाहात (परिभाषाओं) के मा'नी उनके मुक़ामात पर मुफ़स़्स़ल बयान हो चुके हैं ।

2208. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे हुमैद ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने दरख़्त की खजूर को ज़हू से पहले टूटी हुई खजूर के बदले में बेचने से मना फ़र्माया। हमने पूछा कि ज़हू क्या है? उन्होंने फ़र्माया कि वो पक के सुर्ख़ हो जाए या ज़र्द हो जाए। तुम ही बताओ कि अगर अल्लाह के हुक्म से फल न आ सका तो तुम किस चीज़ के बदले अपने भाई (ख़रीददार) का माल अपने लिये हलाल करोगे। (राजेअ़ : 1488)

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرٍ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ)). [راجع: ١٤٨٨]

तश्रीह : हदीष़ अपने मआनी में मज़ीद तशरीह की मुहताज नहीं है। कोई भी ऐसा पहलू जिसमें ख़रीदने वाले या बेचने वाले के लिये नुक़्स़ान होने का अंदेशा हो, शरीअ़त की निगाहों में नापसन्दीदा है। हाँ जाईज़ तौर पर सौदा होने के बाद नफ़ा–नुक़्स़ान ये क़िस्मत का मामला है। तिजारत नफ़ा ही के लिये की जाती है, लेकिन कुछ दफ़ा घाटा भी हो जाता है लिहाज़ा ये कोई चीज़ नहीं। आजकल रेस वग़ैरह की शक्लों में जो धंधे चल रहे हैं, शरअ़न ये सब हराम और नाजाइज़ बल्कि सूदख़ोरी में दाख़िल हैं। हदीष़ के आख़िरी जुम्ला का मतलब ज़ाहिर है कि तुमने अपना कच्चा बाग़ किसी भाई को बेच दिया और उससे तयशुदा रुपया भी वसूल कर लिया। बाद में बाग़ फल न ला सका, आफ़तज़दा हो गया या कम फल लाया तो अपने ख़रीददार भाई से जो रक़म तुमने वसूल की है वो तुम्हारे लिये किस जिंस के बदले हलाल होगी। पस ऐसा सौदा ही न करो।

बाब 94 : खजूर का गाभा बेचना या खाना

(जो सफ़ेद सफ़ेद अंदर से निकलता है)

٩٤- بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

2209. हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया। कहा कि हमसे अबू अ़वाना ने बयान किया, उनसे अबू बिश्र ने, उनसे मुजाहिद ने, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर

٢٢٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

عَنهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: ((مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ))، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَالَ : ((هِيَ النَّخْلَةُ)). [راجع: ٦١]

(रज़ि.) ने कि मैं रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था। आप (ﷺ) खजूर का गाभा खा रहे थे। उसी वक़्त में आपने फ़र्माया कि दरख़्तों में एक दरख़्त मर्दे मोमिन की मिष़ाल है मेरे दिल में आया कि कहूँ कि खजूर का दरख़्त है। लेकिन हाज़िरीन में, मैं ही सबसे छोटी उ़म्र का था (इसलिये बत़ौरे अदब में चुप रहा) फिर आपने ख़ुद ही फ़र्माया कि खजूर का दरख़्त है। (राजेअ : 61)

ये ह़दीष़ पहले पारे किताबुल इ़ल्म में भी गुज़र चुकी है। और जब खाना दुरुस्त हुआ तो उसका बेचना भी दुरुस्त होगा। पस तर्जुमा बाब निकल आया। कुछ ने कहा कि खजूर के दरख़्त पर गूँद निकल आता था जो चर्बी की तरह सफ़ेद होता था। वो खाया जाता था। मगर उस गूँद के निकलने के बाद वो दरख़्त फल नहीं देता था।

٩٥- بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ

وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِيْنَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانِقَيْنِ، فَرَكِبَهُ؛ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.

बाब 95 : खरीद व फ़रोख़्त और इजारे में हर मुल्क के दस्तूर के मुवाफ़िक़

हुक्म दिया जाएगा उसी त़रह़ माप और तौल और दूसरे कामों में उनकी निय्यत और रस्मो-रिवाज के मुवाफ़िक़ और क़ाज़ी शुरैह़ ने सूत बेचने वालों से कहा जैसे तुम लोगों का रिवाज है उसी के मुवाफ़िक़ हुक्म दिया जाएगा। और अ़ब्दुल वह्हाब ने अय्यूब से रिवायत की, उन्होंने मुह़म्मद बिन सीरीन से कि दस का माल ग्यारह में बेचने में कोई क़बाह़त नहीं। और जो ख़र्चा पड़ा है उस पर भी यही नफ़ा ले और आँह़ज़रत (ﷺ) ने हिन्दा (अबू सुफ़यान की बीवी) से फ़र्माया, तू अपना और अपने बच्चों का ख़र्च दस्तूर के मुवाफ़िक़ निकाल ले। और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि जो कोई मुहताज हो वो (यतीम के माल में से) नेक निय्यती के साथ खा ले। और इमाम ह़सन बस़री (रह.) ने अ़ब्दुल्लाह बिन मिरदास से गधा किराये पर लिया तो उनसे उसका किराया पूछा, तो उन्होंने कहा कि दो दानिक़ है (एक दानिक़ दिरहम का छठा ह़िस़्स़ा होता है) उसके बाद वो गधे पर सवार हुए। फिर दूसरी बार एक ज़रूरत पर आप आए और कहा कि मुझे गधा चाहिये। इस बार आप उस पर किराया मुक़र्रर किये बग़ैर सवार हुए और उनके पास आधा दिरहम भेज दिया।

मष़लन किसी मुल्क में सौ रुपया भर का सेर मुरव्वज है तो जिसने सेर भर ग़ल्ला बेचा, उसको उसी सेर से देना होगा। इसी त़रह़ मुल्क में जिस रुपये पैसे का रिवाज है अगर अ़क़्द में दूसरे सिक्के की शर्त़ न हो तो वही राइज सिक्का मुराद होगा। अल्ग़र्ज़ जहाँ जैसा दस्तूर है उसी दस्तूर के मुवाफ़िक़ बेअ़ व शरअ़ की जाएगी। दानिक़ दिरहम का छठा ह़िस़्स़ा होता है। ह़ज़रत ह़सन बस़री

(रह.) ने दस्तूरे मुरव्वजा (प्रचलित नियम) पर अमल किया कि एक गधे का किराया दो दानिक़ होता है। एक दानिक़ उसे ज़्यादा दे दिया, ताकि एहसान का ए'तिराफ़ हो। **हल जज़ाउल् इह्सानि इल्लल एह्सान** (अर्रह्मान : 60)

2210. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़ बर दी, उन्हें हुमैद तवील ने और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को अबू तैबा ने पछना लगाया। तो आपने उन्हें एक स़ाअ खजूर (मज़दूरी में) देने का हुक्म फ़र्माया। और उसके मालिकों से फ़र्माया कि वो उसके ख़िराज में कुछ कमी कर दें।

(राजेअ : 2102)

٢٢١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ)).

[راجع: ٢١٠٢]

तश्रीह : इस हदीष़ से बहुत से उमूर पर रोशनी पड़ती है। मष़लन ये कि पछना लगवाना जाइज़ है और वो हदीष़ जिसमें उसकी मुमानअत वारिद है मन्सूख़ है। और ये भी ष़ाबित हुआ कि नौकरों, ख़ादिमों, ग़ुलामों से उनकी ताक़त के मुवाफ़िक़ ख़िदमत लेनी चाहिये। और उनकी मज़दूरी में कंजूसी न करनी चाहिये। और ये भी कि उज्रत में नक़दी के अलावा जिन्सें भी (चीज़ें) देनी दुरुस्त हैं बशर्ते कि मज़दूर पसन्द करे। ख़िराज से यहाँ वो टेक्स मुराद है जो उसके आक़ा उससे रोज़ाना वसूल किया करते थे। आपने फ़र्माया कि उसमें कमी कर दें।

2211. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उर्वा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि मुआविया (रज़ि.) की वालिदा हज़रत हिन्दह (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से कहा कि अबू सुफ़यान बख़ील आदमी है। तो क्या अगर मैं उनके माल में से छुपाकर कुछ ले लिया करूँ तो कोई हर्ज है? आपने फ़र्माया कि तुम अपने लिये और अपने बेटों के लिये नेक निय्यती के साथ इतना ले सकती हो जो तुम सबके लिये काफ़ी हो जाया करे।

(दीगर मक़ाम : 2460, 3825, 5359, 5364, 5370, 6641, 7161)

٢٢١١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: ((خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

[أطرافه في: ٢٤٦٠، ٣٨٢٥، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١].

तश्रीह : हज़रत हिन्दा बिन्ते उत्बा ज़ोजा अबू सुफ़यान, हज़रत मुआविया (रज़ि.) की वालिदा हैं। इस हदीष़ से बीवियों के हुक़ूक़ पर भी रोशनी पड़ती है कि अगर शौहर नान–नफ़्क़ा न दें या बुख़्ल (कंजूसी) से काम लें तो उनसे वसूल करने के लिये हर जाइज़ रास्ता इख़्तियार कर सकती हैं। मगर नेक निय्यती का लिहाज़ रखना ज़रूरी है और अगर महज़ फ़साद और ख़ाना ख़राबी मद्देनज़र है, तो फिर ये रुख़्सत (छूट) ख़त्म हो जाती है।

2212. मुझसे इस्हाक़ ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने नुमैर ने बयान किया, कहा कि हमें हिशाम ने ख़बर दी, (दूसरी सनद) और मुझसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि मैंने उष़्मान बिन

٢٢١٢- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ ((سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيْمِ الَّذِي يُقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ: إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ)).

[طرفاه في : ٢٧٦٥، ٤٥٧٥].

फ़र्क़द से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने हिशाम बिन उर्वा से सुना, वो अपने बाप से बयान करते थे कि उन्होंने आइशा (रज़ि.) से सुना, वो फ़र्माती थीं कि (क़ुर्आन की आयत) जो शख़्स मालदार हो वो (अपने ज़ेरे परवरिश यतीम का माल हज़म करने से) अपने को बचाए। और जो फ़क़ीर हो वो नेक निय्यती के साथ उसमें से खा ले। ये आयत यतीमों के उन सरपरस्तों के बारे में नाज़िल हुई थी जो उनकी और उनके माल की निगरानी और देखभाल करते हों कि अगर वो फ़क़ीर हैं तो (उस ख़िदमत के बदले) नेक निय्यती के साथ उसमें से खा सकते हैं। (दीगर मक़ाम : 2765, 4575)

٩٦- بَابُ بَيْعِ الشَّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ

बाब 96 : एक साझी अपना हिस्सा दूसरे साझी के हाथ बेच सकता है

٢٢١٣- حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ)).

[أطرافه في : ٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٢٤٩٥، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦].

2213. हमसे महमूद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उन्हें मअमर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें अबू सलमा ने और उन्हें जाबिर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शुफ़आ का हक़ हर उस माल में क़रार दिया था जो तक़्सीम न हुआ हो। लेकिन जब उसकी हदबन्दी हो जाए और रास्ते भी फेर दिये जाएँ तो अब शुफ़आ का हक़ बाक़ी नहीं रहा।

(दीगर मक़ाम : 2214, 2257, 2495, 2496, 6976)

तश्रीह : माल से मुराद ग़ैर–मन्क़ूला (अचल सम्पत्ति) है, जैसे मकान, ज़मीन, बाग़ वग़ैरह क्योंकि जायदाद मन्क़ूला में बिल इज्मा शुफ़आ नही है और अता का क़ौल शाज़ है जो कहते हैं हर चीज़ में शुफ़आ है। यहाँ तक कि कपड़े में भी। ये हदीष़ शाफ़िइया के मज़हब की ताईद करती है कि हमसाया (पड़ौसी) को शुफ़आ का हक़ नहीं है सिर्फ़ शरीक को है। यहाँ इमाम बुख़ारी ने ये हदीष़ लाकर बाब का मतलब इस तरह से निकाला कि जब शरीक को शुफ़आ का हक़ हुआ तो वो दूसरे शरीक का हिस्सा ख़रीद लेगा। पस एक शरीक का अपना हिस्सा दूसरे शरीक के हाथ बेअ करना भी जाइज़ हुआ और यही बाब का तर्जुमा है।

शुफ़आ उस हक़ को कहा जाता है जो किसी पड़ौसी या किसी साझी को अपने दूसरे पड़ौसी या साझी की जायदाद में उस वक़्त तक बाक़ी रहता है जब तक वो साझी या पड़ौसी अपनी उस जायदाद को फ़रोख़्त न करे दे। शरीअत का हुक्म ये है कि ऐसी जायदाद की ख़रीद व फ़रोख़्त में हक़्क़े शुफ़आ रखने वाला उसका मजाज़ है कि जायदाद अगर किसी ग़ैर ने ख़रीद ली हो तो वो उस पर दा'वा करे और वो बेअे अव्वल को फस्ख़ कराकर ख़ुद उसे ख़रीद ले। ऐसे मामलात में अव्वलियत हक़्क़े शुफ़आ रखने वाले ही को हासिल है। बाक़ी इस सिलसिले की बहुत सी तफ़्सीलात हैं । जिनमें से कुछ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ अहादीष़ की रोशनी में बयान की हैं। प्रचलित मोहम्मडन लॉ (भारत) में भी इसकी बहुत सी सूरतें हैं।

बाब 97 : ज़मीन, मकान, अस्बाब का हिस्सा अगर तक़्सीम न हुआ हो तो उसका बेचना दुरुस्त है

٩٧- بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

2214. हमसे मुहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाह़िद ने बयान किया, उनसे मअ़मर ने बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने और उनसे ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हर ऐसे माल में शुफ़्आ का ह़क़ क़ायम रखा जो तक़्सीम न हुआ हो। लेकिन जब उसकी ह़ुदूद क़ायम हो गई हों और रास्ता भी फेर दिया गया हो तो अब शुफ़्आ का ह़क़ बाक़ी नहीं रहा।

हमसे मुसद्दद ने और उनसे अ़ब्दुल वाह़िद ने उसी त़रह़ बयान किया, और कहा कि हर उस चीज़ में (शुफ़्आ है) जो तक़्सीम न हुई हो। उसकी मुताबअ़त हिशाम ने मअ़मर के वास्ते से की है और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने ये लफ़्ज़ कहे कि हर माल में उसकी रिवायत अ़ब्दुर्रह़मान बिन इस्ह़ाक़ ने ज़ुहरी से की है। (राजेअ़ : 2213)

٢٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ)).
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ: ((فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ)). تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ((فِي كُلِّ مَالٍ)) وَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٢٢١٣]

बाब 98 : किसी ने कोई चीज़ दूसरे के लिये उसकी इजाज़त के बग़ैर खरीद ली फिर वो भी राज़ी हो गया तो ये मामला जाइज़ है

٩٨- بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

2215. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा कि हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मूसा बिन उ़क़्बा ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने नबी करीम (स) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माय, तीन शख़्स कहीं बाहर जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। उन्होंने एक पहाड़ के ग़ार में जाकर पनाह ली। इत्तिफ़ाक़ से पहाड़ की एक चट्टान ऊपर से लुढ़की (और उस ग़ार के मुँह को बन्द कर दिया जिसमें ये तीनों पनाह लिये हुए थे) अब एक ने दूसरे से कहा कि अपने सबसे अच्छे अ़मल का जो तुमने कभी किया हो, नाम लेकर अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करो। इस पर उनमें से एक ने दुआ़ की, ऐ अल्लाह! मेरे माँ—

٢٢١٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ

فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ
بِالْحِلاَبِ فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ
أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي. احْتَبَسْتُ
لَيْلَةً فَجِئْتُ، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ
فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ
عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا
حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ عَنَّا فُرْجَةً
نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ.
وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي
كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ
مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ
ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ،
فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ
بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ
الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ
فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ
الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ،
فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى
ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ
بَقَرًا وَرَاعِيهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ
أَعْطِنِي حَقِّي ، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ
الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ:
أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ
بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

बाप बहुत ही बूढ़े थे। मैं बाहर ले जाकर अपने मवेशी चराता था। फिर जब शाम को वापस आता तो उनका दूध निकालता और बर्तन में पहले अपने वालिदैन को पेश करता। जब मेरे वालिदैन पी चुकते तो फिर बच्चों को और अपनी बीवी को पिलाता। इत्तिफ़ाक़ से एक रात वापसी में देर हो गई। और जब मैं घर लौटा तो वालिदैन सो चुके थे। उसने कहा कि फिर मैंने पसन्द नहीं कि कि उन्हें जगाऊँ बच्चे मेरे क़दमों में भूखे पड़े रो रहे थे। मैं बराबर दूध का प्याला लिये हुए वालिदैन के सामने उसी त़रह़ खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़दीक भी मैंने ये काम स़िर्फ़ तेरी रज़ा ह़ास़िल करने के लिये किया था, तो हमारे लिये इस चट्टान को हटाकर इतना रास्ता तो बना दे कि हम आसमान को तो देख सकें। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया। चुनाँचे वो पत्थर कुछ हट गया। दूसरे शख़्स़ ने दुआ़ की, ऐ अल्लाह! तू ख़ूब जानता है कि मुझे अपने चचा की एक लड़की से इतनी ज़्यादा मुहब्बत थी जितनी एक मर्द को किसी औ़रत से हो सकती है। उस लड़की ने कहा तुम मुझसे अपनी ख़्वाहिश उस वक़्त तक पूरी नहीं कर सकते जब तक मुझे सौ अशरफ़ी न दे दो। मैंने उनके ह़ास़िल करने की कोशिश की, और आख़िर इतनी अशरफ़ी जमा कर ली। फिर जब मैं उसके पास (ज़िना के इरादे से) बैठा तो वो बोली, अल्लाह से डर, और मुह्र को नाजाइज़ त़रीक़े पर न तोड़ इस पर मैं खड़ा हो गया और मैंने उसे छोड़ दिया। अब अगर तेरे नज़दीक भी मैंने ये अ़मल तेरी रज़ा के लिये किया था। तू हमारे लिये (निकलने का) रास्ता बना दे। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया। चुनाँचे वो पत्थर दो तिहाई हट गया। तीसरे शख़्स़ ने दुआ़ की, ऐ अल्लाह! तू जानता है कि मैंने एक मज़दूर से एक फ़रक़ जवार पर काम कराया था। जब मैंने उसकी मज़दूरी उसे दे दी तो उसने लेने से इंकार कर दिया। मैंने उस जवार को लेकर बो दिया (खेती जब कटी तो उसमें इतनी जवार पैदा हुई कि) उससे मैंने एक बैल और एक चरवाहा ख़रीद लिया। कुछ अ़र्से बाद फिर उसने आकर मज़दूरी माँगी, कि अल्लाह के बन्दे मुझे मेरा ह़क़ दे दे। मैंने कहा कि इस बैल और उसके चरवाहे के पास जाओ कि ये तुम्हारे ही मिल्क हैं। उसने कहा कि मुझसे मज़ाक़ करते हो। मैंने कहा, मैं मज़ाक़ नहीं करता, वाक़ई

ये तुम्हारे ही हैं। तो ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़दीक ये काम मैंने सिर्फ़ तेरी ही रज़ा के लिये किया था तू यहाँ हमारे लिये (इस चट्टान को हटाकर) रास्ता बना दे। चुनाँचे वो ग़ार पूरा खुल गया और वो तीनों शख़्स बाहर आ गये। (दीगर मक़ाम: 2272, 2333, 4365, 5974)

أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ)).

[أطرافه في: ٢٢٧٢، ٢٣٣٣، ٤٣٦٥، ٥٩٧٤].

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इस बाब में जो ये हदीष़ लाए, इससे मक़्सूद अख़ीर शख़्स का बयान है क्योंकि बग़ैर मालिक से पूछे उस जवार को दूसरे काम में सर्फ़ (ख़र्च) किया और उससे नफ़ा कमाया, और बेअ़ को भी उस पर क़यास किया तो बेअ़े फ़िज़ूली, निकाहे फ़िज़ूली की तरह सहीह है और मालिक की इजाज़त पर नाफ़िज़ हो जाती है।

इस हदीषे त़वील से आमाले स़ालेहा को बत़ौरे वसीला अल्लाह के सामने पेश करना भी षाबित हुआ कि अस़ल वसीला ऐसे ही आमाले स़ालेहा का है और आयते करीमा **वब्तग़ू इलैहिल वसीलत** का यही मफ़्हूम है। जो लोग क़ब्रों, मज़ारों और मुर्दा बुज़ुर्गों का वसीला ढूँढ़ते हैं, वो ग़लती पर हैं और ऐसे वसाइल कुछ दफ़ा शिर्कियात की हद में दाख़िल हो जाते हैं।

हदीष़ में चरवाहे का वाक़िया है जिससे बच्चों पर ज़ुल्म का शुब्हा होता है कि वो रात भर भूखे बिलखते रहे मगर ये ज़ुल्म नहीं है। ये उनकी नेक निय्यती थी कि वो पहले वालिदैन को पिलाना चाहते थे। और आयते करीमा **वयूअषिरूना अला अन्फ़ुसिहिम व लौ कान बिहिम ख़स़ास़तुन** (अल हश्र : 9) का एक मफ़्हूम ये भी हो सकता है जो यहाँ मज़्कूर है। **व हुना त़रीक़ुन आख़र फ़िल्जवाज़ि व हुव अन्नहू (ﷺ) ज़कर हाज़िहिल्किस्सत फ़ी मअ़रज़िल्मदहि वष़्षनाइ अला फ़ाइलिहा व अक़र्रहू अला ज़ालिक व लौ कान ला यजूज़ु लबय्यनहू** या'नी बाब के मज़्मून मज़्कूरा का जवाज़ यूँ भी षाबित हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) ने इस क़िस़्स़े को और उसमें उस मज़दूर के बारे में अम्र वाक़िया को बत़ौरे मदह व ष़ना ज़िक्र फ़र्माया। इसी से बाब का मज़मून षाबित हुआ, अगर ये फ़ेअ़ल नाजाइज़ होता तो आप उसे बयान फ़र्मा देते।

बाब 99 : हर्बी काफ़िर, ग़ुलाम, लौण्डी ख़रीदना और उसका आज़ाद करना और हिबा करना

٩٩- بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

हर्बी काफ़िर वो जो इस्लामी हुकूमत से जंग बरपा हुए हों और हर्ब (दुश्मन) सिलसिले के बीच मुताबिक़ क़वाइद शरई जारी हो।

2216. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअ़तमिर बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद थे कि एक मुस्टण्डा लम्बे क़द वाला मुश्रिक बकरियाँ हाँकता हुआ आया। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि ये बेचने के लिये हैं या अ़तिया हैं? या आपने ये फ़र्माया कि (ये बेचने के लिये हैं) या हिबा करने के लिये? उसने कहा कि नहीं बल्कि बेचने के लिये हैं। चुनाँचे आपने उससे एक बकरी ख़रीद ली।

٢٢١٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً - أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً)) - قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً)).

(दीगर मक़ाम : 2618, 5382)　　[طرفاه في : ٢٦١٨، ٥٣٨٢].

तश्रीह : ह़ाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **मुआमलतुल्कुफ़्फ़ारि जाइज़तुन इल्ला बैउम्मा यस्तईनु बिही अहलुल्हर्बि अलल्मुस्लिमीन वख़्तलफ़ल्उलमाउ फ़ी मुबायअति मन गालब मालुहुल्हराम व हुज्जतुन मन रख़्ख़स फ़ीहि क़ौलुहू (ﷺ) लिल्मुश्रिकि अ बैअन अम हिबतन व फ़ीहि जवाज़ु बैइल्काफ़िरि व इष्बातु मिल्किही अला मा फ़ी यदिही व जवाज़ु क़ुबूलिल्हदयति मिन्हु** (फ़त्हुल बारी) या'नी कुफ़्फ़ार से मामलादारी करना जाइज़ है मगर ऐसा मामला दुरुस्त नहीं जिससे वो अहले इस्लाम के साथ जंग करने में मदद पा सकें। और इस ह़दीष़ की रू से काफ़िर की बेअ़ को नाफ़िज़ मानना भी ष़ाबित हुआ। और ये भी कि अपने माल में वो इस्लामी क़ानून में मालिक ही माना जाएगा। और इस ह़दीष़ से काफ़िर का हदिया क़ुबूल करना भी जाइज़ ष़ाबित हुआ। ये जुम्ला क़ानूनी उमूर हैं जिनके लिये इस्लाम में हर मुम्किन गुंजाइश रखी गई है। मुसलमान जबकि सारी दुनिया में आबाद हैं, उनके बहुत से लेन-देन के मामलात ग़ैर-मुस्लिमों के साथ होते रहते हैं । लिहाज़ा उन सबको क़ानूनी सूरतों में बतलाया गया और इस सिलसिले में बहुत फ़राख़दिली से काम लिया गया है। जो इस्लाम के दीने फ़ित्रत और आलमगीर मज़हब होने की वाज़ेह़ दलील है।

बाब 100 : मुश्रिकों और ह़र्बी काफ़िरों के साथ ख़रीद व फ़रोख़्त करना

١٠٠- بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

और नबी करीम (ﷺ) ने सलमान फ़ारसी (रज़ि.) से फ़र्माया था कि अपने (यहूदी) मालिक से, मुकातबत कर ले। हालाँकि सलमान (रज़ि.) अ़सल में पहले ही से आज़ाद थे। लेकिन काफ़िरों ने उन पर ज़ुल्म किया कि बेच दिया। और इस तरह़ वो गुलाम बना दिये गये। इसी त़रह़ अ़म्मार, सुहैब और बिलाल (रज़ि.) भी क़ैद करके (गुलाम बना लिये गये थे और उनके मालिक मुश्किर थे) अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला ही ने तुममें एक को एक पर फ़ज़ीलत दी है रिज़्क़ में। फिर जिनकी रोज़ी ज़्यादा है। वो अपनी लौण्डी गुलामों को देकर अपने बराबर नहीं कर देते। क्या ये लोग अल्लाह का एह़सान नहीं मानते।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ، وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ، أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾.

तश्रीह : कि उसने मुख़्तलिफ़ ह़ालात के लोग पैदा किये। कोई गुलाम है कोई बादशाह, कोई मालदार है कोई मुह़ताज, अगर सब बराबर और यक्साँ होते तो कोई किसी का काम काहे को करता, ज़िंदगी दूभर हो जाती। पस ये इख़्तिलाफ़े ह़ालात और तफ़ावुते दरजात ह़क़ तआ़ला की एक बड़ी नेअ़मत है। इस आयत से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि काफ़िर, अपनी लौण्डी गुलामों के मालिक हैं और उनकी मिल्क स़ह़ीह़ है क्योंकि उनकी लौण्डी गुलामों को **मा मलकत अयमानिहिम** फ़र्माया। जब उनकी मिल्क स़ह़ीह़ हुई तो उनसे मोल लेना दुरुस्त होगा। (वह़ीदी)

किताबत उसको कहते हैं कि गुलाम मालिक को कुछ रुपया कई क़िस्तों में देना क़ुबूल करे। कुल रुपया अदा करने के बाद गुलाम आज़ाद हो जाता है।

ह़ज़रत सलमान (रज़ि.) को काफ़िरों ने गुलाम बना रखा था। मुसलमानों ने उनको ख़रीदकर आज़ाद कर दिया। ह़दीषे सलमान (रज़ि.) में मज़ीद तफ़्स़ीलात यूँ आई है। **षुम्म मर्र बी नफ़रूम्मिन क़ल्बि तुज्जारिन फ़हमलूनी मअ़हुम ह़त्ता इज़ा क़दमू बी वादियल्कुरा ज़लमूनी फ़बाऊनी मिन रजुलिन यहुदिय्यिन** (अल ह़दीष़) या'नी मैं फ़ारसी नस्ल से मुता'ल्लिक़ हूँ। हुआ ये कि एक बार बनू कल्ब के कुछ सौदागर मेरे पास से गुज़रे और उन्होंने मुझे उठाकर अपने साथ लगा लिया और आगे चलकर मज़ीद ज़ुल्म मुझ पर उन्होंने ये किया कि मुझको एक यहूदी के हाथ बेचकर उसका गुलाम बना दिया।

हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) अ़रबी अ़न्सी हैं। मगर उनको इसलिये ग़ुलामों में शुमार किया गया कि उनकी वालिदा सुमय्या (रज़ि.) नामी क़ुरैश की लौण्डियों में से थीं, उनकी कोख से ये पैदा हुए। उनके वालिद का नाम यासिर (रज़ि.) है। क़ुरैश ने उन सबके साथ ग़ुलामों जैसा मामला किया। यासिर (रज़ि.) बनी मख़्ज़ूम के ह़लीफ़ थे। मज़ीद तफ़्सीली ह़ालात ये है कि ह़ज़रत अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) अ़न्सी हैं। बनी मख़्ज़ूम के आज़ादकर्दा और ह़लीफ़ हैं। उसकी सूरत ये हुई कि ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) के वालिद यासिर (रज़ि.) मक्का में अपने दो भाइयों के साथ जिनका नाम ह़ारिष़ और मालिक था, अपने चौथे गुमशुदा भाई की तलाश में आए। फिर ह़ारिष़ और मालिक तो अपने मुल्क यमन को वापस चले गए। मगर यासिर मक्का में मुक़ीम हो गए और अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरह के ह़लीफ़ बन गये। अबू हुज़ैफ़ा ने उनका निकाह़ अपनी बांदी सुमय्या (रज़ि.) नामी से कर दिया। जिनके बत़न से ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) पैदा हुए। अबू हुज़ैफ़ा ने ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) को आज़ाद कर दिया। ये इब्तिदा ही में इस्लाम ले आए थे और उन कमज़ोर मुसलमानों में से हैं जिनको इस्लाम से हटाने के लिये बहुत सताया गया। यहाँ तक कि उनको आग में भी डाल दिया जिससे उन्हें अल्लाह ने मरने से बचा लिया। आँह़ज़रत (ﷺ) जब उनकी त़रफ़ से गुज़रते हुए उनकी तकलीफ़ों को देखते तो आपका दिल भर आता। आप उनके जिस्म पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरते और दुआ करते कि ऐ आग तू अ़म्मार पर उसी त़रह़ ठण्डी और सलामती वाली हो जा जिस त़रह़ तू ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पर हो गई थी। ये मुहाजिरीने अव्वलीन में से हैं। ग़ज़्व-ए-बद्र और जुम्ला ग़ज़्वात में शरीक हुए। जंगे सिफ़्फ़ीन में ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के साथ थे। 93 साल की उ़म्र में 37 हिज्री में जंगे स़फ़ीन ही में शहीद हुए।

ह़ज़रत सुहैब बिन सिनान अ़ब्दुल्लाह बिन जुदआ़न तैमी के आज़ादकर्दा हैं। कुन्नियत अबू यह़्या, शहर मूसल के बाशिन्दे थे। रोमियों ने उनको बचपन ही में क़ैद कर लिया था। लिहाज़ा परवरिश रोम में हुई। रोमियों से उनको एक शख़्स़ कल्ब नामी ख़रीदकर मक्का ले आया। जहाँ उनको अ़ब्दुल्लाह बिन जुदआ़न ने ख़रीदकर आज़ाद कर दिया। फिर ये अ़ब्दुल्लाह बिन जुदआ़न ही के ह़लीफ़ (साथी) बन गए थे। आँह़ज़रत (ﷺ) जब दारे अरक़म में थे तो अ़म्मार (रज़ि.) ने और उन्होंने एक ही दिन इस्लाम क़ुबूल किया। मक्का शरीफ़ में उनको बहुत तकलीफ़ दी गई, लिहाज़ा ये मदीना को हिजरत कर गए। 80 हिजरी में बउ़म्र 90 साल मदीना ही में इंतिक़ाल फ़र्माया और जन्नतुल बक़ीअ़ में दफ़न किये गए।

ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) के वालिद का नाम रबाह़ है। ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के आज़ादकर्दा मशहूर मुअज़्ज़िज़ स़ह़ाबी बल्कि मुअज़्ज़िने रसूल (ﷺ) हैं। ये भी मोमिनीने अव्वलीन में से हैं। मक्का में सख़्त तकालीफ़ बर्दाश्त कीं मगर इस्लाम का नशा न उतरा, बल्कि और ज़्यादा इस्लाम का इज़्हार किया। तमाम ग़ज़्वाते नबवी (ﷺ) में शरीक रहे। उनको ईज़ा-रसानी पहुँचाने वाला उमय्या बिन ख़लफ़ था जो बेह़द संगदिली से उनको क़िस्म-क़िस्म के अ़ज़ाबों में मुब्तला किया करता था। अल्लाह की मशिय्यत देखिए कि जंगे बद्र में उमय्या बिन ख़लफ़ मल्ऊन, ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ही के हाथों से क़त्ल हुआ। उ़मर का आख़िरी ह़िस्सा शाम (सीरिया) में गुज़रा। 63 साल की उ़म्र में 20 हिज्री में दमिश्क़ में इंतिक़ाल हुआ और बाबुस्सग़ीर में दफ़न हुए। कुछ ह़ल्ब में इंतिक़ाल बतलाते और बाबुल अरबईन में मदफ़ून होना लिखते हैं। उनके मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं। उनके कोई औलाद नहीं हुई। ताबेअ़ीन की एक कष़ीर जमाअ़त इनसे रिवायत करती है।

2217. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उनसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया, उनसे अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने सारा (रज़ि.) के साथ (नमरूद के मुल्क से) हिज्रत की तो एक ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ एक बादशाह रहता था या (ये फ़र्माया कि) एक ज़ालिम बादशाह रहता था। उससे इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बारे में किसी ने कह

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ - أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. فَقِيْلَ:

دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ : أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ : لاَ تُكَذِّبِي حَدِيْثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ - قَالَ الأَعْرَجُ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً)).

[أطرافه في : ٣٣٥٨، ٣٣٥٧، ٧٦٣٥،

दिया कि वो एक निहायत ही ख़ूबसूरत औरत लेकर यहाँ आए हैं। बादशाह ने आपसे पुछवा भेजा कि इब्राहीम! ये औरत जो तुम्हारे साथ है तुम्हारी क्या होती है? उन्होंने फ़र्माया कि ये मेरी बहन है। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा (रज़ि.) के यहाँ आए तो उनसे कहा कि मेरी बात न झुठलाना, मैं तुम्हें अपनी बहन कह आया हूँ। अल्लाह की क़सम! आज रूए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं है। चुनाँचे आपने सारा (रज़ि.) को बादशाह के यहाँ भेजा, या बादशाह हज़रत सारा (रज़ि.) के पास गया। उस वक़्त हज़रत सारा (रज़ि.) वुज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थीं। उन्होंने अल्लाह के हुज़ूर में ये दुआ की कि ऐ अल्लाह! अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ, और अगर मैंने अपने शौहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की है, तो तू मुझ पर एक काफ़िर को मुसल्लत न कर। इतने में वो बादशाह थर्राया और उसका पाँव ज़मीन में धंस गया। अअरज ने कहा कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया, कि हज़रत सारा (रज़ि.) ने अल्लाह के हुज़ूर में दुआ की कि ऐ अल्लाह! अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि उसी ने मारा है। चुनाँचे वे फिर छूट गया और हज़रत सारा (रज़ि.) की तरफ़ बढ़ने लगा। हज़रत सारा (रज़ि.) वुज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ने लगी थीं और ये दुआ करती जाती थीं, ऐ अल्लाह! अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ और अपने शौहर (हज़रत इब्राहीम) के सिवा और हर मौक़े पर मैंने अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की है तो तू मुझ पर इस काफ़िर को मुसल्लत न कर। चुनाँचे वो फिर थर्राया, कांपा और उसके पाँव ज़मीन में धंस गए। अब्दुर्रहमान ने बयान किया कि अबू सलमा ने बयान किया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि हज़रत सारा (रज़ि.) ने फिर वही दुआ की कि ऐ अल्लाह! अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसी ने मारा है। अब दूसरी बार या तीसरी बार भी वो बादशाह छोड़ दिया गया। आख़िर वो कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे यहाँ एक शैतान भेज दिया। उसे इब्राहीम के पास ले जाओ और उन्हें आजर (हज़रत हाजरा) को भी दे दो। फिर हज़रत सारा (रज़ि.) इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और उनसे कहा कि देखते नहीं अल्लाह ने काफ़िर को किस तरह ज़लील किया और साथ में एक लड़की भी दिलवा दी। (दीगर

मक़ाम : 7635, 3357, 3358, 5084, 6950) .[٦٩٥٠ ،٥٠٨٤

तशरीह : ज़मीने किन्आन से मिस्र का ये सफ़र इसलिये हुआ कि किन्आन उन दिनों सख़्त क़हतसाली (अकाल) की ज़द (चपेट) में आ गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजबूर होकर अपनी बीवी हज़रत सारा (रज़ि.) और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम और भेड़—बकरियों समेत मिस्र में पहुँच गए। उन दिनों मिस्र में फ़िरऔन रक़्यून नामी हुक्मरानी कर रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा (रज़ि.) बेहद हसीन थीं और वो बादशाह ऐसी हसीन औरतों की जुस्तजू में रहा करता था। इसलिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा (रज़ि.) को हिदायत फ़र्माई कि वो अपने आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहन ज़ाहिर करें। जब फ़िरऔने मिस्र ने हज़रत सारा (रज़ि.) के हुस्न का चर्चा सुना तब उन्होंने उनको बुलवा भेजा और फ़ेअले बद का इरादा किया मगर हज़रत सारा (रज़ि.) की बद्दुआ से वो बुराई पर क़ादिर न हो सका बल्कि ज़मीन में ग़र्क़ होने लगा। आख़िर उसके दिल पर उनकी अज़्मत नक़्श हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुआफ़ी मांगी और हज़रत सारा (रज़ि.) को वापस कर दिया और अपने ख़ुलूस और अक़ीदत के इज़्हार में अपनी बेटी हाजरा (रज़ि.) को उनकी नज़्र कर दिया ताकि वो सारा (रज़ि.) जैसी ख़ुदारसीदा ख़ातून की ख़िदमत में रहकर ता'लीम और तर्बियत हासिल करे और किसी वक़्त उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी की बीवी बनने का शर्फ़ हासिल हो। यहूदियों की किताब बरशीषलिया में ज़िक्र है कि हाजरा शाहे मिस्र की बेटी थी। ऐसा ही तब्री, ख़मीस और क़स्तलानी ने ज़िक्र किया है मगर ये अम्र निहायत ही क़ाबिले अफ़सोस है कि कुछ बदबातिन यहूद की हासिदाना तहरीरात में उनको लौण्डी कहा गया है और कुछ लोगों ने उन तहरीरों से मुताष्षिर होकर इस हदीष में वारिद लफ़्ज़ वलीदा का तर्जुमा लौण्डी कर दिया है हालाँकि क़ुर्आन व हदीष की इस्तिलाहे आम (सामान्य परिभाषा) में गुलाम और लौण्डी के लिये मिल्के यमीन का लफ़्ज़ है जैसा कि आयते क़ुर्आनी **वमा मलकत अयमानिहिम** से ज़ाहिर है लुग़ते अरब में जारिया और वलीदा के अल्फ़ाज़ आम लड़की के मा'नों में आते हैं। अरबी की बाइबिल में सब जगह हज़रत हाजरा के वास्ते जारिया का लफ़्ज़ इस्ते'माल हुआ है। अंग्रेज़ी बाइबिल में सब मुक़ामात पर मेढ़ का लफ़्ज़ है जिसके मा'नी वही हैं जो जारिया और वलीदा के हैं या'नी लड़की।

अबी सलूमर इस्हाक़ जो एक यहूदी आलिम हैं वो पैदाइश 1–16 में लिखते हैं कि जब फ़िरऔन मिस्री ने नबी की करामतों को जो सारा की वजह से ज़ाहिर हुईं, देखा तो उसने कहा कि बेहतर है मेरी बेटी उसके घर में ख़ादिमा होकर रहे वो इससे बेहतर होगी कि किसी दूसरे घर में वो मलिका बनकर रहे। चुनाँचे हज़रत हाजरा ने इब्राहीमी घराने में पूरी तर्बियत हासिल की और पचासी (85) साल की उम्र में जबकि आप औलाद से मायूस हो रहे थे। हज़रत सारा ने उनसे ख़ुद कहा कि हाजरा से शादी कर लो शायद अल्लाह पाक उन ही के ज़रिये तुमको औलाद अता करे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि शादी के बाद हज़रत हाजरा हामला हो गईं और उनको ख़्वाब में फ़रिश्ते ने बशारत दी कि तू एक बेटा जनेगी उसका नाम इस्माईल रखना कि अल्लाह तआला ने तेरा दुख सुन लिया। वो अरबी होगा उसका हाथ सब के ख़िलाफ़ होगा और सबके हाथ उसके बरख़िलाफ़ होंगे और वो अपने सब भाइयों के सामने बूदो—बाश करेगा। (तौरात पैदाइश 16 : 11–12)

अल्लाह तआला ने ये भी फ़र्माया कि देख हाजरा के बतन से पैदा होने वाले बच्चे इस्माईल के हक़ में मैंने तेरी दुआ सुन ली देखो मैं उसको बरकत दूँगा और उसे आबरूमन्द करूँगा और उसे बहुत बढ़ाऊँगा और उससे बारह सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी क़ौम बनाऊँगा । (तौरात पैदाइश 17 : 15–20)

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छियासी साल की उम्र थी कि उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हक़ में ये बशारत तौरात सफ़र तक्वीन बाब 17 दरस 20 में मौजूद है।

यहूदियों ने हज़रत हाजरा (रज़ि.) के लौण्डी होने पर हज़रत सारा (रज़ि.) के उस क़ौल से दलील ली है कि जो तौरात में मज़्कूर है कि जब हज़रत सारा (रज़ि.) हज़रत हाजरा (रज़ि.) से नाराज़ हो गईं तो उन्होंने इस डर से कि कहीं हज़रत हाजरा का फ़रज़न्द इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके फ़रज़न्द इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के साथ इब्राहीमी तर्का का वारिष न बन जाए ये कहा कि उस लौण्डी को और उसके बच्चे को यहाँ से निकाल दे। ये लफ़्ज़ हज़रत सारा (रज़ि.) ने ख़फ़्गी (नाराज़गी) के तौर

पर इस्ते'माल किया था वरना उनको मा'लूम था कि शरीअ़ते इब्राहीमी में लौण्डी गुलाम मालिक के तर्के में वारिष़ नहीं होते हैं। अगर ह़ज़रत हाजरा (रज़ि.) वाक़ई लौण्डी होती तो ह़ज़रत सारा (रज़ि.) ऐसी ग़लत़बयानी क्यूँ करती जबकि वो इब्राहीमी शरीअ़त के अह़कामात से पूरे त़ौर पर वाक़िफ़ थीं।

पस ख़ुद तौरात के इस बयान से वाजेह़ है कि ह़ज़रत हाजरा (रज़ि.) लौण्डी न थी बल्कि आज़ाद थी। इसीलिये ह़ज़रत सारा (रज़ि.) को उनके लड़के के वारिष़ होने का ख़त़रा हुआ और उनको दूर करने का मुत़ालबा किया। ख़ुलास़ा यही है कि ह़ज़रत हाजरा अ़लैहिस्सलाम शाहे मिस्र की बेटी थी जिसे बत़ौरे ख़ादिमा ता'लीम व तर्बियत ह़ास़िल करके ह़रमे नुबुव्वत में बीवी बनाने के लिये ह़ज़रत सारा अ़लैहिस्सलाम के ह़वाले किया गया था।

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के मुनअ़क़दा बाब में जिसके तह़त ये ह़दीष़ आई है कई बातें मल्ह़ूज़ की गई हैं जिसकी तशरीह़ अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) यूँ फ़र्माते हैं, **आजिर बिहम्ज़तिन मम्दूदतिन बदलुल्हाइ जीम मफ़्तूहतुन फ़राअ व कान अबू आजिर मिम्मुलूकिल्क़िब्ति** या'नी आजर ह़म्ज़ा मम्दूदा के साथ ही के बदले में है और जीम मफ़्तूहा के बाद रा है। और आजर का बाप फ़िरऔने मिस्र क़िब्त़ी बादशाहों में से था, यहाँ अ़ल्लामा क़स्तलानी ने साफ़ लफ़्ज़ों में बतलाया है कि ह़ज़रत हाजरा फिरऔने मिस्र की बेटी थी। वलीदा की तह़क़ीक़ में आप फ़र्माते हैं, **वल्वलीदतुल्जारियतु लिल्ख़िदमति सवाअन कानत कबीरतन औ स़ग़ीरतन व फ़िल्अस़्लि अल्वलीदु लितिफ़्लिन वल्उन्ष़ा वलीदतुन वल्जम्उ व लाइदु वल्मुरादु बिहा आजिरूल्मज्कूरति व मौज़उत्तर्जुमति आतूहा आजिर व क़ुबूलु सारत मिन्हु व इम्ज़ाउ इब्राहीम ज़ालिक फ़फ़ीहि सिह्हतुन हिबतुल्काफ़िरि व क़ुबूलु हदयतिस्सुल्तानिज़्ज़ालिमि व इब्तिलाइस्साहिलीन लिरफ़इ दरजातिहिम व फ़ीहि इबाहतुल्मआरीज़ि व अन्नहा मन्दूहतुन अ़निल्किज़्बि व हाज़ल्ह़दीषु अख़रजहू अयज़न फ़िल्हिबति वल्इक्राहि व अहादीष़िल अंबियाइ** (क़स्तलानी) या'नी लफ़्ज़ वलीदा लड़की पर बोला जाता है जो बत़ौरे ख़ादिमा हो उम्र में वो स़ग़ीरा (छोटी) हो या कबीरा (बड़ी) और दरअस़ल वलीदा लड़की को कहते हैं। उसकी जमा वलाइद आती है और यहाँ उस लड़की से मुराद आजर मज़्कूरा हैं जो हाजरा (अ़लैहिससलाम) से मशहूर हैं।

आगे अ़ल्लामा फ़र्माते हैं, या'नी यहाँ बाब का तर्जुमा अल्फ़ाज़ **अअ़तूहा आजर** से निकलता है कि उस काफ़िर बादशाह ने अपनी शहज़ादी हाजरा अ़लैहिस्सलाम को बत़ौरे अ़तिया पेश करने का हुक्म दिया और सारा अ़लैहिस्सलाम ने उसे क़ुबूल कर लिया और ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने भी इस मामले को मंज़ूर कर लिया। लिहाज़ा ष़ाबित हुआ कि काफ़िर किसी चीज़ को बत़ौरे हिबा किसी को दे तो उसका ये हिबा करना स़ह़ीह़ माना जाएगा और ज़ालिम बादशाह का हदिया क़ुबूल करना भी षाबित हुआ। और नेक लोगों का ज़ालिम बादशाहों की त़रफ़ से इब्तिला में डाला जाना भी ष़ाबित हुआ। उससे उनके दर्जात बुलन्द होते हैं। और ये भी ष़ाबित हुआ कि ऐसे आज़माईशो मौक़ों पर ग़ैर–मुबाह़ किनायात व तअरीज़ात का इस्ते'माल मुबाह़ हो जाता है और उनको झूठ में शुमार नहीं किया जा सकता। सय्यिदुल मुह़द्दिष़ीन ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ को अपनी जामेउस़्स़ह़ीह़ में और भी कई मुक़ामात पर नक़ल फ़र्माया है और इससे बहुत से मसाइल का इस्तिम्बात़ किया है।

ख़ुलासतुल मराम ये कि ह़दीषे हाज़ा में वारिद वलीदा लौण्डी के मा'नी में नहीं, बल्कि लड़की के मा'नी में है। ह़ज़रत हाजरा अ़लैहिस्सलाम शाहे मिस्र की बेटी थी। जिसे उसने ह़ज़रत सारा अ़लैहिस्सलाम को बरकत के लिये दे दिया था। लिहाज़ा यहूद का ह़ज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम को लौण्डी का बच्चा कहना मह़ज़ झूठ और इल्ज़ाम है।

यहाँ सर सय्यद ने ख़ुत्बाते अह़मदिया में कलकत्ता के एक मुनाज़रा का ज़िक्र किया है जो उसी मौज़ूअ पर हुआ जिसमें उ़लम-ए-यहूद ने बिल इत्तिफ़ाक़ तस्लीम किया था कि ह़ज़रत हाजरा (अ़लैहिस्सलाम) लौण्डी न थीं बल्कि शाहे मिस्र की बेटी थीं। ह़ज़रत मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम ने यहाँ लफ़्ज़ वलीदा का तर्जुमा लौण्डी किया है जो लड़की ही के मा'नों में है, हिन्दुस्तान के कुछ मक़ामात पर लड़की को लौण्डिया और लड़के को लौण्डा बोलते हैं।

बाब के तर्जुमे में चूँकि लफ़्ज़ हिबा भीआया है लिहाज़ा मा'लूम हुआ कि हिबा लग़्वी त़ौर पर मुत़्लक़ बख़्शिश को कहते हैं। अल्लाह पाक का एक स़िफ़ाती नाम वहाब भी है या'नी बेह़िसाब बख़्शिश करने वाला। शरअ़ मुह़म्मदी में हिबा की ता'रीफ़ ये है कि किसी जायदादे मन्क़ूला (चल) या ग़ैर–मन्क़ूला (अचल) को ब-रज़ा व रग़्बत और बिला मुआवज़ा मुन्तक़िल कर देना। मुंतक़िल करने वाले को वाहिब और जिसके नाम मुंतक़िल किया जाए उसे मौहूब लहू कहते हैं। ज़रूरी है कि उस

इंतिक़ाल को ख़ुद मौहूब लहू या उसकी त़रफ़ से कोई उसका ज़िम्मेदार आदमी वाहिब की ज़िंदगी ही में क़ुबूल कर ले। नीज़ ज़रूरी है कि हिबा करने वाला आक़िल बालिग़ हो। और ये भी ज़रूरी है कि हिबा की हुई चीज़ उस शख़्स के क़ब्ज़े में दी जाए जिसके नाम पर हिबा किया जा रहा है। हिबा के बारे में बहुत सी शरई तफ़्सीलात है जो कुतुबे फ़िक़्ह में तफ़्सील से मौजूद हैं। उर्दू ज़ुबान में ऑनरेबल मौलवी सय्यद अमीर अली साह़ब एम. ए. बेरिस्टराइट लॉ ने जामेउल अह़काम फ़ी फ़िक़्हुल इस्लाम के नाम से एक मुफ़स्सल किताब मुसलमानों के क़वानीने मज़हबी पर लिखी है उसमें हिबा के बारे में पूरी तफ़्सीलात दर्ज की गई हैं और भारतीय अदालत में जो पर्सनल लॉ ऑफ दी मुहम्मडंस, मुसलमानो के लिये मंज़ूरशुदा है। हर जुज़्ई में पूरी वज़ाहत से अह़कामे हिबा को बतलाया गया है।

2218. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उर्वा ने, उनसे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि, सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) अ़ब्द बिन ज़म्आ (रज़ि.) का एक बच्चे के बारे में झगड़ा हुआ। सअद (रज़ि.) ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये मेरे भाई उतैबा बिन अबी वक़्क़ास का बेटा है। उसने वसीयत की थी कि ये अब उसका बेटा है। आप ख़ुद मेरे भाई से इसकी मुशाबिहत देख लें। लेकिन अ़ब्द बिन ज़म्आ (रज़ि.) ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो मेरा भाई है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है और उसकी बाँदी के पेट का है। आँह़ज़रत (ﷺ) ने बच्चे की सूरत देखी तो साफ़ उतैबा से मिलती थी। लेकिन आप (ﷺ) ने यही फ़र्माया कि ऐ अ़ब्द! ये बच्चा तेरे ही साथ रहेगा, क्योंकि बच्चा फ़ेराश के ताबेअ होता है और ज़ानी के हिस्से में सिर्फ पत्थर है ओर ऐ सौदा बिन्ते ज़म्आ (रज़ि.) इस लड़के से तू पर्दा किया कर। चुनाँचे सौदा (रज़ि.) ने उसे फिर कभी नहीं देखा।

٢٢١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيْدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ : ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ)).

तश्रीह : ह़ालाँकि शरई क़ायदे की रू से आपने उस बच्चे को ज़म्आ का बेटा क़रार दिया, तो उम्मुल मोमिनीन सौदा (रज़ि.) उसकी बहन हो गईं। मगर एह़तियातन उनको उस बच्चे से पर्दा करने का हुक्म दिया। इसलिये कि उसकी सूरत उत्बा से मिलती थी और गुमाने ग़ालिब होता था कि वो उत्बा का बेटा है। ह़दीष़ से ये निकला कि शरई और बाक़ायदा षुबूत के मुक़ाबिल मुख़ालिफ़ गुमान पर कुछ नहीं हो सकता। बाब की मुत़ाबक़त इस त़रह़ पर है कि आप (ﷺ) ने ज़म्आ की मिल्क मुसल्लम रखी, ह़ालाँकि ज़म्आ काफ़िर था, और उसको अपनी लौण्डी पर वही ह़क़ मिला जो मुसलमानों को मिलता है तो काफ़िर का तसर्रुफ़ भी अपनी लौण्डी गुलामों में जैसे बेअ हिबा वग़ैरह नाफ़िज़ होगा। (वह़ीदी)

2219. हमसे मुह़म्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने बयान किया, उनसे सअद ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने सुहैब (रज़ि.) से कहा, अल्लाह से डर और अपने बाप के सिवा किसी और का बेटा न बन। सुहैब ने कहा कि

٢٢١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبٍ : اتَّقِ اللهَ وَلاَ

تَدْعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ. وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ)).

अगर मुझे इतनी इतनी दौलत भी मिल जाए तो भी मैं ये कहना पसन्द नहीं करता। मगर वाक़िया ये है कि मैं तो बचपन में ही चुरा लिया गया था।

तशरीह : हुआ ये था कि सुहैब (रज़ि.) की ज़ुबान रूमी थी, मगर वो अपना बाप एक अ़रब सिनान बिन मालिक को बताते थे। इस पर अ़ब्दुर्रह्मान (रज़ि.) ने उनसे कहा, अल्लाह से डर और दूसरों को अपना बाप न बना। सुहैब (रज़ि.) ने जवाब दिया कि मेरी ज़ुबान रूमी इस वजह से है कि बचपन में रूमी लोग ह़मला करके मुझको क़ैद करके ले गए थे। मैंने उन ही में परवरिश पाई, इसलिये मेरी ज़ुबान रूमी हो गई वरना मैं दरअस़ल अ़रबी हूँ। मैं झूठ बोलकर किसी और का बेटा नहीं बनता अगर मुझको ऐसी ऐसी दौलत मिले तब भी मैं ये काम न करूँ। इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि काफ़िरों की मिल्क स़ह़ीह़ और मुसल्लम है क्योंकि इब्ने जिदआ़न ने सुहैब (रज़ि.) को ख़रीद लिया और आज़ाद कर दिया। ह़ज़रत सुहैब (रज़ि.) के मनाक़िब बहुत कुछ हैं। जिन पर मुस्तक़िल बयान किसी जगह मिलेगा। ये बहुत ही खाना खिलाने वाले थे और कहा करते थे कि मैंने ह़ज़रत (ﷺ) की ये ह़दीष़ सुनी है कि तुममें बेहतर वो है जो ह़क़दारों को बकष़रत खाना खिलाए।

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُوْرًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ - أَوْ أَتَحَنَّتُ - بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيْمٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ)). [راجع: ١٤٣٦]

2220. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, कहा कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्हें ह़कीम बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उन नेक कामों के बारे में क्या हुक्म है, जिन्हें मैं जाहिलियत के ज़माने में स़िलह़ रह़मी, गुलाम आज़ाद करने और स़दक़ा देने के सिलसिले में किया करता था। क्या उन अ़अ़माल का भी मुझे ष़वाब मिलेगा? ह़ज़रत ह़कीम बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जितनी नेकियाँ तुम पहले कर चुके हो उन सबके साथ इस्लाम लाए हो। (राजेअ़ : 1436)

या'नी वो तमाम नेकियाँ क़ायम रहेंगी और ज़रूर उनका ष़वाब मिलेगा। आख़िर में ये ह़दीष़ लाकर ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ग़ालिबन ये इशारा किया है कि जाइज़ हुदूद में इस्लाम लाने से पहले के मुआ़मलात लेन–देन इस्लाम क़ुबूल करने के बाद भी क़ायम रहेंगे और उनमें कोई रद्दोबदल न होगा। या फ़रीक़ैन में से एक फ़रीक़ मुसलमान हो गया है और जाइज़ हुदूद में उसका लेन–देन का कोई सिलसिला है जिसका रिश्ता दौरे जाहिलियत से है तो वो अपने दस्तूर पर उसे चालू रख सकेगा।

١٠١- بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

बाब 101 : दबाग़त से पहले मुरदार की खाल (का बेचना जाइज़ है या नहीं?)

٢٢٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ

2221. हमसे ज़ुहैर बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे स़ालेह ने बयान किया, कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्हें उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, और

عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)). [راجع: ١٤٩٢]

उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलल्लाह (ﷺ) का गुज़र एक मुर्दा बकरी पर हुआ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसके चमड़े से तुम लोगों ने क्यूँ नहीं फ़ायदा उठाया? सहाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, कि वो तो मुरदार है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुरदार का सिर्फ़ ख़ाना मना है। (राजेअ़ : 1492)

तश्रीह : हालाँकि क़ुर्आन शरीफ़ में **हुर्रिमत अ़लेयकुमुल मयतत** (अल माइदा : 3) मुत्लक़ है। उसके सब हिस्सों को शामिल है, मगर हदीष़ से उसकी तख़्सीस़ हो गई कि मुरदार का सिर्फ़ खाना मना है। ज़ुहरी ने इस हदीष़ से दलील ली और कहा कि मुरदार की खाल से मुत्लक़न नफ़ा उठाना दुरुस्त है, दबाग़त हुई हो या न हुई हो। लेकिन दबाग़त की क़ैद दूसरी हदीष़ से निकाली गई है और जुम्हूर उ़लमा की वही दलील है। और इमाम शाफ़िई (रह.) ने मुरदारों में कुत्ते और सूअर को अलग किया है। उसकी खाल दबाग़त से भी पाक न होगी और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने सिर्फ़ सूअर और आदमी की खाल को मुस्तष़्ना (अलग) किया है।

١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ

وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ

बाब 102 : सूअर का मार डालना और जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने सूअर की ख़रीद व फ़रोख़्त को हराम क़रार दी है

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)).

[أطرافه في: ٢٤٧٦، ٣٤٤٨، ٣٤٤٩].

2222. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे मुसय्यिब ने और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये फ़र्माते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना आने वाला है जब इब्ने मरयम (ईसा अ़लैहिस्सलाम) तुममें एक आदिल और मुंसिफ़ हाकिम की हैष़ियत से उतरेंगे। वो स़लीब को तोड़ डालेंगे, सूअरों को मार डालेंगे और जिज़्या को ख़त्म कर देंगे। उस वक़्त माल की इतनी ज़्यादती होगी कि कोई लेने वाला न रहेगा। (दीगर मक़ाम : 2476, 3448, 3449)

तश्रीह : इस हदीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि सूअर नजिसुल ऐ़न (पूरी तरह नापाक) है इसकी बेअ़ जाइज़ नहीं वरना हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम उसे क़त्ल क्यूँ करेंगे और नेस्तो-नाबूद क्यूँ करेंगे? जिज़्या मौक़ूफ़ करने से ये ग़र्ज़ है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम फ़र्माएँगे या तो मुसलमान हो या क़त्ल हो, जिज़्या क़ुबूल न करेंगे।

इस हदीष़ से स़ाफ़ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का क़यामत के क़रीब उतरना और हुकूमत करना और स़लीब तोड़ना, जिज़्या मौक़ूफ़ करना ये सब बातें ष़ाबित होती हैं। और ता'ज्जुब होता है उस शख़्स़ की अ़क़्ल पर जो क़ादयानी मिर्ज़ा को मसीहे मौऊ़द समझता है। **अल्लाहुम्मा ष़ब्बित्ना अ़लल हक़्क़ व जन्निब्ना मिनल फ़ितनि मा ज़हर मिन्हा वमा बतन** (वहीदी)

क़त्ले खिंज़ीर से मुराद ये है कि **यामुरू बिइदामिही मुबालग़न फ़ी तहरीमि अक्लिही व फ़ीहि तौबीख़ुन अ़ज़ीमुन लिन्नसारा अल्लज़ीन युद्दऊन अन्नहुम अ़ला तरीक़ति ईसा ष़ुम्म यस्तहिल्लून अक्लल्ख़िन्ज़ीरि व युबालिग़ून फ़ी मुहब्बतिही** या'नी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम अपने दौरे हुकूमत में खिंज़ीर की नस्ल को ख़त्म करने का

हुक्म जारी कर देंगे। उसमें उसके खाने की हुर्मत में मुबालग़ा का बयान है और इसमें उन ईसाइयों के लिये बड़ी डांट है जो हज़रत ईसा के पैरोकार होने के दावेदार हैं, फिर भी ख़िंज़ीर खाना हलाल जानते हैं, और उसकी मुहब्बत में मुबालग़ा करते हैं।

आयाते क़ुर्आनिया और अहादीषे सहीहा के आधार पर तमाम अहले इस्लाम का सलफ़ से ख़लफ़ तक ये ए'तिक़ाद (यक़ीन) रहा है कि हज़रत ईसा बिन मरयम अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िन्दा हैं और वो क़यामत के क़रीब दुनिया में नाज़िल होकर शरीअते मुहम्मदिया के पैरोकार होंगे। चूँकि आजकल क़ादयानी फ़िर्क़ा ने इस बारे में बहुत कुछ झूठ फैलाकर कुछ नौजवानों के दिमाग़ों को मस्मूम (ज़हरीला) कर दिया है। लिहाज़ा चंद दलाइल, किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश किये जाते हैं जो अहले ईमान की तसल्ली के लिये काफ़ी होंगे।

क़ुर्आन मजीद की आयते शरीफ़ा नस्से क़त्ई है जिससे हयाते मसीह अलैहिस्सलाम रोज़े रोशन की तरह षाबित है **वइम्मिन् अहलिल किताबि इल्ला लयुअमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा** (अन निसा : 159) या'नी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे तो कोई अहले किताब यहूदी और ईसाई ऐसा बाक़ी न रहेगा जो आप पर ईमान न ले आए और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होंगे। हयाते मसीह के लिये ये आयत ठोस दलील है कि वो क़ुर्बे क़यामत नाज़िल होंगे और तमाम अहले किताब उन पर ईमान लाएँगे।

दूसरी आयत ये है, **वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन् शुब्बिह लहुम** (अन निसा : 157) **वमा क़तलूहु यक़ीनन् बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा** (अन निसा : 157,58) या'नी यहूदियों ने न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल किया न उनको फांसी दी, यक़ीनन ऐसा नहीं हुआ बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ़ उठा लिया और अल्लाह ग़ालिब हिक्मत वाला है। रफ़अ से मुराद रफ़अ मअल जसद है या'नी जिस्म मअ रूह (सशरीर), अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया और अब वो वहाँ ज़िन्दा मौजूद हैं। ये आयत भी हयाते मसीह पर ठोस दलील है।

तीसरी आयत ये है, **इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक वराफ़िउक इलय्य वमुतह्हिरूका मिनल्लज़ीन कफ़रू वजाईलुल्लज़ीनत्तबऊक फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल् क़ियामति** (आले इमरान : 55) या'नी जिस वक़्त कहा अल्लाह ने, ऐ ईसा! तहक़ीक़ लेने वाला हूँ, मैं तुझको और उठाने वाला हूँ, तुझको अपनी तरफ़ और पाक करने वाला हूँ तुझको उन लोगों से कि काफिर हुए। और करने वाला हूँ उन लोगों को कि पैरवी करेंगे तेरी ऊपर उन लोगों के कि काफ़िर हुए क़यामत के दिन तक।

ये तर्जुमा शाह अब्दुल क़ादिर (रह.) का है। आगे फ़ायदा में लिखते हैं कि यहूद के आलिमों ने उस वक़्त के बादशाह को बहकाया कि ये शख़्स मुल्हिद है तौरात के हुक्म से ख़िलाफ़ बतलाता है उसने लोग भेजे कि उनको पकड़ लावें, जब वो पहुँचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त भाग गए। उस समय में हक़ तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और एक सूरत उनकी रह गई। उसको पकड़कर लाए फिर सूली पर चढ़ाया। तवफ़्फ़ा के असल व हक़ीक़ी मा'नी अख़ज़ल् षिना वाफ़ियन के हैं जैसा कि बेज़ावी व क़स्तलानी और राज़ी वग़ैरह ने लिखा है। और मौते तवफ़्फ़ा के मा'नी मजाज़ी हैं न हक़ीक़ी, इसी वास्ते बग़ैर क़यामे क़रीना के मौत के मा'नी में इस्ते'माल नहीं होता। और यहाँ कोई क़रीना मौत का क़ायम नहीं है इसलिये असल व हक़ीक़ी मा'नी या'नी **अख़ज़ुश्शैइ वाफ़ियन** मुराद लिये जाएँगे। और इंसान का वाफ़िया लेना यही है कि रूह के साथ जिस्म के लिये जाए। वहुवल् मत्लूब। लिहाज़ा ये आयत भी हयाते मसीह पर क़तई दलील है।

चौथी आयत, **वइन्नहू लइल्मुन लिस्साअति फ़ला तम्तरुन्ना बिहा वत्तबिऊनि हाज़ा सिरातुम्मुस्तक़ीम** (अज़्ज़ुख़रूफ़ : 61) और तहक़ीक़ वो ईसा क़यामत की निशानी है। पस मत शक करो साथ उसके और पैरवी करो मेरी, ये है राह सीधी। इस आयत के ज़ेल में तफ़्सीर इब्ने कषीर में है, **अल्मुरादु बिज़ालिक नुज़ूलुहू क़ब्ल यौमिल्क़ियामति क़ाल मुजाहिद व अन्नहू लइल्मुन लिस्साअति अय आयतुन लिस्साअति ख़ुरूजु ईसा बिन मर्यम क़ब्ल यौमिल्क़ियामति व हाकज़ा रविय अबी हुरैरत व इब्नि अब्बासिन व अबिल्आलिया व अबी मालिक व अक्रमा वल्हसन व क़तादा व ज़िहाक व ग़ैरुहुम व क़द तवातरतिल्अहादीषु अन रसूलिल्लाहि (ﷺ) अन्नहू अख़्बर बिनुज़ूलि ईसा इब्नि मर्यम अलैहिस्सलाम क़ब्ल यौमिल्क़ियामति इमामन आदिलन व हकमन मुक्सितन** (इब्नि कषीर) या'नी यहाँ मुराद ईसा अलैहिस्सलाम हैं। वो क़यामत के क़रीब नाज़िल होंगे। मुजाहिद ने कहा कि वो क़यामत की निशानी होंगे। या'नी क़यामत

की अलामत। क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाज़िल होना है और अबू हुरैरह (रज़ि.) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) और अबुल आलिया और अबू मालिक और इक्रिमा और हसन और क़तादा और ज़िहाक वग़ैरह ने बयान फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में मुतवातिर अहादीषे सहीहा मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के क़रीब इमामे आदिल और हाकिमे मुन्सिफ़ बनकर नाज़िल होंगे। आयाते क़ुर्आनी के अलावा इन तमाम अहादीषे सहीहा के लिये दफ़्तर की ज़रूरत है। उन ही में से एक ये हदीषे बुख़ारी (रह.) भी है जो यहाँ मज़कूर हुई है। पस हयाते मसीह का अक़ीदा तमाम अहले इस्लाम का अक़ीदा है। और ये किताबुल्लाह व अहादीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) से षाबित है जो उसका इंकार करे वो क़ुर्आन व हदीष का इंकारी है। ऐसे मुंकिरों के हफ़्वात पर हर्गिज़ तवज्जह न देनी चाहिये। तफ़्सील के लिये बहुत सी किताबें इस मौज़ूअ पर मौजूद हैं। मज़ीद तवालत की गुंजाइश नहीं। अहले ईमान के लिये इस क़दर भी काफ़ी है।

बाब 103 : मुरदार की चर्बी गलाना और उसका बेचना जाइज़ नहीं

١٠٣ – بَابُ لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ

जुम्हूर उलमा का ये क़ौल है कि जिस चीज़ का खाना हराम है उसका बेचना भी हराम है) इसको जाबिर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है।

رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2223. हमसे हुमैदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझे ताऊस ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, आप फ़र्माते थे कि उमर (रज़ि.) को मा'लूम हुआ कि फ़लाँ शख़्स ने शराब बेची है, तो आपने फ़र्माया कि उसे अल्लाह तआला तबाह व बर्बाद कर दे। क्या उसे मा'लूम नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था, अल्लाह तआला यहूद को बर्बाद करे कि चर्बी उन पर हराम की गई थी लेकिन उन लोगों ने उसे पिघलाकर बेच दिया। (दीगर मक़ाम : 3460)

٢٢٢٣ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)). [طرفه في: ٣٤٦٠].

तश्रीह : वाक़िया ये है कि अहदे फ़ारूक़ी में एक आमिल ने एक ज़िम्मी से जो शराबफ़रोश था और शराब ले जा रहा था, उस शराब पर टैक्स वसूल कर लिया। हज़रत उमर (रज़ि.) इस वाक़िये की ख़बर पाकर ख़फ़ा हो गए और उसे डराने और नसीहत के लिये आपने उसे ये हदीष सुनाई। मा'लूम हुआ कि शराब से मुता'ल्लिक़ हर क़िस्म का कारोबार एक मुसलमान के लिये क़त्अन हराम है और ये भी मा'लूम हुआ कि मुहर्रमाते मंसूसा को हलाल बनाने के लिये कोई हीला बहाना तराशना, ये फ़ेअले यहूद है, अल्लाह हर मुसलमान को इससे महफ़ूज़ रखे। आमीन। अल्लाह करे कि किताबुल हियल का मुतालआ करने वाले मुअज़्ज़ हज़रात भी इस पर फ़ौरन ग़ौर फ़र्मा सकें।

2224. हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने कि मैंने सईद बिन मुसय्यिब से सुना, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया अल्लाह यहूदियों को तबाह

٢٢٢٤ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)).

करे, ज़ालिमों पर चर्बी ह़राम कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसे बेचकर उसकी क़ीमत खाई।

उन्होंने ह़ीला करके उसे अपने लिये ह़लाल बना लिया, इस ह़रकत की वजह से उन पर ये बद्दुआ की गई। मा'लूम हुआ कि ह़ीला बहाना करके किसी शरई ह़ुक्म में रद्दोबदल करना इंतिहाई जुर्म है और किसी ह़लाल को ह़राम करा लेना और ह़राम को ह़लाल करा लेना ये लअ़नत का हक़दार है। मगर सद अफ़सोस कि फ़ुक़हा-ए-किराम ने मुस्तक़िल किताबुल ह़ियल लिख डाली हैं। जिनमें कितने ही नावाजिब हीले बहाने तराशने की तदाबीर बतलाई गई हैं, अल्लाह रह़म करे।

١٠٤- بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

बाब 104 : ग़ैर जानदार चीज़ों की तस़्वीर बेचना और उसमें कौनसी तस़्वीर ह़राम है

٢٢٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا)). فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ: ((وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ. [طرفاه في : ٥٩٦٣، ٧٠٤٢].

2225. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने बयान किया, उन्हें औफ़ बिन अबी हुमैद ने ख़बर दी, उन्हें सईद बिन अबी ह़सन ने, कहा कि मैं इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर था कि एक शख़्स़ उनके पास आया, और कहा कि ऐ अबू अ़ब्बास! मैं उन लोगों मे से हूँ, जिनकी रोज़ी अपने हाथ की स़न्अ़त पर मौक़ूफ़ है और मैं ये मूरतें बनाता हूँ। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उस पर फ़र्माया कि मैं तुम्हें स़िर्फ़ वही बात बतलाऊँगा जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको ये फ़र्माते सुना था कि जिसने भी कोई मूरत बनाई तो अल्लाह तआ़ला उसे उस वक़्त तक अ़ज़ाब देता रहेगा जब तक कि वो शख़्स़ अपनी मूरत मे जान न डाल दे और वो कभी उसमें जान नहीं डाल सकता (ये सुनकर) उस शख़्स़ का सांस चढ़ गया और चेहरा ज़र्द (पीला) पड़ गया। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अफ़सोस! अगर तुम मूरतें बनानी ही चाहते हो इन दरख़्तों की और हर उस चीज़ की जिसमें जान नहीं है मूरतें बना सकते हो। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि सईद बिन अबी अ़रूबा ने नज़र बिन अनस से स़िर्फ़ यही एक ह़दीष़ सुनी है।

(दीगर मक़ाम : 5963, 7042)

इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसको किताबुल लिबास में अ़ब्दुल आला से, उन्होंने स़ईद बिन अबी अ़रूबा से, उन्होंने नज़्र से, उन्होंने

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से निकाला। इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने मूर्तियों की कराहत और हुर्मत निकाली।

बाब 105 : शराब की तिजारत करना ह़राम है

١٠٥-بَابُ تَحْرِيْمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

और जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया नबी करीम (ﷺ) ने शराब का बेचना ह़राम फ़र्मा दिया है।

وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخَمْرِ.

2226. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे अबू ज़ुहा ने, उनसे मसरूक़ ने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि जब सूरह बक़रः की तमाम आयतें नाज़िल हो चुकीं तो नबी करीम (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि शराब की सौदागरी ह़राम क़रार दी गई है।

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ)).

बाब 106 : आज़ाद शख़्स को बेचना कैसा है?

١٠٦- بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

2227. मुझसे बिश्र बिन मरहूम ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सुलैम ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन उमय्या ने, उनसे सईद बिन अबी सईद ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है कि तीन त़रह के लोग ऐसे होंगे जिनका क़यामत के दिन मैं मुद्दई बनूँगा, एक वो शख़्स जिसने मेरे नाम पर अ़हद किया और वो तोड़ दिया, वो शख़्स जिसने किसी आज़ाद इंसान को बेचकर उसकी क़ीमत खाई और वो शख़्स जिसने कोई मज़दूर उज्रत पर रखा, उससे पूरी त़रह काम लिया, उनकी मज़दूरी नहीं दी।
(दीगर मक़ाम : 2270)

٢٢٢٧- حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)).
[طرفه في: ٢٢٧٠].

बाब 107 : यहूदियों को जलावत़न करते वक़्त नबी करीम (ﷺ) का उन्हें अपनी ज़मीन बेच देने का हुक्म. इस सिलसिले में मक़्बरी की रिवायत अबू हुरैरह (रज़ि.) से है

١٠٧- بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِيْنَ أَجْلاَهُمْ، فِيْهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

तशरीह : बाबुल जिहाद में ये ह़दीष़ आ रही है जिसमें मज़्कूर है कि आपने बनू नज़ीर के यहूदियों से फ़र्माया था कि मैं तुमको (तुम्हारी मुसलसल ग़द्दारियों की वजह से) मदीना से जलावत़न करना (निकालना) चाहता हूँ और तुमको इख़्तियार देता हूँ कि तुम जायदाद बेच सकते हो। अपनी ज़मीनें बेचकर यहाँ से निकलने के लिये तैयार हो जाओ। गोया ह़ज़रत इमाम बुख़ारी

(रह.) ने ज़मीन की बेअ़ को भी आम अम्वाल की बेअ़ की मिष्ल क़रार दिया। यहाँ कुछ नुस्ख़ों में ये इबारत नहीं है।

बाब 108 : ग़ुलाम को ग़ुलाम के बदले और किसी जानवर को जानवर के बदले में उधार बेचना

١٠٨- بَابُ بَيْعِ الْعَبِيْدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने एक ऊँट चार ऊँटों के बदले में ख़रीदा था। जिनके बारे में ये तै हुआ था कि मुक़ामे रब्ज़ा में वो उन्हें उसे दे देंगे। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि कभी एक ऊँट, दो ऊँटों के मुक़ाबले में भी बेहतर होता है। राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने एक ऊँट दो ऊँटों के बदले में ख़रीदा था। एक तो उसे दे दिया था और दूसरे के बारे में फ़र्माया था कि वो कल इंशाअल्लाह किसी ताख़ीर के बग़ैर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। सईद बिन मुसय्यिब ने कहा कि जानवरों में सूद नहीं चलता। एक ऊँट दो ऊँटों के बदले, और एक बकरी दो बकरियों के बदले उधार बेची जा सकती है इब्ने सीरीन ने कहा कि एक ऊँट दो ऊँटों के बदले उधार बेचने में कोई हर्ज नहीं।

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوَفِّيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيْكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ: الْبَعِيْرُ بِالْبَعِيْرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : لاَ بَأْسَ بَعِيْرٍ بِبَعِيْرَيْنِ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيئَةً.

तश्रीह : रब्ज़ा एक मुक़ाम मक्का और मदीना के बीच है। बेअ़ के वक़्त ये शर्त हुई कि वो ऊँटनी बायेअ़ (बेचने वाले) के ज़िम्मे और उसकी हिफ़ाज़त में रहेगी और बायेअ़ रब्ज़ा पहुँचकर उसे मुशतरी (ख़रीदार) के हवाले कर देगा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के अष़र को इमाम शाफ़िई ने वस्ल किया है। ताऊस के तरीक़ से ये मा'लूम हुआ कि जानवर को जानवर के बदलने में कमी और बेशी और इसी तरह उधार भी जाइज़ है और ये सूद नहीं है गो एक ही जिंस का दोनों तरफ़ हो और शाफ़िइया बल्कि जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने इससे मना किया है। उनकी दलील समुरा (रज़ि.) की हदीष़ है जिसे अस्हाबे सुनन ने निकाला है। और इमाम मालिक (रह.) ने कहा है कि अगर जिंस मुख़्तलिफ़ हो तो जाइज़ है।

2228. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे ष़ाबित ने, उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि क़ैदियों में हज़रत स़फ़िया (रज़ि.) भी थीं। पहले तो वो दहिया कल्बी (रज़ि.) को मिलीं फिर नबी करीम (ﷺ) के निकाह में आईं।

(राजेअ़ : 371)

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ)). [راجع: ٣٧١]

तश्रीह : इस हदीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि जानवर से जानवर का तबादला दुरुस्त है उसी तरह ग़ुलाम का ग़ुलाम के बदले, लौण्डी का लौण्डी से क्योंकि ये सब हैवान ही तो हैं और हर हैवान का यही हुक्म होगा। कुछ ने ये ए'तिराज़ किया है कि इस हदीष़ में कमी और ज़्यादती का ज़िक्र नहीं है और न उधार का। इसका जवाब ये है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष़ के दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा किया है जिसको इमाम मुस्लिम ने निकाला। उसमें ये है कि

आपने स़फ़िया (रज़ि.) को सात लौण्डियाँ देकर ख़रीदा। इब्ने बत़्ताल ने कहा जब आपने दह़िया कल्बी (रज़ि.) से फ़र्माया, कि तू स़फ़िया (रज़ि.) के बदल और कोई लौण्डी क़ैदियों में से ले ले तो ये बेअ़ हुई लौण्डियों की बदले लौण्डी के उधार और इसका यही मत़लब है। (वह़ीदी)

हज़रत दहिया कल्बी (रज़ि.), ख़लीफ़ा कल्बी के बेटे हैं, बलन्द मर्तबे वाले स़ह़ाबी हैं। ग़ज़्व–ए–उहुद और बाद के तमाम ग़ज़्वात में शरीक हुए। सन् 6 हिजरी में आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनको नाम–ए–मुबारक (ख़त) देकर रोम के बादशाह क़ैसर के पास भेजा था। क़ैसर ने मुसलमान होना चाहा लेकिन अपनी ईसाई जनता के डर से इस्लाम क़ुबूल नहीं किया। ये दहिया कल्बी वही स़ह़ाबी हैं जिनकी शक्ल में ह़ज़रत जिब्राईल (अ़लैहिस्सलाम) आँह़ज़रत (ﷺ) के पास तशरीफ़ लाया करते थे। आख़िर दहिया कल्बी मुल्के शाम (वर्तमान सीरिया) में चले गये और अ़हदे–मुआ़विया तक वहीं रहे। बहुत से ताबेईन ने उनसे रिवायतें की हैं। हदीषे़–स़फ़िया (रज़ि.) में उन्हीं का ज़िक्र है।

बाब 109 : लौण्डी गुलाम बेचना

١٠٩- بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ

2229. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उनसे ज़ुह्री ने बयान किया कि मुझे इब्ने मुहैरीज़ ने ख़बर दी, और उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने ख़बर दी, कि वो नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर थे। (एक अंस़ारी स़ह़ाबी ने) नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! लड़ाई में हम लौण्डियों के पास जिमाअ़ के लिये जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। तो आप अ़ज़्ल कर लेने के बारे में क्या फ़र्माते हैं? उस पर आपने फ़र्माया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो? अगर तुम ऐसा न करो फिर भी कोई ह़र्ज नहीं। इसलिये कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह तआ़ला ने क़िस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी।

(दीगर मक़ाम : 2542, 4138, 5210, 6603, 7409)

٢٢٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : ((بَيْنَمَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: ((أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ)).

[أطرافه في: ٢٥٤٢، ٤١٣٨، ٥٢١٠، ٦٦٠٣، ٧٤٠٩].

तश्रीह : अ़ज़्ल कहते हैं जिमाअ़ के दौरान इंज़ाल के क़रीब ज़कर को फ़ुर्ज से बाहर निकाल लेना, ताकि औरत को ह़मल न रह सके। आँह़ज़रत (ﷺ) ने गोया एक त़रह़ से उसे नापसन्दीदा फ़र्माया और इर्शाद हुआ कि तुम्हारा अ़मल बात़िल है। जो जान पैदा होने वाली मुक़द्दर है वो तो उस सूरत में भी ज़रूर पैदा होकर रहेगी। इस ह़दीष़ से लौण्डी गुलाम की बेअ़ ष़ाबित हुई।

बाब 110 : मुदब्बर का बेचना कैसा है?

١١٠- بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

मुदब्बर वो गुलाम है जिसको मालिक कह दे कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है। शाफ़िई और अहले ह़दीष़ के यहाँ उसकी बेअ़ जाइज़ है जैसा कि ह़दीष़ ज़ेल में ज़िक्र है। एक शख़्स़ मर गया था, उसकी कुछ जायदाद न थी। स़िर्फ़ यही गुलाम मुदब्बर था और वो क़र्ज़दार था। आपने वही मुदब्बर गुलाम आठ सौ दिरहम को बेचकर उसका क़र्ज़ अदा कर दिया। अकष़र रिवायात में यही है कि उस शख़्स़ की ज़िन्दगी ही में आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनका क़र्ज़ अदा करने के लिये उनके इस मुदब्बर गुलाम को नीलाम फ़र्माया था और उनके क़र्ज़ख़्वाहों को फ़ारिग़ किया था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि क़र्ज़ का मामला कितना ख़त़रनाक है कि इसके लिये गुलामे मुदब्बर को नीलाम किया जा सकता है। हालाँकि वो गुलामे मुदब्बर अपने मालिक के मरने के बाद

आज़ाद हो जाता है।

2230. हमसे इब्ने नुमैर ने बयान किया, कहा कि हमसे वकीअ ने बयान किया, उनसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे सलमा बिन कुहैल ने, उनसे अ़ता ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मुदब्बर ग़ुलाम बेचा था।

(राजेअ़ : 2141)

٢٢٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ)) [راجع: ٢١٤١]

2231. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे अ़म्र ने, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना था, कि मुदब्बर ग़ुलाम को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेचा था। (तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है) (राजेअ़ : 2141)

٢٢٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ)). [راجع: ٢١٤١]

2232,33. मुझसे ज़ुहैर बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यअ़क़ूब ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे स़ालेह ने बयान किया कि इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्हें उ़बैदुल्लाह ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन ख़ालिद और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन दोनों ने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आपसे ग़ैर शादी-शुदा बाँदी के बारे में जो ज़िना कर ले, सवाल किया गया, आपने फ़र्माया कि उसे कोड़े लगाओ, फिर अगर वो ज़िना कर ले तो उसे कोड़े लगाओ। और फिर उसे बेच दो। (आख़िरी जुम्ला आपने) तीसरी या चौथी बार के बाद (फ़र्माया था)। (राजेअ़ : 2152)

٢٢٣٢، ٢٢٣٣- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: ((اجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ)). [راجع: ٢١٥٢]

तशरीह : इस ह़दीष़ की मुताबक़त बाब के तर्जुमे से मुश्किल है। ह़ाफ़िज़ ने कहा इस ह़दीष़ से ये निकला कि लौण्डी जब ज़िना करे तो उसको बेच डालें और ये आ़म है उस लौण्डी को भी शामिल है जो मुदब्बरा है। तो मुदब्बरा की बेअ़ का जवाज़ निकला, ऐ़नी ने उस पर ये ए'तिराज़ किया कि ह़दीष़ में जवाज़े बेअ़ ज़िना कराने पर मौक़ूफ़ रखा गया है और उन लोगों के नज़दीक तो मुदब्बर की बेअ़ हर ह़ाल में दुरुस्त है ख़्वाह वो ज़िना कराए या न कराए, तो उससे इस्तिदलाल स़ह़ीह़ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ऐ़नी का ए'तिराज़ फ़ासिद है। इसलिये कि मुदब्बरा लौण्डी अगर बार-बार ज़िना कराए तो उसके बेचने का जवाज़ इस ह़दीष़ से निकला और जो लोग मुदब्बर की बेअ़ को जाइज़ नहीं समझते वो ज़िना करने की सूरत में भी उसके जवाज़ के क़ाइल नहीं हैं। पस ये ह़दीष़ उनके क़ौल के ख़िलाफ़ हुई और मुवाफ़िक़ हुई उनके जो मुदब्बर की बेअ़ के जवाज़ के क़ाइल हैं। और गो बैअ़ का हुक्म इस ह़दीष़ में ज़िना के बार-बार होने पर दिया गया है, मगर क़रीना दलालत करता है कि बेअ़ उस पर मौक़ूफ़ नहीं है इसलिये कि जो लौण्डी मुत्लक़ ज़िना न करा ले या एक ही बार कराए उसका भी बेचना दुरुस्त है अब ऐ़नी का ये कहना कि ये दलालत इ़बारतुन्नस़ है या इशातुन्नस़ या दलालतुन्नस़ उसके जवाब में ये कहेंगे कि ये दलालतुन्नस़ है क्योंकि ह़दीष़ में मुत्लक़ लौण्डी का ज़िक्र है और वो मुदब्बरा को शामिल है। (वह़ीदी)

2234. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझे लैष ने ख़बर दी, उन्हें सईद ने, उन्हें उनके वालिद ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मैंने ख़ुद सुना है कि जब कोई बाँदी ज़िना कराए और वो ष़ाबित हो जाए तो उस पर हद्दे ज़िना जारी की जाए, अल्बत्ता उसे लअ़नत मलामत न की जाए। फिर अगर वो ज़िना कराए तो उस पर इस बार भी हद जारी की जाए लेकिन किसी क़िस्म की लअ़नत मलामत न की जाए। तीसरी बार भी अगर वो ज़िना करे और ज़िना ष़ाबित हो जाए तो उसे बेच डालें ख़्वाह बाल की एक रस्सी के बदले ही क्यूँ न हो।

(राजेअ़ : 2152)

٢٢٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلاَ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)).

[راجع: ٢١٥٢]

इसलिये कि ऐसी फ़ाह़िशा औरत एक मुसलमान के घर में नहीं रह सकती। क़ुर्आन पाक में अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, **अल् ख़बीष़ातु लिल् ख़बीष़ीना वल् ख़बीष़ूना लिल् ख़बीष़ाति** (अन् नूर : 26) या'नी ख़बीष़ ज़ानी औरतें बदकार ज़ानी मर्दों के लिये और ख़बीष़ ज़ानी मर्द ख़बीष़ ज़ानी औरतों के लिये हैं।

बाब 111 : अगर कोई लौण्डी ख़रीदे तो इस्तिब्राअ रह़म से पहले उसको सफ़र में ले जा सकता है या नहीं?

١١١- بَابُ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟

इस्तिब्राअ कहते हैं लौण्डी का रह़म पाक करने को, या'नी कोई नई लौण्डी ख़रीदे, तो जब तक हैज़ न आए उससे सुह़बत न करे और सफ़र में ले जाने का ज़िक्र इसलिये आया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) को जो शुरू में बहैष़ियत लौण्डी के आई थीं, सफ़र में अपने साथ रखा।

आगे रिवायत में सद्दुरैहि का ज़िक्र है जो मदीना के क़रीब एक मुक़ाम था। ह़ैस का ज़िक्र आया है, जो वलीमा में तैयार किया गया था। ये घी, खजूर और पनीर से मिलकर बनाया जाता था। बाब के आख़िर में ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने सूरह मोमिनीन की एक आयत का ह़िस्सा नक़ल किया। और उसके इत़्लाक़ से ये निकला कि बीवियों और लौण्डियों से मुत़्लक़न ख़्वाहिशे नफ़्स पूरी करना दुरुस्त है। स़िर्फ़ जिमाअ़ इस्तिब्राअ से पहले एक ह़दीष़ की रू से मना हुआ तो दूसरे ऐ़श बदस्तूर दुरुस्त रहेंगे।

और इमाम ह़सन बस़री (रह.) ने कहा कि उसमें कोई ह़र्ज नहीं कि ऐसी बाँदी का (उसका मालिक) बोसा ले ले या अपने जिस्म से लगाए। और इब्ने ड़मर (रज़ि.) ने कहा कि जब ऐसी बाँदी जिससे वत़ी की जा चुकी है, हिबा की जाए या बेची जाए या आज़ाद की जाए तो एक हैज़ तक उसका इस्तिब्राए रह़म करना चाहिये। और कुँवारी के लिये इस्तिब्राए रह़म की ज़रूरत नहीं है। अ़त़ा ने कहा कि अपनी ह़ामला बाँदी से शर्मगाह के सिवा बाक़ी जिस्म से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अल्लाह तआ़ला ने सूरह मोमिनून

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيْعَتْ أَوْ عُتِقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ؛ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى :

﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

में फ़र्माया, मगर अपनी बीवियों से या बान्दियों से।

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا - فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ))، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ)).[راجع: ٣٧١]

2235. हमसे अ़ब्दुल ग़फ़्फ़ार बिन दाऊद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन अबी अ़म्र ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि जब नबी करीम (ﷺ) ख़ैबर तशरीफ़ लाए और अल्लाह तआ़ला ने क़िला फ़तह़ करा दिया तो आपके सामने स़फ़िया बिन्ते हुय्यि बिन अख़्तब (रज़ि.) के हुस्न की ता'रीफ़ की गई। उनका शौहर क़त्ल हो गया था। वो ख़ुद अभी दुलहन थीं। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अपने लिये पसन्द कर लिया, फिर रवानगी हुई। जब आप सद्दुर्रौहा पहुँचे तो पड़ाव हुआ। और आपने वहीं उनके साथ ख़ल्वत की। फिर एक छोटे दस्तरख़्वान पर ह़ैस तैयार करके रखवाया। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़ह़ाबा से फ़र्माया था कि अपने क़रीब के लोगों को वलीमा की ख़बर कर दो। स़फ़िया (रज़ि.) के साथ निकाह़ का यही वलीमा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। फिर जब हम मदीना की त़रफ़ चले तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ड़बाआ से स़फ़िया (रज़ि.) के लिये पर्दा कराया। और अपने ऊँट को पास बिठाकर अपना टख़ना बिछा दिया। स़फ़िया (रज़ि.) अपना पाँव आप (ﷺ) के टख़ने पर रखकर सवार हो गईं।

(राजेअ़ : 371)

तश्रीह : ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) हुय्यि बिन अख़्तब की बेटी हैं। ये रईसे ख़ैबर किनाना की बीवी थी और ये किनाना वही यहूदी है जिसने बहुत से ख़ज़ाने ज़ेरे ज़मीन दफ़न कर रखे थे और फ़तहे ख़ैबर के मौक़े पर उन सबको पोशीदा रखना चाहा था। मगर आँह़ज़रत (ﷺ) वह्ये इलाही से ख़बर मिल गई और किनाना को ख़ुद उसी के क़ौम के इस़रार पर क़त्ल करा दिया गया क्योंकि अकष़र ग़रीब यहूदी इस सरमायादार की ह़रकतों से तंग आ चुके थे और आज बमुश्किल उनको ये मौक़ा मिला था। स़फ़िया (रज़ि.) ने पहले एक ख़्वाब देखा था कि चाँद मेरी गोद में है। जब उन्होंने ये ख़्वाब अपने शौहर किनाना से बयान किया तो उसकी ता'बीर किनाना ने समझकर कि ये नबी–ए–मौऊ़द अ़लैहिस्सलाम की बीवी बनेगी उनके मुँह पर एक ज़ोरदार त़माचा मारा था। ख़ैबर फ़तह़ हुआ तो ये भी क़ैदियों में थी और ह़ज़रत दह़िया (रज़ि.) बिन ख़लीफ़ा कल्बी के ह़िस़्से ग़नीमत में लगा दी गई थी।

बाद में आँह़ज़रत (ﷺ) को उनकी नस्बी शराफ़त मा'लूम हुई कि ये ह़ज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं तो आपने ह़ज़रत दह़िया (रज़ि.) को उनके बदले सात ग़ुलाम देकर उनसे वापस लेकर आज़ाद कर दिया। और ख़ुद उन्होंने अपने पुराने ख़्वाब की बिना पर आपसे शर्फ़े ज़ोजियत का सवाल किया, तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपने ह़रमे मुहतरम में उनको

दाख़िल फ़र्मा लिया और उनका मेहर उनकी आज़ादी को क़रार दे दिया। हज़रत सफ़िया (रज़ि.) बहुत ही वफ़ादार और इल्म दोस्त (विदूषी) षाबित हुईं। आँहज़रत (ﷺ) ने भी उनकी शराफ़त के पेशेनज़र उनको इज़्ज़त बख़्शी। उस सफ़र ही में आप (ﷺ) ने अपनी ज़बाअ मुबारक से उनको पर्दा कराया और अपने ऊँट के पास बैठकर अपना टख़ना बिछा दिया। जिस पर आप (रज़ि.) ने अपना पाँव रखा और ऊँट पर सवार हो गईं। 50 हिज्री में उन्होंने वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ीअ में सुपुर्दे ख़ाक की गईं।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष से बहुत से मसाईल का इस्तिख़्राज फ़र्माते हुए कई जगह उसे मुख़्तसर और मुतव्वल नक़ल फ़र्माया है। यहाँ आपके पेशे-नज़र वो सारे मसाइल है जिनका ज़िक्र आपने बाब के तर्जुमे में फ़र्माया है और वो सब इस हदीष से बख़ूबी षाबित होते हैं कि हज़रत सफ़िया (रज़ि.) लौण्डी की हैषियत में आई थीं। आपने उनको आज़ाद कर दिया और सफ़र में अपने साथ रखा। उसी से बाब का मक़्सद षाबित होता है।

١١٢- بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ

बाब 112 : मुरदार और बुतों को बेचना

हुरमत मुराद है, या'नी मुरदार और बुतों की तिजारत हराम है।

٢٢٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفاه في : ٤٢٩٦، ٤٦٣٣].

2236. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, उनसे अ़ता बिन अबी रिबाह ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, फ़तहे मक्का के साल आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आपका क़याम अभी मक्का ही में था कि अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुरदार, सूअर और बुतों का बेचना हराम क़रार दे दिया है। इस पर पूछा गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुरदार की चर्बी के बारे में क्या हुक्म है उसे हम कश्तियों पर मलते हैं। खानों पर उससे तैल का काम लेते हैं। और लोग उससे अपने चिराग़ भी जलाते हैं। आपने फ़र्माया कि नहीं वो हराम है। उसी मौक़े पर आपने फ़र्माया कि अल्लाह यहूदियों को बर्बाद करे। अल्लाह तआ़ला ने जब चर्बी उन पर हराम की तो उन लोगों ने उसे पिघलाकर बेचा और उसकी क़ीमत खाई। अबू आ़सिम ने कहा कि हमसे अ़ब्दुल हमीद ने बयान किया, उनसे यज़ीद ने बयान किया, उन्हें अ़ता ने लिखा कि मैंने जाबिर (रज़ि.) से सुना और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

(दीगर मक़ाम : 4296, 4633)

तश्रीह : मक्का 8 हिज्री में फ़तह हुआ है। मुरदार की चर्बी, अकषर उलमा ने इसके बारे में ये बतलाया है कि इसका बेचना हराम है और इससे नफ़ा उठाना दुरुस्त है। मषलन कश्तियों पर लगाना और चिराग़ जलाना। कुछ ने कहा कि कोई नफ़ा उठाना जाइज़ नहीं सिवा उसके जिसकी सराहत हदीष में आ गई हो। या'नी चमड़ा जब उसकी दबाग़त कर ली जाए, अगर कोई पाक चीज़ नापाक हो जाए जैसे लकड़ी या कपड़ा तो उसकी बेअ जुम्हूर उलमा के नज़दीक जाइज़ है।

हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी (रज़ि.) मरहूम फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, **इन्नल्लाह व रसूलहू हर्रम बैअल्खम्रि वल्मैतति वल्ख़िन्ज़ीरि वल्अस्नामि** या'नी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) ने शराब, मुरदार, सूअर और बुतों की तिजारत को हराम क़रार दिया है और नीज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **इन्नल्लाह व इज़ा हर्रम शैअब हर्रम षुमुनहू** बेशक अल्लाह तआला ने जिस चीज़ को हराम क़रार दे दिया, तो उसकी क़ीमत को भी हराम किया है। या'नी जब एक चीज़ से नफ़ा उठाने का तरीक़ मुक़र्रर है मषलन शराब पीने के लिये है और बुत सिर्फ़ परस्तिश के लिये। पस अल्लाह ने इनको हराम कर दिया। इसलिये उसकी हिक्मत का तक़ाज़ा हुआ कि उनकी बेअ भी हराम की जाए। और नीज़ आपने फ़र्माया, **महरुल बग़ये ख़बीषुन** या'नी ज़ानिया की उज्रत ख़बीष है। और आँहज़रत (ﷺ) ने काहिन को उज्रत देने से मना फ़र्माया और आँहज़रत (ﷺ) ने मुग़निया के कस्ब से नही फ़र्माई है।

मैं कहता हूँ कि जिस माल के हासिल करने में गुनाह की आमेज़िश (मिलावट) होती है, उस माल से नफ़ा हासिल नहीं किया जा सकता वो हराम है। एक तो ये कि उस माल के हराम करने और उससे इंतिफ़ाअ न हासिल करने में मअसियत से बाज़ रहना है। और इस क़िस्म के मामले के दस्तूर जारी करने में फ़साद का जारी करना और लोगों को उस गुनाह पर आमादा करना है। दूसरे वजह ये है कि लोगों की दानिस्त में और उनकी समझ में षमने मुबीअ से हीला पैदा होता है और इस अमल की ख़बाषत उनके उलूम में इस षमन और उस उज्रत के अंदर सरायत कर जाती (घुस जाती) है और लोगों के नुफ़ूस में भी उसका अषर होता है इसीलिये आप (ﷺ) ने शराब के बाब में उसके निचोड़ने वाले और निचुड़वाने वाले और पीने वाले और पिलाने वाले और ले जाने वाले और जिसके पास ले जा रहा है उन सब पर लअनत की है क्योंकि मअसियत (नाफ़र्मानी) की इआनत (मदद) और उसका फैलाना और लोगों को उसकी तरफ़ तवज्जह दिलाना भी मअसियत और ज़मीन में फ़साद बरपा करना है।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) जो इस हदीष के रावी हैं, उनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है, अंसार में से हैं। क़बील–ए–सलम के रहने वाले हैं। इनका शुमार उन मशहूर सहाबा में होता है जिन्होंने हदीष की रिवायत कष़रत से की है। बद्र और जुम्ला ग़ज़्वात में जिनकी ता'दाद अठारह है, ये शरीक हुए। शाम और मिस्र में तब्लीग़ी व ता'लीमी सफ़र किये। आख़िर उम्र में बीनाई जाती रही थी। उनसे एक बड़ी जमाअत ने अहादीष को नक़ल किया है। 94 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा में वफ़ात पाई। जबकि अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत का ज़माना था। कहा जाता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) में सबसे आख़िर में वफ़ात पाने वाले बुज़ुर्ग यही हैं। रज़ियल्लाह अन्हु व अरज़ाहू। आमीन।

माहे रमज़ानुल मुबारक 8 हिज्री मुताबिक़ 630 ईस्वी में मक्का शरीफ़ फ़तह हुआ। उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) के साथ दस हज़ार सहाबा किराम (रज़ि.) थे। इस तरह कुतुबे मुक़द्दसा की वो पेशगोई पूरी हुई, जिसका तर्जुमा ये है।

ख़ुदावन्द सीना से आया और शुऐर से तुलूअ हुआ और फ़ारान के पहाड़ से उन पर चमका। दस हज़ार क़ुद्दूसियों के साथ आया। और उसके दाईं हाथ में एक आतिशी शरीअत उनके लिये थी। वो क़ौम के साथ कमाले इख़्लास से मुहब्बत रखता है। उसके सारे मुक़द्दस तेरे हाथ में हैं और वे तेरे क़दमों के नज़दीक हैं और तेरी ता'लीम को मानेंगे। (तौरात इस्तिष्ना 2 ता 4/33)

इस तारीख़ी अज़ीम फ़तह के मौक़े पर आपने एक ख़िताबे आम फ़र्माया। जिसमें शराब, मुरदार, सूअर और बुतों की तिजारत के बारे में भी ये अहकामात सादिर फ़र्माए जो यहाँ बयान हुए हैं।

(नोट) तौरात मत्बूआ कलकत्ता 1842 ईस्वी सामने रखी हुई है, उसी से ये पेशगोई नक़ल कर रहा हूँ। (राज़)

बाब 113 : कुत्ते की क़ीमत के बारे में

١١٣- بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

इमाम शाफ़िई (रह.) और जुम्हूर उलमा का ये क़ौल है कि मुत्लक़न किसी कुत्ते की बेअ़ जाइज़ नहीं, सिखाया हुआ हो या बिन सिखाया हुआ और अगर कोई उसको मार डाले तो उस पर ज़िमान लाज़िम नहीं आता और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ज़िमान लाज़िम होगा। और ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के नज़दीक शिकारी और फ़ायदेमन्द कुत्ते की बेअ़ दुरुस्त है।

2237. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें अबीबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान ने और उन्हें अबू मसऊद अंसारी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया की उज्रत और काहिन की उज्रत से मना फ़र्माया था।

(दीगर मक़ाम : 2282, 5346, 5761)

٢٢٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)).

[أطرافه في: ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١].

अ़रब में काहिन लोग बहुत थे जो आइन्दा की बातें लोगों को बताया करते थे। आजकल भी ऐसे दावेदार बहुत हैं। उनको उज्रत देना या शीरीनी पेश करना जाइज़ नहीं है न उनका पैसा खाना जाइज़ है।

2238. हमसे ह़ज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे औ़न बिन अबी जुहैफ़ा ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अपने वालिद को देखा कि एक पछना लगाने वाले (गुलाम) को ख़रीद रहे हैं। उस पर मैंने उसके बारे में पूछा उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ून की क़ीमत, कुत्ते की क़ीमत, बांदी की (नाजाइज़) कमाई से मना फ़र्माया था और गोदने वालियों और गुदवाने वालियों सूद लेने वालों और देने वालों पर लअ़नत की थी, और तस्वीर बनाने वाले पर भी लअ़नत की थी।

(राजेअ़ : 2086)

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ. وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ)).

[راجع: ٢٠٨٦]

तश्रीह : ख़ून की क़ीमत से पछना लगाने वाले की उज्रत मुराद है। इस ह़दीष़ से अदम जवाज़ ज़ाहिर हुआ मगर दूसरी ह़दीष़ जो मज़्कूर हुई उससे ये ह़दीष़ मन्सूख़ हो गई है। इस ह़दीष़ में साफ़ मज़्कूर है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद पछना लगवाया और उस पछना लगाने वाले को उज्रत अदा फ़र्माई। जिससे जवाज़ ष़ाबित हुआ। कुत्ते की क़ीमत के बारे में अबू दाऊद में मर्फ़ूअ़न मौजूद है कि जो कोई तुमसे कुत्ते की क़ीमत त़लब करे उसके हाथ में मिट्टी डाल दो, मगर निसाई में जाबिर (रज़ि.) की रिवायत है कि आपने शिकारी कुत्ते को मुस्तष़्ना फ़र्माया कि उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त जाइज़ है। ज़ानिया की उज्रत जो वो ज़िना कराने पर ह़ासिल करती है, उसका खाना भी मुसलमान के लिये क़त्अ़न ह़राम है, मिजाज़न यहाँ उस उज्रत को लफ़्ज़े महर से ता'बीर किया गया। काहिन से मुराद फ़ाल खोलने वाले, हाथ देखने वाले, ग़ैब की ख़बरें बतलाने वाले और इस क़िस्म के

सब लोग शामिल हैं जो ऐसे पाखण्डों से पैसा वसूल करते हैं। **व हुव हरामुन बिल्इज्माअ़ लिमा फ़ीहि मिन अख़्ज़िल्इवज़ि अ़ला अम्रिन बातिलिन** ये झूठ पर उज्रत लेना है जो सर्वसम्मति से ह़राम है। गोदने वालियाँ और गुदवाने वालियाँ जो इंसानी जिस्म पर सूई से गोदकर उसमें रंग भर देती हैं। ये पेशा भी ह़राम है और इसकी आमदनी भी ह़राम है। इसलिये कि किसी मुसलमान मर्द, औ़रत को ज़ैबा नहीं कि वो उसका मुर्तकिब हो। सूद लेने वालों पर, उसी त़रह़ देने वालों पर, दोनों पर लअ़नत की गई है बल्कि गवाह और कातिब और ज़ामिन तक पर लअ़नत वारिद हुई है कि सूद का धंधा उतना ही बुरा है। तस्वीर बनाने वालों से जानदारों की तस्वीर बनाने वाले लोग मुराद हैं। उन सब पर लअ़नत की गई, और इनका पेशा नाजाइज़ क़रार दिया गया।

35. किताबुस्सलम

किताब बैअ़े-सलम के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बेअ़े सलम उसको कहते हैं कि एक शख़्स दूसरे शख़्स को नक़द रुपया दे और कहे कि उतनी मुद्दत के बाद मुझको तुम इन रुपयों के बदले में इतना ग़ल्ला या चावल फ़लाँ क़िस्म वाले देना। ये सर्वसम्मति से मशरूअ़ है। आ़म बोलचाल में इसे बंधनी कहते हैं। जो रुपया दे उसको रब्बुस्सलम और जिसको रुपया दिया जा रहा है उसे मुस्लम अलैह और जो माल देना ठहराए उसे मुस्लम फ़ीह कहते हैं। बेअ़े सलम पर लफ़्ज़े सल्फ़ का भी इत़्लाक़ हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि लफ़्ज़ सल्फ़ अहले इराक़ की लुग़त है और लफ़्ज़े सलम अहले ह़िजाज़ की लुग़त है ऐसी बेअ़ को आ़म मुहावरे में बधनी (साई, बयाना, एडवाँस) से ता'बीर किया गया है।

बाब 1 : माप मुक़र्रर करके सलम करना

١ - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

2239. हमसे अ़म्र बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि हमको इस्माईल बिन अ़लिया ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने अबी नुजैह ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन कष़ीर ने, उन्हें मिन्हाल ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो (मदीना के) लोग फलों में एक साल या दो साल के लिये बेअ़े सलम करते थे। या उन्होंने ये कहा कि दो साल और तीन साल (के लिये करते थे) शक इस्माईल को हुआ था। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स भी खजूर की बेअ़े

٢٢٣٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ - أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيْلُ

– فَقَالَ : ((مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)).

सलम करे, उसे मुक़र्ररा पैमाने या मुक़र्ररा वज़न के साथ करनी चाहिये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ بِهَذَا . . ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)).

[أطرافه في : ٢٢٤٠، ٢٢٤١، ٢٢٥٣].

हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको इस्माईल ने ख़बर दी, उनसे इब्ने अबी नुजैह ने बयान किया कि बेअ़े सलम मुक़र्ररा पैमाने और मुक़र्ररा वज़न में होनी चाहिये।

(दीगर मक़ाम : 2240, 2241, 2253)

तश्रीह : जो चीज़ें माप–तौलकर बेची जाती हैं उनमें माप–तौल ठहराकर सलम करना चाहिये। अगर माप–तौल मुक़र्रर न किये जाएँ तो ये बेअ़े सलम जाइज़ नहीं होगी अल्ग़र्ज़ इस बेअ़ के लिये ज़रूरी है कि वज़न मुक़र्रर हो और मुद्दत मुक़र्रर हो वरना बहुत से मफ़ासिद का ख़तरा है। इसीलिये ह़दीषे हाज़ा में उसके लिये ये ताकीद की गई।

٢- بَابُ السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ

बाब 2 : बेअ़ सलम मुक़र्ररा वज़न के साथ जाइज़ है

٢٢٤٠- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).

2240. हमसे स़दक़ा बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन्हें सुफ़यान बिन उ़ययना ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने अबी नुजैह ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन कष़ीर ने, उन्हें अबू मिन्हाल ने और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग खजूर में दो और तीन साल तक के लिये बेअ़े सलम करते थे। आप (ﷺ) ने उन्हें हिदायत फ़र्माई कि जिसे किसी चीज़ की बेअ़े सलम करनी है, उसे मुक़र्ररा वज़न और मुक़र्ररा मुद्दत के लिये ठहराकर करे।

मषलन सौ रुपये का इतने वज़न का ग़ल्ला आज से पूरे तीन माह बाद तुमसे वसूल करूँगा। ये तै करके ख़रीददार ने सौ रुपये उसी वक़्त अदा कर दिया। ये बेअ़े सलम है, जो जाइज़ है। अब मुद्दत पूरी होने पर तयशुदा वज़न का ग़ल्ला उसे ख़रीददार को अदा करना होगा।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : ((فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٢٣٩]

हमसे अ़ली ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी नुजैह ने बयान किया। (इस रिवायत में है कि) आपने फ़र्माया बेअ़ सलफ़ मुक़र्ररा वज़न में मुक़र्ररा मुद्दत तक के लिये करनी चाहिये। यहाँ बेअ़े सलम पर लफ़्ज़ बेअ़ सलफ़ बोला गया है।

٢٢٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

2241. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे अबी नुजैह ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन कष़ीर ने, और उनसे अबू मिन्हाल ने बयान किया कि मैंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ.. وَقَالَ: ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٢٣٩]

अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) (मदीना) तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुक़र्ररा वज़न और मुक़र्ररा मुद्दत तक के लिये (बेअ़े सलम) होनी चाहिये। (राजेअ़ : 2239)

केल और वज़न से माप और तौल मुराद हैं। उसमें जिस चीज़ से वज़न करना है, किलो या क़दीम सेर या मन। ये भी जुम्ला बातें तै हुई होना ज़रूरी हैं।

٢٢٤٢، ٢٢٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ح. وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ. قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: ((اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ)) وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

[طرفاه في : ٢٢٤٤، ٢٢٥٥].

[طرفاه في : ٢٢٤٥، ٢٢٥٤].

2242,43. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी मुजालिद ने (तीसरी सनद) और हमसे यह्या ने बयान किया, उनसे वकीअ़ ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने, उनसे मुहम्मद बिन अबी मुजालिद ने। (दूसरी सनद) हमसे ह़फ़्स़ बिन उ़मर ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे मुहम्मद और अ़ब्दुल्लाह बिन अबी मुजालिद ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन अल्हाद और अबूबुर्दा में बेअ़े सलम के बारे में बाहम इख़्तिलाफ़ हुआ। तो उन ह़ज़रात ने मुझे इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा। चुनाँचे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ), अबूबक्र और उ़मर (रज़ि.) के ज़मानों में गेहूँ, जौ, मुनक़्क़ा और खजूर की बेअ़े सलम किया करते थे। फिर मैंने इब्ने अब्ज़ा (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया।

(दीगर मक़ाम : 2244, 2245, 2255, 2256)

तशरीह : ह़ाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **अज्मऊ़ अला अन्नहू इन कान फ़िस्सलमि मा युक़ालु औ यूज़नु फ़ला बुद्द फ़ीहि मिन ज़िक्रिल्कैलिल मअ़लूमि वल्वज़्नुल मअ़लूमु फ़इन कान फ़ीमा ला युक़ालु व ला यूज़नु फ़ला बुद्द मिन अ़ददिन मअ़लूमिन** या'नी इस अम्र पर इज्माअ़ है कि बेअ़े सलम में जो चीज़ें माप या वज़न के क़ाबिल हैं उनका वज़न मुक़र्रर होना ज़रूरी है और जो चीज़ें मह़ज़ अ़दद से ता'ल्लुक़ रखती हैं उनकी ता'दाद का मुक़र्रर होना ज़रूरी है। ह़दीषे़ मज़्कूरा से मा'लूम हुआ कि मदीना में इस क़िस्म के लेन-देन का आ़म रिवाज था। फ़िल्‌ह़क़ीक़त काश्तकारों (किसानों) और स़न्नाओं को पेशगी की ज़रूरत होती है जो अगर न हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।

सनद में ह़ज़रत वकीअ़ बिन जिराह़ का नाम आया और उनसे बहुत सी अह़ादीष़ मरवी हैं। वे कूफ़ा के बाशिन्दे थे। बक़ौल कुछ उनकी अस़ल नीशापूर के क़र्या से है। उन्होंने हिशाम बिन उ़र्वा और औज़ाई और षौ़री वग़ैरह असातिज़-ए-ह़दीष़ से ह़दीष़ की समाअ़त की है। उनके तलामिज़ा में अकाबिर ह़ज़रात मष़लन ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम अह़मद बिन ह़ंबल, यह्या बिन मुईन और अ़ली बिन मदीनी भी नज़र आते हैं। बग़दाद में रौनक़ अफ़रोज़ होकर दर्से ह़दीष़ का ह़ल्क़ा क़ायम फ़र्माया। फ़न्ने ह़दीष़ में उनका क़ौल क़ाबिले ए'तिमाद (विश्वसनीय) तस्लीम किया गया है।

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ा स़ह़ाबी हैं, हुदैबिया और ख़ैबर में और उसके बाद तमाम ग़ज़्वात में शरीक हुए। और हमेशा मदीना में क़याम फ़र्माया। यहाँ तक कि आँह़ज़रत (ﷺ) की वफ़ात का ह़ादषा सामने आ गया। उसके बाद आप कूफ़ा तशरीफ़ ले गए। 87 हिजरी में कूफ़ा में ही इंतिक़ाल फ़र्माया। कूफ़ा में इंतिक़ाल करने वाले ये सबसे आख़िरी स़ह़ाबी–ए–रसूल (ﷺ) हैं। उनसे इमाम शअ़बी वग़ैरह ने रिवायत की है।

इमाम शअ़बी आ़मिर बिन शुरहबील कूफ़ी मशहूर ज़ी इल्म अकाबिर में से हैं। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में पैदा हुए। बहुत से स़ह़ाबा से रिवायत करते हैं। उन्होंने पाँच सौ स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) को देखा। ह़िफ़्ज़े ह़दीष़ का ये मल्का ख़ुदादाद था कि कभी कोई ह़र्फ़ काग़ज़ पर नोट नहीं किया। जो भी ह़दीष़ सुनी उसको अपने ह़ाफ़्ज़े में महफ़ूज़ कर लिया। इमाम ज़ुह्री कहा करते थे कि दौरे ह़ाज़िर में ह़क़ीक़ी उ़लमा तो चार ही देखे गए हैं। या'नी इब्ने मुसय्यिब मदीना में, शअ़बी कूफ़ा में, ह़सन बस़रा में, और मक्ह़ूल शाम में। 82 साल की उ़म्र में सन् 104 हिजरी में इंतिक़ाल फ़र्माया। रह़िमहुल्लाह रह़मतन वासिअ़ा आमीन।

बाब 3 : उस शख़्स़ से सलम करना जिसके पास अस़ल माल ही मौजूद न हो

٣- بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

मष़लन एक शख़्स़ के पास खजूर नहीं है और किसी ने उससे खजूर लेने के लिये सलम कर लिया। कुछ ने कहा कि अस़ल से मुराद उसकी बिना है, मष़लन ग़ल्ले की अस़ल खेती है और मेवे की अस़ल पेड़ है। इस बाब से ये ग़र्ज़ है कि सलम के जवाज़ के लिये उस माल का मुसल्लम इलैहि के पास होना ज़रूरी नहीं।

2244,45. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाह़िद ने बयान किया, उनसे शैबानी ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अबी मुजालिद ने बयान किया, कहा कि मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद और अबूबुर्दा ने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) के यहाँ भेजा और हिदायत की कि उनसे पूछो कि क्या नबी करीम (ﷺ) के अस़्ह़ाब आप (ﷺ) के ज़माने में गेहूँ की बेअ़े–सलम किया करते थे? अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया कि हम शाम के इम्बात़ (एक काश्तकार क़ौम) के साथ गेहूँ, ज्वार, ज़ैतून की मुक़र्ररा वज़न और मुक़र्ररा मुद्दत के लिये सौदा किया करते थे। मैंने पूछा क्या स़िर्फ़ उसी शख़्स़ से आप लोग ये बेअ़ किया करते थे जिसके पास अस़ल माल मौजूद होता था? उन्होंने फ़र्माया कि हम उसके बारे में पूछते नहीं थे। उसके बाद उन दोनों ह़ज़रात ने मुझे अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा। मैंने उनसे भी पूछा। उन्होंने भी यही कहा कि नबी करीम (ﷺ) के अस्हाब आपके अ़हदे मुबारक में बेअ़े–सलम किया करते थे और हम ये भी नहीं पूछते थे कि उनके खेती भी है या नहीं।

٢٢٤٤، ٢٢٤٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: ((بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُوبُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاَ: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يسلِفُون فِي الْحِنْطَةِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ : إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ

أَمْ لَا)). حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ: ((فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: ((وَالزَّيْتِ)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ: ((فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ)).

[راجع: ٢٢٤٢، ٢٢٤٣]

हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे शैबानी ने, उनसे मुहम्मद बिन अबी मुजालिद ने यही ह़दीष़ बयान की। इस रिवायत में ये बयान किया कि हम उनसे गेहूँ और जौ में बेअ़े—सलम किया करते थे। और अब्दुल्लाह बिन वलीद ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे शैबानी ने बयान किया, उसमें उन्होंने ज़ैतून का भी नाम लिया है। हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उनसे जरीर ने बयान किया, उनसे शैबानी ने और उसमें बयान किया कि (हम) गेहूँ, ज्वार और मुनक़्क़ा में (बेअ़े—सलम किया करते थे)

(राजेअ़ : 2242, 2243)

तश्रीह : यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है या'नी इस बात को हम पूछा नहीं करते थे कि उसके पास माल है या नहीं। मा'लूम हुआ सलम हर शख़्स से करना दुरुस्त है। मुसल्लम फ़ोह या उसकी अस़ल उसके पास मौजूद हो या न हो तो इतना ज़रूर मा'लूम होना चाहिये कि मामला करने वाला अदा करने और वक़्त पर बाज़ार से ख़रीदकर या अपनी खेती या मज़दूरी वग़ैरह से ह़ासिल करके उसके अदा करने की क़ुदरत रखता है या नहीं। अगर कोई शख़्स मह़ज़ क़ल्लाश हो और वो बेअ़े—सलम कर रहा हो तो मा'लूम होता है कि वो उस धोखे से अपने भाई मुसलमान का पैसा हड़प करना चाहता है और आजकल आ़मतौर पर ऐसा होता रहता है। ह़दीष़ में वारिद हुआ है कि अदायगी की निय्यत ख़ालिस़ रखने वालों की अल्लाह भी मदद करता है कि वो वक़्त पर अदा कर देता है और ज़िसकी हज़म करने की निय्यत हो तो क़ुदरती इम्दाद उसको जवाब दे देती है।

लफ़्ज़े इम्बात़ की तह़क़ीक़ में अ़ल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **जम्उ नबीतिन व हुम क़ौमुन मअ़रूफ़ुन कानू यन्ज़िलून बिल्बताइहि मिनल्इराक़िय्यिन क़ालहुल जौहरी व अस़्लुहुम क़ौमुम्मिनल अ़रबि दख़लू फ़िल्अजमि वख़्तलत अन्साबुहुम व फ़सुदत अलसिनतहुम व युक़ालु लहुम अन्नबतु बिफ़त्ह़तैनि वन्नबीतु बिफ़त्ह़िन अव्वलुहू व कस्रून ष़ानिही व ज़्यादतुन तहतानिय्या व इन्नमा सम्मू बिज़ालिक लि मअ़रिफ़तिहिम बिअम्बातिल्माइ अय इस्तिख़राजुहू लिकष़्रति मआलिजिहुमल फ़लाहा व क़ील हुम नस़ारा अश्शामि व हुम अरबुन दख़लू फ़िर्रूमि व नज़लू बिवादिश्शामि व यदुल्लु अ़ला हाज़ा क़ौलुहू मिन अम्बातिश्शामि व क़ील हुम ताइफ़तानि ताइफ़तुन इख़्तलत बिल्अजमि व नज़लुल्बताइह व ताइफ़तुन इख़्तलत बिर्रूमि व नज़लुश्शाम.** (नैलुल औतार) या'नी लफ़्ज़े इम्बात़ नबीत़ की जमा है। ये लोग अहले इराक़ के पथरीले मैदानों में रहा करते थे, अस़ल में ये लोग अ़रबी थे। मगर अ़जम (ग़ैर अ़रब) में जाने से उनके अन्साब (नस्लें) और उनकी ज़ुबानें (भाषाएं) सब मख़्लूत़ (मिक्स) हो गईं। नब्त़ भी उन ही को कहा गया है और नबीत़ भी। ये इसलिये कि ये क़ौम खेती—क्यारी के फ़न में बड़ा तजुर्बा रखती थी और पानी निकालने का उनको ख़ास़ महारथ थी। इम्बात़ पानी निकालने ही को कहते हैं। इसी निस्बत से उनको इम्बात़ की क़ौम कहा गया। ये भी कहा गया है कि ये शाम के नस़ारा थे जो नस्लन अ़रब थे। मगर रूम में जाकर वादी—ए—शाम में रहने लगे। रिवायत में भी लफ़्ज़े इम्बातुश्शाम इस पर दलालत कर रहा है। ये भी कहा गया है कि उनके दो गिरोह थे। एक गिरोह अ़ज्मियों के साथ इख़्तिलात़ करके इराक़ी मैदानों में निवास करता था और दूसरा गिरोह रोमियों से मख़्लूत़ होकर शाम (सीरिया) का निवासी हो गया था। बहरहाल ये लोग काश्तकार (किसान) थे और गेहूँ के ज़ख़ीरे लेकर मुल्के अ़रब में बेचने के लिये आया करते थे। ख़ास़ त़ौर पर मदीना के मुसलमानों से उनका तिजारती रिश्ता इस दर्जे बढ़ गया था कि उनके यहाँ हर जाइज़ नक़द— उधार सौदा करना उनका मा'मूल बन गया था जैसा कि ह़दीषे हाज़ा से ज़ाहिर है।

٢٢٤٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا

2246. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्हें अ़म्र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा

الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ)). وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ)) مِثْلَهُ.

[طرفاه في : ٢٢٤٨، ٢٢٥٠].

कि मैंने अबुल बख़्तरी त़ाई से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से खजूर के पेड़ में बेअ़े–सलम के बारे में पूछा, तो आपने फ़र्माया कि पेड़ पर फल को बेचने से आँह़ज़रत (ﷺ) ने उस वक़्त तक के लिये मना फ़र्माया था जब तक कि वो खाने के क़ाबिल न हो जाए या उसका वज़न न किया जा सके। एक शख़्स ने पूछा कि क्या चीज़ वज़न की जाएगी। उस पर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के क़रीब ही बैठे हुए एक शख़्स ने कहा कि मत़लब ये है कि अंदाज़े करने के क़ाबिल हो जाए, और मुआ़ज़ ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़म्र ने कि अबुल बख़्तरी ने कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने मना किया था। फिर यही ह़दीष़ बयान की। (दीगर मक़ाम : 2248, 2250)

तश्रीह़ : इसका मत़लब ये है कि जब तक उसकी पुख़्तगी न खुल जाए उस वक़्त तक सलम जाइज़ नहीं क्यूँकि ये सलम ख़ास़ पेड़ों पर लगे हुए फलों पर हुई। अगर मुत़्लक़ खजूर में कोई सलम करे तो वो जाइज़ है चाहे पेड़ पर फल निकले भी न हों, या मुसल्लम इलैह (सौदा करने वाले) के पास पेड़ भी न हों। अब कुछ ने कहा कि ये ह़दीष़ दरह़क़ीक़त बाद वाले बाब से मुता'ल्लिक़ है। कुछ ने कहा इसी बाब से मुता'ल्लिक़ है और मुत़ाबक़त यूँ होती है कि जब मुअ़य्यन पेड़ों में बावजूद पेड़ों के सलम जाइज़ न हुई तो मा'लूम हुआ कि पेड़ों के वजूद से सलम पर कोई अष़र नहीं पड़ता और अगर पेड़ न हो जो माल की अस़ल हैं जब भी सलम जाइज़ होगी, बाब का यही मत़लब है।

٤- بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

बाब 4 : पेड़ पर जो खजूर लगी हुई हो उसमें बेअ़े सलम करना।

या'नी जिस सूरत में कि हमको भरोसा हो जाए कि ये पेड़ यक़ीनन फल देंगे बल्कि फल अब पुख़्ता होने के क़रीब ही आ गया है तो उन ह़ालात में पेड़ पर लटकी हुई खजूरों में बेअ़े–सलम जाइज़ है।

٢٢٤٧، ٢٢٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ حَتَّى يُوزَنَ)). [راجع: ١٤٨٦، ٢٢٤٦]

2247,48. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़मर ने, उनसे अबुल बख़्तरी ने बयान किया कि मैंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से खजूर में जबकि वो पेड़ पर लगी हुई हो बेअ़े–सलम के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो किसी क़ाबिल न हो जाए उसकी बेअ़ से आँह़ज़रत (ﷺ) ने मना फ़र्माया है। इसी त़रह़ चाँदी को उधार, नक़्द के बदले बेचने से मना फ़र्माया। फिर मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से खजूर की पेड़ पर बेअ़े–सलम के बारे में पूछा, तो आपने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस वक़्त तक खजूर की बेअ़ से मना किया था जब तक कि वो खाई न जा सके या (ये फ़र्माया कि) जब तक वो इस क़ाबिल न हो जाए कि उसे कोई खा सके और जब तक वो

तौलने के क़ाबिल न हो जाए।
(राजेअ : 1486, 2246)

2249,50. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे ग़ुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अम्र ने, उनसे अबुल बख़्तरी ने कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से खजूरों की पेड़ पर बेअे—सलम के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फल को उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया था जब तक वो नफ़ा उठाने के क़ाबिल न हो जाए, उसी तरह चाँदी को सोने के बदले बेचने से जबकि एक उधार और दूसरा नक़द हो मना किया है। फिर मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने खजूर को पेड़ पर बेचने से जब तक कि वो खाने के क़ाबिल न हो जाए। इसी तरह जब तक वो वज़न करने के क़ाबिल न हो जाए मना फ़र्माया है। मैंने पूछा कि वज़न किये जाने का क्या मतलब है? तो एक साहब ने जो उनके पास बैठे हुए थे कहा कि मतलब ये है कि जब तक वो इस क़ाबिल न हो जाए कि वो अंदाज़ा की जा सके। (राजेअ : 1486, 2246)

٢٢٤٩، ٢٢٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ)). [راجع: ١٤٨٦، ٢٢٤٦]

बाब 5 : सलम या क़र्ज़ में ज़मानत देना

٥- بَابُ الْكَفِيْلِ فِي السَّلَمِ

2251. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमसे यअला बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे अअमश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अस्वद ने बयान किया उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक यहूदी से उधार अनाज ख़रीदा और अपनी एक लोहे की ज़िरह उसके पास गिरवी रखी।
(राजेअ : 2028)

٢٢٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ)). [راجع: ٢٠٦٨]

तो वो ज़िरह बतौरे ज़मानत यहूदी के पास रही, मा'लूम हुआ सलम या क़र्ज़ में अगर दूसरा कोई शख़्स सलम वाले या क़र्ज़दार का ज़ामिन हो तो ये दुरुस्त है।

बाब 6 : बेअे—सलम में गिरवी रखना

٦- بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

2252. हमसे मुहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अअमश ने

٢٢٥٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

قَالَ: ((تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: ((حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ)).

[راجع: ٢٠٦٨]

बयान किया, उन्होंने कहा कि हमने इब्राहीम नख़ई के सामने बेअे सलम में गिरवी रखने का ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि हमसे अस्वद ने बयान किया, और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक यहूदी से एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिये अनाज ख़रीदा और उसके पास अपनी लोहे की ज़िरह गिरवी रख दी थी। (राजेअ : 2068)

तश्रीह : ये मसला तो क़ुर्आन शरीफ़ से षाबित है, **इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिम्मुसम्मा फ़क्तुबूहु** (अल् बक़रः : 282) आख़िर तक। फिर फ़र्माया, **फ़रिहानु मक़्बूज़ा** (अल बक़रः : 283) या'नी जब किसी मुक़र्ररा वक़्त के लिये क़र्ज़ लो तो कोई चीज़ बतौरे ज़मानत गिरवी रख लो।

बाब 7 : सलम में मियाद मुअय्यन होनी चाहिये

٧- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيْدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

इब्ने अब्बास (रज़ि.) और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) और अस्वद और इमाम हसन बस़री ने यही कहा है। और इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा अगर अनाज का नर्ख़ और उसकी सिफ़त बयान कर दी जाए तो मियाद मुअय्यन (निर्धारित) करके उसमें बेअे-सलम करने में क़बाहत नहीं। अगर ये अनाज किसी ख़ास़ खेत का न हो, जो अभी पका न हो।

तश्रीह : या'नी अगर किसी ख़ास़ खेत के अनाज में या किसी ख़ास़ पेड़ के मेवे में सलम करे और अभी वो अनाज या मेवा तैयार न हुआ हो तो सलम दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन तैयार होने के बाद किसी ख़ास़ खेत और ख़ास़ पैदावार में भी सलम करना दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि जब तक ग़ल्ले (अनाज) या मेवे पुख़्तगी पर न आए हों, उसका कोई भरोसा नहीं हो सकता कि अनाज या मेवा उतरेगा या नहीं। अन्देशा है कि किसी ज़मीनी आफ़त या आसमान से उतरने वाली आफ़त से ये अनाज और मेवा तबाह हो जाए फिर दोनों में झगड़ा हो। (वह़ीदी)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर शाफ़िइया का रद्द किया जो सलम को बिन मि'याद या'नी नक़द भी जाइज़ रखते हैं। ह़न्फ़िया और मालिकिया इमाम बुख़ारी (रह.) के मुवाफ़िक़ हैं । अब इसमें इख़्तिलाफ़ है कि कम से कम मुद्दत क्या होनी चाहिये? पन्द्रह दिन से लेकर आधे दिन तक की मुद्दत के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं। त़ह़ावी ने तीन दिन को कम से कम मुद्दत क़रार दिया है। इमाम मुह़म्मद (रह.) ने एक महीने मुद्दत ठहराई है।

हज़रत इमाम ह़सन बस़री (रह.) जिनका यहाँ ज़िक्र है अबुल ह़सन के बेटे हैं। उनकी कुन्नियत अबू सईद है, वे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम हैं। उनके वालिद अबुल ह़सन का नाम यसार है , ये क़बीला बनी सब्ई यलसान से हैं। यसार को रबीआ बिन्ते नज़्र ने आज़ाद किया था। इमाम ह़सन बस़री (रह.) जबकि ख़िलाफ़ते उमरी के दो साल बाक़ी थे, आलमे वजूद में आए। मदीना मुनव्वरा उनकी मुक़ामे विलादत (जन्मस्थली) है। ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने हाथ से खजूर मुँह में चबाकर उनके तालू से लगाई। उनकी वालिदा उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत करती थी। बसाऔक़ात उनकी वालिदा कहीं चली जाती तो ह़सन बस़री को बहलाने के लिये ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) अपनी छाती उनके मुँह में दे दिया करती थीं यहाँ तक कि उनकी वालिदा लौटकर आतीं तो उम्मुल मोमिनीन के दूध भर आता और ये ह़ज़रत उसे पी लिया करते थे। इस लिहाज़ से ये उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के रज़ाई फ़रज़न्द (दूधशरीक बेटे) षाबित हुए। लोग कहते हैं जिस इल्म व ह़िक्मत पर इमाम ह़सन बस़री (रह.) पहुँचे ये उसी का तुफ़ैल है। ह़ज़रत उष्मान

ग़नी (रज़ि.) की शहादत के बाद ये बसरा चले आए। उन्होंने हज़रत उष्मान (रज़ि.) को देखा और कहा गया है कि मदीना में ये हज़रत अली (रज़ि.) से भी मिले। लेकिन बसरा में उनका हज़रत अली (रज़ि.) से मिलना सहीह नही है। इसलिये कि हज़रत हसन बसरी (रह.) जिस वक़्त बसरा को जा रहे थे तो वो वादी–ए–कुरा ही में थे और हज़रत अली (रज़ि.) उस वक़्त बसरा में तशरीफ़ ला चुके थे। उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.), हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और दूसरे अकाबिरे सहाबा से रिवायत की है और उनसे भी एक बड़ी जमाअत ताबेईन और तबअ ताबेईन ने रिवायात की हैं। वो अपने ज़माने में इल्मो–फ़न, जुहद व तक़्वा व इबादत और वरअ के इमाम थे। रजब 110 हिजरी में वफ़ात पाई। **हशरनल्लाहु मअहुम व जमअल्लाहु बैनना व बैनहुम फ़ी आला इल्लिय्यीन, आमीन!**

2253. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयय्ना ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी नुजैह ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन कष़ीर ने, उनसे अबुल मिन्हाल ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग फलों में दो और तीन साल तक के लिये बेअे सलम किया करते थे। आपने उन्हें हिदायत की कि फलों में बेअे–सलम मुक़र्ररा पैमाने और मुक़र्ररह मुद्दत के लिये किया करो और अब्दुल्लाह बिन वलीद ने कहा, हमसे सुफ़यान बिन उयय्ना ने कहा, उनसे इब्ने नुजैह ने बयान किया, इस रिवायत में यूँ है कि पैमाने और वज़न की तअय्युन के साथ (बेअे–सलम होनी चाहिये)

(राजेअ : 2239)

٢٢٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ. فَقَالَ: ((أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)).

[راجع: ٢٢٣٩]

2254,55. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमको सुफ़यान ने ख़बर दी, उन्हें सुलैमान शैबानी ने, उन्हें मुहम्मद बिन अबी मुजालिद ने, कहा कि मुझे अबू बुर्दा और अब्दुल्लाह बिन शद्दाद ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा और अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा। मैंने उन दोनों हज़रात से बेअे–सलम के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में ग़नीमत का माल पाते, फिर शाम के इम्बात (एक काश्तकार क़ौम) हमारे यहाँ आते तो हम उनसे गेहूँ, जौ और मुनक़्क़ा की बेअे सलम एक मुद्दत मुक़र्रर करके किया करते थे। उन्होंने कहा कि फिर मैंने पूछा कि उनके पास उस वक़्त ये चीज़ें मौजूद भी होती थीं या नहीं? इस पर उन्होंने कहा कि हम

٢٢٥٤، ٢٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ: ((أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

زَرْعٍ؟ قَالَ نُتْنَجُ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ)). [راجع: ٢٢٤٢، ٢٢٤٣]

उसके बारे में उनसे कुछ नहीं पूछते थे। (राजेअ़ : 2242, 2243)

٨- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

बाब 8 : बेअ़े सलम में ये मि'याद लगाना कि जब ऊँटनी बच्चा जने

ये जाहिलियत का रिवाज था। महीने और दिन तो मुतअ़य्यन (निर्धारित) न करते, जिहालत इस दर्जे की थी कि ऊँटनी के जनने को वादा ठहराते। गो ऊँटनी अकषर क़रीब क़रीब एक साल की मुद्दत में जनती है। मगर फिर भी आगे–पीछे कई दिन का फ़र्क़ हो जाता है और नीज़ निज़ाअ़ का बाअिष होगा, इसलिये ऐसी मुद्दत लगाने से मना फ़र्माया।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ)). فَسَّرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. [راجع: ٢١٣٣]

2256. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्हें जुवैरिया ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि लोग ऊँट वग़ैरह ह़मल होने की मुद्दत तक के लिये बेचते थे। नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना किया। नाफ़ेअ़ ने ह़ब्लुल ह़ब्ला की तफ़्सीर ये की, यहाँ तक कि ऊँटनी के पेट में जो कुछ है वो उसे जन ले। (राजेअ़ : 2133)

फिर उसका बच्चा बड़ा होकर वो बच्चा जने जैसे दूसरी रिवायत में उसकी तस़रीह़ है। इस मि'याद में जिहालत थी। दूसरे धोखा था कि मा'लूम नहीं वो कब बच्चा जनती है। फिर उसका बच्चा ज़िन्दा भी रह जाता है या मर जाता है। अगर ज़िन्दा रहे तो कब ह़मल रहता है, कब वज़अ़े ह़मल होता है। ऐसी मि'याद अगर सलम में लगाए तो सलम जाइज़ न होगी। चाहे आदतन उसका वक़्त मा'लूम भी हो सके।

36. किताबुश्शुफ़्आ

किताब शुफ़्आ के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

बाब 1 : शुफ़्आ का ह़क़ उस जायदाद में होता है जो तक़्सीम न हुई हो जब ह़दबन्दी हो जाए तो शुफ़्आ का ह़क़ बाक़ी नहीं रहता

तशरीह : शुफ़्आ कहते हैं शरीक या पड़ौसी का ह़िस्सा सौदे के वक़्त उसके शरीक या पड़ौसी को जबरन मुंतक़िल (ट्रांसफ़र) होना। इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि हर चीज़ में शुफ़्आ है और इमाम अह़मद (रह.) से रिवायत है कि जानवर में है और किसी मन्क़ूला (अचल) जायदाद में नहीं और शाफ़िइया और ह़न्फ़िया कहते हैं कि शुफ़्आ सिर्फ़ जायदाद वग़ैरह मन्क़ूला (अचल) में होगा। और शाफ़िइया के नज़दीक शुफ़्आ सिर्फ़ शरीक को मिलेगा न कि पड़ौसी को और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के नज़दीक पड़ौसी को भी ह़क़्क़े शुफ़्आ है और अहले ह़दीष़ ने इसको इख़्तियार किया है, व हिय

माख़ूज़तुम्मिनश्शफ़्इ व हुवज़्ज़ोज व क़ील मिनज़्ज़ियादति व क़ील मिनल्इआनति व फ़िश्शरइ इन्तिक़ालु हिस्सति शरीकिन इला शरीकिन कानत इन्तक़लत इला अज्नबिय्यिन बिमिस्लिल्इवज़िल्मुसम्मा व लम यख़्तलफ़िल उलमाउ फ़ी मश्रूइय्यतिहा (फ़तह) और वो शुफ़्आ से माख़ूज़ है जिसके मा'नी जोड़ा के हैं। कहा गया कि ज़्यादती के मा'नी में है। कुछ ने कहा इआनत के मा'नी में है। शरअ में एक के हिस्से को उसके दूसरे शरीक के हवाले करना, जबकि वो कुछ क़ीमत पर किसी अजनबी की तरफ़ मुंतक़िल हो रहा हो। उसकी मशरूइयत पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है।

2257. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उनसे मअमर ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने हर उस चीज़ में शुफ़्आ का हक़ दिया था जो अभी तक़्सीम न हुई हो। लेकिन जब हुदूद मुक़र्रर हो गईं और रास्ते बदल दिये गए तो फिर हक़्क़े शुफ़्आ बाक़ी नहीं रहता।

٢٢٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ)). [راجع: ٢٢١٣]

तश्रीह : क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम मालिक (रह.) का मज़हब ये है कि अगर शरीक ने शफ़ीअ को बेअ की ख़बर दी और उसने बेअ की इजाज़त दी फिर शरीक ने बेअ की तो शफ़ीअ को हक़्क़े शुफ़्आ न पहुँचेगा और उसमें इख़्तिलाफ़ है कि बायेअ (बेचने वाले) को शफ़ीअ का ख़बर देना वाजिब है या मुस्तहब।

बाब 2 : शुफ़्आ का हक़ रखने वाले के सामने बेचने से पहले शुफ़्आ पेश करना

٢- بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

हकम ने कहा कि अगर बेचने से पहले शुफ़्आ का हक़ रखने वाले ने बेचने की इजाज़त दे दी तो फिर उसका हक़्क़े शुफ़्आ ख़त्म हो जाता है। शअबी ने कहा कि हक़्क़े शुफ़्आ रखने वाले के सामने जब माल बेचा गया और उसने उस बेअ पर कोई ए'तिराज़ न किया तो उसका हक़ बाक़ी नहीं रहता।

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.

2258. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझको इब्राहीम बिन मैसरा ने ख़बर दी, उन्हें अम्र बिन शरीद ने, कहा कि मैं सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) के पास खड़ा था कि मुस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) तशरीफ़ लाए और अपना हाथ मेरे शाने (काँधे) पर रखा। इतने में नबी करीम (ﷺ) के ग़ुलाम अबू राफ़ेअ (रज़ि.) भी आ गए और फ़र्माया कि ऐ सअद! तुम्हारे क़बीले में जो मेरे दो घर हैं, उन्हें तुम ख़रीद लो। सअद (रज़ि.) बोले कि अल्लाह की क़सम

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: ((وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي

دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ، وَلَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ)).

[أطرافه في : ٦٩٧٧، ٢٩٧٨، ٦٩٨٠، ٦٩٨١].

मैं तो उन्हें नहीं ख़रीदूँगा। उस पर मिस्वर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नहीं जी! तुम्हें ख़रीदना होगा। सअ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर मैं चार हज़ार (दिरहम) से ज़्यादा नहीं दे सकता और वो भी क़िस्तवार। अबू राफ़ेअ़ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे पाँच सौ दीनार उनके मिल रहे हैं। अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ुबान से ये न सुना होता कि पड़ौसी अपने पड़ौस का ज़्यादा ह़क़दार है तो मैं उन घरों को चार हज़ार पर तुम्हें हर्गिज़ न देता। जबकि मुझे पाँच सौ दीनार उनके मिल रहे हैं। चुनाँचे वो दोनों घर अबू राफ़ेअ़ (रज़ि.) ने सअ़द (रज़ि.) को दे दिये।

(दीगर मक़ाम : 6977, 2978, 6980, 6981)

ये ह़दीष़ बज़ाहिर ह़न्फ़िया की दलील है कि पड़ौसी को शुफ़आ का ह़क़ है। शाफ़िइया उसकी ये तावील करते हैं कि मुराद वही पड़ौसी है जो जायदाद मुबीआ़ में भी शरीक हो ताकि ह़दीष़ों में इख़्तिलाफ़ बाक़ी न रहे।

٣- بَابُ أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ؟

बाब 3 : कौन पड़ौसी ज़्यादा ह़क़दार है?

मा'लूम हुआ कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) भी ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के साथ मुत्तफ़िक़ हैं कि पड़ौसी को ह़क़्क़े शुफ़आ ष़ाबित है।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)).

[طرفاه في : ٢٥٩٥، ٦٠٢٠].

2259. हमसे ह़ज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया (दूसरी सनद) और मुझसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे शबाबा ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अबू इमरान ने बयान किया, कहा कि मैंने त़लह़ा बिन अ़ब्दुल्लाह से सुना, और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे दो पड़ौसी हैं, मैं उन दोनों में से किसके पास हदिया भेजूँ? आपने फ़र्माया कि जिसका दरवाज़ा तुझसे ज़्यादा क़रीब हो।

(दीगर मक़ाम : 2595, 6020)

तश्रीह़ : क़स्तलानी ने कहा इससे शुफ़आ का जवाज़ ष़ाबित नहीं होता। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि अबू राफ़ेअ़ की ह़दीष़ पड़ौसी के लिये ह़क़्क़े शुफ़आ ष़ाबित करती है। अब इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि अगर कई पड़ौसी हों तो वो पड़ौसी ह़क़्क़े शुफ़आ में मुक़द्दम समझा जाएगा जिसका दरवाज़ा जायदादे मुबीआ़ से ज़्यादा क़रीब होगा।

***

37. किताबुल इजार:

किताब उजरत के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ – بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

बाब 1 : किसी भी नेक मर्द को मज़दूरी पर लगाना और अल्लाह का ये फ़र्माना

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ والخازِنُ الأمينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

कि अच्छा मज़दूर जिसको तू रखे वो है जो ज़ोरदार, अमानतदार हो, और अमानतदार ख़ज़ान्ची का ष़वाब और उसका बयान कि जो शख़्स हुकूमत की दरख़्वास्त करे उसको हाकिम न बनाओ।

इजारा के मा'नी मज़दूरी के हैं इस्तिलाह (परिभाषा) में ये कि कोई शख़्स किसी मुक़र्ररा मज़दूरी पर मुक़र्ररा मुद्दत के लिये अपनी ज़ात का किसी को मालिक बना दे।

٢٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)). [راجع: ١٤٣٨]

2260. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान षौरी ने बयान किया, उनसे अबू बुर्दा यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह ने कहा कि मेरे दादा, अबू बुर्दा आ़मिर ने मुझे ख़बर दी, और उन्हें उनके बाप अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अमानतदार ख़ज़ान्ची जो उसको हुक्म दिया जाए, उसके मुताबिक़ दिल की फ़राख़ी के साथ (स़दक़ा अदा कर दे) वो भी एक स़दक़ा करने वालों ही में से है। (राजेअ़ : 1438)

٢٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ

2261. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे कुर्रत बिन ख़ालिद ने कहा कि मुझसे हुमैद बिन हिलाल ने बयान किया, उनसे अबूबर्दा ने बयान किया और उनसे अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने कि मैं रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया। मेरे साथ (मेरे क़बीला) अशअ़र के

ﷺ مَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ: لَنْ - أَوْ لاَ - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ)).

[أطرافه في : ٣٠٣٨، ٤٣٤١، ٤٣٤٣، ٤٣٤٤، ٦١٢٤، ٦٩٢٣، ٧١٤٩، ٧١٥٦، ٧١٥٧، ٧١٧٢].

दो मर्द और भी थे। मैंने कहा कि मुझे नहीं मा'लूम कि ये दोनों स़ाह़िबान ह़ाकिम बनने के त़लबगार हैं। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स़ ह़ाकिम बनने का ख़ुद ख़्वाहिशमन्द हो, उसे हम हर्गिज़ ह़ाकिम नहीं बनाएँगे। (यहाँ रावी को शक है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने लफ़्ज़ लन् या लफ़्ज़ ला इस्ते'माल फ़र्माया)

(दीगर मक़ाम : 3038, 4341, 4343, 4344, 6124, 6923, 7149, 7156, 7157, 7172)

लफ़्ज़ इजारात, इजारेह् की जमा है। इजारा लुग़त में उज्रत या'नी उस मज़दूरी को कहते हैं जो किसी मुक़र्रा ख़िदमत पर जो मुक़र्रा मुद्दत तक अंजाम दी गई हो, उस काम के करने वाले को देना, वो नक़द या जिंस जिस मुक़र्ररा सूरत में हो। मज़दूरी पर अगर किसी नेक अच्छे अमानतदार आदमी को रखा जाए, तो काम कराने वाले की ये ऐन ख़ुशक़िस्मती है कि मज़दूर अल्लाह से डरकर पूरा ह़क़ अदा करेगा और किसी कोताही से काम न लेगा। **बाबु इस्तिजारिर्रजुलिस़्स़ालिहि** मुनअक़िद करने से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की एक ग़र्ज़ ये भी है कि नेक लोगों के लिये मज़दूरी करना कोई शर्म और आ़र की बात नहीं है और नेक स़ालेह़ लोगों से मज़दूरी पर काम कराना भी कोई बुरी बात नहीं है बल्कि दोनों के लिये बाइ़ष़े बरकत और अज्र व ष़वाब है।

इस सिलसिले में इमाम बुख़ारी (रह.) ने आयत, **इन्न ख़ैरम्मनिस्ताजर्त** नक़ल फ़र्माकर अपने मक़स़द के लिये मज़ीद वज़ाह़त फ़र्माई है और बतलाया है कि मज़दूरी के लिये कोई त़ाक़तवर आदमी जो अमानतदार भी हो मिल जाए तो ये बहुत बेहतर है। बारी तआ़ला ने आयते मज़्कूरा में ह़ज़रत शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) की स़ाह़बज़ादी की ज़ुबान पर फ़र्माया है कि उन्होंने अपने वालिद से घर पहुँचकर ये कहा कि बाबाजान! ऐसा ज़बरदस्त और अमानतदार नौकर और कोई नहीं मिलेगा। ह़ज़रत शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) ने पूछा कि तुझे कैसे मा'लूम हुआ। उन्होंने कहा वो पत्थर जिसको दस आदमी मुश्किल से उठाते थे, उस जवान या'नी ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अकेले उठाकर फेंक दिया और मैं उसके आगे चल रही थी। ह़यादार इतना है कि जब मेरा कपड़ा हवा से उड़ने लगा तो मुझसे कहने लगा कि पीछे होकर चलो और अगर मैं ग़लत़ रास्ते पर चलने लगूँ तो पीछे से एक कंकरी सीधे रास्ते की त़रफ़ फेंक देना। उससे समझकर सीधा रास्ता जान लूँगा और उसी पर चलूँगा।

ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का ये ऐन आ़लमे शबाब (जवानी के दिन) थे और ह़या और शर्म का ये आ़लम और ख़ुदातर्सी का ये ह़ाल कि दुख़्तरे शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) की त़रफ़ नज़र उठाकर देखना भी मुनासिब न जाना। इसी आधार पर उस लड़की ने ह़ज़रत शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) से ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का इन शानदार लफ़्ज़ों में तआ़रुफ़ (परिचय) कराया। बहरह़ाल अमीरुल मुह़द्दिष़ीन इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल बुयूअ़ इजारात के सिलसिले में या'नी मज़दूरी करने से मुता'ल्लिक़ तमाम मसाइल तफ़्स़ील (विस्तार) से बयान फ़र्माए हैं।

बाब के आख़िर में एक क़ायदा कुल्लिया बयान किया गया है कि जो शख़्स़ अज़्ख़ुद नौकर या ह़ाकिम बनने की दरख़्वास्त करे और उसके ह़ास़िल करने के लिये वसीले ढूँढ़े, तो बादशाह और ह़ाकिमे वक़्त का फ़र्ज है कि ऐसे ह़रीस़ (लालची) आदमी को हर्गिज़ ह़ाकिम न बनाया जाए और जो नौकरी से भागे उसको उस नौकरी पर मुक़र्रर करना चाहिये बशर्ते कि वो उसका अहल भी हो। वो ज़रूर ईमानदारी और ख़ैर-ख़्वाही से काम करेगा। लेकिन ये उस़ूल स़िर्फ़ इस्लामी पाकीज़ा हिदायात से मुता'ल्लिक़ है जिसको अ़हदे ख़िलाफ़ते राशिदा ही में शायद बरता गया हो। वरना अब तो कोई अहल हो या न हो मह़ज़ सिफ़ारिशों का लिह़ाज़ रखा जाता है। और इस ज़माने में तो नौकरी का ह़ास़िल करना और उसके लिये दफ़्तरों की ख़ाक छानना एक आ़म फ़ैशन हो गया है।

मुस्लिम शरीफ़ किताबुल इमारत में यही ह़दीष़ मज़ीद तफ़्स़ील के साथ मौजूद है। अ़ल्लामा नववी (रह.) उसके ज़ेल में फ़र्माते हैं, **क़ालल उ़लमाउ वल्हिक्मतु फ़ी अन्नहू ला यूला मन सअलल्विलायत अन्नहू यूकलु इलैहा व ला तकूनु मअ़हू इआ़नतुन कमा स़रह बिही फ़ी ह़दीष़ि अ़ब्दिर्रह़मान बिन समुरा अस्साबिक़ व इज़ा लमू तकुन मअ़हू**

इआनतुन लम यकुन कुफ़्अन व ला यूला ग़ैरल्कफ़्फ़ि व लिअन्न फ़ीहि तुहम्मुहू लित्तालिबि वल्हरीस़. (नववी) या'नी त़लबगार को इमारत (सरदारी) न दी जाए, इसमें ह़िक्मत ये है कि वो सरदारी पर मुक़र्रर किया जाएगा मगर उसको इआनत (अल्लाह की मदद) ह़ासिल न होगी जैसा कि ह़दीषे अ़ब्दुर्रह़मान बिन समुरा में स़राह़त है। और जब उसको इआनत न मिलेगी तो उसका मत़लब ये कि वो उसका अहल षाबित नहीं होगा और ऐसे आदमी को अमीर न बनाया जाए और उसमें त़लबगार के लिये ख़ुद तोह्मत भी है और इज़्हारे ह़िर्स़ (लालच) भी; उ़लमा ने उसकी स़राह़त की है।

इस ह़दीष के आख़िर में ख़ज़ान्ची का ज़िक्र आया है। जिससे ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये इशारा फ़र्माया है कि ख़ज़ान्ची भी एक क़िस्म का नौकर ही है। वो अमानतदारी से काम करेगा तो उसको भी अज्रो–ष़वाब उतना ही मिलेगा जितना कि मालिक को मिलेगा। ख़ज़ान्ची का अमीन होना बहुत ही अहम है वरना बहुत से नुक़्स़ानात का अन्देशा हो सकता है। इसकी तफ़्स़ील किसी दूसरे मुक़ाम पर आएगी।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **व क़द रवा इब्नु जरीर त़रीक़ि शुऐबिल जब्ई अन्नहू क़ाल इस्मुल मर्अतिल्लती तज़व्वजहा मूसा स़फ़ूरा व इस्मु उख़्तिहा लिया व कज़ा रवा मिन त़रीक़ि इब्नि इस्ह़ाक़ इल्ला अन्नहू क़ाल इस्मु उख़्तिहा शरक़ा व क़ील लिया व क़ाल ग़ैरूहू अन्न इस्मुहुमा सफ़ूरा व अब्रा व अन्नहुमा कानता तवामन व रवा मिन त़रीक़ि अ़लिय्यिब्नि अबी तल्हत अ़निब्नि अ़ब्बासिन फ़ी क़ौलिही इन्न ख़ैर मनिस्ताजर्तल क़विय्यल अमीन क़ाल क़विय्य फ़ीमा वलिय्युन अमीन फ़ी मस्तौदअ़ व रूविय मिन त़रीक़ि इब्नि अ़ब्बासिन व मुजाहिद फ़ी आख़रीन अन्न अबाहा सालहा अम्मा रअत मिन क़ुव्वतिही व अमानतिही फ़ज़करत क़ुव्वतहू फ़ी हालिस्सुक़ा व अमानतिही फ़ी गज़्नि तर्फ़िही अन्हुमा व क़ौलुहू लहम्शी ख़ल्फ़ी व दलीनी अलत्त़रीक़ि व हाज़ा अख़्रजहुल बैहक़ी बिइस्नादिन स़ह़ीह़िन अन उ़मरब्निल ख़त्ताबि व ज़ाद फ़ीहि फ़ज़ौजुहू अक़ाम मूसा व मअ़हू यक्फ़ीहि औ यअ़मलु लहू फ़ी रिआ़यति गनमिही** (फ़त्हुल बारी)

दुख़्तरे ह़ज़रत शुऐ़ब (अ़लैहिस्सलाम) की तफ़्सीलात के ज़ेल ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं कि जिस औरत से ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने शादी की थी उसका नाम **स़फ़ूरा** था और उसकी दूसरी बहन का नाम **लिया** था, कुछ ने दूसरी बहन का नाम **शुरक़ा** बतलाया है और कुछ ने **लिचा** और कुछ ने कोई और नाम बताया है। और कुछ की तह़क़ीक़ ये कि पहली का नाम **स़फ़ूरा** और दूसरी बहन का नाम **अबरा** था। और ये दोनों जुड़वां पैदा हुई थीं। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने आयते शरीफ़ा, **इन्न ख़ैरम मनिस्ताजरत** की तफ़्सीर में यूँ फ़र्माया है कि क़वी (त़ाक़तवर) उन उमूर के लिये जिनका उनको ज़िम्मेदार या वाली बनाया जाए और अमीन (अमानतदार) उन चीज़ों के लिये जो उसको सौंपी जाए। और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और मुजाहिद से ये भी मन्क़ूल है कि उसके वालिद ने अपने लड़की से पूछा कि तुमने उसकी क़ुव्वत और अमानत के बारे में क्या देखा तो उन्होंने बकरियों को पानी पिलाने के सिलसिले में उनकी क़ुव्वत का बयान किया। और अमानत का उनकी आँखों के नीचा करने के सिलसिले में जबकि वो आगे चल रही थीं और क़दम का कुछ ह़िस़्स़ा ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को नज़र आ गया था तो आपने फ़र्माया कि मेरे पीछे–पीछे चलो और रास्ता से मुझको आगाह करती चलो। पस ह़ज़रत शुऐ़ब ने उस लड़की का ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) से निकाह़ कर दिया और ह़ज़रत मूसा को अपने साथ अपनी ख़िदमात के लिये नीज़ बकरियाँ चराने के लिये ठहरा लिया, जैसा कि आठ साल के लिये तै किया गया था। मूसा ने दो साल और अपनी त़रफ़ से बढ़ा दिये, इस त़रह़ पूरे दस साल ह़ज़रत मूसा (अ़लैहि.) को शुऐ़ब (अ़लैहि.) की ख़िदमत में मुक़ीम रहने का शर्फ़ ह़ासिल हुआ।

ह़दीष उ़त्बा बिन मुंज़िर में मरवी है, **क़ाल कुन्ना इन्द रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़क़ाल इन्न मूसा अजर नफ़्सहू ष़मान सिनीन औ अशरन अ़ला इफ़्फ़ति फ़र्जिही व तआ़मि बतनिही अख़्रजहु इब्नु माजा** वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में थे आपने फ़र्माया कि ह़ज़रत मूसा (अ़लैहि.) ने आठ साल या दस साल के लिये अपने नफ़्स को ह़ज़रत शुऐ़ब (अ़लैहि.) की मुलाज़िमत के सुपुर्द कर दिया ताकि आप पेट भरने के साथ अज़्दवाजी ज़िन्दगी में शराफ़त की जिन्दगी गुज़ार सकें।

अल मज्मूअ़ शर्हुल्मुहज़्ज़ब लिल्उस्ताज़ अल मुह़क़्क़िक़ मुहम्मद नजीब अल मुतीई में किताबुल इजारह के ज़ेल में लिखा है, **यजूज़ु अ़क़्दुल इजारति अ़लल मनाफ़िइल मुबाहति वद्दलीलु अ़लैहि क़ौलुहू तआ़ला फ़इन अर्ज़अ़न लकुम फ़ातूहुन्न उजूरहुन्न** (जिल्द 14 स. 255) या'नी मुबाह मुनाफ़े के ऊपर मज़दूरी करना जाइज़ है जैसा कि इर्शादे बारी तआ़ला है, **अगर वो मुत़्लक़न औरतें तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाएँ तो उनको उनकी मज़दूरी अदा कर**

दो। मा'लूम हुआ कि मज़दूरी करने–कराने का षुबूत किताबुल्लाह व सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) से है और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि उसे शराफ़त के ख़िलाफ़ समझा जाए जैसा कि कुछ ग़लत क़िस्म के लोगों का तसव्वुर होता है और आज तो मज़दूरों की दुनिया है, हर तरफ़ मज़दूरों की तन्ज़ीम हैं। मज़दूर आज के दौर में दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं जैसाकि मुशाहिदा है।

बाब 2 : चंद क़ीरात की मज़दूरी पर बकरियाँ चराना

٢- بَابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

2262. हमसे अहमद बिन मुहम्मद मक्की ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन यह्या ने बयान किया, उनसे उनके दादा सईद बिन अम्र ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया अल्लाह तआला ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जिसने बकरियाँ न चराई हों। इस पर आप (ﷺ) के सहाबा रिज़्वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा, क्या आपने भी बकरियाँ चराई हैं? फ़र्माया कि हाँ! कभी मैं भी बकरियाँ चन्द क़ीरात की तन्ख़्वाह पर चराया करता था।

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بعثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمِ)). فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ)).

तश्रीह : अमीरुल मुहद्दिषीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब ये है कि मज़दूरी के तौर पर बकरियाँ चराना भी एक हलाल पेशा है बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। बकरियों पर गाय, भैंस, भेड़ों और ऊँटों को भी क़यास किया जा सकता है कि उनको मज़दूरी पर चराना–चुगाना जाइज़ और दुरुस्त है। हर पैग़म्बर ने बकरियाँ चराई हैं उसमें हिक्मत ये है कि बकरियों पर रहम और शफ़क़त करने की उनको शुरूआती उम्र ही से आदत हो और धीरे धीरे बनी नोअे इंसान की क़यादत करने से भी वो मुतआरफ़ (परिचित) हो जाएँ और जब अल्लाह उनको ये मन्सबे जलीलिया (नुबुव्वत जैसा ऊँचा पद) बख़्शे तो रहमत और शफ़क़त से वो इब्ने आदम को राहे–रास्त (सीधी राह) पर ला सकें। इस उसूल के तहत तमाम अंबिया–ए–किराम की ज़िन्दगियों में आपको रहमत और शफ़क़त की झलक नज़र आएगी।

हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को फ़िरऔन की हिदायत के लिये भेजा जा रहा है; साथ ही ताकीद की जा रही है **फ़क़ूला लहू क़वलल् लय्यिना लअल्लहू यतज़क्करू अव् यख़्शा** (ताँहा : 44) या'नी दोनों भाई फ़िरऔन के यहाँ जाकर उसको निहायत ही नरमी से समझाना, शायद वो नसीहत पकड़ सके या वो अल्लाह से डर सके। उसी नरमी का नतीजा था कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जादूगरों पर फ़तह अज़ीम हासिल फ़र्माई। हमारे रसूले करीम (ﷺ) ने भी अपने बचपन में मक्का वालों की बकरियाँ उज्रत पर चराई हैं। इसलिये बकरी चराना एक तरह से हमारे रसूले करीम (ﷺ) की सुन्नत भी है। आप अहले मक्का की बकरियाँ चन्द क़ीरात उज्रत पर चराया करते थे। क़ीरात आधे दानिक़ को कहते हैं जिसका वज़न 5 जौ के बराबर होता है।

अल्हम्दुलिल्लाह! आज मक्का शरीफ़ के पास वादी–ए–मिना में बैठकर ये सतरें (लाइनें) लिख रहा हूँ और आस–पास की पहाड़ियों पर नज़र डाल रहा हूँ और याद कर रहा हूँ कि एक ज़माना ये भी था जिसमें रसूले करीम रहमुतल् लिल् आलमीन (ﷺ) इन पहाड़ियों में मक्का वालों की बकरियाँ चराया करते थे। काश! मैं उतनी ताक़त रखता कि इन पहाड़ियों के चप्पे–चप्पे पर पैदल चलकर आँहज़रत (ﷺ) के नुक़ूशे इक़्दाम (चलने के निशानों) की याद ताज़ा कर सकता। **सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिम।**

कुछ लोगों ने कहा कि अत्राफ़े मक्का में क़रारीत नाम से एक मौज़अ था। जहाँ आँहज़रत (ﷺ) मक्का वालों की बकरियाँ चराया करते थे। हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **लाकिन रज्जहल अव्वल लिअन्न मक्कत ला यअरिफ़ून बिहा मकानन युक़ालु लहू क़रारीत** या'नी क़ौले अव्वल कि क़रारीत से दिरहम और दीनार के कुछ हिस्से मुराद हैं उसी को तरजीह हासिल है इसलिये कि मक्का वाले किसी ऐसे मकान से नावाक़िफ़ थे जिसे क़रारीत के नाम से जाना जाता हो।

व क़ालल उलमाउ अल हिक्मतु फ़ी इल्हामिल अंबियाइ मिन रअ्लगनमि क़ब्लन्नबुव्वति अंय्यहसिल लहुमुत्तमर्रून बिरअयिहा अला मा यक्फ़िलूनहू मिनल्क़ियामि बिअम्रि उम्मतिहिम या'नी उलमा ने कहा है कि अंबिया को बकरी चराने के इल्हाम के बारे में हिक्मत ये है कि उनको नुबुव्वत से पहले ही उनको चराकर उम्मत की क़यादत के लिये मश्क़ (प्रेक्टिस) हो जाए।

बकरी ख़ुद एक ऐसा बाबरकत जानवर है कि अल्लाह पाक का फ़ज़्ल हो तो बकरी पालने में चन्द ही दिनों में वारे न्यारे हो जाएँ। इसीलिये फ़ित्नों के दौर में एक ऐसे शख़्स की ता'रीफ़ की गई है जो सब फ़ित्नों से दूर रहकर जंगलों में बकरियाँ पाले और उनसे गुज़ारा करके जंगलों ही में अल्लाह की इबादत करे। ऐसे वक़्त में ये बेहतरीन क़िस्म का मुसलमान है। उस वक़्त मस्जिदे नबवी **रौजतुम मिन रियाजिल जन्नति** मदीना मुनव्वरा में ब–सिलसिला नज़रे ष़ानी उस मुक़ाम पर पहुँचता हुआ हरमैन शरीफ़ेन के माहौल पर नज़र डालकर हदीषे़ हाज़ा पर ग़ौर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अल्लाह तआला ने इस अज़ीम मुल्क में बकरियों के मिज़ाज के मुवाफ़िक़ कितने मौक़े पैदा कर रखे हैं। मक्का शरीफ़ में एक मुख़्लिस़ दोस्त के यहाँ एक बकरी देखी जो दो किलो वज़न से ज़्यादा दूध देती थी। **सदक़ रसूलुल्लाहि (ﷺ) मा मिन नबिय्यिन इल्ला रआ अल्गनम क़ब्लन्नुबुव्वति अंय्यहसिल लहुमुत्तमर्रन बिरअयिहा अला मा यक्फ़िलूनहू मिनल्क़ियामि बिअम्रि उम्मतिहिम** आज 2 स़फ़र 1390 हिजरी मुक़ामे मुबारक मज़्कूरा में ये चन्द अल्फ़ाज़ लिखे गए।

बाब 3 : जब कोई मुसलमान मज़दूर न मिले तो ज़रूरत के वक़्त मुश्रिकों से मज़दूरी कराना जाइज़ है क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर के यहूदियों से काम लिया था (उनसे बटाई पर मामला किया था)

٣- بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ

तशरीह : इस बाब के मज़्मून से मा'लूम हुआ कि बिला ज़रूरत मुसलमान को छोड़कर काफ़िर को नौकर रखना, उससे मज़दूरी लेना मना है। काफ़िर हर्बी हो या ज़िम्मी इमाम बुख़ारी (रह.) का मज़हब यही है और आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ैबर के यहूदियों को काश्तकारी के काम पर इस वजह से क़ायम रखा कि उस वक़्त मुसलमान किसान ऐसे मौजूद न थे, जो ख़ैबर को आबाद रखते। अगर आप यहूदियों को फ़ौरन निकाल देते तो ख़ैबर उजाड़ हो जाता और ख़ुद मुसलमानों की आमदनी में बड़ा नुक़्सान होता। अफ़सोस कि ख़ैबर के यहूदियों ने जो बज़ाहिर वफ़ादारी का दम भरकर इस्लामी ज़मीन पर खेती कर रहे थे अपनी अंदरूनी साज़िशों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ुफ़िया कोशिशों से ख़िलाफ़ते इस्लामी को परेशान कर रखा था। चुनाँचे उन हालात से मजबूर होकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में उन यहूदियों की अंदरूनी साजिशों को ख़त्म करने और उनकी नापाक कोशिशों को ख़ाक में वस्ल (मिलान) के लिये उनको ख़ैबर से जलावतन कर दिया और वहाँ मुसलमानों को आबाद कर दिया। इससे ये भी ष़ाबित हुआ कि अगर ग़ैर मुस्लिम मुफ़्सिद, साज़िशी न हों तो मुसलमान उनसे हस्बे ज़रूरत अपनी नौकरी करा सकते हैं। इसी तरह मुसलमान के लिये अगर ग़ैर–मुस्लिम के यहाँ अपने मज़हब की ज़िल्लत और ख़्वारी का अन्देशा हो तो मुनासिब नहीं कि वो ऐसी जगह नौकरी करे।

क़ाल इब्नु बत्ताल आम्मतुल फ़ुक़हाइ युजीज़ून इस्तिजारहुम इन्दज़्ज़रूरति (फ़त्हुल बारी) या'नी आम फ़ुक़हा ने गैर–मुस्लिमों से मज़दूरी कराने को बवक़्ते ज़रूरी जाइज़ क़रार दिया है।

स़ाहिबुल मुहज़्ज़ब लिखते हैं, **वख़्तलफ़ू फ़िल्काफ़िरि इज़ा मुस्लिमन इजारतन मुअय्यनतन फ़मिन्हुम मन क़ाल फ़ीहि क़ौलानि लिअन्नहू अक़्दुन यतज़म्मनु हब्सुल मुस्लिमि फ़स़ार कबैइल अब्दिल मुस्लिमि मिनहु व मिन्हुम मन क़ाल यस़िह्हु क़ौलन वाहिदन लिअन्न कर्रमल्लाहु वज्हहू कान यस्तरूक़ी अल्माअ लिइम्रातिन यहूदिय्यतिन** (अल मुहज़्ज़ब जिल्द 14/259)

अश्शर्हु ख़बरू अलिय्यिन रवाहु अहमद व जव्वदल हाफ़िज़ इब्नि हजर इस्नादुहू व लफ़्ज़ुहू जुअतु मर्रतिन जूअन शदीदन फ़ख़रज्तु लितबिल अमलि फ़ी अवालिल मदीनति फ़इज़ा अना राइतु बिइम्रातिन क़द जमअत

मदारन फ़ज़नन्तुहा तुरीदु बल्ह फ़क़ातअतुहा कल्ल ज़नूबिन अ़ला फ़मदत्तु सित्तत अशर ज़नूबन हत्ता मज्जलत यदाय षुम्म अतैतुहा फ़द्दत ली सित्त अशर तम्रतन फ़अतैतुन्नबिय्यि (ﷺ) अख़्बर्तुहू फअकल मई मिन्हा व हाज़ल्ख़बरू यदुल्लु दलालतन यअजिज़ुल क़लमु मिन इस्तिस्क़ाइ मा तूही बिही मिम्बयानिन मा कानतिस्सहाबतु अ़लैहि मिनल्हाजति व शिद्दतिल फ़ाक़ति वस्सब्रू अलल्जूइ व बज्लुल्बस्इ व इतआबिन्नफ़्सि फ़ी तहसीलि क़वामि मिनल्ऐशि लित्तअफ़्फ़ुफ़ि अनिस्सवाजि व तुहम्मलुल्मतनु व इन्न ताजीरन्नफ़्सि युअद्दु दनाअतुन व इन कानतल्मुस्ताजिरू ग़ैर शरीफ़िन औ काफ़िरिन अविल्अजीरु मिन अशराफ़िन्नफ़्सि व उज़ माइहिम व क़द औरहू साहिबुल मुन्तक़ा लियस्तदिल्ल बिही अ़ला जवाज़िल इजारति मुआवदतन यअ़नी अंय्यफ़्अलल्अजीरु अ़ददन मअलूमन मिनल्अमलि बिअ़ददिन मअ़लूमिन मिनल उज्रति (किताबे मज्कूर 91) या'नी उ़लमा ने इसमें इख़्तिलाफ़ किया है कि कोई काफ़िर किसी मुसलमान को बतौरे मज़दूर रखे तो क्या फ़त्वा है। इस बारे में दो क़ौल हैं, एक तो ये कि ये मुसलमान को एक तरह से क़ैद करना, गोया उस मुसलमान बन्दे को बतौरे ग़ुलाम बेचना है। **और दूसरा क़ौल ये है कि ये जाइज़ है इसलिये कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने एक यहूदी औरत के यहाँ मज़ूदरी पर पानी खींचा था।** ख़ुद उनके अल्फ़ाज़ ये हैं कि एक बार मुझको सख़्त भूख ने सताया तो मैं मदीना के पास मज़दूरी करने निकला मैंने एक औरत को देखा वो कुछ मिट्टी को गीला कराना चाहती थी। मैंने उससे हर एक डोल के बदले एक खजूर पर मामला तै कर लिया और मैंने एकदम सोलह डोल खींच डाले यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले हो गए। फिर मैं उस औरत के पास आया और उसने मुझे सोलह अ़दद खजूर दे दीं जिनको लेकर मैं आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और मैंने आपको सारी तफ़्सीलात से आगाह किया चुनाँचे उन खजूरों में से मेरे साथ आपने भी चन्द खजूरों को तनावुल फ़र्माया। सहाब-ए-किराम इब्तिदाए इस्लाम में किस क़दर तकलीफ़ों में मुब्तला थे और वो भूख पर किस क़दर सब्र करते थे और वो सवाल से बचकर अपना पेट भरने के लिये कैसी-कैसी सख़्त मज़दूरी के लिये तैयार हो जाते थे, ये इस ख़बर से वाजेह है।

इस वाक़िया से ये भी षाबित हुआ कि शरीफ़ नफ़्स को किसी की मज़दूरी में डाल देना कोई ज़लील पेशा नहीं है। अगरचे मज़दूरी कराने वाला ख़ुद ज़लील भी क्यूँ न हो या काफ़िर भी क्यूँ न हो और अगरचे मज़दूरी करने वाला बड़ा शरीफ़ आदमी ही क्यूँ न हो। स़ाहिबे मुन्तक़ा ने इससे ये षाबित किया है कि मज़दूरी मुक़र्ररा काम के साथ मुक़र्ररा उज्रत पर करना जाइज़ है।

आज यकुम मुहर्रम 1390 हिजरी को क़ा'बा शरीफ़ में बवक़्ते तहज्जुद ये नोट लिखा गया और 2 सफ़र 90 हिजरी यौमे जुम्आ में मस्जिदे नबवी में बैठकर इस पर नज़रे-षानी की गई।

2263. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हिशाम बिन उ़र्वा ने ख़बर दी, उन्हें मअ़मर ने, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उन्हें आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र (रज़ि.) ने (हिज्रत करते वक़्त) बनू दैल के एक मर्द को नौकर रखा जो बनू अ़ब्द बिन अ़दी के ख़ानदान से था और वो बतौरे माहिर रहबर (क़ाबिल गाइड के) मज़दूरी पर रखा था (हदीष में लफ़्ज़) ख़िर्रियति के मा'नी रहबरी में माहिर के हैं। उसने अपना हाथ पानी वग़ैरह में डुबोकर आ़स बिन वाईल के ख़ानदान से अहद किया था और वो कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ही के दीन पर था। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) और अबूबक्र (रज़ि.) को उस पर भरोसा था। इसलिये अपनी सवारियाँ उन्होंने उसे दे दीं। और ग़ारे षौर पर तीन रात के बाद उससे मिलने की ताकीद की थी। वो शख़्स

٢٢٦٣- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِيل ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيْتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِيْنَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا

تَرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ)). [راجع: ٤٧٦]

तीन रातों के गुज़रते ही सुबह को दोनों हज़रात की सवारियाँ लेकर वहाँ हाज़िर हो गया। उसके बाद ये हज़रात वहाँ से आमिर बिन फ़ुहैरा और उस दैली रहबर को साथ लेकर चले। ये शख़्स साहिल के किनारे से आपको लेकर चला था। (राजेअ : 476)

٤- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

- أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ - جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

बाब 4 : कोई शख़्स किसी मज़दूर को इस शर्त पर रखे

कि काम तीन दिन या एक महीने या एक साल के बाद करना होगा तो जाइज़ है और जब वो मुक़र्ररा वक़्त आ जाए तो दोनों अपनी शर्त पर क़ायम रहेंगे।

तशरीह : इस बाब के लाने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि इजारे में ये अम्र ज़रूरी नहीं है कि जिस वक़्त से इजारा शुरू हो उसी वक़्त से काम करे। जैसा कि नबी करीम (ﷺ) ने बनी दैल के मुक़र्ररकर्दा नौकर से तीन रात बाद ग़ारे ष़ौर पर आने का वादा लिया था।

٢٢٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: ((وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ)). [راجع: ٤٧٦]

2264. हमसे यह्या बिन बुकेर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अक़ील ने कि इब्ने शिहाब ने बयान किया कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, और उनसे नबी करीम (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) और अबूबक्र (रज़ि.) ने बनू दैल के एक माहिर रहबर से मज़दूरी तै कर ली थी। वो शख़्स कुफ़्फ़ारे क़ुरैश के दीन पर था। उन दोनों हज़रात ने अपनी दोनों ऊँटनियाँ उसके हवाले कर दी थीं और कह दिया था कि वो तीन रातों के बाद सुबह सवेरे ही सवारियों के साथ ग़ारे ष़ौर पर आ जाए। (राजेअ : 476)

तशरीह : इस हदीष़ में रसूले करीम (ﷺ) की हिज्रत से मुता'ल्लिक़ एक जुज़्वी ज़िक्र है कि आप और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने शबे हिज्रत में सफ़र शुरू करने से पहले एक ऐसे शख़्स को बतौरे रहबर मज़दूर मुक़र्रर किया था जो कुफ़्फ़ारे क़ुरैश के दीन पर था और ये बनू दैल में से था। आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) को उस पर ए'तिमाद था। इसलिये अपनी दोनों सवारियों को उसके हवाले करते हुए उससे वादा ले लिया कि तीन रातें गुज़र जाने के बाद दोनों सवारियों को लेकर ग़ारे ष़ौर पर चला आए। चुनाँचे उसने ऐसा ही किया। और आप दोनों ने सफ़र शुरू किया ये शख़्स बतौर एक माहिर रहबर के था और आमिर बिन फ़ुहैरह को दोनों सवारियों के लिये निगराँ के तौर पर मुक़र्रर किया था। अगले बाब में मज़्कूर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उस शख़्स को इस शर्त पर मज़दूर मुक़र्रर किया कि वो अपना मुक़र्ररा काम तीन रातें गुज़रने के बाद अंजाम दे। उसी तरह अगर एक माह बाद या एक साल बाद की शर्त पर किसी को मज़दूर रखा जाए और दोनों फ़रीक़ राज़ी हूँ तो ऐसा मामला करना दुरुस्त है।

इस हदीष से भी ज़रूरत के वक़्त किसी भरोसेमंद ग़ैर–मुस्लिम को बतौर मज़दूर रख लेना जाइज़ षाबित हुआ। **व हाज़ा हुवल मुराद।** अल्हम्दुलिल्लाह कि का'बा शरीफ़ में ग़ारे षौर की तरफ़ बैठे हुए ये हदीष और उसकी ये तशरीह क़लम के हवाले कर रहा हूँ चौदह सौ साल गुज़र रहे हैं मगर हयाते तय्यिबा का एक–एक वरक़ (पन्ना) हर तरह से इतना महफ़ूज़ है कि उससे ज़्यादा मुम्किन नहीं। यही वो ग़ार है जिसको आज जबले षौर के नाम से पुकारा जाता है। उसी में आँहज़रत (ﷺ) ने अपने यारे–ग़ार हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के साथ तीन रातों तक क़याम फ़र्माया था।

इस बाब के ज़ेल हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम का तशरीही नोट ये है कि इस बाब के लाने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि इजारे में ये अम्र ज़रूरी नहीं कि जिस वक़्त से इजारा शुरू हो उसी वक़्त से काम शुरू करे। इस्माईली ने ये ए'तिराज़ किया है कि बाब की हदीष से ये नहीं निकलता कि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) और आँहज़रत (ﷺ) ने उस शख़्स से ये शर्त लगाई थी कि वो तीन दिन के बाद अपना काम शुरू करे। मगर ये ए'तिराज़ सहीह नहीं क्योंकि हदीषे मज़्कूरा में बाब की मुताबक़त वाज़ेह तौर पर मौजूद है।

बषुबूत इजारा साहिबुल मुहज़्ज़ब लिखते हैं, **फ़क़द षबत अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) व अबा बक्रिन इस्ताजर अब्दल्लाहिब्नि अल उरैक़त अद्दैली व कान ख़रीतिन व हुव अख़बरु बिमसालिकिस्सहराइ वल वह्हादुल आलिमु बिजुगराफ़िय्यति बिलादिल अरबि अलत्तबीअति लियकून हादियन व मुर्शिदन लहुमा फ़ी हिज्रतिना मिम्मक्कत इलल्मदीनति** तहक़ीक़ षाबित हो गया कि रसूले करीम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन अरीक़त दैली को मज़दूर बनाया। वो सहराई (रेगिस्तानी) रास्ते का बहुत बड़ा माहिर था। वो बिलादे अरब के तब्ई जुग़राफ़िया (भूगोल) से पूरे तौर पर वाक़िफ़ था, उसको इसलिये मज़दूर रखा था ताकि वो बवक़्ते हिज्रत मक्का से मदीना तक आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के लिये रहनुमाई का फ़र्ज़ अंजाम दे। जिससे गैर–मुस्लिम को जिस पर ए'तिमाद हो मज़दूर बनाकर रखना षाबित हुआ।

आज 29 ज़िल्हिज्ज 1389 हिजरी को बवक़्ते मग़रिब मुक़ामे इब्राहीम के पास बैठकर ये नोट लिखा गया। **वल्हम्दु लिल्लाह अला ज़ालिक** और 2 सफ़र यौमे जुम्आ को मस्जिदे नबवी जन्नत की क्यारी में बैठकर उस पर नज़रे षानी की गई, **वल हम्दु लिल्लाह अला ज़ालिक।**

ग़ारे षौर पर हाज़िरी : इस हदीष को लिखते हुए दिल में ख़याल था कि मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद होने पर मुनासिब होगा कि हिज्रते नबवी की अव्वलीन मंज़िल या'नी ग़ारे षौर को ख़ुद अपनी आँखों से देखकर इब्रत हासिल की जाए; अगरचे यहाँ जाना न कोई रुक्ने हज्ज है न उसके लिये कोई शरई हुक्म है। मगर **सीरू फ़िल् अर्ज़ि** के तहत बतारीख़ 16 मुहर्रम 1390 हिजरी हज्ज के दीगर साथियों के साथ ग़ारे षौर पर जाने का अज़्म (निश्चय) कर लिया। ये हरम शरीफ़ से कई मील दूर है और वहाँ जाने पर चारों तरफ़ पहाड़ों के खौफ़नाक नज़ारे सामने आते हैं। चुनाँचे हिन्दुस्तानी टाइम के मुताबिक़ अंदाज़न दिन के ग्यारह बजे हमारा क़ाफ़िला कोहे षौर के दामन में पहुँच गया। पहाड़ की चोटी पर नज़र डाली गई तो हिम्मत ने जवाब दे दिया। मगर साथियों के अज़्म को देखकर चढ़ाई शुरू की गई। हाल ये था कि जिस क़दर ऊपर चढ़ते जाते वो मुक़ाम दूर ही नज़र आता जा रहा था। आख़िर बैठ बैठकर बसद मुश्किल तक़रीबन घण्टा भर की मेहनत के बाद ग़ारे षौर तक रसाई (पहुँच) हो सकी। यहाँ इस क़िस्म के कई ग़ार हैं जिनके ऊपर अज़ीम पत्थरों की छत क़ुदरती तौर पर बनी हुई हैं। एक ग़ार पर ग़ारे षौर लिखा हुआ था, यही वो ग़ारे षौर है जिसके अंदर बैठकर रसूले करीम (ﷺ) ने अपने यारे ग़ार हज़रत सिद्दीक़ अकबर (रज़ि.) से फ़र्माया था, **मा ज़न्नुक बिष्नैनि अल्लाहु षालिषुहुमा** जब सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) को दुश्मनों का डर महसूस हुआ तो आँहज़रत (ﷺ) ने आपको ऊपर लिखे लफ़्ज़ों में तसल्ली दिलाई थी कि ऐ अबूबक्र! तुम्हारा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनके साथ तीसरा ख़ुद अल्लाह तआला है (अल्लाह पाक के ख़ुद साथ होने से उसकी मदद व नुसरत मुराद है। जबकि वो ख़ुद अपनी ज़ात से अर्शे अज़ीम पर है)। मतलब ये था कि ख़ुद अल्लाह हमारा मुहाफ़िज़ (रक्षक) व नासिर (मददगार) है। फिर हमको दुश्मनों की तरफ़ से क्या ग़म हो सकता है। यही हुआ कि दुश्मन उस ग़ार के आसपास फिरते रहे और उनको आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) का इल्म न हो सका और अल्लाह पाक ने दोनों महबूब बन्दों को बचा लिया।

ग़ार में अंदर दो आदमियों के बैठने–लेटने की जगह है। एक तरफ़ से बैठकर दाख़िल हुआ जा सकता है। मैं और

हमारे दोस्त अंदर दाख़िल हुए और सारा मंज़र देखा और बारबार क़ुदरते इलाही याद आती रही और तारीख़े इस्लाम के अ़ज़ीम वाक़िये की याद ताज़ा होती रही। चन्द अल्फ़ाज़े याददाश्त, ग़ार के अंदर ही बैठकर क़लम के ह़वाले किये गए। जी चाहता था कि यहाँ काफ़ी देर ठहरा जाए क्योंकि मंज़र बहुत ही रूह़ अफ़्ज़ा (आध्यात्मिक) था, मगर नीचे गाड़ी वाला इन्तज़ार में था। इसलिये दोस्तों के साथ वापसी का मरहला तै किया गया। ग़ार ऊँचाई और रास्ते पर ख़त़रा होने के लिहाज़ से इस क़ाबिल नहीं है कि हर शख़्स वहाँ तक जा सके। चढ़ना भी ख़त़रनाक और उतरना उससे ज़्यादा ख़त़रनाक है। चुनाँचे उतरने में दोगुना वक़्त ख़र्च हुआ और नमाज़े ज़ुहर का वक़्त भी उतरते—उतरते ही हो गया। बसद मुश्किल नीचे उतरकर गाड़ी पकड़ी और ह़रम शरीफ़ में ऐसे वक़्त ह़ाज़िरी हुई कि ज़ुहर की नमाज़ हो चुकी थी मगर अल्ह़म्दुलिल्लाह कि ज़िंदगी की एक ह़सरत थी रसूले करीम (ﷺ) की हिज्रत की अव्वलीन मंज़िल को देखा जाए सो अल्लाह पाक ने ये मौक़ा नसीब फ़र्माया **वल्ह़म्दुलिल्लाहि अव्वलन व आख़िरन वस्सलातु वस्सलामु अ़ला रसूलिल्लाहि व अ़ला स़ाह़िबिस्सिदीक़ि रज़ियल्लाहु अन्हु**

(मुह़तरम ह़ाजी अल्लाह बख़्श स़ाह़ब बीजापुरी और मुह़तरम ह़ाजी मुंशी ह़क़ीक़ुल्लाह स़ाह़ब नाज़िम मदरसा दारुल हुदा यूसुफ़पुर, यूपी साथ थे जिनकी हिम्मत से मुझ जैसे ज़ईफ़ कमज़ोर ने इस मंज़िल तक रसाई ह़ासिल की। जज़ाहुमुल्लाह।

बाब 5 : जिहाद में किसी को मज़दूर करके ले जाना

٥- بَابُ الأَجِيْرِ فِي الْغَزْوِ

2265. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अ़लिया ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अ़त़ा बिन अबी रबाह ने ख़बर दी, उन्हें स़फ़्वान बिन यअ़ला ने, उनको यअ़ला बिन उमय्या (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ जैशे उ़सरह़ (ग़ज़्व-ए-तबूक़) में गया था ये मेरे नज़दीक मेरा सबसे ज़्यादा क़ाबिले ए'तिमाद नेक अ़मल था। मेरे साथ एक मज़दूर भी था। वो एक शख़्स से झगड़ा और उनमें से एक ने दूसरे मुक़ाबिल वाले की उँगली चबा डाली। दूसरे ने जो अपना हाथ ज़ोर से खींचा तो उसके आगे के दांत भी साथ ही खिंचे चले आए और गिर गए। इस पर वो शख़्स अपना मुक़द्दमा लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा। आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसके दांत (टूटने का) कोई क़िस़ास़ नहीं दिलवाया बल्कि फ़र्माया कि क्या वो अपनी उँगली तुम्हारे मुँह में चबाने के लिये छोड़ देता। रावी ने कहा कि मैं ख़्याल करता हूँ कि आपने यूँ भी फ़र्माया, जिस त़रह़ ऊँट चबा लिया करता है। (राजेअ़ : 1847)

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِيْ أَجِيْرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ: ((أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيْكَ تَقْضَمُهَا؟)) قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ -: ((كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ)).

[راجع: ١٨٤٧]

2266. इब्ने जुरैज ने कहा और मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने बयान किया, और उनसे उनके दादा ने बिलकुल उसी त़रह़ का वाक़िया बयान किया कि एक शख़्स ने एक दूसरे शख़्स का हाथ काट खाया। (दूसरे ने अपना हाथ खींचा तो) उस काटने वाले के दांत टूट गया और अबूबक्र (रज़ि.) ने उसका कोई

٢٢٦٦- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ: ((أَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)).

क़िसास़ नहीं दिलवाया।

तश्रीह : बाब का मज़्मून इससे ज़ाहिर है कि ह़ज़रत यअ़ला बिन उमय्या (रज़ि.) ने जंगे तबूक़ के सफ़र में अपने साथ एक और आदमी को बतौरे मज़दूर साथ लगा लिया था। ह़दीष़ में जंगे तबूक़ का ज़िक्र है जिसको जैशुल उ़सरह भी कहा गया है। अल्ह़म्दुलिल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा में बैठकर ये नोट लिख रहा हूँ। यहाँ से तबूक़ कई सौ मील की दूरी पर उरदुन (जॉर्डन) के रास्ते पर वाक़ेअ़ है और हुकूमत सऊ़दिया ही का ये एक ज़िला है। शाम (सीरिया) के ईसाइयों ने यहाँ सरहद पर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंगी मंसूबा बनाया था जिसकी बरवक़्त इत्तिला (समय रहते सूचना) आँह़ज़रत (ﷺ) को हो गई और आप (ﷺ) ने मुराफ़अ़त के लिये पेशक़दमी फ़र्माई जिसकी ख़बर पाकर ईसाइयों के हौसले पस्त हो गए।

ये सफ़र ऐन गर्मी के मौसम की तेज़ी के दौर में किया गया, जिसकी वजह से मुसलमान मुजाहिदीन को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। सूरह तौबा की कई आयतों में इसका ज़िक्र है। साथ ही उन मुनाफ़िक़ीन का भी जो इस इम्तिह़ान में ह़ीले बहाने करके पीछे रह गए थे। जिनके मुता'ल्लिक़ आयत, **यअ़तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअ़तुम इलैहिम** (अत् तौबा : 94) नाज़िल हुई। मगर चन्द मुख़्लिस़ मोमिन भी थे जो पीछे रहने वालों में रह गए थे, बाद में उनकी तौबा क़ुबूल हुई। अल्ह़म्दुलिल्लाह आज 2 स़फ़र को मस्जिदे नबवी में बैठकर ये नोट लिखा गया।

बाब 6 : एक शख़्स को एक मि'याद के लिये नौकर रख लेना और काम बयान न करना

٦- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ

सूरह क़स़स़ में अल्लाह तआ़ला ने (ह़ज़रत शुऐ़ब (अ) का क़ौल यूँ) बयान फ़र्माया है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी उन दो लड़कियों में से किसी का तुमसे निकाह़ कर दूँ, आख़िर आयत (वल्लाहु अ़ला मा नक़ूलु वकील) तक। अ़रबों के यहाँ याजुरु फ़ुलाना बोलकर मुराद होता है, या'नी फ़लाँ को वो मज़दूरी देता है। उसी लफ़्ज़ से मुश्तक़ तअ़ज़ियत के मौक़े पर ये लफ़्ज़ कहते हैं अजरकल्लाह। (अल्लाह तुझको अज्र अ़ता करे)

لِقَوْلِهِ : ﴿ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ﴾ يَأْجُرُ فُلاَنًا : يُعْطِيْهِ أَجْرًا. وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ.

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ बाब का मक़्स़द बयान करने के लिये सि़र्फ़ आयते क़ुर्आनी लाए जिसमें ह़ज़रत शुऐ़ब (अ़लैहिस्सलाम) की ज़ुबान से मज़्कूर है कि उन्होंने ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) से यूँ फ़र्माया कि मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक का आपसे निकाह़ करना चाहता हूँ। इस शर्त़ पर कि आप आठ साल मेरे यहाँ काम करें। यहाँ ह़ज़रत शुऐ़ब (अ़लैहिस्सलाम) ने नौकरी के काम मुक़र्रर नहीं किये। उसी से मक़्स़दे बाब ष़ाबित होता है। आयते मज़्कूरा में लफ़्ज़ ताजुरुनी मज़्कूर है; उसकी लग़्वी वज़ाह़त ह़ज़रत इमाम ने यूँ फ़र्माई कि अ़रबों में याजुरु फ़ुलाना का मुह़ावरा मज़दूर को मज़दूरी देने पर मुस्तअ़म्मल (आधारित) है आयत में लफ़्ज़ ताजुरुनी उसी से मुश्तक़ (बना) है।

बाब 7 : अगर कोई शख़्स़ किसी को इस काम पर मुक़र्रर करे कि वो गिरती हुई दीवार को दुरुस्त कर दे तो जाइज़ है

٧- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا عَلَى أَنْ يُقِيْمَ حَائِطًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

इसी से मेअ़मारी या'नी मकान ता'मीर करने का पेशा भी ष़ाबित हुआ और ये कि मेअ़मारी का पेशा ह़ज़रत ख़िज़्र (अ़लैहिस्सलाम) की सुन्नत है।

2267. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा

٢٢٦٧- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ)) قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ. قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيْدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ قَالَ سَعِيْدٌ: أَجْرًا نَأْكُلُهُ. [راجع: ٧٤]

कि मुझे यअ़ला बिन मुस्लिम और अ़म्र बिन दीनार ने सईद से ख़बर दी। ये दोनों ह़ज़रात (सईद बिन जुबैर से अपनी रिवायतों में) एक दूसरे से कुछ ज़्यादा रिवायत करते हैं। इब्ने जुरैज ने कहा मैंने ये ह़दीष़ औरों से भी सुनी है। वो भी सईद बिन जुबैर से नक़ल करते थे कि मुझसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, और उनसे उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) ने कहा। उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया। कि फिर वो दोनों (मूसा और ख़िज्र अ़लैहि.) चले। तो उन्हें एक गाँव में एक दीवार मिली, जो गिरने ही वाली थी। सईद ने कहा ख़िज्र (अ़लैहि.) ने अपने हाथ से इस त़रह़ इशारा किया और हाथ उठाया, वो दीवार सीधी हो गई। यअ़ला ने कहा मेरा ख़्याल है कि सईद ने कहा, ख़िज्र (अ़लैहि.) ने दीवार को अपने हाथ से छुआ और वो सीधी हो गई। तब मूसा (अ़लैहि.) बोले कि अगर आप चाहते तो इस काम की मज़दूरी ले सकते थे। सईद ने कहा कि (ह़ज़रत मूसा अ़लैहि. की मुराद ये थी कि) कोई ऐसी चीज़ मज़दूरी में (आपको लेनी चाहिये थी) जिसे हम खा सकते (क्योंकि बस्ती वालों ने उनको खाना नहीं खिलाया था) (राजेअ़ : 74)

तश्रीह़ : ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और ह़ज़रत ख़िज्र (अ़लैहिस्सलाम) का ये वाक़िया क़ुर्आन मजीद में तफ़्सील (विस्तार) के साथ मज़्कूर हुआ है, उसी जगह ये दीवार का वाक़िया भी है जो गिरने ही वाली थी कि ह़ज़रत ख़िज्र (अ़लैहिस्सलाम) ने उसको दुरुस्त कर दिया। इसी से इस क़िस्म की मज़दूरी करने का जवाज़ ष़ाबित हुआ क्योंकि ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का ख़्याल था कि ह़ज़रत ख़िज्र (अ़लैहिस्सलाम) को इस ख़िदमत पर गाँव वालों से मज़दूरी लेनी चाहिये थी क्योंकि गाँव वालों ने बेमुरव्वती का षुबूत देते हुए उनको खाना नहीं खिलाया था ह़ज़रत ख़िज्र (अ़लैहिस्सलाम) ने उसकी परवाह न करते हुए इल्हामे इलाही से मा'लूम कर लिया था कि ये दीवार यतीम बच्चों की है और उसके नीचे उनका ख़ज़ाना दफ़्न है, इसलिये उसका सीधा करना ज़रूरी हुआ ताकि यतीमों की इम्दाद (सहायता) पूरे त़ौर पर हो सके और उनका ख़ज़ाना ज़ाहिर न हो कि लोग लूटकर ले जाएँ।

आज तीन स़फ़र को मुह़तरम ह़ाजी अ़ब्दुर्रह़मान सनदी के मकान वाक़ेअ़ बाबे मजीदी, मदीना मुनव्वरा में ये नोट लिख रहा हूँ। अल्लाह पाक मुह़तरम हाजी को दोनों जहाँ की बरकतें अ़त़ा करे। बहुत ही नेक मुख़्लिस़ और किताबो-सुन्नत के दिलदादा ज़ी इल्म बुज़ुर्ग हैं। जज़ाहुमुल्लाह ख़ैरा फ़िद्दारैन। उम्मीद है कि क़ारेईन भी उनके लिये दुआए ख़ैर करेंगे।

बाब 8 : आधे दिन के लिये मज़दूर लगाना (जाइज़ है)

٨- بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

तश्रीह़ : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ इन बाबों को लाने से ये है कि इजारे के लिये ये ज़रूरी नहीं कि कम से कम एक दिन की मुद्दत हो बल्कि उससे कम मुद्दत भी दुरुस्त है। जैसाकि ह़दीष़ के बाब में दोपहर तक फिर अ़स्र तक फिर अ़स्र से मग़रिब तक मज़दूरी कराने का ज़िक्र है। मज़दूरी का मामला मज़दूर और मालिक पर मौक़ूफ़ (आधारित) है वो जिस त़ौर पर जिन शर्त़ों के तह़त मामला तै कर लेंगे दुरुस्त होगा।

٢٢٦٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مِنْ أَشَاءُ)).

2268. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारी और यहूद व नसारा की मिषाल ऐसी है कि किसी शख़्स ने कई मज़दूर काम पर लगाए और कहा कि मेरा काम एक क़ीरात़ पर सुबह से दोपहर तक कौन करेगा? उस पर यहूदियों ने (सुबह से दोपहर तक) उसका काम किया। फिर उसने कहा कि आधे दिन से अ़स्र तक एक क़ीरात़ पर मेरा काम कौन करेगा? चुनाँचे ये काम फिर नसारा ने किया, फिर उस शख़्स ने कहा कि अ़स्र के वक़्त से सूरज डूबने तक मेरा काम दो क़ीरात़ पर कौन करेगा? और तुम (उम्मते मुहम्मदिया ये) ही वो लोग हो (जिनको ये दर्जा हासिल हुआ) इस पर यहूद व नसारा ने बुरा माना, और वो कहने लगे कि काम तो हम ज़्यादा करें और मज़दूरी हमें कम मिले। फिर उस शख़्स ने कहा कि अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारा हक़ तुम्हें पूरा नहीं मिला? सबने कहा कि हमें तो हमारा हक़ पूरा मिल गया। उस शख़्स ने कहा कि फिर ये मेरा फ़ज़्ल है, मैं जिसे चाहूँ हूँ ज़्यादा दूँ।

तुमको ए'तिराज़ करने का क्या हक़ है। इससे अहले सुन्नत का मज़हब षाबित हुआ कि अल्लाह की तरफ़ से षवाब मिलना बतरीक़े एहसान के है। उम्मते मुहम्मदिया पर ये अल्लाह का करम है कि वो जो भी नेकी करे उसको दस गुना बल्कि कुछ दफ़ा और भी ज़्यादा षवाब मिलता है। वो पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मगर षवाब पचास वक़्त का दिया जाता है। ये इस उम्मते मरहूमा (रहमत वाली उम्मत) की ख़ुसूसियात में से है।

बाब 9 : अ़स्र की नमाज़ तक मज़दूर लगाना

٩- بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ

तशरीह : या'नी अ़स्र की नमाज़ शुरू होने या ख़त्म होने तक। अब ये इस्तिदलाल सहीह न होगा कि अ़स्र का वक़्त दो मिष्ल तक रहता है। हाफ़िज़ ने कहा दूसरी रिवायत में जो इमाम बुख़ारी (रह.) ने तौहीद में निकाली है यूँ है कि ऐसा कहने वाले सिर्फ़ यहूदी थे और उनका वक़्त मुसलमानों के वक़्त से ज़्यादा होने में कोई शुब्हा नहीं। इस्माईली ने कहा कि अगर दोनों फ़िरक़ों ने ये कहा हो तब भी हन्फ़िया का इस्तिदलाल चल नहीं सकता, इसलिये कि नसारा ने अपना अ़मल जो ज़्यादा क़रार दिया वो यहूद का ज़माना मिलाकर है क्योंकि नसारा हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) दोनों पर ईमान लाए थे। हाफ़िज़ ने कहा उन तावीलात की ज़रूरत नहीं, इसलिये कि ज़ुह्र से लेकर अ़स्र तक का ज़माना इससे ज़्यादा होता है जितना अ़स्र और मग़्रिब के बीच में होता है। (वहीदी)

वारिद हुई अहादीषे सहीहा के आधार पर अ़स्र का वक़्त साये (परछाई) एक मिष्ल के बराबर हो जाने पर शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मक्का शरीफ़ और मदीना शरीफ़ में यही मा'मूल है। दोनों जगह अ़स्र की नमाज़ एक मिष्ल पर हो रही है और पूरी दुनिय-ए-इस्लाम जो हज्ज के लिये लाखों की ता'दाद में हरमेन शरीफ़ेन आती है उन अय्याम (दिनों) में यहाँ अव्वल वक़्त ही अ़स्र की नमाज़ पढ़ती है। फिर कुछ मुता'स्सिब अहनाफ़ का सख़्ती के साथ उसका इंकार करना और

एक मिष्ल पर अ़स्र की नमाज़ का पढ़ना ना–रवा (अनुचित) जानना इंतिहाई जमूद का षुबूत देना है। इसी को अँधी तक़्लीद कहा गया है जिसमें हमारे ये मुहतरम व मुअज़्ज़ मुता'स्सिब भाई गिरफ़्तार हैं। फिर अ़जीब बात ये है कि मज़ाहिबे अरबआ (चारों मजहबों) को बरहक़ भी कहते हैं और अमली तौर पर इस शिद्दत के साथ इस क़ौल का उलट भी करते हैं। जबकि इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल वग़ैरह रहिमहुमुल्लाह एक मिष्ल पर अ़स्र की नमाज़ के क़ाइल हैं और ज़ाहिर है कि चारों इमाम में उन इमामों का भी अहम मुक़ाम है। खुलासा ये कि अ़स्र की नमाज़ का अव्वले वक़्त एक मिष्ल से शुरू हो जाता है। उसमें शक व शुब्हा की मुत्लक़ गुँजाइश नहीं है। तफ़्सील अपने मक़ाम पर गुज़र चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तय्यिबा हरमे नबवी में ये नोट लिखने की सआ़दत हासिल कर रहा हूँ। **फ़लहुल्हम्द व लहुश्शुक्र।**

ये हदीष हज़रत मुज्तहिदे मुत्लक़ इमामुल अइम्मा इमाम बुख़ारी (रह.) ने कई जगह नक़ल फ़र्माकर उससे मुख़्तलिफ़ मसाइल का इष्बात फ़र्माया है। इसमें यहूद व नसारा और अहले इस्लाम की तुलना मिषाल के तौर पर दिखलाई गई है। दीने आसमानी की अमानत पहले यहूद को सौंपी गई, मगर उन्होंने अपने दीन को बदलकर मस्ख़ कर दिया और आपसी हसद व बुग़्ज़ में गिरफ़्तार होकर दीन की बर्बादी के मौजिब हुए। इस तरह गोया उन्होंने हिफ़ाज़ते दीन का काम बिलकुल बीच ही में छोड़ दिया और वो नाकाम हो गए। फिर नसारा का नम्बर आया और उनको इस दीन का मुहाफ़िज़ बनाया गया। मगर उन्होंने दीने ईसविया को इस क़दर मस्ख़ किया (बिगाड़ा) कि आसमानी ता'लीमात की अस़लियत को जड़ और बुनियाद से बदल दिया और तषलीष और सलीबपरस्ती में ऐसे गिरफ़्तार हुए कि यहूद को भी मात करके रख दिया। उनके बाद मुसलमानों का नम्बर आया और अल्लाह पाक ने इस उम्मत को ख़ैरे उम्मत क़रार दिया और क़ुर्आन मजीद और सुन्नते नबवी को इनके हवाले किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह क़ुर्आन मजीद आज तक महफ़ूज़ है और सुन्नत का ज़ख़ीरा मुहद्दिषीने किराम रहिमुहुल्लाह के हाथों अल्लाह ने क़यामत तक के लिये महफ़ूज़ करा दिया। यही काम का पूरा करना है, जिस पर उम्मत को दोगुना अज्र मिलेगा।

मुसलमानों में भी अहले बिदअ़त ने जो ग़ुलू (अति) और इफ़्रात व तफ़रीत से काम लिया है वो अगरचे यहूद व नसारा से भी बढ़कर शर्मनाक हरकत है कि अल्लाह के सच्चे महबूब रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ाते सतूदा सिफ़ात के बारे में बेहद बातिल और गुमराहकुन अक़ाइद ईजाद कर लिये। अपने ख़ुदसाख़्ता (ख़ुद के बनाए हुए) अइम्मा को मुताअ़े मुत्लक़ का दर्जा दे दिया, और पीरों, शहीदों, बुज़ुर्गों के मज़ारात को का'बा व क़िब्ला बना लिया, ये हरकतें यहूदो-नसारा से कम नहीं हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे ग़ाली अहले बिदअ़त के हाथों से क़ुर्आन मजीद महफ़ूज़ है और ज़ख़ीर-ए-सुन्नते अहादीषे सहीहा की शक्ल में महफ़ूज़ है। यही वो अ़ज़ीम कारनामा है जिस पर इस उम्मत को अल्लाह ने अपनी नेअ़मतों से नवाज़ा और यहूदो–नसारा पर फ़ौक़ियत (बरतरी, श्रेष्ठता) अ़ता फ़र्माई। अल्लाह पाक हमको इस फ़ज़ीलत का मिस्दाक़ बनाए, आमीन। सफ़रे हज्ज से वापसी पर नज़रेषानी करते हुए 23 अप्रैल को ये नोट क़लम के हवाले किया गया। वल्हम्दुलिल्लाह अ़ला कुल्लि हाल।

٢٢٦٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى

2269. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के ग़ुलाम अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया तुम्हारी और यहूदो-नसारा की मिषाल ऐसी है कि एक शख़्स ने चन्द मज़दूर काम पर लगाए और कहा कि एक एक क़ीरात पर आधे दिन तक मेरी मज़दूरी कौन करेगा? पस यहूद ने एक क़ीरात पर ये मज़दूरी की। फिर नसारा ने भी एक एक क़ीरात पर काम किया। फिर तुम लोगों ने अ़स्र से

قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ. فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ)). [راجع: ٥٥٧]

मग़्रिब तक दो दो क़ीरात़ पर काम किया। इस पर यहूद व नस़ारा नाराज़ हो गए कि हमने काम तो ज़्यादा किया और मज़दूरी हमको कम मिली। इस पर उस शख़्स ने कहा कि क्या मैंने तुम्हारा ह़क़ ज़र्रा बराबर भी मारा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उस शख़्स ने कहा कि मेरा फ़ज़्ल है जिसे चाहूँ ज़्यादा देता हूँ।

(राजेअ़ : 557)

इस रिवायत में भले ही ये स़राह़त (स्पष्टीकरण) नहीं कि नस़ारा ने अ़स़र तक काम किया, मगर ये मज़्मून इससे निकलता है कि तुम मुसलमानों ने अ़स्र की नमाज़ से सूरज ग़ुरूब होने तक काम किया क्योंकि मुसलमानों का अ़मल नस़ारा के अ़मल के बाद शुरू हुआ होगा। इसमें उम्मते मुह़म्मदिया के ख़ातिमुल उमम होने का भी इर्शाद है। और ये भी कि ष़वाब के लिहाज़ से ये उम्मत पिछली तमाम उम्मतों पर फ़ौक़ियत (श्रेष्ठता) रखती है।

١٠- بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيْرِ

बाब 10 : उस अम्र का बयान कि मज़दूर की मज़दूरी मार लेने का गुनाह कितना है

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)). [راجع: ٢٢٢٧]

2270. हमसे यूसुफ़ बिन मुह़म्मद ने बयान किया, कहा कि मुझसे यह़्या बिन सुलैम ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन उमय्या ने, उनसे सईद बिन अबी सईद ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने बतलाया कि अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान है कि तीन क़िस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनका क़यामत में मैं ख़ुद मुद्दई बनूँगा। एक तो वो शख़्स जिसने मेरे नाम पर अ़हद किया और फिर वादाख़िलाफ़ी की। दूसरा वो जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेचकर उसकी क़ीमत खाई। और तीसरा वो शख़्स जिसने किसी से मज़दूरी कराई, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी न दी।

(राजेअ़ : 2227)

तश्रीह : क़ुर्आन मजीद में बारी तआ़ला ने अक्ष़र मक़ामात पर अहले ईमान के गुण बयान करते हुए वा'दा निभाने का गुण नुमायाँ बयान किया है। फिर जो वा'दा और क़सम अल्लाह तआ़ला का पाक नाम बीच में डालकर किया जाए, उसका तोड़ना और पूरा न करना बहुत बड़ा अख़्लाक़ी जुर्म (नैतिक अपराध) है, जिसके लिये क़यामत के दिन ख़ुद अल्लाह पाक मुद्दई बनेगा और वो ग़द्दार बन्दा मुद्दाअलैह (प्रतिवादी) होगा, जिसके पास कोई जवाब न होगा और वो मह़ज़ उस अ़ज़ीम जुर्म की वजह से दोज़ख़ में धकेला जाएगा। इसलिये एक ह़दीष़ में वा'दाख़िलाफ़ी को निफ़ाक़ की एक अ़लामत (निशानी)

बतलाया गया है। जिसके साथ अगर आदमी ख़यानत का भी आदी हो और झूठ भी उसकी घुट्टी में दाख़िल हो तो फिर वो शरअ–ए–मुहम्मदी की रू से पक्का मुनाफ़िक़ शुमार किया जाता है और ईमान के नूर से उसका दिल क़त्अन ख़ाली हो जाता है।

दूसरा जुर्म किसी आज़ाद आदमी को गुलाम बनाकर उसे बेचकर उसकी क़ीमत खाना है। इस गुनाह में नम्बरवार तीन जुर्म शामिल है; (1) किसी आज़ाद को गुलाम बनाना ही जुर्म है, (2) उसे नाहक़ बेचना जुर्म है, (3) फिर उसकी क़ीमत खाना ये और भी डबल जुर्म है। ऐसा ज़ालिम इंसान भी वो है जिसके ख़िलाफ़ क़यामत के दिन अल्लाह पाक ख़ुद मुद्दई बनकर खड़ा होगा। तीसरा मुजरिम जिसने किसी मज़दूर से पूरा–पूरा काम कराया, मगर मज़दूरी अदा करते वक़्त उसको धुत्कार दिया और वो ग़रीब कलेजा मसोस कर रह गया। ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। हुक्म ये है कि मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर देनी चाहिये। सरमायादारों के ऐसे ही लगातार ज़ुल्मों ने मज़दूरों की तन्ज़ीम (यूनियन) को जन्म दिया है जो आज हर मुल्क में मज़बूत बुनियादों पर क़ायम हैं और मज़दूरों के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त करती हैं। इस्लाम ने एक ज़माना पहले ही इस क़िस्म के मफ़ासिद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द की थी, जो इस्लाम के मज़दूर और ग़रीबपरवर होने की अटल दलील है। बाब और हदीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 11 : अ़स्र से लेकर रात तक मज़दूरी कराना

١١– بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

2271. हमसे मुहम्मद बिन अ़लाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बुर्दा ने और उनसे अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने, कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमानों की और यहूद व नसारा की मिष़ाल ऐसी है कि एक शख़्स ने चन्द आदमियों को मज़दूर किया कि ये सब उसका एक काम सुबह से रात तक मुक़र्ररा उजरत पर करें। चुनाँचे कुछ लोगों ने ये काम दोपहर तक किया। फिर कहने लगे कि हमें तुम्हारी इस मज़दूरी की ज़रूरत नहीं है जो तुमने हमसे तै की है बल्कि जो काम हमने कर दिया वो भी ग़लत रहा। उस पर उस शख़्स ने कहा कि ऐसा न करो, अपना काम पूरा कर लो और अपनी पूरी मज़दूरी ले जाओ। लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया और काम छोड़कर चले गए। आख़िर उसने दूसरे मज़दूर लगाए और उनसे कहा कि बाक़ी दिन पूरा कर लो तो मैं तुम्हें वही मज़दूरी दूँगा जो पहले मज़दूरों से तै की थी। चुनाँचे उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन अ़स्र की नमाज़ का वक़्त आया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने जो तुम्हारा काम कर दिया है वो बिलकुल बेकार रहा। वो मज़दूरी भी तुम अपने पास ही रखो जो तुमने हमसे तै की थी। उस शख़्स ने उनको समझाया कि अपना बाक़ी काम पूरा कर लो। दिन भी अब थोड़ा ही बाक़ी रहा है। लेकिन वो नहीं माने आख़िर उस शख़्स ने दूसरे मज़दूर लगाए कि ये दिन का जो

٢٢٧١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَومًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَومًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ. فَقَالَ لَهُمْ : لاَ تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبَوا وَتَرَكُوا. وَاسْتَأْجَرَ أَجِيْرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ : أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَومِكُمْ هَذَا وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنْ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ، فَأَبَوا،

हिस़्सा बाक़ी रह गया है उसमें ये काम कर दें। चुनाँचे उन लोगों ने सूरज ग़ुरूब होने तक दिन के बक़िया हिस़्से में काम को पूरा किया और पहले और दूसरे मज़दूरों की मज़दूरी भी सब उन ही को मिली तो मुसलमानों की और उस नूर की जिसको उन्होंने क़ुबूल किया, यही मिस़ाल है।

(राजेअ़ : 558)

فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ)).

[راجع: ٥٥٨]

तश्रीह : ये बज़ाहिर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की हदीस़ के ख़िलाफ़ है। जिसमें ये ज़िक्र है कि उसने सुबह से लेकर दोपहर तक के लिये मज़दूर लगाए थे और ये दरहक़ीक़त दो अलग–अलग क़िस्से हैं। लिहाज़ा आपसी त़ौर पर दोनों हदीस़ों में कोई तख़ालुफ़ (विरोधाभास) नहीं है। इन अहादीस़ में यहूद व नस़ारा और अहले इस्लाम की एक तम्स़ील (तुलनात्मक मिस़ाल) ज़िक्र की गई है कि यहूद व नस़ारा ने अपनी शरई ज़िम्मेदारियों को पूरे त़ौर पर अदा नहीं किया। बल्कि वो वक़्त से पहले ही अपना काम छोड़कर भाग निकले मगर मुसलमानों ने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया और उसका नतीजा है कि क़ुर्आन मजीद आज तक लफ़्ज़–ब–लफ़्ज़ मौजूद है और जब तक अल्लाह चाहेगा मौजूद रहेगा। जिसमें एक शोशे की भी रद्दोबदल नहीं हुई और क़ुर्आन मजीद के साथ उस्व-ए-रिसालत भी पूरे त़ौर पर महफ़ूज़ है। इस त़ौर पर कि पिछले तमाम अंबिया में ऐसी मिस़ाल मिलनी नामुम्किन है कि उनकी ज़िंदगी और उनकी हिदायात को पूरे त़ौर पर महफ़ूज़ रखा गया हो।

हदीस़े मज़्कूरा के आख़िरी अल्फ़ाज़ से कुछ ने ये निकाला कि इस उम्मत की बक़ा हज़ार बरस से ज़्यादा रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अब पूरा हो रहा है कि उम्मते मुहम्मदिया पर सवा चौदह स़दी पूरी हो चुकी है, शरीअ़ते इस्लामिया ने इन बातों को इल्मे इलाही पर मौक़ूफ़ रखा है। इतना ज़रूर बतलाया गया है कि उम्मते मुस्लिमा से पहले जो भी इंसानी दौर गुज़र चुका है वो मुद्दत के लिहाज़ से ऐसा है जैसा कि फ़ज्र से अ़स्र तक का वक़्त है और उम्मते मुस्लिमा का दौर ऐसे वक़्त से शुरू हो रहा है कि गोया अब अ़स्र से दिन का बाक़ी हिस़्सा शुरू हो रहा है। इसलिये इस उम्मत को आख़िरी उम्मत और इस दीन को अख़ीर दीन और क़ुर्आन मजीद को आख़िरी किताब और सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) को आख़िरी नबी व ख़ातिमुन्नबिय्यीन कहा गया है। अब इल्मे इलाही में दुनिया की उ़म्र का जितना भी हिस़्सा बाक़ी रह गया है आख़िर वक़्त तक यही दीने आसमानी रहेगा; यही आसमानी शरीअ़त रहेगी और इसके ख़िलाफ़ जो भी मुद्दई हो वो ख़्वाह इस्लाम ही का दावेदार क्यूँ न हो वो कज़्ज़ाब (झूठा), मक्कार और दज्जाल समझा जाएगा। जैसा कि ऐसे दज्जालों की बकस़रत मिस़ालें मौजूद हैं। नज़रेस़ानी में ये नोट हरमे नबवी के नज़दीक मदीनतुल मुनव्वरा में क़लम के हवाले किया गया।

बाब 12 : अगर किसी ने कोई मज़दूर किया और वो मज़दूर अपनी उजरत लिये बग़ैर चला गया

١٢- بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

फिर (मज़दूर की उस छोड़ी हुए रक़म या जिंस से) मज़दूरी लेने वाले ने कोई तिजारती काम किया। इस त़रह वो अस़ल माल बढ़ गया और वो शख़्स जिसने किसी दूसरे के माल से कोई काम किया और उसमें नफ़ा हुआ (उन सबके बारे में क्या हुक्म है)

2272. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने ख़बर दी, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.)

٢٢٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि पहली उम्मत के तीन आदमी कहीं सफ़र में जा रहे थे। रात होने पर रात गुज़ारने के लिये उन्होंने एक पहाड़ के ग़ार (गुफा) में पनाह ली, और उसमें अंदर दाख़िल हो गए। इतने में पहाड़ से एक चट्टान लुढ़की और उसने ग़ार का मुँह बन्द कर दिया। सबने कहा कि अब इस ग़ार से तुम्हें कोई चीज़ निकालने वाली नहीं, सिवा उसके कि तुम सब, अपने सबसे ज़्यादा अच्छे अमल को याद करके अल्लाह तआला से दुआ करो। इस पर उनमें से एक शख़्स ने अपनी दुआ शुरू की कि ऐ अल्लाह! मेरे माँ–बाप बहुत बूढ़े थे और मैं रोज़ाना उनसे पहले घर में किसी को भी दूध नहीं पिलाता था। न अपने बाल–बच्चों को, और न अपने ग़ुलाम वग़ैरह को, एक दिन मुझे एक चीज़ की तलाश में रात हो गई। और जब मैं घर वापस हुआ तो वो (मेरे माँ–बाप) सो चुके थे। फिर मैंने उनके लिये शाम का दूध निकाला। जब उनके पास लाया तो वो सोए हुए थे। मुझे ये बात हर्गिज़ अच्छी मा'लूम नहीं हुई कि उनसे पहले अपने बाल–बच्चों या अपने ग़ुलाम को दूध पिलाऊँ, इसलिये मैं उनके सिरहाने खड़ा रहा। दूध का प्याला मेरे हाथ में था और मैं उनके जागने का इंतिज़ार कर रहा था। यहाँ तक कि सुबह हो गई। अब मेरे माँ–बाप जागे और उन्होंने अपना शाम का दूध उस वक़्त पिया। ऐ अल्लाह! अगर मैंने ये काम महज़ तेरी रज़ा हासिल करने के लिये किया था तो इस चट्टान की आफ़त को हमसे हटा दे। इस दुआ के नतीजे में वो ग़ार थोड़ा सा खुल गया, मगर निकलना अब भी मुम्किन न था।

रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर दूसरे ने दुआ की, ऐ अल्लाह! मेरे चचा की लड़की थी, जो सबसे ज़्यादा मुझे महबूब थी। मैंने उसके साथ बुरा काम करना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसी ज़माने में एक साल क़हत (अकाल) पड़ा तो वो मेरे पास आई। मैंने उसे एक सौ बीस दीनार इस शर्त पर दिये कि वो ख़ल्वत (एकांत) में मुझसे बुरा काम कराये, चुनाँचे वो राज़ी हो गई। अब मैं उस पर क़ाबू पा चुका था लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे लिये मैं जाइज़ नहीं करती कि उस मुहर को तुम हक़ के बग़ैर तोड़ दो। य

عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ((انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لِيْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ)). [راجع: ٢٢١٥]

सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज़ आ गया और वहाँ से चला आया हालाँकि वो मुझे सबसे बढ़कर महबूब थी और मैंने अपना दिया हुआ सोना भी वापस नहीं लिया। ऐ अल्लाह! अगर ये काम मैंने सिर्फ़ तेरी रज़ा हासिल करने के लिये किया था, तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चुनाँचे चट्टान ज़रा सी और खिसकी। लेकिन अब भी उससे बाहर नहीं निकला जा सकता था।

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, और तीसरे शख़्स ने दुआ की। ऐ अल्लाह! मैंने चन्द मज़दूर किये थे। फिर सबको उनकी मज़दूरी पूरी दे दी। मगर एक मज़दूर ऐसा निकला कि वो अपनी मज़दूरी ही छोड़कर चला गया। मैंने उसकी मज़दूरी को कारोबार में लगा दिया और बहुत कुछ नफ़ा हासिल हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद वही मज़दूर मेरे पास आया और कहने लगा अल्लाह के बन्दे! मुझे मेरी मज़दूरी दे दे। मैं ने कहा, ये जो कुछ तू देख रहा है, ऊँट, गाय, बकरी और ग़ुलाम, ये सब तुम्हारी मज़दूरी ही है। वो कहने लगा। अल्लाह के बन्दे! मुझसे मज़ाक़ मत कर। मैंने कहा मैं तुझसे मज़ाक़ नहीं करता। चुनाँचे उस शख़्स ने सब कुछ लिया और अपने साथ ले गया। एक चीज़ भी उसमें से बाक़ी न छोड़ी। तो ऐ अल्लाह! अगर मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ामन्दी हासिल करने के लिये किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चुनाँचे वो चट्टान हट गई, और वो सब बाहर निकलकर चले गए।

(राजेअ : 2215)

तश्रीह : इस हदीष़ से बहुत से मसाइल ष़ाबित होते हैं और बाब का मसला भी ष़ाबित होता है जो हदीष़े मज़्कूरा में तीसरे शख़्स के बारे में है। इससे ये भी ष़ाबित होता है कि आमाले स़ालेहा (नेक कामों) को बतौरे वसीला पेश करना जाइज़ है। आयते करीमा, **वब्तग़ू इलैहिल् वसीलत** का यही मतलब है कि उस अल्लाह की तरफ़ नेक आमाल का वसीला तलाश करो। जो लोग बुज़ुर्गों, वलियों का वसीला ढूँढते हैं या महज़ ज़ाते नबवी को बादे वफ़ात बतौरे वसीला पेश करते हैं, वो ऐसा अमल करते हैं जिस पर किताब व सुन्नत से कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। अगर वफ़ात के बाद आँहज़रत (ﷺ) की ज़ाते अक़्दस को बतौरे वसीला पेश करना जाइज़ होता तो हज़रत उमर (रज़ि.) एक इस्तिस्क़ा की दुआ के मौक़े पर ऐसा न कहते कि या अल्लाह! हम रसूले करीम (ﷺ) की ज़िन्दगी में दुआ कराने के लिये आपको पेश किया करते थे। अब अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए और आपके मुहतरम चचा हज़रत अब्बास (रज़ि.) की ज़ाते गिरामी मौजूद है लिहाज़ा दुआ कराने के लिये हम इनको पेश करते हैं । तू इनकी दुआएँ हमारे हक़ में क़ुबूल फ़र्माकर हमको रहमत की बारिश से शादाब (हरा–भरा) कर दे।

१३- بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ

बाब 13 : जिसने अपनी पीठ पर बोझ उठाने की

عَلَى ظَهْرِهِ،ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ

मज़दूरी की या'नी ह़म्माली की और फिर उसे स़दक़ा कर दिया और ह़म्माल की उज्रत का बयान

٢٢٧٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيْبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ)).

273. हमसे सईद बिन यह़्या बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप (यह़्या बिन सईद क़ुरैशी) ने बयान किया, उनसे अ़अमश ने बयान किया, उनसे शक़ीक़ ने और उनसे अबू मसऊ़द अंस़ारी (रज़ि.) ने कि रसूले करीम ने जब हमें स़दक़ा करने का हुक्म दिया, तो कुछ लोग बाज़ारों में जाकर बोझ उठाते जिनसे एक मुद्द मज़दूरी मिलती (वो उसमें से भी स़दक़ा करते) आज उनमें से किसी के पास लाख–लाख (दिरहम या दीनार) मौजूद हैं। शक़ीक़ ने कहा, हमारा ख़्याल है कि अबू मसऊ़द (रज़ि.) ने किसी से अपने ही को मुराद लिया था।

इससे ये भी स़ाबित हुआ कि अ़हदे नबवी (ﷺ) में स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) मेह़नत मज़दूरी ख़ुशी के साथ किया करते थे। यहाँ तक कि वो ह़म्माली भी करते फिर जो मज़दूरी मिलती उसमें से स़दक़ा भी करते। अल्लाह पाक उनको उम्मत की त़रफ़ से बेशुमार जज़ाएँ अ़त़ा करे कि उस मेह़नत से उन्होंने शजरे इस्लाम (इस्लाम के पेड़) को सींचा, आज अल्ह़म्दुलिल्लाह वही मदीना है जिनके बाशिन्दे फ़राख़ी और कुशादगी में बहुत बढ़े हुए हैं। आज मदीना में कितने ही अ़ज़ीम मह़ल्ले मौजूद हैं।

١٤- بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

बाब 14 : दलाली की उज्रत लेना

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).

और इब्ने सीरीन और अ़त़ा और इब्राहीम और ह़सन बस़री (रह.) दलाली पर उज्रत लेने में कोई बुराई नहीं ख़्याल करते थे। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर किसी से कहा जाए कि ये कपड़ा इतनी क़ीमत में बेच ला। जितना ज़्यादा हो वो तुम्हारा है, तो उसमें कोई ह़र्ज नहीं।

इब्ने सीरीन (रह.) ने फ़र्माया कि अगर किसी ने कहा कि इतने में बेच ला, जितना नफ़ा होगा वो तुम्हारा है या (ये कहा कि) मेरे और तुम्हारे बीच तक़्सीम हो जाएगा। तो उसमें कोई ह़र्ज नहीं। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमान अपनी तै कर्दा शराइत़ पर क़ायम रहेंगे।

तशरीह : इब्ने सीरीन और इब्राहीम के क़ौल को इब्ने अबी शैबा ने और अ़त़ा के क़ौल को भी इब्ने अबी शैबा ने वस़्ल (मिलान) किया और ह़सन के क़ौल को न ह़ाफ़िज़ ने बयान किया न क़स्त़लानी ने कि किसने वस़्ल (मिलान) किया। और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के क़ौल को भी इब्ने अबी शैबा ने वस़्ल (मिलान) किया अ़त़ा से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, जुम्हूर उ़लमा ने इसको जाइज़ नहीं रखा क्योंकि उसमें दलाली की उज्रत मज्हूल है। और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उसको इस वजह से जाइज़ रखा है कि ये एक मुज़ारबत की सूरत है। इब्ने सीरीन के इस दूसरे क़ौल को भी इब्ने अबी

शैबा ने वस्ल (मिलान) किया है। फ़र्माने रिसालत **अल मुस्लिमून इन्द शुरूतिहिम** को इस्हाक़ ने अपनी मुस्नद में अ़म्र बिन औ़फ़ मज़्नी से मर्फ़ूअ़न् रिवायत किया है। अबू दाऊद और अह़मद और ह़ाकिम ने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से। (वह़ीदी)

सय्यिदना ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का नाम आया तो एक तारीख सामने आ गई। इसलिये कि ह़रमे नबवी मदीना त़य्यिबा में अस्ह़ाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर बैठकर ये चन्द ह़ुरूफ़ लिख रहा हूँ। यही वो चबूतरा है जहाँ अस्ह़ाबे सुफ़्फ़ा भूखे-प्यासे उ़लूमे रिसालत ह़ासिल करने के लिये परवानों की तरह क़याम फ़र्माया करते थे। उसी चबूतरे की ता'लीम व तर्बियत से ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.), ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.), ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) जैसे फ़ाज़िले इस्लाम पैदा हुए। अल्लाह पाक उन सबको बेशुमार जज़ाएँ अ़त़ा करे, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे।

वही अस्ह़ाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा है जहाँ आज शाहाना ठाट बाट हैं। ग़लीचों पर ग़लीचे बिछे हुए हैं, हर वक़्त इ़त्र से फ़िज़ा मुअ़त्तर रहती है। कितने ही अल्लाह के बन्दे इस चबूतरे पर तिलावते क़ुर्आन मजीद में मशग़ूल रहते हैं। अल्ह़म्दुलिल्लाह मैं नाचीज़ आ़जिज़ गुनहगार इस चबूतरे पर बैठकर बुख़ारी शरीफ़ का मतन पढ़ रहा हूँ और तर्जुमा व तशरीह़ात लिख रहा हूँ। इस उम्मीद पर कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक मेरा ह़श्र भी अपने उन नेक बन्दों के साथ करे और उनके पड़ौस में फ़िरदौसे बरीं में जगह दे। मुझको, मेरी आल औलाद को, बुख़ारी शरीफ़ की इशाअ़त (प्रकाशन) में तआ़वुन करने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक ये दरजात नसीब फ़र्माए और लिवाउल् ह़म्द के नीचे ह़श्र फ़र्माए। आज 2 सफ़र 1390 हिजरी को ह़रमे नबवी में अस्ह़ाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर ये चन्द लफ़्ज़ लिखे गए।

٢٢٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلاَ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا)).

[راجع: ٢١٥٨]

2274. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाह़िद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे मअ़मर ने बयान किया, उनसे इब्ने त़ाऊस ने, उनसे उनके बाप ने, और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने (तिजारती) क़ाफ़िलों से (मँडी से आगे जाकर) मुलाक़ात करने से मना फ़र्माया था। और ये कि शहरी देहाती का माल न बेचें, मैंने पूछा, ऐ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.)! शहरी देहाती का माल न बेचें, का क्या मत़लब है? उन्होंने फ़र्माया कि मुराद ये है कि उनके दलाल न बनें।

(राजेअ़ : 22158)

बाब 15 : क्या कोई मुसलमान दारुल ह़रब में किसी मुश्रिक की मज़दूरी कर सकता है?

١٥- بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟

٢٢٧٥- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ أَقْضِيْكَ حَتَّى

2275. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उनसे मुस्लिम बिन स़बीह़ ने, उनसे मसरूक़ ने, उनसे ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं लोहार था, मैंने आ़स़ बिन वाईल (मुश्रिक) का काम किया। जब मेरी बहुत सी मज़दूरी उसके सर चढ़ गई, तो मैं उसके पास तक़ाज़ा करने आया, वो कहने लगा कि अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारी मज़दूरी उस वक़्त

تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ. قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا﴾. [راجع: ٢٠٩١]

तक नहीं दूँगा जब तक तुम मुहम्मद (ﷺ) से न फिर जाओ। मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! ये तो उस वक़्त तक भी न होगा जब तू मर के दोबारा ज़िन्दा होगा। उसने कहा, क्या मैं मरने के बाद फिर दोबारा ज़िन्दा किया जाऊँगा? मैंने कहा कि हाँ! उस पर वो बोला फिर क्या है। वहीं मेरे पास माल और औलाद होगी, और वहीं मैं तुम्हारा क़र्ज़ अदा कर दूँगा। उस पर क़ुर्आन मजीद की ये आयत नाज़िल हुई, ऐ पैग़म्बर! क्या तुमने उस शख़्स को देखा, जिसने मेरी आयतों का इंकार किया और कहा कि मुझे ज़रूर वहाँ माल व औलाद दी जाएगी। (राजेअ : 2091)

हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) ने आस़ बिन वाईल की मज़दूरी की, हालाँकि वो काफ़िर और दारुल हरब (दुश्मन देश) का बाशिन्दा था। इसी से बाब का तर्जुमा ष़ाबित हुआ। आस़ बिन वाइल ने हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) की बात सुनकर बतौरे मज़ाक़ ऐसा कहा, अल्लाह पाक ने उसी की मज़म्मत में आयते मज़्कूरा नाज़िल की कि ऐ नबी! तुमने उस काफ़िर को भी देखा जो मेरी आयतों के साथ कुफ़्र करता है और कहता है कि उसे मरने के बाद ज़रूर माल और औलाद दिया जाएगा। गोया उसने अल्लाह के यहाँ से कोई अ़हद (वादा) हासिल कर लिया हो।

١٦- بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

बाब 16 : सूरह फ़ातिहा पढ़कर अ़रबों पर फूंकना और उस पर उज्रत ले लेना

इसको ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने तिब्ब में वस्ल (मिलान) किया है। जुम्हूर उ़लमा ने इससे ये दलील ली है कि ता'लीमे क़ुर्आन की उज्रत लेना दुरुस्त है; मगर हन्फ़िया ने इसको नाजाइज़ क़रार दिया है। अल्बत्ता अगर दम के तौर पर इसको पढ़े तो उनके नज़दीक भी उज्रत ले सकता है लेकिन ता'लीम की नहीं ले सकता क्योंकि वो इबादत है। (फ़तह)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)).
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، إِلاَّ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا.
وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.

और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया, कि किताबुल्लाह सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि तुम उस पर उज्रत हासिल करो। और शअ़बी (रह.) ने कहा कि क़ुर्आन पढ़ाने वाला पहले से तै न करे। अल्बत्ता जो कुछ उसे बिन माँगे दिया जाए ले लेना चाहिये। और हकम (रह.) ने कहा कि मैंने किसी शख़्स से ये नहीं सुना कि मुअ़ल्लिम की उज्रत को उसने नापसन्द किया हो और हसन (रह.) ने (अपने मुअ़ल्लिम को) दस दिरहम उज्रत के दिये। और इब्ने सीरीन (रह.) ने क़स्साम (बैतुलमाल का मुलाज़िम जो तक़्सीम पर मुक़र्रर हो) की उज्रत को बुरा नहीं समझा और वो कहते थे कि (क़ुर्आन की आयत में) सुहत फ़ैस़ला में रिश्वत लेने के मा'नी में है और लोग (अंदाज़ा लगाने वालों को) अंदाज़ा लगाने की उज्रत देते थे।

तश्रीह : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) वाली रिवायत को इब्ने अबी शैबा ने वस्ल (मिलान) किया है। ह़कम के क़ौल को बग़वी ने जअ़दियात में वस्ल (मिलान) किया है और ह़सन के क़ौल को इब्ने सअ़द ने त़ब्क़ात में वस्ल (मिलान) किया, **और इब्ने अबी शैबा ने ह़सन से निकाला कि किताबत (लिखने, छापने) की उज्रत लेने में क़बाहत नहीं** है और इब्ने सीरीन के क़ौल को इब्ने अबी शैबा ने निकाला लेकिन अ़ब्द बिन हुमैद वग़ैरह ने इब्ने सीरीन से उसकी कराहियत नक़ल की और इब्ने सअ़द ने इब्ने सीरीन से यूँ निकाला कि उज्रत की अगर शर्त़ करे तो मकरूह है वरना नहीं, और इस रिवायत से दोनों में जमा हो जाता है। क़ुर्आन में जिस सुह़्त का ज़िक्र है, वो ह़राम है उससे रिश्वत ही मुराद है और इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) और ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) से भी सुह्त की यही तफ़्सीर मन्क़ूल है। (वह़ीदी)

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ، إِنِّي لأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلاً. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ

2276. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू अ़वाना ने बयन किया, उनसे अबू बिशर ने बयान किया, उनसे अबुल मुतवक्किल ने बयान किया, और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) के कुछ स़ह़ाबा (रज़ि.) सफ़र में थे। दौराने सफ़र में वो अ़रब के एक क़बीले पर उतरे। स़ह़ाबा ने चाहा कि क़बीले वाले उन्हें अपना मेहमान बना लें। लेकिन उन्होंने मेहमानी नहीं की, बल्कि स़ाफ़ इंकार कर दिया। इत्तिफ़ाक़ से उसी क़बीले के सरदार को सांप ने डस लिया, क़बीले वालों ने हर त़रह़ की कोशिश कर ली, लेकिन उनका सरदार अच्छा न हुआ। उनके किसी आदमी ने कहा कि चलो उन लोगों से भी पूछें जो यहाँ आकर उतरे हैं। मुम्किन है कोई दम-झाड़ की चीज़ उनके पास हो। चुनाँचे क़बीला वाले उनके पास आए और कहा कि, भाइयों ! हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है। उसके लिये हमने हर क़िस्म की कोशिश कर डाली लेकिन कुछ फ़ायदा न हुआ क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ दम करने की है? एक स़ह़ाबी ने कहा, कि क़सम अल्लाह की मैं उसे झाड़ दूँगा। लेकिन हमने तुमसे मेज़बानी के लिये कहा था और तुमने इंकार कर दिया। इसलिये अब मैं भी उज्रत के बग़ैर नहीं झाड़ूँगा, आख़िर बकरियों के एक रेवड़ पर उनका मामला तै हुआ। वो स़ह़ाबी वहाँ गये और अल्ह़म्दु लिल्लाहिरब्बिल आ़लमीन पढ़—पढ़कर दम किया। ऐसा मा'लूम हुआ जैसे किसी की रस्सी खोल दी गई हो। वो सरदार उठकर चलने लगा, तकलीफ़ व दर्द का नामो—निशान भी बाक़ी न रहा था। बयान किया कि फिर उन्होंने त़यशुदा उज्रत स़ह़ाब—ए—किराम को अदा कर दी। किसी ने कहा कि उसे तक़्सीम कर लो।

عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟)) ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا.

[أطرافه في : ٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٩].

लेकिन जिन्होंने झाड़ा था, वो बोले कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर पहले हम आपसे उसका ज़िक्र कर लें। उसके बाद देखेंगे कि आप (ﷺ) क्या हुक्म देते हैं। चुनाँचे सब ह़ज़रात रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और आपसे इसका ज़िक्र किया। आपने फ़र्माया तुम कैसे जानते हो कि सूरह फ़ातिह़ा भी एक रुक़्या (मंत्र) है? उसके बाद आपने फ़र्माया कि तुमने ठीक किया। इसे तक़्सीम कर लो और एक मेरा ह़िस्सा भी लगाओ ये फ़र्माकर रसूले करीम (ﷺ) हंस पड़े। शुअ़बा ने कहा कि अबू बिशर ने हमसे बयान किया, उन्होंने अबुल मुतवक्किल से ऐसा ही सुना।

(दीगर मक़ाम : 5007, 5736, 5749)

तश्रीह़ : मुज्तहिदे मुत्लक़, इमामुल मुह़द्दिष़ीन ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब और रिवायत कर्दा ह़दीष़ के तह़त बहुत से मसाइल जमा फ़र्मा दिए हैं। अस़्ह़ाबे नबवी चूँकि सफ़र में थे और उस ज़माने में होटलों का कोई दस्तूर न था। अ़रबों में मेहमाननवाज़ी ही सबसे बड़ी ख़ूबी थी। इसीलिये स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) ने एक रात की मेहमानी के लिये क़बीले वालों से दरख़्वास्त की मगर उन्होंने इंकार कर दिया। और ये इत्तिफ़ाक़ की बात है कि उसी दौरान उन क़बीले वालों का सरदार सांप या बिच्छू काट गया। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने एक क़ौल नक़ल किया है जिससे मा'लूम होता है कि उस सरदार की अ़क़्ल में फ़ितूर आ गया था। बहरह़ाल जो भी सूरत हो वो क़बीले वाले स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) के पास आकर दम झाड़ के लिये मुतमन्नी (इच्छुक) हुए और इस ह़दीष़ के रावी ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने आमादगी ज़ाहिर फ़र्माई और उज्रत में तीस बकरियों पर मामला त़ै हुआ। चुनाँचे उन्होंने उस सरदार पर सात बार या तीन बार सूरह फ़ातिह़ा पढ़कर दम किया और वो सरदार अल्लाह के हुक्म से तंदरुस्त हो गया। और क़बीला वालों ने बकरियाँ पेश कर दीं जिनकी इत्तिला स़ह़ाब–ए–किराम (रज़ि.) ने आँह़ज़रत (ﷺ) को पेश की। और आप (ﷺ) ने उनकी ताईद फ़र्माई और साथ ही उनकी दिलजूई के लिये बकरियों की तक़्सीम में अपना ह़िस्सा मुक़र्रर करने का भी इर्शाद फ़र्माया। शुअ़बा की रिवायत को तिर्मिज़ी ने वस़्ल (मिलान) किया है इस लफ़्ज़ के साथ। और ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रज़ि.) ने भी त़िब्ब में अ़न्अ़नह के साथ ज़िक्र किया है।

इस ह़दीष़ से ष़ाबित हुआ क़ुर्आन मजीद की आयतों और इसी त़रह़ दीगर अज़्कार वा अदइया माष़ूरा के साथ दम करना दुरुस्त है। दीगर रिवायत में स़ाफ़ मज़्कूर है **ला बास बिर्रूक़ा मा लम यकुन फ़ीहि शिर्कुन** शिर्किया अल्फ़ाज़ न हों तो दम-झाड़ करने में कोई ह़र्ज नहीं। मगर जो लोग शिर्किया अल्फ़ाज़ और पीरों फ़क़ीरों के नामो से मंतर जंतर करते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक मुश्रिक हैं। एक मुवह्हिद मुसलमान को हर्गिज़ ऐसे ढकोसलों में न आना चाहिये और ऐसे मुश्रिक व मक्कार ता'वीज़ व मंतर वालों से दूर रहना चाहिये कि आजकल ऐसे लोगों के हथकण्डे बहुत कष़रत के साथ चल रहे हैं।

इस ह़दीष़ से कुछ उ़लमा ने ता'लीमे क़ुर्आन पर उज्रत लेने का जवाज़ ष़ाबित किया है। स़ाहिबुल मिह्ज़ब लिखते हैं, **व मिन अदिल्लतिल जवाज़ि ह़दीषु उ़मर अल मुतक़द्दम फ़ी किताबिज़्ज़काति अन्नन नबिय्यु (ﷺ) क़ाल लहू मा अताक मिन हाज़ल्मालि मिन ग़ैरि मस्अलतिन व ला अशराफ़ि नफ़्सिन फ़ख़ुज़्हु व मिन अदिल्लतिल जवाज़ि ह़दीषुर्रुक़्या अल मश्हूरुल्लज़ी अख़्रजहुल बुख़ारी अनिब्नि अ़ब्बास व फ़ीहि अन्न मा अख़ज़्तुम अलैहि अज्रन किताबुल्लाहि** (पेज नं. 268)

और जवाज़ के दलाइल में से हदीषे उमर (रज़ि.) है जो किताबुज़्ज़कात में गुज़र चुकी है। नबी करीम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया था कि उस माल में से जो तुम्हारे पास बग़ैर सवाल किये और बग़ैर ताँके–झाँके ख़ुद आए, उसको क़ुबूल कर लो और जवाज़ की दलील वो हदीष भी है जिसमें दम करने का वाक़िया मज़्कूर है जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से निकाला है और उसमें ये भी है कि बिला शक जिस पर तुम बतौरे उज्रत लेने का हक़ रखते हो वो अल्लाह की किताब है।

साहिबे लमआत लिखते हैं, **व फ़ीहि दलीलुन अन्नर्रुक़्यत बिल क़ुर्आनि व अख़्ज़ुल उज्रति अलैहा जाएज़ुन बिला शुब्हतिन** या'नी उसमें इस पर दलील है कि क़ुर्आन मजीद के साथ दम करना और उस पर उज्रत लेना बिना शुब्हा जाइज़ है।

ऐसा ही वाक़िया मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में ख़ारिजा बिन सुल्त अन अम्मिही की रिवायत से मज़्कूर है रावी कहते हैं, **अक़्बल्ना मिन इन्दि रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़अतैना अला हय्यिम्मिनल अरबि फ़क़ालू अम्बाना इन्नकुम क़द जितुम मिन इन्द हाजर्रजुलि बिख़ैरिन फ़हल इन्दकुम मिन दवाइन औ रुक़्यतिन फ़इन्न इन्दना मअतूहा फ़िल्क़ुयूदि फ़क़ुल्ना नअम फ़जाऊ बिमअतूहु फ़िल्क़ुयूदि फ़क़रअतु अलैहि बिफ़ातिहतिल किताबि षलाषत अय्यामिन ग़ुदुव्वतन व अशिय्यतन अज्मउ बज़ाक़ी षुम्म अतफ़लु क़ाल फ़कान्नमा अन्शत मिन इक़ालिन फ़अतूनी जअलन फकुल्तु ला हत्ता अस्अलन्नबिय्य (ﷺ) फ़क़ाल कुल फ़लिउम्री लिमन अकल बिरुक़्यतिन बातिलिन लक़द अकल्त बिरुक़्यतिन हक़्क़िन** (रवाहु अहमद व अबू दाऊद)

मुख़्तसर मतलब ये है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत से जुदा होकर एक अरब क़बीले पर से गुज़रे। उन लोगों ने हमसे कहा कि हमको मा'लूम हुआ है कि तुम उस आदमी के पास से कुछ न कुछ ख़ैर लेकर आए हो। या'नी रसूले करीम (ﷺ) से क़ुर्आन मजीद और ज़िक्रुल्लाह सीखकर आए हो। हमारे यहाँ एक दीवाना बेड़ियों में मुक़य्यिद (जकड़ा हुआ) है। तुम्हारे पास कोई दवा या दम झाड़ हो तो मेहरबानी करो। हमने कहा कि हाँ! हम मौजूद हैं। पस वो ज़ंजीरों में जकड़े हुए एक आदमी को लाए। और मैंने उस पर सुबह व शाम तीन रोज़ तक बराबर सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम किया। मैं ये सूरह पढ़–पढ़कर अपने मुँह में थूक जमा करके उस पर दम करता रहा। यहाँ तक कि वो मरीज़ इतना आज़ाद हो गया कि जितना ऊँट उसकी रस्सी खोलने से आज़ाद हो जाता है या'नी वो तंदरुस्त हो गया। पस जब उन क़बीला वालों ने मुझको उज्रत देनी चाही तो मैंने आँहज़रत (ﷺ) से इजाज़त तलब की। आपने फ़र्माया कि लोग तो झूठ–मूट फ़रेब देकर दम –झाड़ से लोगों का माल खाते हैं, तुमने तो हक़ और सच्चा दम किया है जिस पर खाना हक़ के ऊपर खाना है जो हलाल है। उससे ये भी मा'लूम हुआकि झाड़–फूँक के बहाने से ग़लत क़िस्म के लोगों की कषरत भी पहले ही से चली आ रही है और बहुत से नादान लोग अपनी तबई कमज़ोरी की वजह से ऐसे लोगों का शिकार बनते चले आ रहे हैं। तारीख़ में अक़्वामे क़दीम (पुरानी क़ौमों) कुल्दानियों, मिस्रियों, सामियों वग़ैरह वग़ैरह के हालात पढ़ने से मा'लूम होगा कि वो लोग बड़ी ता'दाद में दम, झाड़, फूँक फाँक, मंतर जंतर करने वालों के ज़बरदस्त मुअतक़िद (श्रद्धालु) होते थे। अकषर तो मौत व हयात तक को ऐसे ही मक्कार दम झाड़ करने वालों के हाथों में जानते थे। सद अफ़सोस! कि उम्मते मुस्लिमा भी इन बीमारियों से बच न सकी और उनमें भी मंतर जंतर के नामों पर कितने ही शिर्किया तौर–तरीक़े जारी हो गए और अब भी बकषरत अवाम ऐसे ही मक्कार लोगों का शिकार हैं। कितने ही नक़्श व ता'वीज़ लिखने वाले सिर्फ़ हिन्दसों (अटकलों) से काम चलाते हैं। जिनको ख़ुद उन हिन्दसों की हक़ीक़त का भी कोई इल्म नहीं होता। कितने ही सिर्फ़ पीरों, दरवेशों, फ़ौतशुदा बुज़ुर्गों के नाम लिखकर देते हैं कितने या जिब्रईल या मीकाईल या इस्राईल लिखकर इस्ते'माल कराते हैं। कितने मनगढ़ंत शिर्किया दुआएँ लिखकर ख़ुद मुश्रिक बनते हैं और दूसरों को मुश्रिक बनाते हैं। कितने हज़रत पीर बग़दादी (रह.) के नाम की दुहाई लिखकर लोगों को बहकाते रहते हैं। अल्ग़र्ज़ मुसलमानों की एक कषीर ता'दाद ऐसे हथकण्डों की शिकार है। फिर इन ता'वीजों की क़ीमत चार आना, रुपया, सवा रुपया से आगे बढ़ती ही चली जाती है। इस तरह ख़ूब दुकानें चल रही हैं। ऐसे ता'वीज़ गण्डा करने वाले और लोगों का माल उस धोखा फ़रेब से खाने वाले ग़ौर करें कि वो अल्लाह और उसके हबीब (ﷺ) को क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाएँगे।

आज 29 ज़िल् हिज्ज 1389 हिजरी को मुक़ामे इब्राहीम के पास बवक़्ते मग़्रिब ये नोट लिखा गया और अल्लाह तआला की मदद से 2 सफ़र 1390 हिजरी को मदीना मुनव्वरा मस्जिदे नबवी में अस्हाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर बैठकर नज़रे

षानी की गई।

बाब 17 : गुलाम लौण्डी पर रोज़ाना एक रक़म मुक़र्रर कर देना

١٧- بَابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

गुलामी के दौर में आक़ा अपने गुलामों–लौण्डियों पर रोज़ाना या हफ़्तावार या माहाना एक टेक्स मुक़र्रर कर दिया करते थे। उसके लिये ह़दीष़ में ख़िराजे अनाज, अज्रे ज़रीबा वग़ैरह के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल हुए हैं। बाब की ह़दीष़ में सिर्फ़ अबू तैबा (रज़ि.) का ज़िक्र है जो गुलाम था। लेकिन लौण्डी को गुलाम पर क़यास किया। अब ये अन्देशा कि शायद लौण्डी ज़िना करके कमाए गुलाम में भी चल सकता है कि शायद वो चोरी करके कमाए और इमाम बुख़ारी (रह.) और सईद बिन मंसूर ने हुजैफ़ा (रज़ि.) से निकाला। उन्होंने कहा अपनी लौण्डियों की कमाई पर निगाह रखो। और अबू दाऊद ने राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से मर्फ़ूअन् निकाला कि आप (ﷺ) ने लौण्डी की कमाई से मना फ़र्माया जब तक ये मा'लूम न हो कि उसने किस ज़रिये से कमाया है।

2277. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, उनसे हुमैद त़वील ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि तैबा ह़ज्जाम ने नबी करीम (ﷺ) के पछना लगाया, तो आप (ﷺ) ने उन्हें उज्रत में एक साअ़ या दो स़ाअ़ अनाज देने का हुक्म दिया और उनके मालिकों से सिफ़ारिश की कि जो मह़सूल इस पर मुक़र्रर है, उसमें कुछ कमी कर दो। (राजेअ़ : 2012)

٢٢٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ)). [راجع: ٢١٠٢]

बाब 18 : पछना लगाने वाले की उज्रत का बयान

١٨- بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ

2278. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने त़ाऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पछना लगवाया और पछना लगाने वाले को उज्रत भी दी। अगर पछना लगवाना नाजाइज़ होता तो आप (ﷺ) न पछना लगवाते न उज्रत देते। (राजेअ़ : 1835)

٢٢٧٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ)). [راجع: ١٨٣٥]

2279. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरेअ़ ने बयान किया, उनसे ख़ालिद ने, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पछना लगवाया और पछना लगाने वाले को उज्रत भी दी, अगर उसमें कोई कराहत होती तो आप किस लिये देते। (राजेअ़ : 1835)

٢٢٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ)). [راجع: ١٨٣٥]

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने गोया उस शख़्स का रद्द किया, जो ह़ज्जाम की उज्रत को ह़राम कहता था। जुम्हूर का यही मज़हब है कि वो ह़लाल है। ख़ून में ख़राबी हो तो पछना लगाना बहुत मुफ़ीद है। अरबों में ये इलाज इस मर्ज़ के लिये आ़म था।

2280. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मिस्अर ने बयान किया, उनसे अम्र बिन आमिर ने बयान किया कि मैंने अनस (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने पछना लगवाया, और आप किसी की मज़दूरी के मामले में किसी पर ज़ुल्म न करते थे। (राजेअ़ : 2102)

٢٢٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ)). [راجع: ٢١٠٢]

बाब की अहादीष़ से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ष़ाबित किया कि ह़ज्जाम या'नी पछना लगाने वाले की उज्रत ह़लाल है और ये पेशा भी जाइज़ है। अगर ये पेशा नाजाइज़ होता तो न आप पछना लगवाते और न उसको उजरत देते। ये मा'लूम हुआ कि ऐसे कामों को ह़िक़ारत की नज़र से देखने वाले ग़लती पर हैं।

बाब 19 : उसके मुता'ल्लिक़ जिसने किसी ग़ुलाम के मालिकों से ग़ुलाम के ऊपर मुक़र्ररा टैक्स में कमी के लिये सिफ़ारिश की

١٩- بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

या'नी तफ़ज़्ज़ुल और एह़सान के तौर पर, न ये कि बतौरे वजूब के हुक्म देना। कुछ ने कहा कि अगर ग़ुलाम को उसकी अदायगी की ताक़त न हो तो ह़ाकिम तख़्फ़ीफ़ (कमी) का हुक्म भी दे सकता है।

2281. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे हुमैद तवील ने बयान किया, और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक पछना लगाने वाले ग़ुलाम (अबू तैबा) को बुलाया, उन्होंने आप (ﷺ) के पछना लगाया। और आपने उन्हें एक या दो स़ाअ़, या एक या दो मुद्द (ह़दीष़ के रावी शुअ़बा को शक था) उज्रत देने के लिये हुक्म फ़र्माया। आप (ﷺ) ने उनके मालिको से भी) उनके बारे में सिफ़ारिश फ़र्माई तो उनका ख़िराज कम कर दिया गया। (राजेअ़ : 2102)

٢٢٨١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلاَمًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيْهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ)). [راجع: ٢١٠٢]

पिछली ह़दीष़ में पछना लगाने वाले ग़ुलाम की कुन्नियत अबू तैबा (रज़ि.) को मज़कूर है। उनका नाम नाफ़ेअ़ बतलाया गया है। ह़ाफ़िज़ ने उसी को स़ह़ीह़ कहा है। इब्ने ह़ज़्ज़ा ने कहा कि अबू तैबा ने 134 साल की उम्र पाई थी। ह़दीष़ से स़ाफ़ ज़ाहिर है कि ग़ुलाम या लौण्डी के ऊपर मुक़र्ररा टेक्स में कमी कराने की सिफ़ारिश करना दुरुस्त है। अल्लाह का शुक्र है कि अब इस्लाम की बरकत से ग़ुलामी का ये बदतरीन दौर तक़रीबन दुनिया से ख़त्म हो चुका है मगर अब ग़ुलामी के दूसरे तरीक़े ईजाद हो गए हैं जो और भी बदतरीन है। अब क़ौमों को ग़ुलाम बनाया जाता है जिनके लिये अक़ल्लियत (अल्पसंख्यक) और अकष़रियत (बुसंख्यक) की इस्तिलाह़ात मुरव्वज (परिभाषाएं प्रचलित) हो गई हैं।

बाब 20 : ज़ानिया और फ़ाहिशा लौण्डी की ख़र्ची का बयान

٢٠- بَابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاءِ

और इब्राहीम नख़्ई ने नौहा करने वालियों और गाने वालियों की उज्रत को मकरूह क़रार दिया है। और अल्लाह तआ़ला का (सूरह नूर

وَكَرِهَ إِبْرَاهِيْمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ

عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. فَتَيَاتِكُمْ: إِمَاءَكُمْ.

में) ये फ़र्मान कि, अपनी बाँदियों को जबकि वो पाकदामनी चाहती हों, ज़िना के लिये मजबूर न करो ताकि तुम इस तरह दुनिया की ज़िन्दगी का सामान ढूँढो। लेकिन अगर कोई शख़्स उन्हें मजबूर करता है, तो अल्लाह उन पर जबर किये जाने के बाद (उन्हें) मुआफ़ करने वाला, उन पर रहम करने वाला है। (क़ुर्आन की आयत में लफ़्ज़) फ़तयातिकुम, इमाअकुम के मा'नी में है। (या'नी तुम्हारी बान्दियाँ)

٢٢٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)).

[راجع: ٢٢٣٧]

2282. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन ह़ारिष़ बिन हिशाम ने बयान किया, उनसे अबू मसऊ़द अंस़ारी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया (के ज़िना) की ख़र्ची और काहिन की मज़दूरी से मना फ़र्माया।

(राजेअ़ : 2237)

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ))

[طرفه في: ٥٣٤٨].

2283. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन जुहादा ने बयान किया, उनसे अबू ह़ाज़िम ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने बान्दियों की ज़िना की कमाई से मना किया था। (दीगर मक़ाम : 5348)

आयते क़ुर्आनी और दोनों अहादीष़ से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ष़ाबित फ़र्माया कि रण्डी की कमाई और लौण्डी की कमाई ह़राम है। अ़हदे जाहिलियत में लोग अपनी लौण्डियों से ह़राम कमाई ह़ासिल करते थे और उनसे बिल जबर पेशा कराते। इस्लाम ने निहायत सख़्ती के साथ उसे रोका और ऐसी कमाई को ह़राम का लुक़्मा क़रार दिया। उसी त़रह़ कहानत का पेशा भी ह़राम क़रार पाया। नीज़ कुत्ते की क़ीमत से भी मना किया गया।

٢١- بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

बाब 21 : नर की जुफ़्ती (पर उज्रत) लेना

٢٢٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)).

2284. हमसे मुसद्दद बिन मुस्त़हिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल् वारिष़ और इस्माईल बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे अ़ली बिन ह़कम ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने, और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने नर कुदाने की उज्रत लेने से मना फ़र्माया। (ह़दीष़ और बाब में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है)

٢٢- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ

बाब 22 : अगर कोई ज़मीन को ठेके पर ले फिर

أَحَدُهُمَا

ठेका देने वाला या लेने वाला मर जाए

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ، خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.

और इब्ने सीरीन ने कहा कि ज़मीन वाले बग़ैर मुद्दत पूरी हुए ठेकेदार को (या उसके वारिसों को) बेदख़ल नहीं कर सकते। और ह़कम, ह़सन और अयास बिन मुआविया ने कहा इजार-ए-मुद्दत ख़त्म होने तक बाक़ी रहेगा। और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ैबर का इजारा आधो–आध बटाई पर यहूदियों को दिया था। फिर यही ठेका आँह़ज़रत (ﷺ) और अबूबक्र (रज़ि.) के ज़माने तक रहा। और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के भी शुरू ख़िलाफ़त में और कहीं ये ज़िक्र नहीं है कि अबूबक्र (रज़ि.) और उ़मर (रज़ि.) ने आँह़ज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद नया ठेका किया हो।

٢٢٨٥– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ)).

[أطرافه في : ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨].

2285. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे जुवैरिया बिन अस्मा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने (यहूदियों को) ख़ैबर की ज़मीन दे दी थी कि उसमें मेह़नत के साथ काश्त करें। और पैदावार का आधा ह़िस़्स़ा ख़ुद ले लिया करें। इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ़ से ये बयान किया, कि ज़मीन कुछ किराये पर दी जाती थी। नाफ़ेअ़ ने उस किराये की तअ़य्युन (निर्धारित) भी कर दी थीं लेकिन मुझे याद नहीं रहा।

(दीगर मक़ाम : 2328, 2329, 2339, 2331, 2338, 2499, 2720, 3152, 4248)

٢٢٨٦– وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ)). وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ)).

[أطرافه في: ٢٢٧، ٢٣٣٢، ٢٣٤٤، ٢٧٢٢].

2285. और राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़मीनों को किराये पर देने से मना किया था। और उ़बैदुल्लाह ने नाफ़ेअ़ से बयान किया, और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि (ख़ैबर के यहूदियों के साथ वहाँ की ज़मीन का मामला बराबर चलता रहा) यहाँ तक कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उन्हें जलावतन कर दिया। (दीगर मक़ाम : 228, 2332, 2344, 2722)

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मंशाए बाब ये है कि रसूले करीम (ﷺ) ने ख़ैबर के यहूदियों से ज़मीन की बटाई का ठेका तय फ़र्माया, जो ह़याते नबवी तक जारी रहा। बाद में आप (ﷺ) का इंतिक़ाल हो गया तब उसी मामले को ह़ज़रत सि़द्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने ख़लीफ़-ए-इस्लाम होने की हैसियत में जारी रखा, यहाँ तक कि उनका भी विसाल हो

गया तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने भी अपने शुरू ख़िलाफ़त में इस मामले को जारी रखा। बाद में यहूदियों की मुसलसल शरारतें देखकर उनको ख़ैबर से जलावत़न कर दिया। पस ष़ाबित हुआ कि दो मामला करने वालों में से किसी एक की मौत हो जाने से वो मामला ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उनके वारिष़ उसे जारी रखेंगे। हाँ! अगर किसी मामले को फ़रीक़ेन में से किसी एक की मौत के साथ मशरूत़ किया है तो फिर ये अम्र दीगर है।

रिवायत में ज़मीनों को किराया पर देने का भी ज़िक्र है और ये भी कि फ़ालतू ज़मीन पड़ी हो जैसा कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ह़ालात थे, तो ऐसे ह़ालात में मालिकाने ज़मीन या तो फ़ालतू ज़मीनों की ख़ुद काश्त करें या फिर बजाय किराया पर देने के अपने किसी ह़ाजतमन्द भाई को मुफ़्त दे दें।

38. किताबुल ह़वालात

किताब ह़वाला के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : ह़वाला या'नी क़र्ज़ को किसी दूसरे पर उतारने का बयान

١- بَابُ الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

और इसका बयान कि ह़वाले में रुजूअ़ करना दुरुस्त है या नहीं। और ह़सन और क़तादा ने कहा कि जब किसी की त़रफ़ क़र्ज़ मुंतक़िल किया जा रहा था तो अगर उस वक़्त मालदार था तो रुजूअ़ जाइज़ नहीं ह़वाला पूरा हो गया। और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अगर साझियों और वारिष़ों ने यूँ तक़्सीम की किसी ने नक़द माल लिया किसी ने क़र्ज़ा, फिर किसी का ह़िस्सा डूब गया तो अब वो दूसरे साझी या वारिष़ से कुछ नहीं ले सकता।

وَ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيْكَانِ وَ أَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَ هَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

तशरीह : या'नी जब **मुह़ताल लहू** ने ह़वाला क़ुबूल कर लिया, तो अब फिर उसको **मुह़ील** से मुआख़ज़ा (पकड़) करना और उससे अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा करना दुरुस्त है या नहीं। **ह़वाला** कहते हैं क़र्ज़ का मुक़ाबला दूसरे पर कर देने को, जो क़र्ज़दार ह़वाला करे उसको **मुह़ील** कहते हैं और जिसके क़र्ज़ का ह़वाला किया जाए उसको **मुह़ताल लहू** कहते हैं और जिस पर ह़वाला किया जाए उसको **मुह़ताल अ़लैह** कहते हैं। दरह़क़ीक़त ह़वाला, दीन की बेअ़ है दीन के एवज़ के, मगर ज़रूरत से जाइज़ रखा गया है।

तश्रीह : क़तादा और ह़सन के अष़रों को इब्ने अबी शैबा और अष़्रम ने वस़्ल (मिलान) किया, उससे ये निकलता है कि अगर मुह़ताल अ़लैह ह़वाला ही के वक़्त मुफ़्लिस था तो मुह़ताल लहू फिर मुह़ील पर रुजूअ़ कर सकता है। और इमाम शाफ़ेई (रह.) का ये क़ौल है कि मुह़ताल किसी ह़ालत में ह़वाला के बाद फिर मुह़ील पर रुजूअ़ नहीं कर सकता। ह़न्फ़िया का ये मज़हब है कि तवी की स़ूरत में मुह़ताल लहू मुह़ील पर रुजूअ़ कर सकता है। तवी ये है कि मुह़ताल अ़लैह ह़वाला ही से मुंकिर हो जाए और ह़ल्फ़ खा ले और गवाह न हों या इफ़्लास (ग़रीबी) की ह़ालत में मर जाए। इमाम अह़मद (रह.) ने कहा मुह़ताल मुह़ील पर जब रुजूअ़ कर सकता है कि मुह़ताल अ़लैह के मालदारी की शर्त़ हुई हो फिर वो मुफ़्लिस निकले। मालिकिया ने कहा अगर मुह़ील ने धोखा दिया हो मष़लन वो जानता हो कि मुह़ताल अ़लैह दीवालिया है लेकिन मुह़ताल को ख़बर न की इस स़ूरत में रुजूअ़ जाइज़ होगा वरना नहीं। (वह़ीदी)।

2287. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअ़रज ने, और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (क़र्ज़ अदा करने में) मालदार की त़रफ़ से टाल मटोल करना ज़ुल्म है और अगर तुममें से किसी का क़र्ज़ किसी मालदार पर ह़वाला दिया जाए तो उसे क़ुबूल करे।

٢٢٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ)).

इससे यही निकलता है कि ह़वाला के लिये मुह़ील और मुह़ताल की रज़ामन्दी काफ़ी है। मुह़ताल अ़लैह की रज़ामन्दी ज़रूरी नहीं। जुम्हूर का यही क़ौल है और ह़न्फ़िया ने उसकी रज़ामन्दी भी शर्त़ रखी है।

बाब 2 : क़र्ज़ किसी मालदार के ह़वाले कर दिया जाए तो उसका रद्द करना जाइज़ नहीं

٢- بَابُ إِذَا حَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رد

2288. हमसे मुह़म्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे इब्ने ज़क्वान ने, उनसे अअ़रज ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदार की त़रफ़ से (क़र्ज़ अदा करने में) टाल–मटोल करना ज़ुल्म है और अगर किसी का क़र्ज़ किसी मालदार के ह़वाले किया जाए तो वो उसे क़ुबूल करे।

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَ مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ)).

मत़लब ये है कि किसी मालदार ने किसी का क़र्ज़ अगर अपने सर ले लिया तो उसे अदायगी में टाल–मटोल करना ज़ुल्म होगा उसे चाहिये कि उसे फ़ौरन् अदा कर दे, नीज़ जिसका क़र्ज़ ह़वाला किया गया है उसे भी चाहिये कि उसको क़ुबूल करके उस मालदार से अपना क़र्ज़ वस़ूल कर ले और ऐसे ह़वाला से इंकार न करे। वरना उसमें वो ख़ुद नुक़्स़ान उठाएगा।

बाब 3 : अगर किसी मय्यत का क़र्ज़ किसी (ज़िन्दा) शख़्स़ के ह़वाले किया जाए तो जाइज़ है

٣- باب إذا حال دين الميت على رجل جاز

2289. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन अबी उ़बैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अक्वा

٢٢٨٩- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ

الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قِيْلَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ. قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). قَالَ أَبُوقَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ عَلَى دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

(रज़ि.) ने कि हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद थे कि एक जनाजा लाया गया। लोगों ने आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि उसकी नमाज़ पढ़ा दीजिए। इस पर आप (ﷺ) ने पूछा, क्या इस पर कोई क़र्ज़ है? लोगों ने कहा कि नहीं है। आप (ﷺ) ने पूछा कि मय्यत ने कुछ माल भी छोड़ा है? लोगों ने अ़र्ज़ किया कि कोई माल भी नहीं छोड़ा। आपने उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। उसके बाद एक दूसरा जनाज़ा लाया गया। लोगों ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप इनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दीजिए। आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा, किसी का क़र्ज़ भी मय्यत पर है? अ़र्ज़ किया गया कि है। फिर आप (ﷺ) ने पूछा, कुछ माल भी छोड़ा है? लोगों ने कहा कि तीन दीनार छोड़े हैं। आपने उनकी भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। फिर तीसरा जनाज़ा लाया गया। लोगों ने आपकी ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि इसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दीजिए। आँहज़रत (ﷺ) ने उनके मुता'ल्लिक़ भी वही दरयाफ़्त फ़र्माया, क्या कोई माले तरका छोड़ा है? लोगों ने कहा कि नहीं। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त किया, और इस पर किसी का क़र्ज़ भी है? लोगों ने कहा कि हाँ तीन दीनार हैं। आपने इस पर फ़र्माया कि फिर अपने साथी की तुम ही लोग नमाज़ पढ़ लो। अबू क़तादा (रज़ि.) बोले, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) इनकी नमाज़ पढ़ा दीजिए, इनका क़र्ज़ मैं अदा कर दूँगा। तब आपने उस पर नमाज़ पढ़ाई।

तश्रीह : इब्ने माजा की रिवायत में यूँ है कि मैं उसका ज़ामिन हूँ। हाकिम की रिवायत में यूँ है कि आँहज़रत (ﷺ) ने यूँ फ़र्माया, वो अशरफ़ियाँ तुझ पर हैं और मय्यत बरी हो गई है। जुम्हूर उ़लमा ने इससे दलील ली है कि ऐसी किफ़ालत स़हीह़ है और कफ़ील को फिर मय्यत के माल में रुजूअ़ नहीं पहुँचता। और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक अगर रुजूअ़ की शर्त कर ले तो रुजूअ़ कर सकता है और अगर ज़मानती को ये मा'लूम हो कि मय्यत नादार है तो रुजूअ़ नहीं कर सकता। ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) फ़र्माते हैं अगर मय्यत क़र्ज़ चुकाने लायक़ जायदाद छोड़ गया है। तब तो ज़मानत दुरुस्त होगी वरना ज़मानत दुरुस्त न होगी। इमाम स़ाह़ब का ये क़ौल स़राह़तन ह़दीष़ के ख़िलाफ़ है। (वह़ीदी)

और ख़ुद ह़ज़रत इमाम (रह.) की वस़िय्यत है कि ह़दीष़े नबवी के ख़िलाफ़ मेरा कोई क़ौल हो उसे छोड़ दो। जो लोग ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के इस फ़र्मान के ख़िलाफ़ करते हैं वो सोचें कि क़यामत के दिन ह़ज़रत इमाम (रह.) को क्या मुँह दिखलाएँगे।

हर मुसलमान को ये उस़ूल हमेशा याद रखना चाहिये कि अल्लाह व रसूल के बाद जुम्ला अइम्म-ए-दीन, मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन, फ़ुक़हा-ए-किराम, बुज़ुर्गाने इस्लाम का मानना यही है कि उनका एह़तिरामे कामिल दिल में रखा जाए, उनकी इ़ज़्ज़त की जाए, उनकी शान में गुस्ताख़ी का कोई लफ़्ज़ न निकाला जाए। और उनके कलिमात व इर्शादात जो किताबो-सुन्नत से न टकराएँ, वो सर आँखों पर रखे जाएँ। उनको दिलो-जान से तस्लीम किया जाए और अगर ख़ुदा-न-ख़्वास्ता उनका कोई फ़र्मान ज़ाहिर आयते क़ुर्आनी या ह़दीष़े स़ह़ीह़ा मर्फ़ूअ़ के ख़िलाफ़ मा'लूम हो तो ख़ुद उन ही की वस़िय्यत के मुताबिक़ उसे छोड़कर क़ुर्आन व ह़दीष़ की इत्तिबाअ़ (पैरवी) की जाए। यही राहे नजात और स़िराते मुस्तक़ीम (सीधा रास्ता) है। अगर

ऐसा न किया गया और उनके कलिमात ही को बुनियादी दीन ठहरा लिया गया तो ये इस आयत के तहत होगा, **अम्लहुम शुराकाऊ शरऊ लहुम मिनद्दीनि मालम् यअज़म बिहिल्लाह** (अश्शूरा : 21) क्या उनके ऐसे भी शरीक हैं (जो शरीअत साज़ी में अल्लाह की शिर्कत रखते हैं क्योंकि शरीअतसाज़ी दरअसल महज़ एक अल्लाह का काम है) जिन्होंने दीन के नाम पर उनके लिये ऐसी ऐसी चीज़ों को शरीअत का नाम दे दिया है जिनका अल्लाह पाक ने कोई इजाज़त नहीं दी।

सद अफ़सोस! कि उम्मत इस मर्ज़ में हज़ार साल से भी ज़ाइद अर्से से गिरफ़्तार है और अभी तक इस वबाअ (महामारी) से कामिल शिफ़ा के आषार नज़र नहीं आते। **अल्लाहुम्मर्हम अला उम्मति हबीबिक (ﷺ)**

ख़ुद हिन्दुस्तान–पाकिस्तान में देख लीजिए! कोने–कोने में नई–नई बिदआत, अजीब–अजीब रसूमात आएँगी। कहीं मुहर्रम में ता'ज़ियासाज़ी हो रही है तो कहीं काग़ज़ी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। कहीं क़ब्रों पर ग़िलाफ़ों के जुलूस निकल रहे हैं तो कहीं अलम उठाए जा रहे हैं। और ज़्यादा तअज्जुब की बात ये है कि ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर हो रहा है। इस तरह इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। उलमा है कि मुँह में लगाम लगाए बैठे हैं। कुछ जवाज़ तलाश करने की धुन में लगे रहते हैं क्योंकि इस तरह आसानी से उनकी दुकान चल सकती है। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।**

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) कहते हैं कि **जादल हाकिम फ़ी हदीषि जाबिरिन फ़क़ाल हुमा अलैक व फ़ी मालिक वल्मय्यतु मिन्हुमा बरीउन क़ाल नअम फ़सल्ला अलैहि फ़जअल रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा लक़िय अबा क़तादत यक़ूलु मा सनअतद्दीनारानि हत्ता कान आख़रु ज़ालिक क़ाल कद कज़ैतुहुमा या रसूलल्लाहि (ﷺ) क़ाल अल्आन हीन बरत्तु अलैहि जिल्दहू व क़द वक़अत हाज़िहिल्क़िस्सतु मर्रतन उख़रा फ़रूविय अद्दार क़ुत्नी मिन हदीषि अलिय्यिन कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा अता बिजनाज़तिन लम यस्अल अन शैइन मिन अमलिर्रजुलि व यस्अलु अन दीनिही फ़इन क़ील अलैहि दैनुन कफ़्फ़ व इन क़ील लैस अलैहि दैनुन सल्ला फ़अता बिजनाज़तिन फ़लम्मा क़ाम लियुकब्बिर सअल हल अलैहि दैनुन फ़क़ालु दीनारानि फ़अदल अन्हु फ़क़ाल अली हुमा अलय्या या रसूलल्लाहि व हुव बरीउम्मिन्हुमा फ़सल्ला अलैहि षुम्म क़ाल लिअली जज़ाकल्लाहु ख़ैरन व फ़क्कल्लाहु रिहानक** (फ़त्हुल बारी)

या'नी हदीषे जाबिर में हाकिम ने यूँ ज़्यादा किया है कि मय्यत के क़र्ज़ वाले वो दो दीनार तेरे ऊपर तेरे माल में से अदा करने वाजिब हो गए और मय्यत उनसे बरी हो गई। इस सहाबी ने कहा, हाँ रसूलुल्लाह (ﷺ)! वाक़िया यही है। फिर आप (ﷺ) ने उस मय्यत पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। पस जब भी रसूले करीम (ﷺ) अबू क़तादा से मुलाक़ात करते आप पूछा करते थे कि ऐ अबू क़तादा! तुम्हारे उन दो दीनार के वा'दे का क्या हुआ? यहाँ तक कि अबू क़तादा ने कह दिया कि हुज़ूर उनको मैं अदा कर चुका हूँ। आपने फ़र्माया अब तुमने उस मय्यत की खाल को ठण्डा कर दिया। ऐसा ही वाक़िया एक बार और भी हुआ है जिसे दारे क़ुत्नी ने हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत किया है कि आँहज़रत (ﷺ) के पास जब कोई जनाज़ा लाया जाता आप उसके किसी अमल के बारे में कुछ न पूछते मगर क़र्ज़ के बारे में ज़रूर पूछते। अगर उसे मक़रूज़ पाते तो आप उसका जनाज़ा न पढ़ते और अगर उसके ख़िलाफ़ होता तो आप जनाज़ा पढ़ा देते थे। पस एक दिन एक जनाजा लाया गया। जब आप नमाज़ की तकबीर कहने लगे तो पूछा कि क्या ये मक़रूज़ है? कहा गया कि हाँ दो दीनार का मक़रूज़ है। पस आप जनाज़ा पढ़ाने से रुक गए। यहाँ तक कि हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा कि हुज़ूर वो दो दीनार मेरे ज़िम्मे हैं। मैं अदा कर दूँगा और ये मय्यत उनसे बरी है। फिर आप (ﷺ) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और फ़र्माया कि ऐ अली! अल्लाह तुमको जज़ा-ए-ख़ैर दे, अल्लाह तुमको भी तुम्हारे क़र्ज़ से आज़ाद करे या'नी तुमको जन्नत अता करे। उससे ये भी मा'लूम हुआ कि कोई मय्यत मक़रूज़ हो और इस वजह से उसके जनाज़े की नमाज़ न पढ़ाई जा रही हो तो अगर कोई मुसलमान उसकी मदद करे और उसका क़र्ज़ा अपने सर ले ले तो ये बहुत बड़ा षवाब का काम है और अल्लाह और उसके रसूल की ख़ुशी का बाइष है। और इस हदीष के ज़ेल में दाख़िल है कि जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। ख़ास तौर पर जबकि वो दुनिया से चला गया हो। ऐसे वक़्त ऐसी इम्दाद बड़ी अहमियत रखती है। मगर कुछ नामो–निहाद मुसलमानों की अक़्लों का ये हाल है कि वो ऐसी इम्दाद पर एक कौड़ी ख़र्च करने के लिये तैयार नहीं होते। वैसे नामो नमूद के लिये मुर्दा की फ़ातिहा, तीजा, चालीसवाँ **मनघड़ंत रस्मों पर कितना ही रुपया पानी की तरह बहा देंगे।** हालाँकि ये वो रस्में हैं जिनका क़ुर्आनो–सुन्नत व सहाबा

के अक़वाल (कथन) यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से भी कोई षुबूत नहीं है। मगर पेट के पुजारी उ़लमा ने ऐसी रस्मों की हिमायत में एक तूफ़ाने जिदाल खड़ा कर रखा है और इन रस्मों को ऐन अल्लाह व रसूल (ﷺ) की ख़ुशनूदी क़रार देते हैं और उनके इष्बात के लिये आयाते क़ुर्आनी व ह़दीषे नबवी में वो वो तावीलाते फ़ासिदा करते हैं कि देखकर हैरत होती है। सच है,

ख़ुद बदलते नहीं क़ुर्आन को बदल देते हैं।

रसूले करीम (ﷺ) ने साफ़ लफ़्ज़ों में फ़र्माया था, **मन अह़दष़ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैस मिन्हु फ़हुव रद्दुन** जो हमारे दीन के काम में ऐसी नई चीज़ निकाले जिसका षुबूत हमारी शरीअ़त से न हो, वो मरदूद है। ज़ाहिर है कि प्रचलित रस्में न अ़हदे रिसालत में थीं, न अ़हदे सह़ाबा व ताबेअ़ीन में जबकि उन ज़मानों में भी मुसलमान वफ़ात पाते थे, शहीद होते थे मगर उनमें किसी के भी तीजा–चालीसवाँ किये जाने का षुबूत नहीं यहाँ तक कि ख़ुद ह़ज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के लिये भी षुबूत नहीं मिलता कि उनका तीजा, चालीसवाँ किया गया हो। न इमाम शाफ़िई (रह.) का तीजा, चालीसवाँ फ़ातिह़ा षाबित है। जब ह़क़ीक़त ये है तो अपनी त़रफ़ से शरीअ़त में कमी–बेशी करना ख़ुद लअ़नते ख़ुदावन्दी में गिरफ़्तार होना है, अआ़ज़नल्लाहु मिन्हा, आमीन।

30. किताबुल किफ़ाला

किफ़ालत के मसाइल का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : क़र्ज़ों वग़ैरह की हाज़िर ज़मानत और माली ज़मानत के बयान में

١ - بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُوْنِ بِالأَبْدَانِ وَ غَيْرِهَا

शरीअ़त में ये दोनों दुरुस्त हैं। ज़ामिन को मदीना वाले ज़ईम और मिस्र वाले ह़मील और इराक़ वाले कफ़ील कहते हैं।

2290. और अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन ह़म्ज़ा बिन अ़म्र अल असलमी ने और उनसे उनके वालिद (ह़म्ज़ा) ने कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने (अपने अ़हदे ख़िलाफ़त में) उन्हें ज़कात वसूल करने के लिये भेजा। (जहाँ वो ज़कात वसूल कर रहे थे वहाँ के) एक शख़्स ने अपनी बीवी की बाँदी से हम बिस्तरी कर ली। ह़म्ज़ा ने उसकी एक शख़्स से पहले ज़मानत ली, यहाँ तक कि वो उ़मर (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए। उ़मर (रज़ि.) ने उस शख़्स को सौ कोड़े की सज़ा दी थी। उस आदमी ने जो जुर्म उस पर लगा था, उसको क़ुबूल किया था लेकिन जिहालत का बहाना किया था। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसको मा'ज़ूर रखा था और जरीर और अश्अ़ष़ ने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द

٢٢٩٠ - وَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كُفَلاَءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَ كَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَ عَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ)). وَقَالَ جَرِيْرٌ وَ الأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُرْتَدِّيْنَ: اسْتَتِبْهُمْ وَ كَفِّلْهُمْ فَتَابُوا وَ كَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ.

وَ قَالَ حَمَّادُ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ قَالَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ.

(रज़ि.) से मुर्तदों के बारे में कहा कि उनसे तौबा कराइये और उनकी ज़मानत त़लब कीजिए (कि दोबारा मुर्तद न होंगे)। चुनाँचे उन्होंने तौबा कर ली और ज़मानत ख़ुद उन्हीं के क़बीले वालों ने दे दी। ह़म्माद ने कहा जिसका ह़ाज़िर ज़ामिन हो अगर वो मर जाए तो ज़ामिन पर कुछ तावान न होगा। लेकिन ह़कम ने कहा कि ज़िम्मे का माल देना पड़ेगा।

٢٢٩١- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ((عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً. قَالَ: صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ صَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ. وَ سَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِذَلِكَ: وَ إِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى

2291. अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह) ने कहा कि लैष़ ने बयान किया, उनसे जा' फ़र बिन रबीआ़ ने, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन हुर्मुज़ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी इस्राईल के एक शख़्स़ का ज़िक्र फ़र्माया कि उन्होंने बनी इस्राईल के एक दूसरे आदमी से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ मांगे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे गवाह ला जिनकी गवाही पर मुझे ए' तिबार हो। क़र्ज़ मांगने वाला बोला कि गवाह तो बस अल्लाह ही काफ़ी है फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कोई ज़ामिन ला। क़र्ज़ मांगने वाला बोला कि ज़ामिन भी अल्लाह ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि तूने सच्ची बात कही। चुनाँचे उसने एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिये उसको क़र्ज़ दे दिया। ये स़ाहब क़र्ज़ लेकर समन्दरी सफ़र पर रवाना हुए। और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके किसी सवारी (कश्ती वग़ैरह) की तलाश की ताकि उससे दरिया पार करके उस मुक़र्ररा मुद्दत तक क़र्ज़ देने वाले के पास पहुँच सके जो उससे तै पाई थी। (और उसका क़र्ज़ अदा कर दे) लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आख़िर उसने एक लकड़ी ली और उसमें सूराख़ किया। फिर एक हज़ार दीनार और एक (उस मज़्मून का) ख़त़ कि उसकी त़रफ़ से क़र्ज़ देने वाले की त़रफ़ (ये दीनार भेजे जा रहे हैं) और उसका मुँह बन्द कर दिया। और उसे दरिया पर ले आए। फिर कहा, ऐ अल्लाह! तू ख़ूब जानता है कि मैंने फ़लाँ से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिये थे। उसने मुझसे ज़ामिन मांगा, तो मैंने कहा था कि मेरा ज़ामिन अल्लाह तआ़ला काफ़ी है और वो भी तुझ पर राज़ी हुआ। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका भी जवाब मैंने यही दिया था कि अल्लाह पाक गवाह काफ़ी है तो वो मुझ पर राज़ी हो गया। और (तू जानता है कि) मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले जिसके ज़रिये मैं उसका

وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَ هُوَ فِيْ ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ. فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِيْ فِيْهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَ الصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِيْ كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِيْنَارٍ فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِيْ طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِيْ أَتَيْتُ فِيْهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيْهِ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا)).

क़र्ज़ उस तक (मुद्दते मुक़र्ररा में) पहुँचा सकूँ। लेकिन मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली। इसलिये अब मैं इसको तेरे ही हवाले करता हूँ (ताकि तू उस तक पहुँचा दे) चुनाँचे उसने वो लकड़ी जिसमें रक़म थी दरिया में बहा दी। अब वो दरिया में थी और वो साहब (क़र्ज़दार) वापस हो चुके थे। अगरचे फ़िक्र अब भी यही था कि किसी तरह कोई जहाज़ मिले। जिसके ज़रिये वो अपने शहर में जा सकें। दूसरी तरफ़ वो साहब जिन्होंने क़र्ज़ दिया था उसी तलाश में (बन्दरगाह) आए कि मुम्किन है कोई जहाज़ उनका माल लेकर आया हो। लेकिन वहाँ उन्हें एक लकड़ी मिली, वही जिसमें माल था। उन्होंने वो लकड़ी अपने घर के ईंधन के लिये ले ली। लेकिन जब उसे चीरा तो उसमें से दीनार निकले और एक ख़त भी निकला। (कुछ दिनों के बाद जब वो साहब अपने शहर आए) तो क़र्ज़ देने वाले के घर आए और (ये ख़्याल कर के कि शायद वो लकड़ी न मिल सकी हो दोबारा) एक हज़ार दीनार उनकी ख़िदमत में पेश कर दिये और कहा कि क़सम अल्लाह की! मैं तो बराबर उसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज़ मिले तो तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर पहुँचूँ। लेकिन उस दिन से पहले जबकि मैं यहाँ पहुँचने के लिये सवार हुआ। मुझे अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये तो बताओ कि कोई चीज़ कभी तुमने मेरे नाम भेजी थी? मक़रूज़ ने जवाब दिया बता तो रहा हूँ आपको कि कोई जहाज़ मुझे इस जहाज़ से पहले नहीं मिला। जिससे मैं आज पहुँचा हूँ। इस पर क़र्ज़ख़्वाह ने कहा कि फिर अल्लाह ने भी आपका वो क़र्ज़ अदा कर दिया। जिसे आपने लकड़ी में भेजा था। चुनाँचे वो साहब अपना हज़ार दीनार लेकर ख़ुश खुश वापस लौट गए।

तश्रीह : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का क़ौल जो यहाँ मज़्कूर हुआ है इसको इमाम बैहक़ी ने वस्ल (मिलान) किया। और एक क़िस्सा बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से एक शख़्स ने बयान किया कि इब्ने नवाहा का मोअज़्ज़िन अज़ान में यूँ कहता है **अश्हदु अन्ना मुसैलमा रसूलुल्लाह**। उन्होंने इब्ने नवाहा और उसके साथियों को बुला भेजा। इब्ने नवाहा की तो गर्दन मार दी और उसके साथियों के बाब में मश्विरा लिया। अदी बिन हातिम ने कहा क़त्ल करो। जरीर और अश्अष ने कहा उनसे तौबा कराओ और ज़मानत लो। वो एक सौ सत्तर आदमी थे। इब्ने अबी शैबा ने ऐसा ही नक़ल किया है।

इब्ने मुनीर ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने हुदूद में किफ़ालत से दुयून में भी किफ़ालत का हुक्म षाबित किया। लेकिन हुदूद और क़िसास़ में कोई कफ़ील हो और अस़ल मुज्रिम या'नी मक्फ़ूल अन्हू ग़ायब हो जाए तो कफ़ील पर ह़द या क़िसास़ न होगा। इस पर इत्तिफ़ाक़ है लेकिन क़र्ज़ा में जो कफ़ील हो उसको क़र्ज़ अदा करना होगा। (वह़ीदी)

ह़दीष़ में बनी इस्राईल के जिन दो शख़्सों का ज़िक्र है उनकी मज़ीद तफ़्सीलात जो ह़दीषे हाज़ा में नहीं हैं तो अल्लाह के ह़वाले हैं कि वो लोग कौन थे, कहाँ के बाशिन्दे थे? कौनसे ज़माने से उनका ता'ल्लुक़ था? बहरह़ाल ह़दीष़ में मज़्कूरा वाक़िया इस क़ाबिल है कि उससे इबरत ह़ासिल की जाए। अगरचे ये दुनिया दारुल अस्बाब है और यहाँ हर चीज़ एक सबब से वाबस्ता (स्रोत से जुड़ी) है। कुदरत ने इस दुनिया के कारखाने को इसी बुनियाद पर क़ायम किया है मगर कुछ चीज़ें अलग हटकर भी वजूद में आ जाती हैं।

इन दोनों में से क़र्ज़ लेने वाले ने दिल की पुख़्तगी और ईमान की मज़बूती के साथ मह़ज़ एक अल्लाह पाक ही का नाम बतौरे ज़ामिन और कफ़ील पेश कर दिया क्योंकि उसके दिल में क़र्ज़ अदा करने का यक़ीनी जज़्बा था और वो क़र्ज़ ह़ासिल करने से पहले अज़्मे मुस्मम (दृढ़ निश्चय) कर चुका था कि उसे किसी न किसी सूरत ये क़र्ज़ ज़रूर अदा करना होगा। उसी अ़ज़्मे स़मीम की बिना पर उसने ये क़दम उठाया था। ह़दीष़ में इसीलिये फ़र्माया गया कि जो शख़्स क़र्ज़ लेते वक़्त अदायगी का अ़ज़्मे स़मीम (दिल की गहराई से इरादा, नेकनीयती) रखता है अल्लाह पाक ज़रूर उसकी मदद करता और उसका क़र्ज़ अदा करा देता है। इसीलिये अदायगी के वक़्त वो शख़्स कश्ती की तलाश में स़ाह़िले बह़र (समुद्र तट) पर आया कि सवार होकर वक़्ते मुक़र्ररा पर क़र्ज़ अदा करने के लिये क़र्ज़ख़्वाह के घर ह़ाज़िर हो जाऊँ। मगर इत्तिफ़ाक़ से शिद्दत से तलाश करने के बावजूद उसको सवारी न मिल सकी और मजबूरन् उसने क़र्ज़ के दीनार एक लकड़ी के सूराख़ में बन्द करके और उसके साथ तआरुफ़ी पर्चा रखकर लकड़ी को दरिया में अल्लाह के भरोसे पर डाल दिया, उसने ये अ़ज़्म किया हुआ था कि लकड़ी की ये रक़म अगर उस क़र्ज़ख़्वाह भाई को अल्लाह वसूल करा दे तो फ़बिहा वरना वो जब भी वत़न लौटेगा उसको दोबारा ये रक़म अदा करेगा। उधर वो क़र्ज़ देने वाला स़ाह़िले बह़र पर किसी आने वाली कश्ती का इंतिज़ार कर रहा था कि वो भाई वक़्ते मुक़र्ररा पर उस कश्ती से आएगा और रक़म अदा करेगा। मगर वो भी नाकाम होकर जा ही रहा था कि अचानक दरिया में उस बहती हुई लकड़ी पर नज़र जा पड़ी और उसने एक उ़म्दा लकड़ी जानकर ईंधन वग़ैरह के ख़याल से उसे ह़ासिल कर लिया। घर ले जाने के बाद उस लकड़ी को खोला, तो ह़क़ीक़ते ह़ाल से इत्तिलाअ़ पाकर और अपनी रक़म वसूल करके ख़ुश हुआ चूँकि अदा करने वाले ह़ज़रत को वस़ूल करने की इत्तिलाअ़ न थी वो एह़तियात़न् वत़न आने पर दोबारा ये रक़म लेकर उनकी ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और तफ़्सीलात से दोनों को इ़ल्म हुआ और दोनों बेइंतिहा ख़ुश हुए।

ये तवक्कल इलल्लाह की वो मंज़िल है जो हर किसी को नहीं ह़ासिल होती। इसीलिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने एक स़ह़ाबी से फ़र्माया था कि अपने ऊँट रात को ख़ूब मज़बूत़ बाँधकर अल्लाह पर भरोसा रखो कि उसे कोई नहीं चुराएगा।

गुफ़्त पैग़म्बर बाआवाज़े बुलन्द बर तवक्कल ज़ानू उशतर बा बन्द

आज भी ज़रूरत है कि क़र्ज़ ह़ासिल करने वाले मुसलमान इस अ़ज़्मे स़मीम (नेकनीयती से इरादा) करे व तवक्कल अ़लल्लाह (अल्लाह की मदद) का मुज़ाहिरा (प्रदर्शन) करें कि वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से ज़रूर ज़रूर क़र्ज़ की रक़म जल्दी ही वापस करेंगे। वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह भी उनकी मदद करेगा और उनसे उनका क़र्ज़ अदा करा देगा।

उन दोनों शख़्सों का नाम मा'लूम नहीं हुआ। ह़ाफ़िज़ ने कहा मुह़म्मद बिन रबीआ़ ने मुस्नद स़ह़ाबा में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से निकाला कि क़र्ज़ देनेवाला नज्जाशी था। इस सूरत में उसको बनी इस्राईल फ़र्माना इस वजह से होगा कि वो बनी इस्राईल का मुत्तबअ़ था न ये कि उनकी औलाद में था। अ़ल्लामा ऐनी ने अपनी आ़दत के मुवाफ़िक़ ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब पर ए'तिराज़ किया और ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब की वुस्अ़त नज़र और कष़रते इ़ल्म की ता'रीफ़ न की। और कहा कि ये रिवायत ज़ईफ़ है इस पर ए'तिमाद नहीं किया जा सकता ह़ालाँकि ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब ने ख़ुद फ़र्मा दिया है कि इसकी सनद में एक मज्हूल है। (वह़ीदी)

इस ह़दीष़ के ज़ेल ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं,

व फ़िल्हदीषि जवाज़ुल अज्लि फ़िल्क़र्ज़ि वुजूबुल्वफ़ाइ बिही व फ़ीहि अत्तहद्दुष अम्मा कान फ़ी बनी इस्राईल व ग़ैरहुम मिनल्अजाइबि लिल्इत्तिआज़ि वल्इतिसाइ व फ़ीहित्तिजारतु फ़िल्बहरि व जवाज़ु रकूबिही व फ़ीहि बदातुल्कातिबि बिनफ़्सिही व फ़ीहि तलबुश्शुहूदि फ़िद्दैनि व तलबुल्कफ़ीलि बिही व फ़ीहि फ़ज़्लुत्तवक्कुलि अलल्लाहि व इन्न मन स़ह्ह तवक्कुलुहू तकफ़्फ़ल्लाहु बिनस्रिही व औनिही (फ़त्ह)

या'नी इस ह़दीष़ में जवाज़ है कि क़र्ज़ में वक़्त मुक़र्रर किया जाए और तयशुदा वक़्त पर अदायगी का वाजिब होना भी ष़ाबित हुआ और उससे बनी इस्राईल के अ़जीब वाक़ियात का बयान करना भी ष़ाबित हुआ ताकि उनसे इ़ब्रत ह़ासिल की जाए और उनकी इक़्तिदा की जाए और उससे दरियाई तिजारत का भी षुबूत हुआ और दरियाई सवारियों पर सवार होना भी और इससे ये भी ष़ाबित हुआ कि कातिब शुरू में अपना नाम लिखे और उससे क़र्ज़ के बारे में गवाहों का त़लब करना और उसके कफ़ील का त़लब भी ष़ाबित हुआ। और इससे तवक्कल अ़लल्लाह की फ़ज़ीलत भी निकली और ये भी कि जो ह़क़ीक़ी स़ह़ीह़ मुतवक्किल होगा अल्लाह पाक उसकी मदद और नुस़रत का ज़िम्मेदार होता है।

ख़ुद क़ुर्आने पाक में इर्शाद बारी है, **वमंय्यतवक्कल् अलल्लाहि फ़हुव ह़स्बुहू** (अत् त़लाक़ : 3) जो अल्लाह पर तवक्कल (भरोसा) करेगा अल्लाह उसके लिये काफ़ी वाफ़ी है। इस क़िस्म की बहुत सी आयात क़ुर्आन मजीद में वारिद हैं। मगर इस सिलसिले में ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हाथ पैर छोड़कर बैठ जाने का नाम तवक्कल नहीं है बल्कि काम को पूरी क़ुव्वत के साथ अंजाम देना और उसका नतीजा अल्लाह के ह़वाले कर देना और ख़ैर के लिये अल्लाह से पूरी पूरी उम्मीद रखना ये तवक्कल है; जो एक मुसलमान के लिये ईमान में दाख़िले है। ह़दीषे क़ुदसी में फ़र्माया है, **अना इन्द ज़न्नि अब्दी बी (मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूँ, वो मेरे बारे में जो भी गुमान क़ायम करेगा)**। मत़लब ये कि बन्दा अल्लाह पर जैसा भी भरोसा करेगा, अल्लाह उसके साथ वही मामला करेगा। इस्राईली मोमिन ने अल्लाह पर पूरा भरोसा करके एक हज़ार अशरफ़ियों की क़ीमती रक़म को अल्लाह के ह़वाले कर दिया, अल्लाह ने उसके गुमान को स़ह़ीह़ करके दिखला दिया।

शुरू में अबुज़्ज़िनाद की रिवायत से जो वाक़िया मज़्कूर है, उसकी तफ़्सील ये है कि **उस शख़्स ने अपनी बीवी की लौण्डी को अपना ही माल समझकर उससे बवजह नादानी सुह़बत कर ली। ये मुक़द्दमा ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की अ़दालते आ़लिया में आया तो आपने उसकी नादानी के सबब उस पर रजम की सज़ा मुआफ़ कर दी मगर बतौरे तअ़ज़ीर सौ कोड़े लगवाए।** फिर जब ह़ज़रत ह़म्ज़ा असलमी वहाँ ज़कात वसूल करने बतौरे तह़सीलदार गए, तो उनके सामने भी ये मामला आया। उनको ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के फ़ैसले का इ़ल्म न था, लोगों ने ज़िक्र किया तब भी उनको यक़ीन न आया। इसलिये क़बीले वालों में से किसी ने अपनी ज़मानत पेश की कि आप ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से इसकी तस्दीक़ फ़र्मा लें। चुनाँचे उन्होंने ये ज़मानत क़ुबूल की और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से इस वाक़िये की तस्दीक़ चाही। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इससे ह़ाज़िर ज़मानत को ष़ाबित फ़र्माया है।

बाब 2 : अल्लाह तआ़ला का (सूरह निसा में) ये इर्शाद कि, जिन लोगों से तुमने क़सम ख़ाकर अ़हद किया है, उनका ह़िस़्सा उनको अदा करो

٢- بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ﴾

2292. हमसे स़ुल्त बिन मुह़म्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे इदरीस ने, उनसे त़लह़ा बिन मुस़र्रफ़ ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि (क़ुर्आन मजीद की आयत) व लिकुल्लि जअ़लना मवालिया के बारे में इब्ने अ़ब्बास ने फ़र्माया कि (मवालिया के मा'नी) वरषा के हैं और वल्लज़ीन आ़क़दत् अयमानुकुम (का

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قَالَ: وَرَثَةً ﴿وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ

क़िस्सा ये है कि) मुहाजिरीन जब मदीना आए तो मुहाजिर अंसार का तरका पाते थे और अंसार के नातेदारों को कुछ न मिलता। उस भाईपने की वजह से जो नबी करीम (ﷺ) की क़ायम की हुई थी। फिर जब आयत व लिकुल्लि जअलना मवालिया नाज़िल हुई तो पहली आयत वल्लज़ीन आक़दत् अयमानुकुम मन्सूख़ हो गई। सिवा इम्दाद, तआवुन और ख़ैरख़्वाही के। अल्बत्ता मीराष़ का हुक्म (जो अंसार व मुहाजिरीन के बीच भाईचारगी की वजह से था) वो मन्सूख़ हो गया और वसिय्यत जितनी चाहे की जा सकती है। (जैसी और शख़्सों के लिये भी हो सकती है। तिहाई तरके में से वसिय्यत की जा सकती है जिसका निफ़ाज़ किया जाएगा)

(दीगर मक़ाम : 4580, 6747)

أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ : يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتْ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ - وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ - وَيُوصِي لَهُ)).

[طرفاه في: ٤٥٨٠، ٦٧٤٧].

तश्रीह : या'नी मौलल मवालात से अरब लोगों में दस्तूर था किसी से बहुत दोस्ती हो जाती तो उससे मुआहिदा करते और कहते कि तेरा ख़ून हमारा ख़ून है और तू जिससे लड़े हम उससे लड़ें, तू जिससे सुलह करे हम उससे सुलह करे। तू हमारा वारिष़ हम तेरे वारिष़, तेरा क़र्ज़ा हमसे लिया जाएगा हमारा क़र्ज़ा तुझसे, तेरी तरफ़ से हम दियत दें तू हमारी तरफ़ से।

इस्लाम के शुरू ज़माने में ऐसे शख़्स को तरके का छठा (हिस्सा) मिलने का हुक्म था। फिर ये हुक्म इस आयत से मन्सूख़ हो गया, **व उलुल् अरहामि बअ़ज़ुहुम औला बिबअ़ज़िन् फ़ी किताबिल्लाह** (अल् अन्फ़ाल :75) इब्ने मुनीर ने कहा किफ़ालत के बाब में इमाम बुख़ारी रह) इसको इसलिये लाए कि जब हलफ़ से जो एक अक़्द था, इस्लाम के शुरू ज़माने में तरक़े का इस्तेहक़ाक़ (जाइज़ हक़) पैदा हो गया तो किफ़ालत करने से भी माल की ज़िम्मेदारी कफ़ील पर पैदा होगी क्योंकि वो भी एक अक़्द है।

अरबों में जाहिली दस्तूर था कि बिला हक़ व नाहक़ देखे किसी अहम मौक़े पर महज़ क़बाइली अस्बियत (जातिवाद) के तहत क़सम खा बैठते कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। ख़्वाह हक़ होता या नाहक़, उसी को हलफ़े जाहिलियत कहा गया और बतलाया कि इस्लाम में ऐसी ग़लत क़िस्म की क़समों को कोई मुक़ाम नहीं। इस्लाम सरासर अदल की तरग़ीब दिलाता है। क़ुर्आन मजीद में फ़र्माया, **वला यज्रिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलू हुव अक़्रबू लित्तक़्वा** (अल् माइदः : 8) महज़ क़ौमी अस्बियत की बिना पर हर्गिज़ ज़ुल्म पर कमर न बाँधो, इंसाफ़ करो कि तक़्वा से इंसाफ़ ही क़रीब है।

क़ालत्तबरी मा इस्तदल्ल बिही अनस अला इष़्बातिल हल्फ़ि ला युनाफ़ी हदीष़ु जुबैरिब्नि मुत़इम फ़ी नफ़्यिही फ़इन्नल इख़ाअल मज़्कूर कान फ़ी अव्वलिल हिज्रति व कानू यतवारष़ून बिही षुम्म नुसिख़ मिन ज़ालिकल मीराष़ व बक़िय मा लम युब्तिल्हुल क़ुर्आनु व हुवत्तआवुनु अलल्हक़्क़ि वन्नस्रि वल्अख़्ज़ि अला यदिज़्ज़ालिमि कमा क़ाल इब्नु अब्बास इल्लन्नस्र वन्नसीहा वर्रिफ़ादा व यूसा लहू व क़द ज़हबल्मीराष़. (फ़त्ह)

या'नी त़बरी ने कहा कि इष़्बाते हलफ़ के लिये ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने जो इस्तिदलाल किया वो जुबैर बिन मुत़इम की नफ़ी के ख़िलाफ़ नहीं है। इख़ाअ मज़्कूर या'नी इस क़िस्म का भाईचारा शुरू हिज्रत में क़ायम किया गया था। वो आपस में एक–दूसरे के वारिष़ भी हुआ करते थे। बाद में मीराष़ को मन्सूख़ कर दिया गया और वो चीज़ अपनी ह़ालत पर बाक़ी रह गई जिसको क़ुर्आन मजीद ने बातिल क़रार नहीं दिया और आपसी हक़ पर तआवुन और इमदाद करना और ज़ालिम के हाथ पकड़ना है। जैसा कि ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मीराष़ तो चली गई मगर एक–दूसरे की मदद करना और आपस में एक–दूसरे की ख़ैर–ख़्वाही करना ये चीज़ें बाक़ी रह गई हैं बल्कि अपने भाईयों के लिये वसिय्यत भी की जा सकती है।

वाक़िया मुवाख़ाते इस्लामी तारीख़ का एक शानदार बाब है। मुहाजिर जो अपने घर-बार वत़न छोड़कर मदीना शरीफ़

चले आए थे उनकी दिलजोई बहुत ज़रूरी थी। इसीलिये आँहज़रत (ﷺ) ने मदीना के निवासी अंसारियों में इनको तक़्सीम कर दिया। अंसारी भाइयों ने जिस ख़ुलूस और रिफ़ाक़त का षुबूत दिया उसकी मिषाल इतिहास में मिलनी नामुम्किन है। आख़िर यही मुहाजिर मदीना की ज़िन्दगी में घुल-मिल गए और अपने पैरों पर खड़े होकर ख़ुद अंसार के लिये बाइ़षे तक़्वियत हो गए। रजियल्लाहु अ़न्हुम अज्मईन।

आज मदीना त़य्यिबा ही में बैठकर अंसारे मदीना और मुहाजिरीन किराम (रज़ि.) का ये ज़िक्रे ख़ैर लिखते हुए दिल पर एक रिक़्क़तआमेज़ (भीगा-भीगा सा) अषर महसूस कर रहा हूँ। वाकिया ये है कि अंसार व मुहाजिर क़स्रे इस्लाम के दो अहमतरीन सतून हैं जिन पर इस अ़ज़ीम क़स्र की ता'मीर हुई है। आज भी मदीना की फ़िज़ा उन बुज़ुर्गों के छोड़े हुए ताष़ीरात से भरपूर नज़र आ रही है। मस्जिदे नबवी ह़रमे नबवी में मुख़्तलिफ़ ममालिक के लाखों मुसलमान जमा होकर इ़बादते इलाही व स़लातो-सलाम पढ़ते हैं और सब में मुवाख़ात और इस्लामी मुहब्बत की एक अनदेखी सी लहर दौड़ती हुई नज़र आती है। अगर मुसलमान यहाँ से जाने के बाद भी बाहमी मुवाख़ात को हर जगह क़ायम रखें तो दुनिय-ए-इंसानियत के लिये वो एक बेहतरीन नमूना बन सकते हैं। 4 स़फ़र 1390 हिजरी को मुहतरम भाई ह़ाजी अ़ब्दुर्रह़मान सनदी बाबे मजीदी मदीना मुनव्वरा के दौलतकदा पर ये अल्फ़ाज़ नज़रे षानी करते हुए लिखे गए। बुख़ारी शरीफ़ के उर्दू तर्जुमे की इशाअ़त के सिलसिले में ह़ाजी स़ाहब मौसूफ़ की मुजाहिदाना कोशिशों के लिये उम्मीद है कि हर मुत़ालआ़ करने वाला भाई दुआए ख़ैर करेगा।

٢٢٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ.
[راجع: ٢٠٤٩]

2293. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे ह़ुमैद ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि जब अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) हमारे यहाँ आए थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनका भाईचारा सअ़द बिन रबीअ़ा (रज़ि.) से कराया था।

(राजेअ़ : 2049)

٢٢٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ، بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي)).
[طرفاه في : ٦٠٨٣، ٧٣٤٠].

2294. हमसे मुह़म्मद बिन स़बाह़ ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जकरिया ने बयान किया, उनसे आ़स़िम बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस (रज़ि.) से पूछा, क्या आपको ये बात मा'लूम है कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया था, इस्लाम में जाहिलियत वाले (ग़लत़ क़सम के) अ़हदो-पैमान नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने तो ख़ुद अंस़ार और क़ुरैश के बीच मेरे घर में अ़हदो-पैमान कराया था।

(दीगर मक़ाम : 6083, 7340)

तश्रीह़ : मा'लूम हुआ कि अ़हदो-पैमान अगर ह़क़ और इंसाफ़ और अ़दल की बिना पर हो तो वह मज़्मूम नही है बल्कि ज़रूरी है मगर उस अ़हदो-पैमान में सिर्फ़ आपसी मदद व ख़ैरख़्वाही मद्देनज़र होगी और तरके का ऐसे भाईचारे से कोई ता'ल्लुक़ न होगा क्योंकि वो वारिषों का ह़क़ है। ये बात दीगर है कि ऐसे मौक़े पर शरई क़ायदे के मुताबिक़ मरने वाले को वस़िय्यत करने का ह़क़ ह़ासिल है।

٣- بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا

बाब 3 : जो शख़्स़ किसी मय्यत के क़र्ज़ का

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

ज़ामिन बन जाए तो उसके बाद उससे रुजूअ नहीं कर सकता, ह़ज़रत ह़सन बस़री (रह.) ने भी यही फ़र्माया

٢٢٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ : ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)) قَالُوا : لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

[راجع: ٢٢٨٩]

2295. हमसे अबू आ़सिम ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी उ़बैद ने, उनसे सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिये किसी का जनाज़ा आया। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त किया, क्या इस मय्यत पर किसी का क़र्ज़ है? लोगों ने कहा कि नहीं। आपने उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दी। फिर एक और जनाज़ा आया। आपने दरयाफ़्त फ़र्माया, मय्यत पर किसी का क़र्ज़ था? लोगों ने कहा कि हाँ था। ये सुनकर आपने फ़र्माया, कि फिर अपने साथी की तुम ही नमाज़ पढ़ लो, अबू क़तादा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उनका क़र्ज़ मैं अदा कर दूँगा। तब आपने उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई।

(राजेअ़ : 2289)

इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रज़ि.) ने ये निकाला कि ज़ामिन अपनी ज़मानत से रुजूअ (पुनर्विचार) नहीं कर सकता। जब वो मय्यत के क़र्ज़े का ज़ामिन हो क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने सिर्फ़ अबू क़तादा की ज़मानत के सबब उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली। अगर रुजूअ जाइज़ होता तो जब तक अबू क़तादा (रज़ि.) ये क़र्ज़ अदा न करते आप उस पर नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ते।

٢٢٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))، فَلَمْ يَجِيءْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوبَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَو دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ : خُذْ مِثْلَيْهَا.

2296. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने मुह़म्मद बिन अ़ली बाक़िर से सुना, और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया अगर बह़रीन से (जिज़्या का) माल आया तो मैं तुम्हें इस त़रह दोनों लप भर–भरकर दूँगा लेकिन बह़रीन से माल नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात तक नहीं आया फिर जब उसके बाद वहाँ से माल आया तो अबूबक्र (रज़ि.) ने ऐलान करा दिया कि जिससे भी नबी करीम (ﷺ) का कोई वा'दा हो या आप पर किसी का कर्ज़ हो वो हमारे यहाँ आ जाएँ। चुनाँचे मैं ह़ाज़िर हुआ और मैंने अ़र्ज़ किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे ये दो बातें फ़र्माई थीं। जिसे सुनकर ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने मुझे एक लप भरकर दिया। मैंने उसे शुमार किया तो वो पाँच सौ की रक़म थी। फिर फ़र्माया कि इसके दोगुना और ले लो।

(दीगर मक़ाम : 2598, 2683, 3127, 3164, 4383)

[أطرافه في : ٢٥٩٨، ٢٦٨٣، ٣١٢٧، ٣١٦٤، ٤٣٨٣].

सब मिलाकर तीन लप हो गए। आँहज़रत (ﷺ) ने तीन लप भर देने का वादा फ़र्माया था जैसे दूसरी रिवायत में है जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने शहादात में निकाला, उसकी तसरीह है। बाब का मतलब इससे यूँ निकलता है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) जब आँहज़रत (ﷺ) के ख़लीफ़ा और जानशीन हुए तो गोया आपके सब मुआमलात और वा'दों के वो कफ़ील ठहरे और उनको उन वा'दों का पूरा करना लाज़िम हुआ। (क़स्तलानी रह)

बाब 4 : नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को (एक मुश्रिक का) अमान देना और उसके साथ आपका अहद करना

٤- بَابُ جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَقْدِهِ

जो हदीष़ इस बाब में लाए उसकी मुताबक़त इस तरह है कि पनाह देने वाले ने जिसको पनाह दी, गोया उसकी अदमे ईज़ा का मुतकफ़्फ़िल हुआ और उस पर उस किफ़ालत का पूरा करना लाज़िम हुआ। इस हदीष़ से ये निकला कि अदमे ईज़ा दस्ती और लिसानी (हाथ और ज़बान के ज़रिये मदद) की ज़मानत करना दुरुस्त है जैसे हमारे ज़माने में राइज़ (प्रचलित) है। (वहीदी)

2297. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने कि इब्ने शिहाब ने बयान किया, और उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, कि नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतह्हरा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने जबसे होश सम्भाला तो अपने वालदैन को इसी दीने इस्लाम का पैरूकार पाया। और अबू सालेह सुलैमान ने बयान किया कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया। उनसे यूनुस ने, और उनसे ज़ुह्री ने बयान किया कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने जब होश सम्भाला तो अपने वालदैन को दीने इस्लाम का पैरूकार पाया। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों वक़्त तशरीफ़ न लाते हों। फिर जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तो अबूबक्र (रज़ि.) ने भी हिज्रते हब्शा का इरादा किया। जब आप बरकुल गुमाद पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाक़ात क़ारा के सरदार मालिक इब्नुद्दग़िना से हुई। उसने पूछा, अबूबक्र! कहाँ का इरादा है? अबूबक्र (रज़ि.) ने उसका जवाब ये दिया कि मेरी क़ौम ने मुझे निकाल दिया है। और अब तो यही इरादा है कि अल्लाह की ज़मीन में सैर करूँ और अपने रब की इबादत करता रहूँ। इस पर मालिक

٢٢٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: ((لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ)). وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُوبَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَابَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأَنَا أُرِيدُ

أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ. فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ. فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَابَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَابَكْرٍ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ : مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ: ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ. ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا

इब्नुद्दग़िना ने कहा कि आप जैसा इंसान (अपने वतन से) नहीं निकल सकता और न उसे निकाला जा सकता है कि आप तो मुहताजों के लिये कमाते हैं, स़िलारहमी करते हैं। मजबूरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान-नवाज़ी करते हैं और हादस़ों में हक़ बात की मदद करते हैं। आपको मैं अमान देता हूँ आप चलिये और अपने ही शहर में अपने रब की इबादत कीजिए। चुनाँचे इब्नुद्दग़िना अपने साथ अबूबक्र (रज़ि.) को ले आया और मक्का पहुँचकर कुफ़्फ़ारे कुरैश के तमाम अशराफ़ (सरदारों) के पास गया और उनसे कहा कि अबूबक्र जैसा नेक आदमी (अपने वतन से) नहीं निकल सकता और न उसे निकाला जा सकता है। क्या तुम ऐसे शख़्स को भी निकाल दोगे जो मुहताजों के लिये कमाता है और जो स़िलारहमी करता है और जो मजबूरों और कमज़ोरों का बोझ अपने सर पर लेता है और जो मेहमान-नवाज़ी करता है और जो हादस़ों में हक़ बात की मदद करता है। चुनाँचे क़ुरैश ने इब्नुद्दग़िना की अमान को मान लिया। और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को अमान दे दी। फिर इब्नुद्दग़िना से कहा कि अबूबक्र को उसकी ताक़ीद कर देना कि अपने रब की इबादत अपने घर ही में कर लिया करें। वहाँ जिस त़रह चाहें नमाज़ पढ़ें, और क़ुर्आन की तिलावत करें। लेकिन हमें इन चीज़ों की वजह से कोई ईज़ा न दें और न उसका इज़्हार करें। क्योंकि हमें उसका डर है कि कहीं हमारे बच्चे और हमारे औरतें फ़ित्ने में न पड़ जाएँ। इब्नुद्दग़िना ने ये बातें जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को सुनाईं। तो आप अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करने लगे। न नमाज़ में किसी क़िस्म का इज़्हार करते और न अपने घर के सिवा किसी दूसरी जगह तिलावत करते। फिर हज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) ने कुछ दिनों बाद ऐसा किया कि आपने अपने घर के सामने नमाज़ के लिये एक जगह बना ली। अब आप ज़ाहिर होकर वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे और उसी पर तिलावते क़ुर्आन करने लगे। पस फिर क्या था, मुश्रिकीन के बच्चों और उनकी औरतों का मज्मा लगने लगा। सब हैरत और तअ़ज्जुब की निगाहों से उन्हें देखते। अबूबक्र (रज़ि.) बड़े ही रोने वाले थे। जब क़ुर्आन पढ़ने लगते तो आँसुओं पर क़ाबू न रहता। उस स़ूरतेहाल से अकाबिरे मुश्रिकीन क़ुरैश घबराए और सबने इब्नुद्दग़िना का बुला

كُنَّا أَجَرْنَا أَبَابَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لأَبِي بَكْرٍ الإِسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَابَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي؛ فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَدْ أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ)). فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ

भेजा। इब्नुद्दगिना उनके पास आया तो उन सबने कहा कि हमने तो अबूबक्र (रज़ि.) को इसलिये अमान दी थी कि वो अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करेंगे। लेकिन वो तो ज़्यादती पर उतर आए और घर के सामने नमाज़ पढ़ने की एक जगह बना ली है। नमाज़ भी सबके सामने ही पढ़ने लगे हैं और तिलावते क़ुर्आन भी सबके सामने करने लगे हैं। डर हमे अपनी औलाद और औरतों का है कि कहीं वो फ़ित्ने में न पड़ जाएँ। इसलिये अब तुम उनके पास जाओ। अगर वो इस पर तैयार हो जाएँ कि अपने रब की इबादत सिर्फ़ अपने घर के अंदर ही करें, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उन्हें इससे इंकार है तो तुम उनसे कहो कि वो तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दें क्योंकि हमें ये पसन्द नहीं कि तुम्हारी अमान को हम तोड़ें। लेकिन इस तरह उन्हें इज़्हार और ऐलान भी करने नहीं देंगे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि उसके बाद इब्नुद्दगिना हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास आया और कहा कि आपको मा'लूम है वो शर्त जिस पर मेरा आपसे अहद हुआ था अब या आप इस शर्त की हुदूद में रहें या मेरी अमान मुझे वापस कर दें क्योंकि ये मैं पसन्द नहीं करता कि अरब के कानों तक ये बात पहुँचे कि मैंने एक शख़्स को अमान दी थी लेकिन वो अमान तोड़ दी गई। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हारी अमान तुम्हें वापस करता हूँ। मैं तो बस अपने अल्लाह की अमान से ख़ुश हूँ, रसूले करीम (ﷺ) उन दिनों मक्का ही में मौजूद थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे तुम्हारी हिज्रत का मक़ाम दिखलाया गया है। मैंने एक खारी नमकीन ज़मीन देखी है, जहाँ खजूर के बाग़ात हैं और वो दो पथरीले मैदानों के बीच में है। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका इज़्हार फ़र्मा दिया तो जिन मुसलमानों ने हिज्रत करनी चाही वो पहले ही मदीना हिज्रत कर गए। बल्कि कुछ वो सहाबा भी जो हब्शा हिज्रत करके चले गए थे, वो भी मदीना आ गए। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) भी हिज्रत की तैयारियाँ करने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, जल्दी न करो, उम्मीद है कि मुझे भी जल्दी ही इजाज़त मिल जाएगी, हज़रत अबूबक्र

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)). [راجع: ٤٧٦]

(रज़ि.) ने पूछा मेरे माँ–बाप क़ुर्बान हों आप पर! क्या आपको इसकी उम्मीद है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि हाँ ज़रूर! चुनाँचे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) का इंतिज़ार करने लगे, ताकि आपके साथ हिज्रत करें। उनके पास दो ऊँट थे, उन्हें चार महीने तक वो बबूल के पत्ते खिलाते रहे। (राजेअ : 476)

तश्रीह : ये ह़दीष़ हिजरत के वाक़िये से मुता'ल्लिक़ बहुत सी मा'लूमात पर मुश्तमिल (आधारित) है, नीज़ इससे ह़ज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) का इस्तिक़लाल (मज़बूती, दृढ़ता) और तवक्कल अलल्लाह (अल्लाह पर भरोसा) भी ज़ाहिर होता है। एक वक़्त था कि इसी शहरे मक्का में (जहाँ बैठकर का'बा मुक़द्दस में ये लाइनें लिख रहा हूँ) आँह़ज़रत (ﷺ) और आपके जाँनिष़ारों को इंतिहाई ईज़ाएँ (तकलीफ़ें) दी जा रही थीं। जिनसे मजबूर होकर ह़ज़रत सिद्दीक़े-अकबर (रज़ि.) ये मुक़द्दस शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और हिज्रते ह़ब्शा के इरादे से बरकुल गुमाद नामी एक क़रीबी मुक़ाम मक्का में पहुँचे थे कि आपको क़ारा क़बीले का एक सरदार मालिक बिन दग़िना मिला। क़ारा बनी अह्वन क़बीले की एक शाख़ थी जो तीरंदाज़ी में मशहूर थे। इस क़बीले के सरदार मालिक बिन दग़िना ने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को जब ह़ालते सफ़र में कूच करते देखा, तो फ़ौरन उसके मुँह से निकला कि आप जैसा शरीफ़ आदमी जो ग़रीबपरवर हो, सिलारह़मी करने वाला हो, जो दूसरों का बोझ अपने सर पर उठा लेता हो और जो मेहमान-नवाज़ी में बेनज़ीर ख़ूबियों का मालिक हो, ऐसा नेकतरीन इंसान हर्गिज़ मक्का से नहीं निकल सकता, न वो निकाला जा सकता है। आप मेरी पनाह में होकर वापस मक्का तशरीफ़ ले चलिये और वहीं अपने रब की इबादत कीजिए। चुनाँचे ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) उसके साथ मक्का वापस आ गए और इब्ने दग़िना ने मक्का में ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के लिये अमन देने का ऐलाने आम कर दिया जिसे क़ुरैश ने भी मंज़ूर कर लिया। मगर ये शर्त ठहराई कि सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ऐलानिया नमाज़ न पढ़ें, न तिलावते क़ुर्आन फ़र्माएँ, जिसे सुनकर हमारे नौजवान बिगड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ह़ज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने घर के अंदर तंगी मह़सूस फ़र्माकर बाहर दालान में बैठना और क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ना शुरू फ़र्मा दिया। उसी पर कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने शिकवा-शिकायतों का सिलसिला शुरू करके इब्ने दग़िना को वरग़लाया और वो अपनी पनाह वापस लेने पर तैयार हो गया। जिस पर ह़ज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने साफ़ फ़र्मा दिया कि **इन्नी अरूद्दुक इलैक जवारिक व अरज़ा बिजवारिल्लाह** या'नी ऐ इब्ने दग़िना! मैं तुम्हारी पनाह तुमको वापस करता हूँ और अल्लाह पाक की अमान पर राज़ी हूँ। उस वक़्त रसूले करीम (ﷺ) मक्का शरीफ़ ही में मौजूद थे, आपने ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) से मुलाक़ात फ़र्माई तो बतलाया कि जल्दी ही हिज्रत का वाक़िया सामने आने वाला है और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिज्रत का मुक़ाम भी दिखला दिया है। जिससे आप (ﷺ) की मुराद मदीना त़य्यिबा से थी। इस बशारत को सुनकर सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने अपनी ऊँटनियों को सफ़र के लिये तैयार करने के ख़्याल से बबूल के पत्ते बकष़रत खिलाने शुरू कर दिये। ताकि वो तेज़ रफ़्तारी से हिज्रत के वक़्त सफ़र करने के लिये तैयार हो जाएँ। आप चार माह तक लगातार उन सवारियों को सफ़रे हिज्रत के लिये तैयार करते रहे यहाँ तक कि हिज्रत का वक़्त आ गया।

इस ह़दीष़ से बाब की मुताबक़त यूँ है कि इब्ने दग़िना ने गोया अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की ज़मानत की थी, कि उनको माली और बदनी ईज़ा (आर्थिक व शारीरिक तकलीफ़) न पहुँचे। ह़ाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **वल्ग़रज़ु मिन हाज़ल्हदीष़ि हुना रिज़ा अबी बक्र बिजवारि इब्निद्दग़िना व तक़रीरुन्नबिय्यि (ﷺ) लहू अला ज़ालिक व वज्हु दुख़ूलिही फ़िल्किफ़ालति अन्नहू लाइकुन बिकिफ़ालतिल अब्दानि लिअन्नल्लज़ी अजारहू कअन्नहू तकफ़्फ़ल बिनफ़्सिल्मजारि अल्ला युज़ामु कालहु इब्नुल मुनीर** (फ़त्ह) या'नी यहाँ इस ह़दीष़ के दर्ज करने से ग़र्ज़ ये है कि ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) इब्ने दग़िना की पड़ौस और उसकी पनाह देने पर राज़ी हो गए। और आँह़ज़रत (ﷺ) ने भी इसको ष़ाबित रखा। और इस ह़दीष़ को बाबुल किफ़ाला में दाख़िल करने की वजह ये है कि इससे अब्दान का किफ़ालत में देना जाइज़ ष़ाबित हुआ। गोया जिसने उनको पनाह दी वो उनकी जान के कफ़ील बन गए कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी।

अल्लाह की शान एक वो वक़्त था और एक वक़्त आज है कि मक्का मुअज़्ज़मा एक अज़ीम इस्लामी मर्कज़ की हैषियत में दुनिय–ए–इस्लाम के सत्तर करोड़ (आज 2011 के दौर में 150 करोड़) इंसानों का क़िब्ला व का'बा बना हुआ है। जहाँ हर साल बर तक़रीबे हज्ज 20–25 लाख (आज के दौर में 45-50 लाख) मुसलमान जमा होकर सदाक़ते इस्लाम का ऐलान करते हैं। **अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदहू व नसर अब्दहू व हज़मल्अहज़ाब वहदुहू फ़ला शैअ बअदहू**

आज 22 ज़िलहिज्ज 1389 हिजरी को बाद मग़रिब मुताफ़े मुक़द्दस में बैठकर ये नोट क़लम के हवाले किया गया। **रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अन्तस्समीउल अलीम।**

बाब 5 : क़र्ज़ का बयान

2298. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) के पास जब किसी ऐसी मय्यत को लाया जाता जिस पर किसी का क़र्ज़ होता तो आप (ﷺ) फ़र्माते कि क्या उसने अपने क़र्ज़ के अदा करने के लिये भी कुछ छोड़ा है? फिर अगर कोई आपको बता देता कि हाँ इतना माल है जिससे क़र्ज़ अदा हो सकता है तो आप (ﷺ) उसकी नमाज़ पढ़ाते, वरना आप (ﷺ) मुसलमानों ही से फ़र्मा देते कि अपने साथी की नमाज़ पढ़ लो। फिर जब अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) पर फ़तह के दरवाज़े खोल दिये तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं मुसलमानों का ख़ुद उनकी ज़ात से भी ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ। इसलिये अब जो भी मुसलमान वफ़ात पा जाए और वो मक़रूज़ रहा हो तो उसका क़र्ज़ अदा करना मेरे ज़िम्मे है। और जो मुसलमान माल छोड़कर जाए वो उसके वारिषों का हक़ है।

(दीगर मक़ाम : 2398, 2399, 4781, 5371, 6731, 6745, 6763)

٥- بَابُ الدَّيْنِ

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ)).

[أطرافه في: ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٤٧٨١، ٥٣٧١، ٦٧٣١، ٦٧٤٥، ٦٧٦٣].

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि क़र्ज़दार होना बुरी बला है। आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी वजह से नमाज़ नहीं पढ़ाई, इसीलिये क़र्ज़ से हमेशा बचने की दुआ करना ज़रूरी है। अगर मजबूरन् क़र्ज़ लेना पड़े तो उसकी अदायगी की कामिल निय्यत रखनी चाहिये, इस तरह अल्लाह पाक भी उसकी मदद करेगा और अगर दिल में बेईमानी हो तो फिर अल्लाह भी ऐसे ज़ालिमों की मदद नहीं करता।

40. किताबुल वकाल:

किताब वकालत के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

लुग़त में वकालत के मा'नी सुपुर्द करना और शरीअ़त में वकालत उसको कहते हैं कि आदमी अपना कोई काम किसी के सुपुर्द कर दे बशर्ते कि उस काम में नियाबत और क़ायम मुक़ामी हो सकती हो। आज यौमे आ़शूरा को का'बा शरीफ़ में बवक़्ते तहज्जुद ये नोट लिखा गया।

बाब 1 : तक़्सीम वग़ैरह के काम में एक साझी का अपने दूसरे साझी को वकील बना देना

١ - بَابُ وَكَالَةِ الشَّرِيْكِ الشَّرِيْكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

और नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को अपनी क़ुर्बानी के जानवर में शरीक कर लिया फिर उन्हें हुक्म दिया कि फ़क़ीरों को बांट दें।

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا

2299. हमसे क़बीस़ा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान स़ौरी ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी नुजैह ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन अबी लैला ने और उनसे अ़ली (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया था कि उन क़ुर्बानी के जानवरों के झोल और उनके चमड़े को मैं ख़ैरात कर दूँ जिन्हें क़ुर्बानी किया गया था।
(राजेअ़ : 1707)

٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا)). [راجع: ١٧٠٧]

इस रिवायत में अगरचे शिर्कत का ज़िक्र नहीं, मगर ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने जाबिर (रज़ि.) की रिवायत की त़रफ़ इशारा किया जिसको किताबुश्शिर्कत में निकाला है। उसमें साफ़ यूँ है कि आप (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को क़ुर्बानी में शरीक कर लिया था। गोया आँह़ज़रत ने उन कामों के लिये ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को दलील बनाया। उसी से वकालत का जवाज़ स़ाबित हुआ जो कि बाब का मक़्सद है।

2300. हमसे अ़म्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे लैस़ ने बयान किया, उनसे यज़ीद ने, उनसे अबुल ख़ैर ने, और उनसे उ़क़्बा बिन आ़मिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने कुछ

٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ. فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ضَحِّ أَنْتَ)).

[أطرافه في : ٢٥٠٠، ٥٥٤٧، ٥٥٥٥].

बकरियाँ उनके हवाले की थीं ताकि सहाबा (रज़ि.) में उनको तक़्सीम कर दें। एक बकरी का बच्चा बाक़ी रह गया। जब उसका ज़िक्र उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से किया, तो आपने फ़र्माया कि इसकी तू क़ुर्बानी कर ले।

(दीगर मक़ाम : 2500, 5547, 5555)

इससे भी वकालत षाबित हुई और ये भी कि वकील के लिये ज़रूरी है कि कोई बात समझ में न आ सके तो उसकी अपने मुवक्किल से तहक़ीक़ कर ले।

١- بَابُ إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ - أَوْ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ - جَازَ

बाब 1 : अगर कोई मुसलमान दारुल हरब या दारुस्सलाम में किसी हर्बी काफ़िर को अपना वकील बना ले तो जाइज़ है

٢٣٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ ((الرَّحْمَنَ)) قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ (عَبْدَ عَمْرٍو). فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلاَلٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا

2301. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे यूसुफ़ बिन माजिशून ने बयान किया, उनसे स़ालेह बिन इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने, उनसे उनके बाप ने, और स़ालेह के दादा अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने उमय्या बिन ख़लफ़ से ये मुआ़हिदा अपने और उसके दरम्यान लिखवाया कि वो मेरे बाल—बच्चों या मेरी जायदाद की जो मक्का में है, हिफ़ाज़त करे और मैं उसकी जायदाद की जो मदीना में है, हिफ़ाज़त करूँ। जब मैंने अपना नाम लिखते वक़्त रहमान का ज़िक्र किया तो उसने कहा कि मैं रहमान को क्या जानूँ। तुम अपना वही नाम लिखवाओ जो ज़माना जाहिलियत में था। चुनाँचे मैंने अ़ब्दे अ़म्र लिखवाया। बद्र की लड़ाई के मौक़े पर मैं एक पहाड़ की त़रफ़ गया, ताकि लोगों से आँख बचाकर उसकी हिफ़ाज़त कर सकूँ, लेकिन बिलाल (रज़ि.) ने देख लिया और फ़ौरन ही अंस़ार की एक मज्लिस में आए। उन्होंने मज्लिस वालों से कहा कि ये देखो उमय्या बिन ख़लफ़ (काफ़िर दुश्मने इस्लाम) इधर मौजूद है। अगर उमय्या काफ़िर बच निकला तो मेरी नाकामी होगी। चुनाँचे उनके साथ अंस़ार की एक जमाअ़त हमारे पीछे हुई। जब मुझे डर हुआ कि अब ये लोग हमें पकड़ लेंगे, तो मैंने उसके एक लड़के को आगे कर दिया, ताकि उसके साथ (आने वाली

जमाअ़त) मशग़ूल रहे। लेकिन लोगों ने उसे क़त्ल कर दिया और फिर भी वो हमारी ही त़रफ़ बढ़ने लगे। उमय्या बहुत भारी जिस्म का था। आख़िर जब जमाअ़ते अंस़ार ने हमें आ लिया तो मैंने उससे कहा कि ज़मीन पर लेट जा। जब वो ज़मीन पर लेट गया तो मैंने अपना जिस्म उसके ऊपर डाल दिया। ताकि लोगों को रोक सकूँ लेकिन लोगों ने मेरे जिस्म के नीचे से उसके जिस्म पर तलवार की ज़रबात लगाईं (वार किये) और उसे क़त्ल करके ही छोड़ा। एक स़हाबी ने अपनी तलवार से मेरे पांव को भी ज़ख़्मी कर दिया था। अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) उसका निशान अपने क़दम के ऊपर हमें दिखाया करते थे। (दीगर मक़ाम : 3971)

خَشِيْتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبَوا حَتَّى يَتْبَعُونَا – وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلاً – فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ : ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ يُرِيْنَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ)).

[طرفه في : ٣٩٧١].

तशरीह : उसका नाम अ़ली बिन उमय्या था। उसकी मज़ीद शरह़ ग़ज़्व–ए–बद्र के ज़िक्र में आएगी। बाब का तर्जुमा इस ह़दीष़ से यूँ निकला कि उमय्या काफ़िर ह़र्बी था और दारुल ह़र्ब या'नी मक्का में मुक़ीम था। अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि.) मुसलमान थे लेकिन उन्होंने उसको वकील किया और जब दारुल ह़रब में उसको वकील करना जाइज़ हुआ, तो अगर वो अमान लेकर दारुस्सलाम में आए जब भी उसको वकील करना ऊपर बताए गये त़रीक़े से जाइज़ होगा। इब्ने मुंज़िर ने कहा इस पर उ़लमा का इत्तिफ़ाक़ है। किसी का उसमें इख़्तिलाफ़ नहीं कि काफ़िर ह़र्बी मुसलमान को वकील या मुसलमान काफिर ह़र्बी को वकील बनाए, दोनों दुरुस्त हैं।

ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) पहले उसी उमय्या के ग़ुलाम थे। उसने आपको बेइंतिहा तकलीफ़ें दी थीं, ताकि आप इस्लाम से फिर जाएँ। मगर ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) आख़िर तक ष़ाबित क़दम रहे यहाँ तक कि बद्र का मअ़रका (युद्ध) हुआ। जिसमें ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने उस मलऊ़न को देखकर अंस़ार को बुलाया। ताकि उनकी मदद से उसे क़त्ल किया जाए, मगर चूँकि ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) की और उस मल्ऊ़न उमय्या की आपसी ख़त़ो–किताबत थी इसलिये ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने उसे बचाना चाहा और उसके लड़के को अंस़ार की त़रफ़ धकेल दिया। ताकि अंस़ार उसी के साथ मशग़ूल रहें। मगर अंस़ार ने उस लड़के को क़त्ल करके उमय्या पर ह़मलावर होना चाहा कि ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि.) उसके ऊपर लेट गए। ताकि इस त़रह़ उसे बचा सकें मगर अंस़ार ने उसे आख़िर क़त्ल कर ही दिया और उस झड़प में ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि.) का पाँव भी ज़ख़्मी हो गया। जिसके निशानात वो बाद में दिखलाया करते थे।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) इस ह़दीष़ पर फ़र्माते हैं, **व वज्हु अख़्ज़ित्तर्जुमति मिन हाज़लहदीष़ि अन्न अ़ब्दर्रहमानिब्नि ऑफ़िन व हुव मुस्लिमुन फ़ी दारिल इस्लामि फ़व्वज़ इला उमय्यतब्नि ख़ल्फ़िन व हुव काफ़िरुन फ़ी दारिल हर्बि मा यतअ़ल्लुक़ु बिउमूरिही वज़्ज़ाहिर इत्तिलाउन्नबिय्यि (ﷺ) व लम युन्किर्हु व क़ाल इब्नुल मुन्ज़िर तौकीलुल मुस्लिमि हरबियन मुस्तामिनन व तौकीलुल हरबियिल्मुस्तामिनि मुस्लिमन ला ख़िलाफ़ फ़ी जवाज़िही** या'नी इस ह़दीष़ से बाब का तर्जुमा इस त़रह़ ष़ाबित हुआ कि अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने जो मुसलमान थे और दारुस्सलाम में थे उन्होंने अपना माल दारुल ह़रब में उमय्या बिन ख़ल्फ़ काफ़िर के ह़वाले कर दिया और ज़ाहिर है कि ये वाक़िया आँह़ज़रत (ﷺ) के इ़ल्म में था। मगर आप (ﷺ) ने उस पर इंकार नहीं फ़र्माया। इसलिये इब्ने मुंज़िर ने कहा है कि मुसलमान का किसी अमानतदार ह़र्बी काफ़िर को वकील बनाना और किसी ह़र्बी काफ़िर का किसी अमानतदार मुसलमान को अपना वकील बनाना, उनके जवाज़ में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है।

बाब 3 : स़र्राफ़ी और माप–तौल में वकील करना

٣– بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ

وَالْمِيْزَانِ. وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

और हज़रत उमर (रज़ि.) और अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) ने सर्राफ़ी में वकील किया था।

सर्राफ़ी बेअे सरिफ़ को कहते हैं। या'नी रुपयों, अशरफ़ियों को बदलना। हज़रत उमर (रज़ि.) के अष़र को सईद बिन मंसूर ने और इब्ने उमर (रज़ि.) के अष़र को भी उन्होंने वस्ल (मिलान) किया है। हाफ़िज़ ने कहा इसकी इस्नाद सहीह है।

٢٣٠٢، ٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ: ((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ ((لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وَقَالَ فِي الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ)).

[راجع: ٢٢٠١، ٢٢٠٢]

2302,03. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुल मजीद बिन सहल बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने, उन्हें सईद बिन मुसय्यिब ने और उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को ख़ैबर का तहसीलदार बनाया। वो उम्दा क़िस्म की खजूर लाए तो आपने उनसे दरयाफ़्त किया कि क्या ख़ैबर की तमाम खजूरें इसी क़िस्म की हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की एक साअ खजूर (इससे घटिया क़िस्म की) दो साअ खजूर के बदल में और दो साअ, तीन साअ के बदले में ख़रीदते हैं। आपने उन्हें हिदायत फ़र्माई कि ऐसा न किया कर, अल्बत्ता घटिया खजूरों को पैसों के बदले बेचकर उनसे अच्छी क़िस्म की खजूर ख़रीद सकते हो और तौले जाने की चीज़ों में भी आपने यही हुक्म फ़र्माया।

(राजेअ: 2201, 2202)

हाफ़िज़ ने कहा कि ख़ैबर पर जिसको आमिल मुक़र्रर किया गया था उसका नाम सुवाद बिन ग़ज़िया था। मा'लूम हुआ कि कोई जिंस ख़्वाह घटिया ही क्यूँ न हो वज़न में उसे बढ़िया के बराबर ही वज़न करना होगा। वरना वो घटिया चीज़ अलग बेचकर उसके पैसों से बढ़िया जिंस ख़रीद ली जाए।

٤- بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيْلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

बाब 4 : चराने वाले ने या किसी वकील ने किसी बकरी को मरते हुए या किसी चीज़ को ख़राब होते देखकर (बकरी को) ज़िब्ह कर दिया या जिस चीज़ के ख़राब हो जाने का डर था उसे ठीक कर दिया, इस बारे में क्या हुक्म है?

तश्रीह : इब्ने मुनीर ने कहा इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ इस बाब से ये नहीं है कि वो बकरी हलाल होगी या हराम बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसी सूरत में चरवाहे पर ज़िमान न होगा, इसी तरह वकील पर और ये मतलब इस बाब की हदीष़ से निकलता है कि कअब बिन मालिक (रज़ि.) ने उस लौण्डी से मुवाख़ज़ा नहीं किया बल्कि उसका गोश्त खाने में तरद्दुद किया, मगर बाद में रसूले करीम (ﷺ) से पूछकर वो गोश्त खाया गया।

2304. हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने मुअ़तमिर से सुना, उन्होंने कहा कि हमको उ़बैदुल्लाह ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, उन्होंने इब्ने कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, वो अपने वालिद से बयान करते थे कि उनके पास बकरियों का एक रेवड़ था। जो सल्आ पहाड़ी पर चरने जाता था (उन्होंने बयान किया कि) हमारी एक बाँदी ने हमारे ही रेवड़ की एक बकरी को (जबकि वो चर रही थी) देखा कि मरने के क़रीब है। उसने एक पत्थर तोड़कर उससे उस बकरी को ज़िब्ह कर दिया। उन्होंने अपने घरवालों से कहा कि जब तक मैं नबी करीम (ﷺ) से इसके बारे में पूछ न लूँ उसका गोश्त न खाना। या (यूँ कहा कि) जब तक मैं किसी को नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में उसके बारे में पूछने के लिये न भेजूँ, चुनाँचे उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से उसके बारे में पूछा, या किसी को (पूछने के लिये) भेजा और नबी करीम (ﷺ) ने उसका गोश्त खाने के लिये हुक्म फ़र्माया। उ़बैदुल्लाह ने कहा कि मुझे ये बात अ़जीब मा'लूम हुई कि बाँदी (औ़रत) होने के बावजूद उसने ज़िब्ह कर दिया। इस रिवायत की मुताबअ़त अ़ब्दह ने उ़बैदुल्लाह के वास्ते से की है। (दीगर मक़ाम : 5501, 5502, 5504)

٢٣٠٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا. فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ- أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ - وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ - أَوْ أَرْسَلَ - فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا)). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.

[أطرافه في: ٥٥٠١، ٥٥٠٢، ٥٥٠٤].

तश्रीह : सनद में नाफ़ेअ़ की समाअ़त इब्ने कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) से मज़्कूर है। मज़ी ने अतराफ़ में लिखा है कि इब्ने कअ़ब से मुराद अ़ब्दुल्लाह हैं। लेकिन इब्ने वहब ने इस ह़दीष़ को उसामा बिन ज़ैद से रिवायत किया। उन्होंने इब्ने शिहाब से उन्होंने अ़ब्दुर्रह़मान बिन कअ़ब बिन मालिक से। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि ज़ाहिर ये है कि वो अ़ब्दुर्रह़मान हैं।

इस ह़दीष़ से अनेक मसाइल का षुबूत मिलता है कि बवक़्ते ज़रूरत मुसलमान औ़रत का ज़बीह़ा भी ह़लाल है और औ़रत अगर बांदी हो तब भी उसका ज़बीह़ा ह़लाल है और ये भी ष़ाबित हुआ कि चाक़ू, छुरी पास न होने की सूरत में तेज़ धार के पत्थर से भी ज़बीह़ा दुरुस्त है। ये भी ष़ाबित हुआ कि कोई ह़लाल जानवर अगर अचानक किसी ह़ादष़े का शिकार हो जाए तो मरने से पहले उसका ज़िब्ह़ करना ही बेहतर है। ये भी ष़ाबित हुआ कि किसी मसले की तह़क़ीक़े मज़ीद कर लेना बहरह़ाल बेहतर है। ये भी ज़ाहिर हुआ कि रेवड़ की बकरियाँ सल्आ पहाड़ी पर चराने के लिये एक औ़रत (बांदी) भेजी जाया करती थी जिससे बवक़्ते ज़रूरत जंगलों में पर्दा और अदब के साथ औ़रतों का जाना भी ष़ाबित हुआ। उ़बैदुल्लाह के क़ौल से मा'लूम हुआ कि उस दौर में भी बांदी औ़रत के ज़बीह़े पर इज़्हारे तअ़ज्जुब किया जाया करता था क्योंकि दस्तूरे आ़म हर ज़माने में मर्दों ही के हाथ से ज़िब्ह़ करना है। सल्अ पहाड़ी मदीना त़य्यिबा के मुत्तस़िल दूर तक फैली हुई है। अभी अभी मस्जिदे फ़त्ह़ व बीरे उ़ष़्मान (रज़ि.) वग़ैरह पर जाना हुआ तो हमारी मोटर सल्अ पहाड़ी ही के दामन से गुज़र रही थी। अल्ह़म्दुलिल्लाह कि उसने मह़ज़ अपने फ़ज़्लो-करम के स़दक़ा में उ़म्र के इस आख़िरी हिस़्से में फिर इन मक़ामाते मुक़द्दसा का देखना नस़ीब फ़र्माया, फ़लहुल् ह़म्दु वश्शुक्र।

बाब 5 : ह़ाज़िर और ग़ायब दोनों को वकील

٥- بَابُ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ

बनाना जाइज़ है

جَائِزَةٌ

और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) ने अपने वकील को जो उनसे ग़ायब था ये लिखा कि छोटे–बड़े उनके तमाम घरवालों की त़रफ़ से वो स़दक़-ए-फ़ित्र् निकाल दें।

وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

तश्रीह : इब्ने बत़्त़ाल ने कहा जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है कि जो शख़्स़ शहर में मौजूद हो और उसको कोई बहाना न हो वो भी वकील कर सकता है। लेकिन ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) से मन्क़ूल है कि बीमारी के उ़ज़्र या सफ़र के उ़ज़्र से ऐसा करना दुरुस्त है या फ़रीक़े मुक़ाबिल (की रज़ामन्दी से और इमाम मालिक रह.) ने कहा उस शख़्स़ को वकील करना दुरुस्त नहीं जिसकी फ़रीक़े मुक़ाबिल से दुश्मनी हो। और त़ह़ावी ने जुम्हूर के क़ौल की ताईद की है और कहा है कि स़ह़ाबा (रज़ि.) ने ह़ाज़िर को वकील करना बिला शर्त़ बिल इत्तिफ़ाक़ जाइज़ रखा है और ग़ायब की वकालत वकील के क़ुबूल पर मौक़ूफ़ रहेगी बिल इत्तिफ़ाक़ और जब क़ुबूल पर मौक़ूफ़ रही तो ह़ाज़िर और ग़ायब दोनों का हुक्म बराबर है। (फ़त्ह़ुल बारी)

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) के अष़र के बारे में ह़ाफ़िज़ ने ये बयान नहीं किया कि इस अष़र को किसने निकाला। लेकिन ये कहा कि मुझको वकील का नाम मा'लूम नहीं हुआ।

2305. हमसे अबू नुऐ़म फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे सलमा बिन कुहैल ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) पर एक शख़्स़ का एक ख़ास़ उ़म्र का ऊँट क़र्ज़ था। वो शख़्स़ तक़ाज़ा करने आया तो आपने (अपने स़ह़ाबा (रज़ि.) से) फ़र्माया कि अदा कर दो। स़ह़ाबा (रज़ि.) ने उस उ़म्र का ऊँट तलाश किया लेकिन नहीं मिला। अल्बत्ता उससे ज़्यादा उ़म्र का (मिल गया) आपने फ़र्माया कि यही उन्हें दे दो। इस पर उस शख़्स़ ने कहा कि आपने मुझे पूरा पूरा ह़क़ दे दिया। अल्लाह तआ़ला आपको भी पूरा बदला दे। फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें सबसे बेहतर वो लोग हैं जो क़र्ज़ वग़ैरह को पूरी त़रह अदा कर देते हैं। (दीगर मक़ाम : 2306, 2390, 2392, 2393, 2401, 2606, 2609)

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ جَمَلٌ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)).

[أطرافه في : ٢٣٠٦، ٢٣٩٠، ٢٣٩٢، ٢٣٩٣، ٢٤٠١، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩].

मुस्तह़ब है कि क़र्ज़ अदा करने वाला क़र्ज़ से बेहतर और ज़्यादा माल क़र्ज़ देने वाले को अदा करे, ताकि उसके एह़सान का बदला हो क्योंकि उसने क़र्ज़े ह़स्ना दिया। और बिला शर्त़ जो ज़्यादा दिया जा रहा है वो सूद नहीं है बल्कि वो **हल जज़ाउल् इह़्सानि इल्लल इह़्सान** (अर् रह़मान : 60) के तह़त है।

बाब 6 : क़र्ज़ अदा करने के लिये किसी को वकील करना

٦- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

2306. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे सलमा बिन कुहैल ने बयान किया,

٢٣٠٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ:

उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से सुना और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) से (अपने क़र्ज़ का) तक़ाज़ा करने आया और सख़्त सुस्त कहने लगा। स़हाबा किराम गुस्सा होकर उसकी त़रफ़ बढ़े लेकिन आपने फ़र्माया कि उसे छोड़ दो क्योंकि जिसका किसी पर ह़क़ हो तो वो कहने—सुनने का भी ह़क़ रखता है। फिर आपने फ़र्माया, कि उसके क़र्ज़ वाले जानवर की उ़म्र का एक जानवर उसे दे दो। स़हाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! इससे ज़्यादा उ़म्र का जानवर तो मौजूद है। (लेकिन उस उ़म्र का नहीं) आपने फ़र्माया कि उसे वही दे दो क्योंकि सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों का ह़क़ पूरी त़रह बढ़ा कर दे। (राजेअ़ : 2305)

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لاَ نَجِدُ، إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

तशरीह़ : यहीं से बाब का मत़लब निकलता है क्योंकि आपने जो ह़ाज़िर थे दूसरों को ऊँट देने के लिये वकील किया। और जब ह़ाज़िर को वकील करना जाइज़ हुआ ह़ालाँकि वो ख़ुद काम कर सकता है तो ग़ायब को बत़रीक़े औला वकील करना जाइज़ होगा। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने ऐसा ही फ़र्माया है और अ़ल्लामा ऐनी पर तअ़ज्जुब है कि उन्होंने नाह़क़ ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब पर ए' तिराज़ जमाया कि ह़दीष़ से ग़ायब की वकालत नहीं निकलती, अव्वलियत का तो क्या ज़िक्र है। ह़ालाँकि अव्वलियत की वजह ख़ुद ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब के कलाम में मज़कूर है। ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब ने इंतिक़ाज़ुल् ए' तिराज़ में कहा जिस शख़्स़ के फ़हम का ये ह़ाल हो उसको ए' तिराज़ करना क्या ज़ेब (शोभा) देता है। **नऊज़ुबिल्लाहि मिनत्तअ़स्सुबि व सूइल्फ़हमि** (वह़ीदी)

इस ह़दीष़ से अख़्लाक़े मुह़म्मदी (ﷺ) पर भी रोशनी पड़ती है कि क़र्ज़ख़्वाह की सख़्तगोई का मुत्लक़ अष़र नहीं लिया, बल्कि वक़्त से पहले ही उसका क़र्ज़ अह़सन त़ौर पर अदा करा दिया। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये अख़्लाक़े ह़स्ना अ़त़ा करे। आमीन।

बाब 7 : अगर कोई चीज़ किसी क़ौम के वकील या सिफ़ारिशी को हिबा की जाए तो दुरुस्त है

٧- بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने क़बीला हवाज़िन के वफ़्द से फ़र्माया, जब उन्होंने ग़नीमत का माल वापस करने के लिये कहा था, तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, मेरा ह़िस्सा तुम ले सकते हो।

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَصِيبِي لَكُمْ.

तशरीह़ : ह़ाफ़िज़ ने कहा ये ह़दीष़ का टुकड़ा है जिसको इब्ने इस्ह़ाक़ ने मग़ाज़ी में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) से निकाला है। हवाज़िन क़ीर के एक क़बीले का नाम था। इब्ने मुनीर ने कहा बज़ाहिर ये हिबा उन लोगों के लिये था, जो अपनी क़ौम की त़रफ़ से वकील व सिफ़ारिशी बनकर आए थे। मगर दरह़क़ीक़त सबके लिये हिबा था, जो ह़ाज़िर थे उनके लिये भी और ग़ायब थे उनके लिये भी। ख़त़्त़ाबी ने कहा इससे ये निकलता है कि वकील का इक़रार मुवक्किल पर नाफ़िज़ होगा और इमाम मालिक (रह.) व शाफ़िई (रह.) ने कहा वकील का इक़रार मुवक्किल पर नाफ़िज़ होगा। (वह़ीदी)

इस ह़दीष़ से आँह़ज़रत (ﷺ) के अख़्लाक़े फ़ाज़िला (उच्च चरित्र) और आपकी इंसानपरवरी पर रोशनी पड़ती है कि आपने अज़्राहे मेहरबानी जुम्ला सियासी क़ैदियों को मुआफ़ी देकर सबको आज़ाद फ़र्मा दिया। और इस ह़दीष़ से स़ह़ाबा किराम के ईष़ार और इत़ाअ़ते रसूल (रज़ि.) पर भी रोशनी पड़ती है कि उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) की मर्ज़ी मा' लूम करके ईष़ार

का बेमिषाल नमूना पेश किया कि उस ज़माने में ग़ुलाम क़ैदी बड़ी दौलत समझे जाते थे। मगर आँहज़रत (ﷺ) का इर्शाद पाकर वो सब अपने अपने क़ैदियों को आज़ाद कर देने के लिये आमादा हो गए और दुनियावी नफ़ा–नुक़्सान का ज़र्रा बराबर भी ख़्याल नहीं किया।

हज़रत इमामुद्दुनिया फ़िल हदीष़ का मंशा–ए–बाब ये है कि जब कोई इज्तिमाई मामला दरपेश हो तो इंफ़िरादी बातचीत करने के बजाय इज्तिमाई तौर पर क़ौम के नुमाइन्दे तलब करना और उनसे बातचीत करना मुनासिब है। किसी क़ौम का कोई भी क़वी मसला हो उसे ज़िम्मेदार नुमाइन्दों के ज़रिये उसे हल करना मुनासिब होगा। वो नुमाइन्दे क़ौमी वकील होंगे और क़ौमी अमानत वग़ैरह हो तो वो ऐसे ही नुमाइन्दों के हवाले की जाएगी।

2307,08. हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया, कहा कि मुझको लैष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अक़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया कि उर्वा यक़ीन के साथ बयान करते थे, और उन्हें मरवान बिन हकम और मिस्वर बिन मख़्रमा (रज़ि.) ने ख़बर दी थी कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में (ग़ज़्व–ए–हुनैन के बाद) जब हवाज़िन क़बीले का वफ़द मुसलमान होकर हाज़िर हुआ, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके माल व दौलत और उनके क़ैदी उन्हें वापस कर दिये जाएँ, उस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सबसे ज़्यादा सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। तुम्हें अपने दो मुतालबों मे से सिर्फ़ किसी एक को इख़्तियार करना होगा। या क़ैदी वापस ले लो, या माल ले लो। मैं इस पर ग़ौर करने की वफ़द को मुहलत देता हूँ। चुनाँचे रसूले करीम (ﷺ) ने ताईफ़ से वापसी के बाद उनका (जिअराना में) तक़रीबन दस रात तक इंतिज़ार किया। फिर जब क़बीला हवाज़िन के वकीलों पर ये बात वाज़ेह हुई कि आप उनके मुतालबे का सिर्फ़ एक ही हिस्सा तस्लीम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ अपने उन लोगों को वापस लेना चाहते हैं जो आपकी क़ैद में हैं। उसके बाद रसूले करीम (ﷺ) ने मुसलमानों से ख़िताब किया। पहले अल्लाह तआला की उसकी शान के मुताबिक़ हम्दो–ष़ना की, फिर फ़र्माया, अम्मा बअ़द! ये तुम्हारे भाई तौबा करके मुसलमान होकर तुम्हारे पास आए हैं। इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि उनके क़ैदियों को वापस कर दूँ। अब जो शख़्स अपने ख़ुशी से ऐसा करना चाहे तो उसे कर गुज़रे। और जो शख़्स ये चाहता है कि उसका हिस्सा बाक़ी रहे और हम उसके हिस्से को (क़ीमत की शक्ल में) उस वक़्त वापस कर दें जब अल्लाह

٢٣٠٧، ٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ)) - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِيْنَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ

أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ))، فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا)).

[أطرافه في : ٢٥٣٩، ٢٥٨٤، ٢٦٠٧، ٣١٣١، ٤٣١٨، ٧١٧٦].

[أطرافه في : ٢٥٤٠، ٢٥٨٣، ٢٦٠٨، ٣١٣٢، ٤٣١٩، ٧١٧٧].

तआला (आज के बाद) सबसे पहला माले ग़नीमत कहीं से दिला दे तो उसे भी कर गुज़रना चाहिये। ये सुनकर सब लोग बोल पड़े कि हम बख़ुशी रसूले करीम (ﷺ) की ख़ातिर इनके क़ैदियों को छोड़ने के लिये तैयार हैं। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस तरह हम उसकी तमीज़ नहीं कर सकते कि तुममें से किसने इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है। इसलिये तुम सब (अपने अपने डेरों में) वापस जाओ और वहाँ से तुम्हारे वकील तुम्हारा फ़ैसला हमारे पास लाएँ। चुनाँचे सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने (जो उनके नुमाइन्दे थे) उस सूरतेहाल पर बात की। फिर वो रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको बताया कि सबने बख़ुशी दिल से इजाज़त दे दी है।

(दीगर मक़ाम : 2539, 2540, 2583, 2584, 2607, 2608)

तशरीह : ग़ज़्वए हुनैन फ़तहे मक्का के बाद 8 हिजरी में वाक़ेअ हुआ। क़ुर्आन मजीद में उसका इन लफ़्ज़ों में ज़िक्र है, **व यौम हुनैन इज़् अअजबत्कुम कष्रतुकुम फ़लम् तुग़्नि अन्कुम शैअव् वज़ाक़त अलैकुमुल् अरज़ु बिमा रहुबत षुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन षुम्मा अन्ज़लल्लाहु सकीनतहू अला रसूलिही (इला आख़िरिल आयत)** (अत् तौबा : 25–26)

या'नी हुनैन के दिन भी मैंने तुम्हारी मदद की, जब तुम्हारी कष्रत ने तुमको घमण्ड में डाल दिया था। तुम्हारा घमण्ड तुम्हारे कुछ काम न आया और ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तुम पर तंग कर दी गई और तुम मुँह फेरकर भागने लगे। मगर अल्लाह पाक ने अपने रसूल (ﷺ) के दिल पर अपनी तरफ़ से तस्कीन नाज़िल की और ईमान वालों पर भी, और ऐसा लश्कर नाज़िल किया जिसे तुम नहीं देख रहे थे और काफ़िरों को अल्लाह ने अज़ाब किया और काफ़िरों का यही बदला मुनासिब है।

हुआ ये था कि फ़तहे मक्का के बाद मुसलमानों को ये ख़्याल हो गया था कि अरब में हर तरफ़ इस्लामी परचम (झण्डा) लहरा रहा है अब कौन है जो हमारे मुक़ाबले पर आ सके, उनका ये ग़ुरूर अल्लाह को पसन्द नहीं आया। इधर हुनैन के बहादुर लोग जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे इस्लाम के मुक़ाबले पर आ गए और मैदाने जंग में उन्होंने बेतहाशा तीर बरसाने शुरू किये तो मुसलमानों के क़दम उखड़ गए और वो बड़ी ता'दाद में राहे फ़रार इख़्तियार करने लगे (या'नी भागने लगे)। यहाँ तक कि रसूले करीम (ﷺ) की ज़ुबाने मुबारक से ये इर्शाद हुआ कि **अन्नन नबिय्यु ला कज़िब अनब्नु अब्दिल्मुत्तलिब**, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ जिसमें मुत्लक़ झूठ नहीं है और मैं अब्दुल मुत्तलिब जैसे नामवर बहादुर क़ुरैश का बेटा हूँ, पस मैदान छोड़ना मेरा काम नहीं।

इधर भागने वाले सहाबा को जो आवाज़ दी गई तो वो होश में आए और इस तरह जोश व ख़रोश के साथ रसूले करीम (ﷺ) के झण्डे तले जमा होने को वापस लौटे कि मैदाने जंग का नक़्शा पलट गया और मुसलमान बड़ी शान के साथ कामयाब हुए और साथ में काफ़ी ता'दाद में लौण्डी, गुलाम और माल हासिल करके लाए। बाद में लड़ने वालों में से हवाज़िन क़बीले ने इस्लाम क़ुबूल किया और ये लोग रसूले करीम (ﷺ) के पास अपने माल और लौण्डी गुलाम हासिल करने के लिये हाज़िर हुए और ताईफ़ में आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में शर्फ़े बारयाबी हासिल किया। आपने फ़र्माया, कि दोनों मुतालबात

(माँगों) में से एक पर ग़ौर किया जा सकता है या तो अपने आदमी वापस ले लो या अपने माल ह़ासिल कर लो। आपने उनको जवाब के लिये मुहलत दी। और आप दस रोज़ तक जिअ़राना में उनका इंतिज़ार करते रहे। यही जिअ़राना नामी मुक़ाम है। जहाँ से आप उसी अष्ना में एह़राम बाँधकर ड़मरह के लिये मक्का तशरीफ़ लाए थे। जिअ़राना ह़द्दे ह़रम से बाहर है।

इस बार के ह़ज्ज 1389 हिजरी में इस ह़दीष़ पर पहुँचा तो ख़्याल हुआ कि एक बार जिअ़राना जाकर देखना चाहिये। चुनाँचे जाना हुआ और वहाँ से ड़मरह का एह़राम बाँधकर मक्का शरीफ़ वापसी हुई और ड़मरह करके एह़राम खोल दिया। यहाँ इस मुक़ाम पर अब अ़ज़ीमुश्शान मस्जिद बनी हुई है और पानी वग़ैरह का मा'क़ूल इंतिज़ाम है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके मुतालबे के सिलसिले में अपने ह़िस्से के क़ैदी वापस कर दिये और दूसरे तमाम मुसलमानों से भी वापस करा दिये। इस्लाम की यही शान है कि वो हर ह़ाल में इंसानपरवरी को मुक़द्दम रखता है, आपने ये मामला क़ौम के वकीलों के ज़रिये तै कराया। उसी से मुज्तहिदे मुत़्लक़ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब ष़ाबित हुआ। और ये भी कि इज्तिमाई क़ौमी मुआमलात को ह़ल करने के लिये क़ौम के नुमाइन्दों का होना ज़रूरी है। आजकल की इस्तिलाह़ (परिभाषा) में उनको चौधरी, पंच या मेम्बर कहते हैं। पुराने ज़माने से दुनिया की हर क़ौम में ऐसे इज्तिमाई निज़ाम चले आ रहे हैं कि उनके चौधरी–पंच जो भी फ़ैसला करेंगे वही क़ौमी फ़ैसला माना जाएगा। इस्लाम ऐसी इज्तिमाई तंज़ीमों का ह़ामी है बशर्ते कि मुआमलात ह़क़ व इंसाफ़ के साथ ह़ल किये जाएँ।

बाब 8 : एक शख़्स़ ने किसी दूसरे शख़्स़ को कुछ देने के लिये वकील किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितना दे, और वकील ने लोगों के जाने हुए दस्तूर के मुताबिक़ दे दिया

٨- بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

2309. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे अ़त़ा बिन अबी रिबाह़ और कई लोगों ने एक दूसरे की रिवायत में ज़्यादती के साथ। सब रावियों ने इस ह़दीष़ को जाबिर (रज़ि.) तक नहीं पहुँचाया बल्कि रावी ने उनमें मुरसलन रिवायत किया। वो ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया, मैं रसूले करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र में था और मैं एक सुस्त ऊँट पर सवार था और वो सबसे आख़िर में रहता था। इत्तिफ़ाक़ से नबी करीम (ﷺ) का गुज़र मेरी त़रफ़ से हुआ तो आपने फ़र्माया, ये कौन स़ाह़ब हैं? मैंने अ़र्ज़ किया, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.)! आपने फ़र्माया, क्या बात हुई, (कि इतने पीछे रह गए हो) मैं बोला कि एक निहायत सुस्त रफ़्तार ऊँट पर सवार हूँ। आपने फ़र्माया, तुम्हारे पास कोई छड़ी भी है? मैंने कहा कि जी हाँ है। आपने फ़र्माया कि वो मुझे दे दे। मैंने आपकी ख़िदमत में वो पेश कर दी

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ - يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ، رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ : ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ. قَالَ: ((أَمعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطِنِيهِ))، فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ.

قَالَ: ((بِعْنِيهِ))، فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)). فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: ((فَذَلِكَ)). فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ)). [راجع: ٤٤٣]

आपने उस छड़ी से ऊँट को जो मारा और डांटा तो उसके बाद वो सबसे आगे रहने लगा। आँहज़रत (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, कि ये ऊँट मुझे फ़रोख़्त कर दो। मैंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो आप (ﷺ) ही का है, लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझ फ़रोख़्त कर दो। ये भी फ़र्माया कि चार दीनार में इसे मैं ख़रीदता हूँ वैसे तुम मदीना तक उसी पर सवार होकर चल सकते हो। फिर जब मदीना के क़रीब हम पहुँचे तो मैं (दूसरी त़रफ़) जाने लगा। आपने दरयाफ़्त फ़र्माया कि कहाँ जा रहे हो? मैंने अ़र्ज़ किया कि मैंने एक बेवा औ़रत से शादी कर ली है आपने फ़र्माया कि किसी बाकिरा (कुँआरी) से क्यूँ न की कि तुम भी उससे खेलते और वो भी तुम्हारे साथ खेलती। मैंने अ़र्ज़ किया कि वालिद शहादत पा चुके हैं और घर में कई बहनें हैं। इसलिये मैंने सोचा कि किसी ऐसी ख़ातून से शादी कर लूँ जो बेवा और तजुर्बेकार हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर तो ठीक है। फिर मदीना पहुँचने के बाद आपने फ़र्माया कि बिलाल! उनकी क़ीमत अदा कर दो और कुछ बढ़ा कर दे दो। चुनाँचे उन्होंने चार दीनार भी दिये, और एक क़ीरात़ ज़्यादा भी दिया। जाबिर (रज़ि.) कहा करते थे कि नबी करीम (ﷺ) का ये इन्आ़म मैं अपने से कभी जुदा नहीं करता, चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) का वो क़ीरात़ जाबिर (रज़ि.) हमेशा अपनी थैली में महफ़ूज़ रखा करते थे। (राजेअ : 443)

तश्रीह : बाब का तर्जुमा इससे निकलता है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को साफ़ ये नहीं फ़र्माया कि इतना ज़्यादा दे दो। मगर हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अपनी राय से ज़माने के रिवाज के मुताबिक़ एक क़ीरात़ झुकता हुआ सोना ज़्यादा दिया। अल्फ़ाज़ **फ़लम यकुनिल्क़ीरातु युफ़ारिक़ु जिराब जाबिरिब्नि अ़ब्दिल्लाहि** जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह का त़र्जुमा कुछ ने यूँ किया कि उनकी तलवार की न्याम में रहता। इमाम मुस्लिम की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि जब हर्रा के दिन यज़ीद की त़रफ़ से शाम वालों का बलवा मदीना पर हुआ तो उन्होंने ये सोना हज़रत जाबिर (रज़ि.) से छीन लिया था।

हज़रत जाबिर (रज़ि.) के इस अ़मल से ये भी ष़ाबित हुआ कि कोई अपने किसी बुज़ुर्ग के अ़तिये (तोहफ़े) को या उसकी और किसी ह़क़ीक़ी यादगार को तारीख़ी त़ौर पर अपने पास महफ़ूज़ रखे तो कोई गुनाह नहीं है।

इस ह़दीष़ से आयते क़ुर्आनी **लक़द जाअकुम रसूलुम्मिन अन्फ़ुसिकुम अ़ज़ीज़ुन अ़लैहि मा अनित्तुम** की तफ़्सीर भी समझ में आई कि रसूले करीम (ﷺ) किसी मुसलमान की छोटी से छोटी तकलीफ़ को भी देखना गवारा नहीं फ़र्माते थे। आपने हज़रत जाबिर (रज़ि.) को जब देखा कि वो उस सुस्त ऊँट की वजह से तकलीफ़ मह़सूस कर रहे हैं तो आपको ख़ुद उसका एह़सास हुआ और आपने अल्लाह का नाम लेकर ऊँट पर जो छड़ी मारी उससे वो ऊँट तेज़ रफ़्तार हो गया। और हज़रत जाबिर (रज़ि.) की और ज़्यादा दिलजोई के लिये आपने उसे ख़रीद भी लिया और मदीना तक उस पर सवारी की इजाज़त भी मरह़मत फ़र्माई। आपने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से शादी की बाबत भी गुफ़्तगू फ़र्माई। मा'लूम हुआ कि इस क़िस्म की गुफ़्तगू मअ़यूब (बुरी) नहीं है। हज़रत जाबिर (रज़ि.) के बारे में भी मा'लूम हुआ कि ता'लीम व तर्बियते मुह़म्मदी (ﷺ) ने उनके

अख़्लाक़ को किस क़दर बुलन्दी बख़्श दी थी कि महज़ बहनों की ख़िदमत की ख़ातिर उन्होंने बेवा औरत से शादी को तरजीह दी और बाकिरा (कुँआरी) को पसन्द नहीं फ़र्माया जबकि आम जवानों का प्राकृतिक रूझान ऐसा नहीं होता है। ह़दीष़ और बाब में मुताबक़त ऊपर बयान की जा चुकी है।

मुस्लिम शरीफ़ किताबुल बुयूअ में ये ह़दीष़ मजीद तफ़्सीलात के साथ मौजूद है जिस पर अल्लामा नववी (रह.) फ़र्माते हैं, **फ़ीहि ह़दीषु जाबिर व हुव ह़दीषुन मश्हूरून इहतज्ज बिही अहमद व मन वाफ़क़हू फ़ी जवाज़ि बैइद्दाब्बति व यश्तरितुल बाइउ लिनफ़्सिही रूकूबहा** या'नी बयान की गई ह़दीष़ के बारे में जाबिर के साथ इमाम अह़मद (रह.) कहते हैं कि ये जवाज़ (औचित्य) उस वक़्त है जबकि मसाफ़त (दूरी) क़रीब हो और ये ह़दीष़ इसी मा'नी पर मह़मूल (इसी अर्थ पर आधारित) है।

इसी ह़दीष़ जाबिर के ज़ेल अल्लामा नववी दूसरी जगह फ़र्माते हैं, **व इअलम अन्न फ़ी ह़दीष़ि जाबिरिन हाज़ा फ़वाइदु कष़ीरतुन इहदाहा हाज़िहिल मुअजज़तुज़्ज़ाहिरतु लिरसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़ी इम्बिआष़ि जमलि जाबिरिन व इस्राइही बअद इअयाइही अष़्षानियतु जवाज़ु तलबिल्बैइ लिमल्लम यअरिज़ सिल्अतन लिल्बैइ अष़्षालिष़तु जवाज़ुल मुमाकसति फ़िल्बैइ अर्राबिअतु इस्तिहबाबु सुवालिर्रजुलिल कबीर अस्हाबहू अन अहवालिहिम वल इशारतु अलैहिम बिमस़ालिहिम अल्ख़ामिसतु इस्तिहबाबु निकाहिल्बिक्रि अस्सादिसतु इस्तिहबाबु मुलाअबतिज़्ज़ौजैनि अस्साबिअतु फ़ज़ीलतु जाबिरिन फ़ी अन्नहू तरक हज्ज नफ़्सिही मिन निकाहिल्बिक्रि वख़्तार मस्लिहत अख़वातिही बिनिकाहि ष़य्यिबिन तक़ूमु बिमस़ालिहिन्न अष़्षामिनतु इस्तिहबाबुल इब्तिदाइ बिल्मस्जिद व सलात रक्अतैनि फ़ीहि इन्दल क़ुदूमि मिनस्सफ़रि अत्तासिअतु इस्तिहबाबुद्दलालति अलल्ख़ैरिल मुआशरति इस्तिहबाबु इर्जाहिल्मीज़ानि फ़ीमा यद्फ़उहू अल्हादियतु अशरत अन्न उज्रत वज़्निष़्षुम्नि अलल्बाइ अष़्षानितु अशरत अत्तबर्रूक बिआष़ारिस़्स़ालिहीन लिक़ौलिही ला तुफ़ारिक़ुहू अष़्षालिष़तु अशरत जवाज़ु तक़द्दुमि बअज़िल जैशिर्राजिइन बिज़्निल अमीरि अर्राबिअतु अशरत जवाज़ुल वकालति फ़ी अदाइल हुक़ूक़ि व नहविहा व फ़ीहि ग़ैर ज़ालिक मिम्मा सबक़ वल्लाहु आलमु.** (नववी)

या'नी ये ह़दीष़ बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है। (1) एक तो उसमें ज़ाहिर मुअजज़ा–ए–नबवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह के फ़ज़्ल से थके हुए ऊँट को चुस्त व चालाक बना दिया और वो ख़ूब चलने लग गया। (2) दूसरा अम्र ये भी ष़ाबित हुआ कि कोई शख़्स अपना सामान न बेचना चाहे तो भी उससे उसे बेचने के लिये कहा जा सकता है और ये कोई ऐब नहीं है। ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) ऊँट बेचना नहीं चाहते थे, मगर आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद उनको ये ऊँट बेच देने के लिये फ़र्माया। (3) तीसरे बेअ में शर्त करने का जवाज़ भी ष़ाबित हुआ। (4) चौथे ये इस्तिहबाब ष़ाबित हुआ कि बड़ा आदमी अपने साथियों से उनके ख़ानगी अह़वाल (पारिवारिक मामलों में) पूछताछ कर सकता है और उनके वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से उनके फ़ायदे के लिये मश्विरा भी दे सकता है। (5) पाँचवाँ कुँवारी औरत से शादी करने का इस्तिह़बाब ष़ाबित हुआ। (6) छठे मियाँ–बीवी का ख़ुश-तब्ई (हंसी–मज़ाक़) करने का जवाज़ ष़ाबित हुआ। (7) सातवाँ ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) की फ़ज़ीलत भी ष़ाबित हुई कि उन्होंने अपनी बहनों के फ़ायदे के लिये अपनी शादी के लिये एक बेवा औरत को पसन्द किया। (8) आठवाँ ये अम्र भी ष़ाबित हुआ कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में जाना और दो रकअत शुक्राना की अदा करना मुस्तह़ब है। (9) नवाँ अम्र ये ष़ाबित हुआ कि नेक काम करने के लिये रग़बत दिलाना भी मुस्तह़ब है। (10) दसवाँ अम्र ये ष़ाबित हुआ कि किसी ह़क़ का ह़क़ अदा करते वक़्त तराज़ू को झुकाकर ज़्यादा (या बसूरते नक़द कुछ ज़्यादा) देना मुस्तह़ब है। (11) ग्यारहवाँ अम्र ये ष़ाबित हुआ कि तौलने वाले की उज्रत बेचने वाले के सर है। (12) बारहवाँ अम्र ये ष़ाबित हुआ कि आष़ारे स़ालेह़ीन को तबर्रुक के तौर पर महफ़ूज़ रखना जैसा कि ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) के अम्र के मुताबिक़ ज़्यादा पाया हुआ सोना अपने पास अर्से दराज़ (लम्बी अवधि) तक महफ़ूज़ रखा। (13) तेरहवाँ अम्र ये भी ष़ाबित हुआ कि कुछ इस्लामी लश्कर को मुक़द्दम रखा जा सकता है जो अमीर की इजाज़त से मुराजअत करने वाले हों। (14) चौदहवाँ अम्र ह़ुक़ूक़ अदा करने के सिलसिले में वकालत करने का जवाज़ ष़ाबित हुआ। और भी कई उमूर ष़ाबित हुए जो पीछे गुज़र चुके हैं।

आष़ारे स़ालेहीन को तबर्रुक के त़ौर पर अपने पास महफ़ूज़ रखना, ये नाज़ुक मामला है। पहले तो ये ज़रूरी है कि वो ह़क़ीक़तन स़ह़ीह़ त़ौर पर आष़ारे स़ालेहीन हों, जैसा कि ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) को यक़ीनन मा'लूम था कि ये क़ीरात़ मुझको आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद अज़राहे करम ज़्यादा दिलाये हैं। ऐसा पक्का यक़ीन ह़ासिल होना ज़रूरी है वरना ग़ैर ष़ाबितशुदा चीज़ों को स़ालेहीन की तरफ़ मन्सूब करके उनको बत़ौरे तबर्रुक रखना ये किज़्ब (झूठ) और इफ़्तिरा भी बन सकता है। अकष़र मुक़ामात पर देखा गया है कि लोगों ने कुछ बाल महफ़ूज़ करके उनको आँह़ज़रत (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब कर दिया है। फिर उनसे तबर्रुक ह़ासिल करना शिर्क की ह़ुदूद में दाख़िल हो गया है। ऐसी मश्कूक (संदिग्ध) चीज़ों को आँह़ज़रत (ﷺ) की त़रफ़ मन्सूब करना बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर वो ह़क़ीक़त के ख़िलाफ़ हैं तो ये मन्सूब करने वाले ज़िन्दा दोज़ख़ी बन जाते हैं क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ऐसा इफ़्तिरा करने वालों को ज़िन्दा दोज़ख़ी बतलाया है। इसके विपरीत अगर ऐसी चीज़ तारीख़ (इतिहास) से स़ह़ीह़ ष़ाबित है तो उसे चूमना–चाटना, उसके सामने सर झुकाना, उस पर नज़्र व नियाज़ चढ़ाना, उसकी तअ़ज़ीम में ह़द्दे-ए'तिदाल से आगे गुज़र जाना ये सारे काम एक मुसलमान को शिर्क जैसे क़बीह़ गुनाह में दाख़िल कर देते हैं। ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) ने बिला शुब्हा उसको एक तारीख़ी यादगार के त़ौर पर अपने पास रखा। मगर ये ष़ाबित नहीं कि उसको चूमा चाटा हो, उसे नज़्र व नियाज़ का ह़क़दार समझा हो। उस पर फूल डाले हों या उसको वसीला बनाया हो। उनमें से कोई भी अम्र हर्गिज़ हर्गिज़ ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) से ष़ाबित नहीं है। पस इस बारे में बहुत सोच-समझ की ज़रूरत है। शिर्क एक बदतरीन गुनाह है और बारीक भी इस क़दर कि कितने ही दीनदारी का दा'वा करने वाले उमूरे शिर्किया के मुर्तकिब होकर अल्लाह के नज़दीक दोज़ख़ में दाख़िल होने के मुस्तह़िक़ बन जाते हैं। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हर क़िस्म के शिर्के ख़फ़ी व जली (छुपे व ज़ाहिर शिर्क), सग़ीर व कबीर (छोटे व बड़े शिर्क) से महफ़ूज़ रखे, आमीन षुम्म आमीन।

बाब 9 : कोई औरत अपना निकाह़ करने के लिये बादशाह को वकील कर दे

٩- بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

2310. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अबू ह़ाज़िम ने, उन्हें सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने उन्होंने बयान किया कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुई। और अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ख़ुद को आपको बख़्श दिया। इस पर एक स़ह़ाबी ने कहा कि आप मेरा इनसे निकाह़ कर दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने तुम्हारा निकाह़ इनसे उस मेहर के साथ किया जो तुम्हें क़ुर्आन याद है।

(दीगर अतराफ़ : 5029, 5030, 5087, 5121, 5126, 5132, 5133, 5135)

٢٣١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: ((قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

[أطرافه في : ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ٥١٢١، ٥١٢٦، ٥١٣٢، ٥١٣٥،

ये वकालत इमाम बुख़ारी (रह.) ने औरत के उस क़ौल से निकाली कि मैंने अपनी जान आपको बख़्श दी। दाऊदी ने कहा ह़दीष़ में वकालत का ज़िक्र नहीं है। और आँह़ज़रत (ﷺ) हर मोमिन और मोमिना के वली हैं ब-मौजिबे आयत **अन्नबिय्यु औला बिल्मूमिनीन** अल्ख़ और इसी विलायत की वजह से आपने उस औरत का निकाह़ कर दिया। इस ह़दीष़ से ये भी ष़ाबित होता है कि महर में ता'लीमे क़ुर्आन भी दाख़िल हो सकती है और कुछ उसके पास महर पेश करने के लिये न हो। ह़ज़रत मूसा (रज़ि.) ने ह़ज़रत शुऐब (रज़ि.) की बेटी के महर में अपनी जान को दस साल के लिये बत़ौरे ख़ादिम पेश किया था। जैसा कि क़ुर्आन मजीद में मज़्कूर है।

बाब 10 किसी ने एक शख़्स को वकील बनाया

فرविकील ने (मामले में) कोई चीज़ (ख़ुद अपनी राय से) छोड़ दी, और बाद में ख़बर होने पर मुवक्किल ने उसकी इजाज़त दे दी तो जाइज़ है। इसी तरह अगर मुक़र्ररा मुद्दत तक के लिये क़र्ज़ दे दिया तो ये भी जाइज़ है।

١٠- بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

2311. और उ़ष्मान बिन हैशम अबू अ़म्र ने बयान किया कि हमसे औ़फ़ ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर फ़र्माया। (रात में) एक शख़्स अचानक मेरे पास आया और अनाज में से लप भर-भरकर उठाने लगा मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि क़सम अल्लाह की! मैं तुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले चलूँगा। उस पर उसने कहा कि अल्लाह की क़सम! मैं बहुत मुहताज़ हूँ। मेरे बाल-बच्चे हैं और मैं सख़्त ज़रूरतमंद हूँ। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा (उसके इज़्हारे मअ़ज़रत पर) मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूले करीम (ﷺ) ने मुझसे पूछा, ऐ अबू हुरैरह (रज़ि.) गुज़िश्ता रात तुम्हारे क़ैदी ने क्या किया था? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ) उसने सख़्त ज़रूरत और बाल-बच्चों का रोना रोया, इसलिये मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फ़र्माया कि वो तुमसे झूठ बोलकर गया है। अभी वो फिर आएगा। रसूले करीम (ﷺ) के इस फ़र्मान की वजह से मुझे यक़ीन था कि वो फिर ज़रूर आएगा। इसलिये मैं उसकी ताक में लगा रहा और जब वो दूसरी रात आकर फिर ग़ल्ला उठाने लगा तो मैंने उसे फिर पकड़ लिया और कहा कि तुझे रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर करूँगा। लेकिन अब भी उसकी वही इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दो, मैं मुहताज हूँ। बाल-बच्चों का बोझ मेरे सर पर है। अब मैं कभी नहीं आऊँगा, मुझे रहम आ गया और मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू हुरैरह (रज़ि.)! तुम्हारे क़ैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसने फिर उसी सख़्त ज़रूरत और बाल-बच्चों का रोना रोया, जिस पर मुझे रहम आ गया इसलिये मैंने उसे छोड़ दिया।

٢٣١١- وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ:

((أَمَا أَنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، إِنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُنَّ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: ((مَا هِيَ؟)) قُلْتُ: قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ ﴿اللهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ. تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((ذَاكَ شَيْطَانٌ)). [طرفاه في : ٣٢٧٥، ٥٠١٠].

आप (ﷺ) ने इस बार भी यही फ़र्माया कि वो तुमसे झूठ बोलकर गया है और वो फिर आएगा। तीसरी बार फिर मैं उसके इंतिज़ार में था कि उसने फिर तीसरी रात आकर अनाज उठाना शुरू किया, तो मैंने उसे पकड़ लिया, और कहा कि तुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचाना अब ज़रूरी हो गया है। ये तीसरा मौक़ा है, हर बार तुम यक़ीन दिलाते रहे कि फिर नहीं आओगे। लेकिन तुम बाज़ नहीं आए। उसने कहा कि इस बार मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे चन्द कलिमात सिखा दूँगा जिससे अल्लाह तआला तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा। मैंने पूछा, वो कलिमात क्या हैं? उसने कहा कि, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी (अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम) पूरी पढ़ लिया करो। एक निगराँ फ़रिश्ता अल्लाह तआला की तरफ़ से बराबर तुम्हारी हिफ़ाज़त करता रहेगा। और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकेगा। इस बार भी फिर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूले करीम (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, गुज़िश्ता रात तुम्हारे क़ैदी ने तुमसे क्या मामला किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसने मुझे चन्द कलिमात सिखाए और यक़ीन दिलाया कि अल्लाह तआला मुझे इससे फ़ायदा पहुँचाएगा। इसलिये मैंने उसे छोड़ दिया। आपने दरयाफ़्त फ़र्माया कि वो कलिमात क्या है? मैंने अर्ज किया कि उसने बताया था कि जब बिस्तर पर लेटो तो आयतल कुर्सी पढ़ लो, शुरू (अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम) से आख़िर तक। उसने मुझसे ये भी कहा कि अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम पर (इसके पढ़ने से) एक निगराँ फ़रिश्ता मुक़र्रर रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे क़रीब भी नहीं आ सकेगा। सहाबा ख़ैर को सबसे आगे बढ़कर लेने वाले थे। नबी करीम (ﷺ) ने (उनकी ये बात सुनकर) फ़र्माया कि अगरचे वो (ख़ुद तो) झूठा था लेकिन तुमसे ये बात सच कह गया है। ऐ अबू हुरैरह (रज़ि.)! तुमको ये भी मा'लूम है कि तीन रातों से तुम्हारा मामला किससे था? उन्होंने कहा कि नहीं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि वो शैतान था।

(दीगर मक़ाम : 3275, 5010)

तशरीह : एक रिवायत में यूँ है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने सदक़े की खजूर में हाथ का निशान देखा था। जैसे उसमें से कोई उठाकर ले गया हो। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से उसकी शिकायत की। आपने फ़र्माया क्या तू उसको पकड़ना चाहता है? तो यूँ कह **सुब्हान मन सख़्ख़रक लिमुहम्मद** अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने यही कहा तो क्या देखता हूँ कि वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैंने उसको पकड़ लिया। (वहीदी)

मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) की रिवायत में इतना ज़्यादा है और आमनर्रसूल से अख़ीर सूरह तक। उसमें यूँ है कि सदक़े की खजूर आँहज़रत (ﷺ) ने मेरी हिफ़ाज़त में दी थी। मैंने देखा कि रोज़ बरोज़ कम हो रही है तो मैंने आँहज़रत (ﷺ) से उसका शिकवा किया, आपने फ़र्माया, ये शैतान का काम है। फिर मैं उसको ताकता रहा, वो हाथी की सूरत में नमूदार हुआ। जब दरवाज़े के क़रीब पहुँचा तो दरारों में से सूरत बदलकर अंदर चला आया और खजूरों के पास आकर उसके लुक़्मे लगाने लगा। मैंने अपने कपड़े मज़्बूत बाँधे और उसकी कमर पकड़ी, मैंने कहा कि अल्लाह के दुश्मन तू ने सदक़े की खजूर उड़ा दी। दूसरे लोग तुझसे ज़्यादा इसके हक़दार थे। मैं तो तुझे पकड़कर आँहज़रत (ﷺ) के पास ले जाऊँगा वहाँ तेरी ख़ूब फ़ज़ीहत होगी।

एक रिवायत में यूँ है कि मैंने पूछा तू मेरे घर में खजूर खाने के लिये क्यूँ घुसा। कहने लगा मैं बूढ़ा, मुहताज, अयालदार (बीवी–बच्चों वाला) हूँ और दूर से आ रहा हूँ। अगर मुझे कहीं और कुछ मिल जाता तो मैं तेरे पास न आता और हम तुम्हारे ही शहर में रहा करते थे यहाँ तक कि तुम्हारे पैग़म्बर साहब हुए। जब उन पर ये दो आयतें उतरीं तो हम भाग गये। अगर तू मुझको छोड़ दे तो मैं वो दो आयतें तुझको बता दूँगा। मैंने कहा अच्छा! फिर उसने आयतल कुर्सी और आमनर्रसूल से सूरह बक़रः के अख़ीर तक बतलाई। (फ़त्ह)

निसाई की रिवायत में उबय बिन कअब (रज़ि.) से यूँ रिवायत है। मेरे पास खजूर का एक थैला था उसमें से रोज़ खजूर कम हो रही थी। एक दिन मैंने देखा कि एक जवान ख़ूबसूरत लड़का वहाँ मौजूद है। मैंने पूछा तू आदमी है या जिन्न है। वो कहने लगा मैं जिन्न हूँ। मैंने उससे पूछा, हम तुमसे कैसे बचें? उसने कहा आयतल कुर्सी पढ़कर। फिर आँहज़रत (ﷺ) से उसका ज़िक्र आया। आपने फ़र्माया, उस ख़बीष़ ने सच कहा। मा'लूम हुआ जिस खाने पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसमें शैतान शरीक हो जाते हैं और शैतान का देखना मुम्किन है जब वो अपनी ख़ल्क़ी सूरत बदल ले। (वहीदी)

हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं, **व फिल्हदीष़ि मिनल्फ़वाइदि ग़ैर मा तक़द्दम अन्नश्शैतान क़द यअलमु मा यन्तफ़िउ बिहिल्मूमिनु व अन्नलहिक्मत क़द यतलक़्क़ाहल फ़ाजिरू फ़ला यन्तफ़िउ बिहा व तूख़ज़ु अन्हु फ़यन्तफ़िउ बिहा व अन्नश्शख़्स क़द यअलमुश्शैअ व ला यअमलु बिही व इन्नल काफ़िर क़द युसद्दिक़ु बिबअज़िम्मा युसद्दिक़ु बिहिल्मूमिनु व ला यकूनु बिज़ालिक मूमिनन व बिअन्नल कज़्ज़ाब क़द युसद्दिक़ु व बिअन्नश्शैतान मिन शानिही अंय्युकज़्ज़ब व इन्न मन उक़ीम फ़ी हिफ़्ज़ि शैइन सुम्मिय वकीलन व इन्नल जिन्न याकुलून मिन तआमिल इन्सि लाकिन्न बिश्शर्तिल मज़्कूरति व इन्नहुम यतकल्लमून बिकलामिल इन्सि व इन्नहुम यस्रिकून व यख़्दऊन व फ़ीहि फ़ज़्लु आयतिल कुर्सी व फ़ज़्लु आख़िरि सूरतिल बक़रति व इन्नल जिन्न यूसीबून मिनत्तआमिल्लज़ी ला यज़्कुरूल मल्लाहि अलैहि.** (फ़त्हुल बारी)

या'नी इस हदीष़ में बहुत से फ़वाइद हैं। (1) शैतान ऐसी बातें भी जानता है जिनसे मोमिन फ़ायदा उठा सकते हैं और कभी–कभी हिक्मत की बातें फ़ाजिर के मुँह से भी निकल सकती है। वो ख़ुद तो उनसे फ़ायदा नहीं उठाता मगर दूसरे उससे सबक़ हासिल कर सकते हैं और नफ़ा हासिल कर सकते हैं। (2) कुछ आदमी कुछ अच्छी बात जानते हैं, मगर ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। (3) कुछ काफ़िर ऐसी क़ाबिले तस्दीक़ बात कह देते हैं जैसी अहले ईमान कहते हैं, मगर वो काफ़िर उसकी वजह से मोमिन नहीं हो जाते। (4) कभी-कभी झूठों की तस्दीक़ की जा सकती है। (5) शैतान की नियति ही ये है कि उसे झूठा कहा जाए। (6) जिसे किसी चीज़ की हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर किया जाए उसे वकील कहा जाता है। (7) ये कि जिन्नात इंसानी ग़िज़ाएँ खाते हैं और वो इंसानों के सामने ज़ाहिर भी हो सकते हैं। लेकिन इस शर्त पर कि जो मज़्कूर हुई। (8) वो इंसानी ज़ुबानों में कलाम भी कर सकते हैं। (9) वो चोरी भी कर सकते हैं और धोखेबाज़ी भी कर सकते हैं। (10) और इसमें आयतल कुर्सी और आख़िर सूरह बक़रः की भी फ़ज़ीलत है। (11) ये भी कि शैतान उस ग़िज़ा को हासिल कर लेते हैं जिस पर अल्लाह

का नाम नहीं लिया जाता।

आज 29 ज़िल्हिज्ज 1389 हिजरी मे बवक़्ते मग़रिब मक़ामे इब्राहीम के पास ये नोट लिखा गया। नीज़ आज 5 सफ़र 1390 हिजरी को मदीना तय्यिबा ह़रमे नबवी में बवक़्ते फ़ज्र उस पर नज़रेष़ानी की गई। **रब्बना तक़ब्बल मिन्ना वग़्फ़िरलना इन नसीना औ अख़्तना, आमीन!**

बाब 11 : अगर वकील कोई ऐसी बेअ़ करे जो फ़ासिद हो तो वो बेअ़ वापस की जाएगी

١١- بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

बाब की इस ह़दीष़ में उसकी स़राह़त नहीं कि वो वापस होगी। मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी आ़दत के मुवाफ़िक़ इस ह़दीष़ के दूसरे त़रीक़ की त़रफ़ इशारा किया है। जिसको इमाम मुस्लिम ने निकाला उसमें यूँ है, ये सूद है इसको फेर दे। (वह़ीदी)

2312. हमसे इस्ह़ाक़ बिन राहवै ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन स़ालेह़ ने बयान किया, उनसे मुआ़विया बिन सलाम ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, कि मैंने उ़क़्बा बिन अ़ब्दुल ग़ाफ़िर से सुना और उन्होंने अबू सई़द ख़ुदरी (रज़ि.) से, उन्होंने बयान किया कि बिलाल (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में बरनी खजूर (खजूर की एक उ़म्दा क़िस्म) लेकर आए। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा हमारे पास ख़राब खजूर थी। उसकी दो स़ाअ़, इसकी एक स़ाअ़ के बदले में देकर हम उसे लाए हैं। ताकि हम ये आपको खिला सकें आपने फ़र्माया। तौबा! तौबा! ये तो सूद है, बिलकुल सूद। ऐसा न करो अल्बत्ता (अच्छी खजूर) ख़रीदने का इरादा हो तो (ख़राब) खजूर बेचकर (उसकी क़ीमत से) उ़म्दा ख़रीदा कर।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)) قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيُطْعَمَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ((أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ)).

तश्रीह़ : मा'लूम हुआ कि एक ही जिंस में कमी व बेशी से लेन–देन सूद में दाख़िल है। उसकी सूरत ये बतलाई गई कि घटिया जिंस को अलग नक़द बेचकर उसके रुपयों से अच्छी जिंस ख़रीद ली जाए। ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) की ये बेअ़ फ़ासिद थी। आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसे वापस करा दिया जैसा कि मुस्लिम (रह.) की रिवायत में है।

ह ज़रत मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम ने मुस्लिम शरीफ़ की जिस रिवायत की त़रफ़ इशारा किया है। वो बाबुर्रिबा में ह़ज़रत अबू सई़द ख़ुदरी (रज़ि.) ही की रिवायत से मन्क़ूल है। जिसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, **फ़क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) हाज़िहिर्रिबा फ़रूद्दूहु** या'नी ये सूद है लिहाज़ा इसको वापस कर दो। इस पर अ़ल्लामा नववी (रह.) लिखते हैं, **हाज़ा दलीलुन अ़ला अन्नल मक़्बूज़ बैउ़न फ़ासिदुन यजिबु रद्दुहू अ़ला बाइएही व इज़ा रद्दहू इस्तरद्दष़्ष़मन फ़इन क़ील फ़लम यज़्कुर फ़िल्ह़दीष़िस्साबिक़ अन्नहू (ﷺ) अमर बिरद्दिही फ़ल्जवाब अन्नज़्ज़ाहिर इन्नहा कज़िय्यतुन वाहिदतुन व अमर फ़ीहा बिरद्दिही फ़बअ़्ज़ुरुंवाति ह़फ़िज़ ज़ालिक व बअ़्ज़ुहुम लम यह़फ़ज़्हू फ़क़बिल्ना ज़्यादतष़्ष़िक़ति व लौ ष़बत अन्नहुमा क़ज़ीयतानि लहमल्तुल ऊला अ़ला अन्नहू अयज़न अमर बिही व इल्लम यब्लुगना ज़ालिक व लौ ष़बत अन्नहू लम यामूर बिही मअ़ अन्नहुमा कज़ीयतानि लहमल्नाहा अ़ला अन्नहू जहल बाइउ़हू व ला युम्किनु**

मअरिफ़तुहू फ़सार मालन ज़ाइअन लिमन अलैहि दैनुन बिक़ीमतिही व हुवत्तमरूल्लज़ी कबज़हू फ़हसल अन्नहू ला इश्काल फ़िल्हदीष़ि व लिल्लाहिल ह़म्द.

या'नी ये इस अम्र पर दलील है कि ऐसी क़ब्ज़े में ली हुई बेअ भी फ़ासिद होगी। जिसका बायेअ (बेचने वाले) पर लौटा लेना वाजिब है और जब वो बेअ रद्द हो गई तो उसकी क़ीमत ख़ुद ही रद्द हो गई। अगर कहा जाए कि पिछली ह़दीष़ में ये मज़कूर नहीं है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसके रद्द करने का हुक्म फ़र्माया। उसका जवाब ये है कि ज़ाहिर यही है कि क़ज़िया एक ही है और उसमें आप (ﷺ) ने वापसी का हुक्म दिया। कुछ रावियों ने उसको याद रखा और कुछ ने याद नहीं रखा। पस हमने षि़क़ा रावियों की ज़्यादती क़ुबूल किया। और अगर ये ष़ाबित हो जाए कि ये दो क़ज़िये हैं, तो पहले को उस पर मह़मूल किया जाएगा कि आपने यही हुक्म फ़र्माया था अगरचे ये हम तक नहीं पहुँच सका। और अगर ये ष़ाबित हो कि आपने ये हुक्म नहीं फ़र्माया बावजूद इसके कि ये दो क़ज़िये हैं तो हम इस पर मह़मूल करेंगे कि उसका बायेअ मज्हूल हो गया और वो बाद में पहचाना न जा सका। तो उस सूरत में वो माल जाया हो गया उस शख़्स के लिये जिसने उसकी क़ीमत का बोझ अपने सर पर रखा और ये वही खजूर हैं जो उसने क़ब्ज़े में ली है। पस ह़ासिल हुआ कि ह़दीष़ में कोई इश्काल नहीं है।

अल्ह़म्दुलिल्लाह आज 5 स़फ़र 1390 हिजरी का ह़रमे नबवी मदीना त़य्यिबा में बवक़्ते फ़ज्र ब-सिलसिला नज़रे ष़ानी ये नोट लिखा गया।

बाब 12 : वक़्फ़ के माल में वकालत और वकील का ख़र्चा और वकील का अपने दोस्त को खिलाना और ख़ुद भी दस्तूर के मुवाफ़िक़ खाना

١٢- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنفقته، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

2313. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने, उन्होंने कहा कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने स़दक़ा के बाब में जो किताब लिखवाई थी उसमें यूँ है कि स़दक़े का मुतवल्ली उसमें से खा सकता है और दोस्त को खिला सकता है। लेकिन रुपया न जमा करे। और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) अपने वालिद ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के स़दक़े के मुतवल्ली थे। वो मक्कावालों को उसमें से तोह़फ़ा भेजते थे जहाँ आप क़याम फ़र्माया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 2137, 2764, 2772, 2773, 2777)

٢٣١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِيْ صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ)).

[أطرافه في: ٢١٣٧، ٢٧٦٤، ٢٧٧٢، ٢٧٧٣، ٢٧٧٧].

यहाँ वकील से नाज़िर, मुतवल्ली मुराद है। अगर वाक़िफ़ की इजाज़त है तो वो उसमें से अपने दोस्तों को बवक़्ते ज़रूरत खिला भी सकता है और ख़ुद भी खा सकता है।

बाब 13 : ह़द लगाने के लिये किसी को वकील करना

١٣- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُوْدِ

2314, 15. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको लैष़ बिन सअ़द ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें

٢٣١٤، ٢٣١٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ

उबैदुल्लाह ने, उन्हें ज़ैद बिन ख़ालिद और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने इब्ने ज़िहाक असलमी (रज़ि.) से फ़र्माया, ऐ उनैस! उस खातून के यहाँ जा, अगर वो ज़िना का इक़रार कर ले, तो उसे संगसार कर दे।

(दीगर मक़ामात : 2649, 2696, 2125, 6634, 6828, 6831, 2836)

اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)).

[أطرافه في : ٢٦٤٩، ٢٦٩٦، ٢١٢٥، ٦٦٣٤، ٦٨٢٨، ٦٨٣١، ٢٨٣٦،

बाब का तर्जुमा इससे निकलता है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उनैस को हद लगाने के लिये वकील मुक़र्रर किया। उससे क़ानूनी पहलू ये भी निकला कि मुजरिम ख़ुद अगर जुर्म का इक़रार कर ले तो उस पर क़ानून लागू हो जाता है। इस सूरत में गवाहों की ज़रूरत नहीं है और ज़िना पर हद्दे शरई संगसारी भी षाबित हुई।

2316. हमसे इब्ने सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल वह्हाब षक़फ़ी ने ख़बर दी, उन्हें अय्यूब ने, उन्हें इब्ने अबी मुलैका ने और उनसे उक़्बा बिन हारिष़ (रज़ि.) ने बयान किया कि नुअयमान या इब्ने नुअयमान को आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर किया गया। उन्होंने शराब पी ली थी। जो लोग उस वक़्त घर में मौजूद थे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हीं से उन्हें मारने के लिये हुक्म दिया। उन्होंने बयान किया कि मैं भी मारने वालों में था। हमने जूतों और छड़ियों से उन्हें मारा था।

(दीगर मक़ाम : 6774, 6775)

٢٣١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((جِيْءَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ)).

[طرفاه في: ٦٧٧٤، ٦٧٧٥].

तश्रीह : नुअयमान या इब्ने नुअयमान के बारे में रावी को शक है। इस्माईली की रिवायत में नोअमान या नुअयमान मज़्कूर है। हाफ़िज़ ने कहा उसका नाम नुअयमान बिन अम्र बिन रिफ़ाआ अंसारी था। बद्र की लड़ाई में शरीक था। और बड़ा ख़ुश मिज़ाज़ आदमी था। रसूले करीम (ﷺ) ने घरवालों को हद मारने का हुक्म फ़र्माया। उससे बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि आप (ﷺ) ने घर के मौजूद लोगों को हद मारने के लिये वकील मुक़र्रर किया। इसी से हुदूद में वकालत षाबित हुई और यही बाब का तर्जुमा है।

बाब 14 : क़ुर्बानी के ऊँटों में वकालत और उनकी निगरानी करने में

١٤- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

वकालत तो इससे षाबित होती है कि आप (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के साथ वो क़ुर्बानियाँ रवाना कर दीं और निगरानी उससे कि आपने अपने हाथ से उनके गलों में हार डाले।

2317. हमसे इस्माईल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र बिन हज़्म ने, उन्हें अम्रा बिन्ते अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि

٢٣١٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ)).

[راجع: ١٦٩٦]

आइशा (रज़ि.) ने बयान किया, मैंने अपने हाथों से नबी करीम (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों के क़लादे बटे थे। फिर नबी करीम (ﷺ) ने उन जानवरों को ये क़लादे अपने हाथ से पहनाए थे। आप (ﷺ) ने वो जानवर मेरे वालिद के साथ (मक्का में क़ुर्बानी के लिये) भेजे। उनकी क़ुर्बानी की गई। लेकिन (इस भेजने की वजह से) आप (ﷺ) पर कोई ऐसी चीज़ हराम नहीं हुई जिसे अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) के लिये हलाल किया था।

(राजेअ : 1696)

तश्रीह : हज़रत रसूले करीम (ﷺ) के क़ुर्बानी के ऊँटों के लिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क़लादे बटने में आपकी वकालत फ़र्माई। हज़रत आइशा (रज़ि.) सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की साहबज़ादी हैं। उनकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मे रुम्मान बिन्ते आमिर बिन उवैमिर है। आँहज़रत (ﷺ) के साथ उनकी शादी 10 नबवी में मक्का शरीफ़ ही में हुई। शव्वाल 2 हिजरी में हिजरत से 18 माह बाद रुख़्सती अमल में आई। आँहज़रत (ﷺ) के साथ ये 9 साल रही हैं। क्योंकि विसाले नबवी के वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) की उम्र अठारह साल की थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) बहुत फ़सीहा, फ़क़ीहा, आलिमा थीं। हुज़ूर (ﷺ) से बकषरत अहादीष आपने नक़ल की हैं। वक़ायेअ अरब और मुहावरात व अश्आर की ज़बरदस्त जानकार थीं। सहाबा किराम और ताबेओने इज़ाम के एक बड़े तबक़े ने उनसे रिवायात नक़ल की हैं। मदीना तय्यिबा में 57 हिजरी 58 हिजरी में बुधवार की रात में आपका इंतिक़ाल हुआ। वसिय्यत के मुताबिक़ रात ही में बक़ीअ ग़रक़द में आपको दफ़न किया गया, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई जो उन दिनों मुआविया (रज़ि.) के दौरे हुकूमत में मदीना में मरवान के मातहत थे।

बक़ीअ ग़रक़द मदीना का पुराना क़ब्रस्तान है, जो मस्जिदे नबवी से थोड़ी ही दूरी पर है। आजकल उसकी जानिब मस्जिदे नबवी से एक वसीअ (चौड़ी) सड़क निकाल दी गई है। कब्रिस्तान को चारों तरफ़ एक ऊँची दीवार से घेर दिया गया है। अंदर पुरानी क़ब्रें ज़्यादातर नाबूद (अस्तित्वहीन) हो चुकी हैं, अहले बिदअत ने पहले दौर में यहाँ कुछ सहाबा व दीगर बुज़ुर्गाने दीन के नामों पर बड़े–बड़े कुब्बे बना रखे थे और उन पर ग़िलाफ़, फूल डाले जाते और वहाँ नज़्र नियाज़ चढ़ाई जाती थीं। सऊदी हुकूमत ने हदीषे नबवी की रोशनी में उन सब को मिस्मार कर दिया है। पुख़्ता क़ब्रें बनाना शरीअते इस्लामिया में क़त्अन मना है और उन पर चादर फूल मुहदषात व बिदआत हैं। अल्लाह पाक मुसलमानों को ऐसी बिदआत से बचाए, आमीन।

बाब 15 : अगर किसी ने अपने वकील से कहा कि जहाँ मुनासिब जानो उसे ख़र्च करो, और वकील ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा है मैंने सुन लिया।

١٥ - بَابُ إِذَا قَالَ الرجلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حيثُ أَرَاكَ اللهُ وقال الوَكيلُ: قَدْ سَمِعْتُ ما قلتَ

या'नी वकील ने अपनी राय से उस माल को किसी काम में ख़र्च किया तो ये जाइज़ है। आँहज़रत (ﷺ) को अबू तलहा ने वकील किया कि बीरेहाअ को आप जिस कारे ख़ैर में चाहें ख़र्च करें। आपने उनको ये राय दी कि अपने ही नातेदारों को बांट दें। (वहीदी)

٢٣١٨ - حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ

2318. मुझसे यह्या बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि मैंने इमाम मालिक के सामने क़िरात की बवास्ता इस्हाक़ बिन

ﷲِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ فِي كِتَابِهِ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُوْا بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ: ((بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ)). قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ)). تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ ((رَابِحٌ)). [راجع: ١٤٦١]

अ़ब्दुल्लाह के कि उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे कि अबू त़लहा (रज़ि.) मदीना में अंस़ार के सबसे मालदार लोगों में से थे। बीरेहाअ (एक बाग़) उनका सबसे ज़्यादा महबूब माल था। जो मस्जिदे नबवी के बिलकुल सामने था। रसूले करीम (ﷺ) भी वहाँ तशरीफ़ ले जाते और उसका निहायत मीठा उम्दा पानी पीते थे। फिर जब क़ुर्आन की आयत (लन तनालुल् बिर्र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून) उतरी (तुम नेकी हर्गिज़ नहीं हासिल कर सकते जब तक न ख़र्च करो अल्लाह की राह में वो चीज़ जो तुम्हें ज़्यादा पसन्द हो) तो अबू त़लहा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में फ़र्माया है (लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून) और मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा पसन्द मेरा यही बाग़ बीरेहाअ है। ये अल्लाह की राह में स़दक़ा है। उसकी नेकी और ज़ख़ीर-ए-ष़वाब की उम्मीद में सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला से रखता हूँ। पस आप जहाँ मुनासिब समझें उसे ख़र्च कर दें। आपने फ़र्माया, वाह! वाह! ये तो बड़ा ही नफ़े वाला माल है, बहुत ही मुफ़ीद है। उसके बारे में तुमने जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया। अब मैं तो यही मुनासिब समझता हूँ कि उसे तू अपने रिश्तेदारों ही में तक़्सीम कर दे। अबू त़लहा (रज़ि.) ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ऐसा ही करूँगा। चुनाँचे ये कुँआ उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चचा की औलाद में तक़्सीम कर दिया। इस रिवायत की मुताबअ़त इस्माईल ने मालिक से की है और रौह़ ने मालिक से (लफ़्ज़ रायेह के बजाय) राबेह नक़ल किया है। (राजेअ़ : 1461)

ह़ज़रत अबू त़लहा (रज़ि.) ने बीरेहाअ के बारे में आँह़ज़रत (ﷺ) को वकील ठहराया और आपने उसे उन्ही के रिश्तेदारों में तक़्सीम कर देने का हुक्म फ़र्माया। उसी से बाब का तर्जुमा ष़ाबित हुआ। चूँकि रिश्तेदारों का ह़क़ मुक़द्दम (श्रेष्ठ) है और वही स़ाहिबे मीराष़ भी होते हैं। इसलिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने उन ही को तरजीह़ दी। जो रसूले करीम (ﷺ) की बहुत ही बड़ी दूर-अंदेशी का ष़ुबूत है। ये कुँआ मदीना शरीफ़ में ह़रमे नबवी के क़रीब अब भी मौजूद है और मैंने भी वहाँ ह़ाज़िरी का शर्फ़ ह़ासिल किया है। वल्ह़म्दुलिल्लाह अ़ला ज़ालिक।

١٦- بَابُ وَكَالَةِ الأَمِيْنِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

बाब 16 : खजान्ची का ख़ज़ाने में वकील होना

٢٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ

2319. हमसे मुहम्मद बिन अ़लाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ)) - وَرُبَّمَا قَالَ: ((الَّذِي يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)). [راجع: ١٤٣٨]

कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे बुरैद बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उन्होंने कहा कि हमसे अबू बुर्दा ने बयान किया और उनसे अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अमानतदार ख़जान्ची जो ख़र्च करता है, कुछ दफ़ा ये फ़र्माया कि जो देता है हुक्म के मुताबिक़ कामिल और पूरी तरह जिस चीज़ (के देने) का उसे हुक्म हो और उसे देते वक़्त उसका दिल भी ख़ुश हो, तो वो भी सदक़ा करने वालों में से एक है। (राजेअ: 1438)

या'नी इसको मालिक के बराबर ष़वाब मिलेगा कि उसने ख़ुशी के साथ मालिक का हुक्म बजाया और सदक़ा कर दिया और मालिक की तरफ़ से, मालिक के हुक्म के मुताबिक़ वो माल ख़र्च करने में वकील हुआ। यही बाब का मंशा है।

41. किताबुल ह़र्ष वल मुज़ारअ़त

किताब खेती-बाड़ी और बटाई का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْه. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة: ٦٣-٦٥]

बाब 1 : खेत बोने और पेड़ लगाने की फ़ज़ीलत जिसमें से लोग खाएँ और (सूरह वाक़िआ में)

अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान कि ये तो बताओ जो तुम बोते हो, क्या उसे तुम उगाते हो, या उसे उगाने वाला मैं हूँ? अगर मैं चाहूँ तो उसे चूरा-चूरा बना दूँ। (अल वाक़िया : 63-65)

तशरीह : मुज़ारेअ़ बाबे मुफ़ाअ़ला का मस़दर है जिसका माख़ज़ (उदगम) ज़रअ़ है, इमामुल मुज्तहिदीन व सय्यदुल मुह़द्दिष़ीन ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ भी फ़ज़ाइले ज़राअ़त के सिलसिले में पहले क़ुर्आन पाक की आयत नक़ल फ़र्माई। जिसमें इर्शादे बारी तआ़ला है, **अफ़ रयतुम मा तुह़रषून अन्तुम तज़रऊनहू अम नह़नुज़्ज़ारिऊन** (अल वाक़िआ : 63–66) या'नी ऐ काश्तकारों! तुम जो खेती करते हो, क्या तुम खेती करते हो या दरह़क़ीक़त खेती करने (उगाने)

वाला मैं हूँ; मैं चाहूँ तो तैयार खेती को बर्बाद करके रख दूँ। फिर तुम हक्के–बक्के होकर रह जाओ।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व ला शक्क अन्नल आयत तदुल्लु अला इबाहतिज़्ज़रइ मिन जिहतिल इम्तिनानि बिही वल हदीषु यदुल्लु अला फ़ज़्लिही बिल्क़ैदिल्लज़ी ज़करहुल मुसन्निफ़ु व क़ाल इब्नुल मुनीर अशारल बुख़ारी इला इबाहतिज़्ज़रइ व इन्न मन नहा अन्हु कमा वरद अन उमर फ़मह़ल्लुहू मा इज़ा शग़ललहर्ष अनिल हरबि व नहवुहू मिनल उमूरिल मत्लूबति व अला ज़ालिक युहमलु हदीषु अबी उमामत अल मज़्कूर फ़िल्बाबिल्लज़ी बअदहू** या'नी कोई शक व शुब्हा नहीं कि आयते क़ुर्आनी खेती के मुबाह होने पर दलालत कर रही है इस तौर पर भी कि ये अल्लाह का बड़ा भारी करम है और हदीष में भी उसकी फ़ज़ीलत मौजूद है, इस क़ैद के साथ जिसे मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया है। इब्ने मुनीर कहते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने खेती के मुबाह होने पर इशारा किया है। और उससे जो मुमानअत वारिद हुई है उसका महल जब है कि खेती मुसलमान को जिहाद और उमूरे शरअ से ग़ाफ़िल कर दे। अबू उमामा की हदीष जो बाद में खेती की मज़म्मत में आ रही है वो भी उसी पर महमूल (आधारित) है। मौलाना वहीदुज़्ज़माँ (रह.) फ़र्माते हैं, इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस आयत, **अफ़ रअयतुम मा तहरषून** से ये षाबित किया है खेती करना मुबाह है और जिस हदीष में उसकी मुमानअत (मनाही) वारिद है उसका मतलब ये है कि खेती में ऐसा मशग़ूल होना मना है कि आदमी जिहाद से बाज़ रहे या दीन के दूसरे कामों से रुक जाए। (वहीदी)

2320. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना ने बयान किया, (दूसरी सनद) और मुझसे अब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई भी मुसलमान जो एक पेड़ का पौधा लगाए या खेत में बीज बोए, फिर उसमें से परिन्दा या इंसान व जानवर जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ़ से सदक़ा है मुस्लिम ने बयान किया कि हमसे अबान ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से।

(दीगर मक़ाम : 6012)

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)). وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ : قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في : ٦٠١٢].

तश्रीह : इस हदीष का शाने वुरूद इमाम मुस्लिम ने यूँ बयान किया कि **अन्नन नबिय्य (ﷺ) राअ नख़्लन लिउम्मि मुबशिर इम्रातिन मिनलअन्सारि फ़क़ाल मन गरस हाज़न्नख़्लअ मुस्लिमुन औ काफ़िरुन फ़क़ालू मुस्लिमुन फ़क़ाल ला यगरिसु मुस्लिमुन गरसन फ़याकुलु मिन्हु इन्सानुन औ तैरून औ दाब्बतुन इल्ला कान लहू सदक़तुन** या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अंसारी औरत उम्मे मुबश्शिर नामी का लगाया हुआ खजूर का पेड़ देखा, आप (ﷺ) ने पूछा कि ये दरख़्त किसी मुसलमान ने लगाया है या काफ़िर ने। लोगों ने बताया कि ये मुसलमान के हाथ का लगाया हुआ है। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो मुसलमान कोई पेड़ लगाए फिर उससे आदमी या परिन्दे या जानवर खाएँ तो ये सब कुछ उसकी तरफ़ से सदक़े में लिखा जाता है।

हदीषे अनस (रज़ि.) रिवायतकर्दा इमाम बुख़ारी (रह.) में मज़ीद वुस्अत के साथ लफ़्ज़ **औ यज़्रउ ज़रअन** भी मौजूद है या'नी बाग़ लगाए या खेती करे। तो उससे जो भी आदमी, जानवर फ़ायदा उठाएँ उसके मालिक के षवाब में बतौरे सदक़ा लिखा जाता है। हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **व फ़िल्हदीषि फ़ज़्लुल्गरसि वज़्ज़रइ वल्हज़्ज़ु अला इमारतिल्अर्ज़ि** या'नी इस हदीष में बाग़बानी और ज़राअत और ज़मीन को आबाद करने की फ़ज़ीलत मज़्कूर (वर्णित) है।

फ़िल् वाक़ेअ खेती की बड़ी अहमियत है कि इंसान की पेट–भराई का बड़ा ज़रिया खेती ही है। अगर खेती न की जाए तो अनाज की पैदावार न हो सके। इसीलिये क़ुर्आन व ह़दीष़ में इस फ़न का ज़िक्र भी आया है। मगर जो कारोबार अल्लाह की याद से और फ़राइज़े इस्लाम की अदायगी में ह़ारिज (रुकावट) हो, वो उलटा वबाल भी बन जाता है। खेती का भी यही ह़ाल है कि बेशतर खेती–बाड़ी करने वाले यादे इलाही से ग़ाफ़िल और फ़राइज़े इस्लाम में सुस्त हो जाते हैं। उस ह़ालत में खेती और उसके आलात (यत्रों) की मज़म्मत (निन्दा) भी आई है। बहरह़ाल मुसलमान को दुनियावी कारोबार में अल्लाह को याद रखना और फ़राइज़े इस्लाम को अदा करना ज़रूरी है। **वलिल्लाहि हुवल मुवफ़्फ़िक़।**

अल्ह़म्दुलिल्लाह ह़दीष़ के पेशेनज़र मैंने भी अपने गाँव रहपुवा में स्थित खेतों में कई पेड़ लगवाए हैं। जो जल्दी ही साया (दाँव) देने के क़ाबिल होने वाले हैं। इम्साल अज़ीज़ी नज़ीर अह़मद राज़ी ने एक बड़ का पौधा नस़ब किया (लगाया) है, जिसे वो देहली से ले गए थे। अल्लाह करे कि वो परवान चढ़कर सैंकड़ों सालों के लिये ज़ख़ीर–ए–ह़स्नात बन जाए और अज़ीज़ाने ख़लील अह़मद व नज़ीर अह़मद को तौफ़ीक़ दे कि वो खेती का काम उन ही अह़ादीष़ की रोशनी में करें जिससे उनको बरकाते दारेन ह़ासिल होंगी।

आज यौमे आ़शूरा मुह़र्रम 1390 हिजरी को का'बा शरीफ़ में ये दरख़्वास्त रब्बे का'बा के सामने पेश कर रहा हूँ। आमीन या रब्बल आ़लमीन।

बाब 2 : खेती के सामान में बहुत ज़्यादा मस़रूफ़ रहना या ह़द से ज़्यादा उसमें लग जाना, उसका अंजाम बुरा है

٢- بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشتغال بآلةِ الزَّرعِ، أَوْ مُجاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

2321. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन सालिम ह़िम्स़ी ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन ज़ियादुल हानी ने बयान किया, उनसे अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) ने बयान किया, आपकी नज़र फाली और खेती के कुछ दूसरे आलात पर पड़ी। आपने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना है। आपने फ़र्माया कि जिस क़ौम के घर में ये चीज़ दाख़िल हो जाती है तो अपने साथ ज़िल्लत भी लाती है।

٢٣٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمصِيُّ قَالَ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ - وَرَأَى سِكَّةً وشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ - سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقولُ: ((لاَ يَدخُلُ هَذَا بَيْتَ قَومٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ الذُّلَّ))

तशरीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुनअ़क़िद बाब में अह़ादीष़ आमदा दर मदहे ज़राअ़त व दरज़म्मे ज़राअ़त में तत्बीक़ पेश फ़र्माई है। जिसका ख़ुलास़ा ये कि खेती बाड़ी अगर ए'तिदाल की ह़द में की जाए कि उसकी वजह से फ़राइज़े इस्लाम की अदायगी में कोई तसाहुल न हो तो वो खेती क़ाबिले ता'रीफ़ है, जिसकी फ़ज़ीलत ऊपर ह़दीष़ में नक़ल हुई है। और अगर खेती–बाड़ी में इस क़दर मशग़ूलियत (व्यस्तता) हो जाए कि एक मुसलमान अपनी दीनी फ़राइज़ से भी ग़ाफ़िल हो जाए तो फिर वो खेती क़ाबिले ता'रीफ़ नहीं रहती। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने उस पर जो तब्स़रा किया है वो ये है–

हाज़ा मिन अख़्बारिही (ﷺ) बिल्मुगीबाति लिअन्नल मुशाहिद अल्आन अन्न अक्षरज़्ज़ुल्मि इन्नमा हुव अ़ला अहलिल्हर्ष़ि व क़द अशारल बुख़ारी बित्तर्जुमति इलल्जमइ बैन ह़दीष़ि अबी उमामत वल ह़दीषुल्माज़ी फ़ी फ़ज़्लिज़्ज़रइ वल्गरसि व ज़ालिक बिअहदिल अम्रैनि अम्मा अंय्युहमल मा वरद मिनज़्ज़म्मि अ़ला आक़िबति ज़ालिक व महल्लुहू इज़श्तग़ल बिही फ़ज़ीउ बिसबबिही मा अमर बिहिफ़्ज़िही व अम्मा अंय्युहमल अ़ला मा इज़ा लम यज़अ इल्ला अन्नहू जावज़ल्हद्द फ़ीहि वल्लज़ी यज़्हरू अन्न कलाम अबी उमामत महमूलुन अ़ला मय्यतआत

ज़ालिक बिनफ़्सिही अम्मा मन लहू उम्मालुन यअ़ मलून लहू व अदख़ल दारहू अल्आलतल मज़्कूरत लितहफ़्ज़ लहुम फ़लैस मुरादुन लौ युम्किनुल हम्लु अ़ला उमूमिही फ़इन्नज़्जिल शामिलुन लिकुल्लि मन अदख़ल नफ़्सहू मा यस्तल्ज़ि मु मुतालबतन आख़र लहू व ला सय्यिमा इज़ा कानल मुतालिबु मिनल्वुलाति व अनिद्दाऊदी हाज़ा लिमन यक्रूबु मिनल्अदुव्वि फ़इन्नहू इज़ा इश्तगल बिल्हर्षि ला यश्तगिल्लु बिल्फ़ुरूसिय्यति फ़यतासदु अ़लैहिल अ़दुव्वु फ़हक़्क़ुहुम अय्यश्तगिल्लू बिल्फ़ुरूसिय्यति व अ़ला ग़ैरिहिम इम्दादुहुम बिमा यहताजून इलैहि. (फ़त्हुल बारी)

या'नी ये ह़दीष़ आँह़ज़रत (ﷺ) की उन ख़बरों में से है जिनको मुशाहिदे ने बिलकुल सह़ीह़ षाबित कर दिया क्योंकि अकष़र मज़ालिम (अत्याचारों) का शिकार किसान ही होते चले आ रहे हैं। और ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब से ह़दीषे अबी उमामा और पिछली ह़दीष़ बाबत फ़ज़ीलते ज़राअ़त व बाग़बानी में तत्बीक़ पर इशारा फ़र्माया है और ये दो उमूर में से एक है। अव्वल तो ये कि जो मज़म्मत वारिद है उसे उसके अंजाम पर मह़मूल किया जाए, अगर अंजाम में उसमें इस क़दर मशग़ूलियत हो गई कि इस्लामी फ़राइज़ से भी ग़ाफ़िल होने लगा। दूसरे ये भी कि फ़राइज़ को तो ज़ाया नहीं किया मगर ह़दे ए'तिदाल से आगे तजावुज़ (उल्लघंन) करके उसमें मशग़ूल हो गया तो ये पेशा अच्छा नहीं। और ज़ाहिर है कि अबू उमामा वाली ह़दीष़ ऐसे ही शख़्स पर वारिद होगी जो ख़ुद अपने तौर पर उसमें मशग़ूल हो और उसमें ह़द्दे ए'तिदाल से तजावुज़ कर जाए। और जिसके नौकर–चाकर काम अंजाम देते हों और ह़िफ़ाज़त के लिये खेती के यंत्र उसके घर में रखे जाएँ तो ज़म से वो शख़्स मुराद न होगा। ह़दीषे ज़म उमूम पर भी मह़मूल की जा सकती है कि काश्तकारों को कई बार टेक्स चुकाने के लिये हुक्काम के सामने ज़लील होना पड़ता है। और दाऊदी ने कहा कि ये ज़म उसके लिये है जो दुश्मन से क़रीब हो, कि वो खेती–बाड़ी में मशग़ूल रहकर दुश्मन से बेख़ौफ़ हो जाएगा और एक दिन दुश्मन उनके ऊपर चढ़ बैठेगा। पस उनके लिये ज़रूरी है कि सिपाहगिरी में मशग़ूल रहे और ह़ाजत की चीज़ों से दूसरे लोग उनकी मदद करें।

ज़राअ़त बाग़बानी एक बेहतरीन फ़न है। बहुत से अंबिया, औलिया, उ़लमा ज़राअ़त-पेशा रहे हैं। ज़मीन में क़ुदरत ने जिंसों और फलों से जो नेअ़मतें छुपा रखी हैं उनका निकालना ये ज़राअ़त पेशा और बाग़बान ह़ज़रात ही का काम है। और जानदार मख़्लूक़ के लिये जिन जिंसों और चारों की ज़रूरत है उसका मुहय्या करने वाला बिऔनिही तआ़ला एक ज़राअ़त पेशा (खेती–बाड़ी करने वाला) किसान ही हो सकता है। क़ुर्आन मजीद में मुख़्तलिफ़ पहलुओं से उन फ़नों का ज़िक्र आया है। सूरह बक़रः में हल जोतने वाले बैल का ज़िक्र है।

ख़ुलास़ा ये कि इस फ़न की शराफ़त में कोई शुब्हा नही है मगर देखा गया है कि ज़राअ़त पेशा क़ौमें ज़्यादातर मिस्कीनी और ग़ुर्बत और ज़िल्लत का शिकार रहती हैं। फिर उनके सरों पर लगान का पहाड़ ऐसा ख़तरनाक होता है कि कई बार उनको ज़लील करके रख देता है। अह़ादीष़ में मज़म्मत में यही पहलू है। अगर ये न हो तो ये फ़न बहुत क़ाबिले ता'रीफ़ और बाअ़िषे रफ़्अ़े दरजाते दारैन है। आज के दौर में इस फ़न की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जबकि आज ग़िज़ाई मसला (खाद्यान्न समस्या) मानवता के लिये एक अहमतरीन आर्थिक मसला बन गया है। हर हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़न पर तवज्जह दे रही है।

ज़िल्ल्त से मुराद ये है कि हुक्काम (सत्ताधारी) उनसे पैसा वसूल करने में उन पर त़रह़ तरह़ के ज़ुल्म तोड़ेंगे। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने जैसा फ़र्माया था वो पूरा हुआ। अकष़र ज़ुल्म का शिकार किसान लोग ही बनते हैं। कुछ ने कहा ज़िल्लत से ये मुराद है कि जब रात दिन खेती–बाड़ी में लग जाएँगे तो सिपाहगिरी और फ़नूने जंग भूल जाएँगे और दुश्मन उन पर ग़ालिब आ जाएँगे।

अ़ल्लामा नववी (रह.) अह़ादीषे ज़राअ़त के ज़ेल में फ़र्माते हैं, **फ़ी हाज़िहिल अहादीषि फ़ज़ीलतुल्गरसि व फ़ज़ीलतुज़्ज़रइ व इन्न अज्र फ़ाअ़ला ज़ालिक मुस्तमर्रून मादामल्गरसु वज़्ज़रउ व मा तवल्लद मिन्हु इला यौमिल क़ियामति व क़द इख़्तलफ़ल उलमाउ फ़ी अत्यबिल्मकासिब व अफ़्ज़लिहा फ़कील अत्तिजारतु व क़ील अस्सन्अतु बिल्यदि व क़ील अज़्ज़राअ़तु व हुवस्सहीहु व क़द बसत्तु ईज़ाहहू व फ़ी आख़िरि बाबिल्अत्इमति मिन शर्हिल मुहज़्ज़बि व फ़ी हाज़िहिल हदीषि अयज़न अन्नष्षवाब वल्अज्र फ़िल्आख़िरति मुख़तस्सुन बिल्मुस्लिमीन व इन्नल्इन्सान युषाबु अ़ला मा सरक मिम्मालिही औ अत्लफ़त्हु दाब्बतुन औ ताइरुन व नहवुहुमा.** (नववी)

या'नी अह़ादीष़ में पेड़ लगाने और खेती करने की फ़ज़ीलत वारिद है और ये कि किसान और बाग़बान का ष़वाब

हमेशा जारी रहता है जब तक भी उसकी वो खेती या पेड़ रहते हैं। ष़वाब का ये सिलसिला क़यामत तक जारी रह सकता है। उ़लमा का इस बारे में इख़्तिलाफ़ है कि बेहतरीन कसब कौनसा है। कहा गया है कि तिजारत है और ये भी कहा गया कि दस्तकारी बेहतरीन कसब है। और कहा गया कि बेहतरीन कसब खेती–बाड़ी है और यही स़ह़ीह़ है। और मैंने बाबुल अत़्इ़मति शरहे मुहज़्ज़ब में इसको तफ़्सील से लिखा है और इन अह़ादीष़ में ये भी है कि आख़िरत का अज्रो–ष़वाब मुसलमानों ही के लिये ख़ास़ है और ये भी है कि किसान की खेती में से कुछ चोरी हो जाए या जानवर परिन्दे कुछ उसमें नुक़्स़ान कर दें तो उन सबके बदले किसान को ष़वाब मिलता है।

या अल्लाह! मुझको और मेरे बच्चों को इन अह़ादीष़ का मिस्दाक़ बनाइयो। जबकि अपना आबाई पेशा खेती–किसानी ही है, और या अल्लाह! अपनी बरकतों से हमेशा नवाज़ियो और हर क़िस्म की ज़िल्लत, मुसीबत, परेशानी, तंगह़ाली से बचाइयो, आमीन षुम्म आमीन।

बाब 3 : खेती के लिये कुत्ता पालना

٣- بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

इस बाब से इमाम बुख़ारी (रह.) ने खेती की इबाह़त ष़ाबित की क्योंकि जब खेत के लिये कुत्ता रखना जाइज़ हुआ तो खेती करना भी दुरुस्त होगा। ह़दीष़े बाब से खेत या शिकार की ह़िफ़ाज़त के लिये कुत्ता पालने का जवाज़ निकला। ह़ाफ़िज़ ने कहा उसी क़यास पर और किसी ज़रूरत से भी कुत्ते का रखना जाइज़ होगा। लेकिन बिला ज़रूरत जाइज़ नहीं।

2322. हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ुज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स़ ने कोई कुत्ता रखा, उनसे रोज़ाना अपने अ़मल से एक क़ीरात़ की कमी कर ली। अल्बत्ता खेती या मवेशी (की ह़िफ़ाज़त के लिये) कुत्ते इससे अलग हैं। इब्ने सीरीन और अबू स़ालेह़ ने अबू हुरैरह (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया बह़वाला नबी करीम (ﷺ) कि बकरी के रेवड़, खेती और शिकार के कुत्ते अलग हैं। अबू ह़ाज़िम ने कहा अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से कि शिकारी और मवेशी के कुत्ते (अलग हैं)।

(दीगर मक़ाम : 2324)

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَمسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)). قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ)). وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)). [طرفه في : ٢٣٢٤].

तश्रीह : इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि खेती की ह़िफ़ाज़त के लिये भी कुत्ता पाला जा सकता है जिस त़रह़ से शिकार के लिये कुत्ता पालना ज़ाइज़ है। मह़ज़ शौक़िया कुत्ता पालना मना है। इसलिये कि उससे बहुत से ख़त़रात होते हैं। बड़ा ख़त़रा ये कि ऐसे कुत्ते मौक़ा पाते ही बर्तनों में मुँह डालकर उनको गन्दा कर देते हैं। और ये आने–जाने वालों को सताते भी हैं। उनके काटने का डर होता है। इसीलिये ऐसे घर में रह़मत के फ़रिश्ते नहीं दाख़िल होते जिसमें ये मूज़ी (हानिकारक) जानवर रखा गया हो। ऐसे मुसलमान नेकियों में से एक क़ीरात़ नेकियाँ कम होती रहती हैं जो अकारण कुत्ते को पालता हो।

ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब फ़र्माते हैं, **क़ील सबबु नक़्स़ानि इम्तिनाइल मलाइकति मिन दुख़ूलि बैतिही औ मा यल्हकुल्मार्रीन मिनल्अज़ा औ लिअन्न बअ़ज़हा शयातीन औ उक़ूबतुन लिमुख़ालफ़तिन्नहयि औलु लौ अ़न्हा फ़िल्अवानी इन्द ग़फ़्लति स़ाहिबिहा फ़रूब्बमा यतनज्जसुत्ताहिरू मिन्हा फ़इज़ाउस्तुअमिल फ़िल्इबादति लम**

यक़अ मौकअत्ताहिरि व फ़िल्हदीषि अल्हष्षु अला तक्षीरिल आमालिस्सालिहति वत्तहज़ीरु मिनल्अमलि बिमा यन्कुसुहा वत्तम्बीहु अला अस्बाबिज़्ज़ियादति फ़ीहा वन्नक्सु मिन्हा लितज्तनिब औ तर्तकिब व लुत्फ़िल्लाहि तआला बिख़ल्क़िही फ़ी इबाहति मालिहिम बिही नफ़उन व तब्लीगु नबिय्यिम (ﷺ) उमूर मआशिहिम व मआदिहिम व फ़ीहि तर्जीहुल मस्लिहतिराजिहति अलल्मुफ़्सिदति लिवुक़ूइ इस्तिष्नाइन मा यन्तफ़उ बिही मिम्मा हर्रम इत्तिख़ाजहू. (फ़त्हुल बारी)

या'नी नेकियों में से एक क़ीरात कम होने का सबब एक तो ये कि रहमत के फ़रिश्ते ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते, या ये कि उस कुत्ते की वजह से आने–जाने वालों को तकलीफ़ होती है। या इसलिये भी कि कुछ कुत्ते शैतान होते हैं । या इसलिये कि बिला वजह कुत्ता रखा गया, उससे नेकी कम होती है। या इसलिये कि वो बर्तनों मे मुँह डालते रहते हैं। जहाँ घरवाले से ज़रा ग़फ़लत हुई और कुत्ता ने फ़ौरन पाक पानी को नापाक कर डाला। अब अगर इबादत के लिये वो इस्ते'माल किया गया, तो उससे पाकी हासिल नहीं होगी। अल्ग़र्ज़ ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से महज़ शौक़िया कुत्ता पालने वालों की नेकियाँ रोज़ाना एक-एक क़ीरात कम होती जाती है। मगर तहज़ीबे मग़रिब (पश्चिमी संस्कृति) का बुरा हो, आजकल की नई तहज़ीब में कुत्ता पालना भी एक फ़ैशन बन गया है। अमीर घरवालों में महज़ शौक़िया पालने वाले कुत्तों की इस क़दर ख़िदमत की जाती है कि उनके नहलाने धुलाने के लिये ख़ास नौकर रखे जाते हैं । उनकी खुराक का ख़ास एहतिमाम रखा जाता है। अस्तग़्फ़िरुल्लाह! मुसलमानों को ऐसे फ़िज़ूल बेहूदा फ़िज़ूलख़र्ची के कामों से बहरहाल परहेज़ लाज़िम है।

हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं कि हदीषे हाज़ा बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है जिनमे से आमाले सालेहा की कष्रत पर रग़बत दिलाना भी है और ऐसे बुरे आमाल से डराना भी जिनसे नेकी बर्बाद और गुनाह लाज़िम आए। हदीषे हाज़ा में दोनों उमूर के लिये तम्बीह है कि नेकियाँ बकष्रत की जाएँ और बुराइयों से बकष्रत परहेज़ किया जाए। और ये भी कि अल्लाह की अपनी मख़्लूक़ पर मेहरबानी है कि जो चीज़ उसके लिये नफ़ाबख़्श है वो मुबाह क़रार दी है और इस हदीष मे तब्लीग़े नबवी बाबत उमूरे मआश व मआद भी मज़्कूर है। और इस हदीष से ये भी ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें हराम होती हैं जैसा कि कुत्ता पालना, मगर उनके नफ़ाबख़्श होने की सूरत में उनको मस्लिहत के आधार पर अलग भी कर दिया जाता है।

2323. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा ने, उनसे साइब बिन यज़ीद ने बयान किया, कि सुफ़यान बिन ज़ुहैर ने अज़्द शनूआ क़बीले के एक बुज़ुर्ग से सुना, जो नबी करीम (ﷺ) के सहाबी थे। उन्हों ने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था कि जिसने कुत्ता पाला, जो न खेती के लिये है और न मवेशी के लिये, तो उसकी नेकियों से रोज़ाना एक क़ीरात कम हो जाता है। मैंने पूछा, क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये सुना है? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ! इस मस्जिद के रब की क़सम! (मैंने ज़रूर आपसे यही सुना है)।

(दीगर मक़ाम : 3325)

٢٣٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَومَ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ)). قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ)).

[طرفه في: ٣٣٢٥].

क़ीरात एक पैमाना है जिसकी मिक़्दार क्या है यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुराद ये कि बेहद नेकियाँ कम हो जाती हैं। जिसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो ये कि ऐसे घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, दूसरे ये कि ऐसा कुत्ता गुज़रने वालों और

आने–जाने वाले मेहमानों पर ह़मला करने के लिये दौड़ता है जिसका गुनाह कुत्ता पालने वाले को होता है। तीसरे ये कि वो घर के बर्तनों में मुँह डालकर नापाक करता रहता है। चौथे ये कि वो गन्दगियाँ खा-खाकर घर पर आता है और बदबू और दीगर बीमारियाँ अपने साथ लाता है और भी बहुत से कारण हैं। इसलिये शरीअ़ते इस्लामी ने घर में बेकार कुत्ता रखने की सख़्ती के साथ मुमानअ़त की है। शिकारी कुत्ते और तर्बियत दिये हुए दीगर मुहाफ़िज़ कुत्ते इससे अलग हैं।

बाब 4 : खेती के लिये बैल से काम लेना

٤- بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

2324. हमसे मुह़म्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे ग़ुन्दर ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे सअ़द बिन इब्राहीम ने, उन्होंने अबू सलमा से सुना और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (बनी इस्राईल में से) एक शख़्स बैल पर सवार होकर जा रहा था कि उस बैल ने उसकी त़रफ़ देखा और उस सवार से कहा कि मैं इसके लिये नहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश तो खेत जोतने के लिये हुई है। आपने फ़र्माया कि मैं उस पर ईमान लाया और अबूबक्र व उ़मर भी ईमान लाए। और एक दफ़ा एक भेड़िये ने एक बकरी पकड़ ली थी तो गडरिये ने उसका पीछा किया। भेड़िया बोला, आज तू तो इसे बचाता है। जिस दिन (मदीना उजाड़ होगा) दरिन्दे ही दरिन्दे रह जाएँगे। उस दिन मेरे सिवा बकरियों का चराने वाला कौन होगा? आपने फ़र्माया कि मैं इस पर ईमान लाया और अबूबक्र व उ़मर (रज़ि.) भी। अबू सलमा ने कहा कि अबूबक्र व उ़मर (रज़ि.) इस मज्लिस में मौजूद नहीं थे।

(दीगर मक़ाम : 3471, 3663, 3690)

٢٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ. وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ.

[أطرافه في: ٣٤٧١، ٣٦٦٣، ٣٦٩٠].

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब के तह़त इस ह़दीष़ को दर्ज फ़र्माया। जिसमें एक इस्राईली मर्द का और एक बैल का मुकालमा (वार्तालाप) मज़्कूर है। वो इस्राईली बैल को सवारी के काम में इस्ते'माल कर रहा था कि अल्लाह तआ़ला ने बैल को इंसानी ज़ुबान में बोलने की त़ाक़त दी और वो कहने लगा कि मैं खेती के लिये पैदा हुआ हूँ, सवारी के लिये नहीं पैदा हुआ। चूँकि ये बोलने का वाक़िया ख़र्क़े आदत से ता'ल्लुक़ रखता है और अल्लाह पाक इस पर क़ादिर है कि वो बैल जैसे जानवर को इंसानी ज़ुबान में बात करने की त़ाक़त बख़्श दे। इसलिये अल्लाह के मह़बूब रसूल (ﷺ) ने इस पर ईमान का इज़्हार फ़र्माया। बल्कि साथ ही ह़ज़राते शैख़ेन (अबू बक्र व उ़मर रज़ि.) को भी शामिल कर लिया कि आपको उन पर ए'तिमादे कामिल था ह़ालाँकि वो दोनों वहाँ उस वक़्त मौजूद न थे। **व इन्नमा क़ाल ज़ालिक रसूलुल्लाहि (ﷺ) षिकतुम्बिहिमा अल्इल्मतु बिसिदक़ि ईमानिहिमा व क़ुव्वति यक़ीनिहिमा व कमालि मअ़रिफ़तिहिमा बिक़ुदरतिल्लाहि तआ़ला** (ऐनी) या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) ने ये इसलिये फ़र्माया कि आप (ﷺ) को उन दोनों पर ए'तिमाद था। आप (ﷺ) उनके ईमान और यक़ीन की स़दाक़त और क़ुव्वत से वाक़िफ़ थे। और जानते थे कि उनको भी क़ुदरते इलाही की मअ़रिफ़त कमाल दर्जे का ह़ासिल है। इसलिये आपने उस ईमान में उनको भी शरीक कर लिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व अरज़ा हुमा

ह़दीष़ का दूसरा ह़िस्स़ा भेड़िये के बारे में है जो एक बकरी को पकड़कर ले जा रहा था कि चरवाहे ने उसका पीछा किया और अल्लाह ने भेड़िये को इंसानी ज़ुबान में बोलने की त़ाक़त अ़त़ा फ़र्माई और उसने चरवाहे से कहा कि आज तो तुमने इस बकरी

को मुझसे छुड़ा लिया। मगर उस दिन इन बकरियों को कौन छुड़ाएगा जिस दिन मदीना उजाड़ हो जाएगा और बकरियों का चरवाहा हमारे सिवा और कोई न होगा। **क़ालल्कुर्तुबी क़अन्नहू युशीरु इला हदीषि अबी हुरैरत अल्मर्फ़ूउ यत्रूकुनल मदीनत अला ख़ैरिम्मा कानत ला यग़शाहा इल्लल अवाफ़ी युरीदुस्सबाअ वत्तैर** या'नी कुर्तुबी ने कहा कि इसमें उस हदीष़ की तरफ़ इशारा है जो मर्फ़ूअन हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि लोग मदीना को ख़ैरियत के साथ छोड़ जाएँगे। वापसी पर देखेंगे कि वो सारा शहर दरिन्दों, चरिन्दों, और परिन्दों का मस्कन (ठिकाना) बना हुआ है। उस भेड़िये की आवाज़ पर भी आँहज़रत (ﷺ) ने इज़्हारे ईमान फ़र्माते हुए हज़रात साहिबैन को भी शरीक किया।

ख़ुलासा ये कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने जो बाब मुन्अक़िद फ़र्माया था वो हदीष़ में बैल के मुकालिमे वाले हिस्से से षाबित हो गया। ये भी मा'लूम हुआ कि इंसान जबसे आलमे शऊर में आकर ज़राअत की तरफ़ मुतवज्जह हुआ तो ज़मीन को खेती के क़ाबिल बनाने के लिये उसने ज़्यादातर बैल ही का इस्ते'माल किया है। अगरचे गधे, घोड़े, ऊँट, भैंसे भी कुछ कुछ मुल्कों में खेती के हलों में जोते जाते हैं। मगर उमूम के लिहाज़ से बैल ही को क़ुदरत ने इस बड़ी ख़िदमत का अहल (योग्य) बनाया है। आज इस मशीनी दौर में भी बैल बग़ैर चारा नहीं जैसा कि मुशाहिदा है।

बाब 5 : बाग़ वाला किसी से कहे कि तू सब पेड़ों वग़ैरह की देखभाल कर, तू और मैं फल में शरीक रहेंगे

٥- بَابُ إِذَا قَالَ أَكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخلِ أَوْ غَيْرِهِ وتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

तशरीह : चूँकि खेती–बाड़ी के मसाइल का ज़िक्र हो रहा है इसलिये एक सूरत काश्तकारी की ये भी है जो बाब में बतलाई गई कि खेत या बाग़ वाला (मालिक) किसी को शरीक करे इस शर्त पर कि उसके खेत या बाग़ में सारी मेहनत वो (मज़दूर) शख़्स करेगा और पैदावार आधो–आधो तक़्सीम हो जाएगी। ये सूरत शरअन जाइज़ है जैसा कि हदीष़ के बाब में मज़्कूर है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना शरीफ़ तशरीफ़ लाए तो अंसार ने हमदर्दी व उख़ुव्वत के नाते अपनी ज़मीनों, बाग़ात को मुहाजिरीन में तक़्सीम करना चाहा। मगर आँहज़रत (ﷺ) ने इस सूरत को पसन्द नहीं किया बल्कि शिर्कतकार तज्वीज़ (पार्टनरशिप के फ़ार्मूले) पर इत्तिफ़ाक़ हो गया कि मुहाजिरीन अन्सार के खेतों या खजूर के बाग़ों में काम करें और पैदावार तक़्सीम हो जाया करे। इस पर सबने आँहज़रत (ﷺ) की इताअत और फ़र्मांबरदारी का इक़रार किया और **समिअना व अतअना** (हमने सुना और पैरवी की) से इज़्हारे रज़ामन्दी फ़र्माया। बाब और हदीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है।

इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि इब्तिदाए इस्लाम ही से आम तौर पर मुसलमानों का ये रुज्हाने तब्ई (प्राकृतिक झुकाव) रहा है कि वो ख़ुद अपने बलबूते पर ज़िन्दगी गुज़ारें और अल्लाह के सिवा और किसी के सामने माँगने के लिये हाथ न फैलाएं और रिज़्क़े–हलाल की तलाश के लिये उनको जो भी दुश्वार से दुश्वार रास्ता इख़्तियार करना पड़े, वो उसी को इख़्तियार कर लें। मुसलमानों का यही जज़्बा था जो बाद में के ज़मानों में तिजारत की शक्ल में इस्लाम के फैलाव और प्रचार–प्रसार के लियेएक बेहतरीन ज़रिया षाबित हुआ और अहले इस्लाम ने तिजारत के लिये दुनिया का कोना कोना छान मारा। उसके साथ साथ वो जहाँ गए इस्लाम की जीती–जागती मिषाल बनकर रह गए और दुनिया के लिये पैग़ामे रहमत षाबित हुए। सद अफ़सोस कि आज ये बातें ख़्वाब व ख़्याल बनकर रह गई हैं। इल्ला माशाअल्लाह, रहिमल्लाहु अलैयना; आमीन।

इन हक़ाइक़ पर उन मग़रिब-ज़दा (पश्चिमी रंग में रंगे) नौजवानों को भी ग़ौर करने की ज़रूरत है जो इस्लाम को सिर्फ़ एक खानंगी मामला कहकर सियासते मईशत (अर्थव्यवस्था) से अलग समझ बैठे हैं जो बिलकुल ग़लत है। इस्लाम ने नौए इंसानी की हर हर शुअबा ज़िन्दगी में पूरी-पूरी रहनुमाई की है, इस्लाम फ़ित्री क़वानीन का एक बेहतरीन मज्मूआ है।

2325. हमसे हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐब ने ख़बर दी, उनसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया, उनसे अअरज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि अंसार

٢٣٢٥- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ: ((قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: لاَ. فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)).
[طرفاه في : ٢٧١٩، ٣٧٨٢].

ने नबी करीम (ﷺ) से कहा, कि हमारे बाग़ात आप हममें और हमारे (मुहाजिर) भाइयों में तक़्सीम फ़र्मा दें। आपने इंकार किया तो अंसार ने (मुहाजिरीन से) कहा कि आप लोग पेड़ों में मेहनत करो, हम तुम मेवे में शरीक रहेंगे। उन्होंने कहा अच्छा हमने सुना और क़ुबूल किया। (दीगर मक़ाम : 2719, 3782)

तश्रीह : मा'लूम हुआ ये सूरत जाइज़ है कि बाग़ या ज़मीन एक शख़्स की हो और काम और मेहनत दूसरा शख़्स करे, दोनों पैदावार में शरीक हों, इसको मुसाक़ात कहते हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने जो अंसार को ज़मीन तक़्सीम कर देने से मना किया उसकी वजह ये थी कि आपको यक़ीन था कि मुसलमानों की तरक़्क़ी बहुत होगी, बहुत सी ज़मीनें मिलेंगीं। तो अंसार की ज़मीन उन्हीं के पास रखना आप (ﷺ) ने मुनासिब समझा।

٦- بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

बाब 6 : मेवेदार पेड़ और खजूर के पेड़ काटना

وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَخْلٍ فَقُطِعَ.

और हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने खजूर के पेड़ों के बारे में हुक्म दिया और वो काट दिये गए।

ये उस हदीष़ का टुकड़ा है जो बाबुल मसाजिद में ऊपर मौसूलन गुज़र चुकी है। मा'लूम हुआ कि किसी ज़रूरत से या दुश्मन का नुक़्सान करने के लिये जब उसकी हाजत हो तो मेवेदार पेड़ काटना या खेती जला देना दुरुस्त है।

٢٣٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ
حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

[أطرافه في: ٣٠٢١، ٤٠٣١، ٤٠٣٢، ٤٨٨٤].

2326. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया कि हमसे जुवैरिया ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने बनी नज़ीर के ख़जूरों के बाग़ जला दिये और काट दिये। उन ही बाग़ात का नाम बुवैरा था। और हस्सान (रज़ि.) का ये शे'र उसी के बारे में हैं।

बनी लवी (क़ुरैश) के सरदारों पर (ग़लबा को) बुवेरा की आग ने आसान बना दिया जो हर तरफ़ फैलती ही जा रही थी।

(दीगर मक़ाम : 3021, 4031, 4032, 4884)

तश्रीह : बनी लवी क़ुरैश को कहते हैं और सिरात का तर्जुमा अमाएद और मुअ़ज़्ज़िज़ीन। बुवैरह एक मुक़ाम का नाम है जहाँ बनी नज़ीर यहूदियों के बाग़ात थे। हुआ ये था कि क़ुरैश ही के लोग इस तबाही के बाइ़ष़ हुए। क्योंकि उन्होंने बनी क़ुरैज़ा और बनी नज़ीर को भड़काकर आँहज़रत (ﷺ) से अ़हदशिकनी (वादाख़िलाफ़ी) कराई। कुछ ने कहा कि आपने ये पेड़ इसलिये जलवाए कि जंग के लिये साफ़ मैदान की ज़रूरत थी ताकि दुश्मनों को छुपे रहने का और **कमीनगाह** (घात लगाकर बैठने की जगह) से मुसलमानों पर हमला करने का मौक़ा न मिल सके। जंग की हालत में बहुत से उमूर सामने आते हैं जिनमें क़यादत करने वालों को बहुत सोचना पड़ता है। खेतों और पेड़ों का काटना अगरचे ख़ुद इंसानी नुक़्सान है मगर कुछ शदीद ज़रूरतों के तहत ये भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आज के नामो-निहाद मुहज़्ज़ब (सभ्य) लोगों को देखोगे कि जंग के

दिनों में वो क्या–क्या ह़रकात कर जाते हैं। भारत के ग़दर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो मज़ालिम (अत्याचार) ढाए वो तारीख़ का एक स्याहतरीन बाब (इतिहास का काला अध्याय) है। जंगे अ़ज़ीम (विश्वयुद्ध) में यूरोपियन क़ौमों ने क्या-क्या ह़रकतें कीं। जिनके तस़व्वुर (कल्पना) ही से जिस्म पर लरज़ा त़ारी हो जाता है और आज भी दुनिया में अकष़रियत (बहुसख्यक क़ौमें) अपनी अक़लिय्यतों (अलपसंख्यकों) पर जो ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, वो दुनिया पर रोशन है। बहरह़ाल ह़दीष़ और बाब में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है।

बाब 7 :

٧- بَابٌ

इसमें बाब का कोई तर्जुमा मज़्कूर नहीं है गोया ये बाब पहले की एक फ़स़्ल है और मुनासबत ये है कि जब बटाई एक मि'याद के लियेजाइज़ हुई तो मुद्दत गुज़रने के बाद ज़मीन का मालिक ये कह सकता है कि अपना पेड़ या खेती उखाड़ ले जाओ। पस पेड़ का काटना ष़ाबित हुआ। अगले बाब का यही मत़लब है।

2327. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा हमको यह़्या बिन सईद ने ख़बर दी, उन्हें ह़न्ज़ला बिन क़ैस अंस़ारी ने, उन्होंने राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे कि मदीना में हमारे पास खेत आरों से ज़्यादा थे। हम खेतों को इस शर्त़ पर दूसरों को जोतने और बोन के लिये दिया करते थे कि खेत के एक मुक़र्ररा ह़िस़्से (की पैदावार) मालिक ज़मीन ले लेगा। कुछ दफ़ा ऐसा होता कि ख़ास़ उसी ह़िस़्से की पैदावार मारी जाती और सारा खेत सलामत रहता। और कुछ दफ़ा सारे खेत की पैदावार मारी जाती और ये ख़ास़ ह़िस़्से बच जाता। इसलिये हमें इस त़रह़ मामला करने से रोक दिया गया। और सोना और चाँदी के बदल ठेका देने का तो उस वक़्त रिवाज ही न था।

٢٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا. وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ)).

नक़दी किराये का मामला उस वक़्त नहीं हुआ करता था। इस ज़िक्र की गई सूरत में मालिक व किसान दोनों के लिये नफ़े के साथ नुक़्स़ान का भी हर वक़्त अन्देशा था। इसलिये उस सूरत से उस मामला करने से मना कर दिया गया।

बाब 8 : आधी या कम ज़्यादा पैदावार पर बटाई करना

٨- بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

(ये बिला तरद्दुद/निर्विवाद जाइज़ है) और क़ैस बिन मुस्लिम ने बयान किया और उनसे अबू जा'फ़र ने बयान किया कि मदीना में मुहाजिरीन का कोई घर ऐसा न था जो तिहाई या चौथाई ह़िस़्से पर खेती न करता हो। ह़ज़रत अ़ली और सअ़द बिन मालिक और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.), और उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ और क़ासिम और उ़र्वा और ह़ज़रत अबूबक्र की औलाद और ह़ज़रत उ़मर की औलाद और ह़ज़रत अ़ली की औलाद और इब्ने सीरीन (रजियल्लाहु अ़न्हुम अज्मअ़ीन) सब बटाई पर खेती किया

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا فِي الْمَدِيْنَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ

سِيرِيْنَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاؤُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُوْنَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَا جَمِيْعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُوْنَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

करते थे। और अ़ब्दुर्रहमान बिन अस्वद ने कहा कि मैं अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद के साथ खेती में साझी रहा करता था और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने लोगों से खेती का मामला इस शर्त़ पर त़ै किया था कि अगर बीज वो ख़ुद (ह़ज़रत उ़मर रज़ि.) मुहय्या कराएंगे तो पैदावार का आधा ह़िस़्सा लें, और अगर तुख़्म (बीज) उन लोगों का हो जो काम करेंगे तो वे पैदावार के इतने ह़िस़्से के वो मालिक होंगे। ह़सन बस़री (रह.) ने कहा कि उसमे कोई ह़र्ज नहीं कि ज़मीन किसी एक शख़्स़ की हो और उस पर ख़र्च दोनों (मालिक और किसान) मिलकर करें। फिर जो पैदावार हो उसे दोनों बांट लें। ज़ुह्री (रह.) ने भी यही फ़त्वा दिया था। और ह़सन ने कहा कि कपास अगर आधी (लेने की शर्त़) पर चुनी जाए तो उसमें कोई ह़र्ज नहीं। इब्राहीम, इब्ने सीरीन, अ़ता, ह़कम, ज़ुह्री और क़तादा रह़िमहुमुल्लाह ने कहा कि (कपड़ा बुनने वालों को) धागा अगर तिहाई, चौथाई या इसी त़रह की शिर्कत पर दिया जाए तो उसमें कोई ह़र्ज नहीं। मअ़मर ने कहा कि अगर जानवर एक मुअ़य्यन (निर्धारित) मुद्दत के लिये उसकी तिहाई या चौथाई कमाई पर दिया जाए, तो उसमे कोई क़बाहत (ख़राबी) नहीं है।

तश्रीह : बाब के ज़ेल मे अनेक अष़र मज़्कूर हुए हैं जिनकी तफ़्सील ये कि अबू जा'फ़र इमाम मुह़म्मद बाक़िर (रह.) की कुन्नियत है (जिनका यहाँ ज़िक्र हुआ है), वे इमाम जा'फ़र स़ादिक़ (रह.) के वालिद हैं। ह़ज़रत अ़ली और सअ़द और इब्ने मसऊ़द और उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रज़ि.) के अष़रों को इब्ने अबी शैबा ने और क़ासिम के अष़र को अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने और उ़र्वा के अष़र को भी इब्ने अबी शैबा ने वस़्ल (मिलान) किया है। और इब्ने अबी शैबा ने और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने इमाम मुह़म्मद बाक़िर स़ाह़ब से निकाला। उसमें ये है उनसे बटाई को पूछा तो उन्होंने कहा मैंने अबूबक्र और उ़मर और अ़ली सबके खानदान वालों को ये करते देखा है। और इब्ने सीरीन के अष़र को सईद बिन मंसूर ने वस़्ल (मिलान) किया और अ़ब्दुर्रह़मान बिन अस्वद के अष़र को इब्ने अबी शैबा और निसाई ने वस़्ल (मिलान) किया और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के अष़र को इब्ने अबी शैबा और बैहक़ी और त़ह़ावी ने वस़्ल (मिलान) किया है।

इमाम बुख़ारी (रह.) का मत़लब इस अष़र के लाने से ये है कि मुज़ारअ़त और मुख़ाबरा दोनों एक हैं। कुछ ने कहा जब बीज ज़मीन का मालिक दे तो वो मुज़ारअ़त है और जब काम करने वाला बीज अपने पास से डाले तो वो मुख़ाबरा है। बहरह़ाल मुज़ारअ़त और मुख़ाबरा इमाम अह़मद और ख़ुज़ैमा और इब्ने मुंज़िर और ख़त्ताबी के नज़दीक दुरुस्त है और बाक़ी उ़लमा ने उसको नाजाइज़ क़रार दिया है। लेकिन स़ह़ीह़ मज़हब इमाम अह़मद का है ये जाइज़ है। ह़सन बस़री के अष़र को सईद बिन मन्सूर ने वस़्ल (मिलान) किया और ज़ुह्री के अष़र को इब्ने अबी शैबा ने और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने वस़्ल (मिलान) किया और इब्राहीम के क़ौल को अबूबक्र अष़रम ने और इब्ने सीरीन के क़ौल को इब्ने अबी शैबा ने और अ़ता और क़तादा और ह़कम और ज़ुह्री के भी अक़्वाल को उन्होंने ही वस़्ल (मिलान) किया। (वह़ीदी)

मत़लब ये है कि मुज़ारअ़त की मुख़्तलिफ़ शक्लें हैं। मष़लन फ़ी बीघा लगान रुपये की सूरत में मुक़र्रर कर लिया जाए, ये सूरत बहरह़ाल जाइज़ है। एक सूरत ये कि मालिक ज़मीन का कोई क़ित़्अ़ (टुकड़ा) अपने लिये ख़ास़ कर ले कि उसकी पैदावार ख़ास़ मेरी होगी या मालिक अनाज त़ै कर ले कि पैदावार कुछ भी हो, मैं इतना अनाज लूँगा। ये सूरतें इसलिये नाजाइज़ हैं कि मामला करते वक़्त दोनों फ़रीक़ नावाक़िफ़ हैं। भविष्य में दोनों के लिये नफ़ा—नुक़्स़ान का अन्देशा है। इसलिये शरीअ़त ने ऐसे

धोखे के मामले से रोक दिया है। एक सूरत ये है कि तिहाई या चौथाई पर मामला किया जाए ये सूरत बहरहाल जाइज़ है। और यहाँ उसी का बयान मक़्सूद है।

हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं, **वल्हक्क़ु अन्नल बुख़ारी इन्नमा अराद बिसियाक़ि हाज़िहिल आषारि अल इशारतु इला अन्नस्सहाबत लम युन्क़ल अन्हुम ख़िलाफ़ुन फ़िल्जवाज़ि ख़ुसूसन अहलुल मदीनति फ़यल्ज़िमु मंय्युकद्दिमु अमलहुम अलल अख़्बारिल मर्फ़ूअति अंय्यकूलू बिल्जवाज़ि अला क़ाइदतिहिम.** (फ़त्हुल बारी) या'नी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने उन आषार के यहाँ ज़िक्र करने से ये इशारा फ़र्माया है कि सहाबा किराम से जवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ मन्क़ूल नहीं है ख़ास तौर पर मदीना वालों से।

2328. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ख़ैबर के यहूदियों से) वहाँ (की ज़मीन में) फल खेती और जो कुछ पैदावार हो उसके आधे हिस्से पर मामला किया था। आप उसमें से अपनी बीवियों को सौ वस्क़ देते थे। जिसमें अस्सी वस्क़ खजूर होती थी और बीस वस्क़ जौ। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने (अपने अहदे ख़िलाफ़त में) जब ख़ैबर की ज़मीन तक़्सीम की तो अज़्वाजे मुतह्हरात को आपने उसका इख़्तियार दे दिया कि (अगर वो चाहें तो) उन्हें भी वहाँ का पानी और क़ित्अ ज़मीन दे दिया जाए। या वही पहली सूरत बाक़ी रखी जाए। चुनाँचे कुछ ने ज़मीन लेना पसन्द किया और कुछ ने (पैदावार से) वस्क़ लेना पसन्द किया। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ज़मीन ही लेना पसन्द किया था।

(राजेअ: 2285)

٢٣٢٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ. ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيْرٍ. فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ؟ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ)). [راجع: ٢٢٨٥]

तश्रीह : बाब का तर्जुमा इससे ये निकलता है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ैबर वालों से आधी पैदावार पर मामला किया। रसूले करीम (ﷺ) ने अज़्वाजे मुतह्हरात के लिये फ़ी नफ़र (प्रति व्यक्ति) सौ वस्क़ अनाज मुक़र्रर फ़र्माया था। यही तरीक़ा अहदे सिद्दीक़ी में रहा। मगर अहदे फ़ारूक़ी में यहूदियों से मामला ख़त्म कर दिया गया। इसलिये हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने अज़्वाजे मुतह्हरात को अनाज या ज़मीन दोनों का इख़्तियार दे दिया था। एक वस्क़ चार मन और बारह सेर वज़न के बराबर होता है।

हदीष **अन्नन नबिय्य (ﷺ) आमल ख़ैबर बिशर्तिम्मा यख़रुजु मिन्हा** के तहत हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं, **हाज़ल्हदीषु हुव उम्दतु मन अजाज़ल्मुज़ारअत वल्मुख़ाबरत लितक्रीरिन्नबिय्यि (ﷺ) कज़ालिक व इस्तिम्रारूहू अला अहदि अबी बक्र इला अन्न अज्लाहुम उमरू कमा सयाती बअद अब्वाबिन उस्तुदिल्ल बिही अला जवाज़िल मसाक़ाति फ़िन्नख़्लि वल्करमि व जमीइश्शजरिल्लज़ी मिन शानिही अंय्युष्मिर बिजुज़्इम्मअलूमिन यज्अलु लिआमिलि मिनष़्षमरति व बिही क़ालल्जुम्हूर.** (फ़त्हुल बारी) या'नी ये हदीष उम्दह दलील है उसकी जो मुज़ारअत और मुख़ाबरा को जाइज़ क़रार देता है इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) ने इसी तरीक़े कार को क़ायम रखा। और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के ज़माने में भी यही दस्तूर था। यहाँ तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) का ज़माना आ गया। आपने बाद में उन यहूद को ख़ैबर से जलावतन कर दिया था। खेती के अलावा जुम्ला फलदार पेड़ों में भी ये मामला जाइज़ क़रार दिया गया कि कारकुनान (कार्यकर्त्ताओं) के लिये मालिक फलों का कुछ हिस्सा मुक़र्रर कर दें। जुम्हूर का यही फ़त्वा है।

उसमें खेत और बाग़ के मालिक का भी फ़ायदा है कि बग़ैर मेहनत के पैदावार का एक हिस्सा हासिल कर लेता है और मेहनत करने वाले के लिये भी सहूलत है कि वो अपनी मेहनत के नतीजे में तयशुदा अनुपात में पैदावार ले लेता है। मेहनत कश तब्क़े के लिये ये वो ए'तिदाल का रास्ता (मध्यमार्ग) है जो इस्लाम ने पेश करके ऐसे मसाइल को हल कर दिया है। तोड़-फोड़, फ़ित्ना व फ़साद, तहज़ीबकारी का वो रास्ता जो आजकल कुछ जमाअतों की तरफ़ से मेहनतकश लोगों को उभारने के लिये दुनिया में जारी है, ये रास्ता शरअन् बिलकुल ग़लत और क़त्अन नाजाइज़ है।

बाब 9 : अगर बटाई में सालों की ता'दाद मुक़र्रर न करे?

٩- بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये सराहत नहीं की कि वो जाइज़ है या नाजाइज़; क्योंकि उसमें इख़्तिलाफ़ है कि मुज़ारअत में जब मि'याद न हो तो वो जाइज़ है या नहीं? इब्ने बत्ताल ने कहा कि इमाम मालिक (रह.) और षौरी (रह.) और शाफ़िई (रह.) और अबू षौर (रह.) ने उसको मकरूह कहा है लेकिन सहीह मज़हब अहले हदीष का है कि ये जाइज़ है। और दलील उनकी यही हदीष है। ऐसी सूरत में ज़मीन के मालिक को इख़्तियार है कि जब चाहे किसान को निकाल दे। (वहीदी)

2329. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर के फल और अनाज की आधी पैदावार पर वहाँ के रहनेवालों से मामला किया था।

(राजेअ : 2285)

٢٣٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ)).

[راجع: ٢٢٨٥]

बाब 10 :

١٠- بَابٌ

2330. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उयय़ना ने बयान किया, कि अम्र बिन दीनार ने कहा कि मैंने ताऊस से अर्ज़ किया, काश! आप बटाई का मामला छोड़ देते, क्यूँकि उन लोगों (राफ़ेअ बिन ख़दीज और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. वग़ैरह) का कहना है कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना किया है। इस पर ताऊस ने कहा कि मैं तो लोगों को ज़मीन देता हूँ और उनका फ़ायदा करता हूँ। और सहाबा में जो बड़े आलिम थे उन्होंने मुझे ख़बर दी है। आपकी मुराद इब्ने अब्बास (रज़ि.) से थी कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे नहीं रोका। बल्कि आपने सिर्फ़ ये फ़र्माया था कि अगर कोई शख़्स अपने भाई को (अपनी ज़मीन) मुफ़्त दे दे तो ये उससे बेहतर है कि उसका महसूल ले।

(दीगर मक़ाम : 2342, 2634)

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ: فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ. قَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيْهِم وَأُعِيْنُهُمْ. وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: ((أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا)).

[طرفاه في: ٢٣٤٢، ٢٦٣٤].

तश्रीह : इमाम त़ह़ावी ने ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) से निकाला। उन्होंने कहा कि अल्लाह राफ़ेअ बिन ख़दीज को बख़्शे, मैं उनसे ज़्यादा इस ह़दीष़ को जानता हूँ। हुआ ये था कि दो अंसारी आदमी आँह़ज़रत (ﷺ) के पास लड़ते हुए आए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया अगर तुम्हारा ये ह़ाल है तो खेतों को किराया पर मत दिया करो। राफ़ेअ ने ये लफ़्ज़ सुन लिया कि खेतों को किराये पर मत दिया करो। हालाँकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने किराये पर देने को मना नहीं किया था बल्कि आपने ये बुरा समझा कि उसके सबब से लोगों में फ़साद और झगड़ा पैदा हो। हाँ ये मफ़्हूम भी दुरुस्त है कि अगर किसी के पास फ़ालतू ज़मीन पड़ी हुई है तो बेहतर है कि वो अपने किसी भाई को बतौरे बख़्शिश दे दे कि वो उस ज़मीन से फ़ायदा उठाए। वैसे क़ानूनी ह़ैषियत मे तो बहरह़ाल वो उसका मालिक है और बटाई या किराये पर भी दे सकता है।

लफ़्ज़ मुख़ाबरा बटाई पर किसी के खेत को जोतने और बोने को कहते हैं जबकि बीज भी काम करने वाले ही का हो। आम इस्तिलाह़ मे उसे बटाई कहा जाता है। ख़ुबरह़ ह़िस्से को भी कहते हैं, उसी से मुख़ाबरा निकला है। कुछ ने कहा कि ये लफ़्ज़ ख़ैबर से माख़ूज़ है क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ैबरवालों से यही मामला किया था कि आधी पैदावार वो ले लें आधी आपको दें। कुछ ने कहा कि ये लफ़्ज़ ख़ब्बार से निकला है जिसके मा'नी नरम ज़मीन के हैं । कहा गया है कि **फ़द् फ़अना फ़ी ख़ब्बारिम मिनल् अरज़ि,** या'नी हम नरम ज़मीन में फेंक दिये गये। नववी ने कहा कि मुख़ाबरा और मुज़ारआ मे ये फ़र्क़ है कि मुख़ाबरा में बीज आमिल का होता है न कि मालिके ज़मीन का और मुज़ारआ में बीज ज़मीन के मालिक का होता है।

बाब 11 : यहूदियों के साथ बटाई का मामला करना

١١ - بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

इस बाब के लाने से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि मुज़ारआ जैसी मुसलमानों में आपस में दुरुस्त है वैसी ही मुसलमान और काफ़िर में भी दुरुस्त है और चूँकि ह़दीष़ में सिर्फ़ यहूद का ज़िक्र था। लिहाज़ा बाब का तर्जुमे में उन ही को बयान किया और जब यहूद के साथ मुज़ारआ करना जाइज़ हुआ तो हर एक ग़ैर–मुस्लिम के साथ जाइज़ होगा। इस क़िस्म के दुनियावी, तमद्दुनी (सांस्कृतिक), मुआशरती (सामाजिक), इक़्तिसादी (आर्थिक) मामलात में इस्लाम ने मज़हबी तंग नज़री से काम नहीं लिया है। बल्कि ऐसे सारे कामों में सिर्फ़ इंसानी फ़ायदों को सामने रखकर मुस्लिम और ग़ैर–मुस्लिम दोनों का आपसी मामला जाइज़ रखा है। हाँ अदल हर जगह हर शख़्स के लिये ज़रूरी है। **इअदिलू हुव अक़्रबू लित्तक़्वा** (अल् माइदह : 8) का यही मफ़्हूम है कि अदल करो यही तक़्वा से ज़्यादा क़रीब है। अदल का मुतालबा मुस्लिम और ग़ैर–मुस्लिम सबसे यकसाँ है। आज के ज़माने में अहले इस्लाम ज़मीन के हर ह़िस्से पर फैले हुए हैं और कई बार ग़ैर–मुस्लिम लोगों से उनके दुनियावी मामलात, लेन–देन वग़ैरह के ता'ल्लुक़ रहते हैं । रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने आज से चौदह सौ साल पहले ऐसे ह़ालात का अंदाज़ा था। इसलिये दुनियावी उमूर में मज़हबी तअस्सुब से काम नहीं लिया गया।

2331. हमसे मुह़म्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें उ़बैदुल्लाह ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर की ज़मीन यहूदियों को इस शर्त पर सौंपी थी कि उसमें मेह़नत करें और खेतियाँ बोएँ और उसकी पैदावार का आधा ह़िस्सा लें। (राजेअ : 2285)

٢٣٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)). [راجع: ٢٢٨٥]

बाब 12 : बटाई में कौनसी शर्तें लगाना मकरूह है

١٢- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

2332. हमसे स़दक़ा बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कहा कि हमको

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ

सुफ़यान बिन उ़यैयना ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन सईद अंसारी ने, उन्होंने ह़न्ज़ला ज़ुरक़ी से सुना कि राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने कहा हमारे पास मदीना के दूसरे लोगों के मुक़ाबले में ज़मीन ज़्यादा थी। हमारे यहाँ त़रीक़ा ये था कि जब ज़मीन जिंस के बदले किराये पर देते तो ये शर्त लगा देते कि उस हिस़्से की पैदावार तो मेरी रहेगी और उस हिस़्से की तुम्हारी रहेगी। फिर कभी ऐसा होता कि एक हिस़्से की पैदावार ख़ूब होती और दूसरे की न होती। इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने लोगों को इस त़रह़ का मामला करने से मना फ़र्मा दिया। (राजेअ़ : 2286)

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ)).
[راجع: ٢٢٨٦]

यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि ये एक फ़ासिद शर्त है कि यहाँ की पैदावार मैं लूँगा वहाँ की तू ले। ये सरासर नज़ाअ़ (झगड़े) की सूरत है। इसीलिये ऐसी शर्तें लगाना मकरूह क़रार दिया गया।

बाब 13 : जब किसी के माल से उनकी इजाज़त के बग़ैर ही काश्त की और उसमें उनका ही फ़ायदा रहा हो

١٣ - بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब में वही तीन आदमियों की ह़दीष़ बयान की है जो ऊपर ज़िक्र हो चुकी है और बाब का तर्जुमा तीसरे शख़्स़ के बयान से निकला है कि उसने मज़दूर की इजाज़त के बिना उस के माल को काम में लगाया और उससे फ़ायदा कमाया, और अगर ऐसा करना गुनाह होता तो ये शख़्स़ इस काम को बला को दूर करने का वसीला क्यों बनाता। (वहीदी)

2333. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उनसे अबू ज़म्रह ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन आदमी कहीं चले जा रहे थे कि बारिश ने उनको आ लिया। तीनों ने एक पहाड़ की ग़ार में पनाह ले ली, अचानक ऊपर से एक चट्टान ग़ार के सामने आ गिरी, और उन्हें (ग़ार के अंदर) बिलकुल बन्द कर दिया। अब उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि तुम लोग अब अपने ऐसे कामों को याद करो। जिन्हें तुमने ख़ालिस़ अल्लाह तआ़ला के लिये किया हो। और उसी काम का वास्ता देकर अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करो। मुम्किन है इस त़रह़ अल्लाह तआ़ला तुम्हारी इस मुस़ीबत को टाल दे। चुनाँचे एक शख़्स़ ने दुआ़ शुरू की। ऐ अल्लाह! मेरे वालिदैन बहुत ही बूढ़े थे। और मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी थे। मैं उनके लिये (जानवर) चराया

٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ.
قَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ

أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ. وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا وَ أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأَوُا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، فَفَرَجَ. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ. فَخُذْ، فَأَخَذَهُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ.

करता था। फिर जब वापस घर आता तो दूध दूहता। सबसे पहले, अपनी औलाद से भी पहले, मैं वालिदैन ही को दूध पिलाता था। एक दिन देर हो गई और रात गए तक घर वापस आया। उस वक़्त मेरे माँ–बाप सो चुके थे। मैंने मा'मूल के मुताबिक़ दूध दूहा और (उसका प्याला लेकर) मैं उनके सिरहाने खड़ा हो गया। मैंने पसन्द नहीं किया कि उन्हें जगाऊँ। लेकिन अपने बच्चों को भी (वालदैन से पहले) पिलाना मुझे पसन्द नहीं था। बच्चे सुबह तक मेरे क़दमों पर पड़े तड़पते रहे, पस अगर तेरे नज़दीक भी मेरा ये अमल सिर्फ़ तेरी रज़ामन्दी के लिये था, तो (ग़ार से इस चट्टान को हटाकर) हमारे लिये इतना रास्ता बना दे कि आसमान नज़र आ सके। चुनाँचे अल्लाह तआला ने रास्ता बना दिया और उन्हें आसमान नज़र आने लगा। दूसरे ने कहा ऐ अल्लाह! मेरी एक चचाज़ाद बहन थी। मर्द–औरतों से जिस तरह की इंतिहाई मुहब्बत कर सकते हैं, मुझे उससे उतनी मुहब्बत थी। मैंने उसे अपने पास बुलाना चाहा। लेकिन वो सौ दीनार देने की सूरत में राज़ी हुई। मैंने कोशिश की और वो रक़म जमा की। फिर जब मैं ज़िना की निय्यत से उसके पास बैठ गया तो उसने मुझसे कहा कि ऐ अल्लाह के बन्दे! अल्लाह से डर और उसकी मुहर को हक़ के बग़ैर न तोड़। मैं ये सुनते ही दूर हो गया। अगर मेरा ये अमल तेरे इल्म में भी तेरी रज़ा ही के लिये था तो (इस ग़ार से) पत्थर को हटा दे। पस ग़ार का मुँह कुछ और खुला। अब तीसरा बोला कि ऐ अल्लाह! मैं ने एक मज़दूर तीन फ़रक़ चावल की मज़दूरी पर मुक़र्रर किया था। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो मुझसे कहा कि अब मेरी मज़दूरी मुझे दे दे। मैंने पेश कर दी लेकिन उस वक़्त वो इंकार कर बैठा। फिर मैं बराबर उसकी उज्रत से खेती करता रहा। और उसके नतीजे में बढ़ने से बैल और चरवाहे मेरे पास जमा हो गए। अब वो शख़्स आया और कहने लगा कि अल्लाह से डर! मैंने कहा कि बैल और उसके चरवाहे के पास जा और उसे ले ले। उसने कहा, अल्लाह से डर और मुझसे मज़ाक़ न कर, मैंने कहा कि मैं मज़ाक़ नहीं कर रहा हूँ (ये सब तेरा ही है) अब तुम इसे ले जाओ। पस उसने उन सब पर क़ब्ज़ा कर लिया। इलाही! अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये काम तेरी ख़ुशी ही के लिये किया था तो तू इस ग़ार को खोल दे। अब वो ग़ार पूरा खुल चुका था। अब

फ़फ़रज (अल्लाह))۔قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ : ((فَسَعَيْتُ)).
[راجع: ٢٢١٥]

अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि इब्ने उ़क़्बा ने नाफ़ेअ़ से (अपनी रिवायत में फ़ब्ग़ात के बजाय) फ़सऐतु नक़ल किया है। (राजेअ़ : 2215)

दोनों का मफ़्हूम एक ही है। या'नी मैंने मेह़नत करके सौ अशरफ़ियाँ जमा कीं। इब्ने उ़क़्बा की रिवायत को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल अदब में वस्ल (मिलान) किया है।

तश्रीह : इस लम्बी ह़दीष़ के ज़ेल में ह़ज़रत ह़ाफ़िज़ साह़ब फ़र्माते हैं, **औरद फ़ीहि ह़दीष़ष़्षलाष़तिल्लज़ीन इन्तबक़ अ़लैहिल्ग़ारू व सयातिल्क़ौलु फ़ी शर्हिही फ़ी अहादीष़िल अंबियाइ वल्मक़्सूदु मिन्हु हुना क़ौलु अहदिष़्षलाष़तिल्लज़ीन फ़अरज़्तु अ़लैहि अलल्अजीरि ह़क़्क़हू फ़रग़िब अ़न्हु फ़लम अज़ल उज़्रिअहू ह़त्ता जमअ़तु मिन्हा बकरन व रुआतहा फ़इन्नज़्ज़ाहिर अन्नहू अय्यन लहू उज्रतहू फ़लम्मा तरकहा बअ़्द अन तअ़य्यनत लहू ष़ुम्म तसर्रफ़ फ़ीहल्मुस्ताजिर बिअ़यनिहा स़ारत मिन ज़मानिही क़ाल इब्नुल्मुनीर मुताबक़तुत्तर्जुमति अन्नहू क़द अय्यन लहू ह़क़्क़हू व मक्कनहू मिन्हु फ़बरिअत ज़िम्मतुहू बिज़ालिक फ़लम्मा तरकहू वज़अ़ल्मुस्ताजिरू यदहू अ़लैहि वज़्अ़न मुस्तानिफ़न ष़ुम्म तस़र्रफ़ फ़ीहि बितरीक़िल इस़्लाह़ि ला बितरीक़ित्तज़इए फ़ग़तफ़र ज़ालिक व लम यउद तअदिय्यन व लिज़ालिक तवस़्सल बिही इलल्लाहि अ़ज़्ज़ व जल्ल व जअ़लहू मिन अफ़्ज़जि आ़मालिही व अक़्रर अ़ला ज़ालिक व वक़अ़त लहुल्इजाबतु** (फ़त्हुल बारी)

या'नी इस जगह ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने उन तीन लोगों वाली ह़दीष़ को नक़ल फ़र्माया जिनको ग़ार ने छुपा लिया था। उसकी पूरी शरह़ किताब अह़ादीष़ुल अंबिया में आएगी। यहाँ मक़्सूद उन तीनों में से उस एक शख़्स का क़ौल है। जिसने कहा था कि मैंने अपने मज़दूर को उसका पूरा ह़क़ देना चाहा, लेकिन उसने इंकार कर दिया। पस उसने उसकी खेती शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने उसकी आमद से बैल और उसके लिये हाली ख़रीद लिये। पस ज़ाहिर है कि उसने उस मज़दूर की उज्रत मुक़र्रर कर रखी थी मगर उसने उसे छोड़ दिया। फ़िर उस मालिक ने अपनी ज़िम्मेदारी पर उसे कारोबार में लगा दिया। इब्ने मुनीर ने कहा कि मुत़ाबक़त यूँ है कि उस बाग़ वाले ने उसकी उज्रत मुक़र्रर कर दी और उसको दी। मगर उस मज़दूर ने उसे छोड़ दिया। फ़िर उस शख़्स ने इस्लाह़ और तरक़्क़ी की निय्यत से उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी निय्यते ख़ैर की वजह से उसने उसे अपना अफ़्ज़ल अ़मल समझा और बत़ौरे वसीला दरबारे इलाही में पेश और अल्लाह ने उसके उस अ़मले ख़ैर को क़ुबूल फ़र्माया। इसी से मक़्सदे बाब ष़ाबित हुआ।

इससे आ़माले ख़ैर को बत़ौरे वसीला बवक़्ते दुआ दरबारे इलाही में पेश करना भी ष़ाबित हुआ। यही वो वसीला है जिसका क़ुर्आन मजीद में हुक्म दिया गया है, **या अय्यूहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल् वसीलत व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअ़ल्लकुम तुफ़्लिहून**) (अल् माइदह : 35) ऐ ईमानवालों ! अल्लाह से डरो और (आ़माले ख़ैर से) उसकी त़रफ़ वसीला तलाश करो, और अल्लाह के दीन की इशाअ़त के लिये जद्दोजहद मेह़नत कोशिश बसूरते जिहाद वग़ैरह जारी रखो ताकि तुमको कामयाबी ह़ासिल हो। जो लोग आ़माले ख़ैर को छोड़कर बुज़ुर्गों का वसीला ढूँढते हैं और इसी ख़्याले बात़िल के तह़त उनको उठते–बैठते पुकारते रहते हैं वो लोग शिर्क का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह के नज़दीक ज़ुम्र-ए-मुश्रिकीन में लिखे जाते हैं। इबलीस अ़लैहिल्लअ़्ना का ये वो फ़रेब है जसमें नामो–निहाद अहले इस्लाम की कष़ीर ता'दाद गिरफ़्तार है। उसी बातिल ख़्याल के तह़त बुज़ुर्गानेदीन की तारीख़े विलादत व तारीख़े वफ़ात पर तक़रीबात की जाती हैं । क़ुर्बानियाँ दी जाती हैं, उ़र्स किये जाते हैं, उनके नामों पर नज़्रें नियाज़ें होती हैं। ये सारे काम मुश्रिकीन से सीखे गए हैं और जो मुसलमान इनमें गिरफ़्तार हैं उनको अपने दीन व ईमान की ख़ैर मनानी चाहिये।

١٤ - بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

बाब 14 : सह़ाबा किराम के औक़ाफ़ और ख़राजी ज़मीन और उसकी बटाई

का बयान। और नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से

وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وقال النبي ﷺ لعمر: ((تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به)).

फ़र्माया था। (जब वो अपना एक खजूर का बाग़ लिल्लाह वक़्फ़ कर रहे थे) असल ज़मीन को वक़्फ़ कर दे, उसको कोई बेच न सके अल्बत्ता उसका फल ख़र्च किया जाता रहे। चुनाँचे उ़मर (रज़ि.) ने ऐसा ही किया।

इब्ने बत्ताल ने कहा इस बाब का मतलब ये है कि सहाबा किराम (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) के बाद भी आप (ﷺ) के औक़ाफ़ में इसी तरह मुज़ारआ करते रहे जैसे ख़ैबर के यहूदी किया करते थे।

तश्रीह : ये एक हदीष़ का टुकड़ा है जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल वसाया में निकाला कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अपना एक बाग़ जिसको ष़मग़ कहते थे, सदक़ा कर दिया और आँहज़रत से अ़र्ज़ किया, मैंने कुछ माल कमाया है, मैं चाहता हूँ उसको सदक़ा करूँ वो माल बहुत उ़म्दा है। आपने फ़र्माया उसकी अस़्ल सदक़ा कर दे न वो बेचा जा सके न हिबा किया जा सके और न उसमें तर्का हो बल्कि उसका मेवा ख़ैरात हुआ करे। फिर हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसको उसी त़रह अल्लाह की राह या'नी मुजाहिदीन और मसाकीन और गुलामों के आज़ाद कराने और मेहमानों और मुसाफ़िरों और रिश्तेदारों के लिये सदक़ा कर दिया और ये इजाज़त दी कि जो उसका मुतवल्ली हो वो उसमें से दस्तूर के मुवाफ़िक़ खाए, अपने दोस्तों को खिलाए लेकिन उसमें से दौलत जमा न करे। बाब में और हदीष़ में बंजर ज़मीन की आबादकारी का ज़िक्र है। त़हावी ने कहा बंजर वो ज़मीन जो किसी की मिल्कियत न हो, न शहर और न बस्ती के बारे में हो। आज के हालात के तहत उस ता'रीफ़ से कोई ज़मीन ऐसी बंजर नहीं रहती जो इस बाब या हदीष़ के ज़ेल आ सके। इसलिये कि आज ज़मीन का एक एक चप्पा ख़्वाह वो बंजर दर बंजर ही क्यूँ न हो वो हुकूमत की मिल्कियत में दाख़िल है। या किसी गाँव बस्ती के बारे में है तो उसकी मिल्कियत में शामिल है।

बहरसूरत हदीष़ का मफ़्हूम और बाब अपनी जगह बिलकुल आज भी जारी है कि बंजर ज़मीनें आबाद करनेवालों का हक़ है और मौजूदा हुकूमत या अहले क़र्या का फ़र्ज़ है कि वो ज़मीन उसी आबाद करने वाले के नाम मुंतक़िल (ट्रांसफ़र) कर दें। उसी से ज़मीन की आबादकारी के लिये हिम्मत बढ़ाना मक़्सूद है और ये हर ज़माने में इंसानियत का एक अहम मसला रहा है। जिस क़दर ज़मीन ज़्यादा आबाद होगी इंसानी नस्ल को उससे ज़्यादा नफ़ा पहुँचेगा। लफ़्ज़ अरज़न मवाता, उस बंजर ज़मीन पर बोला जाता है जिसमें खेती न होती हो। उसके आबाद करने का मत़लब ये कि उसमें पानी लाया जाए। फिर उसमें बाग़ लगाए जाएँ या खेती की जाए तो उसका हक़्क़े मिल्कियत उसके आबाद करने वाले के लिये ष़ाबित हो जाता है। जिसका मत़लब ये भी है कि हुकूमत या अहले बस्ती अगर ऐसी ज़मीन को उससे छीनकर किसी और को देंगे तो वो अल्लाह के नज़दीक ज़ालिम ठहरेंगे।

٢٣٣٤- حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ((قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ﷺ خيبر)).

[أطرافه في: ٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦].

2334. हमसे सदक़ा ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी ने ख़बर दी, उन्हें इमाम मालिक ने, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, कि अगर मुझे बाद में आने वाले मुसलमानों का ख़्याल न होता तो मैं जितने शहर भी फ़तह करता, उन्हें फ़तह करने वालों में ही तक़्सीम करता जाता, बिलकुल उसी त़रह जिस तरह नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर की ज़मीन तक़्सीम फ़र्मा दी थी।

(दीगर मक़ाम : 3125, 4235, 4236)

तश्रीह : मत़लब ये है कि आने वाले दौर में ऐसे बहुत से मुसलमान लोग पैदा होंगे जो मुहताज होंगे। अगर मैं तमाम जीते हुए इलाक़ों को ग़ाज़ियों में तक़्सीम करता चला जाऊँ, तो आइन्दा मुहताज मुसलमान महरूम रह जाएँगे। ये हज़रत

उमर (रज़ि.) ने उस वक़्त फ़र्माया जब सवाद का मुल्क फ़तह हुआ।

बाब 15 : उस शख़्स का बयान जिसने बंजर ज़मीन को आबाद किया

١٥- بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

और हज़रत अली (रज़ि.) ने कूफ़ा में वीरान इलाक़ों को आबाद करने के लिये यही हुक्म दिया था। और हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जो कोई बंजर ज़मीन को आबाद करे, वो उसी की हो जाती है। और हज़रत उमर (रज़ि.) और इब्ने औफ़ (रज़ि.) भी यही रिवायत है। अल्बत्ता इब्ने औफ़ (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से (अपनी रिवायत में) ये ज़्यादती की है कि बशर्ते कि वो (ग़ैर आबाद ज़मीन) किसी मुसलमान की न हो, और ज़ालिम रग वाले का ज़मीन में कोई हक़ नहीं है। और इस सिलसिलें में जाबिर (रज़ि.) की भी नबी करीम (ﷺ) से एक ऐसी ही रिवायत है।

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ. وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَه. وَيُرْوَى عن عُمَر بن عَوفٍ عنِ النبيِّ ﷺ. وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ: وَلَيْسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ فِيْهِ حَقٌّ. وَيُرْوَى فِيْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2335. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उनसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जा'फ़र ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने, उनसे उर्वा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने कोई ऐसी ज़मीन आबाद की, जिस पर किसी का हक़ नहीं था तो उस ज़मीन का वही हक़दार है। उर्वा ने बयान किया कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में यही फ़ैसला किया था।

٢٣٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ)). قَالَ عُرْوَةُ : قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ.

तश्रीह : हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) के इर्शादात से ये अम्र ज़ाहिर है कि ऐसी बंजर ज़मीनों की आबादकारी, फिर उनकी मिल्कियत, ये सारे काम हुकूमते वक़्त की इजाज़त से जुड़े हुए हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने जो फ़ैसला किया था आज भी ज़्यादातर मुल्कों में यही क़ानून नाफ़िज़ है जो कि ग़ैर आबाद ज़मीनों की आबादकारी के लिये बेहद ज़रूरी है। उर्वा के अष्र को इमाम मालिक (रह.) ने मौता में वस्ल (मिलान) किया। और उसकी दूसरी रिवायत में मज़्कूर है जिसको अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम ने किताबुल अम्वाल में निकाला कि लोग हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में ज़मीनों को रोकने लगे, तब आपने ये क़ानून नाफ़िज़ किया कि जो कोई ग़ैर–आबाद ज़मीन को आबाद करेगा वो उसकी हो जाएगी। मतलब ये था कि महज़ क़ब्ज़ा करने या रोकने से ऐसी ज़मीन पर हक़्क़े मिल्कियत षाबित नहीं हो सकता जब तक उसको आबाद न करे। हाफ़िज़ साहब ने तहावी के हवाले से नक़ल फ़र्माया है कि **ख़रज रजुलुम्मिन अहलिल बस्रति युक़ालु लहू अबू अब्दिल्लाहि इला उमर फ़क़ाल अन्न बिअर्ज़िल बसरति अर्ज़न ला तज़ुर्रू बिअहदिम्मिनल मुस्लिमीन व लैसत बिअर्ज़िन ख़राजिन फ़इन शिअत अन तक़्तअनीहा इत्तख़ज़हा कज़बन व जैतूनन फ़कतब उमरू इला अबी मूसा इन कानत कज़ालिक फ़क्तज़हा इय्याहु** (फ़त्हुल बारी) या'नी बस्रा का बाशिन्दा अबू अब्दुल्लाह नामी हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और बतलाया कि बस्रा में एक ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है कि जिससे किसी मुसलमान को कोई ज़रर नहीं है न वो ख़राज़ी (लगान वाली) है। अगर आप उसे मुझे दे दें तो मैं उसमें जैतून वग़ैरह के पेड़ लगा लूँगा। आपने बस्रा के गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) को लिखा कि जाकर उस ज़मीन को देखें। अगर वाक़िया यही है तो उसे

उस शख़्स को दे दें। मा'लूम हुआ कि फ़ालतू ज़मीनों को आबाद करने के लिये हुकूमत वक़्त की इजाज़त ज़रूरी है।

बाब 16 : ١٦- بَابٌ

इस बाब में कोई तर्जुमा मज़्कूर नहीं है। गोया पहले बाब ही की एक फ़स्ल है। और मुनासबत बाब की हदीष़ से ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ा की ज़मीन में ये हुक्म नहीं दिया कि जो कोई उसको आबाद करे तो वो उसकी मिल्क है क्योंकि ज़ुलहुलैफ़ा लोगों के उतरने की जगह है। ष़ाबित हुआ कि ग़ैर–आबाद ज़मीन अगर पड़ाव वग़ैरह के काम आती हो तो वो किसी की मिल्कियत नहीं, वहाँ हर शख़्स उतर सकता है। वादी–ए–अक़ीक़ के लिये भी यही हुक्म लगाया गया। हदीषे ज़ेल के यहाँ वारिद करने का यही मक़्सद है।

2336. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उ़क़्बा ने, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने और उनसे उनके बाप ने कि नबी करीम (ﷺ) ने (मक्का के लिये तशरीफ़ ले जाते हुए) जब ज़ुलहुलैफ़ा में नाले के निचले हिस्से में रात के आख़िरी हिस़्से में पड़ाव किया तो आपसे ख़्वाब में कहा गया कि आप इस वक़्त एक मुबारक वादी में हैं। मूसा बिन उ़क़्बा (रावी हदीष़) ने बयान किया कि सालिम (बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि) ने भी हमारे साथ वहीं ऊँट बिठाया। जहाँ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बिठाया करते थे, ताकि उस जगह क़याम कर सकें, जहाँ नबी करीम (ﷺ) ने क़याम फ़र्माया था। ये जगह वादी-ए-अक़ीक़ की मस्जिद से नाले के नशीब में है। वादी-ए-अ़क़ीक़ और रास्ते के बीच में।

(राजेअ़ : 483)

٢٣٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٨٣]

2337. हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐ़ब बिन इस्हाक़ ने ख़बर दी, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया कि मुझसे यह्या ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने, और उनसे उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया रात मेरे पास मेरे रब की त़रफ़ से एक आने वाला फ़रिश्ता आया। आप उस वक़्त वादी अ़क़ीक़ में क़याम किये हुए थे (और उसने ये पैग़ाम पहुँचाया कि) इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ और कहा कि कह दीजिए! उ़मरह हज्ज में शरीक हो गया।

(राजेअ़ : 21534)

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)).

[راجع: ٢١٥٣٤]

तशरीह : मुज्तहिदे मुत्लक़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इस मसले को मज़ीद वाज़ेह करना चाहते हैं कि बंजर और ग़ैर आबाद ज़मीन पर जो किसी की भी मिल्कियत न हो, तो हल चलाने वाला उसका मालिक बन जाता है क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने वादी-ए-अ़क़ीक़ में क़याम फ़र्माया जो किसी की मिल्कियत न थी। इसलिये ये वादी रसूले करीम (ﷺ) के क़याम

करने की जगह बन गई, बिलकुल उसी तरह ग़ैर आबाद और बिना मिल्कियत वाली ज़मीन का आबाद करने वाला उसका मालिक बन जाता है। आजकल चूँकि ज़मीन का चप्पा चप्पा हर मुल्क की हुकूमत की मिल्कियत माना गया है इसलिये ऐसी ज़मीनों के लिये हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है।

बाब 17 : अगर ज़मीन का मालिक काश्तकार से यूँ कहे मैं तुझको उस वक़्त तक रखूँगा जब तक अल्लाह तुझको रखे और कोई मुद्दत मुक़र्रर न करे तो मामला उनकी ख़ुशी पर रहेगा (जब चाहें फ़स्ख़ कर दें)

١٧- بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلاً مَعْلُومًا - فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيْهِمَا

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ ये षाबित फ़र्माया कि फ़तहे ख़ैबर के बाद ख़ैबर की ज़मीन इस्लामी मिल्कियत में आ गई थी। आपने उससे ये मसला निकाला है कि अगर फ़रीक़ैन (दोनों पक्ष) रज़ामन्द हों तो बटाई का मामला तअय्युने मुद्दत (समय सीमा के निर्धारण) के बग़ैर भी जाइज़ है। मगर ये फ़रीक़ेन की रज़ामन्दी पर मौक़ूफ़ (आधारित) है। ख़ैबर की ज़मीन का मामला कुछ ऐसा था कि उसका ज़्यादातर हिस्से तो जंग के बाद फ़तह हो गया था। जो शरई क़ायदे के मुताबिक़ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) और मुसलमानों की मिल्कियत में आ गया था। कुछ हिस्से सुलह के बाद फ़तह हुआ। फिर वो भी जंग के क़ायदे के मुताबिक़ मुसलमानों की मिल्कियत क़रार दिया गया। तैमा और अरीहा दो मुक़ामों के नाम हैं जो समुन्दर के किनारे बनी तै के मुल्क पर वाक़ेअ है। मुल्के शाम (सीरिया) की राह यहीं से शुरू होती है।

2338. हमसे अहमद बिन मिक़्दाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ुज़ैल बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उन्हें नाफ़ेअ ने ख़बर दी, और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने (जब ख़ैबर पर) फ़तह हासिल की थी (दूसरी सनद) और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने कहा कि हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने यहूदियों और ईसाइयों को सरज़मीने हिजाज़ से निकाल दिया था और जब नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर पर फ़तह पाई तो आपने भी यहूदियों को वहाँ से निकालना चाहा। जब आपको वहाँ फ़तह हासिल हुई तो उसकी ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) और मुसलमानों की हो गई थी। आपका इरादा यहूदियों को वहाँ से बाहर निकालने का था। लेकिन यहूदियों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि आप हमें यहीं रहने दें। हम (ख़ैबर की अराज़ी का) सारा काम ख़ुद करेंगे और उसकी पैदावार में आधा हिस्सा ले लेंगे। इस पर रसूलुल्लाह

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.)). وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ

(ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा जब तक चाहें तुम्हें इस शर्त पर यहाँ रहने देंगे। चुनाँचे वो लोग वहीं रहे। और फिर उमर (रज़ि.) ने उन्हें तैमा और अरीहाअ की तरफ़ जलावतन कर दिया।

(राजेअ : 2285)

رَسُولُ اللهِ ﷺ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ)). [راجع: ٢٢٨٥]

क्योंकि वो हर वक़्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ुफ़िया साजिशें करते रहते थे।

बाब 18 : नबी करीम (ﷺ) के सहाबा किराम (रज़ि.) खेती-बाड़ी में एक-दूसरे की मदद किस तरह करते थे

١٨- بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

खेती का काम ही ऐसा है कि उसमें आपसी सहयोग व इमदाद की बेहद ज़रूरत है। इस बारे में अंसार व मुहाजिरीन का आपसी सहयोग बहुत ही क़ाबिले तहसीन (सराहनीय) है। अंसार ने अपने खेत और बाग़ मुहाजिरीन के हवाले कर दिये और मुहाजिरीन ने अपनी मेहनत से उनको गुले गुलज़ार (हरा–भरा) बना दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु

2339. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, उन्हें राफ़ेअ बिन ख़दीज के गुलाम अबू नज्जाशी ने। उन्होंने राफ़ेअ बिन ख़दीज बिन राफ़ेअ (रज़ि.) से सुना, और उन्होंने अपने चचा ज़ुहैर बिन राफ़ेअ (रज़ि.) से, ज़ुहैर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें एक ऐसे काम से मना किया था जिसमें हमारा (बज़ाहिर ज़ाती) फ़ायदा था। इस पर मैंने कहा कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने जो कुछ भी फ़र्माया वो हक़ है। ज़ुहैर (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बुलाया और दरयाफ़्त फ़र्माया कि तुम लोग अपने खेतों का मामला किस तरह करते हो? मैंने कहा कि हम अपने खेतों को (बोने के लिये) नहर के क़रीब की ज़मीन की शर्त पर दे देते हैं। इसी तरह खजूर और जौ के चन्द वस्क़ पर। ये सुनकर आपने फ़र्माया कि ऐसा न करो। या ख़ुद उसमें खेती किया करो या दूसरों से कराओ, वरना उसे यूँ ख़ाली ही छोड़ दो। राफ़ेअ (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने कहा (आपका ये फ़र्मान) मैंने सुना और मान लिया।

(दीगर मक़ाम : 2346, 4012)

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟)) قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ. قَالَ: ((لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً)).

[طرفاه في: ٢٣٤٦، ٤٠١٢].

तश्रीह : कुछ रिवायतों में लफ़्ज़ अलर्रुबअ की जगह अलर्रबीइ आया है अर्बआ उसी की जमा है। रबीअ नाली को कहते हैं और कुछ रिवायतो में अलर्रुबअ है। जैसा कि यहाँ मज़्कूर है; या'नी चौथाई पैदावार पर। लेकिन हाफ़िज़ ने कहा सहीह अलर्रबीअ है। मतलब ये है कि वो ज़मीन का किराया ये ठहराते कि नालियों पर जो पैदावार हो वो तो ज़मीन वाला लेगा

और बाक़ी पैदावार मेह्नत करने वाले की होगी। इस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐसा न करो। या तो ख़ुद खेती करो, या कराओ या उसे ख़ाली पड़ा रहने दो, या खेती के लिये अपने किसी मुसलमान भाई को बख़्श दो। ज़मीन का कोई ख़ालिस़ हिस़्से खेत वाला अपने लिये मख़्सूस़ कर ले ऐसा करने से मना किया क्योंकि उसमें किसान के लिये नुक़्सान का अन्देशा है। बल्कि एक त़रह से खेत वाले के लिये भी नुक़्सान ही है क्योंकि मुम्किन है उस ख़ास़ टुकड़े से दूसरे टुकड़ों में पैदावार बेहतर हो। पस आधा या तिहाई चौथाई बटाई पर इजाज़त दी गई और यही त़रीक़ा आज तक हर जगह मुरव्वज (प्रचलित) है। नक़्द रुपया वग़ैरह मह़सूल करके ज़मीन किसान को दे देना, ये त़रीक़ा इस्लाम ने जाइज़ रखा है। आगे आने वाली अह़ादीष़ में ये सारी तफ़्सीलात मज़्कूर हो रही है।

२٣٤٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)). [طرفه في : ٢٦٣٢].

2340. हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम औज़ाई ने ख़बर दी और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि स़हाबा तिहाई, चौथाई या आधा पर बटाई का मामला किया करते थे। फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसके पास ज़मीन हो तो उसे ख़ुद बोए वरना दूसरों को बख़्श दे, अगर ये भी नहीं कर सकता तो उसे यूँ ही ख़ाली छोड़ दे।

(दीगर मक़ाम : 2632)

٢٣٤١- وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)).

2341. और रबीआ़ बिन नाफ़ेअ़ अबू तौबा ने कहा कि हमसे मुआविया बिन सलाम ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन अबी क़ष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके पास ज़मीन हो तो वो ख़ुद बोए वरना अपने किसी (मुसलमान) भाई को बख़्श दे, और अगर ये नहीं कर सकता तो उसे यूँ ही ख़ाली छोड़ दे।

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: ((أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا)). [راجع: ٢٣٣٠]

2342. हमसे क़बीस़ा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने बयान किया कि मैंने उसका (या'नी राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ि. की मज़्कूरा ह़दीष़ का) ज़िक्र त़ाऊस से किया तो उन्होंने कहा कि (बटाई वग़ैरह पर) खेती करा सकता है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि नबी करीम (ﷺ) ने उससे मना नहीं किया था। अल्बत्ता आपने ये फ़र्माया था कि अपने किसी भाई को ज़मीन बख़्शिश के तौर पर दे देना उससे बेहतर है कि उस पर उससे कोई मह़सूल ले। (इस सूरत में कि ज़मींदार के पास फ़ालतू ज़मीन बेकार पड़ी हो) (राजेअ़ : 2330)

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ

2343. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि

हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब सुख़्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) अपने खेतों को नबी करीम (ﷺ), अबूबक्र, उमर, उष्मान (रज़ि.) के दौर में और मुआविया (रज़ि.) के शुरूआती दौरे ख़िलाफ़त में (ज़मीन) किराये पर देते थे। (दीगर मक़ाम : 2345)

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ)). [طرفه في: ٢٣٤٥].

2344. फिर राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) के वास्ता से बयान किया गया कि नबी करीम (ﷺ) ने खेतों को किराया पर देने से मना किया था। (ये सुनकर) इब्ने उमर (रज़ि.) राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) के पास गए, मैं भी उनके साथ था। इब्ने उमर (रज़ि.) ने उनसे पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने खेतों को किराया पर देने से मना फ़र्माया। इस पर इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि आपको मा'लूम है नबी करीम (ﷺ) के अहद में हम अपने खेतों को उस पैदावार के बदल जो नालियों पर हो और थोड़ी घास के बदल दिया करते थे। (राजेअ : 2286)

٢٣٤٤- ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ)). [راجع: ٢٢٨٦]

क़ानून अलग है और ईषार (त्याग) अलग। हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने क़ानून नहीं बल्कि एह्सान और ईषार के त़रीक़े को बतलाया है उसके बरख़िलाफ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जवाज़ और अदमे जवाज़ की सूरत बयान फ़र्मा रहे हैं। जिसका मक़्सद ये कि मदीना में जो ये त़रीक़ा राइज़ (चलन में) था कि नहर के पास की पैदावार ज़मीन का मालिक ले लेता था उससे आँहज़रत (ﷺ) ने मना फ़र्माया, मुत्लक़ बटाई से मना नहीं फ़र्माया। ये अलग बात है कि कोई शख़्स अपनी ज़मीन बत़ौरे हमदर्दी खेती के लिये अपने किसी भाई को दे दे। आँहज़रत (ﷺ) ने इस तर्ज़े अमल की बड़े शानदार लफ़्ज़ों में रग़बत दिलाई है।

2345. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में मुझे मा'लूम था कि ज़मीन को बटाई पर दिया जाता था। फिर उन्हें डर हुआ कि मुम्किन है कि नबी करीम (ﷺ) ने इस सिलसिले में कोई नई हिदायत दी हो जिसका इल्म उन्हें न हुआ हो, चुनाँचे उन्होंने (एह्तियात़न) ज़मीन को बटाई पर देना छोड़ दिया। (राजेअ : 2343)

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ)). [راجع: ٢٣٤٣]

पीछे तफ़्सील से गुज़र चुका है कि बेशतर मुहाजिरीन, अंसार की ज़मीनों पर बटाई पर खेती किया करते थे। पस बटाई पर देना बिलाशुब्हा जाइज़ है। यूँ एह्तियात़ का मामला अलग है।

बाब 19 : नक़दी लगान पर सोने –चाँदी के बदल ज़मीन देना

١٩- بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि बेहतर काम जो तुम करना चाहो ये है कि अपनी ख़ाली ज़मीन को एक साल से दूसरे साल तक किराया पर दो।

وقَالَ ابْنُ عبَّاسٍ: إنَّ أَمثَلَ مَا أنتمْ صانِعونَ أن تَستأجِروا الأرضَ البيضاءَ مِنَ السَّنةِ إلى السَّنةِ.

2346,47. हमसे अ़म्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे रबीआ़ बिन अबी अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे हंज़ला बिन क़ैस ने बयान किया, उनसे राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने बयान किया, कि मेरे दोनों चचा (ज़ुहैर और मुहैर रज़ि.) ने बयान किया कि वो लोग नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ज़मीन को बटाई पर नहर (के क़रीब की पैदावार) की शर्त पर दिया करते थे। या कोई भी ऐसा ख़ित्ता होता जिसे ज़मीन का मालिक (अपने लिये) छांट लेता था। इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना फ़र्माया। हंज़ला ने कहा कि इस पर मैंने राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) से पूछा, अगर दिरहम व दीनार के बदले ये मामला किया जाए तो क्या हुक्म है? उन्हों ने फ़र्माया कि अगर दीनार व दिरहम के बदले में हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और लैष़ ने कहा नबी करीम (ﷺ) ने जिस तरह की बटाई से मना फ़र्माया था, वो ऐसी सूरत है कि हलाल व हराम की तमीज़ रखने वाला कोई भी शख़्स उसे जाइज़ नहीं कह सकता क्योंकि उसमें खुला धोखा है। (राजेअ़ : 2339)

(दीगर मक़ाम : 4013)

٢٣٤٦، ٢٣٤٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: ((حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ)). وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْزُوهُ، لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

[راجع: ٢٣٣٩] [طرفه في : ٤٠١٣].

इससे जुम्हूर के क़ौल की ताईद होती है कि जिस मुज़ारआ़ में धोखा न हो मष़लन रुपया वग़ैरह के बदल हो या पैदावार के आध या चौथाई पर हो तो वो जाइज़ है। मना वही मुज़ारअ़त है जिसमें धोखा हो मष़लन किसी ख़ास़ मुक़ाम की पैदावार पर।

बाब 20 :

٢٠- بَابٌ

2348. हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कहा कि हमसे फुलैह ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अ़ली ने बयान किया, (दूसरी सनद) और हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू आमिर ने बयान किया, उनसे फुलैह ने

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ : دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ)). [طرفه في: ٧٥١٩].

बयान किया, उनसे हिलाल बिन अ़ली ने, उनसे अ़ता बिन यसार ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन बयान फ़र्मा रहे थे....... एक देहाती भी मज्लिस में ह़ाज़िर था कि अहले जन्नत में से एक शख़्स अपने रब से खेती करने की इजाज़त चाहेगा। अल्लाह तआ़ला उससे फ़र्माएगा क्या अपनी मौजूदा ह़ालत पर तू राज़ी नहीं है? वो कहेगा, क्यूँ नहीं! लेकिन मेरा जी खेती करने को चाहता है। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उसने बीज डाला। पलक झपकते ही वो उग भी आया। पक भी गया और काट भी लिया गया और उसके दाने पहाड़ों की त़रह़ हुए। अब अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, ऐ इब्ने आदम! इसे रख ले, तुझे कोई चीज़ आसूदा नहीं कर सकती। ये सुनकर देहाती ने कहा कि अल्लाह की क़सम! वो तो कोई क़ुरैशी या अंसारी ही होगा क्योंकि यही लोग खेती करने वाले हैं। हम तो खेती ही नहीं करते, इस बात पर रसूले करीम (ﷺ) को हंसी आ गई।

(दीगर मक़ाम : 7519)

ह़क़ीक़त में आदमी ऐसा ही ह़रीस़ (लालची) होता है। कितनी भी ज़्यादा दौलत और राह़त हो, वो उस पर क़नाअ़त नहीं करता। ज़्यादा त़लब करना उसके ख़मीर में है, इसी त़रह़ तलव्वुन–मिज़ाजी (अस्थिरचित्तता) भी। हालाँकि जन्नत में सब कुछ मौजूद होगा फिर भी कुछ लोग खेती की ख़्वाहिश करेंगे, अल्लाह पाक अपने फ़ज़्ल से उनकी ये ख़्वाहिश भी पूरी कर देगा जैसा कि रिवायत में मज़्कूर है। जो अपने मा'नी और मत़लब के लिहाज़ से ह़क़ाइक़ (वास्तविकता) पर आधारित है।

٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ

बाब 21 : पेड़ बोने का बयान

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنْ كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ - لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ - فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا

2349. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबू ह़ाज़िम सलमा बिन दीनार ने, उनसे सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने कि जुम्आ़ के दिन हमें बहुत ख़ुशी (इस बात की) होती थी कि हमारी एक बूढ़ी औ़रत थीं जो उस चुक़न्दर को उखाड़ लातीं जिसे हम अपने बाग़ की मैंढ़ों पर बो दिया करते थे। वो उनको अपनी हाँडी में पकातीं और उसमें थोड़े से जौ भी डाल देतीं। अबू ह़ाज़िम ने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि सहल ने यूँ कहा न उसमें चर्बी होती न चिकनाई। फिर जब हम जुम्आ़ की नमाज़ पढ़ लेते तो उनकी ख़िदमत में ह़ाज़िर होते। वो अपना पकवान हमारे सामने कर देतीं और इसलिये हमें जुम्अ़े के दिन की ख़ुशी होती थी। हम दोपहर का

नَتَغَدَّي وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)).

[راجع: ٩٣٨]

खाना और क़ैलूला जुम्अ़े के बाद किया करते थे।

(राजेअ़ : 938)

सह़ाबा किराम का अपने बाग़ों की मैंढ़ों पर चुक़न्दर लगाने का ज़िक्र है। उसी से बाब का मज़्मून ष़ाबित हुआ। नीज़ उस बूढ़ी अम्माँ का जज़्ब-ए-ख़िदमत क़ाबिले रश्क ष़ाबित हुआ। जो अस्ह़ाबे रसूले करीम (ﷺ) की ज़ियाफ़त के लिये इतना एहतिमाम करती और हर जुम्आ को अस्ह़ाबे रसूल (ﷺ) को अपने यहाँ मदऊ़ फ़र्माती (आमंत्रित करती) थी। चुक़न्दर और जौ, दोनों का मख़्लूत़ (मिक्स) दलिया जो तैयार होता है उसकी लज़्ज़त और लत़ाफ़त का क्या कहना? बहरह़ाल ह़दीष़ से बहुत से मसाइल का पता चलता है। ये भी कि जुम्आ के दिन मसनून है कि दोपहर का खाना और क़ैलूला जुम्आ की नमाज़ के बाद किया जाए। ख़्वातीन का बवक़्ते ज़रूरत अपने खेतों पर जाना भी ष़ाबित हुआ। मगर शरई पर्दा ज़रूरी है।

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ، وَاللهُ الْمَوعِدُ. وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيْثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يُشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِيْنَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِيْنَ يَنْسَوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَومًا: لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوبَهُ - حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ - ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَومِي هَذَا. وَاللهِ لَوْ لاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا

2350. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि लोग कहते हैं अबू हुरैरह (रज़ि.) बहुत ह़दीष़ बयान करते हैं। हालाँकि मुझे भी अल्लाह से मिलना है। (मै ग़लतबयानी कैसे कर सकता हूँ) ये लोग ये भी कहते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार आख़िर उसकी त़रह़ क्यूँ नहीं अह़ादीष़ बयान करते बात ये है कि मेरे भाई मुहाजिरीन बाज़ारों में ख़रीद-फ़रोख़्त में मशग़ूल रहा करते और मेरे भाई अंसार को उनकी जायदाद (खेत और बाग़ात वग़ैरह) मशग़ूल रखा करती थी। सिर्फ़ मैं एक मिस्कीन आदमी था, पेट भर लेने के बाद मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में बराबर ह़ाज़िर रहता था। जब ये सब ह़ज़रात ग़ैरह़ाज़िर रहते तो मैं ह़ाज़िर होता। इसलिये जिन अह़ादीष़ को ये याद नहीं कर सकते थे, मैं उन्हें याद रखता था। और एक दिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि तुममें से जो शख़्स भी अपने कपड़े को मेरी इस तक़रीर के ख़त्म होने तक फ़ैलाए रखे फिर (तक़रीर ख़त्म होने पर) उसे अपने सीने से लगा ले तो वो मेरी अह़ादीष़ को कभी नहीं भूलेगा। मैंने अपनी कमली को फैला दिया। जिसके सिवा मेरे बदन पर और कोई कपड़ा नहीं था। जब आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपनी तक़रीर ख़त्म फ़र्माई तो मैंने वो चादर अपने सीने से लगा ली। उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको ह़क़ के साथ नबी बनाकर मब्ऊ़ष़ किया! फिर आज तक मैं आप के उसी इर्शाद की वजह से आप की कोई ह़दीष़ नहीं भूला। अल्लाह गवाह है कि अगर क़ुर्आन की

دو आयतें न होतीं तो मैं तुमको कोई हदीष़ कभी बयान नहीं करता। (आयत) इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अन्ज़लना मिनल् बय्यिनात से अल्लाह तआला के इर्शाद अर्रहीम तक। (जिसमें इस दीन को छुपाने वाले पर, जिसे अल्लाह तआला ने नबी करीम (ﷺ) के ज़रिये दुनिया में भेजा है, सख़्त लअनत की गई है।) (राजेअ : 118)

أَبَدًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى - إِلَى قَوْلِهِ :- الرَّحِيمُ﴾. [راجع: ١١٨]

ये हदीष़ कई जगह नक़ल हुई है, और मुज्तहिदे मुत्लक़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इससे बहुत से मसाइल का इस्तिख़राज फ़र्माया है, यहाँ इस हदीष़ के लाने का मक़्सद ये दिखलाना है कि अंसारे मदीना आम तौर पर खेती-बाड़ी का काम किया करते थे। इससे ष़ाबित हुआ कि खेतों और बाग़ों को मआश का ज़रिया बनाना कोई ऐब वाला काम नहीं है बल्कि बाअिष़े अज्रो-ष़वाब है कि जितनी मख़्लूक़ उनसे फ़ायदा उठाएगी उसके लिये अज्रो-ष़वाब में ज़्यादती का मौजिब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक।

42. किताबुल मसाक़ात

किताब मसाक़ात के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

मसाक़ात दर हक़ीक़त मुज़ारआ की क़िस्म है। फ़र्क़ ये है कि मुज़ारआ ज़मीन में की जाती है और मसाक़ात पेड़ों में, या'नी एक शख़्स के पेड़ हों वो दूसरे से यूँ कहे, तुम इनको पानी दिया करो, उनकी ख़िदमत करते रहो, पैदावार हम तुम बांट लेंगे, उसी बारे के मसाइल बयान होंगे, मसाक़ात सक़ा से मुश्तक़ है जिसके मा'नी सैराब करना है। इस्तिलाह में यही कि बाग़ या खेत का मालिक अपना बाग़ या खेत इस शर्त पर किसी को दे दे कि उसकी आबपाशी (सिंचाई) और मेहनत उसके ज़िम्मे होगी और पैदावार में दोनों शरीक रहेंगे।

बाब : खेतों और बाग़ों के लिये पानी में से अपना हिस्सा लेना

بَابُ فِي الشُّرْبِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

और अल्लाह तआला ने सूरह मोमिनून में फ़र्माया, और हमने पानी से हर चीज़ को ज़िन्दा किया। अब भी तुम ईमान नहीं लाते। और अल्लाह तआला का ये फ़र्मान कि, देखा तुमने उस पानी को जिसको तुम पीते हो, क्या तुमने बादलों से उसे उतारा है, या उसको उतारने वाला मैं हूँ। अगर मैं चाहता तो उसको खारा बना देता। फिर

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

भी तुम शुक्र अदा नहीं करते, उजाजा (क़ुर्आन मजीद की आयत में) खारे पानी के मा'नी में है और मुज़्न बादल को कहते हैं।

أجَاجًا فَلَو لاَ تَشْكُرُونَ﴾.
الأُجَاجُ : الْمُزْنُ السَّحَابُ.

बाब 1 : पानी की तक़्सीम

١- بَابٌ فِي الشُّرْبِ

और जो कहता है पानी का हिस्सा ख़ैरात करना और हिबा करना और उसकी वसिय्यत करना जाइज़ है वो पानी बटा हुआ हो या बिन बटा हुआ। और हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई है जो बीरे रूमा (मदीना का एक मशहूर कुँआ) को ख़रीद ले और अपना डोल उसमें उसी तरह डाले जिस तरह और मुसलमान डालें (या'नी उसे वक़्फ़ कर दे) आख़िर हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने उसे ख़रीदा।

وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ. وَقَالَ عُثْمَانُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ)) فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

तश्रीह : बीरे रूमा मदीना का मशहूर कुँआ एक यहूदी की मिल्कियत में था। मुसलमान उससे ख़रीद कर पानी इस्ते'माल करते थे। इस पर रसूले करीम (ﷺ) ने उसे ख़रीदने के लियेऔर आम मुसलमानों के लिये वक़्फ़ करने के लिये तरग़ीब दिलाई जिस पर हज़रत उ़ष्मान ग़नी (रज़ि.) ने उसे ख़रीदकर मुसलमानों के लिये वक़्फ़ कर दिया। कुँआ, नहर, तालाब वग़ैरह पानी के ज़ख़ीरे किसी भी फ़र्द की मिल्कियत में आ सकते हैं। इसलिये इस्लाम में उन सबकी ख़रीद व फ़रोख़्त व हिबा और वसिय्यत वग़ैरह जाइज़ रखी है।

हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) का ये कुँआ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। हुकूमते सऊदिया ने इस पर एक बेहतरीन फ़ार्म क़ायम किया हुआ है और मशीनों से यहाँ सिंचाई की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि 1389 हिजरी में हज्ज व ज़ियारत के मौक़े पर यहाँ भी जाने का मौक़ा मिला। जो जामिआ इस्लामिया की तरफ़ है और हरमे मदीना से हर वक़्त मोटरें इधर आती जाती रहती हैं। यहाँ का माहौल बेहद ख़ुशगवार है। अल्लाह हर मुसलमान को ये माहौल देखना नसीब फ़र्माए। आमीन।

2351. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ग़स्सान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़िम ने बयान किया और उनसे सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में दूध और पानी का एक प्याला पेश किया गया। आप (ﷺ) ने उसको पिया। आपकी दाएँ तरफ़ एक कम उ़म्र लड़का बैठा हुआ था। और कुछ बड़े-बूढ़े लोग बाएँ तरफ़ बैठे हुए थे। आपने फ़र्माया लड़के! क्या तू इजाज़त देगा कि मैं पहले ये प्याला बड़ों को दे दूँ। इस पर उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो आपके जूठे में से अपने हिस्से को, अपने सिवा किसी को नहीं दे सकता। चुनाँचे आपने वो प्याला उस लड़के को दे दिया।

(दीगर मक़ाम : 2366, 2451, 2602, 5620)

٢٣٥١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلاَمُ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ؟)) قَالَ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ)).

[أطرافه في : ٢٣٦٦، ٢٤٥١، ٢٦٠٢، ٥٦٢٠].

तश्रीह : ये नौ-उम्र लड़का ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) थे और इत्तिफ़ाक़ से ये उस वक़्त मज्लिस में दाएँ जानिब बैठे हुए थे। दीगर शुयूख़ और बुज़ुर्ग स़ह़ाबा किराम बाईं जानिब थे। आँह़ज़रत (ﷺ) ने जब बाक़ी बचे पानी को तक़्सीम करना चाहा तो ये तक़्सीम दाईं त़रफ़ से शुरूहोनी थी और उसका ह़क़ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ही को पहुँचता था। आँह़ज़रत (ﷺ) ने बाईं जानिब वाले बुज़ुर्गों का ख़्याल फ़र्माकर अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से इजाज़त चाही लेकिन वो इसलिये तैयार न हुए कि इस त़ौर पर आँह़ज़रत (ﷺ) का बचा हुआ पानी कहाँ और कब नस़ीब होना था। इसलिये उन्होंने उस ईष़ार (त्याग करने) से स़ाफ़ मना कर दिया। इस ह़दीष़ की बाब से मुनासबत यूँ है कि पानी की तक़्सीम हो सकती है और उसके ह़िस़्से की मिल्कियत जाइज़ है, वरना आप (ﷺ) उस लड़के से इजाज़त त़लब क्यूँ करते? ह़दीष़ से ये भी निकला कि तक़्सीम में पहले दाहिनी त़रफ़ वालों का ह़िस़्सा है, फिर बाईं तरफ़ वालों का। पस आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपना बचा हुआ पानी उस लड़के पर हिबा कर दिया। इससे पानी का हिबा कर देना भी ष़ाबित हुआ और ये भी ष़ाबित हुआ कि ह़क़ और नाह़क़ के मुक़ाबले में किसी बड़े से बड़े आदमी का भी लिह़ाज़ नहीं रखा जा सकता। ह़क़ बहरह़ाल ह़क़ है, अगर वो किसी छोटे आदमी को पहुँचता है तो बड़ों का फ़र्ज़ है कि ब रज़ा व रग़्बत (ख़ुशी-ख़ुशी) उसे उसके ह़क़ में मुंतक़िल होने दें और अपनी बड़ाई का ख़्याल छोड़ दें। लेकिन आज के दौर में ऐसे ईष़ार करने वाले लोग बहुत कम हैं। ईष़ार और क़ुर्बानी ईमान का तक़ाज़ा है। अल्लाह हर मुसलमान को ये तौफ़ीक़ नस़ीब करे, आमीन।

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، شَاةٌ دَاجِنٌ - وَهُوَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ عَنْ فِيْهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُوبَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ - وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ - أَعْطِ أَبَابَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْـمَنَ)).

[أطرافه في : ٢٥٧١، ٥٦١٢، ٥٦١٩].

2352. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उनसे ज़ुह्री ने बयान किया, और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलल्लाह (ﷺ) के लिये घर मे पली हुई बकरी का दूध दूहा गया, जो अनस बिन मालिक (रज़ि.) ही के घर में पली थी। फिर उसके दूध में उस कुँए का पानी मिलाकर जो अनस (रज़ि.) के घर में था, आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में उसका (प्याला) पेश किया गया। आपने उसे पिया। जब अपने मुँह से प्याला आपने अलग किया तो बाईं त़रफ़ अबूबक्र (रज़ि.) थे और दाईं तरफ़ एक देहाती था। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) डरे कि आप ये प्याला देहाती को न दे दें। इसलिये उन्होंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबूबक्र (रज़ि.) को दे दीजिये। आपने प्याला उसी देहाती को दे दिया जो आपकी दाईं तरफ़ बैठा था और फ़र्माया कि दाईं त़रफ़ वाला ज़्यादा ह़क़दार है, फिर वो जो उसकी दाहिनी त़रफ़ हो।

(दीगर मक़ाम : 2571, 5612, 5619)

तश्रीह : इस ह़दीष़ से भी पानी का तक़्सीम या हिबा करना ष़ाबित हुआ और ये भी ष़ाबित हुआ कि इस्लाम में ह़क़ के मुक़ाबले पर किसी के लिये रिआ़यत नहीं है। कोई कितनी ही बड़ी शख़्स़ियत क्यूँ न हो। ह़क़ उससे भी बड़ा है। ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की बुज़ुर्गी में किसी को शक नहीं हो सकता है मगर आँह़ज़रत (ﷺ) ने आपको नज़रअंदाज़ फ़र्माकर उस देहाती को वो पानी दिया इसलिये कि क़ानून देहाती ही के ह़क़ में था। इमामे आ़दिल की यही शान होनी चाहिये और **इअ़दिलू हुव अक़्रबू लित्तक़्वा** (अल् माइदह : 8) का भी यही मत़लब है। यहाँ उस देहाती से इजाज़त भी नहीं ली गई जैसे कि इब्ने

अब्बास (रज़ि.) से ली गई थी। इस डर से कि कहीं देहाती बदगुमान न हो जाए।

बाब 2 : उसके बारे में जिसने कहा कि पानी का मालिक पानी का ज़्यादा ह़क़दार है यहाँ तक कि वो (अपना खेत बाग़ात वग़ैरह) सैराब न कर ले क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी हो उससे किसी को न रोका जाए

٢- بَابُ مَنْ قَالَ : إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ))

2353. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया बचे हुए पानी से किसी को उसके लिये न रोका जाए कि इस त़रह़ जो ज़रूरत से ज़्यादा घास हो वो भी रुकी रहे।

(दीगर मक़ाम : 2354, 6962)

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ)).

[طرفاه في ٢٣٥٤، ٦٩٦٢].

तशरीह : इसका मत़लब ये है कि किसी का कुँआ एक मुक़ाम पर हो, उसके आसपास घास हो जिसमें आम त़ौर पर सबको चराने का ह़क़ हो। मगर कुँए वाला किसी के जानवरों को पानी इस वजह से न पीने दे कि जब पानी पीने का न मिलेगा तो लोग अपने जानवर भी वहाँ न चराएँगे और घास मह़फ़ूज़ रहेगी। जुम्हूर के नज़दीक ये ह़दीष़ उस कुँए पर मह़मूल है जो मिल्कियत वाली ज़मीन में हो या वीरान ज़मीन में बशर्ते कि मिल्कियत की निय्यत से खोदा गया हो और जो कुँआ अल्लाह की तमाम ख़िलक़त (सृष्टि) के आराम के लिये वीरान ज़मीन में खोदा जाए उसका पानी स्वामित्व वाला नहीं होता। लेकिन खोदने वाला जब तक वहाँ से कूच न करे उस पानी का ज़्यादा ह़क़दार वही होता है और ज़रूरत से ये मुराद है कि अपने और बाल–बच्चों और ज़राअ़त (खेती) और मवेशी के लिये जो पानी दरकार हो। उसके बाद जो फ़ाज़िल (अतिरिक्त) पानी हो उसका रोकना जाइज़ नहीं। ख़त्ताबी ने कहा कि ये मुमानअ़त तन्ज़ीह़ी है मगर उसकी दलील क्या है पस ज़ाहिर है कि नही तह़रीमी है और पानी का न रोकना वाजिब है। अब इख़्तिलाफ़ है कि फ़ाज़िल पानी की क़ीमत लेना उसको रोकना है या नहीं, तरजीह़ उसी को ह़ासिल है कि फ़ाज़िल पानी की क़ीमत न ली जाए क्योंकि ये भी एक त़रह़ से उसका रोकना ही है।

2354. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे इब्ने मुसय्यिब और अबू सलमा ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि फ़ालतू पानी से किसी को इस ग़र्ज़ से रोका जाए कि जो घास ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे भी रोक लो। (राजेअ़ : 2353)

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلأِ)). [راجع: ٢٣٥٣]

बाब 3 : जिसने अपनी मिल्क में कोई कुँआ खोदा, उसमें कोई गिरकर मर जाए तो उस पर तावान न होगा

٣- بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

इमाम बुख़ारी (रह.) के ये क़ैद लगाने से मा'लूम होता है कि वो इस बारे में अहले कूफ़ा के साथ मुत्तफ़िक़ (सहमत) हैं कि अगर ये कुँआ अपनी मिल्क में खोदा हो तब कुँए वाले पर ज़िमान न होगा और जुम्हूर कहते हैं कि किसी हाल में ज़िमान न होगा ख़्वाह अपनी मिल्क में हो या ग़ैर मिल्क में। मज़ीद तफ़्सील किताबुद्दियात में आएगी।

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). [راجع: ١٤٩٩]

2355. हमसे महमूद बिन ग़ैलान ने बयान किया, कहा कि हमको उबैदुल्लाह बिन मूसा ने ख़बर दी, उन्हें इस्राईल ने, उन्हें अबू हुसैन ने, उन्हें अबू सालेह ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कान (में मरने वाले) का तावान नहीं, कुँए (में गिरकर मर जाने वाला) का तावान नहीं। और किसी का जानवर (अगर किसी के आदमी को मार दे तो उसका) तावान नहीं। गढ़े हुए माल में से पाँचवाँ हिस्सा देना होगा। (राजेअ : 1499)

٤- بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ، وَالْقَضَاءِ فِيْهَا

बाब 4 : कुँए के बारे में झगड़ना और उसका फ़ैसला करना

٢٣٥٦، ٢٣٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً﴾)) الآيَةَ فَجَاءَ الأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ! كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لِي: شُهُودَكَ، قُلْتُ مَا لِي شُهُودٌ، قَالَ: ((فَيَمِيْنُهُ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفُ. فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا. فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ تَصْدِيْقًا لَهُ)).

[أطرافه في : ٢٤١٦، ٢٥١٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٩، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٤٥٤٩،

2356,57. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हम्ज़ा ने बयान किया, उनसे अअमश ने, उनसे शक़ीक़ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कोई ऐसी झूठी क़सम खाए जिसके ज़रिये वो किसी मुसलमान के माल पर नाहक़ क़ब्ज़ा कर ले तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह तआला उस पर बहुत ज़्यादा ग़ज़बनाक होगा। और फिर अल्लाह तआला ने (सूरह आले इमरान में) आयत नाज़िल फ़र्माई, कि जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के ज़रिये दुनिया की थोड़ी सी दौलत ख़रीदते हैं, आख़िर आयत तक। फिर अश्अष (रज़ि.) आए और पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान (अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि.) ने तुमसे क्या हदीष बयान की है? ये आयत तो मेरे बारे में नाज़िल हुई थी। मेरा एक कुँआ मेरे चचाज़ाद भाई की ज़मीन में था। फिर झगड़ा हुआ तो) आँहज़रत (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया कि तू अपने गवाह ला। मैंने अर्ज़ किया कि गवाह तो मेरे पास नहीं हैं। आपने फ़र्माया कि फिर फ़रीक़े मुख़ालिफ़ से क़सम ले ले। इस पर मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो क़सम खा बैठेगा। ये सुनकर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये फ़र्माया। और अल्लाह तआला ने भी इस बारे में ये आयत नाज़िल फ़र्माकर इसकी तस्दीक़ की।

(दीगर मक़ाम : 2416, 2417, 2515, 2516, 2666, 2627,

2669, 2673, 2676, 4549, 6659, 6676, 7183, 7445)

٦٦٥٩، ٦٦٧٦، ٧١٨٣، ٧٤٤٥].

[أطرافه في : ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧،

बाब 5 : उस शख़्स का गुनाह जिसने किसी मुसाफ़िर को पानी से रोक दिया

٥- بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

या'नी जो पानी उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जैसे हदीष़ में उसकी तस़रीह़ है और ज़रूरत के मुवाफ़िक़ (अनुरूप) जो पानी हो उसका मालिक ज़्यादा ह़क़दार है बनिस्बत मुसाफ़िर के।

2358. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान कियाा, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाह़िद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया कि मैंने अबू स़ालेह से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया तीन त़रह़ के लोग वो होंगे जिनकी त़रफ़ क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला नज़र भी नहीं उठाएगा और न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। एक वो शख़्स जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को उसके इस्ते'माल से रोक दिया। दूसरा वो शख़्स जो किसी ह़ाकिम से बेअ़त स़िर्फ़ दुनिया के लिये करे कि अगर वो ह़ाकिम उसे कुछ दे तो वो राज़ी हो जाए वरना ख़फ़ा हो जाए। तीसरे वो शख़्स जो अपना (बेचने का) सामान अ़स्र के बाद लेकर खड़ा हो और कहने लगे कि उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई ओर सच्चा मअ़बूद नहीं, मुझे इस सामान की क़ीमत इतनी-इतनी मिल रही थी। इस पर एक शख़्स ने उसे सच समझा (और उसकी बताई हुई क़ीमत पर उस सामान को ख़रीद लिया) फिर आपने उस आयत की तिलावत फ़र्माई, जो लोग अल्लाह को दरम्यान मे देकर और झूठी क़समें खाकर दुनिया का थोड़ा सा माल मोल लेते हैं। आख़िर तक।

(दीगर मक़ाम : 2369, 2672, 7212, 7446)

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ. وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً﴾)).

[أطرافه في : ٢٣٦٩، ٢٦٧٢، ٧٢١٢، ٧٤٤٦].

तश्रीह़ : ह़दीष़ में जिन तीन मल्ऊ़न (लानतवाले) आदमियों का ज़िक्र किया गया है उनकी जिस क़दर भी मज़म्मत (निन्दा) की जाए कम है। अव्वल फ़ालतू पानी से रोकने वाला, ख़ास़ त़ौर पर प्यासे मुसाफ़िर को मह़रूम (वंचित) रखने वाला, वो इंसानियत का मुज्रिम है, अख़्लाक़ का बाग़ी है, हमदर्दी का दुश्मन है। उसका दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख़्त है। उसे एक प्यासे मुसाफ़िर को देखकर नरमदिल होना चाहिये, मुसाफिर की जान ख़त़रे में है उसकी बक़ा के लिये उसे पानी पिलाना चाहिये न कि उसे प्यासा लौटा दे। दूसरा वो इंसान जो इस्लामी तन्ज़ीम में मह़ज़ अपने ज़ाती मफ़ाद के लिये घुस जाए और वो मफ़ाद के ख़िलाफ़ ज़रा सी बात भी बर्दाश्त न करे। यही वो बदतरीन इंसान है जो मिल्ली इत्तिह़ाद का दुश्मन क़रार दिया जा

सकता है और ऐसे ग़द्दार की जिस क़दर भी मज़म्मत की जाए कम है। इस ज़माने में इस्लामी मदरसों व दीगर तन्ज़ीमों में बड़ी तादाद में ऐसे ही लोग बरसरे इक़्तिदार (प्रभुत्वशाली) हैं, जो महज़ ज़ाती मफ़ाद (व्यक्तिगत लाभ) के लिये उनसे चिमटे हुए हैं। अगर किसी वक़्त उनके वक़ार पर ज़रा भी चोट पड़ी तो वो उसी मदरसे के, उसी तन्ज़ीम के इंतिहाई दुश्मन बन जाएँगे और अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग बनाने के लिये तैयार हो जाते हैं। अगरचे ह़दीष़ में ह़ाकिमे इस्लाम से बेअ़त करने का ज़िक्र है। मगर हर इस्लामी तन्ज़ीम को उसी पर समझा जा सकता है। तारीख़े इस्लामी में कितने ही ऐसे ग़द्दार मिलते हैं जिन्होंने अपने जाती नुक़्सान का ख़्याल करके इस्लामी हुकूमत को साज़िशों की आमाजगाह बनाकर आख़िर मे उसको तह व बाला करा दिया। तीसरा वो ताजिर है जो माल बेचने के लिये झूठ फ़रेब का हर हथियार इस्ते'माल करता है और झूठ बोल—बोलकर अपना माल ख़ूब बढ़ा—चढ़ाकर निकालता है।

अल्ग़र्ज़ बग़ौर देखा जाए तो ये तीनों मुज्रिम इंतिहाई मज़म्मत के क़ाबिल हैं और इस ह़दीष़ में जो कुछ उनके बारे में बतलाया गया है वो अपनी जगह बिलकुल स़ह़ीह़, सच और स़वाब (दुरुस्त) है।

٦- بَابُ سَكْرِ الأَنْهَارِ

٢٣٥٩، ٢٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ - فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)). فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

[أطرافه في : ٢٣٦١، ٢٣٦٢، ٢٧٠٨،

बाब 6 : नहर का पानी रोकना

2359,60. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे लैष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे उ़र्वा ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने बयान किया कि एक अंस़ारी मर्द ने ज़ुबैर (रज़ि.) से ह़र्रा के नाले में जिसका पानी मदीना के लोग खजूर के पेड़ों को दिया करते थे, अपने झगड़े को नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया। अंस़ारी ज़ुबैर से कहने लगा पानी को आगे जाने दो लेकिन ज़ुबैर (रज़ि.) को उससे इंकार था। और यही झगड़ा नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश था। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ज़ुबैर (रज़ि.) से फ़र्माया कि (पहले अपना बाग़) सींच ले फिर अपने पड़ौसी भाई के लिये जल्दी जाने दे। इस पर अंस़ारी को ग़ुस़्सा आ गया और उन्होंने कहा, हाँ! ज़ुबैर आपकी फूफी के लड़के हैं न, ये सुनकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहर—ए—मुबारक पर नागवारी के आष़ार नज़र आने लगे। आपने फ़र्माया, ऐ ज़ुबैर! तुम सैराब कर लो। फिर पानी को इतनी देर तक रोके रखो कि वो मुँडेरों तक चढ़ जाए। ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा, क़सम अल्लाह की! मेरा तो ख़्याल है कि ये आयत इसी बाब में नाज़िल हुई है, हर्गिज़ नहीं, तेरे रब की क़सम! ये लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते, जब तक अपने झगड़ों में तुझको ह़ाकिम न तस्लीम कर लें। आख़िर तक।

(दीगर मक़ाम : 2361, 2362, 2708, 4585) .[٤٥٨٥

तश्रीह : ये हदीष़ और आयते करीमा इताअ़ते रसूले करीम (ﷺ) की फ़र्ज़ियत पर एक ज़बरदस्त दलील है। और इस अम्र पर भी कि जो लोग स़ाफ़ स़रीह़, वाज़ेह इर्शादे नबवी सुनकर उसकी तस्लीम में पसोपेश करें वो ईमान से महरूम हैं। क़ुर्आन मजीद की और भी बहुत सी आयात में इस उस़ूल को बयान किया गया है।

एक जगह इर्शाद है, **मा काना लि मुअमिनिंव्वला मुअमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहू अम्रन् अय्यँकून लहुमुल् ख़ियरतु मिन अम्रिहिम व मंय्यअ सिल्लाहु व रसूलुहू फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम्मुबीना** (अल् अहज़ाब : 36) किसी भी मोमिन मर्द और औरत के लिये ये ज़ैबा (शोभा देने लायक़) नही कि जब वो अल्लाह और रसूल (ﷺ) का फ़ैसला सुन ले तो फिर उसके लिये उस बारे में कुछ इख़्तियार बाक़ी नहीं रहता। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़र्मानी करेगा वो खुला हुआ गुमराह है।

अब उन लोगों को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिये जो आयाते क़ुर्आनी व अहादीष़े नबवी के ख़िलाफ़ अपनी राय व क़यास को तरजीह देते हैं या वो अपने इमामों, पीरों, वलियों, मुर्शिदों के फ़तवों को मुक़द्दम रखते हैं। और अहादीष़े स़हीहा को मुख़्तलिफ़ हीलों बहानों से टाल देते हैं। उनको ख़ुद सोचना चाहिये कि एक अंस़ारी मुसलमान स़हाबी ने जब आँहज़रत (ﷺ) के एक क़तई फ़ैसले के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इज़्हार किया तो अल्लाह पाक ने किस ग़ज़बनाक लहजे में उसे डांटा और इताअ़ते नबवी का हुक्म दिया। जब एक अंस़ारी स़हाबी के लिये ये क़ानून है, तो और किसी मुसलमान की क्या वक़्अ़त (औकात) है कि वो खुले लफ़्ज़ों में क़ुर्आन व हदीष़ की मुख़ालफ़त करे और फिर भी ईमान का ठेकेदार बना रहे। इस आयते शरीफ़ा में मुंकिरीने हदीष़ को भी डांटा गया है और उनको बतला दिया गया है कि रसूले करीम (ﷺ) जो भी दीनी उमूर में इर्शाद फ़र्माएँ आपका वो इर्शाद भी वह्ये इलाही में दाख़िल है जिसका तस्लीम करना उसी तरह वाजिब है जैसा कि क़ुर्आन मजीद का तस्लीम करना वाजिब है। जो लोग हदीष़े नबवी का इंकार करते हैं वो क़ुर्आन मजीद के भी मुंकिर हैं, क़ुर्आन व हदीष़ में आपसी तौर पर जिस्म और रूह का रिश्ता है। इस हक़ीक़त का इंकारी अपनी अ़क़्ल व फ़हम से दुश्मनी का इज़्हार करने वाला है।

बाब 7 : जिसका खेत बुलन्दी पर हो पहले वो अपने खेतों को पानी पिलाए

٧- بَابُ شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

जो नहर नाला किसी की मिल्क न हो उससे पानी लेने में पहले बुलन्द खेत वाले का हक़ है। वो इतना पानी अपने खेत में दे सकता है कि अब ज़मीन पानी न पिये और खेत की मुँडेरों तक पानी चढ़ आए। फिर नशीबी (निचले) खेत वाले की तरफ़ पानी को छोड़ दे।

2361. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें मअ़मर ने, उन्हे ज़ुह्री ने, उनसे उ़र्वा ने बयान किया, कि ज़ुबैर (रज़ि.) से एक अंसारी (रज़ि.) का झगड़ा हुआ तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ज़ुबैर! पहले तुम (अपना बाग़) सैराब कर लो कि पानी उसकी मुँडेरों तक पहुँच जाए इतने रोक रखो, ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा कि मेरा गुमान है कि ये आयत, हर्गिज़ नहीं, तेरे रब की क़सम! ये लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक आपको अपने तमाम इख़्तिलाफ़ात में

٢٣٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : ((خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ)). فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمْسِكْ)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي

ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

[راجع: ٢٣٥٩]

हकम न तस्लीम कर लें। उसी बाब में नाज़िल हुई है।

(राजेअ़ : 2359)

मा'लूम हुआ कि फ़ैसल–ए–नबवी के सामने बिला चूँ चरा किये हुए सरे तस्लीम ख़म कर देना (झुका देना) ही ईमान की दलील है अगर इस बारे में ज़र्रा बराबर भी दिल में तंगी महसूस की तो फिर ईमान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उन जामिद मुक़ल्लिदीन को सोचना चाहिये कि जो सहीह हदीष के मुक़ाबले पर महज़ अपने मसलकी तअ़स्सुब की बिना पर ख़म ठोंककर खड़े हो जाते हैं और नबवी फ़ैसले को रद्द कर देते हैं, हौज़े कौषर पर आँहज़रत (ﷺ) के सामने ये लोग क्या मुँह लेकर जाएँगे?

٨- بَابُ شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

बाब 8 : बुलन्द खेत वाला टख़नों तक पानी भरे

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِي بِهِ النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ - فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ)). فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ -وَاسْتَوْعِ لَهُ حَقَّهُ)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: ((اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)) وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

[راجع: ٢٣٥٩]

2362. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको मुख़लद ने ख़बर दी, कहा कि मुझे इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने बयान किया कि एक अंसारी मर्द ने ज़ुबैर (रज़ि.) से हर्रा की नदी के बारे में जिससे खजूरों के बाग़ सैराब हुआ करते थे, झगड़ा किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ुबैर! तुम सैराब कर लो। फिर अपने पड़ौसी भाई के लिये जल्द पानी छोड़ देना। इस पर अंसारी ने कहा। जी हाँ! आपकी फूफी का लड़का है न। रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहरे का रंग बदल गया। आपने फ़र्माया, ऐ ज़ुबैर! तुम सैराब करो, यहाँ तक कि पानी खेत की मुँडेरों तक पहुँच जाए। इस त़रह आपने ज़ुबैर (रज़ि.) को उनका पूरा हक़ अदा कर दिया। ज़ुबैर (रज़ि.) कहते थे कि क़सम अल्लाह की ये आयत इसी बारे में नाज़िल हुई थी, हर्गिज़ नहीं, तेरे रब की क़सम! उस वक़्त तक ये ईमान वाले नहीं हो सकते। जब तक अपने तमाम इख़्तिलाफ़ात में आपको हकम न तस्लीम करें। इब्ने शिहाब ने कहा कि अंसार और तमाम लोगों ने उसके बाद नबी करीम (ﷺ) के इस इर्शाद की बिना पर कि सैराब करो और फिर उस वक़्त तक रुक जाओ, जब तक पानी मुँडेरों तक न पहुँच जाए, एक अंदाज़ा लगा लिया, या'नी पानी टख़नों तक भर जाए।

(राजेअ़ : 2359)

गोया क़ानूनी त़ौर पर ये उसूल क़रार पाया कि खेत में टख़नों तक पानी का भर जाना उसका सैराब होना है।

बाब 9 : पानी पिलाने के ष़वाब के बयान में

٩- بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

2363. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें सुमय ने, उन्हें अबू स़ालेह ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स जा रहा था कि उसे सख़्त प्यास लगी। उसने एक कुँए में उतरकर पानी पिया। फिर बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता हाँफ रहा है और प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है। उसने (अपने दिल में) कहा, ये भी इस वक़्त ऐसी ही प्यास में मुब्तला है जैसे अभी मुझे लगी हुई थी। (चुनाँचे वो फिर कुँए में उतरा और) अपने चमड़े के मोज़े को (पानी से) भरकर उसे अपने मुँह में पकड़कर ऊपर आया और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तआ़ला ने उसके इस काम को क़ुबूल किया और उसकी मग़्फ़िरत फ़र्माई। स़हाबा ने अ़र्ज़ किया। या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हमें चौपायों पर भी अज्र मिलेगा? आपने फ़र्माया हर जानदार में ष़वाब है। इस रिवायत की मुताबअ़त ह़म्माद बिन सलाम और रबीआ़ बिन मुस्लिम ने मुहम्मद बिन ज़ियाद से की है।

(राजेअ़ : 173)

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)). تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

[راجع: ١٧٣]

ष़ाबित हुआ कि किसी भी जानदार को पानी पिलाकर उसकी प्यास दूर कर देना ऐसा अ़मल है कि जो मग़्फ़िरत का सबब बन सकता है। जैसा कि उस शख़्स ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और उस अ़मल की वजह से उसे बख़्शा गया। मौलाना फ़र्माते हैं ये तो बज़ाहिर आ़म है, हर जानवर को शामिल है। कुछ ने कहा मुराद उससे ह़लाल जानवर हैं और कुत्ते और सूअर वग़ैरह में ष़वाब नहीं क्योंकि उनके मार डालने का हुक्म है। मैं (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ) कहता हूँ ह़दीष़ को मुत्लक़ रखना बेहतर है। कुत्ते और सूअर को भी ये क्या ज़रूरी है कि प्यासा रखकर मारा जाए। पहले उसको पानी पिला दें फिर मार डालें। अबू अ़ब्दुल मलिक ने कहा ये ह़दीष़ बनी इस्राईल के लोगों के बारे में हैं। उनको कुत्तों के मारने का हुक्म न था। (वह़ीदी) ह़दीष़ में लफ़्ज़ **फ़ी कुल्लि क़ब्दिन रत्बा** आ़म है जिसमें हर जानदार दाख़िल है इस लिहाज़ से मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ (रह.) की तशरीह़ ख़ूब है।

2364. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे नाफ़ेअ़ बिन उ़मर ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी मुलैका ने और उनसे अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक बार सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी फिर फ़र्माया (अभी अभी) दोज़ख़ मुझसे इतनी क़रीब आ गई थी कि मैंने चौंककर कहा। ऐ रब! क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ। इतने में दोज़ख़ में मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। (अस्मा रज़ि. ने बयान किया) मुझे याद है कि (आँह़ज़रत ﷺ

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ فَقَالَ: ((دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ-

ने फ़र्माया था कि) उस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। आपने दरयाफ़्त किया कि इस पर ये अ़ज़ाब की क्या वजह है? आपके साथ वाले फ़रिश्तों ने कहा कि इस औरत ने इस बिल्ली को इतनी देर तक बाँधे रखा कि वो भूख के मारे मर गई। (राजेअ़ : 745)

تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ. قَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا)).

[راجع: ٧٤٥]

इस ह़दीष़ को यहाँ लाने का मत़लब ये भी है कि किसी भी जानदार को क़ुदरत और आसानी रखने के बावजूद अगर कोई शख़्स खाना–पीना न दे और वो जानदार भूख प्यास से मर जाए तो उस शख़्स के लिये ये जुर्म दोज़ख़ में जाने का सबब बन जाता है। **इन्ना हाज़िहिल्मर्अत लम्मा हबिसत हाज़िहिल हिर्रत इला अन मातत बिल्जूइ वल्अ़तशि फ़स्तहक़्क़त हाज़िहिल अ़ज़ाब फ़लौ कानत सकैयतहा लम तुअ़ज़्ज़ब व मिन हाहुना युअ़लम फ़ज़्लु सुकल्माइ व हुव मुत़ाबिक़ुन लित्तर्जुमति.** (ऐनी)

2365. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया। उनसे नाफ़ेअ़ ने, और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, एक औरत को अ़ज़ाब, एक बिल्ली की वजह से हुआ जिसे उसने इतनी देर तक बाँधे रखा था कि वो भूख की वजह से मर गई। और वो औरत उसी वजह से दोज़ख़ में दाख़िल हो गई। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला ने उससे फ़र्माया था—और अल्लाह तआ़ला ही ज़्यादा जानने वाला है—कि जब तू ने उस बिल्ली को बाँधा था उस वक़्त न तूने उसे कुछ खिलाया न पिलाया और न छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े–मकोड़े ही खाकर अपना पेट भर लेती। (दीगर मक़ाम : 3318, 3482)

٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ: - وَاللهُ أَعْلَمُ -: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ)).

[طرفاه في : ٣٣١٨، ٣٤٨٢].

इस ह़दीष़ की मुनासबत बाब के तर्जुमे से यूँ है कि बिल्ली को पानी न पिलाने से अ़ज़ाब हुआ। तो मा'लूम हुआ कि पानी पिलाना ष़वाब है। इब्ने मुनीर ने कहा इस ह़दीष़ से ये भी निकला कि बिल्ली का क़त्ल करना दुरुस्त नहीं।

लत़ीफ़ा :— तफ़्हीमुल बुख़ारी में ख़शाशुल् अरज़ि का तर्जुमा घास–फूस करते हुए बिल्ली के लिये लिखा है कि न उसे छोड़ा कि वो ज़मीन से घास–फूस ही खा सके। आम त़ौर पर बिल्ली गोश्तख़ोर (माँसाहारी) जानवर है न चरिन्दा कि वो घास खाती हो। शायद फ़ाज़िल मुतर्जिम (विद्वान अनुवादक) की नज़र में घास–फूस खाने वाली बिल्लियाँ मौजूद हों वरना उ़मूमन् बिल्लियाँ गोश्तख़ोर होती हैं। इसीलिये दूसरे मुतर्जिमीने बुख़ारी (रह.) ख़िशाशुल अरज़ि का तर्जुमा ज़मीन में कीड़े–मकोड़े ही करते हैं। **ख़शाश बिफ़त्हिल्ख़ाइ अश्हरूष़्ष़लाष़ति व हिय हवामु व क़ील ज़ियाफ़ुत्तैरि** (मज्मउल बिहार लुग़ातुल ह़दीष़ लफ़्ज़ 'ख' स. 48)

बाब 10 : जिनके नज़दीक ह़ौजवाला और मश्क का मालिक ही अपने पानी का ज़्यादा ह़क़दार है

١٠- بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

2366. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने बयान किया, उनसे अबू ह़ाज़िम ने और उनसे सहल बिन सअ़द (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में एक प्याला

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: ((يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟)) فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ)).

[راجع: ٢٣٥١]

पेश किया गया और आप (ﷺ) ने उसे नोश फ़र्माया। आपकी दाईं तरफ़ एक लड़का था जो हाज़िरीन में सबसे कम उम्र था। बड़ी उम्र वाले सहाबा आपकी बाईं तरफ़ थे। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ लड़के! क्या तुम्हारी इजाज़त है कि मैं इस प्याले का बचा हुआ पानी बूढ़ों को दूँ? उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो आपका जूठा अपने हिस्से का किसी को देने वाला नहीं हूँ। आख़िर आपने वो प्याला उसी को दे दिया।

(राजेअ : 2351)

बाब के तर्जुमे से मुताबक़त इस तरह है कि हौज़ और मश्क को प्याले पर क़यास (अनुमान) किया। इब्ने मुनीर ने कहा मुनासबत (अनुकूलता) की वजह ये है कि जब दाहिनी तरफ़ बैठने वाला प्याला का ज़्यादा हक़दार हुआ सिर्फ़ दाहिनी तरफ़ बैठने की वजह से; तो जिसने हौज़ बनवाया, मश्क तैयार किया, वो बतरीक़े औला पहले उसके पानी का हक़दार होगा।

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ)).

2367. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे ग़ुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है। मैं (क़यामत के दिन) अपने हौज़ से कुछ लोगों को इस तरह हाँक दूँगा जैसे अजनबी ऊँट हौज़ से हाँक दिया जाता हैं।

यहीं से बाब का मतलब निकलता है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने उस हौज़ वाले पर इंकार नहीं किया, उस अम्र पर कि वो जानवरों को अपने हौज़ से हाँक दिया करते थे।

٢٣٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا. وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ:

2368. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने ख़बर दी, कहा कि हमको मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें अय्यूब और कष़ीर बिन कष़ीर ने, दोनों की रिवायतों में एक-दूसरे की बनिस्बत कमी और ज़्यादती है, और उनसे सईद बिन जुबैर ने कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस्माईल (अलैहि.) की वालिदा (हज़रत हाजरा अलैहि.) पर रहम फ़र्माए कि अगर उन्होंने ज़मज़म को छोड़ दिया होता, या यूँ फ़र्माया कि अगर वो ज़मज़म से चुल्लू भर-भरकर न लेतीं तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। फिर जब क़बीला जुरहुम के लोग आए और (हज़रत हाजरा अ़लैहिस्सलाम से) कहा कि आप हमें अपने पड़ौस में क़याम की इजाज़त दें

नَعَمْ، وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا : نَعَمْ)).

[أطرافه في : ٢٣٦٢، ٣٣٦٣، ٣٣٦٤،

दीजिए, तो उन्होंने क़ुबूल कर लिया इस शर्त पर कि पानी पर उनका कोई ह़क़ न होगा। क़बीले वालों ने ये शर्त मान ली थी।

(दीगर मक़ाम : 2362, 3363, 3364)

तश्रीह़ : इस ह़दीष़ में ह़ज़रत हाजरा अ़लैहिस्सलाम के उन वाक़ियात का ज़िक्र है जबकि वो इब्तिदाई दौर में मक्का शरीफ़ में सकूनत पज़ीर (निवासी) थीं। जबकि ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उनको अल्लाह के ह़वाले करके वापस हो चुके थे और वो पानी की तलाश में कोहे स़फ़ा और मरवा का चक्कर काट रही थीं कि अचानक उनको ज़मज़म का चश्मा नज़र आया और वो दौड़कर उसके पास आईं और उसके पानी के आसपास मुँडेर बाँधने लगीं। उसी कैफ़ियत को यहाँ बयान किया जा रहा है।

मुज्तहिदे मुत्लक़ इस ह़दीष़ को यहाँ ये मसला बयान फ़र्माने के लिये लाए हैं कि कुँए या तालाब का अस़ल मालिक अगर मौजूद है तो बहरहाल उसकी मिल्कियत का ह़क़ उसके लिये षाबित है। बाब का तर्जुमा इससे निकला कि ह़ज़रत हाजरा (अ़लैहिस्सलाम) के उस क़ौल पर कि पानी पर तुम्हारा (क़बीला बनू जुरहुम का) कोई ह़क़ न होगा, उस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने इंकार नहीं फ़र्माया। ख़त्ताबी ने कहा इससे ये निकला कि जंगल में जो कोई पानी निकाले वो उसका मालिक बन जाता है और दूसरा कोई उसमें उसकी रज़ामन्दी के बग़ैर शरीक नहीं हो सकता।

हाजरा (अ़लैहिस्सलाम) मिस्र के एक फ़िरऔन की बेटी थीं, जिसे ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) और उनकी बीवी ह़ज़रत सारा (अ़लैहिस्सलाम) की करामात देखकर उसने उस मुबारक ख़ानदान में शिर्कत का फ़ख़्र ह़ासिल करने की ग़र्ज से उनके ह़वाले कर दिया था। इसका तफ़्सीली बयान पीछे गुज़र चुका है।

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ فَيَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ)). قَالَ عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - غَيْرَ مَرَّةٍ - عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ.

[راجع: ٢٣٥٨]

2369. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने, उनसे अबू स़ालेह़ सिमान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन तरह़ के आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला बात भी न करेगा और न उनकी त़रफ़ नज़र उठाकर देखेगा। वो शख़्स़ जो किसी सामान के बारे में क़सम खाए कि उसे उसकी क़ीमत उससे ज़्यादा दी जा रही थी जितनी अब दी जा रही है, ह़ालाँकि वो झूठा है। वो शख़्स़ जिसने झूठी क़सम अ़स्र के बाद इसलिये खाई कि उसके ज़रिये एक मुसलमान के माल को ह़ज़म कर जाए। वो शख़्स़ जो अपनी ज़रूरत से बचे हुए पानी से किसी को रोक दे। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा कि आज मैं अपना फ़ज़्ल इसी तरह़ तुम्हें नहीं दूँगा जिस त़रह़ तुमने एक ऐसी चीज़ के फ़ालतू हिस़्से को नहीं दिया था जिसे ख़ुद तुम्हारे हाथों ने बनाया भी न था। अ़ली ने कहा कि हमसे सुफ़यान ने अ़म्र से कई बार बयान किया कि उन्होंने अबू स़ालेह़ से सुना और वो नबी करीम (ﷺ) तक इस ह़दीष़ की सनद पहुँचाते थे। (राजेअ : 2358)

तश्रीह : ह़दीष़ में बयानकर्दा मज़्मून नम्बर 3 से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी रोकने पर ये सज़ा मिली तो मा'लूम हुआ कि जिस क़दर ज़रूरत थी, उतना उसको रोकना जाइज़ था और वो उसका ह़क़ रखता था। कुछ ने कहा ये जो फ़र्माया जो तेरा बनाया हुआ न था। उससे मा'लूम हुआ कि अगर वो पानी उसने अपनी मेह़नत से निकाला होता, जैसे कुँआ खोदा होता या मश्क में भरकर लाया होता तो वो उसका ह़क़दार होता। (वह़ीदी)

बाब 11 : अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई और चरागाह मह़फ़ूज़ नहीं कर सकता

١١- بَابُ لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ

2370. हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन उ़त्बा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि स़अ़ब बिन जष़ामा लैष़ी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, चरागाह अल्लाह और उसका रसूल (ﷺ) ही मह़फ़ूज़ कर सकता है। (इब्ने शिहाब ने) बयान किया कि हम तक ये भी पहुँचा है कि नबी करीम (ﷺ) ने नक़ीअ़ में चरागाह बनवाई थी। और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने स़रफ़ा और रब्ज़ा को चरागाह बनाया।

(दीगर मक़ाम : 3013)

٢٣٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). وَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ.

[طرفه في : ٣٠١٣].

ह़दीष़ का मत़लब ये है कि जंगल में चरागाह रोकना, घास और शिकारबन्द करना ये किसी को नहीं पहुँचता, सिवाए अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के। इमाम और ख़लीफ़ा भी रसूल का क़ायम मुक़ाम (उत्तराधिकारी) है। उसके सिवा और लोगों को चरागाह रोकना और मह़फ़ूज़ (आरक्षित) करना दुरुस्त नहीं। शाफ़िइया और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है। नक़ीअ़ मदीना से बीस मील (32 किलोमीटर) पर एक मुक़ाम है और सरफ़ा और रब्ज़ा भी मुक़ामों के नाम हैं।

बाब 12 : नहरों में से आदमी और जानवर सब पानी पी सकते हैं

١٢- بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

इमाम बुख़ारी (रह.) का मत़लब ये है कि जो नहरें रास्ते पर वाकेअ़ हों, उनमें आदमी और जानवर सब पानी पी सकते हैं। वो किसी के लिये ख़ास़ नहीं हो सकतीं।

2371. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने, उन्हें अबू स़ालेह़ सिमान ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़ा एक शख़्स़ के लिये बाइ़ष़े ष़वाब है, दूसरे के लिये बचाव है और तीसरे के लिये वबाल है। जिसके लिये घोड़ा अज्रो–ष़वाब है, ये वो शख़्स़ है जो अल्लाह की राह के लिये उसको पाले, वो उसे किसी हरियाले मैदान

٢٣٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ

فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرَجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ)). وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ: ((مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾)).

[أطرافه في: ٢٨٦٠، ٣٦٤٦، ٤٩٦٢، ٤٩٦٣، ٧٣٥٦].

में बाँधे (रावी ने कहा) या किसी बाग़ में। तो जिस क़दर भी वो उस हरियाले मैदान या बाग़ में चरेगा, उसकी नेकियों मे लिखा जाएगा। अगर इत्तिफ़ाक़ से उसकी रस्सी टूट गई और घोड़ा एक या दो बार आगे के पाँव उठाकर कूदा तो उसके क़दमों के निशान और लीद भी मालिक की नेकियों में लिखे जाएँगे और अगर वो घोड़ा किसी नदी से गुज़रे और उसका पानी पिये, ख़्वाह मालिक ने उसे पिलाने का इरादा न किया हो तो भी ये उसकी नेकियों में लिखा जाएगा तो इस निय्यत से पाला जाने वाला घोड़ा इन्हीं वजहों से बाइ़िष़े ष़वाब है। दूसरा शख़्स़ वो है जो लोगों से बेनियाज़ रहने और उनके सामने हाथ फैलाने से बचने के लिये घोड़ा पाले, फिर उसकी गर्दन और उनकी पीठ के सिलसिले में अल्लाह तआ़ला के ह़क़ को भी फ़रामोश न करे तो ये घोड़ा अपने मालिक के लिये पर्दा है। तीसरा शख़्स़ वो है जो घोड़े को फ़ख़्र, दिखावे और मुसलमानों की दुश्मनी में पाले। तो ये घोड़ा उसके लिये वबाल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से गधों के बारे में पूछा गया, तो आपने फ़र्माया कि मुझे उसके बारे में कोई हुक्म वह्य से मा'लूम नहीं हुआ। सिवा उस जामेअ़ आयत के, जो शख़्स़ ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा, उसका बदला पाएगा और ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा, उसका बदला पाएगा।

(दीगर मक़ाम : 2860, 3646, 4962, 4963, 7356)

बाब का मज़्मून ह़दीष़ के जुम्ला **व लौ अन्नहा मर्रत बि नहरिन् अल्ख़** से निकलता है क्योंकि अगर जानवरों को नहर से पानी पी लेना जाइज़ न होता तो उस पर ष़वाब क्यूँ मिलता और जब ग़ैर पिलाने के क़स्द (इरादे) के उनके ख़ुद ब ख़ुद पानी पी लेने से ष़वाब मिला, तो क़स्दन् पिलाना बत़रीक़े औला जाइज़ बल्कि वाजिबतरीन ष़वाब मिलेगा।

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: ((اعْرِفْ

2372. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे रबीआ़ बिन अबी अ़ब्दुर्रहमान ने, उनसे मुनबिइ़ष़ के ग़ुलाम यज़ीद ने और उनसे ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स़ आया और आपने लुक़्ता (रास्ते में किसी की गुम हुई चीज़ जो पा गई हो) के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि उसकी थैली और उसके बंधन

की ख़ूब जांच कर लो। फिर एक साल तक उसका ऐलान करते रहो उस अ़र्से में अगर उसका मालिक आ जाए (तो उसे दे दो) वरना फिर वो चीज़ तुम्हारी है। साइल ने पूछा, और गुमशुदा बकरी? आपने फ़र्माया, वो तुम्हारी है या तुम्हारे भाई की है या फिर भेड़िये की है। साइल ने पूछा, और गुमशुदा ऊँट? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें उससे क्या मत़लब? उसके साथ उसे सैराब रखने वाली चीज़ है और उसका घर है। पानी पर भी वो जा सकता है और पेड़ (के पत्ते) भी खा सकता है यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा जाए। (राजेअ़ : 91)

عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا)). قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ : ((هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)). قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ : ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)). [راجع: ٩١]

बाब 13 : लकड़ी और घास बेचना

١٣- بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلأِ

इस बाब की मुनासबत किताबुश्शुर्ब से ये कि लकड़ी पानी घास वग़ैरह ये सब मुश्तरक (संयुक्त) चीज़ें हैं। जिनसे हर एक आदमी नफ़ा उठाता है। ह़दीष़ में जो लकड़ी और घास का बयान है उससे मुराद यही है कि जो ग़ैर मुल्की ज़मीन में वाक़ेअ़ हो।

2373. हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे ज़ुबैर बिन अ़वाम (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स रस्सी लेकर लकड़ियों का गट्ठा लाया, फिर उसे बेचे और इस त़रह़ अल्लाह तआ़ला उसकी आबरू मह़फ़ूज रखे तो ये उससे बेहतर है कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाए और (भीख) उसे दी जाए या न दी जाए। उसकी भी कोई उम्मीद न हो। (राजेअ़ : 1471)

٢٣٧٣- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ)). [راجع: ١٤٧١]

बड़े ही ईमान अफ़रोज़ (ईमान बढ़ाने वाले) अंदाज़ में मुसलमानों को तिजारत की तरग़ीब दिलाई गई है, चाहे वो कितने ही छोटे पैमाने पर क्यों न हो? बहरह़ाल सवाल करने से बेहतर है, चाहे उसको पहाड़ से लकड़ियाँ काटकर अपने सर पर लादकर लानी पड़े और उनकी फ़रोख़्त (बेचने) से वो गुज़रान कर सके। बेकारी से ये भी कई गुना बेहतर है। रिवायत में सिर्फ़ लकड़ी का ज़िक्र है। ह़ज़रत इमाम ने घास को भी बाब में शामिल फ़र्मा लिया है। घास जंगल से खोदकर लाना और बाज़ार में फ़रोख़्त करना, ये भी इन्दल्लाह बहुत ही मह़बूब है कि बन्दा किसी मख़्लूक़ के सामने हाथ न फैलाए आगे ह़दीष़ में घास का भी ज़िक्र आ रहा है।

2374. हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) के ग़ुलाम अबू उ़बैदा ने, और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर

٢٣٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)).

(बेचने के लिये) लिये फिर तो वो उससे अच्छा है किसी के सामने हाथ फैलाए, फिर ख़्वाह उसे कुछ दे या न दे। (राजेअ : 1470)

इससे भी लकड़ियाँ बेचना साबित हुआ।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ. فَقَالَتْ: أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا- قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ. قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ

2375. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हिशाम ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे इब्ने शिहाब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैनुल आबेदीन अ़ली बिन हुसैन बिन अ़ली (रज़ि.) ने, उनसे उनके वालिद हुसैन बिन अ़ली (रज़ि.) ने कि अ़ली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बद्र की लड़ाई के मौक़े पर मुझे एक जवान ऊँटनी ग़नीमत में मिली थी और एक दूसरी ऊँटनी मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इनायत फ़र्माई थी। एक दिन एक अंसारी स़हाबी के दरवाजे पर मैं उन दोनों को इस ख़्याल से बाँधे हुए था। कि उनकी पीठ पर इज़्ख़र (अ़रब की एक ख़ुश्बूदार घास जिसे सुनार वग़ैरह इस्ते'माल करते थे) रखकर बेचने ले जाऊँ। बनी क़ैनक़ाअ़ का एक सुनार भी मेरे साथ था। इस त़रह (ख़्याल ये था कि) उसकी आमदनी से फ़ात़िमा (रज़ि.) (जिनसे निकाह करने वाला था उन) का वलीमा करूँगा। ह़म्ज़ा बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) उसी (अंस़ारी के) घर में शराब पी रहे थे। उनके साथ एक गाने वाली भी थी। उसने जब ये मिस्रा पढ़ा, हाँ! ऐ ह़म्ज़ा! उठो फ़रबा जवान ऊँटनियों की त़रफ़ (बढ़) ह़म्ज़ा (रज़ि.) जोश में तलवार लेकर उठे और दोनों ऊँटनियों के कोहान चीर दिये। उनके पेट फाड़ डाले और उनकी कलेजी निकाल ली (इब्ने जुरैज ने बयान किया कि) मैंने इब्ने शिहाब से पूछा, क्या कोहान का गोश्त भी काट लिया गया था। तो उन्होने बयान किया कि उन दोनों के कोहान काट लिये और उन्हें ले गए। इब्ने शिहाब ने बयान किया कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़र्माया। मुझे ये देखकर बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ। आपकी ख़िदमत में उस वक़्त ज़ैद बिन ह़ारिस़ा (रज़ि.) भी मौजूद थे। मैंने आपको उस वाक़िये की इत्तिला दी तो आप तशरीफ़ लाए। ज़ैद (रज़ि.) भी आपके साथ ही थे और मैं भी

إِلاَّ عَبِيْدٌ لآبَائِي! فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ)). [راجع: ٢٠٨٩]

आपके साथ था। हुज़ूर (ﷺ) जब ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) के पास पहुँचे और आप (ﷺ) ने ख़फ़्गी (नाराज़गी) ज़ाहिर फ़र्माई, तो ह़ज़रत ह़म्ज़ा ने नज़र उठाकर कहा, तुम सब मेरे बाप दादा के गुलाम हो। हुज़ूर (ﷺ) उलटे पाँव लौटकर उनके पास से चले आए, ये शराब की हुर्मत से पहले का क़िस्सा है। (राजेअ़ : 2089)

तश्रीह : इस ह़दीष़ में बयानकर्दा वाक़ियात उस वक़्त से मुता'ल्लिक़ हैं जबकि इस्लाम में शराब गाना सुनना ह़राम न हुआ था। बद्र के अम्वाले ग़नीमत में से एक जवान ऊँटनी ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को बत़ौरे माले ग़नीमत मिली थी। और एक और ऊँटनी आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनको बत़ौरे स़िलारह़मी (हमदर्दी) के अपने ख़ास़ ह़िस़्से में से मर्हमत (अता) फ़र्माई थीं। चुनाँचे उनका इरादा हुआ कि क्यूँ न उन ऊँटनियों से काम लिया जाए और उन पर जंगल से इज़्ख़र घास जमा करके लादकर लाई जाए और उसे बाज़ार में बेचा जाए। ताकि ज़रूरियाते शादी के लिये, जो होने ही वाली थी कुछ सरमाया (माल) जमा हो जाए। इस कारोबार में एक दूसरे अंस़ारी भाई और एक बनी क़ैनक़ाअ़ के सुनार भी शरीक होने वाले थे। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) इन्हीं इरादों के साथ अपनी दोनों सवारियों को लेकर उन अंस़ारी मुसलमान के घर पहुँचे और उसके दरवाज़े पर जाकर दोनों ऊँटनियों को बाँध दिया। इत्तिफ़ाक़ की बात है कि उस अंस़ारी के उसी घर में उस वक़्त ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) शराबनोशी और गाना सुनने में मगन थे। गाने वाली ने जब उन ऊँटनियों को देखा और उनकी फ़रबही और जवानी पर नज़र डाली और उनका गोश्त बहुत ही लज़ीज़ तस़व्वुर किया (यानी यह सोचा कि उन ऊँटनियों का गोश्त बहुत स्वादिष्ट होगा), तो उसने उस मस्ती के आ़लम में ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) को गाते– गाते ये मिस़्रा भी बनाकर सुना दिया जो रिवायत में मज़्कूर है। (पूरा शे'र यूँ है)

अला या ह़म्ज़ा लिश्शरफ़िन् नवाअ वहुन्ना मुअक़्क़िलाति बिल् ग़नाअ

ह़म्ज़ा उठो ये उ़म्र वाली मोटी ऊँटनियाँ जो मकान के बाहर स़ेह़न (आँगन) में बँधी हुई हैं, उनको काटो और उनका गोश्त भूनकर खाओ और हमको भी खिलाओ।

ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) पर मस्ती सवार थी, शे'र सुनते ही फ़ौरन् तलवार लेकर खड़े हुए और मस्ती के आ़लम में उन दोनों ऊँटनियों पर ह़मला कर दिया और उनके कलेजे निकालकर, कोहान काटकर गोश्त का बेहतरीन ह़िस़्सा कबाब के लिये ले आए। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ये दिल दहलाने वाला मंज़र देखा तो अपने मुह़तरम चचा का एह़तिराम सामने रखते हुए वहाँ एक लफ़्ज़ ज़ुबान पर न लाए बल्कि सीधे आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे। उस वक़्त ज़ैद बिन ह़ारिष़ा (रज़ि.) भी वहाँ मौजूद थे। चुनाँचे आपने सारा वाक़िया आँह़ज़रत (ﷺ) को सुनाया और अपनी इस परेशानी को तफ़्स़ील से बयान किया। जिसे सुनकर आँह़ज़रत (ﷺ) ज़ैद बिन ह़ारिष़ा (रज़ि.) और आपको साथ लेकर फ़ौरन् ही मौक़े पर मुआ़यना करने के लिये चल पड़े और ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) के पास पहुँचे जो कि अभी तक शराब और कबाब के नशे में चूर थे। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) पर नाराज़गी का इज़्हार फ़र्माया मगर ह़म्ज़ा (रज़ि.) के होश व ह़वास शराब व कबाब में गुम थे। वो स़ह़ीह़ ग़ौर न कर सके बल्कि उलटा उस पर ख़ुद ही नाराज़गी जता डाली और वो अल्फ़ाज़ कहे जो रिवायत में मज़्कूर है।

मौलाना फ़र्माते हैं, ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) उस वक़्त नशे में थे। इसलिये ऐसा कहने से वो गुनाहगार न हुए दूसरे उनका मत़लब ये था कि मैं अ़ब्दुल मुत़्त़लिब का बेटा हूँ और आँह़ज़रत (ﷺ) के वालिदे माजिद ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के वालिद ह़ज़रत अबू त़ालिब दोनों उनके लड़के थे और लड़का गोया अपने बाप का गुलाम ही होता है। ये ह़ालात देखकर आँह़ज़रत (ﷺ) ख़ामोशी से वापस लौट आए। उस वक़्त यही मुनासिब था। शायद ह़म्ज़ा कुछ और कह देते। दूसरी रिवायत में है कि उनका नशा उतरने के बाद आप (ﷺ) ने उनसे उन ऊँटनियों की क़ीमत ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को दिलवाई। बाब का मत़लब इस फ़िक़्रे से ये निकलता है कि उन पर इज़्ख़र लादकर लाऊँ, इज़्ख़र एक ख़ुश्बूदार घास है। (वह़ीदी)

बाब 14 : क़ित्आते अराज़ी बतौरे जागीर देने का बयान

١٤- بَابُ الْقَطَائِعِ

अस़्ल किताब में क़ताऐ का लफ़्ज़ है वो मक़्ता और जागीर दोनों के तौर पर शामिल है। शाफ़िइया ने कहा, आबाद ज़मीन को जागीर में देना दुरुस्त नहीं; वीरान ज़मीन में से इमाम जिसको लायक़ समझे जागीर दे सकता है। मगर जागीरदार या मक़्तादार उसका मालिक नहीं हो जाता, मुह़िब त़बरी ने उसी का यक़ीन किया है। लेकिन क़ाज़ी अयाज़ ने कहा कि अगर इमाम उसको मालिक बना दे तो वो मालिक हो जाता है। (वह़ीदी)

2376. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़म्माद ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने बह़रीन में कुछ क़त्आते अराज़ी बतौरे जागीर (अंस़ार को) देने का इरादा किया तो अंस़ार ने अ़र्ज़ किया कि हम जब लेंगे कि आप हमारे मुहाजिर भाइयों को भी उसी त़रह़ के क़त्आत इनायत फ़र्माएं। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे बाद (दूसरे लोगों को) तुम पर तरजीह़ दी जाया करेगी तो उस वक़्त तुम स़ब्र करना। यहाँ तक कि हमसे (आख़िरत में आकर) मुलाक़ात करो।

٢٣٧٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا. قَالَ: ((سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي)).

[أطرافه في : ٢٣٧٧، ٣١٦٣، ٣٧٩٤].

आँह़ज़रत (ﷺ) ने अंस़ार को बह़रीन में कुछ जागीरें देने का इरादा फ़र्माया, उसी से क़त्आते अराज़ी (कृषि भूमि) जागीर के त़ौर पर देने का जवाज़ स़ाबित हुआ। हुकूमत के पास अगर कुछ ज़मीन फ़ालतू हो तो वो पब्लिक में किसी को भी उसकी मिल्ली ख़िदमात (सार्वजनिक सेवाओं) के बदले में दे सकती है। यही बाब का मक़्स़द है। मुस्तक़्बिल के लिये आपने अंस़ार को हिदायत फ़र्माई कि वो फ़ित्नों के दौर में जब आ़म ह़क़ तल्फ़ी देखें तो ख़ास़ त़ौर पर अपने बारे में नासाज़गार (अप्रिय) ह़ालात उनके सामने आएँ तो उनको चाहिये कि स़ब्र व शुक्र से काम लें, यह उनके बलन्द दरजात के लिये बड़ा भारी ज़रिया होगा।

बाब 15 : क़ित्आते अराज़ी बतौरे जागीर देकर उनकी सनद लिख देना

١٥- بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

2377. और लैस़ ने यह़्या बिन सईद से बयान किया और उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने अंस़ार को बुलाकर बह़रीन में उन्हें क़त्आते अराज़ी बतौरे जागीर देने चाहे तो उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अगर आपको ऐसा करना ही है तो हमारे भाई क़ुरैश (मुहाजिरीन) को भी इसी तरह़ के क़त्आत की सनद लिख दीजिए। लेकिन नबी करीम (ﷺ) के पास इतनी ज़मीन नहीं थी। इसलिये आपने उनसे फ़र्माया कि मेरे बाद तुम देखोगे कि दूसरे लोगों को तुम पर मुक़द्दम किया जाएगा। तो उस वक़्त तुम मुझसे मिलने तक स़ब्र करना। (राजेअ़ : 2376)

٢٣٧٧- وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي)). [راجع: ٢٣٧٦]

हुकूमत अगर किसी को बतौरे इन्आम जागीर अ़ता करे तो उसकी सनद लिख देना ज़रूरी है ताकि आइन्दा उनके काम आए

और कोई उनका हक़ न मार सके। हिन्दुस्तान में मुस्लिम बादशाहों ने ऐसी कितनी ही सनदें ताँबे के पतरों (ताम्रपत्र) पर कुन्दा कर बहुत से मंदिरों के पुजारियों को दी हैं, जिनमें उनके लिये ज़मीनों का ज़िक्र है फिर भी तअस्सुब का बुरा हो कि आज उनकी शानदार तारीख़ को बिगाड़कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िज़ा तैयार की जा रही है। **अल्लाहुम्म उन्सुरिल् इस्लामा वल् मुस्लिमीन,** आमीन!

बाब 16 : ऊँटनी को पानी के पास दुहना

١٦- بَابُ حَلْبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

2378. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन फ़ुलैह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अली ने, उनसे अब्दुर्रहमान बिन अबी अ़म्र ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऊँट का हक़ ये है कि उनका दूध पानी के पास दूहा जाए। (राजेअ़ : 1402)

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)). [راجع: ١٤٠٢]

बाब 17 : बाग़ में से गुज़रने का हक़ या खजूर के पेड़ों में पानी पिलाने का हिस्सा

١٧- بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ نَخْلٍ

और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स ने पैवन्दी करने के बाद खजूर का कोई पेड़ बेचा तो उसका फल बेचने वाले ही का होता है। और उस बाग़ में से गुज़रने और सैराब करने का हक़ भी उसे हासिल रहता है। यहाँ तक कि उसका फल तोड़ लिया जाए साहिबे अ़राया को भी ये हुक़ूक़ हासिल होंगे।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، وَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ)).

तशरीह : इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का यही क़ौल है और एक रिवायत इमाम अहमद (रह.) से भी ऐसे ही है और इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम मालिक (रह.) से मरवी है कि अगर बायेअ़ (बेचने वाले) ने उस गुलाम को किसी माल का मालिक बना दिया था तो वो माल ख़रीददार का हो गया, मगर ये कि बायेअ़ शर्त कर ले।

बाब की मुनासबत इस तरह से है कि जब अ़राया का देना जाइज़ हुआ तो ख़्वाह मख़्वाह अ़राया वाला बाग़ में जाएगा अपने फलों की हिफ़ाज़त करने को। ये जो फ़र्माया कि अंदाज़ा करके उसके बराबर ख़ुश्क खजूर के बदल बेच डालने की इजाज़त दी उसका मतलब ये है कि मष़लन एक शख़्स दो तीन पेड़ खजूर के बतौर अ़राया के ले। वो एक अंदाज़ा करने वाले को बुलाए वो अंदाज़ा कर दे कि पेड़ पर जो ताज़ी खजूर है वो सूखने के बाद इतनी रहेगी और ये अ़राया वाला इतनी सूखी खजूर किसी शख़्स से लेकर पेड़ वाला मेवा उसके हाथ बेच दे तो ये दुरुस्त है हालाँकि यूँ खजूर को खजूर के बदल अंदाज़ा करके बेचना दुरुस्त नहीं क्योंकि उसमें कमी–बेशी का अन्देशा रहता है मगर अ़राया वाले अकष़र मुहताज भूखे लोग होते हैं उनको खाने के लिये ज़रूरत होती है, इसलिये उनके लिये ये बेअ़ जाइज़ फ़र्मा दी है।

2379. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया था

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بعدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ.

[راجع: ٢٢٠٣]

कि पेवन्दकारी के बाद अगर किसी शख़्स ने अपना खजूर का पेड़ बेचा तो (उस साल की फ़स्ल का) फल बेचने वाले ही का होगा। हाँ अगर ख़रीददार ये शर्त लगा ले (कि फल भी ख़रीददार ही का होगा) तो ये सूरत अलग है। और अगर किसी शख़्स ने कोई माल वाला गुलाम बेचा तो वो माल बेचने वाले का होता है। हाँ अगर ख़रीददार ये शर्त लगा दे तो ये सूरत अलग है। ये हदीष इमाम मालिक से, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से भी रिवायत की है उसमें सिर्फ़ गुलाम का ज़िक्र है। (राजेअ : 2203)

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا)).

[راجع: ٢١٧٣]

2380. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद ने, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने और उनसे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने बयान किया, कि नबी करीम (ﷺ) ने अरिय्या के सिलसिले मे उसकी रुख़्सत दी थी कि अंदाज़ा करके ख़ुश्क खजूर के बदले बेचा जा सकता है। (राजेअ : 2173)

٢٣٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا)).

[راجع: ١٤٨٧]

2381. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने उ़ययना ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे अ़ता ने, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने मुख़ाबरा, मुहाकला और मुज़ाबना से मना फ़र्माया था। उसी त़रह फल को पुख़्ता होने से पहले बेचने से मना फ़र्माया था, और ये कि मेवा या अनाज जो पेड़ पर लगा हो, दीनार व दिरहम ही के बदले बेचा जाए। अल्बत्ता अ़राया की इजाज़त दी है। (राजेअ : 1487)

अल्फ़ाज़ मुख़ाबरा, मुहाकला और मुज़ाबना के मा'नी पीछे तफ़्सील से लिखे जा चुके हैं।

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ، فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

2382. हमसे यह्या बिन क़ज़आ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हे दाऊद बिन हुसैन ने, उन्हें अबू अहमद के गुलाम अबू सुफ़यान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने बेअ़े अ़राया की अंदाज़ा करके ख़ुश्क खजूर के बदले पाँच वस्क़ से कम, या (ये कहा कि) पाँच वस्क़ के अंदर इजाज़त दी है उसमें शक दाऊद बिन

فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَو فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ)).

[راجع: ٢١٩]

हुसैन को हुआ। (राजेअ : 219)

(बेअ़े अ़राया का बयान पीछे मुफ़स्सल हो चुका है)

٢٣٨٣، ٢٣٨٤– حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ . . مِثْلَهُ.

[راجع: ٢١٩١]

2383, 84. हमसे ज़करिया बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि हमको अबू उसामा ने ख़बर दी, कहा कि मुझे वलीद बिन कष़ीर ने ख़बर दी, कहा कि मुझे बनी हारिष़ा के ग़ुलाम बशीर बिन यसार ने ख़बर दी, उनसे राफ़ेअ़ बिन ख़दीज और सहल बिन अबी हष़्मा (रज़ि.) ने बयान किया, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेअ़े मुज़ाबना या'नी पेड़ पर लगे हुए खजूर, सूखी हुई खजूर के बदले बेचने से मना फ़र्माया, अ़राया करने वालों के अ़लावा कि उन्हें आपने इजाज़त दे दी थी। अबू अ़ब्दुल्लाह (ह़ज़रत इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि इब्ने इस्हाक़ ने कहा कि मुझसे बशीर ने इसी त़रह ये ह़दीष़ बयान की थी। (ये तअ़लीक़ है क्योंकि इमाम बुख़ारी रह.) ने इब्ने इस्हाक़ को नहीं पाया। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि मुझको ये तअ़लीक़ मौसूलन नहीं मिली) (राजेअ़ : 2191)

तशरीह़ाते मुफ़ीदा :— अज़्ख़तीबुल इस्लाम अ़ल्लामा ह़ज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रऊफ़ स़ाह़ब रह़मानी नाज़िमे जामिआ़ सिराजुल उ़लूम झण्डानगर नेपाल अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुम।

किताबुल मुज़ारआ़ और किताबुल मसाक़ाति के ख़ात्मे पर अपने नाज़िरीने किराम की मा'लूमात में मज़ीद इज़ाफ़े के लिये हम एक फ़ाज़िलाना तब्स़रा दर्ज कर रहे हैं जो फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अ़ब्दुर्रऊफ़ रह़मानी ज़ीद मज्दहुम की दिमाग़ी काविश (मानसिक परिश्रम) का नतीजा है। फ़ाज़िल अ़ल्लामा ने अपने इस मक़ाले में मसाइले मुज़ारअ़त (खेती–बाड़ी के मसलों) को और ज़्यादा अह़सन त़रीक़े पर ज़हननशीन कराने की कामयाब कोशिश फ़र्माई है। जिसके लिये मौलाना मौसूफ़ न स़िर्फ़ मेरे बल्कि तमाम बुख़ारी शरीफ़ के क़ारेईने किराम की तरफ़ से शुक्रिया के मुस्तह़िक़ हैं। अल्लाह पाक इस अ़ज़ीम ख़िदमते तर्जुमा व स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ की तशरीहात में इस इ़ल्मी तआ़वुन व इश्तिराक पर मुह़तरम मौलाना मौसूफ़ को दोनों जहाँ की बरकतों से नवाज़े और आपकी आ़ला ख़िदमत को क़ुबूल फ़र्माए।

मौलाना ख़ुद भी एक कामयाब ज़मींदार हैं। इसलिये आपकी बयानकर्दा तफ़्स़ीलात किस क़दर जामेअ़ होंगी, मुत़ालआ़ के शौक़ीन ख़ुद उनका अंदाज़ा लगा सकेंगे। मुह़तरम मौलाना की तशरीह़ाते मुफ़ीदा का मतन दर्ज ज़ेल है। (मुतर्जम)

ज़मीन की आबाद कारी का एहतिमाम : (1) मुल्क की तमाम ख़ाम पैदावार और अश्याए ख़ुर्दुनी (खाद्य पदार्थों) का दारोमदार ज़मीन की खेती पर है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी ज़मीन के आबाद व गुलज़ार रखने की तरग़ीब दिलाई है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया **मनिश्तरा क़र्यतन यअ़मुरूहा कान ह़क़्क़न अ़लल्लाहि औनहू** या'नी जो शख़्स़ किसी गाँव को ख़रीदकर उसको आबाद करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसकी हर त़रह़ से मदद करेगा। (मुन्तख़ब कन्ज़ुल उ़म्माल जिल्द दोम पेज नं. 128)

इसी त़रह़ किताबुल ख़िराज में क़ाज़ी अबू यूसुफ़ (रह.) ने रसूले अकरम (ﷺ) की एक ह़दीष़ नक़ल की है, **फ़मन अह्या अर्ज़न मैतन फ़हिय लहू व लैस बिमुहतजिरिन ह़क़्क़ुन बअ़द ष़लाष़िन**, या'नी जिस शख़्स़ ने किसी बंजर व उफ़्तादा ज़मीन की काश्त की तो वो उसी की मिल्कियत है और बिना खेती किये हुए रोक रखने वाले का तीन साल के बाद

हक़ साक़ित हो जाता है। (किताबुल ख़िराज, पेज नं. 72)

(2) इमाम बुख़ारी (रह.) ने एक हदीष़ नक़ल की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर क़यामत क़ायम हो जाने की ख़बर मिल जाए और तुममें से किसी के हाथ में कोई शाख़ हो तो उसे ज़ाये (बर्बाद) न करे, बल्कि उसे ज़मीन में गाड़ और रोपकर दम ले। (अल् अदबुल मुफ़रद पेज नं. 69)

एक रिवायत इस तरह वारिद है कि अगर तुम सुन लो कि दज्जाल काना निकल चुका है और क़यामत के दूसरे सब आष़ार व अलामात (या'नी तमाम निशानियाँ) नुमायाँ हो चुके हैं और तुम कोई नरम व नाज़ुक पौधा ज़मीन में रोपना और लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगा दो और उसकी देखभाल और नशोनुमा के इंतिज़ामात में सुस्ती न करो क्योंकि वो बहरहाल ज़िन्दगी के गुज़रान के लिये एक ज़रूरी कोशिश है। (अल अदबुल मुफ़रद : पेज नं. 69)

इंतिबाह : इन सारी रिवायात में ग़ौर करने से साफ़ तौर पर पता चलता है कि ज़मीन की पैदावार हासिल करने के लिये और फलदार पेड़ों और अनाज वाले पौधों को लगाने के लिये किस क़दर अमली एहतिमाम करना मक़्सूद है कि मौत का वक़्त और क़यामत के क़रीब होते हुए भी इंसान ज़राअती कारोबार (कृषि सम्बंधी कार्य) और ज़मीनी पैदावार के मामले में ज़रा भी बेफ़िक्री और सुस्ती व लापरवाही न बरते।

क्या ज़राअत (खेती–बाड़ी) का पेशा ज़लील है? इन हालात की मौजूदगी में ये नहीं कहा जा सकता कि ज़राअत का पेशा ज़लील है। हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) से एक हदीष़ मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हल और खेती के कुछ आलात (कृषि के यंत्र) देखकर फ़र्माया कि **ला यदख़ुलु हाज़ा बैतु क़ौमिन इल्ला अदख़लहुल्लाहुज़्ज़िल्ल** या'नी जिस घर में ये दाख़िल होगा उसमें ज़िल्लत दाख़िल होकर रहेगी।

लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष़ देहलवी (रह.) और इमाम बुख़ारी (रह.) की तौजीह की रोशनी में उसका मतलब ये है कि खेती का पेशा इस क़दर हमावक़्ती मशग़ूलियत (हर समय की व्यस्तता) का तालिब है कि जो उसमें पूरी तरह डूब जाएगा वो इस्लामी ज़िन्दगी के सबसे अहम काम जिहाद को छोड़ बैठेगा और उससे बेपरवाह रहेगा और ज़ाहिर है कि जिहाद को तर्क करना, शौकत व क़ुव्वत (रौब व ताक़त) से अलग होने के समान है। बहरहाल अगर खेती की मुज़म्मत है तो उसकी हमेशा की मसरूफ़ियत की वजह से है कि वो अपने साथ बेहद मशग़ूल रखकर दूसरे तमाम अहम मक़ासिद से ग़ाफ़िल व बेनियाज़ कर देती है।

हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) इसी फ़लसफ़े के तहत लिखते हैं, **फ़इज़ा तरकुल्जिहाद वत्तबऊ अज़्नाबल्बक़रि अहात बिहिमुज़्ज़िल्ल व ग़लबत अलैहिम अहलु साइरिल अदयानि** (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा जिल्द ष़ानी स. 173) या'नी काश्तकार (किसान) बैलों की दुम में लगकर जिहाद वग़ैरह से ग़ाफ़िल हो जाते हैं और उनको ज़िल्लत घेर लेती है और जिहाद से काश्तकारों और ज़मींदार की ग़फ़लत उनकी रही–सही शौकत व क़ुव्वत को ख़त्म कर देती है। और उन पर तमाम अदयान और मज़ाहिब (अन्या धर्म व सम्प्रदाय) अपना क़ब्ज़ा जमा लेते हैं। लेकिन अगर जिहाद या दीन के दूसरे अहम मक़ासिद से नज़र न हटे तो ज़मीन को आबाद करना और खेती–बाड़ी ख़ुद अहम मक़ासिद में से है। चुनाँचे रसूले करीम (ﷺ) ने ख़ुद भी लोगों को अनेक ज़मीनें बतौर जागीर दीं कि वे उसे आबाद व गुलज़ार रखें और उससे अल्लाह की मख़्लूक़ और वो ख़ुद उससे फ़ायदा उठाएं।

ज़मीन का आबाद रहना और अवामी (सार्वजनिक) होना अस्ल मक़्सद है :

(1) हज़रत उमर (रज़ि.) ने जब ज़राअत (खेती) की तरफ़ ख़ुसूसी तवज्जह फ़र्माई तो कुछ लोगों ने ऐसी जागीरों के कुछ हिस्सों को आबाद कर लिया तो अस्ल मालिकाने ज़मीन दरबारे फ़ारूक़ी में हाज़िर हुए तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया तुम लोगों ने अब तक ग़ैरआबाद (वीरान व बंजर) छोड़े रखा। अब उन लोगों ने जब उसे आबाद कर लिया तो तुम उनको हटाना चाहते हो। मुझे अगर उस अम्र का एहतिराम पेशेनज़र न होता कि तुम सबको हुज़ूर (ﷺ) ने जागीरें इनायत की थीं तो तुम लोगों को कुछ न दिलाता। लेकिन अब मेरा फ़ैसला ये है कि उसकी आबादकारी और परती तोड़ने का मुआवज़ा अगर तुम दे दोगे तो ज़मीन तुम्हारे हवाले हो जाएगी और अगर ऐसा नही कर सकते तो ज़मीन के ग़ैर आबाद हालात की क़ीमत देकर वो लोग इसके मालिक बन जाएँगे। फ़र्मान

के आख़िरी अल्फ़ाज़ ये हैं, **व इन कुन्तुम शिअतुम रुद्दु अलैकुम षमन अदीमिल्अर्ज़ि** (किताबुल अम्वाल)

इसके बाद आम हुक्म दिया कि जिसने किसी ज़मीन को तीन बरस तक ग़ैर आबाद रखा तो जो शख़्स भी उसके बाद उसे आबाद करेगा, उसकी मिल्कियत तस्लीम (स्वीकार) कर ली जाएगी। (किताबुल ख़िराज : पेज नं. 72)

इस हुक्म का ख़ातिरख़्वाह (उल्लेखनीय) अषर हुआ और बड़ी तादादा में क़ब्ज़ाई हुई ज़मीनें आबाद हो गईं।

(2) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को एक लम्बी ज़मीन जागीर के तौर पर अता की थी। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसके आबाद किये हुए हिस्से को छोड़कर बक़िया ग़ैर आबाद ज़मीन उससे वापस ले ली। (किताबुल् ख़िराज : पेज नं. 78)

(3) ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने ह़ज़रत तलहा (रज़ि.) को (क़तीआ) एक जागीर अता की थी और चन्द लोगों को गवाह बनाकर हुक्मनामा उनके ह़वाले कर दिया। गवाहों में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) भी थे। ह़ज़रत तलहा (रज़ि.) जब दस्तख़त लेने की ग़र्ज़ से फ़ारूक़े आ़ज़म (रज़ि.) के पास पहुँचे, तो फ़ारूक़े आ़ज़म (रज़ि.) ने उस पर दस्तख़त करने से इंकार कर दिया और फ़र्माया, **अ हाज़ा कुल्लहू लक दूनन्नासि** क्या ये पूरी जायदाद अकेले तुमको मिल जाएगी और दूसरे लोग महरूम रह जाएँ। ह़ज़रत तलहा (रज़ि.) गुस्से में भरे हुए ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास पहुँचे और कहने लगे, **वल्लाहि आ अदरी अन्तल्ख़लीफ़तु अम उ़मरू** मैं नहीं जानता कि इस वक़्त आप अमीरुल मोमिनीन हैं या उ़मर? सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, **उ़मरू व लाकिन्नत्ताअत ली** हाँ! इंशाअल्लाहुल् अ़ज़ीज़ आइन्दा उ़मर फ़ारूक़ ही अमीरुल मोमिनीन होंगे, अल्बत्ता इताअत मेरी होगी। अल्ग़र्ज़ सय्यदना फ़ारूक़े आ़ज़म (रज़ि.) की मुख़ालफ़त की वजह से वो जागीर न पा सके। (मुन्तख़ब कन्ज़ुल उ़म्माल जिल्द चार, पेज नं. 390। व किताबुल अम्वाल : पेज नं. 276)

(4) इस तरह ह़ज़रत उ़ययना बिन ह़सन (रज़ि.) को सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने एक जागीर अता की थी। जब दस्तख़त कराने की ग़र्ज़ से ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के पास आए तो ह़ज़रत फ़ारूक़े आ़ज़म ने दस्तख़त करने से इंकार ही पर बस न किया बल्कि तहरीरशुदा सतरों (लिखी हुई लाइनों) को मिटा दिया। उ़ययना (रज़ि.) दोबारा सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) के पास आए और ये ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि दूसरा हुक्मनामा लिख दिया जाए तो ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, **वल्लाहि ला उजद्दिदु शैअन रद्दहू उ़मरू** अल्लाह की क़सम! वो काम दोबारा नहीं करूँगा जिसको उ़मर (रज़ि.) ने रद्द कर दिया। (मुन्तख़ब कन्ज़ुल उ़म्माल, जिल्द : चार, पेज नं. 291)

इसी सिलसिले में इब्नुल जोज़ी ने और ज़्यादा ये भी लिखा है कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) बड़ी तेज़ी में ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास आकर कहने लगे कि ये जागीर व अराज़ी जो आप उनको दे रहे हैं, ये आपकी ज़ाती ज़मीन है या सब मुसलमानों की मिल्कियत है? ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, ये सबकी चीज़ हैं। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने पूछा, तो फिर आपने किसी ख़ास शख़्स के लिये इतनी बड़ी जागीर को मख़्सूस क्यूँ किया? ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा मैंने उन ह़ज़रात से जो मेरे पास बैठे हैं, मश्विरा लेकर किया है। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, ये सबके नुमाइन्दे नहीं हो सकते। (सीरत उ़मर बिन ख़त्ताब, पेज नं. : 40 व असाबा लाबिन ह़जर : षालित/ पेज नं. 56)

बहरहाल उनके इस शदीद इंकार की वजह ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के उन अल्फ़ाज़ में तलाश की जा सकती है, **अ हाज़ा कुल्लुहू लक दूनन्नासि** क्या दीगर अफ़राद को महरूम करके ये सब कुछ तुम्हीं को मिल जाएगा। (मुन्तख़ब कन्ज़ुल उ़म्माल, जिल्द : चार पेज नं. 371 व किताबुल अम्वाल पेज नं. 277)

इन रिवायात से मा'लूम हुआ कि मफ़ादे आ़म्मा (सार्वजनिक लाभ) की चीज़ किसी एक शख़्स के लिये क़ानूनन मख़्सूस नहीं की जा सकती, कोई जागीर या जायदाद एक शख़्स को सिर्फ़ उतनी ही मिलेगी जितना वो सरसब्ज़ व शादाब और आबाद रख सके। दरहक़ीक़त रसूले पाक (ﷺ) और शैख़ेन (रज़ि.) का मंशा ये था कि क़तआत लोगों को देकर ज़मीन को ज़ेरे-काश्त लाया जाए ताकि अल्लाह की ख़िल्क़त के लिये ज़्यादा अनाज मुहय्या हो सके। मगर ये बात हर वक़्त ध्यान में रहनी चाहिये कि ज़मीन सिर्फ़ उमरा (शासकों) के हाथों में पड़कर अय्याशी और इशरतपसन्दी का सबब न बन सके या बेकार न पड़ी रहे। इसलिये एह़तियातन ज़रूरी थी कि ज़मीन सिर्फ़ उन लोगों को दी जाए जो हक़दार हों और सिर्फ़ इतनी ही दी जाए जितनी की वो देखरेख कर सकते हों। बहरहाल पब्लिक के फ़ायदे के लिये बेकार और ज़ाइद (अतिरिक्त) खेती की ज़मीनें हुकूमते इस्लामी अपने संरक्षण में ले लेती है ताकि उसको ज़रूरतमंद व हक़दारों में तक़्सीम कर दे।

अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में रिवाज था कि लोग ज़मीनों पर अपने नाम से फसल लिखाकर और फ़र्ज़ी नामों से इन्दराज कराके ज़मीनों पर क़ाबिज़ रहते थे और इससे दूसरे लोगों को नफ़ा उठाना किसी एक शख़्स की नामज़दगी की वजह से नामुम्किन था। मुल्क में खेती की ज़मीनों पर क़ब्ज़तुल महज़ (अतिक्रमण) होने और सारी ज़मीनों के ज़ेरेकाश्त न आ सकने के कारण क़हत (अकाल) और पैदावार की कमी बराबर चली आती रही। इस्लाम का मंशा ये है कि जितनी खेती तुम ख़ुद कर सको उतनी ही ज़मीन पर क़ाबिज़ रहो। या जितनी आबादी मज़दूरों और हलधरों के ज़रिये ज़ेरे काश्त ला सकते हो बस उसी पर तसर्रुफ़ रखो बाक़ी हुकूमत के हवाले कर दो। इस्लामी हुकूमत को हक़ है कि मालिक और ज़मीनदार को ये नोटिस दे दे कि **इन अजज़्त अन इमारतिहा अमर्नाहा व ज़रअनाहा** अगर उस ज़मीन को आबाद करने की सलाहियत तुझमें नहीं है तो हम उन ज़मीन को आबाद करेंगे **कज़ालिक यफ़्अलुल्इमामु इन्दना बिअराज़िल्आजिज़ अन इमारतिहा** जो अपनी ज़मीन को आबाद करने में मा'ज़ूर (असमर्थ) हों, उनकी ज़मीनों के बारे में इमाम को यही करना चाहिये। (अहकामुल क़ुर्आन जिल्द : 3 पेज नं. 532)

और इस क़िस्म के गश्ती पत्र हुकूमत की तरफ़ से जारी भी हुआ करते थे। मषलन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के फ़र्मान के अल्फ़ाज़ उसी सिलसिले में किताबों में नक़ल किये गये हैं कि अपने गवर्नरों को लिखा करते थे, **ला तदउल अर्ज़ ख़राबा** (मुहल्ला इब्ने हज़म, जिल्द : 8 पेज नं. 216) ज़मीन को हर्गिज़ ग़ैरआबाद (बंजर) न छोड़ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) इसीलिये अपने उम्माल को बार बार ताकीद के साथ लिखा करते थे कि आधे मुहासिल पर किसान को ज़मीनों का बन्दोबस्त करो। अगर तैयार न हों तो **फ़अतूहा बिष्षुलुषि फ़इल्लम यज़्रअ फ़अतूहा हत्ता यब्लुगलअश्रु** तिहाई पर बन्दोबस्त कर दो। अगर फिर भी आबाद न हो तो दसवें हिस्से की शर्त पर दे दो और आख़िर में ये भी इजाज़त दे दी जाती, **फ़इल्लम यज़्रअ अहदुन फ़म्नहहा** फिर भी कोई किसी ज़मीन को आबाद न करे तो लोगों को यूँ ही मुफ़्त आबाद करने को दे दो। और अगर ज़मीन को मुफ़्त लेने पर भी कोई आमादा न हो तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) का हुक्म ये था, **फ़इल्लम यज़्रअ फ़त्तफ़िक़ अलैहा मिम्बैतिल्मुस्लिमीन** या'नी हुकूमत के ख़ज़ाने से ख़र्च करके ग़ैर आबाद ज़मीन को आबाद करो। बहरहाल ज़मीन की आबादकारी के लिये कोई मुम्किन सूरत ऐसी बाक़ी न रही जो छोड़ दी गई हो।

हज़रत उमर (रज़ि.) ने नजरान के सूदख़ोर मालदारों को मुआवज़े देकर खेती की ज़मीनों को हासिल करके मक़ामी (स्थानीय) किसानों के लिये बन्दोबस्त कर दिया था। चुनाँचे हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने उसी मौक़े पर हज़रत उमर (रज़ि.) का फ़र्मान नक़ल किया है, **इन जाऊ बिल्बक़रि वल्हदीदि मिन इन्दिहिम फ़लहुमष्षुलुषानि व उमर अष्षलुषु व इन जाअ उमरू बिल्बज़्रि मिन इन्दिही फ़लहुश्शत्रू** (फ़त्हुल बारी जिल्द 5 स. 9) अगर बैल और लोहा (हल–बैल) किसानों की तरफ़ से मुहय्या किया जाए तो उनको पैदावार में हिस्सा दो तिहाई मिलेगा और उमर (रज़ि.) (की हुकूमत) का तिहाई हिस्सा होगा। और बीज का बन्दोबस्त अगर उमर (की हुकूमत) करे तो किसानों को आधा हिस्सा मिलेगा। इस वाक़िये से ज़मीन के आबाद करने और इंसाफ़ व जनता के हक़ में सरकारी रिआयत का हाल ख़ूब वाज़ेह हुआ।

(5) एक ज़मीन मुज़ैना क़बीला के कुछ लोगों को मिली हुई थी। उन लोगों ने उस जागीर को यूँ ही छोड़ रखा था। तो दूसरे लोगों ने उसको आबाद कर दिया। मुज़ैना के लोगों ने हज़रत उमर (रज़ि.) से उसकी शिकायत की। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जो शख़्स तीन बरस तक ज़मीन यूँ ही छोड़ रखेगा और दूसरा कोई शख़्स उसे आबाद करेगा तो ये दूसरा शख़्स ही उस ज़मीन का असली हक़दार हो जाएगा। (अल् अहकामुस्सुल्तानिया लिल् मावर्दी : पेज नं. 182)

(6) हज़रत बिलाल बिन हारिष मुज़्नी (रज़ि.) से सय्यदना फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) ने फ़र्माया, **फ़ख़ुज़ मिन्हा मा क़दर्त अला इमारतिहा** या'नी जो ज़मीन तुमको रसूले पाक (ﷺ) ने अता फ़र्माई है उसमें से जिस क़दर तुम आबाद रख सकते हो उसे अपने पास रखो। लेकिन जब वो पूरी अराज़ी को आबाद न कर सके तो बाक़ी बची ज़मीन को फ़ारूक़े आज़म ने दूसरे मुसलमानों में बांट दी और हज़रत बिलाल (रज़ि.) से फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुमको ज़मीन इस मक़सद से दी थी कि तुम इससे फ़ायदा उठाओ। आँहज़रत (ﷺ) का मक़सद ये तो न था कि ख़्वाहमख़्वाह क़ाबिज़ ही हो जाओ। (तअलीक़ किताबुल अम्वाल पेज नं. 290 बहवाला अबू दाऊद व मुस्तदरक हाकिम व खुलासतुल् वफ़ाअ पेज नं. 337)

नोट : इस बिलाल (रज़ि.) से बिलाल (रज़ि.) मुअज़्ज़िने रसूल मुराद नहीं हैं बल्कि बिलाल बिन अबी रिबाह हैं। (इस्तीआब)

(7) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के दौरे हुकूमत में भी इस क़िस्म का एक वाक़िया पेश आया था कि

एक शख़्स ने ज़मीन को ग़ैर आबाद समझकर उसको आबाद कर लिया। ज़मीन वाले को उसकी ख़बर हुई तो मुक़द्दमा लेकर ह़ाज़िर हुआ। आपने फ़र्माया कि उस शख़्स ने जो कुछ ज़मीन के सिलसिले में मेह़नत मज़दूरी ख़र्च की है उसका मुआवज़ा तुम अदा करो। गोया उसने ये काम तुम्हारे लिये किया है। उसने कहा उसके ख़र्चे अदा करने की मुझमें त़ाक़त नहीं है। तो आपने मुद्दअ़ अ़लैह (प्रतिवादी) से फ़र्माया, **इदफ़अ इलैहि ष़मन अर्ज़िही** या'नी तुम उसकी क़ीमत अदा करके उसके मालिक बन जाओ और अब खेत को सरसब्ज़ व शादाब रखो। (किताबुल अम्वाल पेज नं. 289)

ये फ़ैसले बतलाते हैं कि उन ह़ज़रात का मंशा ये था कि ज़मीन कभी ग़ैरआबाद और बेकार न रहने पाए और हर शख़्स के पास इतनी ही रहे जितनी ख़ुद खेती कर सके या करा सके। इन वाक़िआ़त की रोशनी में अब बातचीत का ख़ुलास़ा ये है कि ज़मीन के वो बड़े बड़े टुकड़े जो ऐसे ज़मीनदारों के क़ब्ज़े में हों जिनकी खेती न वो ख़ुद करते हैं, न मज़दूरों के ज़रिये ही कराते हैं। बल्कि फ़र्ज़ी बुवाई और फ़स़ल के फ़र्ज़ी इंदराज कराकर उनके ज़रिये उन जागीरों पर क़ाबिज़ रहना चाहते हों। ऐसे ज़मीनदारों के इस ज़ालिमाना क़ब्ज़े के लिये शरीअ़ते इस्लामिया में कोई जवाज़ नहीं है। ज़मीनदारों, जागीरदारों के निज़ाम में पहले उ़मूमन जागीरदार और तअ़ल्लुक़दार ऐसी ऐसी ज़मीनों पर क़ाबिज़ रहते थे और पटवारी के खातों में उगाई हुई फ़स़ल का फ़र्ज़ी इंदराज कराते थे, ह़ालाँकि दरह़क़ीक़त उनकी खेती नहीं होती थी।

ज़मीन की आबाद कारी के लिये बिला सूदी क़र्ज़े का इंतिज़ाम : आज के दौर में हुकूमत किसानों के लिये बीज वग़ैरह की सोसाइटी खोलकर सूदी क़र्ज़ पर खेती के आलात (कृषि यंत्र), खाद और बीज वग़ैरह तक़्सीम करती है। **लेकिन ख़िलाफ़ते राशिदा में ये बात न थी बल्कि वो ग़ैर मुस्लिम रिआ़या को भी खेती की ज़रूरियात व फ़राहमी आलात के लिये बिला सूदी रक़म (ब्याजमुक्त ऋण) देती थी।**

ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने इराक़, कूफ़ा व बस़रा के हुक्काम के नाम फ़र्मान भेजा था कि बैतुलमाल की रक़म से उन ग़ैर मुस्लिम जनता की इमदाद (सहायता) करो जो हमें जिज़्या (टेक्स) देती हैं। और वे किसी तंगी व परेशानी के कारण अपनी ज़मीनो को आबाद नहीं कर सकते तो उनकी ज़रूरियात के मुत़ाबिक़ क़र्ज़ दो ताकि वो ज़मीन आबाद करने का सामान कर लें, बैल ख़रीद लें और बीज बोने का इंतिज़ाम कर लें। और ये भी बता दो कि हम इस क़र्ज़ को इस साल नहीं लेंगे बल्कि दो साल बाद लेंगे। ताकि वो अच्छी त़रह़ अपना काम सम्भाल लें। (किताबुल अम्वाल पेज नं. 251, सीरतुल उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) पेज नं. 67)

ज़मीन की आबादकारी और पैदावार के इजाफ़े के लिये पानी का एहतिमाम : ग़ल्ले की पैदावार पानी की फराहमी (उपलब्धता) और मुनासिब आबपाशी पर मौक़ूफ़ (आधारित) है। जब ज़मीन को चश्मों और नहरों के ज़रिये पानी की फ़रावानी ह़ासिल होती है तो अनाज सरसब्ज़ व शादाब होकर पैदा होता है। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने काश्तकारी की उस अहम ज़रूरत का हमेशा लिहाज़ रखा। चुनाँचे ह़ज़रत स़अद (रज़ि.) बिन अबी वक़्क़ास की मातह़ती में इस्लामी फ़ौजों ने सवादे इराक़ को फ़तह़ किया तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्मान भेजा कि जायदादे मन्क़ूला (चल सम्पत्ति) घोड़े हथियार वग़ैरह और नक़द को लश्कर में तक़्सीम कर दो, और जायदाद ग़ैर मन्क़ूला (अचल सम्पत्ति) को मुक़ामी बाशिन्दों के पास ही रहने दो, ताकि उसकी मालगुज़ारी और ख़िराज (टेक्स) से इस्लामी ज़रूरियात और सरह़द्दी फ़ौजों के ख़र्चे और आइन्दा अ़स्करी (सैनिक) तंज़ीमों के ज़रूरी अख़राजात फ़राहम होते रहें। इस मौक़े पर आपने ज़मीनों की शादाबी के ख़्याल से फ़र्माया। **अल्अर्ज़ वल्अन्हारु लिउम्मालिहा** ज़मीन और उसके मुता'ल्लिक़ा नहरों को मौजूदा काश्तकारों ही के क़ब्ज़े में रहने दो। (किताबुल अम्वाल पेज नं. 59, सीरत उ़मर लाबन अल् जौज़ी पेज नं. 80, मशाहीरुल इस्लाम जिल्द अव्वल पेज नं. 317)

अनाज की पैदावार और आबपाशी की अहमियत के सिलसिले में एक और वाक़िया भी क़ाबिले ज़िक्र है कि एक बार ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के सामने एक मामला पेश हुआ। मुह़म्मद बिन मुस्लिमा, इब्ने ज़िह़ाक को अपनी ज़मीन में से नहर ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनसे फ़र्माया कि तुमको इजाज़त दे देनी चाहिये, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन से होकर उनकी ज़मीन में जाएगी, तो अव्वल व आख़िर उससे तुम भी फ़ायदा उठाओगे। मुह़म्मद बिन मुस्लिमा ने अपने फ़रीक़ मुद्दई से कहा कि अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जाने दूँगा। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, **वल्लाहि लयुमर्रन्न बिही व**

लौ अला बतनिक क़सम अल्लाह की वो नहर बनाई जाएगी चाहे तुम्हारे पेट पर ही होकर क्यूँ न गुज़रे। यहाँ तक कि नहर जारी करने का हुक्म दे दिया गया और उन्होंने नहर निकाल ली। (मौत्ता इमाम मुहम्मद पेज नं. 382)

इन वाक़ियात से ज़ाहिर है कि ख़िलाफ़ते राशिदा के मुबारक दौर में ज़मीन की आबपाशी (सिंचाई) और पैदावार ही के लिये पानी वग़ैरह पहुँचाने का हर मुम्किन तौर से इंतिज़ाम व एहतिमाम होता रहा।

बिला मर्ज़ी काश्त (अवैध खेती) : ज़मीन की आबादकारी के सिलसिले में बिला मर्ज़ी काश्त, बटाई, दख़ल कारी वग़ैरह के बारे में चन्द ज़रूरी बातें अर्ज़ की जाती हैं।

अब सबसे पहले सुनिए कि ज़मीन वाले की बिला मर्ज़ी काश्त की हक़ीक़त शरीअत में क्या है। इस सिलसिले में आँहज़रत (ﷺ) का इर्शादे गिरामी मौजूद है, **मन ज़रअ अर्ज़न बिग़ैरि इज़्नि अहलिहा लैस लहू मिनज्ज़रइ शैउन** या'नी जिसने किसी की ज़मीन को बिना इजाज़त जोत लिया, तो उसको उस खेती से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे मा'लूम हुआ कि ज़मीन वाले की हैषियते उर्फ़ी का एहतिराम शरीअत में मद्देनज़र है। पस अगर कोई शख़्स उसके ग़ैर उफ़्तादा और आबाद ज़मीन पर यूँ ही क़ब्ज़ा करेगा तो उसका तसर्रुफ़ क़त्अन बातिल है। लेकिन बंजर ज़मीन वग़ैरह आबाद परती ज़मीन जो मुसलसल तीन साल से ज़्यादा अगर मालिक अपनी तसर्रुफ़ व काश्त में न ला सके, उसका मामला बिलकुल अलग है।

दख़लकारी (क़ब्ज़ा या अतिक्रमण) : इसी तरह दख़लकारी का मौजूदा सिस्टम भी क़त्अन बातिल है। इस्लाम कभी किसान को ये इजाज़त न देगा कि वो असल मालिक की ज़मीन पर पटवारी वग़ैरह की फ़र्ज़ी कार्रवाइयों के आधार पर क़ब्ज़ा जमा ले। किसान की मेहनत व शिर्कत ज़मीन की पैदावार और ज़मीन के मुनाफ़े में है न कि असल ज़मीन की मिल्कियत में। अगर अदालत से उसके हक़ में फ़ैसला भी हो जाए और फ़र्ज़ी दलीलों व गवाहों और पटवारियों के इन्दराजात व काग़ज़ात के आधार पर कोई हाकिम फ़ैसला भी कर दे तो वो शरअन बातिल है। अहादीष में इस सिलसिले में सख़्त वईद वारिद है। इर्शादे नबवी है, **व इन्नमा तख़्तसिमून इलय्य व लअल्ल बअज़कुम यकूनु अल्हन बिहुज्जतिही मिम्बअज़िन फ़अक़्ज़ी लहू अला नहवि मा अस्मउ फ़मन क़ज़ैतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीहि फ़ला याख़ुज़ूहू फ़अना अक़्तउ लहू क़ित्अतम्मिनन्नारि** (मिश्कात जिल्द षानी बाबुलअक़्ज़िय)

इस रिवायत से मा'लूम हुआ कि हाकिम ऐसे काग़ज़ात पटवारी वग़ैरह के उपलब्ध कराए गये गवाहों के आधार पर अगर किसी शख़्स के लिये ऐसी ज़मीन की मिल्कियत का दख़लकारी के नाम पर फ़ैसला हो भी जाए जो दर हक़ीक़त उसकी ख़रीदी हुई मिल्कियत न थी तो उस हाकिम का फ़ैसला हर्गिज़ उस ज़मीन को दख़लकार (अतिक्रमी) के लिये हलाल नहीं क़रार दे सकता। पटवारी से साज़बाज़ करके ऐसी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा लिखाना या अपनी मिल्कियत दिखलाना जो दर हक़ीक़त ज़मीनदार की ज़रख़रीद है, अव्वलन हराम है, और उन अकाज़ीब व शहादाते काज़िबा की बुनियाद पर उसे हलाल समझना हराम दर हराम है।

बटाई : आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ैबर को फ़तह करके वहाँ की ज़मीन को ख़ैबर के किसानों के सुपुर्द कर दी। बटाई के सिलसिले में तै हुआ कि आधा किसान ले लेंगे और आधा आँहज़रत (ﷺ) लेंगे। जब खजूर पककर तैयार हुई तो आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) को खजूरों का तख़्मीना करने भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) ने फ़राख़दिली के साथ ऐसा तख़्मीना किया कि उस मुन्सिफ़ाना तक़्सीम (न्यायपूर्ण बंटवारे) पर यहूदी किसान पुकार उठे, **बिहाज़ा कामतिस्समावातु वल्अर्ज़** कि आसमान और ज़मीन अब तक उसी क़िस्म के अदलो–इंसाफ़ की वजह से क़ायम हैं। उन्होंने पूरी पैदावार को चालीस हज़ार वस्क़ ठहराया और पूरे बाग़ का दो बराबर हिस्सा बना दिया और उनको इख़्तियार दे दिया कि इसमें से जिस हिस्से को चाहे ले लें। रावी का बयान है कि फल तोड़ने के बाद एक निस्फ़ की पैदावार दूसरे निस्फ़ की पैदावार पर ज़र्रा बराबर भी ज़्यादा न निकली। (किताबुल अम्वाल पेज नं. 482)

शेख़ुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने भी बटाई को जाइज़ लिखा है, फ़र्माते हैं, **वल्मुज़ारअतु जाइज़तुन फ़ी असह्हि क़ौलिल्उल्माइ व हिय अमलुल्मुस्लिमीन अला अहदि नबिय्यिहिम व अहदि ख़ुलफ़ाइर्राशिदीन व**

अ़लैहा अ़मलु आलि अबी बक्र व आलि उ़मर व आलि उ़श्मान व आलि अ़ली (रज़ि.) व ग़ैरुहुम व हिय क़ौलु अकाबिरस्सहाबति व हिय मज़्हबु फ़ुक़हाइल्हदीषि व अहमदब्नि हम्बल वब्नि राहवय वल्बुख़ारी वब्नि ख़ुज़ैमत व ग़ैरुहुम व कानन्नबिय्यु (ﷺ) क़द आमल अहल ख़ैबर बिशतरिन मा यख़्रुजु मिन्हा मिन षमरिन व ज़रइन हत्ता मात (अल्हब्सतु फ़िल्इस्लाम स. 20)

इसका हासिल ये है कि खेती में बटाई जाइज़ है, अहदे नबवी व ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन व सहाबा किराम (रज़ि.) के दौर में इस तरह का तआमुल मौजूद है। ज़मीन से शरीअत को पैदावार हासिल करना मक़्सूद है। ज़मीन कभी मुअत्तल व बेकार हाथों में पड़ी न रहे। इसलिये ये हुक्म भी दिया गया है कि अगर कोई शख़्स किसी मजबूरी से अपनी ज़मीन फ़रोख़्त करने लगे तो अपने दूसरे पड़ोसी किसान से सबसे पहले पूछे। आँहज़रत (ﷺ) का फ़र्मान है कि जिस शख़्स के पास ज़मीन या खजूर के बाग़ात हों और उनको वो बेचना चाहे तो उसको सबसे पहले अपने शरीक पर पेश करे। (मुस्नद अहमद जिल्द 3 पेज नं. 307)

इसी तरह अगर शिर्कत में खेती हो और कोई शख़्स अपना हिस्सा बेचना चाहे तो उस पर लाज़िम है कि पहले अपने शरीक (पार्टनर) को पेश करे इसलिये कि वो अव्वल हक़दार है। (मुस्नद अहमद जिल्द 3 पेज नं. 381)

यहाँ ये मक़्सद है कि दूसरा आदमी आलाते हर्ष व इंतिज़ामात और वसाइल फ़राहम करेगा। मुम्किन है जल्द मुहय्या न हो और उसके पड़ौसी के पास जबकि तमाम मशीनरी व अस्बाब (साधन) फ़राहम हो तो ज़मीन के बारआवर व ज़ेरेकाश्त हो जाने के लिये यहाँ ज़्यादा इत्मीनानबख़्श (संतोषप्रद) सूरत मौजूद है। इसलिये पहले ये ज़मीन उस पड़ौसी को पेश करना लाज़िम है।

काश्तकारी के लिये तरग़ीब : (11) ज़मीनी पैदावार के सिलसिले में हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में तवज्जह दिलाई है। चुनाँचे कुछ लोग यमन से आए हुए थे, हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनसे पूछा, तुम कौन लोग हो? जवाब दिया कि हम लोग मुतवक्कल अ़लल्लाह (अल्लाह पर भरोसा रखने वाले) हैं। फ़र्माया, तुम लोग हर्गिज़ मुतवक्कल अ़लल्लाह नहीं हो सकते। **इन्नमल्मुतव्वकिलु कुल्लु रजुलिन अल्कबा फ़िल्अर्ज़ि व तवक्कल अ़लल्लाहि** मुतवक्किल वो शख़्स है जो ज़मीन में हल चलाकर उसे मुलायम करके उसमें बीज डाले, फिर उससे उगने वाली खेती के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। (मुंतख़ब कन्ज़ुल उ़म्माल, जिल्द 2 पेज नं. 216)

मतलब ये है कि जो लोग अ़मल करें और नतीजा अ़मल को अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दे वही लोग दर असल मुतवक्किल हैं। किसान की मिषाल उभारने पर दलालत करती है और साथ ही ये हक़ीक़त भी है कि हक़ीक़ी तवक्कल की मिषाल किसान की ज़िन्दगी व सुपुर्दगी में मुलाहिज़ा की जाती है। बीज की परवरिश हवा, पानी में आसमान की तरफ़ नज़र, सूरज व चाँद से मुनासिब गर्मी व ठण्डक की मिली-जुली कैफ़ियतों का जिस क़दर एहतियाज किसान (काश्तकार) को है और जिस तरह बुआई के बाद किसान अपने तमाम मामलात शुरू से लेकर आख़िर तक अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। ये बात किसी और शोअबे (विभाग) में इस हद तक नहीं है।

अ़ल्लामा ग़ज़ाली (रह.) ने लिखा है कि खेती-बाड़ी, तिजारत व ज़राअ़त वग़ैरह से अलग होना और उससे जुड़े कारोबार के कामों का एहतिमाम छोड़ देना हराम है और उसका तवक्कल नाम रखना ग़लत है। (अहयाउल् उ़लूम जिल्द चार पेज नं. 265)

(12) ज़मीन की आबादी व काश्तकारी का हुक्म हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने भी दिया है। अबू ज़बयान नामी एक शख़्स से आपने पूछा कि तुमको किस क़दर वज़ीफ़ा बैतुलमाल (राजकोष) से मिलता है? उन्होंने जवाब दिया कि ढाई हज़ार दिरहम। आपने फ़र्माया कि **या अबा ज़ुब्यान इत्तख़िज़ मिनल्हर्षि** या'नी ऐ अबू ज़बयान! खेती का सिलसिला क़ायम रखो। वज़ीफ़े पर भरोसा करके खेती से ग़फ़लत न करो। (अल् अदबुल मुफ़रद पेज नं. 84)

(13) एक बार हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने क़ैदियों के बारे में फ़र्माया कि तहक़ीक़ात करके काश्तकार व ज़राअ़तपेशा लोगों को सबसे पहले रिहा करो। हुक्म के अल्फ़ाज़ ये हैं, **ख़ल्लौ कुल्ल अक्कारिन व ज़र्राइन** (मुन्तख़ब क़न्ज़ुल उम्माल जिल्द 2 स. 313)

ये आम क़ैदियों में से सिर्फ़ खेती करने वाले किसानों की फ़ौरी रिहाई का बन्दोबस्त इसलिये फ़र्माया जा रहा है कि मुल्क के अवामी फ़लाह (जनहित) का दारोमदार अनाज व अन्य खाने की चीज़ों की आम पैदावार पर है। हमारे यहाँ नेपाल में तमाम मुक़द्दमात की खेती के ज़माने में लम्बी तारीख़ें देकर मुल्तवी कर दी जाती हैं ताकि काश्तकार अपने मकान पर वापस जाकर फ़राग़त से खेती सम्भाल सकें।

ले उड़ी तर्ज़े फ़ुग़ाँ बुलबुल नालाँ हमसे　　　**गुल ने सीखी रविश चाक गरीबाँ हमसे**

(14) एक बार हज़रत उमर (रज़ि.) ने ज़ैद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) को देखा कि ज़मीन को आबाद कर रहे हैं तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, **असब्त इस्तगन अनिन्नासि यकुन अस्वनु लिदीनिक व अक्रमु लक अलैहिम** या'नी ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरह रोज़गार का इंतिज़ाम हो जाने से दूसरों से तुमको बेपरवाही हासिल हो जाएगा और तुम्हारे दीन की हिफ़ाज़त होगी और इस तरह लोगों में तुम्हारी इज़्ज़त भी होगी। ये फ़र्माकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये शे'र पढ़ा,

फ़लन अज़ाल अलज़्ज़ौरा अअमरूहा　　　**इन्नल करीम अलल्इख़्वानि ज़ू मालिन**

(अहयाउलू उलूम जिल्द 2 पेज नं. 64)

(15) हज़रत उष्मान (रज़ि.) के ज़माने में जब वज़ीफ़े (राज सहायता) पर भरोसा होने लगा, तो आपने भी हुक्म दिया, **व मन कान लहुम मिन्कुम ज़रइन फ़ल्यल्हक़ बिज़्रइही व मन लहू ज़ रइन फ़ल्यल्हक़ बिज़रइही फ़इन्ना ला नुअती मालल्लाहि इल्ला लिमन गज़ा फ़ी सबीलिही** (अल्इमामतु वस्सियासतु जिल्द अव्वल स. 33) या'नी जिसके पास दूध वाले जानवर हों वो अपने रेवड़ की परवरिश से अपने रोज़गार का इंतिज़ाम करे और जिसके पास खेत हो वो खेती में लगकर अपनी ज़रूरतों का इंतिज़ाम कर ले। वज़ीफ़े पर भरोसा करने के सबब से सारा निज़ाम मुअत्तल हो जाएगा (या'नी व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो जाएगी), इसलिये अब ये माल सिर्फ़ मुजाहिद व ग़ाज़ी सिपाहियों के लिये मख़्सूस रहेगा। चुनाँचे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) भी सिनह नामी मुक़ाम में अपनी ज़मींदारी का कारोबार करते थे और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ख़ुद भी खेती कराते थे। (बुख़ारी किताबुल मुज़ारेअ)

हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) व हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह ने भी मुख़्तलिफ़ जागीरों को बटाई पर दे रखा था। (किताबुल ख़िराज पेज नं. 73)

43. किताबल इस्तिक़राज़

किताब क़र्ज़ लेने और क़र्ज़ अदा करने और हजर करने और मुफ़लिसी मंज़ूर करने के बयान में

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

हजर का डिक्शनरी में मा'नी रोकना, मना करना और शरअ में उसको कहते हैं कि हाकिमे इस्लाम किसी शख़्स को अपने माल में तसर्रुफ़ (ख़र्च) करने से रोक दे। ये दो वजह से होता है, या तो वो शख़्स बेवक़ूफ़ हो, अपना माल तबाह करता हो; या दूसरों

के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के लिये। मषलन मदयूने मुफ़्लिस (क़र्ज़दार ग़रीब) पर हजर करना, क़र्ज़ख़्वाहों के हुक़ूक बचाने के लिये या राहिन (गिरवी रखने वाला) पर या मुरतहन (जिसके पास कोई चीज़ गिरवी रखी जाए) पर या मरीज़ पर और वारिष का हक़ बचाने के लिये। तफ़्लीस, लुग़त में किसी आदमी का मुहताजगी के साथ मशहूर हो जाना। ये लफ़्ज़ फ़लूस से माख़ूज़ (बना) है और ये पैसे के मा'नी में है। शरअन जिसे हाकिमे वक़्त दीवालिया क़रार देकर उसको बचे हुए माल में तसर्रुफ़ से रोक दे ताकि जो भी मुम्किन हो उसके क़र्ज़ख़्वाहों वग़ैरह को देकर उनके मामलात ख़त्म कराए जाएँ।

बाब 1 : जो शख़्स कोई चीज़ क़र्ज़ ख़रीदने और उसके पास क़ीमत न हो या उस वक़्त मौजूद न हो तो क्या हुक्म है?

١- باب مَنِ اشْتَرى بِالدَّيْنِ وَلَيسَ عِنْدَه ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

2385. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमको जरीर ने ख़बर दी, उन्हें मुग़ीरह ने, उन्हें शअबी ने और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक ग़ज़्वा में शरीक था। आपने फ़र्माया, अपने ऊँट के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या तुम इसे बेचोगे? मैंने कहा कि हाँ, चुनाँचे ऊँट मैंने आप (ﷺ) को बेच दिया और जब आप (ﷺ) मदीना पहुँचे तो सुबह ऊँट को लेकर मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो गया, आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी क़ीमत अदा कर दी। (राजेअ : 443)

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ؟ أَتَبِيْعُنِيْهِ؟)) قُلْتُ نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ)). [راجع: ٤٤٣]

षाबित हुआ कि मामला उधार करना भी दुरुस्त है मगर शर्त ये कि वा'दे पर रक़म अदा कर दी जाए।

2386. हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल वाहिद ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि इब्राहीम की ख़िदमत में हमने बैअ़े-सलम में रहन का ज़िक्र किया, तो उन्होंने बयान किया कि मुझसे अस्वद ने बयान किया और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक यहूदी से अनाज एक ख़ास मुद्दत (के क़र्ज़ पर) ख़रीदा, और अपनी लोहे की ज़िरह उसके पास रहन रख दी। (राजेअ : 2086)

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ)). [راجع: ٢٠٨٦]

मा'लूम हुआ कि ज़रूरत के वक़्त अपनी कोई चीज़ रहन (गिरवी) भी रखी जा सकती है। लेकिन आजकल उलटा मामला है कि रहन की चीज़ अज़ क़िस्म ज़ेवर वग़ैरह पर भी महाजन लोग सूद लेते हैं। नतीजा ये कि वो ज़ेवर जल्दी वापस न लिया जाए तो एक न एक दिन सारा सूद की नज़र होकर ख़त्म हो जाता है। मुसलमानों के लिये जिस तरह सूद लेना हराम है वैसे ही सूद देना भी हराम है, लिहाज़ा ऐसा गिरवी मामला हर्गिज़ न करना चाहिये।

बाब 2 : जो शख़्स लोगों का माल अदा करने की निय्यत से ले और जो हज़म करने की निय्यत से ले

٢- بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِتْلاَفَهَا

2387. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह उवैसी ने बयान किया, उनसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे ष़ौर बिन ज़ैद ने, उनसे अबू ग़ैष़ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो कोई लोगों का माल क़र्ज़ के तौर पर अदा करने की निय्यत से लेता है तो अल्लाह तआ़ला भी उसकी तरफ़ से अदा करेगा और जो कोई न देने के लिये ले, तो अल्लाह तआ़ला भी उसको तबाह कर देगा।

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ)).

ह़दीष़े नबवी अपने मतलब में वाज़ेह है। जिसकी निय्यत अदा करने की होती है अल्लाह पाक भी ज़रूर उसके लिये कुछ न कुछ अस्बाब वसाइल बना देता है। जिनसे वो क़र्ज़ अदा करा देता है और जिनकी अदा करने की निय्यत नहीं होती, उसकी अल्लाह भी मदद नहीं करता। इस सूरत में क़र्ज लेना गोया लोगों के माल पर डाका डालना है फिर ऐसे लोगों की साख भी ख़त्म हो जाती है और सब लोग उसकी बेईमानी से वाक़िफ़ होकर उससे लेन–देन करना छोड़ देते हैं। ख़ुलास़ा ये कि क़र्ज़ लेते वक़्त अदा करने की निय्यत और फ़िक्र ज़रूरी है।

बाब 3 : क़र्ज़ों का अदा करना, और अल्लाह तआ़ला ने (सूरह निसा में) फ़र्माया,

٣- بَابُ أَدَاءِ الدُّيُونِ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى:

अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मालिकों को अदा करो और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो इंस़ाफ़ के साथ करो अल्लाह तुम्हें अच्छी ही नस़ीह़त करता है। इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह बहुत सुनने वाला, बहुत देखने वाला है।

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

2388. हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू शिहाब ने बयान किया, उनसे अअ़मश ने, उनसे ज़ैद बिन वहब ने और उनसे अबू ज़र्र (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ था। तो फ़र्माया कि मैं ये भी पसन्द नहीं करूँगा कि उहुद पहाड़ (को देखने) से थी। तो फ़र्माया कि मैं ये भी पसन्द नहीं करूँगा कि उहुद पहाड़ सोने का हो जाए तो उसमें से मेरे पास एक दीनार के बराबर भी तीन दिन से ज़्यादा बाक़ी रहे सिवाय उस दीनार के जो मैं किसी का क़र्ज़ अदा करने के लिये रख लूँ। फिर फ़र्माया, (दुनिया में) देखो जो ज़्यादा (माल) वाले हैं वही मुह़ताज हैं। सिवाय उनके जो अपने माल व दौलत को यूँ और यूँ ख़र्च करें। अबू शिहाब रावी ने अपने सामने और दाईं तरफ़ और बाईं तरफ़ इशारा किया। लेकिन ऐसे लोगों की ता'दाद कम होती

٢٣٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أَبْصَرَ - يَعْنِي أُحُدًا - قَالَ : ((مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ دِيْنَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ)). ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الأَكْثَرِيْنَ هُمُ الأَقَلُّونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا))- وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - ((وَقَلِيْلٌ

ما هُمْ))، وَقَالَ : ((مَكَانَكَ))، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ. ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ : مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الَّذِي سَمِعْتُ - أو قَالَ : الصَّوتُ الَّذِيْ سَمِعْتُ - قَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ)). [راجع: ١٢٣٧]

है। फिर आपने फ़र्माया यहीं ठहरे रहो। और आप थोड़ी दूर आगे की तरफ़ बढ़े। मैंने कुछ आवाज़ सुनी। (जैसे आप किसी से बातें कर रहे हों) मैंने चाहा कि आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो जाऊँ। लेकिन फिर आपका फ़र्मान याद आया कि यहीं उस वक़्त तक ठहरे रहना जब तक मैं न आ जाऊँ। उसके बाद जब आप तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! अभी मैंने कुछ सुना था, या (रावी ने ये कहा कि) मैंने कोई आवाज़ सुनी थी। आपने फ़र्माया, तुमने भी सुना! मैंने अ़र्ज़ किया कि हाँ। आपने फ़र्माया कि मेरे पास जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) आए थे और कह गए हैं कि तुम्हारी उम्मत का जो शख़्स भी इस हालत में मरे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, तो वो जन्नत में दाख़िल होगा। मैंने पूछा कि अगरचे वो इस इस तरह (के गुनाह) करता रहा हो। तो आपने कहा कि हाँ!

(राजेअ़: 1237)

٢٣٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ)) رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ)).

[طرفاه في : ٦٤٤٥، ٧٢٢٨].

2389. हमसे अहमद बिन शबीब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने कि इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तब भी मुझे ये पसन्द नहीं कि तीन दिन गुज़र जाए और उस (सोने) का कोई हिस्सा मेरे पास रह जाए। सिवाय उसके जो मैं किसी क़र्ज़ के देने के लिये रख छोड़ूँ। इसकी रिवायत स़ालेह और अ़क़ील ने ज़ुहरी से की है।

(दीगर मक़ाम : 6445, 7228)

तश्रीह : बाब का मतलब इस फ़िक़रे से निकलता है, मगर वो दीनार तो रहे जिसको मैंने क़र्ज़ा अदा करने के लिये रख लिया हो क्योंकि इससे मा'लूम होता है कि क़र्ज़ अदा करने की फ़िक्र हर शख़्स को करना चाहिये और उसका अदा करना ख़ैरात करने पर मुक़द्दम है। अब इसमें इख़्तिलाफ़ है कि ख़ैरात करने के लिये कोई शख़्स बिला ज़रूरत क़र्ज़ ले तो जाइज़ है या नहीं। और स़हीह़ ये है कि अदा करने की निय्यत हो तो जाइज़ है, बल्कि ष़वाब है। अ़ब्दुल्लाह बिन जा'फ़र बेज़रूरत क़र्ज़ लिया करते थे। लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह क़र्ज़दारों के साथ है यहाँ तक कि वो अपना क़र्ज़ अदा कर दे। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे साथ रहे और तजुर्बे से मा'लूम हुआ है कि जो शख़्स नेक कामों में ख़र्च करने की वजह से क़र्ज़दार हो जाए तो परवरदिगार उसका क़र्ज़ ग़ैब से अदा करवा देता है। मगर ऐसी कीमिया स़िफ़त (चमत्कारी) शख़्सियतें आजकल नायाब (दुर्लभ) हैं। मौजूदा ह़ालात में क़र्ज़ किसी ह़ाल में भी अच्छा नहीं है। यूँ मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है मगर ख़ैर-ख़ैरात करने के लिये क़र्ज़ निकालना आजकल किसी त़रह़ भी ज़ेबा (शोभनीय) नहीं क्योंकि अदायगी का मामला

बहुत ही परेशानकुन बन जाता है। फिर ऐसा क़र्ज़दार आदमी दीन और दुनिया हर लिहाज़ से गिर जाता है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को क़र्ज़ से बचाए और मुसलमान क़र्ज़दारों का ग़ैब से क़र्ज़ अदा कराए, आमीन।

बाब 4 : ऊँट क़र्ज़ लेना

٤- بَابُ اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ

2390. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्हें सलमा बिन कुहैल ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अबू सलमा से सुना, वो हमारे घर में अबू हुरैरह (रज़ि.) से ह़दीष़ बयान कर रहे थे कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा किया और सख़्त सुस्त कहा। सह़ाबा किराम (रज़ि.) ने उसको सज़ा देनी चाही तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे कहने दो। साहिबे ह़क़ के लिये कहने का ह़क़ होता है और उसे एक ऊँट ख़रीद कर दे दो। लोगों ने अर्ज किया कि उसके ऊँट से (जो उसने आपको क़र्ज़ दिया था) अच्छी उम्र ही का ऊँट मिल रहा है। आपने फ़र्माया कि वही ख़रीद के उसे दे दो क्योंकि तुममें अच्छा वही है, जो क़र्ज़ अदा करने में सबसे अच्छा हो। (ह़दीष़ और बाब में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है) (राजेअ़ : 2305)

٢٣٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِمِنًى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً))، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ. وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: ((اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)).[راجع: ٢٣٠٥]

बाब 5 : तक़ाज़े में नरमी करना

٥- بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي

2391. हमसे मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक ने, उनसे रिब्ई बिन ह़राश ने और उनसे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक शख़्स का इंतिक़ाल हो गया (क़ब्र में) उससे सवाल हुआ। तुम्हारे पास कोई नेकी है? उसने कहा कि मैं लोगों से ख़रीद व फ़रोख़्त करता था। (और जब मेरा किसी पे क़र्ज़ होता) तो मैं मालदारों को मुहलत दिया करता था और तंगदस्तों के क़र्ज़ को मुआफ़ कर देता था। उसी पर उसकी बख़्शिश हो गई। अबू मसऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने यही नबी करीम (ﷺ) से सुना है। (राजेअ़ : 2077)

٢٣٩١- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فَغُفِرَ لَهُ)). قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: سَمِعْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢٠٧٧]

इससे तक़ाज़े में नरमी करने की फ़ज़ीलत ष़ाबित हुई। अल्लाह पाक ने कुर्आन में फ़र्माया, **व इन् कान ज़ू उस्रतिन फ़नज़िरतुन् इला मयसरतिन व इन तस़द्दक़ू ख़ैरुल्लकुम** (अल बक़रः : 280) या'नी अगर क़र्ज़दार तंगदस्त हो तो उसको ढील देना बेहतर है और अगर उस पर सदक़ा ही कर दो तो ये और भी बेहतर है। ख़ुलासा ये कि ये अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत ही

पसन्दीदा है।

क्या 6 : क्या बदले में क़र्ज़ वाले ऊँट से ज़्यादा उम्र वाला ऊँट दिया जा सकता है

٦- بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ؟

मुराद ये है कि क़र्ज़ में मामले की रू से कम उम्र वाला ऊँट देना है। मगर वो न मिला और बड़ी उम्र वाला मिल गया तो उसी को दिया जा सकता है अगरचे देने वाले को उसमें नुक़्सान भी है।

2392. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यह्या क़त्तान ने, उनसे सुफ़यान ष़ौरी ने, कि मुझसे सलमा बिन कुहैल ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) से अपना क़र्ज़ का ऊँट मांगने आया। तो आप (ﷺ) ने स़हाबा से फ़र्माया कि उसे उसका ऊँट दे दो। स़हाबा ने अर्ज किया कि क़र्ज़ ख़्वाह के ऊँट से अच्छी उम्र का ऊँट ही मिल रहा है। इस पर उस शख़्स (क़र्ज़ ख़्वाह) ने कहा मुझे तुमने मेरा पूरा ह़क़ अदा कर दिया, तुम्हें अल्लाह तुम्हारा ह़क़ पूरा पूरा दे! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे वही ऊँट दे दो क्योंकि बेहतरीन शख़्स वो है जो सबसे ज़्यादा बेहतर त़रीक़े पर अपना क़र्ज़ अदा करता हो। (राजेअ : 2305)

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالُوا: نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

बाब 7 : क़र्ज़ अच्छी तरह से अदा करना

٧- بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

2393. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उयैना ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया, कि नबी करीम (ﷺ) पर एक शख़्स का एक ख़ास़ उम्र का ऊँट क़र्ज़ था। वो शख़्स आप (ﷺ) से तक़ाज़ा करने आया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे ऊँट दे दो। स़हाबा ने तलाश किया लेकिन ऐसा ही ऊँट मिल सका जो क़र्ज़ ख़्वाह के ऊँट से अच्छी उम्र का था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वही दे दो। उस पर उस शख़्स ने कहा कि आपने मुझे मेरा पूरा ह़क़ अदा कर दिया अल्लाह आपको भी इसका बदला पूरा पूरा दे। आपने फ़र्माया कि तुममें बेहतर आदमी वो है जो क़र्ज़ अदा करने में भी सबसे बेहतर हो। (राजेअ : 2305)

٢٣٩٣- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ ﷺ: ((أَعْطُوهُ)). فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

मा'लूम हुआ कि क़र्ज़ख़्वाह को उसके ह़क़ से ज़्यादा दे देना बड़ा कारे ष़वाब है।

2394. हमसे ख़ल्लाद ने बयान किया, उनसे मिस्अर ने बयान किया, उनसे मुहारिब बिन दष़ार ने बयान किया, और उनसे

٢٣٩٤- حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَ قَالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحًى - فَقَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي)). [راجع: ٤٤٣]

जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ तो आप मस्जिदे नबवी में तशरीफ़ रखते थे। मिस्अ़र ने बयान किया, कि मेरा ख़्याल है कि उन्होंने चाश्त के वक़्त का ज़िक्र किया। (कि उस वक़्त ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुआ) फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि दो रकअ़त नमाज़ पढ़ लो। मेरा आप पर क़र्ज़ था, आपने उसे अदा किया, बल्कि ज़्यादा भी दे दिया। (राजेअ़ : 443)

ऐसे लोग बहुत ही क़ाबिले ता'रीफ़ हैं जो ख़ुशी—ख़ुशी क़र्ज़ अदा करके सुबुकदोशी (मुक्ति) ह़ासिल कर लें। ये अल्लाह के नज़दीक बड़े प्यारे बन्दे हैं। अच्छी अदायगी का एक मतलब ये भी है कि वाजिब ह़क़ से कुछ ज़्यादा ही दे दें।

٨- بَابُ إِذَا قَضَى دُوْنَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

बाब 8 : अगर मक़रूज़ क़र्ज़ख़्वाह के ह़क़ से कम अदा करे

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوا، فَلَمْ يُعْطِهِم النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِي وَقَالَ: سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا)). [راجع: ٢١٢٧]

2395. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे कअ़ब बिन मालिक ने बयान किया और उन्हें जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उनके वालिद (अ़ब्दुल्लाह रज़ि.) उहुद के दिन शहीद कर दिये गये थे। उन पर क़र्ज़ चला आ रहा था। क़र्ज़ख़्वाहों ने अपने ह़क़ के मुतालबे में सख़्ती इख़्तियार की तो मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ, आपने उनसे दरयाफ़्त किया कि वो मेरे बाग़ की खजूर ले लें और मेरे वालिद को मुआ़फ़ कर दें। लेकिन क़र्ज़ख़्वाहों ने उससे इंकार किया तो नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें मेरे बाग़ का मेवा नहीं दिया। और फ़र्माया कि हम सुबह़ को तुम्हारे बाग़ में तशरीफ़ लाएँगे। चुनाँचे जब सुबह़ हुई तो आप हमारे बाग़ में तशरीफ़ लाए। आप पेड़ों में फिरते रहे और उसके मेवे में बरकत की दुआ़ फ़र्माते रहे। फिर मैंने खजूर तोड़ी और उनका तमाम क़र्ज़ अदा करने के बाद भी खजूर बाक़ी बच गई। (राजेअ़ : 2127)

बाब का मज़्मून इससे षाबित हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शहीद स़ह़ाबी (रज़ि.) के क़र्ज़ख़्वाहों से कुछ क़र्ज़ माफ़ कर देने के लिये फ़र्माया। जब वो लोग तैयार न हुए तो रसूले करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) के बाग़ में बरकत की दुआ़ फ़र्माई जिसकी वजह से सारा क़र्ज़ पूरा अदा होने के बाद भी खजूरें बाक़ी रह गईं।

٩- بَابُ إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَهُ فِي

बाब 9 : अगर क़र्ज़ अदा करते वक़्त खजूर के

बदल उतनी ही खजूर या और कोई मेवा या अनाज के बदल बराबर नाप—तौल कर या अंदाज़ा करके दे तो दुरुस्त है

الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

२३९٦– حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيْ لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيْهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ:((جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ))، فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: ((أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ))، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فِيْهَا)). [راجع: ٢١٢٧]

2396. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे वहब बिन कैसान ने और उन्हें जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ख़बर दी कि जब उनके वालिद शहीद हुए तो एक यहूदी का तीस वस्क़ क़र्ज़ अपने ऊपर छोड़ गए। जाबिर (रज़ि.) ने उससे मुह्लत मांगी, लेकिन वो नहीं माना। फिर जाबिर (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए ताकि आप उस यहूदी (अबू शहम) से (मुह्लत देने की) सिफ़ारिश कर दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और यहूदी से ये फ़र्माया कि जाबिर (रज़ि.) के बाग़ के फल (जो भी हों) उस क़र्ज़ के बदले में ले ले, जो उनके वालिद के ऊपर उसका है, उसने उससे भी इंकार कर दिया। अब रसूले करीम (ﷺ) बाग़ में दाख़िल हुए और उसमें चलते रहे। फिर जाबिर (रज़ि.) से कहा कि बाग़ का फल तोड़कर उसका क़र्ज़ अदा करो। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बाग़ की खजूरें तोड़ीं और यहूदी का तीस वस्क़ अदा कर दिया। सत्रह वस्क़ उसमें से बच भी रहा। जाबिर (रज़ि.) आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए ताकि आपको भी ये इत्तिला दें। आप उस वक़्त अ़स्र की नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ हुए तो उन्होंने आप (ﷺ) को ख़बर दी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसकी ख़बर इब्ने ख़त्ताब को भी करो चुनाँचे जाबिर (रज़ि.) हज़रत उ़मर (रज़ि.) के यहाँ गए, हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं तो उसी वक़्त समझ गया था जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बाग़ में चल रहे थे कि उसमें ज़रूर बरकत होगी। (राजेअ़ : 2127)

तशरीह : ये आप (ﷺ) का मुअजिज़ा था। अ़रब लोगों को खजूर का जो पेड़ों पर हो ऐसा अंदाज़ा होता है कि तोड़कर तौलें नापें तो अंदाज़ा बिलकुल सहीह निकलता है। सेर—दो सेर की कमी—बेशी हो तो ये और बात है। ये नहीं हो सकता कि डेढ़ गुने से ज़्यादा का फ़र्क़ निकले। अगर खजूर पहले ही से ज़्यादा होती तो यहूदी खुशी से बाग़ का सब मेवा अपने क़र्ज़ के बदल कुबूल कर लेता। मगर वो तीस वस्क़ से कम था। आपके वहाँ फिरने से और दुआ करने से वो 47 वस्क़ हो गया। ये अम्र अ़क़्ल के ख़िलाफ़ नहीं है। हज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) और हमारे प्यारे नबी (ﷺ) से इस क़िस्म के मुअजिज़ात ज़ाहिर होते रहे हैं।

बाब 10 : क़र्ज़ से अल्लाह की पनाह मांगना

١٠- بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

2397. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें शुऐब ने ख़बर दी, वो ज़ुह्री से रिवायत करते हैं (दूसरी सनद) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अ़ब्दुल ह़मीद ने बयान किया, उनसे सुलैमान ने, उनसे मुह़म्मद बिन अबी अ़तीक़ ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे उ़र्वा ने बयान किया, और उन्हें आ़इशा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में दुआ करते तो ये भी कहते, ऐ अल्लाह! मैं गुनाह और क़र्ज़ से तेरी पनाह मांगता हूँ। किसी ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप क़र्ज़ से इतनी पनाह क्यूँ मांगते हैं? आपने जवाब दिया कि जब आदमी मक़रूज़ होता है तो झूठ बोलता है और वादा करके उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है।
(राजेअ़ : 832)

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)). فَقَالَ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ : ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)). [راجع: ٨٣٢]

बाब 11 : क़र्ज़दार की नमाज़े जनाज़ा का बयान

١١- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

2398. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़दी बिन ष़ाबित ने, उनसे अबू ह़ाज़िम ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स़ (अपने इंतिक़ाल के वक़्त) माल छोड़े तो वो उसके वारिष़ों का है और जो क़र्ज़ छोड़े तो वो हमारे ज़िम्मे है। (राजेअ़ : 2298)

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا)). [راجع: ٢٢٩٨]

2399. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू आ़मिर ने बयान किया, उनसे फ़ुलैह़ ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अ़ली ने, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन अबी अ़म्र ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मोमिन का मैं दुनिया और आख़िरत में सबसे ज़्यादा क़रीब हूँ। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। नबी मोमिनों से उनकी जान से भी ज़्यादा क़रीब है। इसलिये जो मोमिन भी इंतिक़ाल कर जाए और माल छोड़ जाए तो चाहिये कि वरष़ा उसके मालिक हों। वो जो भी हों, और जो शख़्स़ क़र्ज़ छोड़ जाए

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً

या औलाद छोड़ जाए तो वो मेरे ज़िम्मे आ जाए कि उनका वली मैं हूँ। (राजेअ़ : 2298)

فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَو ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَولاهُ)).

[راجع: ٢٢٩٨]

तश्रीह : या'नी उसके बाल–बच्चों को परवरिश करना हमारे ज़िम्मे है। या'नी बैतुलमाल में से ये ख़र्चा दिया जाएगा। सुब्हानल्लाह! इससे ज़्यादा शफ़क़त और इनायत क्या होगी। जो ह़ज़रत रसूले करीम (ﷺ) को अपनी उम्मत से थी। कोई बाप भी बेटे पर इतना मेहरबान नहीं होता जितनी आँह़ज़रत (ﷺ) की मुसलमानों पर मेहरबानी थी। यही वजह थी कि मुसलमान भी सब आप पर जान व दिल से फ़िदा थे। मुसलमानों की हुकूमत क्या थी, एक जम्हूरियत थी। मुल्क के इंतिज़ाम और आमदनी में मुसलमान सब बराबर के शरीक थे और बैतुलमाल या'नी मुल्क का ख़ज़ाना सारे मुसलमानों का हिस्सा था। ये नहीं कि वो बादशाह का ज़ाती (व्यक्तिगत) माल समझा जाए कि जिस त़रह़ चाहे, अपनी ख़्वाहिशों में उसको उड़ाए और मुसलमान भूखे मरते रहें। जैसे हमारे ज़माने में ऊमूमन मुसलमान रईसों और नवाबों का ये ह़ाल है। अल्लाह उनको हिदायत दे।

अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीन मिन अन्फ़ुसिहिम (अल अह़ज़ाब : 6) या'नी जितना हर मोमिन ख़ुद अपनी जान पर आप मेहरबान होता है उससे ज़्यादा आँह़ज़रत (ﷺ) उस पर मेहरबान हैं। उसकी वजह ये है कि आदमी गुनाह और कुफ़्र करके अपने आपको हमेशा–हमेशा की हलाकत में डालना चाहता है और आँह़ज़रत (ﷺ) उसको बचाना चाहते हैं और फ़लाहे अब्दी की त़रफ़ ले जाना। इसलिये आप हर मोमिन पर ख़ुद उसके नफ़्स से भी ज़्यादा मेहरबान हैं । उसमें ये भी इशारा है कि जो नादार ग़रीब मुसलमान बह़ालते क़र्ज़ इंतिक़ाल कर जाएँ, बैतुलमाल से उनके क़र्ज़ की अदायगी की जाएगी।

बैतुलमाल से वो ख़ज़ाना मुराद है जो इस्लामी ख़िलाफ़त की तह़वील में होता है। जिसमें ग़नीमतों के माल, ज़कात से वसूले गये माल और दीगर क़िस्म की इस्लामी आमदनियाँ जमा होती हैं। इस बैतुलमाल का एक मस़रफ़ नादार, ग़रीब, मिस्कीनों के क़र्ज़ों की अदायगी भी है।

बाब 12 : अदायगी में मालदार की त़रफ़ से टाल–मटोल करना ज़ुल्म है

١٢- بَاب] مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

2400. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल आला ने बयान किया, उनसे मअ़मर ने, उनसे हम्माम बिन मुनब्बा, वहब बिन मुनब्बा के भाई ने, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदार की त़रफ़ से (क़र्ज़ की अदायगी में) टाल–मटोल करना ज़ुल्म है। (राजेअ़ : 2287)

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)). [راجع: ٢٢٨٧]

बाब 13 : जिस शख़्स का ह़क़ निकलता हो वो तक़ाज़ा कर सकता है

١٣- بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

और नबी करीम (ﷺ) से रिवायत है कि (क़र्ज़ के अदा करने पर) क़ुदरत रखने के बावजूद टाल–मटोल करना, उसकी सज़ा और उसकी इ़ज़्ज़त को ह़लाल कर देता है। सुफ़यान ने कहा कि इ़ज़्ज़त को ह़लाल करना ये है कि क़र्ज़ख़्वाह कहे, तुम स़िर्फ़ टाल–मटोल कर रहे हो और उसकी सज़ा क़ैद करना है।

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ)). قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ: يَقُولُ مَطَلْتَنِي. وَعُقُوبَتُهُ : الْحَبْسُ.

2401. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यह़्या ने बयान किया,

٢٤٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). [راجع: ٢٣٠٥]

उनसे शुअबा ने, उनसे सलमा ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स क़र्ज़ मांगने और सख़्त तक़ाज़ा करने लगा। सहाबा (रज़ि.) ने उसकी गोशमाली करनी चाही तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे छोड़ दो, हक़दार ऐसी बातें कह सकता है। (राजेअ़ : 2305)

गोशमाली का मतलब होता है कान उमेठना। इस हदीष से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हुक़ूक़ुल इबाद के मामले में इस्लाम ने किस क़दर ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। मज़्कूरा क़र्ज़ख़्वाह वक़्ते मुक़र्ररा से पहले ही तक़ाज़ा करने आ गया था। उसके बावजूद आँहज़रत (ﷺ) ने न सिर्फ़ उसकी सख़्तकलामी को बर्दाश्त किया बल्कि उसकी सख़्तकलामी को रवा रखा।

١٤- بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

बाब 14 : अगर बेअ या क़र्ज़ या अमानत का माल बिजिन्सिही दिवालिया शख़्स के पास मिल जाए तो जिसका वो माल है दूसरे क़र्ज़ख़्वाहों से ज़्यादा उसका हक़दार होगा

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

और हसन (रह.) ने कहा कि जब कोई दीवालिया हो जाए और उसका (दीवालिया होना हाकिम की अदालत में) वाज़ेह हो जाए तो न उसका अपने किसी ग़ुलाम को आज़ाद करना जाइज़ होगा और न उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त सहीह मानी जाएगी। सईद बिन मुसय्यिब ने कहा कि उ़ष्मान (रज़ि.) ने फ़ैसला किया था कि जो शख़्स अपना हक़ दीवालिया होने से पहले ले ले तो वो उसी का हो जाता है और जो कोई अपना ही सामान उसके यहाँ पहचान ले तो वही उसका मुस्तहिक़ होता है।

मषलन ज़ैद ने अ़म्र के पास एक घोड़ा अमानत रखा या उसके हाथ उधार बेचा, या क़र्ज़ दिया, अब अ़म्र नादार हो गया, घोड़ा ज्यों का त्यों अ़म्र के पास मिला तो ज़ैद उसको ले लेगा दूसरे क़र्ज़ख़्वाहों का उसमें हिस्सा न होगा।

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَابَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ- أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - : ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ

2402. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़ुहैर ने बयान किया, उन्होंने उनसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मुझे अबूबक्र बिन मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हज़म ने ख़बर दी, उन्हें उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने ख़बर दी, उन्हें अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिष बिन हिशाम ने ख़बर दी, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, आप बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया या ये बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना, जो शख़्स हूबहू अपना माल किसी शख़्स के पास पा ले जबकि वो शख़्स दीवालिया क़रार दिया जा चुका हो; तो साहिबे माल ही उसका दूसरों के मुक़ाबले में ज़्यादा मुस्तहिक़ है।

قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).

तश्रीह : अगर वो चीज़ बदल गई, मष़लन सोना ख़रीदा था, उसका ज़ेवर बना डाला तो अब सब क़र्ज़ख़्वाहों का हक़ उसमें बराबर होगा। ह़न्फ़िया ने इस ह़दीष़ के ख़िलाफ़ अपना मज़हब क़रार दिया है और क़यास पर अ़मल किया है। ह़ालाँकि वो दा'वा ये करते हैं कि क़यास को ह़दीष़ के मुख़ालिफ़ तर्क कर देना चाहिये।

ह़दीष़ अपने मज़्मून में वाज़ेह़ है कि जब किसी शख़्स़ ने किसी शख़्स़ से कोई चीज़ ख़रीदी और उस पर क़ब्ज़ा भी कर लिया। लेकिन क़ीमत नहीं अदा की थी कि वो दीवालिया हो गया। पस अगर वो अस़ल सामान उसके पास मौजूद है तो उसका मुस्तह़िक़ बेचने वाला ही होगा और दूसरे क़र्ज़ख़्वाहों का उसमें कोई ह़क़ न होगा। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का यही मसलक है जो इस ह़दीष़ से ज़ाहिर है। ह़ज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) का फ़त्वा भी यही है।

बाब 15 : अगर कोई मालदार होकर कल—परसों तक क़र्ज़ अदा करने का वादा करे तो ये टाल—मटोल करना नहीं समझा जाएगा

١٥- بَابُ مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيْمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً

और जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे वालिद के क़र्ज़ के सिलसिले में जब क़र्ज़ख़्वाहों ने अपना ह़क़ मांगने में शिद्दत इख़्तियार की, तो नबी करीम (ﷺ) ने उनके सामने ये सूरत रखी कि वो मेरे बाग़ का मेवा क़ुबूल कर लें। उन्होंने इससे इंकार किया, इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने बाग़ नहीं दिया और न फल तुड़वाए बल्कि फ़र्माया कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा। चुनाँचे दूसरे दिन सुबह़ ही आप (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और फलों में बरकत की दुआ़ फ़र्माई और मैंने (उसी बाग़ से) उन सबका क़र्ज़ अदा करा दिया।

وَقَالَ جَابِرٌ: ((اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي فَأَبَوا ، فَلَمْ يُعْطِهِمُ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ: ((سَأَغْدُو عَلَيْكُمْ)) غَدًا))، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي تَمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَضَيْتُهُمْ)).

बाब 16 : दीवालिया या मुह़ताज का माल बेच कर क़र्ज़ख़्वाहों को बांट देना या ख़ुद उसको ही दे देना कि अपनी ज़ात पर ख़र्च करे

١٦- بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعدِمِ فقسمَهُ بينَ الغُرماءِ، أَو أعطاهُ حتّى يُنفِقَ على نَفسِه

2403. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरेअ़ ने बयान किया, उनसे हुसैन मुअ़ल्लिम ने बयान किया, उनसे अ़ता बिन अबी रिबाह़ ने बयान किया, और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख़्स़ ने अपना एक ग़ुलाम अपनी मौत के साथ आज़ाद करने के लिये कहा। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस ग़ुलाम को मुझसे कौन ख़रीदता है? नुऐ़म बिन अ़ब्दुल्लाह ने उसे ख़रीद लिया और आँह़ज़रत (ﷺ) ने

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ

उसकी क़ीमत (आठ सौ दिरहम) वसूल करके उसके मालिक को दे दी। (राजेअ : 2141)

عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ)).
[راجع: ٢١٤١]

इसी से बाब का मज़्मून षाबित हुआ। जिस शख़्स का ज़िक्र किया गया है, वो ग़रीब था, सिर्फ़ वही गुलाम उसका सरमाया (सम्पत्ति) था और उसके लिये उसने अपने मरने के बाद आज़ादी का ऐलान कर दिया था, जिससे दीगर हक़दारों की हक़तलफ़ी होती थी। लिहाज़ा आँहज़रत (ﷺ) ने उसे उसकी हयात ही में बिकवा दिया।

बाब 17 : मुअय्यन मुद्दत के वादे पर क़र्ज़ देना या बेअ करना

١٧- بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

और इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि किसी मुअय्यन (निर्धारित) मुद्दत तक के लिये क़र्ज़ में कोई हर्ज नहीं है अगरचे उसके दिरहमों से ज़्यादा खरे दिरहम उसे मिलें। लेकिन इस सूरत में जबकि उसकी शर्त न लगाई हो। अता और अम्र बिन दीनार ने कहा कि क़र्ज़ में, क़र्ज़ लेने वाला अपनी मुक़र्ररा मुद्दत का पाबन्द होगा।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

2404. लैष ने बयान किया कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने किसी इस्राईली शख़्स का तज़्किरा फ़र्माया जिसने दूसरे इस्राईली शख़्स से क़र्ज़ मांगा था। और उसने एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिये उसे क़र्ज़ दे दिया था। (जिसका ज़िक्र पहले गुज़र चुका है)

(राजेअ : 1498)

٢٤٠٤- وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. الْحَدِيْثَ.
[راجع: ١٤٩٨]

बाब 18 : क़र्ज़ में कमी करने की सिफ़ारिश करना

١٨- بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

2405. हमसे मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे मुग़ीरह ने, उनसे आमिर ने, और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि (मेरे वालिद) अब्दुल्लाह (रज़ि.) शहीद हुए तो अपने पीछे बाल–बच्चे और क़र्ज़ छोड़ गए, मैं क़र्ज़ख़्वाहों के पास गया कि अपना कुछ क़र्ज़ मुआफ़ कर दें। लेकिन उन्होंने इंकार किया, फिर मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। और आप (ﷺ) से उनके पास सिफ़ारिश करवाई, उन्होंने इसके बावजूद भी इंकार किया। आख़िर आप (ﷺ) ने

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُصِيْبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوا.

فَقَالَ: ((صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ: عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ)). فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ)). [راجع: ٢١٢٧]

फ़र्माया कि (अपने बाग़ की) तमाम खजूर की क़िस्में अलग अलग कर लो। अज़्क़ बिन ज़ैद अलग, लीन अलग और अज्वह अलग (ये सब उम्दा क़िस्म की खजूरों के नाम हैं) उसके बाद क़र्ज़ख़्वाहों को बुलाओ और मैं भी आऊँगा। चुनाँचे मैंने ऐसा कर दिया। जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) उनके ढेर (के पास) बैठ गए और हर क़र्ज़ख़्वाहों के लिये माप शुरू कर दी। यहाँ तक कि सबका क़र्ज़ पूरा हो गया और खजूर उसी तरह बाक़ी बच रही जैसे पहले थी। गोया किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। (राजेअ़ : 2127)

٢٤٠٦- ((وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ. قَالَ: بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ ﷺ: ((فَمَا تَزَوَّجْتَ، بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟)) قُلْتُ: ثَيِّبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: ((ائْتِ أَهْلَكَ)). فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلاَمَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ)).

[راجع: ٤٤٣]

2406. और एक बार मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक जिहाद में एक ऊँट पर सवार होकर गया। ऊँट थक गया, इसलिये मैं लोगों से पीछे रह गया। इतने में नबी करीम (ﷺ) ने उसे पीछे से मारा और फ़र्माया कि ये ऊँट मुझे बेच दो। मदीना तक उस पर सवारी की तुम्हें इजाज़त है। फिर जब हम मदीना से क़रीब हुए तो मैंने नबी करीम (ﷺ) से इजाज़त चाही, अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अभी नई शादी की है। आपने दरयाफ़्त किया, कुँवारी से की है या बेवा से? मैंने कहा कि बेवा से, मेरे वालिद अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) शहीद हुए तो अपने पीछे कई छोटी बच्चियाँ छोड़ गए है, इसलिये मैंने बेवा से शादी की ताकि उन्हें ता'लीम दे और अदब सिखाती रहे। फिर आपने फ़र्माया, अच्छा अब अपने घर जाओ; चुनाँचे मैं घर गया। मैंने जब अपने मामूँ से ऊँट बेचने का ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे मलामत की। इसलिये मैंने उनसे ऊँट के थक जाने और नबी अकरम (ﷺ) के वाक़िये का भी ज़िक्र किया और आपके ऊँट को मारने का भी। जब नबी करीम (ﷺ) मदीने पहुँचे तो मैं भी सुबह के वक़्त ऊँट लेकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने मुझे ऊँट की क़ीमत भी दे दी और वो ऊँट भी मुझको वापस बख़्श दिया और क़ौम के साथ मेरा (माले ग़नीमत का) हिस़्सा भी मुझको बख़्श दिया। (राजेअ़ : 442)

तश्रीह : मामूँ ने इस वजह से मलामत की होगी कि आँहज़रत (ﷺ) के हाथ ऊँट बेचने की क्या ज़रूरत थी यूँ ही आपको दे दिया होता। कुछ ने कहा इस बात पर कि एक ही ऊँट हमारे पास था। इससे घर का काम-काज निकलता था,

वो भी तूने बेच डाला। अब तकलीफ़ होगी, कुछ ने कहा मामूँ से जैद बिन क़ैस मुराद है वो मुनाफ़िक़ था।

बाब 19 : माल को तबाह करना या'नी बेजा इस्राफ़ मना है

١٩- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

और अल्लाह तआला ने सूरह बक़र: में फ़र्माया कि अल्लाह तआला फ़साद को पसन्द नहीं करता (और अल्लाह तआला का इर्शाद सूरह यूनुस में कि) और अल्लाह फ़सादियों का मन्सूबा चलने नहीं देता। और अल्लाह तआला ने (सूरह हूद में) फ़र्माया है, क्या तुम्हारी नमाज़ तुम्हें ये बताती है कि जिसे हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं हम उन बुतों को छोड़ दें या अपने माल मे अपनी तबीअत के मुताबिक़ तसर्रुफ़ करना छोड़ दें। और अल्लाह तआला ने (सूरह निसा में) इर्शाद फ़र्माया अपना रुपया बेवक़ूफ़ों के हाथ में मत दो और बेवक़ूफ़ी की हालत में हजर करना।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ وَ﴿لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ وَالْحجر فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.

तश्रीह : बेवक़ूफ़ों से मुराद नादान हैं जो माल को सम्भाल न सकें बल्कि उसको तबाह और बर्बाद कर दें। जैसे औरत, बच्चे, कम अक़्ल जवान बूढ़े वग़ैरह। हजर का मा' नी लुग़त में रोकना, मना करना और शरअ में इसको कहते हैं कि हाकिमे इस्लाम किसी शख़्स को उसके अपने माल में तसर्रुफ़ करने से रोक दे। और ये दो वजह से होता है या तो वो शख़्स बेवक़ूफ़ हो, अपना माल तबाह करता हो या दूसरों के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के लिये। मष़लन ग़रीब क़र्ज़दार पर हजर करना, क़र्ज़ख़्वाहों के हुक़ूक बचाने के लिये। या राहिन (गिरवी रखने वाले) पर या मरीज़ पर या मुर्तहिन (जिसके पास कोई चीज़ गिरवी रखी जाए) और वारिष़ का हक़ बचाने के लिये। इस रोकने को शरई इस्तिलाह (परिभाषा) में हजर कहा जाता है।

आयाते क़ुर्आनी से ये भी ज़ाहिर हुआ कि हलाल तौर पर कमाया हुआ माल बड़ी अहमियत रखता है। उसका ज़ाये करना या ऐसे नादानों को उसे सौंपना जो उसकी हिफ़ाज़त न कर सकें बावजूद ये कि वो उसके हक़दार हैं। फिर भी उनको उनके गुज़ारे से ज़्यादा देना इस माल को गोया ज़ाये करना है जो किसी तरह जाइज़ न होगा।

2407. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) से एक शख़्स ने अर्ज़ किया कि ख़रीद—फ़रोख़्त में मुझे धोखा दे दिया जाता है। आपने फ़र्माया कि जब ख़रीद—फ़रोख़्त किया करे, तो कह दिया कर कि कोई धोखा न हो। चुनाँचे फिर वो शख़्स उसी तरह कहा करता था। (राजेअ : 2117)

٢٤٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ)). فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ)). [راجع: ٢١١٧]

एक रिवायत में इतना ज़्यादा है और मुझको तीन दिन तक इख़्तियार है। ये हदीष़ ऊपर गुज़र चुकी है। यहाँ बाब की मुनासबत ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने माल को तबाह करना बुरा जाना। इसलिये उसको ये हुक्म दिया कि बेअ के वक़्त यूँ कहा करो, धोखा फ़रेब का काम नहीं है।

2408. हमसे उष़्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उनसे जरीर

٢٤٠٨- حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे शअबी ने, उनसे मुग़ीरह बिन शुअबा के ग़ुलाम वर्राद ने और उनसे मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने तुम पर माँ (और बाप) की नाफ़र्मानी, लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न करना (वाजिब हुक़ूक़ की) अदायगी न करना और (दूसरों का माल नाजाइज़ तरीक़े पर) दबा लेना हराम क़रार दिया है। और फ़िज़ूल बकवास करने, और कष़रत से सवालात करने और माल ज़ायेअ करने को मकरूह क़रार दिया है।

عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)). [راجع: ٨٤٤]

लफ़्ज़े मनअ व हात का तर्जुमा कुछ ने यूँ किया है अपने ऊपर जो हक़ वाजिब है जैसे ज़कात, बाल–बच्चों–नाते वालों की परवरिश, वो न देना। और जिसका लेना हराम है या'नी पराया माल वो ले लेना, क़ील व क़ाल का मतलब ख़्वाह मख़्वाह अपना इल्म जताने के लिये लोगों से सवालात करना। या बे ज़रूरत हालात पूछना, क्यूँ कि ये लोगों को बुरा मा'लूम होता है। कुछ बात वो बयान करना नहीं चाहते, उसके पूछने से नाख़ुश होते हैं।

तश्रीह : बाब का तर्जुमा लफ़्ज़ इज़ाअतुल माल से निकलता है या'नी माल ज़ाये करना मकरूह है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा माल बर्बाद करना ये है कि खाने–पीने लिबास वग़ैरह में बेज़रूरत तकल्लुफ़ करना। बर्तन पर सोने चाँदी का मुलम्मा (कोटिंग) कराना। दीवार, छत वग़ैरह सोने चाँदी से रंगना। सईद बिन जुबैर ने कहा माल बर्बाद करना ये है कि हराम कामों में ख़र्च करे और सहीह यही है कि ख़िलाफ़े शरअ जो ख़र्च हो, ख़्वाह दीनी या दुनियावी काम में वो बर्बाद करने में दाख़िल है। बहरहाल जो काम शरअन मना हैं जैसे पतंगबाज़ी, मुर्ग़बाज़ी, आतिशबाज़ी, नाच–रंग उनमें तो एक पैसा भी ख़र्च करना हराम है। और जो काम ष़वाब के हैं मष़लन मुहताजों, मुसाफ़िरों, ग़रीबों, बीमारों की ख़िदमत, क़ौमी काम जैसे मदरसे से, पुल, सराय, मस्जिद, मुहताजखाने, शफ़ाखाने बनाना, उनमें जितना खर्च करे वो ष़वाब ही ष़वाब है। उसको बर्बाद करना नहीं कह सकते हैं। रह गया अपने नफ़्स की लज़्ज़त में ख़र्च करना तो अपनी हैषियत और हालत के मुवाफ़िक़ उसमें ख़र्च करना इस्राफ़ नहीं है। उसी तरह अपनी इज़्ज़त या आबरू बचाने के लिये या किसी आफ़त को रोकने के लिये। उसके सिवा बेज़रूरत नफ़्सानी ख़्वाहिशों में माल खर्च करना मष़लन बेफ़ायदा बहुत से कपड़े बना लेना, या बहुत से घोड़े रखना, या बहुत सा सामान ख़रीदना ये भी इस्राफ़ में दाख़िल है।

बाब 20 : ग़ुलाम अपने आक़ा के माल का निगराँ है उसकी इजाज़त के बग़ैर उसमें कोई तसर्रुफ़ न करे

٢٠- بَابُ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ، وَلاَ يَعْمَلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

2409. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐब ने ख़बर दी, उनसे ज़ुहरी ने बयान किया, उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना, तुम में से हर फ़र्द एक तरह का हाकिम है और उसकी रइय्यत के बारे में उससे सवाल होगा। पस बादशाह हाकिम ही है और उसकी रइय्यत के बारे में उससे सवाल होगा। हर इंसान अपने घर का

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). [راجع: ٨٩٣]

हाकिम है और उससे उसकी रइय्यत (प्रजा) के बारे में सवाल होगा; औरत अपने शौहर के घर की हाकिम है और उससे उसकी रइय्यत के बारे में सवाल होगा। ख़ादिम अपने आक़ा के माल का हाकिम है और उससे उसकी रइय्यत के बारे मे सवाल होगा। उन्होंने बयान किया कि ये सब मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था। और मैं समझता हूँ कि नबी करीम (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया था कि आदमी अपने वालिद के माल का हाकिम है और उससे उसकी रइय्यत के बारे में सवाल होगा। पस हर शख़्स हाक़िम है और हर शख़्स से उसकी रइय्यत के बारे में सवाल होगा। (राजेअ : 893)

तश्रीह : ये हदीष एक बहुत बड़े तमद्दुनी अस़लुल् उस़ूल पर मुश्तमिल (सबसे बड़े सांस्कृतिक नियम पर आधारित) है। दुनिया में कोई शख़्स भी ऐसा नहीं है जिसकी कुछ न कुछ ज़िम्मेदारियाँ न हों। उन ज़िम्मेदारियों को महसूस करके सहीह तौर पर अदा करना ऐन शरई मुतालबा है। एक हाकिम या बादशाह अपनी रिआया का ज़िम्मेदार है, घर में मर्द तमाम घरवालों पर हाकिम है। औरत घर की मलिका होने की हैषियत से घर और औलाद की ज़िम्मेदार है। एक गुलाम अपने आक़ा के माल में ज़िम्मेदार है। एक मर्द अपने वालिद के माल का ज़िम्मेदार है अल्ग़र्ज़ इसी सिलसिले में तक़रीबन दुनिया का हर इंसान बंधा हुआ है। पस ज़रूरी है कि हर शख़्स अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे। हाकिम का फ़र्ज़ है अपनी हुकूमत के हर फ़र्द पर नज़रे शफ़क़त रखे। एक मर्द का फ़र्ज़ है कि अपने तमाम घरवालों पर तवज्जह रखे। एक औरत का फ़र्ज़ है कि अपने शौहर के घर की हर तरह से पूरी-पूरी हिफ़ाज़त करे। उसकी दौलत और औलाद और इ़ज़्ज़त में कोई ख़यानत न करे। एक गुलाम, नौकर, मज़दूर का फ़र्ज़ है कि अपने फ़राइज़े मुता'ल्लिक़ा की अदायगी में अल्लाह का डर करके कोताही न करे। यही बाब का मक़सद है।

44. किताबुल ख़ुसूमात

किताब नालिशों और झगड़ों के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الأَشْخَاصِ،

बाब 1 : क़र्ज़दार को पकड़कर ले जाना और

मुसलमान और यहूदी में झगड़ा होने का बयान

وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

2410. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया कि अ़ब्दुल मलिक बिन मैसरा ने मुझे ख़बर दी, कहा कि मैं नज़्ज़ाल बिन समुरा से सुना, और उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा, कि मैंने एक शख़्स को कुर्आन की एक आयत इस तरह पढ़ते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मैंने उसके ख़िलाफ़ सुना था। इसलिये मैं उनका हाथ थामे आपकी ख़िदमत में ले गया। आपने (मेरा ए'तिराज़ सुनकर) फ़र्माया कि तुम दोनों दुरुस्त पढ़ते हो। शुअ़बा ने बयान किया कि मैं समझता हूँ कि आपने ये भी फ़र्माया कि इख़्तिलाफ़ न किया करो क्योंकि तुमसे पहले के लोग इख़्तिलाफ़ ही की वजह से तबाह हो गए।

(दीगर मक़ाम : 3408, 3414, 3476, 4813, 5063, 6517, 6518, 7428, 7477)

٢٤١٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خِلاَفَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ)). قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ قَالَ: ((لاَ تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا)).

[أطرافه في : ٣٤٠٨، ٣٤١٤، ٣٤٧٦، ٤٨١٣، ٥٠٦٣، ٦٥١٧، ٦٥١٨، ٧٤٢٨، ٧٤٧٧].

तशरीह : बाब का तर्जुमा इससे निकला कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) उस शख़्स को पकड़ कर आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में ले गए। जब कुर्आन ग़लत पढ़ने पर पकड़कर ले जाना दुरुस्त है तो अपने ह़क़ के बदले भी पकड़कर ले जाना दुरुस्त है। जैसा कि पहला अम्र एक मुक़द्दमा है वैसा ही दूसरा भी। आपका मतलब ये था कि ऐसी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना, जंग व जदल करना बुरा है। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) को लाज़िम था कि उससे दूसरी तरह़ पढ़ने की वजह पूछते। जब वो कहता कि मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) से ऐसा ही सुना है तो आपसे दरयाफ़्त करते।

इस ह़दीष़ से उन मुतअ़स्सिब मुक़ल्लिदों को नसीह़त लेना चाहिये, जो आमीन और रफ़उलयदैन और उसी तरह़ की बातों पर लोगों से फ़साद और झगड़ा करते हैं। अगर दीन के किसी काम में शुब्हा हो तो करने वाले से नरमी और अख़्लाक़ के साथ उसकी दलील पूछे। जब वो ह़दीष़ या कुर्आन से कोई दलील बतला दे तो चुप्पी धारण करे और उसके साथ ए'तिराज़ न करें। हर मुसलमान को इख़्तियार है कि जिस ह़दीष़ पर चाहे अ़मल करे बशर्ते कि वो ह़दीष़ बिल इत्तिफ़ाक़ मन्सूख़ न हो। इस ह़दीष़ से ये भी निकला कि इख़्तिलाफ़ ये नहीं है कि एक रफ़उलयदैन करे, दूसरा न करे। एक पुकारकर आमीन कहे एक आहिस्ता कहे, बल्कि इख़्तिलाफ़ ये है कि एक—दूसरे से नाह़क़ झगड़े, उसको सताए क्योंकि आपने उन दोनों की क़िराअतों को अच्छा फ़र्माया और लड़ने झगड़ने को बुरा कहा। **व क़ालल्मज़्हरी अल्इख़्तिलाफ़ु फ़िल्कुर्आनि ग़ैर जाइज़िन लिअन्न कुल्ल लफ़्ज़िम्मिन्हु इज़ा जाज़ किरअतुहू अ़ला वज्हैनि औ अक्षर फ़लौ अन्कर अहदुन व अहदम्मिन ज़ीनिल्वज्हैनि अविल्वुजूहु फ़क़द अन्करल्क़ुर्आन व ला यजूज़ु फ़िल्कुर्आनि अल्क़ौलु बिर्राय सुन्नतुन मुत्तबअ़तुन बल अलैहिमा अंय्यस्अला अन ज़ालिक मिम्मन हुव आलमु मिन्हुमा** (क़स्तलानी) या'नी मज़्हरी ने कहा कि कुर्आन मजीद में इख़्तिलाफ़ करना नाजाइज़ है क्योंकि उसका हर लफ़्ज़ जब उसकी क़िरअत दोनों तरीक़ों पर जाइज़ हो तो उनमें से एक क़िरअत का इंकार करना या दोनों का इंकार ये सारे कुर्आन का इंकार है। पस उन इख़्तिलाफ़ करने वालों को लाज़िम था कि अपने से ज़्यादा जानने वाले से तह़क़ीक़ कर लेते।

अल्ग़र्ज़ इख़्तिलाफ़ जो बात बनाने, फूट डालने या नफ़रत फैलाने व फ़साद का कारण हो वो इख़्तिलाफ़ सख़्त मज़्मूम (निंदनीय) है और तबई इख़्तिलाफ़ मज़्मूम नहीं है।

बाब की ह़दीष़ से ये भी निकला कि दा'वा और मुक़द्दमात में एक मुसलमान किसी भी ग़ैर मुस्लिम पर और कोई भी ग़ैर मुस्लिम किसी भी मुसलमान पर इस्लामी अ़दालत में दा'वा कर सकता है। इंस़ाफ़ चाहने के लिये मुद्दई और मुद्दआ अ़लैह का हम-मज़हब (एक ही धर्म का) होना कोई शर्त़ नहीं है।

2411. हमसे यह़्या बिन क़ज़्अ़ा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबू सलमा और अ़ब्दुर्रह़मान अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि दो शख़्सों ने जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा यहूदी, एक—दूसरे को बुरा-भला कहा। मुसलमान ने कहा, उस ज़ात की क़सम! जिसने मुह़म्मद (ﷺ) को तमाम दुनिया वालों पर बुज़ुर्गी दी और यहूदी ने कहा, उस ज़ात की क़सम! जिसने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को तमाम दुनिया वालों पर बुज़ुर्गी दी। उस पर मुसलमान ने हाथ उठाकर यहूदी के त़माचा मारा। वो यहूदी नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और मुसलमान के साथ अपने वाक़िये को बयान किया। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने उस मुसलमान को बुलाया और उनसे वाक़िये के बारे में पूछा। उन्होंने आपको उनकी तफ़्सील बता दी। आपने उसके बाद फ़र्माया। मुझे मूसा (अ़लैहिस्सलाम) पर तरजीह न दो। लोग क़यामत के दिन बेहोश कर दिये जाएँगे। मैं भी बेहोश हो जाऊँगा, बेहोशी से होश में आने वाला सबसे पहला शख़्स मैं होऊँगा। लेकिन मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को अ़र्शे इलाही का किनारा पकड़े हुए पाऊँगा। अब मुझे मा'लूम नहीं कि मूसा (अ़लैहिस्सलाम) भी बेहोश होने वालों में होंगे और मुझसे पहले उन्हें होश आ जाएगा, या अल्लाह तआ़ला ने उनको उन लोगों में रखा है जो बेहोशी से मुस्तष़्ना (अलग) हैं।

٢٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((اسْتَبَّ رَجُلاَنِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدَ ، قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ: وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَنْبَ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللهُ)).

एक रिवायत में यूँ है उस यहूदी ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ज़िम्मी हूँ और आपकी अमान में हूँ। उस पर भी उस मुसलमान ने मुझको थप्पड़ मारा। आप गुस़्से हुए और मुसलमान से पूछा तू ने उसको क्यूँ थप्पड़ मारा। इस पर उस मुसलमान ने ये वाक़िया बयान किया। मगर आँह़ज़रत (ﷺ) ने ये पसन्द नहीं फ़र्माया कि किसी नबी की शान में एक राई बराबर भी तन्क़ीस़ (बेइज़्ज़ती) का कोई पहलू इख़्तियार किया जाए।

2412. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़म्र बिन यह़्या ने बयान किया, उनसे उनके बाप यह़्या बिन अ़म्मारा ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा

٢٤١٢ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ

ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. فَقَالَ: ((مَنْ؟)) قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ((ادْعُوهُ)). فَقَالَ: ((أَضَرَبْتَهُ؟)) قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، قُلْتُ : أَيْ خَبِيثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى)).

[أطرافه في : ٣٣٩٨، ٤٦٣٨، ٦٩١٦، ٦٩١٧، ٧٤٢٧].

थे कि एक यहूदी आया और कहा ऐ अबुल क़ासिम! आपके अस्हाब में से एक ने मुझे तमाँचा मारा है। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, किसने? उसने कहा कि एक अंसारी ने। आपने फ़र्माया कि उन्हें बुलाओ। वो आए तो आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा क्या तुमने इसे मारा है? उन्होंने कहा कि मैंने इसे बाज़ार में ये क़सम खाते सुना, उस ज़ात की क़सम! जिसने मूसा (अलैहिस्सलाम) को तमाम इंसानों पर बुज़ुर्गी दी। मैंने कहा, ओ ख़बीष़! क्या मुहम्मद (ﷺ) पर भी! मुझे ग़ुस्सा आया और मैंने उसक मुँह पर थप्पड़ दे मारा। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, देखो अंबिया में आपस में एक–दूसरे पर इस तरह बुज़ुर्गी न दिया करो। लोग क़यामत में बेहोश हो जाएँगे। अपनी क़ब्र से सबसे पहले निकलने वाला मैं ही होऊँगा। लेकिन मैं देखूँगा कि मूसा (अलैहिस्सलाम) अर्शे इलाही का पाया पकड़े हुए हैं। अब मुझे मा'लूम नहीं कि मूसा (अलैहिस्सलाम) भी बेहोश होंगे और मुझसे पहले होश में आ जाएँगे या उन्हें पहली बेहोशी जो तूर पर हो चुकी है वही काफ़ी होगी।

(दीगर मक़ाम : 3398, 4638, 6916, 6917, 7428)

तश्रीह : इस हदीष़ के ज़ेल में अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व मुताबक़तुल्हदीष़ि लित्तर्जुमति फ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम उदऊहु फ़इन्नल मुराद बिही अश्ख़ास़हू बैन यदैहि (ﷺ)** या'नी बाब और हदीष़ में मुताबक़त ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि उस शख़्स़ को यहाँ बुलाओ। गोया आँहज़रत (ﷺ) के सामने ह़ाज़िरी ही उसके ह़क़ में सज़ा थी। इस हदीष़ को और भी कई मक़ामात पर इमाम बुख़ारी (रह.) ने नक़ल फ़र्माकर इससे बहुत से मसाइल का इस्तिख़राज किया है।

ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) की फ़ज़ीलत तमाम अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम पर ऐसी ही है जैसी फ़ज़ीलत चाँद को आसमान के सारे सितारों पर ह़ास़िल है। इस ह़क़ीक़त के बावजूद आपने पसन्द नहीं फ़र्माया कि लोग आपकी फ़ज़ीलत बयान करने के सिलसिले में किसी दूसरे नबी की तन्क़ीस़ शुरू कर दें। आपने ख़ुद ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) की फ़ज़ीलत का ए'तिराफ़ फ़र्माया बल्कि ज़िक्र भी फ़र्माया कि क़यामत के दिन मेरे होश मे आने से पहले ही ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) अर्श का पाया पकड़े हुए नज़र आएँगे। न मा'लूम आप उनमें से हैं जिनको अल्लाह ने इस्तिष्ना फ़र्माया है जैसा कि इर्शाद है, **फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल्अर्ज़ि इल्ला माशाअल्लाहु** (अज़्ज़ुमर : 68) या'नी क़यामत के दिन सब लोग बेहोश हो जाएँगे मगर जिनको अल्लाह चाहेगा बेहोश न होंगे। या पहले तूर पर जो बेहोशी उनको लाह़क़ हो चुकी है वो यहाँ काम दे देगी या आप उन लोगों में से होंगे जिनको अल्लाह पाक ने मुह़ास़बा से बरी क़रार दे दिया होगा। बहरहाल आपने उस जुज़्वी फ़ज़ीलत के बारे में ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) की अफ़ज़लियत का ए'तिराफ़ फ़र्माया। अगरचे ये सब कुछ मह़ज़ बतौरे

इज़्हारे इंकिसारी ही है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब (ﷺ) को ख़ातिमुन्नबिय्यिन का दर्जा बख़्शा है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर आपकी अफ़ज़लियत के लिये ये इज़्ज़त कम नहीं है।

2413. हमसे मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि एक यहूदी ने एक लड़की का सर दो पत्थरों के बीच रखकर कुचल दिया था (उसमें कुछ जान बाक़ी थी) उससे पूछा गया कि तेरे साथ ये किसने किया है? क्या फ़लाँ ने, फ़लाँ ने? जब उस यहूदी का नाम आया तो उसने अपने सर से इशारा किया (कि हाँ) यहूदी पकड़ा गया और उसने भी जुर्म का इक़रार कर लिया। नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया और उसका सर दो पत्थरों के बीच रखकर कुचल दिया गया।

(दीगर मक़ाम : 2746, 5295, 6876, 6777, 6884, 6885)

٢٤١٣- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. قِيْلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)).

[أطرافه في : ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٦٨٧٦، ٦٧٧٧، ٦٨٨٤، ٦٨٨٥].

तश्रीह : अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं कि वो मक़्तूला लड़की अंसार से थी, **व इन्दत्तहावी अदा यहूदिय्युन फ़ी अहदि रसूलिल्लाहि (ﷺ) अला जारियतिन फ़अख़ज़ औज़ाहन कानत अलैहा व रज्जह रासहा वल्औज़ाहु नौउम्मिनल्हुल्यि युअमलु मिनल्फ़िज़्ज़ति व लिमुस्लिम फ़रज्जहा रासहा बैन हजरैनि फ़अख़ज़हा यहुदी फ़रज़्ज़ह रासहा व अख़ज़ मा अलैहा मिनल्हुल्यि क़ाल फ़अदरक्तु व बिहा रमक़ फ़अता बिहन्नबिय्य (ﷺ)** (क़ील अल्हदीष) या'नी ज़मान–ए–रिसालत में एक यहूदी डाकू ने एक लड़की पर हमला किया, जो चाँदी के कड़े पहने हुए थी। यहूदी ने उस बच्ची का सर दो पत्थरों के बीच रखकर कुचल दिया और कड़े उसके बदन से उतार लिये चुनाँचे वो बच्ची उस हाल में कि उसमें कुछ जान बाक़ी थी, आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में लाई गई, और उसने उस यहूदी का ये डाका ज़ाहिर कर दिया। उसकी सज़ा में यहूदी का भी सर दो पत्थरों के बीच कुचलकर उसको हलाक किया गया।

इहतज्ज बिहिल्मालिकिय्यतु वश्शाफ़िइय्यतु वल्हनाबिलतु वल्जुम्हूरू अला अन्न मन क़तल बिशैइन युक़्तलु बिमिष्लिही (क़स्तलानी) या'नी मालिकिया और शाफ़िइया और हनाबिला और जुम्हूर ने इससे दलील पकड़ी है कि जो शख़्स जिस किसी चीज़ से किसी को क़त्ल करेगा उसी के मिष्ल से उसको भी क़त्ल किया जाएगा। क़िसास का तक़ाज़ा भी यही है। मगर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की राय उसके ख़िलाफ़ है। वो मुमाषिलत के क़ाइल नहीं हैं। और यहाँ जो मज़्कूर है उसे महज़ सियासी और तअ़ज़ीरी हैषियत देते हैं। क़ानूनी हैषियत में उसे तस्लीम नहीं करते मगर आपका ये ख़्याल हदीष के ख़िलाफ़ होने की वजह से क़ाबिले क़ुबूल नहीं है। हज़रत इमाम (रह.) ने ख़ुद फ़र्मा दिया कि **इज़ा सह्हल हदीषु फ़हुव मज़्हबी** जब सहीह हदीष मिल जाए तो वही मेरा मज़हब है।

बाब 2 : एक शख़्स नादान या कम अ़क़्ल हो गो हाकिम उस पर पाबन्दी न लगाए मगर उसका किया हुआ मामला रद्द किया जाएगा

٢- بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

और हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स का सदक़ा रद्द कर दिया फिर उसको ऐसी हालत में सदक़ा करने से मना फ़र्मा दिया, और इमाम मालिक (रह.) ने कहा

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ

نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ وَلاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ. وَبَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ.

है कि अगर किसी का किसी दूसरे पर क़र्ज़ हो और मक़रूज़ के पास एक ही गुलाम हो। उसके सिवा उसके पास कुछ भी जायदाद न हो तो अगर मक़रूज़ अपने उस गुलाम को आज़ाद कर दे तो उसकी आज़ादी जाइज़ न होगी। और अगर किसी न किसी कम अ़क़्ल की कोई चीज़ बेचकर उसकी क़ीमत उसे दे दी और उससे अपनी इस्लाह़ करने और अपना ख़्याल रखने के लिये कहा। लेकिन उसने उसके बावजूद माल बर्बाद कर दिया तो उसे उसके ख़र्च करने से ह़ाकिम रोक देगा। क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने माल ज़ाया करने से मना किया है। और आपने उस शख़्स से जो ख़रीदते वक़्त धोखा खा जाया करता था, फ़र्माया था कि जब तू कुछ ख़रीद व फ़रोख़्त करे तो कहा कर कि कोई धोखे का काम नहीं है। रसूले पाक (ﷺ) ने उसका माल अपने क़ब्ज़े में न लिया।

तश्रीह : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) वाली ह़दीष़ को अ़ब्द बिन ह़ुमैद ने निकाला है। हुआ ये कि एक शख़्स एक मुर्ग़ी के अण्डे के बराबर सोने का एक डला लेकर आँह़ज़रत (ﷺ) के पास आया और कहने लगा कि आप बतौरे स़दक़ा इसे मेरी त़रफ़ से क़ुबूल कीजिए। वल्लाह! मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। आपने उसकी त़रफ़ से मुँह फेर लिया। उसने फिर यही कहा। आख़िर आपने वो डला उसकी तरफ़ फेंक दिया और फ़र्माया तुममें कोई नादार होता है और अपना माल जिसके सिवा उसके पास कुछ नहीं होता है ख़ैरात करता है। फिर ख़ाली होकर लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरता है। ये ख़ैरात किसी ह़ालत में भी पसन्दीदा नहीं है। ख़ैरात उस वक़्त करनी चाहिये जब आदमी के पास ख़ैरात करने के बाद भी माल बाक़ी रह जाए। इस ह़दीष़ को अबू दाऊद और इब्ने ख़ुज़ैमा ने निकाला है।

ये ह़दीष़ इस्लाम के एक जामेअ अस़लुल उस़ूल (सबसे बड़े उसूल) को ज़ाहिर कर रही है कि इंसान का दुनिया में मुह़ताज और तंगदस्त बनकर रहना अल्लाह के नज़दीक किसी ह़ाल में भी मह़बूब नहीं है। और ख़ैरात व स़दक़ात का ये नज़रिया कभी स़ह़ीह़ नहीं कि एक आदमी अपने सारे अष़ाष़े ह़यात (ज़िन्दगी की जमा–पूँजी) को ख़ैरात करके फिर ख़ुद ख़ाली हाथ होकर बैठ जाए और फिर लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरे। आयते क़ुर्आनी **वला तज्अ़लु वला तज्अ़ल यदक मगलूला इला उनुकिक व ला तब्सुत्हा कुल्ल बसत अल् अयति** इस पर वाज़ेह़ दलील है। हाँ बिला शक अगर कोई ह़ज़रत सय्यदना अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) जैसा ईमान व यक़ीन और तवक्कल का मालिक हो तो उसके लिये सब कुछ जाइज़ है। मगर ये क़त्अन मुम्किन नहीं है कि उम्मत में कोई क़यामत तक ह़ज़रत स़िद्दीक़ (रज़ि.) का मष़ील (समरूप) पैदा हो सके। इस मौक़े पर ह़ज़रत स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) के अल्फ़ाज़े मुबारका हमेशा आबेज़र (सोने के अक्षरों में) लिखे जाएँगे। जब आपसे पूछा गया कि आप क्या ख़ैरात लेकर आए और क्या छोड़कर आए हैं? तो आपने फ़र्माया था कि **तरक्तु अल्लाह व रसूल** मैं घर मे अल्लाह और रसूल (ﷺ) को छोड़कर आया हूँ और बाक़ी सब कुछ लाकर ह़ाज़िर कर दिया है। जुबाने ह़ाल से गोया आपने फ़र्माया था **इन्ना स़लाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन** (अल अन्आम : 162) **रज़ियल्लाहु अ़न्हुम व अर्ज़ाहु**

उम्मत के उन बदतरीन लोगों पर हज़ार नफ़रीन जो ऐसे फ़ख़्रे इस्लाम, आशिक़े रसूले करीम (ﷺ) की शान में तबर्राबाज़ी (लानत–मलामत) करते हैं और बेह़याई की ह़द हो गई कि इस तबर्राबाज़ी को ष़वाब का काम जानते हैं। सच है **फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु बिमा कानू यफ़्सुकून**

• इस बाब के ज़ेल ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब फ़र्माते हैं, **व अशारल्बुख़ारी बिमा ज़कर मिन अहादीष़िल्बाबि इलत्तफ़्सीलि बैन मन ज़हरत मिन्हुल इज़ाअतु फ़युरद्दु तस़र्रूफ़ुहू फ़ीमा इज़ा कान फ़िश्शैइल्कष़ीरि अविल्मुस्तग़रक़ि तुहमलु क़िस्सतुल मुदब्बिरि व बैन मा इज़ा कान फ़िश्शैइल्यसीर औ जुइल लहू शर्तन यामनु बिही मिन इफ़्सादि मालिही**

फ़ला युरद्दु (फ़त्हुल बारी) या'नी बाब में मन्दर्जा अह़ादीष़ से मुज्तहिदे मुत़लक़ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस तफ़्सील की त़रफ़ इशारा फ़र्माया है कि जब माल कष़ीर हो या कोई और चीज़ जो ख़ास़ अहमियत रखती हो और स़ाह़िबे माल की त़रफ़ से उसके ज़ाये कर देने का ख़त़रा हो तो उसका ख़र्च करना हुकूमत की त़रफ़ से रद्द कर दिया जाएगा। मुदब्बर का वाक़िया इसी पर मह़मूल है और अगर थोड़ी चीज़ हो या कोई ऐसी शर्त़ लगा दी गई हो जिससे उस माल के ज़ाये होने का डर न हो तो ऐसी सूरत में उसका तसर्रुफ़ क़ायम रहेगा और वो रद्द न किया जाएगा। अस़ल मक़स़द माल की ह़िफ़ाज़त और क़र्ज़ख़्वाहों वग़ैरह को अहले ह़ुक़ूक़ का मिलना है। ये जिस सूरत मुम्किन हो। ये सुल्त़ाने इस्लाम की सवाबदीद से मुता'ल्लिक़ चीज़ है।

2414. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से सुना, आपने कहा कि एक स़ह़ाबी कोई चीज़ ख़रीदते वक़्त धोखा खा जाया करते थे। नबी करीम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि जब तू ख़रीदा करे तो कह दिया कर कि कोई धोखा न हो। पस वो उसी त़रह़ कहा करते थे।

(राजेअ़ : 2117)

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ))، فَكَانَ يَقُولُهُ)).

[راجع: ٢١١٧]

आँह़ज़रत (ﷺ) ने कम तजुर्बे होने के बावजूद उस शख़्स़ पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई, हालाँकि खरीदना उन्हें नहीं आता था। इसी से मक़स़दे बाब ष़ाबित हुआ।

2415. हमसे आ़स़िम बिन अ़ली ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन मुंकदिर ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि एक शख़्स़ ने अपना एक ग़ुलाम आज़ाद किया। लेकिन उसके पास उसके सिवा और कोई माल न था। इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने उसे उसका ग़ुलाम वापस करा दिया और उसे नुऐ़म बिन निह़ाम ने ख़रीद लिया। (राजेअ़ : 2141)

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُه، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بن النحامِ)).

[راجع: ٢١٤١]

दूसरी रिवायात में है कि ये शख़्स़ क़र्ज़दार था और क़र्ज़ की अदायगी के लिये उसके पास कुछ न था। स़िर्फ़ यही ग़ुलाम था और उसे भी उसने मुदब्बर कर दिया था। आप (ﷺ) ने जब तफ़्स़ीलात को मा'लूम किया तो उसकी आज़ादी को रद्द करके उस ग़ुलाम को नीलाम करा दिया और ह़ास़िलशुदा रक़म से उसका क़र्ज़ अदा करा दिया। वल्लाहु आलम।

बाब 4 : मुद्दई या मुद्दा अ़लैह एक—दूसरे की निस्बत जो कहें

(ग़ीबत में शामिल नहीं है) बशर्ते कि ऐसा कोई कलिमा मुँह से न निकालें जिसमें ह़द या तअ़ज़ीर वाजिब हो, वरना सज़ा दी जाएगी

٤ - بَابُ كَلاَمِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

बाब के ज़ेल ह़ाफ़िज़ मरह़ूम फ़र्माते हैं , **अय फ़ीमा ला यूजिबु ह़द्दन व ला तअ़ज़ीरन फ़ला यकूनु ज़ालिक मिनल**

गीबतिल मुहर्रमति ज़करफ़ीहि अर्बअ अहादीष़ या'नी मुद्दई और मुद्दा अलैह आपस में ऐसा कलाम करें जिस पर हद वाजिब न होती हो और न तअज़ीर; पस ऐसा कलाम ग़ीबत मुहर्रमा में शुमार नहीं किया जाएगा। इस बाब के ज़ेल हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने चार अहादीष़ ज़िक्र फ़र्माई है। पहली और दूसरी हदीष़ इब्ने मसऊद और अष्अष़ (रज़ि.) की है। **वल्ग़रज़ु मिन्हु क़ौलुहू कुल्तु या रसूलल्लाहि (ﷺ) इज़ा यहलिफ़ु व यज़्हबु बिमा ली फ़इन्नहू नुसिबुहू इलल हल्फ़िल्काज़िबि व लम युआख़िज़ बिज़ालिक लिअन्नहू अख़्बर बिमा यअलमुहू मिन्हु फ़ी हालित्तज़ल्लुमि मिन्हु** या'नी ग़र्ज़ हदीष़े अश्अष़ (रज़ि.) से ये है कि उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) के सामने मुद्दआ अलैह के बारे में ये बयान दिया कि वो झूठी क़सम खाकर मेरा माल ले उड़ेगा। आपने मुद्दई के इस बयान पर कोई ए'तिराज़ नहीं किया। तीसरी हदीष़ कअब बिन मालिक (रज़ि.) की है। जिसमें **फ़र्तफ़अत अस्वातुहुमा** के अल्फ़ाज़ हैं और कुछ तुरुक़ में **फ़ तलाहया** का लफ़्ज़ भी आया है कि वो दोनों बाहमी तौर पर झगड़ने लगे। उससे बाब का मक़सद ष़ाबित होता है। चौथी हदीष़ हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) के साथ हज़रत उमर (रज़ि.) का वाक़िया है जिसमें हज़रत उमर (रज़ि.) ने महज़ अपने इज्तिहाद की बिना पर हज़रत हिशाम (रज़ि.) पर इंकार फ़र्माया था।

बाब का मक़सद ये है कि दौराने मुक़द्दमा में ऐन अदालत में मुद्दई और मुद्दआ अलैह आपस में कुछ दफ़ा कुछ सख़्त कलामी कर गुज़रते हैं और कई बार अदालत उन पर कोई नोटिस नहीं लेती। हाँ! अगर हद के बाहर कोई शख़्स अदालत का एहतिराम बाला–ए–ताक़ रखकर सख़्तकलामी करेगा तो यक़ीनन वो क़ाबिले सज़ा होगा।

٢٤١٦، ٢٤١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). قَالَ فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((احْلِفْ)). قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ).

[راجع: ٢٣٥٦، ٢٣٥٧]

2416, 17. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको अबू मुआविया ने ख़बर दी, उन्हें अअमश ने, उन्हें शक़ीक़ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। जिसने कोई झूठी क़सम जान–बूझकर खाई ताकि किसी मुसलमान का नाजाइज़ तौर पर माल हासिल कर ले तो वो अल्लाह तआला के सामने इस हालत में हाज़िर होगा कि अल्लाह पाक उस पर निहायत ही ग़ज़बनाक होगा। रावी ने बयान किया उस पर अश्अष़ (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह की क़सम! मुझसे ही मुता'ल्लिक एक मसले में रसूले करीम (ﷺ) ने ये फ़र्माया था। मेरे और एक यहूदी के बीच एक ज़मीन का झगड़ा था। उसने इंकार किया तो मैंने मुक़द्दमा नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया। आँहज़रत (ﷺ) ने मुझसे दरयाफ़्त किया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने बयान किया कि फिर आँहज़रत (ﷺ) ने कहा कि नहीं। उन्होंने बयान किया कि फिर आँहज़रत (ﷺ) ने यहूदी से फ़र्माया कि फिर तू क़सम खा। अश्अष़ (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर तो ये झूठी क़सम खा लेगा और मेरा माल उड़ा ले जाएगा। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों से थोड़ी पूँजी ख़रीदते हैं, आख़िर आयत तक। (राजेअ: 2356, 2357)

मुद्दई या'नी अश्अ़ष़ (रज़ि.) ने अ़दालते आ़लिया में यहूदी की ख़ामी को साफ़ लफ़्ज़ों में ज़ाहिर कर दिया। बाब का यही मक़सद है कि मुक़द्दमा के बारे में मुद्दई और मुद्दआ अलह अ़दालत में अपने अपने दलाइल वाज़ेह कर दें, इसका नाम ग़ीबत नहीं है।

٢٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)) - فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ - قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

[راجع: ٤٧٥]

2418. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उ़ष़्मान बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) ने, उन्होंने कअ़ब (रज़ि.) से रिवायत किया कि उन्होंने इब्ने अबी ह़दरद (रज़ि.) से मस्जिद में अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा किया और दोनों की आवाज़ इतनी बुलन्द हो गई कि रसूले करीम (ﷺ) ने भी घर में सुन ली। आपने अपने हुज्र-ए-मुबारक का पर्दा उठाकर पुकारा ऐ कअ़ब! उन्होंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) मैं ह़ाज़िर हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने क़र्ज़ में से इतना कम कर दे और आपने आधा क़र्ज़ कम कर देने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि मैंने कम कर दिया। फिर आपने इब्ने अबी ह़दरद (रज़ि.) से फ़र्माया कि उठ अब क़र्ज़ अदा कर दे।

(राजेअ़ : 475)

झगड़ा तै कराने का एक बेहतरीन रास्ता आप (ﷺ) ने इख़्तियार फ़र्माया और बेह़द ख़ुशकिस्मत हैं वो दोनों फ़रीक़ जिन्होंने दिलो–जान से आपका ये फ़ैसला मंज़ूर कर लिया। मक़रूज़ अगर तंगदस्त है तो ऐसी रिआ़यत देना ज़रूरी हो जाता है और स़ाह़िबे माल को ऐसी सूरत में स़ब्र और शुक्र के साथ जो मिले वो ले लेना ज़रूरी हो जाता है।

٢٤١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ

2419. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने, उन्हें अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल क़ारी ने कि उन्होंने उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से सुना कि वो बयान करते थे कि मैंने हिशाम बिन ह़कीम बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) को सूरह फ़ुरक़ान एक दफ़ा इस क़िरअत से पढ़ते सुना जो उसके ख़िलाफ़ थी जो मैं पढ़ता था। हालाँकि मेरी क़िरअत ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सिखाई थी। क़रीब था कि मैं फ़ौरन ही उन पर कुछ कर बैठूँ, लेकिन मैंने उन्हें मुहलत दी कि वो (नमाज़ से) फ़ारिग़ हो लें। उसके बाद मैंने उनके गले में चादर डालकर उनको घसीटा और

لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَيَّ غَيْرَ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ لِي: ((أَرْسِلْهُ)). ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((اقْرَأْ)) فَقَرَأَ. قَالَ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ)). ثُمَّ قَالَ لِي: ((اقْرَأْ)). فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ)).

[أطرافه في: ٤٩٩٢، ٥٠٤١، ٦٩٣٦، ٧٥٥٠].

रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर किया। मैंने आपसे कहा कि मैंने उन्हें इस क़िरअत के ख़िलाफ़ पढ़ते सुना है जो आपने मुझे सिखाई है। हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया कि पहले इन्हें छोड़ दे। फिर उनसे फ़र्माया कि अच्छा अब तुम क़िरअत सुनाओ उन्होंने वही अपनी क़िरअत सुनाई। आपने फ़र्माया कि उसी तरह नाज़िल हुई थी। उसके बाद मुझसे आपने फ़र्माया कि अब तुम भी पढ़ो। मैंने भी पढ़ के सुनाया। आपने उस पर भी फ़र्माया कि इसी तरह नाज़िल हुई। क़ुर्आन सात क़िरअतों में नाज़िल हुआ है, तुमको जिसमें आसानी हो उसी तरह से पढ़ लिया करो।

(दीगर मक़ाम : 4992, 5041, 6936, 7550)

तश्रीह : या'नी अरब के सातो क़बीलों के मुहावरे और तर्ज़ पर और कहीं—कहीं इख़्तिलाफ़े हरकात या इख़्तिलाफ़े हुरूफ़ से कोई ज़रर नहीं बशर्ते कि मआनी और मतालिब में फ़र्क़ न आए। जैसे सात क़िरअतों के इख़्तिलाफ़ से ज़ाहिर होता है। उलमा ने कहा कि क़ुर्आन मजीद मशहूद सात क़िरअतों में से हर क़िरअत के मुवाफ़िक़ पढ़ा जा सकता है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शाज़ क़िरअत के साथ पढ़ना अकषर उलमा ने दुरुस्त नहीं रखा। जैसे हज़रत आइशा (रज़ि.) की क़िरअत **हाफ़िज़ु अलस्सलवाति वस्सलातिल्उस्ता व सलातिल्अस्रि** या इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िरअत, **फ़मस्तम्तअतुम मिन्हुन्न इला अजलिम्मुसम्मा**

٥- باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت

बाब 5 : जब हाल मा'लूम हो जाए तो मुजरिमों और झगड़ने वालों को घर से निकाल देना

और अबूबक्र (रज़ि.) की बहन उम्मे फ़रवा (रज़ि.) ने जब वफ़ाते अबूबक्र (रज़ि.) पर नोहा किया तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने उन्हें (उनके घर से) निकाल दिया।

ताकि इस हरकत से रूहे सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) को तकलीफ़ न हो और तजहीज़ व तक्फ़ीन (कफ़न—दफ़न) के काम में ख़लल न आए। फिर फ़ारूक़े आजम का जलाल, नोहा (मातम) जैसे नाजाइज़ काम को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उम्मे फ़रवा वाली रिवायत को इब्ने सअद ने तब्क़ात में निकाला है।

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ

2420. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अदी ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उनसे सअद बिन इब्राहीम ने, उनसे हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तो ये इरादा कर लिया था कि नमाज़ की जमाअत क़ायम करने का हुक्म देकर ख़ुद उन लोगों के घरों पर जाऊँ जो जमाअत में हाज़िर नहीं होते और उनके घरों को जला दूँ।

يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ٦٤٤]

(राजेअ़ : 644)

इससे भी षाबित हुआ कि ख़ताकारों पर किस ह़द तक तअ़ज़ीर का हुक्म है। ख़ुसूसन नमाज़े बाजमाअ़त में तसाहुल (सुस्ती) बरतना इतनी बड़ी ग़लती है जिसके इर्तिकाब करने वालों पर आप (ﷺ) ने अपने इंतिहाई ग़ेज़ो-ग़ज़ब का इज़्हार किया। इसी से बाब का मक़सद षाबित हुआ।

तश्रीह : ह़दीष़ में लफ़्ज़ **फ़उह़र्रिकु अ़लैहिम** से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि जब घर जलाए जाएँगे तो वो निकल भागेंगे पस घर से निकालना जाइज़ हुआ। हमारे शैख़ इमाम इब्ने क़य्यिम ने इस ह़दीष़ से और कई ह़दीष़ों से दलील ली है कि शरीअ़त में तअ़ज़ीर बिलमाल दुरुस्त है या'नी ह़ाकिमे इस्लाम किसी जुर्म की सज़ा में मुजरिम पर आर्थिक जुर्माना कर सकता है।

पिछले बाब में मुद्दई और मुद्दआ़ अ़लैह के आपसी ना-रवा कलाम (अप्रिय बातचीत) के बारे में कुछ नर्मी थी। मुज्तहिदे मुतलक़ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब मुनअ़क़िद फ़र्माकर इशारा किया कि अगर ह़द से बाहर कोई हरकत हो तो उन पर सख़्त गिरफ़्त भी हो सकती है। उनको अ़दालत से बाहर निकाला जा सकता है। ह़ज़रत इमाम ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के उस इक़्दाम से इस्तिदलाल फ़र्माया कि उन्होंने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की वफ़ात पर ख़ुद उनकी बहन उम्मे फ़रवा (रज़ि.) को जब नोह़ा करते देखा तो घर से निकलवा दिया। बल्कि कुछ दूसरी नोह़ा करने वाली औरतों को दुर्रे मार मारकर घर से बाहर निकाला।

फ़षबतत मश्रूइय्यतुल इक़्तिसारि अ़ला इख़्राजि अहलिल्मअसियति मिम्बाबिल वलिय्यि व महल्लि इख़्राज़िल्ख़ुसूमि इज़ा वक़अ़ मिन्हुम मिनल्मरइ वल्लुदिद मा यक़्तज़ी ज़ालिक (फ़त्हुल बारी)

बाब 6 : मय्यत का वसी उसकी तरफ़ से दा'वा कर सकता है

٦- باب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

(इस बाब के ज़ेल ह़ाफ़िज साह़ब फ़र्माते हैं **अय अ़निल्मय्यति फ़िल्इस्तिल्हाक़ि व ग़ैरहू मिनल्हुक़ूक़ि ज़कर फ़ीहि ह़दीष़ आइशत फ़ी क़िस्सति सअ़दिन वब्नि ज़म्अ़त क़ाल इब्नुल मुनीर मुलख़्ख़िसुहू दअवल्वसिय्यि अ़निल्मूसी अ़लैहि ला निज़ाअ़ फ़ीहि व कानल्मुसन्निफ़ु अराद बयान मुस्तनदिल इज्माइ व सयाती मबाहिषुल ह़दीष़िल मज़्कूरि फ़ी किताबिल फ़राइज़ि** (फ़त्हुल बारी) या'नी मरने वाला जिसको वसिय्यत कर जाए वो अपना ह़क़ ह़ासिल करने के लिये दा'वा कर सकता है। इस बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। गोया ह़ज़रत इमाम (रह.) ने यही इशारा फ़र्माया कि इस पर जमीअ़ उ़लम–ए–उम्मत का इज्माअ़ है।

2421. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे जुह्री ने, उनसे उ़र्वा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि ज़म्आ की एक बांदी के लड़के के बारें में अ़ब्द बिन ज़म्आ (रज़ि.) और सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) अपना झगड़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर गए। ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे भाई ने मुझको वसिय्यत की थी कि जब मैं (मक्का) आऊँ और ज़म्आ की बांदी के लड़के को देखूँ तो उसे अपनी परवरिश में ले लूँ क्योंकि वो उन्हीं का लड़का है। और अ़ब्द बिन ज़म्आ ने कहा, कि वो मेरा भाई है और मेरे बाप की बांदी का लड़का है। मेरे वालिद ही के फ़राश में उसकी पैदाइश हुई है, नबी करीम (ﷺ) ने बच्चे के

٢٤٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا، فَقَالَ ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ،

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)).

[راجع: ٢٠٥٣]

अंदर (उत्बा की) वाज़ेह मुशाबिहत देखी। लेकिन फ़र्माया कि ऐ अब्द बिन ज़म्आ! लड़का तो तुम्हारी ही परवरिश में रहेगा। क्योंकि लड़का फ़राश के ताबेअ होता है। और सौदा (रज़ि.)! तू इस लड़के से पर्दा किया कर। (राजेअ : 2053)

हज़रत सअद (रज़ि.) अपने काफ़िर भाई की तरफ़ से वसी थे। इसलिये उन्होंने उसकी तरफ़ से दा'वा किया जिसमें कुछ असलियत थी। मगर क़ानून की रू से वो दा'वा सहीह न था क्योंकि इस्लामी क़ानून के तहत ये है **अल्वलदु लिल्फ़िराशि व लिआहिर अल्हजर** इसलिये आपने उनका दा'वा ख़ारिज कर दिया। मगर **इत्तक़ुश्शुब्हात** के तहत हज़रत सौदा (रज़ि.) को उस लड़के से पर्दा करने का हुक्म दिया। अनेक बार हाकिम के सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ (तथ्य) आ जाते हैं कि उनको सारी दलीलों से ऊँचा उठकर अपनी सवाबदीद (विवेक) पर फ़ैसला करना नागुज़ीर (अनिवार्य) हो जाता है।

٧- باب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخشى مَعَرَّتُهُ

وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ.

बाब 7 : अगर शरारत का डर हो तो मुल्ज़िम को बांधना दुरुस्त है

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने (अपने गुलाम) इक्रिमा को क़ुर्आन व हदीष और दीन के फ़राइज़ सीखने के लिये क़ैद किया।

٢٤٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)) قَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ : ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ)).

[راجع: ٤٦٢]

2422. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि रसूले करीम (ﷺ) ने चन्द सवारों का एक लश्कर नजद की तरफ़ भेजा। ये लोग बनू हनीफ़ा के एक शख़्स को जिसका नाम षुमामा बिन उषाल था और अहले यमामा का सरदार था, पकड़ लाए और उसे मस्जिदे नबवी के एक सुतून से बांध दिया। फिर रसूले करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और आपने पूछा, षुमामा! तू किस ख़याल में है? उन्होंने कहा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मैं अच्छा हूँ। फिर उन्होंने पूरी हदीष ज़िक्र की। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि षुमामा को छोड़ दो।

(राजेअ : 462)

तश्रीह : कई दफ़ा की गुफ़्तगू में षुमामा अख़्लाक़े नबवी से हद दर्जा मुताष्षिर (प्रभावित) हो चुका था। उसने आपसे हर बार कहा था कि आप अगर मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो मैं इसकी नाक़द्री नहीं करूँगा। चुनाँचे यही हुआ, आपने उसे बख़ुशी ऐजाज़ व इकराम के साथ आज़ाद कर दिया। वो फ़ौरन ही एक कुएँ पर गया और ग़ुस्ल करके आया और दायर-ए-इस्लाम में दाख़िल हो गया। पस बाब का तर्जुमा षाबित हुआ कि कुछ हालात में किसी इंसान का कुछ वक़्त तक क़ैद करना ज़रूरी हो जाता है और ऐसी हालत में ये गुनाह नहीं है बल्कि नतीजे के लिहाज़ से मुफ़ीद षाबित होता है।

अहदे नबवी इंसानी तमद्दुन का इब्तिदाई दौर था। कोई जेलखाना न था। लिहाज़ा मस्जिद ही से ये काम भी लिया गया। और इसलिये भी कि षुमामा को मुसलमानों को देखने का बहुत ही क़रीब से मौक़ा दिया जाए और वो इस्लाम की ख़ूबियों और मुसलमानो के औसाफ़े हस्ना (अच्छे गुणों) का ग़ौर से मुआयना कर सके। ख़ुसूसन अख़्लाक़े मुहम्मदी (ﷺ) ने उसे

बहुत ही ज़्यादा मुताष्षिर किया। सच है,

आँचे ख़ूबाँ हमा दारंद तु तन्हा दारी।

बाब का तर्जुमा अल्फ़ाज़ **फ़रबतूहु बिसारियतिन मिन सवारियिल मस्जिदि** से निकलता है। क़ाज़ी शुरैह जब किसी पर कुछ हुक्म करते और उसके भाग जाने का डर होता तो मस्जिद में उसको हिरासत में रखने का हुक्म देते। जब मज्लिस बर्ख़ास्त करते, अगर वो अपने ज़िम्मे का हक़ अदा कर देता तो उसको छोड़ देते वरना क़ैदख़ाने में भिजवा देते।

दूसरी रिवायत में यूँ है आप हर सुबह को षमामा के पास तशरीफ़ लाते और उसका मिज़ाज और हालात दरयाफ़्त करते। वो कहता कि अगर आप मुझको क़त्ल करा देंगे तो मेरा बदला लेने वाले लोग बहुत हैं। और अगर आप मुझको छोड़ देंगे तो मैं आपका बहुत बहुत एहसानमन्द रहूँगा। और अगर आप मेरी आज़ादी के बदले रुपया चाहते हैं तो जिस क़दर आप फ़र्माएँगे आपको रुपया दूँगा। कई रोज़ तक मामला ऐसे ही चलता रहा। आख़िर एक रोज़ रहमतुल लिल् आलमीन ने षुमामा को बिला शर्त आज़ाद करा दिया। जब वो चलने लगा तो सहाबा को ख़्याल आया कि शायद फ़रारो इख़्तियार कर रहा है। मगर षमामा एक पेड़ के नीचे गया जहाँ पानी मौजूद था। वहाँ से उसने गुस्ल किया और पाक–साफ़ होकर दरबारे रिसालत में हाज़िर हुआ। और कहा कि हुज़ूर अब मैं इस्लाम कुबूल करता हूँ। फ़ौरन ही उसने कलिमा शहादत **अश्हदु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हुद अन्ना मुहम्मदर्रसूलल्लाह** पढ़ा और सच्चे दिल से मुसलमान हो गया। **रज़ियल्लाहु अन्हू व अरज़ा।**

बाब 8 : हरम में किसी को बाँधना और क़ैद करना

और नाफ़ेअ बिन अब्दुल हारिष ने मक्का में सफ़्वान बिन उमय्या से एक मकान जेलखाना बनाने के लिये इस शर्त पर लिया कि अगर उमर (रज़ि.) इस ख़रीददारी को मंज़ूर करेंगे तो बेअ पूरी होगी वरना सफ़्वान को जवाब आने तक चार सौ दीनार तक किराया दिया जाएगा। इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने मक्का में लोगों को क़ैद किया।

٨- بَابُ الرَّبْطِ والحَبسِ فِي الحَرَم

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ. وَسَجَنَ ابنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.

मक्कतुल मुकर्रमा पूरा ही हरम में दाख़िल है। लिहाज़ा हरम में जेलख़ाना बनाना और मुज्रिमों का क़ैद करना षाबित हुआ। इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के अष्र को इब्ने सअद वग़ैरह ने निकाला है कि इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने हसन बिन मुहम्मद बिन हनीफ़ा को दारुन नदवा में सिज्ने आरिम में क़ैद किया। वो वहाँ से निकलकर भाग गए।

2423. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, कहा कि मुझसे सईद बिन अबी सईद ने बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने सवारों का एक लश्कर नजद की तरफ़ भेजा। जो बनू हनीफ़ा के एक शख़्स षुमामा बिन उषाल को पकड़कर लाए और मस्जिद के एक सतून से उसको बाँध दिया।

(राजेअ : 462)

٢٤٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ)). [راجع: ٤٦٢]

मदीना भी हरम है तो हरम में क़ैद करने का जवाज़ षाबित हुआ। ये बाब लाकर इमाम बुख़ारी (रह.) ने उस राय का रद्द किया जो इब्ने अबी शैबा ने ताउस से रिवायत किया कि वो मक्का में किसी को क़ैद करना बुरा जानते थे।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

بسم الله الرحمن الرحيم

बाब 9 : क़र्ज़दार के साथ रहने का बयान

٩- بَابُ الْمُلاَزَمَةِ

इस त़रह़ कि क़र्ज़ख़्वाह इरादा करे कि जब तक मक़रूज़ (ऋणी) मेरा रुपया अदा न करे मैं उसके साथ चिमटा रहूँगा और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूँगा।

2424. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया और यह्या बिन बुकैर के अ़लावा ने बयान किया कि मुझसे लैष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन हुर्मुज़ ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक अंसारी ने, और उनसे कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) ने कि अ़ब्दुल्लाह बिन अबी ह़दरद असलमी (रज़ि.) पर उनका क़र्ज़ था, उनसे मुलाक़ात हुई तो उन्होंने उनका पीछा किया। फिर दोनों की बातचीत तेज़ होने लगी और आवाज़ बुलन्द हो गई। इतने में रसूले करीम (ﷺ) का उधर से गुज़र हुआ, और आपने फ़र्माया, ऐ कअ़ब! और आपने अपने हाथ से इशारा किया गोया ये फ़र्माया कि आधे क़र्ज़ को माफ़ कर दो। चुनाँचे उन्होंने आधा ले लिया और आधा क़र्ज़ माफ़ कर दिया।

(राजेअ़ : 457)

٢٤٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ: ((عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ)) - وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ - فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

[راجع: ٤٥٧]

लफ़्ज़े ह़दीष़ फ़लज़िमहू से बाब का तर्जुमा निकला कि ह़ज़रत कअ़ब (रज़ि.) अपने क़र्ज़ वसूल करने के लिये अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के पीछे चिमटे और कहा कि जब तक मेरा क़र्ज़ अदा नहीं कर देता मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूँगा, और जब आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनको देखा और इस त़रह़ चिमटने से मना नहीं फ़र्माया तो उससे चिमटने का जवाज़ निकला। आँह़ज़रत (ﷺ) ने आधा क़र्ज़ माफ़ करने की सिफ़ारिश फ़र्माई, इससे ये भी ष़ाबित हुआ कि मक़रूज़ (क़र्ज़दार) अगर तंगदस्त है तो क़र्ज़ख़्वाह को चाहिये कि कुछ माफ़ कर दे, नेक काम के लिये सिफ़ारिश करना भी ष़ाबित हुआ।

बाब 10 : तक़ाज़ा करने का बयान

١٠- بَابُ التَّقَاضِي

2425. हमसे इस्ह़ाक़ बिन राह्वै ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब बिन जरीर बिन ह़ाज़िम ने बयान किया, उन्हें शुअ़बा ने ख़बर दी, उन्हें अअ़मश ने, उन्हें अबुज़्ज़ुहा ने, उन्हें मसरूक़ ने, और उनसे ख़ब्बाब (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं जाहिलियत के ज़माने में लोहे का काम करता था और आ़स़ बिन वाईल (काफिर) पर मेरे कुछ रुपये क़र्ज़ थे। मैं उसके पास तक़ाज़ा करने गया तो उसने

٢٤٢٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ

دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ. قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا ثُمَّ أَقْضِيكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ: لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا﴾ الآيَةَ)). [راجع: ٢٠٩١]

मुझसे कहा कि जब तक तू मुहम्मद (ﷺ) का इंकार नहीं करेगा मैं तेरा क़र्ज़ अदा नहीं करूँगा। मैंने कहा, हर्गिज़ नहीं, अल्लाह की क़सम! मैं हज़रत मुहम्मद (ﷺ) का इंकार कभी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अल्लाह तआला तुम्हें मारे और फिर तुमको उठाए। वो कहने लगा कि फिर मुझसे भी तक़ाज़ा न कर। मैं जब मर के दोबारा ज़िन्दा होऊँगा और मुझे (दूसरी ज़िन्दगी में) माल और औलाद दी जाएगी तो तुम्हारा क़र्ज़ भी अदा कर दूँगा। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, तुमने उस शख़्स को देखा जिसने मेरी आयतों का इंकार किया और कहा कि मुझे माल औलाद ज़रूर दी जाएगी। आख़िर तक। (राजेअ : 2091)

तश्रीह : हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.), आस़ बिन वाइल ग़ैर मुस्लिम के यहाँ अपनी मज़दूरी वसूल करने का तक़ाज़ा करने गए, उसी से बाब का मक़सद स़ाबित हुआ। आस़ ने जो जवाब दिया वो इंतिहाई नामा'क़ूल (अनुचित) जवाब था। जिस पर क़ुर्आन मजीद में नोटिस लिया गया। इस हदीस़ से मुज्तहिदे मुत्लक़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने कई एक मसाइल का इस्तिम्बात किया है। इसलिये अनेक मक़ामात पर ये हदीस़ नक़ल की गई है जो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के तफ़क़्क़ोह व कुव्वते इज्तिहाद की बय्यिन दलील है। हज़ार अफ़सोस उन अहले जुब्बा व दस्तार पर जो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) जैसे फ़क़ीहे उम्मत की शान में तन्क़ीस़ करते हैं और आपकी फ़हम व दिरायत से मुंकिर होकर ख़ुद अपनी नासमझी का सुबूत देते हैं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) इन अब्वाब के ख़ातिमे पर फ़र्माते हैं, **इश्तमल किताबुल इस्तिक़्राज़ि व मा मअहू मिनल्हिज्र वत्तफ़्लीसि व मत्तस़ल बिही मिनल्अश्ख़ासि वल्मुलाज़मति अला ख़म्सीन हदीस़न अल्मुअल्लकु मिन्हा सित्ततुल मुक़र्रर मिन्हा फ़ीहि व फ़ीमा मज़ा स़मानियतुंव्व स़लास़ून हदीस़न वल्बक़िय्यतु ख़ालिस़तुन वाफ़क़हू मुस्लिम अला जमीइहा सिवा हदीसि़ अबी हुरैरत. मन अख़ज़ अम्वालन्नासि युरीदु अत्लाफ़हा व हदीसु अम्मा अहब्बु अन्न ली उहूदन ज़हबन व हदीसु ली अल्वाजिद व हदीसु इब्नि मस्ऊदिन फ़िल्क़िराति व फ़ीहि मिनल्आस़ारि अनिस़्सहाबति व मम्बअदहू इस्ना अशर अस़रन वल्लाहु आलमु.** (फ़त्हुल बारी) या'नी ये किताबुल **इस्तिक़्रास वल् मुलाज़मा** पचास अहादीस़ पर मुश्तमिल है जिनमें अहादीसे़ मुअल्लक़ा सिर्फ़ छः हैं। मुकर्रर अहादीस़ 38 हैं और बाक़ी ख़ालिस़ हैं। इमाम मुस्लिम ने बजुज़ चन्द अहादीस़ के जो यहाँ मज़्कूर हैं सबमें हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) से मुवाफ़क़त की है। और इन अब्वाब में स़हाबा व ताबेईन के बारह आस़ार मज़्कूर हुए हैं।

सनद में मज़्कूरा बुज़ुर्ग हज़रत मसरूक़ इब्नुल अज्दअ हैं जो हम्दानी और कूफ़ी हैं। आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात से पहले इस्लाम से मुशर्रफ़ हुए। स़हाबा के स़द्रे अव्वल जैसे अबूबक्र, उमर, उस़्मान, अली रिज़्वानुल्लाह अलैहिम अज्मईन का ज़माना पाया। वे सरकर्दा उलमा और फ़ुक़हा में से थे। मुर्रह बिन शुरहबील ने फ़र्माया कि किसी हमदानी औरत ने मसरूक़ जैसा नेक सपूत नहीं जना।

शअबी ने फ़र्माया, अगर किसी घराने के लोग जन्नत के लिये पैदा किये गए हैं तो वो ये हैं, अस्वद, अल्क़मा और मसरूक़।

मुहम्मद बिन मुंतशिर ने फ़र्माया कि ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह बस़रा के आमिल (गवर्नर) थे। उन्होंने बतौरे हदिया तीस हज़ार रुपयों की रक़म हज़रत मसरूक़ (रह.) की ख़िदमत में पेश की। ये उनके फ़क़र (ग़रीबी) का ज़माना था। फिर भी उन्होंने उसे क़ुबूल करने से इंकार कर दिया।

कहा जाता है कि बचपन में उनको चुरा लिया गया था। फिर मिल गए तो उनका नाम मसरूक़ हो गया। उनसे बहुत से लोगों ने रिवायत की है। 62 हिज्री में मुक़ामे कूफ़ा में वफ़ात पाई। रहिमहुमुल्लाह रहमतु वासिअति

शहरे कूफ़ा की बुनियाद ह़ज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) ने रखी थी। उस वक़्त आपने वहाँ फ़र्माया था, **तकूफ़ू फ़ि हाज़ल्मौज़इ** यहाँ पर जमा हो जाओ। उसी रोज़ उस शहर का नाम कूफ़ा रखा गया। कुछ ने उसका पुराना नाम कूफ़ान बताया है। ये शहर इराक़ में वाक़ेअ़ (स्थित) है। एक लम्बे अ़र्से तक उ़लूम व फ़ुनून का मर्कज़ रहा है।

45. किताबुल लुक़्ता

किताब लुक़्ता या'नी गिरी-पड़ी हुई चीज़ों के बारे में अहकाम

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

बाब 1 : और जब लुक़्ता का मालिक उसकी सहीह निशानी बता दे तो उसे उसके ह़वाले कर दे

١ - بَابُ إِذَا أَخْبَرَ أَخبره رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالعَلامَةِ دَفَعَ إِلَيه

तश्रीह : लफ़्ज़ लुक़्ता मस़दर लुक़्ता है जिसके मा'नी है चुन लेना, ज़मीन पर से उठा लेना, सीना, रफ़ू करना, इंतिख़ाब करना, चोंच से उठाना है। उसी से लफ़्ज़ मुलाक़ता और इलतिक़ात़ हैं। जिनके मा'नी बराबर होना है। और तलक़्क़ुत़ और इलतिक़ात़ के मा'नी इधर-उधर से जमा करना चुनना हैं। आयाते क़ुर्आनी और अह़ादीषे नबवी में ये लफ़्ज़ कई जगह इस्ते'माल हुआ है। जिनकी तशरीह़ात अपने-अपने मुक़ामात पर होंगी।

अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **(फ़िल्लुक़्तति) बिज़म्मिल्लाम व फ़त्ह़िल्क़ाफ़ व यजूज़ु इस्कानुहा वल्मशहूरू इन्दल मुह़द्दिषीन फ़त्हुहा क़ालल्अज़्हरी व हुल्लज़ी समिअ़ मिनल्अरबि व अज्मअ़ अ़लैहि अहलुल्लुग़ति वल्ह़दीषि व युक़ालु लुक़ाततुन बिज़म्मिल्लाम व लक़्तुन बिफ़त्ह़िहा बिला हाइन व हिय फ़िल्लुग़ति अश्शैउल्मल्क़ूतु व शर्अ़न मा वुजिद मिन ह़क़्क़िन जाएइन मुहतरमिन ग़ैर मुह़र्रज़िन व ला मुम्तनिइन बिक़ुव्वतिही व ला यअ़रिफ़ुल वाजिदु मुस्तहिक़्क़हू व फ़िल्इल्तिक़ाति मअ़नल्अमानति वल विलायतु मिन हैषु अन्नल मुल्तक़ित अमीनुन फ़ीमा इल्तक़तहू वश्शरउ वुलातु हिफ़्ज़िही कल्वली फ़ी मालित्तिफ़्लि व फ़ीहि मअ़नल्इक्तिसाबि मिन हैषु अन्न लहुत्तमल्लुक बअ़दत्तारीफ़ि** (क़स्तलानी)

मुख़्तसर ये कि लफ़्ज़े लुक़्ता लाम के ज़म्मा और क़ाफ़ पर फ़त्ह़ा के साथ है और इसको साकिन पढ़ना भी जाइज़ है मगर मुह़द्दिषीन और लुग़त वालों के यहाँ फ़त्ह़ा के साथ ही मशहूर है अरब की जुबानों से ऐसा ही सुना गया है। लुग़त में लुक़्ता किसी गिरी-पड़ी चीज़ को कहते हैं। और शरीअ़त में ऐसी चीज़ जो पड़ी हुई पाई जाए और वो किसी भी आदमी के ह़क़ से मुता'ल्लिक़ हो और पाने वाला उसके मालिक को न पाए। और लफ़्ज़े इलतिक़ात़ में अमानत और विलायत के मआ़नी भी मुश्तमिल है इसलिये कि मुल्तक़ित़ अमीन है जो उसने पाया है और शरअ़न वो उस माल की ह़िफ़ाज़त का ज़िम्मेदार है जैसे बच्चे के माल की ज़िम्मेदारी होती है। और उसमें इक्तिसाब के मआ़नी भी हैं कि पहुँचवाने के बाद अगर उसका मालिक न मिले तो उस चीज़ में उसको ह़क़्क़े मिल्कियत षाबित हो जाता है।

2426. हमसे आदम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने

٢٤٢٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((أَخَذْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَوْلاً))، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَوْلاً))، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاَثًا فَقَالَ: ((احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا))، فَاسْتَمْتَعْتُ. فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِدًا)). [طرفه في : ٢٤٣٧].

बयान किया, (दूसरी सनद) और मुझसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे गुन्दर ने, उनसे शुअ़बा ने, उनसे सलमा ने कि मैंने सुवैद बिन ग़फ़्ला से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से मुलाक़ात की तो उन्होंने कहा कि मैंने सौ दीनार की एक थैली (कहीं रास्ते में पड़ी हुई) पाई। मैं उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में लाया तो आपने फ़र्माया कि एक साल तक उसका ऐलान करता रह। मैंने एक साल तक उसका ऐलान किया। लेकिन मुझे कोई ऐसा शख़्स नहीं मिला जो उसे पहचान सकता। इसलिये मैं फिर आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में आया। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया कि एक साल तक उसका ऐलान करता रह। मैंने फिर (साल भर) ऐलान किया। लेकिन उनका मालिक मुझे नहीं मिला। तीसरी बार हाज़िर हुआ, तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस थैली की बनावट, दीनार की ता'दाद और थैली के बंधन को ज़हन में महफ़ूज़ रख। अगर उसका मालिक आ जाए (तो अलामत पूछ के) उसे वापस कर देना, वरना अपने ख़र्च में उसे इस्ते'माल कर ले चुनाँचे मैं उसे अपने ख़र्चे में लाया। (शुअ़बा ने बयान किया कि) फिर मैंने सलमा से उसके बाद मक्का में मुलाक़ात की तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं रसूले करीम (ﷺ) ने (हदीष़ में) तीन साल तक (ऐलान करने के लिये फ़र्माया था) या सिर्फ़ एक साल के लिये। (दीगर मक़ाम : 2437)

तश्रीह : रिवायत के आख़िरी अल्फ़ाज़ तीन साल या एक साल के बारे में हज़रत अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व लम यक़ुल अहदुन बिअन्नल्लुक़्तत तुअरफ़ु ष़लाष़तु अहवालिन वश्शक्कु यूजिबु सुक़ूतुल मश्कूक़ि फ़ीहि व हुवष़्ष़लाष़तु फ़वजबल्अमलु बिल्जज़्मि व हुव रिवायतुल्आमिल वाहिदि अल्ख़** (क़स्तलानी) या'नी किसी ने नहीं कहा कि लुक़्ता तीन साल तक पहुँचवाया जाए। और शक से मशकूक फ़ीह ख़ुद ही साक़ित हो जाता है जो यहाँ तीन साल है। पस पुख़्ता चीज़ पर अ़मल वाजिब हुआ और वो एक ही साल के लिये है। कुछ रिवायतों में भी तीन साल का ज़िक्र आया है मगर वो मज़ीद एहतियात और तवर्रोअ़ पर मब्नी (आधारित) है।

अगर पाने वाला ग़रीब और मुहताज है तो मुक़र्ररा मुद्दत तक ऐलान के बाद मालिक को न पाने की सूरत में उसे वो अपनी ज़रूरियात पर ख़र्च कर सकता है और अगर किसी मुहताज को बतौरे सदक़ा दे दे तो और भी बेहतर होगा। इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जब मालिक मिल जाए तो बहर सूरत उसे वो चीज़ वापस लौटाई जाएगी, ख़्वाह एक मुद्दत तक ऐलान करते रहने के बाद उसे अपनी ज़रूरियात पर ख़र्च ही क्यों न कर चुका हो। अमानत व दयानत से मुता'ल्लिक़ इस्लाम की ये वो पाक हिदायात हैं, जिन पर साफ़ तौर पर फ़ख़्र किया जा सकता है। आज भी ज़मीने हरम में ऐसी मिष़ालें देखी जा सकती हैं कि एक चीज़ लुक़्ता है मगर देखने वाले हाथ तक नहीं लगाते बल्कि वो चीज़ अपनी जगह पड़ी रहती है। ख़ुद 1389 हिज्री के हज्ज में मैंने अपनी आँखों से ऐसे वाक़ियात देखे क्योंकि उठाने वाला सोच रहा था कि कहाँ पहुँचवाता फिरेगा। बेहतर है कि उसको

हाथ ही न लगाए। अल्लाह पाक आज के नौजवानों को तौफ़ीक़ दे कि वो हक़ाइक़े इस्लाम को समझकर इस्लाम जैसी नेअ़मत से बहरावर होने की कोशिश करें और बनी नोअ़े इंसान (मानव मात्र) की फ़लाह व बहबूद (कामयाबी और भलाई) के रास्ते को अपनाए।

हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) अंसारी ख़ज़रजी हैं। ये कातिबे वह्य (वह्य के लिखने वाले) थे और उन छः ख़ुशनसीब अस्हाब में से हैं जिन्होंने अ़हदे रिसालत ही में पूरा क़ुर्आन शरीफ़ हिफ़्ज़ कर लिया था, और उन फ़ुक़हा-ए-इस्लाम में से हैं, जो आपके अ़हदे मुबारक में फ़त्वा देने के मजाज़ (अधिकारी) थे। सहाबा में क़ुर्आन शरीफ़ के अच्छे क़ारी के तौर पर मशहूर थे। आँहज़रत (ﷺ) ने उनको सय्यिदुल अंसार का ख़िताब बख़्शा और हज़रत उमर (रज़ि.) ने सय्यिदुल मुस्लिमीन के ख़िताब से नवाज़ा था। आपकी वफ़ात मदीना तय्यिबा ही में 19 हिज्री में वाक़ेअ़ हुई। आपसे कषीर मख़्लूक़ ने रिवायात नक़ल की हैं।

बाब 2 : भूले-भटके ऊँट का बयान

2427. हमसे अ़म्र बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन मह्दी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने, उनसे रबीआ़ ने, उनसे मुंबअ़िष के गुलाम यज़ीद ने, और उनसे ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक देहाती हाज़िर हुआ। और रास्ते में पड़ी हुई चीज़ के उठाने के बारे में आप (ﷺ) से सवाल किया। आपने उनसे फ़र्माया कि एक साल तक उसका ऐलान करता रह। फिर उसके बर्तन की बनावट और उसके बंधन को ज़हन में रख। अगर कोई ऐसा शख़्स आए जो उसकी निशानियाँ ठीक-ठीक बता दे (तो उसे उसका माल वापस कर दे) वरना अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ऐसी बकरी का क्या किया जाए जिसके मालिक का पता न हो? आपने फ़र्माया कि वो या तो तुम्हारी है या तुम्हारे भाई (मालिक) को मिल जाएगी या फिर भेड़िये का लुक़्मा बनेगी। सहाबी ने फिर पूछा और उस ऊँट का क्या किया जाए जो रास्ता भूल गया है? इस पर रसूले करीम (ﷺ) के चेहर-ए-मुबारक का रंग बदल गया। आपने फ़र्माया, तुम्हें उससे क्या मतलब? उसके हाथ ख़ुद उसके खुर हैं। (जिनसे वो चलेगा) उसका मशक़ीज़ा है, पानी पर वो ख़ुद पहुँच जाएगा और पेड़ के पत्ते वो ख़ुद खा लेगा। (राजेअ़ : 91)

٢- بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)). قَالَ: ضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ)). [راجع: ٩١]

तश्रीह : अरब में ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। रास्तों के जानने में वो ख़ुद माहिर हुआ करते थे, गुम होने की सूरत में आमतौर पर किसी न किसी दिन ख़ुद घर पहुँच जाते। इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसा फ़र्माया। या'नी ऊँट को पकड़ने की हाजत नहीं। उसको भेड़िये वग़ैरह का डर नहीं, न चारा-पानी के लिये उसको चरवाहे की ज़रूरत है। वो आप पानी पर जाकर पानी पी लेता है। बल्कि आठ आठ दिन तक का पानी अपने पेट में एक वक़्त में जमा कर लेता है। कुछ ने कहा कि ये हुक्म जंगल के लिये है। अगर बस्ती में ऊँट मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिये ताकि मुसलमान का माल ज़ाये (बर्बाद)

न हो। ऐसा न हो वो किसी चोर डाकू के हाथ लग जाए। ऊँट के हुक्म में वो जानवर भी हैं जो अपनी ह़िफ़ाज़त आप कर सकते हैं, जैसे घोड़ा बैल वग़ैरह।

मुतर्जिम कहता है कि आज के ह़ालात में जंगल और बस्ती कहीं भी अमन नहीं है। हर जगह चोर–डाकू का ख़तरा है, लिहाज़ा जहाँ भी किसी भाई का गुमशुदा ऊँट, घोड़ा नज़र आए बेहतर है कि ह़िफ़ाज़त के ख़्याल से उसे पकड़ लिया जाए और जब उसका मालिक आए तो उसके हवाले कर दे। आज अ़रब और अ़जम हर जगह चोरों और डाकुओं, लुटेरों की कष़रत (अधिकता) है। एक ऊँट उनके लिये बड़ी क़ीमत रखता है जबकि मामूली ऊँट की क़ीमत आज चार पाँच सा (आज के दौर में कम से कम आठ-दस हज़ार रुपये) से कम नहीं है।

अ़हदे रिसालत में अ़रब का माह़ौल जो था वो और था। उस माह़ौल के पेशे–नज़र आप (ﷺ) ने ये हुक्म स़ादिर फ़र्माया, आज का माह़ौल दूसरा है। पस बेहतर है कि किसी गुमशुदा ऊँट, घोड़े वग़ैरह को भी पकड़कर ह़िफ़ाज़त के साथ रखा जाए यहाँ तक कि उसका मालिक आए और उसे ले जाए।

अल्ह़म्दुलिल्लाह 1390 हिज्री को का'बा शरीफ़ में इस पारे का मतन बादे फ़ज्र यहाँ तक लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ ग़ौरो–तदब्बुर के साथ इन दुआओं से पढ़ा गया कि अल्लाह पाक इस अहम ज़ख़ीरे ह़दीष़े नबवी को समझने के लिये तौफ़ीक़ बख़्शे। और हर मुश्किल मुक़ाम के ह़ल के लिये अपनी रह़मत से रहनुमाई करे। और इस ख़िदमत को क़ुबूले आ़म अ़ता करे और सारे क़द्रदान ह़ज़रात को शफ़ाअ़ते रसूले पाक (ﷺ) से बहरावर फ़र्माए। आमीन।

बाब 3 : गुमशुदा बकरी के बारे में

٣- بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ

2428. हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे सुलैमान तैमी ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद अंस़ारी ने, उनसे मुंबअ़िष़ के गुलाम यज़ीद ने, उन्होंने ज़ैद बिन ख़ालिद से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) से लुक़्ता के बारे में पूछा गया। वो यक़ीन रखते थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके बर्तन की बनावट और उसके बंधन को ज़हन में रख, फिर एक साल तक उसका ऐलान करता रह। यज़ीद बयान करते हैं कि अगर उसे पहचानने वाला (इस अ़र्से में) न मिले तो पाने वाले को अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर लेना चाहिये। और ये उसके पास अमानत के त़ौर पर होगा। इस आख़िरी टुकड़े (कि उसके पास अमानत के त़ौर पर होगा) के बारे में मुझे मा'लूम नहीं कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ह़दीष़ है या ख़ु द उन्होंने अपनी त़रफ़ से ये बात कही है। फिर पूछा, रास्ता भूली बकरी के बारे में आपका क्या इर्शाद है? आपने फ़र्माया कि उसे पकड़ लो। वो या तुम्हारी होगी (जबकि अस़ल मालिक न मिले) या तुम्हारे भाई (मालिक के पास पहुँच जाएगी, या फिर उसे भेड़िया उठा ले जाएगा। यज़ीद ने बयान किया कि उसका भी ऐलान किया जाएगा, फिर स़ह़ाबी ने पूछा, रास्ता भूले ऊँट के बारे मे आपका क्या इर्शाद है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि

٢٤٢٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيْدُ : إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِيْ لاَ أَدْرِيْ أَفِي حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْلِلذِّئْبِ)) قَالَ يَزِيْدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: ((دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا)).[راجع: ٩١]

उसे आज़ाद रहने दो, उसके साथ खुर भी हैं और उसका मशकीज़ा भी। ख़ुद पानी पर पहुँच जाएगा और ख़ुद ही पेड़ के पत्ते खा लेगा और इस त़रह वो अपने मालिक तक पहुँच जाएगा।

यह्या की दूसरी रिवायत से षाबित होता है कि ये फ़िक़रा कि उसके पास अमानत के त़ौर पर होगा। ह़दीष़ में दाख़िल है। इसको इमाम मुस्लिम और इस्माईली ने निकाला। अमानत से मत़लब ये है कि जब उसका मालिक आ जाएगा तो पाने वाले को ये माल अदा करना लाज़िम होगा। बकरी अगर मिल जाए तो उसके बारे में भी उसके मालिक को तलाश करना ज़रूरी है। जब तक मालिक न मिले पाने वाला अपने पास रखे और उसका दूध पिये क्योंकि उस पर वो खिलाने पर ख़र्च भी करेगा।

बाब 4 : पकड़ी हुई चीज़ का मालिक अगर एक साल तक न मिले तो वो पाने वाले की हो जाएगी

٤- بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بعدَ سنةٍ فيهِ لِـمَن وجَدَهَا

तशरीह़ : जुम्हूर उ़लमा ये कहते हैं कि मालिक होने से मुराद ये है कि उसको तसर्रुफ़ करना जाइज़ होगा। लेकिन जब मालिक आ जाए तो वो चीज़ या उसका बदल देना लाज़िम हो जाएगा। ह़न्फ़िया कहते हैं कि अगर पाने वाला मुह़ताज है, तो उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है। अगर मालदार है तो उसको ख़ैरात कर दे। फिर अगर उसका मालिक आ जाए तो उसको इख़्तियार है कि ख़्वाह उस ख़ैरात को जाइज़ रखे ख़्वाह उससे तावान ले।

जहाँ तक ग़ौरो–फ़िक्र का ता'ल्लुक़ है इस्लाम ने गिरे–पड़े अम्वाल की बड़ी ह़िफ़ाज़त की है और उनके उठाने वालों को उसी ह़ालत में उठाने की इजाज़त दी है कि वो ख़ुद हज़म कर जाने की निय्यत से हर्गिज़–हर्गिज़ उनको न उठाएँ। बल्कि उनके अस़ल मालिकों तक पहुँचाने की निय्यत से उनको उठा सकते हैं। अगर मालिक फ़ौरी त़ौर पर न मिल सके तो मौक़ा ब मौक़ा साल भर उस माल का ऐलान करते रहें। आजकल ऐलान के ज़रायेअ़ (स्रोत, मीडिया) बहुत वसीअ़ हो चुके हैं, अख़बारात और रेडियो (टीवी और इण्टरनेट) के ज़रिये से ऐलानात हर कस व नाकस तक पहुँच सकते हैं। इस त़रह़ लगातार ऐलानात पर एक साल गुज़र जाए और कोई उसका मालिक न मिल सके तो पाने वाला अपने ख़र्च में उसे ले सकता है। मगर ये शर्त़ अब भी ज़रूरी है कि अगर किसी दिन भी उसका अस़ल मालिक आ गया तो वो माल उसे तावान के साथ अदा करना होगा। अगर अस़ल माल वो ख़त्म कर चुका है तो उसकी जिंस बिलमिष़्ल अदा करनी होगी। या फिर ज़ो भी बाज़ारी क़ीमत हो अदा करनी होगी। इन तफ़्स़ीलात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लुक़्ता के बारे में इस्लाम का क़ानूनी नज़रिया किस क़दर ठोस और कितना नफ़ा बख़्श है। काश इस्लाम के मुआनिदीन (निंदक, बुराई करने वाले) इन इस्लामी क़ानूनों को बत़ौरे मुत़ालआ ग़ौर करें और अपने दिलों को इ़नाद (कपट) से पाक करके क़ल्बे सलीम (शुद्ध हृदय) के साथ स़दाक़त (सच्चाई) को तस्लीम कर सकें।

2429. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें रबीआ बिन अबी अ़ब्दुर्रह़मान ने, उन्हें मुंबइ़ष़ के ग़ुलाम यज़ीद ने और उनसे ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने कि एक शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से लुक़्ता के बारे में सवाल किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसके बर्तन की बनावट और उसके बंधन को ज़हन में याद रखकर एक साल तक उसका ऐलान करता रह। अगर मालिक मिल जाए (तो उसे दे दे) वरना अपनी ज़रूरत में खर्च कर। उन्होंने पूछा और अगर रास्ता भूली

٢٤٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: ((اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ

فَشَأْنَكَ بِهَا)). قَالَ: ((فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟)) قَالَ: ((هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)). قَالَ: ((فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟)) قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)).

[راجع: ٩١]

बकरी मिले? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वो तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई की होगी, वरना फिर भेड़िया उसे उठा ले जाएगा। सहाबी ने पूछा, और ऊँट जो रास्ता भूल जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हें उससे क्या मतलब? उसके साथ ख़ुद उसका मशकीज़ा है, उसके खुर हैं। पानी पर वो ख़ुद पहुँच जाएगा और ख़ुद ही पेड़ के पत्ते खा लेगा। और इस तरह किसी न किसी दिन उसका मालिक उसे ख़ुद पाएगा। (राजेअ : 91)

तश्रीह : फइन् जाआ साहिबुहा या'नी अगर उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दे। जैसे इमाम अहमद और तिर्मिज़ी और निसाई की एक रिवायत में इसकी सराहत है कि अगर कोई ऐसा शख़्स आए जो उसकी गिनती और थैली और सर बंधन को ठीक ठीक बतला दे तो उसको दे दे। मा'लूम हुआ कि सहीह तौर पर उसे पहचान लेने वाले को वो माल दे देना चाहिये। गवाह शाहिद की कोई ज़रूरत नहीं है इस रिवायत में दो साल तक बतलाने का ज़िक्र है और आगे वाली अहादीष़ में सिर्फ़ एक साल तक का बयान हुआ है और तमाम उलमा ने अब उसी को इख़्तियार किया है। और दो साल वाली रिवायत के हुक्म को वरअ और एहतियात पर महमूल किया। यूँ मुहतात हज़रात अगर सारी उम्र भी उसे अपने इस्ते'माल में न लाएँ और आख़िर में चलकर बतौरे सदक़ा ख़ैरात करके उसे ख़त्म कर दें तो उसे नूरुन अला नूर ही कहना मुनासिब होगा।

٥- بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

बाब 5 : अगर कोई समुन्दर में लकड़ी या डंडा या और कोई ऐसी ही चीज़ पाए तो क्या हुक्म है?

٢٤٣٠- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ - وَسَاقَ الْحَدِيْثَ - فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ)). [راجع: ١٤٩٨]

2430. और लैष़ बिन सअद ने बयान किया कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने बनी इस्राईल के एक मर्द का ज़िक्र किया। फिर पूरी हदीष़ बयान की (जो उससे पहले गुज़र चुकी है) कि (क़र्ज़ देने वाला) बाहर ये देखने के लिये निकला कि मुम्किन है कोई जहाज़ उसका रुपया लेकर आया हो (दरिया के किनारे जब वो पहुँचा) तो उसे एक लकड़ी मिली जिसे उसने अपने घर के ईंधन के लिये उठा लिया। लेकिन जब उसे चीरा तो उसमें से रुपया और ख़त पाया। (राजेअ : 1498)

तश्रीह : ष़ाबित हुआ कि दरिया में से ऐसी चीज़ों को उठाया जा सकता है। बाद में जो कैफ़ियत सामने आए उसके मुताबिक़ अमल किया जाना चाहिये। इस्राईली मर्द की हुस्ने निय्यत का ष़मरह (फल) था कि पाई हुई लकड़ी को चीरा तो उसे उसके अंदर अपनी अमानत की रक़म मिल गई। उसे दोनों नेक दिल इस्राईलियों की करामात ही कहना चाहिये, वरना आम हालात में ये मामला बेहद नाज़ुक है। ये भी ष़ाबित हुआ कि कुछ बंदगाने अल्लाह अदायगी अमानत और अहद की पासदारी का किस हद तक ख़्याल रखते हैं और ये बहुत ही कम हैं।

अल्लामा क़स्तलानी रह. फ़र्माते हैं, **व मौज़उत्तर्जुमति क़ौलुहू फ़अख़ज़हा व हुव मब्निय्युन अला अन्न शर्अम्मन क़ब्लुना शर्उल्लना मालम याति फ़ी शरइना मा युख़ालिफ़ुहू ला सय्यिमा इज़ा वरद बिसूरतिष़्ष़नाइ अला फ़ाइलिही** या'नी यहाँ बाब के तर्जुमा में रावी के ये अल्फ़ाज़ हैं, **फ़अख़ज़हा** या'नी उसको उसने ले लिया। इसी से

बाब का मक़्सद षाबित हुआ क्योंकि हमारे पहले वालों की शरीअत भी हमारे लिये शरीअत है। जब तक वो हमारी शरीअत के ख़िलाफ़ न हो। ख़ास तौर पर जबकि उसके फ़ाइल (आचरण करने वालों) पर हमारी शरीअत में ता'रीफ़ की गई हो। आँहज़रत (ﷺ) ने उन दोनों इस्राईलियों की ता'रीफ़ फ़र्माई। उनका अमल इस वजह से हमारे लिये क़ाबिले इक़्तिदा (पैरवी करने योग्य) बन गया।

बाब 6 : कोई शख़्स रास्ते में खजूर पाए?

٦- بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ

2431. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान षौरी ने बयान किया, उनसे मंसूर बिन मुअतमिर ने, उनसे तलहा ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की रास्ते में एक खजूर पर नज़र पड़ी। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर इसका डर न होता कि ये सदक़ा की है तो मैं ख़ुद इसे खा लेता।

(राजेअ : 2055)

٢٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ: ((لَوْ لاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا)).

[راجع: ٢٠٥٥]

2432. और यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया कि हमसे सुफ़यान षौरी ने बयान किया, कहा मुझसे मंसूर ने बयान किया, और ज़ाइदा बिन क़ुदामा ने भी मंसूर से बयान किया, और उनसे तलहा ने, कहा कि हमसे अनस (रज़ि.) ने हदीष बयान की (दूसरी सनद) और हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें मअमर ने, उन्हें हम्माम बिन मुनब्बा ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं अपने घर जाता हूँ, वहाँ मुझे मेरे बिस्तर पर खजूर पड़ी मिलती है। मैं उसे खाने के लिये उठा लेता हूँ। लेकिन फिर ये डर होता है कि कहीं ये सदक़े की खजूर न हो तो मैं उसे फेंक देता हूँ।

٢٤٣٢- وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ. وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا)).

आप (ﷺ) को शायद ये ख़्याल आता होगा कि शायद सदक़े की खजूर जिसको आप बांट चुके थे, बाहर से कपड़े में लगकर चली आई हो। इन अहादीष से ये निकला कि खाने—पीने की कम क़ीमत चीज़ भी अगर रास्ते में या घर में मिले तो उसका खा लेना दुरुस्त है। और आप (ﷺ) ने जो उससे परहेज़ किया उसकी वजह ये थी कि सदक़ा आप पर, तमाम बनी हाशिम पर हराम था। ये भी मा'लूम हुआ कि ऐसी हक़ीर छोटी चीज़ों के लिये मालिक का ढूँढना और उसका ऐलान कराना ज़रूरी नहीं है।

बाब 7 : अहले मक्का के लुक़्ता का क्या हुक्म है?

٧- بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ؟

मक्का के लुक़्ता में इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने कहा मक्का का लुक़्ता ही उठाना मना है। कुछ ने कहा कि उठाना तो जाइज़ है लेकिन एक साल के बाद भी पाने वाले की मिल्क नहीं बनता और जुम्हूर मालिकिया और कुछ शाफ़िइया का क़ौल ये है कि मक्का का

लुक़्ता भी दूसरे मुल्कों की तरह ही है। हाफ़िज़ ने कहा, शायद इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद ये है कि मक्का का लुक़्ता भी उठाना जाइज़ है और ये बाब लाकर उन्होंने उस रिवायत के ज़ुअफ़ की तरफ़ इशारा किया जिसमें ये है कि हाजियों की पड़ी हुई चीज़ उठाना मना है। (वहीदी)

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا)). وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَلْتَقِطُهَا إِلاَّ مُعَرِّفٍ)).

और ताउस ने कहा, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मक्का के लुक़्ता को सिर्फ़ वही शख़्स उठाए जो ऐलान कर ले, और ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने, और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, मक्का के लुक़्ता को उठाना सिर्फ़ उसके लिये जाइज़ है जो उसका ऐलान भी करे।

٢٤٣٣- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَقَالَ : إِلاَّ الإِذْخِرَ)).

[راجع: ١٣٤٩]

2433. और अह़मद बिन सअ़द ने कहा, उनसे रौह़ ने बयान किया, उनसे ज़करिया ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मक्का के पेड़ न काटे जाएँ, वहाँ के शिकार न छेड़े जाएँ, और वहाँ के लुक़्ता को सिर्फ़ वही उठाए जो ऐलान करे, और उसकी घास न काटी जाए। हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! इज़्ख़र की इजाज़त दे दीजिए चुनाँचे आँहज़रत (ﷺ) ने इज़्ख़र की इजाज़त दे दी।

(राजेअ: 1349)

बाब का मक़्सद ये है कि लुक़्ता के बारे में मक्का शरीफ़ और दूसरे मुक़ामात में कोई फ़र्क़ नहीं है।

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي

2434. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, उनसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबु हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह तआ़ला ने रसूले करीम (ﷺ) को मक्का फ़तह करा दिया, तो आप (ﷺ) लोगों के सामने खड़े हुए और अल्लाह तआ़ला की ह़म्दो-ष़ना के बाद फ़र्माया अल्लाह तआ़ला ने हाथियों के लश्कर को मक्का से रोक दिया था, लेकिन अपने रसूल और मुसलमानों को उसे फ़तह करा दिया। देखो! ये मक्का मुझसे पहले किसी के लिये ह़लाल नहीं हुआ था (या'नी वहाँ लड़ना) और मेरे लिये भी सिर्फ़ दिन के थोड़े हिस्से में दुरुस्त हुआ। अब मेरे बाद किसी के लिये

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)). فَقَامَ أَبُو شَاهٍ- رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ)). قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

हलाल नहीं होगा। पस इसके शिकार न छेड़े जाएँ और न उसके कांटे काटे जाएँ। यहाँ तक कि गिरी—पड़ी चीज़ सिर्फ़ उसी के लिये हलाल होगी जो उसका ऐलान करे। जिसका कोई आदमी क़त्ल किया गया हो उसे दो बातों का इख़्तियार है। या (क़ातिल से) फ़िदया (माल) ले ले, या जान के बदले जान ले। हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इज़्ख़र काटने की इजाज़त हो क्योंकि हम उसे अपनी क़ब्रों पर और घरों में इस्ते'माल करते हैं तो आपने फ़र्माया कि अच्छा इज़्ख़र काटने की इजाज़त है। फिर यमन के एक सहाबी अबू शाह ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे लिये ये ख़ुत्बा लिखवा दीजिए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा को हुक्म दिया कि अबू शाह के लिये ये ख़ुत्बा लिख दो। मैंने इमाम औज़ाई से पूछा कि उससे क्या मुराद है कि मेरे लिये इसे लिखवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि वही ख़ुत्बा मुराद है जो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (मक्का में) सुना था।

रिवायत में हाथी वालों से मुराद अबरहा है जो ख़ान—ए—काबा को ढहाने के लिये हाथियों की फ़ौज लेकर आया था। जिसका सूरह **अलम तरा कयफ़ अल्ख़** में ज़िक्र है । इस हदीष़ से अहदे नबवी में किताबत का भी षुबूत मिलता है जो मुंकिरीने हदीष़ की हफ़्वाते बातिला (झूठे हथकण्डों) की तर्दीद के लिये काफ़ी वाफ़ी है।

٨ – بَابُ لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ

बाब 8 : किसी जानवर का दूध उसके मालिक की इजाज़त के बग़ैर न दुहा जाए

٢٤٣٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)).

2435. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी नाफ़ेअ से और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स किसी दूसरे के दूध के जानवर को मालिक की इजाज़त के बग़ैर न दूहे। क्या कोई शख़्स ये पसन्द करेगा कि एक ग़ैर शख़्स उसके गोदाम में पहुँचकर उसका ज़ख़ीरा खोले और वहाँ से उसका अनाज चुरा लाए? लोगों के मवेशी के थन भी उनके लिये खाना या'नी (दूध के) गोदाम हैं। इसलिये उन्हें भी मालिक की इजाज़त के बग़ैर नहीं दुहा जाए।

इज़्तिरारी (भूख की) हालत में अगर जंगल में कोई रेवड़ मिल जाए और मुज़्तर (परेशानहाल) अपनी जान से परेशान हो और भूख और प्यास से क़रीबुल मर्ग (मौत के क़रीब) हो तो वो इस हालत में मालिक की इजाज़त के बग़ैर भी उस रेवड़ में से किसी

जानवर का दूध निकालकर अपनी जान बचा सकता है। ये मज़्मून दूसरी जगह बयान हुआ है।

बाब 9 : पड़ी हुई चीज़ का मालिक अगर एक साल बाद आए तो उसे उसका माल वापस कर दे क्योंकि पाने वाले के पास वो अमानत है

٩- بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّها وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

2436. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे रबीआ बिन अ़ब्दुर्रहमान ने, उनसे मुंबअ़िष़ के गुलाम यज़ीद ने, और उनसे ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने रसूले करीम (ﷺ) से लुक़्ता के बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक साल तक उसका ऐलान करते रहो। फिर उसके बंधन और बर्तन की बनावट को ज़हन में रख और उसे अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर। उसका मालिक अगर उसके बाद आए तो उसे वापस कर दे। सहाबा (रज़ि.) ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! रास्ता भूली बकरी का क्या किया जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे पकड़ लो, क्योंकि वो तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई की होगी या फिर भेड़िये की होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! रास्ता भूले हुए ऊँट का क्या किया जाए? आप इस पर गुस्सा हो गए और चेहर—ए—मुबारक सुर्ख़ हो गया (या रावी ने वजन्ताहू के बजाय) अह़मर वज्हुहू कहा, फिर आपने फ़र्माया, तुम्हें उससे क्या मतलब? उसके साथ ख़ुद उसके खुर और उसका मशकीज़ा है। इसी तरह उसे उसका अस़्ल मालिक मिल जाएगा। (राजेअ़ : 91)

٢٤٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)). فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((خُذْهَا، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى احْمَرَّتْ وجْنتاهُ - أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ : ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)). [راجع: ٩١]

बाब 10 : पड़ी हुई चीज़ का उठा लेना बेहतर है ऐसा न हो वो ख़राब हो जाए या कोई ग़ैर मुस्तह़िक़ उसको ले भागे

١٠- بَابُ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ولا يدعُها تضِيْعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ؟

माल की ह़िफ़ाज़त के पेशेनज़र ऐसा करना ज़रूरी है वरना कोई नाअहल (अयोग्य) उठा ले जाएगा और वो उसे हज़म कर बैठेगा। मज़्मूने ह़दीष़ से ये निकला कि थैली के उठा लेने वाले शख़्स पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने इज़्हारे ख़फ़्गी (नाराज़गी का प्रदर्शन) नहीं फ़र्माया बल्कि उसे ये हिदायत हुई कि उसका साल भर ऐलान करते रहो। अगर वो चीज़ कोई ज़्यादा क़ीमती नहीं है तो उसके बारे में अह़मद, अबू दाऊद में ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है, **क़ाल रख़्ख़स़ लना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़िल्असाइ वस्सौति वल्हब्लि व अश्बाहिही यल्तक़ितुर्रजुलु यन्तफ़िउ बिही** (रवाहु अहमद व अबू दाऊद) या'नी आँह़ज़रत

(ﷺ) ने हमको लकड़ी डंडे और रस्सी और इस क़िस्म की मामूली चीज़ों के बारे में रुख़्सत अ़ता की है जिनको इंसान पड़ा हुआ पाए, उनसे नफ़ा उठाए। इस पर इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **फ़ीहि दलीलुन अ़ला जवाज़िल इन्तिफ़ाइ बिमा यूजदु फ़ित्तरक़ाति मिनल्मुहक़्क़राति व ला युहताजु इलत्तअ़रीफ़ि व क़ील अन्नहू यजिबुत्तअ़रीफ़ बिहा ष़लाष़त अय्याम लिमा अख़रजहू अहमद वत्तब्रानी वल्बैहक़ी वल्जूज़जानि** (नैलुल औतार) या'नी उसमें दलील है कि हक़ीर चीज़ें जो रास्ते में पड़ी हुई मिलें उनसे नफ़ा उठाना जाइज़ है। उनके लिये ऐलान की ज़रूरत नहीं, और ये भी कहा गया कि तीन दिन तक ऐलान करना वाजिब है। अहमद और त़बरानी और बैहक़ी और जूज़जानी में ऐसा मन्क़ूल (वर्णित) है।

٢٤٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوطًا، فَقَالَ لِي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً))، فَعَرَّفْتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً))، فَعَرَّفْتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً)) فَعَرَّفْتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا)). حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا، قَالَ: ((فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَولاً وَاحِدًا)).

[راجع: ٢٤٢٦]

2437. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे सलमा बिन कुहैल ने बयान किया कि मैंने सुवैद बिन ग़फ़्ला से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैं सलमाना बिन रबीआ़ और ज़ैद बिन सौहान के साथ एक जिहाद में शरीक था। मैंने एक कोड़ा पाया (और उसको उठा लिया) दोनों में से एक ने मुझसे कहा कि उसे फेंक दे। मैंने कहा कि मुम्किन है मुझे उसका मालिक मिल जाए (तो उसको दे दूँ) वरना ख़ुद उससे नफ़ा उठाऊँगा । जिहाद से वापस होने के बाद हमने ह़ज्ज किया। जब मैं मदीने में गया तो मैंने उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से उसके बारे में पूछा, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मुझको एक थैली मिल गई थी, जिसमें सौ दीनार थे। मैं उसे लेकर आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में गया। आपने फ़र्माया कि एक साल तक उसका ऐलान करता रह, मैंने एक साल तक उसका ऐलान किया, और फिर ह़ाज़िर हुआ। (कि मालिक अभी तक नहीं मिला) आपने फ़र्माया कि एक साल तक और ऐलान करता रह, मैंने एक साल तक उसका फिर ऐलान किया, और ह़ाज़िरे ख़िदमत हुआ। इस बार भी आपने फ़र्माया कि एक साल तक उसका फिर ऐलान कर, मैंने फिर एक साल तक ऐलान किया और जब चौथी बार ह़ाज़िर हुआ तो आपने फ़र्माया कि रक़म के अ़दद, थैली का बंधन, और उसकी साख़्त (बनावट) को ख़्याल में रख, अगर उसका मालिक मिल जाए तो उसे दे देना वरना उसे अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर। हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने ख़बर दी शुअ़बा से और उन्हें सलमा ने यही ह़दीष़, शुअ़बा ने बयान किया कि फिर उसके बाद मैं मक्का में सलमा से मिला, तो उन्होंने कहा कि मुझे ख़्याल नहीं, (इस ह़दीष़ में सुवैद ने) तीन साल तक बतलाने का ज़िक्र किया या एक साल का। (राजेअ़ : 2426)

मा'लूम हुआ कि नेक निय्यती के साथ किसी पड़ी हुई चीज़ को उठा लेना ही ज़रूरी है ताकि वो किसी ग़लत आदमी के हवाले न हो जाए। उठा लेने के बाद बयान की गई हदीष़ की रोशनी में अमल दरआमद करना ज़रूरी है।

बाब 11 : लुक़्ता को बतलाना लेकिन हाकिम के सुपुर्द न करना

١١- بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ ولَم يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

इस बाब से इमाम औज़ाई के क़ौल का रद्द करना मक़सूद (लक्ष्यित) है। उन्होंने कहा कि अगर लुक़्ता बेशक़ीमती हो तो बैतुल माल में दाख़िल कर दे।

2438. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया रबीआ से, उनसे मुंबअ़िष़ के गुलाम यज़ीद ने, और उनसे ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने कहा कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से लुक़्ता के बारे में पूछा, तो आप (ﷺ)ने फ़र्माया कि एक साल तक ऐलान करता रह, अगर कोई शख़्स आ जाए जो उसकी बनावट और बंधन के बारे में सहीह सहीह बताए, (तो उसे दे दे) वरना अपने ज़रूरियात में उसे ख़र्च कर। उन्होंने जब ऐसे ऊँट के बारे में पूछा, जो रास्ता भूल चुका हो तो आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। और आपने फ़र्माया कि तुम्हें उससे क्या मतलब? उसके साथ उसका मशकीज़ा और उसके खुर मौजूद हैं। वो ख़ुद पानी तक पहुँच सकता है और पेड़ के पत्ते खा सकता है और इस तरह वो अपने मालिक तक पहुँच सकता है। उन्होंने रास्ते भूली हुई बकरी के बारे में पूछा, तो आपने फ़र्माया कि या वो तुम्हारी होगी, या तुम्हारे भाई की (अस़ल मालिक) को मिल जाएगी, वरना भेड़िया उसे उठा ले जाएगा।

(राजेअ़ : 91)

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيْكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ)). [راجع: ٩١]

बाब 12 :

١٢- بَابٌ

तश्रीह : इस बाब में कोई तर्जुमा मज़्कूर नहीं है। गोया पहले बाब ही से मुता'ल्लिक़ है, इस हदीष़ की मुनासबत बाबुल लुक़्ता से ये है कि जंगल में उस दूध का पीने वाला कोई न था, तो वो भी पड़ी हुई चीज़ के मिष़्ल हुआ। और चरवाहा चाहे मौजूद था, मगर ये दूध उसकी ज़रूरत से ज़ाइद (अतिरिक्त) था।

कुछ ने कहा मुनासबत ये है कि अगर लुक़्ता में कोई कम क़ीमत खाने–पीने की चीज़ मिल जाए तो उसका खा पी लेना दुरुस्त है जैसे ऊपर खजूर की हदीष़ गुज़री, और ये दूध भी। जब उसका मालिक वहाँ मौजूद न था लेकिन हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसको लिया और इस्ते'माल किया। उसे खजूर पर क़यास किया गया है। भले ही चरवाहा मौजूद था, मगर वो दूध

का मालिक न था इस वजह से गोया उसका वजूद और अ़दम (न होने के) बराबर हुआ और वो दूध लुक़्ता के समान के ठहरा, वल्लाहु आ़लम। (वह़ीदी)

इब्ने माजा में स़ह़ीह़ सनद के साथ अबू सईद से मरवी है, **इज़ा अतैत अ़ला राइन फ़नादहू ष़लाष़ मर्रातिन फ़इन अजाबक व इल्ला फ़श्रब मिन ग़ैरि अन तुफ़्सिद व इज़ा अतैत अ़ला हायति बुस्तानिन फ़नादहू ष़लाष़ मर्रातिन फ़इन अजाबक व इल्ला फ़कुल मिन ग़ैरि अन तुफ़्सिद** या'नी जब तुम किसी रेवड़ पर आओ तो उसके चरवाहे को तीन दफ़ा पुकारो, वो कुछ भी जवाब न दे तो उसका दूध पी सकते हो। मगर नुक़्सान पहुँचाने का ख़्याल न हो। इसी त़रह़ बाग़ का हुक्म है। त़ह़ावी ने कहा कि इन अह़ादीष़ का ता'ल्लुक़ उस अ़हद से है जबकि मुसाफ़िरों की ज़ियाफ़त का हुक्म बत़ौरे वजूब था। जब वजूब मन्सूख़ हुआ तो इन अह़ादीष़ के अह़काम भी मन्सूख़ हो गए।

2439. हमसे इस्ह़ाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमको नज़र ने ख़बर दी, कहा कि हमको इस्राईल ने ख़बर दी अबू इस्ह़ाक़ से कि मुझे बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने अबूबक्र (रज़ि.) से ख़बर दी (दूसरी सनद) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन रजाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्राईल ने बयान किया अबू इस्ह़ाक़ से, और उन्होंने अबूबक्र (रज़ि.) से कि (हिज्रत करके मदीना जाते वक़्त) मैंने तलाश किया तो मुझे एक चरवाहा मिला जो अपनी बकरियाँ चरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम किसके चरवाहे हो? उसने कहा कि क़ुरैश के एक शख़्स का। उसने क़ुरैशी का नाम भी बताया जिसे मैं जानता था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे रेवड़ की बकरियों में कुछ दूध भी है? उसने कहा कि हाँ! मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे लिये दूध दूह लोगे? उसने कहा, हाँ ज़रूर! चुनाँचे मैंने उससे दूहने के लिये कहा। वो अपने रेवड़ से एक बकरी पकड़ लाया। फिर मैंने उससे बकरी का थन गर्दोगुबार से साफ़ करने के लिये कहा। फिर मैंने उससे अपना हाथ स़ाफ़ करने के लिये कहा। उसने वैसा ही किया। एक हाथ को दूसरे पर मारकर साफ़ कर लिया और एक प्याला दूध दूहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मैंने एक बर्तन साथ लिया था। जिसके मुँह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने पानी दूध पर बहाया। जिससे उसका निचला ह़िस्सा ठण्डा हो गया। फिर दूध लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ। और अ़र्ज़ किया कि दूध ह़ाज़िर है, या रसूलल्लाह (ﷺ)! पी लीजिए। आपने उसे पिया, यहाँ तक कि मैं ख़ुश हो गया।

(दीगर मक़ाम : 3615, 3652, 3908, 3917, 5607)

٢٤٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ح. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ - فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ - فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا - ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى - فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِدَاوَةً، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ)).

[أطرافه في: ٣٦١٥، ٣٦٥٢، ٣٩٠٨،

तश्रीह : इस बाब के लाने से ग़र्ज़ ये है कि इस सिलसिले में लोगों का इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने ये कहा कि अगर कोई शख़्स किसी बाग़ पर से गुज़रे या जानवरों के गले पर से तो बाग़ का फल या जानवर का दूध खा पी सकता है, भले ही मालिक से इजाज़त न ले, मगर जुम्हूर उलमा उसके ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि बिना ज़रूरत ऐसा करना जाइज़ नहीं और ज़रूरत के वक़्त अगर कर गुज़रे तो मालिक को तावान दे। इमाम अह़मद ने कहा अगर बाग़ पर ह़िसार न हो तो तर मेवा खा सकता है गो ज़रूरत न हो। एक रिवायत ये है कि जब उसकी ज़रूरत और एह़तियाज हो। लेकिन दोनों ह़ालतों में उस पर तावान न होगा और दलील उनकी इमाम बैहक़ी की ह़दीष़ है इब्ने उ़मर (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न जब तुममें से कोई शख़्स किसी बाग़ पर से गुज़रे तो खा ले लेकिन जमा करके न ले जाए।

ख़ुलास़ा ये है कि आजकल के ह़ालात में बग़ैर इजाज़त किसी भी बाग़ का फल खाना दुरुस्त नहीं ख़्वाह ह़ाजत हो या न हो। इसी त़रह़ किसी जानवर का दूध निकाल कर अज़ख़ुद पी लेना और मालिक से इजाज़त न लेना, ये भी इस दौर में ठीक नहीं है। किसी शख़्स की इज़्तिरारी ह़ालत हो, वो प्यास और भूख से क़रीबुल मर्ग हो और इस ह़ालत में वो किसी बाग़ पर से गुज़रे या किसी रेवड़ पर से, तो उसके लिये ऐसी मजबूरी में इजाज़त दी गई है। ये भी शर्त़ है कि बाद में मालिक तावान त़लब करे तो उसे देना चाहिये।

तश्रीह : लफ़्ज़ मज़ालिम, ज़ुल्म की जमा (बहुवचन) है जिसके मा'नी हैं लोगों पर नाह़क़ ज़्यादती करना, और ये भी कि नाह़क़ किसी का माल मार लेना और ग़स़ब कर लेने के मा'नी किसी का माल नाह़क़ त़ौर पर हज़म कर लेने के हैं।

ह़ज़रत मुज्तहिदे मुत़्लक़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी उस्लूब के मुत़ाबिक़ मज़ालिम और ग़स़ब की बुराई में आयाते क़ुर्आनी को नक़ल किया, जिनका मज़्मून ज़ाहिर है कि ज़ालिमों का अंजाम दुनिया और आख़िरत में बहुत बुरा होने वाला है। आयते शरीफ़ा का ह़िस़्सा, **व इन कान मक्रहुम लितज़ू ला मिन्हुल जिबाल** और अल्लाह के पास ज़ालिम काफ़िरों का मक्र (फ़रेब) लिखा हुआ है, उसके सामने कुछ नहीं चलेगी। भले ही उनकी चालबाज़ी से दुनिया में पहाड़ सरक जाएँ। कुछ ने कहा कि इसका तर्जुमा यूँ किया है। मकर से कहीं पहाड़ भी सरक सकते हैं। या'नी अल्लाह की शरीअ़त पहाड़ की त़रह़ जमी हुई और

मज़्बूत है। इनके मकर व फ़रेब से वो उखड़ नहीं सकती। इस आयत को लाकर हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये षाबित किया है कि पराया माल छीन लेना और डकार लेना ज़ुल्म और ग़स़ब है जो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि उसका रिश्ता हुक़ूक़ुल इ़बाद के साथ है।

बाब

باب وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ﴾: الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ. [سورة إبراهيم : ١٤، ٤٢، ٤٣].

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مُهْطِعِينَ﴾ مُدِيمِي النَّظَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُسْرِعِينَ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ : يَعْنِي جُوفًا: لَا عُقُولَ لَهُمْ.

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾. [إبراهيم : ٤٦].

और अल्लाह तआ़ला ने सूरह इब्राहीम में फ़र्माया, और ज़ालिमों के कामों से अल्लाह तआ़ला को ग़ाफ़िल न समझो। और अल्लाह तआ़ला तो उन्हें सिर्फ़ एक ऐसे दिन के लिये मुहलत दे रहा है जिसमें आँखें पथरा जाएगी। और वो सर ऊपर को उठाए भागे जा रहे होंगे। मुक़्निउ़ और मुक़्मिहु दोनों के मा'नी एक ही हैं। मुजाहिद ने फ़र्माया कि मुहतिई़न के मा'नी बराबर नज़र डालने वाले हैं और ये भी कहा गया है कि मुहतिई़न के मा'नी जल्दी भागने वाले, उनकी निगाह उनके ख़ुद की त़रफ़ न लौटेगी। और दिलों के छक्के छूट जाएँगे कि अ़क़्ल बिलकुल नहीं रहेगी और अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! लोगों को उस दिन से डराओ जिस दिन उन पर अ़ज़ाब आ उतरेगा, जो लोग ज़ुल्म कर चुके हैं वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब! (अ़ज़ाब को) कुछ दिनों के लिये हमसे और मुअख़्ख़र (विलम्ब) कर दे, तो अबकी बार हम तेरा हुक्म सुन लेंगे और तेरे अंबिया की ताबेदारी करेंगे। जवाब मिलेगा क्या तुमने पहले ये क़सम न ली थी कि तुम पर कभी अदबार नहीं आएगा? और तुम उन क़ौमों की बस्तियों में रह चुके हो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया था। और तुम पर ये भी ज़ाहिर हो चुका था कि मैंने उनके साथ क्या मामला किया। हमने तुम्हारे लिये मिषालें भी बयान कर दी हैं। उन्होंने बुरे मकर इख़्तियार किये और अल्लाह के यहाँ उनके ये बदतरीन मकर लिख लिये गए। अगरचे उनके मकर ऐसे थे कि उनसे पहाड़ भी हिल जाते (मगर वो सब बेकार षाबित हुए) पस अल्लाह के बारे में हर्गिज़ ये ख़्याल न करना कि वो अपने अंबिया से किये हुए वादों के ख़िलाफ़ करेगा, बिला शुब्हा अल्लाह ग़ालिब और बदला लेने वाला है। (सूरह इब्राहीम : 46)

तशरीह : ज़ालिमों के बारे में इन आयात में जो कुछ कहा गया है वो वज़ाहत का मुह़ताज नहीं है। इंसानी तारीख़ में कितने ही ज़ालिम बादशाहों अमीरों, ह़ाकिमों के नाम आते हैं जिन्होंने अपने अपने वक़्तों में अल्लाह की मख़्लूक़ पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े थे। अपनी ख़्वाहिशाते नफ़्सानी के लिये उन्होंने ज़ेरेदस्तों (मातहतों) को बुरी त़रह़ सताया। आख़िर में अल्लाह ने उनको ऐसा पकड़ा कि वो अपने जाह व ह़िशम के साथ दुनिया से ह़र्फ़े ग़लत़ की त़रह़ मिट गए और उनकी कहानियाँ

बाक़ी रह गईं। दुनिया में अल्लाह से बग़ावत करने के बाद सबसे बड़ा गुनाह ज़ुल्म करना है ये वो गुनाह है। जिसके लिये अल्लाह के यहाँ कभी भी मुआफ़ी नहीं, जब तक ख़ुद मज़्लूम ही न मुआफ़ कर दे।

ज़ुल्मों की चक्की आज भी बराबर चल रही है। आज मज़ालिम ढहाने वाले अकषरियत (बहुसंख्यक होने) के घमण्ड में अक़लिय्यतों (अल्पसंख्यकों) पर ज़ुल्म ढा रही हैं। नस्ली ग़ुरूर, मज़हबी तअस्सुब, भौगोलिक नफ़रत, इन बीमारियों ने आज के कितने ही फ़िर्औनों और नमरूदों को ज़ुल्म पर कमरबस्ता रखा है। इलाही क़ानून उनको भी पुकार कर कह रहा है कि ज़ालिमों! वक़्त आ रहा है कि तुमसे ज़ुल्मों का बदला लिया जाएगा, तुम दुनिया से हर्फ़े ग़लत की तरह मिटा दिये जाओगे, आने वाली नस्लें तुम्हारे ज़ुल्म की तफ़्सीलात सुन सुनकर तुम्हारे नामों पर थू थू करके तुम्हारे ऊपर लअनत भेजेगी। आयते शरीफ़ा **फ़ला तहसबन्नल्लाह मुख़्लिफ़ा वअदिही रुसुलहू इन्नल्लाह अज़ीज़ुन् ज़ुन्तिक़ाम** (इब्राहीम : 47) का यही मतलब है।

बाब 1 : ज़ुल्मों का बदला किस–किस तौर पर लिया जाएगा?

باب القصاص المظالم

इस तरह कि मज़्लूम को ज़ालिम की नेकियाँ मिल जाएँगी, अगर ज़ालिम के पास नेकियाँ न होंगी तो मज़्लूम की बुराइयाँ उस पर डाल दी जाएगी या मज़्लूम को हुक्म दिया जाएगा कि ज़ालिम को उतनी ही सज़ा दे ले जो उसने मज़्लूम को दुनिया में दी थी और जिस बन्दे को अल्लाह बचाना चाहेगा उसके मज़्लूम को उससे राज़ी कर देगा।

2440. हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको मुआज़ बिन हिशाम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अबुल मुतवक्किल नाजी ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मोमिनों को दोज़ख़ से नजात मिल जाएगी तो उन्हें एक पुल सिरात पर जो जन्नत और जहन्नम के बीच होगा, रोक लिया जाएगा और वहीं उनके ज़ुल्मों का बदला दे दिया जाएगा, जो वो दुनिया में आपस में करते थे। फिर जब पाक–साफ़ हो जाएँगे तो उन्हें जन्नत में दाख़िले की इजाज़त दे दी जाएगी। उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है, उनमें से हर शख़्स अपने जन्नत के घर को अपने दुनिया के घर से भी ज़्यादा बेहतर तौर पर पहचानेगा। यूनुस बिन मुहम्मद ने बयान किया, कि हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अबुल मुतवक्किल ने बयान किया।

(दीगर मक़ाम : 6535)

٢٤٤٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِيَدِهِ، لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا)). وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ. [طرفه في : ٦٥٣٥].

इस सनद के बयान करने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि क़तादा का सिमाअ अबुल मुतवक्किल से मा'लूम हो जाए या अल्लाह! अपने रसूले पाक (ﷺ) के उन पाकीज़ा इशादात की क़द्र करने वालों को फ़िरदौस बरीं अता फ़र्माईयो, आमीन।

बाब 2 : अल्लाह तआला का सूरह हूद में ये फ़र्माना कि, सुन लो! ज़ालिमों पर अल्लाह की फटकार है

٢- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ﴾

2441. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, कहा कि मुझे क़तादा ने ख़बर दी, उनसे स़फ़्वान बिन मुहरिज़ माज़नी ने बयान किया कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के हाथ में हाथ दिये जा रहा था कि एक शख़्स़ सामने आया और पूछा रसूले करीम (ﷺ) से आपने (क़यामत में अल्लाह और बन्दे के बीच होने वाली) सरगोशी के बारे में क्या सुना है? अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। आप फ़र्माते थे कि अल्लाह तआ़ला मोमिन को अपने नज़दीक बुला लेगा और उस पर अपना पर्दा डाल देगा और उसे छुपा लेगा। अल्लाह तआ़ला उससे फ़र्माएगा क्या तुझको फ़लाँ गुनाह याद है? क्या फ़लाँ गुनाह तुझको याद है? वो मोमिन कहेगा कि हाँ, ऐ मेरे रब। आख़िर जब वो अपने गुनाहों का इक़रार कर लेगा और उसे यक़ीन हो जाएगा कि अब वो हलाक हुआ तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा कि मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला और आज भी मैं तेरी मग़्फ़िरत करता हूँ। चुनाँचे उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी। लेकिन काफ़िर और मुनाफ़िक़ के बारे में उन पर गवाह (मलाइका, अंबिया और तमाम जिन्न व इंसान सब) कहेंगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था। ख़बरदार हो जाओ! ज़ालिमों पर अल्लाह की फटकार होगी।

(दीगर मक़ाम : 4685, 6070, 7514)

٢٤٤١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ)).

[أطرافه في: ٤٦٨٥، ٦٠٧٠، ٧٥١٤].

इस ह़दीष़ को किताबुल ग़स़ब में इमाम बुख़ारी (रह.) इसलिये लाए कि आयत में जो ये वारिद है कि ज़ालिमों पर अल्लाह की फटकार है तो ज़ालिमों से काफ़िर मुराद हैं। और मुसलमान अगर ज़ुल्म करे तो वो इस आयत में दाख़िल नहीं है। उससे ज़ुल्म का बदला तो ज़रूर लिया जाएगा, पर वो मल्ऊ़न (लानती) नहीं हो सकता।

बाब 3 : कोई मुस्लिम किसी मुस्लिम पर ज़ुल्म न करे और न किसी ज़ालिम को उस पर ज़ुल्म करने दे

٣- بَابُ لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُسْلِمُهُ

2442. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम ने ख़बर दी और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, पस उस पर ज़ुल्म न करे और न ज़ुल्म होने दे। जो शख़्स़ अपने भाई की ज़रूरत पूरी करे, अल्लाह तआ़ला

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ

يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[طرفه في: ٦٩٥١].

उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो शख़्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह तआला उसकी क़यामत की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत दूर करेगा। और जो शख़्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए अल्लाह तआला क़यामत में उसके ऐब को छुपाएगा।

(दीगर मक़ाम : 6951)

٤- بَابُ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

बाब 4 : हर हाल में मुसलमान भाई की मदद करना वो ज़ालिम हो या मज़लूम

इसकी तफ़्सीर ख़ुद आगे की हदीष़ में आ रही है। अगर मुसलमान भाई किसी पर ज़ुल्म कर रहा है तो उसकी मदद यूँ करे, कि उसको समझाकर बाज़ रखे क्योंकि ज़ुल्म का अंजाम बुरा है ऐसा न हो वो मुसलमान ज़ुल्म की वजह से किसी बड़ी आफ़त में पड़ जाए।

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلِ أَنَّهُ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)).

2443. हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हुशैम ने बयान किया, उन्हें उ़बैदुल्लाह बिन अबीबक्र बिन अनस और हुमैद तवील ने ख़बर दी, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने भाई की मदद करो वो ज़ालिम हो या मज़्लूम।

٢٤٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوقَ يَدَيْهِ)). [راجع: ٢٤٤٣]

2444. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअ़तमिर ने बयान किया, उनसे हुमैद ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने भाई की मदद करो ख़्वाह वो ज़ालिम हो या मज़्लूम। स़हाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम मज़्लूम की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे करें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ज़ुल्म से उसका हाथ पकड़ लो। (यही उसकी मदद है) (राजेअ : 2443)

٥- بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ

बाब 5 : मज़्लूम की मदद करना वाजिब है

चाहे वो काफ़िर ज़िम्मी हो। एक हदीष़ में है जिसको तहावी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से निकाला है कि अल्लाह ने एक बन्दे के लिये हुक्म दिया, उसको क़ब्र में सौ कोड़े लगाए जाएँ। वो दुआ और आजिज़ी करने लगा, आख़िर एक कोड़ा रह गया, लेकिन एक ही कोड़े से उसकी सारी क़ब्र आग से भरपूर हो गई। जब वो हालत जाती रही तो उसने पूछा, मुझको ये सज़ा क्यों दी गई? फ़रिश्तों ने कहा तूने एक नमाज़ बिना तहारत पढ़ ली थी और एक मज़्लूम को देखकर उसकी मदद नहीं की थी। (वहीदी)

मा'लूम हुआ कि मज़्लूम की हर मुम्किन इमदाद करना हर भाई का एक अहम इंसानी फ़रीज़ा है। जैसा कि इस रिवायत से ज़ाहिर होता है, **अन सहलिब्नि हनीफ़िन अनिन्नबिय्यि (ﷺ) क़ाल मन उज़िल्ल इन्दहू मूमिनुन फ़लम यन्सुर्हू व हुव यक़्दिरु अला अंय्यन्सुरहु अज़ल्लहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला रूऊसिल्ख़लाइक़ि यौमल क़ियामति** (रवाहु अहमद) या'नी आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस शख़्स के सामने किसी मोमिन को ज़लील किया जा रहा हो और वो बावजूद क़ुदरत के उसकी मदद न करे तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे सारी मख़्लूक़ के सामने ज़लील करेगा।

इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व ज़हब जुम्हूरुस्सहाबति वत्ताबिईन इला वुजूबि नस्रिल हक़्क़ि व क़ितालिल्बाग़ीन** (नैलुल औतार) या'नी सहाबा व ताबेअीन और आम उलम-ए-इस्लाम का यही फ़त्वा है कि हक़ की मदद के लिये खड़े होना और बाग़ियों से लड़ना वाजिब है।

2445. हमसे सईद बिन रबीअ ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अश्अष़ बिन सुलैम ने बयान किया, कि मैंने मुआविया बिन सुवैद से सुना, उन्होंने बरा बिन आज़िब (रज़ि.) से सुना, आपने बयान किया था कि हमें नबी करीम (ﷺ) ने सात चीज़ों का हुक्म फ़र्माया था और सात चीज़ों से मना किया था (जिन चीज़ों का हुक्म फ़र्माया था उनमें) उन्होंने मरीज़ की अयादत, जनाज़े के पीछे चलने, छींकने वाले का जवाब देने, सलाम का जवाब देने, मज़्लूम की मदद करने, दा'वत करने वाले (की दा'वत) क़ुबूल करने, और क़सम पूरी करने का ज़िक्र किया।

٢٤٤٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ)). [راجع: ١٢٣٩]

सात मज़्कूरा कामों की अहमियत पर रोशनी डालना सूरज को चिराग़ दिखलाने के समान है। इसमें मज़्लूम की मदद करने का भी ज़िक्र है। उसी मुनासबत से इस हदीष़ को यहाँ दर्ज किया गया।

2446. हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे बरीद ने, उनसे अबू बुर्दा ने और उनसे अबू मूसा (रज़ि.) ने, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ एक इमारत के हुक्म में है कि एक को दूसरे से क़ुव्वत पहुँचती है और आपने अपनी एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों के अंदर किया। (राजेअ : 481)

٢٤٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [راجع: ٤٨١]

काश! हर मुसलमान इस हदीष़े नबवी को याद रखता और हर मोमिन भाई के साथ भाईयों जैसी मुहब्बत रखता तो मुसलमानों को ये दिन न देखने पड़ते जो आजकल देख रहे हैं। अल्लाह अब भी अहले इस्लाम को समझ दे कि वो अपने प्यारे रसूल (ﷺ) की हिदायत पर अमल करके अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर लें।

बाब 6 : ज़ालिम से बदला लेना क्योंकि अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि,

٦- بَابُ الاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ :

﴿لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ، وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا.

अल्लाह तआला बुरी बात के ऐलान को पसन्द नहीं करता। सिवा उसके जिस पर ज़ुल्म किया गया हो, और अल्लाह तआला सुनने वाला और जानने वाला है। (और अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि) और वो लोग कि जब उन पर ज़ुल्म होता है तो वो उसका बदला ले लेते हैं। इब्राहीम ने कहा कि सलफ़ ज़लील होना पसन्द नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें (ज़ालिम पर) क़ाबू हासिल हो जाता तो उसे मुआफ़ कर दिया करते थे।

या'नी ज़ालिम के मुक़ाबले पर बढ़ियों की तरह आजिज़ ज़लील नहीं हो जाते बल्कि उतना ही इंसाफ़ से बदला लेते हैं जितना उन पर ज़ुल्म हुआ वरना ख़ुद ज़ालिम बन जाएँगे। इस आयत से षाबित हुआ कि ज़ालिम से ज़ुल्म के बराबर बदला लेना दुरुस्त है। लेकिन मुआफ़ कर देना अफ़ज़ल है जैसा कि सलफ़ का तौर तरीक़ा मज़्कूर हुआ है और आगे हदीष में आता है।

٧- بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩]. ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾. [الشورى: ٤٠-٤٤].

बाब 7 : ज़ालिम को मुआफ़ कर देना

और अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि अगर तुम खुल्लम खुल्ला तौर पर कोई नेकी करो या पोशिदा तौर पर या किसी के बुरे मामले पर मुआफ़ी से काम लो, तो अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला और बहुत बड़ी क़ुदरत वाला है। (सूरह शूरा में फ़र्माया) और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई से भी हो सकता है। लेकिन जो मुआफ़ कर दे और दुरुस्तगी मामला को बाक़ी रखे तो उसका अज्र अल्लाह तआला ही पर है। बेशक अल्लाह तआला ज़ुल्म करने वालों को पसन्द नहीं करता। और जिसने अपने पर ज़ुल्म किये जाने के बाद उसका (जाइज़) बदला लिया तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो उन पर है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन पर नाहक़ फ़साद करते हैं, यही हैं वो लोग जिनको दर्दनाक अज़ाब होगा। लेकिन जिस शख़्स ने (ज़ुल्म पर) सब्र किया और (ज़ालिम को) मुआफ़ किया तो ये निहायत ही बहादुरी का काम है। और ऐ पैग़म्बर! तुम ज़ालिमों को देखोगे कि जब वो अज़ाब देख लेंगे तो कहेंगे कि अब कोई दुनिया में फिर जाने की भी सूरत है? (सूरह शूरा : 40-44)

٨- بَابٌ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

बाब 8 : ज़ुल्म, क़यामत के दिन अंधेरे होंगे

या'नी ज़ालिम को क़यामत के दिन नूर न दिया जाएगा। अंधेरे पर अंधेरा, उन अंधेरों में वो धक्के खाता मुसीबत उठाता फिरेगा।

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ

2447. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ माजिशून ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन

दीनार ने ख़बर दी, और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ुल्म क़यामत के दिन अंधेरे होंगे।

بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

बाब 9 : मज़्लूम की बद्दुआ़ से बचना और डरते रहना

٩- بَابُ الاتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

2448. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे वकीअ़ ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया बिन इस्हाक़ मक्की ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अ़ब्दुल्लाह स़ैफ़ी ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के ग़ुलाम अबू मअ़बद ने, और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मुआ़ज़ (रज़ि.) को जब (आ़मिल बनाकर) यमन भेजा था, तो आपने उन्हें हिदायत फ़र्माई कि मज़्लूम की बद्दुआ़ से डरते रहना कि उसके और अल्लाह तआ़ला के दरम्यान कोई पर्दा नहीं होता।

(राजेअ़ : 1395)

٢٤٤٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)).

[راجع: ١٣٩٥]

तश्रीह : या'नी वो फ़ौरन परवरदिगार तक पहुँच जाती है और ज़ालिम की ख़राबी होती है। इसका ये मत़लब नहीं कि ज़ालिम को उसी वक़्त सज़ा होती है बल्कि अल्लाह पाक जिस त़रह़ चाहता है वैसे हुक्म देता है। कभी फ़ौरन सज़ा देता है कभी एक मीआ़द के बाद ताकि ज़ालिम और ज़ुल्म करे और ख़ूब फूल जाए उस वक़्त दफ़अ़तन् वो पकड़ लिया जाता है। ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने जो फ़िरऔ़न के ज़ुल्म से तंग आकर बद्दुआ़ की, चालीस साल के बाद उसका अष़र ज़ाहिर हुआ। बहरह़ाल ज़ालिम को ये ख़्याल न करना चाहिये कि हमने ज़ुल्म किया और कुछ सज़ा न मिली, अल्लाह के यहाँ इंस़ाफ़ के लिये देर तो मुम्किन है मगर अंधेर नहीं है।

बाब 10 : अगर किसी शख़्स़ ने दूसरे पर कोई ज़ुल्म किया हो और उससे मुआ़फ़ कराए तो क्या उस ज़ुल्म को भी बयान करना ज़रूरी है

١٠- بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَةً؟

कि मैंने फ़लाँ क़ुसूर किया है। कुछ ने कहा कि क़ुसूर का बयान करना ज़रूरी है और कुछ ने कहा ज़रूरी नहीं मुज्मलन उससे मुआ़फ़ करा लेना काफ़ी है और यही स़ह़ीह़ है क्योंकि ह़दीष़ मुत्लक़ है।

2449. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद मक़बरी ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स़ का ज़ुल्म किसी दूसरे की इ़ज़्ज़त पर हो या किसी त़रीक़ा (से ज़ुल्म किया हो) तो उसे आज ही, उस दिन के आने से पहले मुआ़फ़ करा

٢٤٤٩- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ

فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَومَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيَّ لأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ. قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: وَسَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيْدٍ كَيْسَانُ. [طرفه في : ٦٥٣٤].

ले जिस दिन न दीनार होंगे न दिरहम, बल्कि अगर उसका कोई नेक अ़मल होगा तो उसके ज़ुल्म के बदले में वही ले लिया जाएगा। और अगर कोई नेक अ़मल उसके पास नहीं होगा तो उसके साथी (मज़्लूम) की बुराइयाँ उस पर डाल दी जाएँगी। अबू अ़ब्दुल्लाह (ह़ज़रत इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि इस्माईल बिन अबी उवैस ने कहा सईद मक़बरी का नाम मक़बरी इसलिये हुआ कि क़ब्रस्तान के क़रीब उन्होंने क़याम किया था। अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह) ने कहा कि सईद मक़बरी ही बनी लैष़ के गुलाम हैं । पूरा नाम सईद बिन अबी सईद है। और (उनके वालिद) अबू सईद का नाम कैसान है।

(दीगर मक़ाम : 6534)

मज़्लमा हर उस ज़ुल्म को कहते हैं जिसे मज़्लूम स़ब्र के साथ बर्दाश्त कर ले। कोई जानी ज़ुल्म हो या माली सब पर लफ़्ज़ मज़्लमा का इत्लाक़ होता है। कोई शख़्स़ किसी से उसका माल ज़बरदस्ती छीन ले तो ये भी मज़्लमा है। रसूले करीम (ﷺ) ने हिदायत फ़र्माई कि ज़ालिमों को अपने मज़ालिम का फ़िक्र दुनिया ही में कर लेना चाहिये कि वो मज़्लूम से मुआफ़ करा लें, उनका ह़क़ अदा कर दें वरना मौत के बाद उनसे पूरा—पूरा बदला दिलाया जाएगा।

١١- بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيْهِ

बाब 11 : जब किसी ज़ुल्म को मुआफ़ कर दिया तो वापसी का मुत़ालबा भी बाक़ी नहीं रहा

٢٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ : الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ)).

[أطرافه في : ٢٦٩٤، ٤٦٠١، ٥٢٠٦].

2450. हमसे मुह़म्मद ने बयान किया, कहा हमको अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा कि हमको हिशाम बिन उ़र्वा ने ख़बर दी, उन्हें उनके बाप ने, और उनसे आइशा (रज़ि.) ने (क़ुर्आन मजीद की आयत) अगर कोई औ़रत अपने शौहर की त़रफ़ से नफ़रत या उसके मुँह फेरने का डर रखती हो; के बारे में फ़र्माया, कि किसी शख़्स़ की बीवी है, लेकिन शौहर उसके पास ज़्यादा आता—जाता नहीं बल्कि उसे जुदा करना चाहता है। इस पर उसकी बीवी कहती है कि मैं अपना ह़क़ तुमसे मुआफ़ करती हूँ। इसी बारे में ये आयत नाज़िल हुई।

(दीगर मक़ाम : 2694, 4601, 5206)

या'नी अगर शौहर मेरे पास नहीं आता तो न आए, लेकिन मुझको त़लाक़ न दे, अपनी ज़ौजियत में रहने दे तो ये दुरुस्त है। शौहर पर से उसकी सुह़बत के हुक़ूक़ साक़ित़ हो जाते हैं। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा ये आयत इस बाब में है कि औ़रत अपने मर्द से जुदा होना बुरा समझे और शौहर बीवी दोनों ये ठहरा लें कि तीसरे या चौथे दिन मर्द अपनी औ़रत के पास आया करे तो ये दुरुस्त है। ह़ज़रत सौदा (रज़ि.) ने भी अपनी बारी आँह़ज़रत (ﷺ) को मुआफ़ कर दी थी, आप उनकी बारी में ह़ज़रत आइशा

(रज़ि.) के पास रहा करते थे। (वहीदी)

बाब 12 : अगर कोई शख़्स दूसरे को इजाज़त दे या उसको मुआफ़ कर दे मगर ये बयान न करे कि कितने की इजाज़त और मुआफ़ी दी है

١٢- بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

2451. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबू हाज़िम बिन दीनार ने और उन्हें सहल बिन सअ़द साएदी (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में दूध या पानी पीने को पेश किया गया। आप (ﷺ) ने उसे पिया। आप (ﷺ) के दाएँ तरफ़ एक लड़का था और बाएँ तरफ़ बड़ी उ़म्र वाले थे। लड़के से आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगे कि उन लोगों को ये (प्याला) दे दूँ? लड़के ने कहा, नहीं अल्लाह की क़सम! या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपकी तरफ़ से मिलने वाले हिस़्से का ईषार मैं किसी पर नहीं कर सकता। रावी ने बयान किया कि आख़िर रसूले करीम (ﷺ) ने वो प्याला उस लड़के को दे दिया। (राजेअ़ : 2351)

٢٤٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ - وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ - فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟)) فَقَالَ الْغُلاَمُ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ)).

[راجع: ٢٣٥١]

क्योंकि उसका ह़क़ मुक़द्दम (श्रेष्ठ) था वो दाहिनी त़रफ़ बैठा था। इस ह़दीष़ की बाब से मुनासबत के लिये कुछ ने कहा कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का मत़लब यूँ निकाला कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने पहले वो प्याला बूढ़े लोगों को देने की इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से इजाज़त त़लब की, अगर वो इजाज़त दे देते तो ये इजाज़त ऐसी ही होती जिसकी मिक़्दार बयान नहीं होती। या'नी ये बयान नहीं किया गया कि कितने दूध की इजाज़त है। पस बाब का मत़लब निकल आया। (वहीदी)

बाब 13 : उस शख़्स का गुनाह जिसने किसी की ज़मीन ज़ुल्म से छीन ली

١٣- بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

2452. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे त़लहा बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्हें अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़म्र बिन सहल ने ख़बर दी, और उनसे सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने किसी की ज़मीन ज़ुल्म से ले ली, उसे क़यामत के दिन सात ज़मीनों का त़ौक़ पहनाया जाएगा।

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ

(दीगर मक़ाम : 3198)

مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)). [طرفه في : ٣١٩٨].

तश्रीह : ज़मीन के सात तबक़ (परतें) हैं। जिसने बालिश्त भर ज़मीन भी छीनी होगी तो सातों तबक़ों तक गोया उसको छीना। इसलिये क़यामत के दिन उन सबका तौक़ उसके गले में होगा। दूसरी रिवायत में है कि वो सब मिट्टी उठाकर लाने का उसको हुक्म दिया जाएगा। कुछ ने कहा कि तौक़ पहनाने का मतलब ये है कि वो सातों तबक़े तक उसमें धंसा दिया जाएगा। हदीष से कुछ ने ये भी निकाला कि ज़मीनें सात हैं जैसे आसमान सात हैं। (वहीदी)

2453. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उनसे हुसैन ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने कि मुझसे मुहम्मद बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे सलमा ने बयान किया कि उनके और कुछ दूसरे लोगों के दरम्यान (ज़मीन का) झगड़ा था। इसका ज़िक्र उन्होंने आइशा (रज़ि.) से किया, तो उन्होंने बतलाया, अबू सलमा! ज़मीन से परहेज़ कर कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स ने एक बालिश्त भर ज़मीन भी किसी दूसरे की ज़ुल्म से ले ली तो सात ज़मीनों का तौक़ (क़यामत के दिन) उसकी गर्दन में डाला जाएगा।

(दीगर मक़ाम : 3195)

٢٤٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)). [طرفه في : ٣١٩٥].

चूँकि ज़मीनों के सात तबक़ होते हैं। इसलिये वो ज़ुल्म से हासिल की हुई ज़मीन सात तबक़ों तक तौक़ बनाकर उसके गले में डाली जाएगी। ज़मीन के सात तबक़ किताब व सुन्नत से ष़ाबित हैं। उनका इंकार करने वाला क़ुर्आन व हदीष़ का इंकारी है। तफ़्सीलात का इल्म अल्लाह को है। **वमा यअ़लमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा** (अल्मुद्दष़्षिर : 31) इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व फ़ीहि अन्नल अर्ज़ीनस्सब्अ अत्बाक़ुन कस्समावाति व हुव ज़ाहिरु क़ौलिही तआला व मिनल्अर्ज़ि मिष़्लुहुन्न ख़िलाफ़न लिमन क़ाल अन्नल्मुराद बिक़ौलिही सब्अ अर्ज़ीन सब्अत अक़ालीम** (नैल) या'नी इससे ष़ाबित हुआ कि आसमानों की तरह ज़मीनों के भी सात तबक़ होते हैं। जैसा कि आयते क़ुर्आनी में, वमिनल् अरज़ि मिष़्लुहुन्न में मज़्कूर है या'नी ज़मीनें भी उन आसमानों ही के तरह हैं। इसमें उनकी भी तर्दीद है जो सात ज़मीनों से हफ़्त अक़्लीम मुराद लेते हैं जो सहीह नहीं है।

2454. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया सालिम से और उनसे उनके वालिद (अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने नाहक़ किसी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा भी ले लिया, तो क़यामत के दिन उसे सात ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। अबू अ़ब्दुल्लाह (हज़रत इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि ये हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक की उस किताब में नहीं है जो ख़ुरासान में थी बल्कि उसमें थी जिसे उन्होंने बसरा में अपने

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَمْلاَهُ عَلَيْهِمْ

शागिर्दों का लिखवाई थी। (दीगर मक़ाम : 3196)

بِالْبَصْرَةِ. [طرفه في : ٣١٩٦].

बाब 14 : जब कोई शख़्स किसी दूसरे को किसी चीज़ की इजाज़त दे दे तो वो उसे इस्ते'माल कर सकता है

١٤- بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ

2455. हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे जबला ने बयान किया कि हम कुछ अहले इराक़ के साथ मदीना में मुक़ीम थे। वहाँ हमें क़हत में मुब्तला होना पड़ा। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) खाने के लिये हमारे पास खजूर भिजवाया करते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब हमारी तरफ़ से गुज़रते तो फ़र्माते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (दूसरे लोगों के साथ मिलकर खाते वक़्त) दो खजूरों को एक साथ मिलाकर खाने से मना फ़र्माया है। मगर ये कि तुममें से कोई शख़्स अपने दूसरे भाई से इजाज़त ले ले।

(दीगर मक़ाम : 2489, 2490, 5446)

٢٤٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)).

[أطرافه في : ٢٤٨٩، ٢٤٩٠، ٥٤٤٦].

तश्रीह : ज़ाहिर ये कि नज़दीक ये नही तहरीमी है। दूसरे उलमा के नज़दीक तन्ज़ीही है और मुमानअत की वजह ज़ाहिर है कि दूसरे का हक़ तलफ़ करना है और उससे हिरस और तमअ (लालच और इच्छाएं) मा'लूम होती है। नववी ने कहा अगर खजूर मुश्तरक (संयुक्त) हो तो दूसरे शरीकों से बिन इजाज़त ऐसा करना हराम है वरना मकरूह है। हाफ़िज़ ने कहा इस हदीष़ से उस शख़्स का मज़हब क़वी होता है जिसने मज्हूल का हिबा जाइज़ रखा है।

2456. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे अअमश ने, उनसे अबू वाईल ने और उनसे अबू मसऊद (रज़ि.) ने कि अंसार में एक सहाबी जिन्हें अबू शुऐब (रज़ि.) कहा जाता था, का एक क़स्साई गुलाम था। अबू शुऐब (रज़ि.) ने उनसे कहा कि मेरे लिये पाँच आदमियों का खाना तैयार कर दे। क्योंकि मैं नबी करीम (ﷺ) के चार दीगर अस्हाब के साथ दा'वत दूँगा। उन्होंने आप (ﷺ) के चेहरा मुबारक पर भूख के आष़ार देखे थे। चुनाँचे आप (ﷺ) को उन्होंने बुलाया एक और शख़्स आपके साथ बिन बुलाए चला गया। नबी करीम (ﷺ) ने साहिबे ख़ाना से फ़र्माया कि ये आदमी भी हमारे साथ आ गया है। क्या इसके लिये तुम्हारी इजाज़त है? उन्होंने कहा जी हाँ इजाज़त है। (राजेअ : 2081)

٢٤٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ - وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الْجُوعَ! فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ؟)) قَالَ : نَعَمْ)). [راجع: ٢٠٨١]

ये हदीष़ ऊपर गुज़र चुकी है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब का मतलब इस हदीष़ से ष़ाबित किया है कि बिन बुलाए दा'वत में जाना और खाना खाना दुरुस्त नहीं है। मगर जब साहिबे ख़ाना इजाज़त दे तो दुरुस्त हो गया। इस हदीष़ से हुज़ूर नबी करीम

(ﷺ) की राफ्त और रहमत पर भी रोशनी पड़ती है कि आप (ﷺ) को किसी का भूखा रहना गवारा न था। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग इंसान की यही शान होनी चाहिये।

बाब 15 : अल्लाह तआला का सूरह बक़र: में ये फ़र्माना, और वो बड़ा सख़्त झगड़ालू है

١٥- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]

2457. हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे इब्ने अबी मुलैका ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसन्द वो आदमी है जो सख़्त झगड़ालू हो। (दीगर मक़ाम : 4523, 7188)

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ)).
[طرفاه في: ٤٥٢٣، ٧١٨٨].

कुछ बदबख़्तों की फ़ितरत होती है कि वो ज़रा–ज़रा सी बातों में झगड़ा फ़साद करते रहते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बुरे हैं। पूरी आयत का तर्जुमा यूँ है, लोगों में कोई ऐसा है जिसकी बात दुनिया की ज़िन्दगी में तुझको भली लगती है और अपने दिल की हालत पर अल्लाह को गवाह करता है हालाँकि वो सख़्त झगड़ालू है। कहते हैं ये आयत अख़्नस बिन शुरैक़ के हक़ में उतरी। वो आँहज़रत (ﷺ) के पास आया और इस्लाम का दा'वा करके मीठी बातें करने लगा। जबकि दिल में निफ़ाक़ रखता था (वहीदी)

बाब 16 : उस शख़्स का गुनाह, जो जान–बूझकर झूठ के लिये झगड़ा करे

١٦- باب إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

2458. हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कैसान ने और उनसे इब्ने शिहाब ने कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हुज्रे के दरवाज़े के सामने झगड़े की आवाज़ें सुनी और झगड़ा करने वालों के पास तशरीफ़ लाए। आपने उनसे फ़र्माया कि मैं भी एक इंसान हूँ। इसलिये जब मेरे यहाँ कोई झगड़ा लेकर आता है तो हो सकता है कि (फ़रीक़ैन में से) एक फ़रीक़ की बहष़ दूसरे फ़रीक़ से ज़्यादा बेहतर हो, मैं समझता हूँ कि वो सच्चा है। और इस तरह में उसके हक़ में फ़ैसला कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको (उसके ज़ाहिरी बयान पर भरोसा करके) किसी मुसलमान का हक़ दिला दूँ तो दोज़ख़ का एक टुकड़ा उसको दिला रहा हूँ, वो ले ले या छोड़ दे।

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا)).

(दीगर मक़ाम : 2680, 6927, 7169, 7181, 7185)

[أطرافه في : ٢٦٨٠، ٦٩٦٧، ٧١٦٩، ٧١٨١، ٧١٨٥].

तश्रीह : या'नी जब तक अल्लाह की तरफ़ से मुझ पर वह्य न आए मैं भी तुम्हारी तरह ग़ैब की बातों से नावाक़िफ़ रहता हूँ। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ और आदमियत के लवाज़िम (मानवीय अनिवार्यताओं) से पाक नहीं हूँ। इस ह़दीष़ से उन बेवक़ूफ़ों का रद्द हुआ जो आँहज़रत (ﷺ) के लिये इल्मे ग़ैब ष़ाबित करते हैं या आँहज़रत (ﷺ) को बशर नहीं समझते बल्कि अल् वहिय्यत की सिफ़ात से मुतस्सिफ़ जानते हैं। क़ातलहुमुल्लाहु यूफ़कून (वह़ीदी)

ह़दीष़ का आख़िरी टुकड़ा तहदीद के लिये है। इस ह़दीष़ से स़ाफ़ ये निकलता है कि क़ाज़ी के फ़ैस़ले से वो चीज़ें ह़लाल नहीं होती और क़ाज़ी का फ़ैस़ला ज़ाहिरन् नाफ़िज़ है न बातिनन्। या'नी अगर मुद्दई नाह़क़ पर हुआ और अ़दालत उसको कुछ दिला दे तो अल्लाह और उसके बीच उसके लिये ह़लाल नहीं होगा। जुम्हूर उ़लमा और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है। लेकिन ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने उसके ख़िलाफ़ किया है।

लफ़्ज़ ग़ैब के लग़वी मा'नी का तक़ाज़ा है कि वो बग़ैर किसी के बतलाए ख़ुद-ब-ख़ुद मा'लूम हो जाने का नाम है और ये सिर्फ़ अल्लाह पाक ही की एक सिफ़ात है कि वो माज़ी व ह़ाल व मुस्तक़्बिल (भूतकाल, वर्तमान और भविष्य) की सारी ग़ैबी बातों को जानता है। उसके सिवा मख़्लूक़ में से किसी भी इंसान या फ़रिश्ते के लिये ऐसा अ़क़ीदा रखना सरासर नादानी है, ख़ास़ तौर पर नबियों-रसूलों की शान आ़म इंसानों से बहुत बुलन्द व बाला होती है। वो बराहे-रास्त अल्लाह पाक से शर्फ़े ख़िताब ह़ास़िल करते हैं, वह्य और इल्हाम के ज़रिये से बहुत सी अगली पिछली बातें उन पर वाज़ेह़ हो जाती हैं मगर उनको ग़ैब से ता'बीर करना उन लोगों का काम है जिनको अ़क़्ल और फ़हम का कोई ज़र्रा भी नस़ीब नहीं हुआ है। और जो मह़ज़ अँधी तक़्लीद के परस्तार बनकर इस्लाम फहमी से क़त्अन कोरे हो चुके है। रसूले करीम (ﷺ) की ज़िन्दगी में दोनों पहलू रोज़े रोशन (उजले दिन) की त़रह़ नुमायाँ नज़र आते हैं। कितनी ही दफ़ा ऐसा हुआ कि ज़रूरत के तहत एक पोशिदा अम्र वह्य के ज़रिये आप पर रोशन हो गया और कितनी ही दफ़ा ये भी हुआ कि ज़रूरत थी बल्कि सख़्त ज़रूरत थी मगर वह्य इलाही और इल्हाम न आने के बाइ़ष़ आप (ﷺ) उनके बारे में कुछ न जान सके और बहुत से नुक़्स़ानात से आपको दो-चार होना पड़ा। इसलिये क़ुर्आन मजीद में आपकी ज़ुबाने मुबारक से और स़ाफ़ ऐलान कराया गया। **लौ कुन्तु आ़लमुल्ग़ैब लस्तक्ष़र्तु मिनल्ख़ैरि व मा मस्सनिस्सूउ** अगर मैं ग़ैब जानता तो बहुत सी ख़ैर-ही-ख़ैर जमा कर लेता और मुझको कभी भी कोई बुराई न छू सकती। अगर आपको जंगे उहुद का ये बुरा अंजाम मा'लूम होता तो कभी भी उस घाटी पर ऐसे लोगों को मुक़र्रर न करते जिनके वहाँ से हट जाने की वजह से काफ़िरों को पलटकर वार करने का मौक़ा मिलता।

ख़ुलास़ा ये कि इल्मे ग़ैब अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास़्स़ा (विशिष्ठता) है। जो मौलवी, आ़लिम इस बारे में मुसलमानों को लड़ाते हैं और सर-फुटव्वल कराते रहते हैं वो यक़ीनन उम्मत के ग़द्दार हैं। इस्लाम के नादान दोस्त हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) के सख़्ततरीन गुस्ताख़ हैं। अल्लाह के नज़दीक वो मग़ज़ूब और ज़ॉल्लीन हैं बल्कि यहूद व नस़ारा से भी बदतर हैं। अल्लाह उनके शर से उम्मत के सीधे-सादे मुसलमान को जल्द अज़ जल्द नजात बख़्शे और मामला फ़हमी की सबको तौफ़ीक़ अ़ता फ़र्माए, आमीन।

बाब 17 : उस शख़्स़ का बयान कि जब उसने झगड़ा किया तो बद ज़ुबानी पर उतर आया

١٧- بَابُ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

2459. हमसे बिश्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमको मुहम्मद ने ख़बर दी शुअबा से, उन्हें सुलैमान ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन मुर्रह ने, उन्हें मसरूक़ ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चार ख़स़लतें ऐसी हैं

٢٤٥٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ

ا للهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَكَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)). [راجع: ٣٤]

कि जिस शख़्स में भी वो होंगी, वो मुनाफ़िक़ होगा। या उन चार में से अगर कोई एक ख़सलत भी उसमें में है तो उसमें निफ़ाक़ की एक ख़सलत है यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा न करे, जब मुआहिदा करे तो बेवफ़ाई करे, और जब झगड़े तो बद ज़ुबानी पर उतर आए।

(राजेअ : 34)

झगड़ा बाज़ी करना ही बुरा है। फिर उसमें गाली—गलौच का इस्ते'माल उतना ही बुरा है कि उसे निफ़ाक़ (बेईमानी) की एक अलामत (निशानी) बतलाया गया है। किसी अच्छे मुसलमान का काम नहीं कि वो झगड़े तो बेलगाम बन जाए और जो भी मन में आया बकने से ज़रा न शर्माए।

١٨- بَابُ قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

बाब 18 : मज़्लूम को अगर ज़ालिम का माल मिल जाए तो वो अपने माल के मुवाफ़िक़ उसमें से ले सकता है

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل : ١٢٦].

और मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) ने कहा अपना हक़ बराबर ले सकता है। फिर उन्होंने (सूरह नह्ल की) ये आयत पढ़ी, अगर तुम बदला लो तो उतना ही जितना तुम्हें सताया गया हो। (अन नहल : 126)

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ا للهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ : ((لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ إِنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ)).[راجع: ٢٢١١]

2360. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उनसे उर्वा ने बयान किया और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि उत्बा बिन रबीआ की बेटी हिन्द (रज़ि.) हाज़िरे ख़िदमत हुईं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबू सुफ़यान (रज़ि.) (जो मेरे शौहर हैं वो) बख़ील हैं। तो क्या उसमें कोई हर्ज है अगर मैं उनके माल में से लेकर अपने बाल—बच्चों को खिलाया करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि तुम दस्तूर के मुताबिक़ उनके माल में से लेकर खिलाओ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। (राजेअ : 2211)

हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) ने इसी हदीष़ पर फ़त्वा दिया है कि ज़ालिम का जो माल भी मिल जाए मज़्लूम अपने माल की मिक़्दार में उसे ले सकता है, मुताख़िरीन अह्नाफ़ का भी फ़त्वा यही है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी, पारा नं. 9 पेज नं. 124)

٢٤٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ ا للهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ((قُلْنَا

2461. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे यज़ीद ने बयान किया, उनसे अबुल ख़ैर ने और उनसे उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने कि हमने नबी करीम

لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى فِيْهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ)).[طرفه في : ٦١٣٧].

(ﷺ) से अर्ज़ किया, आप हमें मुख़्तलिफ़ मुल्क वालों के पास भेजते हैं और (कुछ दफ़ा) हमें ऐसे लोगों में उतरना पड़ता है कि वो हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं करते, आपकी ऐसे मौक़ों पर क्या हिदायत है? आप (ﷺ) ने हमसे फ़र्माया कि अगर तुम्हारा क़याम किसी क़बीले में हो और तुम से ऐसा बर्ताव किया जाए जो किसी मेहमान के लिये मुनासिब है तो तुम उसे क़ुबूल कर लो, लेकिन अगर वो न करें तो तुम ख़ुद मेहमानी का हक़ उनसे वसूल कर लो। (दीगर मक़ाम : 6137)

मेहमानी का हक़ मेज़बान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वसूल करने के लिये जो इस हदीष में हिदायत है उसके बारे में मुहद्दिषीन ने मुख़्तलिफ़ तौजीहात बयान की हैं। कुछ हज़रात ने लिखा है कि ये हुक्म मख़्मसा की हालत का है। बादया और गांव के दूर-दराज़ इलाक़ों में अगर कोई मुसाफ़िर ख़ुसूसन अरब के माहौल में पहुँचता तो उसके लिये खाने पीने का ज़रिया अहले बादिया की मेज़बानी के सिवा और कुछ न था। तो मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा मौक़ा हो और क़बीले वाले ज़ियाफ़त से मना कर दें, उधर मुजाहिद मुसाफ़िरों के पास कोई सामान न हो तो वो अपनी जान बचाने के लिये उनसे अपना खाना-पीना उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी वसूल कर सकते हैं। इस तरह की रुख़्सतें इस्लाम में मख़्मसा के औक़ात में हैं। दूसरी तौजीह ये की गई है कि ज़ियाफ़त अहले अरब में एक आम उर्फ़ व आदत की हैषियत रखती थी। इसलिये उस उर्फ़ की रोशनी मे मुजाहिदीन को आपने हिदायत दी थी। एक तौजीह ये भी की गई है कि नबी करीम (ﷺ) ने अरब के बहुत से क़बीलों से मुआहिदा किया था कि अगर मुसलमानों का लश्कर उनके क़बीले से गुज़रे और एक दो दिन के लिये उनके यहाँ क़याम करे तो वो लश्कर की ज़ियाफ़त करें। ये मुआहिदा हुज़ूर अकरम (ﷺ) के उन मकातीब (चिट्ठियों) में मौजूद है जो आपने अरब क़बीलों के सरदारों के नाम भेजे थे और जिनकी तख़रीज ज़ेलई ने भी की है। बहरहाल मुख़्तलिफ़ तौजीहात इसकी की गई है।

हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी (रह.) ने उर्फ़ व आदत वाले जवाब को पसन्द किया है। या'नी अरब के यहाँ ख़ुद ये बात जानी पहचानी थी कि गुज़रने वाले मुसाफ़िरों की ज़ियाफ़त अहले क़बीला को ज़रूर करनी चाहिये। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो अरब के चटियल और बेआब व गियाह (बिना दाना-पानी के) मैदानों में सफ़र अरब जैसी ग़रीब क़ौम के लिये तक़रीबन नामुम्किन हो जाता और उसी के मुताबिक़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का भी हुक्म था। गोया ये एक इंतिज़ामी ज़रूरत भी थी। और जब दो एक मुसाफ़िर उसके बग़ैर दूर-दराज़ के सफ़र नहीं कर सकते थे तो फ़ौजी दस्ते किस तरह उसके बग़ैर सफ़र कर सकते। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

हदीषे बाब से ये मतलब निकलता है कि मेहमानी करना वाजिब है। अगर कुछ लोग मेहमानी न करें तो उनसे जबरन मेहमानी का ख़र्च वसूल किया जाए। इमाम लैष बिन सअद (रह) का यही मज़हब है। इमाम अहमद (रह.) से मन्क़ूल है कि ये वजूब देहात वालों पर है न बस्ती वालों पर और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और शाफ़िई (रह.) और जुम्हूर उलमा का ये क़ौल है कि मेहमानी करना सुन्नते मुअक्कदा है। और बाब की हदीष़ उन लोगों पर महमूल है जो मुज़्तर हों। जिनके पास राहे ख़र्च बिलकुल न हो, ऐसे लोगों की ज़ियाफ़त वाजिब है।

कुछ ने कहा ये हुक्म इब्तिदाए इस्लाम में था जब लोग मुहताज थे और मुसाफ़िरों की ख़ातिरदारी वाजिब थी, बाद उसके मन्सूख़ हो गया क्योंकि दूसरी हदीष में है कि जाइज़ा ज़ियाफ़त का एक दिन रात है, और जाइज़ा तफ़ज़्ज़ुल के तौर पर होता है न वजूब के तौर पर। कुछ ने कहा ये हुक्म ख़ास़ है उन लोगों के वास्ते जिनको हाकिमे इस्लाम भेजे। ऐसे लोगों का खाना और ठिकाना उन लोगों पर वाजिब है जिनकी तरफ़ वो भेजे हैं। और हमारे ज़माने में भी इसका क़ायदा ये है हाकिम की तरफ़ से जो चपरासी भेजे जाते हैं उनकी दस्तक (बेगार) गांव वालों को देनी पड़ती है। (वहीदी)

बाब 19 : चौपालों के बारे में

١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ.

और नबी करीम (ﷺ) अपने स़ह़ाबा के साथ बनू साअ़दा की चौपाल में बैठे थे।

٢٤٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ: ((إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا، فَجِئْنَاهُمْ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ)).

[أطرافه في : ٣٤٤٥، ٣٩٢٨، ٤٠٢١، ٦٨٢٩، ٦٨٣٠، ٧٣٢٣].

2462. हमसे यह़्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया (दूसरी सनद) और मुझको यूनुस ने ख़बर दी कि इब्ने शिहाब ने कहा, मुझको ख़बर दी उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उ़मर (रज़ि.) ने कहा, जब अपने नबी करीम (ﷺ) को अल्लाह तआ़ला ने वफ़ात दे दी तो अंस़ार बनू साअ़दा के सक़ीफ़ा (चौपाल) में जमा हुए। मैंने अबूबक्र (रज़ि.) से कहा कि आप हमें भी वहीं ले चलिये। चुनाँचे हम अंस़ार के यहाँ सक़ीफ़ा बनू साअ़दा में पहुँचे।

(दीगर मक़ाम : 3445, 3928, 4021, 6829, 6830, 7323)

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब ये है कि बस्तियों में अ़वाम व ख़्वास की बैठक के लिये चौपाल का आम रिवाज है। चुनाँचे मदीना मुनव्वरा में भी क़बीला बनी साअ़दा में अंस़ार की चौपाल थी। जहाँ बैठकर अ़वामी उमूर अंजाम दिये जाते थे, ह़ज़रत स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) की इमारत व ख़िलाफ़त की बेअ़त का मसला भी उसी जगह ह़ल हुआ।

सक़ीफ़ा का तर्जुमा मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ ने मँडवा से किया है। जो शादी वग़ैरह तक़रीबात में आ़रज़ी त़ौर पर साये के लिये कपड़ों या फूंस के छप्परों से बनाया जाता है। मुनासिब तर्जुमा चौपाल है जो मुस्तक़िल अ़वामी आरामगाह होती है।

आँह़ज़रत (ﷺ)) की वफ़ात पर उम्मत के सामने सबसे अहमतरीन मसला आप (ﷺ) की जाँनशीनी का था, अंस़ार और मुहाजिरीन दोनों ख़िलाफ़त के उम्मीदवार थे। आख़िर अंस़ार ने कहा कि एक अमीर अंस़ार में से हो एक मुहाजिरीन में से, वो इसी ख़्याल के तह़त सक़ीफ़ा बनू साअ़दा में पंचायत कर रहे थे। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ह़ालात का भांप लिया और इस बुनियादी इफ़्तिराक़ को ख़त्म करने के लिये आप स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) को साथ लेकर वहाँ पहुँच गए। ह़ज़रत स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने ह़दीषे नबवी **अल् अइम्मतु मिन क़ुरैश** पेश की जिस पर अंस़ार ने सर को तस्लीमे ख़म कर दिया। फ़ौरन ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ह़ज़रत स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त का ऐलान कर दिया, और बिला इख़्तिलाफ़ (निर्विरोध) तमाम अंस़ार व मुहाजिरीन ने आपके हाथ पर बेअ़त कर ली। सय्यदना ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने भी बेअ़त कर ली और उम्मत का शीराज़ा मुंतशिर होने से बच गया। ये सारा वाक़िया सक़ीफ़ा बनू साअ़दा में हुआ था।

बाब 20 : कोई शख़्स़ अपने पड़ौसी को अपनी दीवार में लकड़ी गाड़ने से न रोके

٢٠- بَابُ لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ

2 563. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अअ़रज ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स अपने पड़ौसी को अपनी दीवार में खूंटी गाड़ने से न रोके। फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) कहा करते थे, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें उससे मुँह फेरने वाला पाता हूँ। क़सम अल्लाह! मैं तो इस ह़दीष़ का तुम्हारे सामने बराबर ऐलान करता ही रहूँगा।

(दीगर मक़ाम : 5627, 5628)

٢٤٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

[طرفاه في: ٥٦٢٧، ٥٦٢٨].

तश्रीह : या एक कड़ी लगाने से, क्योंकि ह़दीष़ में दोनों त़रह़ बस़ैग़ा जमअ़ और बस़ैग़ा मुफ़रद मन्क़ूल है। इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा कि ये हुक्म इस्तिहबाबन् है वरना किसी को ये ह़क़ नहीं पहुँचता कि पड़ौसी की दीवार पर उसकी इजाज़त के बग़ैर कड़ियाँ रखे। मालकिया और ह़न्फ़िया का भी यही क़ौल है। इमाम अह़मद और इस्ह़ाक़ और अहले ह़दीष़ के नज़दीक ये हुक्म वजूबन है अगर पड़ौसी उसकी दीवार पर कड़ियाँ लगाना चाहे तो दीवार के मालिक को उसका रोकना जाइज़ नहीं। इसलिये कि उसमें कोई नुक़्स़ान नहीं और दीवार मज़्बूत़ होती है। चाहे दीवार में सूराख़ करना पड़े। इमाम बैहक़ी ने कहा, शाफिई (रह.) का पुराना क़ौल यही है और ह़दीष़ के ख़िलाफ़ कोई हुक्म नहीं दे सकता और ये ह़दीष़ स़ह़ीह़ है। (वह़ीदी)

आख़िर ह़दीष़ में ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का एक ख़फ़्गी आमेज़ (नाराज़गी भरा) क़ौल मन्क़ूल है जिसका लफ़्ज़ी तर्जुमा यूँ है कि क़सम अल्लाह की मैं इस ह़दीष़ को तुम्हारे मूँढ़ों के बीच फेंकूँगा। या'नी ज़ोर-ज़ोर से तुमको सुनाऊँगा और ख़ूब तुमको शर्मिन्दा करूँगा। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के इस क़ौल से मा'लूम हुआ कि जो लोग ह़दीष़ के ख़िलाफ़ किसी पीर या इमाम या मुज्तहिद के क़ौल पर जमे हुए हों, उनको छेड़ना और ह़दीष़ नबवी ऐलानिया उनको बार-बार सुनाना दुरुस्त है, शायद अल्लाह उनको हिदायत दे।

बाब 21 : रास्ते में शराब का बहा देना दुरुस्त है

٢١- بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيْقِ

2464. हमसे अबू यह़्या मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया, कहा हमको अ़फ़्फ़ान बिन मुस्लिम ने ख़बर दी, कहा हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा हमसे ष़ाबित ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि मैं अबू त़लह़ा (रज़ि.) के मकान में लोगों को शराब पिला रहा था। उन दिनों खजूर ही की शराब पिया करते थे (फिर ज्यों ही शराब की हुर्मत पर आयते क़ुआनी नाज़िल हुई) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मुनादी से निदा कराई कि शराब ह़राम हो गई है। उन्होंने कहा, (ये सुनते ही) अबू त़लह़ा (रज़ि.) ने कहा कि बाहर ले जाकर इस शराब को बहा दे। चुनाँचे मैंने बाहर निकलकर सारी शराब बहा दी। शराब मदीना की गलियों में बहन

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَبُو يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: ((أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ)). فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا،

فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآيَةَ)).

[أطرافه في : ٤٦١٧، ٤٦٢٠، ٥٥٨٠، ٥٥٨٢، ٥٥٨٣، ٥٥٨٤، ٥٦٠٠، ٥٦٢٢، ٧٢٥٣].

लगी, तो कुछ लोगों ने कहा, यूँ मा'लूम होता है कि बहुत से लोग इस ह़ालत में क़त्ल कर दिये गए हैं कि शराब उनके पेट में मौजूद थी। फिर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, वो लोग जो ईमान लाए और अ़मल स़ालेह़ किये, उन पर उन चीज़ों का कोई गुनाह नहीं है, जो पहले खा चुके हैं। (आख़िर आयत तक)

(दीगर मक़ाम : 4617, 4620, 5580, 5582, 5583, 5584, 5600, 5622, 7253)

बाब का मत़लब ह़दीष़ के लफ़्ज़ **फ़जरत फ़ी सिककिल मदीनति** से निकल रहा है। मा'लूम हुआ कि रास्ते की ज़मीन सब लोगों में मुश्तरक (संयुक्त) है मगर वहाँ शराब वग़ैरह बहा देना दुरुस्त है बशर्ते कि चलने वालों को उससे तकलीफ़ न हो। उ़लमा ने कहा है कि रास्ते में इतना बहुत पानी बहाना कि चलने वालों को तकलीफ़ हो मना है तो नजासत वग़ैरह डालना बत़रीक़े औला मना होगा। अबू त़लह़ा (रज़ि.) ने शराब को रास्ते में बहा देने का हुक्म इसलिये दिया होगा कि आ़म लोगों को शराब की हु़र्मत मा'लूम हो जाए। (वह़ीदी)

٢٢- بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

बाब 22 : घरों के स़ेह़न का बयान और उनमें बैठना और रास्तों में बैठना

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُوبَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ.

और ह़जरत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा कि फिर अबूबक्र (रज़ि.) ने अपने घर के स़ेह़न में एक मस्जिद बनाई, जिसमें वो नमाज़ पढ़ते और क़ुर्आन की तिलावत किया करते थे। मुश्रिकों की औ़रतों और बच्चों की वहाँ भीड़ लग जाती और सब बहुत मुतअ़ज्जिब (आश्चर्य चकित) होते। उन दिनों नबी करीम (ﷺ) का क़याम मक्का में था।

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ)). فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا)). قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ : ((غَضُّ

2465. हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उ़मर ह़फ़्स़ बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अ़त़ा बिन यसार ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रास्तों पर बैठने से बचो। स़ह़ाबा ने अ़र्ज़ किया कि हम तो वहाँ बैठने पर मजबूर हैं। वही हमारे बैठने की जगह होती है कि जहाँ हम बातें करते हैं। इस पर आपने फ़र्माया कि अगर वहाँ बैठने की मजबूरी ही है तो रास्ते का ह़क़ भी अदा करो। स़ह़ाबा ने पूछा और रास्ते का ह़क़ क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, निगाह नीची रखना, किसी को ईज़ा देने से बचना, सलाम का

الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ)).
[طرفه في : ٦٢٢٩].

जवाब देना, अच्छी बातों के लिये लोगों को हुक्म करना, और बुरी बातों से रोकना।

(दीगर मक़ाम : 6229)

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने बह़रे त़वील में आदाबुत त़रीक़ को यूँ नज़्म फ़र्माया है,

जमअ़तु आदाब मन रामल्जुलूस अलत्तरीक़ि मिन क़ौलि ख़ैरिल्ख़ल्क़ि इन्साना
अफ़्शिस्सलाम व अहसिन फिल्कलाम वश्मुत आतिसन व सलामन रूद इहसान
फिल्हम्लि आ़विन व मज़्लूमन अ़इन व अगिष़ लहकफ़ान वहदि सबीलन वहदि हैराना
बिल्उर्फ़ि मुर वन्ह मन अन्कर व कफ़ अज़न व गज़ तर्फ़न व अक्षिर ज़िक्र मौलाना

या'नी अह़ादीष़े नबवी से मैंने उस शख़्स़ के लिये आदाबुत त़रीक़ जमा किया है जो रास्तों में बैठने का इरादा करे। सलाम का जवाब दो, अच्छा कलाम करो, छींकने वाले को अल्ह़म्दुलिल्लाह कहने पर यरहमुकल्लाह से दुआ दो। एह़सान का बदला एह़सान से अदा करो, बोझ वालों को बोझ उठाने में मदद करो, मज़्लूम की इआ़नत करो, परेशानह़ाल की फरियाद सुनो, मुसलमानों, भूले–भटके लोगों की रहनुमाई करो, नेक कामों का हुक्म करो, बुरी बातों से रोक दो और किसी को तकलीफ़ देने से रुक जाओ, और आँखें नीची किये रहो और हमारे रब तबारक व तआ़ला की याद बकष़रत करते रहा करो। जो इन हुक़ूक़ को अदा करे उसके लिये रास्तों में बैठना दुरुस्त है।

٢٣- بَابُ الآبَارِ الَّتِي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

बाब 23 : रास्तों में कुँआ बनाना जबकि उनसे किसी को तकलीफ़ न हो

٢٤٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟ فَقَالَ : ((فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)). [راجع: ١٧٣]

2466. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे अबूबक्र के ग़ुलाम सुमय ने, उनसे अबू स़ालेह़ सिमान ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स़ रास्ते में सफ़र कर रहा था कि उसे प्यास लगी। फिर उसे रास्ते में एक कुँआ मिला और वो उसके अंदर उतर गया और पानी पिया। जब बाहर आया तो उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो हाँफ रहा था और प्यास की सख़्ती से कीचड़ चाट रहा था। उस शख़्स़ ने सोचा कि इस वक़्त ये कुत्ता भी प्यास की उतनी ही शिद्दत में मुब्तला है जिसमें मैं था। चुनाँचे वो फिर कुँए में उतरा और अपने जूते में पानी भरकर उसने कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तआ़ला के यहाँ उसका ये अमल मक़्बूल हुआ और उसकी मग़्फ़िरत कर दी गई। स़हाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या जानवरों के सिलसिले में भी हमें अज्र मिलता है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ, हर जानदार मख़्लूक़ के सिलसिले में अज्र मिलता है। (राजेअ़ : 173)

तश्रीह : मुज्तहिदे मुत्लक़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष से ये मसला निकाला कि रास्ते में कुँआ खोद सकते हैं ताकि आने–जाने वाले उसमें से पानी पियें और आराम उठाएँ बशर्ते कि ज़रर का डर न हो, वरना खोदने वाला ज़ामिन होगा और ये भी ज़ाहिर हुआ कि हर जानदार को ख़्वाह वो इंसान हो या जानवर, काफ़िर हो या मुसलमान, सबको पानी पिलाना बहुत बड़ा कारे षवाब है। यहाँ तक कि कुत्ता भी हक़ रखता है कि वो प्यासा हो तो उसे भी पानी पिलाया जाए।

बाब 24 : रास्ते में से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना

٢٤- بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى

और हम्माम ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से बयान किया कि रास्ते से किसी तकलीफ़देह चीज़ को हटा देना भी सदक़ा है।

وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ)).

आम गुज़रगाहों (रास्तों) की हिफ़ाज़त और उनकी ता'मीर व सफ़ाई इस क़दर ज़रूरी है कि वहाँ से एक तिनके को दूर कर देना भी एक बड़ा कारे षवाब क़रार दिया गया और किसी पत्थर, काँटे, कूड़े को दूर कर देना ईमान की अलामत बतलाया गया। इंसानी मफ़ादे आम्मा (सार्वजनिक हित) के लिये ऐसा होना बेहद ज़रूरी था। ये इस्लाम की अहम ख़ूबी है कि उसने हर मुनासिब जगह पर ख़िदमते ख़ल्क़ (जनता सेवा) को मद्देनज़र रखा है।

बाब 25 : ऊँचे और पस्त बालाखानों में छत वग़ैरह पर रहना जाइज़ है नीज़ झरोखे और रोशनदान बनाना

٢٥- بَابُ الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمَشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

2467. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने उयैना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे उर्वा ने बयान किया, उनसे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मदीना के एक बुलन्द मकान पर चढ़े। फिर फ़र्माया, क्या तुम लोग भी देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ कि (अन्क़रीब) तुम्हारे घरों में फ़ित्ने इस तरह बरस रहे होंगे जैसे बारिश बरसती है। (राजेअ : 1787)

٢٤٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي أَرَى؟ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)). [راجع: ١٨٧٨]

तश्रीह : नबी करीम (ﷺ) मदीना के एक बुलन्द मकान पर चढ़े उसी से बाब का तर्जुमा निकला बशर्ते कि मुहल्ले वालों की बेपरदगी न हो। इस हदीष में ये इर्शाद है कि मदीना मे बड़े-बड़े फ़ित्ने और फ़सादात होने वाले हैं। जो बाद के आने वाले ज़मानों में ख़ुसूसन यज़ीद के दौर में रूनुमा (प्रकट) हुए कि मदीना ख़राब और बर्बाद हो गया। मदीना के बहुत लोग मारे गए। कई दिनों तक हरमे नबवी में नमाज़ बन्द रही। फिर अल्लाह का फ़ज़्ल हुआ कि वो दौर ख़त्म हो गया। ख़ास तौर पर आजकल अहदे सऊदी में मदीना मुनव्वरा अमन व अमान का गहवारा बना हुआ है। हर क़िस्म की सहूलतें मयस्सर हैं। मदीना तिजारत और रोज़गार की मण्डी बनता जा रहा है। अल्लाह पाक इस हुकूमत को क़ायम दायम रखे और मदीना मुनव्वरा को मज़ीद दर मज़ीद तरक़्क़ी और रौनक़ अता करे, आमीन। राक़िमुल हुरूफ़ (लेखक) ने अपनी उम्रे अज़ीज़ के आख़िरी हिस्से मुहर्रम 1390 हिज्री में मदीना शरीफ़ को जिस तरक़्क़ी और रौनक़ में पाया है वो हमेशा याद रखने के क़ाबिल है। अल्लाह पाक अपने हबीब (ﷺ) का ये शहर एक दफ़ा और दिखला दे, आमीन।

2468. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने और उनसे इब्ने शिहाब ने कि मुझे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी ष़ौर ने ख़बर दी और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं हमेशा इस बात का आरज़ूमन्द रहता था कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से आँह़ज़रत (ﷺ) की उन दो बीवियों के नाम पूछूँ जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला ने (सूरह तह़रीम में) फ़र्माया है, अगर तुम दोनो अल्लाह के सामने तौबा करो (तो बेहतर है) कि तुम्हारे दिल बिगड़ गए हैं। फिर मैं उनके साथ ह़ज्ज को गया। उ़मर (रज़ि.) रास्ते से क़ज़ाए ह़ाजत के लिये हटे तो मैं भी उनके साथ (पानी का एक) छागल लेकर गया। फिर वो क़ज़ाए ह़ाजत के लिये चले गए और जब वापस आए तो मैंने उनके दोनों हाथों पर छागल से पानी डाला। और उन्होंने वुज़ू किया, फिर मैंने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन! नबी करीम (ﷺ) की बीवियों में वो दो ख़्वातीन कौनसी हैं जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला ने ये फ़र्माया कि, तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो। उन्होंने फ़र्माया, इब्ने अ़ब्बास! तुम पर हैरत है। वो तो आ़इशा और ह़फ़्सा (रज़ि.) हैं। फिर उ़मर (रज़ि.) मेरी त़रफ़ मुतवज्जह होकर पूरा वाक़िया बयान करने लगे। आपने बतलाया कि बनू उमय्या बिन ज़ैद के क़बीले में जो मदीना से मिला हुआ था, मैं अपने एक अंसारी पड़ौसी के साथ रहता था। हम दोनों ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाजिरी की बारी मुक़र्रर कर रखी थी। एक दिन वो ह़ाज़िर होते और एक दिन मैं। जब मैं ह़ाज़िरी देता तो उस दिन की तमाम ख़बरें वग़ैरह लाता (और उनको सुनाता) और जब वो ह़ाज़िर होते तो वो भी इसी त़रह ही करते। हम क़ुरैश के लोग (मक्का में) अपनी औरतों पर ग़ालिब रहा करते थे। लेकिन जब हम (हिज्रत करके) अंसार के यहाँ आए तो उन्हें देखा कि उनकी औरतें ख़ुद उन पर ग़ालिब थीं। हमारी औरतों ने भी उनका त़रीक़ा इख़्तियार करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन अपनी बीवी को डांटा, तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया। उनका ये जवाब मुझे नागवार मा'लूम हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर जवाब देती हूँ तो तुम्हें नागवारी क्यूँ होती है। क़सम अल्लाह की नबी करीम

٢٤٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ، حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ﴾ فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ هُوَ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذْ هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ:

(ﷺ) की अज़्वाज तक आपको जवाब दे देती हैं और कुछ बीवियाँ तो आपसे पूरे दिन और पूरी रात ख़फ़ा रहती हैं। इस बात से मैं बहुत घबरा गया और मैंने कहा कि उनमें से जिसने भी ऐसा किया होगा वो तो बड़े नुक़्सान और ख़सारे में है। इसके बाद मैंने कपड़े पहने और उम्मुल मोमिनीन ह़फ़्सा (रज़ि.) के पास पहुँचा और कहा, ऐ ह़फ़्सा! क्या तुममें से कोई नबी करीम (ﷺ) से पूरे दिन—रात तक गुस्सा रहती हैं। उन्होंने कहा कि हाँ! मैं बोल उठा कि फिर तो वो तबाही और नुक़्सान में रहीं। क्या तुम्हें इससे अमन है कि अल्लाह तआला अपने रसूल (ﷺ) की ख़फ़गी की वजह से (तुम पर) गुस्सा हो जाए और तुम हलाक हो जाओ। रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़्यादा चीज़ों की माँग हर्गिज़ न किया करो, न किसी मामले में आप (ﷺ) की किसी बात का जवाब दो और न आप पर ख़फ़गी का इज़्हार होने दो, अल्बत्ता जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो, वो मुझसे मांग लिया करो, किसी ख़ुदफ़रेबी में मुब्तला न रहना, तुम्हारी ये पड़ौसन तुमसे ज़्यादा जमील और नज़ीफ़ हैं और रसूल्लाह (ﷺ) को ज़्यादा प्यारी भी हैं। आपकी मुराद आइशा (रज़ि.) से थी। ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि उन दिनों ये चर्चा हो रहा था कि ग़स्सान के फौजी हमसे लड़ने के लिये घोड़ों के नअल बाँध रहे हैं। मेरे पड़ौसी एक दिन अपनी बारी पर मदीना गए हुए थे। फिर इशा के वक़्त वापस लौटे। आकर मेरा दरवाज़ा उन्होंने बड़ी ज़ोर से खटखटाया और कहा, क्या आप सो गए हैं? मैं बहुत घबराया हुआ बाहर आया, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ह़ादषा पेश आ गया है। मैंने पूछा क्या हुआ? क्या ग़स्सान का लश्कर आ गया? उन्होंने कहा बल्कि इससे भी बड़ा और संगीन ह़ादषा, वो ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी। ये सुनकर उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, ह़फ़्सा तो तबाह व बर्बाद हो गई मुझे तो पहले ही खटका था कि कहीं ऐसा न हो जाए (उमर रज़ि. ने कहा) फिर मैंने कपड़े पहने। सुबह की नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ पढ़ी (नमाज़ पढ़ते ही) आँह़ज़रत (ﷺ) अपने बाला ख़ाने में तशरीफ़ ले गए और वहीं तन्हाई इख़्तियार कर ली। मैं ह़फ़्सा के यहाँ गया, देखा तो वो रो रही थीं। मैंने कहा, रो क्यूँ रही हो? क्या

وَلَمْ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ. فَأَفْزَعَنِي. فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ: أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ. أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَتَهْلِكِينَ؟ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ. لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (يُرِيدُ عَائِشَةَ). وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَنَائِمٌ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ، أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ. قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ، أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ؟ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي

هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ – فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ – فَذَكَرَ مِثْلَهُ – فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: ((لاَ)). ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ . . . فَذَكَرَهُ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ. ثُمَّ قُلْتُ : لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ

पहले ही मैंने तुम्हें नहीं कह दिया था? क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम सबको त़लाक़ दे दी है? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मा'लूम नहीं। आप बालाख़ाने में तशरीफ़ रखते हैं। फिर मैं बाहर निकला और मिम्बर के पास आया। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और कुछ रो भी रहे थे। थोड़ी देर तो मैं उनके साथ बैठा रहा। लेकिन मुझ पर रंज का ग़लबा हुआ, और मैं बालाख़ाने के पास पहुँचा। जिसमें आप (ﷺ) तशरीफ़ रखते थे। मैंने आप (ﷺ) के एक स्याह ग़ुलाम से कहा, (कि आँह़ज़रत ﷺ से कहो) कि उ़मर इजाज़त चाहता है। वो ग़ुलाम अंदर गया और आपसे बातचीत करके वापस आया और कहा कि मैंने आपकी बात पहुँचा दी थी, लेकिन आँह़ज़रत (ﷺ) ख़ामोश हो गए। चुनाँचे मैं वापस आकर उन्हीं लोगों के साथ बैठ गया जो मिम्बर के पास मौजूद थे। फिर मुझ पर रंज ग़ालिब आया और मैं दोबारा आया। लेकिन इस बार भी वही हुआ। फिर आकर उन्हीं लोगों में बैठ गया जो मिम्बर के पास थे। लेकिन इस बार फिर मुझसे नहीं रहा गया। और मैंने ग़ुलाम से आकर कहा, कि उ़मर के लिये इजाज़त चाहो। लेकिन बात ज्यों की त्यों रही। जब मैं वापस हो रहा था कि ग़ुलाम ने मुझको पुकारा और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको इजाज़त दे दी है। मैं आपकी ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ तो आप खजूर की चटाई पर लेटे हुए थे, जिस पर कोई बिस्तर भी नहीं था। इसलिये चटाई के उभरे हुए ह़िस्सों का निशान आपके पहलू में पड़ गया। आप उस वक़्त एक ऐसे तकिये पर टेक लगाए हुए थे जिसके अंदर खजूर की छाल भरी गई थी। मैंने आप (ﷺ) को सलाम किया और खड़े ही खड़े अ़र्ज़ किया कि क्या आपने अपनी बीवियों को त़लाक़ दे दी है? आपने निगाह मेरी त़रफ़ करके फ़र्माया कि नहीं! मैंने आपके ग़म को हल्का करने की कोशिश की और कहने लगा। अब भी मैं खड़ा ही था। या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप जानते ही हैं कि हम क़ुरैश के लोग अपनी बीवियों पर ग़ालिब रहते थे। लेकिन जब हम एक ऐसी क़ौम में आ गये जिनकी औ़रतें उन पर ग़ालिब थीं। फिर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.)

رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: ((أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ))، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرُونَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ: ((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ)). قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ - إِلَى قَوْلِهِ - عَظِيمًا﴾ قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ

ने तफ़्सील बयान की। इस बात पर रसूले करीम (ﷺ) मुस्कुरा दिये। फिर मैंने कहा मैं ह़फ़्सा के यहाँ भी गया था और उससे कह आया था कि कहीं किसी ख़ुदफरेबी में न मुब्तला रहना। ये तुम्हारी पड़ौसन तुमसे ज़्यादा ख़ूबसूरत और पाक हैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़्यादा मह़बूब हैं। आप आइशा (रज़ि.) की त़रफ़ इशारा कर रहे थे। इस बात पर आप दोबारा मुस्कुराए। जब मैंने आपको मुस्कुराते देखा, तो (आपके पास) बैठ गया और आपके घर में चारों त़रफ़ देखने लगा। अल्लाह की क़सम! सिवा तीन खालों के और कोई चीज़ वहाँ नज़र न आई। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप अल्लाह तआ़ला से दुआ़ फ़र्माइये कि वो आपकी उम्मत को कुशादगी अ़ता कर दे। फ़ारस और रोम के लोग तो पूरी फ़राख़ी के साथ रहते हैं, दुनिया उन्हें ख़ूब मिली हुई है ह़ालाँकि वो अल्लाह तआ़ला की इबादत भी नहीं करते। आँह़ज़रत (ﷺ) टेक लगाए हुए बैठे थे। आपने फ़र्माया, ऐ ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम्हें अभी कुछ शुब्हा है? (तू दुनिया की दौलत को अच्छी समझता है) ये तो ऐसे लोग हैं कि उनके अच्छे अ़मल (जो वो मामलात की ह़द तक करते हैं उनकी जज़ा) इसी दुनिया में उनको दे दी गई है। (ये सुनकर) मैं बोल उठा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे लिये अल्लाह से मग़्फ़िरत की दुआ़ कीजिए। तो नबी करीम (ﷺ) ने (अपनी अज़्वाज से) इस बात पर अलैह़िदगी इख़्तियार कर ली थी कि आइशा (रज़ि.) से ह़फ़्सा (रज़ि.) ने पोशिदा बात कह दी थी। हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने इस इंतिहाई ख़फ़्गी की वजह से जो आपको हुई थी, फ़र्माया था कि मैं अब उनके पास एक महीने तक नहीं जाऊँगा और यही मौक़ा है जिस पर अल्लाह तआ़ला ने आप (ﷺ) को आगाह किया था। फिर जब उन्तीस दिन गुज़र गए तो आप (ﷺ) आयशा (रज़ि.) के घर तशरीफ़ ले गए और उन्हीं के यहाँ से आपने इब्तिदा की। आइशा (रज़ि.) ने कहा कि आपने तो अ़हद किया था कि हमारे यहाँ एक महीने तक नहीं तशरीफ़ लाएँगे और आज अभी उन्तीसवीं की सुबह है। मैं तो दिन गिन रही थी। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये महीना उन्तीस दिन का है और वो महीना उन्तीस ही दिन का था। आइशा (रज़ि.) ने बयान किया

خَيْرَ نِسَاءِهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ)).

[راجع: ٨٩]

कि फिर वो आयत नाज़िल हुई जिसमें (अज़्वाजुन्नबी को) इख़्तियार दिया गया था। उसकी भी इब्तिदा आपने मुझ ही से की और फ़र्माया कि मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि जवाब फ़ौरन दो, बल्कि अपने वालिदैन से भी मश्विरा कर लो। आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि आपको ये मा'लूम था कि मेरे माँ–बाप कभी आपसे जुदाई का मश्विरा नहीं दे सकते। फिर आपने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दो। अल्लाह तआला के क़ौल अज़ीमन तक। मैंने अर्ज़ किया, क्या अब इस मामले में भी मैं अपने वालिदैन से मश्विरा करने जाऊँगी! इसमें तो किसी शुब्हा की गुंजाइश ही नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल और दारे आख़िरत को पसन्द करती हूँ। इसके बाद आपने अपनी दूसरी बीवियों को भी इख़्तियार दिया और उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आइशा (रज़ि.) ने दिया था। (राजेअ : 89)

तश्रीह : मा'लूम हुआ अल्लाह के रसूल (ﷺ) को गुस्सा दिलाना और नाराज़ करना अल्लाह को ग़ज़ब दिलाना और नाराज़ करना है। आँहज़रत (ﷺ) जब दुनिया में तशरीफ़ रखते थे तो एक बार हज़रत उमर (रज़ि.) तौरात शरीफ़ पढ़ने और सुनाने लगे, आप (ﷺ) का मुबारक चेहरा गुस्से से सुर्ख़ हो गया। दूसरे सहाबा ने हज़रत उमर (रज़ि.) को मलामत की कि तुम आँहज़रत (ﷺ) का चेहरा नहीं देखते। उस वक़्त उन्होंने तौरात पढ़ना मौक़ूफ़ (स्थगित) कर दिया और **आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया अगर मूसा (अलैहिससलाम) ज़िन्दा होते तो उनको भी मेरी ताबेदारी करनी होती।** इस हदीष से उन लोगों को नसीहत लेनी चाहिये जो इस्लाम का दा'वा करते हैं और इस पर हदीष शरीफ़ सुनकर दूसरे मौलवी या इमाम या दरवेश की बात पर अमल करते हैं। और हदीष शरीफ़ पर अमल नहीं करते। ख़्याल करना चाहिये कि आँहज़रत (ﷺ) की रूहे मुबारक को ऐसी बातों से कितना सदमा होता होगा और जब आँहज़रत (ﷺ) भी नाराज़ हुए तो कहाँ ठिकाना रहा। अल्लाह जल्ल जलालुहू भी नाराज़ हुआ। ऐसी हालत में न कोई मौलवी काम आएगा न पीर दरवेश न इमाम।

अल्लाह! तू इस बात का गवाह है कि हमको अपने पैग़म्बर से ऐसी मुहब्बत है कि बाप दादा, पीर मुर्शिद, बुज़ुर्ग इमाम मुज्तहिद सारी दुनिया का क़ौल और अमल हदीष के ख़िलाफ़ हम लग्व समझते हैं और तेरी और तेरे पैग़म्बर (ﷺ) की रज़ामन्दी हमको काफ़ी–वाफ़ी है। अगर ये सब तेरी और तेरे पैग़म्बर (ﷺ) की ताबेदारी में बिल फ़र्ज़ हमसे नाराज़ हो जाएँ तो हमको उनकी नाराज़गी की ज़रा भी फ़िक्र नहीं। या अल्लाह! हमारी जान बदन से निकलते ही हमको हमारे पैग़म्बर के पास पहुँचा दे। हम आलमे बरज़ख़ में आप ही की ख़िदमत करते रहें और आप ही की हदीष सुनते रहें। (वहीदी)

हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम की ईमान अफ़रोज़ तक़रीर इन मुहतरम हज़रात को बग़ौर मुतालआ करनी चाहिये जो आयाते क़ुर्आनी व हदीषे सहीहा के सामने अपने इमामों, मुर्शिदों के अक़्वाल को तरजीह देते हैं बल्कि बहुत से तो साफ़ लफ़्ज़ों में कहते हैं कि हमको आयात व अहादीष से ग़र्ज़ नहीं। हमारे लिये हमारे इमाम का फ़त्वा काफ़ी–वाफ़ी है।

ऐसे नादान मुक़ल्लिदीन ने हज़रात अइम्म–ए–किराम मुज्तहिदीने इज़ाम (रह.) की अरवाहे तय्यिबा को सख़्त ईज़ा पहुँचाई है। उन बुज़ुर्गों की हर्गिज़ ये हिदायत न थी कि उनको मुक़ामे रिसालत का मद्दे मुक़ाबिल बना दिया जाए। वो बुज़ुर्गान मा'सूम न थे। इमाम थे, मुज्तहिद थे, क़ाबिले सद एहतिराम थे मगर वो रसूल न थे और न नबी थे और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह

(ﷺ) के मद्दे मुक़ाबिल न थे। ग़ाली (अतिवादी) मुक़ल्लिदीन ने उनके साथ जो बर्ताव किया है क़यामत के दिन यक़ीनन उनको उसकी जवाबदेही करनी होगी। यही वो हरकत है जिसे शिर्क फ़िर्रिसालत ही का नाम दिया जाना चाहिये। यही वो मर्ज़ है जो यहूद व नसारा की तबाही का मौजिब (कारण) बना और क़ुर्आन मजीद को उनके लिये स़ाफ़ कहना पड़ा, **इत्तख़ज़ू अह़बारहुम व रुह्बानहुम अरबाबम् मिन् दूनिल्लाह** (अत् तौबा : 31) यहूद व नसारा ने अपने उ़लमा और मशाइख़ को अल्लाह के सिवा रब क़रार दे लिया था। उनके अवामिर व नवाही को वो वह्ये आसमानी का दर्जा दे चुके थे। इसीलिये वो अल्लाह के नज़दीक मग़ज़ूब और ज़ॉल्लीन क़रार पाए।

स़द अफ़सोस कि उम्मते मुस्लिमा उनसे भी दो क़दम आगे है और उलमा व मशाइख़ को यक़ीनन ऐसे लोगों ने अल्लाह और रसूल का दर्जा दे रखा है। कितने पीर व मशाइख़ हैं जो क़ब्रों की मुजावरी करते—करते अल्लाह बने बैठे हैं। उनके मुअतक़िदीन (श्रद्धालु) उनके क़दमों में सर रखते हैं। उनकी ख़िदमत व इत़ाअ़त को अपने लिये दोनों जहाँ में काफ़ी वाफ़ी समझते हैं। उनकी शान में एक भी तन्क़ीदी लफ़्ज़ गवारा नहीं करते हैं, यक़ीनन ऐसे ग़ाली मुसलमान ऊपर वाली आयत के मिस्दाक़ हैं। ह़ाली मरहूम ने ऐसे ही लोगों के लिये ये रुबाई कही है।

नबी को जो चाहें ख़ुदा कर दिखाएँ — इमामों का रुत्बा नबी से बढ़ाएँ
मज़ारों पे दिन रात नज़रें चढ़ाएँ — शहीदों से जा जा के माँगे दुआएँ
न तौहीद में कुछ ख़लल इससे आए — न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए।

रिवायत में जो वाक़िया मज़्कूर है मुख़्तस़र लफ़्ज़ों में इसकी तफ़्स़ील ये है।

तमाम अज़्वाज की बारी मुक़र्रर थी और उसी के मुताबिक़ आँह़ज़रत (ﷺ) उनके यहाँ जाया करते थे। एक दिन आ़इशा (रज़ि.) की बारी थी और उन्हीं के घर आपका उस दिन क़याम भी था। लेकिन इत्तिफ़ाक़ से किसी वजह से आप ह़ज़रत मारिया क़िब्तिया (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले गए। ह़फ़्स़ा (रज़ि.) ने आपको वहाँ देख लिया और आकर आ़इशा (रज़ि.) से कह दिया कि बारी तुम्हारी है और आँह़ज़रत (ﷺ) मारिया (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ फ़र्मा हैं। आ़इशा (रज़ि.) को इस पर बड़ा ग़ुस्सा आया। इसी वाक़िये की त़रफ़ इशारा है। आँह़ज़रत (ﷺ) ने अ़हद कर लिया था कि एक महीने तक अज़्वाजे मुत़ह्हरात से अलग रहेंगे और इस अ़र्से में उनके पास नहीं जाएँगे। इस पर स़ह़ाबा में बहुत तशवीश (चिन्ता, घबराहट) फैली और अज़्वाजे मुत़ह्हरात और उनके अ़ज़ीज़ व अक़ारिब तक ही बात नहीं रही बल्कि तमाम स़ह़ाबा (रज़ि.) इस फ़ैसले पर बहुत परेशान हो गए। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के इस अ़हद की ता'बीर अह़ादीष़ में ईलाअ के लफ़्ज़ से आती है और ये बहुत मशहूर वाक़िया है। इससे पहले भी बुख़ारी में इसका ज़िक्र आ चुका है।

ईला के अस्बाब अह़ादीष़ में मुख़्तलिफ़ आए हैं। एक तो वही जो इस ह़दीष़ में है। इससे पहले भी बुख़ारी में इसका ज़िक्र है, कुछ रिवायतों में इसका सबब अज़्वाजे मुत़ह्हरात की वो माँग बताई गई है कि अख़राजात (घर ख़र्च) उन्हें ज़रूरत से कम मिलते थे, तंगी रहती थी। इसलिये तमाम अज़्वाजे मुत़ह्हरात ने हुज़ूर अकरम (ﷺ) से कहा था कि उन्हें अख़राजात ज़्यादा मिलने चाहिये। कुछ रिवायतों में शहद का वाक़िया बयान किया है। उ़लमा ने लिखा है कि अस़ल में ये तमाम वाक़ियात पे दर पे पेश आए और उन सबसे मुताष़्ष़िर होकर आँह़ज़रत (ﷺ) ने ईला किया था, ताकि अज़्वाजे मुत़ह्हरात को नस़ीहत हो जाए। अज़्वाजे मुत़ह्हरात सब कुछ होने के बावजूद फिर भी इंसान थीं। इसलिये कभी सौकन की रक़ाबत में, कभी किसी दूसरे इंसानी जज़्बे से मुताष़्ष़िर (प्रभावित) होकर इस त़रह़ के इक़्दामात कर जाया करती थीं जिनसे आँह़ज़रत (ﷺ) को तकलीफ़ होती थी। इस बाब में इस ह़दीष़ को इसलिये ज़िक्र किया गया है इसमें बालाखाने का ज़िक्र है जिसमें आपने तंहाई इख़्तियार की थी।

2469. हमसे मुह़म्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन मुआ़विया फ़ुज़ारी ने बयान किया, उनसे हुमैद त़वील ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह

٢٤٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((آلَى رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ؛ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا. فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ)). [راجع: ٣٧٨]

(ﷺ) ने अपनी बीवियों के पास एक महीने तक न जाने की क़सम खाई थी और (ईला के वाक़िये से पहले 5 हिज्री में) आप (ﷺ) के क़दमे मुबारक में मोच आ गई थी। और आपने अपने बालाख़ाने में क़याम किया था। (ईला के मौक़े पर) ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) आए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आपने अपनी बीवियों को त़लाक़ दे दी है? आपने फ़र्माया कि नहीं! अल्बत्ता एक महीने के लिये उनके पास न जाने की क़सम खा ली है। चुनाँचे आप उन्तीस दिन तक बीवियों के पास नहीं गए (और उन्तीस तारीख़ को ही चाँद हो गया था) इसलिये आप बालाखाने से उतरे और बीवियों के पास गए। (राजेअ : 378)

बाब 26 : मस्जिद के दरवाज़े पर जो पत्थर बिछे होते हैं वहाँ या दरवाजे पर ऊँट बाँध देना

٢٦- بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ عَلَى الْبَلاَطِ، أَو بَابِ الْمَسْجِدِ

٢٤٧٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ: فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ قَالَ: ((الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)). [راجع: ٤٤٣]

2470. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़क़ील ने बयान किया, उनसे अबुल मुतवक्किल नाजी ने बयान किया कि मैं जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने बयान किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे। इसलिये मैं भी मस्जिद के अंदर चला गया। अल्बत्ता ऊँट बलात़ के एक किनारे बाँध दिया। आप (ﷺ) से मैंने अ़र्ज़ किया कि हुज़ूर! आप (ﷺ) का ऊँट ह़ाज़िर है। आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए और ऊँट के चारों त़रफ़ टहलने लगे। फिर फ़र्माया कि क़ीमत भी ले और ऊँट भी ले जा। (राजेअ : 443)

मस्जिदे नबवी से बाज़ार तक पत्थरों का फ़र्श था। इसी को बलात़ बोलते हैं। इसी जगह ऊँट बाँधना मज़्कूर है और दरवाज़े को उसी पर क़यास किया गया है। ह़ाफ़िज़ ने कहा इस ह़दीष़ के दूसरे त़रीक़ में मस्जिद के दरवाज़े का भी ज़िक्र है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसी त़रफ़ इशारा किया है।

बाब 27 : किसी कौम की कोड़ी के पास ठहरना और वहाँ पेशाब करना

٢٧- بَابُ الْوُقُوفِ وَالْبَولِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

٢٤٧١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ

2471. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने, उनसे मन्सूर ने, उनसे अबुल वाईल ने और उनसे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कि मैं ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, या ये कहा कि नबी करीम (ﷺ) एक क़ौम की कोड़ी पर तशरीफ़ लाए और आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया।

(राजेअ़ : 224)

ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا)).

[راجع: ٢٢٤]

मक़्सद ये है कि कोड़ी, जहाँ कूड़ा—करकट डाला जाता है एक अ़वामी जगह है जहाँ पेशाब वग़ैरह किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों पर झगड़ाबाज़ी नहीं करनी चाहिये बशर्ते कि वो अ़वामी हों, खड़े होकर पेशाब करना भी जाइज़ है बशर्ते कि छींटों से कामिल तौर पर बचा जा सके। अगर ऐसा ख़तरा हो तो खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ नहीं। जैसा कि आजकल बाज़ लोग करते रहते हैं।

बाब 28 : इसका षवाब जिसने शाख़ या कोई और तकलीफ़ देने वाली चीज़ रास्ते से हटाई

٢٨- بَابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيْقِ فَرَمَى بِهِ

2472. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें सुमय ने, उन्हें अबू स़ालेह ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स रास्ते पर चल रहा था कि उसने वहाँ कांटेदार डाली देखी। उसने उसे उठा लिया तो अल्लाह तआ़ला ने उसका ये अ़मल क़ुबूल किया और उसकी मग़्फ़िरत कर दी। (राजेअ़ : 652)

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). [راجع: ٦٥٢]

क्योंकि उसने अल्लाह की मख़्लूक़ की तकलीफ़ गवारा न की और उनके आराम व राहत के लिये उस डाली को उठाकर फेंक दिया, ऐसा न हो किसी के पाँव में चुभ जाए। इंसानी हमदर्दी इसी का नाम है जो इस्लाम की सारी ता'लीमात का खुलास़ा है।

बाब 29 : अगर आ़म रास्ते में इख़्तिलाफ़ हो और वहाँ रहने वाले कुछ इमारत बनाना चाहें तो सात हाथ ज़मीन रास्ते के लिये छोड़ दें

٢٩- بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيْقِ الْمِيتَاءِ،

وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بِينَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهلُهَا الْبُنْيَان، فتُرِكَ مِنهَا لِلطُّرُقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ

2473. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उनसे ज़ुबैर बिन ख़र्रयत ने और उनसे इक्रिमा ने कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला किया था जबकि रास्ते (की ज़मीन) के बारे में झगड़ा हुआ तो सात हाथ रास्ता छोड़ देना चाहिये।

٢٤٧٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ)).

तश्रीह : एक मुतमद्दिन मुल्क (सभ्य देश) के शहरी क़वानीन में हर क़िस्म के इंतिज़ामात का लिहाज़ बेहद ज़रूरी है। शारेअ़े आ़म के लिये जगह मुक़र्रर करना भी उसी क़बील से है। त़रीक़े मैताअ जिसका ज़िक्र बाब में है उसका मा'नी चौड़ा या आ़म रास्ता। कुछ ने कहा मैताअ से ये मुराद है कि ग़ैरआबाद ज़मीन अगर आबाद हो और वहाँ रास्ता क़ायम करने की ज़रूरत

पड़े और रहने वाले लोग वहाँ झगड़ा करें तो कम से कम सात हाथ ज़मीन रास्ते के लिये छोड़ दी जाए जो आदमियों और सवारियों के निकलने के लिये काफ़ी है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा, जो दुकानदार रास्ते पर बैठा करते हैं, उनके लिये ज़रूरी है कि अगर रास्ता सात हाथ से ज़्यादा हो तो वो फ़ालतू हिस्से में बैठ सकते हैं वरना सात हाथ के अंदर-अंदर उनको बैठने से मना किया जाए ताकि चलने वालों को तकलीफ़ न हो।

ये वो इंतिज़ामी क़ानून है जो आज से चौदह सौ बरस पहले इस्लाम ने वज़अ फ़र्माया। जो बाद में बेशतर मुल्कों का शहरी ज़ाबत़ा क़रार पाया। ये पैग़म्बरे इस्लाम (ﷺ) का वो ख़ुदाई फ़हम था जो अल्लाह ने आप (ﷺ) को अ़ता फ़र्माया था। आप (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में गाड़ियों, मोटरों, छकड़ों, बग्गियों का रिवाज था। ऊँट और आदमियों के आने–जाने के लिये तीन हाथ रास्ता भी किफ़ायत करता है। मगर आ़म ज़रूरियात और मुस्तक़्बिल (भविष्य) की तरक़्क़ियों के पेशेनज़र ज़रूरी था कि कम अज़्कम सात हाथ ज़मीन गुज़रगाहे आ़म के लिये छोड़ी जाए क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि जाने और आने वाली सवारियों की मुठभेड़ हो जाती है। तो दोनों के बराबर-बराबर निकल जाने के लिये कम अज़्कम सात हाथ ज़मीन रास्ता के लिये मुक़र्रर होना ज़रूरी है क्योंकि इतने रास्ते में दोनों त़रफ़ की सवारियाँ आसानी के साथ निकल सकती हैं।

बाब 30 : मालिक की इजाज़त के बग़ैर उसका कोई माल उठा लेना

٣٠- بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ.

और उ़बादा (रज़ि.) ने कहा, कि हमने नबी करीम (ﷺ) से इस बात की बेअ़त की थी कि लूटमार नहीं किया करेंगे।

2474. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा हमसे अ़दी बिन ष़ाबित ने बयान किया, कहा कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंस़ारी (रज़ि.) से सुना, जो अ़दी बिन ष़ाबित के नाना थे कि नबी करीम (ﷺ) ने लूटमार करने और मुष़ला करने से मना फ़र्माया था। (दीगर मक़ाम : 5516)

٢٤٧٤- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ)). [راجع: ٥٥١٦]
[طرفه في : ٥٥١٦].

तश्रीह : लूटमार करना, डाका डालना, चोरी करना इस्लाम में सख़्ती के साथ उनकी मज़म्मत (निन्दा) की गई है और इसके लिये सख़्ततरीन सज़ा तजवीज़ की गई कि चोरी करने वाले के हाथ–पैर काट दिये जाए, डाकुओं, रहज़नों को और भी संगीन सजाएँ तजवीज़ की गई हैं। ताकि इंसानी नस्ल अमन व अमान की ज़िंदगी बसर कर सके। इन्हीं क़वानीन की बरकत है कि आज भी हुकूमते सऊ़दिया अ़रबिया का अमन सारी दुनिया की हुकूमत के लिये एक मिष़ाली हैष़ियत रखता है जबकि जुम्ला मज़हब लोगों में डाकाज़नी मुख़्तलिफ़ सूरतों मे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चोरी करना बत़ौर एक पेशा के राइज (प्रचलित) हो रहा है। अ़वाम की ज़िन्दगी ह़द दर्जा ख़ौफ़नाकी में गुज़र रही है। फौज पुलिस सब ऐसे मुज्रिमों के आगे लाचार हैं। इसलिये कि उनके यहाँ क़ानूनी लचक ह़द दर्जा उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई करती है।

मुष़ला का मतलब है, जंग में मक़्तूल के हाथ-पैर, कान नाक काटकर अलग अलग कर देना। इस्लाम ने इस ह़रकत से सख़्ती के साथ रोका है।

2475. हमसे सईद बिन उ़फ़ैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैष़ ने बयान, उनसे अ़क़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ानी मोमिन

٢٤٧٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).

وَعَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ، إِلاَّ النُّهْبَةَ.

रहते हुए ज़िना नहीं कर सकता। शराबख़ोर मोमिन रहते हुए शराब नहीं पी सकता। चोर मोमिन रहते हुए चोरी नहीं कर सकता। और कोई शख़्स मोमिन रहते हुए लूट और ग़ारतगिरी नहीं कर सकता कि लोगों की नज़रें उसकी त़रफ़ उठी हुई हों और वो लूट रहा हो, सईद और अबू सलमा (रज़ि.) की भी अबू हुरैरह (रज़ि.) से बहवाला नबी करीम (ﷺ) इसी त़रह़ रिवायत है। अल्बत्ता उनकी रिवायत में लूट का तज़्किरा नहीं है।

इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि ग़ारतगिरी करने वाला, चोरी करने वाला, लूटमार करने वाला अगर ये मुद्दइयाने इस्लाम (इस्लाम के दा'वेदार) हैं तो सरासर अपने दावे में झूठे हैं। ऐसे काम करने वाला ईमान के दा'व में झूठा है। यही ह़ाल ज़िनाकारी का, शराबख़ोरी का है। ऐसे लोग इस्लाम व ईमान के दा'वे में झूठे, मक्कार व फ़रेबी हैं। मुसलमान स़ाह़िबे ईमान से अगर कभी कोई ग़लत़ काम हो भी जाए तो ह़द दर्जा शर्मिन्दा होकर फिर हमेशा के लिये तौबा करने वाला हो जाता है और अपने गुनाह के लिये इस्तिग़्फ़ार में लग जाता है।

٣١- بَابُ كَسْرِ الصَّلِيْبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيْرِ

बाब 31 : स़लीब का तोड़ना और ख़िंज़ीर का मारना

ख़िलाफ़ते इस्लामी में जब ग़ैर क़ौमें बरसरे-पैकार (सत्ताधारी) हों और इस्लाम और मुसलमानों को नुक़्स़ान पहुँचाने के लिये कोशाँ (प्रयासरत) हों और अल्लाह पाक मुसलमानो को ग़लबा नस़ीब करे तो ह़र्बी (दुश्मन) क़ौमों के साथ ऐसे बर्ताव जाइज़ हैं। अगर वो ईसाई हैं तो उनके साथ ये मामला किया जाएगा। अमनपसन्द ग़ैर मुस्लिमों और ज़िम्मियों की जान माल और उनके मज़हब को इस्लाम ने पूरी–पूरी आज़ादी अ़त़ा फ़र्माई है।

٢٤٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)). [راجع: ٢٢٢٢]

2476. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, कहा हमसे ज़ुह्री ने बयान किया, कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक इब्ने मरयम का नुज़ूल एक आ़दिल हुक्मरान की ह़ैषियत से तुममें न हो ले। वो स़लीब को तोड़ेंगे, सूअरों को क़त्ल करेंगे और जिज़्या क़ुबूल नहीं करेंगे (उस दौर में) माल व दौलत की इतनी कष़रत होगी कि कोई उसे क़ुबूल नहीं करेगा।

(राजेअ़ : 2222)

तश्रीह : ये निहायत सह़ीह़ और मुत्तस़िल रिवायत है और इसके रावी सब षि़क़ा और इमाम हैं। इसमें स़ाफ़ लफ़्ज़ों में ये मज़्कूर है कि क़यामत के क़रीब ह़ज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) दुनिया में नाज़िल होंगे। इससे स़ाफ़ मा'लूम हुआ कि ह़ज़रत

ईसा (अलैहिस्सलाम) आसमान पर ज़िन्दा मौजूद हैं और हक़ तआला ने उनको ज़िन्दा आसमान की तरफ़ उठा लिया है जैसा कि क़ुर्आन मजीद में मज़्कूर है।

सलीब और तसलीस नसरानियों की मज़हबी अलामत है। हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) आख़िर ज़माने में आसमान से दुनिया में आकर दीने मुहम्मदी पर अमल करेंगे और ग़ैर इस्लामी निशानात को मिटा देंगे। इस बाब को मुनअक़िद करने और हदीस के यहाँ लाने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि अगर कोई सलीब को तोड़ डाले या सूअर को मार डाले तो उस पर ज़िमान न होगा। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि ये जब है कि वो हर्बियों का माल हो, अगर ज़िम्मी का माल हो जिसने अपनी शराइत से इन्हिराफ़ न किया हो और अहद पर क़ायम हो तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ज़िम्मियों के मज़हबी हुक़ूक़ इस्लाम ने क़ायम रखे हैं और उनकी माल व जान और मज़हब की हिफ़ाज़त के लिये पूरी गारण्टी दी है।

बाब 32 : क्या कोई ऐसा मटका तोड़ा जा सकता है या ऐसी मश्क फाड़ी जा सकती है जिसमें शराब मौजूद हो?

٣٢- بَابُ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقَ الزِّقَاقُ؟

अगर किसी शख़्स ने बुत, सलीब या सितार या कोई भी इस तरह की चीज़ जिसकी लकड़ी से कोई फ़ायदा हासिल न हो तोड़ दी? क़ाज़ी शुरैह (रह.) की अदालत में एक सितार का मुक़द्दमा लाया गया, जिसे तोड़ दिया था, तो उन्होंने इसका बदला नहीं दिलवाया।

فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَو طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ. وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ.

2477. हमसे अबू आसिम ज़िहाक बिन मुख़्लद ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन अबी उबैद ने, और उनसे सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के मौक़े पर देखा कि आग जलाई जा रही है, आप (ﷺ) ने पूछा ये आग किस लिये जलाई जा रही है? सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि गधे (का गोश्त पकाने) के लिये। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि बर्तन (जिसमें गधे का गोश्त हो) तोड़ दो और गोश्त फेंक दो। इस पर सहाबा बोले ऐसा क्यों न कर लें कि गोश्त फेंक दें और बर्तन धो लें। आपने फ़र्माया कि बर्तन धो लो।

(दीगर मक़ाम : 4196, 5497, 6148, 6331, 6891)

٢٤٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِيْرَانًا تُوقَدُ يَومَ خَيْبَرَ قَالَ: ((عَلاَمَ تُوقَدُ هَذِهِ النِّيْرَانُ؟)) قَالُوا عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ: ((اكْسِرُوهَا وَأَهْرِيْقُوهَا)). قَالُوا: أَلاَ نُهْرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: ((اغْسِلُوا)).

[أطرافه في : ٤١٩٦، ٥٤٩٧، ٦١٤٨، ٦٣٣١، ٦٨٩١].

तश्रीह : पहले आप (ﷺ) ने सख़्ती के लिये हण्डियों के तोड़ डालने का हुक्म दिया। फिर शायद आप पर वह्य आई और आपने उनका धो डालना भी काफ़ी समझा। इस हदीस से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि हराम चीज़ों के बर्तनों को तोड़ डालना दुरुस्त है मगर वो बर्तन अगर ज़िम्मी ग़ैर-मुस्लिमों के हैं तो ये उनके लिये नहीं है। इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **फ़इन कानल्औइय्यतु बिहैषु युराक़ु मा फ़ीहा फ़इज़ा ग़सल्त तहुरत वन्तफ़अ बिहा लम यजुज़ अत्लाफ़ुहा व इल्ला जाज़** (नैल) या'नी अगर वो बर्तन ऐसा है कि उसमें से शराब गिराकर उसे धोया जा सकता है और उसका पाक होना मुम्किन है तो उसे पाक करके उससे नफ़ा उठाया जा सकता है और अगर ऐसा नहीं तो जाइज़ नहीं कि फिर उसे तल्फ़ (नष्ट) करना ही होगा।

2478. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी नुजैह़ ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया, उनसे अबू मअ़मर ने बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) (फ़तह़ मक्का के दिन जब) मक्का में दाख़िल हुए तो ख़ान-ए-का'बा के चारों त़रफ़ तीन सौ साठ बुत थे। आप (ﷺ) के हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप उन बुतों पर मारने लगे और फ़र्माने लगे कि ह़क़ आ गया और बात़िल मिट गया। (दीगर मक़ाम : 4287, 4720)

٢٤٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ: ((﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾)) الآيَةَ.

[طرفاه في: ٤٢٨٧، ٤٧٢٠].

तश्रीह़ : ये बुत कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने मुख़्तलिफ़ नबियों और नेक लोगों की त़रफ़ मन्सूब करके बनाए थे, यहाँ तक कि कुछ बुत ह़ज़रत इब्राहीम और ह़ज़रत इस्माईल (अ़लैहिमस्सलाम) की त़रफ़ भी मन्सूब थे। फ़तह़े मक्का के दिन अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने का'बा शरीफ़ को उन बुतों से पाक किया और उस दिन से का'बा शरीफ़ हमेशा के लिये बुतों से पाक हो गया। अल्ह़म्दुलिल्लाह चौदहवीं स़दी ख़त्म हो चुकी है, इस्लाम बहुत से नशीब व फ़राज़ से गुज़रा है मगर बिफ़ज़्लिही तआ़ला तत़्हीरे का'बा अपनी जगह पर क़ायम दायम है।

2479. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन अ़याज़ ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम ने, उनसे उनके वालिद क़ासिम ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने कि उन्होंने अपने ह़ुज्रे के सायबान पर एक पर्दा लटका दिया था जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। नबी करीम (ﷺ) ने (जब देखा तो) उसे उतार कर फाड़ डाला। (आ़इशा रज़ि. ने बयान किया कि) फिर मैंने इस पर्दे से दो गद्दे बना डाले। वो दोनों गद्दे घर में रहते थे और नबी करीम (ﷺ) उन पर बैठा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 5954, 5955, 6109)

٢٤٧٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ. فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا)).

[أطرافه في: ٥٩٥٤، ٥٩٥٥، ٦١٠٩].

मुसलमानों पर लाज़िम है कि अपने घरों में जानदार के ऐसे पर्दे, ग़िलाफ़ वग़ैरह न रखें बल्कि उनको ख़त्म कर डालें। ये शरअ़न व क़ानूनन बिलकुल नाजाइज़ हैं।

बाब 33 : जो शख़्स अपना माल बचाने के लिये लड़े

٣٣- بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

2480. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी अय्यूब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अबुल अस्वद ने बयान किया, उनसे इ़क्रिमा ने और उसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूले करीम

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ)).

(ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करते हुए क़त्ल कर दिया गया, वो शहीद है।

क्योंकि वो मज़्लूम है, निसाई की रिवायत में यूँ है उसके लिये जन्नत है। और तिर्मिज़ी की रिवायत में इतना ज़्यादा है और जो अपनी जान बचाने में मारा जाए और जो अपने घर वालों को बचाने में मारा जाए ये सब शहीद हैं। आजकल दुनिया में चारों ओर जो सैंकड़ों मुसलमान नाहक़ क़त्ल किये जा रहे हैं। वो सब इस हदीष़ की रू से शहीदों में दाख़िल हैं क्योंकि वो महज़ मुसलमान होने के जुर्म में क़त्ल किये जा रहे हैं, **इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राज़िऊन।**

٣٤- بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

बाब 34 : जिस किसी शख़्स ने किसी दूसरे का प्याला या कोई और चीज़ तोड़ दी हो तो क्या हुक्म है?

٢٤٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: ((كُلُوا)). وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ)). وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٥٢٢٥].

2471. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे हुमैद ने, और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी एक के यहाँ तशरीफ़ रखते थे। उम्महाते मोमिनीन में से एक ने वहीं आप (ﷺ) के लिये ख़ादिम के हाथ एक प्याले में कुछ खाने की चीज़ भिजवाई। उन्होंने एक हाथ इस प्याले पर मारा और प्याला (गिरकर) टूट गया। आपने प्याले को जोड़ा और जो खाने की चीज़ थी उसे उसमे दोबारा रखकर सहाबा से फ़र्माया कि खाओ। आप (ﷺ) ने प्याला लाने वाले (ख़ादिम) को रोक लिया और प्याला भी नहीं भेजा बल्कि जब (खाने से) सब फ़ारिग़ हो गए तो दूसरा अच्छा प्याला भिजवा दिया और जो टूट गया था उसे नहीं भिजवाया। इब्ने अबी मरयम ने बयान किया कि हमें यह्या बिन अय्यूब ने ख़बर दी, उनसे हुमैद ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने। (दीगर मक़ाम : 5225)

अबू दाऊद और निसाई की रिवायत में हज़रत सफ़िया (रज़ि.) का ज़िक्र है और दारे क़ुत्नी और इब्ने माजा की रिवायत में हफ़्सा (रज़ि.) का ज़िक्र है और तिबरानी की रिवायत में उम्मे सलमा (रज़ि.) का और इब्ने हज़म की रिवायत में ज़ैनब (रज़ि.) का। अन्देशा है कि ये वाक़िया कई बार हुआ हो। हाफ़िज़ ने कहा कि मुझको उस लौण्डी का नाम मा'लूम नहीं हुआ। हदीष़ और बाब का मफ़्हूम ये है कि किसी का कोई प्याला तोड़ दे तो उसको उसकी जगह दूसरा सहीह प्याला वापस करना चाहिये।

٣٥- بَابُ إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

बाब 35 : अगर किसी ने किसी की दीवार गिरा दी तो उसे वो वैसी ही बनवानी होगी

इस मसले में मालकिया का इख़्तिलाफ़ है वो कहते हैं कि दीवार की क़ीमत देनी चाहिये। मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने जिस रिवायत से दलील ली वो उस पर मबनी (आधारित) है कि अगली शरीअ़तें हमारे लिये हुज्जत हैं जब हमारी शरीअ़त में उनके ख़िलाफ़ कोई हुक्म न हो और इस मसले में इख़्तिलाफ़ है।

2482. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल में एक साहब थे जिनका नाम जुरैज था। वो नमाज़ पढ़ रहे थे कि उनकी वालिदा आईं और उन्हें पुकारा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। सोचते रहे कि जवाब दूँ या नमाज़ पढ़ूँ। फिर वो दोबारा आईं और (ग़ुस्से में) बद्दुआ कर गईं, ऐ अल्लाह! उसे मौत न आए जब तक किसी बदकार औरत का मुँह न देख ले। जुरैज अपने इबादतख़ाने में रहते थे। एक औरत ने (जो जुरैज के इबादतखाने के पास अपने मवेशी चराया करती थी और फ़ाहिशा थी) कहा कि जुरैज़ को फ़ित्ने में डाले बग़ैर न रहूँगी। चुनाँचे वो उनके सामने आई और बातचीत करनी चाही। लेकिन उन्होंने मुँह फेर लिया। फिर वो एक चरवाहे के पास गई और अपने जिस्म को उसके क़ाबू में दे दिया। आख़िर लड़का पैदा हुआ और उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़का जुरैज का है। क़ौम के लोग जुरैज के यहाँ आए और उनका इबादतख़ाना तोड़ दिया। उन्हें बाहर निकाला और गालियाँ दीं। लेकिन जुरैज ने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़कर उस लड़के के पास आए। उन्होंने उससे पूछा बच्चे! तुम्हारा बाप कौन है? बच्चा (अल्लाह के हुक्म से) बोल पड़ा कि चरवाहा! (क़ौम ख़ुश हो गई और) कहा कि हम आपके लिये सोने का इबादतख़ाना बनवा दें। जुरैज ने कहा कि मेरा घर तो मिट्टी ही से बनेगा। (राजेअ़ : 1206)

٢٤٨٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى. فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ طِينٍ)). [راجع: ١٢٠٦]

तश्रीह : हदीषे जुरैज हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) कई जगह लाए हैं और उससे मुख़्तलिफ़ मसाइल का इस्तिम्बात फ़र्माया है। यहाँ आप ये षाबित फ़र्माने के लिये हदीष लाए हैं कि जब कोई शख़्स या अश्ख़ास किसी की दीवार नाहक़ गिरा दें तो उनको वो दीवार पहली ही दीवार के समान बनानी लाज़िम होगी।

जुरैज का वाक़िया मशहूर है। उनके दीन में माँ की बात का जवाब देना बहालते नमाज़ भी ज़रूरी था, मगर हज़रत जुरैज नमाज़ में मशग़ूल रहे, यहाँ तक कि उनकी वालिदा ने ख़फ़ा होकर बद्दुआ कर दी, आख़िर उनकी पाकदामनी षाबित करने के लिये अल्लाह पाक ने उसी वलदे ज़िना (बदकारी से पैदा हुए) बच्चे को गोयाई (बोलने की ताक़त) दी। हालाँकि उसके बोलने की उम्र नहीं थी। मगर अल्लाह ने हज़रत जुरैज की दुआ क़ुबूल कर ली और उस बच्चे को बोलने की ताक़त दे दी। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि अल्लाह ने छः बच्चों को कमसिनी में बोलने की ताक़त बख़्शी। उनमें हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) की

पाकदामनी की गवाही देने वाला बच्चा और फ़िरऔन की बेटी की मग़लानी का लड़का और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) और साहिबे जुरैज और साहिबे उख़्दूद और बनी इस्राईल की एक औरत का बेटा जिसको दूध पिला रही थी। अचानक एक शख़्स जाह व हशम के साथ गुज़रा और औरत ने बच्चे के लिये दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे को भी ऐसी ही क़िस्मत वाला बनाइयो। उस शीरख़्वार (दूध पीते) बच्चे ने फ़ौरन कहा, इलाही! मुझे ऐसा न बनाइयो। कहते हैं कि हज़रत यह्या (अलैहिस्सलाम) ने भी कमसिनी मे बातें की हैं तो कुल सात बच्चे होंगे।

बाब का तर्जुमा इससे निकलता है कि हज़रत जुरैज ने अपना घर मिट्टी ही की पहली हालत के मुताबिक़ बनवाने का हुक्म दिया। हदीष़ से ये भी निकला कि माँ की दुआ अपनी औलाद के लिये ज़रूर कुबूल होती है। माँ का हक़ बाप से तीन हिस्से ज्यादा है। जो लड़के–लड़की माँ को राज़ी रखते हैं वो दुनिया में भी ख़ूब फलते फूलते हैं और आख़िरत में भी नजात पाते हैं और माँ को नाराज़ करने वाले हमेशा दुख उठाते हैं। तजुर्बा और मुशाहिदे से इसका बहुत कुछ षुबूत मौजूद है। जिसमें शक व शुब्हा की कोई गुंजाइश नहीं है।

माँ के बाद बाप का दर्जा भी कुछ कम नहीं है। इसलिये कुर्आन मजीद में इबादते इलाही के लिये हुक्म सादिर फ़र्माने के बाद **व बिल वालिदैनि एहसान** (अल बक़रः : 83) के लफ़्ज़ इस्ते'माल किये हैं कि अल्लाह की इबादत करो और माँ–बाप के साथ हुस्ने–सुलूक़ करो। यहाँ तक कि **फ़ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़ि व ला तन्हर्हुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमति व क़ुर्रब्बिर्हम्हुमा कमा रब्बयानी स़ग़ीरा** (बनी इस्राईल : 24) या'नी माँ–बाप ज़िन्दा मौजूद हों तो उनके सामने उफ़ भी न करो और न उन्हें डांटों डपटो बल्कि उनसे नरम–नरम मीठी मीठी बातें जो रहम व करम से भरपूर हों, किया करो और उनके लिये रहम व करम वाले बाज़ू बिछा दिया करो वो बाज़ू जो उनके एहतिराम के लिये आजिज़ी इंकिसारी के लिये हुए हों और उनके हक़ में यूँ दुआएँ किया करो कि परवरदिगार! उन पर उसी तरह रहम फ़र्माइयो जैसा कि बचपन में इन्होंने मुझको अपने रहम व करम से परवान चढ़ाया।

माँ–बाप की ख़िदमत, इताअत, फ़र्मांबरदारी के बारे में बहुत सी अहादीष़ मरवी हैं जिनका नक़ल करना तवालत है, ख़ुलासा यही है कि औलाद का फ़र्ज़ है कि वालिदैन की नेक दुआएँ हमेशा हासिल करता रहे।

हज़रत जुरैज के वाक़िये में और भी बहुत सी इबरतें हैं। समझने के लिये नूरे बसीरत दरकार है, अल्लाह वाले दुनिया के झमेलों से दूर रहकर शब व रोज़ इबादते इलाही में मशग़ूल रहते हैं और वो दुनिया के झमेलों में रहकर भी यादे इलाही से ग़ाफ़िल नहीं होते। नीज़ जब भी कोई हादषा सामने आए सब्र व इस्तिक़्लाल के साथ उसे बर्दाश्त करते हैं और उसका नतीजा अल्लाह के हवाले कर देते हैं। हमारी शरीअत का भी यही हुक्म है कि अगर कोई शख़्स नफ़्ल नमाज़ की नियत बाँधे हुए हो और हज़रत रसूले करीम (ﷺ) उसे पुकारें तो वो नमाज़ तोड़कर ख़िदमत में हाज़िरी दे। आजकल औलाद के लिये यही हुक्म है। नीज़ बीवी के लिये भी कि वो शौहर को नफ़्ल नमाज़ों पर मुक़द्दम जाने। (वबिल्लाहित्तौफ़ीक़)।

47. किताबुश्शिर्कत:

किताब शराकत के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : खाने और सफ़र ख़र्च और अस्बाब में शिर्कत का बयान

١ - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

और जो कोई चीज़ नापी या तौली जाती हैं तख़्मीने से बांटना या मुट्ठी भर–भरकर तक़्सीम कर लेना, क्योंकि मुसलमानो ने उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं ख़्याल किया कि मुश्तरक ज़ादे सफ़र (की मुख्तलिफ़ चीज़ों में से) कोई शरीक एक चीज़ खा ले और दूसरा दूसरी चीज़, इसी तरह सोने–चाँदी के बदले बिन तौले ढेर लगाकर बांटने में, इसी तरह दो–दो खजूर उठाकर खाने में।

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ؟ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً، لِمَا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا. وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانِ فِي التَّمْرِ.

2483. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें वहब बिन कैसान ने और उन्हें जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (रजब 7 हिज्री में) साहिले बह्र की तरफ़ एक लश्कर भेजा और उसका अमीर अबू उ़बैदा बिन जर्राह (रज़ि.) को मुक़र्रर किया। फौजियों की ता'दाद तीन सौ थी और मैं भी उनमें शरीक था। हम निकले और अभी रास्ते ही में थे कि तौशा (राशन) ख़त्म हो गया। अबू उ़बैदा (रज़ि.) ने हुक्म दिया कि तमाम फौजी अपने तौशे (जो कुछ बाक़ी रह गये हों) एक जगह जमा कर दें। सब कुछ जमा करने के बाद खजूरों के कुल दो थैले हो सके और रोज़ाना हमें उसी में से थोड़ी–थोड़ी खजूर खाने के लिये मिलने लगी। जब उसका भी अकषर हिस्सा ख़त्म हो गया तो हमें सिर्फ़ एक-एक खजूर मिलती रही। मैं (वहब बिन कैसान) ने जाबिर (रज़ि.) से कहा कि भला एक खजूर से क्या होता है? उन्होंने बतलाया कि इसकी क़द्र हमें

٢٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيْهِمْ، فَخَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلاً قَلِيْلاً حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيْبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، - فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا

فَقَدْنَاهَا حِيْنَ فَنِيَتْ - قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوْتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا، فَلَمْ تُصِبْهُمَا)).

[أطرافه في : ٢٩٨٣، ٤٣٦٠، ٤٣٦١، ٤٣٦٢، ٥٤٩٣، ٥٤٩٤].

उस वक़्त मा'लूम हुई जब वो भी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने बयान किया कि आख़िर हम समुन्दर तक पहुँच गए। इत्तिफ़ाक़ से समुन्दर मे हमें एक ऐसी मछली मिली जो (अपने जिस्म में) पहाड़ की तरह मा'लूम होती थी। सारा लश्कर उस मछली को अठारह दिन तक खाता रहा। फिर अबू उ़बैदा (रज़ि.) ने उसकी दोनों पसलियों को खड़ा करने का हुक्म दिया। उसके बाद ऊँटों को उनके तले से चलने का हुक्म दिया और वो उन पस्लियों के नीचे से होकर गुज़रे लेकिन ऊँट ने उनको छुआ तक नहीं।

(दीगर मक़ाम : 2983, 4360, 4361, 4362, 5493, 5494)

बाब का तर्जुमा इससे निकला कि ह़ज़रत अबू उ़बैदा (रज़ि.) ने सारी फौज का तौशा (खाने की चीज़ें) एक जगह जमा करा लिया। फिर अंदाजे से थोड़ा–थोड़ा सबको दिया जाने लगा। सो सफ़र ख़र्च की शिर्कत और अंदाज़े से उसकी तक़्सीम ष़ाबित हुई।

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ. فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ)). فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ)). [طرفه في: ٢٩٨٢].

2484. हमसे बिश्र बिन मरहूम ने बयान किया, कहा कि हमसे हातिम बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी उ़बैदा ने और उनसे सलमा (रज़ि.) ने बयान किया कि (ग़ज़व–ए–हवाज़िन में) लोगों के तोशे ख़त्म हो गए और फ़क़्र व मुहताजी आ गई, तो लोग नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए। अपने ऊँटों को ज़िब्ह करने की इजाज़त लेने (ताकि उन्हीं के गोश्त से पेट भर सकें) आप (ﷺ) ने उन्हें इजाज़त दे दी। रास्ते में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की मुलाक़ात उनसे हो गई तो उन्हें भी उन लोगों ने इत्तिला दी। उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि ऊँटों को काट डालोगे फिर तुम कैसे ज़िन्दा रहोगे? चुनाँचे आप रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर उन्होंने ऊँट भी ज़िब्ह कर लिये तो फिर ये लोग कैसे ज़िन्दा रहेंगे? रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अच्छा, तमाम लोगों में ऐलान करा दो कि उनके पास जो कुछ तोशे बच रहे हैं वो लेकर यहाँ आ जाएँ। उसके लिये एक चमड़े का दस्तरख़्वान बिछा दिया गया। और लोगों ने तौशे उसी दस्तरख़्वान पर लाकर रख दिये। उसके बाद रसूले करीम (ﷺ) उठे और उसमें बरकत की दुआ फ़र्माई। अब आप (ﷺ) ने फिर सब लोगों को अपने अपने बर्तनों के साथ बुलाया। और सबने दोनों हाथों से तोशे अपने बर्तनों में भर लिये। जब सब

लोग भर चुके तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। (दीगर मक़ाम : 2982)

तश्रीह : इस ह़दीष़ में एक अहमतरीन मुअजिज़ा–ए–नबवी का ज़िक्र है कि अल्लाह ने अपनी क़ुदरत की एक अ़ज़ीमुश्शान निशानी अपने पैग़म्बर (ﷺ) के हाथ पर ज़ाहिर की। या तो वो तौशा इतना कम था कि लोग अपनी सवारियाँ काटने पर आमादा हो गए या वो तौशा इस क़दर बढ़ गया कि फ़राग़त से हर एक ने अपनी ख़्वाहिश के मुवाफ़िक़ भर लिया। इस क़िस्म के मुअजिज़ात आँह़ज़रत (ﷺ) से कई बार सादिर हुए हैं। बाब का तर्जुमा इससे निकलता है कि आप (ﷺ) ने सबके तोशे इकट्ठा करने का हुक्म दिया। फिर हर एक ने यूँ ही अंदाज़े से ले लिया, आपने तौल माप कर उसको तक़्सीम नहीं किया।

ह़दीष़ और बाब में मुत़ाबक़त के सिलसिले में शारेहीने बुख़ारी लिखते हैं, **व मुताबकतुन लित्तर्जुमति तूख़ज़ु मिन क़ौलिही फ़यातून बिफ़ज़्लि अज़्वादिहिम व मिन क़ौलि फ़दआ व बारक अ़लैहि फ़इन्न फ़ी जम्इ अज़्वादिहिम व हुव फ़ी मअनन्नहदि व दुआउन्नबिय्यि (ﷺ) फ़ीहा बिल्बर्कति** (ऐनी) या'नी ह़दीष़ और बाब में मुत़ाबक़त लफ़्ज़ फ़यातून अल्ख़ से है कि ऐसे मवाक़ेअ पर उन सबने अपने अपने फ़ालतू तोशे लाकर जमा कर दिये और इस क़ौल से कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसमें बरकत की दुआ फ़र्माई। यहाँ उनके तोशे जमा करना मज़्कूर है और वो नहद के मा'नी में है, या'नी अपने अपने ह़िस़्से बराबर बराबर लाकर जमा कर देना और उसमें से आँह़ज़रत (ﷺ) का बरकत के लिये दुआ फ़र्माना। लफ़्ज़ नहदि या नहदि आगे बढ़ना, नमूदार होना, मुक़ाबिल होना, ज़ाहिर होना, बड़ा करना के मा'नी में है। इसी से लफ़्ज़ तनाहुद है। जिसके मा'नी सफ़र के सब रफ़ीक़ों का एक मुअय्यन रुपया या राशन तोशा जमा करना कि उससे सफ़र की ख़ुरदुनी (खाने की) ज़रूरियात को मसावी त़ौर पर पूरा किया जाए यहाँ ऐसा ही वाक़िया ज़िक्र किया गया है।

2485. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबुन नजाशी ने बयान किया, कहा कि मैंने राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया हम नबी करीम (ﷺ) के साथ अ़स्र की नमाज़ पढ़कर ऊँट ज़िब्ह करते, उन्हें दस हिस़्सों मे तक़्सीम कर देते और फिर सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही हम उसका पका हुआ गोश्त खा लेते।

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ)).

तश्रीह : इस ह़दीष़ से ये निकलता है कि आप (ﷺ) अ़स्र की नमाज़ एक मिष़्ल पर पढ़ा करते थे वरना दो मिष़्ल साये पर जो कोई अ़स्र की नमाज़ पढ़ेगा तो इतने कम वक़्त में उसके लिये ये काम पूरा करना मुश्किल है। इस ह़दीष़ से बाब का मत़लब यूँ निकलता है कि ऊँट का गोश्त यूँ ही अंदाजे से तक़्सीम किया जाता था। (वह़ीदी)

2486. हमसे मुहम्मद बिन अ़लाअ ने बयान किया, कहा हमसे ह़म्माद बिन उसामा ने बयान किया, उनसे बुरैद ने, उनसे अबू बुर्दा ने और उनसे अबू मूसा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़बीला अशअ़र के लोगों का जब जिहाद के मौक़े पर तौशा कम हो जाता या मदीना (के क़याम) में उनके बाल-बच्चों के लिये खाने की कमी हो जाती थी तो जो कुछ भी उनके पास तौशा होता है वो एक कपड़े में जमा कर लेते, फिर आपस में एक बर्तन से

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ

بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ)).

बराबर बराबर तक़्सीम कर लेते हैं पस वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ।

या'नी वो ख़ास़ मेरे त़रीक़ और मेरी सुन्नत पर हैं और मैं उनके त़रीक़ पर हूँ। इस ह़दीष़ से ये निकला कि सफ़र या ह़ज़र में तौशों का मिला लेना और बराबर–बराबर बांट लेना मुस्तह़ब है। बाब की ह़दीष़ से मुत़ाबक़त ज़ाहिर है। **व मुताबक़तुहू लित्तर्जुमति तूख़जु मिन क़ौलिही जमऊ मा कान इन्दहुम फ़ी ष़ौबिन वाहिदिन षुम्म इक़्तसमूहु बैनहुम** (उ़म्दतुल क़ारी)

२- بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

बाब 2 : जो माल दो साझियों के साझे का हो वो ज़कात में एक दूसरे से बराबर बराबर मुजरा कर लें

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: ((أَنَّ أَبَابَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: وَمَا كَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ)).

[راجع: ١٤٤٨]

2487. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मुष़न्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे षुमामा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि अबूबक्र (रज़ि.) ने उनके लिये फ़र्ज़ ज़कात का बयान तह़रीर किया था जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुक़र्रर की थी। आपने फ़र्माया कि जब किसी माल में दो आदमी साझी हों तो वो ज़कात में एक–दूसरे से बराबर बराबर मुजरा कर लें। (राजेअ : 1448)

जब ज़कात का माल दो या तीन साथियों में मुश्तरक हो या'नी सबका साझा हो और ज़कात का तह़सीलदार एक साझी से कुल ज़कात वसूल कर ले तो वो दूसरे साझीदारों के ह़िस्से के मुवाफ़िक़ उनसे मुजरा ले और ज़कात के ऊपर दूसरे ख़र्चों का भी क़यास हो सकेगा । पस इस त़रह़ से इस ह़दीष़ को शिर्कत से ता'ल्लुक़ हुआ।

٣- بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ

बाब 3 : बकरियों का बांटना

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ

2488. हमसे अ़ली बिन ह़कम अंस़ारी ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़वाना ने बयान किया, उनसे सईद बिन मसरूक़ ने, उनसे अ़बाया बिन रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने और उनसे उनके दादा (राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक़ामे ज़ुल हुलैफ़ा में ठहरे हुए थे। लोगों को भूख लगी। इधर (ग़नीमत में) ऊँट और बकरियाँ मिली थीं। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) लश्कर के पीछे लोगों में थे। लोगों ने जल्दी की और (तक़्सीम से पहले ही) ज़िब्ह करके हण्डिया चढ़ा दीं। लेकिन बाद में नबी करीम (ﷺ)

فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُوا - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)).

[أطرافه في: ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤].

ने हुक्म दिया और वो हण्डियाँ औंधी कर दी गईं। फिर आपने उनको तक़्सीम किया और दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर रखा। एक ऊँट उसमें से भाग गया तो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसने सबको थका दिया। क़ौम के पास घोड़े कम थे। एक सहाबी तीर लेकर ऊँट की तरफ़ झपटे। अल्लाह ने उसको ठहरा दिया। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उन जानवरों में भी जंगली जानवरों की तरह सरकशी होती है। इसलिये इन जानवरों में से भी अगर कोई तुम्हें आजिज़ कर दे तो उसके साथ तुम ऐसा ही मामला किया करो। फिर मेरे दादा ने अ़र्ज़ किया कि कल दुश्मन के हमले का डर है, हमारे पास छुरियाँ नहीं है (तलवारों से ज़िब्ह करें तो उनके ख़राब होने का डर है जबकि जंग सामने है) क्या हम बांस की खपच्ची से ज़िब्ह कर सकते हैं ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो चीज़ भी ख़ून बहा दे और ज़बीहा पर अल्लाह तआ़ला का नाम भी लिया गया हो तो उसके खाने में कोई हर्ज नहीं। सिवाय दांत और नाख़ून के। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। दांत हड्डी है और नाख़ून हब्शियों की छुरी है।

(दीगर मक़ाम : 2507, 3075, 5498, 5503, 5506, 5509, 5543, 5544)

तशरीह : वो नाख़ून ही से जानवर काटते हैं, तो ऐसा करने में उनकी मुशाबिहत (समरूपता) है। इमाम नववी (रह.) ने कहा कि नाख़ून ख़्वाह बदल में लगा हुआ हो या जुदा किया हुआ हो, पाक हो या नजिस किसी हाल में उससे ज़िब्ह करना जाइज़ नहीं। बाब के तर्जुमे की मुताबक़त ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर किया। हाँडियों को इसलिये औंधा करा दिया कि उनमें जो गोश्त पकाया जा रहा था वो नाजाइज़ था, जिसे खाना मुसलमानों के लिये हराम था। लिहाज़ा आप (ﷺ) ने उनका गोश्त ज़ाया (नष्ट) करा दिया। देवबन्दी हनफ़ी तर्जुम-ए-बुख़ारी में यहाँ लिखा गया है कि हाँडियों के उलट देने का मतलब ये कि (या'नी तक़्सीम करने के लिये उनसे गोश्त निकाल लिया गया)। देखें तफ़्हीमुल बुख़ारी देवबन्दी सफ़ा 142 पारा 9)

ये मफ़्हूम कितना ग़लत है। इसका अंदाज़ा हाशिया सहीह बुख़ारी मत्बूआ कराची जिल्द अव्वल पेज नं. 338 की नीचे लिखी इबारत से लगाया जा सकता है। महशी साहब जो ग़ालिबन हनफ़ी ही हैं, फ़र्माते हैं कि **फ़उक्फ़िअत अय उक़्लिबत व रुमियत व उरीक़ मा फ़ीहा व हुव मिनल इक्फ़ाइ क़ील इन्नमा अमर बिल इक्फ़ाइ लिअन्नहुम ज़बहूल ग़नम क़ब्ल अंय्युक्स फ़लम यतुब बिज़ालिक** (उम्दतुल क़ारी) या'नी उन हाँडियों को उलटा कर दिया गया, गिरा दिया गया और जो उनमें था वो सब बहा दिया गया। हदीष़ का लफ़्ज़ **अक्फ़अतु** से है। कहा गया है कि आपने उनके गिराने का हुक्म इसलिये सादिर फ़र्माया कि उन्होंने बकरियों को माले ग़नीमत के तक़्सीम होने से पहले ही ज़िब्ह कर दिया था। आप (ﷺ) को उनका ये काम पसन्द नहीं आया। इस तशरीह से साफ़ ज़ाहिर है कि देवबन्दी हनफ़ी का मज़्कूरा मफ़्हूम बिलकुल ग़लत है वल्लाहु अअ़लम बिस्सवाब।

٤- بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ

बाब 4 : दो-दो खजूरें मिलाकर खाना किसी

शरीक को जाइज़ नहीं जब तक दूसरे साथ वालों से इजाज़त न ले।

الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصحابَهُ

2489. हमसे ख़ल्लाद बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, कहा हमसे जबला बिन सहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से सुना। उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना किया था कि कोई शख़्स अपने साथियों की इजाज़त के बग़ैर (दस्तरख़्वान पर) दो-दो खजूर एक साथ मिलाकर खाए। (राजेअ़ : 2400)

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ)). [راجع: ٢٤٥٥]

2490. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे जबला ने बयान किया हमारा क़याम मदीना में था और हम पर क़हत़ (अकाल) का दौर गुज़रा। अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) हमें खजूर खाने के लिये देते थे और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) गुज़रते हुए ये कह जाया करते थे कि दो-दो खजूर एक साथ मिलाकर न खाना क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने अपने दूसरे साथी की इजाज़त के बग़ैर ऐसा करने से मना किया है। (राजेअ़ : 2455)

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: ((كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لاَ تَقْرُنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)). [راجع: ٢٤٥٥]

अल्हम्दु लिल्लाह नवाँ पारा ख़त्म हुआ।